

आय-कर (संख्यांक 2) विधेयक, 2025

खंडों का क्रम

खंड

अध्याय 1 प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।
2. परिभाषाएं ।
3. “कर वर्ष” की परिभाषा ।

अध्याय 2 प्रभार का आधार

4. आय-कर पर भारित ।
5. कुल आय की परिधि ।
6. भारत में निवास।
7. किसी करवर्ष में प्राप्त हुई समझी गई आय और आय समझा गया लाभांश ।
8. विनिर्दिष्ट अस्तित्व से विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा पूंजी आस्ति या व्यापार स्टाक की प्राप्ति पर आय ।
9. भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत समझी गई आय ।
10. पुर्तगाली सिविल कोड द्वारा शासित पति या पत्नी के बीच आय का प्रभाजन।

अध्याय 3 आय जो कुल आय का भाग नहीं है

अ. आय जो कुल आय के अंतर्गत नहीं आती है

11. आय जो कुल आय के अंतर्गत नहीं आती है।
आ. आय, जो राजनीतिक दलों और निर्वाचक न्यासों की कुल आय में की कुल आय में सम्मिलित नहीं की जानी हैं
12. आय, जो राजनीतिक दलों और निर्वाचक न्यासों की कुल आय में की कुल आय में सम्मिलित न की गई आय ।

अध्याय 4 कुल आय की संगणना

अ. आय के शीर्ष

13. आय के शीर्ष ।
14. कुल आय में सम्मिलित न किए जाने योग्य आय के संबंध में उपगत व्यय।

आ. वेतन

15. वेतन ।
16. वेतन से आय।
17. परिलब्धि।
18. वेतन के बदले लाभ।
19. वेतन से कटौती।

इ. गृह संपत्ति से आय

20. गृह संपत्ति से आय ।
21. वार्षिक मूल्य का अवधारण ।
22. गृह संपत्ति से आय में से कटौतियां ।

खंड

23. किराया और बाद में प्राप्त हुआ अवसूलीकृत किराया ।
24. सहस्वामियों के स्वामित्वाधीन संपत्ति ।
25. निर्वचन ।

ई. कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ

26. "कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ" शीर्षक के अधीन आय ।
27. कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभों की संगणना करने की रीति ।
28. किराया, दरें, कर, मरम्मत और बीमा ।
29. कर्मचारी कल्याण से संबंधित कटौतियाँ ।
30. कतिपय प्रीमियम पर कटौती ।
31. डूबते ऋण के लिए कटौती तथा डूबते एवं संदिग्ध ऋण के लिए उपबंध ।
32. अन्य कटौतियाँ ।
33. मूल्यह्रास हेतु कटौती ।
34. अनुज्ञेय कटौतियों के लिए साधारण शर्तें ।
35. कुछ परिस्थिति में कटौती योग्य रकम का न होना ।
36. कतिपय परिस्थितियों में कटौती न किए जाने योग्य या संदाय ।
37. कुछ कटौतियाँ केवल वास्तविक भुगतान के आधार पर ही अनुज्ञात की गई ।
38. कुछ रकम जो कारबार या वृत्ति से प्राप्त लाभ या अभिलाभ समझी जाती हैं ।
39. वास्तविक लागत की संगणना
40. कुछ आस्तियों के अर्जन की लागत की संगणना के लिए विशेष उपबंध ।
41. अवक्षणीय आस्ति का अवलिखित मूल्य।
42. विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव के प्रभाव का लाभ उठाना।
43. विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव का कराधान ।
44. कतिपय प्रारंभिक व्ययों का अवक्षण ।
45. वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय।
46. विनिर्दिष्ट कारबार का पूंजीगत व्यय।
47. कृषि विस्तार परियोजना और कौशल विकास परियोजना पर व्यय।
48. चाय विकास खाता, कॉफी विकास खाता और रबर विकास खाता।
49. स्थल पुनर्स्थापना निधि ।
50. व्यापार, वृत्ति या समरूप संघ के मामले में विशेष उपबंध।
51. कतिपय खनिजों के पूर्वक्षण के लिए व्यय का अवक्षण ।
52. दूरसंचार सेवाओं, समामेलन, निर्विलीन, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम आदि के लिए व्यय का अवक्षण ।
53. कतिपय मामलों में पूंजीगत आस्तियों के अलावा अन्य आस्तियों के अंतरण के लिए प्रतिफल का पूर्ण मूल्य।
54. खनिज तेलों के लिए पूर्वक्षण का कारबार।
55. बीमा कारबार ।
56. विनिर्दिष्ट वित्तीय संस्थाओं की ब्याज आय के मामले में विशेष उपबंध।
57. विनिर्माण एवं सेवा संविदाओं के लिए राजस्व मान्यता।
58. कतिपय निवासियों के मामले में कारबार या वृत्ति से होने वाले लाभ और अभिलाभ की गणना अनुमानित आधार पर करने के लिए विशेष उपबंध।

खंड

59. अनिवासियों के हस्तगत तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी और प्रभार का संगणना ।
60. अनिवासियों के मामले में मुख्यालय व्यय की कटौती।
61. कुछ अनिवासियों की कुछ व्यावसायिक गतिविधियों के संबंध में प्रकल्पित आधार पर आय की गणना के लिए विशेष उपबंध।
62. लेखा बहियों का रखरखाव।
63. कर संपरीक्षा।
64. सहकारी बैंकों के कारबार पुनर्गठन के मामले में कटौतियों की गणना के लिए विशेष उपबंध।
65. धारा 64 के परियोजन निर्वचन के लिए ।
66. निर्वचन ।

उ. पूंजीगत लाभ

67. पूंजीगत लाभ।
68. परिसमापन के अधीन कंपनियों द्वारा आस्तियों के वितरण पर पूंजीगत लाभ।
69. कंपनी द्वारा अपने स्वयं के शेयरों या अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के क्रय पर पूंजीगत लाभ।
70. ऐसे संव्यवहार जिन्हें अंतरण नहीं माना जाएगा।
71. कतिपय मामलों में छूट वापस लेना।
72. पूंजीगत लाभ की गणना की रीति ।
73. अधिग्रहण के कुछ रीति के संदर्भ में लागत।
74. अवक्षीय आस्तियों के मामले में पूंजीगत अभिलाभ की गणना के लिए विशेष उपबंध।
75. अवक्षीय आस्ति के मामले में अधिग्रहण की लागत के लिए विशेष उपबंध।
76. बाजार संबद्ध डिबेंचर के मामले में पूंजीगत अभिलाभ की गणना के लिए विशेष उपबंध।
77. मंदी की स्थिति में पूंजीगत लाभ की गणना के लिए विशेष उपबंध।
78. कतिपय मामलों में प्रतिफल के पूर्ण मूल्य के लिए विशेष उपबंध।
79. उद्धृत शेयर के अलावा शेयर के अंतरण के लिए प्रतिफल के पूर्ण मूल्य हेतु विशेष उपबंध।
80. कतिपय मामलों में उचित बाजार मूल्य को प्रतिफल का पूर्ण मूल्य समझा जाना।
81. प्राप्त अग्रिम धनराशि ।
82. निवास के लिए प्रयुक्त संपत्ति विक्रय पर लाभ।
83. कृषि प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भूमि के अंतरण पर पूंजीगत अभिलाभ कुछ मामलों में नहीं लिया जाएगा।
84. भूमि और भवनों के अनिवार्य अर्जन पर पूंजी अभिलाभ कतिपय दशाओं में प्रभारित नहीं किया जाएगा ।
85. पूंजी अभिलाभ का कतिपय बंधपत्रों में विनिधान पर प्रभारित न किया जाना ।
86. निवास गृह में विनिधान की दशा में कतिपय पूंजी आस्तियों के अंतरण पर पूंजी लाभ का प्रभारित न किया जाना ।
87. नगरीय क्षेत्र से औद्योगिक उपक्रम के स्थानांतरण की दशा में आस्तियों के अंतरण पर पूंजी अभिलाभों को छूट ।
88. औद्योगिक उपक्रम के शहरी क्षेत्र से किसी विशेष आर्थिक जोन में स्थानान्तरण की दशा में आस्तियों के अंतरण पर पूंजी अभिलाभों की छूट ।
89. नई आस्ति अर्जित करने या पूंजी अभिलाभ की रकम का निक्षेप या विनिधान करने के लिए समय का विस्तार ।

खंड

90. “समायोजित”, “सुधार की लागत” और “अर्जन की लागत” के अर्थ ।
 91. मूल्यांकन अधिकारी को निर्देश ।

ऊ. अन्य स्रोतों से आय

92. अन्य स्रोतों से आय ।
 93. कटौतियां ।
 94. कटौती न करने योग्य रकमें ।
 95. कर से प्रभार्य लाभ ।

अध्याय 5**अन्य व्यक्तियों की आय जो निर्धारित की कूल आय में सम्मिलित है**

96. जहां आस्तियों के अंतरण न हों वहां आय का अंतरण ।
 97. आस्तियों का प्रतिसंहरणीय अंतरण ।
 98. “अंतरण” और “प्रतिसंहरणीय अंतरण” की परिभाषा ।
 99. व्यष्टि की आय में पति या पत्नी, अवयस्क संतान आदि की आय का भी सम्मिलित होना ।
 100. व्यक्ति का ऐसी आय की बाबत दायित्व जो अन्य व्यक्ति की आय में सम्मिलित है ।

अध्याय 6**आय का संकलन**

101. कुल आय ।
 102. अस्पष्टीकृत जमा ।
 103. अस्पष्टीकृत विनिधान ।
 104. अस्पष्टीकृत आस्ति ।
 105. अस्पष्टीकृत व्यय ।
 106. परक्राम्य लिखत, आदि द्वारा उधार ली गई या लौटाई गई रकम ।
 107. कर का प्रभार ।

अध्याय 7**संमजन किया जाना या अग्रणीत किया जाना और हानि का संमजन किया जाना**

108. आय के समान शीर्ष के अधीन हानियों के प्रति संमजन किया जाना ।
 109. आय के समान शीर्ष के अधीन हानियों के प्रति संमजन किया जाना ।
 110. गृह संपत्ति से हानि को अग्रणीत करना और उसका संमजन करना ।
 111. पूंजीगत लाभ से हानि को अग्रणीत करना और उसका संमजन करना ।
 112. कारबारिक हानि को अग्रणीत करना और उसका संमजन करना ।
 113. सट्टा कारोबार के संबंध में संगठित हानि को संमजन करना और अग्रणीत करना ।
 114. विनिर्दिष्ट कारबार के संबंध में संगठित हानि को संमजन करना तथा अग्रणीत करना ।
 115. विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप से होने वाले हानि को संमजन करना तथा अग्रणीत करना ।
 116. समामेलन या निर्विलियन आदि में संचित हानि और शेष अवक्षयण का उपचार ।
 117. कतिपय मामलों में समामेलन स्कीम में संचित हानि और शेष अवक्षयण का उपचार ।

खंड

118. सहकारी बैंकों के कारबार पुनर्गठन में हानि और शेष अवक्षयण को अग्रेषित करना और संमजन करना ।
119. कतिपय मामलों में हानि को अग्रेषित करना और संमजन करना अनुज्ञेय नहीं है ।
120. तलाशी, अध्यपेक्षा और सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप अघोषित आय के विरुद्ध हानि का कोई संमजन नहीं किया जाएगा ।
121. हानि के लिए विवरणी प्रस्तुत करना ।

अध्याय 8**कुल आय की गणना में की जाने वाली कटौतियां****क. साधारण**

122. कुल आय की गणना में की जाने वाली कटौतियां ।

ख. कतिपय संदायों के संबंध में कटौती

123. भविष्य निधि को जीवन बीमा प्रीमियम के वार्षिक अभिदाय के लिए कटौती ।
124. केन्द्रीय सरकार की पेंशन स्कीम में नियोजक और निर्धारिती के अभिदाय के संबंध में कटौती ।
125. अग्निपथ स्कीम में अभिदाय के संबंध में कटौती ।
126. स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के संबंध में कटौती ।
127. आश्रित व्यक्ति जो निःशक्त है, के चिकित्सा उपचार सहित भरण-पोषण के संबंध में कटौती ।
128. चिकित्सा उपचार आदि के संबंध में कटौती ।
129. उच्च शिक्षा के लिए, लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती ।
130. आवासीय गृह संपत्ति हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती ।
131. कतिपय गृह सम्पत्ति हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती ।
132. इलैक्ट्रिक यान क्रय के संबंध में कटौती ।
133. कतिपय निधियों, पूर्त संस्थाओं आदि को दिए गए दान के संबंध में कटौती ।
134. संदत्त किराए के संबंध में कटौती ।
135. वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए कतिपय दान के संबंध में कटौती ।
136. कम्पनियों द्वारा राजनीतिक दलों को दिए गए अभिदाय के संबंध में कटौती ।
137. किसी व्यक्ति द्वारा राजनीतिक दलों को दिए गए अभिदाय के संबंध में कटौती ।

ग. कतिपय आय के संबंध में कटौती

138. बुनियादी ढांचे के विकास आदि में लगे औद्योगिक उपक्रमों या उद्यमों से लाभ और प्राप्ति के संबंध में कटौती ।
139. विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास में लगे किसी उपक्रम या उद्यम द्वारा लाभ और अभिलाभ के संबंध में ।
140. विनिर्दिष्ट कारबार के संबंध में विशेष उपबंध ।
141. कतिपय औद्योगिक उपक्रमों से लाभ और अभिलाभ के संबंध में कटौती ।
142. वास सुविधा परियोजनाओं से लाभ और अभिलाभ के संबंध में कटौती ।
143. पूर्वोत्तर राज्यों में कतिपय उपक्रमों के संबंध में विशेष उपबंध ।
144. विशेष आर्थिक क्षेत्रों में नव स्थापित इकाइयों के संबंध में विशेष उपबंध ।
145. जैव-निम्नीकरणीय अपशिष्ट के संग्रहण और प्रसंस्करण में लगे कारबारों के लिए कटौती ।
146. अतिरिक्त कर्मचारी लागत के संबंध में कटौती ।

खंड

147. अपतटीय बैंकिंग इकाइयों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की इकाइयों की आय के लिए कटौती ।
148. कतिपय अंतर-कॉर्पोरेट लाभांश के संबंध में कटौती ।
149. सहकारी सोसाइटियों की आय के संबंध में कटौती ।
150. धारा 149 के प्रयोजन के लिए निर्वचन ।
151. पाठ्य-पुस्तकों से भिन्न कतिपय पुस्तकों के लेखकों की स्वामिस्व आय आदि के संबंध में कटौती ।
152. पेटेंट पर स्वामिस्व के संबंध में कटौती ।

घ. अन्य आय के संबंध में कटौती

153. जमा पर ब्याज के लिए कटौती ।

ड. अन्य कटौतियां

154. निःशक्त व्यक्ति के मामले में कटौती ।

अध्याय9**छूट और राहत****क. छूट और राहत**

155. आय-कर की गणना में छूट दी जाएगी ।
156. कतिपय व्यक्तियों के मामले में आय-कर में छूट ।
157. जब वेतन आदि का संदाय बकाया या अग्रिम रूप में किया जाता है वहां राहत ।
158. किसी अधिसूचित देश में रखे गए सेवानिवृत्ति लाभ खाते से प्राप्त आय पर कराधान से छूट ।

ख. दोहरा कराधान राहत

159. दोहरे कराधान से राहत के लिए विदेशी देशों या निर्दिष्ट क्षेत्रों के साथ करार तथा केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट संघों के बीच करार का अंगीकरण ।
160. वे देश जिनके साथ कोई करार नहीं है ।

अध्याय10**कर से बचने से संबंधित विशेष उपबंध**

161. सन्निकट मूल्य को ध्यान में रखते हुए अन्तर्राष्ट्रीय संव्यवहार और विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार से आय की गणना ।
162. संबंध उद्द्यम का अर्थ ।
163. अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार का अर्थ ।
164. विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार का अर्थ ।
165. असन्निकट कीमत का अवधारण ।
166. अंतरण मूल्यांकन अधिकारी को निर्देश ।
167. सुरक्षित बंदरगाह नियम बनाने की बोर्ड की शक्ति ।
168. अग्रिम मूल्यांकन करार ।
169. अग्रिम मूल्यांकन करार का प्रभावी रूप देना ।
170. कतिपय मामलों में द्वितीय समायोजन ।
171. कतिपय व्यक्तियों द्वारा जानकारी और दस्तावेज का रखा जाना और उनका प्रस्तुत किया जाना ।
172. अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार करने वाले व्यक्तियों द्वारा लेखापाल से रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना ।

खंड

173. असन्निकट कीमत, आदि के अवधारण से सुसंगत कतिपय पदों की परिभाषाएं ।
174. अनिवासियों को आय के अन्तरण में परिणामित होने वाले संव्यवहारों द्वारा आय-कर का परिवर्जन ।
175. प्रतिभूतियों में कतिपय संव्यवहारों द्वारा कर का परिवर्जन ।
176. अधिसूचित अधिकारिता वाले क्षेत्र में अवस्थित व्यक्तियों से संव्यवहारों के संबंध में विशेष उपाय ।
177. कतिपय मामलों में ब्याज कटौती पर परिसीमा ।

अध्याय 11**सामान्य परिवर्जन-रोधी नियम**

178. सामान्य परिवर्जन-रोधी नियम का लागू होना ।
179. अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव ।
180. ठहराव में वाणिज्यिक सारतत्व का न होना ।
181. अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव के परिणाम ।
182. संबद्ध व्यक्ति और अनुकूलक पक्षकार का निरूपण ।
183. इस अध्याय का लागू होना ।
184. निर्वचन ।

अध्याय 12**कतिपय दशाओं, आदि में संदाय के ढंग**

185. कतिपय उधार, निक्षेप और विनिर्दिष्ट राशि लेने या प्रतिग्रहण करने का ढंग ।
186. संव्यवहार करने का ढंग ।
187. विहित इलैक्ट्रानिक पद्धतियों के माध्यम से संदाय का स्वीकार किया जाना ।
188. कतिपय उधारों निक्षेपों विनिर्दिष्ट अग्रिमों के प्रतिसंदाय का ढंग ।
189. निर्वचन ।

अध्याय 13**विशेष दशाओं में कर का अवधारण****अ. कतिपय विशेष दशाओं में कर का अवधारण**

190. जहां कुल आय के अंतर्गत ऐसी आय है, जिस पर कोई कर संदेय नहीं है, वहां कर का अवधारण ।
191. मान्यताप्राप्त भविष्य निधि के संचित अतिशेष पर कर ।
192. तलाशी संबंधी मामलों में ब्लाक निर्धारण की दशा में कर ।
193. विदेशी करेंसी में क्रय किए गए बंधपत्रों या सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों से अथवा उनके अन्तरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभों से आय पर कर ।
194. कतिपय आय पर कर ।
195. धारा 102 से धारा 106 में निर्दिष्ट आय पर कर ।

आ. पूंजी अभिलाभों पर कर से संबंधित विशेष उपबंध

196. कतिपय मामलों में अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों पर कर ।
197. दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों पर कर ।
198. कतिपय मामलों में दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों पर कर ।

इ. नई कर व्यवस्था

199. कतिपय विनिर्माणकारी देशी कंपनियों की आय पर कर ।

खंड

200. कतिपय देशी कंपनियों की आय पर कर ।
201. नई विनिर्माणकारी देशी कंपनियों की आय पर कर ।
202. व्यष्टियों, हिंदू अविभक्त कुटुंब और अन्य के लिए नई कर व्यवस्था ।
203. कतिपय निवासी सहकारी सोसाइटियों की आय पर कर ।
204. कतिपय नई विनिर्माणकारी सहकारी सोसाइटियों की आय पर कर ।
205. कतिपय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों की आय पर कर के लिए शर्तें ।
- ई. न्यूनतम अनुकल्पी कर और अनुकल्पी न्यूनतम कर से संबंधित विशेष उपबंध**
206. न्यूनतम अनुकल्पी कर और अनुकल्पी न्यूनतम कर से संबंधित विशेष उपबंध ।
- उ. अनिवासियों और विदेशी कंपनी से संबंधित विशेष उपबंध**
207. विदेशी कंपनियों की दशा में लाभान्श, स्वामिस्व और तकनीक सेवाओं के लिए फीस पर कर ।
208. विदेशी मुद्रा में क्रय की गई यूनिटों या उनके अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभों से आय पर कर ।
209. विदेशी करेंसी में क्रय किए गए बंधपत्रों या सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों से अथवा उनके अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभों से आय पर कर ।
210. विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ताओं की प्रतिभूतियों से अथवा उनके अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभों से आय पर कर ।
211. अनिवासी खिलाड़ियों या खेल-कूद संगमों पर कर ।
212. व्याख्या ।
213. अनिवासियों की कुल आय की संगणना के लिए विशेष उपबंध ।
214. विनिधान आय और दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ पर कर ।
215. विदेशी मुद्रा आस्तियों के अंतरण पर पूंजी अभिलाभ का कुछ दशाओं में प्रभारित न होना ।
216. कतिपय दशाओं में आय की विवरणी का प्रस्तुत न किया जाना ।
217. निर्धारिती के निवासी हो जाने के पश्चात् भी कतिपय दशाओं में फायदों का उपलब्ध होना ।
218. यदि निर्धारिती ऐसा चयन करे, तो उपबंधों का लागू न होना ।
219. किसी विदेशी कंपनी की भारतीय शाखा का समनुषंगी भारतीय कंपनी में संपरिवर्तन ।
220. विदेशी कंपनी का भारत में निवासी के रूप में कथित होना ।
- ऊ. पास-थु अस्तित्वों से संबंधित विशेष उपबंध**
221. प्रतिभूतिकरण न्यासों से आय पर कर ।
222. जोखिम पूंजी उपक्रमों की दशा में आय पर कर ।
223. यूनिट धारक और कारबार न्यास की आय पर कर ।
224. विनिधान निधि और उसके यूनिट धारकों की आय पर कर ।
- ऋ. पोत परिवहन कंपनियों की आय से संबंधित विशेष उपबंध**
225. अर्हक पोत प्रचालन के कारबार से आय ।
226. टनभार कर स्कीम ।
227. टनभार आय की संगणना ।
228. सुसंगत पोत परिवहन आय और बही लाभ से अपवर्जन ।
229. टनभार कर आस्तियों से संबंधित मूल्यहास और लाभ।
230. कटौती, हानि, मुजरा आदि का अपवर्जन।

खंड

- 231. टनभार कर स्कीम का चयन करने की रीति और वैधता।
- 232. टनभार कर स्कीम को लागू होने के लिए कतिपय शर्तें।
- 233. समामेलन और निर्विलयन।
- 234. टनभार कर स्कीम से परिवर्जन और अपवर्जन।
- 235. निर्वचन।

अध्याय 14**कर प्रशासन****क. प्राधिकारी, अधिकार क्षेत्र और कृत्य**

- 236. आय-कर अधिकारी ।
- 237. आय-कर प्राधिकारियों की नियुक्ति ।
- 238. आय-कर अधिकारियों का नियंत्रण ।
- 239. अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश।
- 240. करदाता का चार्टर ।
- 241. आय-कर प्राधिकारियों का क्षेत्राधिकार ।
- 242. मूल्यांकन अधिकारियों का क्षेत्राधिकार।
- 243. मामलों को अंतरित करने की शक्ति ।
- 244. किसी कार्यालय के पदधारी का परिवर्तन।
- 245. आय-कर प्राधिकारियों का पहचान विहीन क्षेत्राधिकार।

ख. शक्तियां

- 246. तलाशी, साक्ष्य प्रस्तुत करने आदि से संबंधित शक्ति।
- 247. खोज और अभिग्रहण।
- 248. अधिग्रहण की शक्तियां ।
- 249. कारण प्रकट नहीं किए जाएंगे।
- 250. अभिगृहीत या अधिगृहीत या आस्तियों का उपयोग।
- 251. अभिग्रहीत या अधिग्रहीत लेखा बहियों और दस्तावेजों की प्रतिलिपि बनाना, निकालना, रखना और जारी करना।
- 252. सूचना मांगने की शक्ति ।
- 253. सर्वेक्षण की शक्तियां ।
- 254. कतिपय जानकारी एकत्रित करने की शक्ति ।
- 255. कम्पनियों के रजिस्ट्रारों का निरीक्षण करने की शक्ति।
- 256. सक्षम प्राधिकारी की शक्तियाँ ।
- 257. आय-कर प्राधिकारियों के समक्ष कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही होगी ।
- 258. निर्धारित से संबंधित सूचना का प्रकटीकरण।
- 259. विहित आय-कर प्राधिकारी द्वारा सूचना मांगने की शक्ति।
- 260. सूचना का पहचान विहीन संग्रह।
- 261. निर्वचन ।

अध्याय 15**आय की विवरणी****क. स्थायी लेखा संख्या का आवंटन**

- 262. स्थायी लेखा संख्या ।

खंड**ख. आय की विवरणी का फाइल किया जाना**

- 263. आय विवरणी ।
- 264. कर विवरणी तैयारकर्ताओं के माध्यम से विवरणी प्रस्तुत करने की स्कीम।
- 265. विवरणी किसके द्वारा सत्यापित किया जाना है।
- 266. स्वमूल्यांकन।
- 267. अद्यतन विवरणी पर कर ।

अध्याय 16**निर्धारण के लिए प्रक्रिया****क. निर्धारण के लिए प्रक्रिया**

- 268. निर्धारण से पहले जांच ।
- 269. मूल्यांकन अधिकारी द्वारा आस्तियों के मूल्य का आकलन।
- 270. आकलन।
- 271. सर्वोत्तम निर्णय निर्धारण ।
- 272. कतिपय मामलों में निर्देश जारी करने की संयुक्त आयुक्त की शक्ति ।
- 273. पहचानविहीन मूल्यांकन ।
- 274. कतिपय मामलों में प्रधान आयुक्त या आयुक्त को निर्देश ।
- 275. विवाद समाधान पैनल को निर्देश ।
- 276. लेखा पद्धति ।
- 277. कतिपय मामलों में लेखा पद्धति ।
- 278. कतिपय आय की कराधेयता ।
- 279. निर्धारण से छूट गई आय ।
- 280. सूचना जारी करना ।
- 281. धारा 280 के अधीन नोटिस जारी करने से पहले की प्रक्रिया ।
- 282. धारा 280 और धारा 281 के अधीन सूचनाओं की समय-सीमा ।
- 283. ऐसे मामलों के लिए उपबंध जिनमें निर्धारण अपील आदि पर आदेश के अनुसरण में किया गया है ।
- 284. सूचना जारी की जाने के लिए मंजूरी ।
- 285. अन्य उपबंध ।
- 286. निर्धारण, पुनःनिर्धारण और पुनःसंगणना को पूरा करने के लिए समय-सीमा ।
- 287. गलती का सुधार ।
- 288. अन्य संशोधन ।
- 289. मांग की सूचना ।
- 290. कतिपय मामलों में सूचना का उपांतरण और पुनरीक्षण ।
- 291. किसी अन्य व्यक्ति की अप्रकटित आय ।

ख. तलाशी मामलों के निर्धारण के लिए विशेष प्रक्रिया

- 292. तलाशी के परिणामस्वरूप कुल अघोषित का निर्धारण ।
- 293. ब्लॉक अवधि की कुल आय की गणना ।
- 294. ब्लॉक निर्धारण के लिए प्रक्रिया ।
- 295. किसी अन्य व्यक्ति की अघोषित आय ।

खंड

296. ब्लॉक निर्धारण पूरा करने के लिए समय-सीमा ।
 297. कतिपय ब्याज और शास्ति लगाए जाना या लगाए नहीं जाना ।
 298. कतिपय मामलों में ब्याज और जुर्माना उद्ग्रहीत करना ।
 299. ब्लॉक अवधि का आकलन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी ।
 300. अधिनियम के अन्य उपबंधों का लागू होना ।
 301. व्याख्या ।

अध्याय 17**कतिपय व्यक्तियों से संबंधित विशेष उपबंध**

क. व्यक्तियों का संगम, फर्म, हिन्दू अविभक्त कुटुंब आदि ।

1. विधिक प्रतिनिधि

302. विधिक प्रतिनिधि ।

2. प्रतिनिधि निर्धारिती - साधारण उपबंध

303. प्रतिनिधि निर्धारिती ।
 304. प्रतिनिधि निर्धारिती की देयता ।
 305. संदाय किए गए कर की वसूली के लिए प्रतिनिधि निर्धारिती का अधिकार ।

3. प्रतिनिधि निर्धारिती - विशेष मामले

306. किसे अभिकर्ता माना जा सकता है ।
 307. कर का प्रभार जहां लाभार्थियों का हिस्सा अज्ञात है ।
 308. मौखिक न्यास के मामले में कर का प्रभार ।

4. व्यक्तियों का संगम और व्यक्तियों का निकाय

309. व्यक्तियों के संगम या व्यक्तियों के निकाय की आय में किसी सदस्य के हिस्से की गणना करने की पद्धति ।
 310. किसी संघ या निकाय की आय में व्यक्तियों के किसी संघ या निकाय के सदस्य का हिस्सा ।
 311. कर का प्रभार जहां अज्ञात व्यक्तियों या व्यक्तियों के निकाय या संगम से सदस्यों के शेयर, आदि ।

5. निष्पादक

312. निष्पादक ।

6. कारबार या वृत्ति का उत्तराधिकार

313. मृत्यु के बजाय कारबार या वृत्ति का उत्तराधिकार ।
 314. व्यापार पुनर्गठन के संबंध में न्यायाधिकरण या न्यायालय के आदेश का प्रभाव ।

7. विभाजन

315. हिंदू अविभक्त कुटुंब के विभाजन के पश्चात् निर्धारण ।

8. सामयिक पोत परिवहन कारबार से अनिवासियों के लाभ

316. अनिवासियों का पोत परिवहन कारबार ।

9. भारत छोड़ने वाले व्यक्ति

317. भारत छोड़ने वाले व्यक्तियों का आकलन ।

खंड**10. किसी विशिष्ट आयोजन या प्रयोजन के लिए गठित व्यक्तियों का संगम या व्यक्तियों का निकाय या कृत्रिम विधिक व्यक्ति**

318. किसी विशिष्ट आयोजन या प्रयोजन के लिए गठित व्यक्तियों का संगम या व्यक्तियों का निकाय या कृत्रिम विधिक व्यक्ति का निर्धारण ।

11. अपनी आस्ति का अन्य संक्रमण करने का प्रयास करने वाले व्यक्ति

319. कर से बचने के लिए संपत्ति अंतरित करने की संभावना वाले व्यक्तियों का निर्धारण ।

12. कारबार बंद करना या उसका विघटन

320. बंद कारबार ।

321. संगम भंग हो गई या कारबार बंद हो गया ।

322. कंपनी का परिसमापन ।

13. प्राइवेट कंपनियां

323. प्राइवेट कंपनी के निदेशकों की देयता ।

14. फर्मों का निर्धारण

324. एक फर्म के मामले में कर का प्रभार ।

325. एक फर्म के रूप में निर्धारण ।

326. निर्धारण जब धारा 325 का अनुपालन नहीं किया गया ।

15. गठन, उत्तराधिकार और विघटन में परिवर्तन

327. किसी फर्म के गठन में परिवर्तन ।

328. एक फर्म का दूसरी फर्म द्वारा दिया गया उत्तराधिकार ।

329. फर्म द्वारा देय कर के लिए भागीदारों की संयुक्त और कई देयताएं ।

330. फर्म भंग या कारबार बंद कर दिया जाना ।

16. परिसमापन में सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों का दायित्व

331. परिसमापन में सीमित देयता भागीदारी के भागीदारों का दायित्व ।

ख. रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन के लिए विशेष उपबंध**1. रजिस्ट्रीकरण**

332. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन ।

333. व्यवस्था की अदला-बदली ।

2. रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन की आय

334. रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन की आय पर कर ।

335. नियमित आय ।

336. कर योग्य नियमित आय ।

337. विनिर्दिष्ट आय ।

338. आय को नियमित आय में सम्मिलित नहीं किया जाना ।

339. समग्र निधि दान ।

340. समझा गया समग्र निधि दान ।

341. आय का उपयोग ।

342. संचित आय ।

343. समझी गई संचित आय ।

खंड**3. रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन द्वारा वाणिज्यिक क्रियाकलाप**

344. संपत्ति के रूप में धारित कारबार उपक्रम ।
 345. एक रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन द्वारा वाणिज्यिक क्रियाकलापों पर निर्वधन ।
 346. साधारण सार्वजनिक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य के संवर्धन के कार्यान्वयन के लिए रजिस्ट्रीकृत द्वारा व्यावसायिक क्रियाकलापों पर निर्वधन ।

4. अनुपालन

347. लेखा बहियां।
 348. लेखा-परीक्षा ।
 349. आय की विवरणी।
 350. विनिधान के अनुज्ञात ढंग ।

5. उल्लंघन

351. विनिर्दिष्ट उल्लंघन ।
 352. अनुवृद्धि आय पर कर ।
 353. अन्य उल्लंघन ।

6. धारा 130(1)(ख)(ii) के अधीन कटौती के प्रयोजन के लिए अनुमोदन

354. धारा 130(1)(ख)(ii) के प्रयोजन के लिए अनुमोदन हेतु आवेदन ।

7. निर्वचन

355. निर्वचन ।

अध्याय 18**अपील, पुनरीक्षण और वैकल्पिक विवाद समाधान****क. अपील****1. संयुक्त आयुक्त (अपील) और आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील**

356. संयुक्त आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील योग्य आदेश ।
 357. आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील योग्य आदेश ।
 358. अपील का प्ररूप और परिसीमा ।
 359. अपील प्रक्रिया ।
 360. संयुक्त आयुक्त (अपील) और आयुक्त (अपील) की शक्तियां ।

2. अपील अधिकरण को अपीलें

361. अपील अधिकरण ।
 362. अपील अधिकरण को अपीलें ।
 363. अपील अधिकरण के आदेश ।
 364. अपील अधिकरण की प्रक्रिया ।

3. उच्च न्यायालय को अपील

365. उच्च न्यायालय को अपील ।
 366. उच्च न्यायालय के समक्ष मामले की सुनवाई का कम से कम दो न्यायाधीशों द्वारा किया जाना ।

4. उच्चतम न्यायालय को अपीलें

367. उच्चतम न्यायालय को अपील ।
 368. उच्चतम न्यायालय के समक्ष सुनवाई ।

खंड**5. साधारण**

369. अपील आदि के होते हुए भी कर का संदाय किया जाना ।
 370. उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत खर्चों के लिए निष्पादन ।
 371. अपील पर निर्धारण का संशोधन ।
 372. प्रति के लिए लगे समय का अपवर्जन ।
 373. आय-कर प्राधिकारी द्वारा अपील के लिए आवेदन का फाइल किया जाना ।
 374. “उच्च न्यायालय” का निर्वचन ।

ख. पुनरावृत्ति अपीलों से बचने के लिए विशेष उपबन्ध

375. प्रक्रिया जब निर्धारती दावा करता है कि विधि का समरूप प्रश्न उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है ।
 376. प्रक्रिया, जहां विधि का कोई समरूप प्रश्न उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है ।

ग. प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त आयुक्त द्वारा पुनरीक्षण

377. राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले आदेशों का पुनरीक्षण ।
 378. अन्य आदेशों का पुनरीक्षण ।

घ. वैकल्पिक विवाद समाधान**1. कतिपय मामलों में विवाद समाधान समिति**

379. विवाद समाधान समिति ।

2. अग्रिम विनिर्णय

380. निर्वचन।
 381. अग्रिम विनिर्णय बोर्ड ।
 382. रिक्तियों, आदि से कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना ।
 383. अग्रिम विनिर्णय के लिए आवेदन ।
 384. आवेदन की प्राप्ति पर प्रक्रिया।
 385. कतिपय मामलों में अपील प्राधिकारी द्वारा कार्यवाही न किया जाना।
 386. कतिपय परिस्थितियों में अग्रिम विनिर्णय का शून्य होना ।
 387. प्राधिकरण की शक्तियां ।
 388. अग्रिम विनिर्णय बोर्ड की प्रक्रिया ।
 389. अपील ।

अध्याय 19**कर का संग्रहण और वसूली****क. साधारण**

390. स्रोत पर कटौती और अग्रिम संदाय।
 391. प्रत्यक्ष संदाय।

ख. स्रोत पर कटौती और संग्रह

392. किसी कर्मचारी को संदेय वेतन और संचित शेष ।
 393. स्रोत पर कर की कटौती की जाएगी।
 394. स्रोत पर कर का संग्रहण।

खंड

395. प्रमाणपत्र ।
 396. काटा गया कर प्राप्त आय है।
 397. अनुपालन और रिपोर्टिंग।
 398. कटौती या संदाय या, इकट्ठा करने या संदाय करने में विफलता के परिणाम ।
 399. संसाधन।
 400. इस अध्याय के उपबंधों में छूट देने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति।
 401. निर्धारिती से प्रत्यक्ष मांग के विरुद्ध वर्जन ।
 402. निर्वचन।

ग. कर का अग्रिम संदाय

403. अग्रिम कर के संदाय का दायित्व ।
 404. अग्रिम कर का संदाय करने के दायित्व की शर्तें ।
 405. अग्रिम कर की गणना ।
 406. निर्धारिती द्वारा स्वप्रेरणा से आदेश के अनुसरण में अग्रिम-कर का संदाय।
 407. निर्धारिती द्वारा समुचित निर्धारण अधिकारी के आदेश के अनुसरण में अग्रिम-कर का संदाय।
 408. अग्रिम कर की किस्तें और निश्चित तारीखें ।
 409. जब निर्धारिती को व्यतिक्रमकर्ता समझा जाता है ।
 410. अग्रिम कर के लिए मुजरा ।

घ. संग्रहण और वसूली

411. कर कब संदेय होगा और निर्धारिती कब व्यतिक्रमी समझा जाएगा ।
 412. कर में व्यतिक्रम होने पर संदेय शास्ति ।
 413. कर वसूली अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र और उसकी वैधता।
 414. कर वसूली अधिकारी जिसके द्वारा वसूली की जानी है ।
 415. प्रमाणपत्र के अनुसरण में कार्यवाहियों का रोका जाना और उसका संशोधन या रद्द किया जाना ।
 416. वसूली के अन्य ढंग ।
 417. राज्य सरकार की मार्फत वसूली ।
 418. विदेशों से करार के अनुसरण में कर की वसूली ।
 419. शास्तियों, जुर्माने, ब्याज तथा अन्य राशियों की वसूली ।
 420. कर समाशोधन प्रमाणपत्र ।
 421. वाद के द्वारा या अन्य विधि के अधीन वसूली का प्रभावित न होना ।
 422. अनिवासी की बाबत कर की उसकी आस्तियों में से वसूली ।

ड. कतिपय मामलों में प्रभार्य ब्याज

423. आय की विवरणी देने में व्यतिक्रम के लिए ब्याज।
 424. अग्रिम कर के संदाय में व्यतिक्रम के लिए ब्याज ।
 425. अग्रिम कर के आस्थगन के लिए ब्याज ।
 426. अधिक प्रतिदाय पर ब्याज ।

च. कुछ मामलों में फीस का उद्ग्रहण

427. विवरण प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम के लिए फीस ।

खंड

428. आय की विवरणी प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम के लिए फीस ।
 429. विवरण या प्रमाणपत्र से संबंधित व्यतिक्रम के लिए फीस ।
 430. आधार संख्या की सूचना से संबंधित व्यतिक्रम के लिए फीस ।

अध्याय 20**प्रतिदाय**

431. प्रतिदाय ।
 432. कतिपय विशेष दशाओं में प्रतिदाय का दावा करने के लिए हकदार व्यक्ति ।
 433. प्रतिदाय के लिए दावे का प्ररूप और परिसीमा ।
 434. कतिपय मामलों में कर की कटौती करने के दायित्व से इंकार करने के लिए प्रतिदाय ।
 435. अपील आदि पर प्रतिदाय ।
 436. निर्धारण के सही होने का प्रश्नगत न किया जाना ।
 437. प्रतिदाय पर ब्याज ।
 438. कतिपय मामलों में प्रतिदायों का मुजरा किया जाना और उनको रोके रखना

अध्याय 21**शास्तियां**

439. आय की कम रिपोर्ट करने और मिथ्या रिपोर्ट करने के लिए शास्ति ।
 440. शास्ति आदि के अधिरोपण से उन्मुक्ति।
 441. लेखा पुस्तकें, दस्तावेज, आदि रखने, बनाए रखने या रखे रहने में असफलता।
 442. कतिपय संव्यवहारों की बाबत जानकारी और दस्तावेज रखने और बनाए रखने में असफल रहने के लिए शास्ति।
 443. कतिपय आय के संबंध में शास्ति।
 444. लेखा बहियों में मिथ्या प्रविष्टि, आदि के लिए शास्ति ।
 445. नातेदार व्यक्तियों को फायदा ।
 446. लेखाओं की लेखा परीक्षा कराने में असफलता
 447. धारा 172 के अधीन रिपोर्ट देने में असफलता के लिए शास्ति।
 448. स्रोत पर कर की कटौती करने में असफलता के लिए शास्ति ।
 449. स्रोत पर कर का संग्रहण करने में असफलता के लिए शास्ति ।
 450. धारा 185 के उपबन्धों के अनुपालन में असफलता के लिए शास्ति ।
 451. धारा 186 के उपबंधों के अनुपालन में असफलता के लिए शास्ति ।
 452. धारा 187 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति ।
 453. धारा 188 के उपबन्धों के अनुपालन में असफलता के लिए शास्ति ।
 454. वित्तीय संव्यवहार या रिपोर्ट योग्य खाते का विवरण देने में असफलता के लिए शास्ति ।
 455. वित्तीय संव्यवहार या रिपोर्ट योग्य खाते का गलत विवरण देने के लिए शास्ति ।
 456. किसी पात्र विनिधान निधि द्वारा विवरण या जानकारी या दस्तावेज देने में असफल रहने के लिए शास्ति ।
 457. धारा 171 के अधीन जानकारी या दस्तावेज देने में असफलता के लिए शास्ति ।

खंड

458. धारा 506 के अधीन जानकारी या दस्तावेज देने में असफलता के लिए शास्ति ।
459. धारा 511 के अधीन रिपोर्ट देने में असफलता या गलत रिपोर्ट देने के लिए शास्ति ।
460. धारा 505 के अधीन विवरण प्रस्तुत करने में असफलता के लिए शास्ति।
461. विवरण आदि प्रस्तुत करने में असफल रहने के लिए शास्ति ।
462. धारा 397 की उपधारा (3) के खंड (घ) के अधीन जानकारी देने में असफलता के लिए या गलत जानकारी देने के लिए शास्ति ।
463. रिपोर्टों या प्रमाण पत्रों में गलत जानकारी प्रस्तुत करने के लिए शास्ति ।
464. विवरण आदि देने में असफलता के लिए शास्ति ।
465. प्रश्नों का उत्तर देने, कथन पर हस्ताक्षर करने, जानकारी, विवरणियां या कथन देने, निरीक्षण अनुज्ञात करने आदि में असफलता के लिए शास्ति ।
466. धारा 254 के अनुपालन में असफलता के लिए शास्ति ।
467. धारा 262 के उपबंधों के अनुपालन में असफलता के लिए शास्ति ।
468. धारा 397 के उपबंधों के अनुपालन में असफलता के लिए शास्ति ।
469. कुछ दशाओं में शास्ति आदि के घटाने या अधित्यजन करने की शक्ति ।
470. कतिपय मामलों में अधिरोपित न की जाने वाली शास्ति
471. प्रक्रिया ।
472. शास्ति अधिरोपित करने के लिए परिसीमा का वर्जन ।

अध्याय 22**अपराध और अभियोजन**

473. धारा 244 के अधीन किए गए आदेश का उल्लंघन।
474. धारा 244 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (ii) के अनुपालन में असफलता ।
475. कर की वसूली को विफल करने के लिए सम्पत्ति को हटाना, छिपाना या उसका अंतरण या परिदान करना ।
476. अध्याय 19ख के अधीन केन्द्रीय सरकार के जमाखाते में कर का संदाय करने में असफलता ।
477. स्रोत पर संगृहीत कर का संदाय करने में असफलता ।
478. जानबूझकर, कर आदि के अपवंचन करने का प्रयास ।
479. आय की विवरणी देने में असफल रहना।
480. तलाशी के मामलों में आय की विवरणी देने में असफल रहना ।
481. लेखे और दस्तावेज पेश करने में असफल रहना ।
482. सत्यापन आदि में मिथ्या कथन ।
483. लेखा बहियों या दस्तावेज आदि का मिथ्याकरण ।
484. मिथ्या आदि का दुष्प्रेरण।
485. द्वितीय और पश्चात्कर्ती अपराधों के लिए दण्ड ।
486. कुछ दशाओं में दंड अधिरोपित नहीं किया जाना ।
487. कंपनियों का अपराध।
488. हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब द्वारा अपराध।

खंड

489. कुछ मामलों में आस्तियों, लेखा पुस्तकों, आदि के बारे में उपधारणा।
 490. सदोष मनःस्थिति के बारे में उपधारणा।
 491. अभियोजन का प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त की प्रेरणा से होना।
 492. कुछ अपराधों का असंज्ञेय होना।
 493. अभिलेखों या दस्तावेजों में प्रविष्टियों का सबूत।
 494. लोक सेवकों द्वारा विशिष्टियों का प्रकटीकरण।
 495. विशेष न्यायालय।
 496. विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध।
 497. अपराधों का शमन मामले के रूप में विचारण।
 498. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 का विशेष न्यायालय के समक्ष की कार्यवाहियों को लागू होना।

अध्याय 23**प्रकीर्ण**

499. कुछ अन्तरणों का शून्य होना।
 500. कुछ दशाओं में राजस्व के संरक्षण के लिए अन्तिम कुर्की।
 501. साधारणतया सूचना की तामील।
 502. नोटिस और अन्य दस्तावेजों का प्रमाणीकरण।
 503. सूचना की तामील जब कुटुम्ब विभाजित हो गया है या फर्म आदि विघटित हो गई है।
 504. बन्द कर दिए गए कारबार की दशा में सूचना की तामील।
 505. ऐसे अनिवासी द्वारा, जिसका संपर्क कार्यालय है, विवरण प्रस्तुत किया जाना।
 506. किसी भारतीय संस्था द्वारा कतिपय मामलों में सूचना या दस्तावेज प्रस्तुत करना।
 507. सिनेमैटोग्राफ फिल्मों के निर्माताओं या निर्दिष्ट गतिविधि में लगे व्यक्तियों द्वारा विवरण प्रस्तुत करना।
 508. वित्तीय संव्यवहार या रिपोर्ट योग्य खाते का विवरण देने की बाध्यता।
 509. क्रिप्टो आस्ति के संव्यवहार संबंधी जानकारी प्रस्तुत करने की बाध्यता।
 510. वार्षिक सूचना विवरण।
 511. अंतरराष्ट्रीय समूह के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
 512. कुछ मामलों में निर्धारितियों के संबंध में सूचना का प्रकाशन।
 513. कुछ मामलों में रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा उपस्थिति।
 514. मूल्यांककों का रजिस्ट्रीकरण।
 515. प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थिति।
 516. कुल आय की राशि, या देय या वापसी योग्य कर का पूर्णांकन।
 517. रसीद दी जानी है।
 518. क्षतिपूर्ति।
 519. अभियोजन से प्रतिरक्षा प्रदान करने की शक्ति।
 520. अपराधों का संज्ञान लेना।
 521. अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 401 लागू नहीं होना।

खंड

522. आय की विवरणी, आदि, कुछ आधारों पर अमान्य नहीं होना चाहिए।
 523. नोटिस कुछ परिस्थितियों में वैध माना जाता है।
 524. परिसंपत्तियों, लेखा पुस्तकों आदि के बारे में अनुमान।
 525. खोज या माँग के मामले में प्राधिकरण और मूल्यांकन।
 526. सिविल न्यायालयों में वादों पर रोक ।
 527. खनिज तेलों के पूर्वक्षण के व्यवसाय में भागीदारी के संबंध में छूट आदि करने की शक्ति।
 528. अनुमोदन प्राप्त करने में होने वाले विलंब को क्षमा करने की केन्द्रीय सरकार अथवा बोर्ड की शक्ति।
 529. अनुमोदन वापस लेने की शक्ति।
 530. कर के प्रभार के लिए विधायी उपबंध लंबित होने के कारण अधिनियम प्रभावी होगा।
 531. आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 294क के अधीन पहले से दी गई कतिपय संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में छूट को रद्द करने की शक्ति।
 532. स्कीम बनाने की शक्ति
 533. नियम बनाने की शक्ति।
 534. संसद् के समक्ष रखा जाना ।
 535. कठिनाइयों को दूर करना।
 536. निरसन और व्यावृत्ति ।
- अनुसूची 1
 - अनुसूची 2
 - अनुसूची 3
 - अनुसूची 4
 - अनुसूची 5
 - अनुसूची 6
 - अनुसूची 7
 - अनुसूची 8
 - अनुसूची 9
 - अनुसूची 10
 - अनुसूची 11
 - अनुसूची 12
 - अनुसूची 13
 - अनुसूची 14
 - अनुसूची 15
 - अनुसूची 16

2025 का विधेयक संख्यांक 104

[दि इनकम टैक्स (नंबर 2) बिल, 2025 का हिन्दी पाठ]

आय-कर (संख्यांक 2) विधेयक, 2025

आय-कर से संबंधित विधि को समेकित करने

और उसका संशोधन

करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छिहतरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम आय-कर (संख्यांक 2) अधिनियम, 2025
है ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है ।

(3) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, यह 1 अप्रैल,
2026 को प्रवृत्त होगा ।

संक्षिप्त नाम,
विस्तार और
प्रारंभ ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (1) "लेखाकार" का वही अर्थ होगा जो धारा 515(3)(ख) में उसका है;
- (2) "अपर आयुक्त" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 237(1) के अधीन अपर आय-कर आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है;
- (3) "अपर निदेशक" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 237(1) के अधीन अपर आय-कर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है;
- (4) "अग्रिम कर" से अध्याय 19ग के अनुसार संदेय अग्रिम कर अभिप्रेत है;
- (5) "कृषि आय" से अभिप्रेत है,—

(क) ऐसी भूमि से व्युत्पन्न कोई लगान या आमदनी, जो भारत में स्थित है और कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जाती है;

(ख) कोई ऐसी आय जो ऐसी भूमि से,—

(i) कृषि द्वारा; या

(ii) खेतिहर द्वारा या वस्तु रूप में लगान के प्राप्तिकर्ता द्वारा ऐसी प्रक्रिया के करने से जो किसी खेतिहर या वस्तु रूप में लगान के प्राप्तिकर्ता द्वारा उगाई या प्राप्त की गई उपज को बाजार ले जाने योग्य बनाने में उसके द्वारा आमतौर से प्रयोग में लाई जाती है ; या

(iii) खेतिहर या वस्तु रूप में लगान के प्राप्तिकर्ता द्वारा उगाई या प्राप्त की गई किसी ऐसी उपज के विक्रय से जिसकी बाबत इस मद (ii) में वर्णित प्रकृति की प्रक्रिया से भिन्न कोई प्रक्रिया नहीं की गई है, व्युत्पन्न हुई है ;

(ग) कोई ऐसी आय जो किसी भूमि के लगान या आमदनी के प्राप्तिकर्ता के स्वामित्व तथा उसके अधिभोग के अथवा किसी भूमि के जिसकी या जिसकी उपज की बाबत उपखंड (ख)(ii) और (iii) में वर्णित कोई प्रक्रिया की जाती है, खेतिहर या वस्तु रूप में लगान के प्राप्तिकर्ता के अधिभोग के किसी भवन से व्युत्पन्न हुई है :—

(i) उस भूमि पर है, या उसके ठीक निकट स्थित है या भारत में भू-राजस्व निर्धारित है या वह ऐसे स्थानीय रेट के अधीन है जो सरकार के अधिकारियों द्वारा उस रूप में निर्धारित और संगृहीत किया जाता है या जहां भूमि पर ऐसा भू-राजस्व निर्धारित नहीं है या जहां वह ऐसे स्थानीय रेट के अधीन नहीं है इस खंड (22)(iii)(अ) या (आ) में यथाविनिर्दिष्ट किसी भी क्षेत्र में स्थित नहीं है ; और

(ii) जिसकी आवश्यकता लगान या आमदनी के प्राप्तिकर्ता को या खेतीहर को या वस्तु रूप में लगान के प्राप्तिकर्ता को उस भूमि से अपने संबंध के कारण निवास गृह, या भंडार गृह, या अन्य बाहरी भवन के रूप में इसकी आवश्यकता होती है ;

(घ) नर्सरी में उगाए गए पौधों या पौध से प्राप्त कोई आय :

परंतु इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं होंगे,—

(i) उपखंड (क) या उपखंड (ख) के अंतर्गत आने वाली कृषि से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए (जिसके अंतर्गत आवासीय प्रयोजन के लिए या किसी कारबार या वृत्ति के प्रयोजन के लिए किराए पर देना भी है) किसी भवन या भूमि के उपयोग से उद्भूत उपखंड (ग) में निर्दिष्ट ऐसे किसी भवन या भूमि से व्युत्पन्न आय कृषि-आय नहीं होगी; या

(ii) इस धारा के खंड (22)(iii)(अ) या (आ) में निर्दिष्ट किसी भूमि के अंतरण से उद्भूत होने वाली कोई आय ।

(6) कम्पनियों के सम्बन्ध में "समामेलन" से अभिप्रेत है एक या अधिक कम्पनियों का किसी अन्य कम्पनी के साथ विलयन, अथवा एक कम्पनी बनाने के लिए दो या अधिक कंपनियों का ऐसी रीति से (विलयन ऐसी कम्पनी या कम्पनियों को जिसका या जिनका ऐसे विलयन किया जाता है उस या उन्हें समामेलक कम्पनी या कम्पनियों के रूप में, और उस कम्पनी को जिसके साथ उसका या उनका विलयन किया जाता है या जो विलयन के फलस्वरूप बनाई जाती है समामेलित कम्पनी के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) कि,—

(क) समामेलक कम्पनी या कम्पनियों की ऐसी सभी संपत्ति जो समामेलन के ठीक पहले उसकी या उनकी थी समामेलन के फलस्वरूप समामेलित कम्पनी की संपत्ति हो जाती है;

(ख) समामेलक कम्पनी या कम्पनियों के ऐसे सभी दायित्व जो समामेलन के ठीक पहले उसके या उनके थे समामेलन के फलस्वरूप समामेलित कम्पनी के दायित्व हो जाते हैं;

(ग) ऐसे शेयरधारक जो समामेलक कम्पनी या कम्पनियों में तीन बटा चार से अन्यून मूल्य के शेयरों को (जो समामेलन के ठीक पहले समामेलित कम्पनी या उसकी समनुषंगी कम्पनी द्वारा या उसके लिए किसी नामनिर्देशिती द्वारा उनमें पहले ही धारित शेयरों में भिन्न है) धारण करते हैं समामेलन के आधार पर समामेलित कम्पनी के शेयरधारक हो जाते हैं :

परंतु यह तब नहीं जबकि ऐसा, एक कम्पनी की संपत्ति दूसरी कम्पनी द्वारा ऐसी संपत्ति का क्रय करके उस दूसरी कम्पनी द्वारा अर्जित कर लेने के परिणामस्वरूप होता है अथवा प्रथम वर्णित कम्पनी के परिसमापन के पश्चात् उस दूसरी कम्पनी को ऐसी संपत्ति के वितरण के परिणामस्वरूप होता है ;

(7) किसी भी संपत्ति के सम्बन्ध में "वार्षिक मूल्य" से उसका ऐसा वार्षिक मूल्य अभिप्रेत है जैसा धारा 21 के अधीन यथावधारित किया गया है ;

(8) "अपील अधिकरण" से धारा 361 के अधीन गठित अपील अधिकरण अभिप्रेत है ;

(9) "अनुमोदित उपदान निधि" से ऐसी उपदान निधि अभिप्रेत है जो ग्यारहवीं अनुसूची के भाग-ख के अनुसार अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जाती है ।

(10) "अनुमोदित अधिवार्षिकी निधि" से किसी अधिवार्षिकी निधि या

अधिवार्षिकी निधि का ऐसा कोई भाग अभिप्रेत है जो ग्यारहवीं अनुसूची के भाग-आ के उपबंधों के अनुसार प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा अनुमोदित की गई है और उसका अनुमोदन बना रहता है।

(11) "निर्धारिती" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके द्वारा कोई कर या कोई अन्य धन की राशि इस अधिनियम के अधीन संदेय है और इसके अन्तर्गत,—

(क) ऐसा हर व्यक्ति है जिसकी बाबत इस अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाही—

(i) उसकी आय के आकलन के लिए या उसके द्वारा उठाई गई हानि के लिए या उसे देय प्रतिदाय के निर्धारण के लिए ; या

(ii) किसी अन्य व्यक्ति की ऐसी आय की बाबत जिसके बारे में वह निर्धारणीय है या ऐसे अन्य व्यक्ति के द्वारा उठाई गई हानि या ऐसे अन्य व्यक्ति को देय प्रतिदाय है, के निर्धारण के लिए की गई है ;

(ख) ऐसा हर व्यक्ति है जो इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन निर्धारिती समझा जाता है ;

(ग) प्रत्येक व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के अधीन व्यतिक्रम करने वाला निर्धारिती समझा जाता है ;

(12) "निर्धारण अधिकारी" से अभिप्रेत है,—

(क) ऐसा सहायक आयुक्त या उपायुक्त या सहायक निदेशक या उपनिदेशक या आय-कर अधिकारी जिसमें धारा 241(1) या (2) या (3) अथवा इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन जारी किए गए निर्देशों या आदेशों के आधार पर सुसंगत अधिकारिता निहित है ; और

(ख) ऐसा अपर आयुक्त या अपर निदेशक या संयुक्त आयुक्त या संयुक्त निदेशक जिसे धारा 241(5)(ख) के अधीन इस अधिनियम के अधीन निर्धारण अधिकारी को प्रदत्त सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने और सौंपे गए सभी या किन्हीं कृत्यों का पालन करने के लिए निर्दिष्ट किया जाता है ;

(13) "निर्धारण" के अन्तर्गत पुनर्निर्धारण भी है ;

(14) "सहायक आयुक्त" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 237(1) के अधीन सहायक आय-कर आयुक्त या आय-कर उपायुक्त नियुक्त किया जाता है ;

(15) "सहायक निदेशक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 237(1) के अधीन आय-कर सहायक निदेशक या आय-कर उप निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है ;

(16) "आय-कर की औसत दर" से ऐसी दर अभिप्रेत है जो कुल आय पर परिकलित आय-कर की रकम को ऐसी कुल आय से विभाजित करके निकाली गई है ;

(17) "आस्ति समूह" से, आस्तियों का ऐसा समुच्चय अभिप्रेत है जो आस्तियों के ऐसे वर्ग के अंतर्गत आता है जिसमें निम्नलिखित समाविष्ट हैं,—

(क) मूर्त आस्तियां, जो भवन, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर हैं;

(ख) अमूर्त आस्तियां, जो व्यवहार ज्ञान, पेटेंट, प्रतिलिप्यधिकार, व्यापार चिह्न, अनुज्ञप्तियां, विशेषाधिकार या कोई अन्य कारबार या उसी प्रकार के वाणिज्यिक अधिकार हैं जो किसी कारबार या वृत्ति की गुडविल नहीं है जिनकी बाबत अवक्षयण की एक-सी प्रतिशतता विहित की गई है;

1963 का 54

(18) "बोर्ड" से केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अधीन गठित केन्द्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड अभिप्रेत है ;

(19) "बही या लेखा पुस्तक" के अंतर्गत खाता, दैनिक बही, रोकड़ बही, लेखा बही और अन्य बही हैं, जिन्हें,—

(क) लिखित रूप में ; या

(ख) इलैक्ट्रॉनिक रूप में या किसी डिजिटल रूप में या क्लाउड बेस्ड स्टोरेज पर या किसी इलैक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक डाटा भंडार डिवाइस पर जैसे-फ्लॉपी, डिस्क, टेप, पोर्टेबल डाटा भंडार डिवाइस, बाह्य हार्ड ड्राइव या मेमोरी कार्ड ; या

(ग) इलैक्ट्रॉनिक रूप में या डिजिटल रूप में भंडारित डाटा के प्रिंट आउट के रूप में या उपखंड (ख) में उल्लिखित भंडारण युक्तियों पर रखी जाएं ;

(20) "कारबार" के अन्तर्गत कोई व्यापार; वाणिज्य या विनिर्माण अथवा कोई ऐसा प्रोद्यम या समुत्थान भी है जो व्यापार, वाणिज्य या विनिर्माण की प्रकृति का है ;

(21) "कारबार न्यास" से निम्नलिखित के रूप में रजिस्ट्रीकृत न्यास अभिप्रेत है,—

1992 का 15

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना विनिधान न्यास) विनियम, 2014 के अधीन कोई अवसंरचना विनिधान न्यास; या

1992 का 15

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भू-सम्पदा विनिधान न्यास) विनियम, 2014 के अधीन कोई भू-संपदा विनिधान न्यास;

(22) "पूँजी आस्ति" से—

(क) किसी प्रकार की ऐसी संपत्ति अभिप्रेत है, जो निर्धारित द्वाारा धारित है, चाहे वह उसके कारबार या वृत्ति से संबंधित हो या न हो;

"(ख) निम्नलिखित द्वाारा धारित कोई प्रतिभूति—

(i) किसी विदेशी संस्थानिक विनिधानकर्ता जिसने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार ऐसी प्रतिभूतियों में विनिधान किया है ; या

1992 का 15

(ii) धारा 224 के खंड (10) के उपखंड (क) में विनिर्दिष्ट ऐसी कोई विनिधान निधि जिसने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन या अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के अधीन बनाए गए विनियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी प्रतिभूतियों का विनिधान किया है;”;

1992 का 15
2019 का 50

(ग) कोई यूनिट संबंध बीमा पालिसी, जिसको अनुसूची 2 (सारणी क्रम सं. 2) के अधीन छूट लागू नहीं होती है,

किन्तु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं हैं :—

(i) उपखंड (ख) में निर्दिष्ट कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए धारित उपभोज्य भंडार या कच्ची सामग्री प्रतिभूतियों से भिन्न कोई व्यापार स्टॉक;

(ii) वैयक्तिक चीजबस्त,

(iii) भारत में कृषि भूमि, जो निम्नलिखित में स्थित भूमि नहीं हैं :—

(अ) कोई क्षेत्र जो किसी नगरपालिका (चाहे वह नगरपालिका, नगर निगम, अधिसूचित क्षेत्र समिति, नगर क्षेत्र समिति, नगर समिति या किसी भी अन्य नाम से ज्ञात हो) या छावनी बोर्ड की अधिकारिता में समाविष्ट हो और जिसकी जनसंख्या दस हजार से कम न हो, अथवा

(आ) उक्त सारणी के स्तंभ (इ) में यथाविनिर्दिष्ट ऐसी दूरी के भीतर किसी क्षेत्र में, जो मद (अ) में निर्दिष्ट किसी नगर पालिका या छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमाओं से एरियल रूप से मापी गई हो और जिसकी जनसंख्या उक्त सारणी के स्तंभ (आ) में निर्दिष्ट हो—

सारणी

क्रम सं.	नगर पालिका या छावनी बोर्ड की जनसंख्या	दूरी के भीतर, हवाई रूप से मापा जाता है, किसी भी नगर पालिका या छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमाओं से अधिक नहीं है
(क)	(ख)	(ग)
1.	10,000 से अधिक और 1,00,000 तक	दो किलोमीटर;
2.	1,00,000 और 10,00,000 तक	छह किलोमीटर;
3.	10,00,000 से अधिक	आठ किलोमीटर,

(iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित स्वर्ण निक्षेप स्कीम, 1999 या स्वर्ण मुद्राकरण स्कीम, 2015 के अधीन जारी विशेष प्रमाणपत्र के अधीन जारी किए गए स्वर्ण निक्षेप बंधपत्र;

जहां—

(क) “विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता” पद का वही अर्थ होगा,

जो धारा 210(6) के खंड (क) में उसका है;

(ख) "वैयक्तिक चीजबस्त" अर्थात् ऐसी जंगम संपत्ति (जिसके अंतर्गत पहनने के कपड़े और फर्नीचर हैं), जो निर्धारिती या उस पर आश्रित कुटुंब के किसी सदस्य द्वारा वैयक्तिक उपयोग के लिए धारित है, किंतु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं हैं—

(झ) आभूषण; जिसके अंतर्गत,—

(क) सोना, चांदी, प्लेटिनम या किसी अन्य बहुमूल्य धातु या ऐसी बहुमूल्य धातुओं को अंतर्विष्ट करने वाली किसी मिश्रधातु से बने आभूषण, चाहे उनमें बहुमूल्य रत्न या उपरत्न हों या नहीं और चाहे किसी पहनने के कपड़ों में लगाए गए हों या सिले गए हों या नहीं;

(ख) रत्न या उपरत्न, चाहे किसी फर्नीचर, बर्तन या अन्य वस्तु में जड़े गए हों या नहीं या किन्हीं पहनने के कपड़ों में लगाए गए हों या सिले गए हों या नहीं ;

(II) पुरातत्त्विक संकलन;

(III) रेखाचित्र;

(IV) रंगचित्र;

(V) मूर्तियां; या

(VI) कोई कलाकृति।

(ग) "जनसंख्या" से उस अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के अनुसार, जिसके सुसंगत आंकड़े पूर्ववर्ष के प्रथम दिन के पूर्व प्रकाशित हो चुके हैं, अभिप्रेत हैं;

(घ) "संपत्ति" के अंतर्गत किसी भारतीय कंपनी में या उसके संबंध में कोई अधिकार, जिनके अंतर्गत प्रबंध या नियंत्रण के अधिकार या कोई अन्य अधिकार भी हैं; और

(ङ) "प्रतिभूतियां" पद का वही अर्थ होगा, जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2(ज) में उसका है;

(23) "पूर्त प्रयोजन" के अंतर्गत—

(क) गरीबों की सहायता;

(ख) शिक्षा;

(ग) योग;

(घ) चिकित्सा सहायता;

(ङ) पर्यावरण संरक्षण (जिसके अंतर्गत जलाशय, वन और वन्यजीव भी हैं;

(च) कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के स्मारक या स्थान का संरक्षण;

(छ) किसी ऐसे अन्य सामान्य लोक उपयोगी उद्देश्य को अग्रसर किया जाना ;

(24) "मुख्य आयुक्त" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 237(1) के अधीन आय-कर मुख्य आयुक्त या आय-कर महानिदेशक या आय-कर प्रधान मुख्य आयुक्त या आय-कर प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया जाता है;

(25) किसी व्यष्टि के संबंध में "सन्तान" के अन्तर्गत उस व्यष्टि की सौतेली संतान और दत्तक संतान भी है;

(26) "आयुक्त" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 237(1) के अधीन आय-कर आयुक्त या आय-कर निदेशक या आय-कर प्रधान आयुक्त या आय-कर प्रधान निदेशक नियुक्त किया जाता है;

(27) "आयुक्त (अपील)" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 237(1) के अधीन आय-कर आयुक्त (अपील) नियुक्त किया गया है;

(28) "कम्पनी" से अभिप्रेत है—

(क) कोई भारतीय कम्पनी ; या

(ख) कोई निगमित निकाय, जो भारत के बाहर किसी देश की विधि के द्वारा या अधीन निगमित है ; या

(ग) कोई संस्था, संगम या निकाय जो भारतीय आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन किसी निर्धारण वर्ष के लिए कम्पनी के रूप में निर्धारणीय है या निर्धारण किया गया था, जैसी इस अधिनियम (जिसे इसमें इसके पश्चात् आय-कर अधिनियम, 1961 कहा गया है) द्वारा इसके निरसन से ठीक पूर्व विद्यमान थी; या

1961 का 43

(घ) कोई संस्था, संगम या निकाय चाहे निगमित हो या न हो और चाहे भारतीय हो या अभारतीय हो, जो बोर्ड के आदेश द्वारा ऐसी अवधि के लिए, जो ऐसी घोषणा में विनिर्दिष्ट की जाए, कम्पनी घोषित किया गया है ;

(29) "कम्पनी जिसमें जनता पर्याप्त रूप से हितबद्ध है" से अभिप्रेत है,—

(क) वह ऐसी कम्पनी है जो सरकार के या भारतीय रिजर्व बैंक के स्वामित्व में है या जिसमें कम से कम 40% शेयर सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक या उस बैंक के स्वामित्व के किसी निगम द्वारा (चाहे अकेले या साथ मिलकर) धारित है, या

(ख) वह ऐसी कम्पनी है जो कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, या

2013 का 18

(ग) वह ऐसी कम्पनी है जिसकी कोई शेयर पूंजी नहीं है, और यदि, उसके उद्देश्य, उसकी सदस्यता की प्रकृति तथा गठन और अन्य सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड के आदेश द्वारा, जो घोषणा में यथाविनिर्दिष्ट अवधि के लिए ऐसी कम्पनी घोषित की जाती है;

(घ) वह पारस्परिक फायदा वित्त कम्पनी है; अर्थात् वह ऐसी कम्पनी है

2013 का 18

जो अपने प्रधान कारबार के रूप में, अपने सदस्यों से निक्षेप करने के कारबार और जो केन्द्रीय सरकार द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 406 के अधीन निधि या पारस्परिक फायदा सोसाइटी घोषित की गई है, या

(ड) वह ऐसी कम्पनी है जिसमें ऐसे शेयर जो (लाभांश की नियत दर के हकदार शेयर न होते हुए, चाहे वे लाभों में भाग लेने के अतिरिक्त अधिकार के सहित हों या उससे रहित हों, 50% से अन्यून मतदान शक्ति रखने वाले हैं, एक या अधिक सहकारी सोसाइटियों को, बिना शर्त आबंटित किए गए हैं, अथवा उनके द्वारा बिना शर्त अर्जित किए गए हैं तथा सुसंगत कर वर्ष भर उनके द्वारा फायदाप्रद रूप से धारित थे ; या

2013 का 18

(च) वह ऐसी कम्पनी है जो कम्पनी अधिनियम, 2013 में यथा परिभाषित प्राइवेट कम्पनी नहीं है, और निम्नलिखित शर्तों में से किसी भी शर्त को पूरा करती हैं, अर्थात्:—

1956 का 42

(i) उस कम्पनी के ऐसे शेयर जो (लाभांश की नियत दर के हकदार शेयर न होते हुए, चाहे वे लाभों में भाग लेने के अतिरिक्त अधिकार के सहित हों या उससे रहित हो) सुसंगत कर वर्ष के अन्तिम दिन भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक-एक्सचेंज में प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 तथा उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अनुसार सूचीबद्ध थे;

(ii) उस कम्पनी के ऐसे शेयर जो (लाभांश की नियत दर के हकदार शेयर न होते हुए, चाहे वे लाभों में भाग लेने के अतिरिक्त अधिकार के सहित या उससे रहित हो) 50% से अन्यून मतदान शक्ति रखने वाले हैं—

(अ) सरकार को; या

(आ) ऐसे निगम को, जो किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम या प्रान्तीय अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है; या

(इ) किसी ऐसी कम्पनी को, जिसको यह खण्ड लागू होता है, या ऐसी कम्पनी की किसी ऐसी समनुषंगी कम्पनी को यदि ऐसी समनुषंगी कम्पनी की सम्पूर्ण शेयर पूंजी कर वर्ष भर मूल कम्पनी या उसके नामनिर्देशितियों द्वारा धारित रही है,

तथापि, किसी ऐसी भारतीय कम्पनी के संबंध में, जिसका कारबार मुख्यतः पोत सन्निर्माण अथवा माल का विनिर्माण या प्रसंस्करण अथवा खनन अथवा विद्युत या किसी अन्य प्रकार की शक्ति का उत्पादन या वितरण है, पद "50% से अन्यून" शब्दों के स्थान पर "40% प्रतिशत से अन्यून" शब्द रखे गए हों ;

1999 का 42

(30) "संपरिवर्तन विदेशी मुद्रा" से ऐसी विदेशी मुद्रा अभिप्रेत है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों को किसी अन्य तत्स्थानी विधि के लिए संपरिवर्तन विदेशी

मुद्रा के रूप में माना गया है ;

(31) "सहकारी बैंक" का वही अर्थ होगा जो उसका बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 के भाग 5 में है।

1949 का 10

(32) "सहकारी सोसाइटी" से ऐसी सोसाइटी अभिप्रेत है जो सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1912 के अधीन या सहकारी सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है।

1912 का 2

(33) "करेंन्सी" के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 2(ज) में उनका है।

1999 का 42

(34) "निर्विलीन कंपनी" से वह कंपनी अभिप्रेत है जिसका उपक्रम, विलय के अनुसरण में, परिणामी कंपनी को स्थानांतरित हो जाता है।

(35) कंपनियों के संबंध में, "निर्विलयन" से अभिप्रेत है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से धारा 232 के अधीन किसी ठहराव की स्कीम के अनुसरण में किसी निर्विलीन कंपनी द्वारा अपने एक या अधिक उपक्रमों का किसी परिणामी कंपनी को ऐसी रीति से अंतरण कि—

2013 का 18

(क) उपक्रम की सभी संपत्ति, जो निर्विलयन से ठीक पहले निर्विलीन कंपनी द्वारा अंतरित की जा रही है, निर्विलयन के फलस्वरूप परिणामी कंपनी की संपत्ति हो जाए;

(ख) उपक्रम से संबंधित सभी दायित्व जो निर्विलयन से ठीक पहले निर्विलीन कंपनी द्वारा अंतरित किए जा रहे हैं, निर्विलयन के फलस्वरूप परिणामी कंपनी के दायित्व हो जाएं;

(ग) कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत बनाए गए कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के उपाबंध में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों के अनुपालना को छोड़कर उपक्रम और उपक्रमों की संपत्ति और दायित्व, जो निर्विलीन कंपनी द्वारा अंतरित किए जा रहे हैं, निर्विलयन के ठीक पहले उसकी बहियों में प्रकट होने वाले मूल्य पर अंतरित किए जाएं;

2013 का 18

(घ) निर्विलयन के फलस्वरूप परिणामी कंपनी अपने शेयर निर्विलीन कंपनी के शेयरधारकों को उस दशा के सिवाय, जहां परिणामी कंपनी स्वयं निर्विलीन कंपनी की एक शेयर धारक है, आनुपातिक आधार पर पुरोधृत करे;

(ङ) ऐसे शेयरधारक जो निर्विलीन कंपनी में तीन बटा चार से अन्यून मूल्य के शेयरों को (जो निर्विलयन के ठीक पहले परिणामी कंपनी या उसकी समनुषंगी कंपनी या उसके लिए नामनिर्देशिती द्वारा उनमें पहले ही धारित शेयरों से भिन्न हैं) धारित करते हैं, निर्विलयन के फलस्वरूप परिणामी कंपनी या कंपनियों के शेयरधारक बन जाएं,

(च) उपक्रम का अंतरण चालू समुत्थान आधार पर है; और

(छ) निर्विलयन, केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 116(7) के अधीन अधिसूचित की गई शर्तों, यदि कोई हों, के अनुसार किया गया है।

जहां—

(i) "उपक्रम" के अंतर्गत, किसी उपक्रम का भाग या उपक्रम का कोई एकक या प्रभाग या किसी समग्र कारबार का क्रियाकलाप होगा किंतु इसके अंतर्गत उसकी व्यष्टिक आस्तियां या दायित्व या उनका कोई समुच्चय नहीं होगा जिनसे कारबार के क्रियाकलाप का गठन नहीं होता है।

(ii) उपखंड (ख) में निर्दिष्ट "उपक्रम से संबंधित सभी दायित्व" में निम्नलिखित होंगे,—

(अ) उपक्रम के क्रियाकलापों या संक्रियाओं से उद्भूत दायित्व;

(आ) उपक्रम के क्रियाकलापों या संक्रियाओं के लिए एकमात्र रूप से लिए गए, उपगत किए गए और उपयोग में लाए गए विनिर्दिष्ट ऋण या उधार (जिसके अंतर्गत डिबेंचर भी हैं); और

(इ) मद (क) या मद (ख) में निर्दिष्ट मामलों से भिन्न मामलों में नीचे यथा संगणित रकम "एन, जो उपक्रम की साधारण या बहुप्रयोजनीय उधारों की रकम है,—

$$\frac{\text{एन} = \text{के} \times \text{एल}}{\text{एम}}$$

जहां,—

के = निर्विलीन कंपनी की सामान्य या बहुउद्देशीय उधारी की रकम;

एल = निर्विलयन में अंतरित आस्तियों का मूल्य; और

एम = निर्विलयन से ठीक पहले ऐसी निर्विलीन कंपनी की आस्तियों का कुल मूल्य;

(iii) उनके पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप आस्तियों के मूल्य में किए गए किसी परिवर्तन की उपखंड (ग) में निर्दिष्ट संपत्ति के मूल्य का निर्धारण करने के लिए अनदेखी की जाएगी ;

(iv) किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम के अधीन गठित या स्थापित किसी प्राधिकरण या निकाय, अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी या पब्लिक सेक्टर कंपनी का, यथास्थिति, पृथक् प्राधिकरणों, निकायों, या स्थानीय प्राधिकारियों में विभाजन या पुनर्संरचना को निर्विलयन समझा जाएगा यदि ऐसा विभाजन या पुनर्संरचना ऐसी शर्तों को पूरा करती है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, अधिसूचित की जाएं ;

(v) इस खंड के प्रयोजनों के लिए, किसी ऐसी कंपनी की, जो केंद्रीय सरकार द्वारा उसके शायरों का पृथक् कंपनियों में अंतरण के परिमाणस्वरूप पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं रही है, पुनर्संरचना या विभाजन को निर्विलयन

समझा जाएगा, यदि ऐसी पुनर्संरचना या विभाजन शेयरों के उक्त अंतरण से संलग्न किसी शर्त को प्रभावी करने के लिए किया गया है और वह ऐसी अन्य शर्तों को भी पूरा करता है जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ;

(vi) किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी का पृथक् कंपनियों में पुनःसंरचना या विभाजन को निर्विलयन समझा जाएगा, यदि यह निर्विलीन कंपनी की किसी आस्ति को परिणामी कंपनी में अंतरित करने के लिए किया गया है और परिणामी कंपनी—

(अ) ऐसी स्कीम में उपदर्शित नियत दिन को, जो केंद्रीय सरकार द्वारा या कंपनी अधिनियम, 2013 या पब्लिक सेक्टर कंपनियों को शासित करने वाली किसी अन्य लागू विधि के अधीन प्राधिकृत किसी अन्य निकाय द्वारा अनुमोदित की जाए ; और

2013 का 18

(आ) ऐसी अन्य शर्तों को भी पूरा करती है, जो केंद्रीय सरकार द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए ;

(36) "उपायुक्त" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 237(1) के अधीन आय-कर उपायुक्त नियुक्त किया जाता है;

(37) "उपनिदेशक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 237(1) के अधीन आय-कर उपनिदेशक नियुक्त किया गया है;

(38) कम्पनी के सम्बन्ध में "निदेशक", "प्रबन्धक" के वे अर्थ होंगे जो कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(34) और (53) में क्रमशः उनके हैं;

2013 का 18

(39) "महानिदेशक या निदेशक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 237(1) के अधीन, यथास्थिति, आय-कर महानिदेशक या आय-कर प्रधान महानिदेशक या आय-कर निदेशक या आय-कर प्रधान निदेशक नियुक्त किया जाता है और इसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति है जो उस उपधारा के अधीन आय-कर अपर निदेशक या आय-कर संयुक्त निदेशक या आय-कर सहायक निदेशक या आय-कर उप निदेशक नियुक्त किया जाता है;

(40) "लाभांश" के अन्तर्गत निम्नलिखित भी है—

(क) किसी कम्पनी द्वारा संचित लाभों का, चाहे वे पूंजीकृत हों या न हों, कोई वितरण, यदि कम्पनी द्वारा किए गए ऐसे वितरण का फल उसके शेयर धारकों के लिए कम्पनी की सभी आस्तियों या उनके किसी भाग का निर्माण होता है;

(ख) किसी कम्पनी द्वारा अपने शेयर धारकों को डिबेंचर, डिबेंचर-स्टॉक अथवा किसी भी रूप में निक्षेप-प्रमाणपत्रों का, चाहे ब्याज के सहित या उससे रहित कोई वितरण और अपने अधिमान शेयर धारकों को बोनस के रूप में शेयरों का वितरण उस परिणाम तक जिस तक की कम्पनी के पास संचित लाभ है, चाहे वे पूंजीकृत हों या न हों;

(ग) किसी कम्पनी ने अपने समापन पर अपने शेयर धारकों को किया गया कोई वितरण उस परिमाण तक, जिस तक कि वह वितरण कम्पनी के

अपने समापन के ठीक पहले उसके संचित लाभों के फलस्वरूप हुआ माना जा सकता है, चाहे वे पूंजीकृत हों या न हों;

(घ) किसी कंपनी द्वारा अपनी पूंजी में कटौती करने पर अपने शेयरधारकों को किया गया कोई वितरण, उस परिमाण तक, जिस तक कंपनी के पास संचित लाभ है, चाहे ऐसे संचित लाभ को पूंजीकृत किया गया हो या नहीं;

(ङ) किसी राशि का किसी कम्पनी द्वारा, जो ऐसी कम्पनी नहीं है जिसमें जनता सारवान रूप से हितबद्ध है, संदाय (चाहे वह कंपनी की आस्तियों, भाग या अन्यथा को व्यपदिष्ट करती हो,

(i) किसी ऐसे शेयर धारक को, जो ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे शेयरों का किसी शेयरधारक को अग्रिम या ऋण के रूप में या किसी ऐसे व्यक्ति को, जो शेयरों का लाभकारी स्वामी है (लाभांश की एक नियत दर के हकदार शेयर नहीं, चाहे लाभ में भाग लेने के अधिकार के साथ या उसके बिना) जो मतदान शक्ति का कम से कम दस प्रतिशत रखता है; या

(ii) किसी ऐसे समुत्थान को अग्रिम या ऋण के रूप में, जिसमें ऐसा शेयरधारक सदस्य या भागीदार है और जिसमें उसका पर्याप्त हित है (जिसे इसमें विनिर्दिष्ट समुत्थान कहा गया है); या

(iii) किसी ऐसे शेयरधारक की ओर से या उसके व्यक्तिगत लाभ के लिए किया गया संदाय,

जिस परिमाण तक कंपनी के पास दोनों ही मामलों में संचित लाभ है;

2013 का 18

(च) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 68 के अनुसार किसी शेयरधारक से अपने ही शेयरों के क्रय पर कंपनी द्वारा किया गया कोई संदाय,

किन्तु लाभांश के अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं है—

(i) पूरे नकद प्रतिफल के लिए जारी किए गए किसी शेयर की बाबत उप खण्ड (ग) या उप खण्ड (घ) के अनुसार किया गया वितरण, जहां उस शेयर का धारक समापन की दशा में अधिशेष आस्तियों में भाग लेने का हकदार नहीं है;

(ii) अपने कारबार के साधारण अनुक्रम में कम्पनी द्वारा किसी शेयर धारक या उक्त समुत्थान को दिया गया कोई अग्रिम या उधार, जहां धन उधार देना उस कम्पनी के कारबार का पर्याप्त भाग है;

(iii) कम्पनी द्वारा संदत्त कोई ऐसा लाभांश जिसको उसके द्वारा पहले ही संदत्त किसी सम्पूर्ण राशि या उसके भाग के प्रति कम्पनी द्वारा मुजरा किया गया है और जो उप खण्ड (ङ) के अर्थ में लाभांश के रूप में उस परिमाण तक माना गया है जिस तक उसको इस प्रकार मुजरा किया गया है;

(iv) परिणामी कंपनी द्वारा निर्विलीन कंपनी के शेयर धारकों को

किसी निर्विलीयन के अनुसरण में शेयरों का कोई वितरण (चाहे निर्विलीयन कंपनी में पूंजी की कमी हो अथवा नहीं) ;

(v) दो समूह अस्तित्वों के बीच कोई अग्रिम या ऋण,—

(अ) समूह अस्तित्व का एक अस्तित्व "वित कंपनी" या "वित यूनिट"; और

(आ) मूल अस्तित्व या ऐसे समूह का प्रधान अस्तित्व बोर्ड द्वारा यथाविनिर्दिष्ट देश या देश से भिन्न भारत से बाहर राज्यक्षेत्र या भारत से बाहर राज्यक्षेत्र में स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध है

जहां—

(अ) निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए "संचित लाभ", —

(i) उप खण्ड (क), उप खण्ड (ख), उप खण्ड (घ) और उप खण्ड (ङ) के अन्तर्गत उन उपखण्डों में निर्दिष्ट वितरण या संदाय की तारीख तक के कम्पनी के सभी लाभ होंगे ;

(ii) उप खण्ड (ग) के अन्तर्गत समापन की तारीख तक के कम्पनी के सभी लाभ होंगे किन्तु जहां समापन सरकार द्वारा या सरकार के स्वामित्व के या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम द्वारा प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उसके उपक्रम के अनिवार्य अर्जन के परिणामस्वरूप हुआ है, वहां इसके अन्तर्गत कम्पनी के ऐसे लाभ नहीं होंगे जो ऐसे पूर्ववर्ष के, जिसमें ऐसा अर्जन हुआ था, ठीक पहले के तीन क्रमवर्ती कर वर्षों के पहले हुए हों ;

(आ) किसी समामेलित कंपनी की दशा में, यथास्थिति, संचित लाभों, चाहे पूंजीकृत हों या नहीं, या हानि में समामेलन की तारीख को समामेलित कंपनी के संचित लाभों को, चाहे पूंजीकृत हों या नहीं, बढ़ा दिया जाएगा ;

(इ) "समुत्थान" से अभिप्रेत है कोई हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब या फर्म या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय या कम्पनी;

(ई) किसी व्यक्ति को, किसी समुत्थान में, जो किसी कम्पनी से भिन्न है, पर्याप्त रूप से हितबद्ध तब समझा जाएगा जब वह, कर वर्ष के दौरान किसी समय ऐसे समुत्थान की आय के बीस प्रतिशत से अन्यून का फायदा पाने का हकदार है;

(उ) उपखंड (v) के प्रयोजनों के लिए—

(i) "वित कंपनी" और "वित यूनिट" का वही अर्थ होगा जो क्रमशः उनका अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के अधीन बनाए गए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (वित कंपनी) विनियम, 2021 के विनियम 2(1)(ड) और (च) में है और जिसे उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण द्वारा बनाए गए सुसंगत विनियमों के अनुसार खजाना क्रियाकलापों या खजाना सेवाओं को करने के लिए

वैश्विक या क्षेत्रीय कारपोरेट खजाना केन्द्र के रूप में स्थापित किया गया है;

(II) "समूह अस्तित्व", "मूल अस्तित्व" और "प्रधान अस्तित्व" ऐसे अस्तित्व होंगे जो इस निमित्त यथाविहित ऐसी शर्तों को पूरा करते हैं;

2000 का 21

(41) "दस्तावेज" के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (न) में यथापरिभाषित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है;

(42) "देशी कम्पनी" से—

(i) कोई भारतीय कंपनी ; या

(ii) कोई अन्य ऐसी कम्पनी अभिप्रेत है जिसने, इस अधिनियम के अधीन कर के दायित्वाधीन अपनी आय में से संदेय लाभांशों की, (जिनके अन्तर्गत अधिमानी शेयरों पर लाभांश भी हैं) की घोषणा और उनके संदाय के लिए भारत में विहित ठहराव किए हैं;

(43) "निर्वाचन न्यास" से केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में बनाई गई स्कीम के अनुसार बोर्ड द्वारा उस रूप में अनुमोदित न्यास अभिप्रेत है;

(44) पूंजी आस्ति के सम्बन्ध में, "उचित बाजार मूल्य" से अभिप्रेत है—

(क) ऐसी कीमत जो खुले बाजार में सुसंगत तारीख को पूंजी आस्ति के विक्रय करने पर मामूली तौर पर प्राप्त हो; और

(ख) जहां उप खण्ड (क) में निर्दिष्ट कीमत अभिनिश्चय न हो, वहां ऐसी कीमत जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार अवधारित की जाए ;

1932 का 9

2009 का 6

(45) "फर्म" का वही अर्थ होगा, जो भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा (4) में है और इसके अंतर्गत सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 2(1)(ढ) में यथा परिभाषित सीमित दायित्व भागीदारी भी होगी ;

(46) "विदेशी कम्पनी" से ऐसी कम्पनी अभिप्रेत है जो देशी कम्पनी नहीं है ;

1999 का 42

(47) "विदेशी करेंसी" का वही अर्थ होगा जो विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 2(ड.) में उसका है ;

(48) "सुनवाई" में इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से आंकड़ों और दस्तावेजों की संसूचना सम्मिलित है।

(49) "आय" के अन्तर्गत निम्नलिखित भी है :—

(क) लाभ और अभिलाभ;

(ख) लाभांश;

(ग) निम्नलिखित द्वारा प्राप्त स्वैच्छिक अंशदान—

(i) रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन; या

(ii) अनुसूची 3 (सारणी क्र. सं. 23) में निर्दिष्ट संगम; या

(iii) अनुसूची 7 (सारणी: क्र. सं. 19) में निर्दिष्ट किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था, किसी अस्पताल या अन्य

संस्था द्वारा; या

(iv) किसी निर्वाचन न्यास द्वारा;

(घ) धारा 17 और धारा 18 के अधीन कराधेय किसी परिलब्धि अथवा वेतन के बदले में लाभ का मूल्य;

(ङ) उप खण्ड (घ) के अधीन सम्मिलित परिलब्धि से भिन्न कोई ऐसा विशेष भत्ता या फायदा जो किसी लाभ के पद या नियोजन के कर्तव्यों के पालन के लिए व्ययों की पूर्णतः, आवश्यकतः और अनन्यतः पूर्ति के लिए निर्धारिती को विनिर्दिष्ट रूप से अनुदत्त किया गया है;

(च) कोई भत्ता, जो निर्धारिती को उस स्थान पर, जहां लाभ के उसके पद या नियोजन के कर्तव्यों का उस द्वारा साधारणतः पालन किया जाता है या उस स्थान पर, जहां वह साधारणतः निवास करता है, उसके व्यक्तिगत व्ययों की पूर्ति के लिए या जीवन निर्वाह के बढ़े हुए खर्चों को प्रतिकर के रूप में उसे अनुदत्त किया गया है;

(छ) किन्हीं ऐसे फायदों या परिलब्धियों का मूल्य जो, चाहे उनका संपरिवर्तन धन में किया जा सके या नहीं, कम्पनी से या तो किसी निदेशक ने या ऐसे व्यक्ति ने जो कम्पनी में पर्याप्त रूप से हितबद्ध है या निदेशक के या व्यक्ति के किसी नातेदार ने अभिप्राप्त किए हों और कोई ऐसी राशि जो किसी ऐसी कम्पनी द्वारा किसी बाध्यता की बाबत संदत्त की गई हो जो, यदि ऐसा संदाय न किया जाता तो, उस निदेशक या पूर्वोक्त अन्य व्यक्ति द्वारा संदेय होती;

(ज) किसी ऐसे फायदे, या परिलब्धि का मूल्य जो, चाहे उसका संपरिवर्तन धन में किया जा सके या नहीं, धारा 303(1)(ग) या (घ) में उल्लिखित किसी प्रतिनिधि निर्धारिती ने या किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसकी ओर से या जिसके फायदे के लिए कोई आय प्रतिनिधि निर्धारिती द्वारा प्राप्य है (ऐसे व्यक्ति को इस उप खण्ड में इसके आगे "हिताधिकारी" कहा गया है) अभिप्राप्त किए हों और कोई ऐसी राशि जो प्रतिनिधि निर्धारिती द्वारा किसी ऐसी बाध्यता की बाबत संदत्त की गई हो जो यदि ऐसा संदाय न किया जाता तो हिताधिकारी द्वारा संदेय होती;

(झ) कोई ऐसी राशि, जो निम्नलिखित आय-कर से प्रभार्य है—

(अ) धारा 26(2)(ख) या (ग) या (घ) या धारा 38 या धारा 95 ;

(आ) धारा 26(2)(ङ) या (छ) ;

(ज) धारा 26(2)(च) के अधीन कराधेय किसी फायदे या परिलब्धि का मूल्य;

(ट) धारा 67 के अधीन प्रभार्य कोई पूंजी अभिलाभ;

(ठ) बीमा के किसी कारबार के, जो किसी पारस्परिक बीमा कम्पनी द्वारा या किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा चलाया जाता है, लाभ और अभिलाभ जो धारा 55 के अनुसार संगणित किए गए हैं या ऐसा कोई

अधिशेष जिसे अनुसूची 14 के अनुसार ऐसे लाभ और अभिलाभ माना गया है;

(ड) किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा अपने सदस्यों के साथ चलाए जाने वाले किसी बैंककारी कारबार के, (जिसके अंतर्गत उधार सुविधाएं उपलब्ध कराना भी है) लाभ और अभिलाभ;

(ढ) लाटरी से, वर्ग पहली से, दौड़ से जिसके अन्तर्गत घुड़दौड़ भी है, ताश के खेल से और अन्य सभी प्रकार के खेलों से या अन्य किसी भी प्रकार या प्रकृति के जुए से या दांव से हुई जीत ;

(ण) किसी भविष्य निधि या अधिवार्षिकी निधि या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के उपबन्धों के अधीन बनाई गई किसी निधि या ऐसे कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में निर्धारिती द्वारा अपने कर्मचारियों से प्राप्त कोई राशि;

(त) प्रमुख व्यक्ति बीमा पालिसी के अधीन प्राप्त कोई राशि जिसके अंतर्गत ऐसी पालिसी पर बोनस के रूप में आबंटित कोई रकम भी है;

(थ) धारा 26(2)(ज) में निर्दिष्ट कोई राशि;

(द) धारा 26(2)(ज) में निर्दिष्ट सूची का उचित बाजार मूल्य;

(ध) धारा 92(2)(ट) या (ठ) में निर्दिष्ट कोई राशि;

(न) धारा 92(2)(ज) में निर्दिष्ट कोई धन राशि;

(प) धारा 92(2)(ड) में निर्दिष्ट कोई धनराशि या संपत्ति का मूल्य;

(फ) धारा 92(2)(ज) में निर्दिष्ट कोई भी प्रतिकर या अन्य संदाय;

(ब) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी प्राधिकरण या निकाय या अभिकरण द्वारा, सहायकी या अनुदान या नकद प्रोत्साहन या शुल्क वापसी या अधित्यजन या रियायत या प्रतिपूर्ति (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) के रूप में निर्धारिती को निम्नलिखित से भिन्न, ऐसी सहायिकी या अनुदान,—

(i) प्रतिपूर्ति से भिन्न जिसे धारा 39(1)(घ) और (3) के अनुसार आस्ति की वास्तविक लागत के अवधारण के लिए हिसाब में लिया जाता है; या

(ii) केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी न्यास या संस्था के निकाय के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा दी जाती है, नकद या वस्तु रूप में सहायता;

जहां,—

(अ) “ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल” के अंतर्गत टेलीविजन या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पर ऐसा कोई खेल प्रदर्शन, कोई मनोरंजन कार्यक्रम, जिसमें लोग इनाम जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, या कोई अन्य वैसा ही खेल है;

(आ) “प्रमुख व्यक्ति बीमा पॉलिसी” का वही अर्थ होगा जो

अनुसूची-2 (टिप्पण 1) में उसका है ;

(इ) "लाटरी" के अंतर्गत किसी स्कीम या व्यवस्था के अधीन, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, लाट निकाल कर या संयोग से या किसी भी अन्य रीति से, किसी व्यक्ति को प्रदान किए गए इनामों से जीत है;

(50) "आय संगणना और प्रकटन मानक" से धारा 276(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना और प्रकटन मानक अभिप्रेत है ;

(51) "आय-कर अधिकारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 237(1) के अधीन आय-कर अधिकारी नियुक्त किया जाता है;

(52) "भारत" से संविधान के अनुच्छेद 1 में यथानिर्दिष्ट भारत का राज्यक्षेत्र, राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड, महाद्वीपीय मग्न-तट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 में यथानिर्दिष्ट इसके राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड, ऐसे सागर-खंडों के नीचे के समुद्र तल और अवमृदा, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र या कोई अन्य सामुद्रिक क्षेत्र तथा उसके राज्यक्षेत्र और राज्यक्षेत्रीय सागर-खंडों के ऊपर का आकाशी क्षेत्र अभिप्रेत है;

1976 का 80

(53) "भारतीय कम्पनी" से कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत कम्पनी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं :—

2013 का 18

(क) भारत के निवासी किसी भाग में पूर्व में या वर्तमान में कंपनियों से संबंधित किसी विधि के अधीन बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत कंपनी ; या

(ख) केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम के अधीन स्थापित निगम ; या

(ग) संस्था या संगम या निकाय, जिसे खंड (28) के अधीन बोर्ड द्वारा कंपनी घोषित किया गया है,

जिसका रजिस्ट्रीकृत या प्रधान कार्यालय भारत में है।

(54) "भारतीय करेंसी" का वही अर्थ होगा जो उसका विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 2(थ) में है ;

1999 का 42

(55) अवसंरचना पूंजी कंपनी" से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है जो निम्नलिखित को शेयर अर्जित करके या दीर्घकालिक वित्त प्रदान करके विनिधान करती है,—

(क) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 80झक की उपधारा (4) या धारा 80झकख की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कारबार में पूर्णतया लगे हुए किसी उद्यम या उपक्रम; या

1961 का 43

(ख) एक उपक्रम का विकास और विनिर्माण—

(i) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 80झख (10) में निर्दिष्ट किसी आवास परियोजना; या

(ii) केंद्रीय सरकार द्वारा यथावर्गीकृत तीन सितारा प्रवर्ग से अन्यून होटल का सन्निर्माण करने की किसी परियोजना; या

(iii) रोगियों के लिए कम से कम एक सौ बिस्तर वाले किसी

अस्पताल का सन्निर्माण ;

1908 का 16

(56) "अवसंरचना पूंजी निधि" से ऐसी निधि अभिप्रेत है, जो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत न्यास विलेख के अधीन प्रवर्तनशील है, जिसे खंड (55) में निर्दिष्ट उपक्रम में उसके शेयर अर्जित करने या दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराने के रूप में विनिधान के लिए न्यासियों द्वारा धनराशियां लेने के लिए स्थापित किया गया है;

(57) "आय-कर निरीक्षक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 237 (1) के अधीन आय-कर निरीक्षक नियुक्त किया गया है;

1938 का 4

(58) "बीमाकर्ता" से ऐसा बीमाकर्ता अभिप्रेत है जो बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2 (7क) के अधीन परिभाषित कोई ऐसी भारतीय बीमा कंपनी है, जिसे उस अधिनियम की धारा 3 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र दिया गया है;

(59) "ब्याज" से अभिप्रेत है उधार ली गई धनराशियों या उपगत ऋण (जिसके अन्तर्गत निक्षेप, दावा या इसी प्रकार का अन्य अधिकार या बाध्यता भी है) की बाबत किसी भी रीति में संदेय ब्याज और इसके अन्तर्गत उधार ली गई धनराशियों या उपगत ऋण या अनुपयोजित प्रत्यय सुविधा की बाबत सेवा फीस या अन्य प्रभार भी है;

(60) "प्रतिभूतियों पर ब्याज" से अभिप्रेत है—

(क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की किसी प्रतिभूति पर ब्याज;

(ख) किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी कम्पनी या केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित किसी निगम द्वारा या उसकी ओर से निर्गमित धन के लिए डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों पर ब्याज;

2005 का 28

(61) "अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र" का वही अर्थ होगा जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2(थ) में उसका है ;

(62) "संयुक्त आयुक्त" से धारा 237(1) के अधीन आय-कर संयुक्त आयुक्त या आय-कर अपर आयुक्त के रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(63) "संयुक्त आयुक्त (अपील)" से धारा 237(1) के अधीन आय-कर संयुक्त आयुक्त (अपील) या आय-कर अपर आयुक्त (अपील) के रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(64) "संयुक्त निदेशक" से धारा 237(1) के अधीन आय-कर संयुक्त निदेशक या आय-कर अपर निदेशक के रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

1908 का 5

(65) "विधिक प्रतिनिधि" का वही अर्थ होगा जो उसका सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 2(11) में है;

(66) किसी व्यक्ति के संबंध में और किसी देश के संदर्भ में, "कर के लिए दायी" से यह अभिप्रेत है कि ऐसे व्यक्ति पर तत्समय प्रवृत्त उस देश की किसी विधि के अधीन आय-कर दायित्व है और इसके अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी सम्मिलित होगा, जिसे तत्पश्चात् उस देश की विधि के अधीन ऐसे दायित्व से छूट प्रदान की गई है ;

(67) "दीर्घकालिक पूंजी आस्ति" से ऐसी पूंजी आस्ति अभिप्रेत है जो अल्पकालिक पूंजी आस्ति नहीं है;

(68) "दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ" से किसी दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के अंतरण से प्रोद्भूत होने वाला पूंजी अभिलाभ अभिप्रेत है;

(69) "विनिर्माण" से उसके व्याकरणीय रूपभेदों सहित किसी निर्जीव भौतिक पदार्थ या वस्तु या चीज में ऐसा परिवर्तन अभिप्रेत है,—

(क) जिसके परिणामस्वरूप उस पदार्थ या वस्तु या चीज का ऐसे नए और सु भिन्न पदार्थ या वस्तु या चीज में रूपांतरण होता है, जिसका भिन्न नाम, प्रकृति और उपयोग होता है; या

(ख) जो किसी भिन्न रासायनिक सम्मिश्रण या एकीकृत संरचना के साथ एक नया और सुभिन्न पदार्थ या वस्तु या चीज अस्तित्व में लाता है;

(70) "अधिकतम सीमांत दर" से सुसंगत वर्ष के वित्त अधिनियम में विनिर्दिष्ट, किसी व्यष्टि, व्यक्तियों के संगम या व्यष्टियों के निकाय की दशा में आय के उच्चतम स्लैब के सम्बन्ध में लागू होने वाली आय-कर की दर अभिप्रेत है (जिसके अन्तर्गत आय-कर पर अधिभार है);

(71) "गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी" का वही अर्थ होगा जो उसका भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ठ(च) में है ।

1934 का 2

(72) "अनिवासी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो "निवासी" नहीं है और धारा 161, 174 और धारा 312 के प्रयोजनों के लिए, उसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो धारा 6 (13) के अर्थ में मामूली तौर पर निवासी नहीं है;

(73) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और "अधिसूचित करना" अभिव्यक्तियों वाले व्याकरणिक रूप भेदों तथा सजातिय अभिव्यक्तियों का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(74) "भागीदार" का वही अर्थ होगा जो उसका भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 4 में है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित है:—

1932 का 9

(क) कोई व्यक्ति, जो अवयस्क है, भागीदारी के फायदों के लिए सम्मिलित किया गया है;

(ख) सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 2(1)(थ) में यथापरिभाषित सीमित दायित्व भागीदारी का कोई भागीदार;

2009 का 6

(75) "भागीदारी" का वही अर्थ होगा जो भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 4 में उसका है और इसके अंतर्गत सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 2(1)(ढ) में यथापरिभाषित 'सीमित दायित्व भागीदारी' अभिप्रेत है;

1932 का 9

2009 का 6

(76) "स्थायी लेखा संख्यांक (पैन)" से इस अधिनियम के अधीन पहचान के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति को निर्धारण अधिकारी द्वारा आवंटित दस अक्षरांकीय वर्ण से मिलकर बनी विशिष्ट संख्या अभिप्रेत है;

(77) "व्यक्ति" के अन्तर्गत निम्नलिखित भी है—

(क) कोई व्यष्टि,

- (ख) कोई हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब,
- (ग) कोई कम्पनी,
- (घ) कोई फर्म,
- (ङ) व्यक्तियों का कोई संगम या व्यष्टियों का कोई निकाय, चाहे वह निगमित हो या न हो,
- (च) कोई स्थानीय प्राधिकारी, तथा
- (छ) हर ऐसा कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जो पूर्ववर्ती उपखण्डों में से किसी के अन्तर्गत नहीं है।

चाहे व्यक्तियों का कोई संगम या व्यष्टियों का कोई निकाय या कोई स्थानीय प्राधिकारी या कोई कृत्रिम विधिक व्यक्ति, एक व्यक्ति समझा जाएगा, चाहे ऐसा व्यक्ति या निकाय या प्राधिकारी या विधिक व्यक्ति, आय, लाभ या अभिलाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से बनाया गया या स्थापित या निगमित किया गया हो या न किया गया हो;

(78) "भारतीय मूल का व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो या उसके माता या पिता या उसके पितामही या मातामही में से कोई अविभाजित भारत में पैदा हुआ था;

(79) कंपनी के संबंध में "ऐसा व्यक्ति जिसका कंपनी में सारवान हित है" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो शेयरों का फायदाग्राही स्वामी है जो लाभांश की नियत दर के लिए हकदार शेयर नहीं है, चाहे वे मतदान शक्ति के 20 प्रतिशत से अन्यून वाले लाभ में भाग लेने के अधिकार सहित या रहित हों;

(80) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(81) "प्रधान मुख्य आयुक्त" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 237(1) के अधीन प्रधान मुख्य आयुक्त नियुक्त किया जाता है;

(82) "प्रधान आयुक्त" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 237(1) के अधीन आय-कर प्रधान आयुक्त नियुक्त किया जाता है;

(83) "प्रधान निदेशक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 237(1) के अधीन आय-कर प्रधान निदेशक नियुक्त किया जाता है;

(84) "प्रधान महानिदेशक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 237(1) के अधीन आय-कर प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया जाता है;

(85) "प्रधान अधिकारी" से जब कि उसका प्रयोग किसी स्थानीय प्राधिकारी या कम्पनी या अन्य लोक निकाय या व्यक्तियों के संगम या व्यष्टियों के निकाय के प्रति निर्देश करते हुए किया गया हो, अभिप्रेत है—

(क) उस प्राधिकारी, कम्पनी, संगम या निकाय का सचिव, कोषपाल, प्रबन्धक या अभिकर्ता ; अथवा

(ख) उस स्थानीय प्राधिकारी, कंपनी, संगम या निकाय के प्रबंध या प्रशासन से संबद्ध कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर निर्धारण अधिकारी ने उसे

उसका प्रधान अधिकारी मानने के अपने आशय की सूचना तामील की है;

(86) "वृत्ति" के अंतर्गत व्यवसाय भी है;

(87) "पब्लिक सेक्टर बैंक" से भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के 1955 का 23 अंतर्गत गठित, भारतीय स्टेट बैंक, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 के अधीन या बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 3 के अधीन गठित कोई तत्स्थानी नया बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा "अन्य पब्लिक सेक्टर बैंक" में सम्मिलित कोई बैंक अभिप्रेत है। 1970 का 5 1980 का 40

(88) "पब्लिक सेक्टर कंपनी" से किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगम या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में परिभाषित सरकारी कंपनी अभिप्रेत है; 2013 का 18

(89) "लोकसेवक" का वही अर्थ होगा जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 2(28) में उसका है। 2023 का 45

(90) किसी निर्धारण वर्ष या वित्तीय वर्ष के संबंध में "प्रवृत्त दर या दरें" या "प्रवृत्त दरें" से अभिप्रेत है—

(क) (i) धारा 316(5) या धारा 317(2) या धारा 319 या धारा 320(2) के अधीन प्रभार्य आय-कर की संगणना; या

(ii) धारा 392 के खंड (1) से खंड (6) के अधीन "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय में से आय-कर की कटौती करने; या

(iii) धारा 207 या धारा 194(1)(सारणी: क्रम संख्यांक 1) या धारा 194(1) (सारणी: क्रम संख्यांक 6) या धारा 214 या धारा 307, या धारा 308 या धारा 311 के अंतर्गत न आने वाले मामले में अध्याय 19-ग के अधीन संदेय अग्रिम कर संगणना करने;

(iv) धारा 393(1) [सारणी: क्रम संख्यांक 1(i)], [सारणी: क्रम संख्यांक 5(i)], [सारणी: क्रम संख्यांक 5(ii)] [सारणी: क्रम संख्यांक 5(iii)] और [सारणी: क्रम संख्यांक 7] या धारा 393(3) [सारणी: क्रम संख्यांक 1], [सारणी: क्रम संख्यांक 2] और [सारणी: क्रम संख्यांक 3] के अधीन कर कटौती करने के प्रयोजनों के लिए सुसंगत वर्ष के वित्त अधिनियम में इस निमित्त विनिर्दिष्ट आय-कर की दर या दरें ;

(ख) धारा 207 या धारा 194(1) [सारणी: क्रम संख्यांक 1] या धारा 194(1) [सारणी: क्रम संख्यांक 6] या धारा 214 या धारा 307 या धारा 308 या धारा 311 के अंतर्गत आने वाले मामले में अध्याय 19-ग के अधीन संदेय अग्रिम कर संगणना करने के उक्त संबंधित धारा में विनिर्दिष्ट दर या दरें या सुसंगत कर वर्ष के वित्त अधिनियम में इस निमित्त विनिर्दिष्ट आय-कर की दर या दरें जो भी लागू हों;

(ग) धारा 393(2) [सारणी: क्रम संख्यांक 6], [सारणी: क्रम संख्यांक 7], [सारणी: क्रम संख्यांक 8], [सारणी: क्रम संख्यांक 9] और [सारणी: क्रम संख्यांक 17] के अधीन कर की कटौती करने के प्रयोजनों के लिए, आय-कर

की ऐसी दर या दरें जो सुसंगत वर्ष के वित्त अधिनियम में इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाएं अथवा आय-कर की ऐसी दर या दरें जो केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 159(1) के अधीन किए गए किसी करार में या केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 159(2) जो भी लागू हो के अधीन अधिसूचित किए गए किसी करार में विनिर्दिष्ट की जाएं;

1952 का 19

(91) "मान्यताप्राप्त भविष्य निधि" से वह भविष्य निधि अभिप्रेत है जिसे ग्यारहवीं अनुसूची के भाग क में अन्तर्विष्ट नियमों के अनुसार मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा मान्यता दी गई है और जिसकी मान्यता कायम है और इसके अन्तर्गत ऐसी भविष्य निधि भी है जो कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के अधीन विरचित स्कीम के अधीन स्थापित की गई हो;

1956 का 42

(92) "मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज" से प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) में यथानिर्दिष्ट मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज अभिप्रेत और जो ऐसी शर्तों को पूरा करता है जो विहित की जाएं और इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं;

(93) "नियमित निर्धारण" से ऐसा निर्धारण अभिप्रेत है जो धारा 270 (10) या धारा 271 के अधीन किया गया है;

1934 का 2

(94) किसी व्यष्टि के संबंध में "नातेदार" से, उस व्यष्टि का पति, पत्नी, भाई, बहिन अथवा कोई पारंपरिक पूर्वपुरुष (मातृ या पितृ) या वंशज अभिप्रेत है;

(95) "भारतीय रिजर्व बैंक" से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 3(1) के अधीन गठित बैंक अभिप्रेत है।

(96) "निवासी" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जो धारा 6 के अर्थ में भारत में निवासी है;

(97) "परिणामी कंपनी" से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है, जो एक या अधिक कंपनियों (जिनके अंतर्गत उनकी पूर्ण स्वामित्व वाली समनुषंगी हैं) जिनको किसी निर्विलयन में निर्विलीन कंपनी का उपक्रम अंतरित कर दिया जाता है और ऐसे उपक्रम के अंतरण के प्रतिफलस्वरूप परिणामी कंपनी निर्विलीन कंपनी के शेयरधारकों को शेयर पुरोधृत करती है और इसके अंतर्गत कोई प्राधिकरण या निकाय या स्थानीय प्राधिकारी या पब्लिक सैक्टर कंपनी या निर्विलयन के परिणामस्वरूप स्थापित, गठित या बनाई गई कोई कंपनी भी है;

1934 का 2

(98) "अनुसूचित बैंक" का वही अर्थ होगा जो उसका भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 2(ड.) में है।

1992 का 15

(99) "भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड" का वही अर्थ होगा जो उसका भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 2(1)(क) में है।

(100) "वरिष्ठ नागरिक" से भारत में ऐसा व्यष्टिक निवासी अभिप्रेत है जो सुसंगत पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान किसी भी समय साठ वर्ष या उससे अधिक की आयु का है।

(101)(क) "अल्पकालिक पूंजी आस्ति" से उसके अन्तरण की तारीख से ठीक पहले चौबीस मास से अनधिक के लिए निर्धारित द्वाारा धारित पूंजी आस्ति

अभिप्रेत है ;

(ख) जहां पूंजी आस्ति निम्नलिखित है:—

(i) भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध प्रतिभूति;
या

(ii) भारतीय यूनिट ट्रस्ट की किसी यूनिट ; या

(iii) किसी साधारण शेयरोंमुख निधि की किसी यूनिट; या

(iv) जीरो कूपन बन्धपत्र,

उपखंड (क) के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो "चौबीस मास" शब्दों के स्थान पर "बारह मास" शब्द रखे गए हों; और

(ग) ऐसी कालावधि का जिसके लिए पूंजी आस्ति निर्धारिती द्वारा धारित की जाती है, अवधारण करने में—

(अ) परिसमापनाधीन किसी कंपनी में धारित किसी शेयर के मामले में, वह कालावधि जो ऐसी तारीख की पश्चात्पूर्ती हो जिसको वह कंपनी समापनाधीन होती है, अपवर्जित कर दी जाएगी;

(आ) निम्नलिखित अवधि सम्मिलित होगी जिसके लिए—

(I) ऐसी पूंजी आस्ति के लिए जो उक्त धारा में वर्णित परिस्थितियों में निर्धारिती की संपत्ति हो जाती है, वहां ऐसी कालावधि जिसके लिए धारा 73(1) (सारणी क्रम संख्यांक 1) में निर्दिष्ट पूर्वतन स्वामी द्वारा वह आस्ति धारित थी;

(II) वह कालावधि जिसके लिए निर्धारिती द्वारा सम्मेलन कंपनी में शेयर या शेयरों को ऐसी पूंजी आस्ति के लिए धारित किया गया था जो भारतीय कंपनी का शेयर या शेयर हैं जो धारा 70(1)(च) में निर्दिष्ट अंतरण के प्रतिफलस्वरूप निर्धारिती की संपत्ति हो जाती है ;

(III) वह कालावधि जिसके लिए निर्धारिती द्वारा निर्विलियन कंपनी में शेयर या शेयरों को ऐसी पूंजी आस्ति के लिए धारित किया गया था जो भारतीय कंपनी का शेयर या शेयर हैं जो निर्विलियन के प्रतिफलस्वरूप निर्धारिती की संपत्ति हो जाती है ;

(IV) किसी ऐसी पूंजी आस्ति के लिए, उस मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज के ऐसे अनपरस्परीकरण या निगमीकरण के अनुसरण में किसी व्यक्ति द्वारा अर्जित भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज का व्यापार या समाशोधन अधिकार है, जिसके लिए ऐसा व्यक्ति, इसके अनपरस्परीकरण या निगमीकरण के ठीक पूर्व भारत में मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज का कोई सदस्य था;

(V) वह अवधि जिसके लिए व्यक्ति इसके अनपरस्परीकरण या निगमीकरण से ठीक पहले उस मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज का सदस्य था, किसी पूंजीगत आस्ति के लिए जो भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के ऐसे अनपरस्परीकरण या निगमीकरण के

अनुसरण में आवंटित किसी कंपनी में साधारण शेयर पूंजी शेयर या शेयर हैं;

(VI) वह अवधि जिसके लिए शेयर या शेयर निर्धारिती द्वारा धारित किए गए थे, किसी पूंजी आस्ति के लिए जो किसी कारबार न्यास की इकाई है, जिसे धारा 70(1)(यझ) में निर्दिष्ट शेयर या शेयरों के अंतरण के अनुसरण में आवंटित किया गया है;

(VII) वह अवधि जिसके लिए किसी म्यूचुअल फंड की समेकनकारी स्कीम में इकाई या इकाइयों को निर्धारिती द्वारा पूंजी आस्ति के लिए धारित किया गया था, जो इकाई या इकाइयों के रूप में है और जो धारा 70(1)(यज) में निर्दिष्ट अंतरण के प्रतिफलस्वरूप निर्धारिती की संपत्ति बन जाती है;

(VIII) वह अवधि जिसके लिए अधिमानी शेयर निर्धारिती द्वारा पूंजी आस्ति के लिए धारित किए गए थे, जो कंपनी में साधारण पूंजी शेयर है, जो धारा 70(1)(यख) में निर्दिष्ट अंतरण के प्रतिफलस्वरूप निर्धारिती की संपत्ति बन जाती है;

(IX) वह अवधि जिसके लिए म्यूचुअल फंड स्कीम की समेकनकारी योजना में इकाई या इकाइयों को निर्धारिती द्वारा पूंजी आस्ति के लिए धारित किया गया था, जो इकाई या इकाइयों के रूप में है, जो धारा 70(1)(यट) में निर्दिष्ट अंतरण के प्रतिफलस्वरूप निर्धारिती की संपत्ति बन जाती है;

(X) वह अवधि जिसके लिए मुख्य पोर्टफोलियो में मूल इकाई या इकाइयों को निर्धारिती द्वारा धारित किया गया था, पूंजी आस्ति के लिए जो धारा 73(1) (सारणी: क्रम संख्या 11) में निर्दिष्ट पृथक पोर्टफोलियो में इकाई है या इकाइयां हैं

(XI) वह अवधि जिसके लिए सोना, निर्धारिती द्वारा इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद में इसके संपरिवर्तन से पहले धारित किया गया था, पूंजी आस्ति के लिए जो धारा 70(1)(म) में यथानिर्दिष्ट जमा किए गए ऐसे सोने के संबंध में जारी की गई इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद है;

(XII) वह अवधि जिसके लिए इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद निर्धारिती द्वारा सोने में इसके संपरिवर्तन से पहले धारित की गई थी, पूंजी आस्ति के लिए जो धारा 70(1)(म) में यथानिर्दिष्ट ऐसी इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद के संबंध में जारी किया गया सोना है;

(इ) निम्नलिखित को गणना में लिया जाएगा,—

(I) धारा 26(2)(ज) में निर्दिष्ट पूंजी आस्ति के लिए इसके संपरिवर्तन या उपचार की तारीख से अवधि ;

(II) शेयर या किसी अन्य प्रतिभूति (जिसे इसमें इसके पश्चात् वित्तीय आस्ति कहा गया है) के आबंटन की तारीख से ऐसी आस्ति के लिए अवधि जो ऐसे वित्तीय आस्ति को अंशदान करने के लिए उसके

अधिकार के आधार पर निर्धारित प्रतिश्रुत ऐसी वित्तीय आस्ति है जिसे ऐसे व्यक्ति प्रतिश्रुत किया गया है जिसके पक्ष में निर्धारित ने ऐसी वित्तीय आस्ति में अंशदान करने के अपने अधिकार का त्याग कर दिया है;

(III) किसी ऐसी वित्तीय आस्ति जिसे यथास्थिति ऐसी प्रस्थापना करने वाली कंपनी या संस्था जो पूंजी आस्ति के लिए ऐसा अधिकार है, द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में त्याग दी जाती है, में अंशदान करने के अधिकारी की प्रस्थापना करने की तारीख से अवधि

(IV) किसी संदाय के बिना और कोई अन्य वित्तीय आस्ति जो ऐसी पूंजी आस्ति के लिए ऐसी वित्तीय आस्ति है को धारण करने के आधार पर आबंटित वित्तीय आस्ति के आबंटन की तारीख से अवधि ;

(V) नियोजक द्वारा उसके कर्मचारियों (जिसके अंतर्गत भूतपूर्व कर्मचारी भी हैं) को, निःशुल्क या रियायती दर पर, ऐसी पूंजी आस्ति के लिए जो ऐसी विनिर्दिष्ट प्रतिभूति श्रम साध्य साधारण पूंजी है, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः आबंटित या अंतरित किसी विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रमसाध्य साधारण शेयरों के आबंटन या अंतरण की तारीख से अवधि ;

(VI) उस तारीख से अवधि जिसको ऐसी पूंजी आस्ति के लिए मोचन के लिए अनुरोध किया गया था जो कंपनी के शेयर हैं जिन्हे ऐसे निर्धारित द्वारा धारित धारा 209(1) (सारणी क्रम संख्यांक 2) में निर्दिष्ट वैश्विक निक्षेपागार प्राप्तियों के मोचन पर अनिवासी निर्धारित द्वारा अर्जित किया गया है;

(ई) मद (अ) से मद (इ) में उल्लिखित पूंजी आस्तियों से भिन्न पूंजी आस्तियों के लिए, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, वहां अवधारित की जाएगी,

जहां,—

(अ) “साधारण शेयरोन्मुख निधि” का वही अर्थ होगा जो उसका धारा 198(8) में है;

(आ) “प्रतिभूति” का वही अर्थ होगा जो धारा 2(ज) के प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 में उसका है;

1956 का 42

(इ) “विनिर्दिष्ट प्रतिभूति” से प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2(ज) में यथापरिभाषित प्रतिभूतियां अभिप्रेत हैं और जहां कर्मचारियों का स्टॉक विकल्प उसके लिए किसी योजना या स्कीम, जिसके अंतर्गत ऐसी योजना स्कीम के अधीन प्रस्थापित प्रतिभूतियां भी हैं, के अधीन प्रदान किया गया है;

1956 का 42

(ई) “श्रमसाध्य साधारण शेयर” से व्यवहार ज्ञान प्रदान करने के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों की प्रकृति या मूल्य अभिवर्धन के

अधिकार उपलब्ध कराने, चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, के लिए नकदी से भिन्न छूट या प्रतिफल के लिए अपने कर्मचारियों या निदेशकों को किसी कंपनी द्वारा निर्गमित साधारण शेयर अभिप्रेत हैं।

(102) "अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ" से किसी अल्पकालिक पूंजी आस्ति के अंतरण से प्रोद्भूत होने वाला पूंजी अभिलाभ अभिप्रेत है;

(103)(क) "मंदी विक्रय" से एक या अधिक उपक्रमों के ऐसे अंतरणों में व्यष्टिक आस्तियों और दायित्वों मूल्य समनुदेशित किए बिना एकमुश्त प्रतिफल के लिए किसी भी माध्यम से अंतरण अभिप्रेत है;

(ख) खंड (क) के प्रयोजन के लिए,—

(i) "उपक्रम" का वही अर्थ होगा जो खंड 35(झ) में उसका है।

(ii) स्टांप शुल्क, रजिस्ट्रीकरण फीस या वैसे ही अन्य करों या फीस के संदाय के एकमात्र प्रयोजन के लिए आस्ति या दायित्व के मूल्य के अवधारण को व्यष्टिक आस्तियों या दायित्वों के मूल्य का समनुदेशन नहीं माना जाएगा;

(104) "विशेष आर्थिक जोन" का वही अर्थ होगा जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2(यक) में उसका है;

2005 का 28

(105) "स्टाम्प शुल्क मूल्य" से किसी अचल संपत्ति के संबंध में स्टाम्प शुल्क के संदाय के लिए केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी प्राधिकारी द्वारा अंगीकृत या निर्धारित या निर्धारणीय मूल्य अभिप्रेत है; जहां "निर्धारणीय" से ऐसा मूल्य अभिप्रेत है जिसे सरकार के किसी प्राधिकारी ने इस प्रकार अंगीकृत या निर्धारित किया होता मानो यह प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात को ध्यान में न रखते हुए स्टांप शुल्क के संदाय के प्रयोजनो के लिए ऐसे प्राधिकारी को निर्दिष्ट किया गया हो ;

(106) "कर" से इस अधिनियम के अधीन प्रभाय आय-कर अभिप्रेत है;

(107) "कर वसूली अधिकारी" से ऐसा आय-कर अधिकारी अभिप्रेत है जिसे प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा निम्नलिखित का लिखित में प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया गया है,—

(क) कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करना; और

(ख) इस अधिनियम या जैसा विहित किया जाए के अधीन मूल्यांकन अधिकारी को प्रदत्त या सौंपे गए शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग करना और जो विहित किए जाएं;

(108) "कुल आय" से धारा 5 में निर्दिष्ट आय की ऐसी कुल रकम अभिप्रेत है जो इस अधिनियम में अधिकथित रीति से संगणित की गई हो;

(109) पूंजी आस्ति के संबंध में "अंतरण" के अंतर्गत है—

(क) आस्ति का विक्रय, विनिमय या त्याग; या

(ख) उसमें के किन्हीं अधिकारों का निर्वापन; या

(ग) किसी प्रवृत्त विधि के अधीन अनिवार्य अर्जन; या

(घ) किसी ऐसी दशा में जहां आस्ति उसके स्वामी द्वारा अपने द्वारा चलाए जाने वाले किसी कारबार के व्यापार स्टाक में संपरिवर्तित की जाती है या उसके द्वारा उस रूप में मानी जाती है वहां ऐसा संपरिवर्तन या माना जाना; या

(ङ) किसी जीरो कूपन बंधपत्र की परिपक्वता का मोचन; या

(च) कोई संव्यवहार (चाहे वह किसी सहकारी सोसाइटी, कंपनी या अन्य व्यक्ति-संगम का सदस्य बनने के रूप में हो या उसमें शेयरों के अर्जन के रूप में हो अथवा किसी अन्य रीति से हो) जिसका प्रभाव किसी स्थावर संपत्ति का अंतरण है या उसके उपभोग के लिए समर्थ बनाया जाना है।

(छ) कोई संव्यवहार जिसमें संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 53क में निर्दिष्ट प्रकृति की संविदा के भागिक पालन में किसी स्थावर संपत्ति का कब्जा लेने या रखे रहने के लिए अनुज्ञात किया जाता है; या

1882 का 4

(ज) "अंतरण" के अंतर्गत किसी करार द्वारा (चाहे वह भारत में किया गया हो या भारत के बाहर) या अन्यथा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः आत्यंतिक रूप से या सशर्त, स्वैच्छिक रूप से या अस्वैच्छिक रूप से, किसी आस्ति या उसमें के किसी हित का व्ययन या प्रभाजन या किसी आस्ति में, चाहे किसी भी रीति में, किसी हित का सृजन, इस बात के होते हुए भी सम्मिलित है और सदैव से सम्मिलित समझा जाएगा कि अधिकारों के ऐसे अंतरण को इस रूप में वर्णित किया गया है जैसे कि वह भारत के बाहर रजिस्ट्रीकृत या निगमित किसी कंपनी के शेयर या शेयरों का अंतरण करके किया जा रहा है;

जहां, "अचल संपत्ति" पद से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(i) कोई भूमि या कोई भवन या भवन का भाग या इसके अंतर्गत, जहां कोई ऐसी भूमि या कोई भवन या भवन का भाग किसी मशीनरी, संयंत्र, फर्नीचर, फिटिंग या अन्य चीजों, ऐसी मशीनरी संयंत्र फर्नीचर या अन्य चीजों के साथ जैसे भूमि भवन का भाग मशीनरी संयंत्र, फर्नीचरों फिटिंगों और उसमें किन्हीं अधिकारों सहित अन्य वस्तुओं के साथ अंतरित की जानी है, भी है;

(ii) किसी भूमि या किसी भवन के भाग में या उसके संबंध में कोई अधिकार जो (चाहे कोई मशीनरी, फर्नीचर फिटिंग या अन्य वस्तुएं भी हों या नहीं) जिनका संन्निमाण किया गया है या संन्निर्माण किया जाना है किसी संव्यवहार से चाहे (किसी सहकारी सोसाइटी कंपनी या व्यक्तियों के अन्य संगम का सदस्य बनने से या किसी करार या किसी ठहराव वह जिस भी प्रकृति का हो) जो ऐसी भूमि भवन के भाग के विक्रय विनिमय या पट्टे के रूप में संव्यवहार नहीं है से उद्भूत या प्रोदभूत होते हैं;

(110) "मूल्यांकन अधिकारी" से केन्द्रीय सरकार द्वारा मूल्यांकन अधिकारी नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है जो धारा 269(3) में यथाविनिर्दिष्ट शक्तियों

का प्रयोग करेगा और इसके अंतर्गत क्षेत्रीय मूल्यांकन अधिकारी, जिला मूल्यांकन अधिकारी और सहायक मूल्यांकन अधिकारी भी हैं;

(111) "आभासी डिजिटल आस्ति" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(क) क्रिप्टोग्राफी साधनों के माध्यम से या अन्यथा, चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, सृजित कोई सूचना या कोड या संख्या या टोकन (जो भारतीय करन्सी या विदेशी करन्सी नहीं है) जो प्रतिफल सहित या रहित विनिमय किए गए मूल्य के डिजिटल निरूपण का उपबंध करती है जिसमें अन्तर्निहित मूल्य रखने का वचन या निरूपण है या जो किसी वित्तीय संव्यवहार या विनिधान में इसके उपयोग सहित मूल्य के भंडार या लेखा इकाई के रूप में कार्य करती है किन्तु यह विनिधान स्कीम तक सीमित नहीं है ; और इसे इलैक्ट्रॉनिक रूप में अन्तरित, भंडारित किया जा सकता है या उसका व्यापार किया जा सकता है ;

(ख) अविनिमय टोकन या समान प्रकृति का कोई अन्य टोकन, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो ;

(ग) कोई अन्य डिजिटल आस्ति, जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे :

(घ) कोई क्रिप्टों आस्ति जो मूल्य का डिजिटल प्रतिनिधित्व है जो संव्यवहारों को विधिमान्य ठहराने और सुनिश्चित करने के लिए क्रिप्टोग्राफी रूप से सुरक्षित खाते या वैसी ही प्रौद्योगिकी पर निर्भर करती है चाहे वह उपखंड (क) या उपखंड (ख) या उपखंड (ग) में सम्मिलित की गई ऐसी आस्ति है या नहीं ;

जहां,—

(i) "अविनिमय टोकन" से ऐसी डिजिटल आस्ति अभिप्रेत है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए ;

(ii) केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, आभासी डिजिटल आस्ति की परिभाषा से किसी डिजिटल आस्ति को अपवर्जित कर सकेगी ;

(112) "जीरो कूपन बंधपत्र" से ऐसा बंधपत्र अभिप्रेत है जो,—

(क) 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किसी अवसंरचना पूंजी कंपनी या अवसंरचना पूंजी निधि या अवसंरचना ऋण निधि या पब्लिक सेक्टर कंपनी या अनुसूचित बैंक द्वारा जारी किया गया है;

(ख) जिसके लिए, अवसंरचना पूंजी कंपनी या अवसंरचना पूंजी निधि या अवसंरचना ऋण निधि पब्लिक सेक्टर कंपनी या अनुसूचित बैंक से परिपक्वता या मोचन से पूर्व कोई संदाय और फायदा प्राप्त नहीं किया जाता है या प्राप्य नहीं है; और

(ग) जिसे केन्द्रीय सरकार, इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे,

जहां, "अवसंरचना ऋण निधि" पद से अनुसूची सातवीं (सारणी क्रम संख्यांक 46) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित अवसंरचना ऋण निधि अभिप्रेत है।

"कर वर्ष" की
परिभाषा।

3. (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए "कर वर्ष" के 1 अप्रैल को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष की बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

(2) ऐसे कारबार या वृत्ति की दशा में, जो किसी वित्तीय वर्ष में नया-नया चलाया गया है या आय के किसी ऐसे स्रोत की दशा में, जो किसी वित्तीय वर्ष में नया-नया अस्तित्व में आया है, कर वर्ष निम्नलिखित से प्रारंभ होने वाली अवधि का होगा,—

(क) ऐसे कारबार या वृत्ति के चलाए जाने की तारीख ; या

(ख) उस तारीख, जिसको आय का स्रोत नया-नया अस्तित्व में आया है और उक्त वित्तीय वर्ष के साथ समाप्त होता है।

अध्याय 2

प्रभार का आधार

आय-कर पर
भारित।

4. (1) जहां कोई केन्द्रीय अधिनियम यह अधिनियमित करता है कि आय-कर किसी कर वर्ष के लिए ऐसी किसी दर या दरों पर प्रभारित किया जाएगा वहां उस दर या उन दरों पर आयकर इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए ऐसे कर वर्ष के लिए प्रभारित किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन आय-कर का प्रभार इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की कर वर्ष की कुल आय पर होगा।

(3) आय-कर के अंतर्गत इस अधिनियम के अधीन, उद्गृहीत कोई अतिरिक्त आय-कर चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, भी सम्मिलित होगा।

(4) यदि इस अधिनियम में यह उपबंध किया जाता है कि कर वर्ष से भिन्न अवधि की आय की बाबत आय-कर प्रभारित किया जाना है तो इसे तदनुसार प्रभारित किया जाएगा।

(5) इस धारा के अधीन प्रभार्य आय के लिए आय-कर की कटौती का संग्रहण इस अधिनियम के अधीन उपबंध के अनुसार स्रोत पर की जाएगी या अग्रिम रूप से संदत्त किया जाएगा।

कुल आय की
परिधि।

5. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी ऐसे व्यक्ति जो निवासी है, के किसी कर वर्ष की कुल आय में, किसी भी स्रोत से प्राप्त ऐसी सभी आय सम्मिलित होगी,—

(क) जिसे भारत में उस वर्ष में ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त किया गया है या प्राप्त किया जाना समझा गया है;

(ख) जो उस वर्ष में भारत में ऐसे व्यक्ति को प्रोदभूत होती है या उद्भूत होने वाली समझी जाती है; या

(ग) जो उस वर्ष में भारत से बाहर ऐसे व्यक्ति को प्रोदभूत या उद्भूत होती है किंतु जब ऐसा व्यक्ति धारा 6(13) के अधीन 'मामूली तौर पर निवासी नहीं है', तब ऐसी आय उस समय ही सम्मिलित किया जाएगा जब यह भारत में नियंत्रित कारबार या स्थापित वृत्ति से व्युत्पन्न होती है;

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी ऐसे व्यक्ति जो अनिवासी है, की किसी कर वर्ष की कुल आय में किसी भी स्रोत से व्युत्पन्न सभी आय सम्मिलित होगी,—

(क) जिसे भारत में उस वर्ष में ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त किया गया है या प्राप्त किया जाना समझा गया है; या

(ख) जो उस वर्ष में भारत में ऐसे व्यक्ति को प्रोदभूत होती है या उदभूत होने वाली समझी जाती है; या

(3) भारत से बाहर प्रोदभूत या उदभूत होने वाली आय इस तथ्य के कारण ही इस धारा के अधीन भारत में प्राप्त हुई नहीं समझी जाएगी कि इसे तैयार किए गए तुलनपत्र में गणना में लिया जाता है ।

(4) यदि कोई आय किसी व्यक्ति की कुल आय में निम्नलिखित आधार पर सम्मिलित की गई है कि—

(क) यह किसी ऐसे व्यक्ति को प्रोदभूत या उदभूत हुई है; या

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति को प्रोदभूत या उदभूत हुई समझी गई है,

तो इसे इस आधार पर सम्मिलित किया जाएगा कि यह भारत में ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जाती है या प्राप्त की गई समझी जाती है;

6. (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति के किसी कर वर्ष में भारत में आवासीय प्रास्थिति इस धारा के अनुसार अवधारित की जाएगी ।

भारत में
निवास।

(2) कोई व्यक्ति किसी कर वर्ष में भारत में निवासी तभी होगा जब वह,—

(क) उस वर्ष में एक सौ बयासी दिन या उससे अधिक की कुल अवधि के लिए भारत में है; या

(ख) उस वर्ष के दौरान साठ दिन या उससे अधिक के लिए संचयी रूप से भारत में है और ऐसे वर्ष से पूर्व चार वर्षों में तीन सौ पैंसठ दिन या अधिक के लिए संचयी रूप से भारत में है ।

(3) उपधारा 2(ख) के उपबंध ऐसे व्यक्ति के मामले में लागू नहीं होंगे जो भारत का नागरिक है और किसी कर वर्ष में भारत को छोड़ देता है—

(क) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 3 की उपधारा (18) में यथापरिभाषित भारतीय पोत के कर्मी दल के सदस्य के रूप में; या

(ख) भारत से बाहर नियोजन के प्रयोजनों के लिए ।

(4) जहां उपधारा 2(ख) के उपबंध, उपधारा (5) के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी व्यक्ति के मामले में लागू नहीं होंगे,—

(क) जो भारत का नागरिक या भारत के मूल का है ; और

(ख) जो किसी कर वर्ष में भारत से बाहर रहकर भारत के दौरे पर आता है।

(5) जहां उपधारा (4) में निर्दिष्ट व्यक्ति की कुल आय उसमें निर्दिष्ट कर वर्ष के दौरान पंद्रह लाख रुपए से अधिक है (जिसके अंतर्गत 'विदेशी स्रोतों से प्राप्त आय', नहीं है), वहां उपधारा (2)(ख) उसी प्रकार लागू होगा मानो "साठ दिन" शब्दों के स्थान पर

“एक सौ बीस दिन” रख दिए गए हों ;

(6) उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए, यदि व्यक्ति,—

(क) भारत का नागरिक है;

(ख) और विदेश जाने वाले पोत कर्मिंदल का सदस्य, उस यात्रा के संबंध में कुल दिनों की संख्या ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित की जाए, अवधारित की जाएंगी ।

(7) उपधारा (2) से उपधारा (6) के उपबंधों को ध्यान में न रखते हुए ऐसा किसी व्यक्ति किसी कर वर्ष के लिए भारत में निवासी समझा जाएगा यदि वह—

(क) भारत का नागरिक है;

(ख) किसी अन्य देश में या उसके अधिवास, निवास या वैसे ही मानदंड के कारण राज्यक्षेत्र में कर का दायी नहीं है; और

(ग) जिसकी कुल आय ऐसे कर वर्ष के दौरान आय पंद्रह लाख रुपए से अधिक है (विदेशी स्रोतों से प्राप्त आय से भिन्न) ।

(8) उपधारा (7) किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो किसी कर वर्ष के दौरान उपधारा (2) से उपधारा (6) के अधीन भारत में निवासी है ।

(9) कोई हिंदू अविभक्त कुटुंब, फर्म या व्यक्तियों का अन्य संगम किसी कर वर्ष में भारत में तब तक निवासी नहीं होगा जब तक उसके क्रियाकलापों का नियंत्रण और प्रबंधन पूर्णतया ऐसे कर वर्ष के दौरान भारत से बाहर स्थित है ।

(10)(क) कोई कंपनी जो किसी वर्ष में भारत में निवासी कही जानी है, यदि—

(i) यह कोई भारतीय कंपनी है; या

(ii) इसका प्रभावी प्रबंधन का स्थान उस कर वर्ष में भारत में है;

(ख) और, इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, “प्रभावी प्रबंधन का स्थान” से ऐसा कोई स्थान अभिप्रेत है जहां पूर्ण रूप से कंपनी के कारबार के संचालन के लिए आवश्यक मुख्य प्रबंधन और वाणिज्यिक विनिश्चय किए गए सार में है ।

(11) किसी कर वर्ष में भारत में प्रत्येक अन्य व्यक्ति तब तक निवासी नहीं होगा जब तक उस कर वर्ष के दौरान भारत से बाहर ऐसे व्यक्ति कार्यकलापों के नियंत्रण और प्रबंधन पूर्णतया भारत से बाहर स्थित न हो ।

(12) यदि कोई व्यक्ति आय के किसी स्रोत के लिए किसी कर वर्ष में भारत में निवासी है तो उसकी आय के अन्य स्रोतों में से प्रत्येक स्रोत के लिए उस वर्ष में भारत में निवासी के रूप में समझा जाएगा ।

(13) कोई व्यक्ति किसी कर वर्ष में भारत में “मामूली तौर पर” पर निवासी नहीं है, यदि वह व्यक्ति,—

(क) ऐसा व्यक्ति है जो हिंदू अविभक्त कुटुंब है या रहा है, जिसका प्रबंधक,—

(i) उस वर्ष से पूर्व दस कर वर्षों में से नौ कर वर्षों में भारत में अनिवासी रहा है; या

(ii) उस वर्ष से पूर्व सात कर वर्षों में सात सौ उनतीस दिन या उससे

कम के लिए संचयी रूप से भारत में रहा है; या

(ख) भारत का कोई नागरिक है या भारतीय मूल का व्यक्ति है;

(i) जिसकी कुल आय जिसमें उपधारा (5) में यथाउल्लिखित, कर वर्ष के दौरान विदेशी स्रोतों से प्राप्त आय को अपवर्जित करते हुए, पन्द्रह लाख रुपए से अधिक है; और

(ii) जो किसी कर वर्ष के दौरान भारत में एक सौ बीस दिन या उससे अधिक किंतु एक सौ ब्यासी दिन से कम के लिए संचयी रूप से भारत में रहा है; या

(ग) भारत का ऐसा नागरिक है जिसे उपधारा (7) के अधीन भारत में निवासी समझा गया है ;

(14) इस धारा में “विदेशी स्रोतों से प्राप्त पद से ऐसी आय” अभिप्रेत है जो भारत से बाहर प्रोदभूत या उदभूत होती है (भारत में नियंत्रित कारबार या स्थापित वृत्ति से प्राप्त आय के सिवाय) और जिसे भारत में प्रोदभूत या उदभूत होना नहीं समझा गया है ।

7. (1) निम्नलिखित आय को कर वर्ष में प्राप्त हुई आय समझी जाएगी—

(क) मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में भाग लेने वाले किसी कर्मचारी के जमा अतिशेष के लिए पूर्व वर्ष में वार्षिक अनुवृद्धि उस परिमाण तक जिस तक अनुसूची 11 के भाग क के पैरा 6 में उपबंध किया गया है;

(ख) किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अंतरित अतिशेष उस परिमाण तक जिस तक अनुसूची 11 के भाग (क) के पैरा 11(4) और (5) में उपबंध किया गया है;

(ग) उस वर्ष में केंद्रीय सरकार या अन्य नियोजक द्वारा धारा 124 में उल्लिखित पेंशन स्कीम के अधीन किसी कर्मचारी के खाते में किया गया अभिदाय;

(2) निर्धारिती की कुल आय में सम्मिलित करने के लिए,—

(क) किसी ऐसे लाभांश जिसे धारा 2(40) के खंड (क) खंड (च) के अर्थ में किसी कंपनी द्वारा घोषित किया गया हो या वितरित किया गया हो या संदत्त किया गया हो तो उस कर वर्ष की आय के रूप में समझा जाएगा जिसमें यथास्थिति, इसे इस प्रकार घोषित वितरित या संदत्त किया गया;

(ख) कोई अंतरिम लाभांश कर वर्ष की आय के रूप में समझा जाएगा जिसमें ऐसे लाभांश की रकम किसी ऐसे सदस्य को कंपनी द्वारा अशर्त उपलब्ध कराया जाता है जो इसके लिए हकदार नहीं है ।

8. (1) जहां कोई विनिर्दिष्ट व्यक्ति पूर्ववर्ष के दौरान ऐसे विनिर्दिष्ट आस्तित्व के विघटन या पूर्णगठन के संबंध में विनिर्दिष्ट अस्तित्व से कोई पूंजी आस्ति या व्यापार स्टॉक या दोनों को प्राप्त करता है, वहां यह समझा जाएगा कि विनिर्दिष्ट अस्तित्व ने, उस पूर्ववर्ष में, जिसमें ऐसी आस्ति या व्यापार स्टॉक या दोनों विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, विनिर्दिष्ट व्यक्ति को, यथास्थिति, ऐसी पूंजी आस्ति या व्यापार स्टॉक या दोनों का अंतरण किया है ।

(2) विनिर्दिष्ट अस्तित्व द्वारा उपधारा (1) में उल्लिखित ऐसे समझे गए अंतरण

किसी कर वर्ष में प्राप्त हुई समझी गई आय और आय समझा गया लाभांश ।

विनिर्दिष्ट आस्तित्व से विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा पूंजी आस्ति या व्यापार स्टॉक की प्राप्ति पर आय ।

से उद्भूत होने वाला कोई लाभ और अभिलाभ—

(i) ऐसे विनिर्दिष्ट अस्तित्व की उस कर वर्ष की, जिसमें ऐसी पूंजी आस्ति या स्टॉक व्यापार या दोनों विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए गए थे, आय समझी जाएगी; और

(ii) “किसी कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन या “पूंजी अभिलाभ” शीर्ष के अधीन ऐसे विनिर्दिष्ट आस्तित्व की आय के रूप में ऐसी आय, आय-कर से प्रभार्य होगी ।

(3) इस धारा में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा पूंजी आस्ति या व्यापार स्टॉक या दोनों का, इसकी प्राप्ति की तारीख को उपधारा (1) में उल्लिखित ऐसे समझे गए अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या उद्भूत होने वाले प्रतिफल के पूर्ण मूल्य के रूप में समझा जाएगा ।

(4) यदि इस धारा और धारा 67 खंड(10) के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो बोर्ड केन्द्रीय सरकार के पूर्ण अनुमोदन से कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनों के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी कर सकेगा ।

(5) उपधारा (4) के अधीन बोर्ड द्वारा जारी प्रत्येक मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस मार्गदर्शी सिद्धान्त में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । या दोनों सदन सहमत हो जाएं की मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी नहीं किया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् तो यथास्थिति ऐसे ही उपांतरित रूप में प्रभावी होगा और ऐसे किसी उपांतरण का उस मार्गदर्शी सिद्धान्त के अधीन की गई पूर्व किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल नहीं पड़ेगा ।

(6) इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) “विनिर्दिष्ट अस्तित्व” से कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य संगम या व्यक्तियों का निकाय (जो एक कंपनी या सहकारी सोसाइटी नहीं है) अभिप्रेत है;

(ख) “विनिर्दिष्ट व्यक्ति” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी कर वर्ष में किसी फर्म का जमींदार है या व्यक्तियों अन्य संगम या व्यक्तियों के निकाय (जो एक कंपनी या सहकारी सोसाइटी नहीं है) का सदस्य है;

(ग) “विनिर्दिष्ट अस्तित्व का पुनर्गठन” से अभिप्रेत है, जहां—

(i) ऐसे विनिर्दिष्ट अस्तित्व के एक या अधिक जमींदार या सदस्य नहीं रह जाते हैं ;

(ii) ऐसे विनिर्दिष्ट अस्तित्व में एक या अधिक नए जमींदार या समान ऐसी परिस्थितियों में सम्मिलित किए जाते हैं कि एक या अधिक व्यक्ति जो परिवर्तन से पूर्व विनिर्दिष्ट अस्तित्व के जमींदार या सदस्य के परिवर्तन के पश्चात् जमींदार या सदस्य बन जाने हेतु ; या

(iii) सभी जमींदार या सदस्य, ऐसे विनिर्दिष्ट अस्तित्व के उनके अपने-अपने शेयर या उनमें से कुछ शेयरों में परिवर्तन के साथ बने रहते हैं।

9. (1) उपधारा (2) से उपधारा (8) तक में निर्दिष्ट आय भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुई समझी जाएगी।

भारत में प्रोद्भूत
या उद्भूत
समझी गई
आय।

(2) निम्नलिखित के माध्यम से या प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली आय—

(क) भारत में कोई आस्ति या आय का स्रोत ; या

(ख) भारत में किसी संपत्ति ; या

(ग) भारत में किसी कारबारी संपर्क ; या

(घ) भारत में स्थित पूंजी आस्ति के अंतरण, भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुई समझी जाएगी।

(3) कोई आय जो "वेतन" शीर्ष के अंतर्गत आती है, भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुई समझी जाएगी, यदि इसे—

(क) भारत में उपार्जित किया जाता है और निम्नलिखित के लिए संदेय कोई आय है—

(i) भारत में दी गई सेवाएं ; और

(ii) शेष अवधि या छूटटी अवधि जो भारत में दी गई सेवाओं से पहले की है या बाद की है और नियोजन की सेवा संविदा ;

भारत में उपार्जित आय के रूप में समझी जाएगी।

(ख) भारत से बाहर दी गई सेवाओं के लिए भारतीय नागरिक को सरकार द्वारा संदेय है।

(4) ऐसा कोई लाभांश जो किसी भारतीय कंपनी द्वारा भारत के बाहर संदत्त किया गया है भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुआ समझा जाएगा।

(5) (क) निम्नलिखित द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय—

(i) सरकार ;

(ii) कोई निवासी, उस दशा के सिवाय जब निम्नलिखित के प्रयोजनों के लिए ब्याज उपगत ऐसे ऋण, उधार ली गई या प्रयोग की गई राशि—

(अ) भारत से बाहर किसी ऐसे निवासी द्वारा चलाए गए कारबार या वृत्ति; या

(आ) भारत से बाहर किसी स्रोत से ऐसे निवासी द्वारा कोई आय पैदा करना या उपार्जित करना; या

(iii) कोई अनिवासी है, उस दशा में, जब यह ऐसे अनिवासी द्वारा भारत में चलाए गए कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए उपगत किसी या उधार लिए गए और प्रयोग किए गए धन के संबंध में भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुआ समझा जाएगा;

(ख) खंड (क) के प्रयोजनों के लिए—

(i) किसी ऐसे अनिवासी व्यक्ति जो बैंककारी कारबार में लगा हुआ है, भारत में स्थायी स्थापन द्वारा ऐसे अनिवासी के भारत से बाहर से किसी प्रधान कार्यालय या किसी अन्य स्थापन या किसी अन्य भाग को संदेय कोई ब्याज भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुआ समझा जाएगा; जो भारत में स्थायी स्थापन को हुई माने जा सकने वाले किसी आय के अतिरिक्त कर से प्रभार्य होगी;

(ii) भारत में स्थायी स्थापन निम्नलिखित रूप में समझा जाएगा,—

(अ) अनिवासी व्यक्ति से पृथक और स्वतंत्र व्यक्ति समझा जाएगा जिसका वह स्थायी स्थापन है; और

(आ) कुल आय की संगणना, कर के अवधारण और संग्रहण तथा वसूली से संबंधित इस अधिनियम के उपबंध;

(iii) “स्थायी स्थापन” का वही अर्थ होगा जो धारा 173 के खंड (ग) में उसका है ।

(6)(क) निम्नलिखित द्वारा संदेय स्वामित्व के रूप में आय—

(i) सरकार ;

(ii) निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त कोई अधिकार, संपत्ति या सूचना उपयोग की गई सेवाओं के संबंध में कोई निवासी उस दशा के सिवाय जब स्वामित्व निम्नलिखित के लिए संदेय है—

(अ) भारत से बाहर ऐसे निवासी द्वारा चलाए गए कारबार या वृत्ति; या

(आ) भारत से बाहर किसी स्रोत से ऐसे निवासी द्वारा कोई आय पैदा करना या उपार्जित करना; या

(iii) कोई अनिवासी, उस दशा में जब स्वामित्व किसी अधिकार, संपत्ति या प्रयुक्त जानकारी या उपयोजित सेवाओं के संबंध में निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए संदेय है:—

(अ) भारत में ऐसे अनिवासी द्वारा चलाए गए किसी कारबार या वृत्ति; या

(आ) भारत में किसी स्रोत से ऐसे अनिवासी द्वारा कोई आय पैदा करना या उपार्जित करना भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुआ समझी जाएगी;

(ख) इस उपधारा में, “स्वामित्व” से अभिप्रेत है निम्नलिखित के लिए कोई प्रतिफल (जिसके अंतर्गत एकमुश्त प्रतिफल भी है किन्तु वह प्रतिफल नहीं है जो प्राप्तिकर्ता को “पूँजी अभिलाभ” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय होगी—

(i) किसी पेटेन्ट, आविष्कार, प्रतिमान, डिजाइन, गुप्त सूत्र या समरूप संपत्ति के संबंध में सब या किन्हीं अधिकारों का अंतरण (जिसके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना भी है);

(ii) किसी पेटेन्ट, आविष्कार, प्रतिमान, डिजाइन, गुप्त सूत्र या प्रक्रिया या व्यापार चिह्न या समरूप संपत्ति का कार्यकरण या उपयोग के सम्बन्ध में कोई जानकारी देना;

(iii) किसी पेटेन्ट, आविष्कार, प्रतिमान, डिजाइन, गुप्त सूत्र या प्रक्रिया या

व्यापार चिह्न या समरूप संपत्ति का उपयोग;

(iv) तकनीकी, औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक ज्ञान, अनुभव या कौशल के संबंध में कोई जानकारी देना;

(v) धारा 61(2) (सारणी क्रम सं. 5) में निर्दिष्ट स्थानों के सिवाय किसी औद्योगिक वाणिज्यिक या वैज्ञानिक उपस्कर का उपयोग या उपयोग करने का अधिकार

(vi) किसी प्रतिलिप्याधिकार, साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक वृत्ति की बाबत सभी या किन्हीं अधिकारों का अंतरण या दिया जाना (जिसके अंतर्गत अनुज्ञापित देना भी है। जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं—

(अ) दूरदर्शन से संबंधित उपयोग के लिए फिल्म वीडियो, टेप ;

(आ) रेडियो प्रसारण से संबंधित उपयोग के लिए टेप;

(vii) उपखंड (i) से उपखंड (vi) में निर्दिष्ट क्रिया कलापों के संबंध में सेवाएं प्रदान करना

(ग) खंड (ख) प्रयोजनों के लिए,—

(i) किसी अधिकार संपत्ति या जानकारी की बाबत सभी या किन्हीं अधिकारों के अंतरण उसके उपयोग संबंधी सभी या किन्हीं अधिकार या कम्प्यूटर साफ्ट वेयर के उपयोग (जिसके अंतर्गत अनुज्ञप्ति भी देना है) ऐसे माध्यम को ध्यान में न रखते हुए जिसके द्वारा ऐसा अधिकार अंतरित किया जाता है;

(ii) स्वामिस्व के अन्तर्गत किसी ऐसे अधिकार, संपत्ति या जानकारी की बाबत प्रतिफल में भी है चाहे—

(अ) उस अधिकार संपत्ति या जानकारी का कब्जा या नियंत्रण संदाय कर्ता के पास है या नहीं

(आ) उस अधिकार, संपत्ति या जानकारी का संदाय कर्ता द्वारा प्रत्यक्षतया प्रयोग किया जाता है या नहीं

(इ) उस अधिकार संपत्ति या जानकारी का अवस्थान भारत में है या नहीं

(iii) “प्रक्रिया” पद के अन्तर्गत सेटलाइट (जिसके अंतर्गत किसी सिगनल की अपलिंकिंग, एम्पलीफिकेशन, डाउन लिंकिंग के लिए संपरिवर्तन भी है) केवल, ऑप्टिक फाइबर द्वारा या किसी अन्य वैसी ही प्रौद्योगिकी द्वारा पारेषण सम्मिलित है;

(iv) “कम्प्यूटर साफ्टवेयर” पद से कार्यक्रम अभिप्रेत है जिसे किसी डिस्क, टेप, छिद्रित माध्यम या अन्यसूचना संग्रह युक्त पर रिकार्ड किया गया कोई कम्प्यूटर कार्यक्रम अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई प्रोग्राम या कोई इलैक्ट्रॉनिक डाटा भी है।

(7)(क) निम्नलिखित द्वारा संदेय तकनीकी सेवाओं के लिए फीस के रूप में आय—

(i) सरकार ;

(ii) कोई निवासी, उस दशा के सिवाय जब यह निम्नलिखित के लिए उपयोग की गई सेवाओं के संबंध में संदेय है—

(अ) भारत से बाहर ऐसे निवासी द्वारा चलाए गए कारबार या वृत्ति; या

(आ) भारत से बाहर किसी स्रोत से ऐसे निवासी द्वारा कोई आय पैदा करना या उपार्जित करना; या

(iii) किसी अनिवासी, यदि यह निम्नलिखित उपयोग की गई सेवाओं की बाबत संदेय है—

(अ) भारत में ऐसे अनिवासी द्वारा चलाए गए कारबार या वृत्ति

(आ) भारत में किसी स्रोत से ऐसे अनिवासी द्वारा कोई अन्य पैदा करना या उपार्जित करना भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुई समझी जाएगी;

(ख) इस उपधारा में “तकनीकी सेवाओं के लिए फीस” से कोई प्रबंध किए फीस, तकनीकी या परामर्श सेवाएं देने के लिए (जिनके अन्तर्गत तकनीकी या अन्य कार्मिकों की सेवा का उपबंध भी है) कोई प्रतिफल (जिसके अन्तर्गत कोई एकमुश्त प्रतिफल भी है) अभिप्रेत है,—

(i) प्राप्तिकर्ता द्वारा आरंभ किए गए किसी संनिर्माण, समुच्चय, खनन या वैसे ही परियोजना के लिए ; या

(ii) जो “वेतन शीर्ष” के अधीन प्रभार्य प्राप्तिकर्ता की आय होगी ;

(8) भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा संदत्त, धारा 2 (49) (प) में निर्दिष्ट किसी राशि की प्रकृति में निम्नलिखित को उद्भूत होने वाली आय—

(क) किसी अनिवासी को जो भारत में एक कंपनी नहीं है, या किसी विदेशी कंपनी को ;

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति को जो धारा 6(13) के अधीन भारत में मामूली तौर पर निवासी नहीं है ;

भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हो समझी जाएगी ।

(9) (क) इस धारा के प्रयोजनों के लिए भारत में “कारबार संबंध” निम्नलिखित सम्मिलित होगा—

(i) भारत में चलाया गया कोई कारबार जिसके मामले में भारत से बाहर सभी संक्रिया या उसका कोई भाग चलाया जाता है ; या

(ii) भारत में महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति ;

(ख) खंड (क) में, भारत में चलाया गया कारबार के अन्तर्गत निम्नलिखित होगा:—

(i) किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से चलाया गया कारबार क्रियाकलाप, जो अनिवासी की ओर से कार्य कर रहा है,—

(अ) जिसके अभ्यसतः संविदाओं करने को अन्तिम रूप देने के लिए

किसी प्राधिकार का प्रयोग किया है या अभ्यसतः उस अनिवासी द्वारा संविदा का अंतिम रूप देने के परिणाम स्वरूप मुख्य भूमिका का निर्वाह करता है और ये संविदाएं—

(I) अनिवासी के नाम से है, या

(II) उस अनिवासी के स्वामित्वाधीन संपत्ति या जिस संपत्ति उस अनिवासी को उपयोग का अधिकार है, के अन्तरण के लिए या संपत्ति में उस अनिवासी के उपयोग के अधिकार को अनुदत्त करने के लिए है; या

(III) अनिवासी द्वारा सेवाओं का उपबंध करने के लिए;

(आ) कोई ऐसा प्राधिकार ही है किन्तु भारत में अनिवासी की ओर से माल या वाणिज्या का अभ्यासतः स्टॉक रखता है जिसको वह अनिवासी की ओर से माल या वाणिज्या का नियमित रूप से परिदान करता है; या

(इ) अभ्यसतः भारत में अनिवासी के लिए या —अनिवासी और अन्य अनिवासियों की ओर से जो नियंत्रण करते हैं या उनके द्वारा नियंत्रित हैं या उसी सम्मिलित नियंत्रण के अदीन रहते हुए जो अनिवासी का है, पूरक रूप से या पूर्ण रूप से आर्डर प्राप्त करता है;

(ii) ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कारबार क्रियाकलाप जो दलाल है, साधारण कमीशन अभिकर्ता या कोई अन्य अभिकर्ता है ऐसा क्रियाकलाप किया जाता है और जो मुख्यतः या पूर्णतः निम्नलिखित की ओर से,—

(अ) किसी अनिवासी (जिसे प्रधान अनिवासी कहा गया है); या

(आ) ऐसे अनिवासी और अन्य अनिवासियों की ओर से कार्य कर रहा है—

(I) जिन्हें प्रधान अनिवासी द्वारा नियंत्रित किया जाता है; या

(II) जो प्रधान अनिवासी नियंत्रण कारी हित रखते हैं;

(III) जो प्रधान अनिवासी के रूप में एक ही समान नियंत्रण के अध्ययधीन है, और ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र प्रास्थिति रखने वाला नहीं समझा जाएगा;

(ग) खंड (क) और खंड (ख) में भारत से बाहर किया गया कारबार के अन्तर्गत किसी अनिवासी का कोई ऐसा कारबार क्रियाकलाप या संक्रियां सम्मिलित नहीं होंगी—

(i) जो किसी दलाल, साधारण कमीशन अभिकर्ता या किसी अन्य अभिकर्ता के द्वारा जिसकी कोई स्वतंत्र प्रास्थिति है किया जाता है यदि ऐसा दलाल साधारण समीशन अभिकर्ता या कोई अन्य अभिकर्ता अपनी कारबार में साधारण अनुक्रम में कार्यकर रहा है ; या

(ii) जो निम्नलिखित में से किसी तक सीमित है—

(अ) भारत से बाहर निर्यात प्रयोजनों के लिए भारत में माल के क्रय; या

(आ) जहां ऐसा अनिवासी, भारत से बाहर पारेषण के लिए भारत में

समाचार और अभिमतों का संग्रहण, ऐसे व्यक्ति की दशा में जो समाचार एजेन्सी के चलाने या समाचारपत्रों, पत्रिकाओं या जर्नलों के कारबार में लगा हुआ है ; या

(इ) ऐसे मामले में, जहां ऐसा अनिवासी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी विशेष जोन में बिना कटे और बिना छंटे हीरे के प्रदर्शन, ऐसी विदेशी कंपनी की दशा में जो हीरों के खनन के कारबार में लगी हुई है ; या

(ई) उस दशा में, जहां ऐसा अनिवासी जो भारत में किसी चल चित्र फिल्म की शूटिंग में लगा हुआ है, जो—

(I) जो ऐसा व्यक्ति है, जो भारत में नागरिक नहीं है; या

(II) जो कोई ऐसी फर्म है जिसका कोई भागीदार नहीं है जो भारत का नागरिक है या जो भारत में निवासी है; या

(III) जो ऐसी कंपनी है जिसका कोई शेयर धारक नहीं है जो भारत का नागरिक है या जो भारत में निवासी है;

(घ) किसी अनिवासी की भारत में महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति वहा होगी, जहां—

(i) भारत में किसी अनिवासी द्वारा किसी माल, सेवाएं या संपत्ति के संबंध में किसी व्यक्ति के साथ किया गया कोई संव्यवहार जिसके अन्तर्गत भारत में डाटा या साफ्ट वेयर को डाउनलोड करने की व्यवस्था भी ही, यदि करवर्ष के दौरान ऐसे संव्यवहार या संव्यवहारों से उदभूत कुल संदाय ऐसी रकम से अधिक है जो विहित की जाए; या

(ii) भारत में कारबार क्रियाकलापों का क्रमबद्ध निरन्तर निवेदन करना या उपभोक्ताओं की ऐसी संस्था के साथ इन्टरएक्शन करवाना, जो विहित की जाए, इस बात को विचार में लाए बिना कि चाहे ऐसे संव्यवहारों या क्रियाकलापों के लिए करार भारत में किया गया है, या अनिवासी के पास भारत में कोई निवास स्थान या कारबार का स्थान है या अनिवासी भारत में सेवाएं प्रदान करता है ;

(ड) खंड (घ) के उपबंध ऐसे संव्यवहारों या क्रियाकलापों को लागू नहीं होंगे जो निर्यात के प्रयोजन के लिए भारत में माल के क्रय तक सीमित हैं ;

(च) इस धारा में केवल ऐसी आय जो युक्तियुक्त रूप से निम्नलिखित के कारण हुई मानी जा सकती है—

(i) भारत में उस समय की गई संक्रियाओं, जब कारबार की सभी संक्रियाएं भारत में नहीं की जाती हैं;

(ii) खंड (घ) में निर्दिष्ट संव्यवहार या क्रियाकलापों के कारण हुई मानी जा सकती है किसी कारबार संपर्क से भारत में प्रोदभूत या उदभूत हुई समझी जाएगी;

(छ) इस उपधारा में किसी कारबार या महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति से हुई मानी जा सकने वाली आय में निम्नलिखित से आय सम्मिलित होगी—

(i) ऐसे विज्ञापन से जिसका लक्ष्य ऐसा ग्राहक है जो भारत में निवास करता है या ऐसा ग्राहक है जिसकी आय में अवस्थित इन्टरनेट प्रोटोकॉल पते के माध्यम

से विज्ञापन तक पहुंच हैं,

(ii) ऐसे व्यक्ति से, जो भारत में निवास करता है या ऐसे व्यक्ति से जो भारत में अवस्थित इन्टरनेट प्रोटोकाल पते का उपयोग करता है एकत्रित डाटा का उपयोग करते हुए भाटा या सेवाओं के विक्रय से आय ; और

(iii) ऐसे व्यक्ति से, जो भारत में निवास करता है या ऐसे व्यक्ति से जो भारत में अवस्थित इन्टरनेट प्रोटोकाल पते का उपयोग करता है एकत्रित डाटा का उपयोग करते हुए माल या सेवाओं के विक्रय से आय ।

(10) उपधारा (2) (घ) में,—

(क) ऐसी किसी आस्ति या पूंजी आस्ति के बारे में, जो भारत के बाहर रजिस्ट्रीकृत या निगमित किसी कंपनी या सत्ता में किसी शेयर या हित के रूप में है, यह समझा जाएगा कि यह भारत में स्थित है, यदि उस शेयर या हित का अपना मूल्य प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः सरवान रूप से भारत में अवस्मित आस्तियों से व्युत्पन्न होता है। चाहे वे मूर्त या अमूर्त हो ;

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट शेयर या हित भारत में अवस्थित आस्तियों (चाहे वे मूर्त हों या अमूर्त हो) से अपना मूल्य सारवान रूप से व्युत्पन्न हुआ समझा जाएगा, यदि विनिर्दिष्ट तारीख को ऐसी आस्तियों का मूल्य—

(i) दस करोड़ रुपए की रकम से अधिक है; और

(ii) यथास्थिति, कंपनी का अस्तित्व के स्वामित्वाधीन सभी आस्तियों के मूल्य का कम से कम पचास प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है;

(ग) किसी आस्ति का मूल्य आस्ति के संबंध में दायित्वों, यदि कोई हों, घटाए बिना ऐसी आस्ति का, विनिर्दिष्ट तारीख को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अवधारित उचित बाजार मूल्य होगा;

(घ) खंड (ग) में “विनिर्दिष्ट तारीख” पद से अभिप्रेत है—

(i) ऐसी तारीख जिसको यथास्थिति कंपनी या अस्तित्व की लेखा अवस्थिति किसी शेयर या हित के अंतरण की तारीख से पूर्व समाप्त होती है; या

(ii) अंतरण की ऐसी तारीख यदि अंतरण की तारीख को, यथास्थिति कंपनी या सत्ता की आस्तियों का वही मूल्य उपखंड (i) में निर्दिष्ट तारीख को आस्तियों के बही मूल्य से 15% अधिक हो जाता है ;

(ड) खंड (घ) में “लेखा अवधि” पद से अभिप्रेत है—

(i) 31 मार्च को समाप्त होने वाली बारह मास की प्रत्येक अवधि ;

(ii) 31 मार्च से भिन्न तारीख को समाप्त होने वाली बारह मास की प्रत्येक अवधि, उस दशा में जहां, खंड (क) में निर्दिष्ट कोई कंपनी या अस्तित्व नियमित रूप से निम्नलिखित के लिए 31 मार्च से भिन्न, किसी दिन को समाप्त होने वाली बारह मास की अवधि को नियमित रूप से अंगीकार करती है,—

(अ) कर प्रयोजनों के लिए, उस राज्य क्षेत्र की, जिसकी वह

निवासी है, कर विधियों के उपबंधों का पालन करने; या

(आ) शेयर या हित धारण करने वाले व्यक्तियों को रिपोर्ट करने ;

(iii) किसी कंपनी या अस्तित्व के रजिस्ट्रीकरण या निगमन की तारीख को प्रारंभ होने वाली अवधि और 31 मार्च को या उपखंड (ii) में निर्दिष्ट ऐसे अन्य दिन को समाप्त होने वाली अवधि, उस दशा में, जहां कंपनी अस्तित्व में आता है और पश्चात्पूर्व लेखा अवधि 12 मास की क्रमवर्ती अवधियां होंगी;

(iv) 1 अप्रैल या उपखंड (ii) में यथालागू ऐसे अन्य दिन को आरंभ होने वाली उस तारीख से ठीक पूर्व तारीख को समाप्त होने वाली जिसको कंपनियां अस्तित्वहीन हो जाता है को आरंभ होने वाली अवधि, उस दशा में जहां कंपनी या अस्तित्व लेखा अवधि की समाप्ति से पूर्व नहीं अस्तित्व में नहीं रह जाता है ।

(च) खंड (क) में उल्लिखित आस्तियों के मामले में, यदि—

(i) किसी अनिवासी अंतरक द्वारा भारत से बाहर रजिस्ट्रीकृत या निगमित किसी कंपनी या अस्तित्व के किसी शेयर या उसमें की गई किसी हित का भारत से बाहर अंतरण किया जाता है ; और

(ii) उस कंपनी या अस्तित्व के प्रत्यक्षतया या अप्रत्यक्षतया स्वामित्वाधीन सभी आस्तियां भारत में अवस्थित नहीं हैं,

तब उपधारा (2) के खंड (घ) में निर्दिष्ट आय भारत में युक्तियुक्त रूप से अवस्थित आस्तियों के कारण माने जा सकने वाले आय का केवल ऐसा भाग होगा और ऐसी रीति में अवधारित किया जाएगा, जो विहित की जाए ;

(छ) उपधारा (2) में निर्दिष्ट आय में भारत से बाहर रजिस्ट्रीकृत या निगमित किसी एक कंपनी के किसी शेयर या किसी कंपनी या अस्तित्व के किसी शेयर या उसमें के हित का भारत से बाहर अंतरण से हुई आय सम्मिलित नहीं होगी,—

(i) यदि भारत से बाहर रजिस्ट्रीकृत या निगमित कंपनी या अस्तित्व का ऐसा शेयर या उसमें का ऐसा हित प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः विनिधान के रूप में किसी अनिवासी द्वारा धारित किया जाता है,—

(अ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता) विनियम, 2014 के अधीन प्रवर्ग 1 या प्रवर्ग 2 विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता में;

1992 का 15

(आ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता) विनियम, 2019 के अधीन प्रवर्ग विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता में;

1992 का 15

(ii) यदि ऐसी कंपनी या अस्तित्व प्रत्यक्षतः भारत में स्थित आस्तियों

का स्वामी है और अंतरक (चाहे वह व्यष्टिक रूप से या उसके सहयुक्त उद्यमों के साथ हो) अंतरण की तारीख से ठीक बारह मास पूर्व किसी भी समय,—

(अ) ऐसी कंपनी या अस्तित्व के संबंध में प्रबंध या नियंत्रण का अधिकार धारण नहीं करता है; और

(आ) ऐसी कंपनी या अस्तित्व में कुल मतदान शक्ति या कुल शेयर पूंजी या कुल हित के पांच प्रतिशत से अधिक मतदान शक्ति या शेयर पूंजी या हित धारण नहीं करता है; या

(iii) अस्तित्व भारत में स्थित आस्तियों की अप्रत्यक्ष रूप से स्वामी है और अंतरक, (चाहे व्यष्टिक रूप से या सहयुक्त उद्यमों के साथ) अंतरण की तारीख से पूर्व बारह मास किसी भी समय,—

(अ) ऐसी कंपनी या अस्तित्व के संबंध में प्रबंध या नियंत्रण का अधिकार धारण नहीं करता है;

(आ) ऐसी कंपनी या अस्तित्व में या उसके संबंध में ऐसा कोई अधिकार धारण नहीं करता है जो उसे ऐसी कंपनी या अस्तित्व जो भारत में स्थित आस्तियों का प्रत्यक्षतः स्वामी है, के प्रबंधन या नियंत्रण के अधिकार के लिए उसे हकदार बनाता हो; और

(इ) ऐसी कंपनी या अस्तित्व में ऐसी मतदान शक्ति या शेयर पूंजी या हित की ऐसी प्रतिशतता धारण नहीं करता है जिसकी परिणति, यथास्थिति, उस कंपनी या अस्तित्व की जो भारत में स्थित आस्तियों की प्रत्यक्षतः स्वामी है, कुल मतदान शक्ति या कुल शेयर पूंजी या कुल हित या पांच प्रतिशत से अधिक मतदान शक्ति शेयर पूंजी या हित धारण करने में, (चाहे व्यष्टिक रूप से उद्यमों के साथ हो) होती है;

(iv) इस खंड में “सहयुक्त उद्यमों” का वही अर्थ होगा जो उसका धारा 162 में है।

(11) उपधारा (5), उपधारा (6) और उपधारा (7) में अनिवासी की आय को भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली समझी जाएगी और उसकी कुल आय में सम्मिलित किया जाएगा, चाहे—

(क) अनिवासी के पास भारत में निवास है या कारबार या कारबार संपर्क का स्थान हो या नहीं; या

(ख) अनिवासी ने भारत में सेवाएं की हैं।

(12) (क) इस धारा में, ऐसी निधि की ओर से कार्य करने वाले किसी पात्र निधि प्रबंधक के माध्यम से किसी पात्र विनिधान निधि द्वारा की गई निधि प्रबंध गतिविधि उस निधि का भारत में कारबार संपर्क गठित नहीं करेगी;

(ख) खंड (क) में उल्लिखित पात्र विनिधान निधि को धारा 6 के अधीन मात्र इस

कारण भारत में एक निवासी के रूप में नहीं कहा जाएगा कि पात्र निधि प्रबंधक उसकी ओर से निधि प्रबंध क्रियाकलाप करने वाला, भारत में स्थित है;

(ग) इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसी पात्र विनिधान निधि की कुल आय से किसी आय को अपवर्जित करने के लिए लागू नहीं होगी जो इस बात पर विचार में लाए बिना इस प्रकार सम्मिलित की गई होती कि चाहे पात्र निधि प्रबंधक के क्रियाकलाप ने ऐसी निधि का भारत में कारबार संपर्क गठित किया हो या नहीं;

(घ) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात का पात्र विनिधान प्रबंधक के मामले में कुल आय की परिधि या कुल आय के अवधारण पर कोई प्रभाव नहीं होगा;

(ङ) पात्र विनिधान निधि या पात्र विधि प्रबंधक होने लिए या अपेक्षित विवरण के प्रस्तुत किए जाने के लिए शर्तें अनुसूची 1 के उपबंध के अनुसार होंगी;

(च) केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा यह विनिर्दिष्ट कर सकेगी कि खंड (ङ) में यथा निर्दिष्ट कोई एक या अधिक शर्तें किसी पात्र विनिधान निधि और इसके पात्र निधि प्रबंध के मामले में विनिर्दिष्ट के साथ ऐसे उपांतरणों के साथ लागू नहीं होंगी या लागू होंगे, यदि—

(i) पात्र निधि प्रबंधक किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में अवस्थित है; और

(ii) उसने 31 मार्च, 2030 को या उससे पहले अपनी संक्रियाएं आरंभ कर दी हैं।

(13) इस धारा में, "के द्वारा" पद से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत "के माध्यम से", "के परिणामस्वरूप" या "के कारण" पद सम्मिलित होंगे।

पुर्तगाली सिविल कोड द्वारा शासित पति या पत्नी के बीच आय का प्रभाजन ।

10. जहां पति और पत्नी गोवा राज्य में और दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्रों में प्रवृत्त सामुदायिक संपत्ति की पद्धति से, (जो 1860 के पुर्तगाली सिविल कोड के अधीन "कम्युनियो डास बैस" के रूप में ज्ञात है) शासित होते हैं, वहां,—

(क) आय के किसी शीर्ष के अधीन उनकी आय ऐसी सामुदायिक संपत्ति के रूप में निर्धारित नहीं की जाएगी, चाहे वह व्यक्तियों के संगम या व्यष्टियों के किसी निकाय के रूप में मानी जाती है;

(ख) वेतन से भिन्न आय के शीर्ष के अधीन खंड (क) में उल्लिखित आय को पति और पत्नी के बीच समान रूप से प्रभारित किया जाएगा;

(ग) इस प्रकार विभाजित की गई आय क्रमशः पति और पत्नी की कुल आय में अलग-अलग सम्मिलित की जाएगी और इस अधिनियम के शेष उपबंध तदनुसार लागू होंगे; और

(घ) जहां पति या पत्नी की वेतन शीर्ष के अधीन कोई आय है, वहां आय उस पति या पत्नी की कुल आय में सम्मिलित की जाएगी जिसने उसे वास्तव में अर्जित किया है।

अध्याय 3

आय जो कुल आय का भाग नहीं है

अ. आय जो कुल आय के अंतर्गत नहीं आती है

11. (1) इस अधिनियम के अधीन किसी कर वर्ष के लिए किसी व्यक्ति की कुल आय की संगणना करने में, अनुसूची II, अनुसूची III, अनुसूची IV अनुसूची V और अनुसूची VI में प्रगणित कोई आय इसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के पूरे किए जाने के अधीन रहते हुए सम्मिलित नहीं की जाएगी।

आय जो कुल आय के अंतर्गत नहीं आती है।

(2) जहां कहीं उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुसूचियों निर्दिष्ट शर्तों को उक्त अनुसूचियों में प्रगणित किसी आय के संबंध में किसी कर वर्ष में पूरा नहीं किया जाता है, वहां ऐसी आय उस कर वर्ष के लिए इस अधिनियम के अधीन कर वर्ष से प्रभारित होगी।

(3) अनुसूची VII में प्रगणित व्यक्ति, इसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के पूरे किए जाने के अधीन रहते हुए, किसी कर वर्ष के लिए कुल आय पर इस अधिनियम के अधीन कर से प्रभार्य नहीं होंगे।

(4) जहां कहीं किसी कर वर्ष में, अनुसूची VII शर्तों को उक्त अनुसूची में प्रगणित व्यक्तियों की बाबत पूरा नहीं किया जाता है, वहां ऐसे व्यक्ति की आय उस कर वर्ष के लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर से प्रभारित होगी।

(5) केंद्रीय सरकार, अनुसूची II, अनुसूची III, अनुसूची IV अनुसूची V, अनुसूची VI और अनुसूची VII में यथाविनिर्दिष्ट इस धारा के प्रयोजनों के लिए नियम बना सकेगी या अधिसूचना जारी कर सकेगी।

आ. आय, जो राजनीतिक दलों और निर्वाचक न्यासों की कुल आय में की कुल आय में सम्मिलित नहीं की जानी हैं

12. (1) इस अधिनियम के अधीन किसी कर वर्ष के लिए किसी राजनीतिक दल या निर्वाचक न्यास की कुल आय की संगणना करने में, अनुसूची VIII में प्रगणित कोई आय, इसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के पूरे किए जाने के अधीन रहते हुए, सम्मिलित नहीं की जाएगी।

आय, जो राजनीतिक दलों और निर्वाचक न्यासों की कुल आय में की कुल आय में सम्मिलित न की गई आय।

(2) जहां कहीं अनुसूची VIII में निर्दिष्ट शर्तें उक्त अनुसूची में प्रगणित किसी आय की बाबत किसी कर वर्ष में पूरी नहीं की जाती हैं, वहां ऐसी आय उस कर वर्ष के लिए इस अधिनियम के अधीन कर से प्रभार्य होंगी।

(3) केंद्रीय सरकार, अनुसूची VIII में यथाविनिर्दिष्ट इस धारा के प्रयोजनों के लिए नियम बना सकेगी या अधिसूचना जारी कर सकेगी।

अध्याय 4

कुल आय की संगणना

अ. आय के शीर्ष

13. इस अधिनियम में, जैसा अन्यथा उपबंधित है, के सिवाय आय-कर के प्रभार और कुल आय की संगणना के प्रयोजनों के लिए सभी आय, आय की निम्नलिखित शीर्षों के अधीन वर्गीकृत की जाएगी,—

आय के शीर्ष।

- (क) वेतन ;
- (ख) गृह संपत्ति से आय;
- (ग) कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ;
- (घ) पूंजी अभिलाभ; और
- (ङ) अन्य स्रोतों से आय ।

कुल आय में सम्मिलित न किए जाने योग्य आय के संबंध में उपगत व्यय।

14. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, इस अध्याय के अधीन कुल आय की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए ऐसी आय के संबंध में, जो कुल आय का भाग नहीं है, निर्धारित द्वारा उपगत व्यय की बाबत कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

(2) जहां निर्धारण अधिकारी का, निर्धारिती के लेखाओं को ध्यान में रखते हुए, ऐसी आय के संबंध में जो इस अधिनियम के अधीन कुल आय का भाग नहीं है,—

- (क) निर्धारिती द्वारा उपगत व्यय के दावे की शुद्धता; या
- (ख) निर्धारिती द्वारा किए गए दावे का कोई व्यय उपगत नहीं किया गया है,

से संतुष्ट नहीं हो जाता है तो वह यथाविहित किसी पद्धति के अनुसार व्यय की ऐसी रकम का अवधारण करेगा।

(3) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट तत्प्रतिकूल किसी बात पर विचार न करते हुए, इस धारा के उपबंध उस मामले को लागू होंगे, जहां कोई व्यय किसी आय के संबंध में जो इस अधिनियम के अधीन कुल आय का भाग नहीं है, किसी कर वर्ष के दौरान उपगत किया गया है किन्तु ऐसी आय उस कर वर्ष के दौरान प्रोद्भूत नहीं हुई है या उद्भूत नहीं हुई है या प्राप्त नहीं हुई है।

आ. वेतन

वेतन ।

15. (1) निम्नलिखित आय "वेतन" शीर्ष के अधीन आय कर से प्रभार्य होगी:—

- (क) कर वर्ष में किसी निर्धारिती को नियोजक से देय कोई वेतन, चाहे वह संदत्त हो या न हो;
- (ख) नियोजक द्वारा या उसकी ओर से कर वर्ष में उसे देय न होते हुए भी या उसे देय होने से पूर्व संदत्त या अनुज्ञात कोई वेतन;
- (ग) नियोजक द्वारा या उसकी ओर से किसी पूर्व कर वर्ष में उसे संदत्त या अनुज्ञात वेतन की कोई बकाया, यदि किसी पूर्वतर कर वर्ष में आय कर से प्रभारित न हो।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, नियोजक के अंतर्गत भूतपूर्व नियोजक भी है।

(3) यदि अग्रिम रूप से संदत्त किसी वेतन को किसी कर वर्ष के लिए किसी व्यक्ति की कुल आय में सम्मिलित किया जाता है तो वहां उसे ऐसे वेतन के देय हो जाने पर उस व्यक्ति की कुल आय में पुनः सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(4) फर्म से फर्म के भागीदार को उस फर्म से देय या प्राप्त कोई वेतन, बोनस या

पारिश्रमिक में, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, इस धारा के प्रयोजनों के लिए वेतन के रूप में नहीं समझा जाएगा।

16. इस भाग के प्रयोजनों के लिए वेतन के अंतर्गत निम्नलिखित हैं:—

वेतन से आय ।

- (क) मजदूरी;
- (ख) कोई वार्षिकी या पेंशन;
- (ग) कोई उपदान;
- (घ) कोई फीस या कमीशन;
- (ङ) परिलब्धियां;
- (च) किसी वेतन या मजदूरी के बदले में या उसके अतिरिक्त लाभ;
- (छ) वेतन का कोई अग्रिम संदाय;
- (ज) किसी कर्मचारी द्वारा ऐसी किसी छुट्टी की अवधि की बाबत, जिसका उसने उपभोग नहीं किया है, प्राप्त कोई संदाय;
- (झ) किसी मान्यताप्राप्त भविष्यनिधि में भाग लेने वाले किसी कर्मचारी के जमा अतिशेष में में हुई वार्षिक अनुवृद्धि उस परिमाण तक, जिस तक वह अनुसूची ग्यारह के भाग अ पैरा 6 के अनुसार कर से प्रभार्य है:—
- (ञ) उन सब राशियों का योग, जो किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में भाग लेने वाले किसी कर्मचारी के अनुसूची 2 के भाग क के पैरा 11(2) में यथा निर्दिष्ट अंतरित अतिशेष में समाविष्ट हैं, विहित उस परिमाण तक जिस तक वह इसके पैरा (4) और (5) के अधीन कर से प्रभार्य है ;
- (ट) कर वर्ष में केंद्रीय सरकार या किसी अन्य नियोजक द्वारा धारा 124 में निर्दिष्ट पेंशन स्कीम के अधीन कर्मचारी के खाते में किया गया अभिदाय; और
- (ठ) केंद्रीय सरकार द्वारा कर वर्ष में धारा 125 में निर्दिष्ट अग्निपथ स्कीम में अभ्यावेशित व्यष्टि के अग्निवीर समग्र निधि खाते में किया गया अभिदाय।

17. (1) इस भाग के प्रयोजनों के लिए, "परिलब्धि" के अंतर्गत निम्नलिखित हैं:—

परिलब्धि ।

- (क) निर्धारिती को उसके नियोजक द्वारा प्रदान की गई किराया मुक्त वास सुविधा का मूल्य, जो ऐसी रीति में जो विहित की जाए, संगणित किया गया है;
- (ख) निर्धारित को उसके नियोजक द्वारा प्रदान की गई यथा विहित ऐसी रीति में संगणित किसी वास सुविधा का किराया विषयक का रियायती दर पर मूल्य, जो निर्धारिती से वसूलनीय या उसके द्वारा संदेय किराये से अधिक है;
- (ग) निम्नलिखित मामलों में निःशुल्क या रियायती दर पर अनुदत्त या प्रदत्त की गई कोई प्रसुविधा या सुख-सुविधा का मूल्य :—

(i) किसी कंपनी द्वारा ऐसे कर्मचारी को, जो उसका निदेशक है, जो कंपनी में पर्याप्त हित रखता है;

(ii) किसी नियोजक द्वारा (जिसके अंतर्गत कंपनी भी है) किसी कर्मचारी [उपधारा (1) में निर्दिष्ट कर्मचारी से भिन्न] की धनीय संदाय (एक या अधिक नियोजकों से) के रूप में "वेतन" शीर्ष के अधीन आय ऐसी

यथाविहित रकम से अधिक है;

(घ) वर्तमान नियोजक या भूतपूर्व नियोजक द्वारा निर्धारिती को निःशुल्क या रियायती दर पर प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से आवंटित या अंतरित किसी विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रमसाध्य शेरों का मूल्य;

(ङ) कोई अन्य फायदा या सुख-सुविधा, जो विहित की जाए, का मूल्य;

(च) किसी ऐसी बाध्यता के संबंध में नियोजक द्वारा संदत्त कोई राशि, जो ऐसे संदाय के न किए जाने के कारण निर्धारिती द्वारा संदेय हुआ होता;

(छ) नियोजक द्वारा निर्धारिती का जीवन बीमा करने के लिए या किसी वार्षिकी की संविदा करने के लिए, चाहे वह प्रत्यक्षतः हो या किसी निधि के माध्यम से हो, निम्नलिखित से भिन्न संदेय कोई राशि,—

(i) मान्यताप्राप्त भविष्य निधि; या

(ii) अधिवर्षिता निधि; या

(iii) निम्नलिखित के अधीन स्थापित निक्षेप संबद्ध बीमा निधि—

(अ) कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 की धारा 3छ; या

1948 का 46

(आ) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 6ग;

1952 का 19

(ज) किसी कर वर्ष में नियोजक द्वारा निर्धारिती के निम्नलिखित खातों में किए गए अभिदाय की कुल रकम का कुल योग, जो 750000 रुपए से अधिक है,—

(i) किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में;

(ii) धारा 124(1) में निर्दिष्ट स्कीम में;

(iii) किसी अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में;

उसी सीमा तक, जहां तक वह किसी कर वर्ष में 7,50,000 रुपए से अधिक है;

(झ) खंड (ज) में निर्दिष्ट निधि या स्कीम के जमा अतिशेष में कर वर्ष के दौरान ब्याज लाभांश या समान प्रकृति की किसी अन्य रकम के रूप में वार्षिक अनुवृद्धि, जिसे (उस सीमा तक, जहां तक वह किसी कर वर्ष में उक्त खंड में निर्दिष्ट अभिदाय से संबंधित है) ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संगणित किया गया है।

(2) उपधारा (1) की कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी,—

(क) नियोजक द्वारा चलाए जा रहे किसी अस्पताल में कर्मचारी या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य को उपलब्ध कराए गए किसी चिकित्सीय उपचार का मूल्य;

(ख) कर्मचारी द्वारा अपनी चिकित्सीय उपचार पर या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के उपचार पर वास्तव में उपगत किसी व्यय के संबंध में संदत्त कोई राशि—

(i) सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा चलाई जा रही किसी अस्पताल में या सरकारी कर्मचारियों के चिकित्सीय उपचार के प्रयोजनों के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य अस्पताल में;

(ii) विहित रोगों या व्याधियों के संबंध में, जो यथाविनिर्दिष्ट मार्गदर्शक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, प्रधान मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया जाता है;

(ग) किसी नियोजक द्वारा किसी कर्मचारी के संबंध में धारा 30(ग) के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित द्वारा अनुमोदित किसी स्कीम के अधीन ऐसे कर्मचारी के अपने स्वास्थ्य का बीमा कराने या उसे प्रवृत्त रखने के लिए संदत्त प्रीमियम का कोई भाग :—

(i) केंद्रीय सरकार; या

(ii) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999;

1999 का 41

(घ) धारा 126 के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित द्वारा अनुमोदित किसी स्कीम के अधीन कर्मचारी द्वारा अपने स्वास्थ्य का या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के स्वास्थ्य का बीमा कराने या उसे प्रवृत्त रखने के लिए संदत्त किसी प्रीमियम की बाबत नियोजक द्वारा संदत्त कोई राशि—

(i) केंद्रीय सरकार;

(ii) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999;

1999 का 41

(ङ) निर्धारिती द्वारा अपने कार्यालय से अपने निवास तक या कार्य के अन्य स्थान तक या ऐसे कार्यालय या स्थान से अपने निवास तक यात्रा के लिए किसी यान के उपयोग के लिए नियोजक द्वारा उपगत कोई व्यय;

(च) कर्मचारी द्वारा वास्तव में निम्नलिखित पर उपगत किसी व्यय की बाबत नियोजक द्वारा कोई व्यय या संदत्त कोई राशि—

(i) कर्मचारी या ऐसे कर्मचारी के कुटुम्ब के किसी सदस्य के भारत के बाहर चिकित्सीय उपचार पर ;

(ii) कर्मचारी या ऐसे कर्मचारी के कुटुम्ब के सदस्य के चिकित्सीय उपचार के लिए विदेश यात्रा पर और विदेश में रहने पर ;

(iii) ऐसे परिवार की, जो ऐसे उपचार के संबंध में रोगी के साथ जाता है, विदेश यात्रा या विदेश में ठहरने पर ।

(3) उपधारा (2)(च) के प्रयोजनों के लिए,—

(क) चिकित्सा उपचार या विदेश में ठहरने पर वह केवल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुज्ञात मात्रा तक परिलब्धियों में से अपवर्जित कर दिया जाएगा ; और

(ख) यात्रा पर व्यय को किसी ऐसे कर्मचारी के मामले में, जिसकी सकल कुल आय, जैसे कि वह उसमें उक्त व्यय को उसमें सम्मिलित करने से पूर्व ही संगणित की गई है, ऐसी रकम से अधिक नहीं है, जो विहित की जाए, परिलब्धियों में अपवर्जित कर दी जाएगी।

(4) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "उचित बाजार मूल्य" से ऐसी पद्धति, जो विहित की जाए, के अनुसार अवधारित मूल्य अभिप्रेत है ;

(ख) किसी व्यष्टि के संबंध में "कुटुम्ब" का वही अर्थ होगा, जो उसका अनुसूची III (टिप्पण 2) में उसका है ;

(ग) "सकल कुल आय" का वही अर्थ होगा, जो उसका धारा 122 की उपधारा (10) में है ;

(घ) "अस्पताल" के अंतर्गत कोई औषधालय, कोई क्लीनिक या कोई नर्सिंग होम है ;

(ङ) "विकल्प" से ऐसा कोई अधिकार न कि कोई बाध्यता अभिप्रेत है जिसे पूर्व अवधारित कीमत पर विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रमसाध्य पूंजी शेयरों के लिए लागू करने के लिए किसी कर्मचारी को प्रदान किया जाता है ;

(च) "विनिर्दिष्ट प्रतिभूति" से प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (ज) में यथापरिभाषित प्रतिभूतियां अभिप्रेत हैं, जहां कर्मचारी का स्टॉक विकल्प, जिसके अंतर्गत ऐसे प्लान या स्कीम के अधीन दिया गया है, वहां उसके अंतर्गत उसके लिए कोई योजना या स्कीम के अधीन प्रस्थापित प्रतिभूतियां भी हैं;

(छ) "श्रमसाध्य साधारण शेयर" से किसी कंपनी द्वारा इसके कर्मचारियों या इसके निदेशकों को बौद्धिक संपदा अधिकारों या मूल्य परिवर्धनों की, चाहे वह जिस नाम से भी ज्ञात हो, प्रकृति की जानकारी प्राप्त करने या अधिकार उपलब्ध कराने के लिए छूट पर नकद से भिन्न प्रतिफल के लिए जारी किए गए साधारण शेयर अभिप्रेत हैं ;

(ज) किसी विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रमसाध्य साधारण शेयरों का मूल्य उस तारीख को, जिसको निर्धारिती द्वारा विकल्प का प्रयोग किया जाता है, ऐसी प्रतिभूति या शेयरों की बाबत निर्धारिती द्वारा वास्तव में संदत या उससे वसूल की गई रकम से घटाकर आया, यथास्थिति, विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रमसाध्य साधारण शेयरों का उचित बाजार मूल्य होगा।

वेतन के बदले लाभ।

18. (1) इस भाग के प्रयोजनों के लिए, "वेतन के बदले लाभ" के अंतर्गत,—

(क) किसी निर्धारिती द्वारा अपने नियोजक या भूतपूर्व नियोजक को देय या उससे निम्नलिखित पर या उसके संबंध में प्राप्त किसी प्रतिकर की रकम,—

(i) उसके नियोजन के पर्यवसान ; या

(ii) उससे संबंधित निबंधनों और शर्तों का उपांतरण ;

(ख) निर्धारिती द्वारा किसी व्यक्ति को देय या उससे प्राप्त, चाहे वह

एकमुश्त हो या अन्यथा प्राप्त कोई रकम,—

- (i) उस व्यक्ति के किसी नियोजन में सम्मिलित होने से पूर्व; या
- (ii) उस व्यक्ति के उसके नियोजन में न रह जाने के पश्चात्;
- (ग) किसी निर्धारिती को देय या उसके द्वारा प्राप्त को संदाय—
 - (i) किसी नियोजक या भूतपूर्व नियोजक से; या
 - (ii) भविष्य निधि या अन्य निधि से उस परिमाण तक, जो निर्धारिती द्वारा अभिदायों या ऐसे अभिदायों पर ब्याज से मिलकर नहीं बनती है;
 - (iii) अनुसूची II (टिप्पण 1) में यथापरिभाषित मुख्य व्यक्ति बीमा के अधीन प्राप्त कोई राशि, जिसके अंतर्गत ऐसी पॉलिसी पर बोनस के रूप में आवंटित राशि भी है।

(2) उपधारा (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट संदाय के अंतर्गत निम्नलिखित में निर्दिष्ट कोई संदाय सम्मिलित नहीं होगा,—

- (क) अनुसूची II (सारणी क्रम सं. 3);
- (ख) अनुसूची II (सारणी क्रम सं. 4);
- (ग) अनुसूची II (सारणी क्रम सं. 8); और
- (घ) अनुसूची III (सारणी क्रम सं. 11);

19. (1) निम्नलिखित सारणी के स्तंभ ख में उल्लिखित प्रकृति की राशियों की बाबत कटौती करने के पश्चात् "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय इसके स्तंभ ग में यथाउल्लिखित रकम से अधिक नहीं होगी,—

वेतन से कटौती।

सारणी		
क्र. सं.	राशि की प्रकृति	कटौती की रकम
(क)	(ख)	(ग)
1.	संविधान के अनुच्छेद 276(2) के अनुसार नियोजन पर कर के रूप में, जो विधि द्वारा या उसके अधीन उद्ग्रहणीय है, निर्धारिती द्वारा संदत्त राशि	
2.	मानक कटौती	(क) जहां आय-कर धारा 202 की उपधारा (1) के अधीन संगणित किया जाता है, वहां 75,000 रुपए या वेतन की रकम, जो भी कम हो; (ख) किसी अन्य मामले में 50,000 रुपए या वेतन की रकम, जो भी कम हो।
3.	उपधारा 2(छ) में यथानिर्दिष्ट प्राप्त संपूर्ण रकम ।	

- मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान
4. रक्षा सदस्यों को लागू पेंशन संहिता या संपूर्ण रकम ।
विनियमों के अधीन प्राप्त सेवा निवृत्ति
उपदान का संदाय
5. उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के ऐसी प्राप्त की गई रकम, जो 1972 का 39
अधीन प्राप्त उपदान उक्त अधिनियम की धारा 4(2)
और (3) के उपबंधों के अनुसार
परिकलित रकम तक निर्बंधित है।
6. किसी कर्मचारी द्वारा प्राप्त कोई ऐसी रकम-
उपदान,— (क) जो प्राप्त वास्तविक उपदान
(i) उसकी अपनी सेवानिवृत्ति पर ; ;
या (ख) केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों
(ii) ऐसी सेवा निवृत्ति से पूर्व उसके को इस निमित्त लागू सीमा को
अक्षम हो जाने पर ; या ध्याम में रखते हुए, अधिसूचना
(iii) उसके नियोजन या पर्यवसान द्वारा केंद्रीय सरकार द्वारा
पर ; या विनिर्दिष्ट रकम का न्यूनतम;
और
(ग) निम्नानुसार परिकलित
प्रत्येक सेवा के प्रत्येक संपूरित
वर्ष के लिए आधे मास का वेतन:
रकम = $1/2(क \times ख)$
क= उस मास, जब ऐसी कोई
घटना घटती है, से ठीक पूर्व दस
मास का औसत वेतन ;
ख= ऐसे संपूरित वर्षों की संख्या
7. निम्नलिखित के अधीन प्राप्त पेंशन के संपूर्ण रकम
सरांशीकरण में किया गया संदाय—
(क) केंद्रीय सरकार के सिविल
पेंशन (सरांशीकरण) ; या
(ख) निम्नलिखित को लागू किसी
वैसी स्कीम के अधीन-
(i) संघ के सिविल सेवाओं
के सदस्य या रक्षा से संबंधित या
संघ के अधीन पदों के धारक
[ऐसे सदस्य या धारक, जो (क)
के अंतर्गत नहीं आते हैं]
(ii) अखिल भारतीय सेवाओं
के सदस्य ;
(iii) रक्षा सेवाओं के

सदस्य ;

(iv) राज्य की सिविल सेवाओं के सदस्य या राज्य के अधीन सिविल पदों के धारक ;

(v) केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकारी या निगम।

8. पेंशन की सरांशिकरण में कोई संदाय किसी अन्य नियोजक से किसी स्कीम के अधीन प्राप्त किया जाता है ।
 सरांशिकृत मूल्य प्राप्तकर्ता की आयु, उसके स्वास्थ्य की दशा, ब्याज की दर और मृत्यु की शासकीय रूप से मान्यतापूर्ण सारणियों को ध्यान में रखते हुए अवधारित किया जाएगा, और
 (क) जहां कर्मचारी ने उपदान प्राप्त किया है वहां पेंशन का 1/3 सरांशिकृत मूल्य, जिसे प्राप्त करने के लिए वह सामान्य रूप से हकदार है ; और
 (ख) किसी अन्य मामले में पेंशन का 1/2 सरांशिकृत मूल्य ;
 (ग) ऐसा सरांशिकृत मूल्य जो प्राप्तकर्ता की आयु, उसके स्वास्थ्य की अवस्था, ब्याज की दर और मृत्यु की शासकीय रूप से मान्यता प्राप्त सारणियों को ध्यान में रखते हुए अवधारित किया गया है।
9. अनुसूची VII.(सारणी-3) में यथाविनिर्दिष्ट किसी निधि से प्राप्त पेंशन के सरांशिकरण में संदाय संपूर्ण रकम।
10. किसी कर्मकार द्वारा उसकी छटर्नी के समय पर प्राप्त प्रतिकर- निम्नलिखित का न्यूनतम-
 (क) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन; या (क) प्राप्त प्रतिकर;
 (ख) किसी अन्य अधिनियम या नियम, आदेश या तदधीन जारी अधिसूचना के अधीन ; या (ख) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25च(ख) के उपबंधों के अनुसार परिकलित रकम ; (ग) ऐसी रकम जो 50000 रु. से कम नहीं है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित

- (घ) किसी अधिनिर्णय, सेवा की संविदा की जाए
या अन्यथा के अधीन
11. क्रम संख्या 10 में निर्दिष्ट प्रतिकर के प्राप्त प्रतिकर
मामले में जहां प्राप्त किया गया ऐसा
प्रतिकर किसी स्कीम के अनुसार है
जिसे केन्द्रीय सरकार इस निमित्त
निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए
अनुमोदन करे-
(क) ऐसे उपक्रम में जिसको ऐसी
स्कीम लागू होती है, कर्मकार को
विशेष संरक्षा देने की आवश्यकता ; और
(ख) अन्य सुसंगत परिस्थितियां
12. उपधारा (2)(ज) में यथानिर्दिष्ट किसी निम्नलिखित का न्यूनतम—
कर्मचारी द्वारा स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति (क) प्राप्त प्रतिकर; और
या स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति की किसी (ख) 5,00,000 रु.
स्कीम या स्कीमों के अधीन सेवा के
पर्यवसान प्राप्त या प्राप्य रकम
13. केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार संपूर्ण रकम
के कर्मचारी द्वारा उसकी सेवानिवृत्ति के
समय चाहे वह अधिवर्षिता या अन्यथा
पर हो, उसके खाते में जमा अर्जित
छुट्टी की अवधि के संबंध में छुट्टी
वेतन के समतुल्य नकदी के रूप में
प्राप्त रकम
14. किसी ऐसे कर्मचारी द्वारा जो केन्द्रीय ऐसी रकम जो निम्नलिखित की
सरकार या राज्य सरकार का कर्मचारी न्यूनतम है -
नहीं है प्राप्त क्रम संख्यांक 13 के (क) उसकी सेवानिवृत्ति, चाहे
सामने निर्दिष्ट प्रकृति का संदाय (ख) अधिवर्षिता या अन्यथा पर, के
समय पर उसके खाते में जमा
अर्जित छुट्टी के संबंध में छुट्टी
वेतन के समतुल्य नकदी (अर्जित
छुट्टी की हकदारी वास्तविक सेवा
के प्रत्येक वर्ष के लिए 30 दिन
से अधिक नहीं होगी);
(ख) रकम "क", जहां
 $क = 10 * ख$
ख = उसकी सेवानिवृत्ति चाहे
अधिवर्षिता या अन्यथा पर हो, से
ठीक पूर्व दस मास की औसत

मासिक वेतन;

(ग) ऐसी रकम जो कन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा उस सरकार के कर्मचारियों को इस निमित्त लागू सीमा को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करे; और
(घ) प्राप्त वास्तविक संदाय ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सारणी के प्रयोजनों के लिए,—

(क) इसके क्रम संख्यांक 6 के सामने मद की बाबत, यदि उपदान या उपदानों को उसी कर वर्ष में एक या अधिक नियोजक से प्राप्त किया गया था (चाहे उपदान किसी पूर्वतर कर वर्ष में प्राप्त किया गया हो या नहीं) तब कटौती की कुल रकम निम्नलिखित से अधिक नहीं होगी—

अ-आ,

जहां,—

अ= केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित सीमा; और

(आ) उपदान या उपदानों की कुल रकम जिसे एक या अधिक पूर्वतर कर वर्षों में प्राप्त किया गया था और जिसे ऐसे कर वर्ष या वर्षों की कुल आय काई छूट या कोई कटौती (चाहे वह पूर्ण हो या भाग) के रूप में अनुज्ञात किया गया था।

(ख) इसके क्रम संख्यांक 6 और क्रम संख्यांक 14 के सामने मदों की बाबत “वेतन” के अन्तर्गत महगाई भत्ता, भी है, यदि नियोजन के निबंधन ऐसा उपबंध करते हैं किन्तु इसके अन्तर्गत सभी अन्य भत्ते और परिलब्धियां नहीं हैं;

(ग) इसके क्रम संख्यांक 10 और क्रम संख्यांक 11 के सामने मदों की बाबत, निम्नलिखित रकमों को छटनी के समय प्राप्त प्रतिकर के रूप में समझा जाएगा :—

(i) ऐसे उपक्रम के बंद होने के समय कर्मकार द्वारा प्राप्त प्रतिकर जिसमें वह नियोजित है;

(ii) ऐसे उपक्रम जिसमें वह नियोजित है उस उपक्रम के संबंध में नियोजक से किसी नए नियोजक के स्वामित्व या प्रबंधन के अंतरण के समय (चाहे वह करार द्वारा हो या, विधि के प्रवर्तन द्वारा) प्राप्त प्रतिकर को यदि—

(अ) कर्मकार की सेवा में ऐसे अंतरण द्वारा व्यवधान पैदा किया गया है ;

(आ) ऐसे अन्तरण के पश्चात् कर्मकार को लागू सेवा के निबंधन और शर्तें किसी भी तरह ऐसे अंतरण से ठीक पूर्व उसे लागू उन निबंधनों और शर्तों से की अपेक्षा कर्मकार के प्रति कम अनुकूल हैं; या

(इ) ऐसा नया नियोजक ऐसे अंतरण के निबंधनों या अन्यथा के

अधीन, अपनी छटनी की दशा में कर्मकार को इस आधार पर प्रतिकर देने के लिए विधिवत: दायी नहीं है कि उसकी सेवा निरन्तर रही है और ऐसे अंतरण द्वारा व्यवधान पैदा नहीं किया गया है;

(घ) इसके क्रम संख्यांक 10 और क्रम संख्यांक 11 के सामने मदों की बाबत, “नियोजक” और “कर्मकार” पदों का क्रमशः वही अर्थ होगा जो 1947 उनका औद्योगिक विवाद अधिनियम में है;

(ङ) इसके क्रम संख्यांक 12 के सामने की मद का उपबंध निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए होगा :—

(i) खंड (ज) के उपखंड (vii) और उपखंड (भ) में निर्दिष्ट उक्त कंपनियों या प्राधिकरणों या सोसाइटियों या विश्वविद्यालयों या संस्थाओं की लागू स्कीमों जो ऐसी रकम के संदाय को शास्ति करती है जिन्हें ऐसे मागदर्शी सिद्धान्तों (जिनमें अन्य बातों के साथ आर्थिक सहायता का मानदंड भी हैं) जो विहित किए जाएं, के अनुसार किए जाते हैं;

(ii) जहां किसी कर वर्ष के लिए उक्त मद की बाबत किसी कर्मचारी को कटौती अनुज्ञात की गई है, वहां तदधीन की गई कटौती उसे किसी अन्य कर वर्ष के संबंध में अनुज्ञात की जाएगी; और

(iii) जहां धारा 157 के अधीन कोई राहत उक्त मद में निर्दिष्ट किसी रकम की बाबत किसी कर वर्ष के लिए निर्धारित को अनुज्ञात की गई है, वहां ऐसी रकम किसी कर वर्ष में प्राप्त या प्राप्त प्रतिकर से कटौती के रूप में अनुज्ञात नहीं की जाएगी;

(च) इसके क्रम संख्यांक 14 के सामने मदों की बाबत, यदि छुट्टी वेतन के समतुल्य नकदी के मदे कोई संदाय उसी कर वर्ष में एक से अधिक नियोजक से प्राप्त की जाती है (चाहे कोई ऐसा संदाय किसी पूर्वतर कर वर्ष में प्राप्त किया गया हो, या नहीं) कटौती की कुल रकम निम्नलिखित से अधिक नहीं होगी—

जहां-

अ - आ

अ = केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट सीमा

आ = उपदान या उपदानों की कुल रकम जिसे एक या अधिक पूर्वतर कर वर्षों में प्राप्त किया गया था और जिसे ऐसे किसी कर वर्ष या वर्षों की कुल आय से कोई छूट या कोई कटौती (चाहे वह पूर्ण या भाग हो) के रूप में अनुज्ञात किया गया था;

(छ) उपधारा (1) (सारणी क्रम संख्यांक 3) में निर्दिष्ट मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपदान—

(अ) केन्द्रीय सरकार की सिविल पेंशन सारांशिकरण नियम

या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के अधीन प्राप्त किया जाएगा; या

(आ) निम्नलिखित को लागू किसी वैसी ही स्कीम के अधीन प्राप्त उपदान—

(i) संघ की सिविल सेवाओं के सदस्यों रक्षा से संबंधित पदों या संघ के अधीन सिविल पदों के धारकों (ऐसे सदस्य या धारक जो उक्त नियमों द्वारा शासित व्यक्ति नहीं हैं);

(ii) अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य;

(iii) किसी राज्य की सिविल सेवाओं के सदस्य या किसी राज्य के अधीन सिविल पदों के धारक; या

(iv) स्थानीय प्राधिकरण के कर्मचारी ;

(ज) उपधारा (1) (सारणी क्रम संख्यांक 12) में यथानिर्दिष्ट स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति की स्कीम निम्नलिखित के कर्मचारियों के लिए होंगी—

(i) कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी (स्वैच्छिक पृथक्करण की स्कीम के अधीन) ; या

(ii) कोई अन्य कंपनी ; या

(iii) केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम के अधीन स्थापित कोई प्राधिकरण ; या

(iv) स्थानीय प्राधिकारी ; या

(v) सहकारी सोसाइटी ; या

(vi) केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या निगमित विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में घोषित कोई संस्था ; या

(vii) प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 3(छ) के अर्थातर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ; या

(viii) केन्द्रीय या कोई राज्य सरकार ; या

(ix) संपूर्ण भारत में या किसी राज्य में या राज्यों में महत्व रखने वाली कोई संस्था जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे; या

(x) प्रबंधन का ऐसा संस्थान, जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।

1956 का 3

1961 का 59

इ. गृह संपत्ति से आय

गृह संपत्ति से आय ।

20. (1) किन्हीं भवनों या उससे संलग्न भूमियों से मिलकर बनी संपत्ति, जिसका निर्धारिती स्वामी है “गृह संपत्ति से आय” शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य होगा ।

(2) उपधारा (1) के उपबंध ऐसी संपत्ति के ऐसे भागों को लागू नहीं होंगे, जो निर्धारिती द्वारा, उसके कारबार या वृत्ति के लिए अधिभोग में रख सके, जिसके लाभ आय-कर से प्रभार्य होंगे ।

वार्षिक मूल्य का अवधारण ।

21. (1) धारा 20 के प्रयोजनों के लिए, किसी संपत्ति का वार्षिक मूल्य निम्नलिखित से अधिक होगा :—

(क) वह राशि जिसके लिए इसकी वर्षानुवर्ष किराए पर दिए जाने की युक्तियुक्त रूप से प्रत्याशा की जाती है ; या

(ख) स्वामी द्वारा प्राप्त या प्राप्त वास्तविक किराया, यदि संपत्ति या इसका भाग किराए पर दिया जाता है।

(2) यदि संपत्ति या इसका कोई भाग किराए पर दिया जाता है और संपूर्ण कर वर्ष या इसके किसी भाग के लिए और ऐसी रिक्ति के कारण खाली था तो उसके संबंध में स्वामी द्वारा प्राप्त या प्राप्य वास्तविक किराया उपधारा (1) (क) में निर्दिष्ट राशि से कम है, तो ऐसी संपत्ति का वार्षिक मूल्य इस प्रकार प्राप्त या प्राप्य रकम के रूप में समझी जाएगी ।

(3) संपत्ति का वार्षिक मूल्य ऐसी संपत्ति के संबंध में किसी स्थानीय प्रभावकारी द्वारा उदगृहीत करें (जिनमें सेवा कर भी हैं) जिसे स्वामी द्वारा उस समय को ध्यान में न रखते हुए जब ऐसे कर संदेय हो जाते हैं कर वर्ष के दौरान वास्तव में संदत्त किया गया हैं, से घटा दिया जाएगा।

(4) ऐसा किराया जिसे स्वामी द्वारा वसूल नहीं किया जा सकता ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त बनाए जाएं, प्राप्त या प्राप्त वास्तविक किराए की संगणना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

(5) जहां संपत्ति स्टॉक व्यापार के रूप में धारित की जाती है और कर वर्ष के दौरान किसी भी समय संपूर्णतया या भागतः किराये पर नहीं दी जाती है वहां ऐसी संपत्ति या उसके भाग का वार्षिक मूल्य उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से जिसमें संनिर्माण के समापन का प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त किया जाता है, के अंत से दो वर्ष के लिए शून्य होगा ।

(6) किसी गृह या उसके किसी भाग से मिलकर बनी संपत्ति का वार्षिक मूल्य कुछ नहीं माना जाएगा, यदि स्वामी इसे अपने ही निवास के लिए अधिभोग में रखता है या उसको अधिभोग में वस्तुतः किसी कारण से नहीं रख सकता है ।

(7) उपधारा (6) के उपबंध—

(क) केवल ऐसे दो गृहों की बाबत लागू होंगे जो इस निमित्त निर्धारिती द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं;

(ख) यदि गृह या उसका कोई भाग वास्तव में कर वर्ष के दौरान किसी भी समय किराए पर दिया जाता है या यदि स्वामी इससे कोई अन्य ज्यादा प्राप्त करता है, को लागू नहीं होंगे ।

22. (1) “गृह संपत्ति से आय” शीर्ष के अधीन आय निम्नलिखित कटौतियां करने के पश्चात् संगणित की जाएगी :—

गृह संपत्ति से आय में से कटौतियां ।

(क) धारा 21 के अधीन यथा अवधारित वार्षिक मूल्य का 30% ;

(ख) जहाँ संपत्ति का अर्जन संनिर्माण, मरम्मत, नवीकरण, या पुनर्निर्माण उधार ली गई पूंजी से किया गया है वहाँ ऐसी पूंजी पर संदेय किसी ब्याज की रकम ।

(ग) जहां खंड (ख) में निर्दिष्ट पूंजी उस कर वर्ष के पूर्व किसी अवधि के दौरान उधार ली जाती है जिसमें संपत्ति अर्जित की गई या संनिर्मित की गई है वहां उक्त कर वर्ष के लिए पांच समान किश्तों में उक्त पूर्व अवधि के लिए और ठीक उत्तरवर्ती चार कर वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के लिए संदेय किसी ब्याज की रकम ।

(2) उपधारा (21) (6) में निर्दिष्ट संपत्ति या संपत्तियों की दशा में, उपधारा (1) (ख) के अधीन कटौती की कुल रकम निम्नलिखित से अधिक नहीं होगी—

(क) निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए 200000 रुपए—

(i) पूंजी अर्जन या संनिर्माण उधार ली गई पूंजी से किया गया है ऐसा अर्जन या संनिर्माण ऐसे कर वर्ष की समाप्ति से, जिसमें पूंजी उधार ली गई थी, पाँच वर्ष के भीतर पूरा कर लिया जाता है ;

(ii) निर्धारिती ऐसे व्यक्ति से प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है जिसको ब्याज ऐसी पूंजी पर संदेय है, और

(ख) अन्य मामले में 30000 रुपए ।

(3) उपधारा 22(1) (ग) के अधीन कटौती इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंधों के अधीन कटौती के रूप में पहले से ही अनुज्ञात किसी रकम को घटा करने के पश्चात् संगणित की जाएगी ।

(4) उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट होगा :—

(क) उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज की रकम ; और

(ख) किसी नए ऋण पर संदेय ब्याज, जहां उधार ली गई पूंजी के बाद, निर्धारिती ने ऐसी सम्पूर्ण पूंजी या उसके किसी भाग के प्रतिसंदाय के लिए ऐसा कोई ऋण लिया है।

(5) धारा 21(6) में निर्दिष्ट प्रकृति की संपत्तियों की बाबत उपधारा (2) के अधीन कटौती की रकम का योग 200000 रुपए से अधिक नहीं होगा ।

(6) इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य कोई ब्याज जो भारत से बाहर संदेय है इस धारा के अधीन तब तक कटौती के रूप में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक—

(क) अध्याय 19-ख के अधीन ऐसे ब्याज पर कर का संदाय कर दिया गया है या उसकी कटौती की गई है; और

(ख) ऐसे ब्याज के संबंध में, धारा 306 के अनुसार भारत में कोई अभिकर्ता

नहीं है।

किराया और बाद में प्राप्त हुआ अवसूलीकृत किराया ।

23. (1) किसी निर्धारिती द्वारा किसी किराएदार से प्राप्त किराए की बकाया रकम या किसी किराएदार से वसूल न किए गए किराए की पश्चात् वर्ष वसूल की गई रकम को उस कर वर्ष जिसमें ऐसा किराया प्राप्त किया जाता है या वसूल किया जाता है, कि बाबत गृह संपत्ति से आय समझी जाएगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन गृह संपत्ति से प्राप्त आय के रूप में समझी गई रकम “गृह संपत्ति से आय” शीर्ष के अधीन निर्धारिती की कुल आय में सम्मिलित की जाएगी चाहे निर्धारिती उस कर वर्ष में संपत्ति का स्वामी है या नहीं ।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किराए या वसूल न किए गए किराए के बकाया के 30% के बराबर राशि को कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा ।

सहस्वामियों के स्वामित्वाधीन संपत्ति ।

24. (1) निश्चित और अभिनिश्चित योग्य शेयर वाली सहस्वामित्वधीन संपत्ति के लिए, सह स्वामीयों का निर्धारण व्यक्तियों के संगम के रूप में नहीं किया जाएगा और इस अध्याय के अधीन उनके अपने-अपने शेयरों के अनुसार इस भाग के अधीन पृथक रूप से संगणित आय उनकी कुल आय में सम्मिलित की जाएगी ।

(2) धारा 21(6) के अधीन उपलब्ध रहता इसी प्रकार प्रदान की जाएगी मानो प्रत्येक सह स्वामी व्यक्ति के रूप से उक्त राहत के लिए हकदार हो ।

निर्वचन ।

25. धारा 20 से धारा 24 के प्रयोजनों के लिए किसी संपत्ति या उसके किसी भाग के संबंध में “स्वामी” के अन्तर्गत निम्नलिखित सम्मिलित होगा—

(क) ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी संपत्ति की पति या पत्नी (अलग-अलग रहने के लिए करार के अधीन के सिवाय) को या किसी अवयस्क बालक (विवाहित पुत्री से भिन्न) को बिना पर्याप्त प्रतिफल अन्तरित करता है,

(ख) अविभाज्य सम्पदा का धारक और वह संपदा में समाविष्ट सभी संपत्तियों की बाबत एक व्यष्टिक स्वामी समझा जाएगा;

(ग) सहकारी सोसाइटी, कंपनी या व्यक्तियों का अन्य संगम का सराय जिसको भवन या उसका भाग सोसाइटी की गृह निर्माण स्कीम के अधीन आवंटित किया जाता है या पट्टे पर दिया जाता है

(घ) कोई ऐसा व्यक्ति जिसे किसी भवन या उसके भाग को संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 53 क में निर्दिष्ट प्रकृति की संविदा के भागिक पालन में प्राप्त करता है या प्रतिधारित करने के लिए अनुज्ञात किया जाता है;

(ङ) ऐसा कोई व्यक्ति जो किन्हीं अधिकारों को मास दर या मास (एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पट्टे के रूप में किन्हीं अधिकारों को छोड़कर) किसी भवन या इसके भाग में या उसके संबंध में,—

(i) 12 वर्ष से अन्यून अवधि के लिए विक्रय या विनिमय या मूल या विस्तारणीय पट्टे के माध्यम से ऐसी संपत्ति के अन्तरण के आधार पर;

(ii) किसी संव्यवहार (चाहे वह किसी सहकारी सोसाइटी, कंपनी या व्यक्तियों के अन्य संगम के संदाय बनने या उसके शेयर उपार्जित करने के

रूप में हो या किसी करार या किसी ठहराव वह जिस भी प्रकृति का हो या के रूप में हो) जो ऐसे विक्रय, विनियम या पट्टे जो ऐसी संपत्ति को उपयोग करने का प्रभाव रखता है, के रूप में संव्यवहार नहीं हैं, से प्रोदभूत या उदभूत होने वाले अधिकार ।

ई. कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ

26. (1) उपधारा (2) में निर्दिष्ट आय "कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य होगी ।

"कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ" शीर्षक के अधीन आय ।

(2) उपधारा (1) के अधीन आय में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे—

(क) कर वर्ष के दौरान किसी भी समय निर्धारित द्वारा किए गए किसी कारबार या वृत्ति से होने वाले लाभ और अभिलाभ;

(ख) किसी व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, उदग्रहणीय या उसके द्वारा प्राप्त कोई प्रतिकर या अन्य भुगतान,—

(i) पूर्णतः या पर्याप्त रूप से निम्नलिखित मामलों का प्रबंधन करना—

(अ) किसी भारतीय कंपनी का; या

(आ) भारत में किसी अन्य कंपनी का; या

(ii) किसी अन्य व्यक्ति की कारबार क्रियाकलापों के किसी भाग के लिए भारत में कोई एजेंसी रखना; या

(iii) कारबार से संबंधित किसी संविदा के लिए,

यथास्थिति, प्रबंधन, कार्यालय, अभिकरण या संविदा की समाप्ति के संबंध में, या उससे संबंधित नियमों और शर्तों में संशोधन;

(ग) किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संपत्ति या कारबार के प्रबंधन को सरकार में निहित करने के लिए, किसी भी प्रवृत्त विधि के अधीन सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रित किसी भी निगम सहित, उदग्रहणीय या उसके द्वारा प्राप्त कोई प्रतिकर या भुगतान;

(घ) किसी व्यापार, वृत्तिक या समान संघ द्वारा अपने सदस्यों के लिए की गई विशिष्ट सेवाओं से प्राप्त आय;

(ङ) आयात अनुज्ञप्ति के विक्रय, निर्यात के प्रति नकद सहायता, शुल्क वापसी या शुल्क छूट या कोई अन्य निर्यात प्रोत्साहन पर प्राप्त या प्राप्य किसी लाभ;

(च) कारबार या किसी वृत्ति के प्रयोग से उत्पन्न किसी फायदे या परिलब्धि का मूल्य, चाहे वह—

(i) धन में संपरिवर्तनीय है या नहीं; या

(ii) नकद या वस्तु के रूप में या आंशिक रूप से नकद और आंशिक रूप से वस्तु के रूप में;

(छ) कोई ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, वह रकम जो किसी फर्म के भागीदार को उदग्रहणीय है या उसे फर्म से उस फर्म की आय की संगणना में कटौती के रूप में धारा 35(ड) के अधीन अनुज्ञात सीमा तक प्राप्त होती है;

(ज) कोई भी रकम, नकद या वस्तु के रूप में प्राप्त या प्राप्य—

(i) किसी कारोबार या वृत्ति के संबंध में कोई गतिविधि नहीं करने के लिए एक करार के अधीन, जो कि—

(अ) किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण, उत्पादन या प्रसंस्करण के अधिकार या किसी कारबार या वृत्ति को चलाने के अधिकार के अंतरण के कारण प्राप्त कोई भी विचार जो "पूंजीगत लाभ" शीर्षक के अधीन प्रभाष्य है;

(आ) भारत सरकार के साथ किए गए करार की शर्तों के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अधीन ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बहुपक्षीय कोष से प्रतिकर के रूप में प्राप्त कोई रकम; या

(ii) किसी तकनीकी जानकारी, पेटेंट, प्रतिलिप्याधिकार, व्यापार चिन्ह, अनुज्ञप्ति, फ्रैंचाइज़ या समान प्रकृति के किसी अन्य कारबार या वाणिज्यिक अधिकार, या सूचना या तकनीकी जानकारी या तकनीक को साझा न करने के लिए एक करार के अधीन, जो वस्तुओं के विनिर्माण या प्रसंस्करण या सेवाओं के उपबंध में सहायता करने की संभावना है;

(झ) किसी प्रमुख व्यक्ति बीमा पॉलिसी के अंतर्गत प्राप्त कोई रकम, जिसमें ऐसी पॉलिसी पर बोनस के रूप में आबंटित रकम भी शामिल है;

(ञ) इन्वेंट्री का उचित बाजार मूल्य उस तारीख को, जिस दिन इसे पूंजीगत आस्ति में परिवर्तित किया जाता है या पूंजीगत आस्ति के रूप में माना जाता है, ऐसी रीति से जो विहित की जाए, निर्धारित किया जाता है; और

(ट) कोई रकम जो नकद या वस्तु के रूप में प्राप्त या प्राप्य है, जब—

(i) भूमि या सद्भावना या वित्तीय साधन के अलावा किसी पूंजीगत आस्ति को ध्वस्त, नष्ट, त्याग दिया या अन्तरित कर दिया जाता है; और

(ii) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35आई या इस अधिनियम की धारा 46 के अधीन उस पर किया गया सम्पूर्ण व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञात किया गया है ।

(3) जहां किसी निर्धारिती द्वारा किए गए सट्टा संव्यवहार ऐसी प्रकृति के हैं कि वे कारबार का गठन करते हैं, कारबार (जिसे इसमें सट्टा कारबार कहा गया है) को किसी अन्य कारबार से अलग और पृथक माना जाएगा ।

(4) स्वामी द्वारा किसी आवासीय गृह या उसके किसी भाग को किराये पर देने से होने वाली आय को उपधारा (1) के अंतर्गत आय में शामिल नहीं किया जाएगा तथा वह केवल "गृह संपत्ति से आय" शीर्षक के अंतर्गत प्रभाष्य होगी ।

27. धारा 26 में विनिर्दिष्ट आय की संसंगणना धारा 58 को छोड़कर धारा 28 से धारा 60 के उपबंधों के अनुसार की जाएगी ।

कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभों की संगणना करने की रीति ।

28. (1) कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए पूर्णतः और अनन्य रूप से उपयोग किए जाने वाले परिसर, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर के संबंध में निम्नलिखित रकम कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाएगी:—

किराया, दरें, कर, मरम्मत और बीमा ।

(क) नुकसानी या विनाश के जोखिम के विरुद्ध बीमा के संबंध में भुगतान किया गया कोई प्रीमियम;

(ख) भूमि राजस्व, स्थानीय दरें या संदत्त नगरपालिका कर का भुगतान;

(ग) संदत्त किया गया किराया, जब परिसर पर निर्धारिती के किरायेदार के रूप में अधिभोग में हो;

(घ) परिसरों की चालू मरम्मत के लिए भुगतान की गई रकम, जो पूंजीगत व्यय की प्रकृति की नहीं है, जब परिसर किरायेदार से अन्य या भिन्न निर्धारिती के अधिभोग में हो;

(ङ) मरम्मत के खर्च के मददे संदत्त रकम जो पूंजीगत व्यय की प्रकृति की उस समय नहीं है, जब परिसर किरायेदार के रूप में निर्धारिती द्वारा अधिभोग में रखी जाती है जहां उसने परिसरों की मरम्मत के खर्च को व्यहन करने की जिम्मेदारी ली है ; और

(च) मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर की चालू मरम्मतों के मददे संदत्त रकम जो पूंजीगत व्यय की प्रकृति की नहीं है ।

(2) ऐसे मामले में, जहां परिसर, भवन, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर का उपयोग आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से और अनन्य रूप से कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाता है, उपधारा (1) के अधीन स्वीकार्य कटौती, कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए उपयोग को ध्यान में रखते हुए, निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित उचित आनुपातिक भाग तक सीमित होगी ।

29. (1) निम्नलिखित राशियां, किसी ऐसे निर्धारिती की दशा में जो नियोजक है, जब अनुदान के रूप में निर्धारिती द्वारा भुगतान की जाती हैं, धारा 26 के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने में कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाएगी:—

कर्मचारी कल्याण से संबंधित कटौतियाँ ।

(क) किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि या अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में दिया गया कोई अंशदान के रूप में संदत्त कोई राशि निम्नलिखित के अधीन रहते हुए—

(i) भविष्य निधि को मान्यता देने या अधिवर्षिता निधि को मंजूरी देने के लिए सीमाएं, जो विहित की जाएं; और

(ii) ऐसी शर्तें, जो बोर्ड द्वारा उन मामलों के लिए विनिर्दिष्ट की जाएं, जहां अंशदान वार्षिक रूप से या तो निश्चित रकम के रूप में नहीं किया जाता है, या वार्षिक अंशदान "वेतन" शीर्ष के अंतर्गत प्रभार्य आय या अंशदान या निधि के सदस्यों की संख्या के संदर्भ में कुछ निश्चित आधार पर नियत नहीं किया जाता है;

(ख) धारा 124 में विनिर्दिष्ट पेंशन योजना में किसी कर्मचारी के लिए कर वर्ष में कर्मचारी के वेतन के 14% तक का कोई अंशदान के रूप में वहां संदत्त कोई राशि जहां ऐसे वेतन में महंगाई भत्ता शामिल है, यदि रोजगार की शर्तों में ऐसा

उपबंध है, किन्तु अन्य सभी भते और परिलब्धियां शामिल नहीं हैं;

(ग) किसी अप्रतिसंहरणीय न्यास के अधीन निर्धारिती द्वारा अपने कर्मचारियों के अनन्य फायदे के लिए सृजित की गई अनुमोदित उपदान निधि में दिया गया कोई अंशदान के रूप में संदत्त कोई राशि ;

(घ) उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात को ध्यान में न रखते हुए, अनुमोदित उपदान निधि में अंशदान करने के प्रयोजनार्थ या कर वर्ष के दौरान उदग्रहणीय किसी उपदान के भुगतान के प्रयोजनार्थ किया गया कोई उपबंध;

(ड) (i) निर्धारिती द्वारा किसी कर्मचारी से प्राप्त अंशदान की रकम, जिस पर धारा 2(49)(ण) के उपबंध लागू होते हैं, यदि निर्धारिती द्वारा इसे नियत तारीख तक सुसंगत निधि या निधियों में कर्मचारी के खाते में जमा कर दिया जाता है;

(ii) उपखंड (i) के प्रयोजनों के लिए, "उदग्रहणीय तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है, जिसके द्वारा निर्धारिती को अनुदान के रूप में किसी अधिनियम, नियम, आदेश या उसके अधीन जारी अधिसूचना या किसी स्थायी आदेश, पंचाट, सेवा संविदा या अन्यथा के अधीन सुसंगत निधि में किसी कर्मचारी के खाते में कर्मचारी अंशदान जमा करना आवश्यक होता है और धारा 37 के उपबंध इस खंड के अधीन "उदग्रहणीय तारीख" अवधारित करने के लिए लागू नहीं होंगे ।

(2) (क) उपधारा (1)(घ) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी भी कारण से कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति या सेवा समाप्ति पर उन्हें उपदान के भुगतान के लिए किए गए किसी उपबंध के लिए कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी; और

(ख) यदि उपधारा (1)(घ) के अधीन किए गए किसी उपबंध के लिए कटौती की अनुज्ञात की गई है, तो ऐसे उपबंध से किए गए वास्तविक भुगतान पर कोई कटौती की अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

(3) निर्धारिती द्वारा किसी निधि, न्यास, कंपनी, व्यक्तियों के संगम, व्यक्ति निकाय, सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत सोसायटी या किसी अन्य संस्था की स्थापना या गठन, या किसी प्रयोजन के लिए उसमें अंशदान के रूप में अनुदान के रूप में भुगतान की गई किसी रकम के संबंध में कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की किसी अन्य प्रवृत्त विधि द्वारा जहां या उसके अधीन जाएगी, सिवाय इसके कि जहां ऐसी रकम उपधारा (1)(क) या (1)(ख) या (1)(ग) द्वारा या उसके अंतर्गत प्रदान किए गए प्रयोजनों और सीमा तक, या उसके अधीन अपेक्षित रूप में भुगतान की गई हो ।

1860 का 21

कतिपय प्रीमियम पर कटौती ।

30. धारा 26 के अधीन उदग्रहणीय आय की संसंगणना में निम्नलिखित रकमयों को प्रीमियम भुगतान के रूप में कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा:—

(क) किसी निर्धारिती द्वारा कारोबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले स्टॉक या भंडार के नुकसान या विनाश के जोखिम के विरुद्ध बीमा के संबंध में;

(ख) किसी संघीय दुग्ध सहकारी सोसाइटी द्वारा किसी सहकारी समिति के सदस्य के स्वामित्वाधीन वाले मवेशियों के जीवन पर बीमा कराने या उसे प्रवृत्त रखने के लिए, जो ऐसी संघीय दुग्ध सहकारी सोसाइटी को अपने सदस्यों द्वारा उत्पादित दूध की आपूर्ति करने में लगी एक प्राथमिक सोसाइटी है;

(ग) निर्धारिती द्वारा, अनुदान के रूप में, नकद के अलावा किसी अन्य भुगतान के माध्यम से, इस संबंध में तैयार की गई स्कीम के अधीन अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर बीमा कराने या उसे लागू रखने के लिए—

1972 का 57

(i) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 9 के अधीन गठित और केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित भारतीय साधारण बीमा निगम; या

1999 का 41

(ii) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 3(1) के अधीन स्थापित और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कोई अन्य बीमाकर्ता ।

31. (1) नीचे दी गई सारणी के स्तंभ ग में उल्लिखित रकम, स्तंभ ख में विनिर्दिष्ट निर्धारिती द्वारा खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए किए गए किसी भी उपबंध के संबंध में, धारा 26 के अधीन प्रभार्य आय की संगणना में कटौती के रूप में दी जाएगी ।

इबंत ऋण के लिए कटौती तथा इबंत एवं संदिग्ध ऋण के लिए उपबंध ।

सारणी

क्र.सं.	विनिर्दिष्ट निर्धारिती	कटौती की रकम
क	ख	ग
1.	(क) कोई अनुसूचित बैंक, भारत से बाहर किसी देश की विधि द्वारा या उसके अंतर्गत निगमित बैंक को छोड़कर; या (ख) कोई गैर-अनुसूचित बैंक; या (ग) सहकारी बैंक, सिवाय— (i) कोई प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी; या (ii) एक प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक;	(क) इस खंड और अध्याय VIII के अधीन कोई कटौती करने से पहले संगणना की गई कर वर्ष की कुल आय का 8.5% से अधिक नहीं, और ऐसी रीति में जो विहित की जाए, संगणना की गई ग्रामीण शाखाओं द्वारा किए गए कुल औसत अग्रिमों के 10% तक की अतिरिक्त रकम; (ख) स्तंभ ख के खंड (क) और (ख) में उल्लिखित निर्धारिती के लिए, उसके विकल्प पर, खंड (क) से अधिक अतिरिक्त रकम, किंतु केंद्र सरकार द्वारा तैयार की गई स्कीम के अनुसार प्रतिभूतियों के मोचन से आय से अधिक नहीं, जब ऐसी आय को आय-कर विवरणी में "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्षक के अंतर्गत प्रकट किया गया हो ।
2.	(क) भारत से बाहर किसी देश की विधि द्वारा या उसके अधीन निगमित बैंक; या	VIII के अधीन कोई कटौती करने से पहले संगणना की गई कर वर्ष की कुल आय का 5% से अधिक नहीं ।

(ख) कोई
सार्वजनिक वित्तीय
संस्था या राज्य वित्तीय
निगम या राज्य
औद्योगिक निवेश
निगम; या
(ग) एक गैर-
बैंककारी वित्तीय
कंपनी ।

(2) कर वर्ष में डूबंत ऋण की कोई रकम, या उसका कोई भाग, जिसमें ऐसी रकम को निर्धारिती के खातों में वसूली न किए जाने योग्य के रूप में बट्टे खाते में डाल दिया जाता है, धारा 26 के अधीन प्रभार्य आय की संसंगणना में कटौती के रूप में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुज्ञात की जाएगी:—

(क) इसे उस कर वर्ष की, जिसमें इसे बट्टे खाते में डाला गया है, या किसी पूर्ववर्ती कर वर्ष की, निर्धारिती की आय की संसंगणना करते समय ध्यान में रखा गया है, या यह बैंककारी या धन उधार देने के कारबार के सामान्य अनुक्रम में उधार दिए गए धन का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे निर्धारिती द्वारा चलाया जाता है;

(ख) यदि किसी ऐसे ऋण या ऋण के भाग पर अंततः वसूल की गई रकम ऋण या भाग तथा इस प्रकार कटौती की गई रकम के बीच के अंतर से कम है, तो वह कमी उस कर वर्ष में कटौती योग्य होगी जिसमें अंतिम वसूली की गई है; और

(ग) जहां यह किसी ऐसे निर्धारिती से संबंधित है जिसको उपधारा (1) लागू होती है,—

(i) केवल वह रकम जो उपधारा (1) के अधीन डूबंत और संदिग्ध ऋणों के लिए किए गए उपबंध खाते में जमा शेष से अधिक है, कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाएगी;

(ii) ऐसी रकम केवल तब अनुज्ञात की जाएगी जब निर्धारिती ने डूबंत ऋण की किसी रकम या उसके भाग को उस कर वर्ष जिसके लिए, उस उपधारा के अधीन किए गए डूबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध खाते में विकलित किया गया है; और

(iii) पूर्वोक्त खाता उपधारा (1) के अधीन केवल एक ऐसा खाता होगा और ऐसा खाता ग्रामीण शाखाओं द्वारा दिए गए अग्रिमों सहित सभी प्रकार के अग्रिमों से संबंधित होगा ।

(3) उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए,—

(क) किसी डूबंत ऋण या उसके उस भाग को, जिसे वसूली योग्य नहीं माना गया है, डूबंत और संदिग्ध ऋण के लिए कोई उपबंध सम्मिलित नहीं होगा;

(ख) निर्धारिती की आय की संसंगणना करने में, जिसमें डूबंत ऋण की रकम

या उसका भाग अप्रतिसंहरणीय हो जाता है, या किसी पूर्ववर्ती कर वर्ष की, धारा 276 (2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना और प्रकटीकरण मानकों के अनुसार, उसे खातों में अभिलिखित किए बिना ध्यान में लिया गया है, उस कर वर्ष के निर्धारित की आय की संगणना करने में कटौती के रूप में दी जाएगी, जिसमें वह डूबंत हो जाता है और ऐसा डूबंत ऋण या उसका भाग उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए खातों में अप्रतिसंहरणीय के रूप में अपलिखित हुआ समझा जाएगा।

32. धारा 26 के अधीन प्रभार्य आय की संसंगणना में निम्नलिखित रकमों को कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा:—

अन्य
कटौतियाँ।

(क) किसी कर्मचारी को प्रदान की गई सेवाओं के लिए दिया गया बोनस या कमीशन, किन्तु केवल तब जब ऐसी रकम कर्मचारी को लाभ या लाभांश के रूप में उदग्रहणीय नहीं होती यदि वह बोनस या कमीशन के रूप में भुगतान नहीं की गई होती;

(ख) कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए उधार ली गई पूंजी के संबंध में दिया गया ब्याज, जहां—

(i) ऐसा ब्याज में किसी आस्ति के अर्जन के लिए उधार ली गई पूंजी पर ब्याज शामिल नहीं होगा, चाहे वह लेखा पुस्तकों में पूंजीकृत हो या नहीं, आस्ति के अर्जन के लिए पूंजी उधार लेने की तारीख से लेकर आस्ति के पहली बार उपयोग में लाए जाने की तारीख तक की किसी भी अवधि के लिए;

(ii) म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटियों में शेयरधारकों या अभिदाताओं द्वारा ऐसी शर्तों को, जो विहित की जाएं, पूरा करते हुए आवधिक रूप से भुगतान किए गए आवर्ती अंशदान को उधार ली गई पूंजी माना जाएगा;

(ग) किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्था द्वारा लघु उद्योगों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट को दिया गया अंशदान, जिसे केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे;

(घ) शून्य कूपन बांड पर छूट की आनुपातिक रकम, ऐसे बांड की जीवन अवधि को ध्यान में रखते हुए, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संगणना की जाएगी, जहां—

(i) "छूट" से बांड जारी करने वाली अवसंरचना पूंजी कंपनी या अवसंरचना पूंजी निधि या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी या अनुसूचित बैंक द्वारा प्राप्त या प्राप्य रकम अभिप्रेत है और ऐसे बांड की परिपक्वता या मोचन पर संउदग्रहणीय रकम के बीच के अंतर अभिप्रेत है;

(ii) "बांड की जीवन अवधि" से बांड जारी होने की तारीख से शुरू होने वाली और ऐसे बांड की परिपक्वता या मोचन की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि अभिप्रेत है।

(इ) किसी विनिर्दिष्ट अस्तित्व द्वारा बनाए गए और बनाए गए विशेष रिजर्व में ले जाई गई रकम, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:—

(i) ऐसी रकम कटौती इस खंड के अंतर्गत किसी कटौती से पहले

"कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्षक के अंतर्गत संगणित पात्र कारबार से प्राप्त लाभ के 20% से अधिक नहीं होगी; तथा

(ii) जब समय-समय पर ऐसे आरक्षित खाते में जमा की गई रकमों का योग वि विनिर्दिष्ट अस्तित्व इकाई की संदत्त शेयर पूंजी और सामान्य आरक्षित रकम के दोगुने से अधिक हो, तो ऐसी अधिक रकम पर कोई कटौती स्वीकार्य नहीं होगी,

और इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(अ) "विनिर्दिष्ट अस्तित्व" से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(I) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(72) में यथाविनिर्दिष्ट कोई लोक वित्तीय संस्था ;

2013 का 18

(II) एक वित्तीय निगम जो एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी है;

(III) बैंककारी कंपनी;

(IV) प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी या प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से भिन्न कोई सहकारी बैंक;

(V) आवास वित्त कंपनी; और

(VI) सार्वजनिक कंपनी सहित कोई अन्य वित्तीय निगम;

(आ) "पात्र कारबार" से अभिप्रेत है,—

(I) खंड (इ)(क)(I) से (इ)(क)(IV) में विनिर्दिष्ट किसी भी वि विनिर्दिष्ट अस्तित्वों के संबंध में , निम्नलिखित के लिए दीर्घकालिक वित्त प्रदान करने का कारबार,—

(क) औद्योगिक या कृषि विकास;

(ख) भारत में अवसंरचना सुविधा का विकास; या

(ग) भारत में आवास का विकास;

(II) खंड (इ)(क)(V) में विनिर्दिष्ट वि विनिर्दिष्ट अस्तित्व के संबंध में, आवासीय प्रयोजनों के लिए भारत में गृह निर्माण या क्रय के लिए दीर्घकालिक वित्त प्रदान करने का कारबार; और

(III) खंड (इ)(क)(VI) में विनिर्दिष्ट वि विनिर्दिष्ट अस्तित्व के संबंध में , भारत में बुनियादी ढांचे की सुविधा के विकास के लिए दीर्घकालिक वित्त प्रदान करने का कारबार;

(इ) "अवसंरचना सुविधा" से अभिप्रेत है—

(I) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 80-झक(4)(i) के स्पष्टीकरण में परिभाषित अवसंरचना सुविधा या बोर्ड द्वारा इस संबंध में अधिसूचित समान प्रकृति की कोई अन्य जन-सुविधा और जो ऐसी शर्तों जो विहित की जाएं, को पूरा करती हो;

(II) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 80-झक(4)(ii) या (iii) या (iv) या (vi)] में विनिर्दिष्ट उपक्रम ; और—

(III) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 80 (झख)(10) में निर्दिष्ट उपक्रम;

(च) किसी निगम या निगमित निकाय द्वारा, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, किया गया कोई व्यय, जो पूंजीगत व्यय न हो, यदि,—

(i) यह किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम द्वारा गठित या स्थापित किया गया हो;

(ii) उप-खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट अधिनियम के उद्देश्यों और प्रयोजनों को ध्यान में रखते हुए इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाता है; और

(iii) व्यय अधिनियम द्वारा प्राधिकृत उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए उपगत किया जाता है जिसके अधीन इसका गठन या स्थापना की जाती है;

(छ) चीनी के विनिर्माण के कारबार में लगी सहकारी सोसायटी द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित या अनुमोदित मूल्य के बराबर या उससे कम मूल्य पर गन्ना क्रय करने पर किया गया व्यय;

(ज) धारा 276(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना और प्रकटीकरण मानकों के अनुसार संगणना की गई बाजार हानि या अन्य अपेक्षित हानि और इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन ऐसी हानि के लिए कोई कटौती या अनुज्ञात नहीं किया जाएगा;

(झ) किसी कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों के बीच कुटुम्ब नियोजन को बढ़ावा देने के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए सद्भावपूर्वक उपगत कोई व्यय:—

(अ) यदि ऐसा व्यय या उसका कोई भाग पूंजीगत प्रकृति का है, तो उसका पांचवां भाग उस कर वर्ष के लिए काटा जाएगा जिसमें वह व्यय उपगत किया गया था और शेष रकम चार तत्काल बाद के कर वर्षों में से प्रत्येक के लिए समान किस्तों में काटी जाएगी;

(आ) धारा 33(11) और धारा 112(3) के उपबंध इस खंड के अधीन कटौती को लागू होंगे क्योंकि वे मूल्यहास के संबंध में अनुज्ञेय कटौती के संबंध में लागू होते हैं;

(इ) धारा 38(1)(ग), धारा 39(4) (तालिका: क्रम संख्या 9) और धारा 45(6) और (10) के उपबंध कुटुम्ब नियोजन को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय का प्रतिनिधित्व करने वाली आस्ति का पर लागू होंगे, जिस सीमा तक वे वैज्ञानिक अनुसंधान पर पूंजीगत व्यय का प्रतिनिधित्व करने वाली आस्ति को पर लागू होते हैं;

(अ) वह रकम जो व्यापार-स्टॉक से अन्यथा भिन्न कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए गए पशुओं की वास्तविक लागत के बीच का अंतर है, जिसमें से उन शर्तों या पशुओं से प्राप्त रकम को घटाया जाता है, जहां ऐसे पशु मर गए हैं या स्थायी रूप से बेकार हो गए हैं; और

(ट) प्रतिभूति संव्यवहार कर या वस्तु संव्यवहार कर के रूप में भुगतान की गई रकम, यदि—

(i) कर योग्य प्रतिभूति संव्यवहार या कर योग्य वस्तु संव्यवहार कर वर्ष के दौरान कारबार के दौरान किए जाते हैं; और

(ii) ऐसे कर योग्य प्रतिभूति संव्यवहार या कर योग्य वस्तु संव्यवहार से उत्पन्न आय को "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्षक के अंतर्गत संसंगणना की गई आय में शामिल किया जाता है।

मूल्यहास हेतु
कटौती।

33. (1) मूल्यहास के संबंध में कटौती—

(क) भवन, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर, जो मूर्त आस्तियां हों;

(ख) तकनीकी जानकारी, पेटेंट, प्रतिलिप्याधिकार, व्यापार चिन्ह, अनुज्ञप्ति, फ्रैंचाइजी या समान प्रकृति के कोई अन्य कारबार या वाणिज्यिक अधिकार, जो 1 अप्रैल, 1998 को या उसके पश्चात् अर्जित अमूर्त आस्तियां हैं, जो किसी कारबार या वृत्ति की सद्भावना नहीं हैं,

पूर्णतः या अंशतः निर्धारित के स्वामित्वाधीन में हैं और जिसका उपयोग पूर्णतः तथा अनन्य रूप से कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए किया जाता है, इस धारा के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञात होगा।

(2) विद्युत उत्पादन या विद्युत उत्पादन और वितरण में लगे उपक्रम की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट आस्तियों के मामले में, मूल्यहास के संबंध में कटौती निर्धारित के लिए इसकी वास्तविक लागत की ऐसी प्रतिशतता होगी जो विहित की जाए।

(3) (क) आस्तियों के किसी ब्लॉक के मामले में मूल्यहास की बाबत कटौती इसके अवलिखित मूल्य की ऐसी प्रतिशतता होगी जो विहित की जाए।

(ख) जब कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए कोई भवन, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर भागतः या अपूर्णतया और अनन्यतः उपयोग किया जाता है, तब खंड (क) के अधीन कटौती कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए ऐसे भवन, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर के उपयोग को ध्यान में रखते हुए, खंड (क) के अधीन कटौती को निर्धारण अधिकारी द्वारा यथा अवधारित उसके उचित आनुपातिक भाग तक निर्बंधित किया जाएगा ;

(ग) जब किसी मशीनरी या संयंत्र के संबंध में वास्तविक लागत की कटौती धारा 54 के अधीन अनुज्ञात कर दी गई है, तब इस उपधारा के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

(4) इस धारा के अंतर्गत कटौती विहित दर के 50% तक निर्बंधित की जाएगी, यदि ऐसी आस्ति, जो उपधारा (2) और उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट आस्ति,—

(क) कर वर्ष के दौरान निर्धारित द्वारा अर्जित की गई है; और

(ख) उस कर वर्ष में एक सौ अस्सी दिनों से कम समय के लिए कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लायी जाती है।

(5) किसी कर वर्ष के लिए धारा 70(1)(यघ) या (यड) या (यच) या धारा 313 के अधीन उत्तराधिकार के मामले में, यथास्थिति, पूर्वाधिकारी या उत्तराधिकारी को या

समामेलन के मामले में समामेलक या समामेलित कंपनी को या निर्विलयन के मामले में निर्विलयित या पारिणामिक कंपनी को अनुज्ञेय मूल्यहास के संबंध में समग्र कटौती, इस धारा के अधीन विहित दरों पर संगणित कटौती से इस प्रकार अधिक नहीं होगी मानो उत्तराधिकार, समामेलन या निर्विलयन हुआ ही न हो और ऐसी कटौती दिनों की संख्या, जिनके लिए आस्तियों का निम्नलिखित द्वारा उपयोग किया गया था, पर आधारित मात्रानुपाति आधार पर अनुज्ञात की जाएगी:—

(क) उत्तराधिकार के मामले में पूर्वाधिकारी और उत्तराधिकारी; या

(ख) समामेलन करने वाली कंपनी और समामेलन की स्थिति में समामेलित कंपनी; या

(ग) निर्विलयित कंपनी और निर्विलयन के मामले में परिणामी कंपनी ।

(6) जहां कोई भवन, जो निर्धारिती के स्वामित्व में नहीं है, पट्टे पर है या किसी अन्य अधिभोग अधिकार द्वारा निर्धारिती के कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है, और यदि निर्धारिती द्वारा कारोबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए किसी संरचना के निर्माण या ऐसे भवन के नवीकरण, विस्तार या सुधार के माध्यम से किसी कार्य पर कोई पूंजीगत व्यय किया जाता है, तो ऐसी संरचना या कार्य को इस खंड के प्रयोजनों के लिए निर्धारिती के स्वामित्व वाला भवन माना जाएगा।

(7) इस धारा के उपबंध लागू होंगे चाहे निर्धारिती अपनी कुल आय की संगणना में मूल्यहास के लिए कटौती का दावा किया है या नहीं ।

(8) उपधारा (3) के अधीन कटौती के अतिरिक्त, किसी नई मशीनरी या संयंत्र के लिए अवक्षण की बाबत अतिरिक्त कटौती तब अनुज्ञात की जाएगी, जब—

(क) निर्धारिती किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन के कारोबार में या बिजली के उत्पादन, पारेषण या वितरण के कारोबार में लगा हुआ है;

(ख) निर्धारिती ऐसी नई मशीनरी या संयंत्र अर्जित और संस्थापित करता है;

(ग) नई मशीनरी या संयंत्र का उपयोग निर्धारिती द्वारा कारबार के प्रयोजनों के लिए पहली बार किया जाता है; और

(घ) कोई नई मशीनरी या संयंत्र (जो पोत या वायुयान नहीं हैं)—

(i) निर्धारिती द्वारा इसकी संस्थापना से पहले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भारत के भीतर या बाहर इसका उपयोग नहीं किया गया था;

(ii) किसी कार्यालय परिसर या किसी आवासीय सुविधा में संस्थापित नहीं है, जिसमें अतिथि गृह की प्रकृति वाली वास सुविधा भी शामिल है;

(iii) किसी कार्यालय साधित्र या सड़क परिवहन वाहन की प्रकृति का नहीं है; या

(iv) ऐसी आस्ति नहीं है जिस पर संपूर्ण वास्तविक लागत किसी कर वर्ष के "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अंतर्गत आय की संगणना करने में (चाहे मूल्यहास के रूप में हो या अन्यथा) कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाती है ।

(9) उपधारा (8) में निर्दिष्ट मूल्यहास के संबंध अतिरिक्त कटौती निम्नलिखित

होगी—

(क) कर वर्ष में उस समय नए संयंत्र या मशीनरी की वास्तविक लागत का 20 प्रतिशत, जब उसे खंड के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अर्जित किया जाता है और प्रयोग में लाया जाता है ; या

(ख) वास्तविक लागत का 10 प्रतिशत यदि नई मशीनरी या संयंत्र को सुसंगत कर वर्ष में 180 दिन से कम के लिए अर्जित किया जाता है और प्रयोग में लाया जाता है तथा वास्तविक लागत का 10 प्रतिशत ठीक उत्तरवर्ती कर वर्ष में अनुज्ञात किया जाएगा ।

(10) किसी मूर्त आस्ति जिसके संबंध में मूल्यहास का उपधारा (2) के अधीन दावा किया गया है और उसे अनुज्ञात किया गया है, के लिए स्ट्रैप मूल्य, यदि कोई हो, सहित संदेय अवलिखित मूल्य और धनराशियों के बीच अंतर उस समय कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा जब—

(क) ऐसी आस्ति उस कर वर्ष में बेची, त्यागी, ध्वस्त या नष्ट की गई हो जो ऐसा कर वर्ष न हो जिसमें इसे पहली बार उपयोग में लाया गया था;

(ख) संदेय धनराशियां, जिनमें स्ट्रैप मूल्य भी शामिल है, यदि कोई हो, उसके अवलिखित मूल्य से कम है; और

(ग) ऐसी कमी वास्तव में निर्धारिती की लेखा पुस्तकों में अपलिखित की गई है ।

(11) (क) जहां उपधारा (1) से उपधारा (10) के अधीन कटौती अनुज्ञात करने से पूर्व कर वर्ष के लिए प्रभार्य लाभ और अभिलाभ उस उपधारा के अधीन ऐसी अनुज्ञेय कटौती से कम है, वहां—

(i) यदि ऐसा लाभ और अभिलाभ हानि नहीं है, तो उपधारा (1) से उपधारा (10) के अधीन कटौती उपलब्ध लाभ और अभिलाभ की सीमा तक दी जाएगी;

(ii) यदि ऐसा लाभ और अभिलाभ हानि है, तो उपधारा (1) से उपधारा (10) के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी;

(ख) कटौती की वह रकम, जो खंड (क) के अधीन अनुज्ञात नहीं की गई है, इस धारा के अधीन अनुज्ञेय कटौती में, चाहे वह उपलब्ध हो या न हो, आगामी कर वर्ष के लिए जोड़ दी जाएगी और कुल रकम उस वर्ष में कटौती के लिए पात्र मानी जाएगी, और इसी प्रकार उत्तरवर्ती कर वर्षों के लिए भी; और

(ग) इस उपधारा के उपबंध धारा 112(3) और 113(4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए होंगे; और

(12) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "आस्तियों" से अभिप्रेत है—

(i) मूर्त आस्तियां, जैसे भवन, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर;

(ii) अमूर्त आस्तियां—

(क) तकनीकी जानकारी; या

(ख) पेटेंट; या

(ग) प्रतिलिप्याधिकार; या

(घ) व्यापार चिन्ह; या

(ङ) अनुज्ञप्ति; या

(च) फ्रैंचाइजी; या

(छ) कोई अन्य समान कारबार या वाणिज्यिक अधिकार, किन्तु जो कारबार या वृत्ति की सद्भावना न हो ;

(ख) "तकनीकी जानकारी" से किसी औद्योगिक सूचना या तकनीक अभिप्रेत है जो माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण में या किसी खान, तेल-कुएं या खनिज भंडार के अन्य स्रोतों के संचालन में सहायता कर सकती है (जिसमें उन तक पहुंच प्राप्त करने के लिए भंडार की खोज या परीक्षण भी शामिल है);

(ग) "विक्रीत" में विनियम के माध्यम से अंतरण या किसी विधि के अधीन अनिवार्य अर्जन शामिल है, लेकिन इसमें समामेलन की स्कीम में, समामेलक कंपनी द्वारा समामेलित कंपनी को किसी भी आस्ति का अंतरण शामिल नहीं है, जहां समामेलित कंपनी एक भारतीय कंपनी है या बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 (ग) में विनिर्दिष्ट बैंककारी कंपनी के समामेलन की स्कीम में, उक्त अधिनियम की धारा 45(15) में विनिर्दिष्ट बैंककारी संस्थान के साथ, जिसे उस अधिनियम की धारा 45(7) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा मंजूरी दी गई और प्रवृत्त किया गया है, बैंककारी कंपनी द्वारा बैंककारी संस्थान को किसी भी आस्ति का;

(घ) "आस्तियों के ब्लॉक का अवलिखित मूल्य" का वही अर्थ होगा जो धारा 41(1)(ग) में उसका है।

34. (1) कोई व्यय (जो धारा 28 से धारा 33, धारा 44 से धारा 49, धारा 51 और धारा 52 में विनिर्दिष्ट प्रकृति का व्यय न हो और पूंजीगत व्यय या निर्धारिती के व्यक्तिगत व्यय की प्रकृति का न हो) जो पूर्णतः और अनन्य रूप से कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए किया गया हो या व्यय किया गया हो, उसे "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अंतर्गत प्रभाष्य आय की संसंगणना करने में अनुज्ञात किया जाएगा।

अनुज्ञेय
कटौतियों के
लिए साधारण
शर्तें।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, निर्धारिती द्वारा कारबार या वृत्ति के लिए पूर्णतः और अनन्य रूप से निर्धारित या व्यय किए गए व्यय में निम्नलिखित में से कोई भी शामिल नहीं होगा:—

(क) किसी ऐसे प्रयोजन के लिए उपगत किया गया व्यय जो अपराध है या विधि द्वारा प्रतिनिषिद्ध है;

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में विनिर्दिष्ट कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित गतिविधियों पर उपगत किया गया व्यय; या

(ग) किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रकाशित स्मारिका, ब्रोशर, ट्रैक्ट, पैम्फलेट या इसी तरह के विज्ञापन पर उपगत किया गया व्यय।

(3) उपधारा (2)(क) में उल्लिखित व्यय में निम्नलिखित के लिए किया गया व्यय

शामिल होगा—

(क) कोई ऐसा प्रयोजन जो भारत में या भारत से बाहर प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अपराध है या उसके द्वारा प्रतिषिद्ध है; या

(ख) किसी व्यक्ति को किसी भी रूप में लाभ या परिलब्धि प्रदान करना, जो कारबार या वृत्ति चला रहा हो या न चला रहा हो, जबकि उस व्यक्ति द्वारा उसका स्वीकार करना उस व्यक्ति के आचरण को नियंत्रित करने वाले विधि किसी विधि या नियम या विनियम या दिशानिर्देश का उल्लंघन है; या

(ग) भारत में या भारत के बाहर प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अपराध का शमन करना; या

(घ) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी विधि के अधीन उल्लंघन के संबंध में शुरू की गई कार्यवाही का निपटारा करना ।

कुछ परिस्थिति में
कटौती योग्य
रकम का न
होना ।

35. अध्याय IV घ के किसी अन्य उपबंध के बावजूद, "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्षक के अंतर्गत प्रभार्य आय की संसंगणना में निम्नलिखित रकमों को कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा:—

(क) निम्नलिखित के कारण कोई रकम—

(i) आय पर संदत्त किया गया कर; या

(ii) अनुसूची III (सारणी: क्रम संख्या 10) में विनिर्दिष्ट नियोजन द्वारा भुगतान किया गया कर; या

(iii) किसी अन्य देश में भुगतान किया गया कर जिसके लिए राहत धारा 159 या धारा 160 के अधीन पात्र है,

और इसमें ऐसे कर पर कोई भी अधिभार या उपकर शामिल होगा, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो;

(ख) (i) किसी निवासी को संदेय किसी रकम का 30%, जिस पर अध्याय 19-ख के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती योग्य है और कर वर्ष के दौरान, ऐसा कर नहीं काटा गया है या कटौती के बाद, धारा 263(1) में विनिर्दिष्ट नियत तारीख तक संदत्त नहीं किया गया है, तथापि—

(अ) जहां ऐसी राशि के संबंध में किसी पश्चात्तवर्ती वर्ष में कर की कटौती की गई है या कर वर्ष के दौरान कर की कटौती की गई है किंतु धारा 263(1) में विनिर्दिष्ट देय तारीख के पश्चात् संदत्त किया गया है, वहां ऐसी राशि का 30 प्रतिशत उस कर वर्ष जिसमें ऐसे कर का संदाय किया गया है, की आय की संगणना करने में कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा ;

(आ) जहां निर्धारिती से ऐसी किसी राशि पर अध्याय 19(ख) के अधीन संपूर्ण कर या उसके किसी भाग की कटौती करने की अपेक्षा की जाती है या वह ऐसी कटौती करने में असफल रहता है, किन्तु उसे धारा 398(2) के अधीन व्यतिक्रमी निर्धारिती नहीं माना जाता है, तो इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, निर्धारिती को धारा 398(2) में विनिर्दिष्ट आदाता द्वारा विवरणी फाइल करने की तारीख को ऐसी रकम पर कर की कटौती और भुगतान

करने वाला माना जाएगा;

(ii) इस अधिनियम के अधीन उदग्रहणीय कोई ब्याज, स्वामित्व, तकनीकी सेवाओं के लिए फीस या अन्य रकम जो उदग्रहणीय है—

(अ) भारत के बाहर; या

(आ) भारत में किसी अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या किसी विदेशी कंपनी को,

जिस पर अध्याय XIX-ख के अधीन स्रोत पर कर कटौती योग्य है और कर वर्ष के दौरान, ऐसा कर, कटौती नहीं की गई है या कटौती के बाद, धारा 263(1) में विनिर्दिष्ट उदग्रहणीय तारीख तक भुगतान नहीं किया गया है, तथापि—

(I) जहां किसी ऐसी राशि के संबंध में, कर किसी पश्चात्कर्तृ वर्ष में काटा जाता है या कर वर्ष के दौरान काटा जाता है, किंतु धारा 263(1) में विनिर्दिष्ट देय तारीख के पश्चात् संदत्त किया जाता है, वहां ऐसी राशि उस कर वर्ष जिसमें ऐसा कर संदत्त किया गया है, की आय की संगणना करने में कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाएगी;

(II) जहां निर्धारिती से ऐसी किसी राशि पर अध्याय 19(ख) के अधीन संपूर्ण कर या उसके किसी भाग की कटौती करने की अपेक्षा की जाती है या वह ऐसी कटौती करने में असफल रहता है, किन्तु उसे धारा 398(2) के अंतर्गत व्यतिक्रमी निर्धारिती नहीं माना जाता है, तो इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए यह माना जाएगा कि निर्धारिती ने धारा 398(2) में यथा विनिर्दिष्ट आदाता द्वारा विवरणी फाइल करने की तारीख को ऐसी रकम पर कर काट लिया है और उसका भुगतान कर दिया है;

(III) निर्धारिती के कर्मचारियों के लाभ के लिए स्थापित भविष्य निधि या अन्य निधि में किया गया कोई भुगतान, जब तक कि निर्धारिती ने यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी व्यवस्था नहीं कर ली हो कि निधि से किए गए किसी भी भुगतान पर, जो "वेतन" शीर्ष के अंतर्गत कर से प्रभार्य है, अध्याय 19-ख के अंतर्गत स्रोत पर कर की कटौती की जाएगी;

(ग) भारत के बाहर या किसी अनिवासी को संदेय "वेतन" शीर्ष के अंतर्गत प्रभार्य कोई भुगतान, जिस पर अध्याय 19-ख के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती योग्य है, और ऐसा कर नहीं काटा गया है या कटौती के बाद भुगतान नहीं किया गया है;

(घ) कोई रकम—

(i) स्वामित्व, अनुज्ञप्ति फीस, सेवा शुल्क, विशेषाधिकार शुल्क, सेवा प्रभार या किसी अन्य शुल्क या प्रभार के रूप में भुगतान किया गया, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो अनन्य रूप से उदग्रहीत किया जाता है; या

(ii) जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार के उपक्रम से,

विनियोजित किया जाता है ;

(उ) किसी फर्म द्वारा उपगत किया गया व्यय, जो इस प्रकार निर्धारणीय है—

(i) वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक की प्रकृति में, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो (जिसे इसमें पारिश्रमिक कहा गया है) किसी भागीदार को, जो कार्यरत भागीदार नहीं है; या

(ii) किसी कार्यरत भागीदार को पारिश्रमिक और किसी भागीदार को ब्याज पर, यदि वह—

(अ) भागीदारी विलेख द्वारा उस अवधि के लिए लागू होने के लिए प्राधिकृत नहीं है जिसके लिए ऐसा पारिश्रमिक या ब्याज का भुगतान किया जाता है; या

(आ) भागीदारी द्वारा प्राधिकृत है और साझेदारी विलेख की शर्तों के अनुसार है, लेकिन ऐसी भागीदारी विलेख की तारीख से पहले की अवधि से संबंधित है, या जो पहले की भागीदारी विलेख द्वारा प्राधिकृत नहीं थी; या

(iii) भागीदारी विलेख द्वारा प्राधिकृत सभी काररित भागीदारों को दिए जाने वाले कुल पारिश्रमिक पर, जो कि निम्नानुसार संगणित रकम से अधिक है:—

(अ) बही लाभ के प्रथम 600000 रुपए पर या हानि की स्थिति में 300000 रुपए या बही लाभ का 90% की दर पर, जो भी अधिक हो;

(आ) बही लाभ के शेष पर 60% की दर से; या

(iv) भागीदारी विलेख द्वारा प्राधिकृत किसी भागीदार को प्रति वर्ष 12% साधारण ब्याज से अधिक ब्याज पर, तथापि यह कि,—

(अ) जहां कोई व्यक्ति किसी फर्म में भागीदार है, किसी अन्य व्यक्ति (ऐसे भागीदार और किसी अन्य व्यक्ति जिसको क्रमशः "प्रतिनिधि हैसियत में भागीदार" और "इस प्रकार प्रतिनिधित्व किया गया व्यक्ति" कहा गया है", की ओर से या उसके फायदे के लिए,—

(I) प्रतिनिधि हैसियत में भागीदार से अन्यथा भिन्न ऐसे व्यष्टि को फर्म द्वारा संदत्त किया गया ब्याज खंड के प्रयोजनों के लिए हिसाब में नहीं लिया जाएगा ;

(II) प्रतिनिधि हैसियत में भागीदार के रूप में ऐसे व्यष्टि को फर्म द्वारा संदत्त ब्याज तथा इस प्रकार प्रतिनिधित्व किए गए व्यक्ति को फर्म द्वारा संदत्त ब्याज को इस खंड के प्रयोजनों के लिए हिसाब में नहीं लिया जाएगा ;

(आ) जहां व्यक्ति प्रतिनिधि अस्तित्व में भागीदार से अन्यथा भिन्न

रूप में किसी फर्म में भागीदार है, वहां ऐसे व्यक्ति को फर्म द्वारा संदत्त ब्याज इस खंड के प्रयोजनों के लिए हिसाब में नहीं लिया जाएगा, यदि ऐसा ब्याज उसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की ओर या उसके फायदे के लिए प्राप्त किया जाता है;

(v) इस खंड में—

(अ) "बही लाभ" से ऐसा शुद्ध लाभ, अभिप्रेत है जो प्रासंगिक कर वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते में दर्शाया गया है, जिसकी संसंगणना अध्याय IV-घ के अनुसार फर्म के सभी भागीदारों को पारिश्रमिक की कुल रकम से बढ़ाई गई है, यदि शुद्ध लाभ की संसंगणना करते समय ऐसी रकम काट ली गई है;

(आ) "कार्यरत भागीदार" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो उस फर्म के कारबार या वृत्ति के कार्यों के संचालन में सक्रिय रूप से लगा हुआ है जिसका वह भागीदार है;

(च) ऐसे संगम या निकाय के किसी सदस्यों को दिए गए ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, की प्रकृति के व्यक्तियों के किसी संगम या व्यष्टियों के निकाय (किसी कंपनी या सहकारी सोसायटी या सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन या भारत के किसी भाग में इस अधिनियम के तत्समान किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी या सहकारी सोसायटी या सोसायटी से भिन्न) द्वारा उपगत व्यय, परंतु यह कि—

(i) जहां ब्याज का भुगतान संगम या निकाय द्वारा उसके सदस्य को किया गया है और ऐसे सदस्य ने भी संगम या निकाय को ब्याज का भुगतान किया है, केवल तब संगम या निकाय द्वारा भुगतान किया गया ऐसा अतिरिक्त ब्याज, यदि कोई हो, इस खंड के अधीन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा;

(ii) जहां कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की ओर से या उसके फायदे के लिए किसी संगम या निकाय का सदस्य है, वहां ऐसे सदस्य और किसी अन्य व्यक्ति को क्रमशः "प्रतिनिधि सदस्य" और "इस प्रकार प्रतिनिधित्व किया गया व्यक्ति" कहा जाएगा, वहां इस खंड के उपबंध—

(अ) जो प्रतिनिधि सदस्य के रूप में उसकी हैसियत से अन्यथा भिन्न ऐसे व्यक्ति को संदत्त किए गए या उससे प्राप्त ब्याज के संबंध में लागू नहीं होगा;

(आ) इस प्रकार प्रतिनिधित्व किए गए व्यक्ति को प्रतिनिधि सदस्य के रूप में उसकी हैसियत में किसी किसी व्यक्ति को संदत्त या उससे प्राप्त ब्याज के संबंध में लागू नहीं होगा ;

(इ) किसी अन्य व्यक्ति की ओर से या उसके लाभ के लिए, प्रतिनिधि सदस्य के अलावा किसी अन्य रूप में, किसी सदस्य को दिए गए ब्याज के संबंध में लागू नहीं होगा ।

कतिपय
परिस्थितियों में
कटौती न किए
जाने योग्य या
संदाय ।

36. (1) इस धारा के उपबंध, "कारोबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अंतर्गत आय की संसंगणना से संबंधित इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात पर ध्यान दिए बिना प्रभावी होंगे।

(2) यदि निर्धारिती कोई ऐसा व्यय उपगत करता है जिसके लिए किसी "विनिर्दिष्ट व्यक्ति" को भुगतान किया जा चुका है या किया जाना है, जो निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए कर निर्धारण अधिकारी की राय में अत्यधिक या अयुक्तियुक्त है—

(क) माल, सेवाओं या सुविधाओं का उचित बाजार मूल्य; या

(ख) निर्धारिती के कारबार या वृत्ति की धर्मज आवश्यकताएं; या

(ग) उससे निर्धारिती को प्राप्त या प्रोद्भूत होने वाला लाभ, व्यय का उतना भाग, जिसे वह अत्यधिक या आयुक्तियुक्त समझे, कटौती के रूप में स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

(3) उपधारा (2) और इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "विनिर्दिष्ट व्यक्ति" से निम्नलिखित अभिप्रेत होगा,—

(i) नीचे दी गई सारणी के स्तंभ ख में उल्लिखित किसी निर्धारिती के संबंध में, उसके स्तंभ ग में विनिर्दिष्ट व्यक्ति:—

सारणी		
क्र.सं.	निर्धारितो	विनिर्दिष्ट व्यक्ति
क	ख	ग
1.	व्यक्ति	निर्धारिती का कोई भी नातेदार
2.	कंपनी	कंपनी का कोई भी निदेशक या उसका नातेदार
3.	धर्म	फर्म का भागीदार या उसका नातेदार
4.	व्यक्तियों का संगम	एसोसिएशन का सदस्य या उसका नातेदार
5.	हिंदू अविभाजित कुटुम्ब	कुटुम्ब का सदस्य या उसका रिश्तेदार;

(ii) कोई ऐसा व्यक्ति या कंपनी या फर्म या व्यक्तियों के संघ या हिंदू अविभाजित कुटुम्ब से होगा, जिसका निर्धारिती के कारबार या वृत्ति में पर्याप्त हित हो, या उसका कोई निदेशक, भागीदार, सदस्य या ऐसा व्यक्ति, निदेशक, भागीदार, सदस्य का कोई नातेदार या कोई अन्य कंपनी जिसमें प्रथम उल्लिखित कंपनी में पर्याप्त हित रखता हो;

(iii) कंपनी, फर्म, व्यक्तियों के संगम या हिंदू अविभक्त कुटुम्ब जिसका निदेशक, भागीदार या सदस्य, निर्धारिती, या निदेशक, या उसके भागीदार या सदस्य और उसके नातेदारों कारबार या वृत्ति में पर्याप्त हित रखता है, जैसा भी मामला हो;

(iv) ऐसा कोई व्यक्ति जो कारबार या वृत्ति चला रहा है, जहां निर्धारिती, जो—

(अ) कोई व्यक्ति या उसका नातेदार है; या

(आ) कोई कंपनी, उसके निदेशक या उनके नातेदार; या

(इ) कोई फर्म, उसके भागीदार या उनके नातेदार; या

(ई) व्यक्तियों का संघ, उसके सदस्य या उनके नातेदार; या

(उ) हिंदू अविभाजित कुटुम्ब, उसके सदस्य या उनके नातेदार,

हैं, ऐसे व्यक्ति के कारबार या वृत्ति में पर्याप्त हित रखते हैं;

(ख) किसी व्यक्ति को "कारबार या वृत्ति में पर्याप्त हित" रखने वाला माना जाएगा, यदि—

(i) उस मामले में जहां कारबार या वृत्ति, किसी कंपनी द्वारा किया जाता है वहां ऐसा व्यक्ति कर वर्ष के दौरान किसी भी समय मतदान शक्ति का कम से कम 20 प्रतिशत शेयरों (जो लाभांश की नियत दर के लिए हकदार शेयर नहीं है चाहे वे लाभों में भाग लेने के अधिकार सहित या रहित हों) के फायदाग्राही स्वामी है ; और

(ii) किसी अन्य मामले में ऐसा व्यक्ति कर वर्ष के दौरान किसी भी समय ऐसे कारबार या वृत्ति के लाभों के कम से कम 20% लाभ के लिए फायदाग्राही रूप से हकदार है ।

(4) जहां निर्धारिती द्वारा उपगत किए गए किसी व्यय के संबंध में किसी व्यक्ति को एक दिन में किया गया भुगतान या भुगतानों का योग 10000 रुपए से अधिक है और वह विनिर्दिष्ट बैंककारी या ऑनलाइन ढंग के माध्यम से नहीं है, तो ऐसे भुगतानों के माध्यम से व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

(5) जहां किसी व्यय के लिए उपगत उदग्रहणीयता के लिए किसी पूर्ववर्ती कर वर्ष में कोई कटौती की गई थी और ऐसी उदग्रहणीयता के संबंध में भुगतान किसी पश्चात्कर्ती कर वर्ष के दौरान किया गया है और यदि किसी व्यक्ति को एक दिन में किया गया ऐसा भुगतान या भुगतानों का योग 10000 रुपए से अधिक है और वह विनिर्दिष्ट बैंककारी या ऑनलाइन तरीके के माध्यम से नहीं किया जाता है, तो ऐसा भुगतान ऐसे पश्चात्कर्ती कर वर्ष में "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अंतर्गत आय माना जाएगा ।

(6) उपधारा (4) और उपधारा (5) के प्रयोजनों के लिए, यदि संदाय मालवाहक गाड़ियों को चलाने, किराये पर लेने या पट्टे पर देने के लिए किया जाता है तो "10000 रुपए" अंकों को "35000 रुपए" अंकों के रूप में पढ़ा जाएगा ।

(7) उपधारा (4) और (5) के उपबंध, उपलब्ध बैंककारी सुविधाओं की प्रकृति और सीमा, कारबार की समीचीनता और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए, यथाविहित मामलों और परिस्थितियों में लागू नहीं होंगे ।

(8) किसी अन्य प्रवृत्त विधि या किसी संविदा में अंतर्विष्ट कोई बात (भुगतान के तरीके के संदर्भ में) किसी ऐसे भुगतान के संबंध में लागू नहीं होगी जो उपधारा (4) से (7) के अनुपालन में विनिर्दिष्ट बैंककारी या ऑनलाइन मोड से किया गया हो, और किसी वाद या अन्य कार्यवाही में इस आधार पर कोई अभिवाक करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी कि भुगतान नकद या किसी अन्य ढंग से नहीं किया गया था ।

(9) कोई कटौती या मोक धारा 32(1)(ज) के अधीन यथा अनुज्ञेय के सिवाय बाजार हानि या अन्य प्रत्याशित हानि को चिन्हित के संबंध में लागू नहीं होंगे ।

कुछ कटौतियाँ
केवल वास्तविक
भुगतान के
आधार पर ही
अनुज्ञात की
गई ।

37. (1) उपधारा (2) में यथा विनिर्दिष्ट संदेय राशियां जो इस अधिनियम के अधीन कटौती के रूप में अन्यथा अनुज्ञेय हैं, कटौती के रूप में उस समय अनुज्ञात की जाएंगी, जब उस कर वर्ष में ही जिसमें ऐसी राशियों का निम्नलिखित को ध्यान में न रखते हुए वास्तविक रूप से संदाय किया जाता है, धारा 26 के अधीन प्रभावी आय की संगणना की जाती है,—

(क) इस अधिनियम में इसके विपरीत कोई उपबंध है; या

(ख) नियमित रूप से अपनाई जाने वाली लेखांकन पद्धति; या

(ग) वह कर वर्ष जिसमें दायित्व उत्पन्न हुई थी।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए संदेय राशियां निम्नलिखित होंगी—

(क) किसी भी प्रवृत्त विधि के अधीन उपग्रहीत गया कर, शुल्क, उपकर, अधिभार या फीस, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो;

(ख) भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या उपदान निधि या कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी निधि में अनुदान का अंशदान;

(ग) कर्मचारी के खाते में जमा किसी छुट्टी के बदले अनुदान द्वारा उदग्रहणीय रकम;

(घ) धारा 32(क) में विनिर्दिष्ट कोई रकम;

(ङ) ऐसे ऋणों या अग्रिमों या उधारों को शासित करने वाले करार के निबंधनों और शर्तों के अनुसार विनिर्दिष्ट वित्तीय अस्तित्वों से ऋण या अग्रिम या उधारों पर ब्याज;

(च) रेल आस्तियों के उपयोग के लिए भारतीय रेल को उदग्रहणीय रकम; या

(छ) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 15 में विनिर्दिष्ट समय सीमा से परे किसी सूक्ष्म या लघु उद्यम को निर्धारित द्वारा उदग्रहणीय रकम ।

(3) यदि उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट रकम, उसके खंड (घ) में विनिर्दिष्ट रकम को छोड़कर, उस कर वर्ष की समाप्ति के पश्चात् भुगतान की जाती है जिसमें दायित्व उत्पन्न हुआ था, लेकिन ऐसे कर वर्ष के लिए धारा 263(1) के अधीन आय-कर विवरणी फाइल करने की नियत तारीख को या उससे पहले, ऐसी रकम के लिए कटौती ऐसे कर वर्ष में दी जाएगी ।

(4) यदि उपधारा (2)(ङ) में विनिर्दिष्ट ऋणों या अग्रिमों या उधारों पर ब्याज को ऋण या अग्रिम या डिबेंचर या किसी अन्य लिखत में संपरिवर्तित कर दिया जाता है, जिसके द्वारा भुगतान का दायित्व किसी भावी तारीख तक स्थगित कर दिया जाता है, तो यह वास्तव में भुगतान किया गया नहीं माना जाएगा ।

(5) यदि उपधारा (2) के अधीन संदेय किसी रकम के संबंध में कटौती किसी कर वर्ष में पहले ही अनुज्ञात कर दी गई है, जब ऐसा दायित्व उपगत किया गया था, तो उसे भुगतान किए जाने पर किसी भी पश्चात्कर्तवीं कर वर्ष में पुनः अनुज्ञात नहीं किया

जाएगा ।

(6) इस धारा के उपबंध निर्धारिती द्वारा किसी कर्मचारी से धारा 2(49)(ण) में विनिर्दिष्ट किसी भी निधि के लिए अंशदान के रूप में प्राप्त रकम पर लागू नहीं होंगे।

(7) इस धारा के प्रयोजनों के लिए "विनिर्दिष्ट वित्तीय संस्थाओं" से कोई सार्वजनिक वित्तीय संस्थान या राज्य वित्त निगम या राज्य औद्योगिक निवेश निगम या गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों का ऐसा वर्ग अभिप्रेत है, जो केन्द्रीय सरकार या अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक (प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसायटी या प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से भिन्न) द्वारा अधिसूचित किया जाए ।

(8) उपधारा (2)(क) के प्रयोजनों के लिए, "संदेय राशि" से ऐसी राशि अभिप्रेत है जिसके लिए निर्धारिती ने कर वर्ष में दायित्व उपगत किया है भले ही ऐसी राशि सुसंगत विधि के अधीन उस वर्ष के भीतर संदेय न हुई होती ।

38. (1) निम्नलिखित रकमयाँ कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ मानी जाएँगी और उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, नीचे वि विनिर्दिष्ट रीति से आय-कर से प्रभार्य होंगी :—

कुछ रकमयाँ जो कारबार या वृत्ति से प्राप्त लाभ या अभिलाभ समझी जाती हैं ।

(क) जहाँ किसी कर वर्ष के दौरान निर्धारिती द्वारा उठाए गए किसी नुकसान, व्यय या व्यापारिक दायित्व के संबंध में कोई भत्ता या कटौती की अनुज्ञात की गई है, वहाँ,—

(i) ऐसे व्यापारिक दायित्व की समाप्ति या परिहार के माध्यम से निर्धारिती को उदभूत होने वाले किसी लाभ का मूल्य, जिसमें पश्चात्कर्ती कर वर्ष में, जिसमें ऐसा लाभ प्राप्त होता है, उसके खातों में ऐसे दायित्व को बट्टे खाते में डालने का एकपक्षीय कार्य भी शामिल है; या

(ii) निर्धारिती द्वारा प्राप्त की गई कोई रकम, चाहे नकद में या अन्यथा, पश्चात्कर्ती कर वर्ष में हुई हानि या व्यय के संबंध में, जिसमें रकम प्राप्त की गई हो,

चाहे वह कारबार या वृत्ति जिसके संबंध में मोक या कटौती की गई थी, ऐसे पश्चात्कर्ती कर वर्ष में अस्तित्व में है या नहीं;

(ख) ऐसे मामले में जहाँ कोई मूर्त आस्ति, [जिसे धारा 33(12)(क)(1) में निर्दिष्ट किया गया है] जो निर्धारिती के स्वामित्व में है, बेची जाती है, त्याग दी जाती है, ध्वस्त कर दी जाती है या नष्ट कर दी जाती है, और आस्ति के लिए संदेय राशि, स्ट्रैप मूल्य [अ] के साथ आस्तियों [इ] के अवलिखित मूल्य से अधिक हो जाती है, नीचे संगणित रकम, उस कर वर्ष में, जिसमें ऐसी आस्ति के लिए संदेय धनराशियाँ देय हो जाती हैं—

(i) जहाँ ऐसी आस्ति के लिए संदेय धनराशियाँ स्ट्रैप मूल्य [अ] के साथ ऐसी आस्ति [आ] की वास्तविक लागत से कम है, तो—

[अ] —[इ]; या

(ii) किसी अन्य मामले में,—

[आ] — [इ];

(ग) ऐसे मामले में जहां धारा 45(1)(क)(i) में विनिर्दिष्ट वैज्ञानिक अनुसंधान पर पूंजीगत प्रकृति के व्यय को दर्शाने वाली आस्ति को अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग किए बिना बेचा जाता है, और बिक्री आय उस धारा के अधीन अनुज्ञात कुल कटौतियों के साथ पूंजीगत व्यय की रकम से अधिक है, अतिरिक्त या इस प्रकार की गई कटौती की रकम, जो भी कम हो, उस कर वर्ष में जिसमें आस्ति बेची गई थी;

(घ) ऐसे मामले में जहां धारा 31(2) के उपबंधों के अधीन खराब ऋण (या उसके हिस्से) के लिए कटौती की अनुज्ञात रकम दी गई है, और बाद में वसूल की गई कोई भी रकम ऐसे ऋण और अनुज्ञात रकम के बीच के अंतर से अधिक है, तो उस कर वर्ष में अतिरिक्त रकम, जिसमें वसूली की जाती है;

(ङ) ऐसे मामले में जहां धारा 32(ड) के उपबंधों के अधीन बनाए गए और बनाए गए किसी भी विशेष रिजर्व के लिए कटौती की अनुज्ञात की गई है, किसी भी रकम को बाद में उस कर वर्ष में वापस ले लिया जाता है जिसमें रकम वापस ली जाती है ।

(2) उपधारा (1) के उपबंध निम्नलिखित शर्तों की पूरा करने के अधीन लागू होंगे:—

(क) उपधारा (1)(क) के संबंध में, केवल तभी जब किसी किसी कर वर्ष के लिए निर्धारण में व्यापारिक दायित्व, हानि या उपगत व्यय के मद्दे कोई मोक या कटौती की गई हो;

(ख) उपधारा (1)(ख) के संबंध में, केवल तभी जब आस्ति निर्धारित की के स्वामित्व में हो, उसका उपयोग कारबार या वृत्ति के प्रयोजन के लिए किया गया हो, तथा उस पर धारा 33(2) के अधीन मूल्यहास का दावा किया गया हो तथा उसे अनुज्ञात किया गया हो;

(ग) उक्त उपधारा (1)(ग) के संबंध में, केवल तभी जब आस्ति का उपयोग अन्य प्रयोजनों के लिए नहीं किया गया हो ।

(3) जहां इस धारा में विनिर्दिष्ट कारोबार या वृत्ति अब अस्तित्व में नहीं है और उपधारा (1) (क), (ग), (घ) और (ङ) के अधीन कर से प्रभार्य आय है, उस कारोबार या वृत्ति के संबंध में, कोई हानि, जो सट्टा कारोबार में हुई हानि नहीं है, जो उस कारोबार या वृत्ति में उस कर वर्ष के दौरान उत्पन्न हुई जिसमें वह अस्तित्व में नहीं रहा और जिसे उस कर वर्ष की किसी अन्य आय के विरुद्ध मुजरा नहीं किया जा सकता था, जहां तक हो सके, उस उपधारा के उक्त खंडों के अधीन कर से प्रभार्य आय के विरुद्ध मुजरा किया जाएगा।

(4) उपधारा (1)(क) में विनिर्दिष्ट राशियां के संबंध में, यदि उसमें निर्दिष्ट फायदा कारबार में उत्तराधिकारी को प्रोद्भूत होता है या उसके द्वारा इसमें निर्दिष्ट रकम अभिप्राप्त की जाती है, तो फायदे का मूल्य या रकम कारबार में उत्तराधिकारी के हाथ में आय के रूप में आय-कर से प्रभार्य होगी।

(5) उपधारा (1)(ख),(ग), (घ) और (ङ) के उपबंध कर वर्ष में लागू होंगे, भले ही कारबार अब अस्तित्व में न हो ।

(6) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "विक्रीत" में विनिमय के माध्यम से अंतरण या किसी विधि के अधीन अनिवार्य अर्जन शामिल है, लेकिन इसमें समामेलन की स्कीम में समामेलक कंपनी द्वारा

समामेलित कंपनी को किसी भी आस्ति का अंतरण शामिल नहीं है, जहां समामेलित कंपनी एक भारतीय कंपनी है;

(ख) "कारबार में उत्तराधिकारी" से अभिप्रेत है,—

- (i) समामेलित कंपनी, जहां समामेलन हुआ है;
- (ii) परिणामी कंपनी, जहां निर्विलयन हुआ है;
- (iii) जहां निर्धारिती के बाद उस कारोबार या वृत्ति में कोई अन्य व्यक्ति कार्यभार संभालता है, तो वह अन्य व्यक्ति;
- (iv) जहां कोई कारबार या वृत्ति करने वाली फर्म का स्थान कोई अन्य फर्म ले लेती है, वहां वह अन्य फर्म ।

39. (1) कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए प्रयोग की गई आस्ति की वास्तविक लागत, निर्धारिती के लिए वास्तविक लागत होगी, जो निम्नलिखित रकमों को घटाकर आय:—

वास्तविक लागत की संगणना ।

(क) आस्ति की लागत का हिस्सा, यदि कोई हो, किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकरण द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुकाया गया;

(ख) संदत्त किया गया माल और सेवा कर जिसके संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का सुसंगत विधि के अधीन का दावा किया गया है और उसे अनुज्ञात किया गया है;

(ग) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अंतर्गत उदग्रहणीय उत्पाद-शुल्क या अतिरिक्त शुल्क जिसके संबंध में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अंतर्गत प्रत्यय का दावा किया गया है और उसे अनुज्ञात किया गया है;

(घ) सहायिका, अनुदान या प्रतिपूर्ति, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, यदि कोई हो, जो आस्ति के अर्जन से संबंधित है और जो निर्धारिती द्वारा निम्नलिखित से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः प्राप्त की गई है—

- (i) केन्द्रीय सरकार;
- (ii) राज्य सरकार;
- (iii) किसी विधि के अधीन स्थापित कोई प्राधिकरण; या
- (iv) किसी अन्य व्यक्ति।

(2) यदि किसी व्यक्ति को किसी आस्ति के अर्जन या उसके भाग के लिए एक दिन में 10000 रुपए से अधिक का भुगतान या भुगतानों का योग, वि विनिर्दिष्ट बैंककारी या ऑनलाइन पद्धति के अलावा किसी अन्य पद्धति से किया जाता है, तो उसे इस आस्ति की वास्तविक लागत से बाहर रखा जाएगा ।

(3) ऐसे मामले में जहां उपधारा (1)(घ) में विनिर्दिष्ट सहायिका, अनुदान या प्रतिपूर्ति सीधे अर्जित आस्ति से संबंधित नहीं है, उपधारा (1)(घ) के अधीन कटौती की रकम निम्नानुसार निर्धारित की जाएगी:

	आ
अx	इ

जहां,

अ = सहायिका, अनुदान या प्रतिपूर्ति की कुल रकम जो सीधे आस्ति से संबंधित नहीं है;

आ = अर्जित आस्ति की लागत जिसके लिए वास्तविक लागत अवधारित की जानी है;

इ = उन सभी आस्तियों की लागत जिनके संबंध में या जिनके संदर्भ में सहायिका या अनुदान या प्रतिपूर्ति प्राप्त की गई है।

(4) नीचे दी गई सारणी के स्तंभ ख के अंतर्गत विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में, पूंजी आस्ति की वास्तविक लागत स्तंभ ग में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होगी ।

सारणी

क्र.सं.	विनिर्दिष्ट परिस्थितियां	वास्तविक लागत का उपधारण
अ	आ	इ
1.	जहां पूंजी आस्ति को एक समामेलित कंपनी द्वारा एक समामेलक कंपनी को अपने स्वयं के कारबार के प्रयोजन के लिए स्थानांतरित किया जाता है जो समामेलन की स्कीम में एक भारतीय कंपनी है	समामेलित कंपनी की वास्तविक लागत वही होगी जो तब होती यदि समामेलित कंपनी ने अपनी पूंजीगत आस्ति को धारण करना जारी रखा होता ।
2.	जहां पूंजी आस्ति को एक निर्विलयित कंपनी द्वारा परिणामी कंपनी को प्रयोजन के लिए धारण करना जारी रखा होता, जो निर्विलयन में एक भारतीय कंपनी है	परिणामी कंपनी की वास्तविक लागत वही होगी जो तब होती यदि विभाजित कंपनी ने ऐसी आस्ति को अपने स्वयं के कारबार के प्रयोजन के लिए धारण करना जारी रखा होता, जो निर्विलयित कंपनी के हाथों में ऐसी पूंजी आस्ति के अवलिखित मूल्य से अधिक नहीं होगी ।
3.	जहां तालिका को पूंजीगत आस्ति में संपरिवर्तित किया जाता है या उसके रूप में माना जाता है ।	संपरिवर्तन की तारीख को उचित बाजार मूल्य वह है, जो यथा विहित रीति से अवधारित किया गया है ।
4.	जहां आस्ति निर्धारिती द्वारा उपहार या विरासत के रूप में अर्जित की जाती है	पूर्ववर्ती स्वामी को वास्तविक लागत जो— (क) 1 अप्रैल, 1986 को आरंभ होने वाले या किसी पूर्ववर्ती कर वर्ष के संबंध में वास्तविक रूप से अनुज्ञात मूल्यहास ; और (ख) इस अधिनियम या आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन 1 अप्रैल, 1987 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले कर वर्ष के लिए अनुज्ञेय मूल्यहास, मानो ऐसी आस्ति के सुसंगत ब्लॉक में केवल आस्ति थी,

से घटाकर आए ।

5. निर्धारिती की संपत्ति है, कर भवन की वास्तविक लागत में से मूल्यहास वर्ष के दौरान कारबार या घटा दिया गया है—
 वृत्ति के प्रयोजन से उपयोग (क) यदि भवन का उपयोग अर्जन की तारीख से कारबार या वृत्ति के प्रयोजन के लिए किया जाता तो यह अनुज्ञेय होता; और
 (ख) उस तारीख को लागू दर पर संगणना की जाएगी जिस दिन ऐसी आस्ति को कारबार या वृत्ति के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया गया था ।
6. जहां पूंजी आस्ति का अंतरक कंपनी के लिए वास्तविक लागत वही हस्तांतरण किया जाता है—
 होगी जो तब होती यदि अंतरक कंपनी ने ऐसी (क) एक धारित कंपनी का आस्ति को अपने कारबार के प्रयोजन के लिए उसकी सहायक कंपनी को; या धारण करना जारी रखा होता ।
 (ख) अपनी धारित कंपनी की सहायक कंपनी,
 और यथास्थिति, धारा 70(1)
 (ग) और (घ) की शर्तों को पूरा किया जाता हैं ।
7. जहां कोई आस्ति, जो पहले (क) निर्धारिती के हाथों में आस्ति की वास्तविक लागत, जब इसे पहली बार अर्जित किया गया था, जिसे—
 द्वारा अपने कारबार या वृत्ति के प्रयोजन के लिए प्रयोग (i) 1 अप्रैल, 1986 को आरंभ होने वाले कर वर्ष या किसी पूर्ववर्ती कर वर्ष के संबंध में वास्तविक रूप से अनुज्ञात मूल्यहास; और
 पुनः अर्जित कर ली जाती है । (ii) इस अधिनियम या आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन 1 अप्रैल, 1987 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले कर वर्ष के लिए अनुज्ञेय मूल्यहास, मानो ऐसी आस्ति के सुसंगत ब्लॉक में केवल आस्ति थी, से घटाकर आए ।
 (ख) वास्तविक मूल्य जिस पर आस्ति को निर्धारिती द्वारा पुनः अर्जित किया जाता है, जो भी कम हो।
8. जहां आस्ति को निर्धारिती निर्धारिती के लिए आस्ति की वास्तविक द्वारा पूर्ववर्ती स्वामी से लागत, पूर्ववर्ती स्वामी द्वारा हस्तांतरण के अर्जित किया जाता है और समय उसके हाथों में आस्ति का अवलिखित बाद में आस्ति को पट्टे, मूल्य होगा ।

किराये या अन्यथा तरीके से पूर्ववर्ती स्वामी को वापस दे दिया जाता है, और निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाती हैं:—

(क) आस्ति का उपयोग पिछले मालिक द्वारा कारबार या वृत्ति के प्रयोजन के लिए किया जा रहा था; और

(ख) पूर्ववर्ती स्वामी द्वारा मूल्यहास का दावा किया गया है।

9. जहां आस्ति का उपयोग कारबार में किया जाता है, उसके बाद उस कारबार से संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उसका उपयोग बंद कर दिया जाता है और धारा 33(3) के अधीन कटौती अनुज्ञेय है।
आस्ति की वास्तविक लागत जो आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 45(1)(क)(i) या धारा 35(1)(iv) के अधीन पूंजी आस्ति के लिए अनुज्ञात कटौती को घटाकर आए।
10. जहां निर्धारिती ने भारत के बाहर एक अनिवासी के रूप में कोई आस्ति अर्जित की हो, और वह आस्ति उसके द्वारा भारत में लाई गई हो तथा भारत में उसके कारबार या वृत्ति में उपयोग में लाई गई हो
आस्ति की वास्तविक लागत में से मूल्यहास घटा दिया गया है—
(क) जो अनुज्ञेय होता यदि आस्ति का उपयोग उसके अर्जन की तारीख से भारत में कारबार या वृत्ति के प्रयोजन से किया जाता; तथा
(ख) लागू दर पर परिकलन किया जाएगा।
11. जहां पूंजी आस्ति भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के निगमीकरण की स्कीम के अधीन अर्जित की जाती है
आस्ति की वास्तविक लागत, मानो कोई निगमीकरण ही न हुआ हो।
12. (क) जहां पूंजीगत आस्ति के संबंध में धारा 46 के अधीन
(क) वास्तविक लागत शून्य मानी जाएगी।

कटौती की अनुज्ञात या अनुज्ञेय थी-

(i) निर्धारिती को; या

(ii) किसी व्यक्ति को और निर्धारिती को ऐसे व्यक्ति से अर्जन के विशेष पद्धतियों के माध्यम से ऐसी आस्ति अर्जित या प्राप्त करता है।

(ख) धारा 46(9)(ख) के (ख) आस्ति की वास्तविक लागत जो अनुसार मानी गई आय बन निम्नलिखित को घटकार आए,— जाती है

(i) जो अनुज्ञेय हुआ होता यदि अर्जन की तारीख से आस्ति का उपयोग कारबार के प्रयोजन के लिए किया जाता; और

(ii) प्रवृत्त दर पर परिकलन किया गया ।

13. जहां किसी आस्ति के अर्जन वास्तविक लागत में उतनी रकम शामिल नहीं के संबंध में ब्याज के रूप में होगी जो जितनी आस्ति के पहली बार उपयोग कोई रकम संदत्त की गई है में आने के बाद की किसी अवधि से संबंधित या संदेय है । हो ।

(5) उपधारा (4) में अंतर्विष्ट किसी बात पर ध्यान दिए बिना, उक्त उपधारा में सारणी के क्रम संख्यांक 8 से भिन्न, ऐसे मामले में जहां आस्ति निर्धारिती द्वारा अर्जित की जाती है, वहां उसकी वास्तविक लागत ऐसी रकम होगी जिसे मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, निर्धारण अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाए, जहां:—

(क) ऐसे अर्जन से पूर्व आस्ति का उपयोग किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपने कारबार के प्रयोजनों के लिए किया जाता था; और

(ख) निर्धारण अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि आस्ति के अंतरण का मुख्य उद्देश्य प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कर दायित्व को कम करना था (बढ़ी हुई वास्तविक लागत पर मूल्यहास का दावा करके)।

(6) उपधारा (5) के अधीन वास्तविक लागत का निर्धारण संयुक्त आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से किया जाएगा।

(7) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "अर्जन के विशेष तरीके" से निम्नलिखित अधिग्रहण अभिप्रेत है—

(क) उपहार या वसीयत या अप्रतिसंहरणीय न्यास के माध्यम से; या

(ख) किसी कंपनी के परिसमापन पर वितरण पर; या

(ग) स्थानांतरण की ऐसी विधि द्वारा जैसा कि धारा 70(1)(क), (ग), (घ), (ङ), (ज), (यघ), (यड) और (यच) में निर्दिष्ट है ।

कुछ आस्तियों के अर्जन की लागत की संगणना के लिए विशेष उपबंध ।

40. (1) "कारोबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अंतर्गत आय की संगणना के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित द्वारा अर्जित आस्ति जो निम्नलिखित की संपत्ति हो गई है, अर्जन की लागत इस प्रकार होगी—

(क) समामेलन की स्कीम के अंतर्गत समामेलित कंपनी; या

(ख) किसी निर्धारित द्वारा, किसी उपहार, या वसीयत, या अप्रतिसंहरणीय न्यास के अधीन, या किसी हिंदू अविभाजित कुटुम्ब के पूर्ण या आंशिक विभाजन पर,

जब स्टॉक व्यापार ट्रेड के रूप में बेचा जाता है, तो निम्नलिखित राशि का योग होगा—

(i) खंड (क) के मामले में समामेलक कंपनी के हाथों में उक्त आस्ति के अर्जन की लागत, या खंड (ख) के मामले में अंतरक या दाता के हाथों में;

(ii) किये गए किसी भी सुधार की लागत;

(iii) यथास्थिति, समामेलक कंपनी या अंतरक या दाता द्वारा पूर्णतः और अनन्य रूप से ऐसे अन्तरण के संबंध में किया गया कोई व्यय।

(2) यह धारा 67(6) में विनिर्दिष्ट आस्ति पर लागू नहीं होगी।

अवक्षणीय आस्ति का अवलिखित मूल्य।

41. (1) "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन आय की संगणना के प्रयोजनों के लिए, अवलिखित मूल्य से अभिप्रेत है :—

(क) उस दशा में जब आस्ति कर वर्ष में अर्जित की गई है, निर्धारित को वास्तविक लागत ;

(ख) उस दशा में जब आस्ति कर वर्ष से पहले अर्जित की गई हो, निर्धारित की वास्तविक लागत, जिसमें से इस अधिनियम या आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन वास्तविक अनुज्ञात अवक्षयण कम किया जाएगा ;

(ग) आस्तियों के ब्लॉक की दशा में अवलिखित मूल्य की संगणना निम्नलिखित रीति से की जाएगी,—

[(क-घ)+ ख-ग]-ड, जहां,—

टिप्पण—स्तंभ ग में,—

क = आस्ति के ब्लॉक का तत्काल पूर्ववर्ती कर वर्ष में अवलिखित मूल्य;

ख = कर वर्ष के दौरान अर्जित, उस ब्लॉक के भीतर आने वाली किसी आस्ति की वास्तविक लागत;

ग = ब्लॉक के अधीन आने वाली किसी भी आस्ति के संबंध में स्क्रेप मूल्य के साथ प्राप्त धनराशि, यदि कोई हो, जिसका कर वर्ष के दौरान विक्रय, अंतरण, उसे ध्वस्त, नष्ट या परित्यक्त किया जाता है, जहां "ग", (क-घ)+ख से अधिक नहीं होगी;

घ = उक्त तत्काल पूर्ववर्ती कर वर्ष के संबंध में आस्तियों के ब्लॉक के संबंध में अनुज्ञात वास्तविक अवक्षयण;

ड = विक्रय में मंदी की दशा में, उस ब्लॉक के अधीन आने वाली आस्ति की वास्तविक लागत, जो निम्नलिखित को घटाकर आए—

(i) 1 अप्रैल, 1986 को आरंभ होने वाले कर वर्ष या किसी पूर्ववर्ती कर वर्ष के संबंध में वास्तविक रूप से अनुज्ञात अवक्षयण ; और

(ii) इस अधिनियम या आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन 1 अप्रैल, 1987 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले कर वर्ष के लिए ऐसा अनुज्ञेय अवक्षयण मानो आस्तियों के संबंधित ब्लॉक में एकमात्र आस्ति थी ।

(2) जहां आस्तियों का कोई ब्लॉक निम्नलिखित द्वारा अंतरित किया जाता है—

(क) किसी धृति कंपनी द्वारा अपनी सहायक कंपनी को और धारा 70(1)(ग) की शर्तें पूरी होती हैं;

(ख) किसी सहायक कंपनी द्वारा अपनी धृति कंपनी को और धारा 70(1)(क) की शर्तें पूरी होती हैं; या

(ग) किसी भारतीय कंपनी होने के नाते, समामेलन स्कीम के अधीन, समामेलक कंपनी द्वारा समामेलित कंपनी को,

तो धारा 39 में अंतर्विष्ट किसी भी बात पर ध्यान दिए बिना, यथास्थिति, अंतरिती कंपनी या समामेलित कंपनी के हाथों में आस्तियों के ब्लॉक की वास्तविक लागत, ठीक पूर्ववर्ती कर वर्ष में अंतरिती कंपनी या समामेलित कंपनी की दशा में आस्ति के ब्लॉक की अवलिखित मूल्य के समान होगी, जिसे उस कर वर्ष से संबंधित आस्तियों के उस ब्लॉक के संबंध में वास्तव में अनुज्ञात अवक्षयण से घटाया जाएगा ।

(3) जहाँ किसी आस्ति, जो आस्तियों के ब्लाक का हिस्सा है, को किसी विलयित कंपनी द्वारा परिणामी कंपनी को अंतरित किया जाता है, वहाँ विलयित कंपनी के आस्तियों के ब्लाक का ठीक पूर्ववर्ती कर वर्ष के लिए लिखित मूल्य, ऐसे विलयन के अनुसरण में परिणामी कंपनी को अंतरित आस्तियों के अवलिखित मूल्य से कम कर दिया जाएगा।

(4) जहाँ किसी आस्ति, जो आस्तियों के समूह का हिस्सा है, को विलयित कंपनी द्वारा परिणामी कंपनी को अंतरित किया जाता है, तो परिणामी कंपनी के लिए, धारा 39 में निहित किसी भी बात पर ध्यान दिए बिना, आस्तियों के समूह की वास्तविक लागत, ऐसे विलयन से ठीक पहले विलयित कंपनी से अंतरित आस्तियों का लिखित मूल्य होगी।

(5) जहां किसी निजी कंपनी या गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी द्वारा आस्तियों का कोई समूह किसी सीमित देयता भागीदारी को अंतरित किया जाता है और धारा 70(1)(यड) की शर्तें पूरी होती हैं, तो धारा 39 में निहित किसी भी बात पर ध्यान दिए बिना, सीमित देयता भागीदारी के हाथों में आस्तियों के समूह की वास्तविक लागत, कंपनी के सीमित देयता भागीदारी में रूपांतरण की तिथि को उक्त कंपनी के हाथों में लिखित मूल्य होगी।

(6) जहां आस्तियों के ब्लाक का हिस्सा बनने वाली कोई भी आस्ति भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा अनुमोदित भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के निगमीकरण की स्कीम के अधीन किसी कंपनी को अंतरित की जाती है,

ऐसी कंपनी के हाथों में आस्तियों के बलाक का अवलिखित मूल्य, ऐसे अंतरण से ठीक पहले अंतरित आस्तियों का अवलिखित मूल्य होगा।

(7) धारा 313 के अधीन कारबार या वृत्ति में उत्तराधिकार के मामले में, जहाँ धारा 313 (2) के अधीन उत्तराधिकारी के द्वारा मूल्यांकन किया जाता है, किसी भी आस्ति या आस्तियों के बलाक का अवलिखित मूल्य वह राशि होगी जो उसके अवलिखित मूल्य के रूप में ली जाती, यदि मूल्यांकन सीधे उत्तराधिकारी पर किया गया होता।

(8) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, धारा 33(11) के अधीन अग्रणीत किसी भी मूल्यहास के संबंध में कोई भी भत्ता वास्तविक अनुज्ञात मूल्यहास माना जाएगा।

(9) जहाँ किसी करदाता को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विचाराधीन कर वर्ष से पूर्ववर्ती किसी कर वर्ष या कर वर्षों के लिए अपनी कुल आय की गणना करने की अपेक्षा नहीं थी,—

(क) किसी आस्ति की वास्तविक लागत को लेखा पुस्तकों में ऐसी आस्ति के पुनर्मूल्यांकन, यदि कोई हो, के कारण होने वाली राशि से समायोजित किया जाएगा;

(ख) विचाराधीन कर वर्ष से पूर्ववर्ती ऐसे कर वर्ष या कर वर्षों के संबंध में करदाता की लेखा पुस्तकों में उल्लिखित ऐसी आस्ति पर मूल्यहास की कुल राशि इस खंड के प्रयोजनों के लिए इस अधिनियम के अधीन वास्तव में अनुज्ञात मूल्यहास मानी जाएगी; और

(ग) खंड (ख) के अधीन वास्तविक अनुज्ञात मूल्यहास को आस्ति के ऐसे पुनर्मूल्यांकन के कारण होने वाले मूल्यहास की राशि से समायोजित किया जाएगा।

(10) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, जहाँ किसी करदाता की आय, आंशिक रूप से कृषि से और आंशिक रूप से “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन आयकर से प्रभार्य कारबार से प्राप्त होती है, वहाँ कर वर्ष से पहले अर्जित आस्तियों के अवलिखित मूल्य की गणना करने के लिए, मूल्यहास की कुल राशि की गणना इस प्रकार की जाएगी मानो पूरी आय “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन करदाता के कारबार से प्राप्त हुई हो और इस प्रकार गणना की गई मूल्यहास को इस अधिनियम या आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन वास्तविक अनुज्ञात मूल्यहास माना जाएगा।

(11) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “बेचा गया” शब्द का वही अर्थ होगा जो धारा 38(6)(क) में दिया गया है।

42. (1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में निहित किसी भी बात पर ध्यान दिए बिना, जहाँ कर वर्ष के दौरान भुगतान करते समय, भारत के बाहर किसी देश से कारबार या वृत्ति के उद्देश्य से अर्जित किसी आस्ति के संबंध में, विनिमय दर में परिवर्तन के कारण, भारतीय मुद्रा में व्यक्त किसी करदाता के दायित्व में परिवर्तन होता है, तो उसे उप-धारा (2) और (3) में निर्दिष्ट तरीके से निपटाया जाएगा।

(2) इस धारा के लिए, दायित्व में किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकरण द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वहन किए गए किसी भी भाग को शामिल नहीं किया जाएगा और “दायित्व में परिवर्तन” की गणना इस प्रकार की जाएगी—

क = ख-ग

विदेशी मुद्रा में
उत्तर-चढ़ाव के
प्रभाव का लाभ
उठाना।

जहाँ, —

क = दायित्व में परिवर्तन;

ख = भुगतान उस समय भारतीय मुद्रा में व्यक्त किया जाता है जब यह—

(क) आस्ति की पूरी या आंशिक लागत के लिए; या

(ख) विशेष रूप से ऐसी आस्ति अर्जित करने के लिए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, विदेशी मुद्रा में ब्याज सहित, उधार ली गई धनराशि के संपूर्ण या आंशिक भुगतान के लिए,

किया जाता है ;

ग = ऐसी आस्ति के अधिग्रहण के समय भारतीय मुद्रा में, ख में निर्दिष्ट राशि के अनुरूप देयता ।

(3) दायित्व में अंतर को निम्नलिखित में जोड़ा या घटाया जाएगा—

(क) धारा 39 में यथाविनिर्दिष्ट आस्ति की वास्तविक लागत; या

(ख) या धारा 32 (i) या धारा 45(1)(क)(i) में विनिर्दिष्ट पूंजी प्रकृति का व्यय; या

(ग) धारा 72 के प्रयोजन के लिए किसी पूंजी आस्ति (जो धारा 74 में विनिर्दिष्ट पूंजी आस्ति नहीं है) के अर्जन की लागत,

तथा पूंजी आस्ति के अर्जन की लागत को, यथास्थिति, इस प्रकार जोड़ने या घटाने के पश्चात् आई रकम या पूंजी प्रकृति के व्यय की रकम को आस्ति की वास्तविक लागत माना जाएगा ।

1999 का 42

(4) जहां निर्धारिती ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 2 में यथा परिभाषित किसी प्राधिकृत ब्यौहारी के साथ, किसी तारीख को विदेशी मुद्रा में कोई राशि उपलब्ध कराने या किसी संविदात्मक भविष्य की तारीख को संविदा में विनिर्दिष्ट विनिमय दर पर राशि उपलब्ध कराने की संविदा की है जिससे उक्त दायित्व की पूर्ण या आंशिक रूप से पूर्ति करने में समर्थ बनाया जा सके, वहां ऐसी रकम, यदि कोई हो, जिसे यथास्थिति, आस्ति की वास्तविक लागत में जोड़ा या घटाया जाना है या पूंजी प्रकृति के व्यय की रकम, इस धारा के अधीन पूंजी आस्ति के अर्जन की लागत होगी, संविदा में यथा विनिर्दिष्ट उतनी राशि के संबंध में, जो उक्त दायित्व का निर्वहन करने के लिए उपलब्ध है, की संगणना उसमें विनिर्दिष्ट विनिमय दर के संदर्भ से की जाएगी ।

43. (1) धारा 42 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विदेशी मुद्रा दरों में किसी परिवर्तन के परिणामस्वरूप उद्भूत किसी लाभ या हानि को, यथास्थिति, आय या हानि माना जाएगा और ऐसे लाभ या हानि की संगणना धारा 276 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना और प्रकटन मानकों के अनुसार की जाएगी ।

विदेशी मुद्रा में
उतार-चढ़ाव का
कराधान ।

(2) उपधारा (1) के उपबंध सभी विदेशी मुद्रा संव्यवहारों के संबंध में लागू होंगे, जिसके अधीन निम्नलिखित भी हैं—

(क) धनीय मदें और गैर-धनीय मदें;

कतिपय प्रारंभिक
व्ययों का
अवक्षण ।

(ख) विदेशी प्रचालनों के वित्तीय विवरणों का परिवर्तन;

(ग) अग्रिम विनियम संविदाएं;

(घ) विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षितियां ।

44. (1) यदि कोई निर्धारिती, जो भारतीय कंपनी है या कोई व्यक्ति (कंपनी से भिन्न), जो भारत में निवासी है, उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट कोई व्यय—

(क) अपने कारबार के प्रारंभ से पूर्व; या

(ख) अपने कारबार के प्रारंभ के पश्चात्, अपने उपक्रम के विस्तार के संबंध में या अपनी नई इकाई स्थापित करने के संबंध में,

उपगत करता है वहां निर्धारिती को ऐसे व्यय के पांचवें भाग के बराबर राशि की कटौती पांच क्रमवर्ती कर वर्षों में से प्रत्येक के लिए अनुज्ञात की जाएगी, जो निम्नलिखित से प्रारंभ होगी—

(i) खंड (क) के लिए वह कर वर्ष जिसमें कारबार प्रारंभ होता है; या

(ii) खंड (ख) के लिए वह कर वर्ष जिसमें उपक्रम का विस्तार पूरा हो जाता है या नई इकाई उत्पादन या प्रचालन प्रारंभ करती है ।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट व्यय—

(क) निम्नलिखित के संबंध में व्यय—

(i) साध्यता रिपोर्ट तैयार करना;

(ii) परियोजना रिपोर्ट तैयार करना;

(iii) कारबार के लिए आवश्यक बाजार सर्वेक्षण या कोई अन्य सर्वेक्षण करना;

(iv) कारबार से संबंधित इंजीनियरिंग सेवाएं;

(ख) कारबार की स्थापना या प्रचालन से संबंधित किसी भी उद्देश्य के लिए निर्धारिती और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी भी करार का प्रारूप तैयार करने के लिए विधिक प्रभार;

(ग) (क) और (ख) में व्यय के अतिरिक्त, यदि निर्धारिती एक कंपनी है,—

(i) कंपनी के ज्ञापन और संगम के अनुच्छेदों के प्रारूपण और मुद्रण के लिए प्रभार;

(ii) कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अधीन कंपनी को रजिस्ट्रीकृत करने के लिए प्रभार;

(iii) कंपनी के शेयरों या डिबेंचर के लोक अभिदाय के लिए जारी करने के संबंध में व्यय, जो कमीशन, दलाली और प्रॉस्पेक्टस के प्रारूपण, टाइप करने, मुद्रण और विज्ञापन के लिए प्रभार है; और

(घ) व्यय की ऐसी अन्य मदें (जो इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन किसी भते या कटौती के लिए पात्र व्यय नहीं हैं), जिन्हें विहित किया जाए।

(3) उपधारा (2)(क) में विनिर्दिष्ट व्यय के संबंध में, निर्धारिती ऐसे प्रारूप और रीति से जो विहित किया जाए व्यय की विशिष्टियां अंतर्विष्ट करने वाला विवरण प्रस्तुत करेगा ।

(4) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट कुल व्यय के संबंध में उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञात कटौती :—

(क) परियोजना की लागत का; या

(ख) कंपनी के कारबार में नियोजित पूंजी का, जहां निर्धारिती एक भारतीय कंपनी है,

उसके विकल्प पर 5% तक सीमित होगा ।

(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "परियोजना की लागत" से स्थिर आस्तियों की वास्तविक लागत, भूमि, भवन, पट्टे, संयंत्र, मशीनरी, फर्नीचर, फिटिंग और रेलवे साइडिंग (जिसके अधीन भूमि और भवनों के विकास पर व्यय भी शामिल है) और—

(i) उपधारा (1)(क) के अधीन मामलों के लिए, कर वर्ष के अंतिम दिन, जब कारोबार शुरू होता है, करदाता की पुस्तकों में दर्शाई गई वास्तविक लागत;

(ii) उपधारा (1)(ख) के अधीन मामलों के लिए, कर वर्ष के अंतिम दिन, जिसमें उपक्रम का विस्तार पूरा हो जाता है, या नई इकाई उत्पादन या परिचालन शुरू करती है, जैसा भी मामला हो, करदाता की पुस्तकों में दर्शाई गई वास्तविक लागत, जहां तक उपक्रम के विस्तार या नई इकाई की स्थापना के संबंध में ऐसी अचल संपत्तियों का अधिग्रहण या विकास किया गया है, अभिप्रेत है ;

(ख) "कंपनी के कारबार में नियोजित पूंजी" से—

(i) उपधारा (1)(क) के अधीन मामलों में, कर वर्ष के अंतिम दिन तक जारी शेयर पूंजी, डिबेंचर और दीर्घकालिक उधार का कुल योग, जिसमें कंपनी का कारबार आरंभ होता है;

(ii) उपधारा (1)(ख) के अधीन किसी मामले में, कर वर्ष के अंतिम दिन तक जारी शेयर पूंजी, डिबेंचर और दीर्घकालिक उधारों का योग, जिसमें उपक्रम का विस्तार पूरा हो जाता है या, जैसा भी मामला हो, नई इकाई उत्पादन या प्रचालन आरंभ करती है, जहां तक कि ऐसी पूंजी, डिबेंचर और दीर्घकालिक उधार उपक्रम के विस्तार या कंपनी की नई इकाई की स्थापना के संबंध में जारी या प्राप्त किए गए हैं अभिप्रेत है ।

(ग) "दीर्घकालिक उधार" से—

(i) कंपनी द्वारा सरकार या भारत औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड या किसी अन्य वित्तीय संस्थान से उधार लिया गया कोई धन जो धारा 32(ड) या किसी बैंकिंग संस्थान (जो ऊपर उल्लिखित वित्तीय संस्थान न हो) के अधीन कटौती के लिए पात्र है; या

(ii) भारत के बाहर पूंजी संयंत्र और मशीनरी के कम के संबंध में किसी अन्य देश में इसके द्वारा लिया गया कोई उधार या ऋण, जहां उधार या ऋण की अवधि सात वर्ष से कम नहीं है, अभिप्रेत है ।

(6) यदि निर्धारिती, किसी कंपनी या सहकारी समिति के अलावा, उपधारा (1) के

अधीन कोई कटौती स्वीकार्य नहीं होगी, जब तक कि,—

(क) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट व्यय किए जाने वाले वर्ष या वर्षों के लिए निर्धारिती के लेखों की संपरीक्षा धारा 63 में निर्दिष्ट तिथि से पहले एक लेखापाल द्वारा न की गई हो; और

(ख) निर्धारिती पहले वर्ष के लिए जिसमें इस धारा के अधीन कटौती का दावा किया जाता है, ऐसी संपरीक्षा की रिपोर्ट ऐसी तारीख तक ऐसे लेखापाल द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित और ऐसी विशिष्टियां प्रस्तुत न कर दे जैसी कि विहित की जाए।

(7) यदि उपधारा (1) के अधीन कटौती के लिए हकदार भारतीय कंपनी का उपक्रम उक्त उपधारा में विनिर्दिष्ट पांच वर्षों की समाप्ति से पहले समामेलन की स्कीम में किसी अन्य भारतीय कंपनी को अंतरित कर दिया जाता है, तब—

(क) उपधारा (1) के अधीन कोई कटौती समामेलन करने वाली कंपनी को उस कर वर्ष के लिए अनुज्ञात नहीं की जाएगी जिसमें समामेलन होता है; और

(ख) इस धारा के सभी उपबंध समामेलित कंपनी पर उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे समामेलित करने वाली कंपनी पर लागू होते, मानो समामेलन नहीं हुआ हो।

(8) यदि उपधारा (1) के अधीन कटौती के लिए पात्र भारतीय कंपनी का उपक्रम, उक्त उपधारा में विनिर्दिष्ट पांच वर्ष से पूर्व, निर्विलीन की स्कीम में किसी अन्य कंपनी को अंतरित कर दिया जाता है, तब—

(क) निर्विलीन कंपनी को उस कर वर्ष के लिए उपधारा (1) के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी, जिसमें निर्विलयन हुआ हो; और

(ख) इस धारा के सभी उपबंध परिणामी कंपनी पर उसी प्रकार लागू होते रहेंगे, जैसे वे निर्विलीन कंपनी पर लागू होते, मानो निर्विलयन नहीं हुआ हो।

(9) यदि उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी व्यय के संबंध में किसी कर वर्ष के लिए इस धारा के अधीन कटौती का दावा किया जाता है और उसे अनुज्ञात किया जाता है, तो उसी या किसी अन्य कर वर्ष के लिए इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन ऐसे व्यय के लिए कटौती नहीं की जाएगी।

वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय।

45. (1) (क) किसी व्यय के लिए कटौती अनुज्ञात की जाएगी, जो निम्न प्रकृति की हो—

(i) पूंजीगत व्यय, लेकिन भूमि के अधिग्रहण पर नहीं, इस रूप में या किसी संपत्ति के भाग के रूप में; या

(ii) राजस्व व्यय,

जो इस धारा के उपबंधों के अधीन निर्धारिती के कारबार से संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान पर उपगत किए गए हों।

(ख) इस उपधारा के अधीन कारबार से संबंधित व्यय (पूंजीगत व्यय की प्रकृति में नहीं) के योग के संबंध में कटौती भी अनुज्ञात की जाएगी, जो निम्नलिखित पर उपगत किए गए हों—

(i) ऐसे वैज्ञानिक अनुसंधान में लगे कर्मचारी को वेतन; या

(ii) ऐसे वैज्ञानिक अनुसंधान में उपयोग की जाने वाली सामग्रियों का क्रय, और जहां ऐसा व्यय कारबार के प्रारंभ से तुरंत पहले तीन वर्षों के भीतर किया जाता है, विहित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित सीमा तक ऐसे अनुसंधान और ऐसे व्यय पर उपगत व्यय को उस कर वर्ष में किया गया माना जाएगा जिसमें कारबार आरंभ किया गया है।

(ग) इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, कारबार आरंभ होने से ठीक पहले तीन वर्षों के भीतर किए गए पूंजीगत व्यय का योग उस कर वर्ष में किया गया माना जाएगा जिसमें कारबार आरंभ किया गया है;

(2) (i) वैज्ञानिक अनुसंधान पर किए गए किसी भी व्यय (किसी भूमि या भवन की लागत की प्रकृति में व्यय नहीं) के संबंध में कटौती अनुज्ञात की जाएगी जो निम्नलिखित कारबार में लगी हो—

(अ) जैव प्रौद्योगिकी; या

(आ) किसी वस्तु या चीज का विनिर्माण या उत्पादन, जो अनुसूची 13 में विनिर्दिष्ट नहीं है,

विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित आंतरिक अनुसंधान और विकास सुविधा पर, निर्धारित शर्तों और तरीके के अधीन, जो विहित की जाए ;

(ii) उपधारा (3)(ख)(ii) के अधीन अनुमोदित कंपनी को इस खंड के अधीन कोई कटौती नहीं दी जाएगी;

(iii) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन उपखंड (i) में उल्लिखित व्यय के संबंध में कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iv) उपखंड (i) के अधीन व्यय ऐसी शर्तों के अधीन तथा निर्धारित प्रारूप और तरीके से दस्तावेज प्रस्तुत करने पर अनुज्ञात किया जाएगा, जो विहित किया जाए ।

(घ) इस खंड (ग) के प्रयोजनों के लिए, दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स के संबंध में "वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय" में नैदानिक दवा परीक्षण, किसी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम के अधीन किसी नियामक प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त करने और पेटेंट अधिनियम, 1970 के अधीन पेटेंट के लिए आवेदन दाखिल करने पर किया गया व्यय शामिल होगा।

(3) निम्नलिखित को भुगतान की गई किसी राशि के लिए कटौती की अनुमति दी जाएगी—

(क) (i) वैज्ञानिक अनुसंधान करने के उद्देश्य से अनुसंधान संगम या वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उपयोग किए जाने वाले विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या संस्थान को; या

(ii) सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान में अनुसंधान करने के उद्देश्य से अनुसंधान संगम या सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान में अनुसंधान के लिए उपयोग किए जाने वाले विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या संस्थान को;

(ख) कोई कंपनी जो—

(i) भारत में रजिस्ट्रीकृत है जिसका मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास है; और

(ii) इस खंड के प्रयोजन के लिए, वर्तमान में ऐसे प्राधिकरण द्वारा, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन, जैसा कि निर्धारित है, अनुमोदित है;

(ग) (i) एक राष्ट्रीय प्रयोगशाला; या

(ii) एक विश्वविद्यालय; या

(iii) एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान; या

(iv) एक विनिर्दिष्ट व्यक्ति,

इस विशिष्ट निर्देश के साथ कि उक्त राशि का उपयोग विहित प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में अनुमोदित कार्यक्रम के अधीन किए जाने वाले वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाएगा।

(4) उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए,—

(क) व्यय ऐसी शर्तों के अधीन और ऐसे निर्धारित रूप और तरीके से दस्तावेज प्रस्तुत करना जो विहित किया जाए ; और

(ख) उक्त उपधारा के खंड (क) संबंध में, केवल ऐसा संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्थान कटौती के लिए पात्र होगा, जो उस समय ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन अनुमोदित है, जैसा कि विहित है और जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है।

(5) उपधारा (3) के अधीन किसी राशि के लिए कटौती से केवल इस आधार पर इनकार नहीं किया जाएगा कि तत्पश्चात् निर्धारित द्वारा ऐसी राशि का भुगतान, ऐसी इकाईयों को दी गई स्वीकृति या उपधारा (3)(ग) में यथा उल्लिखित इकाईयों द्वारा कार्यक्रम को वापस ले लिया गया है।

(6) जहां किसी आस्ति द्वारा पूर्णतः या आंशिक रूप से दर्शाए गए व्यय के संबंध में इस धारा के अधीन किसी कर वर्ष के लिए कटौती की अनुमति दी जाती है, उस आस्ति के संबंध में उसी या किसी अन्य कर वर्ष के लिए धारा 33(3) के अधीन कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(7) मूल्यहास के संबंध में धारा 33(11) के उपबंध उपधारा (1) के अधीन पूंजीगत व्यय के लिए स्वीकार्य कटौतियों के संबंध में लागू होंगे।

(8) उपधारा (3)(ग) में उल्लिखित राशि के संबंध में इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(9) यदि इस धारा के अधीन कोई प्रश्न उठता है कि क्या, और यदि हाँ, तो किस सीमा तक कोई गतिविधि वैज्ञानिक अनुसंधान का गठन करती है या करती थी, या कोई आस्ति वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उपयोग की जा रही है या की जा रही थी, तो बोर्ड उस प्रश्न को निम्नलिखित को संदर्भित करेगा—

(क) केंद्रीय सरकार, जब ऐसा प्रश्न उपधारा (3)(क) के अधीन किसी गतिविधि से संबंधित हो, और उसका निर्णय अंतिम होगा;

(ख) विहित प्राधिकारी, जब ऐसा प्रश्न किसी अन्य गतिविधि से संबंधित हो, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

(10) जब कोई समामेलक कंपनी, समामेलन की स्कीम में, वैज्ञानिक अनुसंधान पर पूंजीगत व्यय का प्रतिनिधित्व करने वाली किसी आस्ति को समामेलित कंपनी (एक

भारतीय कंपनी होने के नाते) को बेचती है या अन्यथा अंतरित करती है, तो इस धारा के उपबंध समामेलित कंपनी पर उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे समामेलक कंपनी पर लागू होते यदि उसने आस्ति को इस प्रकार नहीं बेचा होता या अन्यथा अंतरित नहीं किया होता।

(11) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “राष्ट्रीय प्रयोगशाला” से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद्, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, जैव-प्रौद्योगिकी विभाग या परमाणु ऊर्जा विभाग के तत्वावधान में राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत वैज्ञानिक प्रयोगशाला और जिसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से, जैसा कि विहित किया गया है, राष्ट्रीय प्रयोगशाला के रूप में अनुमोदित किया गया है अभिप्रेत है;

(ख) “वेतन” का अर्थ धारा 16 में निर्दिष्ट है, धारा 18 के साथ पठित, निम्नलिखित संशोधनों के अधीन:

(i) धारा 16 में, खंड (ड.) और (ज) का लोप किया जाएगा;

(ii) धारा 18 में, “करदाता” के संदर्भों को “कर्मचारी या पूर्व कर्मचारी” के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा और “उसके नियोक्ता या पूर्व नियोक्ता” और “नियोक्ता या पूर्व नियोक्ता” के संदर्भों को “करदाता” के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा;

(ग) “विनिर्दिष्ट व्यक्ति” से विहित प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है; और

(घ) उपधारा (1)(क)(i) के प्रयोजन के लिए “भूमि” में भवन सम्मिलित है ।

46. (1) किसी निर्धारित को, उसके विकल्प पर, उस कर वर्ष के दौरान, जिसमें ऐसा व्यय किया गया है, उसके द्वारा किए गए किसी विनिर्दिष्ट कारबार के प्रयोजनों के लिए पूर्णतः और अनन्य रूप से किए गए संपूर्ण पूंजीगत व्यय की कटौती की अनुमति दी जाएगी ।

विनिर्दिष्ट
कारबार का
पूंजीगत व्यय ।

(2) जहां उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट व्यय उसके परिचालन के प्रारंभ से पूर्व किया जाता है और ऐसा व्यय उसके परिचालन के प्रारंभ की तारीख को लेखा पुस्तकों में पूंजीकृत है, वहां उसे उस कर वर्ष के दौरान अनुज्ञात किया जाएगा जिसमें ऐसा कारबार प्रारंभ किया गया है।

(3) यह धारा निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करने वाले विनिर्दिष्ट कारबार पर लागू होती है, अर्थात्:—

(क) यह पहले से मौजूद कारबार के निर्विलीन या पुनर्निर्माण द्वारा स्थापित नहीं है;

(ख) यह विनिर्दिष्ट कारबार में किसी भी उद्देश्य के लिए पहले से उपयोग की गई मशीनरी या संयंत्र के अंतरण द्वारा स्थापित नहीं है;

(ग) यदि कारबार उपधारा (11) (घ) (iii) में विनिर्दिष्ट प्रकृति का है और ऐसा कारबार—

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन भारत में गठित और रजिस्ट्रीकृत किसी कंपनी या ऐसी कंपनियों के संगम या किसी केंद्रीय अधिनियम या

राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित या गठित किसी प्राधिकरण या बोर्ड या निगम के स्वामित्व में है;

(ii) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 3(1) के अधीन स्थापित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड द्वारा अनुमोदित है और इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित है;

2006 का 19

(iii) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 3(1) के अधीन स्थापित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट अपनी कुल पाइपलाइन क्षमता के कम से कम ऐसे अनुपात को निर्धारित या संबद्ध व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सामान्य वाहक आधार पर उपयोग के लिए उपलब्ध कराया है; और

2006 का 19.

(iv) किसी अन्य शर्तों को पूरा करता है, जो विहित की जाए;

(घ) यदि कारबार उपधारा (11)(घ)(xiv) में विनिर्दिष्ट प्रकृति का है, तो ऐसा कारबार,—

(i) भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी कंपनी या ऐसी कंपनियों के संगम या किसी प्राधिकरण या बोर्ड या निगम या किसी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित या गठित किसी अन्य निकाय के स्वामित्व में है;

(ii) उपखंड (i) में विनिर्दिष्ट इकाई ने केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य वैधानिक निकाय के साथ किसी नई अवसंरचना सुविधा के विकास, प्रचालन और रखरखाव या विकास, प्रचालन और रखरखाव के लिए कोई समझौता किया है।

(4) कोई कटौती उस कर वर्ष या किसी अन्य कर वर्ष के लिए ऐसे विनिर्दिष्ट कारबार के संबंध में धारा 144 और अध्याय 8ग के उपबंधों के अधीन अनुज्ञात नहीं की जाएगी यदि उपधारा (1) के अधीन किसी कटौती का दावा किया गया है या अनुज्ञात की गई है।

(5) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट व्यय के संबंध में कोई कटौती किसी भी कर वर्ष में किसी अन्य धारा के अधीन या किसी अन्य कर वर्ष में इस धारा के अधीन निर्धारित को नहीं दी जाएगी, यदि कटौती का दावा किया गया है और उसे इस धारा के अधीन अनुमति दी गई है।

(6) इस धारा के उपबंध नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (ख) में विनिर्दिष्ट कारबार पर लागू होंगे यदि यह स्तंभ (ग) में विनिर्दिष्ट अनुसार अपना प्रचालन प्रारंभ करता है।

सारणी

क्र. सं.	विनिर्दिष्ट कारबार की प्रकृति	परिचालन आरंभ होने की तिथि या उसके बाद
क	ख	ग
1.	वितरण के लिए देश भर में प्राकृतिक गैस	1 अप्रैल, 2007

-
- पाइपलाइन नेटवर्क बिछाना और उसका प्रचालन करना, जिसमें भंडारण सुविधाएं भी शामिल हैं, जो ऐसे नेटवर्क का अभिन्न अंग हैं।
2. केंद्रीय सरकार द्वारा वर्गीकृत दो सितारा या उससे ऊपर की श्रेणी के नए होटल का निर्माण और प्रचालन। 1 अप्रैल, 2010
 3. मरीजों के लिए कम से कम 100 बिस्तरों वाले नए अस्पताल का निर्माण और प्रचालन। 1 अप्रैल, 2010
 4. केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा और ऐसे दिशानिर्देशों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, इस निमित्त बोर्ड द्वारा अधिसूचित किए गए हैं, तैयार की गई मलिन बस्ती पुनर्विकास या पुनर्वास के लिए एक स्कीम के अधीन आवास परियोजना का विकास और निर्माण करना। 1 अप्रैल, 2010
 5. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा और ऐसे दिशानिर्देशों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, इस निमित्त बोर्ड द्वारा अधिसूचित किए गए हैं तैयार किफायती आवास के लिए एक स्कीम के अधीन आवास परियोजना का विकास और निर्माण करना। 1 अप्रैल, 2011
 6. उर्वरक उत्पादन के लिए एक नया संयंत्र या मौजूदा संयंत्र में नव स्थापित क्षमता । 1 अप्रैल, 2011
 7. सीमा प्रभार अधिनियम, 1962 के अधीन अधिसूचित या अनुमोदित अंतर्देशीय कंटेनर डिपो या कंटेनर फ्रेट स्टेशन की स्थापना और प्रचालन । 1 अप्रैल, 2012
 8. मधुमक्खी पालन और शहद और मोम का उत्पादन । 1 अप्रैल, 2012
 9. चीनी के भंडारण के लिए गोदाम सुविधा की स्थापना और प्रचालन। 1 अप्रैल, 2012
 10. लौह अयस्क के परिवहन के लिए स्लरी पाइपलाइन बिछाना और उसका प्रचालन करना । 1 अप्रैल, 2014
 11. सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन विनिर्माण इकाई की स्थापना और प्रचालन करना और ऐसे दिशानिर्देशों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, इस निमित्त बोर्ड द्वारा अधिसूचित किए गए हैं । 1 अप्रैल, 2014

12. किसी भी बुनियादी ढांचे की सुविधा का विकास, 1 अप्रैल, 2017
प्रचालन और रखरखाव करना, या विकास, प्रचालन
और रखरखाव करना ।

13. अन्य सभी मामलों में । 1 अप्रैल, 2009

(7) जहां निर्धारिती केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा वर्गीकृत दो सितारा या उससे ऊपर वर्गों के होटल का निर्माण करता है और तत्पश्चात् किसी अन्य व्यक्ति को होटल परिचालन करने के लिए अंतरण करता है जबकि उसका स्वामित्व अपने पास रखता है वहां निर्धारिती उपधारा (11)(घ)(iv) में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट कारबार को चलाता हुआ समझा जाएगा ।

(8) धारा 122(6) धारा 140(8) और (13) में अंतर्विष्ट उपबंध जहां तक हो सके निर्दिष्ट कारबार के प्रयोजन के लिए धारित माल या सेवाओं या आस्तियों के संबंध में इस धारा को लागू होंगे ।

(9) कोई आस्ति जिसके लिए इस धारा के अधीन कटौती का दावा किया गया है और उसे अनुमति दी गई है—

(क) केवल विनिर्दिष्ट कारबार के लिए आठ वर्ष की अवधि के लिए उपयोग की जाएगी, जो उस कर वर्ष से आरंभ होगी जिसमें ऐसी आस्ति अर्जित या निर्मित की गई है;

(ख) खंड (क) में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न किसी उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है और धारा 26(2) (ट) के अधीन कर से प्रभार्य नहीं है, तो एक या एक से अधिक कर वर्षों में इस प्रकार दावा की गई और अनुज्ञात की गई कटौती की कुल राशि, धारा 33 के अधीन अनुज्ञेय मूल्यहास की रकम से कम करके, मानो इस धारा के अधीन कोई कटौती की अनुज्ञा नहीं दी गई थी, वह उस कर वर्ष के "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय होगी जिसमें आस्ति का इस प्रकार उपयोग किया गया है।

(10) उपधारा (9)(ख) के उपबंध किसी ऐसी कंपनी पर लागू नहीं होंगे, जो उपधारा (9)(क) में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 की धारा 17(1) के अधीन रुग्ण औद्योगिक कंपनी बन गई हो, जैसा कि वह रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) निरसन अधिनियम, 2003 द्वारा निरसित किए जाने से पूर्व थी।

1986 का 1

2004 का 1

(11) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) निर्धारिती के संबंध में "संबद्ध व्यक्ति" से अभिप्रेत ऐसे व्यक्ति से है,—

(i) जो निर्धारिती के प्रबंधन, नियंत्रण या पूंजी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या एक या अधिक मध्यस्थों के माध्यम से भाग लेता है;

(ii) जो निर्धारिती की पूंजी में कम से कम 26% मतदान शक्ति वाले शेयर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रखता है;

(iii) जो निर्धारिती के निदेशक मंडल के आधे से अधिक सदस्यों या

शासी मंडल के सदस्यों या एक या अधिक कार्यकारी निदेशकों या शासी मंडल के कार्यकारी सदस्यों की नियुक्ति करता है; या

(iv) जो निर्धारित की कुल उधारी के कम से कम 10% की गारंटी देता है;

(ख) "कोल्ड चेन सुविधा" से कृषि और वन उपज, मांस और मांस उत्पादों, मुर्गी पालन, समुद्री और डेयरी उत्पादों, बागवानी, पुष्प कृषि और मधुमक्खी पालन के उत्पादों और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के भंडारण या परिवहन के लिए वैज्ञानिक रूप से नियंत्रित स्थितियों के अधीन सुविधाओं की एक श्रृंखला है, जिसमें प्रशीतन और ऐसे उत्पादों के संरक्षण के लिए आवश्यक अन्य सुविधाएं शामिल हैं, अभिप्रेत है ;

(ग) "अवसंरचना सुविधा" से-

(i) टोल रोड, पुल या रेल प्रणाली सहित सड़क;

(ii) आवास या अन्य गतिविधियाँ जो राजमार्ग परियोजना का अभिन्न अंग हैं, सहित राजमार्ग परियोजना;

(iii) जल आपूर्ति परियोजना, जल उपचार प्रणाली, सिंचाई परियोजना, स्वच्छता और सीवरेज प्रणाली या ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली;

(iv) बंदरगाह, हवाई अड्डा, अंतर्देशीय जलमार्ग, अंतर्देशीय बंदरगाह या समुद्र में नौवहन चैनल अभिप्रेत है ;

(घ) "विनिर्दिष्ट कारबार" से निम्नलिखित व्यवसायों में से कोई एक या अधिक अभिप्रेत है, अर्थात् :—

(i) कोल्ड चेन सुविधा की स्थापना और प्रचालन;

(ii) कृषि उपज के भंडारण के लिए गोदाम सुविधा की स्थापना और प्रचालन;

(iii) वितरण के लिए क्रॉस-कंट्री प्राकृतिक गैस या कच्चे तेल या पेट्रोलियम तेल पाइपलाइन नेटवर्क बिछाना और संचालित करना, जिसमें भंडारण सुविधाएं ऐसे नेटवर्क का अभिन्न अंग हैं;

(iv) भारत में कहीं भी, केंद्रीय सरकार द्वारा वर्गीकृत दो सितारा या उससे ऊपर की श्रेणी का होटल बनाना और संचालित करना;

(v) भारत में कहीं भी, मरीजों के लिए कम से कम 100 बिस्तरों वाला अस्पताल बनाना और संचालित करना;

(vi) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई मलिन बस्ती पुनर्विकास या पुनर्वास स्कीम के अधीन आवास परियोजना का विकास और निर्माण करना और जिसे ऐसे दिशानिर्देशों के अनुसार इस निमित्त बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जाए ;

(vii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई किफायती आवास स्कीम के अधीन आवास परियोजना का विकास और निर्माण करना और निर्माण करना और जिसे ऐसे दिशानिर्देशों के अनुसार इस निमित्त बोर्ड

द्वारा अधिसूचित किया जाए ;

(viii) भारत में उर्वरक का उत्पादन;

(ix) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन अधिसूचित या अनुमोदित अंतर्देशीय कंटेनर डिपो या कंटेनर फ्रेट स्टेशन की स्थापना और प्रचालन करना;

(x) मधुमक्खी पालन और शहद और मोम का उत्पादन;

(xi) चीनी के भंडारण के लिए गोदाम सुविधा की स्थापना और प्रचालन करना;

(xii) लौह अयस्क के परिवहन के लिए स्लरी पाइपलाइन बिछाना और प्रचालन करना;

(xiii) सेमी-कंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन विनिर्माण इकाई की स्थापना और प्रचालन करना जिसे ऐसे दिशानिर्देशों के अनुसार इस निमित्त बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जाए;

(xiv) एक नई अवसंरचना सुविधा का विकास, या रखरखाव और प्रचालन करना, या विकास, रखरखाव और प्रचालन करना, जिसे बोर्ड द्वारा इस संबंध में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार अधिसूचित किया जाता है;

(ड) कोई मशीनरी या संयंत्र जो निर्धारिती के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर उपयोग किया गया था, उसे किसी भी उद्देश्य के लिए पहले उपयोग की गई मशीनरी या संयंत्र नहीं माना जाएगा, यदि—

(i) ऐसी मशीनरी या संयंत्र निर्धारिती द्वारा स्थापना की तारीख से पहले किसी भी समय भारत में उपयोग नहीं किया गया था;

(ii) ऐसी मशीनरी या संयंत्र भारत में आयात किया जाता है; और

(iii) ऐसी मशीनरी या संयंत्र के लिए मूल्यहास की कोई कटौती इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन निर्धारिती द्वारा मशीनरी या संयंत्र की स्थापना की तारीख से पहले किसी भी अवधि के लिए किसी भी व्यक्ति की कुल आय की गणना करने में अनुमत नहीं है;

(च) यदि किसी भी उद्देश्य के लिए पहले उपयोग की गई कोई मशीनरी या संयंत्र या उसका हिस्सा विनिर्दिष्ट कारबार को अंतरित किया जाता है और इसका कुल मूल्य ऐसे कारबार में उपयोग की गई मशीनरी या संयंत्र के कुल मूल्य के 20% से अधिक नहीं है, तो उपधारा 3 (ख) में विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन किया गया माना जाएगा;

(छ) पूंजीगत प्रकृति के किसी व्यय में निम्नलिखित व्यय शामिल नहीं होंगे—

(i) जिसके लिए किसी व्यक्ति को एक दिन में किया गया भुगतान या भुगतानों का योग, विनिर्दिष्ट बैंकिंग या ऑनलाइन मोड के माध्यम से नहीं है, दस हजार रुपए से अधिक है; या

(ii) किसी भूमि या सद्भावना या वित्तीय साधन के अधिग्रहण पर

किया गया व्यय।

47. (1) कोई व्यय (किसी भूमि या भवन की लागत को छोड़कर) जो निम्नलिखित पर किया गया हो—

(क) किसी निर्धारित द्वारा कृषि विस्तार परियोजना; या

(ख) किसी कंपनी द्वारा कोई कौशल विकास परियोजना,

उस कर वर्ष में कटौती के रूप में दी जाएगी जिसमें ऐसा व्यय किया जाता है, परन्तु कि ऐसी परियोजना बोर्ड द्वारा ऐसे दिशानिर्देशों के अनुसरण में, जो विहित किए जाए, इस निमित्त अधिसूचित की गई हो।

(2) यदि उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी व्यय के संबंध में इस धारा के अधीन कटौती का दावा किया जाता है और किसी कर वर्ष के लिए अनुमति दी जाती है, तो उसी या किसी अन्य कर वर्ष के लिए इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन ऐसे व्यय के लिए कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी।

48. (1) जहां कोई करदाता भारत में चाय, कॉफी या रबर उगाने और विनिर्माण का कारबार कर रहा है, ऐसे करदाता को विशेष खाते या जमा खाते में जमा राशि के आधार पर कटौती की अनुमति दी जाएगी और अनुसूची 9 के उपबंधों के अनुसार गणना की जाएगी।

(2) बंद करने के समय या अन्यथा पूर्वोक्त खातों से निकाली गई या उपयोग की गई या जारी की गई किसी भी राशि पर अनुसूची 9 के उपबंधों के अनुसार कर लगाया जाएगा।

(3) जहां अनुसूची 9 में निर्दिष्ट विशेष योजना या जमा योजना के अनुसार अर्जित कोई भी आस्ति किसी कर वर्ष में बेची जाती है या अन्यथा अंतरित की जाती है, तो उस पर उक्त अनुसूची के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

49. (1) भारत में पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस, या दोनों के पूर्वक्षण, निष्कर्षण या उत्पादन का कारबार करने वाले किसी करदाता और इस कारबार के लिए केंद्रीय सरकार के साथ करार करने वाले करदाता को विशेष खाते या स्थल पुनःस्थापन खाते में जमा के आधार पर कटौती की अनुमति दी जाएगी और अनुसूची 10 के उपबंधों के अनुसार गणना की जाएगी।

(2) बंद करने के समय या अन्यथा पूर्वोक्त खातों से निकाली गई या अंतरित की गई किसी भी राशि पर उस वर्ष में कर लगाया जाएगा जिसमें अनुसूची 10 के उपबंधों के अनुसार राशि अंतरित या निकाली गई है।

(3) जहां अनुसूची X में निर्दिष्ट विशेष योजना या जमा योजना के अनुसार अर्जित कोई भी आस्ति किसी कर वर्ष में बेची जाती है या अन्यथा अंतरित की जाती है, तो उस पर उक्त अनुसूची के उपबंधों के अनुसार कर भरित किया जाएगा ।

50. (1) इस अधिनियम में निहित किसी भी प्रतिकूल बात पर ध्यान दिए बिना, यदि कर वर्ष के दौरान किसी विनिर्दिष्ट संगम द्वारा अपने सदस्यों से प्राप्त राशि ऐसे संगम द्वारा अपने सदस्यों के सामान्य हितों के संरक्षण या उन्नति के लिए किए गए व्यय से कम हो जाती है, तो इस प्रकार कम पड़ने वाली राशि को ऐसे संगम की आय से “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन कटौती के रूप में और शेष

कृषि विस्तार परियोजना और कौशल विकास परियोजना पर व्यय।

चाय विकास खाता, कॉफी विकास खाता और रबर विकास खाता।

स्थल पुनःस्थापन निधि।

व्यापार, वृत्ति या समरूप संगम के मामले में विशेष उपबंध।

राशि, यदि कोई हो, किसी अन्य शीर्ष के अधीन उसकी आय से कटौती के रूप में दी जाएगी।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “विनिर्दिष्ट संगम” से कोई व्यापारिक, व्यावसायिक या समान संगम अभिप्रेत है, जो अनुसूची 3 में (सारणी: क्रम संख्या 24) के अधीन शामिल नहीं है, जिसकी आय या उसका कोई भाग उसके सदस्यों को वितरित नहीं किया जाता है (उससे संबद्ध किसी संगम या संस्था को अनुदान के रूप में छोड़कर);

(ख) विनिर्दिष्ट संगम द्वारा अपने सदस्यों से प्राप्त राशि में अंशदान या अन्यथा के रूप में राशि शामिल होगी, और इसमें ऐसे सदस्यों को कोई विशिष्ट सेवा प्रदान करने के लिए संगम द्वारा प्राप्त कोई पारिश्रमिक शामिल नहीं होगा;

(ग) विनिर्दिष्ट एसोसिएशन द्वारा किए गए व्यय में निम्नलिखित शामिल नहीं होंगे—

(i) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन कटौती योग्य व्यय; और

(ii) कोई पूंजीगत व्यय।

(3) आगे लाए गए घाटे या भत्तों को आगे ले जाने और सेट ऑफ करने से संबंधित इस अधिनियम के अन्य उपबंधों का प्रभाव उपधारा (1) के अधीन कटौती की अनुमति देने से पहले दिया जाएगा।

(4) इस धारा के अधीन अधिकतम स्वीकार्य कटौती इस धारा के अधीन कटौती की अनुमति देने से पहले गणना की गई कुल आय के 50% से अधिक नहीं होगी।

कतिपय खनिजों के पूर्वक्षण के लिए व्यय का अवक्षण ।

51. (1) कोई निर्धारिती, जो भारतीय कंपनी हो या कोई व्यक्ति (कंपनी से भिन्न) जो भारत में निवास करता हो खनिज के लिए पूर्वक्षण से संबंधित संक्रियाओं में या इस खनिज को निकालने या उसके उत्पादन से संबंधित संक्रियाओं में लगा हुआ है उसे प्रत्येक सुसंगत कर वर्ष में उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट व्यय की राशि के दसवें भाग के बराबर राशि की कटौती की अनुमति दी जाएगी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यय वह है जो निर्धारिती द्वारा उस उपधारा में विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात् किसी समय, वाणिज्यिक उत्पादन वर्ष के दौरान और उसके ठीक पूर्ववर्ती चार वर्षों में से एक या अधिक के दौरान सातवीं अनुसूची के भाग क या भाग ख में विनिर्दिष्ट क्रमशः किसी खनिजों या सहचारी खनिजों में समूह के लिए पूर्वक्षण से संबंधित : किन्हीं संक्रियाओं पर या ऐसे किसी खनिज या सहचारी खनिजों के समूह की खान या अन्य प्राकृतिक निक्षेप के विकास पर पूर्णतया अनन्यतः किया जाता है : ।

(3) उपधारा (2) के अधीन व्यय में से ऐसे व्यय को घटाया जाएगा जो किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकरण द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूरा किया जाता है तथा व्यय के परिणामस्वरूप अस्तित्व में लाई गई किसी संपत्ति या अधिकार के संबंध में निर्धारिती द्वारा प्राप्त की गई बिक्री, बचाव, मुआवजा या बीमा राशि को घटाया जाएगा।

(4) उपधारा (2) में निर्दिष्ट व्यय से निम्नलिखित व्यय को अपवर्जित रखा जाएगा:—

(क) उक्त उपधाराओं में विनिर्दिष्ट किसी खनिज या संबद्ध खनिजों के समूह के स्रोत स्थल के अधिग्रहण पर या ऐसे स्थल में या उस पर किसी अधिकार के अधिग्रहण पर कोई व्यय; या

(ख) ऐसे खनिज या संबद्ध खनिजों के समूह के निक्षेपों के अधिग्रहण पर या ऐसे निक्षेपों में या उस पर किसी अधिकार के अधिग्रहण पर कोई व्यय; या

(ग) किसी भवन, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर के संबंध में पूंजीगत प्रकृति का कोई व्यय जिसके लिए धारा 33 के अधीन अवक्षयण के रूप में भत्ता स्वीकार्य है।

(5) किसी सुसंगत कर वर्ष के लिए उपधारा (1) के अधीन दी जाने वाली कटौती निम्न प्रकार होगी—

(क) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट व्यय के दसवें भाग के बराबर रकम, जिसमें से उपधारा (3) और (4) में उल्लिखित व्यय घटाया जाएगा (ऐसे दसवें भाग को इसमें किस्त कहा गया है); या

(ख) ऐसी रकम जो उस कर वर्ष की वाणिज्यिक दोहन से उत्पन्न आय (इस धारा के अधीन कटौती करने से पूर्व संगणित) को शून्य करने के लिए पर्याप्त हो [चाहे ऐसा वाणिज्यिक दोहन उपधारा (2) और (3) में निर्दिष्ट प्रचालनों या विकास के परिणामस्वरूप हो या न हो] किसी खान या खनिज के अन्य प्राकृतिक निक्षेप या इस धारा के अधीन संबद्ध खनिजों के समूह में से किसी एक या अधिक खनिजों के संबंध में जिसके संबंध में व्यय किया गया था,

जो भी कम हो।

(6) यदि किसी सुसंगत कर वर्ष के लिए किस्त का कोई भाग पूर्ण रूप से अनुज्ञात नहीं है, तो उसे उत्तरवर्ती कर वर्ष में आगे ले जाया जाएगा, जो उस कर वर्ष की किस्त का भाग बन जाएगा और ऐसा आगे ले जाना प्रत्येक आगामी कर वर्ष के लिए जारी रह सकता है, लेकिन कोई भी किस्त उस कर वर्ष से दसवें कर वर्ष से आगे नहीं बढ़ाई जाएगी जिसमें वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हुआ था।

(7) जहां निर्धारिती कंपनी या सहकारी समिति से भिन्न कोई व्यक्ति है, वहां उपधारा (1) के अधीन कोई कटौती तब तक अनुज्ञेय नहीं होगी, जब तक कि,—

(क) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट व्यय किए जाने वाले कर वर्ष या वर्षों के लिए निर्धारिती के लेखों की संपरीक्षा धारा 63 में निर्दिष्ट तिथि से पूर्व किसी लेखापाल द्वारा नहीं की गई हो; और

(ख) निर्धारिती उस प्रथम कर वर्ष के लिए, जिसमें इस धारा के अधीन कटौती का दावा किया गया है, ऐसी संपरीक्षा की रिपोर्ट, ऐसी तिथि तक, ऐसे प्ररूप में और ऐसे लेखापाल द्वारा ऐसे प्ररूप में हस्ताक्षरित और सत्यापित, जैसा कि विहित है प्रस्तुत न कर दे।

(8) यदि किसी भारतीय कंपनी का उपक्रम, जो उपधारा (1) के अधीन कटौती के लिए हकदार है, समामेलन या निर्विलीन की किसी स्कीम में उक्त उपधारा में विनिर्दिष्ट दस वर्ष से पूर्व किसी अन्य भारतीय कंपनी को अंतरित कर दिया जाता है, तो,—

(क) समामेलित या निर्विलीन कंपनी को उस वर्ष के लिए कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी, जिसमें ऐसा समामेलन या निर्विलीन होता है; और

(ख) इस धारा के सभी उपबंध समामेलित या परिणामी कंपनी पर उसी प्रकार लागू होते होंगे, जैसे वे समामेलित या निर्विलीन कंपनी पर लागू होते, मानो समामेलन या निर्विलीन नहीं हुआ हो।

(9) यदि उपधारा (2) और उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट किसी व्यय के संबंध में किसी कर वर्ष के लिए इस धारा के अधीन कटौती का दावा किया जाता है और अनुज्ञात की जाती है, तो उसी या किसी अन्य कर वर्ष के लिए इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन ऐसे व्यय के लिए कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

(10) इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) “पूर्वक्षण से संबंधित संक्रिया”, से ऐसी संक्रिया अभिप्रेत है जो किसी खनिज के निक्षेपों की खोज करने, उनका स्थान का पता लगाने या उनकी परख करने के प्रयोजन के लिए की जाए और इसके अधीन कोई ऐसी संक्रिया भी है जो निष्फल या व्यर्थ सिद्ध होती है;

(ख) “वाणिज्यिक उत्पादन के वर्ष” से अभिप्रेत है वह पूर्ववर्ष जिसमें सर्वेक्षण संबंधी किसी संक्रिया के परिणामस्वरूप 12वीं अनुसूची के क्रमशः भाग क या भाग ख में विनिर्दिष्ट खनिज का या सहचारी खनिजों के समूहों में से एक या अधिक खनिजों का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होता है ;

(ग) “सुसंगत कर वर्ष” से वाणिज्यिक उत्पादन के वर्ष से प्रारम्भ होने वाले दसवां कर वर्ष अभिप्रेत है ।

52. (1) जहां नीचे दी गई सारणी के स्तंभ ख में विनिर्दिष्ट प्रकृति का व्यय कर वर्ष के दौरान किया जाता है, वहां उसकी कटौती या उसका भाग उक्त सारणी के स्तंभ घ में यथा उल्लिखित प्रत्येक उत्तरवर्ती कर वर्ष में समान किस्तों में, स्तंभ ग में विनिर्दिष्ट प्रारंभिक कर वर्ष से प्रारंभ करते हुए अनुज्ञात किया जाएगा ।

दूरसंचार सेवाओं,
समामेलन,
निर्विलीन, स्वैच्छिक
सेवानिवृत्ति स्कीम
आदि के लिए व्यय
का अवक्षण ।

सारणी

क्र.सं.	व्यय की प्रकृति	प्रारंभिक कर वर्ष	उन कर वर्षों की संख्या जिनके दौरान व्यय की कटौती समान किस्तों में अनुज्ञात है
क	ख	ग	घ
1.	किसी भारतीय कंपनी द्वारा पूर्णतः और विशेष रूप से किसी उपक्रम के समामेलन या निर्विलीन के प्रयोजनों के लिए किया गया व्यय	कर वर्ष जिसमें ऐसा किया गया है	पांच कर वर्ष
2.	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की किसी स्कीम के	वह कर वर्ष जिसमें ऐसा संदाय किया गया है	पांच कर वर्ष

अनुसार किसी कर्मचारी
को उसकी स्वैच्छिक
सेवानिवृत्ति के संबंध में
भुगतान की गई राशि

3. दूरसंचार सेवाओं के कर वर्ष जिसमें, — प्रारंभिक कर वर्ष से लिए स्पेक्ट्रम के (क) दूरसंचार सेवाओं को प्रारंभ होकर उस कर उपयोग का कोई संचालित करने का वर्ष तक के वर्षों की अधिकार प्राप्त करने कारबार आरंभ किया गया संख्या, जिस तक वह के लिए किया गया है; या स्पेक्ट्रम लागू रहता है पूंजीगत व्यय और (ख) स्पेक्ट्रम प्रभार का जिसके लिए प्रभार का वास्तविक भुगतान वास्तविक रूप से भुगतान संदाय किया गया है। (स्पेक्ट्रम प्रभार) किया गया है, इनमें से जो भी पश्चात्त्वर्ती हो ।
4. दूरसंचार सेवाओं को वह कर वर्ष जिसमें— प्रारंभिक कर वर्ष से संचालित करने के (क) दूरसंचार सेवाओं को प्रारंभ होकर उस कर किसी भी अधिकार को संचालित करने का वर्ष तक के वर्षों की प्राप्त करने के लिए कारबार आरंभ किया गया संख्या, जिस तक वह किया गया पूंजीगत है; या अनुज्ञप्ति लागू रहती है, व्यय और वास्तविक (ख) अनुज्ञप्ति प्रभार का जिसके लिए प्रभार का भुगतान (जिसे इसमें वास्तव में भुगतान किया भुगतान किया गया है। अनुज्ञप्ति फीस कहा गया है, इसमें से जो भी पश्चात्त्वर्ती हो ।

(2) जहां उपधारा (1) (सारणी: क्रम संख्या 3 या 4) में निर्दिष्ट अनुज्ञप्ति या स्पेक्ट्रम—

(क) अंतरित किया जाता है, और अंतरण की आय (जहां तक उसमें पूंजीगत राशियां शामिल हैं) व्यय से कम है, यद्यपि वह किया गया है, किंतु वह अनुमत नहीं है, वहां अंतरण की आय से घटाए गए ऐसे अनधिकृत व्यय के बराबर कटौती, उस कर वर्ष के संबंध में अनुमत की जाएगी जिसमें अनुज्ञप्ति या स्पेक्ट्रम अंतरित किया गया है;

(ख) अंतरित किया जाता है, चाहे पूर्णतः या आंशिक रूप से, और अंतरण की आय (जहां तक उसमें पूंजीगत राशियां शामिल हैं) व्यय की राशि से अधिक है, यद्यपि वह किया गया है, किंतु वह अनुमत नहीं है, वहां अतिरिक्त राशि का वह भाग जो लाइसेंस या स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय और ऐसे अनधिकृत व्यय की राशि के बीच के अंतर से अधिक नहीं है, उस कर वर्ष में कारबार के लाभ और अभिलाभ के रूप में आयकर के लिए प्रभार्य होगा जिसमें अनुज्ञप्ति या स्पेक्ट्रम अंतरित किया गया है;

(ग) जहां खंड (ख) के अधीन अधिकार उस कर वर्ष में अंतरित किया जाता

है जिसमें कारबार अब अस्तित्व में नहीं है, वहां इस उपधारा के उपबंध वैसे ही लागू होंगे मानो कारबार उस कर वर्ष में अस्तित्व में है;

(घ) जहां अधिकार का संपूर्ण या भाग अंतरित किया जाता है, अंतरण के आगम (जहां तक उसमें पूंजीगत राशियां शामिल हैं) शेष अननुज्ञात व्यय की राशि से कम नहीं है, वहां ऐसे व्यय के लिए उपधारा (1) के अधीन उस कर वर्ष के संबंध में जिसमें अनुज्ञप्ति अंतरित की जाती है या किसी पश्चात्कर्त कर वर्ष या वर्षों के संबंध में कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी;

(ड) ऐसा अंतरण समामेलित कंपनी या परिणामी कंपनी, जो एक भारतीय कंपनी है, के साथ समामेलन या निर्विलयन की स्कीम में समामेलन कंपनी या निर्विलीन कंपनी जैसा भी मामला हो, द्वारा विक्रय या अन्यथा अंतरण किया जाता है,—

(i) खंड (क), खंड (ख), खंड (ग) और खंड (घ) के उपबंध समामेलित या निर्विलीन कंपनी पर लागू नहीं होंगे; और

(ii) इस धारा के सभी उपबंध समामेलित या परिणामी कंपनी पर उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे समामेलित या विघटित कंपनी पर लागू होते, मानो अंतरण नहीं हुआ हो।

(3) जहां उपधारा (1) (सारणी: क्रम संख्या 3 या 4) में निर्दिष्ट अनुज्ञप्ति या स्पेक्ट्रम का कोई भाग किसी कर वर्ष में अंतरित किया जाता है और उपधारा (2)(ख) और (ग) लागू नहीं होती, वहां उपगत माध्यम के लिए उपधारा (1) के अधीन व्यय के लिए अनुमत की जाने वाली कटौती, यद्यपि वह व्यय किया गया है, किन्तु अनुमत नहीं है, निम्नलिखित द्वारा निर्धारित की जाएगी—

(क) अंतरण के आगम (जहां तक उसमें पूंजीगत राशियां शामिल हैं) को शेष अननुज्ञात किए गए व्यय में से घटाकर; और

(ख) शेष को उन सुसंगत कर वर्षों की संख्या से विभाजित करके, जो उस कर वर्ष के आरंभ में समाप्त नहीं हुए हैं, जिसके दौरान अनुज्ञप्ति या स्पेक्ट्रम अंतरित की गई है।

(4) कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी—

(क) उपधारा (1) में (सारणी: 3) या (सारणी: 4) के अवक्षण उल्लिखित व्यय के संबंध में धारा 33(1) से (10) के अधीन अवक्षण के लिए, जहां इस धारा के अधीन कटौती का दावा किया गया है और किसी कर वर्ष के लिए अनुज्ञात की गई है;

(ख) उपधारा (1) में (सारणी: 1) और (सारणी: 2) के समक्ष उल्लिखित व्यय के संबंध में इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन है।

(5) यदि कर वर्ष में उपधारा (1) में (सारणी: क्रम संख्या 3) के सामने निर्दिष्ट व्यय के संबंध में कोई कटौती का दावा किया गया है और प्रदान की गई है और निर्धारिती की ओर से इस धारा के किसी उपबंध का अनुपालन करने में तत्पश्चात् विफलता होती है, तो,—

(क) कटौती को गलत रूप से अनुज्ञात मानी जाएगी;

(ख) कर निर्धारण अधिकारी, इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध पर

ध्यान दिए बिना, आवश्यक सुधार करके उक्त कर वर्ष के लिए निर्धारिती की कुल आय की पुनः गणना कर सकता है;

(ग) धारा 287 के उपबंध, जहां तक हो सके, लागू होंगे; और

(घ) धारा 287(8) में विनिर्दिष्ट चार वर्ष की अवधि की गणना उस कर वर्ष के अंत से की जाएगी जिसमें ऐसी विफलता होती है।

(6) जहां उपधारा (1) में (सारणी: क्र.सं. 2;घ) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले विनिर्दिष्ट कारबार पुनर्गठन होता है, उसके क्रम संख्या 2 के विरुद्ध विनिर्दिष्ट व्यय के मामले में, तब,—

(क) इस धारा के उपबंध, जहां तक संभव हो, उत्तराधिकारी इकाई पर उसी प्रकार लागू होते रहेंगे, जिस प्रकार वे पूर्ववर्ती इकाई पर लागू होते यदि ऐसा पुनर्गठन नहीं हुआ होता; और

(ख) इस धारा के अधीन पूर्ववर्ती इकाई को उस कर वर्ष के लिए कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी जिसमें ऐसा पुनर्गठन होता है।

(7) इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) “वास्तविक संदत” से व्यय का वास्तविक संदत, चाहे वह कर वर्ष कोई भी हो जिसमें व्यय के लिए देयता निर्धारिती द्वारा नियमित रूप से नियोजित लेखांकन पद्धति के अनुसार हुई थी या निर्धारित तरीके से देय थी, अभिप्रेत है;

(ख) “समान किस्तों” की गणना अंश को 1 तथा हर को उपधारा (1) की सारणी के स्तंभ घ में उल्लिखित कर वर्षों के रूप में लेकर की जाएगी।

(ग) “विनिर्दिष्ट कारबार पुनर्गठन” से—

(i) किसी भारतीय कंपनी और उसके उपक्रम का किसी अन्य भारतीय कंपनी के साथ समामेलन; या

(ii) किसी भारतीय कंपनी के उपक्रम का किसी अन्य कंपनी में विलय; या

(iii) फर्म या स्वामित्व वाली कंपनी का उत्तराधिकार धारा 70(1)(घ) में निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाली कंपनी को; या

(iv) निजी कंपनी या गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी का धारा 70(1)(यड) में निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाली सीमित देयता भागीदारी में रूपांतरण, अभिप्रेत है ;

53. (1) किसी आस्ति (पूँजीगत आस्ति के अलावा) के अंतरण के मामले में, जो भूमि या भवन या दोनों हो, यदि ऐसे अंतरण से प्राप्त या उपार्जित प्रतिफल स्टाम्प प्रभार मूल्य के भुगतान के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार के किसी प्राधिकरण द्वारा अपनाए गए या निर्धारित या निर्धारणीय मूल्य से कम है, तो ऐसी आस्ति के अंतरण से लाभ और लाभ की गणना के लिए ऐसे स्टाम्प प्रभार मूल्य को प्रतिफल का पूर्ण मूल्य माना जाएगा।

(2) उपधारा (1) के उपबंध लागू नहीं होंगे यदि स्टाम्प प्रभार मूल्य प्राप्त या उपार्जित प्रतिफल के 110% से अधिक नहीं है और ऐसे मामले में, प्राप्त या उपार्जित प्रतिफल को प्रतिफल का पूर्ण मूल्य माना जाएगा।

कतिपय मामलों में पूँजीगत आस्तियों के अलावा अन्य आस्तियों के अंतरण के लिए प्रतिफल का पूर्ण मूल्य।

(3) यदि ऐसी आस्ति के अंतरण के लिए समझौते की तारीख और पंजीकरण की तारीख अलग-अलग हैं, तो समझौते की तारीख को स्टाम्प प्रभार मूल्य उपधारा (1) के अधीन प्रतिफल का पूर्ण मूल्य माना जाएगा।

(4) उपधारा (3) के उपबंध केवल उस मामले में लागू होंगे, जहां प्रतिफल की राशि या उसका कोई भाग ऐसी आस्ति के अंतरण के लिए समझौते की तारीख को या उससे पहले विनिर्दिष्ट बैंकिंग या ऑनलाइन मोड द्वारा प्राप्त किया गया हो।

(5) उपधारा (1) के अधीन अपनाए गए या निर्धारण योग्य मूल्य के निर्धारण के लिए धारा 78 की उपधारा (2) और उपधारा (4) के उपबंध लागू होंगे।

खनिज तेलों के लिए पूर्वक्षण का कारबार।

54. (1) जहां निर्धारिती विनिर्दिष्ट तेल अन्वेषण कारबार करता है, तो उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट कटौती “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन आय की गणना करते समय दी जाएगी।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “विनिर्दिष्ट तेल अन्वेषण कारबार” का अर्थ खनिज तेलों के पूर्वक्षण या निष्कर्षण या उत्पादन का कारबार है, जहां निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं, अर्थात् :—

(क) निर्धारिती ने केंद्रीय सरकार के साथ एक करार किया है;

(ख) ऐसा करार केंद्रीय सरकार या उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के सहयोग या भागीदारी के लिए किया गया है; और

(ग) ऐसा करार संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा गया है।

(3) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कटौती होगी—

(क) वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ होने से पहले की अवधि के लिए, किसी भी आत्मसमर्पण किए गए क्षेत्र के संबंध में निष्फल या निष्फल अन्वेषण के लिए किए गए व्यय;

(ख) वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारंभ होने के पश्चात् की अवधि के लिए, ड्रिलिंग या अन्वेषण गतिविधियों या सेवाओं के संबंध में या उस संबंध में प्रयुक्त भौतिक आस्तियों के संबंध में व्यय (चाहे ऐसे उत्पादन से पहले या बाद में);

(ग) वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारंभ के कर वर्ष और करार में विनिर्दिष्ट ऐसे उत्तरवर्ती कर वर्षों के लिए, खनन क्षेत्र में खनिज तेल की कमी के लिए।

(4) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कटौतियां निम्नलिखित होंगी—

(क) करार में विनिर्दिष्ट इस अधिनियम के अधीन स्वीकार्य किसी भत्ते के बदले में या उसके अतिरिक्त; और

(ख) करार में विनिर्दिष्ट तरीके से संगणित और की गई होंगी और इस अधिनियम के अन्य उपबंधों को उस सीमा तक संशोधित माना जाएगा।

(5) जहां उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कारबार या उसमें कोई हित समझौते के उपबंधों के अनुसार पूर्णतः या आंशिक रूप से अंतरित किया जाता है, लाभ पर कर लगाया जाएगा या कटौती निम्नलिखित तरीके से दी जाएगी, अर्थात् :—

(क) जहां क ग से कम है, तो (ग-क) को उस कर वर्ष में कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी जिसमें ऐसा कारबार या हित अंतरित किया जाता है;

(ख) जहां क ग से अधिक है,—

(i) लेकिन ख से कम है, तो (क-ग) उस कर वर्ष के लिए "कारबार या वृत्ति के लाभ और लाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य लाभ होगा जिसमें ऐसा अंतरण होता है;

(ii) किसी अन्य मामले में, केवल (ख-ग) ही उस कर वर्ष के लिए उक्त शीर्ष के अधीन प्रभार्य लाभ होगा जिसमें ऐसा अंतरण होता है; और

(iii) उस कर वर्ष में, जिसमें ऐसा अंतरण होता है या किसी बाद के कर वर्ष में, अस्वीकृत किए गए व्यय के लिए कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी,

जहां,—

क = अंतरण की आय (जहां तक वे पूंजीगत रकम से मिलकर बनी हैं);

ख = कारबार के संबंध में या उसमें ब्याज प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय की कुल राशि;

ग = अस्वीकृत किए गए व्यय की राशि।

(6) यदि अंतरण के वर्ष में कारबार या उसमें हित अब अस्तित्व में नहीं है, तो उपधारा (5) के उपबंध लागू होंगे जैसे कि ऐसा कारबार उक्त वर्ष के दौरान अस्तित्व में था।

(7) जहां कारबार या उसमें हित को समामेलन या निर्विलीन की योजना में बेचा जाता है या अन्यथा अंतरित किया जाता है और समामेलित इकाई या परिणामी इकाई एक भारतीय कंपनी है, तो उपधारा (5) के उपबंध—

(क) समामेलित या निर्विलीन कंपनी पर लागू नहीं होंगे; और

(ख) समामेलित या परिणामी कंपनी पर उसी प्रकार लागू रहेगा जैसे वह समामेलित या विलीन कंपनी पर लागू होता, जैसे कि स्थानांतरण नहीं हुआ हो।

55. इस अधिनियम के "गृह संपत्ति से आय", "पूंजीगत लाभ" या "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन आय की गणना करने के लिए या धारा 390 (5) और (6) या धारा 26 से धारा 54 में निहित उपबंधों में किसी भी विपरीत बात पर ध्यान दिए बिना, किसी पारस्परिक बीमा कंपनी या सहकारी समिति द्वारा किए गए किसी भी ऐसे कारबार सहित बीमा के किसी भी कारबार के लाभ और लाभ की गणना अनुसूची 14 के उपबंधों के अनुसार की जाएगी।

बीमा कारबार ।

56. (1) इस अधिनियम में निहित किसी भी प्रतिकूल बात पर ध्यान दिए बिना, किसी विनिर्दिष्ट वित्तीय संस्था के डूबत या संदिग्ध ऋणों के संबंध में ब्याज आय उस कर वर्ष में "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन कर योग्य होगी जिसमें ऐसा ब्याज—

विनिर्दिष्ट वित्तीय संस्थाओं की ब्याज आय के मामले में विशेष उपबंध।

(क) लाभ और हानि खाते में जमा किया जाता है; या

(ख) वास्तव में प्राप्त किया जाता है,

जो भी पहले हो।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “विनिर्दिष्ट वित्तीय संस्था” से—

(i) कोई सार्वजनिक वित्तीय संस्था; या

(ii) कोई अनुसूचित बैंक; या

(iii) कोई सहकारी बैंक, सिवाय—

(अ) कोई प्राथमिक कृषि ऋण समिति; या

(आ) कोई प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक; या

(iv) कोई राज्य वित्तीय निगम; या

(v) कोई राज्य औद्योगिक निवेश निगम; या

(vi) कोई ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का वर्ग, जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो, अभिप्रेत है;

(ख) "अशोध्य या संदिग्ध ऋण" ऋणों की ऐसी श्रेणियां होंगी, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऐसे ऋणों के संबंध में जारी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए विहित किया गया है।

विनिर्माण एवं सेवा
संविदाओं के लिए
राजस्व मान्यता।

57. (1) निर्माण अनुबंध या सेवाएं प्रदान करने के अनुबंध से उत्पन्न लाभ और लाभ, धारा 276(2) के अधीन अधिसूचित आय गणना और प्रकटीकरण मानकों के अनुसार, उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए पूर्णता के प्रतिशत पद्धति के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए सेवाएं प्रदान करने की संविदा से उत्पन्न लाभ और लाभ निर्धारित किए जाएंगे—

(क) परियोजना पूर्णता पद्धति के आधार पर, यदि ऐसे अनुबंध की अवधि नब्बे दिनों से अधिक नहीं है;

(ख) सीधी रेखा पद्धति के आधार पर, यदि अनुबंध में विनिर्दिष्ट समय अवधि में अनिश्चित संख्या में कार्य शामिल हैं।

(3) इस धारा के अधीन पूर्णता के प्रतिशत पद्धति, परियोजना पूर्णता पद्धति या सीधी रेखा पद्धति के प्रयोजनों के लिए,—

(क) अनुबंध राजस्व में प्रतिधारण धन शामिल होगा;

(ख) अनुबंध लागत ब्याज, लाभांश या पूंजीगत लाभ की प्रकृति में किसी भी आकस्मिक आय से कम नहीं होगी।

कतिपय
निवासियों के
मामले में कारबार
या वृत्ति से होने
वाले लाभ और
अभिलाभ की
गणना अनुमानित
आधार पर करने
के लिए विशेष
उपबंध।

58. (1) धारा 26 से 54 तक के उपबंध, इस धारा के प्रतिकूल विस्तार तक, उपधारा (2) में निर्दिष्ट कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ की गणना के तरीके पर लागू नहीं होंगे।

(2) नीचे सारणी के स्तंभ ख में उल्लिखित किसी विनिर्दिष्ट कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ, जो उक्त सारणी के स्तंभ ग में विनिर्दिष्ट निर्धारिती द्वारा किए जाते हैं, जिसमें स्तंभ घ में विनिर्दिष्ट कर वर्ष के दौरान कारबार या वृत्ति का कुल कारबार या सकल प्राप्तियां हैं और स्तंभ ड में विनिर्दिष्ट तरीके से गणना की गई है, ऐसे कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ को “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन कर के लिए प्रभार्य माना जाएगा।

सारणी

क्र.सं.	विनिर्दिष्ट कारबार या वृत्ति	निर्धारिती	कर वर्ष के दौरान कारबार या वृत्ति का कुल आवर्त या सकल प्राप्तियां, जैसा भी मामला हो	गणना की रीति
क	ख	ग	घ	ङ
1.	क्रमांक 2 में विनिर्दिष्ट कारबार के अलावा कोई अन्य कारबार	पात्र निर्धारिती	(क) 2,00,00,000 रुपए से अधिक नहीं; या (ख) 3,00,00,000 रुपए से अधिक नहीं, जहां नकद में प्राप्त राशि या कुल राशि कुल कारबार या सकल प्राप्तियों के 5% से अधिक नहीं है।	(क) कुल योग - (i) कुल कारोबार या सकल प्राप्तियों का 6% जो कर वर्ष के दौरान या उस कर वर्ष के संबंध में धारा 263(1) में निर्दिष्ट नियत तारीख से पहले निर्दिष्ट बैंकिंग या ऑनलाइन मोड द्वारा प्राप्त किया जाता है; (ii) कुल आवर्त या सकल प्राप्तियों का 8% (i) में शामिल आवर्त या सकल प्राप्तियों से कम किया गया; या (ख) दावा किया गया अभिलाभ, जो वास्तविक रूप से अर्जित किया गया है, जो भी अधिक हो।
2.	माल वाहक चलाने, किराये पर लेने या पट्टे देने का कारबार	एक निर्धारिती, जो कर वर्ष के दौरान किसी भी समय दस से अधिक माल वाहकों का स्वामी		(क) माल वाहक से होने वाली आय का योग- (i) भारी माल वाहन होने के नाते, प्रत्येक वाहन के लिए सकल वाहन भार या भार रहित भार के प्रति टन ₹1,000 की दर से गणना की जाती है, जैसा भी मामला हो, प्रत्येक महीने या महीने के हिस्से के लिए जिसके दौरान ऐसा वाहन कर वर्ष में

नहीं है

करदाता के स्वामित्व में होता है; या

(ii) माल वाहक से होने वाली आय का योग, जो एक भारी माल वाहन के अलावा एक वाहन है, जिसकी गणना प्रत्येक माल वाहक के लिए 7,500 रुपए की दर से की जाती है, प्रत्येक माह या महीने के उस भाग के लिए जिसके दौरान माल वाहक कर वर्ष में निर्धारिती के स्वामित्व में है; या

(ख) वह लाभ जिसके बारे में दावा किया जाता है कि वह वास्तव में अर्जित किया गया है,

जो भी अधिक हो।

3.	धारा 62(1)(क) में विनिर्दिष्ट कोई भी वृत्ति	विनिर्दिष्ट निर्धारिती	(क) 50,00,000 रुपए से अधिक नहीं; या (ख) 75,00,00 रुपए से अधिक नहीं, जहां नकद में प्राप्त राशि या कुल राशि कुल कारबार या सकल प्राप्तियों के 5% से अधिक नहीं है।	सकल प्राप्तियों या वास्तविक रुप से अर्जित लाभ का 50%, जो भी अधिक हो।

(3) उपधारा (2) में सारणी के स्तंभ ग में उल्लिखित कोई भी निर्धारिती, जो यह दावा करता है कि—

(क) विनिर्दिष्ट कारबार या वृत्ति से वास्तव में अर्जित लाभ या अभिलाभ उक्त सारणी के स्तंभ ड में उल्लिखित तरीके से संगणित लाभ या अभिलाभ से कम है; और

(ख) जिसकी कुल आय उस अधिकतम राशि से अधिक है जो कर के अधीन नहीं है,

से अपेक्षित होगा कि—

(i) धारा 62 के अधीन अपेक्षित लेखा पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों को रखे और बनाए रखे; और

(ii) धारा 63 के अधीन अपेक्षित खातों की संपरीक्षा कराए और ऐसी संपरीक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

(4) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन स्वीकार्य कोई भी हानि, भत्ता या कटौती उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट तरीके से संगणित आय के विरुद्ध अनुमत नहीं की जाएगी।

(5) उपधारा (2) में (सारणी: क्रम संख्या 2) के प्रयोजनों के लिए, जहां निर्धारिती एक फर्म है, उसके भागीदारों को दिया गया वेतन और ब्याज उपधारा (1) के अधीन संगणित आय से धारा 35(ड.) में विनिर्दिष्ट शर्तों और सीमाओं के अधीन काटा जाएगा।

(6) विनिर्दिष्ट कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली किसी भी आस्ति के लिखित मूल्य की गणना इस प्रकार की जाएगी मानो उपधारा (2) में सारणी के स्तंभ ग में उल्लिखित निर्धारिती ने प्रत्येक प्रासंगिक कर वर्ष के लिए उस पर मूल्यहास का दावा किया था और उसे वास्तव में इसकी अनुमति दी गई थी।

(7) जहां कोई पात्र निर्धारिती उपधारा (2) में (सारणी: क्रम संख्या 1) के उपबंधों के अनुसार किसी कर वर्ष के लिए लाभ घोषित करता है और वह उपधारा (1) के उपबंधों के उल्लंघन में ऐसे कर वर्ष के बाद के पांच कर वर्षों में से किसी के लिए लाभ घोषित करता है, तो वह उस कर वर्ष के बाद के पांच कर वर्षों के लिए इस धारा के उपबंधों का लाभ दावा करने के लिए पात्र नहीं होगा जिसमें उक्त उपधारा के उपबंधों के अनुसार लाभ घोषित नहीं किया गया है।

(8) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां उपधारा (7) के उपबंध पात्र निर्धारिती और अधिकतम रकम जो आय-कर पर भारित नहीं है अधिक्य उसकी कुल आय पर लागू है वह वहां उसके लिए धारा 62 के अधीन यथा अपेक्षित ऐसी लेखा बहियां और अन्य दस्तावेज रखना और उनका रखरखाव करना अपेक्षित होगा और धारा 63 के अधीन यथा अपेक्षित उन्हें संपरीक्षित कराएगा और ऐसी संपरीक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(9) उपधारा (2) में (सारणी: क्रम संख्या 1) और (सारणी: क्रम संख्या 3) के प्रयोजनों के लिए, किसी बैंक पर आहरित चेक या बैंक ड्राफ्ट द्वारा राशि या राशियों के योग की प्राप्ति, जो खाताधारक नहीं है, नकद में प्राप्ति मानी जाएगी।

(10) धारा 62 और 63 के उपबंध वहां तक लागू नहीं होंगे जहां तक वे उपधारा (2) (सारणी: क्रम संख्या 2) में निर्दिष्ट कारबार से संबंधित हैं और उन धाराओं के अधीन मौद्रिक सीमाओं की गणना करने में, सकल प्राप्तियां या, जैसा भी मामला हो, उक्त कारबार की आय को अपवर्जित किया गया हो।

(11) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “पात्र निर्धारिती” से कोई व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार या सीमित दायित्व भागीदारी के अलावा कोई फर्म अभिप्रेत है जो भारत में निवासी है, जिसने—

(i) धारा 144 के अधीन किसी कटौती का दावा नहीं किया है; या

(ii) प्रासंगिक कर वर्ष के लिए अध्याय 8ग के अधीन किसी कटौती का दावा नहीं किया है; या

(iii) धारा 62(4) में परिभाषित विनिर्दिष्ट वृत्ति को नहीं करता है; या

(iv) कमीशन या ब्रोकरेज की प्रकृति में कोई आय अर्जित नहीं करता है; या

(v) कोई एजेंसी कारबार नहीं करता है, अभिप्रेत है ;

(ख) “विनिर्दिष्ट निर्धारिती” से सीमित दायित्व भागीदारी के अतिरिक्त एक व्यक्ति या फर्म है, जो भारत में निवासी है, अभिप्रेत है ;

(ग) “सीमित दायित्व भागीदारी” का वही अर्थ होगा जो सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 2(1)(द) में विनिर्दिष्ट है;

2009 का 6

(घ) अभिव्यक्तियाँ “माल वाहक”, “सकल वाहन भार” और “अनलोडेड भार” का वही अर्थ होगा जो मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 2 में क्रमशः उन्हें विनिर्दिष्ट किया गया है;

1988 का 59

(ङ) “भारी माल वाहन” से कोई माल वाहक अभिप्रेत है, जिसका सकल वाहन भार 12000 किलोग्राम से अधिक है; और

(च) कोई निर्धारिती, जिसके कब्जे में कोई माल वाहक है, चाहे वह किराये पर ली गई हो या किस्तों पर और जिसके लिए देय राशि का पूरा या आंशिक भुगतान अभी भी बकाया है, उसे ऐसी माल वाहक का स्वामी माना जाएगा।

अनिवासियों के हस्तगत तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी और प्रभार की संगणना।

59. (1) कर वर्ष के दौरान विनिर्दिष्ट निर्धारिती द्वारा प्राप्त तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या फीस के रूप में आय, इस अधिनियम के अधीन “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन संगणना की जाएगी, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं, अर्थात्:—

(क) सरकार या किसी भारतीय प्रतिष्ठान से आय प्राप्त होती है;

(ख) विनिर्दिष्ट निर्धारिती द्वारा सरकार या भारतीय प्रतिष्ठान के साथ किए गए किसी समझौते के अनुसरण में आय होती है;

(ग) विनिर्दिष्ट निर्धारिती भारत में किसी स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से कारबार करता है, या भारत में स्थित किसी निश्चित वृत्ति के स्थान से वृत्तिवर सेवाएं प्रदान करता है; और

(घ) वह अधिकार, संपत्ति या अनुबंध जिसके संबंध में तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या फीस का भुगतान किया जाता है, प्रभावी रूप से ऐसे स्थायी प्रतिष्ठान या वृत्ति के निश्चित स्थान से जुड़ा हुआ है।

(2) निम्नलिखित राशियों के संबंध में उपधारा (1) के अधीन संगणित आय के विरुद्ध कोई कटौती नहीं की जाएगी, अर्थात्:—

(क) कोई व्यय या भत्ता जो पूर्णतः और अनन्य रूप से ऐसे स्थायी प्रतिष्ठान या भारत में वृत्ति के निश्चित स्थान के कारबार के लिए उपगत न हो; या

(ख) स्थायी प्रतिष्ठान द्वारा अपने मुख्य कार्यालय या अपने किसी अन्य कार्यालय को (वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति के अलावा) भुगतान की गई राशि, यदि

कोई हो।

(3) धारा 61 (2) (सारणी: क्रम संख्या 5) में निर्दिष्ट कारबार के संबंध में जहां तक हो, धारा 61 के उपबंध इस धारा में विनिर्दिष्ट आय के संबंध में लागू नहीं होंगे।

(4) विनिर्दिष्ट निर्धारिती धारा 62 के उपबंधों के अनुसार लेखा पुस्तकें और अन्य दस्तावेज रखेगा और उनका रखरखाव करेगा, धारा 63 में विनिर्दिष्ट तिथि को या उससे पहले अपने खातों का लेखा-परीक्षण लेखाकार से कराएगा और लेखाकार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और सत्यापित निर्धारित प्रपत्र में लेखा-परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "विनिर्दिष्ट निर्धारिती" से अनिवासी (कंपनी न होने के कारण) या विदेशी कंपनी अभिप्रेत है।

60. (1) धारा 26 से धारा 54 में निहित किसी भी विपरीत बात पर ध्यान दिए बिना, अनिवासी निर्धारिती के मामले में, ऐसे निर्धारिती द्वारा भारत में अपने कारबार या वृत्ति के कारण किए गए मुख्यालय व्यय की कटौती, उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की गणना करने में दी जाएगी।

अनिवासियों के
मामले में
मुख्यालय व्यय
की कटौती।

(2) उपधारा (1) के अधीन अनुमेय कटौती निम्न तक सीमित होगी—

(क) यदि निर्धारिती की समायोजित कुल आय हानि है, तो निर्धारिती की औसत समायोजित कुल आय के 5% की ऊपरी मौद्रिक सीमा तक; या

(ख) किसी अन्य मामले में, निर्धारिती की समायोजित कुल आय के 5% की ऊपरी मौद्रिक सीमा तक ।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "समायोजित कुल आय" से इस अधिनियम के अधीन संगणित कुल आय का तात्पर्य है, इस धारा या धारा 33(11) में विनिर्दिष्ट भते या धारा 32(झ)(क) या धारा 111(1) या धारा 112(1) या धारा 113(2) या धारा 115(2) या अध्याय 8 के अधीन कटौती के अधीन आगे ले जाई गई किसी हानि को प्रभावी किए बिना;

(ख) "औसत समायोजित कुल आय" से,—

(i) यदि निर्धारिती प्रासंगिक कर वर्ष से ठीक पहले के तीन कर वर्षों में से प्रत्येक के लिए कर योग्य है, तो उन तीन कर वर्षों में उसकी समायोजित कुल आय का अंकगणितीय माध्य;

(ii) यदि निर्धारिती उक्त तीन कर वर्षों में से केवल दो के लिए कर योग्य है, तो उन दो कर वर्षों में उसकी समायोजित कुल आय का अंकगणितीय माध्य;

(iii) यदि निर्धारिती उक्त तीन कर वर्षों में से केवल एक के लिए कर योग्य है, तो उस कर वर्ष के लिए उसकी समायोजित कुल आय अभिप्रेत है ;

(ग) "मुख्यालय व्यय" से निर्धारिती द्वारा भारत के बाहर किए गए कार्यकारी और सामान्य प्रशासन व्यय, जिसमें निम्नलिखित के संबंध में किए गए व्यय शामिल हैं—

(i) कारबार या वृत्ति के लिए उपयोग किए जाने वाले भारत के बाहर किसी परिसर का किराया, दरें, कर, मरम्मत या बीमा;

(ii) भारत के बाहर किसी कार्यालय में कार्यरत या उसके कामकाज का प्रबंधन करने वाले किसी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति को वेतन, मजदूरी, वार्षिकी, पेंशन, फीस, बोनस, कमीशन, ग्रेच्युटी, भत्ते या वेतन के बदले या इसके अतिरिक्त लाभ, चाहे वह भुगतान किया गया हो या उसे अनुमति दी गई हो;

(iii) भारत के बाहर किसी कार्यालय में कार्यरत या उसके कामकाज का प्रबंधन करने वाले किसी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति द्वारा यात्रा करना; और

(iv) कार्यकारी और सामान्य प्रशासन से संबंधित ऐसे अन्य मामले, जैसा कि विहित किया गया हो।

कुछ अनिवारियों की कुछ व्यावसायिक गतिविधियों के संबंध में प्रकल्पित आधार पर आय की गणना के लिए विशेष उपबंध।

61. (1) धारा 26 से धारा 54 के उपबंध, इस धारा के प्रतिकूल विस्तार तक, उपधारा (2) में कारबार के लाभ और अभिलाभ की संगणना की रीति विनिर्दिष्ट पर लागू नहीं होंगे।

(2) नीचे दी गई सारणी के स्तंभ ख में उल्लिखित किसी विनिर्दिष्ट कारबार के लाभ और लाभ, जो कर वर्ष के दौरान उक्त सारणी के स्तंभ ग में उल्लिखित विनिर्दिष्ट निर्धारिती द्वारा किए जाते हैं, की गणना स्तंभ घ में विनिर्दिष्ट रीति से की जाएगी और “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन उक्त कर वर्ष के लिए कर प्रभार्य ऐसे निर्धारिती के ऐसे कारबार का लाभ और अभिलाभ समझा जाएगा।

सारणी

क्र.सं.	विनिर्दिष्ट कारबार	विनिर्दिष्ट निर्धारिती	कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ
क	ख	ग	घ
1.	क्रम संख्या 2 में निर्दिष्ट कूज जलयानों के सिवाय जलयानों के प्रचालन का कारबार	अनिवासी	(क+ख) का 7.5%, जहां,— क = भारत में किसी भी बंदरगाह पर भेजे गए यात्री, पशुधन, मेल या माल की दुलाई के कारण राशि, चाहे (भारत में या भारत से बाहर), निर्धारिती या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को भुगतान की गई हो या देय हो (जिसमें विलंब प्रभार, हैंडलिंग या अन्य समान प्रभार शामिल हैं); ख = भारत के बाहर किसी भी बंदरगाह पर भेजे गए यात्री, पशुधन, मेल या माल की दुलाई

-
- के कारण राशि, चाहे वह निर्धारिती या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भारत में प्राप्त की गई हो या प्राप्त मानी गई हो (जिसमें विलंब प्रभार, हैंडलिंग या अन्य समान प्रभार शामिल हैं)।
2. कूज जहाजों के प्रचालन अनिवासी का कारबार (विहित की गई शर्तों के अधीन) (क+ख) का 20%,
जहां,—
क = यात्री के वहन के कारण निर्धारिती या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को भुगतान की गई या संदत्त राशि;
ख = यात्री के वहन के कारण निर्धारिती या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई या प्राप्त मानी गई राशि।
3. विमान प्रचालन का अनिवासी कारबार (क+ख) का 5%,
जहां,—
क = भारत में किसी भी स्थान से यात्री, पशुधन, मेल या माल की ढुलाई के कारण राशि, जो निर्धारिती या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को (भारत में या बाहर) भुगतान की गई या देय है;
ख = भारत के बाहर किसी भी स्थान से यात्री, पशुधन, मेल या माल की ढुलाई के कारण राशि, जो निर्धारिती या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भारत में प्राप्त की गई या प्राप्त मानी गई है।
4. केन्द्रीय सरकार द्वारा विदेशी अनुमोदित टर्न की कंपनी विद्युत परियोजना के संबंध में संयंत्र या ऐसे सिविल निर्माण, स्थापना, परीक्षण या कमीशनिंग के लिए निर्धारिती को या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को, चाहे वह

- मशीनरी के सिविल निर्माण या स्थापना या परीक्षण या कमीशनिंग का कारबार
- भारत में हो या भारत से बाहर, भुगतान की गई या देय राशि का 10%।
5. खनिज तेलों के पूर्वक्षण, अनिवासी निष्कर्षण या उत्पादन के लिए सेवाएं या सुविधाएं (किराए पर संयंत्र और मशीनरी की आपूर्ति सहित) प्रदान करने का कारबार
- (क+ख) का 10%,
जहां,—
क = भारत में खनिज तेलों की खोज, निष्कर्षण या उत्पादन के लिए सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करने के लिए राशि (किराए पर संयंत्र और मशीनरी की आपूर्ति सहित), निर्धारिती या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को (भारत में या बाहर) भुगतान की गई या देय राशि;
ख = भारत के बाहर खनिज तेलों की खोज, निष्कर्षण या उत्पादन के लिए सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करने के लिए राशि (किराए पर संयंत्र और मशीनरी की आपूर्ति सहित), निर्धारिती या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भारत में प्राप्त की गई या प्राप्त मानी गई राशि।
6. इस धारा के उपबंध उपधारा (2) (सारणी: क्रम संख्या 5) के प्रयोजन के लिए वहां लागू नहीं होंगे जहां उक्त धारा में निर्दिष्ट संगणित किए जाने वाले लाभ और अभिलाभ या अन्य आय के प्रयोजन के लिए धारा 54 या धारा 59 या धारा 207 या धारा 527 के उपबंध लागू हैं
- (क+ख) का 25%,
जहां,—
क = किसी अनिवासी को सेवाएं या प्रौद्योगिकी प्रदान करने के कारण उसे या उसके निमित्त किसी अन्य व्यक्ति को संदत्त या संदेय रकम;
ख = द्वारा सेवाएं या प्रौद्योगिकी प्रदान करने के कारण किसी निवासी निर्धारिती द्वारा या उसके निमित्त या अनिवासी निर्धारिती के निमित्त किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त या प्राप्त की जाने वाली समझी गई

(3) उपधारा (2) की (सारणी: क्रम संख्या 1) से (सारणी: क्रम संख्या 4 और 5) के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट निर्धारिती यह दावा कर सकेगा कि विनिर्दिष्ट कारबार से वास्तविक लाभ उपधारा (2) के अधीन संगणित कारबार लाभ से कम है, यदि,—

(क) वह धारा 62 के अधीन यथा अपेक्षित ऐसी लेखा पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों को रखता है और उनका अनुरक्षण करता है; और

(ख) अपने खातों की संपरीक्षा करवाता है और धारा 63 के अधीन यथापेक्षित ऐसी संपरीक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

(4) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन स्वीकार्य किसी भी हानि, भत्ते या कटौती को उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट तरीके से गणना की गई आय के खिलाफ अनुमति नहीं दी जाएगी।

(5) विनिर्दिष्ट कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली किसी भी संपत्ति का लिखित मूल्य इस प्रकार से गणना किया जाएगा, जैसे कि उपधारा (2) में सारणी के स्तंभ ग में उल्लिखित निर्धारिती ने प्रत्येक प्रासंगिक कर वर्ष के लिए उस पर मूल्यह्रास का दावा किया था और वास्तव में उसे अनुमति दी गई थी।

(6) इस धारा के उपबंध उपधारा (2) (सारणी: क्रम संख्या 5) के प्रयोजन के लिए वहां लागू नहीं होंगे जहां धारा 54 या धारा 59 या धारा 207 या धारा 527 के उपबंध उक्त धारा में निर्दिष्ट लाभों और अभिलाभों या किसी अन्य आय संगणित करने के प्रयोजन के लिए लागू होते हैं ।

(7) उपधारा (2) (सारणी: क्रम संख्या 5) के प्रयोजनों के लिए, "संयंत्र" में निर्दिष्ट कारबार के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले जहाज, विमान, वाहन, ड्रिलिंग इकाइयां, वैज्ञानिक उपकरण और उपकरण शामिल हैं।

(8) उपधारा (2) (सारणी: क्रम संख्या 6) के प्रयोजनों के लिए, निवासी कंपनी निम्नलिखित को पूरा करेगी—

(क) वह केंद्रीय सरकार के इलैक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किसी योजना के अधीन भारत में इलैक्ट्रानिक सामान, वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन के लिए इलैक्ट्रानिक्स विनिर्माण सुविधा या संबद्ध सुविधा की स्थापना या संचालन कर रही है; और

(ख) वह इस संबंध में विहित शर्तों को पूरा करती है।

(9) धारा 59 और 207 के उपबंध उपधारा (2) में निर्दिष्ट राशियों पर लागू नहीं होंगे (सारणी: क्रम संख्या 6)।

62. (1) (क) कोई व्यक्ति जो विनिर्दिष्ट वृत्ति करता है; या

(ख) कोई व्यक्ति जो कारबार करता है; या कोई वृत्ति करता है [जो खंड (क) में निर्दिष्ट वृत्ति नहीं है] और उपधारा (2) में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है,

तो वह ऐसी लेखा बहियां और अन्य दस्तावेज रखेगा या रखरखाव करेगा जो इस अधिनियम के अधीन उसकी कुल आय की गणना करने के लिए निर्धारण अधिकारी को

लेखा बहियों का रखरखाव ।

समर्थ बनाए ।

(2) उपधारा (1)(ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के संबंध में शर्तें निम्नलिखित होंगी, अर्थात्:—

(क) जहां कर वर्ष से ठीक पहले के तीन वर्षों में से किसी एक वर्ष में कारोबार या वृत्ति से आय 120000 रुपए से अधिक हो या ऐसे कारोबार या वृत्ति से उसकी कुल बिक्री, आवर्त या सकल प्राप्तियां दस लाख रुपए से अधिक हों; या

(ख) जहां कर वर्ष में कारोबार या वृत्ति की नई स्थापना की गई हो, कारोबार या वृत्ति से आय 120000 रुपए से अधिक होने की संभावना हो या ऐसे कारोबार या वृत्ति से उसकी कुल बिक्री, आवर्त या सकल प्राप्तियां ऐसे कर वर्ष के दौरान दस लाख रुपए से अधिक होने की संभावना हो; या

(ग) जहां कर वर्ष के दौरान, धारा 58(2) या धारा 61(2) (सारणी: क्रम सं. 4 और 5) में निर्दिष्ट करदाता के अलावा निर्धारिती ने कारोबार या वृत्ति से आय को धारा 58(2) या धारा 61(2) में निर्दिष्ट माने गए मुनाफे से कम होने का दावा किया है; या

(घ) किसी व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार के मामले में, खंड (क) और खंड (ख) को ऐसे कारोबार या वृत्ति से आय की सीमा तक संशोधित किया जाएगा जो 250000 रुपए से अधिक है और ऐसे कारोबार या वृत्ति से उसकी कुल बिक्री, आवर्त या सकल प्राप्तियां पच्चीस लाख रुपए से अधिक हैं ।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, बोर्ड निम्नलिखित विहित कर सकता है—

(क) लेखा पुस्तकें और अन्य दस्तावेज (जहां आवश्यक हो, सूची सहित) रखे और बनाए रखे जाने हैं;

(ख) उनमें शामिल किए जाने वाले विवरण;

(ग) वह रूप, तरीका और स्थान जहां उन्हें रखा और बनाए रखा जाएगा; और

(घ) वह अवधि जिसके लिए ऐसी लेखा पुस्तकें और अन्य दस्तावेज रखे जाने हैं।

(4) इस धारा के प्रयोजन के लिए, "निर्दिष्ट वृत्ति" से अभिप्रेत है—

(क) विधिक, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, वास्तुकला, लेखा, तकनीकी परामर्श, आंतरिक सजावट, सूचना प्रौद्योगिकी या कंपनी सचिव; या

(ख) बोर्ड द्वारा अधिसूचित कोई अन्य वृत्ति ।

कर संपरीक्षा ।

63. (1) प्रत्येक व्यक्ति, जो नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 'ख' में निर्दिष्ट किन्हीं शर्तों को पूरा करते हुए कारोबार या वृत्ति चला रहा है, उसे निर्दिष्ट तिथि से पहले एक लेखाकार द्वारा कर वर्ष के अपने खातों की संपरीक्षा करानी होगी।

सारणी

क्र.सं.	लेखा बहियों की संपरीक्षा कराने की शर्तें
क	ख
1.	1. प्रत्येक व्यक्ति—

(क) कारबार करता है, यदि उसकी कुल बिक्री, आवर्त या सकल प्राप्तियां, जैसा भी मामला हो, किसी भी कर वर्ष में एक करोड़ रुपये से अधिक है, खंड (ख) के उपबंधों के अधीन;

(ख) ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसकी—

(i) कर वर्ष के दौरान बिक्री, आवर्त या सकल प्राप्तियों के लिए नकद में प्राप्त राशि सहित प्राप्त सभी राशियों का योग उक्त राशि के 5% से अधिक नहीं है; और

(ii) पिछले वर्ष के दौरान नकद में व्यय के लिए किए गए सभी भुगतानों का योग उक्त भुगतान के 5% से अधिक नहीं है,

खंड (क) का प्रभाव इस प्रकार होगा मानो "एक करोड़ रुपये" शब्दों के स्थान पर "दस करोड़ रुपये" शब्द रख दिए गए हों।

(ग) कारबार करता है, यदि उसकी सकल प्राप्तियां किसी भी पिछले वर्ष में पचास लाख रुपये से अधिक हैं।

2. यदि व्यक्ति धारा 58(2) या 61(2) (सारणी: क्रम संख्या 4 और 5) में निर्दिष्ट कारबार या वृत्ति कर रहा है और ऐसे कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ उक्त धाराओं में निर्दिष्ट माने गए लाभ से कम होने का दावा किया जाता है।

(2) इस धारा के उपबंध वहां लागू नहीं होंगे जहां करदाता द्वारा घोषित कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ धारा 58(2) या 61(2) के अनुसार है।

(3) निर्धारित निर्दिष्ट तिथि तक, ऐसे संपरीक्षा की रिपोर्ट ऐसे प्रारूप में प्रस्तुत करेगा, जो लेखाकार द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित और सत्यापित होगी और जिसमें विहित विवरण होंगे।

(4) जहां किसी व्यक्ति से किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन अपने खातों की संपरीक्षा कराने की अपेक्षा की जाती है, वहां इस धारा का अनुपालन पर्याप्त होगा, यदि ऐसा व्यक्ति—

(क) ऐसे कारबार या वृत्ति के खातों की निर्दिष्ट तिथि से पहले ऐसे कानून के अधीन लेखापरीक्षा कराता है; और

(ख) उस निर्दिष्ट तिथि तक निर्धारित प्रारूप में जो विहित किया जाए, लेखाकार की रिपोर्ट के साथ ऐसी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) कर वर्ष के निर्धारित के खातों के संबंध में "निर्दिष्ट तिथि" का तात्पर्य धारा 263(1) के अधीन आय-कर विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से एक माह पूर्व की तारीख से है।

(ख) किसी बैंक पर आहरित चेक या बैंक ड्राफ्ट द्वारा, जो आदाता के खाते में नहीं है, किया गया भुगतान या प्राप्ति, जैसी भी स्थिति हो, नकद में किया गया भुगतान या प्राप्ति मानी जाएगी।

सहकारी बैंकों के कारबार पुनर्गठन के मामले में कटौतियों की गणना के लिए विशेष उपबंध।

64. (1) धारा 33 या धारा 44 या धारा 52(1) (सारणी: क्रम संख्या 1) या (सारणी: क्रम संख्या 2) के अधीन कटौती, ऐसे मामले में जहां कर वर्ष के दौरान सहकारी बैंक का कारबार पुनर्गठन हुआ है, इस धारा के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञात की जाएगी।

(2) धारा 33 या धारा 44 या धारा 52(1) (सारणी: क्रम संख्या 1) या धारा 52(1) (सारणी: क्रम संख्या 2) के अधीन पूर्ववर्ती सहकारी बैंक या उत्तरवर्ती सहकारी बैंक या संपरिवर्तित बैंकिंग कंपनी के लिए अनुज्ञात योग्य कटौती की रकम निम्नलिखित सूत्र के अनुसार निर्धारित की जाएगी—

(i) पूर्ववर्ती सहकारी बैंक के लिए: $\frac{\text{क} \times \text{ख}}{\text{ग}}$

—

ग

(ii) उत्तरवर्ती सहकारी बैंक या परिवर्तित बैंकिंग कंपनी के लिए:

$\frac{\text{क} \times \text{घ}}{\text{ग}}$

—

ग

जहां,—

क = पूर्ववर्ती सहकारी बैंक को अनुज्ञात योग्य कटौती की रकम, यदि कारबार पुनर्गठन नहीं हुआ था;

ख = कर वर्ष के पहले दिन से आरंभ होने वाली और कारबार पुनर्गठन की तारीख से ठीक पहले वाले दिन को समाप्त होने वाली अवधि में शामिल दिनों की संख्या;

ग = कर वर्ष में कुल दिनों की संख्या जिसमें कारबार पुनर्गठन हुआ है; और

घ = कारबार पुनर्गठन की तारीख से आरंभ होने वाली और कर वर्ष के अंतिम दिन को समाप्त होने वाली अवधि में शामिल दिनों की संख्या।

(3) धारा 44 या धारा 52(1) (सारणी: क्रम सं. 1) या (सारणी: क्रम सं. 2) के उपबंध, उस दशा में जहां उक्त धारा के अधीन कटौती के हकदार पूर्ववर्ती सहकारी बैंक का उपक्रम उसमें विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व कारोबार पुनर्गठन के कारण किसी उत्तराधिकारी सहकारी बैंक या परिवर्तित बैंकिंग कंपनी को अंतरित कर दिया जाता है, कारोबार पुनर्गठन के वर्ष के पश्चात्पूर्व कर वर्षों में उत्तराधिकारी सहकारी बैंक या परिवर्तित बैंकिंग कंपनी पर उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे पूर्ववर्ती सहकारी बैंक पर लागू होते मानो कारोबार पुनर्गठन नहीं हुआ हो।

धारा 64 के प्रयोजन निर्वचन के लिए।

65. धारा 64 के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “समामेलन” से समामेलित सहकारी बैंक के साथ समामेलित सहकारी बैंक का विलय अभिप्रेत है, यदि—

(i) विलय से ठीक पहले समामेलित सहकारी बैंक या बैंकों की सभी आस्तियां और देयताएं (समापन पर बिक्री या वितरण द्वारा समामेलित सहकारी बैंक को अंतरित आस्तियों के अलावा) समामेलित सहकारी बैंक की

आस्तियां और देयताएं बन जाती हैं;

(ii) समामेलित सहकारी बैंक में 75% या उससे अधिक मताधिकार रखने वाले सदस्य समामेलित सहकारी बैंक के सदस्य बन जाते हैं; और

(iii) समामेलित सहकारी बैंक में 75% या उससे अधिक मूल्य के शेयर रखने वाले शेयरधारक (विलय से ठीक पहले समामेलित सहकारी बैंक या उसके नामिती या उसकी सहायक कंपनी द्वारा धारित शेयरों के अलावा) समामेलित सहकारी बैंक के शेयरधारक बन जाते हैं;

(ख) "समामेलित सहकारी बैंक" से—

(i) एक सहकारी बैंक जो किसी अन्य सहकारी बैंक के साथ विलय करता है; या

(ii) प्रत्येक सहकारी बैंक विलय करके एक नया सहकारी बैंक बनाता है अभिप्रेत है;

(ग) "समामेलित सहकारी बैंक" से—

(i) एक सहकारी बैंक जिसके साथ एक या अधिक समामेलित सहकारी बैंक विलय करते हैं; या

(ii) दो या अधिक समामेलित सहकारी बैंकों के विलय के परिणामस्वरूप गठित एक सहकारी बैंक अभिप्रेत है;

(घ) "कारबार पुनर्गठन" से सहकारी बैंक के समामेलन या निर्विलीन या प्राथमिक सहकारी बैंक के रूपांतरण से जुड़े कारबार का पुनर्गठन अभिप्रेत है;

(ङ) "संपरिवर्तन" से भारतीय रिजर्व बैंक की स्कीम के अधीन एक प्राथमिक सहकारी बैंक का बैंकिंग कंपनी में परिवर्तन, जैसा कि इसके परिपत्र संख्या डीसीबीआर. सीओ. एलएस. पीसीबी. परिपत्र संख्या 5/07.01.000/2018-19, दिनांक 27 सितम्बर, 2018 द्वारा अधिसूचित किया गया, अभिप्रेत है;

(च) "परिवर्तित बैंकिंग कंपनी" से प्राथमिक सहकारी बैंक से रूपांतरण के परिणामस्वरूप गठित बैंकिंग कंपनी अभिप्रेत है;

(छ) "निर्विलीन" से विघटित सहकारी बैंक द्वारा अपने एक या अधिक उपक्रमों का किसी परिणामी सहकारी बैंक को इस प्रकार अंतरण करना अभिप्रेत है कि—

(i) अंतरण से ठीक पहले उपक्रम या उपक्रमों की सभी आस्तियां और देयताएं परिणामी सहकारी बैंक की आस्तियां और देयताएं बन जाएं;

(ii) आस्तियां और दायित्व परिणामी सहकारी बैंक को अंतरण से ठीक पहले उसके लेखा बहियों में प्रदर्शित मूल्यों (उनके पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप आस्तियों के मूल्य में परिवर्तन को छोड़कर) पर अंतरित की जाएं;

(iii) परिणामी सहकारी बैंक अंतरण के प्रतिफल में आनुपातिक आधार पर विघटित सहकारी बैंक के सदस्यों को अपनी सदस्यता जारी करता है;

(iv) निर्विलीन सहकारी बैंक में 75% या उससे अधिक मूल्य के शेयर रखने वाले शेयरधारक (परिणामी बैंक या उसके नामिती या उसके सहायक

द्वारा अंतरण से ठीक पहले पहले से ही रखे गए शेयरों को छोड़कर), विलीन सहकारी बैंक या उसके किसी उपक्रम की आस्तियों के परिणामी सहकारी बैंक द्वारा अधिग्रहण के परिणामस्वरूप परिणामी सहकारी बैंक के शेयरधारक बन जाते हैं;

(v) उपक्रम का अंतरण चालू कारबार के आधार पर होता है; और

(vi) अंतरण केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार होता है, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कि अंतरण वास्तविक कारबार उद्देश्यों के लिए है;

(ज) "निर्विलीन सहकारी बैंक" से वह सहकारी बैंक जिसका उपक्रम विलीनीकरण के अनुसरण में परिणामी बैंक को अंतरित किया जाता है अभिप्रेत है;

(झ) "पूर्ववर्ती सहकारी बैंक" से समामेलित सहकारी बैंक या विलीन सहकारी बैंक या प्राथमिक सहकारी बैंक, जैसा भी मामला हो, जो रूपांतरण के परिणामस्वरूप सफल हुआ है अभिप्रेत है;

(ज) "प्राथमिक सहकारी बैंक" का वही अर्थ होगा जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड (सीसीवी) में दिया गया है;

(ट) "परिणामी सहकारी बैंक" से—

(i) एक या एक से अधिक सहकारी बैंक, जिन्हें विलीनीकरण के परिणामस्वरूप विलीनीकृत सहकारी बैंक का उपक्रम अंतरित किया जाता है; या

(ii) विलीनीकरण के परिणामस्वरूप गठित कोई सहकारी बैंक अभिप्रेत है;

(ठ) "उत्तराधिकारी सहकारी बैंक" से, यथास्थिति, एकीकृत सहकारी बैंक या परिणामी बैंक अभिप्रेत है;

निर्वचन ।

66. इस अध्याय के भाग घ के प्रयोजनों के लिए,—

(1) धारा 26(2)(ज) के प्रयोजनों के लिए "करार" में संगीत समारोह में कोई व्यवस्था या समझ या कार्रवाई शामिल है,—

(अ) चाहे ऐसी व्यवस्था, समझ या कार्रवाई औपचारिक या लिखित हो या नहीं; या

(आ) चाहे ऐसी व्यवस्था, समझ या कार्रवाई विधिक कार्यवाही द्वारा प्रवर्तनीय हो या नहीं;

(2) "बैंकिंग कंपनी" से ऐसी कंपनी है जिस पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 लागू होता है और इसमें उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई भी बैंक या बैंकिंग संस्था शामिल है अभिप्रेत है;

1949 का 10

(3) "कमीशन या ब्रोकरेज" का वही अर्थ होगा जो उसका धारा 402(7) में है;

(4) "वाणिज्य संव्यवहार कर" का वही है अर्थ जो उसका वित्त अधिनियम, 2013 के अध्याय 7 में है;

2013 का 17

(5) "तकनीकी सेवाओं के लिए फीस" का वही अर्थ है जो उसका धारा 9(7)(ख) में है;

(6) "आवास वित्त कंपनी" से भारत में गठित या पंजीकृत एक सार्वजनिक कंपनी है जिसका मुख्य उद्देश्य आवासीय उद्देश्यों के लिए भारत में घरों के निर्माण या खरीद के लिए दीर्घकालिक वित्त प्रदान करने का कारबार करना है अभिप्रेत है;

1961 का 59

(7) "भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान" का वही अर्थ है जो उसका प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 3(छ) में परिभाषित "संस्थान" का है;

(8) "प्रमुख व्यक्ति बीमा पॉलिसी" का वही अर्थ है जो अनुसूची II (टिप्पण 1) में है;

2009 का 6

(9) "सीमित दायित्व भागीदारी" का वही अर्थ है जो उसका सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 2(1)(ढ) में है;

(10) धारा 32(ड) के प्रयोजनों के लिए "दीर्घकालिक वित्त" से कोई ऋण या अग्रिम, जिसके अधीन धन उधार दिया जाता है या अग्रिम दिया जाता है, जिसमें कम से कम पांच वर्ष की अवधि के दौरान ब्याज सहित पुनर्भुगतान का उपबंध अभिप्रेत है;

2006 का 27

(11) "सूक्ष्म उद्यम" वह उद्यम होगा, जिसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006, केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचना के अधीन वर्गीकृत किया गया है ;

(12) "खनिज तेल" में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस शामिल हैं;

(13) किसी मूर्त आस्ति के संबंध में "देय धनराशि" [धारा 33(12)(क)(i) में यथा निर्दिष्ट] में निम्नलिखित शामिल हैं—

(क) उसके संबंध में देय कोई बीमा, बचाव या क्षतिपूर्ति धनराशि;

(ख) जहां आस्ति बेची जाती है, वह कीमत जिस पर उसे बेचा जाता है;

1949 का 10

(14) "गैर-अनुसूचित बैंक" से बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5(ग) में यथा परिभाषित ऐसी बैंकिंग कंपनी अभिप्रेत है, जो अनुसूचित बैंक नहीं है;

(15) "संदत" से धारा 37 के सिवाय, लेखांकन की उस पद्धति के अनुसार वास्तव में भुगतान किया गया या उपगत किया गया जिसके आधार पर "कारोबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन लाभ या अभिलाभ की गणना की जाती है अभिप्रेत है;

(16) "स्थायी स्थापन" का वही अर्थ है जो धारा 173(ग) में है;

(17) "संयंत्र" में व्यापार या वृत्ति के लिए उपयोग किए जाने वाले जहाज, वाहन, पुस्तकें, वैज्ञानिक उपकरण और शल्य चिकित्सा उपकरण शामिल हैं, लेकिन इसमें चाय की झाड़ियाँ या पशुधन या भवन या फर्नीचर और फिटिंग शामिल नहीं हैं;

(18) "पूर्ववर्ती इकाई" से—

(क) समामेलन की स्थिति में समामेलित भारतीय कंपनी;

(ख) निर्विलीन की स्थिति में विलीन भारतीय कंपनी;

(ग) फर्म, धारा 70(1)(यघ) में निर्दिष्ट कंपनी द्वारा फर्म के

उत्तराधिकार के मामले में;

(घ) निजी कंपनी या गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी, धारा 70(1)(यड) में निर्दिष्ट रूपांतरण के मामले में;

(19) "प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसायटी" का वही अर्थ है जो उसका बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के भाग 5 में है;

1949 का 10

(20) "प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक" से ऐसी समिति से है जिसका कार्यक्षेत्र एक तालुका तक सीमित है तथा जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि एवं ग्रामीण विकास गतिविधियों के लिए दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराना है अभिप्रेत है;

(21) "व्यावसायिक सेवाएं" का वही अर्थ है जो उसका धारा 402(28) में है;

(22) "लोक कंपनी" का वही अर्थ है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(71) में है;

2013 का 18

(23) "लोक वित्तीय संस्था" का वही अर्थ है जो उसका कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(72) में है;

2013 का 18

(24) "विनिमय दर" से भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में अथवा विदेशी मुद्रा को भारतीय मुद्रा में रूपांतरित करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित या मान्यता प्राप्त विनिमय दर अभिप्रेत है है;

(25) "रॉयल्टी" का वही अर्थ है जो उसका धारा 9(6)(ख) में है;

(26) "ग्रामीण शाखा" से अनुसूचित बैंक या गैर-अनुसूचित बैंक की शाखा जो किसी ऐसे स्थान पर स्थित है जिसकी जनसंख्या पिछली पिछली जनगणना के अनुसार दस हजार से अधिक नहीं है, जिसके प्रासंगिक आंकड़े कर वर्ष के पहले दिन से पहले प्रकाशित किए गए हैं अभिप्रेत है;

(27) "वैज्ञानिक अनुसंधान" से—

(क) कृषि, पशुपालन या मत्स्यपालन सहित प्राकृतिक या अनुप्रयुक्त विज्ञान के क्षेत्र में ज्ञान के विस्तार के लिए कोई गतिविधि; और

(ख) वैज्ञानिक अनुसंधान पर किए गए व्यय के संदर्भ में वैज्ञानिक अनुसंधान के अभियोजन या अभियोजन के लिए सुविधाओं के उपबंध के लिए किए गए सभी व्यय शामिल होंगे, लेकिन इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान में अधिकारों के अधिग्रहण में या उससे उत्पन्न होने वाले किसी भी व्यय को शामिल नहीं किया जाएगा,

और किसी कारबार या कारबार के वर्ग से संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान के संदर्भ में कोई भी वैज्ञानिक अनुसंधान शामिल होगा—

(i) जो उस कारबार या उस वर्ग के सभी व्यवसायों के विस्तार को बढ़ावा दे या उसे सुगम बनाए;

(ii) चिकित्सीय प्रकृति का, जिसका उस कारबार में या उस वर्ग के सभी व्यवसायों में नियोजित श्रमिकों के कल्याण से विशेष संबंध हो

अभिप्रेत है;

2004 का 23

(28) "प्रतिभूति संव्यवहार कर" का वही अर्थ है जो उसका वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2004 के अध्याय 7 में है;

(29) धारा 26(2)(ज) के प्रयोजनों के लिए, "सेवा" से किसी भी प्रकार की सेवा अभिप्रेत है जो संभावित उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है और इसमें किसी औद्योगिक या वाणिज्यिक प्रकृति के कारबार के संबंध में सेवाओं का उपबंध शामिल है, जैसे—

- (क) लेखा;
- (ख) बैंकिंग;
- (ग) संचार;
- (घ) समाचार या सूचना का संप्रेषण;
- (ङ) विज्ञापन;
- (च) मनोरंजन;
- (छ) मनोरंजन;
- (ज) शिक्षा;
- (झ) वित्तपोषण;
- (ञ) बीमा;
- (ट) चिट फंड;
- (ठ) अचल संपत्ति;
- (ड) निर्माण;
- (ढ) परिवहन;
- (ण) भंडारण;
- (त) प्रसंस्करण;
- (थ) विद्युत या अन्य ऊर्जा की आपूर्ति; और
- (द) भोजन और आवास;

आदि अभिप्रेत है ।

2006 का 27

(30) "लघु उद्यम" वह उद्यम हो, जो उसका सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचना में वर्गीकृत किया गया है ;

(31) "सट्टा लेनदेन" से ऐसा लेनदेन अभिप्रेत है जिसमें स्टॉक और शेयरों सहित किसी वस्तु की खरीद या बिक्री के लिए अनुबंध का निपटान आवधिक रूप से या अंततः वस्तु या स्क्रिप्स के वास्तविक वितरण या अंतरण के अलावा किसी अन्य तरीके से किया जाता है, निम्नलिखित लेनदेन के अलावा:—

(क) खंड (33) में परिभाषित निर्दिष्ट व्युत्पन्न लेनदेन;

(ख) किसी व्यक्ति द्वारा अपने विनिर्माण या व्यापारिक कारबार के दौरान कच्चे माल या माल के संबंध में किया गया अनुबंध, ताकि उसके द्वारा निर्मित माल या बेचे गए माल की वास्तविक डिलीवरी के लिए उसके

अनुबंधों के संबंध में भविष्य में कीमत में उतार-चढ़ाव के कारण होने वाली हानि से बचा जा सके;

(ग) स्टॉक और शेयरों के संबंध में एक अनुबंध जो किसी व्यापारी या निवेशक द्वारा मूल्य में उतार-चढ़ाव के कारण स्टॉक और शेयरों की अपनी होल्डिंग में होने वाली हानि से बचाव के लिए किया जाता है;

(घ) किसी वायदा बाजार या स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य द्वारा जॉबिंग या आर्बिट्रेज की प्रकृति के किसी लेनदेन के दौरान किया गया अनुबंध, जो ऐसे सदस्य के रूप में उसके कारबार के सामान्य अनुक्रम में होने वाली हानि से बचाव के लिए किया गया हो;

(32) "विहित बैंकिंग या ऑनलाइन मोड" का अर्थ होगा, जो खाता आदाता चेक या खाता आदाता बैंक ड्राफ्ट या बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली का उपयोग या ऐसे अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से लेनदेन, जो विहित किया जाए, किया जा सकता है।

(33) "निर्दिष्ट व्युत्पन्न संव्यवहार" से प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2(कग) में निर्दिष्ट व्युत्पन्न में व्यापार के संबंध में या वस्तु व्युत्पन्न (कृषि वस्तु व्युत्पन्न के अलावा) में व्यापार के संबंध में कोई लेनदेन है जो वित्त अधिनियम, 2013 के अध्याय 7 के अधीन वस्तु संव्यवहार कर के लिए प्रभार्य है या कृषि वस्तु व्युत्पन्न में व्यापार के संबंध में, यदि ऐसे लेनदेन -

(क) किए जाते हैं -

(i) किसी स्टॉक ब्रोकर या सब-ब्रोकर या ऐसे अन्य मध्यस्थ के माध्यम से जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 12 के अधीन प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 या निक्षेपागार अधिनियम, 1996 के उपबंधों और उन अधिनियमों के अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों या उप-नियमों या जारी किए गए निर्देशों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत है; या

(ii) किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर बैंकों या म्यूचुअल फंड द्वारा, किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की स्क्रीन-आधारित प्रणालियों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से; और

(ख) मध्यस्थ द्वारा प्रत्येक ग्राहक को जारी किए गए समय-मुद्रित संविदा नोट द्वारा समर्थित, जिसमें संविदा नोट में दर्शाया गया हो-

(i) प्रवृत्त किसी विधि के अधीन आबंटित विशिष्ट ग्राहक पहचान संख्या; और

(ii) इस अधिनियम के अधीन आबंटित स्थायी लेखा संख्या ।

(34) "राज्य सरकार उपक्रम" में सम्मिलित हैं—

(क) किसी राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगम;

(ख) ऐसी कंपनी जिसमें 50% से अधिक चुकता इक्विटी शेयर पूंजी राज्य सरकार द्वारा धारित है;

(ग) ऐसी कंपनी जिसमें 50% से अधिक चुकता इक्विटी शेयर पूंजी खंड

(क) या (ख) में निर्दिष्ट इकाई द्वारा धारण की जाती है (चाहे अकेले या साथ

में);

(घ) कोई कंपनी या निगम जिसमें राज्य सरकार को निदेशकों के बहुमत को नियुक्त करने या प्रबंधन या नीति निर्णयों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करने का अधिकार है, जिसमें उसकी शेयरधारिता या प्रबंधन अधिकारों या शेयरधारकों के समझौतों या मतदान समझौतों या किसी अन्य तरीके से शामिल है;

(ङ) किसी राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित कोई प्राधिकरण, बोर्ड या संस्था या निकाय, या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हो;

2013 का 18

(35) "राज्य औद्योगिक निवेश निगम" से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अर्थ में एक सरकारी कंपनी अभिप्रेत है, जो औद्योगिक परिस्कीमों के लिए दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराने के कारबार में लगी हुई है;

1951 का 63

(36) राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 3 या 3क के अधीन स्थापित वित्तीय निगम या धारा 46 के अधीन अधिसूचित संस्था से है;

(37) "उत्तराधिकारी इकाई" से—

(क) समामेलन के मामले में, समामेलित भारतीय कंपनी;

(ख) निर्विलीन के मामले में परिणामी भारतीय कंपनी;

(ग) किसी कंपनी द्वारा फर्म के उत्तराधिकार की स्थिति में, जैसा कि धारा 70(1)(यघ) में निर्दिष्ट है;

(घ) निजी कंपनी या गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी के सीमित दायित्व भागीदारी में रूपांतरण के मामले में, जैसा कि धारा 70(1)(यघ) में संदर्भित है, सीमित दायित्व भागीदारी अभिप्रेत है ।

2013 का 17

(38) "कर योग्य वस्तु संव्यवहार" का वही अर्थ है जो उसका वित्त अधिनियम, 2013 के अध्याय 7 के अधीन दिया गया है;

2004 का 13

(39) "कर योग्य प्रतिभूति संव्यवहार" का वही अर्थ है जो उसका वित्त अधिनियम, 2004 के अध्याय 7 के अधीन दिया गया है;

(40) "विश्वविद्यालय" का वही अर्थ है जो उसका धारा 70(2)(सारणी: क्रम संख्या 7) में दिया गया है;

उ-पूँजीगत लाभ

67. (1) किसी कर वर्ष में पूँजीगत आस्ति के अंतरण से उत्पन्न कोई लाभ या प्राप्ति, धारा 82, धारा 83, धारा 84, धारा 86, धारा 87, धारा 88 और धारा 89 में अन्यथा उपबंध के सिवाय, "पूँजीगत लाभ" शीर्ष के अधीन आय-कर के लिए प्रभाय होगी और उस कर वर्ष की आय मानी जाएगी जिसमें अंतरण हुआ था ।

पूँजीगत लाभ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात पर ध्यान दिए बिना, यदि कोई व्यक्ति किसी कर वर्ष के दौरान उपधारा (3) में उल्लिखित परिस्थितियों के परिणामस्वरूप किसी पूँजीगत आस्ति को हुए नुकसान या विनाश के कारण बीमाकर्ता से बीमा के अधीन कोई धन या अन्य आस्ति प्राप्त करता है, तो,—

(क) ऐसे धन या अन्य आस्तियों की प्राप्ति से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या प्राप्ति पर "पूँजीगत लाभ" शीर्ष के अधीन आय-कर लगेगा और उसे ऐसे व्यक्ति की उस कर वर्ष की आय माना जाएगा जिसमें ऐसा धन या अन्य आस्ति प्राप्त हुई थी; तथा

(ख) 72 के प्रयोजनों के लिए, ऐसी प्राप्ति की तारीख को किसी धन का मूल्य या अन्य आस्तियों का उचित बाजार मूल्य ऐसी पूँजी आस्ति के अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भूत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य माना जाएगा।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट परिस्थितियां निम्नलिखित होंगी :—

(क) बाढ़, आंधी, तूफान, चक्रवात, भूकंप या प्रकृति का कोई अन्य संकट; या

(ख) दंगा या नागरिक अशांति; या

(ग) आकस्मिक आग या विस्फोट; या

(घ) शत्रु द्वारा की गई कार्रवाई या शत्रु से युद्ध में की गई कार्रवाई (चाहे युद्ध की घोषणा के साथ हो या उसके बिना)।

(4) उपधारा (2) में, "बीमाकर्ता" का वही अर्थ होगा जो बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2(9) में है।

1938 का 4

(5) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात पर ध्यान दिए बिना, यदि किसी व्यक्ति को यूनिट सहबद्ध बीमा पॉलिसी के अधीन बोनस सहित किसी राशि की प्राप्ति से कोई लाभ या मुनाफा होता है, जिस पर अनुसूची 2 (सारणी: क्रम संख्या 2) में निर्दिष्ट छूट लागू नहीं होती है, तो,—

(क) ऐसे लाभ और अभिलाभ "पूँजीगत लाभ" शीर्ष के अधीन आय-कर के अधीन होंगे और उन्हें उस व्यक्ति की उस कर वर्ष में आय माना जाएगा जिसमें ऐसी राशि प्राप्त हुई थी; और

(ख) कर योग्य आय की गणना ऐसी रीति से की जाएगी जो विहित की जाए।

(6) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात पर ध्यान दिए बिना, यदि पूँजी आस्ति को स्वामी द्वारा उसके द्वारा चलाए जा रहे कारबार के स्टॉक-इन-ट्रेड में रूपांतरित करने या उसके रूप में व्यवहार करने के माध्यम से अंतरण से उत्पन्न लाभ या प्राप्ति, तो,—

(क) ऐसे लाभ और अभिलाभ उस कर वर्ष में उसकी आय के रूप में आय-कर के अधीन होंगे जिसमें ऐसा स्टॉक-इन-ट्रेड उसके द्वारा विक्रय या अन्यथा अंतरित किया गया है; तथा

(ख) धारा 72 के प्रयोजनों के लिए, ऐसे रूपांतरण या उपचार की तारीख को आस्ति का उचित बाजार मूल्य ऐसी पूँजीगत आस्ति के अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भूत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य माना जाएगा।

(7) यदि किसी व्यक्ति का, कर वर्ष के दौरान किसी भी समय, किसी भी प्रतिभूतियों में कोई लाभकारी हित था और ऐसी प्रतिभूतियों के संबंध में ऐसे लाभकारी हित के निक्षेपागरी या भागीदार द्वारा किए गए अंतरण से कोई लाभ या अभिलाभ

उत्पन्न होता है, तो,—

(क) ऐसे लाभ और अभिलाभ उस कर वर्ष के लाभकारी स्वामी की आय के रूप में आय-कर के लिए प्रभाय्य होंगे जिसमें ऐसा अंतरण हुआ था;

1996 का 22

(ख) ऐसे लाभ और अभिलाभ को निक्षेपागार की आय नहीं माना जाएगा, जिसे निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 10(3) के आधार पर प्रतिभूतियों का रजिस्ट्रीकृत स्वामी माना जाता है; और

(ग) 72 और धारा 2(101)(ख) के प्रयोजनों के लिए, किसी भी प्रतिभूतियों के अधिग्रहण की लागत और धारण की अवधि पहले आओ पहले पाओ पद्धति के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

1996 का 22

(8) उपधारा (7) में, "लाभार्थी स्वामी", "निक्षेपागार" और "प्रतिभूति" के वही अर्थ होंगे जो उन्हें क्रमशः निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 2(1)(क), (ड) और (ठ) में दिए गए हैं।

(9) यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी फर्म या व्यक्तियों के अन्य संगम या व्यष्टियों के निकाय (कंपनी या सहकारी समिति न हो) को, जिसमें वह भागीदार या सदस्य है या बन जाता है, पूंजीगत अंशदान या अन्यथा किसी पूंजीगत आस्ति के अंतरण से कोई लाभ या प्राप्ति उत्पन्न होती है, तो,—

(क) ऐसे लाभ और अभिलाभ ऐसे अंतरण के कर वर्ष में उसकी आय के रूप में कर योग्य होगी; तथा

(ख) धारा 72 के प्रयोजनों के लिए, फर्म, संगम या निकाय की लेखा पुस्तकों में पूंजीगत आस्ति के मूल्य के रूप में दर्ज राशि को ऐसी पूंजीगत आस्ति के अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भूत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य माना जाएगा।

(10) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात पर ध्यान दिए बिना, यदि कोई विनिर्दिष्ट व्यक्ति कर वर्ष के दौरान किसी विनिर्दिष्ट इकाई से ऐसी विनिर्दिष्ट इकाई के पुनर्गठन के संबंध में कोई धन या पूंजीगत आस्ति, या दोनों प्राप्त करता है, तो,—

(क) ऐसी प्राप्ति से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या प्राप्ति को निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा ऐसी प्राप्ति के कर वर्ष की निर्दिष्ट इकाई की आय माना जाएगा और "पूंजीगत लाभ" शीर्ष के अधीन आय-कर के लिए प्रभाय्य होगा; तथा

(ख) ऐसे लाभ या प्राप्ति का निर्धारण इस अधिनियम में निहित किसी प्रतिकूल बात पर ध्यान दिए बिना निम्नानुसार किया जाएगा:—

$$क = ख + ग - घ,$$

जहां,—

क = इस उपधारा के अधीन आय-कर के लिए प्रभाय्य आय, "पूंजीगत लाभ" शीर्ष के अधीन निर्दिष्ट इकाई की आय के रूप में;

ख = निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा निर्दिष्ट इकाई से ऐसी प्राप्ति की तिथि पर प्राप्त किसी भी धन का मूल्य;

ग = निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा निर्दिष्ट इकाई से ऐसी प्राप्ति की तिथि

पर प्राप्त पूंजीगत आस्ति के उचित बाजार मूल्य की राशि; तथा

घ = पुनर्गठन के समय निर्दिष्ट इकाई की खाता पुस्तकों में निर्दिष्ट व्यक्ति के पूंजी खाते (किसी भी तरीके से दर्शाए गए) में शेष राशि ;

(ग) खंड (ख) में सूत्र के प्रयोजनों के लिए,—

(i) यदि उपरोक्त सूत्र में “क” का मान ऐसा ऋणात्मक है, तो उसका मान शून्य माना जाएगा;

(ii) निर्दिष्ट इकाई की खाता पुस्तकों में निर्दिष्ट व्यक्ति के पूंजी खाते में शेष राशि की गणना किसी भी आस्ति के पुनर्मूल्यांकन या स्व-जनित सदभावना या किसी अन्य स्व-जनित आस्ति के कारण निर्दिष्ट व्यक्ति के पूंजी खाते में किसी भी वृद्धि पर विचार किए बिना की जानी है; तथा

(घ) इस उपधारा के उपबंध धारा 8 के उपबंधों के अतिरिक्त प्रभावी होंगे और उक्त धारा के अधीन कराधान स्वतंत्र रूप से निर्धारित किया जाएगा, जब कोई पूंजी आस्ति किसी निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किसी निर्दिष्ट इकाई से ऐसी निर्दिष्ट इकाई के पुनर्गठन के संबंध में प्राप्त की जाती है।

(11) उपधारा (10) में,—

(क) “निर्दिष्ट इकाई का पुनर्गठन”, “निर्दिष्ट इकाई” और “निर्दिष्ट व्यक्ति” के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो धारा 8 में दिए गए हैं;

(ख) “स्व-उत्पन्न सदभावना” और “स्व-उत्पन्न आस्ति” से तात्पर्य सदभावना या आस्ति से है, जैसा भी मामला हो, जिसे खरीद के लिए कोई लागत वहन किए बिना अर्जित किया गया हो या जो कारबार या वृत्ति के दौरान उत्पन्न किया गया हो।

(12) उपधारा (1) में किसी बात पर ध्यान दिए बिना, यदि पूंजीगत लाभ किसी विधि के अधीन अनिवार्य अधिग्रहण के माध्यम से पूंजीगत आस्ति के अंतरण से उत्पन्न होता है, या ऐसा अंतरण जिसके लिए विचार केंद्रीय सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित या अनुमोदित किया गया था, और इस तरह के अंतरण के लिए मुआवजे या विचार को किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण द्वारा बढ़ाया जाता है या आगे बढ़ाया जाता है, पूंजीगत लाभ को निम्नलिखित तरीके से निपटाया जाएगा:—

(क) प्रथम दृष्टया दिए गए मुआवजे या, जैसा भी मामला हो, केंद्रीय सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रथम दृष्टया निर्धारित या अनुमोदित प्रतिफल के संदर्भ में संगणित पूंजीगत लाभ, उस कर वर्ष के “पूंजीगत लाभ” शीर्ष के अधीन आय के रूप में प्रभावी होगा जिसमें ऐसा मुआवजा या उसका भाग, या ऐसा प्रतिफल या उसका भाग पहली बार प्राप्त हुआ था;

(ख) वह राशि जिससे न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण द्वारा मुआवजा या प्रतिफल बढ़ाया जाता है या आगे बढ़ाया जाता है, उस कर वर्ष के “पूंजीगत लाभ” शीर्ष के अधीन प्रभावी आय मानी जाएगी जिसमें ऐसी राशि प्राप्त की जाती है;

(ग) न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण के अंतरिम आदेश के

अनुसरण में प्राप्त खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी मुआवजे को उस कर वर्ष के "पूंजीगत लाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय माना जाएगा जिसमें ऐसे न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण का अंतिम आदेश दिया गया हो; तथा

(घ) खंड (क) या खंड (ख) के अधीन किसी कर वर्ष के लिए मूल्यांकित पूंजीगत लाभ की पुनर्गणना की जाएगी, जहां खंड (क) से खंड (ग) में निर्दिष्ट मुआवजा या प्रतिफल किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण द्वारा कम कर दिया जाता है और ऐसा कम किया गया मूल्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य माना जाएगा।

(13) उपधारा (12)(ख) और उपधारा (12)(ग) में निर्दिष्ट राशि के संबंध में,—

(क) अधिग्रहण की लागत और सुधार की लागत शून्य मानी जाएगी; और

(ख) ऐसे मामले में, जहां बढ़ा हुआ मुआवजा या प्रतिफल अंतरण करने वाले व्यक्ति की मृत्यु के कारण या किसी अन्य कारण से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, ऐसी राशि को ऐसे अन्य व्यक्ति के हाथों में "पूंजीगत लाभ" शीर्ष के अधीन कर योग्य आय माना जाएगा।

(14) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात पर ध्यान दिए बिना, यदि पूंजीगत लाभ किसी व्यक्ति (जो कोई व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार है) को किसी पूंजीगत आस्ति, जो भूमि या भवन या दोनों हैं, के किसी विनिर्दिष्ट करार के अधीन अंतरण से उत्पन्न होता है, तो,—

(क) ऐसा पूंजीगत लाभ उस कर वर्ष के लिए आय-कर हेतु देय होगा जिसमें सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिस्कीम के सम्पूर्ण या उसके भाग के लिए पूर्णता प्रमाणपत्र जारी किया जाता है; तथा

(ख) धारा 72 के प्रयोजनों के लिए, उक्त प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख को, परिस्कीम में ऐसे व्यक्ति के हिस्से का, जो भूमि या भवन या दोनों हैं, स्टॉप शुल्क मूल्य, नकद या चेक या ड्राफ्ट या किसी अन्य तरीके से प्राप्त किसी प्रतिफल द्वारा बढ़ा हुआ, ऐसी पूंजी आस्ति के अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भूत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य माना जाएगा।

(15) उपधारा (14) में,—

(क) "सक्षम प्राधिकारी" से तात्पर्य किसी कानून के अधीन भवन स्कीम को अनुमोदित करने के लिए सशक्त प्राधिकारी से है;

(ख) "विनिर्दिष्ट करार" से अभिप्राय रजिस्ट्रीकृत करार से है, जिसमें भूमि या भवन, या दोनों का स्वामी कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी भूमि या भवन, या दोनों पर अचल सम्पदा परियोजना विकसित करने की अनुमति देने के लिए सहमत होता है, ऐसी परियोजना में भूमि या भवन, या दोनों का हिस्सा होने के बदले, चाहे प्रतिफल के भाग का नकद भुगतान किया जाए या नहीं।

(16) उपधारा (14) के उपबंध लागू नहीं होंगे, यदि व्यक्ति परिस्कीम में अपना हिस्सा पूर्णता प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख को या उससे पहले अंतरित कर देता है,

और तब,—

(क) पूंजीगत लाभ ऐसे अंतरण के कर वर्ष की आय माना जाएगा; तथा

(ख) इस अधिनियम के उपधारा (14) के अतिरिक्त अन्य उपबंध, प्रतिफल के पूर्ण मूल्य के निर्धारण के प्रयोजन के लिए लागू होंगे।

(17) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात पर ध्यान दिए बिना, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 80गख(2) में निर्दिष्ट इकाइयों के पुनर्खरीद मूल्य और ऐसी इकाइयों के पूंजीगत मूल्य के बीच के अंतर पर उस कर वर्ष में निर्धारिती को होने वाला पूंजीगत लाभ मानते हुए कर समझा जाएगा, जिसमें—

1961 का 43

(क) ऐसी पुनर्खरीद होती है; या

(ख) उस धारा में निर्दिष्ट स्कीम समाप्त हो जाती है।

(18) उपधारा (17) के प्रयोजनों के लिए, "ऐसी इकाइयों का पूंजीगत मूल्य" से आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 80गख(2) में निर्दिष्ट इकाइयों में निर्धारिती द्वारा निवेश की गई कोई राशि अभिप्रेत है।

1961 का 43

परिसमापन के अधीन कंपनियों द्वारा आस्तियों के वितरण पर पूंजीगत लाभ।

68. (1) धारा 67 में किसी बात पर ध्यान दिए बिना, जहां किसी कंपनी की आस्तियां उसके परिसमापन पर उसके शेयरधारकों को वितरित की जाती हैं, वहां ऐसे वितरण को उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए कंपनी द्वारा अंतरण नहीं माना जाएगा।

(2) यदि कोई शेयरधारक, किसी कंपनी के परिसमापन पर, कंपनी से कोई धन या अन्य आस्तियां प्राप्त करता है, तो,—

(क) ऐसे शेयरधारक को इस प्रकार प्राप्त धन या वितरण की तिथि पर अन्य आस्तियों के बाजार मूल्य के संबंध में "पूंजीगत लाभ" शीर्ष के अधीन आय-कर देना होगा, जिसमें से धारा 2(40)(ग) के अर्थ में लाभांश के रूप में निर्धारित राशि घटा दी जाएगी; तथा

(ख) इस प्रकार प्राप्त राशि धारा 72 के प्रयोजनों के लिए प्रतिफल का पूर्ण मूल्य मानी जाएगी।

कंपनी द्वारा अपने स्वयं के शेयरों या अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के क्रय पर पूंजीगत लाभ।

69. (1) यदि कोई शेयरधारक या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों का धारक किसी कंपनी से अपने स्वयं के शेयरों या ऐसे शेयरधारक या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के धारक द्वारा धारित अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के क्रय के लिए कोई प्रतिफल प्राप्त करता है, तो धारा 72 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अर्जन की लागत और इस प्रकार प्राप्त प्रतिफल के मूल्य के बीच का अंतर, यथास्थिति, अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के ऐसे शेयरधारक या धारक को उस वर्ष में होने वाला "पूंजीगत लाभ" माना जाएगा जिसमें कंपनी शेयरों या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों का क्रय करती है।

(2) यदि शेयरधारक को शेयरों की खरीद-वापस करने के संबंध में किसी कंपनी से धारा 2(40)(च) में निर्दिष्ट प्रकृति का कोई विचार प्राप्त होता है, तो इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ऐसे विचार का मूल्य शून्य माना जाएगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों" का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 68 के स्पष्टीकरण 1 में दिया गया है।

2013 का 18

70. (1) धारा 67 के उपबंध निम्नलिखित स्थानांतरण पर लागू नहीं होंगे—

ऐसे संव्यवहार जिन्हें अंतरण

(क) हिंदू अविभाजित परिवार के पूर्ण या आंशिक निर्विलीन पर पूंजीगत आस्तियों के वितरण द्वारा;

(ख) किसी व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार द्वारा वसीयत या उपहार या अपरिवर्तनीय ट्रस्ट के अधीन पूंजीगत आस्ति;

(ग) किसी पूंजीगत आस्ति का, जो व्यापार में स्टॉक नहीं है, किसी कंपनी द्वारा अपनी सहायक कंपनी को अंतरण, यदि—

(i) मूल कंपनी या उसके नामित व्यक्ति सहायक कंपनी की संपूर्ण शेयर पूंजी रखते हैं; और

(ii) सहायक कंपनी एक भारतीय कंपनी है;

(घ) किसी सहायक कंपनी द्वारा होल्डिंग कंपनी को पूंजीगत आस्ति का, जो व्यापार में स्टॉक नहीं है, अधिग्रहण, यदि—

(i) सहायक कंपनी की संपूर्ण शेयर पूंजी होल्डिंग कंपनी के पास है; और

(ii) धृति कंपनी एक भारतीय कंपनी है;

(ङ) किसी समामेलन स्कीम में, समामेलक कंपनी द्वारा समामेलित कंपनी को पूंजी आस्ति का अंतरण, यदि समामेलित कंपनी एक भारतीय कंपनी है;

(च) किसी शेयरधारक द्वारा, समामेलन की किसी स्कीम में, किसी पूंजीगत आस्ति का, जो समामेलक कंपनी में उसके द्वारा धारित शेयर या शेयर हैं, यदि—

(i) यह अंतरण, समामेलित कंपनी में किसी शेयर या शेयरों के उसे आबंटन के प्रतिफल स्वरूप किया जाता है, सिवाय तब जब शेयरधारक स्वयं समामेलित कंपनी हो; तथा

(ii) एकीकृत कंपनी एक भारतीय कंपनी है;

(छ) किसी समामेलन की स्कीम में, किसी पूंजीगत आस्ति, जो किसी भारतीय कंपनी में धारित शेयर या शेयर हैं, का समामेलन करने वाली विदेशी कंपनी द्वारा समामेलित विदेशी कंपनी को, यदि—

(i) विलय करने वाली विदेशी कंपनी के कम से कम 25% शेयरधारक विलय करने वाली विदेशी कंपनी के शेयरधारक बने रहेंगे; तथा

(ii) ऐसे अंतरण से उस देश में पूंजीगत लाभ पर कर नहीं लगता है, जिसमें समामेलन करने वाली कंपनी निगमित है;

(ज) धारा 9(10)(क) में निर्दिष्ट किसी विदेशी कंपनी का शेयर होने वाली पूंजी आस्ति, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, समामेलित विदेशी कंपनी द्वारा समामेलित विदेशी कंपनी के लिए धारित किसी भारतीय कंपनी के शेयर या शेयरों से पर्याप्त रूप से अपना मूल्य प्राप्त करती है, यदि—

(i) विलय करने वाली विदेशी कंपनी के कम से कम 25% शेयरधारक विलय करने वाली विदेशी कंपनी के शेयरधारक बने रहेंगे; तथा

(ii) ऐसे अंतरण से उस देश में पूंजीगत लाभ पर कर नहीं लगता है जिसमें समामेलन करने वाली कंपनी निगमित है;

(झ) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45(7) के अधीन

केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत एवं प्रवृत्त बैंककारी संस्था के साथ बैंककारी कंपनी की समामेलन स्कीम के अधीन किसी बैंककारी संस्था को किसी बैंककारी कंपनी द्वारा पूंजीगत आस्ति का अंतरण;

(अ) निर्विलीन की स्थिति में, निर्विलीन की गई कंपनी द्वारा परिणामी कंपनी को पूंजी आस्ति का अंतरण, यदि परिणामी कंपनी एक भारतीय कंपनी है;

(ट) परिणामी कंपनी द्वारा शेयरों का या ऐसी कंपनी द्वारा शेयरों का निर्गम, विलीन कंपनी के शेयरधारकों को विलीनीकरण की स्कीम में, यदि अंतरण या निर्गम उपक्रम के विलीनीकरण के प्रतिफल में किया जाता है;

(ठ) किसी निर्विलीन पूंजीगत आस्ति का, जो निर्विलीन की गई विदेशी कंपनी द्वारा परिणामी विदेशी कंपनी को किसी भारतीय कंपनी में शेयर या धारित शेयर है यदि—

2013 का 18

(i) विलीन विदेशी कंपनी के शेयरों के मूल्य का कम से कम 75% हिस्सा रखने वाले शेयरधारक परिणामी विदेशी कंपनी के शेयरधारक बने रहेंगे; तथा

(ii) ऐसे अंतरण से उस देश में पूंजीगत लाभ पर कर नहीं लगता है, जिसमें अलग की गई विदेशी कंपनी निगमित है,

और ऐसी दशा में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से धारा 232 के उपबंध लागू नहीं होंगे ;

2013 का 18

(ड) निर्विलीन में किसी पूंजीगत आस्ति का, जो धारा 9(10)(क) में निर्दिष्ट किसी विदेशी कंपनी का शेयर है, जिसका मूल्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, निर्विलीन विदेशी कंपनी द्वारा परिणामी विदेशी कंपनी को धारित किसी भारतीय कंपनी के शेयर या शेयरों से पर्याप्त रूप से प्राप्त होता है, यदि—

(i) निर्विलीन विदेशी कंपनी के शेयरों के मूल्य का कम से कम 75% हिस्सा रखने वाले शेयरधारक, परिणामी विदेशी कंपनी के शेयरधारक बने रहते हैं; और

(ii) ऐसे अंतरण पर उस देश में पूंजीगत लाभ पर कर नहीं लगता है जिसमें निर्विलीन विदेशी कंपनी निगमित है।

और ऐसी दशा में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से धारा 232 के उपबंध लागू नहीं होंगे ;

2013 का 18

(ढ) किसी कारबार पुनर्गठन में, पूर्ववर्ती सहकारी बैंक द्वारा उत्तरवर्ती सहकारी बैंक या परिवर्तित बैंकिंग कंपनी को पूंजीगत आस्ति का अंतरण;

(ण) किसी शेयरधारक द्वारा, किसी कारबार पुनर्गठन में, पूंजीगत आस्ति, जो उत्तरवर्ती सहकारी बैंक में उसके द्वारा धारित शेयर या शेयर हैं, यदि अंतरण, उत्तराधिकारी सहकारी बैंक या परिवर्तित बैंकिंग कंपनी में शेयर या शेयरों के उसके आबंटन के प्रतिफल में किया जाता है;

(त) पूंजीगत आस्ति, जो धारा 209(1) में निर्दिष्ट बांड या वैश्विक निक्षेपागार रसीदें हैं, जो किसी अनिवासी द्वारा किसी अन्य अनिवासी को भारत के बाहर

अर्जित की गई हों;

(थ) भारत के बाहर बनाई गई, पूंजीगत आस्ति, जो किसी भारतीय कंपनी द्वारा भारत के बाहर जारी किया गया रुपया मूल्यवर्गित बांड है, किसी अनिवासी द्वारा दूसरे अनिवासी को;

(द) किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थित मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में किसी अनिवासी द्वारा की गई पूंजीगत आस्ति, जहां ऐसे लेनदेन के लिए प्रतिफल विदेशी मुद्रा में भुगतान किया गया है या देय है, और ऐसी पूंजीगत आस्ति है—

(i) धारा 209(1) में निर्दिष्ट बांड या वैश्विक निक्षेपागार रसीद; या

(ii) किसी भारतीय कंपनी का रुपया मूल्यवर्गित बांड; या

(iii) व्युत्पन्न; या

(iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसी अन्य प्रतिभूतियाँ;

(ध) पूंजीगत आस्ति, जो सरकारी प्रतिभूति है और जिस पर ब्याज का आवधिक भुगतान होता है, जो प्रतिभूतियों के निपटान में काम करने वाले मध्यस्थ के माध्यम से भारत के बाहर एक अनिवासी द्वारा दूसरे अनिवासी को किया जाता है;

(न) मूल निधि द्वारा परिणामी निधि में पूंजीगत आस्ति के अंतरण में;

(प) किसी शेयरधारक या यूनिट धारक या हित धारक द्वारा, परिणामी निधि में शेयर या यूनिट या हित के बदले मूल निधि में उसके द्वारा धारित शेयर या यूनिट या हित के रूप में पूंजी आस्ति के स्थानांतरण में;

(फ) इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा किसी पूंजीगत आस्ति का, संसद् के अधिनियम के अधीन स्थापित और इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित, बुनियादी ढांचे और विकास के वित्तपोषण के लिए स्थापित किसी संस्था को अंतरण;

(ब) किसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी द्वारा, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित स्कीम के अधीन, किसी पूंजीगत आस्ति का,—

(i) इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी; या

(ii) केन्द्रीय सरकार; या

(iii) राज्य सरकार;

(भ) किसी व्यक्ति द्वारा मोचन के माध्यम से, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, 2015 के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड;

(म) पूंजीगत आस्ति, जो वॉल्ट मैनेजर द्वारा जारी इलैक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद में सोने का रूपांतरण हो, या इलैक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद का सोने में रूपांतरण हो;

(य) किसी कंपनी के बांड या डिबेंचर, डिबेंचर-स्टॉक या किसी भी रूप में जमा प्रमाणपत्रों को उस कंपनी के शेयरों या डिबेंचर में परिवर्तित करके;

(यक) धारा 209(1)(सारणी: क्रम संख्या 1) में निर्दिष्ट बांडों को किसी कंपनी

के शेयरों या डिबेंचर में परिवर्तित करके;

(यख) किसी कंपनी के अधिमान्य शेयरों को उस कंपनी के इक्विटी शेयरों में परिवर्तित करके;

(यग) किसी पूंजीगत आस्ति का, जो कला का कोई कार्य, पुरातत्व, वैज्ञानिक या कला संग्रह, पुस्तक, पांडुलिपि, रेखाचित्र, पेंटिंग, फोटोग्राफ या प्रिंट हो,—

(i) सरकार; या

(ii) कोई विश्वविद्यालय; या

(iii) राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय कला गैलरी या राष्ट्रीय अभिलेखागार; या

(iv) ऐसा अन्य सार्वजनिक संग्रहालय या संस्था जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, राष्ट्रीय महत्व का या किसी राज्य में प्रसिद्ध माना गया हो;

(यघ) किसी फर्म द्वारा किसी कंपनी को पूंजीगत आस्ति या अमूर्त आस्ति का, फर्म द्वारा चलाए जा रहे कारबार में किसी कंपनी द्वारा फर्म के उत्तराधिकार के परिणामस्वरूप, यदि—

(i) उत्तराधिकार से ठीक पहले कारबार से संबंधित फर्म की सभी आस्तियां और देयताएं कंपनी की आस्तियां और देयताएं बन जाती हैं;

(ii) उत्तराधिकार से ठीक पहले फर्म के सभी भागीदार उसी अनुपात में कंपनी के शेयरधारक बन जाते हैं, जिसमें उत्तराधिकार की तारीख को फर्म की पुस्तकों में उनके पूंजी खाते थे;

(iii) फर्म के साझेदारों को कंपनी में शेयरों के आवंटन के अलावा, किसी भी रूप या तरीके से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रतिफल या लाभ प्राप्त नहीं होता है; तथा

(iv) कंपनी में साझेदारों की कुल शेयरधारिता कुल मतदान शक्ति का कम से कम 50% है और ऐसी शेयरधारिता उत्तराधिकार की तारीख से ऐसी पांच वर्ष की अवधि तक समान रहती है;

(यड) किसी निजी कंपनी या असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी (जिसे इसमें कंपनी कहा गया है) द्वारा किसी पूंजीगत आस्ति या अमूर्त आस्ति का सीमित दायित्व भागीदारी को अंतरण या कंपनी में किसी शेयरधारक द्वारा धारित किसी शेयर या शेयरों का सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 56 या धारा 57 के उपबंधों के अधीन कंपनी के सीमित दायित्व भागीदारी में रूपांतरण के परिणामस्वरूप अंतरण, यदि—

(i) रूपांतरण से ठीक पहले कंपनी की सभी आस्तियां और देयताएं सीमित देयता भागीदारी की आस्तियां और देयताएं बन जाती हैं;

(ii) कंपनी के सभी शेयरधारक, रूपांतरण से ठीक पहले, सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदार बन जाते हैं और सीमित दायित्व भागीदारी में उनका पूंजी अंशदान और लाभ हिस्सेदारी अनुपात रूपांतरण की तारीख को कंपनी में उनकी शेयरधारिता के समान अनुपात में होता है;

(iii) कंपनी के शेयरधारकों को सीमित देयता भागीदारी में लाभ में हिस्सेदारी और पूंजी योगदान के अलावा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी प्रतिफल या लाभ प्राप्त नहीं होता है;

(iv) सीमित दायित्व भागीदारी में कंपनी के शेयरधारकों के लाभ साझाकरण अनुपात का कुल योग रूपांतरण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के दौरान किसी भी समय 50% से कम नहीं होगा;

(v) जिस कर वर्ष में रूपांतरण होता है, उससे पहले के तीन कर वर्षों में कंपनी के कारबार में कुल बिक्री, आवर्त या सकल प्राप्तियां साठ लाख रुपए से अधिक नहीं होती हैं;

(vi) आस्तियों का कुल मूल्य, जैसा कि उस कर वर्ष से पहले के तीन कर वर्षों में कंपनी की खाता पुस्तकों में दिखाया गया है जिसमें रूपांतरण होता है, पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है; तथा

(vii) रूपांतरण की तिथि से तीन वर्षों तक कंपनी के खातों में जमा संचित लाभ के शेष में से किसी भी भागीदार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई राशि का भुगतान नहीं किया जाता है;

(यच) किसी एकल स्वामित्व वाली कंपनी द्वारा किसी कंपनी को पूंजीगत आस्ति या अमूर्त आस्ति (बिक्री के माध्यम से या अन्यथा) का अंतरण, यदि एकमात्र स्वामित्व वाली कंपनी द्वारा चलाए जा रहे कारबार में कंपनी द्वारा उत्तराधिकार प्राप्त हो, यदि—

(i) एकमात्र स्वामित्व वाली संस्था के कारबार से संबंधित सभी आस्तियां और देयताएं, उत्तराधिकार से ठीक पहले, कंपनी की आस्तियां और देयताएं बन जाती हैं;

(ii) कंपनी में एकमात्र स्वामी की शेयरधारिता कंपनी की कुल मताधिकार के 50% से कम नहीं है और यह ऐसी शेयरधारिता उत्तराधिकार की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक 50% से अनधिक बनी रहती है; तथा

(iii) एकमात्र स्वामी को कंपनी में शेयरों के आवंटन के अलावा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रतिफल या लाभ प्राप्त नहीं होता है;

(यछ) किसी प्रतिभूति को उधार देने की किसी स्कीम में, किसी करार या व्यवस्था के अधीन, जो निर्धारित द्वारा ऐसी प्रतिभूतियों के उधारकर्ता के साथ की गई हो और जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अधीन हो;

(यज) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी स्कीम के अधीन रिवर्स मॉर्टगेज के लेनदेन में पूंजीगत आस्ति;

(यझ) पूंजीगत आस्ति, जो किसी विशेष प्रयोजन साधन के शेयर या शेयरों के रूप में किसी कारबार ट्रस्ट को उस ट्रस्ट द्वारा अंतरणकर्ता को आबंटित यूनिटों के बदले में अंतरित की जाती है;

(यञ) किसी यूनिट धारक द्वारा किसी पूंजीगत आस्ति का, जो एक इकाई या इकाइयां हैं, जो किसी म्यूचुअल फंड की समेकित स्कीम में उसके द्वारा धारित

है, किसी यूनिट धारक द्वारा धारित है, किसी पूंजीगत आस्ति का, जो एक इकाई या इकाइयां हैं, म्यूचुअल फंड की समेकित स्कीम में यूनिट धारक को आबंटन के प्रतिफल में, इस शर्त के अधीन कि समेकन दो या अधिक स्कीमों का है—

(i) इक्विटी-उन्मुख फंड का; या

(ii) इक्विटी-उन्मुख निधि के अलावा किसी अन्य निधि का;

(यट) किसी यूनिट धारक द्वारा किसी म्यूचुअल फंड योजना की समेकित योजना में उसके द्वारा धारित किसी यूनिट या यूनिटों के रूप में पूंजीगत आस्ति का, उस म्यूचुअल फंड योजना की समेकित योजना में यूनिट धारक को किसी यूनिट या यूनिटों के रूप में पूंजीगत आस्ति के आबंटन के प्रतिफल में ;

(यठ) किसी विदेशी राज्य की सरकार द्वारा भारत के बाहर निगमित किसी कंपनी के शेयरों के बदले में, उस विदेशी राज्य के कानूनों के अनुसार, किसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी द्वारा धारित, किसी संयुक्त उद्यम में हिस्सेदारी के रूप में पूंजी आस्ति का अधिग्रहण ।

(2) उपधारा (1) में, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ ग में उल्लिखित अभिव्यक्तियों की परिभाषाएं उक्त सारणी के स्तंभ ख में उल्लिखित उक्त उपधारा के तत्स्थानी खंडों पर लागू होंगी।

सारणी

क्र.सं.		परिभाषाएं
क	ख	ग
1.	(i)	अभिव्यक्तियां— (क) "बैंकिंग कंपनी" का वही अर्थ है जो उसका बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 5(ग) में है; (ख) "बैंकिंग संस्था" का वही अर्थ है जो उसका बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45(15) में है;
2.	(ढ) और (ण)	"कारबार पुनर्गठन", "परिवर्तित बैंकिंग कंपनी", "पूर्ववर्ती सहकारी बैंक" और "उत्तराधिकारी सहकारी बैंक" का वही अर्थ है जो उसका धारा 65 में है;
3.	(द)	(क) "व्युत्पन्न" का वही अर्थ है जो उसका प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2(कग) में है; (ख) "प्रतिभूति" का वही अर्थ है जो उसका प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2(ज) में है;
4.	(ध)	"सरकारी प्रतिभूति" का वही अर्थ है जो उसका प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2(ख) में है;

5. (न) और (प) (क) “मूल निधि” से—

(क) भारत के बाहर स्थापित या निगमित या रजिस्ट्रीकृत एक निधि, जो अपने सदस्यों से उनके लाभ के लिए निवेश करने हेतु धन एकत्र करती है और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है:—

- (i) निधि भारत में निवासी व्यक्ति नहीं है;
- (ii) निधि किसी ऐसे देश या निर्दिष्ट क्षेत्र का निवासी है जिसके साथ धारा 159(1) या (2) में निर्दिष्ट करार किया गया है; या केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी देश या निर्दिष्ट क्षेत्र में स्थापित या निगमित या रजिस्ट्रीकृत है;
- (iii) निधि और इसकी गतिविधियां उस देश या निर्दिष्ट क्षेत्र में लागू निवेशक संरक्षण विनियमों के अधीन हैं जहां यह स्थापित या निगमित है या निवासी है; तथा
- (iv) विहित की गई अन्य शर्तों को पूरा करता है, अभिप्रेत है ।

(ख) एक निवेश माध्यम, जिसमें अबू धाबी निवेश प्राधिकरण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एकमात्र शेयरधारक या यूनिट धारक या लाभार्थी या हितधारक है और ऐसा निवेश माध्यम अबू धाबी निवेश प्राधिकरण या अबू धाबी सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूर्णतः स्वामित्व और नियंत्रण में है; या

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट शर्तों के अधीन अधिसूचित निधि;

(ख) "पुर्नस्थापन" से मूल निधि या उसके पूर्ण स्वामित्व वाले विशेष प्रयोजन साधन की आस्तियों का 31 मार्च, 2030 को या उससे पहले परिणामी निधि में अंतरण है, जहां ऐसे अंतरण के लिए प्रतिफल परिणामी निधि में शेयर या इकाई या ब्याज के रूप में निम्नलिखित को दिया जाता है—

- (i) मूल निधि के किसी शेयरधारक या यूनिट धारक या हित धारक को, उसी

अनुपात में जिसमें शेयर या यूनिट या हित ऐसे शेयरधारक या यूनिट धारक या हित धारक द्वारा मूल निधि में अपने शेयरों या यूनिटों या हितों के बदले में धारण किया गया था; या

- (ii) मूल निधि, उपखंड (i) में निर्दिष्ट समान अनुपात में, जिसके संबंध में शेयर या यूनिट या ब्याज परिणामी निधि द्वारा उसके शेयरधारक या यूनिट धारक या ब्याज धारक को जारी नहीं किया गया है, अभिप्रेत है।

(ग) "परिणामी निधि" से भारत में किसी ट्रस्ट या कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी के रूप में स्थापित या निगमित निधि से है, जो धारा 147 में निर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थित है और जिसे निम्नलिखित प्रदान किया गया है—

- (i) वैकल्पिक विनिधान निधि से श्रेणी I या श्रेणी II या श्रेणी III के रूप में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र ; या
(ii) अनुसूची 6 के अनुसार खुदरा स्कीम या विनियम व्यापार फंड के रूप में एक प्रमाण पत्र (टिप्पण 1), जो अनुसूची 6 (सारणी: क्रम संख्या 1) में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है।

और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (वैकल्पिक विनिधान निधि) विनियम, 2012 के अधीन विनियमित है या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) के अधीन बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (निधि प्रबंधन) विनियम, 2022 के अधीन विनियमित है।

6. (य) "इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद" और "वॉल्ट मैनेजर" के क्रमशः वही अर्थ है जो उसका भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (वॉल्ट मैनेजर) विनियम, 2021 के विनियम 2(1)(ज) और (ठ) में है;
7. (यग) "विश्वविद्यालय" से किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन

स्थापित या निगमित विश्वविद्यालय से है और इसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन उस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय घोषित संस्थान भी शामिल है अभिप्रेत है;

8. (यड) "प्राइवेट कंपनी" और "गैर-सूचीबद्ध लोक कंपनी" के क्रमशः वही अर्थ है जो उसका सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 में है ;
9. (यझ) "विशेष प्रयोजन यान" का वही अर्थ है जो उसका अनुसूची 5 (टिप्पण 2) में है ।
10. (यज) (क) "समेकित स्कीम" से वह स्कीम अभिप्रेत है जिसके साथ समेकन स्कीम का विलय होता है या जो ऐसे विलय के परिणामस्वरूप बनती है;
 (ख) "समेकन स्कीम" से म्यूचुअल फंड की वह स्कीम अभिप्रेत है जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 के अनुसार म्यूचुअल फंड की स्कीमों के समेकन की प्रक्रिया के अधीन विलयित होती है;
 (ग) "साम्य जनित निधि" से ऐसी निधि अभिप्रेत है—
 (i) जहां निवेश योग्य निधियों को घरेलू कंपनियों में इक्विटी शेयरों के माध्यम से ऐसी निधि की कुल आय के 65% से अधिक तक निवेश किया जाता है, जिसके लिए इक्विटी शेयरधारिता का प्रतिशत प्रारंभिक और समापन आंकड़ों के मासिक औसत के वार्षिक औसत के संदर्भ में गणना की जाएगी; और
 (ii) अनुसूची 7 (सारणी: क्रम संख्या 20) या (सारणी: क्रम संख्या 21) में निर्दिष्ट म्यूचुअल फंड की स्कीम के अधीन स्थापित किया गया है।
 (घ) "म्यूचुअल फंड" से अनुसूची 7 (सारणी: क्रम संख्या 20) या (तालिका: क्रम संख्या 21) में निर्दिष्ट म्यूचुअल फंड अभिप्रेत है;
11. (यट) (क) "समेकन योजना" से म्यूचुअल फंड की स्कीम के भीतर की स्कीम अभिप्रेत है, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 के अनुसार म्यूचुअल फंड की स्कीम के भीतर स्कीमों के समेकन की प्रक्रिया के अधीन

विलयित होती है अभिप्रेत है;

(ख) "समेकित योजना" से वह स्कीम अभिप्रेत है जिसके साथ समेकित स्कीम का विलय होता है या जो ऐसे विलय के परिणामस्वरूप बनती है;

(ग) "म्यूचुअल फंड" से तात्पर्य अनुसूची 7(सारणी: क्रम संख्या 20) या (सारणी: क्रम संख्या 21) में निर्दिष्ट म्यूचुअल फंड से है;

12. (यठ) "संयुक्त उद्यम" से केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित कारबार इकाई अभिप्रेत है।

कतिपय मामलों में छूट वापस लेना।

71. (1) धारा 70(1)(ग) और (घ) के आधार पर धारा 67 के अधीन भारित नहीं की गई पूंजी आस्ति के अंतरण से उत्पन्न लाभ या लाभ, उक्त खंडों में निहित किसी भी चीज पर ध्यान दिए बिना, कर वर्ष के "पूंजीगत लाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय माना जाएगा जिसमें ऐसा अंतरण हुआ था, यदि ऐसे अंतरण की तारीख से आठ वर्ष की समाप्ति से पहले किसी भी समय,—

(क) अंतरिती कंपनी पूंजी आस्ति को अपने कारबार के स्टॉक-इन-ट्रेड में परिवर्तित कर देती है, या उसे स्टॉक-इन-ट्रेड के रूप में मानती है; या

(ख) मूल कंपनी या उसके नामित व्यक्ति या होल्डिंग कंपनी, सहायक कंपनी की संपूर्ण शेयर पूंजी को धारण करना बंद कर देती है।

(2) यदि धारा 70(यघ) या 70(यच) में निर्धारित किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो ऐसी पूंजीगत आस्ति या अमूर्त आस्ति के अंतरण से उत्पन्न लाभ या प्राप्ति, जो ऐसी शर्तों के आधार पर धारा 67 के अधीन प्रभारित नहीं है, उस कर वर्ष, जिसमें ऐसा अंतरण हुआ है, के लिए उत्तराधिकारी कंपनी के "पूंजीगत लाभ" शीर्ष के अधीन कर हेतु प्रभार्य लाभ और अभिलाभ मानी जाएगी।

(3) यदि धारा 70 (यड) में निर्धारित किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो ऐसी पूंजीगत आस्ति या अमूर्त आस्तियों या शेयर या शेयरों के अंतरण से उत्पन्न लाभ या प्राप्ति, जो ऐसी शर्तों के आधार पर धारा 67 के अधीन प्रभारित नहीं हैं, उत्तराधिकारी सीमित देयता भागीदारी या पूर्ववर्ती कंपनी के शेयरधारक के "पूंजीगत लाभ" शीर्ष के अधीन कर के लिए प्रभार्य लाभ और अभिलाभ माने जाएंगे, उस कर वर्ष के लिए जिसमें ऐसा अंतरण हुआ है।

पूंजीगत लाभ की गणना की रीति।

72. (1) "पूंजीगत अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की गणना, पूंजीगत आस्ति के अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या उपार्जित प्रतिफल के पूर्ण मूल्य में से निम्नलिखित राशि घटाकर की जाएगी:—

(क) ऐसे अंतरण के संबंध में पूर्णतः और अनन्य रूप से किया गया व्यय; और

(ख) आस्ति के अधिग्रहण की लागत तथा उसमें किसी सुधार की लागत।

(2) धारा 197(3) में सूत्र के मद (ख) के प्रयोजन के लिए, उपधारा (1) के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो शब्दों "अर्जन की लागत" और "किसी सुधार की लागत" के

स्थान पर क्रमशः "अर्जन की अनुक्रमित लागत" और "किसी सुधार की अनुक्रमित लागत" शब्द रख दिए गए हों।

(3) "पूँजीगत अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की गणना करते समय, निम्नलिखित राशियों को कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी:—

(क) धारा 22(1)(ख) या अध्याय 8 के अधीन कटौती के रूप में दावा किया गया ब्याज;

2004 का 23

(ख) वित्त (सं.2) अधिनियम, 2004 के अध्याय 7 के अधीन प्रतिभूति लेनदेन कर के रूप में भुगतान की गई कोई राशि।

(4) यदि कोई यूनिट धारक किसी यूनिट के संबंध में किसी कारोबारी ट्रस्ट से कोई राशि प्राप्त करता है जो अनुसूची 5 (सारणी: क्रम सं. 3) या (सारणी: क्रम सं. 4) के अधीन आय की प्रकृति की नहीं है और धारा 92(2)(ट) या धारा 223(2) के अधीन कर हेतु प्रभार्य नहीं है, तो,—

(क) ऐसी राशि ऐसी इकाई के अधिग्रहण की लागत से कम कर दी जाएगी; और

(ख) यदि किसी इकाई के अंतरण के लेन-देन को धारा 70 के अधीन अंतरण नहीं माना जाता है और ऐसी इकाई के अधिग्रहण की लागत धारा 73 के अधीन निर्धारित की जाती है, तो ऐसे लेनदेन से पहले और बाद में ऐसी इकाई के संबंध में प्राप्त राशि अधिग्रहण की लागत से कम हो जाएगी।

(5) किसी निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किसी निर्दिष्ट इकाई से प्राप्त किसी धन या पूँजीगत आस्ति के मूल्य के मामले में, जैसा कि धारा 67(10) में निर्दिष्ट है, निर्दिष्ट इकाई उपधारा (1) के अधीन छूट के अतिरिक्त ऐसी रीति से गणना की गई कटौती के लिए हकदार है, जैसा कि उस उपधारा के अधीन अपने नियंत्रण में आय-कर के लिए प्रभार्य राशि की गणना करने के लिए निर्धारित किया गया है, जो ऐसी पूँजीगत आस्ति के अंतरण के कारण है।

(6) किसी ऐसे निर्धारिती के मामले में, जो अनिवासी है, किसी भारतीय कंपनी के शेयरों या डिबेंचर के रूप में पूँजीगत आस्ति के अंतरण से उत्पन्न पूँजीगत लाभ (धारा 198 में निर्दिष्ट इक्विटी शेयरों के अलावा) की गणना निम्नलिखित के रूप में की जाएगी—

(क) अधिग्रहण की लागत, ऐसे अंतरण के संबंध में पूर्णतः और अनन्य रूप से उपगत व्यय तथा पूँजीगत आस्ति के अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भूत होने वाले प्रतिफल के पूर्ण मूल्य को उसी विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करके, जिसका उपयोग आरंभ में शेयरों या डिबेंचर की खरीद में किया गया था; तथा

(ख) ऐसी विदेशी मुद्रा में इस प्रकार संगणित पूँजीगत लाभ को भारतीय मुद्रा में पुनः परिवर्तित कर दिया जाएगा, तथापि पूँजीगत लाभ की गणना का उक्त तरीका, उसके बाद किसी भारतीय कंपनी के शेयरों या डिबेंचर में प्रत्येक पुनर्निवेश और उनकी बिक्री से उपार्जित या उत्पन्न होने वाले पूँजीगत लाभ के संबंध में लागू होगा।

(7) ऐसे निर्धारिती के मामले में जो अनिवासी है, निर्धारिती द्वारा धारित किसी

भारतीय कंपनी के रुपया मूल्यवर्गित बांड के मोचन के समय विदेशी मुद्रा के मुकाबले रुपए के अधिमूल्यन के कारण उत्पन्न होने वाले किसी लाभ को इस धारा के अधीन प्रतिफल के पूर्ण मूल्य की गणना के प्रयोजन के लिए नजरअंदाज कर दिया जाएगा।

(8) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) किसी कर वर्ष के संबंध में, "लागत मुद्रास्फीति सूचकांक" से ऐसा सूचकांक अभिप्रेत है जिसे केन्द्रीय सरकार, ऐसे कर वर्ष से ठीक पहले के कर वर्ष के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (शहरी) में औसत वृद्धि के 75% को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचना द्वारा, इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है;

(ख) "अर्जन की अनुक्रमित लागत" से वह राशि अभिप्रेत है जो अधिग्रहण की लागत के समानुपात में होती है, जिस वर्ष में आस्ति स्थानांतरित की जाती है, उस वर्ष के लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के समानुपात में होती है, जिस वर्ष आस्ति निर्धारिती द्वारा धारित की गई थी या 1 अप्रैल, 2001 से प्रारंभ होने वाले वर्ष के लिए, जो भी पश्चातवर्ती हो;

(ग) "किसी सुधार की अनुक्रमित लागत" से ऐसी राशि से है जो सुधार की लागत के समानुपात में होती है, जिस वर्ष आस्ति स्थानांतरित की गई है उस वर्ष के लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के समानुपात में, जिस वर्ष आस्ति में सुधार किया गया था, अभिप्रेत है ; और

(घ) भारतीय करेंसी का विदेशी करेंसी में संपरिवर्तन तथा विदेशी करेंसी का भारतीय करेंसी में पुनः संपरिवर्तन इस निमित्त विहित विनिमय की दर पर होगा ।

73. (1) नीचे दी गई सारणी के स्तंभ ख में विनिर्दिष्ट पूंजीगत आस्ति के मामले में, आस्ति के अधिग्रहण की लागत उक्त सारणी के स्तंभ ग में उल्लिखित लागत मानी जाएगी।

सारणी

क्रम सं.	पूंजीगत आस्ति का विवरण	अधिग्रहण की लागत
क	ख	ग
1.	पूंजीगत आस्ति जो निर्धारिती की संपत्ति बन गई— (क) उपहार या वसीयत के अधीन; या (ख) उत्तराधिकार, विरासत या न्यागमन द्वारा; या (ग) किसी कंपनी के परिसमापन पर आस्तियों के वितरण पर; या (घ) किसी प्रतिसंहरणीय या अपरिवर्तनीय ट्रस्ट को अंतरण के अधीन; या (ङ) 31 दिसंबर, 1969 के बाद धारा 99(3) में निर्दिष्ट तरीके से एक हिंदू अविभाजित परिवार होने के नाते; या	वह लागत जिसके लिए संपत्ति के पिछले मालिक ने इसे अर्जित किया था, जो पिछले मालिक या निर्धारिती द्वारा किए गए या वहन किए गए किसी भी सुधार की लागत से बढ़ी हुई है।

अधिग्रहण के कुछ रीति के संदर्भ में लागत।

-
- (च) धारा 70(1)(क), (ग), (घ), (ङ), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ड), (ढ), (ण), (न), (प), (फ), (ब), (यघ), (यङ) या (यच) में निर्दिष्ट किसी भी ऐसे अंतरण के अधीन।
2. पूंजीगत आस्ति, एक समामेलित कंपनी में शेयर या शेयर होने के नाते जो एक भारतीय कंपनी है जो धारा 70(1)(च) में निर्दिष्ट अंतरण के प्रतिफल में निर्धारिती की संपत्ति बन गई है। समामेलित कंपनी में शेयर या शेयरों के अधिग्रहण की लागत।
 3. धारा 70(1)(य) या(यक) में निर्दिष्ट अंतरण के परिणामस्वरूप निर्धारिती की संपत्ति बन गई है। डिबेंचर, डिबेंचर-स्टॉक, बांड या जमा प्रमाणपत्र जिसके लिए ऐसी आस्ति निर्धारिती द्वारा अर्जित की जाती है।
 4. पूंजीगत आस्ति, जो धारा 17(1)(घ) में निर्दिष्ट प्रतिभूति या स्वेट इक्विटी शेयर है उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए उचित बाजार मूल्य को ध्यान में रखा जाएगा।
 5. पूंजीगत आस्ति, जो सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) की धारा 42 में निर्दिष्ट भागीदार के अधिकार हैं, जो धारा 70(1)(य) में निर्दिष्ट परिवर्तन पर निर्धारिती की संपत्ति बन गई। कंपनी के संपरिवर्तन से ठीक पहले कंपनी में शेयर या शेयरों के उसको अर्जन की लागत।
 6. पूंजीगत आस्ति, जो किसी कंपनी के शेयर या शेयर हैं, जो किसी अनिवासी निर्धारिती द्वारा धारा 209(1)(सारणी: क्रम संख्या 2) में निर्दिष्ट वैश्विक निक्षेपागार रसीदों के मोचन पर अर्जित किए गए हैं, ऐसे निर्धारिती द्वारा धारित उक्त शेयर या शेयरों का वह मूल्य जो किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में उस तारीख को प्रचलित हो जिस तारीख को मोचन हेतु अनुरोध किया गया था।
 7. पूंजीगत आस्ति, जो किसी व्यापारिक ट्रस्ट की इकाई है, जो धारा 70(1)(यझ) में निर्दिष्ट अंतरण के परिणामस्वरूप निर्धारिती की संपत्ति बन गई। उक्त खंड में निर्दिष्ट शेयर के अधिग्रहण की लागत।
 8. पूंजीगत आस्ति, जो किसी म्यूचुअल फंड की समेकित स्कीम में एक इकाई या इकाइयां हैं, जो धारा 70 (1) (यञ) में निर्दिष्ट अंतरण के परिणामस्वरूप निर्धारिती की संपत्ति बन गई है। म्यूचुअल फंड की समेकित स्कीम में इकाई या इकाइयों के अधिग्रहण की लागत।
 9. पूंजीगत आस्ति, जो किसी कंपनी का इक्विटी शेयर है, जो धारा 70(1)(यख) में वरीयता शेयरों की लागत का वह भाग जिसके संबंध में ऐसी

- निर्दिष्ट अंतरण के परिणामस्वरूप निर्धारिती आस्ति अर्जित की जाती है।
की संपत्ति बन गई।
10. पूंजीगत आस्ति, जो म्यूचुअल फंड स्कीम की समेकित स्कीम में एक इकाई या इकाइयाँ हैं, जो धारा 70(1)(यट) में निर्दिष्ट अंतरण के प्रतिफल में निर्धारिती की संपत्ति बन गई। म्यूचुअल फंड की स्कीम की समेकित स्कीम में इकाई या इकाइयों के अधिग्रहण की लागत।
11. पृथक पोर्टफोलियो में एक इकाई या इकाइयाँ होने वाली पूंजी आस्ति निम्नलिखित सूत्र के अनुसार गणना की गई:—

$$त = \frac{क \times ख}{ग}$$
जहां,—
त = पृथक पोर्टफोलियो में इकाई या इकाइयों के अधिग्रहण की लागत;
अ = कुल पोर्टफोलियो में इकाई या इकाइयों के अधिग्रहण की लागत;
आ = पृथक पोर्टफोलियो में स्थानांतरित आस्ति का शुद्ध आस्ति मूल्य ; तथा
इ = पृथक्करण से ठीक पहले कुल पोर्टफोलियो का शुद्ध आस्ति मूल्य।
12. पूंजीगत आस्ति मुख्य पोर्टफोलियो में यूनिट धारक द्वारा रखी गई मूल इकाइयाँ हैं अधिग्रहण की लागत, क्रम संख्या 11 के अधीन प्राप्त राशि से घटाई गई।
13. पूंजीगत आस्ति, धारा 70(1)(यठ) में निर्दिष्ट शेयर हैं जो निर्धारिती की संपत्ति बन गए हैं उक्त खंड में निर्दिष्ट संयुक्त उद्यम में हित के अर्जन की लागत।
14. निर्विलीन के परिणामस्वरूप परिणामी कंपनी में शेयर निम्नलिखित सूत्र के अनुसार गणना की गई:—

$$त = \frac{क \times ख}{ग}$$
जहां,—
त = परिणामी कंपनी में शेयरों के अधिग्रहण की लागत;
क = अलग की गई कंपनी में

- शेयरों के अधिग्रहण की लागत;
 ख = निर्विलीन में अंतरित आस्तियों का शुद्ध बही मूल्य ; तथा
 ग = निर्विलीन से ठीक पहले निर्विलीन वाली कंपनी का शुद्ध मूल्य।
15. निर्विलीन कंपनी में शेयरधारक द्वारा धारित मूल शेयर क्रम संख्या 14 के अधीन इस प्रकार प्राप्त राशि से कम करके ऐसे मूल शेयरों के अर्जन की कीमत ।
16. धारा 71(1) के उपबंधों के अनुसार पूंजीगत आस्ति कर योग्य मानी जाएगी। वह लागत जिसके लिए ऐसी आस्ति को अंतरित कंपनी द्वारा अधिग्रहित किया गया था।
17. पूंजीगत आस्ति वह संपत्ति है, जहां पूंजीगत लाभ ऐसी संपत्ति के अंतरण से उत्पन्न होता है जिसका मूल्य धारा 92(2)(ड) के अधीन आय-कर के अधीन है। उक्त धारा 92(2) (ड) को ध्यान में रखते हुए मूल्य।
18. आय घोषणा स्कीम, 2016 के अधीन घोषित पूंजीगत आस्ति, जहां कर, अधिभार और जुर्माना उस स्कीम के प्रारंभ की तिथि को उचित बाजार मूल्य पर उस स्कीम के उपबंधों के अनुसार चुकाया गया है। उक्त स्कीम के प्रयोजनों के लिए आस्ति का उचित बाजार मूल्य ध्यान में रखा जाएगा।
19. आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(37क) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) में निर्दिष्ट निर्दिष्ट पूंजीगत आस्ति, जिसे उस कर वर्ष की समाप्ति से दो वर्ष की समाप्ति के बाद स्थानांतरित किया गया है जिसमें ऐसी आस्ति का कब्जा निर्धारिती को सौंपा गया था। उस कर वर्ष की समाप्ति के पश्चात् दूसरे कर वर्ष के अंतिम दिन को स्टाम्प शुल्क मूल्य जिसमें उक्त निर्दिष्ट पूंजीगत आस्ति का कब्जा निर्धारिती को सौंपा गया था।
20. उपधारा 67(14) के अधीन, जो धारा 67(16) में निर्दिष्ट पूंजीगत आस्ति नहीं है, परियोजना में हिस्सा होने वाली पूंजीगत आस्ति, भूमि या भवन या दोनों के रूप में उक्त उपधारा 67(14) में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य समझी गई रकम।
21. पूंजीगत आस्ति, किसी ट्रस्ट या संस्था द्वारा रखी गई आस्ति है जिसके संबंध में अर्जित धारा 352(2) के अनुसार निर्दिष्ट तारीख को अर्जित आय की

- आय की गणना की गई है और उस पर गणना के लिए आस्ति का धारा 352 के अनुसार कर का भुगतान किया उचित बाजार मूल्य ध्यान में रखा जाएगा।
22. धारा 26(2)(ज) में निर्दिष्ट पूंजीगत आस्ति धारा 26(2) (ज) के लिए उचित बाजार मूल्य।
23. पूंजीगत आस्ति, जो वॉल्ट मैनेजर द्वारा उस व्यक्ति के लिए सोने की जारी इलैक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद है, जो धारा कीमत जिसके नाम पर 70(1)(म) में निर्दिष्ट अंतरण के प्रतिफल के इलैक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद जारी रूप में व्यक्ति की संपत्ति बन गई। की जाती है।
24. पूंजीगत आस्ति इलैक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद के ऐसे व्यक्ति के लिए विरुद्ध जारी किया गया सोना है, जो धारा इलैक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद की 70(1)(म) में निर्दिष्ट अंतरण के लिए लागत। प्रतिफल के रूप में व्यक्ति की संपत्ति बन गई।

(2) उपधारा (1) की सारणी के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित के विरुद्ध प्रविष्टियों के संबंध में—

(क) क्रम संख्या (1) किसी निर्धारिती के स्वामित्व वाली किसी पूंजीगत आस्ति के लिए "संपत्ति का पूर्व स्वामी" का तात्पर्य पूंजीगत आस्ति के अंतिम पूर्व स्वामी से है, जिसने उसे स्तंभ (2) में निर्दिष्ट अधिग्रहण के अलावा किसी अन्य अधिग्रहण विधि द्वारा अर्जित किया है;

(ख) क्रम संख्या (11) और (12), "मुख्य पोर्टफोलियो", "पृथक पोर्टफोलियो" और "कुल पोर्टफोलियो" का वही अर्थ है जो उनका क्रमशः भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/आईएमडी/डीएफ2/सीआईआर/पी/2018/160, दिनांक 28 दिसंबर, 2018 में जारी किया गया है;

(ग) क्रम संख्या (14) और (15), "निवल संपत्ति" से तात्पर्य विलय से ठीक पहले विलयित कंपनी की खाता पुस्तकों में दिखाई गई चुकता शेयर पूंजी और सामान्य आरक्षित राशि के योग से है;

(घ) इसमें निहित उपबंधों की क्रम संख्या 2, 14 और 15, जहां तक संभव हो, धारा 65 में निर्दिष्ट सहकारी बैंक के कारबार पुनर्गठन के संबंध में भी लागू होंगी।

74. (1) धारा 2(101) में किसी बात पर ध्यान दिए बिना, किसी पूंजीगत आस्ति के लिए जो आस्तियों के समूह का हिस्सा है जिस पर इस अधिनियम या आय-कर अधिनियम, 1961 या भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 के अधीन अवक्षीय की अनुमति दी गई है, धारा 72 और धारा 73 के उपबंध उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन होंगे।

(2) यदि कर वर्ष के दौरान, आस्तियों के एक ब्लॉक में एक या अधिक आस्तियों के अंतरण के लिए प्राप्त या प्रोद्भूत प्रतिफल का पूरा मूल्य निम्नलिखित के योग से अधिक है :—

(क) पूर्णतः और अनन्य रूप से ऐसे अंतरण के लिए किया गया व्यय;

अवक्षीय आस्तियों के मामले में पूंजीगत अभिलाभ की गणना के लिए विशेष उपबंध।

1961 का 43.
1922 का 11

(ख) कर वर्ष के प्रारंभ में आस्तियों के ब्लॉक का लिखित मूल्य; तथा

(ग) कर वर्ष के दौरान अर्जित आस्तियों के ब्लॉक के अधीन आने वाली किसी भी आस्ति की वास्तविक लागत,

ऐसी अतिरिक्त राशि को अल्पावधि पूंजीगत आस्तियों के अंतरण से उत्पन्न पूंजीगत लाभ माना जाएगा।

(3) यदि आस्तियों का कोई ब्लॉक इस कारण से अस्तित्व में नहीं रहता है कि उस ब्लॉक की सभी आस्तियां कर वर्ष के दौरान स्थानांतरित हो जाती हैं, तो,—

(क) आस्तियों के ब्लॉक के अधिग्रहण की लागत कर वर्ष के आरंभ में आस्तियों के ब्लॉक का लिखित मूल्य होगी, जो कर वर्ष के दौरान निर्धारित द्वाारा अधिग्रहित आस्तियों के उस ब्लॉक के अधीन आने वाली किसी भी आस्ति की वास्तविक लागत से बढ़ाई जाएगी; तथा

(ख) ऐसे अंतरण या अंतरणों के परिणामस्वरूप प्राप्त या उपार्जित आय को अल्पकालिक पूंजीगत आस्तियों के अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभ समझा जाएगा ।

75. यदि किसी कर वर्ष में पूंजीगत आस्ति के लिए धारा 33(2) के अधीन मूल्यहास प्राप्त किया गया है, तो धारा 72 और 73 के उपबंध इस संशोधन के अधीन लागू होंगे कि आस्ति का धारा 41 में परिभाषित लिखित मूल्य, समायोजित रूप में, आस्ति के अधिग्रहण की लागत के रूप में लिया जाएगा।

76. (1) धारा 2(101) या धारा 72 में निहित किसी भी बात पर ध्यान दिए बिना उपधारा (2) में उल्लिखित पूंजीगत आस्ति के अंतरण या मोचन या परिपक्वता पर लाभ को अल्पकालिक पूंजीगत लाभ माना जाएगा और उपधारा (3) के अनुसार गणना की जाएगी।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, पूंजी आस्ति होगी—

(क) 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद अर्जित किसी निर्दिष्ट म्यूचुअल फंड की यूनिट या मार्केट लिंक्ड डिबेंचर; या

(ख) कोई असूचीबद्ध बांड या असूचीबद्ध डिबेंचर जो 23 जुलाई, 2024 को या उसके बाद अंतरित या भुनाया गया हो या परिपक्व हो।

(3) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, अल्पकालिक पूंजीगत अभिलाभ की गणना निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की जाएगी :—

$\text{भ} = \text{क} - \text{ख} - \text{ग},$

जहां,—

$\text{भ} = \text{अल्पकालिक पूंजीगत लाभ};$

$\text{क} = \text{डिबेंचर या यूनिट या बांड के अंतरण या मोचन या परिपक्वता के परिणामस्वरूप प्राप्त या उपार्जित प्रतिफल का पूर्ण मूल्य};$

$\text{ख} = \text{डिबेंचर या यूनिट या बांड के अधिग्रहण की लागत}; \text{ और}$

$\text{ग} = \text{पूर्णतः और अनन्य रूप से ऐसे अंतरण या मोचन या परिपक्वता के संबंध में किया गया व्यय}।$

अवक्षीय आस्ति आस्ति के मामले में अधिग्रहण की लागत के लिए विशेष उपबंध।

बाजार संबंध डिबेंचर के मामले में पूंजीगत अभिलाभ की गणना के लिए विशेष उपबंध।

(4) उपधारा (3) के अधीन पूंजीगत अभिलाभ की संगणना में, वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2004 के अध्याय 7 के अनुसार प्रतिभूति संव्यवहार कर के रूप में संदत्त की गई किसी भी राशि के लिए कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

(5) इस धारा में,—

(क) "बाजार संबद्ध डिबेंचर" से तात्पर्य ऐसी प्रतिभूति से है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, जिसमें ऋण प्रतिभूति के रूप में एक अंतर्निहित मुख्य घटक होता है और जहां प्रतिफल अन्य अंतर्निहित प्रतिभूतियों या सूचकांकों पर बाजार प्रतिफल से संबद्ध होता है, और इसमें भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा बाजार संबद्ध डिबेंचर के रूप में वर्गीकृत या विनियमित कोई प्रतिभूति शामिल होती है; और

(ख) "विनिर्दिष्ट म्यूचुअल फंड" से तात्पर्य ऐसे म्यूचुअल फंड से है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, जो अपनी कुल आय का 65% से अधिक ऋण और मुद्रा बाजार उपकरणों में निवेश करता है या ऐसा फंड जो अपनी कुल आय का 65% या उससे अधिक ऐसे म्यूचुअल फंड की इकाइयों में निवेश करता है, निम्नलिखित के अधीन :—

(i) ऋण और मुद्रा बाजार साधनों या किसी फंड की इकाइयों में निवेश का प्रतिशत दैनिक समापन आंकड़ों के वार्षिक औसत के संदर्भ में गणना की जाएगी;

(ii) "ऋण और मुद्रा बाजार लिखत" में कोई भी प्रतिभूति शामिल होगी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा ऋण और मुद्रा बाजार लिखत के रूप में वर्गीकृत या विनियमित किया गया हो।

मंदी की स्थिति में पूंजीगत लाभ की गणना के लिए विशेष उपबंध।

77. (1) कर वर्ष में की गई मंदी बिक्री से उत्पन्न कोई लाभ या प्राप्ति, दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के रूप में आय-कर के लिए प्रभार्य होगी और उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन, उस कर वर्ष की आय मानी जाएगी जिसमें स्थानांतरण हुआ था।

(2) पूंजीगत आस्ति के अंतरण से संबंधित मंदी बिक्री से उत्पन्न लाभ और लाभ, जो एक या एक से अधिक उपक्रम या प्रभाग हो और जो किसी निर्धारिती के स्वामित्व में हो और उसके अंतरण की तारीख से ठीक पहले छत्तीस महीने या उससे कम समय के लिए उसके पास हो, को अल्पकालिक पूंजीगत लाभ माना जाएगा।

(3) पूंजीगत आस्तियों के संबंध में, जो मंदी बिक्री के माध्यम से अंतरित उपक्रम या प्रभाग है,—

(क) उपक्रम या प्रभाग का "शुद्ध मूल्य" धारा 72 और धारा 73 के लिए अधिग्रहण की लागत और सुधार की लागत के रूप में समझा जाएगा; और

(ख) अंतरण की तिथि पर पूंजीगत आस्तियों का उचित बाजार मूल्य, निर्धारित तरीके से गणना की गई, ऐसे अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भूत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य माना जाएगा।

(4) प्रत्येक निर्धारिती, मंदी बिक्री के मामले में, धारा 63 में निर्दिष्ट निर्दिष्ट तारीख

से पहले, निर्धारित प्रारूप में एक लेखापाल की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, और रिपोर्ट में,—

(क) उपक्रम या प्रभाग की निवल संपत्ति की गणना शामिल होगी; और

(ख) प्रमाणित करें कि निवल मूल्य इस धारा के उपबंधों के अनुसार सही ढंग से निकाला गया है।

(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "निवल मूल्य" उपक्रम या प्रभाग की "कुल आस्तियों का समग्र मूल्य" होगा, जो कि लेखा पुस्तकों में दिखाई गई उसकी देनदारियों के मूल्य से कम होगा, और निवल मूल्य की गणना के लिए, पुनर्मूल्यांकन के कारण आस्तियों के मूल्य में किसी भी परिवर्तन को नजरअंदाज कर दिया जाएगा;

(ख) "कुल आस्तियों का समग्र मूल्य"—

(i) मूल्यहास योग्य आस्तियों के लिए, धारा 41(1)(ग) के अधीन निर्धारित आस्तियों के ब्लॉक का लिखित मूल्य होगा (सारणी: क्रम संख्या 3);

(ii) पूंजीगत आस्ति के लिए जो किसी कारबार या वृत्ति की सदभावना है, जिसे निर्धारिती द्वारा पिछले मालिक से खरीद कर अर्जित नहीं किया गया था, शून्य होगा;

(iii) पूंजीगत आस्तियों के लिए, जिनके लिए संपूर्ण व्यय धारा 46 के अधीन कटौती के रूप में अनुमत किया गया है या अनुमत है, शून्य होगा; और

(iv) अन्य आस्तियों के लिए, बही मूल्य होगा।

78. (1) यदि पूंजी आस्ति, जो भूमि या भवन या दोनों हैं, के अंतरण से प्राप्त या प्रोद्भूत होने वाला प्रतिफल स्टांप शुल्क मूल्य से कम है, तो धारा 72 के प्रयोजनों के लिए स्टांप शुल्क मूल्य को ऐसे अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भूत होने वाले प्रतिफल का पूर्ण मूल्य माना जाएगा, जो निम्नलिखित के अधीन होगा:—

कतिपय मामलों में प्रतिफल के पूर्ण मूल्य के लिए विशेष उपबंध।

(क) करार की तारीख पर स्टांप शुल्क मूल्य को प्रतिफल का पूर्ण मूल्य माना जा सकेगा, यदि—

(i) प्रतिफल तय करने वाले करार की तारीख और पूंजीगत आस्ति के अंतरण के लिए पंजीकरण की तारीख एक ही नहीं है; और

(ii) पूर्णतः या भागतः प्रतिफल धारा 66(32) में यथा परिभाषित विनिर्दिष्ट बैंकिंग या आनलाइन मोड में करार की तारीख को या उससे पूर्व ग्रहण करेगा ;

(ख) यदि स्टांप शुल्क का मूल्य ऐसा अंतरण प्राप्त किए गए या उपार्जित प्रतिफल के 110% से अधिक नहीं है, तो ऐसा प्रतिफल धारा 72 के लिए प्रतिफल का पूर्ण मूल्य माना जाएगा।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निर्धारण अधिकारी पूंजीगत आस्ति का मूल्यांकन निर्धारण अधिकारी को संदर्भित कर सकेगा और धारा

269(3) से (8) के उपबंध आवश्यक संशोधन सहित ऐसे निर्दिष्ट के संबंध में लागू होंगे जहां,—

(क) निर्धारिती का दावा है कि स्टाम्प शुल्क का मूल्य अंतरण की तिथि पर संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से अधिक है; तथा

(ख) स्टाम्प शुल्क मूल्य पर किसी अपील या पुनरीक्षण में विवाद नहीं किया गया है या किसी अन्य प्राधिकारी, न्यायालय या उच्च न्यायालय के समक्ष कोई संदर्भ नहीं दिया गया है।

(3) यदि उपधारा (2) के अधीन किए गए निर्देश पर मूल्यांकन अधिकारी द्वारा अवधारित मूल्य स्टाम्प शुल्क मूल्य से अधिक है, तो ऐसा स्टाम्प शुल्क मूल्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य माना जाएगा।

उद्धृत शेयर के अलावा शेयर के अंतरण के लिए प्रतिफल के पूर्ण मूल्य हेतु विशेष उपबंध।

79. (1) यदि किसी पूंजीगत आस्ति के अंतरण से प्राप्त या प्रोद्भूत होने वाला प्रतिफल, जो उद्धृत शेयर के अलावा किसी कंपनी का शेयर है, ऐसी रीति से जो विहित की जाए, निर्धारित ऐसे शेयर के उचित बाजार मूल्य से कम है, तो धारा 72 के प्रयोजनों के लिए अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भूत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य माना जाएगा।

(2) उपधारा (1) के उपबंध ऐसे वर्ग के व्यक्तियों द्वारा अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भूत किसी प्रतिफल पर और विहित शर्तों के अधीन लागू नहीं होंगे।

(3) इस धारा के प्रयोजन के लिए, "उद्धृत शेयर" पद से किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर समय-समय पर नियमित रूप से उद्धृत शेयर अभिप्रेत है, जहां ऐसे शेयर का उद्धरण सामान्य कारबार के क्रम में किए गए चालू लेन-देन पर आधारित है।

कतिपय मामलों में उचित बाजार मूल्य को प्रतिफल का पूर्ण मूल्य समझा जाना।

80. यदि पूंजीगत आस्ति के अंतरण से प्राप्त या उपार्जित प्रतिफल अभिनिश्चित नहीं है या अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो अंतरण की तिथि पर उसका उचित बाजार मूल्य, "पूंजीगत अभिलाभ" शीर्ष के अधीन आय की गणना के प्रयोजनों के लिए अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या उपार्जित प्रतिफल का पूर्ण मूल्य माना जाएगा।

प्राप्त अग्रिम धनराशि।

81. (1) जहां कोई पूंजीगत आस्ति किसी पूर्व अवसर पर उसके अंतरण के लिए बातचीत का विषय रही हो, वहां ऐसी बातचीत के संबंध में निर्धारिती द्वारा प्राप्त और रखी गई कोई अग्रिम राशि या अन्य धनराशि—

(क) अधिग्रहण की लागत की गणना करते समय, उस लागत से कटौती की जाएगी जिस पर आस्ति अर्जित की गई थी या लिखित मूल्य या उचित बाजार मूल्य, जैसा भी मामला हो;

(ख) उक्त लागत से कटौती नहीं की जाएगी, जहां ऐसी अग्रिम राशि या अन्य धनराशि आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 56(2)(ix) या धारा 92(2)(ज) के उपबंधों के अनुसार किसी कर वर्ष के लिए निर्धारिती की कुल आय में शामिल की गई है।

82. (1) जहां कोई व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार—

(क) किसी पूंजीगत आस्ति के अंतरण से उत्पन्न दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ,

निवास के लिए प्रयुक्त संपत्ति विक्रय पर

जो उससे संबंधित भवन या भूमि हो, तथा आवासीय मकान हो, जिसकी आय “गृह संपत्ति से आय” (मूल आस्ति) शीर्ष के अधीन प्रभाष्य हो; तथा

लाभ।

(ख) ऐसे अंतरण की तारीख से एक वर्ष पूर्व या दो वर्ष पश्चात् भारत में एक आवासीय मकान (नई आस्ति) खरीदा है, या उस तारीख के तीन वर्ष पश्चात् उसका निर्माण किया है,

तो, पूंजीगत लाभ को उस कर वर्ष की आय के रूप में आय-कर में वसूलने के बजाय जिसमें अंतरण हुआ था, इसे निम्नानुसार निपटाया जाएगा—

(i) यदि पूंजीगत लाभ नई आस्ति की लागत से अधिक है, तो ऐसी अधिक राशि धारा 67 के अधीन प्रभारित की जाएगी, और नई आस्ति के क्रय या निर्माण के तीन वर्ष के भीतर उसके अंतरण से उत्पन्न पूंजीगत लाभ की गणना करने के लिए लागत शून्य होगी; या

(ii) यदि पूंजीगत लाभ नई आस्ति की लागत के बराबर या उससे कम है, तो धारा 67 के अधीन कोई पूंजीगत लाभ नहीं लिया जाएगा और खरीद या निर्माण के तीन वर्षों के भीतर नई आस्ति के अंतरण से पूंजीगत लाभ की गणना करने के लिए, लागत को पूंजीगत लाभ की राशि से कम किया जाएगा।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट पूंजीगत लाभ का उपयोग निर्धारिती द्वारा मूल आस्ति के अंतरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर नई आस्ति खरीदने के लिए नहीं किया जाता है, या धारा 263 के अधीन आय-कर रिटर्न दाखिल करने से पहले नई आस्ति की खरीद या निर्माण के लिए उपयोग नहीं किया जाता है, तो—

(क) अप्रयुक्त राशि किसी निर्दिष्ट बैंक या संस्था में जमा की जाएगी तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित स्कीम के अनुसार उसका उपयोग किया जाएगा;

(ख) ऐसा निक्षेप विवरणी धारा 263(1) के अधीन आय-कर रिटर्न दाखिल करने के लिए निर्धारिती के मामले में लागू नियत तारीख से बाद में नहीं किया जाएगा; तथा

(ग) निक्षेप का प्रमाण ऐसी विवरणी दाखिल करने से पहले किया जाएगा और विवरणी के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, नई आस्ति के क्रय या निर्माण के लिए पहले से उपयोग की गई रकम, उपधारा (2) के अधीन जमा की गई रकम के साथ, उपधारा (7) के अधीन रहते हुए, नई आस्ति की लागत समझी जाएगी।

(4) यदि उपधारा (2) के अधीन जमा की गई रकम का उपयोग उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नई आस्ति के क्रय या निर्माण के लिए पूर्ण रूप से नहीं किया जाता है, तो,—

(क) अप्रयुक्त राशि पर धारा 67 के अधीन उस कर वर्ष की आय के रूप में कर लगाया जाएगा जिसमें मूल आस्ति के अंतरण की तारीख से तीन वर्ष की अवधि समाप्त हो जाती है; तथा

(ख) निर्धारिती उपधारा (2) में निर्दिष्ट उक्त स्कीम के अनुसार अप्रयुक्त राशि को वापस लेने का हकदार होगा।

(5) यदि उपधारा (1) के अधीन पूंजीगत अभिलाभ दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, तो निर्धारिती अपनी पसंद से भारत में दो आवासीय मकान खरीद या निर्माण कर सकता है और जहां ऐसा विकल्प प्रयोग किया गया है,—

(क) उपधारा (1)(ख) के प्रयोजनों के लिए, “भारत में एक आवासीय गृह” को “भारत में दो आवासीय गृह” पढ़ा जाएगा; और

(ख) उपधारा (1)(ख) और उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए, “नई आस्ति” का तात्पर्य भारत में दो आवासीय घरों से होगा।

(6) यदि किसी कर वर्ष के दौरान, निर्धारिती ने उपधारा (5) में उल्लिखित विकल्प का प्रयोग किया है, तो वह उसी कर वर्ष या किसी अन्य कर वर्ष के लिए ऐसे विकल्प का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा।

(7) यदि नई आस्ति की लागत दस करोड़ रुपए से अधिक है, तो दस करोड़ रुपए से अधिक की राशि उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए हिसाब में नहीं ली जाएगी।

(8) यदि मूल आस्ति के अंतरण पर पूंजीगत लाभ दस करोड़ रुपए से अधिक है, तो दस करोड़ रुपए से अधिक की राशि उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए हिसाब में नहीं ली जाएगी।

कृषि प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भूमि के अंतरण पर पूंजीगत अभिलाभ कुछ मामलों में नहीं लिया जाएगा।

83. (1) जहां कोई निर्धारिती, कोई व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार है,—

(क) पूंजीगत आस्ति, जो भूमि है, के अंतरण से पूंजीगत लाभ उत्पन्न हुआ है, जिसका उपयोग निर्धारिती या उसके माता-पिता या हिंदू अविभाजित परिवार द्वारा कृषि प्रयोजनों (मूल आस्ति) के लिए अंतरण की तारीख से तुरंत पहले दो वर्षों में किया गया था; तथा

(ख) उक्त तिथि के बाद दो वर्षों के भीतर कृषि प्रयोजनों के लिए कोई अन्य भूमि खरीदी है (नई आस्ति),

तो, पूंजीगत लाभ को उस कर वर्ष की आय के रूप में आय-कर में लगाए जाने के बजाय जिसमें स्थानांतरण हुआ था, इसे निम्नानुसार निपटाया जाएगा:—

(i) यदि पूंजीगत लाभ नई आस्ति की लागत से अधिक है, तो ऐसी अधिकता धारा 67 के अधीन वसूल की जाएगी, और इसकी खरीद के तीन वर्षों के भीतर नई आस्ति के अंतरण से उत्पन्न किसी भी पूंजीगत लाभ की गणना करने के लिए, लागत शून्य होगी; या

(ii) यदि पूंजीगत लाभ नई आस्ति की लागत के बराबर या उससे कम है, तो धारा 67 के अधीन कोई पूंजीगत लाभ नहीं लिया जाएगा, और खरीद के तीन वर्षों के भीतर नई आस्ति के अंतरण से उत्पन्न किसी भी पूंजीगत लाभ की गणना करने के लिए, लागत को पूंजीगत लाभ की राशि से कम कर दिया जाएगा।

(2) यदि धारा 263 के अधीन आय-कर रिटर्न दाखिल करने से पहले निर्धारिती द्वारा पूंजीगत लाभ का उपयोग नई आस्ति खरीदने के लिए नहीं किया जाता है, तो—

(क) अप्रयुक्त राशि किसी निर्दिष्ट बैंक या संस्था में जमा की जाएगी तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित स्कीम के अनुसार उसका उपयोग किया जाएगा;

(ख) ऐसा निक्षेप विवरणी दाखिल करने से पहले किया जाएगा और धारा

263(1) के अधीन आय-कर रिटर्न दाखिल करने के लिए निर्धारिती के मामले में लागू नियत तारीख से बाद में नहीं किया जाएगा; तथा

(ग) निक्षेप का प्रमाण विवरणी दाखिल करने के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, नई आस्ति के क्रय के लिए पहले से उपयोग की गई राशि, उपधारा (2) के अधीन जमा की गई राशि के साथ मिलकर नई आस्ति की लागत समझी जाएगी।

(4) यदि उपधारा (2) के अधीन जमा की गई रकम का उपयोग उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नई आस्ति के क्रय के लिए पूर्ण रूप से नहीं किया जाता है, तो,—

(क) अप्रयुक्त राशि धारा 67 के अधीन उस कर वर्ष की आय के रूप में प्रभारित की जाएगी जिसमें मूल आस्ति के अंतरण की तारीख से दो वर्ष की अवधि समाप्त हो जाती है; तथा

(ख) निर्धारिती उपधारा (2) में निर्दिष्ट स्कीम के अनुसार अप्रयुक्त राशि को वापस लेने का हकदार होगा।

84. (1) जहां,—

(क) निर्धारिती को पूंजी अभिलाभ किसी विधि के अधीन उसके स्वामित्व के किसी औद्योगिक उपक्रम के भागरूप किसी ऐसे पूंजी आस्ति के अनिवार्य अर्जन के रूप में अंतरण से उद्भूत होता है जो भूमि या गृह या भूमि या गृह में कोई अधिकार है, तथा जिनका उपयोग अंतरण तारीख से ठीक पहले के दो वर्षों में निर्धारिती द्वारा उक्त उपक्रम के कारबार के प्रयोजन के लिए किया जा रहा था (मूल आस्ति); और

(ख) निर्धारिती ने उस तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के भीतर उक्त उपक्रम को अंतरित करने या पुनःस्थापित करने के या कोई अन्य औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के प्रयोजन के लिए कोई अन्य भूमि या गृह या किसी अन्य भूमि या गृह में कोई अधिकार क्रय किया है या किसी अन्य गृह का सन्निर्माण किया है (मूल आस्ति),

तब उस पूंजी अभिलाभ को पूर्ववर्ष की, जिसमें अन्तरण हुआ आय के रूप में आय-कर से प्रभारित करने के बजाय, कार्यवाही निम्नलिखित के अनुसार की जाएगी, अर्थात्:—

(i) यदि पूंजी अभिलाभ मूल आस्ति की लागत से अधिक है, ऐसा आधिक्य धारा 67 के अधीन प्रभारित किया जाएगा और उसके क्रय किए जाने से तीन वर्ष के भीतर नई आस्ति के अन्तरण से उद्भूत किसी पूंजी अभिलाभ की संगणना के प्रयोजन के लिए लागत शून्य होगी; अथवा

(ii) यदि पूंजी अभिलाभ नई आस्ति की लागत के बराबर या उससे कम है, तो कोई पूंजी अभिलाभ धारा 67 के अधीन प्रभारित नहीं किया जाएगा और उसके क्रय किए जाने से तीन वर्ष के भीतर नई आस्ति के अन्तरण से उद्भूत किसी पूंजी अभिलाभ की संगणना के प्रयोजन के लिए उसकी लागत में पूंजी अभिलाभ की रकम घटा दी जाएगी ।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट पूंजी अभिलाभ का उपयोग, धारा 263 के अधीन

भूमि और भवनों के अनिवार्य अर्जन पर पूंजी अभिलाभ कतिपय दशाओं में प्रभारित नहीं किया जाएगा ।

आय की विवरणी फाइल करने के पूर्व नई आस्ति के क्रय के लिए नहीं किया जाता है, तब,—

(क) ऐसी उपयोग नहीं की गई रकम किसी विनिर्दिष्ट बैंक या संस्था में निक्षिप्त की जाएगी और उसका उपयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित स्कीम के अनुसार किया जाएगा;

(ख) ऐसा निक्षेप, धारा 263(1) के अधीन निर्धारिती की दशा में आय विवरणी दाखिल करने के लिए लागू नियत तारीख के अपश्चात् नहीं किया जाएगा; और

(ग) निक्षेप का सबूत, विवरणी के साथ किया जाएगा ।

(3) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए वह रकम, जिसका उपधारा (2) के अधीन निक्षिप्त रकम के साथ नई आस्ति के क्रय या संनिर्माण के लिए निर्धारिती द्वारा पहले ही उपयोग किया गया है, नई आस्ति की लागत समझी जाएगी ।

(4) यदि उपधारा (2) के अधीन निक्षिप्त रकम का उपयोग उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नई आस्ति के क्रय या संनिर्माण के लिए पूर्णतः नहीं किया जाता है तो—

(क) उपयोग न की गई रकम धारा 67 के अधीन उस कर वर्ष की आय के रूप में प्रभारित की जाएगी जिसमें मूल आस्ति के अंतरण की तारीख से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होती है; और

(ख) निर्धारिती ऐसी उपयोग नहीं की गई रकम को वापस लेने का हकदार होगा ।

85. (1) जहां,—

(क) निर्धारिती को, दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ भूमि या गृह या दोनों के अंतरण से उद्भूत होता है (मूल आस्ति), और

(ख) निर्धारिती ने ऐसे अंतरण की तारीख के पश्चात् छह मास की अवधि के भीतर किसी समय दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति में संपूर्ण पूंजी अभिलाभ या उसके किसी भाग का विनिधान किया है,

तब पूंजी अभिलाभ के संबंध में कार्रवाई निम्नलिखित के अनुसार की जाएगी, अर्थात् :—

(i) यदि पूंजी अभिलाभ नई आस्ति में विनिधान से अधिक है तो ऐसे विनिधान से यथा अधिक्य पूंजी अभिलाभ की रकम धारा 67 के अधीन प्रभारित किया जाएगा; या

(ii) यदि पूंजी अभिलाभ नई आस्ति में विनिधान के समतुल्य या उससे कम है तो ऐसा पूर्ण पूंजी अभिलाभ की रकम धारा 67 के अधीन प्रभारित नहीं किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति में विनिधान,—

(क) किसी कर वर्ष के दौरान; या

पूंजी अभिलाभ का कतिपय बंधपत्रों में विनिधान पर प्रभारित न किया जाना ।

(ख) मूल आस्ति के अंतरण के वर्ष में और पश्चात् वर्ष कर वर्ष में, पचास रुपए से अधिक नहीं होगा ।

(3) यदि नई आस्ति, उसके अर्जन की तारीख से पांच वर्ष के भीतर अंतरित की जाती है, या धन में (अंतरण से अन्यथा) संपरिवर्तित की जाती है वहां उपधारा (1) के अनुसार धारा 67 के अधीन प्रभारित नहीं किया गया पूंजी अभिलाभ, उसके अंतरण या संपरिवर्तित के कर वर्ष में दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ के रूप में प्रभार्य आय समझी जाएगी ।

(4) नई आस्ति की प्रतिभूति पर लिया गया कोई उधार या अग्रिम, ऐसे उधार या अग्रिम की तारीख को नई आस्ति का संपरिवर्तन समझा जाएगा ।

(5) जहां नई आस्ति पर विनिधान उपधारा (1) के अधीन हिसाब में लिया गया है, वहां किसी कर वर्ष के लिए धारा 123 के अधीन ऐसे विनिधान के लिए कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

(6) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, “दीर्घावधि विनिर्दिष्ट आस्ति” से पांच वर्ष के पश्चात् मोचनीय बंधपत्र और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा या कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन निर्मित और रजिस्ट्रीकृत कंपनी, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड द्वारा 1 अप्रैल, 2018 को निर्गमित या इस धारा के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित बंधपत्र अभिप्रेत है, ।

86. (1) यदि किसी व्यष्टि या किसी हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के पास—

(क) पूंजी अभिलाभ किसी दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के, जो निवास गृह नहीं है, अंतरण से उद्भूत होता है (मूल आस्ति); और

(ख) जिस तारीख को अंतरण हुआ था उस तारीख से पूर्व एक वर्ष या उसके पश्चात् दो वर्ष की कालावधि के भीतर भारत में एक निवास गृह क्रय किया है या उस तारीख के पश्चात् तीन वर्षों की कालावधि के भीतर संनिर्मित किया है (नई आस्ति),

वहां पूंजी अभिलाभ के संबंध में कार्यवाही निम्नलिखित के अनुसार की जाएगी:—

(i) यदि नियत प्रतिफल नई आस्ति की लागत से अधिक है, तो पूंजी अभिलाभ का उतना भाग जिसका सम्पूर्ण पूंजी अभिलाभ से वही अनुपात है जो नई आस्ति की लागत का शुद्ध प्रतिफल से है, धारा 67 के अधीन प्रभारित नहीं किया जाएगा ऐसा सम्पूर्ण पूंजी अभिलाभ धारा के अधीन प्रभारित नहीं किया जाएगा; या

(ii) यदि नई आस्ति की लागत मूल आस्ति की बाबत शुद्ध प्रतिफल के बराबर या उससे कम है तो धारा 67 के अधीन पूंजी अभिलाभ प्रभारित नहीं किया जाएगा ।

(2) यदि निर्धारिती द्वारा मूल आस्ति के अंतरण की तारीख से पूर्व एक वर्ष की अवधि के भीतर नई आस्ति के क्रय के लिए उपरोक्त उपधारा (1) में निर्दिष्ट नियत प्रतिफल उपयोग नहीं किया जाता या धारा 263 के अधीन आय की विवरणी फाइल

निवास गृह में विनिधान की दशा में कतिपय पूंजी आस्तियों के अंतरण पर पूंजी लाभ का प्रभारित न किया जाना ।

करने से पहले नई आस्ति का क्रय करने या सन्निर्माण करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है तो,—

(क) ऐसी उपयोग नहीं की गई रकम किसी विनिर्दिष्ट बैंक या संस्था में निक्षिप्त की जाएगी और उसका उपयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित स्कीम के अनुसार किया जाएगा;

(ख) ऐसा निक्षेप, धारा 263 के अधीन निर्धारिती की दशा में आय विवरणी दाखिल करने के लिए लागू नियत तारीख के अपश्चात् नहीं किया जाएगा; और

(ग) निक्षेप का सबूत, ऐसी विवरणी के साथ प्रस्तुत किया जाएगा ।

(3) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए वह रकम, जिसका उपधारा (2) के अधीन निक्षिप्त रकम के साथ नई आस्ति के क्रय के लिए निर्धारिती द्वारा पहले ही उपयोग किया गया है, उपधारा (8) के अध्यक्षीन रहते हुए नई आस्ति की लागत समझी जाएगी ।

(4) यदि उपधारा (2) के अधीन निक्षिप्त रकम का उपयोग उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नई आस्ति के क्रय के लिए पूर्णतः या भागतः नहीं किया जाता है तो—

(क) निम्नलिखित सूत्र के अनुसार अवधारित रकम धारा 67 के अधीन उस कर वर्ष की आय के रूप में प्रभारित की जाएगी जिसमें मूल आस्ति के अंतरण की तारीख से दो वर्ष की अवधि समाप्त होती है, अर्थात् :—

भ - म,

जहां,—

भ = उपधारा (1) के अनुसार धारा 67 के अधीन प्रभारित न किया गया पूंजीगत अभिलाभ है;

म = पूंजीगत अभिलाभ जो धारा 67 के अधीन प्रभारित नहीं किया गया होता, यदि नई आस्ति की लागत को नई आस्ति के क्रय या सन्निर्माण के लिए वास्तव में उपयोग की गई रकम माना जाता;

(ख) निर्धारिती उपधारा (2) में निर्दिष्ट स्कीम के अनुसार उपयोग नहीं की गई रकम को वापस लेने का हकदार होगा ।

(5) उपधारा (1) के उपबंध लागू नहीं होंगे, यदि—

(क) निर्धारिती—

(i) मूल आस्ति के अंतरण की तारीख पर नई आस्ति से भिन्न एक से अधिक आवासिक गृह का स्वामी नहीं है; या

(ii) मूल आस्ति के अंतरण के एक वर्ष के भीतर नई आस्ति से भिन्न किसी आवासिक गृह का क्रय करता है; या

(iii) मूल आस्ति के अंतरण के तीन वर्षों के भीतर नई आस्ति से भिन्न किसी आवासिक गृह का सन्निर्माण करता है; और

(ख) मूल आस्ति के अंतरण की तारीख पर स्वामित्वाधीन आवासिक गृह से भिन्न

ऐसे आवासिक गृह से आय, “गृह संपत्ति से आय” शीर्ष के अधीन प्रभाय होगी ।

(6) यदि निर्धारिती मूल आस्ति के अंतरण की तारीख के पश्चात् दो वर्ष के भीतर कोई निवास गृह क्रय या सन्निर्माण करता है या ऐसी तारीख से तीन वर्ष के भीतर किसी निवास गृह का सन्निर्माण करता है जिसकी आय “गृह संपत्ति से आय” शीर्ष के अधीन प्रभाय है वहां पूंजी अभिलाभ की रकम जो उपधारा (1) के अनुसार, नई आस्ति की लागत के आधार पर धारा 67 के अधीन प्रभारित नहीं की गई है उस कर वर्ष के लिए जिसमें ऐसा निवास गृह क्रय या संनिर्मित किया गया है, दीर्घकालिक पूंजी आस्तियों के रूप में प्रभाय होगी ।

(7) यदि नई आस्ति, उसकी क्रय या उसके संनिर्माण की तारीख से तीन वर्ष के भीतर अंतरित की जाती है, वहां पूंजी अभिलाभ की रकम जो उपधारा (1) के अनुसार, नई आस्ति की लागत के आधार पर धारा 67 के अधीन प्रभारित नहीं की गई है उस कर वर्ष के लिए जिसमें ऐसा निवास गृह क्रय या संनिर्मित किया गया है, दीर्घकालिक पूंजी आस्तियों के रूप में प्रभाय होगी ।

(8) यदि नई आस्ति की लागत दस करोड़ रुपए से अधिक है, तो दस करोड़ रुपए से अधिक की रकम उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए हिसाब में नहीं ली जाएगी ।

(9) यदि मूल आस्ति के अंतरण पर शुद्ध प्रतिफल दस करोड़ रुपए से अधिक है, तो दस करोड़ रुपए से अधिक की रकम उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए हिसाब में नहीं ली जाएगी ।

(10) इस धारा के प्रयोजन के लिए “शुद्ध प्रतिफल” से अभिप्रेत है पूंजी आस्ति के अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भूत होने वाले प्रतिफल का पूर्ण मूल्य जो ऐसे अंतरण के संबंध में पूर्णतः और अनन्यतः उपगत किए गए किसी व्यय को घटाकर आए ।

87. (1) यदि निर्धारिती,—

(क) जहां किसी नगरीय क्षेत्र में स्थित औद्योगिक उपक्रम के कारबार के लिए प्रयुक्त पूंजी आस्ति के, जो मशीनरी या संयंत्र या भवन या भूमि या ऐसे भवनों या भूमियों में कोई अधिकार है, (मूल आस्ति) अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभ, नगरीय क्षेत्र में अवस्थित ऐसे औद्योगिक उपक्रम के किसी ऐसे क्षेत्र [शहरी क्षेत्र से भिन्न (नए क्षेत्र)] को अंतरित किए जाने की दशा में प्रभावित हुआ है, और

(ख) निर्धारिती ने उस तारीख के, जिसको अंतरण किया गया है, पूर्व एक वर्ष या उसके पश्चात् तीन वर्ष की अवधि के भीतर,—

(i) उस क्षेत्र में, औद्योगिक उपक्रम के कारबार के प्रयोजनों के लिए नई मशीनरी या संयंत्र का क्रय किया है;

(ii) उक्त क्षेत्र में अपने कारबार के प्रयोजनों के लिए भवन या भूमि अर्जित की है या भवन का सन्निर्माण किया है;

(iii) मूल आस्ति का स्थानांतरण किया है और ऐसे उपक्रम के स्थापन को ऐसे क्षेत्र को अंतरित किया है; और

(iv) ऐसे अन्य प्रयोजन पर, जो इस धारा के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की गई स्कीम में विनिर्दिष्ट किया जाए, व्यय-उपगत किए हैं, तब पूंजी अभिलाभ पर उस कर वर्ष की, जिसमें अंतरण किया गया है, आय के रूप में आय-कर प्रभारित करने के बजाय निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी,—

(अ) यदि “नई आस्ति के रूप में निर्दिष्ट” खंड (i) से खंड (iv) में उल्लिखित

नगरीय क्षेत्र से
औद्योगिक
उपक्रम के
स्थानांतरण की
दशा में
आस्तियों के
अंतरण पर पूंजी
अभिलाभों को
छूट ।

सभी या किन्हीं उद्देश्यों पर उपगत खर्च और व्यय,—

(I) पूंजी अभिलाभ से कम है, तो अंतर को कर वर्ष की आय के रूप में धारा 67 के अधीन प्रभारित किया जाएगा; या

(II) पूंजी अभिलाभ के बराबर या उससे अधिक है, कोई पूंजी अभिलाभ धारा 67 के अधीन प्रभारित नहीं किया जाएगा; और

(आ) नई आस्ति के इसके क्रय, अर्जित, संनिर्मित या अंतरित किए जाने के तीन वर्ष के भीतर, अंतरण से उद्भूत होने वाले किन्हीं पूंजी अभिलाभों की गणना करने के लिए, उपरोक्त उपखंड (अ) (I) की दशा में लागत शून्य होगी; या उपरोक्त उपखंड (अ) (II) की दशा में पूंजी अभिलाभ की रकम से घटा दी जाएगी ।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट पूंजी अभिलाभ का उपयोग, धारा 263 के अधीन आय की विवरणी फाइल करने के पूर्व नई आस्ति के क्रय के लिए नहीं किया जाता है, तब,—

(क) ऐसी उपयोग नहीं की गई रकम किसी विनिर्दिष्ट बैंक या संस्था में निक्षिप्त की जाएगी और उसका उपयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित स्कीम के अनुसार किया जाएगा;

(ख) ऐसा निक्षेप, विवरणी फाइल किए जाने के पूर्व किया गया है और धारा 263(1) के अधीन निर्धारिती की दशा में आय विवरणी दाखिल करने के लिए लागू नियत तारीख के अपश्चात् नहीं किया जाएगा; और

(ग) निक्षेप का सबूत, ऐसी विवरणी के साथ किया जाएगा ।

(3) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए वह रकम, जिसका उपधारा (2) के अधीन निक्षिप्त रकम के साथ नई आस्ति के क्रय के लिए निर्धारिती द्वारा पहले ही उपयोग किया गया है, नई आस्ति की लागत समझी जाएगी ।

(4) यदि उपधारा (2) के अधीन निक्षिप्त रकम का उपयोग उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नई आस्ति के क्रय के लिए पूर्णतः नहीं किया जाता है तो—

(क) उपयोग न की गई रकम धारा 67 के अधीन उस कर वर्ष की आय के रूप में प्रभारित की जाएगी जिसमें मूल आस्ति के अंतरण की तारीख से दो वर्ष की अवधि समाप्त होती है; और

(ख) निर्धारिती, उपधारा (2) में निर्दिष्ट स्कीम के अनुसार ऐसी उपयोग न की गई रकम को वापस लेने का हकदार होगा ।

(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए “नगरीय क्षेत्र” से किसी नगर निगम या नगरपालिका की सीमाओं के भीतर कोई ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा,—

(क) जनसंख्या;

(ख) उद्योगों के संकेन्द्रण; और

(ग) क्षेत्र की समुचित स्कीम बनाने और अन्य सुसंगत बातों की आवश्यकता, का ध्यान रखते हुए, इस धारा के प्रयोजनों के लिए नगरीय क्षेत्र घोषित किया जाए ।

88. (1) धारा 87 में अंतर्विष्ट किसी बात का विचार किए बिना, यदि

औद्योगिक
उपक्रम के शहरी

निर्धारिती,—

(क) जहां किसी नगरीय क्षेत्र में स्थित औद्योगिक उपक्रम के कारबार के लिए प्रयुक्त पूंजी आस्ति के, जो मशीनरी या संयंत्र या भवन या भूमि या ऐसे भवनों या भूमियों में कोई अधिकार है, अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभ, नगरीय क्षेत्र में अवस्थित ऐसे औद्योगिक उपक्रम (मूल आस्ति) के किसी शहरी क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में विशेष आर्थिक जोन (सेज) को अंतरित किए जाने की दशा में प्रभावित हुआ है; और

(ख) निर्धारिती ने उस तारीख के, जिसको अंतरण किया गया है, पूर्व एक वर्ष या उसके पश्चात् तीन वर्ष की अवधि के भीतर,—

(i) ऐसे सेज में, औद्योगिक उपक्रम के कारबार के प्रयोजनों के लिए नई मशीनरी या संयंत्र का क्रय किया है;

(ii) ऐसे सेज में अपने कारबार के प्रयोजनों के लिए भवन या भूमि अर्जित की है या भवन का सन्निर्माण किया है;

(iii) मूल आस्ति का स्थानांतरण किया है और ऐसे उपक्रम के स्थापन को ऐसे सेज को अंतरित किया है; और

(iv) ऐसे अन्य प्रयोजन पर, जो इस धारा के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की गई स्कीम में विनिर्दिष्ट किया जाए, व्यय-उपगत किए हैं,

तब पूंजी अभिलाभ पर उस कर वर्ष की, जिसमें अंतरण किया गया है, आय के रूप में आय-कर प्रभारित करने के बजाय निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी,—

(अ) यदि “नई आस्ति के रूप में निर्दिष्ट” खंड (i) से खंड (iv) में उल्लिखित सभी या किन्हीं उद्देश्यों पर उपगत खर्च और व्यय,—

(I) पूंजी अभिलाभ से कम है, तो अंतर को कर वर्ष की आय के रूप में धारा 67 के अधीन प्रभारित किया जाएगा; या

(II) पूंजी अभिलाभ के बराबर या उससे अधिक है, कोई पूंजी अभिलाभ धारा 67 के अधीन प्रभारित नहीं किया जाएगा;

(आ) नई आस्ति के इसके क्रय, अर्जित, सन्निर्मित या अंतरित किए जाने के तीन वर्ष के भीतर, अंतरण से उद्भूत होने वाले किन्हीं पूंजी अभिलाभों की गणना करने के लिए, उपरोक्त उपखंड (अ)(II) की दशा में लागत शून्य होगी; या उपरोक्त उपखंड (अ)(I) की दशा में पूंजी अभिलाभ की रकम से घटा दी जाएगी ।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट पूंजी अभिलाभ का उपयोग निर्धारिती द्वारा मूल आस्ति के अंतरण से पहले एक वर्ष के भीतर या धारा 263 के अधीन आय की विवरणी फाइल करने के पूर्व नहीं किया जाता है, तब,—

(क) ऐसी उपयोग नहीं की गई रकम किसी विनिर्दिष्ट बैंक या संस्था में निक्षिप्त की जाएगी और उसका उपयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित स्कीम के अनुसार किया जाएगा;

(ख) ऐसा निक्षेप, विवरणी फाइल करने से पूर्व किया जाएगा, धारा 263(1) के अधीन निर्धारिती की दशा में आय विवरणी दाखिल करने के लिए लागू नियत

क्षेत्र से किसी विशेष आर्थिक जोन में स्थानान्तरण की दशा में आस्तियों के अंतरण पर पूंजी अभिलाभों की छूट ।

तारीख के अपश्चात् नहीं किया जाएगा; और

(ग) निक्षेप का सबूत, ऐसी विवरणी के साथ प्रस्तुत किया जाएगा ।

(3) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए वह रकम, जिसका उपधारा (2) के अधीन निक्षिप्त रकम के साथ नई आस्ति के क्रय या संनिर्माण के लिए निर्धारिती द्वारा पहले ही उपयोग किया गया है, नई आस्ति की लागत समझी जाएगी ।

(4) यदि उपधारा (2) के अधीन निक्षिप्त रकम का उपयोग उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नई आस्ति के लिए पूर्णतः या भागतः नहीं किया जाता है तो—

(क) उपयोग न की गई रकम धारा 67 के अधीन उस कर वर्ष की आय के रूप में प्रभारित की जाएगी जिसमें मूल आस्ति के अंतरण की तारीख से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होती है; और

(ख) निर्धारिती, उपधारा (2) निर्दिष्ट स्कीम के अनुसार ऐसे उपयोग नहीं की गई रकम को वापस लेने का हकदार होगा ।

(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “नगरीय क्षेत्र” पद का वही अर्थ होगा जो उसका धारा 87 में है ।

नई आस्ति अर्जित करने या पूंजी अभिलाभ की रकम का निक्षेप या विनिधान करने के लिए समय का विस्तार ।

89. धारा 82, धारा 83, धारा 84, धारा 85 और धारा 86 में अंतर्विष्ट किसी बात का विचार किए बिना,—

(क) यदि उन धाराओं में उल्लिखित मूल आस्ति के अंतरण किसी विधि के अधीन अनिवार्य अर्जन के रूप में है; और

(ख) ऐसे अर्जन के लिए अधिनिर्णीत प्रतिकर निर्धारिती द्वारा ऐसे अंतरण की तारीख को प्राप्त नहीं किया जाता है,

तब नई आस्ति अर्जित करने के लिए या विनिर्दिष्ट बैंक या संस्था में पूंजी अभिलाभ का विनिधान या निक्षेप करने के लिए उपलब्ध अवधि की गणना ऐसा प्रतिकर प्राप्त करने की तारीख से की जाएगी ।

“समंजित”, “सुधार की लागत” और “अर्जन की लागत” के अर्थ।

90. (1) धारा 72 और धारा 73 के प्रयोजनों के लिए, “किसी सुधार की लागत” से,—

(क) पूंजी आस्ति के लिए, जो किसी कारबार की गुडविल या कोई अन्य अमूर्त आस्ति है अथवा जो किसी वस्तु या चीज का संनिर्माण, उत्पादन या प्रक्रिया का अधिकार या कोई अन्य अधिकार है या किसी कारबार या वृत्ति को करने का अधिकार है, शून्य समझा जाएगा; और

(ख) किसी अन्य पूंजी आस्ति के संबंध में,—

(i) जहां पूंजी आस्ति 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन के पूर्व, पूर्वतन स्वामी या निर्धारिती की संपत्ति हो गई हो वहां पूंजीगत व्यय के प्रकार का ऐसा सब व्यय अभिप्रेत है जो उक्त तारीख को या उसके पश्चात् पूंजी आस्ति में कोई परिवर्धन या परिवर्तन करने में पूर्वतन स्वामी या निर्धारिती द्वारा उपगत किया गया है; और

(ii) किसी अन्य दशा में पूंजी आस्ति के निर्धारिती की संपत्ति हो जाने

के पश्चात् निर्धारिती द्वारा और जहां पूंजी आस्ति में धारा 73 (सारणी 1) में विनिर्दिष्ट किसी रीति से निर्धारिती की संपत्ति हो गई है वहां पूर्वतन स्वामी द्वारा पूंजी आस्ति में कोई परिवर्धन करने में उपगत पूंजीगत व्यय के प्रकार का सब व्यय अभिप्रेत है ।

(2) उपधारा (1) (ख) के प्रयोजनों के लिए सुधार की लागत के अधीन कोई ऐसा व्यय नहीं है जो “गृह संपत्ति से आय”, “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” अथवा “अन्य स्रोतों से आय” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने में कटौती योग्य है ।

(3) धारा 72 और धारा 73 के प्रयोजनों के लिए किसी पूंजी आस्ति के संबंध में, जो किसी कारबार या वृत्ति की गुडविल या किसी कारबार वृत्ति से सहबद्ध कोई व्यापार चिह्न या ब्रांड नाम है या किसी वस्तु या चीज का विनिर्माण, उत्पादन या प्रक्रिया का अधिकार है या किसी कारबार या वृत्ति या किसी अन्य अमूर्त आस्ति को चलाने का अधिकार है या कोई अभिधारण अधिकार या किसी मंजिली गाड़ी के परमिट या करघा घंटे या कोई अन्य अधिकार हैं “अर्जन की लागत” से—

(क) क्रय कीमत अभिप्रेत है, यदि निर्धारिती द्वारा ऐसी आस्ति का अर्जन पूर्वतन स्वामी से क्रय के द्वारा किया गया है ; और

(ख) धारा 73 (सारणी 1) के विरुद्ध समाविष्ट होने की दशा में उक्त धारा की उपधारा (2) में यथापरिभाषित पूर्वतन स्वामी के लिए क्रय कीमत अभिप्रेत है और जहां आस्ति का अर्जन पूर्वतन स्वामी द्वारा क्रय करके किया गया था ; और

(ग) किसी अन्य मामले में, उसे शून्य के रूप में अभिप्रेत है ।

(4) उपधारा (3) के खंड (क) या खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए, यदि—

(क) पूंजी आस्ति, जो किसी कारबार या वृत्ति की गुडविल है, और

(ख) निर्धारिती द्वारा 1 अप्रैल, 2020 को प्रारंभ होने वाले कर वर्ष से पूर्ववर्ती किसी पूर्ववर्ष में आय-कर अधिनियम की धारा 32(1) के अधीन अवक्षयण के मददे कोई कटौती अभिप्राप्त की गई है,

वहां 1 अप्रैल, 2020 को प्रारंभ होने वाले कर वर्ष से पूर्व अभिप्राप्त की गई अवक्षयण की कुल रकम को क्रय कीमत की रकम से घटा दिया जाएगा ।

(5) धारा 72 और धारा 73 के प्रयोजनों के लिए और उपधारा (9) के खंड (क) और खंड (ख) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उपधारा (6) के अनुसार “अर्जन की लागत” होगी, उस दशा में जहां ऐसी पूंजी आस्ति को, जो कोई शेयर या प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (ज) के अर्थ में कोई अन्य प्रतिभूति है (जिसे इस खंड में इसके पश्चात् वित्तीय आस्ति कहा गया है), धारण करने के आधार पर, निर्धारिती—

(क) किसी अतिरिक्त वित्तीय आस्ति में अभिदाय करने का हकदार होता है; या

(ख) उसको किसी संदाय के बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय आस्ति का आबंटन किया जाता है ।

(6) उपधारा (5) में निर्दिष्ट दशा में “अर्जन की लागत”,—

(क) उस ऐसी मूल वित्तीय आस्ति के संबंध में, जिसके आधार पर, निर्धारिती किसी अतिरिक्त वित्तीय आस्ति का हकदार बनता है वहां ऐसी मूल वित्तीय आस्ति का अर्जन करने के लिए वास्तव में संदत रकम अभिप्रेत है;

(ख) ऐसी वित्तीय आस्ति में अभिदाय करने के लिए उक्त हकदारी का त्याग करने के किसी अधिकार के संबंध में, जब ऐसे अधिकार का निर्धारिती द्वारा किसी व्यक्ति के पक्ष में त्याग किया जाता है, ऐसे निर्धारिती की दशा में लागत शून्य समझी जाएगी;

(ग) ऐसी वित्तीय आस्ति के संबंध में, जिसमें निर्धारिती ने उक्त हकदारी के आधार पर अभिदाय किया है ऐसी आस्ति का अर्जन करने के लिए उसके द्वारा वास्तव में संदत रकम अभिप्रेत है;

(घ) ऐसी वित्तीय आस्ति के संबंध में जो किसी निर्धारिती को किसी संदाय के बिना और किसी अन्य वित्तीय आस्ति का धारण करने के आधार पर आबंटित की जाती है, ऐसे निर्धारिती की दशा में अर्जन की लागत शून्य समझी जाएगी; और

(ङ) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा क्रय की गई वित्तीय आस्ति के संबंध में, जिसके पक्ष में ऐसी आस्ति में अभिदाय करने के अधिकार का त्याग किया गया है, उसके द्वारा ऐसे अधिकार का त्याग करने वाले व्यक्ति को संदत क्रय कीमत की रकम और उसके द्वारा ऐसी वित्तीय आस्ति का अर्जन करने के लिए, यथास्थिति, कंपनी या संस्था को संदत रकम का योग अभिप्रेत है ।

(7) धारा 72 और धारा 73 के प्रयोजनों के लिए, उपधारा (9) के खंड (क) और खंड (ख) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, “अर्जन की लागत” किसी दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के संबंध में, जो किसी कंपनी का साधारण शेयर है या किसी साधारण शेयरोन्मुखी निधि की कोई यूनिट है या धारा 198 में निर्दिष्ट किसी कारबार न्यास की कोई यूनिट है और जिसे 1 फरवरी, 2018 से पूर्व अर्जित किया गया है—

(क) ऐसी आस्ति के अर्जन की लागत का उच्चतर मूल्य होगी; और

(ख) (i) ऐसी आस्ति के समुचित बाजार मूल्य का; और

(ii) पूंजी आस्ति के अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भूत प्रतिफल के पूर्ण मूल्य का, निम्नतर मूल्य होगी ।

(8) उपधारा (7) के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “लागत मुद्रास्फीति सूचकांक” का वहीं अर्थ होगा, जो धारा 72(8)(क) में उसका है;

(ख) “समुचित बाजार मूल्य” से,—

(i) उस दशा में, जहां पूंजी आस्ति 31 जनवरी, 2018 को किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है, वहां उक्त तारीख को ऐसे एक्सचेंज में उस पूंजी आस्ति की कोट की गई उच्चतम कीमत अभिप्रेत है;

(ii) उस दशा में, जहां उपखंड (1) में यथा उल्लिखित 31 जनवरी, 2018 को ऐसे एक्सचेंज में उस आस्ति में कोई व्यापार नहीं होता है, वहां 31

जनवरी, 2018 से तुरंत पूर्व ऐसी तारीख को, जब ऐसे एक्सचेंज में ऐसी आस्ति का व्यापार किया गया था, ऐसे एक्सचेंज में ऐसी आस्ति की अधिकतम कीमत उसका समुचित बाजार मूल्य होगी;

(iii) उस दशा में, जहां पूंजी आस्ति ऐसी यूनिट है, जो 31 जनवरी, 2018 को किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है, वहां उक्त तारीख को ऐसी यूनिट का शुद्ध आस्ति मूल्य अभिप्रेत है;

(iv) उस दशा में, जहां पूंजी आस्ति किसी ऐसी कंपनी का साधारण शेयर है, जो,—

(अ) 31 जनवरी, 2018 को किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है, किंतु अंतरण की तारीख को ऐसे एक्सचेंज में सूचीबद्ध है;

(आ) 31 जनवरी, 2018 को मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध नहीं है या ऐसे शेयर जो 31 जनवरी, 2018 को ऐसे एक्सचेंज पर सूचीबद्ध नहीं हैं, के प्रतिफल में ऐसे संव्यवहार के माध्यम से, जिसे धारा 70 के अधीन अंतरण के रूप में नहीं समझा जाता है, निर्धारिती की संपत्ति हो गए हैं, किंतु 31 जनवरी, 2018 को किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है (जहां ऐसा अंतरण, लोक को विक्रय के लिए प्रस्ताव, जिसके अधीन आरंभिक लोक प्रस्ताव भी है, के अधीन असूचीबद्ध साधारण शेयरों के विक्रय की बाबत है);

(इ) अंतरण की तारीख को, किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है और जो किसी ऐसे शेयर के प्रतिफल के रूप में, ऐसे संव्यवहार के माध्यम से, जिसे धारा 70 के अधीन अंतरण के रूप में नहीं समझा जाता है, किसी निर्धारिती की संपत्ति बन गई थी, जो 31 जनवरी, 2018 को किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है,

वहां ऐसी रकम अभिप्रेत है, जो अर्जन की लागत से उस अनुपात में है, जो अनुपात वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक का उस पहले वर्ष, जिसमें आस्ति निर्धारिती द्वारा धारित की गई थी, या 1 अप्रैल, 2001 से प्रारंभ होने वाले वर्ष, इनमें से जो भी पश्चावत्त्वर्ती हो, के लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के साथ है;

(9) धारा 72 और धारा 73 के प्रयोजनों के लिए, “अर्जन की लागत” किसी अन्य पूंजी आस्ति के संबंध में,—

(क) यदि पूंजी आस्ति उपधारा (10) के अधीन रहते हुए 2001 की अप्रैल के प्रथम दिन के पहले निर्धारिती की संपत्ति हो गई हो, वहां निर्धारिती के विकल्प पर, निर्धारिती की आस्ति के अर्जन की लागत; या 2001 की अप्रैल के प्रथम दिन को आस्ति का समुचित बाजार मूल्य होगी;

(ख) यदि पूंजी आस्ति धारा 73 (सारणी.1) में विनिर्दिष्ट किसी रीति से निर्धारिती की संपत्ति हो गई हो और उपधारा (10) के अधीन रहते हुए पूंजी आस्ति

2001 की अप्रैल के प्रथम दिन के पहले पूर्वतन स्वामी की संपत्ति हो गई हो, वही निर्धारिती के विकल्प पर पूर्वतन स्वामी की पूंजी आस्ति की लागत या 2001 की अप्रैल के प्रथम दिन को आस्ति का समुचित बाजार मूल्य होगी ;

(ग) यदि पूंजी आस्ति किसी कम्पनी के समापन पर उसकी पूंजी आस्तियों के वितरण पर निर्धारिती की संपत्ति हो गई हो और निर्धारिती पर धारा 68 के अधीन उस आस्ति की बाबत “पूंजी अभिलाभ” शीर्ष के अधीन आय-कर विहित किया गया हो, वहां वितरण की तारीख को आस्ति का समुचित बाजार मूल्य अभिप्रेत है

(घ) यदि पूंजी आस्ति, जो कंपनी के शेयर या स्टाक के रूप में है—

(i) कंपनी की सभी या किसी शेयर पूंजी के उसके विद्यमान शेयरों से बड़ी रकम के शेयरों में समेकन और निर्विलियन पर; या

(ii) कंपनी के किन्हीं शेयरों के स्टाक में संपरिवर्तन पर; या

(iii) कंपनी के किसी स्टाक के शेयरों में पुनः संपरिवर्तन पर; या

(iv) कंपनी के किन्हीं शेयरों के लघुतर रकम के शेयरों में पुनर्विलियन पर; या

(v) कंपनी के एक प्रकार के शेयरों के दूसरी प्रकार में संपरिवर्तन पर, निर्धारिती की संपत्ति हो गई हो वहां आस्ति के अर्जन की ऐसी लागत अभिप्रेत है जो शेयर या स्टाक के जिससे ऐसी आस्ति व्युत्पन्न हुई है, अर्जन की लागत के प्रति निर्देश से परिकलित की गई हो ।

(10) उपधारा (9)(क) और उपधारा 9(ख) में निर्दिष्ट ऐसी पूंजी आस्ति की दशा में, जो भूमि या भवन या दोनों हैं, उक्त उपधारा (9)(क) और उपधारा 9(ख) के प्रयोजनों के लिए, 1 अप्रैल, 2001 को ऐसी आस्ति का समुचित बाजार मूल्य 1 अप्रैल, 2001 को ऐसी आस्ति के स्टॉप शुल्क मूल्य से, जहां कहीं उपलब्ध है, अधिक नहीं होगा ।

(11) यदि ऐसी लागत जिस पर पूर्वतन स्वामी ने संपत्ति अर्जित की है अभिनिश्चित नहीं की जा सकती है, वहां पूर्वतन स्वामी को अर्जन की लागत से उस तारीख का समुचित बाजार मूल्य अभिप्रेत है जब ऐसी पूंजी आस्ति पूर्वतन स्वामी की संपत्ति हो गई हो ।

(12) धारा 72 और 73 के प्रयोजनों के लिए, पूंजीगत आस्ति के संबंध में अर्जन की लागत—

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा अनुमोदित विपारस्परिकीकरण या निगमीकरण की स्कीम के अधीन भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के शेयरधारक को आबंटित इक्विटी शेयर या शेयर होने के नाते, एक्सचेंज की उसकी मूल सदस्यता के अर्जन की लागत होगी ;

(ख) किसी शेयरधारक द्वारा अर्जित मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के व्यापार या समाशोधन अधिकार होने के नाते, जिसे विपारस्परिकीकरण या निगमीकरण की ऐसी स्कीम के अधीन इक्विटी शेयर या शेयर आबंटित किए गए हैं, शून्य माने जाएंगे ।

91. (1) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए पूंजी आस्ति का समुचित बाजार मूल्य, अभिनिश्चित करने के लिए, निर्धारण अधिकारी मूल्यांकन अधिकारी को किसी पूंजी आस्ति के मूल्यांकन के लिए निर्देश—

मूल्यांकन
अधिकारी
को
निर्देश ।

(क) कर सकता है, यदि आस्ति का मूल्य, जिसका निर्धारिती ने दावा किया है, रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकन द्वारा किए गए प्राक्कलन के अनुसार है, यदि निर्धारण अधिकारी की यह राय है कि इस प्रकार दावा किए गए मूल्य और उसके समुचित बाजार मूल्य में अंतर है;

(ख) किसी अन्य दशा में कर सकता है, यदि निर्धारण अधिकारी की यह राय है कि—

(i) आस्ति का समुचित बाजार मूल्य आस्ति के ऐसे मूल्य से, जिसका निर्धारिती ने दावा किया है, इतने प्रतिशत से या इतनी रकम से अधिक है जो यथा विहित की जाए, या

(ii) आस्ति की प्रकृति और अन्य सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना आवश्यक है,

(2) धारा 269(3) से (8) के उपबंध, आवश्यक उपांतरणों के साथ, उपधारा (1) के अधीन किए गए ऐसे निर्देशों के संबंध में लागू होंगे ।

च. अन्य स्रोतों से आय

92. (1) हर प्रकार की ऐसी आय जिसे इस अधिनियम के अधीन कुल आय में से अपवर्जित नहीं किया जाना है, यदि वह धारा 13 के खंड (क) से खंड (घ) तक में विनिर्दिष्ट शीर्षों में से किसी के अधीन आय-कर से प्रभार्य नहीं है, तो “अन्य स्रोतों से आय” शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य होगी ।

अन्य स्रोतों से
आय ।

(2) विशिष्टतः और उपधारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित आय “अन्य स्रोतों से आय” शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य होगी, अर्थात्:—

(क) लाभांश;

(ख) लाटरी से, वर्ग पहली से, दौड़ से जिसके अधीन घुड़दौड़ भी है, ताश के खेल से और अन्य सभी प्रकार के खेलों से या अन्य किसी भी प्रकार या प्रकृति के जुए से या दांव से हुई जीत ;

(ग) किसी भविष्य निधि या अधिवार्षिकी निधि या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अधीन बनाई गई किसी निधि या ऐसे कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में निर्धारिती द्वारा अपने कर्मचारियों से प्राप्त कोई रकम, यदि आय “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य नहीं है;

(घ) अनुसूची 2 (टिप्पण 1) में यथा परिभाषित प्रमुख व्यक्ति बीमा पालिसी के अधीन प्राप्त कोई रकम जिसके अधीन ऐसी पालिसी पर आबंटित बोनस भी है, यदि आय “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” और “वेतन” शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य नहीं है;

(ड) प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में आय, यदि ऐसी आय “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य नहीं है;

(च) निर्धारिती की मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर के किराए पर दिए जाने से होने वाली आय यदि वह आय “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य नहीं है;

(छ) निर्धारिती अपनी मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर की और भवनों को किराए पर दिए जाने से होने वाली आय और ऐसे भवनों का किराए पर दिया जाना उक्त मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर के किराए पर दिए जाने से अपृथक्करणीय है, वहां ऐसे किराए से होने वाली आय, यदि वह आय “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य नहीं है;

(ज) किसी पूंजी आस्ति के अंतरण की बातचीत के दौरान अग्रिम के रूप में या अन्यथा प्राप्त कोई धनराशि, यदि,—

(i) ऐसी रकम समपहृत हो जाती है; और

(ii) ऐसी बातचीत के परिणामस्वरूप ऐसी पूंजी आस्ति का अंतरण नहीं होता है;

(झ) धारा 278(क) के खंड में निर्दिष्ट प्रतिकर या वर्धित प्रतिकर पर प्राप्त ब्याज के रूप में आय ;

(ञ) किसी व्यक्ति को, उसके नियोजन की समाप्ति या उसके नियोजन के निबंधनों और शर्तों के उपांतरण से संबंधित उसे शोधय या उसके द्वारा प्राप्त कोई प्रतिकर या अन्य संदाय चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो ;

(ट) पूर्ववर्ष के दौरान किसी भी समय किसी यूनिट धारक द्वारा धारित यूनिट के संबंध में ऐसे कर वर्ष के दौरान कारबार निधि से उसके द्वारा प्राप्त कोई विनिर्दिष्ट रकम जिसकी संगणना निम्नानुसार की जाएगी, अर्थात् :—

विनिर्दिष्ट रकम = क-ख-ग (जिसे शून्य समझा जाएगा, ख और ग रकम क से अधिक हैं), जहां—

क = पूर्ववर्ष के दौरान या किसी पूर्ववर्ती पूर्व वर्ष या वर्षों के दौरान ऐसे यूनिट धारक को ऐसी यूनिट के संबंध में कारबार न्यास द्वारा वितरित रकम या कुल योग है, जो रकम के वितरण की तारीख को ऐसी यूनिट धारण करता है या किसी अन्य यूनिट धारक को, रकम का कुल योग है, जो ऐसे वितरण की तारीख से पूर्व किसी भी समय ऐसी यूनिट को धारण करता था, जो,—

(क) अनुसूची 5 (सारणी 3 या सारणी 4) में निर्दिष्ट आय की प्रकृति की नहीं है ; और

(ख) धारा 223(2) के अधीन कर से प्रभार्य नहीं है;

ख = रकम न्यास कारबार, जिस पर ऐसी यूनिट द्वारा जारी की गई है; और

ग = किसी पूर्ववर्ती कर वर्ष में इस खंड के अधीन कर से प्रभारित

रकम; '।'

(ठ) जहां किसी कर वर्ष के दौरान किसी जीवन बीमा पालिसी के अधीन रकम जिसके अधीन बोनस भी है,—

(क) किसी यूनिट संबद्ध बीमा पालिसी के अधीन प्राप्त रकम; या

(ख) खंड (घ) में निर्दिष्ट आय, से भिन्न है,

और ऐसी आय अनुसूची 2 (सारणी: क्रम सं 2) के अनुसार उस कर वर्ष की कुल आय से अपवर्जित नहीं की जाती है, ऐसी जीवन बीमा पालिसी की अवधि के दौरान संदत्त प्रीमियम के योग के आधिक्य में रकम, और इस अधिनियम के अधीन कटौती के रूप में दावा नहीं किया जाता है, ऐसी रीति में संगणित किया जाएगा, जो विहित की जाए ।

(ड) जहां किसी व्यष्टि को किसी कर वर्ष में किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों से—

(i) कोई धनराशि, जिसका कुल मूल्य 50,000 रुपए से अधिक है, बिना प्रतिफल के प्राप्त होती है, वहां ऐसी रकम का कुल मूल्य;

(ii) कोई स्थावर संपत्ति,—

(अ) जिसका स्टॉप शुल्क मूल्य 50,000 रुपए से अधिक है, प्रतिफल के बिना प्राप्त होती है, वहां ऐसी संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य;

(आ) उस प्रतिफल के लिए प्राप्त होती है, ऐसी संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य, जो ऐसे प्रतिफल से अधिक है, यदि ऐसी आधिक्य रकम निम्नलिखित रकमों से अधिक है, अर्थात्:—

(I) 50,000 रुपए; या

(II) प्रतिफल का दस प्रतिशत;

(iii) स्थावर संपत्ति से भिन्न कोई संपत्ति,—

(अ) बिना प्रतिफल के प्राप्त होती है, जिसका कुल समुचित बाजार मूल्य 50,000 रुपए से अधिक है, वहां ऐसी संपत्ति का संपूर्ण कुल समुचित बाजार मूल्य;

(आ) ऐसे प्रतिफल के लिए प्राप्त होती है, जो उस संपत्ति के कुल समुचित बाजार मूल्य से उतना कम है, जो 50,000 रुपए से अधिक है, वहां ऐसी संपत्ति का वह कुल समुचित बाजार मूल्य, जो ऐसे प्रतिफल से अधिक है ।

(3) उपधारा (2)(ड) के उपबंध किसी ऐसी धनराशि या सम्पत्ति को लागू नहीं होंगे, जो,—

(क) किसी नातेदार से; या

(ख) व्यष्टि के विवाह के अवसर पर; या

(ग) किसी वसीयत के अधीन या उत्तराधिकार के रूप में; या

(घ) संदायकर्ता या दाता की मृत्यु को आसन्न मानकर; या

(ङ) अनुसूची 3 (टिप्पण 6) में यथापरिभाषित किसी स्थानीय प्राधिकारी से; या

(च) धारा 355(छ) में यथा परिभाषित किसी रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन से या उसके द्वारा, सिवाय जब धारा 355(ज) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त हो; या

(छ) धारा 70(1)(क), (ग), (घ), (ङ), (च), (छ), (झ), (ज), (ट) (ठ), (ड), (ण), (न), (प), (फ) या (ब) के अधीन अंतरण न माने गए संव्यवहार द्वारा; या

(ज) केवल व्यष्टि के नातेदार के फायदे के लिए सृजित या स्थापित न्यास द्वारा व्यष्टि से; या

(झ) व्यक्तियों के ऐसे वर्ग से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं,

प्राप्त होती है।

(4) उपधारा (2)(ड)(ii) के प्रयोजनों के लिए,—

(क) यदि स्थावर संपत्ति के अंतरण के लिए प्रतिफल की रकम नियत करने के करार की तारीख और रजिस्ट्रीकरण तारीख एक ही नहीं है, वहां करार की तारीख को जो स्टांप शुल्क मूल्य है, वह लागू होगा, परंतु प्रतिफल, पूर्णतः या भागतः, ऐसी स्थावर संपत्ति के अंतरण संबंधी करार की तारीख को धारा 66(32) में यथा परिभाषित “विनिर्दिष्ट बैंककारी या आनलाइन ढंग” के माध्यम से संदाय किया गया है;

(ख) यदि स्थावर संपत्ति के स्टांप शुल्क मूल्य पर निर्धारिती द्वारा धारा 78(2) में वर्णित आधारों पर विवाद किया गया है वहां निर्धारण अधिकारी ऐसी संपत्ति के मूल्यांकन को मूल्यांकन अधिकारी को निर्दिष्ट कर सकेगा और धारा 78(2) और धारा 288(1) (सारणी 8) के उपबंध, जहां तक हो सके, ऐसी संपत्ति के स्टांप शुल्क मूल्य के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे उन धाराओं के अधीन पूंजी आस्ति के मूल्यांकन के लिए लागू होते हैं।

(5) इस खंड में,—

(क) “निर्धारणीय” पद का वही अर्थ है जो धारा 2(105) में उसका है;

(ख) “कार्ड खेल और कोई अन्य प्रकार के अन्य खेल” में खेल तमाशा, टेलीविजन पर या इलेक्ट्रानिक ढंग का मनोरंजन कार्यक्रम, जहां लोग ईनाम जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं या इसी प्रकार का कोई अन्य खेल सम्मिलित है;

(ग) स्थावर संपत्ति से भिन्न संपत्ति का “समुचित बाजार मूल्य” से ऐसी रीति में अवधारित किया गया मूल्य अभिप्रेत है जो विहित की जाए;

(घ) “आभूषण” का वही अर्थ है जो धारा 2(22) में उसका है;

(ङ) “लाटरी” में किसी स्कीम या किसी भी नाम से ज्ञात ठहराव के अधीन लाटों के निकलने द्वारा, संभावना द्वारा या किसी अन्य रीति में प्रदत्त ईनामों से जीत सम्मिलित है;

(च) “संपत्ति” से निर्धारिती की निम्नलिखित पूंजी आस्तियां अभिप्रेत हैं,

अर्थात् :—

- (i) स्थावर संपत्ति, जो भूमि या भवन या दोनों हैं;
- (ii) शेयर और प्रतिभूतियां;
- (iii) आभूषण;
- (iv) पुरातत्वीय संग्रहण;
- (v) ड्राईंग;
- (vi) पेंटिंग;
- (vii) मूर्तियां;
- (viii) कोई कलाकृति;
- (ix) बुलियन; या
- (x) आभासी डिजिटल आस्ति;

(छ) “नातेदार” से,—

(i) किसी व्यष्टि की दशा में—

- (अ) व्यष्टि की पत्नी या पति;
 - (आ) व्यष्टि का भाई या बहन;
 - (इ) व्यष्टि की पत्नी या पति का भाई या बहन;
 - (ई) व्यष्टि के माता-पिता में से किसी का भाई या बहन;
 - (उ) व्यष्टि का कोई पारंपरिक पूर्व पुरुष या वंशज (मातृपक्ष या साथ ही पितृपक्ष) या वंशज ;
 - (ऊ) व्यष्टि का कोई पारंपरिक पूर्व पुरुष (मातृपक्ष या साथ ही पितृपक्ष) या पारंपरिक वंशज (मातृपक्ष साथ ही पितृपक्ष);
 - (ए) मद (आ) से (ऊ) में निर्दिष्ट व्यक्ति की पत्नी या पति;
- और
- (ii) हिन्दू अविभक्त कुटुंब के लिए, उसका कोई सदस्य,

अभिप्रेत है;

(ज) “यूनिट संबद्ध बीमा पालिसी” का वही अर्थ होगा जो अनुसूची 2 (टिप्पण 1) में उसका है।

93. (1) “अन्य स्रोतों से आय” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना निम्नलिखित कटौतियां करने के पश्चात् की जाएंगी, अर्थात् :—

(क) लाभांशों उन्हें अपवर्जित करते हुए जो धारा 2(40)(च) में निर्दिष्ट हैं या प्रतिभूतियों पर ब्याज के लिए ऐसी कोई युक्तियुक्त रकम जो निर्धारिती की ओर से ऐसे लाभांश या ब्याज वसूल करने के आयोजन के लिए बैंककार या अन्य व्यक्ति को कमीशन या पारिश्रमिक स्वरूप संदत्त की गई है;

(ख) उस प्रकार की आय के लिए जो धारा 92(2)(ग) में निर्दिष्ट प्रकृति की है, धारा 29(1)(ड) के अनुसार कटौतियां;

कटौतियां ।

(ग) इस प्रकार की आय के लिए जो धारा 92(2)(च) और (छ) में निर्दिष्ट प्रकृति की है, जहां तक हो सके, धारा 28(1)(क), (ख), (घ), धारा 33 और धारा 28(2) के उपबंधों के अधीन कटौतियां ;

(घ) कुटुम्ब पेंशन की प्रकृति की आय के लिए (किसी कर्मचारी की मृत्यु की दशा में उसके कुटुम्ब के किसी व्यक्ति को नियोजक द्वारा नियमित रूप से संदेय मासिक रकम),—

(i) जहां आय-कर धारा 202(1) के अधीन संगणित किया जाता है, ऐसी आय के एक तिहाई के समतुल्य या 25,000 रुपए की, इनमें से जो भी कम हो, कटौती; और

(ii) किसी अन्य दशा में, ऐसी आय के एक तिहाई के समतुल्य या पन्द्रह हजार रुपए की, इनमें से जो भी कम हो, कटौती ;

(ङ) ऐसा कोई अन्य व्यय (जो पूंजीगत व्यय के प्रकार का न हो) जो ऐसी आय पैदा करने या अर्जित करने के प्रयोजन के लिए संपूर्णतः और अनन्यतः उपगत और किया गया हो ;

(च) धारा 92(2)(झ) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय के लिए, ऐसी आय के पचास प्रतिशत के बराबर किसी रकम की कटौती और इस धारा के अधीन कोई अन्य कटौती अनुज्ञात नहीं होगी;

(छ) अनुसूची 7 (सारणी: क्रम संख्या 3) में यथा विनिर्दिष्ट निधि से प्राप्त पेंशन के संराशीकरण की प्रकृति की आय के लिए, संपूर्ण रकम; और

(ज) कर्मचारी की मृत्यु पर प्राप्त, धारा 19(2)(छ) में यथा निर्दिष्ट उपदान की प्रकृति आय के लिए, संपूर्ण रकम ।

(2)(क) धारा 2(40)(च) में निर्दिष्ट प्रकृति की लाभांश आय की बाबत कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी;

(ख) कोई अन्य लाभांश आय [खंड (क) से भिन्न] या अनुसूची 7(सारणी : 20 या 21) के अधीन विनिर्दिष्ट पारस्परिक निधि की यूनिटों के संबंध में आय, या भारतीय यूनिट न्यास (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 की धारा 2(ज) में यथा विनिर्दिष्ट कंपनी से यूनिटों के संबंध में आय से कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी, केवल ब्याज व्यय के मददे कटौती, किसी कर वर्ष के लिए ऐसी आय के बीस प्रतिशत तक सीमित होगी (जिसके अन्तर्गत इस धारा के अधीन कटौती किए बिना उस वर्ष की कुल आय भी है ।)

2002 का 58

कटौती न करने योग्य रकमों ।

94. (1) धारा 93 में अंतर्विष्ट किसी बात का विचार किए बिना, “अन्य स्रोतों से आय” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने में निम्नलिखित रकम कटौती करने योग्य नहीं होगी,—

(क) निर्धारिती के कोई निजी व्यय; या

(ख) इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य ऐसा कोई ब्याज जो भारत के बाहर संदेय है जिस पर अध्याय 19ख के अधीन कर का संदाय या उसकी कटौती नहीं की गई है; या

(ग) जो “वेतन” शीर्ष के अधीन प्रभार्य कोई संदाय है यदि वह भारत के बाहर संदेय हो, जब तक कि उस पर अध्याय 19ख के अधीन कर का संदाय या कटौती न की गई हो;

(2) धारा 29, 35(ख)(i) और 36 के उपबंध “अन्य स्रोतों से आय” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने में लागू होंगे जैसे वे “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने में लागू होते हैं ।

(3) किसी निर्धारिती के लिए जो विदेशी कंपनी है, धारा 59 के उपबंध, “अन्य स्रोतों से आय” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने में लागू होते हैं ।

(4) किसी ऐसे किसी व्यय या मोक के लिए कोई लाटरी, वर्ग पहेली, दौड़ जिसके अधीन घुड़दौड़ है, ताश के खेल और अन्य सभी प्रकार के खेल या हर प्रकार या प्रकृति के जुआ या दांव लगाने से जीत से आय की संगणना करने में, इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

(5) ऐसे निर्धारिती की, जो ऐसे घोड़ों का स्वामी है जो घुड़दौड़ में दौड़ने के लिए रखे जाते हैं, ऐसे घोड़ों को अपने स्वामिस्व में रखने और उनके रखरखाव के कार्य से आय की संगणना करने में उपधारा (4) लागू नहीं होगी ।

(6) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “घुड़दौड़” पद से ऐसी घुड़दौड़ अभिप्रेत है जिस पर, सट्टा या दांव विधिपूर्ण ढंग से लगाया जा सकता है ।

95. धारा 38(1), धारा 38(2), धारा 38(3) और धारा 38(4) के उपबंध धारा 92 के अधीन निर्धारिती की आय की संगणना करने में वैसे ही लागू होंगे, जैसे वे “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन निर्धारिती की आय की संगणना करने में लागू होते हैं ।

कर से प्रभार्य लाभ ।

अध्याय 5

अन्य व्यक्तियों की आय जो निर्धारिती की कुल आय में सम्मिलित है

96. ऐसी सब आय जो किसी व्यक्ति के अंतरण के फलस्वरूप,—

(क) चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ से पहले या पश्चात् किया गया हो; और

(ख) जहां उन आस्तियों का अंतरण न हो जिनसे आय उद्भूत होती है, अंतरक की आय के रूप में आय-कर से प्रभार्य होगी और उसकी कुल आय में सम्मिलित की जाएगी ।

जहां आस्तियों के अंतरण न हों वहां आय का अंतरण ।

97. (1) ऐसी सब आय जो किसी व्यक्ति को आस्तियों के प्रतिसंहरणीय अंतरण के फलस्वरूप प्रोद्भूत होती है अंतरक की आय के रूप में आय-कर से प्रभार्य होगी और उसकी कुल आय में सम्मिलित की जाएगी ।

आस्तियों का प्रतिसंहरणीय अंतरण ।

(2) उपधारा (1) के उपबंध लागू नहीं होंगे यदि—

(क) जहां अंतरण ऐसे न्यास के तौर पर किया गया हो जो हिताधिकारी के

जीवन काल के दौरान प्रतिसंहरणीय नहीं है; या

(ख) अंतरक खंड (क) में निर्दिष्ट दशाओं में ऐसी आय से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई फायदा प्राप्त नहीं करता है।

(3) उपधारा (2) के उपबंधों का विचार किए बिना, ऐसी सब आय जो किसी व्यक्ति को ऐसी आस्ति के अंतरण के फलस्वरूप उद्भूत होती है, जैसे कि और जब कि अंतरण को प्रतिसंहत करने की शक्ति उद्भूत हो, अंतरक की आय के रूप में आय-कर से प्रभार्य होगी तब उसकी कुल आय में सम्मिलित की जाएगी।

“अंतरण” और
“प्रतिसंहरणीय
अंतरण” की
परिभाषा।

98. धारा 96 और धारा 97 के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “अंतरण” के अधीन कोई भी व्यवस्थापन, न्यास, प्रसंविदा, करार या ठहराव है;

(ख) अंतरण के बारे में यह समझा जाएगा कि वह प्रतिसंहरणीय है यदि—

(i) उसमें संपूर्ण आय अथवा आस्तियों या उसके अथवा उनके किसी भाग का अंतरक को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पुनः अंतरण करने के लिए कोई उपबंध अन्तर्विष्ट है, या

(ii) वह किसी भी रूप में अंतरक की संपूर्ण आय अथवा आस्तियों या उसके अथवा उनके किसी भाग की बाबत शक्तियों को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः पुनः ग्रहण करने का अधिकार देता है;

व्यष्टि की आय
में पति या पत्नी,
अवयस्क संतान
आदि की आय का
भी सम्मिलित
होना।

99. (1) किसी व्यक्ति की कर वर्ष के लिए कुल आय में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होने वाली आय सम्मिलित होगी,—

(क) ऐसे व्यष्टि के पति या पत्नी को,—

(i) वेतन, कमीशन, फीस या किसी अन्य प्रकार के पारिश्रमिक के रूप में, चाहे नकद या वस्तु के रूप में, किसी ऐसी संस्था से जिसमें ऐसे व्यक्ति का पर्याप्त हित है, लेकिन इसमें केवल पति या पत्नी के तकनीकी या वृत्तिक ज्ञान, अनुभव और वृत्तिक अर्हता के उपयोग के कारण होने वाली आय सम्मिलित नहीं होगी;

(ii) ऐसे व्यक्ति द्वारा उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्याप्त प्रतिफल से भिन्न या धारा 25(क) के उपबंधों के अधीन अलग रहने के करार के संबंध में अंतरित आस्तियों से;

(ख) ऐसे व्यष्टि के पुत्र की पत्नी को 1 जून, 1973 को या उसके पश्चात् ऐसे व्यक्ति द्वारा, पर्याप्त प्रतिफल से भिन्न, उसे प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्ष रूप से अंतरित आस्तियों से;

(ग) ऐसे व्यष्टि के अवयस्क बालक को, लेकिन

(i) ऐसे बालक द्वारा किए गए शारीरिक कार्य के लेखे; या

(ii) ऐसे क्रियाकलापों से, जहां उसके कौशल, प्रतिभा, विशेष ज्ञान या अनुभव का उपयोग किया जाता है; या

(iii) जहां ऐसा अवयस्क बच्चा धारा 154 में निर्दिष्ट प्रकृति की निःशक्तता

से ग्रस्त है,

अवयस्क बालक को होने वाली या उपार्जित होने वाली आय उस व्यक्ति की कुल आय में सम्मिलित नहीं होगी।

(घ) ऐसे व्यष्टि द्वारा व्यक्ति या व्यक्तियों के संगम के लिए पर्याप्त प्रतिफल से भिन्न प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अंतरित आस्ति से ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के संगम को, उस विस्तार तक जिस तक ऐसी आस्ति से आय, यथास्थिति, उसके पति-पत्नी या उसके पुत्र की पत्नी को तुरंत या आस्थगित फायदे के लिए, 1 जून, 1973 से पहले अंतरित की गई से भिन्न आस्तियों को उस विस्तार तक जिस तक ऐसी आस्ति से आय उसके पुत्र की पत्नी को तुरंत या आस्थगित फायदे के लिए है, लागू नहीं होंगे।

(2) यदि उपधारा (1)(क)(i) या (ख) के अधीन अंतरित आस्ति को पति या पत्नी या पुत्र की पत्नी द्वारा किसी कारबार या फर्म में भागीदार के रूप में अभिदाय की गई प्रकृति की पूंजी में, या, यथास्थिति, किसी फर्म में भागीदारी के लाभों में सम्मिलित होने के लिए निवेश किया जाता है, तो, कर वर्ष के लिए व्यक्ति के पास सम्मिलित की जाने वाली आय निम्नानुसार होगी :—

$$क = ख \times (ग/घ)$$

जहां,—

क = कर वर्ष के लिए व्यक्ति के पास सम्मिलित की जाने वाली आय है;

ख = कर वर्ष के दौरान लागू कारबार या फर्म से पति या पत्नी या पुत्र की पत्नी को होने वाली आय या ब्याज या दोनों है;

ग = प्रथम कर वर्ष के पहले दिन पति या पत्नी या पुत्र की पत्नी द्वारा निवेशित या पूंजी के रूप में योगदान की गई ऐसी आस्तियों का मूल्य है;

घ = उस कर वर्ष के प्रथम दिन यथास्थिति, पति या पत्नी या पुत्र की पत्नी द्वारा को कुल निवेश या कुल पूंजी योगदान है।

(3) जहां किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाली कोई संपत्ति हिंदू अविभक्त कुटुंब की संपत्ति में परिवर्तित हो जाती है, जिसका वह सदस्य है, तो—

(क) ऐसी पृथक संपत्ति को परिवार की संपत्ति के स्वरूप में छापने का कार्य; या

(ख) उसे परिवार के साधारण स्टॉक में डालने का कार्य; या

(ग) पर्याप्त प्रतिफल के बिना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिवार को अंतरित करने का कार्य, तो ऐसे व्यक्ति की कुल आय की गणना करने के लिए इस अधिनियम या किसी अन्य लागू विधि के किसी अन्य उपबंध का विचार किए बिना,—

(i) व्यक्ति को ऐसी संपत्ति, परिवार के माध्यम से, ऐसे परिवार के सदस्यों को संयुक्त रूप से रखने के लिए अंतरित करने वाला माना जाएगा, और ऐसी संपत्ति या उसके भाग से प्राप्त आय, व्यक्ति की आय मानी जाएगी;

(ii) जहां इस प्रकार संपरिवर्तित संपत्ति परिवार के सदस्यों के मद्दे

परिवार के (चाहे आंशिक या कुल) बटवारे का विषय रही है, ऐसी संपत्ति से प्राप्त आय, जो निर्विलियन पर व्यक्ति के पति या पत्नी को प्राप्त होती है, पति या पत्नी को अप्रत्यक्ष रूप से अंतरित आस्तियों से उत्पन्न हुई मानी जाएगी और उपधारा (1) (क) के उपबंध लागू होंगे,

और खंड (i) और (ii) में निर्दिष्ट आय, व्यक्ति की कुल आय में सम्मिलित होने पर, परिवार और पति या पत्नी की कुल आय से बाहर कर दी जाएगी ।

(4) उपधारा (3) के उपबंध वहां लागू नहीं होंगे जहां व्यक्ति की संपत्ति 31 दिसम्बर, 1969 को या उससे पूर्व परिवार की संपत्ति में परिवर्तित हो गई हो ।

(5) इस धारा में,—

(क) उपधारा (1)(क)(i) के स्थान पर,—

(i) उस खंड में निर्दिष्ट आय पति या पत्नी में से किसी एक के हाथ में सम्मिलित की जाएगी, जिसकी ऐसे समावेशन से पूर्व कुल आय अधिक है; तथा

(ii) ऐसी आय, जो एक बार किसी कर वर्ष के लिए पति या पत्नी की कुल आय में सम्मिलित हो जाने के पश्चात्, किसी भी आगामी कर वर्ष के लिए दूसरे पति या पत्नी की आय में सम्मिलित नहीं की जाएगी, जब तक कि कर निर्धारण अधिकारी दूसरे पति या पत्नी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् संतुष्ट न हो जाए;

(iii) किसी व्यक्ति का “किसी समुत्थान में पर्याप्त हित” समझा जाएगा,—

(अ) जहां समुत्थान एक कंपनी है कंपनी के मामले में, यदि उसके शेयर (लाभांश की निश्चित दर के हकदार शेयर नहीं हैं, चाहे लाभ में भाग लेने के अतिरिक्त अधिकार के साथ या उसके बिना) जिनमें मतदान शक्ति का 20% से कम नहीं है, कर वर्ष के दौरान किसी भी समय, व्यक्ति द्वारा या उसके एक या अधिक रिश्तेदारों के साथ संयुक्त रूप से लाभकारी रूप से स्वामित्व में हैं;

(आ) किसी अन्य मामले में, यदि ऐसा व्यक्ति हकदार है, या ऐसा व्यक्ति और उसके एक या अधिक नातेदार संयुक्त रूप से हकदार हैं, तो कर वर्ष के दौरान किसी भी समय ऐसी संस्था के लाभ का कम से कम 20%;

(ख) उपधारा (1)(ग) के लिए, अवयस्क बालक की आय को सम्मिलित किया जाएगा—

(i) उस माता-पिता की आय में, जिसकी कुल आय ऐसे समावेशन से पहले अधिक है, यदि उसके माता-पिता का विवाह अस्तित्व में है; या

(ii) उस माता-पिता की आय में, जो कर वर्ष के दौरान ऐसे बालक का भरण-पोषण करता है, यदि उसके माता-पिता का विवाह अस्तित्व में नहीं है, और ऐसी आय, एक बार कर वर्ष के लिए माता-पिता में से किसी एक की कुल आय में सम्मिलित हो जाने के पश्चात्, किसी भी पश्चात् के कर वर्ष के लिए दूसरे

माता-पिता की आय में सम्मिलित नहीं की जाएगी, जब तक कि मूल्यांकन अधिकारी दूसरे माता-पिता को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् संतुष्ट न हो जाए;

(ग) उपधारा (3) के लिए, "संपत्ति" में सम्मिलित है—

(i) संपत्ति में हित; या

(ii) चल या अचल संपत्ति; या

(iii) ऐसी संपत्ति का विक्रय से प्राप्त आय और ऐसी आय का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई धन, संपत्ति या निवेश; या

(iv) जहां संपत्ति किसी भी विधि द्वारा किसी अन्य संपत्ति में परिवर्तित हो जाती है, ऐसी अन्य संपत्ति;

(घ) इस धारा के लिए "आय" में हानि सम्मिलित है ।

100. जहां किसी व्यक्ति की किसी आस्ति (संयुक्त रूप से धारित आस्ति सहित) से होने वाली आय, या किसी फर्म की सदस्यता से होने वाली आय, इस अध्याय के अधीन या धारा 25(क) के अधीन निर्धारिती की कुल आय में सम्मिलित की जाती है, तो किसी अन्य लागू विधि में निहित इसके विपरीत किसी भी बात का विचार किए बिना,—

(क) ऐसा व्यक्ति, जिसके नाम पर ऐसी आस्ति है या जो फर्म का सदस्य है, निर्धारिती पर उद्ग्रहीत कर जो इस प्रकार सम्मिलित आय के कारण है, के उस भाग का इस निमित्त कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मांग की सूचना की तामील पर संदाय करने के लिए दायी होगा;

(ख) जहां ऐसी कोई आस्ति एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से धारित है, वहां वे संयुक्त रूप से तथा पृथक रूप से ऐसे कर का संदाय करने के लिए दायी होंगे; और

(ग) अध्याय 19घ के उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।

अध्याय 6

आय का संकलन

101. किसी निर्धारिती की कुल आय की गणना करने में, वह समस्त आय सम्मिलित की जाएगी जिस पर अध्याय 17क-4 के अधीन कोई आय-कर देय नहीं है ।

102. (1) जहां कोई रकम किसी कर वर्ष के लिए रखी गई निर्धारिती की पुस्तकों में जमा की गई पाई जाती है, और—

(क) निर्धारिती ऐसे जमा की प्रकृति और स्रोत की बाबत कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है; या

(ख) निर्धारिती द्वारा ऐसी जमा की प्रकृति और स्रोत के बारे में दिया गया स्पष्टीकरण निर्धारण अधिकारी की राय में समाधानप्रद नहीं है,

वहां इस प्रकार जमा की गई रकम निर्धारिती की उस कर वर्ष की आय के रूप में आय-कर से प्रभारित की जाएगी ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, जहां इस प्रकार जमा की गई रकम, ऋण या उधार या किसी ऐसी रकम, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, से मिलकर बनी है, ऐसे

व्यक्ति का ऐसी आय की बाबत दायित्व जो अन्य व्यक्ति की आय में सम्मिलित है ।

कुल आय ।

अस्पष्टीकृत जमा ।

निर्धारिती द्वारा प्रस्तावित किसी स्पष्टीकरण को तब तक असमाधानप्रद नहीं समझा जाएगा, जब तक—

(क) ऐसा व्यक्ति, जिसके नाम में ऐसी जमा रकम को ऐसे निर्धारिती की बहियों में अभिलिखित नहीं किया गया है, इस प्रकार जमा की गई ऐसी रकम की प्रकृति और स्रोत के संबंध में किसी स्पष्टीकरण का प्रस्ताव नहीं करता है; और

(ख) उपधारा (1) में निर्दिष्ट निर्धारण अधिकारी की राय में ऐसा स्पष्टीकरण समाधानप्रद नहीं पाया गया है ।

(3) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, जहां निर्धारिती कोई कंपनी है (जो ऐसी कंपनी नहीं है, जिसमें जनता पर्याप्त रूप से हितबद्ध है) और इस प्रकार जमा की गई रकम में शेयर आवेदन धन, शेयर पूंजी, शेयर प्रीमियम या कोई ऐसी रकम, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, सम्मिलित है, वहां ऐसी निर्धारिती कंपनी द्वारा दिया गया कोई स्पष्टीकरण तब तक समाधानप्रद नहीं समझा जाएगा, जब तक,—

(क) वह व्यक्ति भी, जो ऐसा निवासी है जिसके नाम में ऐसी जमा रकम ऐसी कंपनी की बहियों में अभिलिखित की जाती है, इस प्रकार जमा कराई गई ऐसी रकम की प्रकृति और स्रोत के बारे में स्पष्टीकरण नहीं दे देता है; और

(ख) ऐसा स्पष्टीकरण जो निर्धारण अधिकारी की राय में समाधानप्रद नहीं पाया गया है ।

(4) उपधारा (2) और उपधारा (3) में अंतर्विष्ट कोई बात उस दशा में लागू नहीं होगी, यदि वह व्यक्ति, जिसके नाम में उन उपधाराओं में निर्दिष्ट रकम अभिलिखित की जाती है, अनुसूची 5 (सारणी: क्रम सं. 6) में यथानिर्दिष्ट कोई जोखिम पूंजी निधि या जोखिम पूंजी कंपनी है ।

अस्पष्टीकृत
विनिधान ।

103. जहां किसी कर वर्ष में, निर्धारिती ने ऐसे विनिधान किए हैं जो आय के किसी स्रोत के लिए ऐसे निर्धारिती द्वारा रखी गई लेखा-बही, यदि कोई हों, अभिलिखित नहीं है अथवा निर्धारण अधिकारी पाता है कि ऐसे विनिधान की रकम ऐसी लेखा पुस्तकों में अभिलिखित रकम से अधिक है जहां विनिधान अभिलिखित किए जाते हैं, और—

(क) निर्धारिती, यथास्थिति, उन विनिधानों या ऐसी अधिक रकम की प्रकृति और स्रोत की बाबत कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है; या

(ख) निर्धारिती द्वारा ऐसे विनिधान की प्रकृति और स्रोत के बारे में किया गया स्पष्टीकरण निर्धारण अधिकारी की राय में समाधानप्रद नहीं है,

वहां, यथास्थिति, उन विनिधानों के मूल्य या ऐसी अधिक रकम के बारे में यह समझा जा सकेगा कि वह निर्धारिती की ऐसे कर वर्ष की आय है ।

अस्पष्टीकृत
आस्ति ।

104. (1) जहां किसी कर वर्ष में यह पता लगता है कि निर्धारिती किसी आस्ति का स्वामी है या उससे संबंधित है जो किसी स्रोत से आय के लिए ऐसे निर्धारिती द्वारा रखी गई लेखा पुस्तकों में, यदि कोई हों, अभिलिखित नहीं है, अथवा निर्धारण अधिकारी पाता है कि ऐसी आस्ति अर्जित करने में विस्तारित रकम ऐसी लेखा पुस्तकों में अभिलिखित रकम से अधिक है जहां आस्ति अभिलिखित की जाती है, और निर्धारिती—

(क) यथास्थिति, ऐसी शास्ति को प्राप्त करने की प्रकृति और स्रोत या ऐसी

अधिक रकम की बाबत कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है; या

(ख) निर्धारिती द्वारा किया गया स्पष्टीकरण निर्धारण अधिकारी की राय में समाधानप्रद नहीं है,

वहां, ऐसी आस्ति का मूल्य, या ऐसी अतिरिक्त रकम, यथास्थिति, उस कर वर्ष की निर्धारिती की आय मानी जाएगी जिसमें ऐसी आस्ति निर्धारिती के स्वामित्व में या उससे संबंधित पाई गई है।

(2) इस धारा प्रयोजनों के लिए, “आस्ति” पद में धन, सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान चीज सम्मिलित हैं।

105. (1) जहां किसी कर वर्ष में किसी निर्धारिती ने कोई व्यय उपगत किया है, और—

अस्पष्टीकृत व्यय।

(क) निर्धारिती ऐसे व्यय या उसके भाग के स्रोत के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है; या

(ख) निर्धारिती द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण निर्धारण अधिकारी की राय में समाधानप्रद नहीं है,

वहां, ऐसे व्यय या उसके भाग के अधीन आने वाली रकम उस कर वर्ष के लिए निर्धारिती की आय समझी जाएगी।

(2) अधिनियम के किसी अन्य उपबंध का विचार किए बिना, उपधारा (1) में आय के रूप में मानी गई रकम को इस अधिनियम के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञेय नहीं दी जाएगी।

106. (1) जहां किसी व्यक्ति से बैंक पर लिखे गए पाने वाले के खाते में ही जमा हो सकने वाले चैक से भिन्न परक्राम्य लिखत पर कोई रकम (उस पर ब्याज सहित) या इस निमित्त बोर्ड द्वारा विहित रीति में उधार ली जाती है वहां इस प्रकार उधार ली गई या लौटाई गई पूर्वोक्त रकम उस कर वर्ष की जिसमें, यथास्थिति, ऐसी रकम उधार ली गई थी या लौटाई गई थी उधार लेने वाले या लौटाने वाले व्यक्ति की आय समझी जाएगी।

परक्राम्य लिखत, आदि द्वारा उधार ली गई या लौटाई गई रकम।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन उधार ली गई रकम किसी व्यक्ति की आय समझी गई है तो ऐसा व्यक्ति ऐसी रकम के लौटाने पर उस उपधारा के उपबंधों के अधीन ऐसी रकम की बाबत पुनः निर्धारण किए जाने का दायी नहीं होगा।

107. धारा 102, धारा 103, धारा 104, धारा 105 और धारा 106 में निर्दिष्ट आय धारा 195 के उपबंधों के अनुसार कर से प्रभारित होगी।

कर का प्रभार।

अध्याय 7

समंजन किया जाना या अग्रणीत किया जाना और हानि का समंजन किया जाना

108. (1) जब तक इस अधिनियम में अन्यथा उपबंध न किया गया हो, किसी कर वर्ष के लिए, यदि किसी आय शीर्ष (पूँजीगत लाभ से भिन्न) के अधीन किसी स्रोत से संगणित आय हानि है, तो ऐसी हानि को उस कर वर्ष के लिए उसी शीर्ष के अधीन किसी अन्य स्रोत से संगणित आय के विरुद्ध समंजन किया जा सकता है।

आय के समान शीर्ष के अधीन हानियों के प्रति समंजन किया जाना।

(2) जहां धारा 72 से 90 के अधीन किसी कर वर्ष के लिए की गई आय की गणना का शुद्ध परिणाम—

(क) कोई अल्पकालिक पूँजीगत आस्ति हानि है, तो ऐसी हानि उस वर्ष के

लिए किसी अन्य पूंजीगत आस्ति के संबंध में गणना की गई आय के विरुद्ध समंजित की जाएगी;

(ख) यदि कोई दीर्घकालिक पूंजीगत आस्ति हानि होती है, तो ऐसी हानि को उस वर्ष के लिए किसी अन्य दीर्घकालिक पूंजीगत आस्ति के संबंध में गणना की गई आय के विरुद्ध समंजित किया जाएगा।

आय के समान शीर्ष के अधीन हानियों के प्रति समंजन किया जाना।

109. (1) जब तक इस अधिनियम में अन्यथा उपबंध न किया गया हो, किसी कर वर्ष के लिए, यदि किसी आय शीर्ष (पूंजीगत लाभ को अपवर्जित करते हुए) के अधीन संगणित आय हानि है, तो ऐसी हानि को निर्धारिती की किसी अन्य शीर्ष के अधीन आय के विरुद्ध समंजन किया जाएगा, जिसमें पूंजीगत लाभ, यदि कोई हो, उस कर वर्ष के लिए कर योग्य है, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:—

(क) “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन हानि को “वेतन” शीर्ष के अधीन निर्धारणीय आय के विरुद्ध समंजन नहीं किया जाएगा; और

(ख) “गृह संपत्ति से आय” शीर्ष के अधीन हानि को किसी अन्य शीर्ष के अधीन आय के विरुद्ध दो लाख रुपए तक समंजन किया जाएगा।

(2) किसी कर वर्ष के लिए, “पूंजीगत लाभ” शीर्ष के अधीन हानि को किसी अन्य शीर्ष के अधीन आय के विरुद्ध समंजन नहीं किया जाएगा।

गृह संपत्ति से हानि को अग्रणीत करना और उसका समंजन करना।

110. जहां किसी कर वर्ष के लिए, “गृह संपत्ति से आय” शीर्ष के अधीन संगणित हानि को धारा 109 के अनुसार किसी अन्य शीर्ष के अधीन आय के विरुद्ध पूर्णतः समंजित नहीं किया जा सकता है, वहां इस प्रकार समंजित न की गई हानि का उतना भाग या संपूर्ण हानि, यथास्थिति, आगामी कर वर्ष में अग्रेषित किया जाएगा और—

(क) उस कर वर्ष के लिए कर योग्य गृह संपत्ति से आय, यदि कोई हो, के विरुद्ध ही समंजित किया जाएगा; तथा

(ख) यदि हानि को पूर्णतः समंजित नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में समंजित न की गई हानि की रकम को आगामी कर वर्ष में अग्रेषित किया जाएगा, इत्यादि।

(2) इस धारा के अधीन किसी हानि को उस कर वर्ष के तुरंत पश्चात् के आठ कर वर्षों से अधिक के लिए अग्रेषित नहीं किया जाएगा जिसके लिए हानि की पहली बार गणना की गई थी।

पूंजीगत लाभ से हानि को अग्रेषित करना और उसका समंजन करना।

111. (1) (क) जहां किसी कर वर्ष के लिए, “पूंजीगत लाभ” शीर्ष के अधीन संगणित हानि को धारा 108 के अनुसार “पूंजीगत लाभ” शीर्ष के अधीन आय के विरुद्ध पूर्णतः समंजित नहीं किया जा सकता है, वहां इस प्रकार समंजित न की गई हानि का उतना भाग या संपूर्ण हानि, यथास्थिति, आगामी कर वर्ष में अग्रेषित किया जाएगा और निम्नलिखित तरीके से समंजित किया जाएगा—

(i) यदि ऐसी हानि अल्पकालिक पूंजीगत आस्ति से संबंधित है, तो इसे केवल “पूंजीगत लाभ” शीर्ष के अधीन आय के विरुद्ध समंजित किया जाएगा, यदि कोई हो, जो किसी अन्य पूंजीगत आस्ति के संबंध में उस कर वर्ष के लिए कर योग्य

हो;

(ii) यदि ऐसी हानि किसी दीर्घकालिक पूंजीगत आस्ति से संबंधित है, तो उसे केवल "पूंजीगत लाभ" शीर्षक के अधीन आय के विरुद्ध समंजित किया जाएगा, यदि कोई हो, जो किसी अन्य दीर्घकालिक पूंजीगत आस्ति के संबंध में उस कर वर्ष के लिए करयोग्य हो; और

(ख) यदि उप-खण्ड (i) और (ii) के अनुसार हानि को पूर्णतः समंजित नहीं किया जा सकता है, तो इस प्रकार समंजित न की गई हानि की रकम को आगामी कर वर्ष में और इसी प्रकार आगे भी, अग्रेषित किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किसी हानि को उस कर वर्ष के तुरंत पश्चात् के आठ कर वर्षों से अधिक के लिए अग्रेषित नहीं किया जाएगा जिसके लिए हानि की पहली बार गणना की गई थी ।

112. (1) जहां किसी कर वर्ष के लिए, "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन संगणित हानि (जो सट्टे के कारोबार में हुई हानि नहीं है) को धारा 109 के अनुसार किसी अन्य शीर्ष के अधीन आय के विरुद्ध पूर्णतः समंजित नहीं किया जा सकता है, वहां इस प्रकार समंजित न की गई हानि का उतना भाग या संपूर्ण हानि, यथास्थिति, आगामी कर वर्ष में अग्रेषित किया जाएगा और—

कारबारिक हानि को अग्रेषित करना और उसका समंजन करना ।

(i) उस कर वर्ष के लिए उसके द्वारा किए गए किसी कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ, यदि कोई हो, के विरुद्ध समंजित किया जाएगा; और

(ii) यदि हानि को पूर्णतः समंजित नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में समंजित न की गई हानि की रकम को आगामी कर वर्ष में अग्रेषित किया जाएगा, इत्यादि।

(2) इस धारा के अधीन किसी हानि को उस कर वर्ष के तुरंत पश्चात् के आठ कर वर्षों से अधिक के लिए अग्रेषित नहीं किया जाएगा जिसके लिए हानि की पहली बार गणना की गई थी।

(3) जहां धारा 33(11) या 45(7) के अधीन उसके किसी भाग का भत्ता अग्रेषित किया जाना है, वहां पहले इस धारा के उपबंध को प्रभावी किया जाएगा।

113. (1) निर्धारित द्वारा किए गए सट्टा कारोबार के संबंध में गणना की गई कोई हानि केवल किसी अन्य सट्टा कारोबार के लाभ और अभिलाभ के विरुद्ध समंजित की जाएगी।

सट्टा कारोबार के संबंध में संगणित हानि को समंजन करना और अग्रेषित करना ।

(2) जहां किसी कर वर्ष के लिए, सट्टा कारोबार के संबंध में गणना की गई हानि को उपधारा (1) के अधीन पूर्णतः समंजित नहीं किया जा सकता है, वहां इस प्रकार समंजित न की गई हानि का उतना भाग या संपूर्ण हानि, यथास्थिति, आगामी कर वर्ष में अग्रेषित किया जाएगा और—

(i) ऐसे कर वर्ष के लिए उसके द्वारा किए गए किसी सट्टा कारोबार के लाभ और अभिलाभ, यदि कोई हो, के विरुद्ध समंजित किया जाएगा; और

(ii) यदि हानि को पूर्णतः समंजित नहीं किया जा सकता है, तो इस प्रकार समंजित न की गई हानि की रकम को आगामी कर वर्ष में अग्रेषित किया जाएगा

और इस प्रकार समंजित किया जाएगा।

(3) इस धारा के अधीन किसी हानि को उस कर वर्ष के तुरंत पश्चात् के चार कर वर्षों से अधिक के लिए अग्रेषित नहीं किया जाएगा जिसके लिए हानि की पहली बार गणना की गई थी।

(4) जहां धारा 33(11) या 45(7) के अधीन सट्टा कारोबार से संबंधित उसके किसी भाग को अग्रेषित करना हो, वहां पहले इस धारा के उपबंध को प्रभाव दिया जाएगा।

(5) इस धारा में, जहां निर्धारिती (जो कि एक कंपनी है) के कारोबार का कोई भाग अन्य कंपनियों के शेयरों के क्रय और विक्रय से बना है, वहां निर्धारिती को सट्टा कारोबार करने वाला समझा जाएगा, उस सीमा तक जहां तक उसके कारोबार में ऐसे शेयरों के क्रय और विक्रय सम्मिलित है।

(6) उपधारा (5) के उपबंध किसी ऐसे निर्धारिती पर लागू नहीं होंगे, जो कंपनी है, यदि—

(क) इसकी सकल कुल आय में मुख्य रूप से वह आय सम्मिलित है जो "गृह संपत्ति से आय", "पूँजीगत लाभ" या "अन्य स्रोतों से आय" शीर्षकों के अधीन प्रभाष्य है; या

(ख) इसका मुख्य कारबार शेयरों का व्यापार या बैंकिंग या ऋण और अग्रिम प्रदान करना है।

विनिर्दिष्ट कारबार के संबंध में संगणित हानि को समंजन करना तथा अग्रेषित करना ।

114. (1) धारा 46 में निर्दिष्ट किसी विनिर्दिष्ट कारबार के संबंध में संगणित कोई हानि, केवल किसी अन्य विनिर्दिष्ट कारबार के लाभ और अभिलाभ के विरुद्ध समंजित की जाएगी।

(2) जहां किसी कर वर्ष के लिए, किसी निर्दिष्ट कारबार के संबंध में गणना की गई हानि को उपधारा (1) के अधीन पूरी तरह से समंजित नहीं किया जा सकता है, इस प्रकार समंजित न की गई हानि या पूरी हानि, यथास्थिति, अगले कर वर्ष में अग्रेषित किया जाएगा; और

(i) ऐसे कर वर्ष के लिए उसके द्वारा किए गए किसी निर्दिष्ट कारबार के लाभ और लाभ, यदि कोई हो, के विरुद्ध समंजित किया जाएगा, और

(ii) यदि हानि को पूर्णतः समंजित नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में समंजित न की गई हानि की रकम को आगामी कर वर्ष में अग्रेषित किया जाएगा, इत्यादि।

विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप से होने वाले हानि को समंजन करना तथा अग्रेषित करना ।

115. (1) किसी भी कर वर्ष में निर्दिष्ट क्रियाकलाप में निर्धारिती द्वारा उठाई गई किसी भी हानि को केवल निर्दिष्ट क्रियाकलाप से आय के विरुद्ध समंजित किया जाएगा।

(2) जहां किसी कर वर्ष के लिए, किसी निर्दिष्ट क्रियाकलाप के संबंध में गणना की गई हानि को उपधारा (1) के अधीन पूरी तरह से समंजित नहीं किया जा सकता है, इस प्रकार समंजित न की गई हानि या पूरी हानि, यथास्थिति, अगले कर वर्ष में अग्रेषित किया जाएगा और—

(i) ऐसे कर वर्ष के लिए उसके द्वारा की गई निर्दिष्ट क्रियाकलाप से होने

वाली आय, यदि कोई हो, के विरुद्ध समंजित किया जाएगा; और

(ii) यदि हानि को पूर्णतः समंजित नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में समंजित न की गई हानि की रकम को आगामी कर वर्ष में अग्रेषित किया जाएगा, इत्यादि।

(3) इस धारा के अधीन किसी हानि को उस कर वर्ष के तुरंत पश्चात् के चार कर वर्षों से अधिक के लिए अग्रेषित नहीं किया जाएगा जिसके लिए हानि की पहली बार गणना की गई थी।

(4) इस धारा में—

(क) "घुड़दौड़" से ऐसी घुड़दौड़ अभिप्रेत है जिस पर विधिक रूप से बाजी या दांव लगाया जा सकता है;

(ख) "बाजी धन के रूप में आय" से अभिप्राय है, घुड़दौड़ में किसी घोड़े या घोड़ों पर उसके स्वामी द्वारा प्राप्त पुरस्कार धन की सकल रकम, जो घोड़े या घोड़ों या घोड़ों में से किसी एक या अधिक द्वारा घुड़दौड़ में कोई विशेष स्थान जीतने के कारण प्राप्त होती है;

(ग) "निर्धारिती द्वारा निर्दिष्ट क्रियाकलाप में उपगत हानि" से वह रकम अभिप्रेत है जिससे दांव के रूप में प्राप्त आय, यदि कोई हो, व्यय से कम हो जाती है, जो पूंजीगत व्यय नहीं है, तथा जो पूर्णतः और अनन्य रूप से घुड़दौड़ के घोड़ों के रखरखाव के लिए किया जाता है;

(घ) "रेस के घोड़े" से अभिप्राय है, घुड़दौड़ में दौड़ने के लिए निर्धारिती के स्वामित्व में तथा उसके द्वारा अनुरक्षित घोड़े;

(ङ) "विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप" से घुड़दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव के क्रियाकलाप अभिप्रेत है;

116. (1) जहां निम्नलिखित का समामेलन हुआ है,—

(क) औद्योगिक उपक्रम या पोत या होटल के स्वामित्व वाली कंपनी का किसी अन्य कंपनी के साथ; या

(ख) बैंकारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5(ग) में निर्दिष्ट बैंकिंग कंपनी का किसी विनिर्दिष्ट बैंक के साथ; या

(ग) एक या अधिक पब्लिक सेक्टर कंपनी का एक या अधिक अन्य पब्लिक सेक्टर कंपनी के साथ समामेलन; या

(घ) एक या अधिक कंपनी या कंपनियों के साथ एक तत्कालीन पब्लिक सेक्टर कंपनी, यदि सामरिक अपविनिधान के अधीन किया गया शेयर क्रय करार उक्त पब्लिक सेक्टर कंपनी के तत्काल समामेलन को निर्बंधित करता है और समामेलन उस कर वर्ष की समाप्ति से पांच वर्ष के भीतर किया जाता है जिसमें शेयर क्रय करार में समामेलन पर निर्बंध समाप्त होता है,

तो, इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी भी बात का विचार किए बिना, समामेलन करने वाली कंपनी की संचित हानि और शेष अवक्षयण को उस कर वर्ष के लिए एकीकृत कंपनी की हानि या शेष अवक्षयण के लिए मोक माना जाएगा जिसमें समामेलन किया गया था, और हानि के समंजन और अग्रेषित करने तथा अवक्षयण के लिए मोक से संबंधित इस अधिनियम के

समामेलन या
निर्विलियन आदि
में संचित हानि
और शेष
अवक्षयण का
उपचार ।

अन्य उपबंध तदनुसार लागू होंगे।

(2) उपधारा (1)(घ) में निर्दिष्ट समामेलन के मामले में, समामेलक कंपनी की संचित हानि और शेष अवक्षयण, जिसे समामेलित कंपनी की हानि या, यथास्थिति, शेष अवक्षयण माना जाता है, उस तारीख को पब्लिक सेक्टर कंपनी की संचित हानि और शेष अवक्षयण से अधिक नहीं होगी, जिस तारीख को वह ऐसे सामरिक अपविनिधान के कारण पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं रह जाती है।

(3) उपधारा (1)(घ) के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "नियंत्रण" का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(27) में उसका है;

2013 का 18

(ख) "तत्कालीन पब्लिक सेक्टर कंपनी" से ऐसी कंपनी जो पहले के कर वर्षों में पब्लिक सेक्टर कंपनी थी और सरकार द्वारा सामरिक अपविनिधान के कारण अब ऐसी नहीं रह गई है, अभिप्रेत है;

(ग) (i) "सामरिक अपविनिधान" से केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी द्वारा किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी या किसी कंपनी में शेयरधारिता का विक्रय, जिसके परिणामस्वरूप—

(अ) इसकी शेयरधारिता 51% से कम हो जाती है; और

(आ) क्रेता को नियंत्रण का अंतरण हो जाता है, अभिप्रेत है;

(ii) खंड (ग)(i)(अ) के लिए, शेयरधारिता में कमी केवल तभी लागू होगी जब शेयरधारिता का विक्रय से पहले केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर कंपनी की शेयरधारिता 51% से अधिक हो गई हो;

(iii) खंड (ग)(i)(आ) में निर्दिष्ट नियंत्रण का अंतरण केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर कंपनी या उनमें से किसी दो या सभी द्वारा किया जा सकता है।

(4) उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) में अंतर्विष्ट किसी भी बात का विचार किए बिना, संचित हानि को समंजन या अग्रेषित नहीं किया जाएगा और समामेलित कंपनी के मूल्यांकन में शेष अवक्षयण अनुज्ञात नहीं की जाएगी, जब तक कि,—

(क) समामेलित करने वाली कंपनी—

(i) उस कारबार में लगी हुई है, जिसमें संचित हानि हुई है या अवक्षयण शेष है, तीन या अधिक वर्षों के लिए;

(ii) समामेलन की तारीख को, समामेलन की तारीख से दो साल पहले अपने द्वारा धारित अचल संपत्तियों के बही मूल्य का कम से कम तीन-चौथाई लगातार धारण किया है;

(ख) समामेलित कंपनी—

(i) समामेलन की तारीख से कम से कम पांच वर्षों तक समामेलन की स्कीम में अर्जित समामेलन करने वाली कंपनी की अचल संपत्तियों के बही मूल्य का कम से कम तीन-चौथाई भाग लगातार अपने पास रखती है;

(ii) समामेलन करने वाली कंपनी का कारोबार समामेलन की तारीख से कम

से कम पांच वर्षों तक जारी रखती है; और

(iii) समामेलन करने वाली कंपनी के कारोबार के पुनरुद्धार को सुनिश्चित करने के लिए या यह सुनिश्चित करने के लिए कि समामेलन वास्तविक कारोबारी उद्देश्य के लिए है, विहित की जा सकने वाली अन्य शर्तों को पूरा करती है।

(5) यदि उपधारा (4) में विहित किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो समामेलित कंपनी के पास किसी भी कर वर्ष में की गई हानि या अवक्षयण के मोक का समंजन उस वर्ष के लिए कर योग्य समामेलित कंपनी की आय के रूप में माना जाएगा जिसमें अननुपालन होता है।

(6) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी भी बात का विचार किए बिना, निर्विलियन की स्थिति में, निर्विलियन की गई कंपनी की संचित हानि और शेष अवक्षयण के लिए मोक,—

(क) यदि परिणामी कंपनी को अंतरित उपक्रमों से सीधे संबंधित है, तो परिणामी कंपनी के पास अग्रेषण और समंजन अनुज्ञात किया जाएगा;

(ख) यदि परिणामी कंपनी को अंतरित उपक्रमों से सीधे संबंधित नहीं है, तो निर्विलियन की गई कंपनी और परिणामी कंपनी के बीच उसी अनुपात में निर्विलियन किया जाएगा जिसमें उपक्रमों की आस्तियों को निर्विलियन की गई कंपनी द्वारा बनाए रखा गया है और परिणामी कंपनी को अंतरित किया गया है, और निर्विलियन की गई कंपनी या परिणामी कंपनी के पास अग्रेषित करने और समंजन करने की यथा लागू अनुज्ञेय दी जाएगी।

(7) केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तों को निर्दिष्ट कर सकती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निर्विलियन वास्तविक कारोबारिक उद्देश्यों के लिए है।

(8) यदि कोई कारबार पुनर्गठित हुआ है, जहां किसी फर्म का स्थान धारा 70(1)(यघ) में दी गई शर्तों को पूरा करने वाली कंपनी द्वारा लिया जाता है या किसी स्वायत्त समुत्थान का स्थान धारा 70(1)(यच) में दी गई शर्तों को पूरा करने वाली कंपनी द्वारा लिया जाता है, तो इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात का विचार किए बिना, पूर्ववर्ती फर्म या स्वायत्त समुत्थान की संचित हानि और शेष अवक्षयण को उस कर वर्ष के लिए, जिसमें कारबार पुनर्गठन किया गया था, उत्तरवर्ती कंपनी की हानि या अवक्षयण मोक माना जाएगा और हानि समंजन करने और अग्रेषित करने तथा अवक्षयण मोक से संबंधित इस अधिनियम के अन्य उपबंध, उपधारा (9) के उपबंधों के अधीन रहते हुए तदनुसार लागू होंगे।

(9) यदि, यथास्थिति, धारा 70(1)(यघ) या (यच) में अधिकथित किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो उत्तराधिकारी कंपनी के पास किसी भी कर वर्ष में किए गए हानि या अवक्षयण मोक का समंजन, उस वर्ष में कर के लिए देय कंपनी की आय मानी जाएगी जिसमें अननुपालन होता है।

(10) यदि कारबार का पुनर्गठन हुआ है, जिसके अधीन एक निजी कंपनी या असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी को धारा 70(1)(यड) में विहित शर्तों को पूरा करने वाली सीमित देयता भागीदारी द्वारा सफल बनाया जाता है, तो, इस अधिनियम के किसी भी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी भी बात का विचार किए बिना, पूर्ववर्ती कंपनी की संचित हानि और शेष अवक्षयण, उस कर वर्ष के लिए उत्तराधिकारी सीमित देयता भागीदारी की हानि या अवक्षयण के

लिए मोक माना जाएगा जिसमें कारबार पुनर्गठन किया गया था और इस अधिनियम के अन्य उपबंध हानि के समंजन और अग्रेषित करने और अवक्षयण के लिए मोक से संबंधित हैं, उपधारा (11) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, तदनुसार लागू होंगे।

(11) यदि धारा 70(1)(यड) में अधिकथित किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो उत्तराधिकारी सीमित देयता भागीदारी के पास किसी भी कर वर्ष में किए गए हानि या अवक्षयण के मोक का समंजन, उस वर्ष में कर के लिए प्रभार्य सीमित देयता भागीदारी की आय मानी जाएगी जिसमें अननुपालन होता है।

(12) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी समामेलन या उपधारा (8) या उपधारा (10) में विनिर्दिष्ट कारबार के पुनर्गठन के लिए 1 अप्रैल, 2025 को या उसके पश्चात्, पूर्ववर्ती इकाई की संचित हानि का भाग बनने वाली कोई भी हानि, जो कि—

- (i) समामेलित कंपनी है; या
- (ii) फर्म या स्वायत्त समुत्थान; या
- (iii) निजी कंपनी या असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी,

यथास्थिति, जिसे उत्तराधिकारी इकाई की हानि माना जाता है, जो कि—

- (क) समामेलित कंपनी है; या
- (ख) उत्तराधिकारी कंपनी है; या
- (ग) उत्तराधिकारी सीमित दायित्व भागीदारी,

यथास्थिति, उस कर वर्ष के तुरंत पश्चात् आठ कर वर्षों से अधिक के लिए अग्रेषित नहीं किया जाएगा जिसके लिए मूल पूर्ववर्ती इकाई के लिए ऐसी हानि की पहली बार गणना की गई थी।

(13) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "संचित हानि" से पूर्ववर्ती फर्म या स्वायत्त समुत्थान या निजी कंपनी या असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी की सीमित दायित्व भागीदारी या समामेलक कंपनी या विघटित कंपनी में संपरिवर्तन से पहले की हानि का उतना भाग अभिप्रेत है, जो "कारोबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" (सट्टेबाज़ी के कारोबार में हानि को अपवर्जित करते हुए) शीर्ष के अधीन है, जो धारा 112 के अधीन ऐसी पूर्ववर्ती इकाई को अग्रेषित करने और समंजन करने के लिए पात्र होता, यदि कारोबार का पुनर्गठन या संपरिवर्तन या समामेलन या निर्विलियन नहीं हुआ होता।

(ख) "औद्योगिक उपक्रम" से कोई ऐसा उपक्रम अभिप्रेत है जो निम्नलिखित में लगा हुआ है—

- (i) माल का विनिर्माण या प्रसंस्करण; या
- (ii) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का विनिर्माण; या
- (iii) विद्युत या किसी अन्य प्रकार की शक्ति के उत्पादन या वितरण का कारबार; या

(iv) दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने का कारबार, चाहे बुनियादी हो या सेलुलर, जिसमें रेडियो पेजिंग, घरेलू उपग्रह सेवा, ट्रंकिंग का नेटवर्क, ब्रॉडबैंड नेटवर्क और इंटरनेट सेवाएं सम्मिलित हैं; या

- (v) खनन; या

(vi) पोतों, वायुयानों या रेल प्रणालियों का संनिर्माण;

(ग) "मूल पूर्ववर्ती इकाई" से यथास्थिति, उपधारा (1) के लिए पहले समामेलन या उपधारा (8) और उपधारा (10) के लिए पहले कारबार पुनर्गठन के संबंध में पूर्ववर्ती इकाई अभिप्रेत है।

1955 का 23

1970 का 5

1980 का 40

(घ) "विनिर्दिष्ट बैंक" से भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक या बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 के अधीन गठित तत्स्थानी नया बैंक या बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 3 के अधीन गठित तत्स्थानी नया बैंक, अभिप्रेत है;

(ङ) "शेष अवक्षयण" से पूर्ववर्ती फर्म या स्वायत्त समुत्थान या निजी कंपनी या असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी के सीमित दायित्व भागीदारी या समामेलित कंपनी या निर्विलियत कंपनी में संपरिवर्तन से पूर्व अवक्षयण के लिए मोक के आधिक्य से है, जिसे अनुज्ञात किया जाना शेष है और जिसे इस अधिनियम के अधीन ऐसी पूर्ववर्ती इकाई को अनुज्ञात किया गया होता, यदि कारबार का पुनर्गठन या संपरिवर्तन या समामेलन या निर्विलयन नहीं हुआ होता, अभिप्रेत है।

117. (1) धारा 2(6)(क) से (ग) या धारा 116 में अंतर्विष्ट किसी भी बात का विचार किए बिना, जहां निम्नलिखित का समामेलन हुआ है,—

(क) एक या एक से अधिक बैंकिंग कंपनी के साथ—

1949 का 10

(i) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45(7) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत और लागू की गई स्कीम के अधीन कोई अन्य बैंकिंग संस्था; या

(ii) सामरिक अपविनिधान के पश्चात् कोई अन्य बैंकिंग संस्था या कंपनी, जिसमें समामेलन उस कर वर्ष के अंत से पांच वर्ष के भीतर होता है जिसके दौरान ऐसा अपविनिधान किया जाता है; या

1970 का 5

1980 का 40

(ख) बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 या बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 या दोनों के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा लागू की गई स्कीम के अधीन किसी अन्य तत्स्थानी नए बैंक के साथ एक या अधिक तत्स्थानी नए बैंक या बैंक; या

1972 का 57

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 16 के अधीन स्वीकृत और प्रवृत्त किसी स्कीम के अधीन किसी अन्य सरकारी कंपनी के साथ एक या अधिक सरकारी कंपनी या कंपनियां,

ऐसी बैंकिंग कंपनी या कंपनियां या समामेलित होने वाले तत्स्थानी नए बैंक या बैंकों या समामेलित होने वाली सरकारी कंपनी या कंपनियों की संचित हानि और शेष अवक्षयण, उस कर वर्ष के लिए बैंकिंग संस्था या कंपनी या समामेलित तत्स्थानी नए बैंक या समामेलित सरकारी कंपनी की हानि या अवक्षयण मोक मानी जाएगी, जिसमें समामेलन की स्कीम प्रवृत्त की गई थी और हानि समंजन करने और अग्रेषित करने तथा अवक्षयण मोक से सम्बन्धित इस अधिनियम के अन्य उपबंध तदनुसार लागू होंगे।

(2) जहां उपधारा (1) में यथा निर्दिष्ट ऐसी समामेलन की कोई स्कीम 1 अप्रैल, 2025 को या उसके पश्चात् प्रवृत्त की जाती है, वहां पूर्ववर्ती इकाई की संचित हानि का भाग बनने वाली कोई

कतिपय मामलों में समामेलन स्कीम में संचित हानि और शेष अवक्षयण का उपचार।

हानि, जो—

- (i) बैंकिंग कंपनी या कंपनियां हैं; या
- (ii) समामेलित होने वाला तत्स्थानी नया बैंक या बैंक हैं; या
- (iii) समामेलित सरकारी कंपनी या कंपनियाँ, यथास्थिति, जिसे उत्तराधिकारी इकाई की हानि माना जाता है, जो कि—

(क) बैंकिंग संस्था या कंपनी है; या

(ख) समामेलित तत्स्थानी नया बैंक या बैंक; या

(ग) समामेलित सरकारी कंपनी या कंपनियाँ, यथास्थिति, उत्तराधिकारी इकाई के पास कर वर्ष के तुरंत पश्चात् आठ कर वर्षों से अधिक नहीं के लिए अग्रेषित की जाएगी, जिसके लिए मूल पूर्ववर्ती इकाई के लिए ऐसी हानि की पहली बार गणना की गई थी।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, —

(क) "संचित हानि" से समामेलित बैंकिंग कंपनी या कंपनियों या समामेलित तत्स्थानी नए बैंक या बैंकों या समामेलित सरकारी कंपनी या कंपनियों की "कारोबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" (सट्टेबाज़ी के कारोबार की हानि को अपवर्जित करते हुए) शीर्ष के अधीन इतनी हानि है, जिसे ऐसी पूर्ववर्ती इकाई धारा 112 के अधीन अग्रेषित करने और समंजन करने की हकदार होतीं, यदि समामेलन नहीं हुआ होता, अभिप्रेत है;

(ख) "बैंकिंग कंपनी" का वही अर्थ होगा जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5(ग) में उसका है;

1949 का 10

(ग) "बैंकिंग संस्थान" का वही अर्थ होगा जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45(15) में उसका है;

1949 का 10

(घ) "तत्स्थानी नया बैंक" का वही अर्थ होगा जो बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 2(घ) अथवा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 2(ख) में उसका है;

1970 का 5

1980 का 40

(ङ) "साधारण बीमा कारबार" का वही अर्थ होगा जो साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 3(छ) में उसका है;

1972 का 57

(च) "सरकारी कंपनी" से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में परिभाषित सरकारी कंपनी, जो साधारण बीमा कारबार में लगी हो और साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 4 या धारा 5 या धारा 16 के अधीन स्थापित हो, अभिप्रेत है;

2013 का 18

1972 का 57

(छ) "मूल पूर्ववर्ती इकाई" से प्रथम समामेलन के संबंध में पूर्ववर्ती इकाई, अभिप्रेत है;

(ज) "सामरिक अपविनिधान" का अर्थ होगा, जो धारा 116(3)(ग)(i) में उसका है;

(झ) "शेष अवक्षयण" से समामेलित बैंकिंग कंपनी या कंपनियों या समामेलित करने वाले तत्स्थानी नए बैंक या बैंकों या समामेलित करने वाली सरकारी कंपनी या कंपनियों के अवक्षयण के लिए मोक, जो कि अनुज्ञात किया जाना शेष है और जो समामेलन न होने की स्थिति में ऐसी पूर्ववर्ती इकाई को अनुज्ञात किया गया होता, अभिप्रेत है।

118. (1) निर्धारिती, जो उत्तराधिकारी सहकारी बैंक है, को, उस स्थिति में, जहां समामेलन पूर्व वर्ष के दौरान हुआ है, पूर्ववर्ती सहकारी बैंक की संचित हानि और शेष अवक्षयण, यदि कोई हो, को इस प्रकार समंजित करने की अनुमति दी जाएगी मानो समामेलन न हुआ हो, और हानि समंजित करने और अग्रेषित करने तथा अवक्षयण के लिए मोक से संबंधित इस अधिनियम के अन्य सभी उपबंध तदनुसार लागू होंगे।

सहकारी बैंकों के कारबार पुनर्गठन में हानि और शेष अवक्षयण को अग्रेषित करना और समंजन करना ।

(2) सहकारी बैंक के मामले में, जहां कर वर्ष के दौरान निर्विलियन होता है, और जहां संचित कारबारिक हानि या शेष अवक्षयण—

(क) सीधे अंतरित उपक्रम से संबंधित है, ऐसी पूरी हानि और शेष अवक्षयण को परिणामी सहकारी बैंक की आय के विरुद्ध अग्रेषण और समंजन अनुज्ञात किया जाएगा; और

(ख) अंतरित उपक्रम से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है, तो ऐसी हानि और शेष अवक्षयण को पहले निर्विलियत सहकारी बैंक और परिणामी सहकारी बैंक के बीच उसी अनुपात में निर्विलियत किया जाएगा, जिसमें उपक्रम की आस्तियां निर्विलियत सहकारी बैंक और परिणामी सहकारी बैंक के बीच वितरित की जाती हैं, और उन्हें उनकी संबंधित आय के विरुद्ध अग्रेषण और समंजन अनुज्ञात किया जाएगा ।

(3) इस धारा के उपबंध लागू होंगे, यदि—

(क) पूर्ववर्ती सहकारी बैंक—

(i) तीन या अधिक वर्षों से बैंकिंग के कारबार में लगा हुआ है; और

(ii) कारबार पुनर्गठन की तारीख से पहले दो वर्षों तक लगातार, कारबार पुनर्गठन की तारीख को अचल आस्तियों के बही मूल्य का कम से कम तीन-चौथाई भाग रखता है;

(ख) उत्तरवर्ती सहकारी बैंक—

(i) पूर्ववर्ती सहकारी बैंक की कारबार पुनर्गठन के माध्यम से अर्जित अचल आस्तियों के बही मूल्य का कम से कम तीन-चौथाई भाग, कारबार पुनर्गठन की तारीख से तत्काल पश्चात् पांच वर्ष की न्यूनतम अवधि तक लगातार धारण करता है;

(ii) पूर्ववर्ती सहकारी बैंक के कारबार को कारबार पुनर्गठन की तारीख से पांच वर्ष की न्यूनतम अवधि तक जारी रखता है; तथा

(iii) पूर्ववर्ती सहकारी बैंक के कारबार के पुनरुद्धार को सुनिश्चित करने के लिए या यह सुनिश्चित करने के लिए कि कारबार पुनर्गठन वास्तविक कारबारिक प्रयोजन के लिए है, ऐसी अन्य शर्तों को पूरा करता है, जो विहित की जाएं ।

(4) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह सुनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि विनिर्दिष्ट कारबार पुनर्गठन वास्तविक कारबारिक प्रयोजनों के लिए है, उपधारा (3)(ख) (iii) में निर्दिष्ट शर्त से भिन्न ऐसी अन्य शर्तें विनिर्दिष्ट कर सकती है, जिन्हें वह आवश्यक समझे ।

(5) ऐसे मामले में जहां उपधारा (3) या उपधारा (4) में निर्दिष्ट किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं किया जाता है, उत्तरवर्ती सहकारी बैंक के पास किसी भी कर वर्ष में किए गए संचित कारबार हानि या शेष अवक्षयण का समंजन, उस वर्ष के लिए उत्तरवर्ती सहकारी बैंक की कर योग्य आय मानी जाएगी जिसमें ऐसी शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाता है ।

(6) कर वर्ष के प्रारंभ से प्रारंभ होने वाली और कारबार पुनर्गठन की तारीख से अव्यवहित

पूर्व की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि, और ऐसे कारबार पुनर्गठन की तारीख से प्रारंभ होने वाली और कर वर्ष के साथ समाप्त होने वाली अवधि, समंजन और हानि को अग्रेषित करने तथा अवक्षयण मोक के प्रयोजनों के लिए दो अलग-अलग कर वर्ष मानी जाएगी ।

(7) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "संचित हानि" से धारा 112 में निर्दिष्ट समामेलित सहकारी बैंक या विलियित सहकारी बैंक की पूर्ववर्ती सहकारी बैंक के पास हुई हानि का उतना भाग अभिप्रेत है, जिसे ऐसा पूर्ववर्ती सहकारी बैंक उक्त धारा के अधीन अग्रेषित करने और समंजन करने का हकदार होता, मानो कारबार पुनर्गठन न हुआ हो;

(ख) "समामेलित सहकारी बैंक", "समामेलित सहकारी बैंक", "समामेलन", "कारबार पुनर्गठन", "सहकारी बैंक", "विलियित सहकारी बैंक", "निर्विलयन", "पूर्ववर्ती सहकारी बैंक", "उत्तरवर्ती सहकारी बैंक" और "परिणामी सहकारी बैंक" के वही अर्थ होंगे, जो क्रमशः धारा 65 में हैं;

(ग) "शेष अवक्षयण" से समामेलित सहकारी बैंक या अविलयित सहकारी बैंक के हाथ में अवक्षयण मोक की वह रकम अभिप्रेत है, जो अनुज्ञात किया जाना शेष है और जो ऐसे बैंकों को अनुज्ञात की गई होती, यदि कारबार पुनर्गठन नहीं हुआ होता ।

कतिपय मामलों में हानि को अग्रेषित करना और समंजन करना अनुज्ञेय नहीं है ।

119. (1) किसी कर वर्ष के दौरान फर्म के गठन में परिवर्तन की स्थिति में, इस अध्याय की कोई बात फर्म को सेवानिवृत्त या मृत साझेदार के हिस्से के अनुपात में उतनी हानि को अग्रेषित करने और समंजित करने का अधिकार नहीं देगी, जो कर वर्ष के संबंध में फर्म में उसके लाभ के हिस्से, यदि कोई हो, से अधिक हो ।

(2) यदि कोई व्यक्ति कोई कारबार या वृत्ति करता है, तो उत्तराधिकार से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसी क्षमता में उत्तराधिकारी बनाया गया है, तो इस अध्याय में कतिपय भी हानि उठाने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को इसे अग्रेषित करने और अपनी आय के विरुद्ध समंजन करने का अधिकार नहीं देगा ।

(3) इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात पर ध्यान दिए बिना, किसी कंपनी (जो ऐसी कंपनी नहीं है जिसमें जनता का सारभूत हित है) के कर वर्ष के दौरान शेयरधारिता में परिवर्तन होने की स्थिति में,—

(क) कर वर्ष से पूर्व किसी वर्ष में हुई हानि को कर वर्ष की आय के विरुद्ध अग्रेषित नहीं किया जाएगा और समंजित नहीं किया जाएगा, जब तक कि कर वर्ष के अंतिम दिन कंपनी के कम से कम पचास प्रतिशत मताधिकार वाले शेयर उस व्यक्ति द्वारा लाभकारी रूप से धारित न किए गए हों, जिसके पास उस वर्ष या वर्षों के अंतिम दिन कंपनी के कम से कम पचास प्रतिशत मताधिकार वाले शेयर लाभकारी रूप से धारित थे, जिनमें हानि उपगत हुई थी; और

(ख) शेयरधारिता के प्रतिशत में परिवर्तन पर ध्यान दिए बिना, जहां कंपनी धारा 140 में निर्दिष्ट पात्र स्टार्ट अप है, कर वर्ष से पहले किसी भी वर्ष में हुई हानि को कर वर्ष की आय के विरुद्ध अग्रेषित करने और समंजित करने की अनुमति दी जाएगी, यदि—

(i) ऐसी कंपनी के सभी शेयरधारक, जिनके पास उस वर्ष या वर्षों के अंतिम दिन मतदान शक्ति वाले शेयर थे, जिनमें हानि उपगत हुई थी, उन

शेयरों को ऐसे कर वर्ष का अंतिम दिन धारण करना जारी रखेंगे; और

(ii) ऐसी हानि उस वर्ष से प्रारंभ होने वाली दस वर्ष की अवधि के दौरान उपगत हुई हो जिसमें ऐसी कंपनी निगमित हुई हो।

(4) उपधारा (3) के उपबंध लागू नहीं होंगे—

(क) जहां शेयरधारक की मृत्यु या शेयरधारक के किसी नातेदार को उपहार के रूप में शेयरों के अंतरण के कारण उस उपधारा में निर्दिष्ट कर वर्ष में मतदान शक्ति और शेयरधारिता में परिवर्तन होता है; या

(ख) जहां विदेशी कंपनी की सहायक कंपनी होने के नाते भारतीय कंपनी की शेयरधारिता में परिवर्तन विदेशी कंपनी के सम्मेलन या निर्विलियन के कारण होता है और सम्मेलित या निर्विलियन वाली विदेशी कंपनी के 51% शेयरधारक सम्मेलित या परिणामी विदेशी कंपनी के शेयरधारक हैं; या

2016 का 31

(ग) जहां दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन अनुमोदित समाधान स्कीम के परिणामस्वरूप कर वर्ष में शेयरधारिता में परिवर्तन होता है और अधिकारिता वाले प्रधान आयुक्त या आयुक्त को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया था; या

(घ) किसी कंपनी, उसकी सहायक कंपनी और ऐसी सहायक कंपनी की सहायक कंपनी को, यदि—

2013 का 18

(i) ऐसी कंपनी के निदेशक मंडल को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 241 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर न्यायाधिकरण द्वारा निलंबित कर दिया गया था और उक्त अधिनियम की धारा 242 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा नए निदेशकों की नियुक्ति की गई थी; और

2013 का 18

(ii) ऐसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी, और ऐसी सहायक कंपनी की सहायक कंपनी की शेयरधारिता में परिवर्तन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 242 के अधीन न्यायाधिकरण द्वारा अनुमोदित समाधान स्कीम के परिणामस्वरूप हुआ है और अधिकारिता प्राप्त प्रधान आयुक्त या आयुक्त को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया था; या

(ड) किसी कंपनी को इस सीमा तक कि धारा 70(2) (सारणी: क्रम सं. 5ग) में निर्दिष्ट स्थानांतरण के कारण कर वर्ष के दौरान शेयरधारिता में परिवर्तन हुआ है; या

(च) किसी तत्कालीन पब्लिक सेक्टर कंपनी को, जहां ऐसी कंपनी की अंतिम नियंत्रि कंपनी, सामरिक अपविनिधान के पूरा होने के तुरंत पश्चात्, सीधे या अपनी सहायक कंपनी या सहायक कंपनियों के माध्यम से, कुल मिलाकर ऐसी कंपनी की कम से कम 51% मतदान की शक्ति रखती है।

(5) उपधारा (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि उपधारा 4(च) में विनिर्दिष्ट शर्तों का रणनीतिक विनिधान के पूर्ण होने के पश्चात् किसी कर वर्ष के भीतर अनुपालन नहीं किया गया है, तो उपधारा (3) के उपबंध ऐसे कर वर्ष और पश्चात्वर्ती कर वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

(6) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) कोई कंपनी किसी अन्य कंपनी की सहायक कंपनी होगी, यदि ऐसी अन्य कंपनी कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी के नाममात्र मूल्य में आधे से अधिक भाग रखती है;

(ख) “तत्कालीन पब्लिक सेक्टर कंपनी” पद का वही अर्थ होगा जो धारा 116(3)(ख)(i) में उसका है;

(ग) “सामरिक अपविनिधान” का वही अर्थ होगा जो धारा 116(3)(ग) में उसका है;

(घ) “अधिकरण” का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(90) में उसका है।

2013 का 18

तलाशी, अध्यपेक्षा और सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप अघोषित आय के विरुद्ध हानि का कोई समंजन नहीं किया जाएगा।

120. (1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी भी बात पर ध्यान दिए बिना, कोई भी हानि, चाहे अघोषित की गई हो या अन्यथा या शेष अवक्षयण, किसी भी अघोषित आय के विरुद्ध समंजन अनुज्ञात किया जाएगा, जो किसी भी कर वर्ष की कुल आय में सम्मिलित है, जो धारा 247 के अधीन की गई तलाशी या धारा 248 के अधीन किसी अध्यपेक्षा या धारा 253 के अधीन किए गए सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप है, जो धारा 253(4) के अधीन सर्वेक्षण नहीं है।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी भी कर वर्ष के लिए “अघोषित आय” पद का वही अर्थ होगा जो उसका धारा 301 में यथा निर्दिष्ट है।

हानि के लिए विवरणी प्रस्तुत करना।

121. इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी भी बात का विचार किए बिना, कोई भी हानि जो धारा 263(1) के अधीन दाखिल विवरणी के अनुसरण में विहित नहीं की गई है, उसे धारा 111(1) या धारा 112(1) या धारा 113(2) या धारा 114(2) या धारा 115(1) के अधीन अघोषित नहीं किया जाएगा और समंजन नहीं किया जाएगा।

अध्याय 8

कुल आय की गणना में की जाने वाली कटौतियां

क. साधारण

कुल आय की गणना में की जाने वाली कटौतियां।

122. (1) किसी निर्धारिती की कुल आय की गणना करने में, इस अध्याय में विनिर्दिष्ट कटौतियां, इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार तथा उनके अधीन रहते हुए, उसकी सकल कुल आय से अनुज्ञात की जाएंगी।

(2) इस अध्याय के अधीन कटौतियों की कुल रकम, किसी भी मामले में, निर्धारिती की सकल कुल आय से अधिक नहीं होगी।

(3) यदि धारा 133 या धारा 135 या धारा 137 या धारा 138 या धारा 141 या धारा 142 या धारा 143 के अधीन कटौती, व्यक्तियों के किसी संगम या व्यक्तियों के निकाय की कुल आय की गणना करने में अनुज्ञेय है, तो ऐसे सदस्यों की कुल आय की गणना करने में, ऐसे व्यक्तियों के संगम या व्यक्तियों के निकाय के सदस्य की आय के भाग के संबंध में उसी धारा के अधीन कोई कटौती नहीं की जाएगी।

(4) इस अध्याय के भाग-ग की किसी बात विपरीत पर विचार किए बिना, जहां, किसी निर्धारिती के मामले में, किसी उपक्रम या इकाई या उद्यम या पात्र कारबार के लाभ और अभिलाभ की किसी भी रकम का दावा किया जाता है और किसी भी कर वर्ष के लिए उन उपबंधों के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाती है,—

(क) ऐसे लाभ और अभिलाभ के संबंध में और उस सीमा तक कटौती ऐसे कर वर्ष के लिए इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन अनुज्ञात नहीं की जाएगी; और

(ख) यथास्थिति, किसी भी मामले में ऐसे उपक्रम या इकाई या उद्यम या पात्र

कारबार के लाभ और अभिलाभ से अधिक नहीं होगी।

(5) इस अध्याय के भाग ग के उपबंधों के अधीन कटौती उस निर्धारिती को नहीं दी जाएगी, जो—

(क) धारा 263(1) के अधीन विनिर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पहले आय की विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहता है; या

(ख) धारा 263(1) के अधीन प्रस्तुत विवरणी में कटौती का दावा करता है।

(6) इस अध्याय के भाग ग में अंतर्विष्ट किसी भी विपरीत बात का विचार किए बिना, इस अध्याय के अधीन किसी कटौती के प्रयोजनों के लिए, यदि निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए धारित कोई माल या सेवा—

(क) निर्धारिती द्वारा चलाया जाने वाला उपक्रम, इकाई, उद्यम या पात्र कारबार निर्धारिती द्वारा चलाया जाने वाले किसी अन्य कारबार को अंतरित कर दिया जाता है; या

(ख) निर्धारिती द्वारा चलाया जाने वाला कोई अन्य कारबार निर्धारिती के उपक्रम, इकाई, उद्यम या निर्धारिती के पात्र कारबार को अंतरित कर दिया जाता है, और

और उपक्रम, इकाई, उद्यम या पात्र कारबार के खातों में दर्ज किए गए ऐसे अंतरण के लिए प्रतिफल, यदि कोई हो, अंतरण की तारीख को ऐसे माल या सेवाओं के बाजार मूल्य के अनुरूप नहीं है, तब निर्धारिती द्वारा चलाया जाने वाले ऐसे उपक्रम, इकाई, उद्यम या पात्र कारबार के लाभ और अभिलाभ की गणना इस प्रकार की जाएगी मानो खंड (क) या खंड (ख) में, उस तारीख को ऐसे माल या सेवाओं के बाजार मूल्य पर अंतरण किया गया हो।

(7) उपधारा (6) के प्रयोजनों के लिए, "बाजार मूल्य",—

(क) विक्रीत या आपूर्ति की गई किसी भी वस्तु या सेवा के संबंध में, वह कीमत अभिप्रेत है जो ऐसी वस्तु या सेवा को मिलेगी, यदि इन्हें उपक्रम या इकाई या उद्यम या पात्र कारबार द्वारा खुले बाजार में, कानूनी या विनियामक निर्बंधनों के अधीन, यदि कोई हो, विक्रय किया जाता है;

(ख) अर्जित की गई किसी भी वस्तु या सेवा के संबंध में, वह कीमत अभिप्रेत है जो ऐसी वस्तु या सेवा को मिलेगी यदि इन्हें उपक्रम या इकाई या उद्यम या पात्र कारबार द्वारा खुले बाजार से, कानूनी या विनियामक निर्बंधनों के अधीन, यदि कोई हो, क्रय किया जाता है; और

(ग) विक्रीत, आपूर्ति की या अर्जित की गई किसी भी वस्तु या सेवा के संबंध में, ऐसी वस्तु या सेवा की धारा 173(क) में परिभाषित सन्निकट कीमत अभिप्रेत है, यदि यह धारा 164 में निर्दिष्ट एक निर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार है।

(8) जहां इस अध्याय के भाग ग के अधीन कटौती का दावा किया जाता है और किसी कर वर्ष के लिए धारा 46(11)(घ) में निर्दिष्ट किसी विनिर्दिष्ट कारबार के लाभ के संबंध में अनुज्ञेय दी जाती है, वहां उसी या किसी अन्य कर वर्ष के लिए धारा 46 के अधीन ऐसे विनिर्दिष्ट कारबार के लिए कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

(9) जहां इस अध्याय के भाग सी के अधीन उस धारा में निर्दिष्ट प्रकृति की किसी भी आय के संबंध में कोई कटौती की जानी या अनुज्ञात किया जाना अपेक्षित है और जो निर्धारिती की सकल कुल आय में सम्मिलित है, तो उस धारा में अंतर्विष्ट किसी भी चीज का विचार किए बिना,

उस धारा के अधीन कटौती की गणना करने के प्रयोजन के लिए, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन गणना की गई उस प्रकृति की आय की रकम (इस अध्याय के अधीन कोई कटौती करने से पहले) अकेले उस प्रकृति की आय की रकम मानी जाएगी जो निर्धारिती द्वारा प्राप्त या प्राप्त की जाती है और जो उसकी सकल कुल आय में सम्मिलित है।

(10) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, "सकल कुल आय" पद से इस अध्याय के अधीन कटौती करने से पूर्व, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संगणित कुल आय अभिप्रेत है।

ख. कतिपय संदायों के संबंध में कटौती

भविष्य निधि को जीवन बीमा प्रीमियम के वार्षिक अभिदाय के लिए कटौती।

123. किसी व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुम्ब को, कर वर्ष में संदाय की गई या जमा की गई पूरी रकम की कटौती की अनुज्ञेय दी जाएगी, जो अनुसूची पन्द्रहवीं में उल्लिखित रकमों का योग है, लेकिन उस वर्ष के लिए कुल आय की गणना करते समय, उस अनुसूची में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, 1,50,000 हजार रुपए से अधिक नहीं होगी।

केंद्रीय सरकार की पेंशन स्कीम में नियोजक और निर्धारिती के अभिदाय के संबंध में कटौती।

124. (1) जहां किसी निर्धारिती के मामले में, जो किसी अन्य नियोक्ता द्वारा नियोजित व्यक्ति है, यदि कोई नियोक्ता केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित या अधिसूचित पेंशन स्कीम के अधीन उसके खाते में कोई अभिदाय करता है, तो निर्धारिती को उसकी कुल आय की गणना में ऐसे नियोक्ता द्वारा अभिदाय की गई पूरी रकम में से कटौती की अनुज्ञेय दी जाएगी, जो कि पिछले वर्ष में उसके वेतन का—

(क) 14% से, जहां ऐसा अभिदाय नियोक्ता द्वारा केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा किया जाता है; और

(ख) 10% से अधिक नहीं होगी, जहां ऐसा अभिदाय (क) में निर्दिष्ट नियोक्ता से भिन्न किसी अन्य नियोक्ता द्वारा किया जाता है।

(2) जहां निर्धारिती की कुल आय धारा 202(1) के अधीन कर योग्य है, उपधारा (1) के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे जैसे कि खंड (ख) में निर्दिष्ट "10%" अंकों के स्थान पर, "14%" अंक रखे गए थे।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी निर्धारिती को उसकी कुल आय की गणना में, केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित या अधिसूचित की जा सकने वाली, किसी पेंशन स्कीम के अधीन उसके खाते में कर वर्ष में ऐसे व्यक्ति द्वारा संदाय की गई या जमा की गई पूरी रकम की कटौती की अनुज्ञेय दी जाएगी, जो 50,000 रुपए से अधिक नहीं होगी।

(4) उपधारा (3) के अधीन कटौती तब भी की जाएगी, जब उक्त पेंशन स्कीम के अधीन किसी अवयस्क के खाते में कोई संदाय या जमा, ऐसे अवयस्क के माता या पिता अथवा संरक्षक होने के नाते, निर्धारिती द्वारा इस शर्त के अधीन किया जाता है कि उपधारा (3) और इस उपधारा के अधीन कटौती की कुल रकम 50,000 रुपए से अधिक नहीं होगी।

(5) उपधारा (3) और उपधारा (4) के अधीन कोई कटौती उस रकम के संबंध में नहीं दी जाएगी, जिस पर धारा 123 के अधीन कटौती का दावा किया गया है और उसे अनुज्ञात किया गया है।

(6) उपधारा (1), उपधारा (3) और उपधारा (4) और अनुसूची 15 के पैरा 1(म) में निर्दिष्ट निर्धारिती के खाते में जमा कोई रकम, उस पर अर्जित रकम सहित, जो निर्धारिती या उसके नामनिर्देशिती द्वारा किसी कर वर्ष में, पूर्णतः या आंशिक रूप से प्राप्त की गई हो,—

(क) उपधारा (1) और उपधारा (3) में निर्दिष्ट पेंशन स्कीम के बंद होने या उससे बाहर निकलने के कारण; या

(ख) ऐसे बंद होने या बाहर निकलने पर क्रय की गई या ली गई वार्षिकी स्कीम से प्राप्त पेंशन के रूप में,

खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट पूरी रकम उस व्यक्ति या उसके नामनिर्देशिती की उस कर वर्ष में आय मानी जाएगी, जिसमें ऐसी रकम प्राप्त हुई है, और तदनुसार उस कर वर्ष की आय के रूप में कर लगाया जाएगा।

(7) नामनिर्देशिती द्वारा, खंड 3(क) में निर्दिष्ट परिस्थितियों में, निर्धारिती की मृत्यु पर प्राप्त रकम को नामनिर्देशिती की आय नहीं माना जाएगा।

(8) उपधारा (4) में निर्दिष्ट अवयस्क की मृत्यु के कारण पेंशन स्कीम के बंद होने पर अवयस्क के माता या पिता अथवा अभिभावक या नामनिर्देशिती द्वारा प्राप्त रकम ऐसे व्यक्ति की आय नहीं मानी जाएगी।

(9) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, निर्धारिती को कर वर्ष में कोई रकम प्राप्त हुई नहीं मानी जाएगी, यदि ऐसी रकम का उपयोग उसी कर वर्ष में वार्षिकी स्कीम क्रय करने के लिए किया जाता है।

(10) जहां निर्धारिती द्वारा अपने खाते में या किसी अवयस्क के खाते में संदाय की गई या जमा की गई कोई रकम उपधारा (3) के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञात की गई है, वहां ऐसी रकम के संदर्भ में कोई कटौती उस कर वर्ष के लिए धारा 123 के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

(11) एकीकृत पेंशन स्कीम के अभिदाता होने के नाते, उपधारा (1) और उपधारा (3) तथा अनुसूची 15 के पैरा 1(म) में निर्दिष्ट उसके खाते में जमा कोई भी रकम, जिसके संबंध में निर्धारिती या उसके नामनिर्देशिती द्वारा किसी कर वर्ष में उसकी सेवानिवृत्ति या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या मूलभूत नियम 56(ज) [जिसे केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के अधीन शास्ति के रूप में नहीं माना जाता है] के अधीन सेवानिवृत्ति के कारण पूर्णतः या आंशिक रूप से प्राप्त उस पर उपार्जित रकम के साथ कटौती की अनुमति दी गई है पूरी रकम, यथास्थिति, उस कर वर्ष में निर्धारिती या उसके नामनिर्देशिती की आय मानी जाएगी जिसमें ऐसी राशि प्राप्त हुई है, और तदनुसार उस कर वर्ष की आय के रूप में कर से प्रभारित की जाएगी।

(12) उप-धारा (11) के प्रयोजनों के लिए, यह माना जाएगा कि निर्धारिती ने कर वर्ष में कोई रकम प्राप्त नहीं की है यदि ऐसी रकम उसकी सेवानिवृत्ति या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या लागू किए जा सकने वाले मूलभूत नियम 56(ज) [जिसे केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के अधीन शास्ति के रूप में नहीं माना जाता है] के अधीन सेवानिवृत्ति के कारण व्यक्तिगत कॉर्पस से पूल कॉर्पस में स्थानांतरित कर दी जाती है।

(13) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "पूल कॉर्पस" और "व्यक्तिगत कॉर्पस" का वही अर्थ होगा जो वित्तीय सेवा विभाग की अधिसूचना एफ. संख्या एफएक्स-1/3/2024-पीआर, तारीख 24 जनवरी, 2025 में उसका है।

(ख) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "वेतन" में महंगाई भत्ता सम्मिलित है,

यदि रोजगार की शर्तों में ऐसा उपबंध है, परंतु अन्य सभी भते और सुविधाएं इसमें सम्मिलित नहीं हैं।

अग्निपथ स्कीम में अभिदाय के संबंध में कटौती।

125. (1) कोई निर्धारिती, जो अग्निपथ स्कीम में नामांकित है और 1 नवंबर, 2022 को या उसके पश्चात् अग्निवीर समग्र निधि में अभिदाय करता है, उसे कर वर्ष के दौरान उक्त निधि में उसके खाते में संदाय की गई या जमा की गई पूरी रकम की उसकी कुल आय की गणना में कटौती की अनुज्ञेय दी जाएगी।

(2) जहां केंद्रीय सरकार उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधि में किसी निर्धारिती के खाते में कोई योगदान करती है, वहां निर्धारिती को इस प्रकार योगदान की गई पूरी रकम की उसकी कुल आय की गणना में कटौती की अनुज्ञेय दी जाएगी।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “अग्निपथ स्कीम” से भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 1(23)2022/डी(वेतन/सेवाएं), तारीख 29 दिसंबर, 2022 द्वारा प्रारंभ की गई भारतीय सशस्त्र बलों में नामांकन के लिए स्कीम, अभिप्रेत है;

(ख) “अग्निवीर समग्र निधि” से ऐसी निधि अभिप्रेत है जिसमें सभी अग्निवीरों का समेकित अभिदाय और केंद्रीय सरकार का समतुल्य अभिदाय तथा इन दोनों अंशदानों पर ब्याज रखा जाता है।

स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के संबंध में कटौती।

126. (1) एक निर्धारिती, जो एक व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब है, को उपधारा (2) से उपधारा (8) में विनिर्दिष्ट रकम की कटौती की अनुज्ञेय दी जाएगी, जिसका कर वर्ष में कर के लिए प्रभार्य उसकी आय में से संदाय उपधारा (9) में विनिर्दिष्ट किसी भी तरीके से किया जाता है।

(2) एक निर्धारिती के मामले में जो एक व्यक्ति है, उपधारा (1) में निर्दिष्ट रकम, संदाय की गई पूरी रकम का योग होगी—

(क) निर्धारिती या उसके परिवार के स्वास्थ्य पर बीमा (जिसे स्वास्थ्य बीमा के रूप में संदर्भित किया जाता है) को प्रभावी करने या लागू रखने के लिए, या केंद्रीय सरकार की स्वास्थ्य स्कीम या इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जा सकने वाली ऐसी अन्य स्कीम में किए गए किसी भी अभिदाय, या निर्धारिती या उसके परिवार की निवारक स्वास्थ्य जांच के लिए किए गए किसी भी संदाय, कुल मिलाकर 25,000 रुपए तक;

(ख) निर्धारिती के माता-पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा या निवारक स्वास्थ्य जांच के लिए किए गए किसी संदाय को प्रभावी बनाने या लागू रखने के लिए, कुल मिलाकर 25,000 रुपए तक;

(ग) निर्धारिती या उसके परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर किए गए चिकित्सा व्यय के कारण, कुल मिलाकर 50,000 रुपए तक; और

(घ) निर्धारिती के माता-पिता के स्वास्थ्य पर किए गए चिकित्सा व्यय के कारण, कुल मिलाकर 50,000 रुपए तक।

(3) उपधारा (2)(क) या (ख) में निर्दिष्ट रकमों के संबंध में कटौती, जो निवारक स्वास्थ्य जांच के कारण संदाय की जाती है, कुल मिलाकर 5,000 रुपए तक की अनुज्ञेय दी जाएगी।

(4) उपधारा (2) में निर्दिष्ट रकम उपधारा (2)(क) और (ग) के अधीन निर्दिष्ट रकम या

उपधारा (2)(ख) और (घ) के अधीन निर्दिष्ट रकम के कुल मिलाकर 50,000 रुपए से अधिक नहीं होगी।

(5) निर्धारिती के मामले में, जो हिंदू अविभक्त कुटुंब है, उपधारा (1) के अधीन निर्दिष्ट रकम, निम्नलिखित के लिए संदाय की गई संपूर्ण रकम का योग होगी—

(क) उस हिंदू अविभक्त कुटुंब के किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर बीमा कराने या उसे लागू रखने के लिए, कुल मिलाकर 25,000 रुपए तक; और

(ख) उस हिंदू अविभक्त कुटुंब के किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर किए गए चिकित्सा व्यय के कारण, कुल मिलाकर 50,000 रुपए तक।

(6) उपधारा (5) के अधीन रकम उपधारा 5(क) और (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट रकम के योग में 50,000 रुपए से अधिक नहीं होगी।

(7) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, जहां उपधारा 2(ग) या (घ) या 5(ख) के अधीन वरिष्ठ नागरिक के स्वास्थ्य पर किए गए चिकित्सा व्यय के कारण रकम का संदाय किया जाता है, कटौती की अनुज्ञेय दी जाएगी, यदि ऐसे व्यक्ति के स्वास्थ्य बीमा को प्रभावी बनाने या उसे लागू रखने के लिए कोई रकम का संदाय नहीं किया गया है।

(8) जहां उपधारा (2)(क) या (ख) या (5)(क) में विनिर्दिष्ट रकम उसमें विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य बीमा को प्रभावी बनाने या उसे लागू रखने के लिए संदाय की जाती है, और—

(क) ऐसा व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक है, वहां ऐसे खंडों में उपबंधित रकम के स्थान पर 25,000 रुपए के स्थान पर 50,000 रुपए रखे जाएंगे;

(ख) ऐसी रकम एक वर्ष से अधिक के कर वर्ष में एकमुश्त अदा की जाती है, तो प्रत्येक सुसंगत कर वर्ष के लिए ऐसी रकम की समुचित भिन्न के बराबर कटौती की अनुज्ञेय दी जाएगी

(9) उपधारा (1) के अधीन कटौती के प्रयोजनों के लिए, संदाय किसी भी तरीके से किया जाएगा,—

(क) निवारक स्वास्थ्य जांच के कारण संदाय की गई किसी भी रकम के संबंध में नकद सहित; या

(ख) खंड (क) के अधीन न आने वाले सभी अन्य मामलों में नकद से भिन्न।

(10) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “समुचित भिन्न” ऐसी भिन्न अभिप्रेत है जहां अंश एक है, और हर सुसंगत कर वर्षों की कुल संख्या है;

(ख) “कुटुंब” में निर्धारिती के पति या पत्नी और आश्रित बालक सम्मिलित हैं; और

(ग) “सुसंगत कर वर्ष” से वह कर वर्ष जिसमें ऐसी एकमुश्त रकम का संदाय किया जाता है और उसके पश्चात् का कर वर्ष या वर्ष जिसके दौरान स्वास्थ्य बीमा लागू रहता है, अभिप्रेत है।

(11) इस धारा में निर्दिष्ट स्वास्थ्य बीमा इस निमित्त निम्नलिखित द्वारा बनाई गई स्कीम के अनुसार होगा—

(क) साधारण बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 9 के अधीन गठित तथा इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित भारतीय साधारण बीमा निगम; या

(ख) कोई अन्य बीमाकर्ता जो बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 3(1) के अधीन स्थापित तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित हो।

आश्रित व्यक्ति जो निःशक्त है, के चिकित्सा उपचार सहित भरण-पोषण के संबंध में कटौती।

127. (1) कोई निर्धारिती जो एक व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब है, जो भारत में निवासी है, उसे इस धारा के उपबंधों के अधीन, किसी कर वर्ष की अपनी सकल कुल आय से 75,000 रुपए तक की कटौती की अनुज्ञेय दी जाएगी, यदि उस वर्ष के दौरान उसने—

(क) किसी आश्रित, जो निःशक्त व्यक्ति है, के चिकित्सा उपचार (जिसके अधीन परिचर्या भी है), प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए व्यय किया है; या

(ख) किसी आश्रित, जो निःशक्त व्यक्ति है, के भरण-पोषण के लिए जीवन बीमा निगम या किसी अन्य बीमाकर्ता या प्रशासक, या विनिर्दिष्ट कंपनी द्वारा तैयार की गई स्कीम के अधीन कोई रकम का संदाय या जमा किया है, जो उपधारा (2) में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन है और इस संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित है।

(2) उपधारा (1)(ख) के अधीन कटौती केवल तभी की जाएगी जब निम्नलिखित शर्तें पूरी हों:—

(क) उपधारा (1)(ख) में निर्दिष्ट स्कीम में आश्रित, जो निःशक्त व्यक्ति है, के लाभ के लिए वार्षिकी या एकमुश्त रकम के संदाय का उपबंध है—

(i) उस व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब के सदस्य की मृत्यु पर, जिसके नाम पर स्कीम में अभिदाय किया गया था; या

(ii) ऐसे व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब के सदस्य द्वारा साठ वर्ष या उससे अधिक की आयु प्राप्त करने पर, और ऐसी स्कीम के लिए संदाय या जमा बंद कर दिया गया हो;

(ख) निर्धारिती निःशक्त व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति या न्यास को ऐसे आश्रित की ओर से और उसके लाभ के लिए संदाय प्राप्त करने के लिए नामनिर्दिष्ट करता है।

(3) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट आश्रित गंभीर निःशक्तता वाला व्यक्ति है, तो उपधारा (1) में निर्दिष्ट कटौती की रकम को “75,000 रुपए” के स्थान पर “1,25,000 रुपए” रखा जाएगा।

(4) उपधारा (2) में उल्लिखित व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब के सदस्य के समक्ष निःशक्त व्यक्ति के आश्रित की मृत्यु की स्थिति में, उपधारा (1)(ख) के अधीन संदाय या जमा की गई रकम उस कर वर्ष की निर्धारिती की आय मानी जाएगी जिसमें वह प्राप्त हुई है और तदनुसार कर योग्य होगी।

(5) उपधारा (4) के उपबंध, उपधारा 2(क)(ii) में निर्दिष्ट शर्त के लागू होने पर, निःशक्त व्यक्ति के आश्रित द्वारा उसकी मृत्यु से पूर्व वार्षिकी या एकमुश्त रकम के रूप में प्राप्त रकम पर लागू नहीं होंगे।

(6) इस धारा के अधीन कटौती का दावा करने वाला निर्धारिती, चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा विहित किए जा सकने वाले प्ररूप और तरीके से जारी किए गए चिकित्सा प्रमाण-पत्र की एक प्रति, उस कर वर्ष के लिए धारा 263 के अधीन आय-कर विवरणी के साथ प्रस्तुत करेगा, जिसमें कटौती का दावा किया गया है।

(7) यदि उपधारा (6) में निर्दिष्ट प्रमाण-पत्र में यह निर्दिष्ट किया गया है कि निःशक्तता की स्थिति के लिए इसमें नियत अवधि के पश्चात् इसकी सीमा का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक है, तो

इस धारा के अधीन कटौती उस कर वर्ष के पश्चात् के किसी भी कर वर्ष के लिए अनुमत नहीं की जाएगी, जिसमें उक्त प्रमाण-पत्र समाप्त हो जाता है, जब तक कि चिकित्सा प्राधिकारी से विहित किए जा सकने वाले प्ररूप और तरीके से नया प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं कर लिया जाता है, और उसकी एक प्रति धारा 263 के अधीन आय-कर विवरणी के साथ प्रस्तुत नहीं कर दी जाती है।

(8) इस धारा में उल्लिखित आश्रित में वह व्यक्ति सम्मिलित नहीं होगा, जिसने कर वर्ष के लिए अपनी कुल आय की गणना करते समय धारा 154 के अधीन कटौती का दावा किया है।

(9) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "प्रशासक" से भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 की धारा 2(क) में निर्दिष्ट प्रशासक अभिप्रेत है;

(ख) "आश्रित" का तात्पर्य है—

(i) किसी व्यक्ति के मामले में, उस व्यक्ति के पति या पत्नी, बालक, माता-पिता, भाई-बहन या उनमें से कोई;

(ii) हिंदू अविभक्त कुटुंब के मामले में, हिंदू अविभक्त कुटुंब का कोई सदस्य, जो अपने भरण-पोषण और अपनी सहायता के लिए पूर्णतः या मुख्यतः ऐसे व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब पर आश्रित है;

(ग) "निःशक्तता" का वही अर्थ होगा, जो निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 2(झ) में उसका है और इसमें राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहुनिःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 2(क), (ग) और (ज) में निर्दिष्ट "स्वपरायणता", "प्रमस्तिष्क घात" और "बहुनिःशक्तता" सम्मिलित हैं;

(घ) "जीवन बीमा निगम" से जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के अधीन स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम अभिप्रेत है;

(ङ) "चिकित्सा प्राधिकरण" से निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 2(त) में निर्दिष्ट चिकित्सा प्राधिकरण या ऐसा अन्य चिकित्सा प्राधिकरण है जिसे अधिसूचना द्वारा केंद्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहुनिःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 2(क), (ग), (ज), (ञ) और (ण) में निर्दिष्ट क्रमशः "ऑटिज्म", "सेरेब्रल पाल्सी", "बहु निःशक्तता", "निःशक्त व्यक्ति" और "गंभीर निःशक्तता" को प्रमाणित करने के लिए विनिर्दिष्ट किया जाए;

(च) "निःशक्त व्यक्ति" से निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 2(न) में या राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहुनिःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 2(ञ) में यथा निर्दिष्ट व्यक्ति अभिप्रेत है;

(छ) "गंभीर निःशक्तता वाले व्यक्ति" से—

(i) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 56(4) में निर्दिष्ट एक या अधिक निःशक्तताओं में से 80% या उससे अधिक निःशक्तता वाला व्यक्ति; या

(ii) राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और

2002 का 58

1996 का 1

1999 का 44

1956 का 31

1996 का 1

1999 का 44

1996 का 1

1999 का 44

1996 का 1

बहुनिःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 2(ण) में निर्दिष्ट गंभीर निःशक्तता वाला व्यक्ति, अभिप्रेत है;

1999 का 44

(ज) "विनिर्दिष्ट कंपनी" से भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 की धारा 2(ज) में यथा निर्दिष्ट कंपनी अभिप्रेत है।

2002 का 58

चिकित्सा उपचार आदि के संबंध में कटौती।

128. (1) भारत में निवासी निर्धारिती को, कर वर्ष के दौरान वास्तव में संदाय की गई रकम या 40,000 रुपए की रकम, जो भी कम हो, उस कर वर्ष की कर योग्य आय से, ऐसी बीमारी या व्याधि के चिकित्सा उपचार के लिए कटौती की अनुज्ञेय दी जाएगी, जैसा कि विहित किया जाए—

(क) स्वयं के लिए या आश्रित के लिए, यदि निर्धारिती एक व्यक्ति है; या

(ख) हिंदू अविभक्त कुटुंब के किसी सदस्य के लिए, यदि निर्धारिती एक हिंदू अविभक्त कुटुंब है।

(2) इस धारा के अधीन कटौती केवल तभी दी जाएगी जब निर्धारिती न्यूरोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, हेमेटोलॉजिस्ट, इम्यूनोलॉजिस्ट या किसी अन्य विशेषज्ञ से चिकित्सा उपचार के लिए नुस्खा प्राप्त करता है, जैसा कि विहित किया जाए।

(3) इस धारा के अधीन कटौती किसी बीमाकर्ता से बीमा के अधीन प्राप्त किसी भी रकम से कम हो जाएगी, या किसी नियोक्ता द्वारा उपधारा (1) (क) या (ख) में निर्दिष्ट व्यक्ति के चिकित्सा उपचार के लिए प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(4) यदि वास्तव में संदाय की गई रकम निर्धारिती या उसके आश्रित या निर्धारिती के हिंदू अविभक्त कुटुंब के किसी सदस्य के संबंध में है और जो वरिष्ठ नागरिक है, तो उपधारा (1) में निर्दिष्ट कटौती की रकम को 40,000 रुपए के स्थान पर 1,00,000 रुपए से रखा जाएगा।

(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "आश्रित" का वही अर्थ होगा जो धारा 127(9) में उसका है;

(ख) "बीमाकर्ता" का वही अर्थ होगा, जो बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2(9) में उसका है।

1938 का 4

उच्च शिक्षा के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती।

129. (1) एक निर्धारिती, जो एक व्यक्ति है, को किसी वित्तीय संस्था या किसी अनुमोदित पूर्त संस्था से लिए गए ऋण पर, इस धारा के उपबंधों के अधीन, कर वर्ष के दौरान ब्याज के रूप में संदाय की गई रकम की कटौती की अनुज्ञेय दी जाएगी, यदि—

(क) लिया गया ऋण स्वयं या उसके नातेदार की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से है; और

(ख) संदाय उसकी कर योग्य आय से किया गया है।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कटौती प्रारंभिक कर वर्ष और प्रारंभिक कर वर्ष के तुरंत पश्चात् के सात कर वर्षों के संबंध में कुल आय की गणना करने में दी जाएगी, या जब तक कि निर्धारिती द्वारा उपधारा (1) में निर्दिष्ट ब्याज का पूरा संदाय नहीं किया जाता है, जो भी पहले हो।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "अनुमोदित पूर्त संस्था" से रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संस्था जहां इसे आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के उपबंधों के अधीन पहले से अनुमोदित किया गया था, या उक्त अधिनियम की धारा 80छ(2)(क) में निर्दिष्ट संस्था, अभिप्रेत है;

1961 का 43

(ख) "वित्तीय संस्था" से बैंकिंग कंपनी, जिस पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम,

1949 का 10

1949 लागू होता है (उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट किसी बैंक या बैंकिंग संस्था सहित) या कोई अन्य वित्तीय संस्था जिसे केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है, अभिप्रेत है;

(ग) "उच्च शिक्षा" से केंद्रीय सरकार, या राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, या केंद्रीय सरकार, या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा ऐसा करने के लिए प्राधिकृत किसी प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त किसी स्कूल, बोर्ड या विश्वविद्यालय से वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा या इसके समकक्ष उत्तीर्ण करने के पश्चात् किया गया कोई भी अध्ययन पाठ्यक्रम, अभिप्रेत है;

(घ) "प्रारंभिक कर वर्ष" से वह कर वर्ष अभिप्रेत है, जिसमें निर्धारित ऋण पर ब्याज का संदाय करना प्रारंभ करता है; और

(ङ) किसी व्यक्ति के संबंध में "नातेदार" से उस व्यक्ति का पति-पत्नी और बालक, या वह बालक जिसके लिए वह व्यक्ति विधिक अभिरक्षक, अभिप्रेत है।

130. (1) निर्धारित, जो एक व्यष्टि है, को इस धारा के उपबंधों के अनुसार आवासीय संपत्ति के अर्जन के उद्देश्य से किसी भी वित्तीय संस्थान से लिए गए ऋण पर देय ब्याज की कटौती की अनुज्ञेय दी जाएगी।

आवासीय गृह संपत्ति हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती।

(2) उपधारा (1) के अधीन कटौती 50,000 रुपए से अधिक नहीं होगी और 1 अप्रैल, 2016 को प्रारंभ होने वाले कर वर्ष और उसके पश्चात् के कर वर्षों के लिए व्यक्ति की कुल आय की गणना करने में की जाएगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन कटौती निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी—

(क) ऋण वित्तीय संस्थान द्वारा 1 अप्रैल, 2016 से प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान स्वीकृत किया गया है;

(ख) आवासीय गृह संपत्ति के अर्जन के लिए स्वीकृत ऋण की रकम पैंतीस लाख रुपए से अधिक नहीं है;

(ग) आवासीय गृह संपत्ति का मूल्य पचास लाख रुपए से अधिक नहीं है; और

(घ) ऋण स्वीकृत होने की तारीख पर निर्धारित के पास कोई आवासीय गृह संपत्ति नहीं है।

(4) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी ब्याज के लिए इस धारा के अधीन कटौती अनुज्ञात नहीं की जाती है, वहां उसी या किसी अन्य कर वर्ष के लिए इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन ऐसे ब्याज के संबंध में कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "वित्तीय संस्था" से बैंकिंग कंपनी, जिस पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 लागू होता है, या उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंकिंग संस्था या वास सुविधा वित्त कंपनी, अभिप्रेत है; और

(ख) "वास सुविधा वित्त कंपनी" से भारत में गठित या रजिस्ट्रीकृत एक सार्वजनिक कंपनी अभिप्रेत है, जिसका मुख्य उद्देश्य आवासीय प्रयोजनों के लिए भारत में मकानों के संनिर्माण या क्रय के लिए दीर्घकालिक वित्त प्रदान करने का कारबार करना है।

131. (1) कोई निर्धारित, जो धारा 130 के अधीन कटौती का दावा करने के लिए पात्र नहीं है, को किसी वित्तीय संस्थान से आवासीय गृह संपत्ति के अर्जन के उद्देश्य से लिए गए ऋण पर देय

गए ऋण पर
ब्याज के संबंध में
कटौती ।

ब्याज पर कटौती की अनुज्ञेय दी जाएगी, जो कर वर्ष में अधिकतम 1,50,000 रुपए तक होगी तथा उपधारा (2) में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने पर, 1 अप्रैल, 2019 से प्रारंभ होने वाले कर वर्ष तथा उसके पश्चात् के कर वर्षों के लिए होगी ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट शर्तें निम्नलिखित होंगी—

(क) ऋण वित्तीय संस्थान द्वारा 1 अप्रैल, 2019 से प्रारंभ होने वाली तथा 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान स्वीकृत किया गया हो;

(ख) आवासीय गृह संपत्ति का स्टाम्प शुल्क मूल्य पैंतालीस लाख रुपए से अधिक न हो; तथा

(ग) ऋण स्वीकृत होने की तारीख पर निर्धारिती के पास कोई आवासीय गृह संपत्ति न हो ।

(3) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी ब्याज के लिए इस धारा के अधीन कटौती अनुज्ञात की जाती है, वहां उसी या किसी अन्य कर वर्ष के लिए इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन ऐसे ब्याज के संबंध में कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

(4) इस धारा के प्रयोजन के लिए, "वित्तीय संस्था" पद का वही अर्थ होगा जो धारा 130(5)(क) में उसका है ।

इलेक्ट्रिक यान
क्रय के संबंध में
कटौती ।

132. (1) एक निर्धारिती, जो एक व्यक्ति है, को इस धारा के उपबंधों के अनुसार, इलेक्ट्रिक यान क्रय के उद्देश्य से किसी भी वित्तीय संस्थान से लिए गए ऋण पर देय ब्याज की कटौती की अनुज्ञेय दी जाएगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कटौती इस शर्त के अधीन होगी कि ऋण 1 अप्रैल, 2019 से प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान वित्तीय संस्थान द्वारा स्वीकृत किया गया है ।

(3) उपधारा (1) के अधीन कटौती 1,50,000 रुपए से अधिक नहीं होगी और 1 अप्रैल, 2019 से प्रारंभ होने वाले कर वर्ष और उसके पश्चात् के कर वर्षों के लिए व्यक्ति की कुल आय की गणना करने में दी जाएगी ।

(4) जहां इस धारा के अधीन उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी ब्याज के लिए कटौती अनुज्ञात की जाती है, उसी या किसी अन्य कर वर्ष के लिए इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन ऐसे ब्याज के संबंध में कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "विद्युत यान" से एक ऐसा यान अभिप्रेत है, जो विशेष रूप से विद्युत मोटर द्वारा संचालित होता है, जिसकी कर्षण ऊर्जा विशेष रूप से यान में स्थापित कर्षण बैटरी द्वारा आपूर्ति की जाती है और जिसमें ऐसी विद्युत पुनर्योजी ब्रेकिंग प्रणाली होती है, जो ब्रेक लगाने के दौरान यान की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने की व्यवस्था करती है; और

(ख) "वित्तीय संस्था" से एक बैंकिंग कंपनी जिस पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 लागू होता है, या उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंकिंग संस्था अभिप्रेत है, और इसमें एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी भी सम्मिलित है ।

133. (1) किसी निर्धारिती की कुल आय की गणना करने में, इस धारा के उपबंधों के अनुसार तथा उसके अधीन रहते हुए, निम्नलिखित की कटौती की जाएगी,—

1949 का 10

कतिपय निधियों,
पूर्त संस्थाओं

(क) कर वर्ष में निर्धारित द्वारा निम्नलिखित को दान के रूप में दी गई रकम या रकमों का संपूर्ण योग—

आदि को दिए गए दान के संबंध में कटौती ।

- (i) केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय रक्षा निधि; या
- (ii) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत निधि या प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थितियों में राहत निधि (पीएम केयर्स निधि); या
- (iii) प्रधानमंत्री आर्मेनिया भूकंप राहत निधि; या
- (iv) अफ्रीका (सार्वजनिक अभिदाय - भारत) निधि; या
- (v) राष्ट्रीय बाल निधि; या
- (vi) राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन; या
- (vii) कोई विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय स्तर का कोई शैक्षणिक संस्थान जिसे इस संबंध में विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाए; या
- (viii) गुजरात में भूकंप के पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए विशेष रूप से गुजरात राज्य सरकार द्वारा स्थापित कोई निधि; या
- (ix) किसी जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित कोई जिला साक्षरता समिति, जो गांवों और कस्बों (अंतिम प्रकाशित जनगणना के अनुसार 1,00,000 तक की आबादी वाले, जिसके आंकड़े सुसंगत कर वर्ष के पहले दिन से पहले उपलब्ध हैं) में प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए और साक्षरता और साक्षरता के पश्चात् के क्रियाकलापों के लिए हो; या
- (x) राष्ट्रीय रक्त आधान परिषद् या कोई राज्य रक्त आधान परिषद्, जिसका एकमात्र उद्देश्य भारत में रक्त बैंकों के संचालन और आवश्यकताओं से संबंधित सेवाओं का नियंत्रण, पर्यवेक्षण, विनियमन या प्रोत्साहन है; या
- (xi) गरीबों को चिकित्सा राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा स्थापित कोई निधि; या
- (xii) सेना केंद्रीय कल्याण निधि या भारतीय नौसेना परोपकार निधि या वायु सेना केंद्रीय कल्याण निधि जो संगम के सशस्त्र बलों द्वारा ऐसे बलों के पूर्व और वर्तमान सदस्यों या उनके आश्रितों के कल्याण के लिए स्थापित की गई है; या
- (xiii) आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री चक्रवात राहत निधि, 1996; या
- (xiv) राष्ट्रीय बीमारी सहायता निधि; या
- (xv) मुख्यमंत्री राहत निधि या उपराज्यपाल राहत निधि, यदि निधि निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करता है:—

(अ) यह राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में स्थापित अपनी तरह का एकमात्र निधि है;

(आ) यह संबंधित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के मुख्य सचिव या वित्त विभाग के समग्र नियंत्रण में है;

(इ) यह राज्य सरकार या उपराज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट तरीके से

प्रशासित है, या

(xvi) केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय खेल विकास निधि; या

(xvii) केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि; या

(xviii) केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित प्रौद्योगिकी विकास और अनुप्रयोग निधि; या

(xix) राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहुनिःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 3(1) के अधीन गठित राष्ट्रीय न्यास; या

1999 का 44

(xx) केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत निधि, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) के अधीन कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अनुसरण में निर्धारिती द्वारा व्यय की गई रकम से भिन्न है; या

2013 का 18

(xxi) केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ गंगा निधि, जहां ऐसा निर्धारिती निवासी है और ऐसी रकम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) के अधीन कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अनुसरण में निर्धारिती द्वारा व्यय की गई रकम से भिन्न है; या

2013 का 16

(xxii) स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 7क के अधीन गठित राष्ट्रीय नशीली दवाओं के दुरुपयोग नियंत्रण निधि; या

1985 का 61

(xxiii) सरकार या किसी ऐसे स्थानीय प्राधिकरण, संस्था या संगम को, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में अनुमोदित किया जा सकता है, परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उपयोग किया जाना; या

(xxiv) भारतीय ओलंपिक संगम या भारत में स्थापित कोई अन्य संगम या संस्था को, जिसे निर्धारिती जो एक कंपनी है, द्वारा भारत में खेल और खेलों के लिए बुनियादी ढांचे का विकास या भारत में खेल और खेलों के प्रायोजन के लिए केंद्रीय सरकार, इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट किया जाए;

(ख) कर वर्ष के दौरान निर्धारिती द्वारा दान के रूप में संदाय की गई कुल रकम के 50% के बराबर रकम—

(i) प्रधान मंत्री सूखा राहत निधि;

(ii) कोई निधि या कोई संस्था जिस पर यह धारा लागू होती है, यदि—

(अ) यह भारत में पूर्ण उद्देश्य के लिए स्थापित की गई है; और

(आ) यह एक रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन या अनुसूची 7 (सारणी: क्रम संख्या 1) में उल्लिखित एक संस्था या निधि है और धारा 354 के अधीन अनुमोदित है;

(iii) सरकार या कोई स्थानीय प्राधिकरण, जिसका उपयोग परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भिन्न किसी अन्य पूर्ण उद्देश्य के लिए किया जाना है;

(iv) वास सुविधा की आवश्यकता से निपटने और उसे संतुष्ट करने के उद्देश्य से या

शहरों, कस्बों और गांवों की स्कीम, विकास या सुधार के उद्देश्य से या दोनों के लिए अधिनियमित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन भारत में गठित एक प्राधिकरण;

(v) ऐसे अल्पसंख्यक समुदाय, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित का जाए, के सदस्यों के हितों को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित एक निगम;

(vi) किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च या अन्य स्थान के जीर्णोद्धार या मरम्मत के लिए कोई इकाई, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा ऐतिहासिक, पुरातत्विक या कलात्मक महत्व का या किसी राज्य या राज्यों में प्रसिद्ध सार्वजनिक पूजा का स्थान होने के लिए अधिसूचित किया गया है

(2) जहां उपधारा (1)(क)(xxiii) और (xxiv), और उपधारा (1)(ख)(ii) से (vi) में निर्दिष्ट रकमों का योग समंजित सकल कुल आय के 10% से अधिक है, तो सकल कुल आय के 10% से अधिक रकम को उन समंजित रकमों के योग की गणना करने के प्रयोजन के लिए अनदेखा कर दिया जाएगा, जिनके संबंध में उपधारा (1) के अधीन कटौती अनुज्ञात किया जाना है।

(3) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी रकम के संबंध में किसी कर वर्ष के लिए इस धारा के अधीन कटौती का दावा किया जाता है और उसे अनुज्ञेय दी जाती है, वह रकम जिसके संबंध में कटौती अनुज्ञात की जाती है, उसी या किसी अन्य कर वर्ष के लिए इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन कटौती के लिए योग्य नहीं होगी।

(4) इस धारा के अधीन कटौती केवल धन रकम के रूप में किए गए दान के लिए दी जाएगी।

(5) 2,000 रुपए से अधिक के दान के लिए कोई कटौती केवल तभी दी जाएगी, जब संदाय नकद से भिन्न किसी अन्य तरीके से किया गया हो।

(6) उपधारा (1)(ख)(ii) में निर्दिष्ट किसी संस्था या निधि को किए गए दान के मामले में निर्धारिती द्वारा किसी कर वर्ष के लिए दाखिल की गई आय-कर विवरणी में कटौती का कोई दावा केवल—

(क) ऐसी संस्था या निधि द्वारा विहित प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को दिए गए ऐसे दान से संबंधित सूचना के आधार पर; और

(ख) समय-समय पर बोर्ड द्वारा तैयार जोखिम प्रबंधन रणनीति के अनुसार सत्यापन के अधीन, के आधार पर, अनुज्ञात किया जाएगा।

(7) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “समंजित सकल कुल आय” से ऐसी सकल कुल आय अभिप्रेत है, जिसमें से उसका कोई भाग जिस पर इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन आय-कर देय नहीं है और कोई रकम जिसके संबंध में निर्धारिती इस अध्याय के किसी अन्य उपबंध के अधीन कटौती का हकदार है, घटाया गया है;

(ख) “पूर्त उद्देश्य” में ऐसा कोई उद्देश्य सम्मिलित नहीं है जिसका संपूर्ण या मूलतः धार्मिक प्रकृति का उद्देश्य हो;

(ग) “राष्ट्रीयरक्त आधान परिषद्” से सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी अभिप्रेत है, जिसका अध्यक्ष भारत सरकार के अतिरिक्त

सचिव या उससे उच्च स्तर का अधिकारी होता है, जो एड्स नियंत्रण परियोजना से संबंधित कार्य करता है;

(घ) "राज्य रक्त आधान परिषद्" से राष्ट्रीय रक्त आधान परिषद् के परामर्श से सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन या भारत के किसी भी भाग में लागू उस अधिनियम के अनुरूप किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी अभिप्रेत है, जिसका अध्यक्ष उस राज्य सरकार का सचिव होता है, जो स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कार्य करता है;

1860 का 21

(ड) कोई संगम या संस्था जिसका उद्देश्य भारत में ऐसे खेलों या खेलों का नियंत्रण, पर्यवेक्षण, विनियमन या प्रोत्साहन करना है, जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है, उसे भारत में पूर्ण उद्देश्य के लिए स्थापित संस्था माना जाएगा।

संदर्भ किराये के
संबंध में
कटौती।

134. (1) किसी निर्धारिती की कुल आय की गणना करते समय, इस धारा के अन्य उपबंधों के अधीन, उसके द्वारा अपने निवास के प्रयोजनों के लिए अधिगृहीत किसी सुसज्जित या असज्जित वास सुविधा के संबंध में किराए (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात) के संदाय के लिए उसके द्वारा किए गए किसी भी व्यय की कटौती की जाएगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन कटौती ऐसे किराए के संदाय पर अनुज्ञेय योग्य होगी जो उसकी कुल आय के 10% से अधिक हो, जो अधिकतम 5,000 रुपए प्रति माह या कर वर्ष के लिए कुल आय का 25% हो, जो भी कम हो।

(3) उपधारा (1) के अधीन कटौती के प्रयोजनों के लिए, उस क्षेत्र या स्थान को ध्यान में रखते हुए ऐसी अन्य शर्तें या सीमाएं जिसमें ऐसा वास सुविधा स्थित है और अन्य सुसंगत विचार, जैसा कि विहित किया जाए, को ध्यान में रखा जाएगा।

(4) इस धारा के अधीन किसी भी मामले में निर्धारिती को कोई कटौती नहीं की जाएगी, जहां—

(क) कोई आवासीय वास सुविधा—

(i) निर्धारिती या उसके पति या पत्नी या अवयस्क बालक के स्वामित्व में है या, जहां ऐसा निर्धारिती हिंदू अविभक्त कुटुंब का सदस्य है, ऐसे परिवार द्वारा उस स्थान पर जहां वह साधारणतः निवास करता है या अपने कार्यालय या रोजगार के कर्तव्यों का पालन करता है या अपना कारबार या वृत्ति चलाता है; या

(ii) निर्धारिती के स्वामित्व में किसी अन्य स्थान पर है, जो निर्धारिती के कब्जे में वास सुविधा है, जिसका मूल्य धारा 21(6)(क) या (7)(क) के अधीन विहित किया जाना है; या

(ख) निर्धारिती की कोई आय अनुसूची III (सारणी: क्रम संख्या 11) में आती है।

(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “उसकी कुल आय का 10%” और “उसकी कुल आय का 25%” का अर्थ इस धारा के अधीन किसी भी व्यय के लिए कटौती की अनुज्ञेय देने से पहले निर्धारिती की कुल आय का 10% या 25% होगा।

135. (1) किसी निर्धारिती की कुल आय की गणना करने में, इस धारा के उपबंधों के अनुसार, कर वर्ष में निर्धारिती द्वारा निम्नलिखित को संदाय की गई कोई रकम काटी जाएगी—

(क) कोई शोध संगम जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान करना है, या धारा

वैज्ञानिक
अनुसंधान या
ग्रामीण विकास
के लिए कतिपय

45(3)(क)(i) के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उपयोग किया जाना है;

दान के संबंध में कटौती ।

(ख) कोई शोध संगम जिसका उद्देश्य सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान में अनुसंधान करना है, या धारा 45(3)(क)(ii) के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था को सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान में अनुसंधान के लिए उपयोग किया जाना है;

(2) उपधारा (1) के अनुसार किए गए अंशदानों के लिए कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी, यदि—

(क) निर्धारिती की सकल कुल आय में वह आय सम्मिलित है जो “कारोबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन प्रभार्य है; या

(ख) अभिदाय 2,000 रुपए से अधिक नकद में किया गया है ।

(3) उपधारा (1) (क) और (ख) के अधीन कटौती से केवल इस आधार पर इनकार नहीं किया जाएगा कि निर्धारिती द्वारा ऐसी रकम के संदाय के पश्चात्, उसमें निर्दिष्ट ऐसे संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अन्य संस्थान, जिसे संदाय किया गया था, का अनुमोदन वापस ले लिया गया है ।

(4) निर्धारिती द्वारा किसी कर वर्ष के लिए दाखिल आय-कर विवरणी में उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी रकम के संबंध में कटौती के लिए निर्धारिती का दावा, संदायकर्ता द्वारा विहित आय-कर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को दी गई ऐसी रकम से संबंधित सूचना के आधार पर स्वीकृत किया जाएगा, जो समय-समय पर बोर्ड द्वारा तैयार की गई जोखिम प्रबंधन रणनीति के अनुसार सत्यापन के अधीन होगा ।

(5) जहां किसी कर वर्ष के लिए कटौती का दावा किया गया है और इस धारा में निर्दिष्ट प्रकृति के किसी भुगतान के संबंध में अनुमति दी गई है, ऐसे भुगतान के संबंध में किसी भी कर वर्ष में इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

1951 का 43

136. (1) किसी निर्धारिती को, जो भारतीय कंपनी है, किसी कर वर्ष के दौरान उसके द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी राजनीतिक दल या किसी चुनावी न्यास को नकद से भिन्न किसी अन्य रूप में अभिदाय की गई रकम के लिए कटौती की अनुज्ञेय दी जाएगी ।

कंपनियों द्वारा राजनीतिक दलों को दिए गए अभिदाय के संबंध में कटौती ।

2013 का 18

(2) इस धारा के प्रयोजन के लिए, "अभिदाय" पद का, इसके व्याकरणिक रूपांतरों और सजातीय पदों के साथ वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 182 में उसका है ।

1951 का 43

137. किसी निर्धारिती (स्थानीय प्राधिकरण और सरकार द्वारा पूर्णतः या आंशिक रूप से वित्तपोषित कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति को अपवर्जित करते हुए) को, कर वर्ष के दौरान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी राजनीतिक दल या किसी निर्वाचन न्यास को, नकद से भिन्न, उसके द्वारा दिए गए अभिदाय की रकम पर कटौती की अनुज्ञेय दी जाएगी ।

किसी व्यक्ति द्वारा राजनीतिक दलों को दिए गए अभिदाय के संबंध में कटौती ।

ग. कतिपय आय के संबंध में कटौती

बुनियादी ढांचे के विकास आदि में

138. 1 अप्रैल, 2026 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी भी कर वर्ष के संबंध में,

लगे औद्योगिक
उपक्रमों या
उद्यमों से लाभ
और अभिलाभ के
संबंध में
कटौती ।

जहां—

(क) किसी निर्धारिती की सकल कुल आय में आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 80-झक में निर्दिष्ट किसी कारबार से किसी उपक्रम या उद्यम द्वारा प्राप्त कोई लाभ और अभिलाभ सम्मिलित है; और

1961 का 43

(ख) ऐसा निर्धारिती उक्त धारा के उपबंधों के अधीन ऐसे कर वर्ष के लिए ऐसे कारबार से प्राप्त लाभ और अभिलाभ से कटौती का दावा करने के लिए पात्र है, मानो कि उक्त अधिनियम को निरस्त नहीं किया गया है,

तो निर्धारिती की कुल आय की गणना करने में, ऐसे कारबार से प्राप्त लाभ और अभिलाभ से कटौती की अनुज्ञेय दी जाएगी, इन शर्तों के अधीन कि—

(i) कटौती की रकम आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 80-झक के उपबंधों के अनुसार गणना की जाती है; और

1961 का 43

(ii) इस अधिनियम के अधीन कटौती केवल ऐसे कर वर्षों के लिए दी जाएगी, जैसा कि आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 80-झक के अधीन दी गई होती, जैसे कि उक्त अधिनियम को निरस्त नहीं किया गया हो ।

1961 का 43

विशेष आर्थिक
जोन के विकास
में लगे किसी
उपक्रम या उद्यम
द्वारा लाभ और
अभिलाभ के
संबंध में ।

139. 1 अप्रैल, 2027 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी भी कर वर्ष के संबंध में,
जहां—

(क) एक विकासक होने के नाते एक निर्धारिती की सकल कुल आय में आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 80-झक में निर्दिष्ट विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 के अधीन 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् अधिसूचित विशेष आर्थिक जोन के विकास के किसी भी कारबार से किसी उपक्रम या उद्यम द्वारा प्राप्त कोई लाभ और अभिलाभ सम्मिलित है; और

1961 का 43

2005 का 28

(ख) ऐसा निर्धारिती उक्त धारा के उपबंधों के अधीन ऐसे कर वर्ष के लिए ऐसे कारबार से प्राप्त लाभ और लाभ से कटौती का दावा करने के लिए पात्र है, मानो कि उक्त अधिनियम को निरस्त नहीं किया गया है, तो निर्धारिती की कुल आय की गणना करने में, ऐसे कारबार से प्राप्त लाभ और लाभ से कटौती की अनुज्ञेय दी जाएगी, इन शर्तों के अधीन कि—

1961 का 43

(i) कटौती की रकम आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 80-झक के उपबंधों के अनुसार गणना की जाती है; और

1961 का 43

(ii) इस अधिनियम के अधीन कटौती केवल ऐसे कर वर्षों के लिए दी जाएगी, जैसी कि आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 80-झक के अधीन दी गई होती, मानो कि उक्त अधिनियम निरस्त नहीं किया गया होता ।

140. (1) जहां किसी निर्धारिती की सकल कुल आय में, जो एक पात्र स्टार्ट-अप है, पात्र कारबार से प्राप्त कोई लाभ और अभिलाभ सम्मिलित है, वहां इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उसके अधीन, निर्धारिती की कुल आय की गणना करने में, लगातार तीन कर वर्षों के लिए ऐसे कारबार से प्राप्त लाभ और अभिलाभ के 100% के बराबर रकम की कटौती की अनुज्ञेय दी जाएगी ।

विनिर्दिष्ट
कारबार के संबंध
में विशेष
उपबंध ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कटौती, निर्धारिती के विकल्प पर, पात्र स्टार्ट-अप के निगमित

होने के वर्ष से प्रारंभ होने वाले दस वर्षों में से किसी भी तीन लगातार कर वर्षों के लिए दावा की जा सकती है।

(3) यह धारा ऐसे स्टार्ट-अप पर लागू होती है जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है:—

(क) यह पहले से विद्यमान कारबार के निर्विलियन, या पुनर्निर्माण द्वारा गठित नहीं है;

(ख) यह किसी भी उद्देश्य के लिए पहले से उपयोग की गई मशीनरी या संयंत्र के नए कारबार में अंतरण द्वारा गठित नहीं है।

(4) जहां भारत में संचालित किसी उपक्रम का कारोबार किसी कर वर्ष में निर्धारिती के स्वामित्व वाले और ऐसे कारोबार के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भवन, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर को व्यापक क्षति पहुंचने या नष्ट होने के कारण बंद हो जाता है, जो कि निम्नलिखित के प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप होता है—

(क) बाढ़, आंधी, तूफान, चक्रवात, भूकंप या प्रकृति का कोई अन्य आघात; या

(ख) दंगा या सिविल अशांति; या

(ग) आकस्मिक आग या विस्फोट; या

(घ) किसी शत्रु द्वारा की गई कार्रवाई या शत्रु से लड़ने में की गई कार्रवाई (चाहे युद्ध की घोषणा के साथ या उसके बिना),

और उसके पश्चात्, ऐसे कर वर्ष की समाप्ति से तीन वर्ष की समाप्ति से पहले किसी भी समय, ऐसे उपक्रम का कारोबार निर्धारिती द्वारा पुनः स्थापित, पुनः निर्मित या पुनर्जीवित किया जाता है, उपधारा (3) (क) में निर्दिष्ट शर्त ऐसे उपक्रम पर लागू नहीं होगी, जिसे इस प्रकार पुनः स्थापित, पुनः निर्मित या पुनर्जीवित किया गया है।

(5) उपधारा (3)(ख) के प्रयोजनों के लिए, कोई मशीनरी या संयंत्र जो निर्धारिती से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर उपयोग किया गया था, उसे किसी प्रयोजन के लिए पहले उपयोग की गई मशीनरी या संयंत्र नहीं माना जाएगा, यदि निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी होती हैं:—

(क) ऐसी मशीनरी या संयंत्र निर्धारिती द्वारा स्थापना की तारीख से पहले किसी भी समय भारत में उपयोग नहीं किया गया था;

(ख) ऐसी मशीनरी या संयंत्र भारत में आयात किया गया है;

(ग) ऐसी मशीनरी या संयंत्र के संबंध में अवक्षयण के कारण कोई कटौती इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन निर्धारिती द्वारा मशीनरी या संयंत्र की स्थापना की तारीख से पहले किसी भी अवधि के लिए किसी भी व्यक्ति की कुल आय की गणना करने में अनुमत नहीं की गई है या अनुज्ञेय नहीं है।

(6) जहां स्टार्ट-अप के मामले में, किसी उद्देश्य के लिए पहले से उपयोग की गई कोई मशीनरी या संयंत्र या उसका कोई भाग किसी नए कारबार को अंतरित किया जाता है और इस प्रकार अंतरित मशीनरी या संयंत्र या भाग का कुल मूल्य कारबार में उपयोग की गई मशीनरी या संयंत्र के कुल मूल्य के 20% से अधिक नहीं है, तो उपधारा 3(ख) के प्रयोजनों के लिए, उसमें निर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन किया गया माना जाएगा।

(7) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी भी बात का विचार किए बिना, किसी पात्र कारबार के लाभ और अभिलाभ, जिस पर उपधारा (1) के उपबंध लागू होते हैं, की

गणना, प्रारंभिक कर वर्ष या किसी पश्चात् के कर वर्ष के तुरंत पश्चात् के कर वर्ष के लिए उस उपधारा के अधीन कटौती की मात्रा विहित करने के प्रयोजनों के लिए इस प्रकार की जाएगी मानो ऐसा पात्र कारबार प्रारंभिक कर वर्ष के दौरान और प्रत्येक पश्चात् के कर वर्ष तक और उस कर वर्ष तक जिसके लिए निर्धारण किया जाना है, निर्धारिती की आय का एकमात्र स्रोत था।

(8) उपधारा (1) के अधीन पात्र कारबार से प्राप्त लाभ और अभिलाभ में से कटौती तब तक अनुज्ञेय नहीं होगी, जब तक कि कर वर्ष, जिसके लिए कटौती का दावा किया गया है, के लिए पात्र कारबार के खातों की लेखापरीक्षा धारा 63 में निर्दिष्ट तारीख से पूर्व लेखाकार द्वारा न कर ली गई हो और निर्धारिती उस तारीख तक विहित प्ररूप में ऐसे लेखापरीक्षा की रिपोर्ट ऐसे लेखाकार द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित और सत्यापित करके प्रस्तुत न कर दे।

(9) ऐसे मामले में जहां,—

(i) पात्र कारबार के प्रयोजनों के लिए धारित कोई माल या सेवा निर्धारिती द्वारा चलाए जा रहे किसी अन्य कारबार को अंतरित कर दी जाती है; या

(ii) जहां निर्धारिती द्वारा चलाए जा रहे किसी अन्य कारबार के प्रयोजनों के लिए धारित कोई माल या सेवा निर्धारिती द्वारा चलाए जा रहे किसी अन्य कारबार को अंतरित कर दी जाती है;

और, किसी भी मामले में, पात्र कारबार के खातों में दर्ज किए गए ऐसे अंतरण के लिए विचार, यदि कोई हो, अंतरण की तारीख को ऐसे माल या सेवाओं के बाजार मूल्य के अनुरूप नहीं है, तो, इस खंड के अधीन कटौती के प्रयोजनों के लिए, ऐसे पात्र कारबार के लाभ और लाभ की गणना इस प्रकार की जाएगी जैसे कि अंतरण, किसी भी मामले में, उस तारीख को ऐसे माल या सेवाओं के बाजार मूल्य पर किया गया था।

(10) उपधारा (9) के प्रयोजनों के लिए, जहां कर निर्धारण अधिकारी की राय में, पूर्व में निर्दिष्ट तरीके से पात्र कारबार के लाभ और अभिलाभ की गणना असाधारण कठिनाइयां प्रस्तुत करती है, वहां कर निर्धारण अधिकारी ऐसे लाभ और अभिलाभ की गणना ऐसे समुचित आधार पर कर सकता है, जैसा वह समुचित समझे।

(11) उपधारा (9) के प्रयोजनों के लिए, किसी भी माल या सेवाओं के संबंध में "बाजार मूल्य" से—

(i) वह मूल्य जो ऐसे माल या सेवाओं को साधारणतः खुले बाजार में मिलेगा; या

(ii) धारा 173(क) में परिभाषित सन्निकट मूल्य, जहां ऐसे माल या सेवाओं का अंतरण धारा 164 में निर्दिष्ट एक निर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार है,

अभिप्रेत है।

(12) जहां किसी उपक्रम या किसी उद्यम के लाभ और लाभ की किसी रकम का दावा किसी कर वर्ष के लिए इस धारा के अधीन किया जाता है और उसे अनुज्ञेय दी जाती है, ऐसे लाभ और लाभ की सीमा तक कटौती इस अध्याय के भाग ग के किसी अन्य उपबंध के अधीन अनुज्ञेय नहीं दी जाएगी और किसी भी मामले में उपक्रम या उद्यम के ऐसे पात्र कारबार के लाभ और लाभ से अधिक नहीं होगी, जैसा

(13) जहां मूल्यांकन अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि इस धारा के लागू होने वाले पात्र कारबार को चलाने वाले निर्धारिती और किसी अन्य व्यक्ति के बीच घनिष्ठ संबंध के कारण, या किसी अन्य कारण से, उनके बीच कारोबार का क्रम इस प्रकार व्यवस्थित है कि उनके बीच किया

गया कारोबार निर्धारिती को ऐसे पात्र कारोबार में होने वाले साधारण लाभ से अधिक लाभ देता है, तो कर निर्धारण अधिकारी इस धारा के अधीन कटौती के प्रयोजनों के लिए ऐसे पात्र कारोबार के लाभ और अभिलाभ की गणना करते समय, उससे प्राप्त होने वाले लाभ की वह रकम लेगा, जो समुचित रूप से मानी जा सकती है।

(14) जहां उपधारा (13) में उल्लिखित व्यवस्था में धारा 164 में निर्दिष्ट कोई निर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार सम्मिलित है, वहां ऐसे संव्यवहार से लाभ की रकम धारा 173(क) में परिभाषित सन्निकट कीमत को ध्यान में रखते हुए अवधारित की जाएगी।

(15) केंद्रीय सरकार ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसा वह समुचित समझे, अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकती है कि इस धारा द्वारा प्रदत्त छूट अधिसूचना में निर्दिष्ट तारीख से किसी भी वर्ग के औद्योगिक उपक्रम या उद्यम पर लागू नहीं होगी।

(16) इस धारा के प्रयोजन के लिए,—

(क) “पात्र कारबार” से किसी पात्र स्टार्ट-अप द्वारा किया जाने वाला कारबार अभिप्रेत है, जो उत्पादों या प्रक्रियाओं या सेवाओं के नवाचार, विकास या सुधार में लगा हो या रोजगार सृजन या धन सृजन की उच्च क्षमता वाला एक स्केलेबल कारबार मॉडल हो;

(ख) “पात्र स्टार्ट-अप” से कोई कंपनी या सीमित देयता भागीदारी अभिप्रेत है, जो पात्र कारबार में लगी हो और जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती हो:—

(i) यह 1 अप्रैल, 2016 को या उसके पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 2030 से पहले निगमित हुई हो;

(ii) इसके कारबार का कुल कारोबार उस कर वर्ष से संबंधित कर वर्ष में एक सौ करोड़ रुपए से अधिक नहीं है जिसके लिए उपधारा (1) के अधीन कटौती का दावा किया गया है; और

(iii) यह केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जा सकने वाले अंतर-मंत्रालयी प्रमाणन बोर्ड से पात्र कारबार का प्रमाण पत्र रखती हो;

(ग) “सीमित दायित्व भागीदारी” से सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 के धारा 2(1)(ढ) में निर्दिष्ट भागीदारी अभिप्रेत है।

141. 1 अप्रैल, 2027 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी भी कर वर्ष के संबंध में, जहां—

(क) किसी निर्धारिती की सकल कुल आय में आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 80-झख में निर्दिष्ट किसी भी कारबार से प्राप्त कोई लाभ और अभिलाभ सम्मिलित हैं; और

(ख) ऐसा निर्धारिती उक्त धारा के उपबंधों के अधीन ऐसे कर वर्ष के लिए ऐसे कारबार से प्राप्त लाभ और अभिलाभ से कटौती का दावा करने के लिए पात्र है, मानो कि उक्त अधिनियम को निरस्त नहीं किया गया है,

तो निर्धारिती की कुल आय की गणना करने में, ऐसे कारबार से प्राप्त लाभ और अभिलाभ से कटौती की अनुज्ञेय दी जाएगी, इन शर्तों के अधीन कि-

(i) कटौती की रकम आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 80झख के उपबंधों के अनुसार गणना की जाती है; और

कतिपय
औद्योगिक
उपक्रमों से लाभ
और अभिलाभ
के संबंध में
कटौती।

1961 का 43

2009 का 6

1961 का 43

(ii) इस अधिनियम के अधीन कटौती केवल ऐसे कर वर्षों के लिए दी जाएगी, जैसी कि आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 80-झख के अधीन दी गई होती, मानो कि उक्त अधिनियम निरस्त नहीं किया गया होता।

1961 का 43

वास सुविधा
परियोजनाओं से
लाभ और
अभिलाभ के
संबंध में कटौती।

142. किसी भी कर वर्ष के संबंध में, जहां—

(क) किसी निर्धारिती की सकल कुल आय में आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 80झखक में निर्दिष्ट वास सुविधा परियोजनाओं या किराये की वास सुविधा परियोजनाओं के विकास और संनिर्माण के कारबार से प्राप्त कोई लाभ और अभिलाभ सम्मिलित है; और

1961 का 43

(ख) ऐसा निर्धारिती उक्त धारा के उपबंधों के अधीन ऐसे कर वर्ष के लिए ऐसे कारबार से प्राप्त लाभ और अभिलाभ में से कटौती का दावा करने के लिए पात्र है, मानो कि उक्त अधिनियम को निरस्त नहीं किया गया है, तो

निर्धारिती की कुल आय की गणना करने में, ऐसे कारबार से प्राप्त लाभ और अभिलाभ में से कटौती की अनुज्ञेय दी जाएगी, इन शर्तों के अधीन कि—

(i) कटौती की रकम आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 80-झखक के उपबंधों के अनुसार गणना की जाती है; और

1961 का 43

(ii) इस अधिनियम के अधीन कटौती केवल ऐसे कर वर्षों के लिए दी जाएगी, जैसी कि आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 80झखक के अधीन दी गई होती, मानो कि उक्त अधिनियम निरस्त नहीं किया गया होता।

1961 का 43

पूर्वोत्तर राज्यों में
कतिपय उपक्रमों
के संबंध में
विशेष उपबंध।

143. (1) जहां किसी निर्धारिती की सकल कुल आय में किसी उपक्रम द्वारा, जिस पर यह धारा लागू होती है, उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी कारोबार से प्राप्त कोई लाभ और अभिलाभ सम्मिलित है, वहां निर्धारिती की कुल आय की गणना करने में, प्रारंभिक कर वर्ष से प्रारंभ होने वाले लगातार दस कर वर्षों के लिए ऐसे कारोबार से प्राप्त लाभ और अभिलाभ के 100% के बराबर रकम की कटौती की अनुज्ञेय दी जाएगी।

(2) यह धारा किसी ऐसे उपक्रम पर लागू होती है, जिसने 1 अप्रैल, 2007 से प्रारंभ होकर 1 अप्रैल, 2017 को समाप्त पहले होने वाली अवधि के दौरान, पूर्वोत्तर राज्यों में से किसी में, निम्नलिखित कार्य प्रारंभ कर दिया है या करने जा रहा है,—

(क) किसी पात्र वस्तु या चीज का विनिर्माण या उत्पादन करना;

(ख) किसी पात्र वस्तु या चीज का विनिर्माण या उत्पादन करने के लिए पर्याप्त विस्तार करना; और

(ग) किसी पात्र कारोबार को चलाना।

(3) यह धारा किसी ऐसे उपक्रम पर लागू होती है जो निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करता है:—

(क) यह पहले से विद्यमान किसी कारबार को निर्विलियत करके या उसका पुनर्निर्माण करके नहीं बनाया गया है (ऐसे उपक्रम को छोड़कर जो धारा 140(4) में निर्दिष्ट किसी ऐसे उपक्रम के कारोबार के निर्धारिती द्वारा पुनःस्थापना, पुनर्निर्माण या पुनरुद्धार के परिणामस्वरूप, उसमें निर्दिष्ट परिस्थितियों में और अवधि के भीतर निर्मित होता है);

(ख) यह किसी मशीनरी या संयंत्र को किसी नए कारबार में स्थानांतरित करके नहीं बनाया गया है जो पहले किसी उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया गया हो,

(4) उपधारा (3)(ख) के प्रयोजनों के लिए धारा 140(5) और (6) के उपबंध लागू होंगे।

(5) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी भी बात का विचार किए बिना, निर्धारिती की कुल आय की गणना करने में, उपक्रम के लाभ और अभिलाभ के संबंध में इस अध्याय में निहित किसी अन्य धारा के अधीन कोई कटौती नहीं की जाएगी।

(6) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात का विचार किए बिना, इस धारा के अधीन किसी उपक्रम को कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी, जहां इस धारा के अधीन या आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 80-झख(4) के द्वितीय परंतुक के अधीन कटौती की अवधि सहित कटौती की कुल अवधि दस कर वर्ष से अधिक है।

(7) धारा 140(7) से (15) में अंतर्विष्ट उपबंध, जहां तक हो सके, इस धारा के अधीन पात्र उपक्रम पर लागू होंगे।

(8) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “पात्र वस्तु या चीज” से निम्नलिखित से भिन्न वस्तु या चीज अभिप्रेत है:—

1986 का 5

(i) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची के अध्याय 24 के अधीन आने वाले सामान, जो तंबाकू और निर्मित तंबाकू के विकल्प से संबंधित हैं;

1986 का 5

(ii) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची के अध्याय 21 के अधीन आने वाले पान मसाला;

(iii) पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या एस.ओ. 705(ई), तारीख 2 सितंबर, 1999 और का.आ. 698(अ), तारीख 17 जून, 2003 द्वारा निर्दिष्ट बीस माइक्रोन से कम के प्लास्टिक कैरी बैग; और

1986 का 5

(iv) पेट्रोलियम तेल या गैस रिफाइनरियों द्वारा उत्पादित केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची के अध्याय 27 के अधीन आने वाले सामान;

(ख) “पात्र कारबार” से—

(i) होटल (दो सितारा श्रेणी से कम नहीं);

(ii) रोपवे सहित साहसिक और अवकाश खेल;

(iii) पच्चीस बिस्तरों की न्यूनतम क्षमता वाले नर्सिंग होम की प्रकृति में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना;

(iv) वृद्धाश्रम चलाना;

(v) होटल प्रबंधन, खानपान और खाद्य शिल्प, उद्यमिता विकास, नर्सिंग और पैरा-मेडिकल, नागरिक उड्डयन से संबंधित प्रशिक्षण, फैशन डिजाइनिंग और औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए कारबारिक प्रशिक्षण संस्थान चलाना;

- (vi) सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रशिक्षण केंद्र चलाना;
- (vii) सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर का विनिर्माण; और
- (viii) जैव प्रौद्योगिकी,

अभिप्रेत है।

(ग) "प्रारंभिक कर वर्ष" से वह कर वर्ष अभिप्रेत है, जिसमें उपक्रम वस्तुओं या चीजों का संनिर्माण या उत्पादन प्रारंभ करता है, या पर्याप्त विस्तार पूरा करता है;

(घ) "पूर्वोत्तर राज्य" से अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा राज्य अभिप्रेत है;

(ङ) "पर्याप्त विस्तार" से संयंत्र और मशीनरी में विनिधान में संयंत्र और मशीनरी के बही मूल्य (किसी भी वर्ष में अवक्षयण लेने से पहले) के कम से कम 25% की वृद्धि, उस कर वर्ष के पहले दिन जिसमें पर्याप्त विस्तार किया जाता है, अभिप्रेत है।

विशेष आर्थिक क्षेत्रों में नवस्थापित इकाइयों के संबंध में विशेष उपबंध।

144. 1 अप्रैल, 2027 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी कर वर्ष के संबंध में, जहां—

(क) किसी ऐसे निर्धारिती की कुल आय की गणना करते समय, जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2(ज) में निर्दिष्ट उद्यमी है, जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10कक में निर्दिष्ट वस्तुओं या चीजों का विनिर्माण या उत्पादन करना प्रारंभ करता है या कोई सेवाएं प्रदान करता है; और

2005 का 28
1961 का 43

(ख) ऐसा निर्धारिती उक्त धारा के उपबंधों के अधीन ऐसे कर वर्ष के लिए ऐसी वस्तुओं या चीजों के निर्यात से या सेवाओं से प्राप्त लाभ और अभिलाभ में से कटौती का दावा करने के लिए पात्र है, यदि उक्त अधिनियम को निरस्त नहीं किया गया होता, तो निर्धारिती की कुल आय की गणना करते समय, ऐसे कारबार से प्राप्त लाभ और अभिलाभ में से कटौती अनुज्ञात की जाएगी, इन शर्तों के अधीन कि—

(i) कटौती की रकम की गणना आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10कक के उपबंधों के अनुसार की जाती है; और

1961 का 43

(ii) इस अधिनियम के अधीन कटौती केवल ऐसे कर वर्षों के लिए दी जाएगी, जैसी कि आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10कक के अधीन दी गई होती, मानो कि उक्त अधिनियम निरस्त नहीं किया गया होता।

1961 का 43

जैव-निम्नीकरणीय अपशिष्ट के संग्रहण और प्रसंस्करण में लगे कारबारों के लिए कटौती।

145. यदि किसी निर्धारिती की सकल कुल आय में जैव-निम्नीकरणीय अपशिष्ट को एकत्रित करने, उसका प्रसंस्करण करने या उपचार करने के कारबार से प्राप्त कोई लाभ और अभिलाभ सम्मिलित है,—

(क) विद्युत उत्पादन; या

(ख) जैव-उर्वरक, जैव-कीटनाशक या अन्य जैविक एजेंट का उत्पादन; या

(ग) जैव-गैस का उत्पादन; या

(घ) ईंधन या जैविक खाद के लिए छर्चे या ब्रिकेट बनाना,

तो ऐसे कारबार के प्रारंभ होने वाले कर वर्ष से प्रारंभ करते हुए, लगातार पांच कर वर्षों के लिए ऐसे लाभ और अभिलाभ की पूरी रकम के बराबर कटौती की अनुज्ञात की जाएगी।

146. (1) उपधारा (2) और उपधारा (3) में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, यदि किसी निर्धारिती की

अतिरिक्त कर्मचारी लागत

सकल कुल आय, जिस पर धारा 63 लागू होती है, में कारबार से कोई लाभ और अभिलाभ सम्मिलित है, तो कर वर्ष में ऐसे कारबार के दौरान किए गए अतिरिक्त कर्मचारी लागत के 30% के बराबर रकम की कटौती अनुज्ञात की जाएगी।

के संबंध में कटौती।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कटौती, उस कर वर्ष से प्रारंभ होकर, जिसमें रोजगार प्रदान किया गया है, लगातार तीन कर वर्षों के लिए दी जाएगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी, यदि—

(क) कारबार किसी विद्यमान कारबार को विभाजित करके या पुनर्निर्माण करके बनाया गया है; या

(ख) कारबार को निर्धारिती द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से अंतरण के माध्यम से या किसी कारबार पुनर्गठन के परिणामस्वरूप अर्जित किया गया है; या

(ग) निर्धारिती, धारा 63 में निर्दिष्ट तारीख से पहले, रिपोर्ट में विवरण देते हुए, जैसा कि विहित किया जाए, लेखाकार की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है।

(4) उपधारा (3)(क) में निर्दिष्ट शर्त ऐसे उपक्रम के संबंध में लागू नहीं होगी जो धारा 140(4) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के कारबार की निर्धारिती द्वारा पुनः स्थापना, पुनर्निर्माण या पुनरुद्धार के परिणामस्वरूप उक्त धारा 140(4) में निर्दिष्ट परिस्थितियों में और अवधि के भीतर बनाई गई है।

(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “अतिरिक्त कर्मचारी लागत” से—

(i) कर वर्ष के दौरान नियोजित अतिरिक्त कर्मचारियों को संदाय की गई या देय कुल परिलब्धियां; या

(ii) कर वर्ष के दौरान नियोजित कर्मचारियों को संदाय की गई या देय परिलब्धियां, जहां वह वर्ष किसी नए कारबार का पहला वर्ष है, अभिप्रेत है,

और यह विद्यमान कारबार के मामले में शून्य होगी, यदि—

(अ) पूर्ववर्ती कर वर्ष के अंतिम दिन तक नियोजित कुल संख्या से कर्मचारियों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है; या

(आ) पारिश्रमिक का संदाय खाता आदाता चेक या खाता आदाता बैंक ड्राफ्ट से भिन्न या बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली के उपयोग या विहित किए जा सकने वाले किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से नहीं किया जाता है;

(ख) “अतिरिक्त कर्मचारी” से वह कर्मचारी अभिप्रेत है, जो कर वर्ष के दौरान नियोजित किया गया है और जिसका रोजगार पूर्ववर्ती कर वर्ष के अंतिम दिन तक नियोक्ता द्वारा नियोजित कुल कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करता है, लेकिन इसमें कोई भी कर्मचारी सम्मिलित नहीं है—

(i) जिसका कुल पारिश्रमिक 25,000 रुपए प्रति माह से अधिक है;

(ii) जिसके लिए सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के उपबंधों के अनुसार अधिसूचित कर्मचारी पेंशन स्कीम के अधीन संपूर्ण अभिदाय का संदाय करती है;

(iii) ऐसे निर्धारिती के मामले में जो परिधान या जूते या चमड़े के उत्पादों के विनिर्माण के कारबार में लगा हुआ है, एक सौ पचास दिनों से कम समय के लिए नियोजित है, सिवाय इसके कि ऐसे कर्मचारी को तत्काल पश्चात् के कर वर्ष में उक्त दिनों की संख्या के लिए नियोजित किया जाता है, तो उसे अगले कर वर्ष का अतिरिक्त कर्मचारी माना जाएगा और इस धारा के उपबंध तदनुसार लागू होंगे;

(iv) किसी अन्य निर्धारिती के मामले में कर वर्ष के दौरान दो सौ चालीस दिनों से कम समय के लिए नियोजित है, सिवाय इसके कि ऐसे कर्मचारी को तत्काल पश्चात् के कर वर्ष में उक्त दिनों की संख्या के लिए नियोजित किया जाता है, तो उसे अगले कर वर्ष का अतिरिक्त कर्मचारी माना जाएगा और इस धारा के उपबंध तदनुसार लागू होंगे; और

(v) जो किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में भाग नहीं लेता है;

(ग) "परिलब्धियों" से किसी कर्मचारी को उसके रोजगार के बदले में संदाय की गई या देय कोई रकम, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है लेकिन इसमें—

(i) किसी विधि द्वारा अनिवार्य रूप से कर्मचारी के लाभ के लिए किसी पेंशन या भविष्य निधि या किसी अन्य निधि में नियोक्ता का संदत्त या देय अभिदाय; और

(ii) किसी कर्मचारी को उसकी सेवा समाप्ति, अधिवर्षिता या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के समय दिए जाने वाले या देय एकमुश्त संदाय, जैसे कि उपदान, सेवा-विच्छेद वेतन, अवकाश नकदीकरण, स्वैच्छिक छंटनी लाभ, पेंशन का संराशीकरण और इसी प्रकार के अन्य संदाय, सम्मिलित नहीं है।

अपतटीय बैंकिंग
इकाइयों और
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय
सेवा केंद्र की
इकाइयों की आय
के लिए कटौती।

147. (1) जहां निम्नलिखित निर्धारिती के पास उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्रकृति की कोई आय है, वहां ऐसी आय के 100% के बराबर कटौती की अनुज्ञेय दी जाएगी:—

(क) एक अनुसूचित बैंक, या भारत के बाहर किसी देश की विधियों के अधीन निगमित बैंक, जिसके पास विशेष आर्थिक जोन में एक अपतटीय बैंकिंग इकाई है; या

(ख) एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की एक इकाई।

(2) कटौती की अनुज्ञात की जाएगी—

(क) उपधारा (1) (क) में उल्लिखित इकाई के मामले में सुसंगत कर वर्ष से प्रारंभ होने वाले दस लगातार कर वर्षों के लिए;

(ख) उपधारा (1) (ख) में उल्लिखित इकाई के मामले में, निर्धारिती के विकल्प पर, सुसंगत कर वर्ष से प्रारंभ होने वाले पंद्रह वर्षों में से लगातार दस कर वर्षों के लिए।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट आय निम्नलिखित से आय होगी—

(क) एक विशेष आर्थिक जोन में स्थित एक अपतटीय बैंकिंग इकाई; या

(ख) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 6(1) में निर्दिष्ट कारबारिक क्रियाकलाप, किसी विशेष आर्थिक जोन में उपक्रमों या विशेष आर्थिक जोन का विकास, विकास और संचालन करने वाली संस्थाओं या विशेष आर्थिक जोन का विकास, संचालन और रखरखाव करने वाली संस्थाओं के साथ; या

(ग) किसी विशेष आर्थिक जोन में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की किसी

इकाई की अनुमोदित कारबारिक क्रियाकलाप; या

(घ) खंड (ग) में निर्दिष्ट इकाई द्वारा पट्टे पर ली गई किसी आस्ति, वायुयान या पोत का अंतरण, यदि ऐसी इकाई ने 31 मार्च, 2030 तक अपना कारबारिक संचालन प्रारंभ कर दिया है।

(4) इस धारा के अधीन कटौती केवल तभी दी जाएगी जब निर्धारित आय-कर विवरणी के साथ—

(क) कटौती के दावे की सत्यता को प्रमाणित करने वाले लेखाकार से विहित किए जा सकने वाले प्ररूप में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा; और

(ख) निम्नलिखित की एक प्रति—

1949 का 10

(i) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23(1)(क) के अधीन प्राप्त अनुज्ञा; या

2019 का 50

(ii) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के अधीन प्राप्त अनुज्ञेय या रजिस्ट्रीकरण।

(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “सुसंगत कर वर्ष” होगा,—

1949 का 10

1992 का 15

(i) उपधारा (1)(क) में उल्लिखित इकाई के मामले में, वह कर वर्ष जिसमें बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23(1)(क) के अधीन अनुज्ञेय, या भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड अधिनियम, 1992 या किसी अन्य सुसंगत विधि के अधीन अनुज्ञेय या रजिस्ट्रीकरण प्राप्त किया गया था; या

1949 का 10

1992 का 15

2019 का 50

(ii) उपधारा (1)(ख) में उल्लिखित इकाई के मामले में, वह कर वर्ष जिसमें बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23(1)(क) के अधीन अनुज्ञेय, या भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन अनुज्ञेय या रजिस्ट्रीकरण, या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, 2019 के अधीन अनुज्ञेय या रजिस्ट्रीकरण प्राप्त किया गया था;

2005 का 28

(ख) “इकाई” का वही अर्थ होगा जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2(यग) में उसका है;

(ग) “वायुयान” और “पोत” के वही अर्थ होंगे, जो अनुसूची 6 में उनके हैं (टिप्पण 3)।

148. (1) यदि किसी कर वर्ष में किसी घरेलू कंपनी की सकल कुल आय में निम्नलिखित से लाभांश के रूप में कोई आय सम्मिलित है—

(क) कोई अन्य घरेलू कंपनी; या

(ख) कोई विदेशी कंपनी; या

(ग) कोई कारोबारी न्यास,

ऐसी घरेलू कंपनी को, खंड (क) या (ख) या (ग) में उल्लिखित व्यक्ति से प्राप्त लाभांश के रूप में आय के बराबर रकम की कटौती की अनुज्ञेय दी जाएगी, जो धारा 263(1) के अधीन आय-कर विवरणी दाखिल करने की नियत तारीख से एक महीने पहले की तारीख तक उसके द्वारा वितरित लाभांश की रकम से अधिक नहीं होगी।

(2) जहां किसी कर वर्ष में उपधारा (1) के अधीन घरेलू कंपनी द्वारा वितरित लाभांश की

कतिपय अंतर-
कॉर्पोरेट लाभांश
के संबंध में
कटौती।

रकम के संबंध में कोई कटौती अनुज्ञात की है, किसी अन्य कर वर्ष में ऐसी रकम के संबंध में कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

सहकारी
सोसायटीयों की
आय के संबंध में
कटौती।

149. (1) यदि किसी निर्धारिती की सकल कुल आय में, जो सहकारी सोसायटी है, उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई आय सम्मिलित है, तो उक्त उपधारा में निर्दिष्ट रकम, इस धारा के उपबंधों के अनुसार तथा उनके अधीन रहते हुए, ऐसे निर्धारिती की कुल आय की गणना करने में कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाएंगी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट रकम निम्नलिखित होंगी:—

(क) किसी सहकारी सोसायटी की दशा में जो निम्न में लगी हुई है—

(i) बैंकिंग का कारबार करना या अपने सदस्यों को ऋण सुविधाएं प्रदान करना; या

(ii) कुटीर उद्योग; या

(iii) अपने सदस्यों द्वारा उगाई गई कृषि उपज का विपणन; या

(iv) अपने सदस्यों को आपूर्ति करने के उद्देश्य से कृषि के लिए अभिप्रेत कृषि उपकरण, बीज, पशुधन या अन्य वस्तुओं का क्रय; या

(v) अपने सदस्यों की कृषि उपज का, विद्युत की सहायता के बिना, प्रसंस्करण करना; या

(vi) अपने सदस्यों के श्रम का सामूहिक निपटान; या

(vii) मछली पकड़ना या उससे संबंधित क्रियाकलाप, अर्थात् मछली पकड़ना, उसका इलाज करना, प्रसंस्करण करना, उसे संरक्षित करना, भंडारण करना या उसका विपणन करना या उसके सदस्यों को आपूर्ति करने के उद्देश्य से उससे संबंधित सामग्री और उपकरण क्रय करना,

ऐसी किसी एक या अधिक क्रियाकलापों से होने वाले कारबार के लाभ और अभिलाभ की पूरी रकम।

(ख) सहकारी सोसायटी के मामले में, जो एक प्राथमिक समिति है जो अपने सदस्यों द्वारा उगाए गए या उगाए गए दूध, तिलहन, फल या सब्जियों की आपूर्ति में लगी हुई है—

(i) एक संघीय सहकारी सोसायटी, जो सोसायटी होते हुए दूध, तिलहन, फल या सब्जियों की आपूर्ति के कारबार में लगी हुई है; या

(ii) सरकार या स्थानीय प्राधिकरण; या

(iii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में परिभाषित एक सरकारी कंपनी, या एक केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित एक निगम, जो जनता को, यथास्थिति, दूध, तिलहन, फल या सब्जियों की आपूर्ति में लगी हुई है,

ऐसे कारबार से होने वाले लाभ और अभिलाभ की पूरी रकम;

(ग) खंड (क) या (ख) में निर्दिष्ट से भिन्न क्रियाकलाप किए गए में लगी सहकारी सोसायटी के मामले में, (या तो स्वतंत्र रूप से, या इस प्रकार निर्दिष्ट सभी या किसी भी क्रियाकलाप के अतिरिक्त), ऐसे क्रियाकलाप होने वाले लाभ और अभिलाभ की वह रकम

जो—

(i) 1,00,000 रुपए से अधिक नहीं है, यदि समिति उपभोक्ता सहकारी सोसायटी है; और

(ii) किसी अन्य मामले में 50,000 रुपए;

(घ) सहकारी सोसायटी द्वारा किसी अन्य सहकारी सोसायटी के साथ अपने निवेश से प्राप्त ब्याज या लाभांश के रूप में किसी भी आय के संबंध में, ऐसी पूरी आय;

(ङ) सहकारी सोसायटी द्वारा भंडारण, प्रसंस्करण, या वस्तुओं के विपणन की सुविधा के लिए गोदामों या गोदामों को किराए पर देने से व्युत्पन्न किसी भी आय के संबंध में, ऐसी पूरी आय;

(च) सहकारी सोसायटी के मामले में, जो—

(i) एक वास सुविधा समिति; या

(ii) शहरी उपभोक्ता समिति (नगर निगम, नगर पालिका, नगर समिति, अधिसूचित क्षेत्र समिति, नगर क्षेत्र या छावनी की सीमाओं के भीतर उपभोक्ताओं के लाभ के लिए एक समिति); या

(iii) परिवहन कारबार करने वाली समिति; या

(iv) विद्युत की सहायता से विनिर्माण कार्यों को करने में लगी हुई समिति, नहीं है, जहां सकल कुल आय बीस हजार रुपए से अधिक नहीं है, प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में या धारा 20 के अधीन प्रभार्य गृह संपत्ति से किसी आय की रकम—

(3) उपधारा (2)(क)(vi) या (vii) में निर्दिष्ट सहकारी सोसायटी के मामले में, उपधारा (1) के उपबंध केवल तब लागू होंगे जब समिति के नियम और उपनियम निम्नलिखित वर्गों के सदस्यों को मताधिकार निर्बंधित करते हैं:—

(i) वे व्यक्ति जो अपना श्रम योगदान देते हैं या मछली पकड़ने या संबद्ध क्रियाकलाप को अंजाम देते हैं; या

(ii) सहकारी ऋण सोसायटियां जो सोसायटी को वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं; या

(iii) राज्य सरकार ।

(4) उपधारा (2)(क) या (ख) या (ग) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट रकमों के संबंध में उपधारा (1) के अधीन कटौती, धारा 138 के अधीन कटौती को कम करने के पश्चात् सकल कुल आय में सम्मिलित उन उपधाराओं में निर्दिष्ट आय के संदर्भ में दी जाएगी, यदि निर्धारित ऐसी कटौती का भी हकदार है ।

(5) इस धारा का उपबंध किसी ऐसे सहकारी बैंक पर लागू नहीं होगा, जो प्राथमिक कृषि क्रेडिट सोसायटी या प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नहीं है ।

धारा 149 के प्रयोजनों के लिए निर्वचन ।

150. धारा 149 के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "उपभोक्ता सहकारी सोसायटी" से उपभोक्ताओं के फायदे के लिए सोसायटी अभिप्रेत है;

(ख) "प्राथमिक कृषि क्रेडिट समिति" का वही अर्थ है जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के भाग 5 में उसका है, और

(ग) "प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक" से ऐसी सोसायटी अभिप्रेत है जिसका कार्यक्षेत्र एक तालुका तक सीमित हो, जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि और ग्रामीण विकास क्रियाकलापों के लिए दीर्घकालिक क्रेडिट उपलब्ध कराना हो ।

पाठ्य-पुस्तकों से
भिन्न कतिपय
पुस्तकों के लेखकों
की स्वामित्व
आय आदि के
संबंध में कटौती ।

151. (1) जहां भारत में निवासी किसी व्यक्ति, जो लेखक है, की सकल कुल आय में उसके द्वारा अपनी वृत्ति के प्रयोग में अर्जित कोई आय सम्मिलित है, जो किसी पुस्तक के कॉपीराइट में उसके किसी हित के समनुदेशन या अनुदान के लिए किसी एकमुश्त प्रतिफल के कारण प्राप्त हुई है, जो साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकृति की कृति है, या ऐसी पुस्तक के संबंध में स्वामित्व या कॉपीराइट फीस (चाहे एकमुश्त या अन्यथा प्राप्त हो) के कारण प्राप्त हुई है, वहां इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उसके अधीन रहते हुए, निर्धारिती की कुल आय की गणना करने में, उपधारा (2) में निर्दिष्ट तरीके से गणना की गई ऐसी आय में से कटौती की अनुज्ञेय दी जाएगी ।

(2) इस धारा के अधीन कटौती उपधारा (1) में निर्दिष्ट ऐसी पूरी आय के बराबर होगी, या 3,00,000 रुपए की रकम, जो भी कम हो ।

(3) जहां ऐसी स्वामित्व या कॉपीराइट फीस के रूप में आय, पुस्तक में निर्धारिती के सभी अधिकारों के बदले में एकमुश्त प्रतिफल नहीं है, वहां ऐसी आय के कारण होने वाले व्यय को सम्मिलित करने से पहले, आय का वह भाग, जो कर वर्ष के दौरान विक्रीत गई ऐसी पुस्तकों के मूल्य की 15% से अधिक है, को इस धारा के अधीन कटौती के प्रयोजन के लिए अनदेखा कर दिया जाएगा ।

(4) भारत के बाहर किसी स्रोत से अर्जित किसी आय के संबंध में, इस धारा के प्रयोजन के लिए आय का वह भाग, जो निर्धारिती द्वारा या उसकी ओर से, उस कर वर्ष के अंत से छह महीने के भीतर परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में भारत में लाया जाता है, जिसमें ऐसी आय अर्जित की जाती है या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर, जिसे सक्षम प्राधिकारी इस संबंध में अनुज्ञेय दे सकता है, हिसाब में लिया जाएगा ।

(5) इस धारा के अधीन कटौती तब तक नहीं की जाएगी, जब तक कि निर्धारिती, उपधारा (1) में यथा निर्दिष्ट निर्धारिती को ऐसा संदाय करने के लिए जिम्मेदार किसी व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित ऐसे प्ररूप और रीति, जो विहित की जाए, में एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करता, साथ ही आय की विवरणी, जिसमें ऐसी विशिष्टियां, जो विहित की जाएं, प्रस्तुत नहीं करता है ।

(6) इस धारा के अधीन भारत के बाहर किसी भी स्रोत से अर्जित किसी भी आय के संबंध में कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी, जब तक कि निर्धारिती विहित तरीके से आय-कर विवरणी के साथ विहित प्राधिकारी से यथा विहित प्ररूप में प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करता है ।

(7) जहां इस धारा में निर्दिष्ट किसी आय के संबंध में किसी कर वर्ष के लिए कटौती का दावा किया गया है और उसे अनुज्ञेय दी गई है, ऐसी आय के संबंध में किसी भी कर वर्ष में इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

(8) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “लेखक” में संयुक्त लेखक सम्मिलित हैं;

(ख) “पुस्तकों” में ब्रोशर, टिप्पणियां, डायरियां, गाइड, जर्नल, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, पैम्फलेट, स्कूलों के लिए पाठ्य-पुस्तकें, ट्रैक्ट और इसी तरह की प्रकृति के अन्य प्रकाशन सम्मिलित नहीं होंगे, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो;

(ग) “सक्षम प्राधिकारी” से भारतीय रिजर्व बैंक या ऐसा अन्य प्राधिकारी अभिप्रेत है, जो विदेशी मुद्रा में संदाय और संव्यवहार को विनियमित करने के लिए लागू किसी भी विधि के अधीन प्राधिकृत है; और

(घ) स्वामिस्व या कॉपीराइट फीस के संबंध में “एकमुश्त रकम” में ऐसी स्वामिस्व या कॉपीराइट फीस के लिए अग्रिम संदाय सम्मिलित है जो वापस नहीं किया जा सकता।

152. (1) कोई निर्धारिती, जो एक व्यक्ति है, जो—

(क) भारत में निवासी है;

(ख) पेटेंटधारक है;

(ग) पेटेंट अधिनियम, 1970 के अधीन 1 अप्रैल, 2003 को या उसके पश्चात् रजिस्ट्रीकृत पेटेंट के संबंध में स्वामिस्व के रूप में आय प्राप्त करता है; और

(घ) कर वर्ष के लिए सकल कुल आय जिसमें स्वामिस्व सम्मिलित है,

उसे उपधारा (2) से उपधारा (7) में निर्दिष्ट तरीके से संगणित ऐसी आय से कटौती की अनुज्ञेय दी जाएगी।

(2) इस धारा के अधीन कटौती उपधारा (1) में निर्दिष्ट संपूर्ण आय या 3,00,000 रुपए, जो भी कम हो, के बराबर होगी।

(3) जहां पेटेंट अधिनियम, 1970 के अधीन किसी पेटेंट के संबंध में आज्ञापक अनुज्ञप्ति दी जाती है, वहां इस धारा के अधीन कटौती की अनुज्ञेय देने के उद्देश्य से स्वामिस्व के रूप में आय उस अधिनियम के अधीन नियंत्रक द्वारा तय अनुज्ञप्ति की शर्तों और नियमों के अधीन स्वामिस्व की रकम से अधिक नहीं होगी।

(4) भारत के बाहर किसी भी स्रोत से अर्जित किसी भी आय के संबंध में, इस धारा के प्रयोजन के लिए आय का उतना भाग हिसाब में लिया जाएगा जितना निर्धारिती द्वारा या उसकी ओर से भारत में परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में उस कर वर्ष की समाप्ति से छह महीने के भीतर लाया जाता है जिसमें ऐसी आय अर्जित की जाती है या धारा 151(8)(ग) में निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में दी गई अतिरिक्त अवधि के भीतर लाया जाता है।

(5) इस धारा के अधीन कोई कटौती तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि निर्धारिती विहित किए जा सकने वाले प्ररूप में एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करता है, जो विहित प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित है, साथ ही आय की विवरणी के साथ ऐसी विशिष्टियां, जो विहित की जाएं, दी गई हैं।

(6) इस धारा के अधीन भारत के बाहर किसी भी स्रोत से अर्जित किसी भी आय के संबंध में कोई कटौती तब तक नहीं दी जाएगी, जब तक कि निर्धारिती आय-कर विवरणी के साथ विहित प्राधिकारी या प्राधिकारियों से ऐसे प्ररूप में प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करता है।

(7) जहां इस धारा में निर्दिष्ट किसी आय के संबंध में किसी कर वर्ष के लिए कटौती का दावा किया गया है और उसे अनुज्ञात किया गया है, वहां किसी भी कर वर्ष

पेटेंट पर
स्वामिस्व के
संबंध में
कटौती।

1970 का 39

1970 का 39

में इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन ऐसी आय के संबंध में कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

(8) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “नियंत्रक” से पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 2(1)(ख) में परिभाषित प्राधिकारी अभिप्रेत है; 1970 का 39

(ख) “एकमुश्त” में स्वामिस्व के लिए गैर-वापसी योग्य अग्रिम संदाय सम्मिलित है;

(ग) “पेटेंट” से पेटेंट अधिनियम, 1970 के अधीन दिया गया कोई भी पेटेंट अभिप्रेत है, जिसमें अतिरिक्त पेटेंट भी सम्मिलित है; 1970 का 39

(घ) “पेटेंटधारी” से पेटेंट अधिनियम, 1970 के अधीन पेटेंटधारी के रूप में दर्ज सच्चा और पहला आविष्कारक अभिप्रेत है, जिसमें ऐसे सच्चे और पहले आविष्कारक के रूप में दर्ज संयुक्त पेटेंटधारी भी सम्मिलित हैं; 1970 का 39

(ङ) “अतिरिक्त पेटेंट” का वही अर्थ होगा, जो पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 2(1)(थ) में उसका है; 1970 का 39

(च) “पेटेंटकृत वस्तु” और “पेटेंटकृत प्रक्रिया” का वही अर्थ होगा, जो पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 2(1)(ण) में उसका है; 1970 का 39

(छ) पेटेंट के संबंध में “स्वामिस्व” से—

(i) पेटेंट के संबंध में सभी या किसी अधिकार (अनुज्ञप्ति प्रदान करने सहित) का अंतरण; या

(ii) पेटेंट के संचालन या उपयोग से संबंधित कोई जानकारी प्रदान करना; या

(iii) किसी पेटेंट का उपयोग; या

(iv) उपखंड (i) से (iii) में विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों के संबंध में कोई सेवा प्रदान करना अभिप्रेत है, लेकिन इसमें कोई प्रतिफल सम्मिलित नहीं है,—

(अ) जो “पूँजीगत लाभ” शीर्ष के अधीन प्राप्तकर्ता की आय होगी; या

(आ) पेटेंट प्रक्रिया के उपयोग से निर्मित उत्पाद या वाणिज्यिक उपयोग के लिए पेटेंट लेख का विक्रय के लिए; और

(ज) “सच्चा और पहला आविष्कारक” का वही अर्थ होगा, जो पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 2(1)(म) में उसका है । 1970 का 39

घ. अन्य आय के संबंध में कटौती

जमा पर ब्याज के लिए कटौती ।

153. (1) कोई निर्धारिती जो—

(क) कोई व्यक्ति है, जो वरिष्ठ नागरिक नहीं है; या

(ख) कोई व्यक्ति है, जो वरिष्ठ नागरिक है; या

(ग) कोई हिंदू अविभक्त कुटुंब है,

उसे उपधारा (2) में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन सकल कुल आय से कटौती की अनुज्ञेय दी जाएगी, जहां इसमें निम्नलिखित के पास जमा रकमों पर ब्याज के रूप में आय सम्मिलित है—

1949 का 10

(i) कोई बैंकिंग कंपनी जिस पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 लागू होता है (जिसके अधीन उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंकिंग संस्था

सम्मिलित है); या

(ii) बैंकिंग का कारबार करने वाली कोई सहकारी सोसायटी (जिसके अधीन सहकारी भूमि बंधक बैंक या सहकारी भूमि विकास बैंक सम्मिलित है); या

2023 का 43

(iii) डाकघर अधिनियम, 2023 की धारा 2(ट) में परिभाषित डाकघर ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कर वर्ष के लिए निम्नानुसार कटौती की अनुज्ञेय की जाएगी:—

(क) उपधारा (1)(क) या (ग) में उल्लिखित निर्धारिती के मामले में, सावधि जमा को अपवर्जित करते हुए बचत खाते में जमा पर अधिकतम 10,000 रुपए तक का संपूर्ण ब्याज;

(ख) उपधारा (1)(ख) में उल्लिखित निर्धारिती के मामले में, सावधि जमा सहित किसी खाते में जमा पर अधिकतम 50,000 रुपए तक का संपूर्ण ब्याज ।

(3) जहां उपधारा (2)(क) में निर्दिष्ट आय किसी फर्म, व्यक्तियों के संगम या व्यक्तियों के निकाय द्वारा या उसकी ओर से रखे गए बचत खाते में किसी निक्षेप से व्युत्पन्न होती है, वहां फर्म के किसी भागीदार या संगम के किसी सदस्य या निकाय के किसी व्यक्ति की कुल आय की गणना करते समय ऐसी आय के संबंध में इस धारा के अधीन कोई कटौती नहीं की जाएगी ।

(4) जहां उपधारा (2)(ख) में निर्दिष्ट आय किसी फर्म, व्यक्तियों के संगम या व्यष्टि निकाय द्वारा या उसकी ओर से धारित किसी जमा से प्राप्त होती है, वहां फर्म के किसी भागीदार या ऐसे संगम के किसी सदस्य या व्यष्टि निकाय के किसी व्यक्ति की कुल आय की गणना करने में ऐसी आय के संबंध में इस धारा के अधीन कोई कटौती नहीं की जाएगी।

(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “सावधि जमा” से निश्चित अवधि की समाप्ति पर चुकाए जाने वाले जमा अभिप्रेत है ।

ड. अन्य कटौतियां

154. (1) भारत में निवासी किसी व्यक्ति को, जिसे कर वर्ष के दौरान किसी भी समय चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा निःशक्त व्यक्ति या गंभीर निःशक्त व्यक्ति के रूप में प्रमाणित किया जाता है, उसकी कुल आय की गणना करते समय क्रमशः 75,000 रुपए या 1,25,000 रुपए की कटौती की अनुज्ञेय दी जाएगी ।

निःशक्त व्यक्ति के मामले में कटौती ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कटौती केवल तभी दी जाएगी जब निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी हों:—

(क) व्यक्ति चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की एक प्रति प्रस्तुत करता है;

(ख) यदि प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट किया गया है कि निःशक्तता की सीमा का उसमें विहित अवधि के पश्चात् पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है, तो प्रमाण पत्र की समाप्ति वाले कर वर्ष के पश्चात् किसी भी कर वर्ष के लिए कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी, जब तक कि नया निःशक्तता प्रमाण पत्र प्राप्त और प्रस्तुत नहीं किया जाता है; और

(ग) इस उपधारा के खंड (क) और (ख) में निर्दिष्ट प्रमाण-पत्र विहित प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, उस कर वर्ष के लिए धारा 261 के अधीन आय-कर विवरणी के साथ प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें कटौती का दावा किया गया है ।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “निःशक्तता”, चिकित्सा प्राधिकरण”, “निःशक्त

व्यक्ति" या "गंभीर निःशक्तता वाले व्यक्ति" का वही अर्थ होगा जो धारा 127 में उसका है।

अध्याय 9

छूट और राहत

क. छूट और राहत

आय-कर की गणना में छूट दी जाएगी।

155. (1) किसी निर्धारिती की कुल आय पर आय-कर की गणना करते समय, जिससे वह किसी कर वर्ष के लिए प्रभार्य है, धारा 156 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, आय-कर (इस भाग के अधीन कटौती अनुज्ञेय करने से पूर्व संगणित) से, उसमें निर्दिष्ट कटौती अनुज्ञात की जाएगी।

(2) धारा 156 के अधीन कटौती, किसी भी मामले में, निर्धारिती की कुल आय पर आय-कर (इस भाग के अधीन कटौती अनुज्ञात करने से पूर्व संगणित) से अधिक नहीं होगी, जिससे वह किसी कर वर्ष के लिए प्रभार्य है।

कतिपय व्यक्तियों के मामले में आय-कर में छूट।

156. (1) कोई निर्धारिती, जो भारत का निवासी व्यक्ति है, किसी कर वर्ष के लिए कुल आय पर प्रभार्य आय-कर (इस धारा के अधीन कटौती अनुज्ञेय करने से पूर्व संगणित) से देय आय-कर का 100% या 12,500 रुपए, जो भी कम हो, की कटौती का हकदार होगा, यदि ऐसी कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक नहीं है।

(2) जहां किसी निवासी व्यक्तिगत निर्धारिती की किसी कर वर्ष के लिए कुल आय धारा 202(1) के अधीन कर योग्य है, तो आय-कर (इस धारा के अधीन कटौती की अनुज्ञेय देने से पहले संगणित) से निम्नलिखित कटौती की अनुज्ञेय दी जाएगी, यदि—

(क) आय 12,00,000 रुपए से अधिक नहीं है, देय आय-कर का 100% या 60,000 रुपए, जो भी कम हो; या

(ख) कुल आय 12,00,000 रुपए से अधिक है और ऐसी कुल आय पर देय आयकर उस रकम से अधिक है जिससे कुल आय 12,00,000 रुपए से अधिक है, वह रकम जो ऐसी कुल आय पर देय आयकर से अधिक है जिससे कुल आय 12,00,000 रुपए से अधिक है।

(3) उपधारा (2) के अधीन कटौती धारा 202(1) में प्रदान की गई दरों के अनुसार देय आय-कर से अधिक नहीं होगी।

जब वेतन आदि का संदाय बकाया या अग्रिम रूप में किया जाता है वहां राहत।

157. (1) जहां किसी निर्धारिती की कुल आय का मूल्यांकन उस दर से अधिक दर पर किया जाता है जिस पर अन्यथा उसका मूल्यांकन किया जाता, निम्नलिखित प्राप्तिओं के कारण,—

(क) बकाया या अग्रिम वेतन की प्रकृति में कोई रकम; या

(ख) किसी एक कर वर्ष में बारह महीने से अधिक का वेतन; या

(ग) धारा 18(1) के अधीन “वेतन के बदले लाभ” की प्रकृति में कोई संदाय; या

(घ) धारा 93(1)(घ) में परिभाषित “पारिवारिक पेंशन” की बकाया रकम,

कर निर्धारण अधिकारी इस संबंध में निर्धारिती द्वारा उसके समक्ष किए गए आवेदन पर, विहित की जा सकने वाली राहत प्रदान करेगा।

(2) किसी ऐसी आय पर कोई राहत प्रदान नहीं की जाएगी जिस पर निर्धारिती द्वारा धारा 19(1)(सारणी: क्रम संख्या 12) में उल्लिखित किसी रकम के लिए छूट का दावा किया गया है, ऐसे या किसी अन्य कर वर्ष के लिए।

158. (1) किसी विनिर्दिष्ट खाते में विनिर्दिष्ट व्यक्ति को उद्भूत आय पर ऐसी रीति

किसी अधिसूचित देश में रखे गए

में और ऐसे कर वर्ष में, जो विहित किया जाए, कर लगाया जाएगा ।

(2) इस धारा प्रयोजनों के लिए,—

(क) “अधिसूचित देश” से केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जा सकने वाले देश अभिप्रेत हैं;

(ख) “विनिर्दिष्ट खाता” से किसी अधिसूचित देश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा अपने सेवानिवृत्ति लाभों के लिए रखा गया खाता, जिस आय पर उस अधिसूचित देश द्वारा निकासी या मोचन के समय कर लगाया जाता है, न कि उपार्जन के आधार पर, अभिप्रेत है; और

(ग) “विनिर्दिष्ट व्यक्ति” से भारत में निवासी कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने भारत में अनिवासी रहते हुए तथा उस देश में निवासी रहते हुए किसी अधिसूचित देश में विनिर्दिष्ट खाता खोला है ।

ख. दोहरा कराधान राहत

159. (1) केन्द्रीय सरकार उपधारा (3) में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए—

(क) किसी अन्य देश, या

(ख) किसी निर्दिष्ट क्षेत्र की सरकार के साथ करार कर सकती है,

और अधिसूचना द्वारा करार को लागू करने के लिए आवश्यक उपबंध कर सकती है ।

(2) भारत में कोई निर्दिष्ट संगम उपधारा (3) में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए निर्दिष्ट क्षेत्र में किसी निर्दिष्ट संगम के साथ करार कर सकता है और केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे करार को अपनाने और लागू करने के लिए आवश्यक उपबंध कर सकती है ।

(3) उपधारा (1) या (2) में उल्लिखित करार निम्नलिखित के लिए किया जा सकता है—

(क) निम्नलिखित के संबंध में राहत प्रदान करना—

(i) आय जिस पर, यथास्थिति, इस अधिनियम के अधीन आय-कर और उस देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में आय-कर का संदाय किया गया है; या

(ii) यथास्थिति, इस अधिनियम के अधीन और उस देश या निर्दिष्ट क्षेत्र में लागू संबंधित विधि के अधीन आय-कर, पारस्परिक आर्थिक संबंधों, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए लगाया जा सकता है; या

(ख) यथास्थिति, इस अधिनियम के अधीन और उस देश या निर्दिष्ट क्षेत्र में लागू संबंधित विधि के अधीन आय के दोहरे कराधान से बचना, कर चोरी या परिहार के माध्यम से गैर-कर या कम कराधान के अवसर पैदा किए बिना (किसी अन्य देश या क्षेत्र के निवासियों को अप्रत्यक्ष लाभ के लिए उक्त करार में प्रदान की गई राहत प्राप्त करने के उद्देश्य से संधि-खरीदारी व्यवस्था के माध्यम से); या

(ग) निम्नलिखित के लिए सूचना का आदान-प्रदान—

(i) इस अधिनियम के अधीन या उस देश या निर्दिष्ट क्षेत्र में लागू संबंधित विधि के अधीन आय-कर की चोरी या परिहार की रोकथाम, यथास्थिति; या

(ii) ऐसे चोरी या परिहार के मामलों की जांच; या

(घ) यथास्थिति, इस अधिनियम के अधीन और उस देश या निर्दिष्ट क्षेत्र में लागू

सेवानिवृत्ति लाभ
खाते से प्राप्त
आय पर
कराधान से
छूट ।

दोहरे कराधान से
राहत के लिए
विदेशी देशों या
निर्दिष्ट क्षेत्रों के
साथ करार तथा
केंद्रीय सरकार
द्वारा निर्दिष्ट
संघों के बीच
करार का
अंगीकरण ।

संबंधित विधि के अधीन आय-कर की वसूली ।

(4) जहां,—

(क) केन्द्रीय सरकार ने उपधारा (1) के अधीन, यथास्थिति, किसी देश या विनिर्दिष्ट क्षेत्र की सरकार के साथ कोई करार किया है; या

(ख) भारत में किसी विनिर्दिष्ट संगम ने उपधारा (2) के अधीन किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र के किसी विनिर्दिष्ट संगम के साथ कोई करार किया है और ऐसे करार को उस उपधारा के अधीन अधिसूचित किया गया है,

कर में राहत प्रदान करने या दोहरे कराधान से बचने के लिए, तो ऐसे निर्धारिती के संबंध में, जिस पर ऐसा करार लागू होता है, इस अधिनियम के उपबंध उस सीमा तक लागू होंगे, जहां तक वे उस निर्धारिती के लिए अधिक लाभकारी हों ।

(5) कर का प्रभार,—

(क) किसी विदेशी कंपनी के संबंध में, उस दर से अधिक दर पर, जिस पर घरेलू कंपनी प्रभार्य है; या

(ख) निर्दिष्ट क्षेत्र में निगमित किसी कंपनी के संबंध में, घरेलू कंपनी पर लागू होने वाली दर से अधिक दर पर,

ऐसी विदेशी कंपनी या निर्दिष्ट क्षेत्र में निगमित ऐसी कंपनी के संबंध में, यथास्थिति, कम अनुकूल कर प्रभार या कर अधिरोपण नहीं माना जाएगा ।

(6) उपधारा (4) में अंतर्विष्ट किसी भी बात का विचार किए बिना, अध्याय 11 के उपबंध निर्धारिती पर लागू होंगे, भले ही ऐसे उपबंध उसके लिए लाभकारी न हों ।

(7) जहां, कोई—

(क) उपधारा (1) या (2) के अधीन किए गए करार में प्रयुक्त पद, उक्त करार के अधीन परिभाषित किया गया है, उक्त पद का वही अर्थ होगा जो उस करार में उसका है और जहां वह पद उस करार में परिभाषित नहीं है, लेकिन इस अधिनियम में परिभाषित किया गया है, उसका वही अर्थ होगा जो इस अधिनियम में और केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण में, यदि कोई हो, उसका है, और यह उस तारीख से प्रभावी माना जाएगा जिस दिन वह करार लागू हुआ था; या

(ख) कोई पद इस अधिनियम में या उपधारा (1) या (2) में निर्दिष्ट करार में प्रयुक्त है किन्तु परिभाषित नहीं है, तो जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो और वह इस अधिनियम या उक्त करार के उपबंधों से असंगत न हो, उसका वही अर्थ होगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त जारी की गई अधिसूचना में उसका है और ऐसे पद को दिया गया अर्थ उस तारीख से प्रभावी माना जाएगा जिसको वह करार प्रवृत्त हुआ था; या

(ग) उपधारा (1) या (2) के अधीन किए गए किसी करार में प्रयुक्त पद, तथा उक्त करार या इस अधिनियम के अधीन या खंड (ख) के अधीन जारी किसी अधिसूचना में परिभाषित नहीं है, तो, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इसका वही अर्थ होगा जो—

(i) करों से संबंधित केन्द्रीय सरकार के किसी अधिनियम में; तथा

(ii) किसी अन्य मामले में, केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विधि में, उसका है;

तथा उक्त करार के लागू होने की तारीख से प्रभावी माना जाएगा।

(8) कोई निर्धारिती, जो निवासी न हो, उपधारा (1) या (2) में उल्लिखित करार के अधीन किसी राहत का दावा करने का हकदार तभी होगा, जब—

(क) किसी देश या निर्दिष्ट क्षेत्र में उसके निवासी होने का प्रमाण-पत्र, उस देश की सरकार या उस निर्दिष्ट क्षेत्र की सरकार से, यथास्थिति, प्राप्त कर लिया हो, तथा

(ख) वह ऐसे अन्य दस्तावेज और सूचना उपलब्ध कराता हो, जैसा कि विहित किया गया हो।

(9) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “विनिर्दिष्ट संगम” से किसी संस्था, संगम या निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं—

(अ) जो भारत में वर्तमान में लागू किसी विधि या विनिर्दिष्ट क्षेत्र के विधियों के अधीन कार्य कर रहा हो; और

(आ) इस धारा के प्रयोजनों के लिए जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा इस रूप में अधिसूचित किया जा सकता है, अभिप्रेत है; और

(ख) “विनिर्दिष्ट क्षेत्र” से भारत के बाहर कोई क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा इस रूप में अधिसूचित किया जा सकता है।

160. (1) यदि कोई व्यक्ति जो किसी कर वर्ष में भारत में निवासी है, यह साबित कर देता है कि, उसकी आय के संबंध में, जो उस कर वर्ष के दौरान भारत के बाहर उपार्जित या उत्पन्न हुई (और जो भारत में उपार्जित या उत्पन्न नहीं मानी जाती) उसने किसी ऐसे देश में, जिसके साथ दोहरे कराधान से राहत या बचाव के लिए धारा 159 के अधीन कोई करार नहीं है, उस देश में लागू विधि के अधीन कटौती द्वारा या अन्यथा आय-कर का संदाय किया है, तो वह उसके द्वारा देय भारतीय आय-कर से ऐसी दोहरी कर वाली आय पर संगणित रकम की कटौती का हकदार होगा,—

वे देश जिनके साथ कोई करार नहीं है।

(क) भारतीय कर दर पर या उक्त देश की कर दर पर, जो भी कम हो; या

(ख) भारतीय कर दर पर, यदि दोनों दरें समान हैं।

(2) यदि किसी अनिवासी व्यक्ति का कर निर्धारण किसी रजिस्ट्रीकृत फर्म की आय में उसके भाग पर किया जाता है, जिसका कर निर्धारण किसी कर वर्ष में भारत में निवासी के रूप में किया गया है और ऐसे भाग में उस कर वर्ष के दौरान भारत के बाहर उपार्जित या उत्पन्न होने वाली कोई आय सम्मिलित है (और जिसे भारत में उपार्जित या उत्पन्न नहीं माना जाता है) किसी ऐसे देश में जिसके साथ दोहरे कराधान से राहत या बचाव के लिए धारा 159 के अधीन कोई करार नहीं है और वह यह साबित कर देता है कि उसने इस प्रकार सम्मिलित आय के संबंध में उस देश में लागू विधि के अधीन कटौती द्वारा या अन्यथा आय-कर का संदाय किया है, तो वह उसके द्वारा देय भारतीय आय-कर में से ऐसी दोहरी कर योग्य आय पर संगणित रकम की कटौती का हकदार होगा,—

(क) भारतीय कर दर पर या उक्त देश की कर दर पर, जो भी कम हो; या

(ख) भारतीय कर दर पर, यदि दोनों दरें समान हैं।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) किसी देश के संबंध में “आय-कर”में उस देश के किसी भाग की सरकार या उस देश में किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा लाभों पर लगाया गया कोई अतिरिक्त लाभ कर या कारबारिक लाभ कर सम्मिलित है;

(ख) “भारतीय आय-कर”से इस अधिनियम के अनुसार लगाया गया आय-कर अभिप्रेत है;

(ग) “कर की भारतीय दर” इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन देय किसी भी राहत की कटौती के पश्चात् लेकिन इस भाग के अधीन देय किसी भी राहत की कटौती से पहले भारतीय आय-कर को कुल आय से कटौती करके विहित की गई दर अभिप्रेत है; और

(घ) “उक्त देश के कर की दर”से उक्त देश में लागू संगत विधियों के अनुसार वास्तव में संदाय किया गया आय-कर और सुपर-टैक्स, देय सभी राहत की कटौती के पश्चात्, लेकिन दोहरे कराधान के संबंध में उक्त देश में देय किसी भी राहत की कटौती से पहले, उक्त देश में विहित आय की पूरी रकम द्वारा लाभांश अभिप्रेत है ।

अध्याय 10

कर से बचने से संबंधित विशेष उपबंध

सन्निकट मूल्य को ध्यान में रखते हुए अन्तर्राष्ट्रीय संव्यवहार और विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार से आय की गणना ।

161. (1) किसी अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या निर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार से उत्पन्न होने वाली कोई आय, सन्निकट मूल्य को ध्यान में रखते हुए विहित की जाएगी ।

(2) किसी अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या निर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार से उत्पन्न होने वाले किसी व्यय या ब्याज के लिए कोई मोक भी सन्निकट मूल्य को ध्यान में रखते हुए विहित किया जाएगा ।

(3) यदि किसी अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या निर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार में, दो या अधिक सहबद्ध उद्यम निम्नलिखित के लिए पारस्परिक करार या व्यवस्था करते हैं—

(क) ऐसे उद्यमों में से किसी एक या अधिक को प्रदान किए गए या प्रदान किए जाने वाले लाभ, सेवा या सुविधा के संबंध में किए गए या किए जाने वाले किसी लागत या व्यय का आवंटन या निर्विलियन; या

(ख) ऐसे उद्यमों में से किसी एक या अधिक को प्रदान किए जाने वाले या प्रदान किए जाने वाले लाभ, सेवा या सुविधा के संबंध में किए गए या किए जाने वाले किसी लागत या व्यय में कोई योगदान,

किसी ऐसे उद्यम को आबंटित या निर्विलियनित या उसके द्वारा योगदान की गई लागत या व्यय, ऐसे लाभ, सेवा या सुविधा के सन्निकट मूल्य को ध्यान में रखते हुए विहित किया जाएगा ।

(4) इस धारा के उपबंध लागू नहीं होंगे यदि उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन निर्धारण का कर के लिए प्रभार्य आय को कम करने या हानि को बढ़ाने का प्रभाव है, जो कर वर्ष के संबंध में लेखा पुस्तकों में की गई प्रविष्टियों के आधार पर गणना की जाती है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या निर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार दर्ज किया गया था ।

संबद्ध उद्यम का अर्थ ।

162. (1) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, किसी अन्य उद्यम के संबंध में, "सहबद्ध उद्यम" पद से ऐसा उद्यम अभिप्रेत है—

(क) जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, या एक या अधिक मध्यस्थों के माध्यम से, दूसरे उद्यम के प्रबंधन या नियंत्रण या पूंजी में निम्नलिखित रीति में भाग लेता है,—

(i) जिसके संबंध में एक या अधिक व्यक्ति जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, या एक या अधिक मध्यस्थों के माध्यम से, उसके प्रबंधन या नियंत्रण या पूंजी में भाग लेते हैं, वही व्यक्ति हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, या एक या अधिक मध्यस्थों के माध्यम से, दूसरे उद्यम के प्रबंधन या नियंत्रण या पूंजी में भाग लेते हैं।

(ii) एक उद्यम, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, दूसरे उद्यम में कम से कम 26% मतदान शक्ति वाले शेयर रखता है; या

(iii) कोई व्यक्ति या उद्यम, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ऐसे प्रत्येक उद्यम में कम से कम 26% मतदान शक्ति वाले शेयर रखता है; या

(ख) एक उद्यम द्वारा दूसरे उद्यम को दिया गया ऋण, दूसरे उद्यम की कुल आस्तियों के बही मूल्य का कम से कम 51% है; या

(ग) एक उद्यम दूसरे उद्यम की कुल उधारी का कम से कम 10% गारंटी देता है; या

(घ) एक उद्यम के निदेशक मंडल या शासी बोर्ड के सदस्यों में से आधे से अधिक, या शासी बोर्ड के एक या अधिक कार्यकारी निदेशक या कार्यकारी सदस्य, दूसरे उद्यम द्वारा नियुक्त किए जाते हैं; या

(ङ) दोनों उद्यमों में से प्रत्येक के निदेशक मंडल या शासी बोर्ड के सदस्यों में से आधे से अधिक, या शासी बोर्ड के एक या अधिक कार्यकारी निदेशक या सदस्य, एक ही व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं; या

(च) किसी एक उद्यम द्वारा किया गया माल या लेख या कारबार का विनिर्माण या प्रसंस्करण पूरी तरह से तकनीकी जानकारी, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, अनुज्ञप्ति, फ्रेंचाइजी या समान प्रकृति के किसी अन्य कारबार या वाणिज्यिक अधिकारों, या किसी पेटेंट, आविष्कार, मॉडल, डिजाइन, गुप्त सूत्र या प्रक्रिया से संबंधित किसी डेटा, दस्तावेज, ड्राइंग या विनिर्देश के उपयोग पर निर्भर है, जिसका दूसरा उद्यम स्वामी है या जिसके संबंध में दूसरे उद्यम के पास अनन्य अधिकार हैं; या

(छ) एक उद्यम द्वारा किए जाने वाले माल या वस्तुओं के विनिर्माण या प्रसंस्करण के लिए आवश्यक कच्चे माल और उपभोग्य सामग्रियों का 90% या उससे अधिक भाग दूसरे उद्यम द्वारा या दूसरे उद्यम द्वारा निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा आपूर्ति किया जाता है, और आपूर्ति से संबंधित कीमतें और अन्य शर्तें ऐसे अन्य उद्यम द्वारा प्रभावित होती हैं; या

(ज) एक उद्यम द्वारा निर्मित या संसाधित माल या वस्तुएं दूसरे उद्यम को या दूसरे उद्यम द्वारा निर्दिष्ट व्यक्तियों को विक्रीत जाती हैं, और उनसे संबंधित कीमतें और अन्य शर्तें ऐसे अन्य उद्यम द्वारा प्रभावित होती हैं; या

(झ) जहां एक उद्यम किसी व्यक्ति द्वारा नियंत्रित होता है, वहां दूसरा उद्यम भी ऐसे व्यक्ति या उसके संबंधी द्वारा या ऐसे व्यक्ति और ऐसे व्यक्ति के संबंधी द्वारा संयुक्त रूप से नियंत्रित होता है; या

(ञ) जहां एक उद्यम किसी हिंदू अविभक्त कुटुंब द्वारा नियंत्रित होता है, वहां दूसरा उद्यम ऐसे हिंदू अविभक्त कुटुंब के सदस्य द्वारा या ऐसे हिंदू अविभक्त कुटुंब के सदस्य के संबंधी द्वारा या ऐसे सदस्य और उसके संबंधी द्वारा संयुक्त रूप से नियंत्रित होता है; या

(ट) जहां एक उद्यम कोई फर्म, व्यक्तियों का संगम या व्यक्तियों का निकाय है, वहां दूसरा उद्यम ऐसी फर्म, व्यक्तियों के संगम या व्यक्तियों के निकाय में कम से कम 10% भागदारी रखता है; या

(ठ) अन्य उद्यमों के साथ कोई पारस्परिक हित का संबंध विद्यमान है, जो विहित किया जाए।

(2) किसी निर्धारिती द्वारा किए गए किसी निर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार के संबंध में, संबद्ध उद्यम में ये भी सम्मिलित होंगे—

(क) धारा 122 या धारा 140(9) में निर्दिष्ट संव्यवहार के संबंध में ऐसे निर्धारिती की अन्य इकाइयां या उपक्रम या कारबार;

(ख) धारा 140(13) या धारा 205(4) में निर्दिष्ट किसी संव्यवहार के संबंध में उसमें निर्दिष्ट कोई अन्य व्यक्ति; और

(ग) धारा 144 में निर्दिष्ट किसी संव्यवहार या अध्याय 8 में निर्दिष्ट ऐसे संव्यवहार के संबंध में ऐसे निर्धारिती या धारा 140(13) में निर्दिष्ट किसी अन्य व्यक्ति की अन्य इकाइयां, उपक्रम, उद्यम या कारबार, जिन पर इस अधिनियम की धारा 140(9) या (13) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 80झप(8) या (10) के उपबंध लागू होते हैं।

1961 का 43

अंतर्राष्ट्रीय
संव्यवहार
अर्थ।

का

163. (1) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, "अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार" पद से दो या अधिक सहबद्ध उद्यमों के बीच संव्यवहार अभिप्रेत है, जिनमें से एक अनिवार्य रूप से अनिवासी है, और इसमें सम्मिलित हैं—

(क) भवन, परिवहन यान, मशीनरी, उपकरण, औजार, संयंत्र, फर्नीचर, वस्तु या किसी अन्य वस्तु, उत्पाद या चीज सहित मूर्त संपत्ति की क्रय, विक्रय, अंतरण, पट्टा या उपयोग;

(ख) अमूर्त संपत्ति की क्रय, विक्रय, अंतरण, पट्टा या उपयोग, जिसमें स्वामित्व का अंतरण या भूमि उपयोग, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, अनुज्ञप्ति, फ्रेंचाइजी, उपभोक्ता सूची, विपणन चैनल, ब्रांड, वाणिज्यिक रहस्य, तकनीकी जानकारी, औद्योगिक संपत्ति अधिकार, बाहरी डिजाइन या व्यावहारिक और नया डिजाइन या समान प्रकृति के किसी अन्य कारबार या वाणिज्यिक अधिकारों के संबंध में अधिकारों के उपयोग का उपबंध सम्मिलित है;

(ग) पूंजी वित्तपोषण, उधार देना और धन उधार लेना, जिसमें सम्मिलित हैं,—

(i) किसी भी प्रकार का दीर्घकालिक या अल्पकालिक उधार, उधार या गारंटी; या

(ii) विपणन योग्य प्रतिभूतियों की क्रय या विक्रय; या

(iii) कारबार के दौरान उत्पन्न होने वाला किसी भी प्रकार का अग्रिम, संदाय या आस्थगित संदाय या प्राप्त या कोई अन्य ऋण;

(घ) सेवाओं का उपबंध, जिसमें बाजार अनुसंधान, बाजार विकास, विपणन प्रबंधन, प्रशासन, तकनीकी सेवा, मरम्मत, डिजाइन, परामर्श, एजेंसी, वैज्ञानिक अनुसंधान, कानूनी या लेखा सेवा का उपबंध सम्मिलित है;

(ङ) किसी उद्यम द्वारा किसी संबद्ध उद्यम के साथ किया गया कारबार पुनर्गठन या पुनर्गठन का संव्यवहार, इस तथ्य का विचार किए बिना कि इसका संव्यवहार के समय

या किसी भी भविष्य की तारीख पर ऐसे उद्यमों के लाभ, आय, हानि या आस्तियों पर कोई असर पड़ता है;

(च) किसी एक या अधिक ऐसे उद्यमों को प्रदान की गई या प्रदान की जाने वाली किसी लाभ, सेवा या सुविधा के संबंध में किए गए या किए जाने वाले किसी भी लागत या व्यय के आवंटन या निर्विलियन, या किसी भी योगदान के लिए दो या अधिक संबद्ध उद्यमों के बीच एक पारस्परिक करार या व्यवस्था; और

(छ) ऐसे उद्यमों के लाभ, आय, हानि या आस्तियों पर असर डालने वाला कोई अन्य संव्यवहार ।

(2) किसी उद्यम द्वारा किसी सहबद्ध उद्यम ("अन्य व्यक्ति") से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के साथ किया गया संव्यवहार, उपधारा (1) के अनुसार, दो सहबद्ध उद्यमों के बीच किया गया अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार माना जाएगा, यदि—

(क) ऐसे अन्य व्यक्ति और सहबद्ध उद्यम के बीच सुसंगत संव्यवहार के संबंध में कोई पूर्व करार विद्यमान है; या

(ख) सुसंगत संव्यवहार की शर्तें, सार रूप में, ऐसे अन्य व्यक्ति और सहबद्ध उद्यम के बीच विहित की गई हैं,

और उद्यम या सहबद्ध उद्यम या उनमें से दोनों अनिवासी हैं, भले ही दूसरा व्यक्ति अनिवासी हो या नहीं ।

(3) "अमूर्त संपत्ति" में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे,—

(क) विपणन से संबंधित अमूर्त संपत्तियां, जैसे ट्रेडमार्क, व्यापार नाम, ब्रांड नाम, लोगो;

(ख) प्रौद्योगिकी से संबंधित अमूर्त संपत्तियां, जैसे प्रक्रिया पेटेंट, पेटेंट आवेदन, तकनीकी दस्तावेज जैसे प्रयोगशाला नोटबुक, तकनीकी जानकारी;

(ग) कलात्मक संबंधित अमूर्त आस्तियां, जैसे, साहित्यिक कार्य और कॉपीराइट, संगीत रचनाएँ, कॉपीराइट, मानचित्र, उत्कीर्णन;

(घ) डेटा प्रसंस्करण संबंधित अमूर्त आस्तियां, जैसे, स्वायत्त कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कॉपीराइट, स्वचालित डेटाबेस, और एकीकृत सर्किट मास्क और मास्टर्स;

(ङ) इंजीनियरिंग संबंधित अमूर्त आस्तियां, जैसे, औद्योगिक डिजाइन, उत्पाद पेटेंट, व्यापार रहस्य, इंजीनियरिंग ड्राइंग और स्कीमबद्ध, ब्लूप्रिंट, सांपत्तिक दस्तावेज;

(च) उपभोक्ता संबंधित अमूर्त आस्तियां, जैसे, उपभोक्ता सूचियां, उपभोक्ता संविदा, उपभोक्ता संबंध, खुले क्रय आदेश;

(छ) संविदा संबंधित अमूर्त आस्तियां, जैसे, अनुकूल आपूर्तिकर्ता, संविदा, अनुज्ञप्ति करार, फ्रैंचाइज़ करार, गैर-प्रतिस्पर्धा करार;

(ज) मानव पूंजी संबंधित अमूर्त आस्तियां, जैसे, प्रशिक्षित और संगठित कार्यबल, रोजगार करार, संघ संविदा;

(झ) स्थान संबंधित अमूर्त आस्तियां, जैसे, पट्टाधृति हित, खनिज शोषण अधिकार, सुखाधिकार, वायु अधिकार, जल अधिकार;

(ञ) गुडविल से संबंधित अमूर्त आस्तियां, जैसे, संस्थागत गुडविल, कारबारिक

अभ्यास गुडविल, वृत्तिक की व्यक्तिगत गुडविल, सेलिब्रिटी गुडविल, साधारण कारबार चालू समुत्थान मूल्य;

(ट) विधियां, कार्यक्रम, प्रणालियां, प्रक्रियाएं, अभियान, सर्वेक्षण, अध्ययन, पूर्वानुमान, अनुमान, उपभोक्ता सूची या तकनीकी डेटा; और

(ठ) कोई अन्य समान वस्तु जो अपने भौतिक गुणों के बजाय अपनी बौद्धिक सामग्री से अपना मूल्य प्राप्त करती है।

विनिर्दिष्ट
संव्यवहार
अर्थ ।

देशी
का

164. इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, किसी निर्धारिती की दशा में, “विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार” पद से निम्नलिखित संव्यवहारों में से कोई संव्यवहार (जो अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार नहीं है) अभिप्रेत है,—

(क) धारा 122 में निर्दिष्ट कोई संव्यवहार ;

(ख) धारा 140(9) में निर्दिष्ट माल या सेवाओं का कोई अंतरण ;

(ग) धारा 140(13) में यथानिर्दिष्ट निर्धारिती और अन्य व्यक्ति के बीच किया गया कोई कारबार ;

(घ) अध्याय 8 के अधीन किसी अन्य धारा या धारा 144 में निर्दिष्ट कोई संव्यवहार, जिसे इस अधिनियम की धारा 140(9) या धारा 140(13) या आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 80झक(8) या धारा 80झक(10) के उपबंध लागू होते हैं ;

(ङ) धारा 205(4) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के बीच संव्यवहार किया गया कोई कारबार ;

(च) कोई अन्य संव्यवहार, जो विहित किया जाए,

और जहां निर्धारिती द्वारा किसी कर वर्ष में किए गए ऐसे संव्यवहारों की कुल राशि बीस करोड़ रुपए से अधिक हो जाती है।

असन्निकट
कीमत
अवधारण ।

का

165. (1) किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के संबंध में असन्निकट कीमत का अवधारण, निम्नलिखित पद्धतियों में से किसी ऐसी पद्धति द्वारा किया जाएगा, जो सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति हो,—

(क) तुल्य अनियंत्रित कीमत पद्धति ;

(ख) पुनर्विक्रय कीमत पद्धति ;

(ग) लागत धन पद्धति ;

(घ) लाभ विभाजन पद्धति ;

(ङ) संव्यवहारात्मक शुद्ध अंतर पद्धति ;

(च) ऐसी अन्य पद्धति, जो बोर्ड द्वारा विहित की जाए।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति,—

(क) संव्यवहार की प्रकृति या संव्यवहार के वर्ग या सहयुक्त उद्यम के वर्ग या ऐसे उद्यमों द्वारा किए जाने वाले कृत्यों को अथवा ऐसी अन्य सुसंगत बातों को, जो बोर्ड विहित करे, ध्यान में रखते हुए चयनित की जाएगी ;

(ख) ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, असन्निकट कीमत का अवधारण करने के लिए लागू की जाएगी।

(3) असन्निकट कीमत,—

(क) उस दशा में, जहां सर्वाधिक उपयुक्त रीति से एक कीमत का अवधारण किया जाता है,—

(i) उस पद्धति द्वारा अवधारित कीमत होगी ; या

(ii) यदि इस प्रकार अवधारित असन्निकट कीमत और उस कीमत के बीच अंतर, जिस पर अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार वस्तुतः किया गया है, बाद वाली कीमत के 3% से अनधिक ऐसे प्रतिशत से, जो इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, अधिक नहीं है, वहां वह कीमत होगी, जिस पर अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार वस्तुतः किया गया है ।

(ख) उस दशा में, जहां सर्वाधिक उपयुक्त रीति से एक से अधिक कीमत का अवधारण किया जाता है, वहां कीमत ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, अवधारित की जाएगी ।

(4) निर्धारण अधिकारी, आय के निर्धारण के लिए किसी कार्यवाही के अनुक्रम के दौरान, किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के संबंध में असन्निकट कीमत का अवधारण करने के लिए, उसके कब्जे में की सामग्री या जानकारी या दस्तावेजों के आधार पर, उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) के अनुसार अग्रसर हो सकेगा, यदि उसकी यह राय है कि—

(क) किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार में प्रभारित या संदत्त कीमत का अवधारण उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) के अनुसार नहीं किया गया है ; या

(ख) निर्धारिती द्वारा किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार से संबंधित कोई जानकारी और दस्तावेज, धारा 171(1) के अनुसार नहीं रखी गई है और बनाए नहीं रखी गई है ; या

(ग) निर्धारिती द्वारा असन्निकट कीमत का अवधारण करने में प्रयुक्त जानकारी या आंकड़े विश्वसनीय या सही नहीं है ;

(घ) निर्धारिती, विनिर्दिष्ट समय के भीतर, ऐसी कोई जानकारी या दस्तावेज देने में असफल रहा है, जिसे धारा 171(2) और धारा 171(3) के अधीन जारी की गई किसी सूचना द्वारा दिए जाने की उससे अपेक्षा की गई थी ।

(5) निर्धारण अधिकारी, उपधारा (4) के अधीन असन्निकट कीमत का अवधारण करने से पूर्व, निर्धारिती को ऐसी तारीख या ऐसे समय पर, जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, हेतुक दर्शित करने की सूचना देगा कि असन्निकट कीमत का अवधारण, निर्धारण अधिकारी के कब्जे में की सामग्री या जानकारी या दस्तावेज के आधार पर क्यों नहीं किया जाना चाहिए ।

(6) निर्धारण अधिकारी, उपधारा (4) के अधीन असन्निकट कीमत का अवधारण होने पर, इस प्रकार अवधारित असन्निकट कीमत को ध्यान में रखते हुए निर्धारिती की कुल आय की संगणना कर सकेगा ।

(7) ऐसी आय की रकम के संबंध में, जिससे निर्धारिती की कुल आय उपधारा (6) के अधीन आय की संगणना के पश्चात् बढ़ जाती है, धारा 144 या अध्याय 8 के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

(8) जहां किसी सहायुक्त उद्यम की कुल आय, किसी अन्य सहायुक्त उद्यम को संदत्त असन्निकट कीमत के अवधारण पर उपधारा (6) के अधीन संगणित की जाती है, जिससे अध्याय 19ख के उपबंधों के अधीन कर की कटौती कर ली गई है या कर कटौतीयोग्य था, वहां दूसरे सहायुक्त उद्यम की आय प्रथम वर्णित उद्यम की दशा में असन्निकट कीमत के ऐसे अवधारण के कारण पुनःसंगणित नहीं की जाएगी।

166. (1) जहां,—

(क) निर्धारिती ने किसी कर वर्ष में कोई अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार किया है ; और

(ख) निर्धारण अधिकारी ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है, तो वह प्रधान आयुक्त या आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से, ऐसे संव्यवहार के संबंध में असन्निकट कीमत की संगणना को अंतरण मूल्यांकन अधिकारी को निर्दिष्ट कर सकेगा।

(2) किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या किसी विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के संबंध में असन्निकट कीमत की संगणना के लिए उपधारा (1) के अधीन कोई निर्देश नहीं किया जाएगा, यदि अंतरण मूल्यांकन अधिकारी ने घोषित किया है कि ऐसे संव्यवहार के संबंध में उपधारा (9) के अधीन निर्धारिती द्वारा प्रयोग किया गया विकल्प ऐसे कर वर्ष के लिए विधिमान्य है।

(3) उपधारा (9) के अधीन किसी कर वर्ष के संबंध में, जिसके लिए विकल्प विधिमान्य घोषित किया जाता है, किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के लिए उपधारा (1) के अधीन कोई निर्देश, यदि अंतरण मूल्यांकन अधिकारी द्वारा ऐसी घोषणा के पूर्व या पश्चात् किया जाता है तो उपधारा (1) के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे, मानो ऐसे संव्यवहार के लिए कोई निर्देश नहीं किया गया हो।

(4) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई निर्देश किया गया है, वहां अंतरण मूल्यांकन अधिकारी, निर्धारिती पर, किसी ऐसे साक्ष्य को, जिसका ऐसे संव्यवहार के संबंध में उसके द्वारा अवधारित असन्निकट कीमत के समर्थन में निर्धारिती अवलंब ले सकेगा, पेश करने या पेश कराए जाने की अपेक्षा करते हुए, उसे उसमें विनिर्दिष्ट तारीख को एक सूचना की तामील करेगा।

(5) जहां,—

(क) उपधारा (1) के अधीन निर्दिष्ट किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार से भिन्न, कोई अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार ; या

(ख) कोई अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या कोई विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार, जिसे निर्धारिती ने धारा 172 के अधीन रिपोर्ट में सम्मिलित नहीं किया है,

अंतरण मूल्यांकन अधिकारी के समक्ष कार्यवाहियों के अनुक्रम के दौरान उसकी जानकारी में आता है, वहां इस अध्याय के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे, मानो ऐसा संव्यवहार

अंतरण
मूल्यांकन
अधिकारी
को
निर्देश।

उपधारा (1) के अधीन उसे निर्दिष्ट किया गया कोई संव्यवहार है ।

(6) उपधारा (4) के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख को या उसके पश्चात् यथाशीघ्र,—

(क) ऐसे साक्ष्य को सुनने के पश्चात्, जिसे निर्धारिती पेश करे, जिसके अंतर्गत धारा 171(2) में निर्दिष्ट कोई सूचना या दस्तावेज सम्मिलित है ;

(ख) ऐसे साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात्, जो अंतरण मूल्यांकन अधिकारी किसी विनिर्दिष्ट मुद्दों पर अपेक्षित करे ; और

(ग) ऐसी सभी सुसंगत सामग्रियों, जो उसने एकत्रित की है, को विचार में लेने के पश्चात्,

अंतरण मूल्यांकन अधिकारी, लिखित रूप में आदेश द्वारा, अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के संबंध में धारा 165(4) के अनुसार, असन्निकट कीमत अवधारित करेगा और अपने आदेश की एक प्रति निर्धारण अधिकारी और निर्धारिती को भेजेगा ।

(7) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई निर्देश किया गया था, वहां उपधारा (6) के अधीन कोई आदेश, उस तारीख से पहले साठ दिन की अवधि से पहले किसी भी समय किया जा सकेगा, जिसको निर्धारण या पुनःनिर्धारण या पुनःसंगणना अथवा नए सिरे से निर्धारण का आदेश करने के लिए धारा 286 में या धारा 296 में निर्दिष्ट परिसीमा अवधि समाप्त होती है ।

(8) धारा 286(3)(ख) या (ज) में निर्दिष्ट परिस्थितियों में, यदि उपधारा (6) के अधीन आदेश करने के लिए अंतरण मूल्यांकन अधिकारी को उपलब्ध परिसीमा की अवधि साठ दिन से कम है, तो ऐसी शेष अवधि साठ दिन तक बढ़ाई जाएगी और परिसीमा की पूर्वोक्त अवधि तदनुसार बढ़ाई गई समझी जाएगी ।

(9) किसी कर वर्ष के लिए उपधारा (6) के अधीन किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के संबंध में अवधारित की जा रही असन्निकट कीमत, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर, ऐसे कर वर्ष के ठीक पश्चात् दो क्रमवर्ती कर वर्षों के लिए समान अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार को लागू होगी :—

(क) निर्धारिती उक्त दो क्रमवर्ती कर वर्षों के लिए उपर्युक्त प्रभाव के विकल्प या विकल्पों का प्रयोग करता है ;

(ख) ऐसे विकल्प या विकल्पों का प्रयोग ऐसे प्ररूप, रीति में और ऐसी समयावधि के भीतर, जो विहित की जाए, किया जाता है ; और

(ग) अंतरण मूल्यांकन अधिकारी, उस मास के अंत से, जिसमें ऐसे विकल्प का प्रयोग किया जाता है, एक मास के भीतर लिखित में आदेश द्वारा यह घोषित करेगा कि विकल्प यथाविहित शर्तों के अधीन रहते हुए विधिमान्य है या हैं ।

(10) उपधारा (9) के उपबंध अध्याय 16ख के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों को लागू नहीं होंगे ।

(11) निर्धारण अधिकारी, उपधारा (6) के अधीन आदेश की प्राप्ति पर, निर्धारिती की कुल आय की संगणना, धारा 165(6) के अधीन अंतरण मूल्यांकन अधिकारी द्वारा

इस प्रकार अवधारित असन्निकट कीमत के अनुरूप करेगा ।

(12) उपधारा (11) में अंतर्विष्ट किसी बात पर विचार किए बिना, जहां अंतरण मूल्यांकन अधिकारी ने निर्धारिती द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प को उपधारा (9) के अधीन विधिमान्य विकल्प के रूप में घोषित कर दिया है, वह उपधारा (6) में निर्दिष्ट आदेश में ऐसे कर वर्ष के ठीक पश्चात् दो क्रमवर्ती कर वर्षों के लिए ऐसे समान संव्यवहार के संबंध में असन्निकट कीमत का परीक्षण और अवधारण करेगा और निर्धारण अधिकारी, ऐसे आदेश की प्राप्ति पर, धारा 288(2) के उपबंधों के अनुसार उक्त दो क्रमवर्ती कर वर्षों के लिए निर्धारिती की कुल आय की पुनः संगणना प्रारंभ करेगा ।

(13) अभिलेख की किसी प्रकट गलती को ठीक करने की दृष्टि से, अंतरण मूल्यांकन अधिकारी,—

(क) उपधारा (6) के अधीन उसके द्वारा पारित किसी आदेश का संशोधन कर सकेगा और धारा 287 के उपबंध, जहां तक हो सकें, तदनुसार लागू होंगे ; और

(ख) ऐसे आदेश की एक प्रति निर्धारण अधिकारी को भेजेगा, जो तत्पश्चात् अंतरण मूल्यांकन अधिकारी के ऐसे आदेश के अनुरूप निर्धारण के आदेश का संशोधन करेगा ।

(14) अंतरण मूल्यांकन अधिकारी, इस धारा के अधीन असन्निकट कीमत अवधारित करने के प्रयोजनों के लिए, धारा 246(1)(क) से (घ) या धारा 252(1)(क) या धारा 253 में विनिर्दिष्ट शक्तियों में से किसी या सभी का प्रयोग कर सकेगा ।

(15) यदि उपधारा (9) और उपधारा (12) को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो बोर्ड, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, कठिनाई को दूर करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करेगा ।

(16) बोर्ड द्वारा उपधारा (15) के अधीन जारी किया गया प्रत्येक मार्गदर्शक सिद्धांत, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष उस समय रखा जाएगा, जब वह तीस दिन की कुल अवधि के लिए सत्र में हो, जिसमें एक सत्र या दो या अधिक उत्तरवर्ती सत्र सम्मिलित हो सकेंगे और यदि, सत्र के तुरंत पश्चात् आने वाले सत्र या पूर्वोक्त उत्तरवर्ती सत्र के अवसान से पूर्व, दोनों सदन ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो जाते हैं या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हो जाते हैं कि मार्गदर्शक सिद्धांत जारी नहीं किया जाना चाहिए, तो उसके पश्चात् मार्गदर्शक सिद्धांत, यथास्थिति, केवल ऐसे उपांतरित रूप में प्रभावी होगा या प्रभावी नहीं होगा, तथापि ऐसा कोई उपांतरण या रद्दकरण, उस मार्गदर्शक सिद्धांत के अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा ।

(17) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “अंतरण मूल्यांकन अधिकारी” से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी वर्ग के संबंध में, धारा 165 और धारा 171 में विनिर्दिष्ट निर्धारण अधिकारी के किसी या सभी कृत्यों का अनुपालन करने के लिए बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कोई संयुक्त आयुक्त या उपायुक्त या सहायक आयुक्त अभिप्रेत है ।

167. (1) (क) धारा 9(2) में निर्दिष्ट आय ; या

(ख) धारा 165 या धारा 166 के अधीन असन्निकट कीमत,

का अवधारण, सुरक्षित बंदरगाह नियमों के अधीन होगा ।

बोर्ड की शक्ति ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, बोर्ड सुरक्षित बंदरगाह के लिए नियम बना सकेगा ।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “सुरक्षित बंदरगाह” से वे परिस्थितियां अभिप्रेत हैं जिनमें आय-कर प्राधिकारी, निर्धारिती द्वारा घोषित,—

(क) अंतरण कीमत ; या

(ख) धारा 9(2) के अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत हुई समझी गई आय, को स्वीकार करेंगे ।

168. (1) बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से,—

अग्रिम मूल्यांकन करार ।

(क) किसी व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले किसी अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में, असन्निकट कीमत अवधारित करते हुए या ऐसी रीति विनिर्दिष्ट करते हुए, जिसमें असन्निकट कीमत अवधारित की जानी है ;

(ख) धारा 9(2) में निर्दिष्ट आय अवधारित करते हुए, या ऐसी रीति विनिर्दिष्ट करते हुए, जिसमें उक्त आय इस प्रकार अवधारित की जानी है, जिसे युक्तियुक्त रूप से उस व्यक्ति द्वारा, जो अनिवासी है, या उसकी ओर से भारत में की जाने वाली संक्रियाओं के कारण उद्भूत मानी जा सकती है,

किसी व्यक्ति के साथ अग्रिम मूल्यांकन करार कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1)(क) में निर्दिष्ट असन्निकट कीमत अवधारित करने की रीति या उपधारा (1)(ख) में निर्दिष्ट आय में, क्रमशः,—

(क) धारा 165(1) में निर्दिष्ट पद्धतियां ; या

(ख) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा उपबंधित पद्धतियां, ऐसे समायोजनों या परिवर्तनों सहित, जो इस प्रकार किए जाने आवश्यक या समीचीन हों, सम्मिलित हो सकेंगी ।

(3) धारा 165 या धारा 166 या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा उपबंधित ऐसी पद्धतियों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) किसी अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार की असन्निकट कीमत ; या

(ख) उपधारा (1)(ख) में निर्दिष्ट आय,

जिसके संबंध में अग्रिम मूल्यांकन करार किया गया है, का अवधारण इस प्रकार किए गए अग्रिम मूल्यांकन करार के अनुसार किया जाएगा ।

(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट करार पांच क्रमवर्ती कर वर्षों से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए विधिमान्य होगा, जो करार में विनिर्दिष्ट की जाए ।

(5) इस प्रकार किया गया अग्रिम मूल्यांकन करार—

(क) उस व्यक्ति पर, जिसके मामले में और ऐसे संव्यवहार के संबंध में, जिसके संबंध में, करार किया गया है; और

(ख) उक्त व्यक्ति और उक्त संव्यवहार के संबंध में, प्रधान आयुक्त या आयुक्त और उसके अधीनस्थ आय-कर प्राधिकारियों पर, आबद्धकर होगा ।

(6) उपधारा (1) में निर्दिष्ट करार उस दशा में आबद्धकर नहीं होगा, यदि विधि में या इस प्रकार किए गए करार से संबंधित तथ्यों में कोई परिवर्तन हो जाता है ।

(7) बोर्ड, केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से, आदेश द्वारा, किसी करार को आरंभ से शून्य घोषित कर सकेगा, यदि उसे यह पता चलता है कि करार उस व्यक्ति द्वारा कपट से या तथ्यों का दुर्व्यपदेशन करके अभिप्राप्त किया गया है ।

(8) करार को आरंभ से शून्य घोषित करने पर,—

(क) इस अधिनियम के सभी उपबंध उस व्यक्ति को इस प्रकार लागू होंगे, मानो करार कभी किया ही नहीं गया था ; और

(ख) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात पर विचार किए बिना, इस अधिनियम के अधीन किसी परिसीमा काल की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, उस करार की तारीख से आरंभ होने वाली और उपधारा (7) के अधीन आदेश की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि को अपवर्जित किया जाएगा और यदि पूर्वोक्त अवधि के अपवर्जन के ठीक पश्चात्, इस अधिनियम के किसी उपबंध में निर्दिष्ट परिसीमा काल साठ दिन से कम का है, वहां ऐसी शेष अवधि को बढ़ाकर साठ दिन तक किया जाएगा और पूर्वोक्त परिसीमा काल तदनुसार बढ़ाया गया समझा जाएगा ।

(9) उपधारा (1) में निर्दिष्ट करार में, ऐसी शर्तों, प्रक्रिया और रीति, जो विहित की जाए, के अधीन रहते हुए, उपधारा (4) में निर्दिष्ट कर वर्षों के प्रथम वर्ष के पहले के चार कर वर्षों से अनधिक किसी अवधि के दौरान और अन्तरराष्ट्रीय संव्यवहार की असन्निकट कीमत या ऐसे व्यक्ति की आय का अवधारण उक्त करार के अनुसार अवधारित किया जाएगा,—

(क) असन्निकट कीमत का अवधारण करने के लिए उपबंध किया जा सकेगा या ऐसी रीति विनिर्दिष्ट की जा सकेगी, जिसमें व्यक्ति द्वारा किए गए अंतराष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में असन्निकट कीमत का अवधारण किया जाएगा ;

(ख) धारा 9(2) में निर्दिष्ट आय का अवधारण करने के लिए उपबंध किया जा सकेगा या ऐसी रीति विनिर्दिष्ट की जा सकेगी, जिसमें ऐसी आय का अवधारण किया जाना है, जो युक्तियुक्त रूप से उस व्यक्ति द्वारा, जो अनिवासी है, या उसकी ओर से भारत में की जाने वाली संक्रियाओं के कारण उद्भूत हुई मानी जा सकती है ।

(10) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई करार करने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा कोई आवेदन किया जाता है, वहां अधिनियम के प्रयोजनों के लिए कार्यवाही उस व्यक्ति की दशा में तब तक लंबित समझी जाएगी, जब तक ऐसा करार किया जाता है, या ऐसी कार्यवाही बंद कर दी जाती है, जो विहित की जाए ।

(11) बोर्ड, इस धारा के प्रयोजनों के लिए एक स्कीम उसमें सामान्यतः अग्रिम मूल्यांकन करार के संबंध में रीति, प्ररूप, प्रक्रिया और कोई अन्य विषय विनिर्दिष्ट करते हुए, विहित कर सकेगा ।

169. (1) यदि किसी व्यक्ति द्वारा अग्रिम मूल्यांकन करार को सम्मिलित करने वाले कर वर्ष के लिए, ऐसा करार किए जाने की तारीख के पूर्व, कोई आय की विवरणी प्रस्तुत की गई है, तो ऐसा व्यक्ति, धारा 263 में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात पर विचार किए बिना, उस मास के, जिसमें करार किया गया था, अंत से तीन मास की अवधि के भीतर, करार के अनुसार और उस तक सीमित एक उपांतरित विवरणी प्रस्तुत करेगा ।

(2) इस धारा में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के सभी अन्य उपबंध तदनुसार इस प्रकार लागू होंगे, मानो उपांतरित विवरणी धारा 263 के अधीन प्रस्तुत की गई कोई विवरणी है ।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन उपांतरित विवरणी प्रस्तुत की गई है और किसी कर वर्ष के संबंध में, जिसको करार लागू होता है, ऐसी विवरणी प्रस्तुत करने से पूर्व निर्धारण या पुनर्निर्धारण की कार्यवाहियां आरंभ की गई है, वहां इस प्रकार प्रस्तुत उपांतरित विवरणी को विचार में लेने के पश्चात् करार के अनुसार,—

(क) यदि ऐसी कार्यवाहियां, ऐसी विवरणी प्रस्तुत करने से पूर्व पूरी हो गई है, तो निर्धारण अधिकारी, सुसंगत कर वर्ष की कुल आय को उपांतरित करते हुए आदेश पारित करेगा ; या

(ख) यदि ऐसी कार्यवाहियां उपांतरित विवरणी फाइल किए जाने की तारीख को लंबित हैं, तो निर्धारण अधिकारी उन्हें पूरा करने की कार्यवाही करेगा ।

(4) धारा 275 या धारा 286 या धारा 296 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) उपधारा (3)(क) के अधीन आने वाले मामले के संबंध में आदेश उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें उपधारा (1) के अधीन उपांतरित विवरणी प्रस्तुत की जाती है, अंत से एक वर्ष की अवधि के भीतर पारित किया जाएगा ;

(ख) उपधारा (3)(ख) के अधीन आने वाले मामले के संबंध में, निर्धारण या पुनर्निर्धारण की लंबित कार्यवाहियों को पूरा करने के लिए धारा 275 या धारा 286 या धारा 296 में यथा उपबंधित परिसीमा काल को बारह मास की अवधि तक विस्तारित किया जाएगा ।

(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “करार” से धारा 168(1) में निर्दिष्ट कोई करार अभिप्रेत है ;

(ख) किसी कर वर्ष से संबंधित निर्धारण या पुनर्निर्धारण की कार्यवाहियां उस दशा में पूरी हो गई समझी जाएंगी, जहां—

(i) निर्धारण या पुनर्निर्धारण का कोई आदेश पारित किया गया है ; या

(ii) उक्त धारा के अधीन उपबंधित परिसीमा काल की समाप्ति तक धारा 270(8) के अधीन कोई सूचना जारी नहीं की गई है ।

कतिपय मामलों
में द्वितीय
समायोजन ।

170. (1) निर्धारिती ऐसे प्रत्येक मामले में द्वितीय समायोजन करेगा, जहां अंतरण कीमत के लिए एक करोड़ रुपए या अधिक का, कोई प्राथमिक समायोजन,—

(क) निर्धारिती द्वारा अपनी आय की विवरणी में स्वप्रेरणा से किया गया

है ;

(ख) निर्धारण अधिकारी द्वारा किया गया है और निर्धारिती द्वारा स्वीकार किया गया है ;

(ग) निर्धारिती द्वारा धारा 168 के अधीन अग्रिम कीमत करार द्वारा अवधारित है;

(घ) धारा 167 के अधीन विरचित सुरक्षित बंदरगाह नियमों के अनुसार किया गया है ; या

(ङ) दोहरे कराधान को परिवर्जित करने के लिए धारा 159 के अधीन किए गए करार के अधीन पारस्परिक सहमति की प्रक्रिया के माध्यम से किसी निर्धारिती के संकल्प के परिणामस्वरूप उद्भूत हुआ है ।

(2) यदि,—

(क) अंतरण कीमत के लिए प्राथमिक समायोजन के परिमाणस्वरूप निर्धारिती की, यथास्थिति, कुल आय में कोई वृद्धि या हानि में कमी हुई है ; और

(ख) ऐसा अतिरिक्त धन या उसका भाग, ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, भारत में संप्रत्यावर्तित नहीं हुआ है,

तो, उसके सहयुक्त उद्यम के पास उपलब्ध ऐसा अतिरिक्त धन या उसका भाग, निर्धारिती द्वारा ऐसे सहयुक्त उद्यम को किया गया अग्रिम समझा जाएगा ।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट अतिरिक्त धन या उसके किसी भाग को निर्धारिती के किसी ऐसे सहयुक्त उद्यमों में से, जो भारत में निवासी नहीं है, संप्रत्यावर्तित किया जा सकेगा ।

(4) उपधारा (2) में यथानिर्दिष्ट अग्रिम पर ब्याज ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संगणित किया जाएगा ।

(5) उपधारा (2) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उस दशा में, जहां अतिरिक्त धन या उसका भाग विहित समय के भीतर संप्रत्यावर्तित नहीं किया गया है, वहां निर्धारिती अपने विकल्प पर, यथास्थिति, ऐसे अतिरिक्त धन या उसके भाग पर 18% की दर से अतिरिक्त आय-कर का संदाय कर सकेगा ।

(6) निर्धारिती द्वारा उपधारा (5) के अधीन इस प्रकार संदत्त अतिरिक्त धन या उसके भाग पर कर को, संप्रत्यावर्तित नहीं किए गए अतिरिक्त धन या उसके भाग के संबंध में कर के अंतिम संदाय के रूप में समझा जाएगा और इस प्रकार संदत्त कर की रकम के संबंध में निर्धारिती द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसके लिए किसी अतिरिक्त प्रत्यय का दावा नहीं किया जाएगा ।

(7) उस रकम के संबंध में, जिस पर उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसार कर संदत्त किया गया है, निर्धारिती को इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

(8) जहां उपधारा (5) में निर्दिष्ट अतिरिक्त कर निर्धारिती द्वारा संदत्त किया गया है, वहां उससे उपधारा (1) के अधीन द्वितीय समायोजन करने की और ऐसे कर के संदाय की तारीख से उपधारा (4) के अधीन ब्याज की संगणना करने की अपेक्षा नहीं की

जाएगी ।

(9) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “असन्निकट कीमत” का वही अर्थ होगा, जो धारा 173(क) में उसका है ;

(ख) “अतिरिक्त धन” से प्राथमिक समायोजन में अवधारित असन्निकट कीमत और उस कीमत के, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार वास्तविक रूप से किया गया है, बीच का अंतर अभिप्रेत है ;

(ग) किसी अंतरण कीमत के लिए “प्राथमिक समायोजन” से असन्निकट सिद्धांत के अनुसार अंतरण कीमत का अवधारण अभिप्रेत है जिसके परिणामस्वरूप निर्धारिती की, यथास्थिति, कुल आय में किसी वृद्धि या हानि में कमी हुई है ;

(घ) “द्वितीय समायोजन” से निर्धारिती और उसके सहयुक्त उद्यम की लेखा बहियों में यह दर्शित करने के लिए कि निर्धारिती और उसके सहयुक्त उद्यम के बीच लाभों का वास्तविक आबंटन प्राथमिक समायोजन के परिणामस्वरूप अवधारित अंतरण कीमत के संगत है, जिसके द्वारा निर्धारिती के नकद खाते और वास्तविक लाभ में असंतुलन को दूर किया जाता है, समायोजन अभिप्रेत है ।

171. (1) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति,—

(क) जिसने कोई अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार किया है ; या

(ख) जो किसी अंतर्राष्ट्रीय समूह का कोई घटक अस्तित्व है, उसके संबंध में ऐसी जानकारी और दस्तावेज तथा ऐसी अवधि के लिए और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, रखेगा और बनाए रखेगा ।

(2) निर्धारण अधिकारी या आयुक्त (अपील) इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के अनुक्रम में उपधारा (1)(क) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति से, यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह इस संबंध में जारी की गई सूचना की प्राप्ति की तारीख से दस दिन की अवधि के भीतर, उसमें निर्दिष्ट कोई जानकारी या दस्तावेज प्रस्तुत करे ।

(3) उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए, निर्धारण अधिकारी या आयुक्त (अपील) ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर दस दिन की अवधि को, तीस दिन से अनधिक की और अवधि के लिए बढ़ा सकेगा ।

(4) उपधारा (1)(ख) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति, उपधारा (1) में निर्दिष्ट जानकारी और दस्तावेज को धारा 511(1) के अधीन विहित प्राधिकारी को ऐसी रीति में, उस तारीख को या उसके पूर्व, जो विहित की जाए, प्रस्तुत करेगा ।

(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “घटक अस्तित्व” का वही अर्थ होगा, जो धारा 511(10)(घ) में उसका है ;

(ख) “अंतर्राष्ट्रीय समूह” का वही अर्थ होगा, जो धारा 511(10)(छ) में उसका है ।

कतिपय
व्यक्तियों द्वारा
जानकारी और
दस्तावेज का
रखा जाना और
उनका प्रस्तुत
किया जाना ।

अंतर्राष्ट्रीय
संव्यवहार या
विनिर्दिष्ट देशी
संव्यवहार करने
वाले व्यक्तियों
द्वारा लेखापाल
से रिपोर्ट प्रस्तुत
किया जाना ।

असन्निकट
कीमत, आदि के
अवधारण से
सुसंगत कतिपय
पदों की
परिभाषाएं ।

172. ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने किसी कर वर्ष के दौरान कोई अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार किया है, लेखापाल से एक रिपोर्ट प्राप्त करेगा और विहित प्ररूप में ऐसी रिपोर्ट को विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पूर्व ऐसे लेखापाल द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और विहित रीति में सत्यापित तथा ऐसी विशिष्टियों को, जो विहित की जाएं, उपवर्णित करते हुए देगा ।

173. इस धारा और धारा 161, धारा 162, धारा 163, धारा 165, धारा 171 और धारा 172 के प्रयोजनों के लिए, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) “असन्निकट कीमत” से वह कीमत अभिप्रेत है, जो अनियंत्रित दशाओं में सहयुक्त उद्यमों से भिन्न व्यक्तियों के बीच किसी संव्यवहार में लागू की जाती है या लागू किए जाने के लिए प्रस्थापित की जाती है ;

(ख) “उद्यम” से वह व्यक्ति (जिसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति का स्थायी स्थापन भी है) अभिप्रेत है, जो,—

(i) वस्तुओं या माल के उत्पादन, भण्डारण, प्रदाय, वितरण, अर्जन या नियंत्रण ; या

(ii) व्यवहार-ज्ञान, पेटेंटों, प्रतिलिप्यधिकारों, व्यापार-चिह्नों, अनुज्ञप्तियों, मताधिकारों या उसी प्रकृति के किसी अन्य कारबार या वाणिज्यिक अधिकार ; या

(iii) किसी पेटेंट, आविष्कार, प्रतिमान, डिजाइन, गुप्त सूत्र या प्रक्रिया से, जिसका दूसरा उद्यम स्वामी हैं या जिसके संबंध में दूसरे उद्यम को अनन्य अधिकार हैं, संबंधित किसी डाटा, दस्तावेजीकरण, रेखांकन या विनिर्देश ; या

(iv) किसी भी प्रकार की सेवाओं के प्रदान करने ; या

(v) किसी संविदा के अनुसरण में किसी कार्य के करने ; या

(vi) विनिधान या उधार देने ; या

(vii) किसी निगमित निकाय के शेयरों, डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों का अर्जन, धारण, हामीदारी या व्यवहार के कारबार,

से संबंधित किसी ऐसे क्रियाकलाप में लगा है, या लग चुका है या जिसके लगाए जाने का प्रस्ताव है, चाहे ऐसा क्रियाकलाप या कारबार प्रत्यक्ष रूप से या अपने यूनिटों या प्रभागों या समनुषंगियों में से किसी एक या अधिक के माध्यम से किया जाता है या, चाहे ऐसा यूनिट या प्रभाग या समनुषंगी उसी स्थान पर जहां उद्यम अवस्थित है या किसी भिन्न स्थान या स्थानों पर अवस्थित हैं ;

(ग) खंड (ख) में निर्दिष्ट “स्थायी स्थापन” के अंतर्गत कारबार का ऐसा निश्चित स्थान भी आता है जहां से उद्यम का कारबार पूर्णतः या भागतः चलाया जाता है ;

(घ) “विनिर्दिष्ट तारीख” से धारा 263(1) के अधीन सुसंगत कर वर्ष के लिए आय की विवरणी देने की नियत तारीख से पूर्व एक मास पहले की तारीख अभिप्रेत है ;

(ड) “संव्यवहार” के अंतर्गत कोई ठहराव, समझौता या संयुक्त कार्रवाई है,—

(i) चाहे ऐसा ठहराव, समझौता या कार्रवाई, औपचारिक या लिखित रूप में है या नहीं ; या

(ii) चाहे ऐसा ठहराव, समझौता या कार्रवाई, विधिक कार्यवाही द्वारा प्रवर्तनीय बनाए जाने के लिए आशयित है या नहीं ।

174. (1) जहां इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व या उसके पश्चात् आस्तियों का कोई अन्तरण हुआ है और इसके आधार से या इसके परिणामस्वरूप,—

(क) या तो अकेले ; या

(ख) सहयुक्त संक्रियाओं के संयोजन से,

कोई आय किसी अनिवासी को संदेय हो जाती है, वहां इस धारा के उपबंध लागू होंगे ।

(2) यदि किसी व्यक्ति (“प्रथम वर्णित व्यक्ति”) ने, उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी अन्तरण द्वारा, या तो अकेले या सहयुक्त संक्रियाओं के संयोजन से कोई ऐसे अधिकार अर्जित किए हैं,—

(क) जिनके आधार पर उसको, इस धारा के अर्थ में, अनिवासी व्यक्ति की किसी ऐसी आय का तत्क्षण या भविष्य में उपभोग करने की शक्ति है ; और

(ख) जो यदि प्रथम वर्णित व्यक्ति की आय होती है तो ऐसी आय, आय-कर के लिए प्रभार्य होती,

वहां वह आय, चाहे वह इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन भी आय-कर से प्रभार्य होती या नहीं होती, इस अधिनियम के सभी प्रयोजनों के लिए प्रथम वर्णित व्यक्ति की आय समझी जाएगी ।

(3) यदि ऐसा कोई प्रथम वर्णित व्यक्ति, कोई ऐसी पूंजी राशि प्राप्त करता है या प्राप्त करने का हकदार है,—

(क) जिसका संदाय अन्तरण या किन्हीं सहयुक्त संक्रियाओं के साथ किसी प्रकार सम्बंधित है ; और

(ख) चाहे ऐसे अन्तरण से पूर्व या उसके पश्चात्,

तो ऐसी कोई आय, जो अन्तरण के आधार पर या उसके परिणामस्वरूप, या तो अकेले या सहयुक्त संक्रियाओं के संयोजन से, अनिवासी की आय हो गई है, चाहे वह इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन भी आय-कर के लिए प्रभार्य होती या नहीं होती, इस अधिनियम के सब प्रयोजनों के लिए प्रथम वर्णित व्यक्ति की आय समझी जाएगी ।

(4) जहां कोई व्यक्ति इस धारा के उपबंधों के अधीन उसकी समझी जाने वाली किसी आय पर आय-कर से प्रभारित किया गया है और वह आय, तत्पश्चात् उसके द्वारा आय के रूप में या किसी अन्य रूप में प्राप्त की जाती है, वहां वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उसकी आय का भाग पुनः नहीं समझी जाएगी ।

(5) इस धारा के उपबंध लागू नहीं होंगे, यदि उपधारा (2) या उपधारा (3) में प्रथम-वर्णित व्यक्ति आय-कर अधिकारी को समाधानप्रद रूप में यह दर्शित कर देता है कि—

(क) न तो अन्तरण का और न किसी सहयुक्त संक्रिया का प्रयोजन या

अनिवासियों को आय के अन्तरण में परिणामित होने वाले संव्यवहारों द्वारा आय-कर का परिवर्जन ।

उसके प्रयोजनों में से कोई प्रयोजन कराधान के दायित्व का परिवर्जन था ; या

(ख) अन्तरण और सब सहयुक्त संक्रियाएं सद्भावी वाणिज्यिक संव्यवहार थी और कराधान के दायित्व के परिवर्जन के प्रयोजनों के लिए परिकल्पित नहीं थी ।

(6) इस धारा में,—

(क) किन्हीं आस्तियों, आय या आय के संचयनों के रूप की आस्तियों के प्रति निर्देशों के अन्तर्गत किसी ऐसी कंपनी के शेयरों या उसकी बाध्यताओं या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति की बाध्यताओं के प्रति निर्देश भी है जिसको वे आस्तियां, वह आय या वे संचयन अन्तरित है या किए गए हैं ;

(ख) किसी ऐसे निगमित निकाय से, जो भारत के बाहर निगमित है, ऐसे बरता जाएगा, मानों वह अनिवासी है ;

(ग) किसी व्यक्ति के संबंध में यह समझा जाएगा कि उसे किसी अनिवासी की आय का उपभोग करने की शक्ति है, यदि—

(i) उस आय को किसी व्यक्ति द्वारा वस्तुतः इस प्रकार व्यवहृत किया जाता है जिससे वह किसी समय-विशेष पर और चाहे आय के रूप में या अन्यथा, उपधारा (2) या उपधारा (3) में प्रथम वर्णित व्यक्ति के फायदे के लिए प्रवृत्त होने के लिए प्रकल्पित होती है ; या

(ii) उस आय की प्राप्ति या प्रोद्भूत का ऐसा प्रभाव होता है जिससे ऐसे प्रथम-वर्णित व्यक्ति के लिए उन किन्हीं आस्तियों का मूल्य बढ़ जाता है जो उस द्वारा या उसके फायदे के लिए धारित है ; या

(iii) ऐसा प्रथम-वर्णित व्यक्ति किसी समय कोई ऐसा फायदा प्राप्त करता है या प्राप्त करने का हकदार है जो उस आय में से या ऐसे धनों में से उपलब्ध है या उपलब्ध किया जाने वाला है जो उस आय पर या उस आय के रूप की आस्तियों पर की जाने वाली सहयुक्त संक्रियाओं के प्रभाव या उत्तरोत्तर प्रभाव के कारण तत्प्रयोजनार्थ उपलब्ध है या होंगे ; या

(iv) ऐसे प्रथम-वर्णित व्यक्ति को, किसी नियोजन की शक्ति या प्रतिसंहरण की शक्ति के प्रयोग द्वारा या अन्यथा रूप से किसी अन्य व्यक्ति की सम्मति से या उसके बिना, आय का फायदाप्रद उपभोग स्वयं अपने लिए अभिप्राप्त करने की शक्ति है ; या

(v) ऐसा प्रथम-वर्णित व्यक्ति आय के उपयोजन को किसी भी रीति में और प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करने के लिए समर्थ है ;

(घ) इस बात का अवधारण करने में कि क्या किसी व्यक्ति को आय का उपभोग करने की शक्ति है, अन्तरण और किन्हीं सहयुक्त संक्रियाओं के सारवान परिणाम और प्रभाव का ध्यान रखा जाएगा और ऐसे सभी फायदों को जो अन्तरण और किन्हीं सहयुक्त संक्रियाओं के परिणामस्वरूप ऐसे व्यक्ति को किसी समय प्रोद्भूत हो, उन फायदों की प्रकृति या स्वरूप को दृष्टि में लाए बिना, हिसाब में लिया जाएगा ।

(7) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “आस्तियों” के अन्तर्गत किसी किस्म की सम्पत्ति या अधिकार है और अधिकारों के सम्बन्ध में “अन्तरण” के अन्तर्गत उन अधिकारों का सृजन भी है ;

(ख) किसी अन्तरण के सम्बन्ध में “सहयुक्त संक्रिया” से किसी किस्म की संक्रिया अभिप्रेत है, जो किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित के सम्बन्ध में की गई है,—

(i) अन्तरित आस्तियों में से कोई आस्ति ; या

(ii) अन्तरित आस्तियों में से किसी को, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिदर्शित करने वाली कोई आस्तियां ; या

(iii) ऐसी किन्हीं आस्तियों से उद्भूत होने वाली आय ; या

(iv) ऐसी किन्हीं आस्तियों से उद्भूत होने वाली आय के संचयनों को चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित करने वाली कोई आस्तियां ;

(ग) “फायदा” के अन्तर्गत किसी भी किस्म का संदाय है ;

(घ) “पूँजी राशि” से अभिप्रेत है,—

(i) किसी उधार या उधार के प्रतिसंदाय के रूप में संदत्त या संदेय कोई राशि ; और

(ii) आय के अन्यथा किसी रूप में संदत्त या संदेय कोई अन्य राशि जो धन या धन के मूल्य के रूप में पूर्ण प्रतिफल के लिए संदत्त या संदेय नहीं है ।

175. (1) जहां किसी प्रतिभूतियों का स्वामी (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्वामी के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) उन प्रतिभूतियों का विक्रय या अंतरण करता है और प्रतिभूतियों का क्रय द्वारा वापस लेता है या पुनः अर्जित करता है, या इसी प्रकार की अन्य प्रतिभूतियों का क्रय या अर्जन करता है, वहां कोई ब्याज, जो ऐसी प्रतिभूतियों के संबंध में संदेय होता है, इस बात के होते हुए कि चाहे वह इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन भी आय-कर से प्रभार्य होता या नहीं होता,—

प्रतिभूतियों में
कतिपय
संव्यवहारों द्वारा
कर का
परिवर्जन ।

(क) जो स्वामी से अन्यथा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्राप्य है, इस अधिनियम के सब प्रयोजनों के लिए, स्वामी की आय समझा जाएगा ; और

(ख) किसी अन्य व्यक्ति की आय नहीं होगी ।

(2) जहां उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट समरूप प्रतिभूतियां क्रय या अर्जित की जाती हैं, वहां स्वामी, आय-कर के लिए उससे बड़े दायित्व के अधीन नहीं होगा, जिसके अधीन वह उस दशा में होता, जिसमें मूल प्रतिभूतियां ही क्रय द्वारा वापस ली गई होती या पुनः अर्जित की गई होती ।

(3) जहां किसी व्यक्ति का किसी कर वर्ष के दौरान किसी समय किन्हीं प्रतिभूतियों में कोई फायदाप्रद हित रहा है और ऐसी प्रतिभूतियों या उनकी आय से संबद्ध किसी संव्यवहार का परिणाम यह है कि ऐसे वर्ष के अन्दर ऐसी प्रतिभूतियों के संबंध में,—

(क) या तो उसको कोई आय प्राप्त नहीं हुई है ; या

(ख) उस द्वारा प्राप्त आय उस राशि से कम है, जिस तक आय पहुंच गई होती यदि ऐसी प्रतिभूतियों से आय दिन-प्रतिदिन प्रोद्भूत होती और तदनुसार

प्रभाजित की गई होती,

वहां ऐसे वर्ष के लिए ऐसी प्रतिभूतियों से आय ऐसे व्यक्ति की आय समझी जाएगी ।

(4) उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) के उपबंध लागू नहीं होंगे, यदि स्वामी या वह व्यक्ति, जिसका उन प्रतिभूतियों में फायदाप्रद हित रहा है, निर्धारण अधिकारी को समाधानप्रद रूप में साबित करता है कि—

(क) आय-कर का कोई परिवर्जन नहीं हुआ है ; या

(ख) आय-कर का परिवर्जन असाधारण था और प्रायिक नहीं था और यह कि उसके मामले में तीन पूर्व वर्षों में से किसी में उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्रकृति के संव्यवहार द्वारा आय-कर का कोई परिवर्जन नहीं हुआ है ।

(5) जहां ऐसा कारबार चलाने वाला कोई व्यक्ति, जिसमें पूर्णतः या भागतः प्रतिभूतियों का व्यवहार सम्मिलित है, किन्हीं प्रतिभूतियों का क्रय या अर्जन करता है और उन प्रतिभूतियों को विक्रय द्वारा वापस करता है या पुनः अंतरित करता है वहां यदि संव्यवहार का यह परिणाम होता है कि उन प्रतिभूतियों के संबंध में संदेय होने वाला ब्याज उस के द्वारा प्राप्य है किंतु उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के कारण उसकी आय नहीं समझा जाता है, वहां इन संव्यवहारों को, उस कारबार से उद्भूत होने वाले लाभों या उससे हुई हानि को इस अधिनियम के प्रयोजनों में से किसी के लिए संगणित करने में, गिनती में नहीं लिया जाएगा ।

(6) उपधारा (5) किन्हीं आवश्यक उपांतरणों के अधीन रहते हुए, इस प्रकार प्रभावी होगी मानों प्रतिभूतियों को विक्रय द्वारा वापस करने या पुनः अंतरित करने के प्रति निर्देशों के अन्तर्गत समरूप प्रतिभूतियों के विक्रय करने या अंतरित करने के प्रति निर्देश भी है ।

(7) निर्धारण अधिकारी किसी व्यक्ति से लिखित सूचना द्वारा अपेक्षा कर सकेगा कि उतने समय के अंदर जितना वह निर्दिष्ट करे, जो अट्ठाईस दिन से कम नहीं होगा, वह, ऐसी सब प्रतिभूतियों के संबंध में, जिनका कि ऐसा व्यक्ति सूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के दौरान किसी समय स्वामी था या जिनमें वह फायदाप्रद हित रखता था, ऐसी विशिष्टियां दे, जैसी वह इस धारा के प्रयोजनों के लिए और यह पता लगाने के प्रयोजन के लिए कि क्या उन सब प्रतिभूतियों पर ब्याज के संबंध में आय-कर लगाया जा चुका है, आवश्यक समझता है ।

(8) यदि,—

(क) कोई व्यक्ति, रिकार्ड तारीख के पूर्व तीन मास की अवधि के भीतर किन्हीं प्रतिभूतियों या यूनिट का क्रय करता है या अर्जन करता है ;

(ख) ऐसा व्यक्ति,—

(i) ऐसी प्रतिभूतियों का, ऐसी तारीख के पश्चात् तीन मास की अवधि के भीतर ; या

(ii) ऐसी यूनिट का, ऐसी तारीख के पश्चात् नौ मास की अवधि के भीतर,

विक्रय या अंतरण करता है ;

(ग) ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसी प्रतिभूतियों या यूनिटों पर प्राप्त या प्राप्य लाभांश या आय छूट प्राप्त है,

वहां प्रतिभूतियों या यूनिट के ऐसे क्रय और विक्रय मध्ये उसको उद्भूत होने वाली हानि, यदि कोई हो, उन परिमाण तक, जिस तक ऐसी हानि ऐसी प्रतिभूतियों या यूनिट पर प्राप्त या प्राप्य लाभांश या आय की रकम से अधिक नहीं है, कर के लिए प्रभार्य उसकी आय की संगणना के प्रयोजनों के लिए हिसाब में नहीं ली जाएगी ।

(9) यदि,—

(क) कोई व्यक्ति रिकार्ड तारीख के पूर्व तीन मास की अवधि के भीतर किन्हीं प्रतिभूतियों या यूनिटों का क्रय करता है या अर्जन करता है ;

(ख) ऐसे व्यक्ति को ऐसी तारीख को ऐसी प्रतिभूतियों या यूनिटें धारण करने के आधार पर कोई संदाय किए बिना अतिरिक्त प्रतिभूतियों या यूनिटें आबंटित की जाती हैं ;

(ग) ऐसा व्यक्ति खंड (क) में निर्दिष्ट सभी या किन्हीं प्रतिभूतियों या यूनिटों का, ऐसी तारीख के पश्चात् नौ मास की अवधि के भीतर विक्रय या अंतरण करता है, जबकि वह खंड (ख) में निर्दिष्ट सभी या किन्हीं अतिरिक्त प्रतिभूतियों या यूनिटों को धारण किए रहता है,

तो ऐसी सभी या किन्हीं प्रतिभूतियों या यूनिटें के ऐसे क्रय और विक्रय मध्ये उसको उद्भूत होने वाली हानि, यदि कोई हो, कर के लिए प्रभार्य उसकी आय की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए हिसाब में नहीं ली जाएगी ।

(10) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के होते हुए भी, उपधारा (9) के अनुसार, इस प्रकार हिसाब में नहीं ली गई हानि की रकम, उपधारा (9)(ख) में निर्दिष्ट ऐसी अतिरिक्त प्रतिभूतियों या यूनिटों के, जो उसके द्वारा ऐसे अंतरण या विक्रय की तारीख को धारण की जाती है, क्रय या अर्जन की लागत समझी जाएगी ।

(11) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “ब्याज” के अंतर्गत लाभांश भी है ;

(ख) “रिकार्ड तारीख” से ऐसी तारीख अभिप्रेत है जो,—

(i) किसी कंपनी द्वारा ;

(ii) किसी पारस्परिक निधि या विनिर्दिष्ट उपक्रम या विनिर्दिष्ट कंपनी के प्रशासक द्वारा जहां,—

(अ) “प्रशासक” से भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अन्तरण और निरसन) अधिनियम, 2002 की धारा 2 के खंड (क) में निर्दिष्ट प्रशासक अभिप्रेत है ;

(आ) “विनिर्दिष्ट कंपनी” से भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अन्तरण और निरसन) अधिनियम, 2002 की धारा 2 के खंड (ज) में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट कंपनी अभिप्रेत है ;

(iii) धारा 2(21) में परिभाषित कारबार न्यास द्वारा ; या

(iv) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक विनिधान निधि) विनियम, 2012 के विनियम 2 के उपविनियम (1) के खंड (ख) में परिभाषित वैकल्पिक विनिधान निधि द्वारा,

प्रतिभूतियों या यूनितों के धारक के हक के प्रयोजनों के लिए, लाभांश, आय या किसी प्रतिफल के बिना अतिरिक्त प्रतिभूतियां या यूनितें प्राप्त करने के लिए नियत की जाए ;

(ग) “प्रतिभूतियों” के अंतर्गत स्टॉक और शेयर भी है ;

(घ) प्रतिभूतियां समरूप समझी जाएंगी, यदि वे अपने धारकों को, पूंजी और ब्याज के बारे में उन्हीं व्यक्तियों के विरुद्ध वैसे ही अधिकारों और उन अधिकारों के प्रवर्तन के लिए वैसे ही उपचारों के लिए हकदार बनाती है, इस बात के होते हुए भी कि संबंधित प्रतिभूतियों की कुल अभिहित रकमों में या उस रूप में, जिसमें वे धारित है या उस रीति में, जिसमें वे अंतरित की जा सकती है, अंतर है ;

(ङ) “यूनिट” से निम्नलिखित अभिप्रेत होगा,—

(i) धारा 2(21) में परिभाषित कारबार न्यास की यूनिटें ;

(ii) धारा 208(3)(ग) में परिभाषित कोई यूनिट ; या

(iii) खंड (ख)(iv) में निर्दिष्ट वैकल्पिक विनिधान निधि में विनिधानकर्ता का फायदाग्राही हित और इसके अंतर्गत शेयर या भागीदारी हित भी होंगे ।

अधिसूचित
अधिकारिता वाले
क्षेत्र में अवस्थित
व्यक्तियों से
संव्यवहारों के
संबंध में विशेष
उपाय ।

176. (1) केंद्रीय सरकार, भारत के बाहर किसी देश या राज्यक्षेत्र के साथ सूचना के प्रभावी आदान-प्रदान के अभाव को ध्यान में रखते हुए, ऐसे देश या राज्यक्षेत्र को, अधिसूचना द्वारा, किसी निर्धारिती द्वारा किए गए संव्यवहारों के संबंध में अधिसूचित अधिकारिता वाले क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

(2) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात पर विचार किए बिना, यदि कोई निर्धारिती ऐसा कोई संव्यवहार करता है, जिसमें संव्यवहार के पक्षकारों में से एक पक्षकार अधिसूचित अधिकारिता वाले क्षेत्र में अवस्थित कोई व्यक्ति है, तो,—

(क) संव्यवहार के सभी पक्षकार धारा 162 के अर्थ के भीतर सहयुक्त उद्यम समझे जाएंगे ;

(ख) धारा 163(1) और धारा 163(2) में वर्णित प्रकृति का कोई संव्यवहार, धारा 163 के अर्थ के भीतर अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार समझा जाएगा,

और धारा 161, धारा 162, धारा 163, धारा 165 (धारा 165(3)(क)(ii) में विनिर्दिष्ट अंतर के फायदों के सिवाय), धारा 166, धारा 167, धारा 171, धारा 172 और धारा 173 के उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।

(3) इस अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात पर विचार किए बिना,—

(क) किसी अधिसूचित अधिकारिता वाले क्षेत्र में अवस्थित किसी वित्तीय संस्था को किए गए किसी संदाय के संबंध में कोई कटौती इस अधिनियम के अधीन तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी, जब तक निर्धारिती, ऐसे निर्धारिती की

ओर से उक्त वितीय संस्था से सुसंगत सूचना की ईप्सा करने के लिए बोर्ड या अपनी ओर से कार्यरत किसी अन्य आय-कर प्राधिकारी को प्राधिकृत करने संबंधी प्राधिकार विहित प्ररूप में प्रस्तुत नहीं करता है ; और

(ख) किसी अधिसूचित अधिकारिता वाले क्षेत्र में अवस्थित किसी व्यक्ति के साथ संव्यवहार से उद्भूत होने वाले किसी अन्य व्यय या मोक के संबंध में (जिसके अंतर्गत अवक्षयण भी है), कोई कटौती इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी, जब तक निर्धारिती इस निमित्त ऐसे अन्य दस्तावेज न रखता हो और ऐसी सूचना, जो विहित की जाए, प्रस्तुत नहीं करता हो ।

(4) इस अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात पर विचार किए बिना, यदि, किसी कर वर्ष में, निर्धारिती को किसी अधिसूचित अधिकारिता वाले क्षेत्र में अवस्थित किसी व्यक्ति से कोई राशि प्राप्त या जमा हुई है, और,—

(क) निर्धारिती उस व्यक्ति के हाथों में या फायदाग्राही स्वामी के हाथों में (यदि ऐसा व्यक्ति उक्त राशि का फायदाग्राही स्वामी नहीं है) उक्त राशि के स्रोत के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है ; या

(ख) निर्धारिती द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण निर्धारण अधिकारी की राय में समाधानप्रद नहीं है,

तो ऐसी राशि, उस कर वर्ष के लिए निर्धारिती की आय समझी जाएगी ।

(5) इस अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात पर विचार किए बिना, जहां किसी अधिसूचित अधिकारिता वाले क्षेत्र में अवस्थित कोई व्यक्ति ऐसी कोई राशि या आय या रकम प्राप्त करने का हकदार है, जिस पर अध्याय 19ख के अधीन कर कटौती योग्य है, वहां कर की कटौती निम्नलिखित दरों में से उच्चतर दर पर की जाएगी, अर्थात् :—

(क) प्रवृत्त दर या दरों पर ;

(ख) इस अधिनियम के सुसंगत उपबंधों में विनिर्दिष्ट दर पर ;

(ग) 30% की दर पर ।

(6) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “किसी अधिसूचित अधिकारिता वाले क्षेत्र में अवस्थित व्यक्ति” के अंतर्गत निम्नलिखित हैं,—

(i) ऐसा कोई व्यक्ति, जो अधिसूचित अधिकारिता वाले क्षेत्र का निवासी है ;

(ii) ऐसा कोई व्यक्ति, जो व्यष्टि नहीं है, जो अधिसूचित अधिकारिता वाले क्षेत्र में स्थापित है ;

(iii) अधिसूचित अधिकारिता वाले क्षेत्र में, उपखंड (i) या उपखंड (ii) के अंतर्गत न आने वाले किसी व्यक्ति का स्थायी स्थापन ;

(ख) “स्थायी स्थापन” का वही अर्थ होगा, जो धारा 173(ग) में परिभाषित है ;

(ग) “संव्यवहार” का वही अर्थ होगा, जो धारा 173(ड) में परिभाषित है ।

कतिपय मामलों में ब्याज कटौती पर परिसीमा ।

177. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात पर विचार किए बिना, उपधारा (4) में यथा विनिर्दिष्ट, अधिक ब्याज के संबंध में ब्याज के रूप में कोई व्यय या वैसा ही संदाय, “कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने में कटौती योग्य नहीं होगा, यदि,—

(क) सहयुक्त उपक्रम, जो कोई अनिवासी है, द्वारा जारी किसी ऋण के संबंध में, किसी भारतीय कंपनी या भारत में किसी विदेशी कंपनी के स्थायी स्थापन द्वारा इसका संदाय किया गया है या संदेय है ; और

(ख) किसी कर वर्ष में ऐसे व्यय की रकम एक करोड़ रुपए से अधिक है ।

(2) जहां किसी उधार देने वाले द्वारा, जो सहयुक्त उद्यम नहीं है, उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई ऋण जारी किया है, वहां ऐसे ऋण को किसी सहयुक्त उपक्रम द्वारा जारी किया गया समझा जाएगा, यदि कोई सहयुक्त उद्यम,—

(क) ऐसे ऋण के संबंध में या तो ऐसे उधार देने वाले को कोई अस्पष्ट या स्पष्ट प्रत्याभूति उपलब्ध कराता है ; या

(ख) उधार देने वाले के पास निधियों की रकम के तत्स्थानी और समरूप निक्षेप करता है ।

(3) इस धारा के उपबंध निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे,—

(क) किसी ऐसे उधार देने वाले द्वारा, जो बैंककारी कारबार में लगे हुए किसी अनिवासी का भारत में स्थायी स्थापन है, जारी ऋण के संबंध में संदत्त ब्याज को ;

(ख) किसी भारतीय कंपनी या किसी विदेशी कंपनी के स्थायी स्थापन, जो बैंककारी या बीमा के कारबार में लगा हुआ है, या किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में अवस्थित किसी वित्त कंपनी, या गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों के ऐसे वर्ग को, जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाए ।

(4) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, “अधिक ब्याज” पद से, कर वर्ष में उधार लेने वाले के ब्याज, करों, अवक्षयण और अपाकरण से पूर्व, उपार्जनो के 30% से अधिक संदत्त या संदेय कुल ब्याज की रकम या उस कर वर्ष के लिए सहयुक्त उपक्रमों को संदत्त या संदेय ब्याज, इनमें से जो भी कम हो, अभिप्रेत है ।

(5) जहां किसी कर वर्ष के लिए ऐसे ब्याज व्यय को, जिसकी पूर्णतः कटौती “कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन आय में से नहीं की गई है,—

(क) आगामी कर वर्ष या वर्षों के लिए अग्रणीत किया जाएगा ; और

(ख) उसके द्वारा किए जाने वाले कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ, यदि कोई हों, और ऐसे कर वर्ष के लिए निर्धारणीय के विरुद्ध, उपधारा (4) के अनुसार अधिकतम अनुज्ञेय ब्याज व्यय की सीमा तक कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा ।

(6) उपधारा (5) में निर्दिष्ट ब्याज व्यय को उस कर वर्ष, जिसके लिए पहली बार अधिक ब्याज व्यय की संगणना की गई थी, से तुरंत पश्चात्तर्वर्ती आठ कर वर्षों से अधिक के लिए अग्रणीत नहीं किया जाएगा ।

(7) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “ऋण” पद से कोई उधार, वित्तीय लिखत, वित्तीय पट्टा, वित्तीय व्युपन्नी या कोई ठहराव अभिप्रेत है जिससे कोई ब्याज, छूट या अन्य वित्तीय प्रभार उत्पन्न होता है, जो “कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने में कटौती योग्य है ;

(ख) “वित्त कंपनी” से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के अधीन बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (वित्त कंपनी) विनियम, 2021 के विनियम 2(1)(ड) में यथापरिभाषित कोई वित्त कंपनी अभिप्रेत है, और जो ऐसी शर्तों को पूरा करती है और ऐसे क्रियाकलाप करती है, जो विहित किए जाएं ; और

(ग) “स्थायी स्थापन” का वही अर्थ होगा, जो धारा 173(ग) में उसका है ।

अध्याय 11

सामान्य परिवर्जन-रोधी नियम

178. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात पर विचार किए बिना, किसी निर्धारिती द्वारा किए गए किसी ठहराव को अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव के रूप में घोषित किया जा सकेगा और उससे उद्भूत होने वाले कर संबंधित परिणाम का अवधारण इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए किया जा सकेगा ।

सामान्य
परिवर्जन-रोधी
नियम का लागू
होना ।

(2) इस अध्याय के उपबंध ठहराव में के किसी उपाय को, या उसके किसी भाग को उसी प्रकार लागू किए जा सकेंगे, जैसे वे ठहराव के प्रति लागू होते हैं ।

179. (1) किसी अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव से ऐसा ठहराव अभिप्रेत है, जिसका मुख्य प्रयोजन कर फायदा अभिप्राप्त करने का है, और,—

अननुज्ञेय
परिवर्जन
ठहराव ।

(क) इससे ऐसे अधिकारों या बाध्यताओं का सृजन होता है, जो सामान्यतया असन्निकट रूप से कार्य करने वाले व्यक्तियों के बीच सृजित नहीं होती हैं ;

(ख) उसके परिणामस्वरूप इस अधिनियम के उपबंधों का, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, गलत उपयोग या दुरुपयोग होता है ;

(ग) इसमें धारा 180 के अधीन, संपूर्णतः या भागतः, वाणिज्यिक सारतत्व नहीं है या उसके बारे में यह समझा जाता है कि उसमें वाणिज्यिक सारतत्व नहीं है ; या

(घ) वह ऐसे साधनों द्वारा या ऐसी रीति में किया जाता है या कार्यान्वित किया जाता है, जिन्हें सामान्यतया सद्भावी प्रयोजनों के लिए अपनाया नहीं जाता है ।

(2) ऐसे ठहराव के बारे में, जब तक कि निर्धारिती द्वारा उसके प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता है, इस तथ्य के होते हुए भी कि संपूर्ण ठहराव का मुख्य प्रयोजन कोई कर फायदा अभिप्राप्त करने का नहीं है, यह उपधारणा की जाएगी कि वह कोई कर फायदा अभिप्राप्त करने के मुख्य प्रयोजन के लिए किया गया है या कार्यान्वित किया गया है, यदि ठहराव में के किसी उपाय या उसके किसी भाग का मुख्य प्रयोजन कर फायदा अभिप्राप्त करने का है ।

ठहराव में
वाणिज्यिक
सारतत्व का न
होना ।

180. (1) किसी ठहराव के बारे में यह समझा जाएगा कि उसमें वाणिज्यिक सारतत्व नहीं है, यदि—

(क) ठहराव का संपूर्ण सारतत्व या प्रभाव उसके पृथक्-पृथक् उपायों या उनके किसी भाग से असंगत है या उससे महत्वपूर्ण रूप से भिन्न है ; या

(ख) उसमें निम्नलिखित अंतर्वलित या सम्मिलित हैं—

(i) राउंड ट्रिप वित्तपोषण ; या

(ii) कोई अनुकूलन पक्षकार ; या

(iii) ऐसे तत्व, जिनका प्रभाव एक-दूसरे को मुजराई करने या रद्द करने का है ; या

(iv) ऐसा कोई संव्यवहार, जो एक या अधिक व्यक्तियों के माध्यम से किया जाता है और उससे ऐसी निधियों के मूल्य, अवस्थान, स्रोत, स्वामित्व या नियंत्रण के बारे में, जो ऐसे संव्यवहार की विषय-वस्तु है, भ्रम होता है ; या

(ग) उसमें ऐसी किसी आस्ति या संव्यवहार या किसी पक्षकार के निवास-स्थान का अवस्थान अंतर्वलित है, जिसका किसी पक्षकार लिए कर फायदा अभिप्राप्त करने से (इस अध्याय के उपबंधों के न होने पर) भिन्न कोई महत्वपूर्ण वाणिज्यिक प्रयोजन नहीं है ; या

(घ) इसमें ठहराव के किसी पक्षकार के कारबार जोखिमों या शुद्ध नकद प्रवाहों पर, उस कर फायदे के, जो (इस अध्याय के उपबंधों के न होने पर) अभिप्राप्त होगा, कारण हुए माने जा सकने वाले ऐसे किसी प्रभाव के अतिरिक्त, कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, राउंड ट्रिप वित्तपोषण के अंतर्गत ऐसा कोई ठहराव भी है, जिसमें,—

(क) निधियां, ठहराव के पक्षकारों के बीच अंतरित की जाती हैं ; और

(ख) ऐसे संव्यवहारों का (इस अध्याय के उपबंधों के न होने पर भी) कर फायदा अभिप्राप्त करने से भिन्न कोई महत्वपूर्ण वाणिज्यिक प्रयोजन नहीं है, कोई ध्यान दिए बिना, श्रृंखलाबद्ध संव्यवहारों के माध्यम से—

(अ) इस बात पर कि राउंड ट्रिप वित्तपोषण में अंतर्वलित निधियों का ठहराव के संबंध में किसी पक्षकार को अंतरित या उसके द्वारा प्राप्त की गई किन्हीं निधियों से पता लगाया जा सकता है या नहीं ;

(आ) उस समय या क्रम पर, जिसमें राउंड ट्रिप वित्तपोषण में अंतर्वलित निधियां अंतरित या प्राप्त की जाती हैं ; या

(इ) उन साधनों पर, जिनके द्वारा या उस रीति पर, जिसमें या उस ढंग पर, जिसके माध्यम से राउंड ट्रिप वित्तपोषण में अंतर्वलित निधियां अंतरित या प्राप्त की जाती हैं ।

(3) शंकाओं को दूर करने के लिए, इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि इस बात का अवधारण करते समय कि किसी ठहराव में वाणिज्यिक सारतत्व है या नहीं,

निम्नलिखित सुसंगत हो सकेगा किन्तु पर्याप्त नहीं होगा, अर्थात् :—

(क) समय या अवधि, जिसके लिए ठहराव (जिसके अंतर्गत उसमें के प्रचालन भी है) विद्यमान है ;

(ख) ठहराव के अधीन, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, करों के संदाय का तथ्य ;

(ग) यह तथ्य कि ठहराव द्वारा कोई निर्गम माध्यम का (जिसके अंतर्गत किसी क्रियाकलाप या कारबार का अंतरण भी है) उपबंध कराया गया है ।

181. (1) यदि किसी ठहराव को अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव के रूप में घोषित किया जाता है, तो ठहराव के कर संबंधी परिणामों का, जिनके अंतर्गत कर फायदे या किसी कर संधि के अधीन किसी फायदे का प्रत्याख्यान किया जाना भी है, ऐसी रीति में, जो मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त समझी जाए, अवधारण किया जाएगा ।

अननुज्ञेय
परिवर्जन ठहराव
के परिणाम ।

(2) उपधारा (1) में यथा निर्दिष्ट अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव घोषित किए जाने वाले किसी ठहराव के परिणामों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, किन्तु उन तक सीमित नहीं होंगे :—

(क) भागतः या संपूर्णतः, अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव में के किसी उपाय पर ध्यान न देना, उन्हें संयोजित या पुनःविशेषित करना ;

(ख) अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव को इस प्रकार मानना, मानो उसे किया अथवा कार्यान्वित ही नहीं किया गया था ;

(ग) किसी अनुकूलक पक्षकार पर ध्यान न देना या किसी अनुकूलक पक्षकार और किसी अन्य पक्षकार को एक ही पक्षकार के रूप में मानना ;

(घ) ऐसे व्यक्तियों को, जो एक-दूसरे के संबंध में संबद्ध व्यक्ति हैं, किसी रकम के कर निरूपण को अवधारित करने के प्रयोजनों के लिए एक ही व्यक्ति के रूप में मानना ;

(ङ) ठहराव के पक्षकारों के बीच निम्नलिखित का पुनःआबंटन करना—

(i) किसी पूंजीगत प्रकृति या राजस्व की प्रकृति के किसी प्रोद्भवन या प्राप्ति ; या

(ii) किसी व्यय, कटौती, राहत या रिबेट ;

(च)(i) ठहराव के किसी पक्षकार के निवास स्थान को ; या

(ii) किसी आस्ति या संव्यवहार की अवस्थिति को,

ठहराव के अधीन यथा उपबंधित निवास-स्थान, किसी आस्ति के अवस्थान या संव्यवहार के अवस्थान से भिन्न किसी स्थान पर मानना ; या

(छ) किसी निगमित संरचना पर ध्यान दिए बिना किसी ठहराव पर विचार करना या उसकी अवेक्षा करना ।

(3) इस धारा में,—

(क) किसी इक्विटी को ऋण या उसके विपर्ययेन माना जा सकेगा ;

(ख) पूंजीगत प्रकृति के किसी प्रोद्भवन या प्राप्ति को राजस्व की प्रकृति का

या उसके विपर्ययेन माना जा सकेगा ; या

(ग) किसी व्यय, कटौती, राहत या रिबेट को पुनःविशेषित किया जा सकेगा ।

संबद्ध व्यक्ति
और अनुकूलक
पक्षकार का
निरूपण ।

182. इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, इस बात का अवधारण करने में कि क्या कोई कर फायदा विद्यमान है,—

(क) ऐसे पक्षकारों को, जो एक-दूसरे के संबंध में संबद्ध व्यक्ति हैं, एक ही व्यक्ति के रूप में माना जा सकेगा ;

(ख) किसी अनुकूलक पक्षकार की अनदेखी की जा सकेगी ;

(ग) अनुकूलक पक्षकार और किसी अन्य पक्षकार को एक ही व्यक्ति के रूप में माना जा सकेगा ;

(घ) किसी निगमित संरचना पर ध्यान दिए बिना ठहराव पर विचार या उसकी अवेक्षा की जा सकेगी ।

इस अध्याय का
लागू होना ।

183. इस अध्याय के उपबंध,—

(क) कर दायित्व के अवधारण के लिए, किसी अन्य आधार के अतिरिक्त, या उसके स्थान पर, लागू होंगे ;

(ख) ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, लागू होंगे ।

निर्वचन ।

184. इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(1) “अनुकूलक पक्षकार” से ऐसा पक्षकार अभिप्रेत है, जो यदि संपूर्ण ठहराव या उसके किसी भाग में, उस पक्षकार की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहभागिता का मुख्य प्रयोजन निर्धारिती के लिए, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, कोई कर फायदा (इस अध्याय के उपबंधों के न होने पर) अभिप्राप्त करने का है, चाहे वह पक्षकार ठहराव के किसी पक्षकार के संबंध में कोई संबंधित व्यक्ति है या नहीं ;

(2) “ठहराव” से किसी संपूर्ण संव्यवहार, प्रचालन, स्कीम, करार या समझौते या उसके किसी भाग के संबंध में, चाहे वह प्रवर्तनीय हो या नहीं, कोई उपाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसे संव्यवहार, प्रचालन, स्कीम, करार या समझौते में किसी संपत्ति का अन्य संक्रामण भी है ;

(3) “आस्ति” के अंतर्गत किसी प्रकार की, संपत्ति, या अधिकार है ;

(4) “फायदे” के अंतर्गत, मूर्त रूप में या अमूर्त रूप में, किसी भी प्रकार का संदाय है ;

(5) “संबद्ध व्यक्ति” से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति से संबद्ध है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं,—

(क) व्यक्ति का कोई नातेदार, यदि ऐसा व्यक्ति कोई व्यक्ति है ;

(ख) यदि व्यक्ति कोई कंपनी है तो कंपनी का कोई निदेशक या ऐसे निदेशक का कोई नातेदार ;

(ग) यदि व्यक्ति कोई फर्म या व्यक्ति-संगम या व्यक्ति-निकाय है तो

ऐसी किसी फर्म या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय का कोई भागीदार या सदस्य अथवा ऐसे भागीदार या सदस्य का कोई नातेदार ;

(घ) यदि व्यक्ति कोई हिन्दू अविभक्त कुटुंब है तो हिन्दू अविभक्त कुटुंब का कोई सदस्य या ऐसे सदस्य का कोई नातेदार ;

(ङ) ऐसा कोई व्यष्टि, जिसका व्यक्ति के कारबार में कोई सारवान् हित है या ऐसे व्यष्टि का कोई नातेदार ;

(च) कोई कंपनी, फर्म या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या हिन्दू अविभक्त कुटुंब, जिसका व्यक्ति के कारबार में कोई सारवान् हित है या कंपनी, फर्म या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय या कुटुंब का कोई निदेशक, भागीदार या सदस्य या ऐसे निदेशक, भागीदार या सदस्य का कोई नातेदार ;

(छ) ऐसी कोई कंपनी, फर्म या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या हिन्दू अविभक्त कुटुंब, जिसके निदेशक, भागीदार या सदस्य का व्यक्ति के कारबार में कोई सारवान् हित है या ऐसे निदेशक, भागीदार या सदस्य का कुटुंब या कोई नातेदार ;

(ज) ऐसा कोई अन्य व्यक्ति, जो कोई कारबार करता है, यदि,—

(i) उस व्यक्ति का, जो व्यष्टि है या ऐसे व्यक्ति के किसी नातेदार का उस अन्य व्यक्ति के कारबार में कोई सारवान् हित है ; या

(ii) उस व्यक्ति का, जो कोई कंपनी, फर्म, व्यक्ति-संगम, व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या हिन्दू अविभक्त कुटुंब है या ऐसी कंपनी, फर्म या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय या कुटुंब के किसी निदेशक, भागीदार या सदस्य का या ऐसे निदेशक, भागीदार या सदस्य के किसी नातेदार का उस अन्य व्यक्ति के कारबार में कोई सारवान् हित है ;

(6) “निधि” के अंतर्गत निम्नलिखित हैं,—

(क) कोई नकदी ;

(ख) नकदी के समतुल्य ; और

(ग) नकदी या नकदी के समतुल्य को, प्राप्त करने का कोई अधिकार या उसका संदाय करने की बाध्यता ;

(7) “पक्षकार” के अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति या स्थायी स्थापन है, जो किसी ठहराव में सहभागी बनता है या भाग लेता है ;

(8) “नातेदार” का वही अर्थ होगा, जो धारा 92(5)(छ) में उसका है ;

(9) ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसका कारबार में सारवान् हित है, यदि—

(क) ऐसे किसी मामले में, जहां कारबार किसी कंपनी द्वारा किया जाता है, ऐसा व्यक्ति, वित्तीय वर्ष के दौरान किसी समय, 20% या अधिक मतदान शक्ति वाले साधारण शेयरों का हिताधिकारी स्वामी है ; या

(ख) किसी अन्य मामले में, ऐसा व्यक्ति, वित्तीय वर्ष के दौरान किसी समय, ऐसे कारबार के लाभों के 20% या अधिक का फायदा पाने का हकदार है ;

(10) “उपाय” के अंतर्गत विशिष्टतया किसी श्रृंखला का एक ऐसा कोई उपाय या कोई कार्रवाई भी है, जो ठहराव में कोई विशिष्ट चीज या वस्तु का व्यवहार करने या उसे प्राप्त करने की दृष्टि से किया गया है या की गई है ;

(11) “कर फायदे” में सुसंगत कर वर्ष या किसी अन्य कर वर्ष में निम्नलिखित सम्मिलित हैं,—

(क) इस अधिनियम के अधीन संदेय कर या अन्य रकम में कमी या उसका परिवर्जन या आस्थगन ; या

(ख) इस अधिनियम के अधीन कर या अन्य रकम के प्रतिदाय में कोई बढ़ोतरी ; या

(ग) ऐसे कर या अन्य रकम में, जो इस अधिनियम के अधीन संदेय होती, किसी कर संधि के परिणामस्वरूप कमी, उसका परिवर्जन या आस्थगन ; या

(घ) किसी कर संधि के परिणामस्वरूप इस अधिनियम के अधीन कर या अन्य रकम के प्रतिदाय में कोई बढ़ोतरी ; या

(ङ) कुल आय में कमी ; या

(च) हानि में बढ़ोतरी ;

(12) “कर संधि” से धारा 159(1) या (2) में निर्दिष्ट कोई करार अभिप्रेत है ।

अध्याय 12

कतिपय दशाओं, आदि में संदाय के ढंग

कतिपय उधार,
निक्षेप और
विनिर्दिष्ट राशि
लेने या प्रतिग्रहण
करने का ढंग ।

185. (1) कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से, कोई उधार या निक्षेप या कोई विनिर्दिष्ट धनराशि,—

(क) पाने वाले के खाते में देय चेक ; या

(ख) पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट ; या

(ग) किसी बैंक खाते के माध्यम से इलैक्ट्रानिक समाशोधन प्रणाली ; या

(घ) किसी अन्य विहित इलैक्ट्रानिक पद्धति,

के माध्यम से ही लेगा या प्रतिगृहीत करेगा, अन्यथा नहीं, यदि,—

(i) ऐसे उधार, निक्षेप की रकम या कुल रकम, या विनिर्दिष्ट राशि ; या

(ii) खंड (i) में यथानिर्दिष्ट ऐसे उधार या निक्षेप या विनिर्दिष्ट राशि लेने या उसका प्रतिग्रहण करने की तारीख को, ऐसे व्यक्ति द्वारा निक्षेपकर्ता से पहले से लिया गया या प्रतिगृहीत कोई उधार या निक्षेप या विनिर्दिष्ट राशि, चाहे प्रतिसंदाय शोध्य हो गया हो या नहीं, असंदत है, वह रकम या कुल रकम जो असंदत है ; या

(iii) खंड (i) और खंड (ii) की कुल रकम,

20,000 रुपए या उससे अधिक है ।

(2) उपधारा (1) के उपबंध ऐसे किसी उधार या निक्षेप या विनिर्दिष्ट राशि को

लागू नहीं होंगे, जो निम्नलिखित से, या निम्नलिखित द्वारा, ली अथवा प्रतिगृहीत की जाती है :—

(क) सरकार ;

(ख) किसी बैंककारी कंपनी, डाकघर बचत बैंक या सहकारी बैंक ;

(ग) केंद्रीय, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम द्वारा स्थापित कोई निगम ;

2013 का 18

(घ) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में यथापरिभाषित कोई सरकारी कंपनी ;

(ङ) केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कोई संस्था, संगम या निकाय अथवा संस्थाओं, संगमों या निकायों के वर्ग ।

(3) उपधारा (1) के उपबंध किसी उधार या निक्षेप या विनिर्दिष्ट राशि को लागू नहीं होंगे, जहां ऐसे व्यक्ति की, जिससे उधार या निक्षेप या विनिर्दिष्ट राशि ली जाती है या प्रतिगृहीत की जाती है और ऐसे व्यक्ति की, जिसके द्वारा उधार या निक्षेप या विनिर्दिष्ट धनराशि ली जाती है या प्रतिगृहीत की जाती है, दोनों की ही कृषि आय है और उनमें से किसी की भी इस अधिनियम के अधीन कर से प्रभार्य कोई आय नहीं है ।

(4) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, किसी निक्षेप या उधार की उस दशा में, जहां,—

(क) किसी प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा अपने सदस्य से ऐसे निक्षेप स्वीकार किए जाते हैं ; या

(ख) जहां ऐसा उधार किसी प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से उसके सदस्य द्वारा लिया जाता है,

वहां “20,000 रुपए” शब्दों के स्थान पर, “2,00,000 रुपए” शब्द रखे जाएंगे ।

(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “उधार या निक्षेप” पद से धन का उधार या निक्षेप अभिप्रेत है ।

186. (1) कोई व्यक्ति, 2,00,000 रुपए या अधिक की,—

(क) किसी व्यक्ति से एक दिन में सकल रकम ; या

(ख) किसी एकल संव्यवहार के संबंध में रकम ; या

(ग) किसी एक घटना या अवसर के संबंध में किसी एक व्यक्ति से किन्हीं संव्यवहारों के संबंध में रकम,

निम्नलिखित के सिवाय प्राप्त नहीं करेगा,—

(i) पाने वाले के खाते में देय चेक ;

(ii) पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट ;

(iii) किसी बैंक खाते के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली ; या

(iv) यथा विहित किसी अन्य इलैक्ट्रॉनिक पद्धति ।

(2) उपधारा (1) के उपबंध निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे,—

(क) सरकार, किसी बैंककारी कंपनी, डाकघर बचत बैंक, या सहकारी बैंक

संव्यवहार करने
का ढंग ।

द्वारा किसी प्राप्ति को ; या

(ख) धारा 185 में निर्दिष्ट प्रकृति के संव्यवहारों को ; या

(ग) ऐसे अन्य व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग या प्राप्तियों को, जिन्हें केंद्रीय सरकार, अधिसूचित करे ।

विहित
इलैक्ट्रानिक
पद्धतियों के
माध्यम से संदाय
का स्वीकार किया
जाना ।

187. प्रत्येक व्यक्ति, उसके द्वारा उपलब्ध कराई जा रही संदाय की अन्य इलैक्ट्रानिक पद्धतियों, यदि कोई हों, के अतिरिक्त, यथा विहित इलैक्ट्रानिक पद्धतियों के माध्यम से संदाय को स्वीकार करने की सुविधा उपलब्ध कराएगा, जहां,—

(क) ऐसा व्यक्ति कोई कारबार या वृत्ति कर रहा है, और

(ख) ऐसे कारबार या वृत्ति में, यथास्थिति, उसके कुल विक्रय, आवर्त या सकल प्राप्तियां, कर वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान पचास करोड़ से अधिक हैं ।

कतिपय उधारों,
निक्षेपों, विनिर्दिष्ट
अग्रिमों के
प्रतिसंदाय का
ढंग ।

188. (1) किसी बैंककारी कंपनी या सहकारी सोसाइटी की कोई शाखा और कोई अन्य कंपनी, सहकारी सोसाइटी, फर्म या अन्य व्यक्ति,—

(क) उनको दिए गए किसी उधार या किए गए निक्षेप का ; या

(ख) उसके द्वारा प्राप्त किसी विनिर्दिष्ट अग्रिम का,

प्रतिसंदाय,—

(i) पाने वाले के खाते में देय चेक ; या

(ii) ऐसे व्यक्ति के, जिसने ऐसा उधार दिया है या निक्षेप किया है, या विनिर्दिष्ट अग्रिम का संदाय किया है, नाम लिखे गए पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट ; या

(iii) किसी बैंक खाते के माध्यम से इलैक्ट्रानिक समाशोधन प्रणाली का प्रयोग करके, या किसी अन्य विहित इलैक्ट्रानिक पद्धति,

के द्वारा ही करेगा, अन्यथा नहीं, यदि,—

(अ) उधार या निक्षेप या विनिर्दिष्ट अग्रिम की रकम, उस पर संदेय ब्याज सहित, यदि कोई हो, ; या

(आ) ऐसे प्रतिसंदाय की तारीख को, ऐसे व्यक्ति द्वारा, बैंककारी कंपनी की शाखा, सहकारी बैंक, अन्य कंपनी, सहकारी सोसाइटी, फर्म या अन्य व्यक्ति के पास (चाहे व्यक्तिगत रूप में या संयुक्त रूप से) धारित उधारों और निक्षेपों की कुल रकम, ऐसे उधारों या निक्षेपों पर संदेय ब्याज सहित, यदि कोई हो ; या

(इ) ऐसे प्रतिसंदाय की तारीख को, ऐसे व्यक्ति द्वारा (चाहे व्यक्तिगत रूप में या संयुक्त रूप से) प्राप्त निर्दिष्ट अग्रिमों की कुल रकम, ऐसे विनिर्दिष्ट अग्रिमों पर संदेय ब्याज सहित, यदि कोई हो,

20,000 रुपए या उससे अधिक है ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर विचार किए बिना, जहां प्रतिसंदाय, किसी बैंककारी कंपनी या सहकारी सोसाइटी की शाखा द्वारा किया जाना है, वहां ऐसा प्रतिसंदाय ऐसी शाखा में उस व्यक्ति के, जिसको ऐसे उधार या निक्षेप का प्रतिसंदाय किया जाना है, बचत बैंक खाते में या चालू खाते में (यदि कोई है) ऐसे उधारों या निक्षेपों की रकम जमा करके भी किया जा सकेगा ।

(3) उपधारा (1) के उपबंध,—

(क) सरकार ;

(ख) किसी बैंककारी कंपनी, डाकघर बचत बैंक, या सहकारी बैंक ;

(ग) केंद्रीय, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम द्वारा स्थापित किसी निगम ;

2013 का 18

(घ) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में यथापरिभाषित किसी सरकारी कंपनी ;

(ङ) केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी संस्था, संगम या निकाय अथवा संस्थाओं, संगमों या निकायों के वर्ग,

द्वारा लिए गए या प्राप्त किए गए किसी उधार या निक्षेप या विनिर्दिष्ट अग्रिम के प्रतिसंदाय को लागू नहीं होंगे ।

(4) उपधारा (1) में, किसी निक्षेप या उधार की उस दशा में, जहां,—

(क) ऐसा निक्षेप किसी प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा अपने सदस्य को (पुनःसंदत्त) किया जाता है ; या

(ख) जहां ऐसे उधार का प्रतिसंदाय किसी सदस्य द्वारा किसी प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को किया जाता है,

वहां “20,000 रुपए” शब्दों के स्थान पर, “2,00,000 रुपए” शब्द रखे जाएंगे ।

(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “उधार या निक्षेप” से धन का कोई उधार या निक्षेप अभिप्रेत है, जो सूचना के पश्चात् प्रतिसंदेय है या किसी अवधि के पश्चात् प्रतिसंदेय है और कंपनी से भिन्न किसी व्यक्ति की दशा में, इसके अंतर्गत किसी भी प्रकृति का उधार और निक्षेप है ।

189. इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

निर्वचन ।

1949 का 10

(क) “बैंककारी कंपनी” से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है, जिसे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के उपबंध लागू होते हैं और इसके अंतर्गत उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंककारी संस्था भी है ;

(ख) “सहकारी बैंक, “प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी” और “प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक” के वही अर्थ होंगे, जो धारा 150 में क्रमशः उनके हैं ;

(ग) “विनिर्दिष्ट राशि” से किसी स्थावर संपत्ति के अंतरण के संबंध में, चाहे ऐसा अंतरण होता है अथवा नहीं, अग्रिम के रूप में या अन्यथा, प्राप्य कोई धनराशि अभिप्रेत है ;

(घ) “विनिर्दिष्ट अग्रिम” से किसी स्थावर संपत्ति के अंतरण के संबंध में, चाहे ऐसा अंतरण होता है अथवा नहीं, अग्रिम, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, की प्रकृति की कोई धनराशि अभिप्रेत है ।

विशेष दशाओं में कर का अवधारण

अ. कतिपय विशेष दशाओं में कर का अवधारण

जहां कुल आय के अंतर्गत ऐसी आय है, जिस पर कोई कर संदेय नहीं है, वहां कर का अवधारण ।

मान्यताप्राप्त भविष्य निधि के संचित अतिशेष पर कर ।

तलाशी संबंधी मामलों में ब्लाक निर्धारण की दशा में कर ।

विदेशी करेंसी में क्रय किए गए बंधपत्रों या सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों से अथवा उनके अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभों से आय पर कर ।

190. जहां किसी निर्धारिती की कुल आय के अन्तर्गत कोई ऐसी आय है, जिस पर इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कोई आय-कर संदेय नहीं है, वहां निर्धारिती आय-कर की उस रकम में से, जिससे वह अपनी कुल आय पर कर से प्रभार्य है, आय-कर की उतनी रकम पर, जिस पर कोई आय-कर संदेय नहीं है, आय-कर की औसत दर से परिकलित आय-कर के बराबर रकम की कटौती के लिए हकदार होगा ।

191. जहां किसी मान्यताप्राप्त भविष्य-निधि में भाग लेने वाले कर्मचारी को देय संचित अतिशेष, अनुसूची 11 के भाग क के पैरा 8 के उपबंधों के लागू न होने के कारण, उसकी कुल आय में सम्मिलित किया जाता है, वहां निर्धारण अधिकारी, उसके पैरा 9 के उपबंधों के अनुसार कर की विभिन्न राशियों का योग परिकलित करेगा ।

192. (1) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में अन्तर्विष्ट किसी बात पर विचार किए बिना, धारा 294 के अधीन अवधारित, ब्लाक अवधि की कुल अप्रकटीकृत आय, 60% की दर पर कर से प्रभार्य होगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रभार्य कर को, किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा उद्गृहीत किसी अधिभार, यदि कोई हो, से बढ़ाया जाएगा ।

193. (1) जहां किसी निर्धारिती की, जो ऐसा व्यक्ति है, जो निवासी है और विनिर्दिष्ट ज्ञान आधारित उद्योग या सेवा में लगी किसी भारतीय कंपनी का कर्मचारी है या विनिर्दिष्ट ज्ञान आधारित उद्योग या सेवा में लगी उसकी समनुषंगी का कर्मचारी है (जिसे इसमें निवासी कर्मचारी कहा गया है), कुल आय में, नीचे सारणी के स्तंभ आ में विनिर्दिष्ट आय सम्मिलित है, वहां संदेय आय-कर, सारणी के स्तंभ इ में संगणित दर पर विनिर्दिष्ट स्तंभ आ में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी आय को लागू आय-कर की रकम का योग होगा ।

सारणी

क्र. सं.	आय	संदेय आय-कर की दर
अ	आ	इ
1.	ऐसी कर्मचारी स्टॉक विकल्प स्कीम के अनुसार, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, जारी की गई और विदेशी करेंसी में उसके द्वारा क्रय की गई विनिर्दिष्ट ज्ञान आधारित उद्योग या सेवा में लगी किसी भारतीय कंपनी की सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों पर लाभांश से आय ;	10%
2.	क्र.सं. 1 में निर्दिष्ट सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों के अंतरण से उद्भूत दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों से आय	12.5%
3.	कुल आय, जिसमें से क्र.सं. 1 और 2 में निर्दिष्ट आय की रकम घटा दी गई है ।	प्रवृत्त दर

(2) जहां निवासी कर्मचारी की,—

(क) सकल कुल आय में केवल उपधारा (1)(सारणी : क्र.सं. 1) में निर्दिष्ट सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों के संबंध में लाभान्शों के रूप में आय समाविष्ट है, वहां उसे इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ;

(ख) सकल कुल आय में केवल उपधारा (1) (सारणी : क्र.सं. 1 या क्र.सं. 2) में निर्दिष्ट कोई आय सम्मिलित है,—

(i) वहां सकल कुल आय, ऐसी आय की रकम से घटा दी जाएगी ;
और

(ii) इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन कटौती ऐसे अनुज्ञात की जाएगी, मानो इस प्रकार घटा कर आई सकल कुल आय निर्धारिती की सकल कुल आय हो ।

(3) धारा 72(6) के दीर्घकालिक पूंजी आस्ति में, जो उपधारा (1) (सारणी : क्र.सं. 2) में निर्दिष्ट सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदें हैं, अंतरण से उद्भूत दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों की संगणना करने के लिए लागू नहीं होगा ।

(4) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीद” से निक्षेपागार रसीद या प्रमाणपत्र के रूप में कोई ऐसी लिखत (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) अभिप्रेत है, जो भारत के बाहर विदेशी निक्षेपागार बैंक या किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र द्वारा सृजित की गई है और विनिधानकर्ताओं को निम्नलिखित के पुरोधरण मददे पुरोधृत किए गए हैं,—

(i) पुरोधरण कंपनी के, जो भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनी है, साधारण शेयरों के ; या

(ii) पुरोधरण कंपनी के विदेशी मुद्रा में संपरिवर्तनीय बंधपत्रों के ;

(iii) पुरोधरण कंपनी के साधारण शेयर, जो भारत के बाहर निगमित कंपनी है, यदि ऐसी निक्षेपागार रसीद या प्रमाणपत्र किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र पर सूचीबद्ध और व्यापार किया गया है ;

(ख) “सूचना प्रौद्योगिकी सेवा” से ऐसी कोई सेवा अभिप्रेत है, जो मूल्य अभिवर्धन उपाप्त करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी उत्पाद प्रणाली पर किसी सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर के उपयोग से पैदा होती है ;

(ग) “सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर” से अनुदेशों, डाटा, ध्वनि या प्रतिमा का कोई प्रतिरूपण अभिप्रेत है जिसके अन्तर्गत मशीन पर पठनीय रूप में अभिलिखित स्रोत संकेत लिपि और प्रयोजन संकेत लिपि है, जो सूचना प्रौद्योगिकी उत्पाद शीर्ष के अंतर्गत आनेवाली स्वचालित डाटा प्रसंस्करण मशीन द्वारा अभिचालित करने या किसी उपभोक्ता को अंतर्क्रियाकलाप उपलब्ध कराने में समर्थ है ;

(घ) “विदेशी निक्षेपागार बैंक” से ऐसा बैंक अभिप्रेत है, जो पुरोधरण कंपनी द्वारा, पुरोधरण कंपनी के विदेशी मुद्रा में संपरिवर्तनीय बंधपत्रों या साधारण शेयरों के पुरोधरण मदधे सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीद जारी करने के लिए प्राधिकृत है ;

(ड) “विनिर्दिष्ट ज्ञान आधारित उद्योग या सेवा” से अभिप्रेत है,—

(i) सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर ;

(ii) सूचना प्रौद्योगिकी सेवा ;

(iii) मनोरंजन सेवा ;

(iv) भेषजीय उद्योग ;

(v) जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग ; या

(vi) कोई ऐसा अन्य उद्योग या सेवा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट की जाए ;

(च) “समनुषंगी” का वही अर्थ है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(87) में उसका है और इसके अंतर्गत भारत के बाहर निगमित समनुषंगी भी है ।

2013 का 18

कतिपय आय पर कर ।

194. (1) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात पर विचार किए बिना, जहां नीचे सारणी के स्तंभ आ में यथा विनिर्दिष्ट किसी निर्धारिती की कुल आय में, उक्त सारणी के स्तंभ इ में विनिर्दिष्ट प्रकृति की आय सम्मिलित होती है, वहां ऐसे निर्धारिती द्वारा, किसी कर वर्ष के लिए संदेय आय-कर, निम्नलिखित का योग होगा,—

(क) स्तंभ इ में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, स्तंभ ई में वर्णित दर से, स्तंभ इ में वर्णित आय पर संगणित आय-कर की रकम ; और

(ख) आय-कर की वह रकम, जिससे निर्धारिती प्रभार्य होता, यदि उसकी कुल आय, स्तंभ इ में वर्णित आय की रकम से घटा दी गई होती ।

सारणी

अ	आ	इ	ई	उ
1.	कोई व्यक्ति	निम्नलिखित (आनलाइन खेल से भिन्न) जीत से,— (क) लाटरी ; या (ख) वर्ग पहेली ; या (ग) दौड़, जिसके अन्तर्गत घुड़दौड़ है, (जो घुड़दौड़ के घोड़ों को अपने स्वामित्व में रखने और उनके रखरखाव के कार्य से आय नहीं है) ; या (घ) ताश के खेल और अन्य सभी प्रकार के खेल ; या (ड) किसी प्रकार या	से 30% से	कुछ नहीं

प्रकृति के जुआ या दाव
से ।

2. कोई व्यक्ति, जो भारत में विकसित और 10% (क) किसी व्यय या मोक के संबंध में स्तंभ इ में निर्दिष्ट उसकी आय की संगणना करने में इस अधिनियम के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ;
- भारत में विकसित और रजिस्ट्रीकृत पेटेंट के संबंध में स्वामिस्व पेटेंटधारक है (जिसे अर्हक निर्धारिती के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) ।
- (ख) निर्धारिती ने, भारत में विकसित और रजिस्ट्रीकृत किसी पेटेंट के संबंध में स्वामिस्व द्वारा आय के कराधान के लिए, धारा 263(1) के अधीन सुसंगत कर वर्ष के लिए आय की विवरणी देने के लिए विनिर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पहले, विहित रीति में, विकल्प का प्रयोग किया है ;
- (ग) जहां खंड (ख) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया गया है और निर्धारिती ऐसे कर वर्ष के उत्तरवर्ती कर वर्ष के सुसंगत पांच निर्धारण वर्षों में

से स्तंभ इ और स्तंभ ई के उपबंधों के अनुसार किसी के कराधान के लिए ऐसी आय का प्रस्ताव करता है, तो ऐसा निर्धारिती, कर वर्ष के पश्चात्तर्वर्ती पांच कर वर्षों के लिए, स्तंभ इ और स्तंभ ई के उपबंधों के फायदे का दावा करने का पात्र नहीं होगा, जिसमें ऐसी आय पर ऐसे उपबंधों के अनुसार कर का प्रस्ताव नहीं किया गया है।

3. कोई व्यक्ति कार्बन प्रत्ययों के अंतरण से आय 10%

किसी व्यय या मोक के संबंध में स्तंभ इ में निर्दिष्ट उसकी आय की संगणना करने में इस अधिनियम के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

4. कोई व्यक्ति आभासी डिजिटल 30% आस्तियों से आय

(क) किसी व्यय (अर्जन की लागत से भिन्न, यदि कोई हो) या मोक या किसी हानि के मुजरा के

संबंध में कोई कटौती निर्धारिती को स्तंभ इ में निर्दिष्ट आय की संगणना करने में अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन अनुज्ञात नहीं की जाएगी ; और

(ख) इसमें संगणित आभासी डिजिटल आस्ति के अंतरण से किसी हानि का कोई मुजरा, इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन संगणित आय के संबंध में निर्धारिती को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, और ऐसी हानि को पश्चात्त्वर्ती निर्धारण वर्षों के लिए अग्रणीत किया जाना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

5.	कोई व्यक्ति	किसी आनलाइन खेलों से शुद्ध जीत के माध्यम से कोई आय, उस रीति में संगणित, जो विहित की जाए	30%	कुछ नहीं
6.	कोई व्यक्ति	जीवन बीमा कारबार से कोई लाभ और अभिलाभ	12.5%	कुछ नहीं

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) एक यूनिट के संबंध में “कार्बन प्रत्यय” से कार्बन डाईआक्साइड

उत्सर्जनों या उसके समतुल्य गैसों के उत्सर्जनों में, जिसका विधिमान्यकरण संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संबंधी फ्रेमवर्क द्वारा किया जाता है, एक टन की ऐसी कमी अभिप्रेत होगी और जिसका बाजार में व्यापार उसकी विद्यमान बाजार कीमत पर किया जा सकता है ;

(ख) “कंप्यूटर संसाधन” का वही अर्थ होगा, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2(1)(ट) में उसका है ;

2000 का 21

(ग) “विकसित” से किसी ऐसे आविष्कार, जिसके संबंध में पेटेंट अधिनियम, 1970 (जिसे इसमें इसके पश्चात् पेटेंट अधिनियम कहा गया है), के अधीन पेटेंट मंजूर किया गया है, के लिए पात्र निर्धारिती द्वारा भारत में उपगत व्यय का कम से कम 75% अभिप्रेत है ;

1970 का 39

(घ) “घुड़दौड़” का वही अर्थ होगा, जो धारा 94(6) में उसका है ;

(ङ) “इंटरनेट” से अंतर-संबंधित विश्वव्यापी कंप्यूटर नेटवर्क से मिलकर बनी कंप्यूटर सुविधाओं और इलेक्ट्रो-मैग्नेटिक पारेषण मीडिया तथा संबंधित उपस्कर और साफ्टवेयर का संयोजन अभिप्रेत है, जो ऐसे पारेषण का नियंत्रण करने के लिए प्रोटोकाल के आधार पर सूचना का पारेषण करता है ;

(च) “आविष्कार” का वही अर्थ होगा जो पेटेंट अधिनियम की धारा 2(1)(ज) में उसका है ;

(छ) “एकमुश्त” के अंतर्गत ऐसे स्वामिस्वों के कारण कोई ऐसा अग्रिम संदाय, जो वापस करने योग्य नहीं है, आता है ;

(ज) “आनलाइन खेल” से वह खेल अभिप्रेत है, जिसे इंटरनेट पर प्रस्तावित किया जाता है और वह किसी उपयोक्ता द्वारा कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से पहुंच योग्य है, जिसके अंतर्गत कोई दूरसंचार युक्ति भी है ;

(झ) “पेटेंट” का वही अर्थ होगा, जो पेटेंट अधिनियम की धारा 2(1)(ड) में उसका है ;

(ञ) “पेटेंटधारककृत वस्तु” और “पेटेंटकृत प्रक्रिया” के वही अर्थ होंगे, जो पेटेंट अधिनियम की धारा 2(1)(ण) में क्रमशः उनके हैं ;

(ट) “पेटेंटधारक” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो आविष्कार का वास्तविक और प्रथम आविष्कारक है, जिसका नाम पेटेंट अधिनियम के अनुसार पेटेंटधारक के रूप में पेटेंट रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया है और इसके अंतर्गत ऐसा प्रत्येक व्यक्ति भी है, जो आविष्कार का वास्तविक और प्रथम आविष्कारक है, जहां एक व्यक्ति से अधिक व्यक्ति उस पेटेंट के संबंध में उस अधिनियम के अधीन पेटेंटधारक के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं ;

(ठ) पेटेंट के संबंध में “स्वामिस्व” से निम्नलिखित के लिए ऐसा प्रतिफल (जिसके अंतर्गत एकमुश्त प्रतिफल है, किंतु कोई ऐसा प्रतिफल नहीं है जो “पूँजी अभिलाभ” शीर्ष के अधीन प्रभार्य प्राप्तिकर्ता की आय या पेटेंटधारककृत प्रक्रिया के उपयोग या वाणिज्यिक उपयोग के लिए पेटेंटधारककृत वस्तु के साथ विनिर्मित उत्पाद के विक्रय के लिए प्रतिफल होगा) अभिप्रेत है,—

(i) पेटेंट के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों (जिनमें अनुज्ञप्ति का

मंजूर किया जाना भी है) का अंतरण ; या

(ii) पेटेंट के कार्यकरण या उसके उपयोग से संबंधित कोई सूचना प्रदान करना ; या

(iii) किसी पेटेंट का उपयोग ; या

(iv) उपखंड (i) से उपखंड (iii) में निर्दिष्ट क्रियाकलापों के संबंध में कोई सेवा प्रदान करना ;

(ड) “वास्तविक और प्रथम आविष्कारक” के वही अर्थ होंगे, जो पेटेंट अधिनियम की धारा 2(1)(म) में उनके हैं ;

(ढ) उपधारा (1) (सारणी : क्र.सं. 4) के प्रयोजनों के लिए, धारा 2(109) में यथा परिभाषित “अंतरण” शब्द, किसी आभासी डिजिटल आस्ति, चाहे वह पूंजी आस्ति है या नहीं, को लागू होगा ।

195. (1) जहां किसी निर्धारिती की,—

धारा 102 से
धारा 106 में
निर्दिष्ट आय पर
कर ।

(क) कुल आय में धारा 102 या धारा 103 या धारा 104 या धारा 105 या धारा 106 में निर्दिष्ट कोई आय सम्मिलित है और उसे धारा 263 के अधीन प्रस्तुत की गई विवरणी में परिलक्षित किया गया है ; या

(ख) निर्धारण अधिकारी द्वारा अवधारित कुल आय में उक्त धारा 102 या धारा 103 या धारा 104 या धारा 105 या धारा 106 में निर्दिष्ट कोई आय सम्मिलित है, यदि ऐसी आय खंड (क) के अंतर्गत नहीं आती है,

वहां संदेय आय-कर,—

(i) खंड (क) और खंड (ख) में निर्दिष्ट आय पर 60% की दर से परिकलित आय-कर की रकम ; और

(ii) आय-कर की ऐसी रकम, जो निर्धारिती से उस दशा में प्रभार्य होती, यदि उसकी कुल आय में से खंड (i) में निर्दिष्ट आय की रकम घटा दी जाती,

का योग होगा ।

(2) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात पर विचार किए बिना, किसी व्यय या मोक या किसी हानि के मुजरे के संबंध में निर्धारिती को उपधारा (1)(क) और उपधारा (1)(ख) में निर्दिष्ट उसकी आय की संगणना करने में इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

आ. पूंजी अभिलाभों पर कर से संबंधित विशेष उपबंध

196. (1) जहां किसी निर्धारिती की कुल आय में, किसी अल्पकालिक पूंजी आस्ति के अंतरण से, उद्भूत कोई ऐसी आय सम्मिलित है, जो “पूंजी अभिलाभ” शीर्ष के अधीन प्रभार्य है,

कतिपय मामलों
में अल्पकालिक
पूंजी अभिलाभों
पर कर ।

(क) जो किसी कंपनी में साधारण शेयर या किसी साधारण शेयरोन्मुख निधि की यूनिट या किसी कारबार न्यास की यूनिट है ; और

(ख) ऐसे साधारण शेयर या यूनिट के विक्रय का संव्यवहार, वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 का अध्याय 7 के अधीन प्रतिभूति संव्यवहार कर से प्रभार्य

2004 का 23

है,

वहां निर्धारिती द्वारा कुल आय पर संदेय कर, उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित का योग होगा—

(i) ऐसे अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों पर 20% की दर से संगणित आय कर की रकम ; और

(ii) कुल आय की शेष रकम पर संदेय आय कर की रकम, मानो ऐसी शेष रकम निर्धारिती की कुल आय थी ।

(2) किसी ऐसे व्यक्ति या हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब की दशा में, जो निवासी है, जहां उपधारा (1) के अधीन संगणित अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों से घटा कर आई कुल आय, उस अधिकतम रकम से कम है, जो आय-कर से प्रभार्य नहीं है, वहां,—

(क) ऐसे अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों को उस रकम तक घटाया जाएगा, जिस तक इस प्रकार घटा कर आई कुल आय उस अधिकतम रकम से कम होती है, जो आय-कर से प्रभार्य नहीं है ; और

(ख) ऐसे अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों की शेष रकम पर कर की संगणना उपधारा (1)(i) पर यथा लागू दर से की जाएगी ।

(3) उपधारा (1)(ख) के उपबंध किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में अवस्थित किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में किए गए किसी संव्यवहार, और जहां ऐसे संव्यवहार का प्रतिफल विदेशी मुद्रा में संदत्त या संदेय है, को लागू नहीं होंगे ।

(4) जहां किसी निर्धारिती की सकल कुल आय में उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ सम्मिलित हैं वहां अध्याय 8 के अधीन कटौती, ऐसे पूंजी अभिलाभों में से घटा कर आई सकल कुल आय से, अनुज्ञात की जाएगी ।

(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “साधारण शेयरोन्मुखी निधि” पद का वही अर्थ होगा, जो धारा 198 में उसका है ।

दीर्घकालिक पूंजी
अभिलाभों पर
कर ।

197. (1) जहां किसी निर्धारिती की कुल आय में किसी दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के अंतरण से उद्भूत कोई ऐसी आय सम्मिलित है, जो “पूंजी अभिलाभ” शीर्ष के अधीन प्रभार्य है वहां निर्धारिती द्वारा कुल आय पर संदेय कर, उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित का योग होगा, अर्थात् :-

(क) कुल आय पर संदेय आय कर की रकम जैसी कि वह ऐसी दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों की रकम को घटाकर आए, मानो इस प्रकार घटाकर आई कुल आय उसकी कुल आय हो ; और

(ख) ऐसे दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों पर 12.5% की दर से परिकलित आय-कर की रकम ।

(2) किसी ऐसे व्यक्ति या हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब की दशा में, जो निवासी है, जहां उपधारा (1) के अधीन संगणित दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों से घटा कर आई कुल आय, उस अधिकतम रकम से कम है, जो आय-कर से प्रभार्य नहीं है, वहां,—

(क) ऐसे दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों को उस रकम तक घटाया जाएगा, जिस तक इस प्रकार घटा कर आई कुल आय उस अधिकतम रकम से कम होती

है, जो आय-कर से प्रभार्य नहीं है ; और

(ख) ऐसे दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों की शेष रकम पर कर की संगणना उपधारा (1) में यथा विनिर्दिष्ट दर से की जाएगी ।

(3) किसी ऐसे व्यष्टि या हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब की दशा में, जो निवासी है, ऐसी दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के अंतरण की दशा में, जो भूमि, या भवन या दोनों है, जिसका अर्जन 23 जुलाई, 2024 के पूर्व किया गया है, निम्नलिखित सूत्र के अनुसार संगणित आधिक्य को अनदेखा किया जाएगा, अर्थात् :—

$$ई = ए - बी$$

जहां,—

ई = अनदेखा किया जाने वाला आधिक्य ;

ए = उपधारा (1)(ख) के अधीन संगणित आय-कर ;

बी = 20% दर से उपधारा (1)(ख) के अधीन संगणित आय-कर और पूंजी अभिलाभ की संगणना अर्जन की लागत को “अर्जन की सूचकांकित लागत” के रूप में और सुधार की लागत को “सुधार की सूचकांकित लागत” के रूप में लेकर की जाएगी ।

(4) किसी करदाता की दशा में, जो कोई अनिवासी (कंपनी न हो) है या विदेशी कंपनी है, तो पूंजीगत आस्ति के अंतरण से उत्पन्न दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ, जो किसी कंपनी की असूचीबद्ध प्रतिभूतियां या शेयर हों, जो ऐसी कंपनी न हो, जिसमें जनता की पर्याप्त रुचि हो, की गणना धारा 72(6) के अधीन उपबंध को प्रभावी किए बिना की जाएगी ।

(5) जहां किसी निर्धारिती की सकल कुल आय में किसी दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के अंतरण से उद्भूत कोई आय सम्मिलित है, वहां उस सकल कुल आय को आय की ऐसी रकम से घटा दिया जाएगा और अध्याय 8 के अधीन कटौती अनुज्ञात की जाएगी, मानो इस प्रकार घटाकर आई सकल कुल आय निर्धारिती की सकल कुल आय हो ।

(6) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “प्रतिभूति” का वही अर्थ होगा, जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2(ज) में उसका है ;

(ख) “सूचीबद्ध प्रतिभूतियां” से ऐसी प्रतिभूतियां अभिप्रेत हैं, जो भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं ;

(ग) “असूचीबद्ध प्रतिभूतियां” से सूचीबद्ध प्रतिभूतियों से भिन्न प्रतिभूतियां अभिप्रेत हैं ;

(घ) “अर्जन की सूचकांकित लागत” और “सुधार की सूचकांकित लागत” के वही अर्थ होंगे, जो धारा 72 में क्रमशः उनके हैं ।

198. (1) धारा 197 में अंतर्विष्ट किसी बात पर विचार किए बिना, किसी निर्धारिती द्वारा उसकी कुल आय पर संदेय कर, उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार अवधारित किया जाएगा, यदि—

(क) कुल आय के अंतर्गत “पूंजी अभिलाभ” शीर्ष के अधीन प्रभार्य कोई आय

1956 का 42

कतिपय मामलों में दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों पर कर ।

भी है ;

(ख) पूंजी अभिलाभ, ऐसी दीर्घकालिक पूंजी आस्ति, जो किसी कंपनी में साधारण अंश है या साधारण शेयरोंमुख निधि की कोई यूनिट है या किसी कारबार न्यास की कोई यूनिट है, के अंतरण से होता है ;

(ग) वित्त (सं० 2) अधिनियम, 2004 के अध्याय 7 के अधीन प्रतिभूति संव्यवहार कर,—

2004 का 23

(i) किसी ऐसे मामले में, जहां ऐसी दीर्घकालिक पूंजी आस्ति, जो किसी कंपनी में साधारण शेयर की प्रकृति की है, के अर्जन पर और ऐसी पूंजी आस्ति के अंतरण पर संदत्त किया गया है ;

(ii) किसी ऐसे मामले में, जहां दीर्घकालिक पूंजी आस्ति, किसी साधारण शेयरोंमुख निधि यूनिट या किसी कारबार न्यास की यूनिट की प्रकृति की है, ऐसी पूंजी आस्ति के अंतरण पर संदत्त किया गया है ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कुल आय पर निर्धारिती द्वारा संदेय कर निम्नलिखित का योग होगा,—

(क) 1,25,000 रुपए से अधिक के ऐसे दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों पर, 12.5% की दर से संगणित आय-कर की रकम ; और

(ख) कुल आय पर संदेय आय-कर की रकम, जिसमें से उपधारा (1) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों की रकम को इस प्रकार घटा दिया गया हो, मानो इस प्रकार घटाने के पश्चात् प्राप्त हुई कुल आय निर्धारित की कुल आय थी ।

(3) किसी ऐसे व्यक्ति या हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब की दशा में, जो निवासी है, जहां उपधारा (1) के अधीन संगणित दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों से घटा कर आई कुल आय, उस अधिकतम रकम से कम है, जो आय-कर से प्रभार्य नहीं है, वहां,—

(क) ऐसे दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों को उस रकम तक घटाया जाएगा, जिस तक इस प्रकार घटा कर आई कुल आय उस अधिकतम रकम से कम होती है, जो आय-कर से प्रभार्य नहीं है ; और

(ख) ऐसे दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों की शेष रकम पर कर की संगणना उपधारा (2) में यथा विनिर्दिष्ट दर से की जाएगी ।

(4) उपधारा (1)(ग) में निर्दिष्ट शर्त किसी भी अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थित मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज पर अंतरण को, और जहां ऐसे अंतरण का प्रतिफल विदेश मुद्रा में प्राप्त किया जाता है या प्राप्य है, को लागू नहीं होगी ।

(5) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, अर्जन की ऐसी प्रकृति को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिसके संबंध में उपधारा (1)(ग)(i) के उपबंध लागू नहीं होंगे ।

(6) जहां किसी निर्धारिती की सकल कुल आय के अंतर्गत उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई भी दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ सम्मिलित हैं, वहां अध्याय 8 के अधीन कटौती, सकल कुल आय में ऐसे पूंजी अभिलाभ घटाने के पश्चात् अनुज्ञात की जाएगी ।

(7) जहां किसी निर्धारिती की कुल आय में उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ सम्मिलित हैं, वहां ऐसी कुल आय पर, जिसमें से ऐसी पूंजी

आस्ति पर संदेय कर को घटा दिया गया है, आय-कर में से धारा 156 के अधीन रिबेट अनुज्ञात की जाएगी।

(8) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “साधारण शेयरोंन्मुख निधि” पद से अनुसूची 7 (सारणी : क्रम सं. 20 या क्रम सं. 21) में विनिर्दिष्ट पारस्परिक निधि की किसी स्कीम के अधीन या किसी बीमा कंपनी की स्कीम के अधीन, जो यूनिट संबद्ध बीमा पालिसियों से मिलकर बनी हैं, जिसको अनुसूची 2 (सारणी : क्रम सं. 2) के अधीन छूट लागू नहीं होती हैं, स्थापित निधि अभिप्रेत है, और,—

(i) उस दशा में, जहां निधि किसी ऐसी दूसरी निधि की यूनिटों में विनिधान करती है जिसका व्यापार मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में किया जाता है,—

(अ) ऐसी निधि के कुल आगमों का कम से कम 90% ऐसी अन्य निधि की यूनिटों में विनिधान किया जाता है ; और

(आ) ऐसी अन्य निधि द्वारा भी किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध देशी कंपनियों के साधारण शेयरों में अपने कुल आगमों का कम से कम 90% विनिधान किया जाता है ; और

(ii) किसी अन्य दशा में, ऐसी निधि के कुल आगमों का कम से कम 65% किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध देशी कंपनियों के साधारण शेयरों में विनिधान किया जाता है,

और इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(I) निधि के संबंध में, यथास्थिति, साधारण शेयर धारण या धारित यूनिट की प्रतिशतता की संगणना आरंभिक और अंतिम अंकों की मासिक औसतों की वार्षिक औसत के संदर्भ में की जाएगी;

(II) किसी बीमा कंपनी की किसी स्कीम की दशा में, जो यूनिट संबद्ध बीमा पालिसियों से मिलकर बनी है, जिसे अनुसूची 2 (सारणी : क्रम सं. 2) के अधीन छूट लागू नहीं होती हैं, यथास्थिति, 90% या 65% की न्यूनतम अपेक्षा ऐसी बीमा पालिसी की संपूर्ण अवधि के दौरान समाधान करना अपेक्षित है।

इ. नई कर व्यवस्था

199. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात पर विचार किए बिना, इस अध्याय के भाग अ, भाग आ, भाग उ और इस भाग (धारा 200 और धारा 201 से भिन्न) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी कर वर्ष के लिए, किसी व्यक्ति की, जो कोई देशी कंपनी है, कुल आय के संबंध में संदेय आय-कर, ऐसे व्यक्ति के विकल्प पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, 25% की दर से संगणित किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) कंपनी 1 मार्च, 2016 को या उसके पश्चात् स्थापित और रजिस्ट्रीकृत की गई है ;

(ख) कंपनी किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन तथा उसके द्वारा विनिर्मित और उत्पादित ऐसी वस्तु या चीज के संबंध में अनुसंधान या वितरण के कारबार से भिन्न किसी कारबार में नहीं लगी है ; और

कतिपय
विनिर्माणकारी
देशी कंपनियों की
आय पर कर।

(ग) कंपनी की कुल आय की संगणना,—

(i)(अ) धारा 45(2) या धारा 47(1)(ख) ; या

(आ) धारा 146 के उपबंधों से भिन्न, अध्याय 8ग ; या

(इ) धारा 205(1)(क) से धारा 205(1)(छ) में विनिर्दिष्ट धाराओं,

के अधीन किसी कटौती के बिना ;

(ii) किसी पूर्ववर्ती कर वर्ष से अग्रणीत किसी हानि के मुजरा के बिना, यदि ऐसी हानि उपखंड (i) में निर्दिष्ट किन्हीं कटौतियों के कारण है,

की गई है ।

(2) उपधारा (1)(ग)(ii) में निर्दिष्ट हानि को पहले ही पूरी तरह प्रभाव दिया गया समझा जाएगा और किसी पश्चात्पूर्ती कर वर्ष के लिए ऐसी हानि के लिए कोई अतिरिक्त कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

(3) इस धारा के कोई उपबंध तब तक लागू नहीं होंगे, जब तक व्यक्ति द्वारा, धारा 263(1) के अधीन आय की पहली विवरणी देने के लिए, जिसकी व्यक्ति से इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन देने की अपेक्षा की जाती है, विनिर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पहले विहित रीति में विकल्प का प्रयोग नहीं किया गया है और ऐसा विकल्प, एक बार प्रयोग किए जाने पर, पश्चात्पूर्ती कर वर्षों को लागू होगा ।

(4) उपधारा (3) के अधीन किसी कर वर्ष के लिए एक बार विकल्प का प्रयोग कर लिए जाने पर, उसे वहां के सिवाय, जहां व्यक्ति धारा 200 के अधीन विकल्प का प्रयोग करता है, उस कर वर्ष या किसी अन्य कर वर्ष के लिए तत्पश्चात् वापस नहीं लिया जा सकता है ।

कतिपय देशी
कंपनियों की आय
पर कर ।

200. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात पर विचार किए बिना, इस अध्याय के भाग अ, भाग आ, भाग उ और इस भाग (धारा 199 और धारा 201 से भिन्न) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी व्यक्ति के, जो कोई देशी कंपनी है, विकल्प पर, निम्नलिखित रीति में संगणित ऐसे व्यक्ति की कुल आय के संबंध में संदेय आय-कर, 22% की दर से होगा, अर्थात् :—

(क)(i) धारा 45(2) या धारा 47(1)(ख) ; या

(ii) धारा 146 या धारा 148 के उपबंधों से भिन्न, अध्याय 8 ; या

(iii) धारा 205(1)(क) से 205(1)(छ) में विनिर्दिष्ट धाराओं,

के अधीन किसी कटौती के बिना की गई है ;

(ख) किसी पूर्वतर कर वर्ष से अग्रणीत किसी हानि या अवक्षयण का मुजरा किए बिना की जाएगी, यदि ऐसी हानि या अवक्षयण उपखंड (क) में निर्दिष्ट किसी कटौती के कारण हुई मानी जा सकती है ;

(ग) किसी हानि का मुजरा या धारा 116 के अधीन किसी शेष अवक्षयण का मोक किए बिना की जाएगी, यदि ऐसी हानि या अवक्षयण खंड (क) में निर्दिष्ट किसी कटौती के कारण हुई मानी जा सकती है ।

(2) जहां कोई व्यक्ति किसी कर वर्ष में उपधारा (1) में अंतर्विष्ट शर्त को पूरा करने में असफल रहता है, वहां उक्त कर वर्ष और पश्चात्पूर्ती वर्षों के संबंध में विकल्प

अविधिमान्य हो जाएगा और अधिनियम के अन्य उपबंध ऐसे लागू होंगे, मानो उक्त कर वर्ष के लिए और पश्चात्पूर्व कर वर्षों के लिए विकल्प का प्रयोग नहीं किया गया था ।

(3) उपधारा (1)(ख) और उपधारा (1)(ग) में निर्दिष्ट हानि और अवक्षयण के लिए यह समझा जाएगा कि उसे पूर्ण रूप से प्रभावी किया गया है और ऐसी हानि या अवक्षयण के लिए किसी पश्चात्पूर्व वर्ष में कोई और कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

(4) किसी व्यक्ति की दशा में, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में कोई इकाई है, जिसने उपधारा (5) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है, उपधारा (1) में अंतर्विष्ट शर्तों को उस परिमाण तक उपांतरित किया जाएगा कि धारा 147 में यथाविनिर्दिष्ट कटौतियां ऐसी इकाई को उक्त धारा में अंतर्विष्ट शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते हुए उपलब्ध होंगी ।

(5) इस धारा के कोई उपबंध तब तक लागू नहीं होंगे, जब तक व्यक्ति द्वारा धारा 263(1) के अधीन आय की विवरणी देने के लिए विनिर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पहले विहित रीति में विकल्प का प्रयोग नहीं किया गया है और ऐसा विकल्प, एक बार प्रयोग किए जाने पर, पश्चात्पूर्व कर वर्षों को लागू होगा ।

(6) इस धारा के अधीन किसी कर वर्ष के लिए एक बार विकल्प का प्रयोग कर लिए जाने पर, उसे उस कर वर्ष या किसी अन्य कर वर्ष के लिए तत्पश्चात् वापस नहीं लिया जाएगा ।

(7) किसी व्यक्ति की दशा में, जो कोई देशी कंपनी है, जहां उसके द्वारा धारा 201 के अधीन उपयोग किया गया विकल्प, धारा 205(2)(ख) या धारा 205(2)(ग) या धारा 205(2)(घ) में अन्तर्विष्ट शर्तों के उल्लंघन के कारण अविधिमान्य ठहराया गया है, ऐसा व्यक्ति इस धारा के अधीन विकल्प का प्रयोग कर सकेगा ।

201. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात पर विचार किए बिना, इस अध्याय के भाग अ, भाग आ, भाग उ और इस भाग (धारा 199 और धारा 200 से भिन्न) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, नीचे सारणी के स्तंभ आ में विनिर्दिष्ट किसी निर्धारिती की, जो कोई देशी कंपनी है, कुल आय के संबंध में संदेय आय-कर, ऐसे निर्धारिती के विकल्प पर, यदि उसके स्तंभ ई में अंतर्विष्ट शर्तों पूरी हो जाती है, स्तंभ इ में विनिर्दिष्ट दर से संगणित किया जाएगा ।

नई विनिर्माणकारी देशी कंपनियों की आय पर कर ।

सारणी			
क्र.सं.	निर्धारिती	कुल आय और कर की दर	शर्त
अ	आ	इ	ई
1.	कोई देशी कंपनी, जो किसी वस्तु या चीज के उत्पादन या विनिर्माण	(क) खंड (ख), खंड (ग) और खंड (घ) में वर्णित आय से भिन्न, कुल आय पर 15% ; (ख) ऐसी आय पर 22% (किसी व्यय या मोक के संबंध में किसी कटौती या मोक के बिना), जो,—	ऐसी देशी कंपनी,— (क) उपधारा (2) में उपबंधित रीति में विकल्प का प्रयोग करती है ; (ख) 1 अक्टूबर, 2019 को या उसके पश्चात् स्थापित और रजिस्ट्रीकृत की गई है ;

के कारबार (i) किसी वस्तु या चीज के (ग) ने 31 मार्च, 2024 में लगी है विनिर्माण या उत्पादन से, न को या उससे पूर्व किसी वस्तु तो उद्भूत है, न ही उसके या चीज का विनिर्माण या आनुषंगिक है ; और उत्पादन आरंभ कर दिया है ;

(ii) इस अध्याय के भाग (घ) की कुल आय की अ, भाग आ और भाग उ तथा संगणना उपधारा (3) के इस भाग, जिसके संबंध में के उपबंधों के अनुसार की गई अधीन पृथक् रूप से कर की है ; और किसी विशिष्ट दर का उपबंध (ड) इस धारा की उपधारा नहीं किया गया है ; (5) और धारा 205(2) में (ग) किसी पूंजी आस्ति, जिस उपबंधित सभी शर्तों को पूरा पर इस अधिनियम के अधीन कोई करती है । अवक्षयण अनुज्ञेय नहीं है, के अंतरण से व्युत्पन्न अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों पर 22% ;

(घ) धारा 205(4) के अधीन इस प्रकार समझी गई आय पर 30% ।

(2) किसी निर्धारिती द्वारा इस धारा के अधीन विकल्प का प्रयोग, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, विहित रीति में किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) इसका प्रयोग किसी कर वर्ष के लिए आय की पहली विवरणी प्रस्तुत करने के लिए, धारा 263(1) के अधीन नियत तारीख को या उससे पहले किया जाएगा ;

(ख) ऐसा विकल्प, एक बार विकल्प का प्रयोग किए जाने पर, पश्चात्कर्ती कर वर्षों को लागू होगा ;

(ग) एक बार किसी कर वर्ष के लिए विकल्प का प्रयोग किए जाने पर, उसे उस कर वर्ष या किसी अन्य कर वर्ष के लिए तत्पश्चात् वापस नहीं लिया जा सकेगा ; और

(घ) जहां निर्धारिती, किसी कर वर्ष के लिए उपधारा (1) (सारणी : क्र.सं. 1.ई) में अंतर्विष्ट शर्तों को पूरा करने में असफल रहता है,—

(i) वहां ऐसे कर वर्ष और पश्चात्कर्ती कर वर्षों के संबंध में विकल्प अविधिमान्य हो जाएगा ; और

(ii) अधिनियम के अन्य उपबंध ऐसे लागू होंगे, मानो उक्त कर वर्ष के लिए और पश्चात्कर्ती कर वर्षों के लिए विकल्प का प्रयोग नहीं किया गया था ।

(3) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, निर्धारिती की कुल आय की संगणना,—

(क)(i) धारा 45(2) या धारा 47(1)(ख) ; या

(ii) धारा 146 या धारा 148 से भिन्न, अध्याय 8 ; या

(iii) धारा 205(1)(क) से 205(1)(छ) में विनिर्दिष्ट,

के अधीन किसी कटौती के बिना की जाएगी ;

(ख) किसी हानि का मुजरा या धारा 116 के अधीन किसी शेष अवक्षयण का मोक किए बिना की जाएगी, यदि ऐसी हानि या अवक्षयण खंड (क) में निर्दिष्ट किसी कटौती के कारण हुई मानी जा सकती है ।

(4) किसी निर्धारिती की कुल आय की संगणना करते समय, उपधारा (3)(ख) में यथा विनिर्दिष्ट हानि और अवक्षयण, या दोनों, के लिए यह समझा जाएगा कि उसे पूर्ण रूप से प्रभावी किया गया है और ऐसी हानि या अवक्षयण, या दोनों, के लिए किसी पश्चात्पूर्ती वर्ष में कोई और कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

(5) किसी समामेलन की दशा में, इस धारा के अधीन विकल्प केवल समामेलित कंपनी की दशा में, और यदि उपधारा (1) (सारणी : क्र.सं. 1.ई) में अंतर्विष्ट शर्तों को पूरा करना ऐसी कंपनी द्वारा जारी रहता है, विधिमान्य रहेगा ।

202. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात पर विचार किए बिना, अध्याय 17 से भिन्न, किन्तु इस अध्याय के भाग अ, भाग आ, भाग उ और इस भाग के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो,—

(क) कोई व्यक्ति है ; या

(ख) कोई हिंदू अविभक्त कुटुंब है ; या

(ग) कोई (किसी सहकारी सोसाइटी से भिन्न) व्यक्ति संगम है ; या

(घ) कोई व्यक्ति निकाय है, चाहे निगमित हो या नहीं ; या

(ङ) धारा 2(77)(छ) में निर्दिष्ट कोई कृत्रिम विधिक व्यक्ति है,

किसी कर वर्ष के लिए, उसकी कुल आय के संबंध में संदेय आय-कर की संगणना, जब तक ऐसा व्यक्ति उपधारा (4) में उपबंधित रीति में विकल्प का प्रयोग नहीं करता है, निम्नलिखित सारणी में दी गई कर की दर पर की जाएगी, अर्थात् :—

सारणी		
क्रम सं०	कुल आय	कर की दर
अ	आ	इ
1.	4,00,000 रुपए तक	शून्य
2.	4,00,001 रुपए से 8,00,000 रुपए तक	5 प्रतिशत
3.	8,00,001 रुपए से 12,00,000 रुपए तक	10 प्रतिशत
4.	12,00,001 रुपए से 16,00,000 रुपए तक	15 प्रतिशत
5.	16,00,001 रुपए से 20,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत
6.	20,00,001 रुपए से 24,00,000 रुपए तक	25 प्रतिशत
7.	24,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, निर्धारिती की कुल आय की संगणना,—

(क)(i) अनुसूची 3 (सारणी : क्र.सं. 5 या क्र.सं. 6 या क्र.सं. 7 या क्र.सं. 8

व्यष्टियों, हिंदू
अविभक्त कुटुंब
और अन्य के
लिए नई कर
व्यवस्था ।

या क्र.सं. 11 या क्र.सं. 17) ;

(ii) अनुसूची 3 (सारणी : क्र.सं. 12 या क्र.सं. 13) (ऐसे प्रयोजन से भिन्न, जो इस प्रयोजन के लिए विहित किए जाएं) ;

(iii) धारा 144 ;

(iv) धारा 19(1) (सारणी : क्र.सं. 1) ;

(v) धारा 21(6) में निर्दिष्ट संपत्तियों के संबंध में, धारा 22(1)(ख) ;

(vi) धारा 33(8) ;

(vii) धारा 48 ;

(viii) धारा 49 ;

(ix) धारा 45(3)(क) या धारा 45(3)(ख) या धारा 45(3)(ग) ;

(x) धारा 46 ;

(xi) धारा 47(1)(क) ;

(xii) धारा 124(1) और धारा 124(2) या धारा 125(2) या धारा 146 के उपबंधों से भिन्न, अध्याय 8,

के उपबंधों के अधीन किसी छूट या कटौती के बिना की जाएगी ; और

(ख)(i) किसी पूर्वतर कर वर्ष से अग्रणीत हानि या अवक्षयण का, यदि ऐसी हानि या अवक्षयण खंड (क) में निर्दिष्ट किसी कटौती के कारण हुआ माना गया है ; या

(ii) “गृह संपत्ति से आय” शीर्ष के अधीन हुई किसी हानि का, आय के किसी अन्य शीर्ष के साथ,

मुजरा किए बिना, की जाएगी ;

(ग) प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उपबंधित भत्ते या परिलब्धि, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, के लिए किसी छूट या कटौती के बिना की जाएगी ।

(3) उपधारा (2)(ख) में निर्दिष्ट हानि और अवक्षयण को पूर्ण प्रभाव दिया गया समझा जाएगा और ऐसी हानि या अवक्षयण के लिए किसी पश्चात्कर्ती वर्ष के लिए कोई और कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

(4) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट कोई बात किसी व्यक्ति को लागू नहीं होगी, जहां ऐसे व्यक्ति द्वारा, किसी कर वर्ष के लिए, इस धारा के अधीन विकल्प का प्रयोग यथाविहित रीति में किया गया है, और ऐसे विकल्प का प्रयोग,—

(क) ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसकी कारबार या वृत्ति से आय है,—

(i) किसी कर वर्ष के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए, धारा 263(1) के अधीन नियत नियत तारीख को या उससे पहले किया गया है ;

(ii) ऐसा विकल्प, एक बार प्रयोग किए जाने पर, पश्चात्कर्ती कर वर्षों को लागू होगा ;

(iii) ऐसा विकल्प, एक बार प्रयोग किए जाने पर, उस कर वर्ष से भिन्न, जिसके लिए इसका प्रयोग किया गया था, किसी कर वर्ष के लिए

एक बार वापस लिया जा सकेगा ; और

(iv) वह व्यक्ति, ऐसे वापस लिए जाने के पश्चात्, इस उपधारा के अधीन विकल्प का प्रयोग करने का वहां के सिवाय, जहां ऐसे व्यक्ति की कारबार या वृत्ति से कोई आय नहीं रह जाती, कभी पात्र नहीं होगा, और ऐसी दशा में, खंड (ख) के अधीन विकल्प उपलब्ध होगा ;

(ख) ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसकी कारबार या वृत्ति से आय नहीं है, किसी कर वर्ष के लिए धारा 263(1) के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली आय की विवरणी के साथ किया गया है ।

(5) ऐसे व्यक्ति की दशा में, जिसके पास अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में कोई यूनिट है, उपधारा (2) के उपबंध उस सीमा तक उपांतरित हो जाएंगे कि उक्त धारा के अधीन ऐसी यूनिट को कटौती, उक्त धारा में अंतर्विष्ट शर्तों को पूरा किए जाने के अधीन रहते हुए उपलब्ध होगी ।

203. (1) इस अधिनियम में किसी बात पर विचार किए बिना, इस अध्याय के भाग अ, भाग आ, भाग उ और इस भाग (धारा 204 से भिन्न) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी व्यक्ति के, जो भारत में निवासी सहकारी सोसाइटी है, विकल्प पर, निम्नलिखित रीति में ऐसे व्यक्ति की संगणित कुल आय के संबंध में 22% की दर से आय-कर संदेय होगा,—

कतिपय निवासी सहकारी सोसाइटियों की आय पर कर ।

(क)(i) धारा 146 के उपबंधों से भिन्न, अध्याय 8 ; या

(ii) धारा 205(1)(क) से धारा 205(1)(छ) में विनिर्दिष्ट धाराओं,

के अधीन किसी कटौती के बिना संगणित ;

(ख) किसी पूर्वतर कर वर्ष से अग्रणीत हानि या अवक्षयण का मोक किए बिना संगणित, यदि ऐसी हानि या अवक्षयण खंड (क) में निर्दिष्ट कटौतियों में से किसी कटौती के कारण हुआ माना गया है ।

(2) जहां कोई व्यक्ति किसी कर वर्ष में उपधारा (1) में अंतर्विष्ट अपेक्षाओं को पूरा करने में असफल रहता है, वहां उक्त कर वर्ष और पश्चात्वर्ती कर वर्षों के संबंध में विकल्प अविधिमान्य हो जाएगा और अधिनियम के अन्य उपबंध ऐसे लागू होंगे, मानो उक्त कर वर्ष के लिए और पश्चात्वर्ती कर वर्षों के लिए विकल्प का प्रयोग नहीं किया गया था ।

(3) उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट हानि और अवक्षयण के लिए यह समझा जाएगा कि उसे पूर्ण रूप से प्रभावी किया गया है और ऐसी हानि या अवक्षयण के लिए किसी पश्चात्वर्ती कर वर्ष में कोई और कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

(4) किसी व्यक्ति की दशा में, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में कोई इकाई है, जिसने उपधारा (5) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है, उपधारा (1) में अंतर्विष्ट अपेक्षाओं को उस परिमाण तक उपांतरित किया जाएगा कि धारा 147 के अधीन कटौतियां ऐसी इकाई को उक्त धारा में अंतर्विष्ट शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते हुए उपलब्ध होंगी ।

(5) इस धारा के कोई उपबंध तब तक लागू नहीं होंगे, जब तक व्यक्ति द्वारा

धारा 263(1) के अधीन आय की विवरणी देने के लिए विनिर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पहले विहित रीति में विकल्प का प्रयोग नहीं किया गया है और ऐसा विकल्प, एक बार प्रयोग किए जाने पर, पश्चात्पूर्वी कर वर्षों को लागू होगा ।

(6) इस धारा के अधीन किसी कर वर्ष के लिए एक बार विकल्प का प्रयोग कर लिए जाने पर, उसे उस कर वर्ष या किसी अन्य कर वर्ष के लिए तत्पश्चात् वापस नहीं लिया जाएगा ।

कतिपय नई
विनिर्माणकारी
सहकारी
सोसाइटियों की
आय पर कर ।

204. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात पर विचार किए बिना, इस अध्याय के भाग अ, भाग आ, भाग उ और इस भाग (धारा 203 से भिन्न) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, नीचे सारणी के स्तंभ अ में विनिर्दिष्ट, किसी निर्धारिती की, जो भारत में निवासी कोई सहकारी सोसाइटी है, कुल आय के संबंध में संदेय आय-कर, ऐसे निर्धारिती के विकल्प पर, यदि उसके स्तंभ आ में अंतर्विष्ट शर्तें पूरी हो जाती हैं, उक्त सारणी के स्तंभ अ में विनिर्दिष्ट दर से संगणित किया जाएगा, अर्थात् :—

सारणी

कुल आय और कर की दर	शर्तें
अ	आ
(क) खंड (ख), खंड (ग) और खंड (घ) में वर्णित आय से भिन्न, कुल आय पर 15% ;	ऐसी सहकारी सोसाइटी,— (क) उपधारा (2) में उपबंधित रीति में विकल्प का प्रयोग करती है ;
(ख) ऐसी आय पर 22% (किसी व्यय या मोक के संबंध में किसी कटौती या मोक के बिना), जो,—	(ख) 1 अप्रैल, 2023 को या उसके पश्चात् स्थापित और रजिस्ट्रीकृत की गई है ;
(i) किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन से, न तो उद्भूत है, न ही उसके आनुषंगिक है ; और	(ग) ने 31 मार्च, 2024 को या उससे पूर्व किसी वस्तु या चीज का विनिर्माण या उत्पादन आरंभ कर दिया है ;
(ii) जिसके संबंध में इस अध्याय के अधीन पृथक् रूप से कर की किसी विशिष्ट दर का उपबंध नहीं किया गया है ;	(घ) की कुल आय की संगणना उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार की गई है ; और
(ग) किसी पूंजी आस्ति, जिस पर इस अधिनियम के अधीन कोई अवक्षयण अनुज्ञेय नहीं है, के अंतरण से व्युत्पन्न अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों पर 22% ;	(ङ) धारा 205(2) में उपबंधित सभी शर्तों को पूरा करती है ।
(घ) धारा 205(4) के अधीन इस प्रकार समझी गई आय पर 30% ।	

(2) किसी निर्धारिती द्वारा इस धारा के अधीन विकल्प का प्रयोग, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, विहित रीति में किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) इसका प्रयोग किसी कर वर्ष के लिए आय की पहली विवरणी प्रस्तुत करने के लिए, धारा 263(1) के अधीन नियत नियत तारीख को या उससे पहले किया जाएगा ;

(ख) ऐसा विकल्प, एक बार विकल्प का प्रयोग किए जाने पर, पश्चात्कर्तृ कर वर्षों को लागू होगा ;

(ग) एक बार किसी कर वर्ष के लिए विकल्प का प्रयोग किए जाने पर, उसे उस कर वर्ष या किसी अन्य कर वर्ष के लिए तत्पश्चात् वापस नहीं लिया जा सकेगा ; और

(घ) जहां निर्धारिती, किसी कर वर्ष के लिए उपधारा (1) (सारणी : क्र.सं. 1.आ) में अंतर्विष्ट शर्तों को पूरा करने में असफल रहता है,—

(i) वहां ऐसा कर वर्ष और पश्चात्कर्तृ कर वर्षों के संबंध में विकल्प अविधिमान्य हो जाएगा ; और

(ii) अधिनियम के अन्य उपबंध ऐसे लागू होंगे, मानो उक्त कर वर्ष के लिए और पश्चात्कर्तृ कर वर्षों के लिए विकल्प का प्रयोग नहीं किया गया था ।

(3) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, निर्धारिती की कुल आय की संगणना,—

(क)(i) धारा 146 के उपबंधों से भिन्न, अध्याय 8 ; या

(ii) धारा 205(1)(क) से धारा 205(1)(छ) में विनिर्दिष्ट धाराओं,

के अधीन किसी कटौती के बिना की जाएगी ;

(ख) किसी पूर्वतर कर वर्ष से अग्रणीत हानि या अवक्षयण का मोक किए बिना संगणित की जाएगी, यदि ऐसी हानि या अवक्षयण खंड (क) में निर्दिष्ट कटौतियों में से किसी कटौती के कारण हुआ माना गया है ।

(4) किसी निर्धारिती की कुल आय की संगणना करते समय, उपधारा (3)(ख) में यथा विनिर्दिष्ट हानि और अवक्षयण, या दोनों, के लिए यह समझा जाएगा कि उसे पूर्ण रूप से प्रभावी किया गया है और ऐसी हानि या अवक्षयण, या दोनों, के लिए किसी पश्चात्कर्तृ वर्ष में कोई और कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

205. (1) धारा 199(1)(ग)(i)(इ), धारा 200(1)(क)(iii), धारा 201(3)(क)(iii), धारा 203(1)(क)(ii) और धारा 204(3)(क)(ii) के प्रयोजनों के लिए, कुल आय की संगणना, निम्नलिखित धाराओं के उपबंधों के अधीन, किसी छूट या कटौती के बिना की जाएगी :—

(क) धारा 33(8), ऐसी रीति में अवधारित, जो विहित की जाए ;

(ख) धारा 45(3)(क) या धारा 45(3)(ख) या धारा 45(3)(ग) ;

(ग) धारा 46 ;

(घ) धारा 47(1)(क) ;

(ङ) धारा 48 ;

(च) धारा 49 ; और

(छ) धारा 144 ।

(2) धारा 201 या धारा 204 के प्रयोजनों के लिए, निर्धारिती को निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी, अर्थात् :—

कतिपय कंपनियाँ और सहकारी सोसाइटियों की आय पर कर के लिए शर्तें ।

(क) इसका कारबार, पहले से ही विद्यमान किसी कारबार के, विभाजन द्वारा, या किसी पुनर्गठन द्वारा, विरचित नहीं किया जाता है, जब तक इसकी विरचना, धारा 140(4) में यथानिर्दिष्ट परिस्थितियों में और उक्त धारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, ऐसे उपक्रम के किसी कारबार की पुनःस्थापना, पुनर्गठन या पुनःप्रवर्तन के परिणामस्वरूप की जाती है ;

(ख) यह, पूर्व में किसी प्रयोजन के लिए उपयोग की गई, किसी मशीनरी या संयंत्र का, निम्नलिखित से भिन्न, उपयोग नहीं करती है,—

(i) भारत के बाहर उपयोग की गई अनुज्ञेय मशीनरी या संयंत्र ;

(ii) पूर्व में किसी प्रयोजन के लिए मशीनरी या संयंत्र या उसके किसी भाग का उपयोग किया गया है, और निर्धारिती द्वारा उपयोग की गई ऐसी मशीनरी या संयंत्र या उसके भाग का कुल मूल्य, ऐसे निर्धारिती द्वारा उपयोग की गई मशीनरी या संयंत्र के कुल मूल्य के 20% से अनधिक है ;

(ग) किसी देशी कंपनी की दशा में, यह पूर्व में किसी होटल या किसी कन्वेंशन केन्द्र के रूप में उपयोग किए गए किसी भवन का उपयोग नहीं करता है, जिसके संबंध में आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 80झघ के अधीन कटौती का दावा किया गया है और कटौती अनुज्ञात की गई है ;

1961 का 43

(घ) यह किसी चीज या वस्तु के विनिर्माण या उत्पादन के और उसके द्वारा विनिर्मित या उत्पादित ऐसी वस्तु या चीज के, संबंध में अनुसंधान, और उसके वितरण, से भिन्न किसी कारबार में नहीं लगी है,

और, यदि, खंड (ख), खंड (ग) या खंड (घ) में अंतर्विष्ट शर्तों में से किसी को पूरा करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो बोर्ड, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए और नए संयंत्र और मशीनरी का उपयोग करते हुए चीज या वस्तु के विनिर्माण या उत्पादन का संवर्धन करने के लिए दिशानिर्देश जारी कर सकेगा ।

(3) बोर्ड द्वारा उपधारा (2) के अधीन जारी प्रत्येक मार्गदर्शक सिद्धांत, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष उस समय रखा जाएगा, जब वह तीस दिन की कुल अवधि के लिए सत्र में हो, जिसमें एक सत्र या दो या अधिक उत्तरवर्ती सत्र सम्मिलित हो सकेंगे और यदि, सत्र के तुरंत पश्चात् आने वाले सत्र या पूर्वोक्त उत्तरवर्ती सत्र के अवसान से पूर्व, दोनों सदन ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो जाते हैं या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हो जाते हैं कि मार्गदर्शक सिद्धांत जारी नहीं किया जाना चाहिए, तो उसके पश्चात् मार्गदर्शक सिद्धांत, यथास्थिति, केवल ऐसे उपांतरित रूप में प्रभावी होगा या प्रभावी नहीं होगा, तथापि ऐसा कोई उपांतरण या रद्दकरण, उस मार्गदर्शक सिद्धांत के अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा ।

(4) धारा 201 और धारा 204 के प्रयोजनों के लिए,—

(क) जहां किसी निर्धारण अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि व्यक्ति, जिसे उक्त धारा लागू होती है और किसी अन्य व्यक्ति के बीच निकट संबद्ध के कारण या किसी अन्य कारण से, उनके बीच कारबार के अनुक्रम का इस प्रकार ठहराव

किया गया है कि उनके बीच संव्यवहार किए गए कारबार से निर्धारिती को साधारण लाभ, जिसके ऐसे कारबार में उद्भूत होने की प्रत्याशा है, से अधिक लाभ उत्पन्न करता है, तो निर्धारण अधिकारी इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ऐसे कारबार के लाभों और अभिलाभों की संगणना करने के लिए, लाभ की उस रकम को गणना में लेगा, जो युक्तियुक्त रूप से उनके द्वारा प्राप्त की गई समझी जा सकेगी और जहां उक्त ठहराव में धारा 164 में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार अंतर्वलित है, तो ऐसे संव्यवहार से लाभ की रकम का अवधारण धारा 173(क) में यथा परिभाषित असन्निकट कीमत को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा ; और

(ख) रकम, जो खंड (क) के अधीन निर्धारण अधिकारी द्वारा अवधारित लाभ की रकम से अधिक लाभ है, को उस व्यक्ति की आय के रूप में समझा जाएगा और वह रकम, यथास्थिति, धारा 201(1)[सारणी : क्र.सं. 1.इ(घ)] या धारा 204(1) [सारणी : क्र.सं. 1.अ(घ)] में विनिर्दिष्ट दर से प्रभार्य होगी ।

(5) इस भाग के प्रयोजनों के लिए,—

(क) किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन के कारबार में, विद्युत उत्पादन का कारबार भी सम्मिलित होगा, किंतु निम्नलिखित का कारबार सम्मिलित नहीं होगा,—

- (i) किसी प्ररूप या किसी मीडिया में कंप्यूटर साफ्टवेयर का विकास ; या
- (ii) खनन ; या
- (iii) संगमरमर खंडों या वैसी ही मदों का स्लैबों में संपरिवर्तन ; या
- (iv) सिलेंडर में गैस का भरना ; या
- (v) पुस्तकों की प्रिंटिंग या सिनेमेटोग्राफ फिल्म का उत्पादन ; या
- (vi) कोई अन्य कारबार, जो इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ; और

(ख)(i) “होटल”, और “कन्वेंशन केन्द्र” पदों के क्रमशः वही अर्थ होंगे, जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 80इघ(6) के खंड (ख) और खंड (क) में उनके हैं ;

(ii) “भारत के बाहर उपयोग की गई अनुज्ञेय मशीनरी और संयंत्र” से कोई मशीनरी या संयंत्र अभिप्रेत है, जिसका किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पूर्व में भारत से बाहर उपयोग किया गया था, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाती हैं, अर्थात् :—

(अ) ऐसी मशीनरी या संयंत्र का, प्रतिष्ठापन की तारीख से पूर्व किसी भी समय, भारत में उपयोग नहीं किया गया था ;

(आ) ऐसी मशीनरी या संयंत्र का भारत से बाहर किसी देश से भारत में आयात किया गया है ; और

(इ) व्यक्ति द्वारा मशीनरी या संयंत्र के प्रतिष्ठापन की तारीख से पूर्व किसी भी अवधि में किसी व्यक्ति की कुल आय की संगणना करने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन ऐसी मशीनरी या संयंत्र के संबंध में

अवक्षयण के मददे कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की गई है या अनुज्ञेय नहीं है ;

(iii) “शेष अवक्षयण” पद का वही अर्थ होगा, जो धारा 116(13)(ड) में उसका है ; और

(iv) “यूनिट” पद का वही अर्थ होगा, जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (यग) में उसका है ।

2005 का 28

ई. न्यूनतम अनुकल्पी कर और अनुकल्पी न्यूनतम कर से संबंधित विशेष उपबंध

न्यूनतम
अनुकल्पी कर
और अनुकल्पी
न्यूनतम कर से
संबंधित विशेष
उपबंध ।

206. (1)(क) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात पर विचार किए बिना, जहां किसी निर्धारिती की दशा में, जो कोई कंपनी है, किसी कर वर्ष के लिए इस अधिनियम के अधीन यथा संगणित कुल आय पर संदेय आय-कर, ऐसे कर वर्ष के लिए संदेय न्यूनतम अनुकल्पी कर से कम है, वहां,—

(i) बही लाभ, ऐसे कर वर्ष के लिए उस निर्धारिती की कुल आय समझा जाएगा ; और

(ii) निर्धारिती न्यूनतम अनुकल्पी कर के समान आय-कर संदेय करने के लिए दायी होगा ।

(ख) खंड (क) के प्रयोजनों के लिए, “न्यूनतम अनुकल्पी कर” पद से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) ऐसी कंपनी की दशा में, जो किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में अवस्थित कोई इकाई है और अपनी आय पूर्ण रूप से संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त करती है, बही लाभ पर 9% की दर से संगणित कर की रकम ;

(ii) ऐसी अन्य कंपनी की दशा में, बही लाभ पर 15% की दर से संगणित कर की रकम ।

(ग) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “बही लाभ” से सुसंगत कर वर्ष के लिए खंड (च) के अनुसार तैयार लाभ-हानि विवरण में यथा दर्शित लाभ अभिप्रेत है, जो निम्नलिखित से बढ़ा दिया गया है,—

(i) संदत्त या संदेय आय-कर की रकम और उसके लिए व्यवस्था, यदि ऐसी रकम लाभ-हानि विवरण में विकलित की जाती है, जहां आय-कर में निम्नलिखित सम्मिलित है,—

(अ) इस अधिनियम के अधीन प्रभारित कोई ब्याज ;

(आ) केंद्रीय अधिनियमों के अधीन यथा उद्गृहीत अधिभार, यदि कोई हो ;

(इ) केंद्रीय अधिनियमों के अधीन यथा उद्गृहीत आय-कर पर शिक्षा उपकर, यदि कोई हो ; और

(ई) केंद्रीय अधिनियमों के अधीन यथा उद्गृहीत आय-कर पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर, यदि कोई हो ;

(ii) किन्हीं आरक्षितियों में ले जाई गई रकमें, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात

हों, यदि ऐसी कोई रकम लाभ-हानि विवरण में विकलित की जाती है ;

(iii) अभिनिश्चित दायित्वों से भिन्न, दायित्वों को पूरा करने के लिए अलग रखी गई रकम या रकमें ;

(iv) समनुषंगी कंपनियों की हानियों के लिए व्यवस्था के रूप में रकम, यदि ऐसी कोई रकम लाभ-हानि विवरण में विकलित की जाती है ;

(v) संदत्त या प्रस्तावित लाभांश की रकम या रकमें, यदि ऐसी कोई रकम लाभ-हानि विवरण में विकलित की जाती है ;

(vi) किसी ऐसी आय, जिसको धारा 11 के उपबंध लागू होते हैं, से संबंधित व्यय की रकम या रकमें या धारा 335 में निर्दिष्ट किसी रजिस्ट्रीकृत एनपीओ की नियमित आय में से व्यय की कोई रकम, यदि ऐसी कोई रकम लाभ-हानि विवरण में विकलित की जाती है ;

(vii) अवक्षयण की रकम, यदि ऐसी कोई रकम लाभ-हानि विवरण में विकलित की जाती है ;

(viii) आस्थगित कर की रकम और उसके लिए व्यवस्था, यदि ऐसी कोई रकम लाभ-हानि विवरण में विकलित की जाती है ;

(ix) किसी आस्ति के मूल्य में कमी के लिए व्यवस्था के रूप में अलग रखी गई रकम या रकमें, यदि ऐसी कोई रकम लाभ-हानि विवरण में विकलित की जाती है ;

(x) पुनर्मूल्यांकित आस्ति के संबंध में ऐसी आस्ति की निवृत्ति या व्ययन पर पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति में की रकम, यदि ऐसी कोई रकम लाभ-हानि विवरण में विकलित नहीं की जाती है ;

और, जो निम्नलिखित से घटा दिया गया है,—

(xi) किसी आरक्षिति या व्यवस्था से वापस ली गई रकम (लाभ-हानि विवरण में विकलन के रूप से अन्यथा, 1 अप्रैल, 1997 से पूर्व सृजित किसी आरक्षिति को छोड़कर), जहां,—

(अ) ऐसी कोई रकम लाभ-हानि विवरण में विकलित की जाती है;

(आ) ऐसे वर्ष के बही लाभ को, उन आरक्षितियों या व्यवस्थाओं से बढ़ाया गया है, जिनमें से उक्त रकम वापस ली गई थी ;

(xii) आय की ऐसी रकम, जिसको धारा 11 के उपबंधों में से कोई उपबंध लागू होता है या धारा 335 में निर्दिष्ट किसी रजिस्ट्रीकृत एनपीओ की नियमित आय की कोई रकम, यदि ऐसी कोई रकम लाभ-हानि विवरण में जमा की जाती है ;

(xiii) आस्तियों के पुनःमूल्यांकन के कारण अवक्षयण को छोड़कर, लाभ-हानि विवरण में जमा अवक्षयण की रकम ; या

(xiv) पुनःमूल्यांकन आरक्षिति से वापस ली गई और लाभ-हानि विवरण में जमा की गई रकम, उस सीमा तक, जब तक वह उपखंड (xiii) में निर्दिष्ट आस्तियों के पुनःमूल्यांकन के कारण अवक्षयण की रकम से अधिक नहीं होती है ;

(xv) आस्थगित कर की रकम, यदि ऐसी कोई रकम लाभ-हानि विवरण में जमा की जाती है ;

(xvi) उपधारा (4)(vi) और उपधारा (4)(vii) में निर्दिष्ट कंपनी से भिन्न किसी कंपनी की दशा में लेखा बहियों के अनुसार, अग्रणीत की गई हानि (जिसमें अवक्षयण अपवर्जित है) या शेष अवक्षयण, इनमें से जो भी कम हो, वहां के सिवाए, जहां ऐसी रकमों में से कोई रकम शून्य है,

और जो उपधारा (घ) में निर्दिष्ट रकमों से और समायोजित किया गया है ।

(घ) इस धारा के अधीन बही लाभ की संगणना करते समय, निम्नलिखित रकमों का और समायोजन किया जाएगा :—

(i) ऐसी किसी कंपनी की दशा में, जो किसी व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की सदस्य है और जिसकी आय व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की आय में निर्धारिती का भाग होने के कारण है, जिन पर धारा 310 के उपबंधों के अनुसार कोई आय-कर संदेय नहीं है, तो,—

(अ) ऐसी आय से संबंधित व्यय की रकम या रकमें, यदि ऐसी लाभ-हानि विवरण में विकलित की जाती है, तो जोड़ी जाएगी ; और

(आ) रकम, जो आय है, यदि ऐसी कोई रकम लाभ-हानि विवरण में जमा की जाती है, तो घटाई जाएगी ;

(ii) किसी विदेशी कंपनी की दशा में, जिसकी निम्नलिखित से प्रोद्भूत या उद्भूत आय है,—

(अ) प्रतिभूतियों में के संव्यवहारों पर उद्भूत पूंजी अभिलाभों से ; या

(आ) अध्याय 13 में विनिर्दिष्ट दर या दरों पर कर से प्रभार्य तकनीकी सेवाओं के लिए ब्याज, लाभांश, स्वामिस्व या फीस से,

इस भाग के उपबंधों से भिन्न, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उस पर संदेय आय-कर, उपधारा (ख) में विनिर्दिष्ट दर से कम दर पर है, तो,—

(I) ऐसी आय से संबंधित व्यय की रकम या रकमें, यदि ऐसी लाभ-हानि विवरण में विकलित की जाती है, तो जोड़ी जाएगी ; और

(II) रकम, जो आय है, यदि ऐसी कोई रकम लाभ-हानि विवरण में जमा की जाती है, तो घटाई जाएगी ;

(iii) किसी कंपनी की दशा में, जिसने कोई पूंजी आस्ति, जो किसी विशेष प्रयोजन एकक का शेयर है, किसी कारबार न्यास को अंतरित की है,—

(I) निम्नलिखित रकमें, यदि ऐसी लाभ-हानि विवरण में विकलित की जाती है, तो जोड़ी जाएगी :—

(अ) ऐसी किसी पूंजी आस्ति के, जो विशेष प्रयोजन एकक का शेयर है, किसी कारबार न्यास को धारा 70(1)(यझ) में निर्दिष्ट उस न्यास द्वारा आबंटित यूनिटों के बदले, अंतरण पर काल्पनिक हानि को दर्शाती है ; या

(आ) उक्त यूनिटों की धारित रकम में किसी परिवर्तन के

परिणामस्वरूप काल्पनिक हानि को दर्शाती है ; या

(इ) धारा 70(1)(यझ) में निर्दिष्ट यूनिटों के अंतरण पर हानि को दर्शाती है ।

(II) रकम, जो आय है, यदि ऐसी कोई रकम लाभ-हानि विवरण में जमा की जाती है, तो घटाई जाएगी ;

(अ) ऐसी किसी पूंजी आस्ति के, जो विशेष प्रयोजन एकक का शेयर है, किसी कारबार न्यास को धारा 70(1)(यझ) में निर्दिष्ट उस न्यास द्वारा आबंटित यूनिटों के बदले, अंतरण पर काल्पनिक अभिलाभ को दर्शाती है ; या

(आ) उक्त यूनिटों की धारित रकम में किसी परिवर्तन के परिणामस्वरूप काल्पनिक अभिलाभ को दर्शाती है ; या

(इ) धारा 70(1)(यझ) में निर्दिष्ट यूनिटों के अंतरण पर अभिलाभ को दर्शाती है ;

(iv) किसी कंपनी की दशा में, जिसने धारा 70(1)(यझ) में निर्दिष्ट यूनिटों अंतरित की है, और ऐसे अंतरण पर अभिलाभ या हानि निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए संगणित की गई है,—

(I) धारा 70(1)(यझ) में निर्दिष्ट यूनिटों के साथ बदले गए शेयरों की लागत को ; या

(II) शेयरों की उनके बदले जाने के समय धारित रकम को, यदि ऐसे शेयर लागत से भिन्न ऐसे मूल्य पर लाभ या हानि विवरण के माध्यम से धारित किए जाते हैं, तो,

ऐसी यूनिटों के अंतरण पर अभिलाभ को जोड़ा जाएगा, और ऐसी यूनिटों के अंतरण पर हानि को घटाया जाएगा ;

(v) किसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय में, किसी पेटेंट के संबंध में स्वामिस्व द्वारा आय सम्मिलित है, जो धारा 194(1) के अधीन कर से प्रभार्य है,—

(अ) ऐसी स्वामिस्व आय से संबंधित व्यय की रकम या रकमें, यदि ऐसी लाभ-हानि विवरण में विकलित की जाती है, तो जोड़ी जाएगी ; और

(आ) ऐसी स्वामिस्व से प्राप्त आय घटाई जाएगी ;

(vi) किसी कंपनी की दशा में, जहां अधिकरण ने केंद्रीय सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 241 के अधीन किए गए आवेदन पर, ऐसी कंपनी के निदेशक बोर्ड को निलंबित करने के पश्चात्, उक्त अधिनियम की धारा 242 के अधीन नए निदेशकों को नियुक्त किया है, ऐसी कंपनी और उसकी समनुषंगी और ऐसी समनुषंगी की समनुषंगी की अग्रणीत की गई शेष अवक्षयण और हानि (अवक्षयण को छोड़कर) की सकल रकम घटाई जाएगी ।

(vii) किसी कंपनी की दशा में, जिसके विरुद्ध दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 7 या धारा 9 या धारा 10 के अधीन न्यायनिर्णायक

प्राधिकारी द्वारा निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए आवेदन को ग्रहण कर लिया गया है, अग्रणीत की गई शेष अवक्षयण और हानि (अवक्षयण को छोड़कर) की सकल रकम घटाई जाएगी ।

2016 का 31

(viii) किसी कंपनी की दशा में, जो रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 [जैसा वह रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) निरसन अधिनियम, 2003 द्वारा इसके निरसन से ठीक पूर्व विद्यमान था] की धारा 17(1) के अधीन कोई रुग्ण औद्योगिक कंपनी है, उस अवधि के लिए, जो उस कर वर्ष से, जिसमें उक्त कंपनी, रुग्ण औद्योगिक कंपनी हो गई है, आरंभ होती है और उस कर वर्ष को, जिसके दौरान ऐसी कंपनी की समस्त शुद्ध मालियत संचित हानियों के बराबर या उनसे अधिक हो जाती है, समाप्त होती है, लाभ घटाया जाएगा ।

1986 का 1

2004 का 1

(ix) किसी कंपनी की दशा में, जिसके वित्तीय विवरणों को, कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन बनाए गए कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के उपाबंध में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हुए, तैयार किया गया है, नीचे सारणी के स्तंभ अ में वर्णित रकमें, जोड़ी जाएंगी और उक्त सारणी के स्तंभ आ में वर्णित रकमें, घटाई जाएंगी :

2013 का 18

सारणी

(बढ़ाई जाने वाली) रकम	(घटाई जाने वाली) रकम
(अ)	(आ)
(1) ऐसी सभी रकमें, जो खंड (ड)(i) में यथा निर्दिष्ट लाभ और हानि विवरण में जमा की जाती है ;	(1) ऐसी सभी रकमें, जो खंड (ड)(i) में यथा निर्दिष्ट लाभ और हानि विवरण में विकलित की जाती है ;
(2) ऐसी सभी रकमें या रकमों का योग, जो खंड (ड)(ii) में यथा निर्दिष्ट वितरण पर लाभ और हानि विवरण में विकलित की जाती है ;	(2) ऐसी सभी रकमें या रकमों का योग, जो खंड (ड)(ii) में यथा निर्दिष्ट वितरण पर लाभ और हानि विवरण में जमा की जाती है ;
(3) अभिसरण के वर्ष में और आगामी चार वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में, संक्रमण रकम का पांचवें भाग ;	(3) अभिसरण के वर्ष में और आगामी चार वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में, संक्रमण रकम का पांचवें भाग ;
(4) खंड (ड)(iii) में निर्दिष्ट रकम या रकमों का योग, यदि ऐसी रकम घटाई नहीं गई है ;	(4) खंड (ड)(iii) में निर्दिष्ट रकम या रकमों का योग, यदि ऐसी रकम बढ़ाई नहीं गई है ;
(5) खंड (ड)(iv) में निर्दिष्ट रकम या रकमों का योग, यदि ऐसी रकम घटाई नहीं गई है ।	(5) खंड (ड)(iv) में निर्दिष्ट रकम या रकमों का योग, यदि ऐसी रकम बढ़ाई नहीं गई है ।

(ड) खंड (घ)(ix) में सारणी के प्रयोजनों के लिए,—

(i) उक्त सारणी [स्तंभ (अ), क्रम सं0 (1) और स्तंभ (आ), क्रम सं0 (1)] में

यथाविनिर्दिष्ट रकम, 'मर्दे, जो लाभ या हानि के रूप में पुनःवर्गीकृत नहीं की जाएंगी' शीर्ष के अधीन लाभ और हानि विवरण में अन्य समग्र आय होगी, जिसमें निम्नलिखित विवर्जित होगा,—

(अ) भारतीय लेखांकन मानक 16 और भारतीय लेखांकन मानक 38 के अनुसार आस्तियों के लिए पुनर्मूल्यांकन अधिशेष ; या

(आ) भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार अन्य समग्र आय के माध्यम से उचित मूल्य पर अभिहित साम्या लिखतों में विनिधानों से अभिलाभ या हानियां ; और

कर वर्ष और पूर्ववर्ती कर वर्षों में से किसी के लिए, खंड (i)(अ) और खंड (i)(आ) में निर्दिष्ट रकम या रकमों का योग, और जो ऐसी विनिधान या आस्ति से संबंधित हैं, जो उस कर वर्ष के, जिसमें उक्त विनिधान या आस्ति की निवृत्ति, व्ययन, वसूली या उसे अन्यथा अंतरित किया गया है ;

(ii) उक्त सारणी [स्तंभ (अ), क्रम सं0 (2) और स्तंभ (आ), क्रम सं0 (2)] में यथाविनिर्दिष्ट वितरण, भारतीय लेखांकन मानक 10 के परिशिष्ट क के अनुसार किसी निर्विलयन में शेयर धारकों को गैर-नकद आस्तियों का वितरण होगा ;

(iii) उक्त सारणी [स्तंभ (अ), क्रम सं0 (4) और स्तंभ (आ), क्रम सं0 (4)] में यथानिर्दिष्ट रकम, ऐसी रकम होगी, जो खंड न(vi)(आ) से खंड न(vi)(उ) में यथानिर्दिष्ट आस्ति या विनिधान से, उस कर वर्ष के लिए, जिसमें ऐसी आस्ति या विनिधान की निवृत्ति, व्ययन, वसूली की गई है या उसे अन्यथा अंतरित किया गया है, संबंधित है ;

(iv) उक्त सारणी [स्तंभ (अ), क्रम सं0 (5) और स्तंभ (आ), क्रम सं0 (5)] में यथानिर्दिष्ट रकम, ऐसी संक्रमण रकम होगी, जो खंड न(vi)(ऊ) में यथानिर्दिष्ट विदेशी प्रचालनों से उस कर वर्ष के लिए, जिसमें ऐसे विदेशी प्रचालनों का व्ययन या अन्यथा अंतरण किया गया है, संबंधित है ।

(च) खंड (ग) के अधीन बही लाभ के प्रयोजनों के लिए, प्रत्येक कंपनी उस कर वर्ष के लिए अपना लाभ और हानि का विवरण निम्नलिखित रीति में तैयार करेगी :—

(i) किसी बीमा या बैंककारी कंपनी, या बिजली के उत्पादन या वितरण में लगी किसी कंपनी, या किसी अन्य प्रवर्ग की कंपनी की दशा में, जिसके लिए कंपनी के ऐसे प्रवर्ग की कंपनी को शासित करने वाली अधिनियमितियों के अधीन वित्तीय विवरण का कोई प्ररूप विनिर्दिष्ट है, तो ऐसे अधिनियमिति के उपबंधों के अनुसार ;

(ii) अन्य सभी दशाओं में, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 3 के उपबंधों के अनुसार ।

2013 का 18

(छ) किसी कंपनी द्वारा वार्षिक लेखे, जिसके अंतर्गत लाभ-हानि विवरण भी हैं, तैयार करते समय,—

(i) लेखा-कर्म नीतियां ;

(ii) ऐसे लेखे, जिनके अंतर्गत लाभ-हानि विवरण भी हैं, तैयार करने के लिए अपनाए गए लेखा-कर्म मानक ; और

(iii) अवक्षयण की संगणना के लिए अपनाई गई रीति और दरें,

वही होंगी, जिन्हें ऐसे लेखे, जिनके अंतर्गत लाभ-हानि विवरण भी हैं, तैयार करने के प्रयोजन के लिए अंगीकार किया गया है और जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के उपबंधों के अनुसार कंपनी के समक्ष उसके वार्षिक साधारण अधिवेशन में रखा गया है, या जहां कंपनी ने उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे वित्तीय वर्ष को अंगीकार किया है या अंगीकार करती है, जो इस अधिनियम के अधीन कर वर्ष से भिन्न है, वहां उन लेखा-कर्म नीतियों, लेखा-कर्म मानकों और अवक्षयण की संगणना की रीति और दरों के तत्समान होंगी, जिन्हें सुसंगत कर वर्ष के अंतर्गत आने वाले ऐसे वित्तीय वर्ष या वित्तीय वर्ष के भाग के लिए, ऐसे लेखे, जिनके अंतर्गत लाभ-हानि विवरण भी हैं, तैयार करने के लिए अपनाया गया है ।

2013 का 18

(ज) किसी परिणामी कंपनी की दशा में, जहां उसके द्वारा प्राप्त की जाने वाली उपक्रम या उपक्रमों की संपत्ति और दायित्वों को उन मूल्यों से, जो निर्विलयन से तुरंत पूर्व निर्वलीन कंपनी की लेखा-बहियों में उपदर्शित मूल्यों से भिन्न मूल्यों पर अभिलिखित किया जाता है, वहां ऐसे मूल्य में परिवर्तन पर, इस धारा के अधीन परिणामी कंपनी के बही-लाभ की संगणना के प्रयोजन के लिए ध्यान नहीं दिया जाएगा ।

(झ) किसी ऐसे निर्धारिती की दशा में, जो कोई कंपनी है, जहां,—

(i) निम्नलिखित के मददे बही लाभ में सम्मिलित पिछले वर्ष या वर्षों की आय के कारण कर वर्ष के बही लाभ में कोई वृद्धि हुई है,—

(अ) निर्धारिती द्वारा धारा 168 के अधीन किए गए किसी अग्रिम कीमत निर्धारण करार के मददे ; या

(आ) धारा 170 के अधीन किए जाने के लिए अपेक्षित द्वितीय समायोजन के मददे ; और

(ii) निर्धारिती ने खंड (ड), खंड (ढ), खंड (ण) और खंड (त) के अधीन किसी पश्चात्कर्तृ कर वर्ष में इस उपधारा के अधीन संदत कर के प्रत्यय का उपयोग नहीं किया है,

वहां निर्धारण अधिकारी, उसे निर्धारिती द्वारा इस निमित्त किए गए आवेदन पर,—

(I) पिछले वर्ष या वर्षों के बही लाभ और निर्धारिती द्वारा इस उपधारा के अधीन कर वर्ष के दौरान संदेय कर, यदि कोई हो, की पुनः संगणना, ऐसी रीति में करेगा, जो विहित की जाए ; और

(II) धारा 287 के उपबंध, यथा शक्य रूप से, लागू होंगे तथा उस धारा की उपधारा (7) और उपधारा (8) में विनिर्दिष्ट चार वर्ष की अवधि को उस वित्तीय वर्ष के अंत से गणना में लिया जाएगा, जिसमें निर्धारण अधिकारी को उक्त आवेदन प्राप्त होता है ।

(ज) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात पर विचार किए बिना, उपधारा (i) के उपबंधों के मददे उद्भूत होने वाले प्रतिदाय पर किसी

निर्धारिती को कोई ब्याज संदेय नहीं होगा ।

(ट) किसी ऐसे निर्धारिती की दशा में, जो कंपनी है, खंड (क) में अंतर्विष्ट कोई बात, धारा 33(11) या धारा 111 या धारा 112(1) या धारा 113 या धारा 115 के उपबंधों के अधीन किसी सुसंगत कर वर्ष के संबंध में पश्चात्पूर्वी वर्ष या वर्षों को अग्रणीत की जाने वाली रकमों के अवधारण पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

(ठ) इस धारा के उपबंध किसी निर्धारिती को, जो कोई विदेशी कंपनी है, लागू नहीं होंगे और कभी भी लागू हुए नहीं समझे जाएंगे, जहां—

(i) निर्धारिती, किसी ऐसे देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र का निवासी है, जिसके साथ भारत ने धारा 159(1) के अधीन करार किया हुआ है या केंद्रीय सरकार ने धारा 159(2) के अधीन किसी करार को अंगीकार किया है और निर्धारिती के पास ऐसे करार के उपबंध के अनुसरण में भारत में कोई स्थायी स्थापन नहीं है ; या

(ii) निर्धारिती किसी ऐसे देश का निवासी है, जिसके साथ भारत ने उपखंड (i) में निर्दिष्ट प्रकृति का कोई करार नहीं किया है और निर्धारिती से तत्समय प्रवृत्त कंपनियों से संबंधित किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत की ईप्सा करना अपक्षित नहीं है ; या

(iii) निर्धारिती की कुल आय अनन्य रूप से धारा 61(2) (सारणी : क्रम सं० 1, 3, 4 और 5) में निर्दिष्ट कारबार के लाभ और अभिलाभ से होती है और ऐसी आय संबंधित धारा में विनिर्दिष्ट दर से कर के लिए दायी की गई है ।

(ड) जहां किसी निर्धारिती द्वारा खंड (क) के अधीन किसी कर का संदाय किया जाता है, वहां, उसे उस कर वर्ष के लिए इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अनुसार संगणित उसकी कुल आय पर ऐसे निर्धारिती द्वारा संदेय कर पर ऐसे अनुकल्पी कर से अधिक रकम का प्रत्यय दिया जाएगा ।

(ढ) खंड (ड) के अधीन प्रत्यय अनुज्ञात करते समय,—

(i) इस प्रकार अनुज्ञात कर प्रत्यय पर कोई ब्याज संदेय नहीं होगा ; और

(ii) जहां धारा 159(1) या धारा 159(2) के अधीन किसी देश या भारत के बाहर किसी विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में संदत आय-कर के संबंध में कर प्रत्यय की रकम, निर्धारिती द्वारा इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अनुसार उसकी आय पर संदेय कर के प्रति अनुज्ञेय ऐसे कर प्रत्यय की रकम से अधिक है, तो, वहां इस उपधारा के अधीन प्रत्यय की रकम की संगणना करते समय ऐसी अधिक रकम पर ध्यान नहीं दिया जाएगा ।

(ण)(i) खंड (ड) के अधीन अवधारित कर प्रत्यय की रकम को अग्रणीत किया जाएगा और,—

(अ) किसी वर्ष में, जिसमें इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संगणित कुल आय पर संदेय कर, न्यूनतम अनुकल्पी कर से अधिक हो जाता है, मुजरा किया जाएगा ; और

(आ) अग्रणीत कर संबंधी मुजरा के संबंध में ऐसी मुजराई, किसी कर वर्ष के लिए, उसकी कुल आय पर कर और उस वर्ष के न्यूनतम अनुकल्पी कर के बीच

के अंतर की मात्रा तक अनुज्ञात की जाएगी ।

(ii) ऐसा अग्रनयन उस निर्धारण वर्ष के, जिसमें कर प्रत्यय खंड (ड) के अधीन अनुज्ञेय हो जाता है, ठीक उत्तरवर्ती पंद्रहवें निर्धारण वर्ष के पश्चात् अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(त) जहां इस अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश के परिणामस्वरूप, इस अधिनियम के अधीन संदेय कर की रकम घटाई या बढ़ाई गई है, वहां खंड (ड) के अधीन अनुज्ञात कर संबंधी मुजरा की रकम भी तदनुसार बढ़ाई या घटाई जाएगी ।

(थ) इस उपधारा के उपबंध निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे,—

(i) ऐसी कंपनी को, जिसकी धारा 194(1) (सारणी : क्र.सं. 6) में यथा निर्दिष्ट जीवन बीमा कारबार से उद्भूत या प्रोद्भूत आय है ; या

(ii) जिसने धारा 200(5) या धारा 201(2) के अधीन विकल्प का उपयोग किया है ।

(द) किसी प्राइवेट कंपनी या असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी के सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 के अधीन सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन की दशा में, इस उपधारा के खंड (ड) से खंड (त) के उपबंध उत्तरवर्ती सीमित दायित्व भागीदार को लागू नहीं होंगे ।

2009 का 6

(ध) प्रत्येक कंपनी, जिसे यह धारा लागू होती है, विहित प्ररूप में, किसी लेखाकार से एक रिपोर्ट,—

(i) धारा 63 में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख से पहले ; या

(ii) किसी ऐसे निर्धारिती की दशा में, जो कोई कंपनी है, धारा 268(1) के अधीन किसी सूचना के उत्तर में दी गई आय की विवरणी के साथ,

यह प्रमाणित करते हुए प्रस्तुत करेगी कि किसी कंपनी की दशा में बही लाभ, या किसी अन्य दशा में समायोजित कुल आय, इस धारा के उपबंधों के अनुसार संगणित किया गया है ।

(न) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) “न्यायनिर्णायक प्राधिकारी” का वही अर्थ होगा, जो दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 5(1) में उसका है ;

2016 का 31

(ii) “अभिसरण तारीख” से भारतीय लेखांकन मानक 101 में यथा परिभाषित प्रथम भारतीय लेखांकन मानक रिपोर्टिंग अवधि का प्रथम दिवस अभिप्रेत है ;

(iii) “शुद्ध मालियत” का वही अर्थ है, जो रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985, जैसा वह रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) निरसन अधिनियम, 2003 द्वारा इसके निरसन से तत्काल पूर्व विद्यमान था, की धारा 3(1)(छक) में है ;

1986 का 1

2004 का 1

2009 का 6

(iv) “प्राइवेट कंपनी” और “असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी” पदों के वही अर्थ होंगे, जो सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 में क्रमशः उनके हैं ;

(v) “प्रतिभूतियां” पद का वही अर्थ है, जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन)

1956 का 42

अधिनियम, 1956 की धारा 2(ज) में उसका है ;

(vi) “संक्रमण रकम” से ऐसी रकम या कुल रकम अभिप्रेत हैं, जिन्हें अभिसरण की तारीख को अन्य साम्या (पूँजी आरक्षिति और प्रतिभूति, प्रीमियम आरक्षिति को छोड़कर) में समायोजित किया गया है, किन्तु इनके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं है :—

(अ) अभिसरण की तारीख को अन्य समग्र आय में समायोजित रकम या कुल रकम, जिन्हें तत्पश्चात् लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा ;

(आ) भारतीय लेखांकन मानक 16 और भारतीय लेखांकन मानक 38 के अनुसार आस्तियों के लिए पुनर्मूल्यांकन अधिशेष, जिसे अभिसरण की तारीख को समायोजित किया गया है ;

(इ) भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार अन्य समग्र आय के माध्यम से उचित मूल्य पर अभिहित साम्या लिखतों में विनिधानों से अभिलाभ या हानियाँ, जिसे अभिसरण की तारीख को समायोजित किया गया है ;

(ई) अभिसरण की तारीख को भारतीय लेखांकन मानक 101 के पैरा घ5 और घ7 के अनुसार समझी गई लागत के रूप में उचित मूल्य पर लेखबद्ध संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर तथा अमूर्त आस्तियों की मदों से संबंधित समायोजन ;

(उ) अभिसरण की तारीख को भारतीय लेखांकन मानक 101 के पैरा घ15 के अनुसार समझी गई लागत के रूप में उचित मूल्य पर लेखबद्ध समनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयुक्तों में विनिधानों से संबंधित समायोजन ;

(ऊ) अभिसरण की तारीख को भारतीय लेखांकन मानक 101 के पैरा घ13 के अनुसार किसी विदेशी प्रचालन में संचयी संपरिवर्तन अंतर से संबंधित समायोजन ;

2013 का 18

(vii) “अधिकरण” का वही अर्थ होगा, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(90) में उसका है ;

(viii) “यूनिट” से अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में स्थापित कोई यूनिट अभिप्रेत है ;

(ix) “अभिसरण का वर्ष” से वह कर वर्ष अभिप्रेत है, जिसमें अभिसरण तारीख आती है ; और

(x) कोई कंपनी, किसी अन्य कंपनी की अनुषंगी होगी, यदि ऐसी अन्य कंपनी, उस कंपनी की साम्या शेयर पूँजी के अंकित मूल्य के आधे से अधिक को धारण करती है ।

(2)(क) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात पर ध्यान दिए बिना, जहां कंपनी से भिन्न, किसी व्यक्ति द्वारा किसी कर वर्ष के लिए संदेय नियमित आय-कर, उस कर वर्ष के लिए संदेय अनुकल्पी न्यूनतम कर से कम है, वहां,—

(i) समायोजित कुल आय को उस कर वर्ष के लिए उस व्यक्ति की कुल

आय समझा जाएगा ; और

(ii) वह अनुकल्पी न्यूनतम कर के समान आय-कर का संदाय करने के लिए दायी होगा ।

(ख) इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) “समायोजित कुल आय” खंड (क) को प्रभावी रूप देने के पूर्व, ऐसी कुल आय होगी, जो निम्नलिखित धाराओं के अधीन दावा की गई कटौतियों से, यदि कोई हों, बढ़ाकर आए,—

(I) अध्याय 8 में सम्मिलित (धारा 149 से भिन्न) कोई धारा ; और

(II) धारा 46, जो धारा 33 के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञेय अवक्षयण की रकम को घटा कर आए, मानो ऐसी आस्तियों के संबंध में, जिन पर उक्त धारा के अधीन कटौती का दावा किया जाता है, कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की गई हो ;

(ii) “अनुकल्पी न्यूनतम कर” से निम्नलिखित दशाओं में समायोजित कुल आय पर संगणित कर की रकम अभिप्रेत है,—

(I) ऐसे निर्धारिती की दशा में, जो किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में अवस्थित कोई इकाई है और अपनी आय पूर्ण रूप से संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त करती है, 9% की दर से ; और

(II) ऐसे निर्धारिती की दशा में, जो कोई सहकारी सोसाइटी है, 15% की दर से ;

(III) किसी अन्य निर्धारिती की दशा में, 18.5% की दर से ;

(iii) “नियमित आय-कर” से किसी व्यक्ति द्वारा इस धारा के उपबंधों से भिन्न इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उसकी कुल आय पर किसी पूर्ववर्ष के लिए संदेय आय-कर अभिप्रेत है ;

(iv) “यूनिट” से अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में स्थापित कोई यूनिट अभिप्रेत है ।

(ग) इस धारा के उपबंध ऐसे किसी व्यक्ति को लागू होंगे, जिसने अध्याय 8 में सम्मिलित (धारा 149 से भिन्न) किसी धारा या धारा 46 के अधीन किसी कटौती का दावा किया है ।

(घ) इस धारा के उपबंध निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे,—

(i) किसी व्यक्ति को, जिसने धारा 203(5) या धारा 204(2) के अधीन विकल्प का उपयोग किया है ;

(ii) किसी व्यक्ति को, जिसकी कुल आय के संबंध में संदेय आय-कर धारा 202(1) के अधीन संगणित किया गया है ;

(iii) किसी व्यष्टि या किसी हिंदू अविभक्त कुटुंब या किसी व्यक्ति-संगम या किसी व्यष्टि निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, या धारा 2(77)(छ) में निर्दिष्ट किसी कृत्रिम विधिक निकाय को, यदि ऐसे व्यक्ति की समायोजित कुल आय बीस लाख रुपए से अधिक नहीं है ; या

(iv) अनुसूची 6 (टिप्पण 1) में निर्दिष्ट किसी निर्दिष्ट निधि को ।

(ड) जहां किसी निर्धारिती द्वारा खंड (क) के अधीन किसी कर का संदाय किया जाता है, तो, उसे ऐसी ऐसी रकम का प्रत्यय अनुज्ञात किया जाएगा, जो उस कर वर्ष के लिए संदेय नियमित आय-कर से अनुकल्पी न्यूनतम कर के आधिक्य में है ।

(च) खंड (ड) के अधीन प्रत्यय अनुज्ञात करते समय,—

(i) इस प्रकार अनुज्ञात कर प्रत्यय पर कोई ब्याज संदेय नहीं होगा ; और

(ii) जहां धारा 159(1) या धारा 159(2) के अधीन, किसी देश या भारत के बाहर किसी विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में संदत्त आय-कर के संबंध में, कर प्रत्यय की रकम, निर्धारिती द्वारा उसकी आय पर संदेय कर के प्रति अनुज्ञेय ऐसे कर प्रत्यय की रकम से अधिक है, तो, वहां खंड (ड) के अधीन प्रत्यय की रकम की संगणना करते समय ऐसी अधिक रकम पर ध्यान नहीं दिया जाएगा ।

(छ) खंड (ड) के अधीन अवधारित कर प्रत्यय की रकम को अग्रणीत किया जाएगा, और,—

(i) उस वर्ष में, जिसमें नियमित आय-कर, अनुकल्पी न्यूनतम कर से अधिक हो जाता है, मुजरा किया जाएगा ; और

(ii) अग्रणीत कर संबंधी मुजरा के संबंध में ऐसी मुजराई, किसी कर वर्ष के लिए, उसकी कुल आय पर कर और उस कर के वर्ष के लिए अनुकल्पी न्यूनतम कर के बीच के अंतर की मात्रा तक अनुज्ञात की जाएगी,

और ऐसा अग्रनयन उस निर्धारण वर्ष के, जिसमें कर प्रत्यय खंड (ड) के अधीन अनुज्ञेय हो जाता है, ठीक उत्तरवर्ती पंद्रहवें निर्धारण वर्ष के पश्चात् अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ज) जहां इस अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश के परिणामस्वरूप, इस अधिनियम के अधीन संदेय कर की रकम घटाई या बढ़ाई गई है, वहां खंड (ड) के अधीन अनुज्ञात कर संबंधी मुजरा की रकम भी तदनुसार बढ़ाई या घटाई जाएगी ।

(झ) खंड (ग) और खंड (घ) में अंतर्विष्ट किसी बात पर विचार किए बिना, खंड (क) के अधीन संदत्त कर के लिए प्रत्यय, खंड (ड), खंड (च), खंड (छ) और खंड (ज) के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा ।

(ञ) प्रत्येक व्यक्ति, जिसे यह धारा लागू होती है, किसी लेखाकार से, विहित प्ररूप में, एक रिपोर्ट, यह प्रमाणित करते हुए धारा 63 में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख से पहले प्रस्तुत करेगा कि उसकी दशा में समायोजित कुल आय और अनुकल्पी न्यूनतम कर, इस धारा के उपबंधों के अनुसार संगणित किया गया है ।

(3) इस धारा में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के अन्य सभी उपबंध इस धारा में उल्लिखित प्रत्येक निर्धारिती को लागू होंगे ।

3. अनिवासियों और विदेशी कंपनी से संबंधित विशेष उपबंध

207. (1) जहां किसी अनिवासी की (जो कंपनी नहीं है) या किसी विदेशी कंपनी की कुल आय में, जिनमें नीचे सारणी के स्तंभ आ में विनिर्दिष्ट कोई आय सम्मिलित

लाभांश, स्वामिस्व और तकनीक सेवाओं के लिए फीस पर कर ।

है, वहां स्तंभ आ में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी आय पर लागू संदेय आय-कर, उसके स्तंभ इ में विनिर्दिष्ट दर पर संगणित आय-कर की रकम का योग होगा ।

सारणी

क्र.सं.	आय	संदेय आय-कर की दर
अ	आ	इ
1.	लाभांश (क्रम सं. 2 के सामने विनिर्दिष्ट लाभांश से भिन्न)	20%
2.	किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में किसी यूनिट से प्राप्त लाभांश	10%
3.	सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त ब्याज (जो क्रम सं. 4 और क्रम सं. 5 के सामने निर्दिष्ट ब्याज नहीं है)	20%
4.	अनुसूची 7 (सारणी : क्रम सं. 46) में निर्दिष्ट किसी अवसंरचना ऋण निधि से प्राप्त ब्याज	5%
5.	धारा 393(2) (सारणी : क्र.सं. 2, क्र.सं. 3 और क्र.सं. 4) में निर्दिष्ट प्रकृति का और सीमा तक ब्याज	धारा 393(2) (सारणी : क्र.सं. 2, क्र.सं. 3 और क्र.सं. 4) में विनिर्दिष्ट दर ।
6.	वितरित आय, जो धारा 393(2)(सारणी : क्र.सं. 6) में निर्दिष्ट ब्याज है	धारा 393(2)(सारणी: क्र.सं. 6) में विनिर्दिष्ट दर ।
7.	अनुसूची 7 (सारणी : क्र.सं. 20 या क्र.सं. 21) में विनिर्दिष्ट किसी पारस्परिक निधि की या भारतीय यूनिट ट्रस्ट की, विदेशी करेंसी में क्रय की गई यूनिटों के संबंध में प्राप्त आय	20%
8.	कुल आय, जिसमें में से क्रम सं. 1 से क्रम सं. 7 के सामने निर्दिष्ट आय की रकम घटाई गई है	प्रवृत्त दर ।

(2) जहां किसी अनिवासी की (जो कंपनी नहीं है) या किसी विदेशी कंपनी की कुल आय में, धारा 59(1) में निर्दिष्ट आय से भिन्न, 31 मार्च, 1976 के पश्चात् भारत सरकार या किसी भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामित्व या तकनीकी सेवाओं के लिए प्राप्त फीसों के रूप में कोई आय सम्मिलित है, और,—

(क) जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ किया जाता है, वहां उस करार का केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है ; या

(ख) जहां वह करार भारत की, तत्समय प्रवृत्त, औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां ऐसा करार उस नीति के अनुसार है,

तो, संदेय आय-कर, उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, नीचे सारणी के स्तंभ आ में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी आय पर लागू स्तंभ इ में विनिर्दिष्ट दर पर संगणित आय-कर की रकम का योग होगा :—

सारणी

क्र.सं.	आय	संदेय आय-कर की दर
अ	आ	इ
1.	स्वामिस्व, धारा 59(1) में निर्दिष्ट आय से भिन्न ।	20%
2.	तकनीकी सेवाओं के लिए फीस, धारा 59(1) में निर्दिष्ट आय से भिन्न ।	20%
3.	कुल आय, जिसमें में से क्रम सं. 1 और क्रम सं. 2 के सामने निर्दिष्ट आय की रकम घटाई गई है ।	प्रवृत्त दर ।

(3) जहां उपधारा (2) में निर्दिष्ट स्वामिस्व,—

(क) किसी भारतीय समुत्थान को किसी पुस्तक के प्रतिलिप्याधिकार के संबंध में ; या

(ख) भारत में निवासी किसी व्यक्ति को किसी कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के संबंध में,

सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना भी है) अन्तरण या प्रदान करने के प्रतिफल के रूप में है, तो उपधारा (2) के उपबंध, ऐसे स्वामिस्व के संबंध में उस धारा के खंड (क) या खंड (ख) के उपबंधों के उपयोजन के बिना लागू होंगे ।

(4) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “कंप्यूटर सॉफ्टवेयर” से किसी डिस्क, टेप, छिद्रित मीडिया या अन्य सूचना संग्रह युक्ति में अभिलिखित कोई कंप्यूटर कार्यक्रम; या कोई ग्राहक-अपेक्षित इलैक्ट्रॉनिक डाटा या कोई उत्पाद या इसी प्रकृति की ऐसी कोई सेवा अभिप्रेत है, जो बोर्ड द्वारा अधिसूचित की जाए, जो भारत से भारत के बाहर किसी स्थान को किन्हीं साधनों के द्वारा पारेषित या निर्यात की जाती है ;

(ख) “तकनीकी सेवाओं के लिए फीस” का वही अर्थ है, जो धारा 9 में उसका है ;

(ग) “स्वामित्व” का वही अर्थ है जो धारा 9 में उसका है ;

(5) उपधारा (1) और उपधारा (2) में निर्दिष्ट आय की संगणना करने में, किसी व्यय या मोक के संबंध में धारा 28 से धारा 58, धारा 60 और धारा 61 तथा धारा 93 के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

(6) जहां किसी निर्धारिती की सकल कुल आय,—

(क) में केवल उपधारा (1) (सारणी : क्र.सं. 1 से क्र.सं. 7) में निर्दिष्ट आय समाविष्ट है, वहां अध्याय 8 और अनुसूची 15 के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ;

(ख) में उपधारा (1) (सारणी : क्र.सं. 1 से क्र.सं. 7) में निर्दिष्ट कोई आय सम्मिलित है, वहां सकल कुल आय को आय की ऐसी रकम से घटा दिया जाएगा

और अध्याय 8 के अधीन कटौती अनुज्ञात की जाएगी, मानो ऐसी घटाकर आई रकम, सकल कुल आय निर्धारिती की सकल कुल आय थी ।

(7) उपधारा (6) के उपबंध, धारा 147 के अधीन किसी अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की यूनिट को अनुज्ञात किसी कटौती को लागू नहीं होंगे ।

(8) किसी निर्धारिती के लिए धारा 263(1) के अधीन अपनी आय की विवरणी देना आवश्यक नहीं होगा, यदि—

(क) कर वर्ष के दौरान उसकी कुल आय में, केवल उपधारा (1) (सारणी : क्र.सं. 1 से क्र.सं. 7) और उपधारा (2) (सारणी : क्र.सं. 1 और क्र.सं. 2) में निर्दिष्ट आय समाविष्ट है ; और

(ख) अध्याय 19ख के उपबंधों के अधीन स्रोत पर कटौती योग्य कर की ऐसी आय में से, उपधारा (1) और उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट दर से अन्यून दर से, कटौती कर ली गई है ।

विदेशी मुद्रा में क्रय की गई यूनिटों या उनके अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभों से आय पर कर ।

208. (1) जहां किसी निर्धारिती, जो कोई विदेशी वित्तीय संगठन है (जिसे इसमें अपतट निधि कहा गया है), की कुल आय जिसमें नीचे सारणी के स्तंभ आ में विनिर्दिष्ट कोई आय सम्मिलित है, ऐसी आय पर संदेय आय-कर, स्तंभ आ में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी आय पर लागू उसके स्तंभ इ में विनिर्दिष्ट दर पर संगणित आय-कर का योग होगा ।

सारणी

क्र.सं.	आय	संदेय आय-कर की दर
अ	आ	इ
1.	विदेशी मुद्रा में क्रय की गई यूनिटों के संबंध में प्राप्त आय	10%
2.	विदेशी मुद्रा में क्रय की गई यूनिटों के अंतरण से उद्भूत दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ के रूप में आय	12.5%
3.	कुल आय, जिसमें में से क्रम सं. 1 और क्रम सं. 2 के सामने निर्दिष्ट आय की रकम घटाई गई है	प्रवृत्त दर ।

(2) जहां अपतट निधि की,—

(क) सकल कुल आय, केवल यूनिटों की आय से या यूनिटों के अंतरण से उद्भूत दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय से, या दोनों से, मिलकर बनती है, तो, धारा 28 से धारा 58, धारा 60, धारा 61 या धारा 93(1)(क) और धारा 93(1)(ड) के अधीन या अध्याय 8 के अधीन निर्धारिती को कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ;

(ख) सकल कुल आय में खंड (क) में निर्दिष्ट कोई आय सम्मिलित है, वहां,—

(i) सकल कुल आय को आय की ऐसी रकम से घटा दिया जाएगा ;
और

(ii) अध्याय 8 के अधीन कटौती ऐसे अनुज्ञात की जाएगी, मानो इस प्रकार घटाकर आई सकल कुल आय निर्धारिती की सकल कुल आय थी ।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “विदेशी वित्तीय संगठन” पद से भारत के बाहर किसी ऐसे देश की विधि के अधीन स्थापित कोई निधि, संस्था, संगम या निकाय अभिप्रेत है, चाहे वह निगमित हो या नहीं,—

(i) जिसने भारत में विनिधान के लिए किसी पब्लिक सेक्टर बैंक या लोक वित्तीय संस्था या अनुसूची 7 (सारणी : क्र.सं. 20 या क्र.सं. 21) में विनिर्दिष्ट किसी पारस्परिक निधि के साथ कोई ठहराव किया है ; और

(ii) ऐसे ठहराव का, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने, इस प्रयोजन के लिए, अनुमोदन कर दिया है ;

(ख) “लोक वित्तीय संस्था” पद का वहीं अर्थ है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(72) में उसका है ;

(ग) “यूनिट” पद से, निम्नलिखित की यूनिट अभिप्रेत है,—

(i) अनुसूची 7 (सारणी : क्र.सं. 20 या क्र.सं. 21) में विनिर्दिष्ट किसी पारस्परिक निधि की ;

(ii) भारतीय यूनिट ट्रस्ट की ।

209. (1) किसी निर्धारिती, जो कोई अनिवासी है, की कुल आय, जिसमें नीचे सारणी के स्तंभ आ में विनिर्दिष्ट आय सम्मिलित है, पर संदेय आय-कर, स्तंभ आ में विनिर्दिष्ट आय पर लागू उसके स्तंभ इ में विनिर्दिष्ट दर पर संगणित आय-कर का योग होगा ।

विदेशी करेंसी में क्रय किए गए बंधपत्रों या सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों से अथवा उनके अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभों से आय पर कर ।

सारणी

क्र.सं.	आय	संदेय आय-कर की दर
अ	आ	इ
1.	निम्नलिखित पर ब्याज के रूप में आय,— (क) किसी भारतीय कंपनी के बंधपत्रों पर, जो ऐसी स्कीम के अनुसार, जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, जारी किए जाएं ; या (ख) सरकार द्वारा विक्रय किए गए किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी के बंधपत्रों पर, और जिनका क्रय विदेशी करेंसी में किया जाता है ।	10%
2.	ऐसी सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों पर, लाभांश के रूप में आय,— (क) जो ऐसी स्कीम के अनुसार, जो केंद्रीय सरकार, किसी भारतीय कंपनी के शेयरों के आरंभिक रूप में जारी	10%

किए जाने के संबंध में जारी की जाती हैं और किसी अनुमोदित मध्यवर्ती के माध्यम से विदेशी करेंसी में क्रय की जाती हैं ;

(ख) जो किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी के सरकार द्वारा विक्रय किए गए और किसी अनुमोदित मध्यवर्ती के माध्यम से उसके द्वारा विदेशी करेंसी में क्रय किए गए ऐसे शेयरों के संबंध में, जारी की जाती है : या

(ग) किसी ऐसी स्कीम के अनुसार, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, किसी अनुमोदित मध्यवर्ती के माध्यम से विदेशी करेंसी में क्रय किए गए किसी विदेशी कंपनी के विद्यमान शेयरों के संबंध में जारी या पुनः जारी की जाती हैं ।

3. क्रम सं. 1 में विनिर्दिष्ट बंधपत्रों या क्रम सं. 2 के 12.5% सामने निर्दिष्ट सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों के अंतरण से उद्भूत दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय ।
4. कुल आय, जिसमें में से क्रम सं. 1 से क्रम सं. 3 के प्रवृत्त दर । सामने निर्दिष्ट आय की रकम घटाई गई है ।

(2) जहां अनिवासी की सकल कुल आय में,—

(क)(i) उपधारा (1)(सारणी : क्र.सं. 1) में निर्दिष्ट बंधपत्रों ; या

(ii) उपधारा (1)(सारणी : क्र.सं. 2) में निर्दिष्ट सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों, के संबंध में केवल ब्याज या लाभांश के रूप में आय समाविष्ट है, वहां, धारा 28 से धारा 58, धारा 60 और धारा 61 या धारा 93(1)(क) या धारा 93(1)(ड) के अधीन या अध्याय 8 के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ;

(ख) उपधारा (1)(सारणी : क्र.सं. 1 से क्र.सं. 3) में निर्दिष्ट कोई आय सम्मिलित है,—

(i) वहां सकल कुल आय को आय की ऐसी रकम से घटा दिया जाएगा ; और

(ii) अध्याय 8 के अधीन कटौती इस प्रकार अनुज्ञात की जाएगी, मानो इस प्रकार घटा कर आई सकल कुल आय, निर्धारित की सकल कुल आय थी ।

(3) धारा 72(6) के उपबंध, दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के, जो उपधारा (1)(सारणी : क्र.सं. 3) में निर्दिष्ट बंधपत्र या सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदें हैं, अंतरण से उद्भूत दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों की संगणना करने के लिए लागू नहीं होंगे ।

(4) किसी अनिवासी के लिए धारा 263(1) के अधीन अपनी आय की विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा, यदि—

(क) कर वर्ष के दौरान उसकी कुल आय में केवल उपधारा (1)(सारणी : क्र.सं. 1) और (सारणी : क्र.सं. 2) में निर्दिष्ट आय समाविष्ट है ; और

(ख) ऐसी आय से, अध्याय 19ख के उपबंधों के अधीन स्रोत पर कटौती योग्य कर की कटौती कर ली गई है ।

(5) जहां निर्धारिती ने उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, यथास्थिति, समामेलक या निर्विलीन कंपनी में अपने सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदें या बंधपत्र धारण करने के आधार पर समामेलित या परिणामी कंपनी में सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदें या बंधपत्र अर्जित किए हैं, वहां उस उपधारा के उपबंध ऐसी सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों या बंधपत्रों को लागू होंगे ।

(6) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “अनुमोदित मध्यवर्ती” से ऐसा मध्यवर्ती अभिप्रेत है, जो किसी ऐसी स्कीम के अनुसार अनुमोदित है, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए ;

(ख) “सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीद” का वही अर्थ है, जो धारा 193(4)(क) में उसका है ।

210. (1) जहां किसी निर्धारिती, जो कोई विनिर्दिष्ट निधि या विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता है, कुल आय, जिसमें नीचे सारणी के स्तंभ आ में विनिर्दिष्ट आय सम्मिलित है, वहां संदेय आय-कर, स्तंभ आ में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी आय पर लागू उसके स्तंभ इ में विनिर्दिष्ट दर पर संगणित आय-कर का योग होगा ।

सारणी

क्र.सं.	आय	संदेय आय-कर की दर
अ	आ	इ
1.	प्रतिभूतियों, जो धारा 208 में निर्दिष्ट यूनिटों से भिन्न हैं, के संबंध में प्राप्त आय ।	(क) विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता की दशा में 10% ; (ख) विनिर्दिष्ट निधि की दशा में 10% ।
2.	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय (जो ऐसी प्रतिभूतियों के अंतरण से उद्भूत, धारा 196 में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं है) ।	30%
3.	ऐसी प्रतिभूतियों के अंतरण से उद्भूत, धारा 196 में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय ।	20%
4.	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय (जो ऐसी प्रतिभूतियों के अंतरण से उद्भूत, धारा 198 में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं है) ।	12.5%
5.	ऐसी प्रतिभूतियों के अंतरण से उद्भूत, धारा	12.5%

विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ताओं की प्रतिभूतियों से अथवा उनके अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभों से आय पर कर ।

198 में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय, जो 1,25,000 हजार रुपए से अधिक है।

6. कुल आय, जिसमें में से क्रम सं. 1 से क्रम प्रवृत्त दर।
सं. 5 में निर्दिष्ट आय की रकम घटाई गई है।

(2) विनिर्दिष्ट निधि की दशा में, इस धारा के उपबंध केवल आय की उस सीमा तक लागू होंगे, जिसे उपधारा (1) के उपबंधों के होते हुए भी, उस रीति में, जो विहित की जाए, संगणित अनिवासी (जो भारत में ऐसे अनिवासी का स्थायी स्थापन नहीं है) द्वारा धारित यूनिटों के कारण हुई माना जा सकता है।

(3) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात पर विचार किए बिना, जहां विनिर्दिष्ट निधि, किसी अपतट बैंककारी यूनिट का विनिधान प्रभाग है, इस धारा के उपबंध आय की उस सीमा तक लागू होंगे, जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी फोटफोलियो विनिधानकर्ता) (विनियमन), 2019 के अधीन प्रवर्ग-1 विनिधानकर्ता के रूप में सारणी की अनुसूची 6 के टिप्पण 1 के खंड (छ)(ii) में निर्दिष्ट ऐसी विनिधान प्रभाग के कारण, ऐसी रीति में संगणित, जो विहित की जाए, हुई मानी जा सकती है।

(4) जहां विनिर्दिष्ट निधि या विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता की,—

(क) सकल कुल आय में, केवल उपधारा (1)(सारणी : क्रम सं0 1) में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के संबंध में आय समाविष्ट है, वहां धारा 28 से धारा 58, धारा 60 और धारा 61 या धारा 93(1)(क) या धारा 93(1)(ड) के अधीन या अध्याय 8 के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ;

(ख) सकल कुल आय में उपधारा (1)(सारणी : क्रम सं0 1 से क्रम सं0 5) में निर्दिष्ट कोई आय सम्मिलित है,—

(i) वहां सकल कुल आय को ऐसी आय से घटा दिया जाएगा ; और

(ii) अध्याय 8 के अधीन कटौती इस प्रकार अनुज्ञात की जाएगी, मानो इस प्रकार घटा कर आई सकल कुल आय, विनिर्दिष्ट निधि या विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता की सकल कुल आय थी।

(5) धारा 72(6) के उपबंध, उपधारा (1)(सारणी : क्रम सं0 2 से क्रम सं0 5) में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभों की संगणना करने के लिए लागू नहीं होंगे।

(6) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता” से केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट कोई विनिधानकर्ता अभिप्रेत है ;

(ख) “स्थायी स्थापन” पद का वही अर्थ होगा, जो धारा 173(ग) में उसका है ;

(ग) “प्रतिभूति” पद का वही अर्थ होगा, जो उसका प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2(ज) में उसका है ; और

(घ) “विनिर्दिष्ट निधि” पद का वही अर्थ होगा, जो अनुसूची 6 [टिप्पण 1]

में उसका है ।

211. (1) जहां किसी ऐसे निर्धारिती की कुल आय में,—

(क) जो खिलाड़ी है (जिसके अन्तर्गत खेल-कूद में भाग लेने वाले भी हैं), जो भारत का नागरिक नहीं है और अनिवासी है, निम्नलिखित से प्राप्त या प्राप्य कोई आय सम्मिलित है, अर्थात् :—

(i) भारत में किसी खेल [ऐसे खेल से भिन्न, जिसकी जीत धारा 194(1) (सारणी : क्रम सं० 1) में विनिर्दिष्ट के रूप में कराधेय है] या खेल-कूद में भाग लेना ; या

(ii) विज्ञापन ; या

(iii) भारत में समाचार-पत्रों, मैगजीनों या पत्रिकाओं में किसी खेल या खेल-कूद से संबंधित लेख देना ; या

(ख) जो अनिवासी खेल-कूद संगम या संस्था है, भारत में खेले गए किसी खेल के (ऐसे खेल से भिन्न, जिसकी जीत धारा 194(1) (सारणी : क्रम सं० 1) में विनिर्दिष्ट के रूप में कराधेय है) या खेल-कूद के संबंध में ऐसे संगम या संस्था को संदाय के लिए गारंटीकृत या संदेय कोई रकम सम्मिलित है ; या

(ग) जो ऐसा मनोरंजनकर्ता है, जो भारत का नागरिक नहीं है और अनिवासी है, भारत में उसके क्रियाकलापों से प्राप्त या प्राप्त कोई आय सम्मिलित है, तो, निर्धारिती द्वारा संदेय सकल आय-कर, स्तंभ आ में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी आय पर लागू उसके स्तंभ इ में विनिर्दिष्ट दर पर संगणित होगा :—

सारणी

क्र.सं.	आय	संदेय आय-कर की दर
अ	आ	इ
1.	खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट आय	20% ;
2.	कुल आय, जिसमें से खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट आय घटाई गई है ।	प्रवृत्त दर ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट आय की संगणना करने में इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन किसी व्यय या मोक के संबंध में कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

(3) निर्धारिती के लिए धारा 263(1) के अधीन अपनी आय की विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा, यदि—

(क) कर वर्ष के दौरान उसकी कुल आय में, केवल उपधारा (1) में निर्दिष्ट आय समाविष्ट है ; और

(ख) ऐसी आय में से अध्याय 19ख के उपबंधों के अधीन स्रोत पर कटौती योग्य कर की कटौती कर ली गई है ।

212. धारा 213 से धारा 218 में,—

(क) “विदेशी मुद्रा आस्ति” से वह विनिर्दिष्ट आस्ति अभिप्रेत है, जिसे निर्धारिती ने, संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा से, या उसमें, अर्जित या क्रय या प्रतिश्रुत

अनिवासी
खिलाड़ियों
या
खेल-कूद
संगमों
पर कर ।

किया है ;

(ख) “विनिधान आय” से विदेशी मुद्रा आस्ति से व्युत्पन्न कोई आय अभिप्रेत है ;

(ग) “दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ” से, “पूंजी अभिलाभ” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय अभिप्रेत है, जो ऐसी पूंजी आस्ति से संबंधित है, जो विदेशी मुद्रा आस्ति है किन्तु जो अल्पकालिक पूंजी आस्ति नहीं है ;

(घ) “अनिवासी भारतीय” से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो निवासी नहीं है और जो,—

(i) भारत का कोई नागरिक है ; या

(ii) भारतीय उद्भव का कोई व्यक्ति है ;

(ङ) “विनिर्दिष्ट आस्ति” से निम्नलिखित आस्तियों में से कोई आस्ति अभिप्रेत है :—

(i) भारतीय कंपनी के शेयर ; या

(ii) भारतीय कंपनी द्वारा, जो कंपनी अधिनियम, 2013 में यथा परिभाषित प्राइवेट कंपनी नहीं है, पुरोधृत डिबेंचर ; या

2013 का 18

(iii) किसी भारतीय कंपनी में, जो कंपनी अधिनियम, 2013 में यथा परिभाषित प्राइवेट कंपनी नहीं है, किए गए निक्षेप ; या

2013 का 18

(iv) सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 की धारा 2(च) में यथा परिभाषित केन्द्रीय सरकार की कोई प्रतिभूति ; या

2006 का 38

(v) ऐसी अन्य आस्तियां, जो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ।

अनिवासियों की कुल आय की संगणना के लिए विशेष उपबंध ।

213. (1) किसी अनिवासी भारतीय की विनिधान आय की संगणना करने में, इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन किसी व्यय या मोक के संबंध में कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

(2) किसी ऐसे निर्धारिती की दशा में, जो अनिवासी भारतीय है, जहां,—

(क) सकल कुल आय में, केवल विनिधान आय या दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ की आय या दोनों, समाविष्ट है, वहां अध्याय 8 के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ;

(ख) सकल कुल आय के अंतर्गत, खंड (क) में निर्दिष्ट कोई आय सम्मिलित है,

(i) वहां सकल कुल आय को ऐसी आय से घटा दिया जाएगा ; और

(ii) अध्याय 8 के अधीन कटौती ऐसे अनुज्ञात की जाएगी, मानो इस प्रकार घटाकर आई सकल कुल आय, निर्धारिती की सकल कुल आय थी ।

214. ऐसे किसी निर्धारिती की, जो अनिवासी भारतीय है, कुल आय, जिसमें नीचे सारणी के स्तंभ आ में विनिर्दिष्ट आय सम्मिलित है, पर संदेय आय-कर, स्तंभ आ में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी आय पर लागू उसके स्तंभ इ में विनिर्दिष्ट दर पर संगणित सकल आय-कर पर होगा ।

विनिधान आय और दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ पर कर ।

सारणी

क्र.सं.	आय	संदेय आय-कर की दर
अ	आ	इ
1.	विनिधान से आय	ऐसी आय के 20% पर संगणित आय-कर
2.	विनिर्दिष्ट आस्ति से भिन्न, आस्ति के दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों से आय	ऐसी आय के 12.5% पर संगणित आय-कर
3.	कुल आय, जिसमें में से क्रम सं. 1 और क्रम सं. 2 के सामने निर्दिष्ट आय की रकम घटाई गई है।	प्रवृत्त दर।

215. (1) जहां, ऐसे निर्धारिती की दशा में, जो अनिवासी भारतीय है,—

(क) किसी विदेशी मुद्रा आस्ति (जिसे इसमें मूल आस्ति कहा गया है) के अंतरण से कोई दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ उद्भूत होता है ; और

(ख) ऐसे अंतरण की तारीख के पश्चात्, छह मास की अवधि के भीतर, उसने किसी विनिर्दिष्ट आस्ति (जिसे इसमें नई आस्ति कहा गया है) में सम्पूर्ण शुद्ध प्रतिफल या उसके किसी भाग का विनिधान किया है,

तो पूंजी अभिलाभ के संबंध में निम्नलिखित रीति में कार्यवाही की जाएगी :—

(i) यदि नई आस्ति की लागत मूल आस्ति के संबंध में शुद्ध प्रतिफल से कम नहीं है, तो ऐसे सम्पूर्ण पूंजी अभिलाभ को धारा 67 के अधीन प्रभारित नहीं किया जाएगा ;

(ii) यदि नई आस्ति की लागत मूल आस्ति के संबंध में शुद्ध प्रतिफल से कम है, तो निम्नलिखित सूत्र से संगणित पूंजी अभिलाभ को धारा 67 के अधीन प्रभारित नहीं किया जाएगा :—

$$ए = बी \times सी/डी$$

जहां,—

ए = धारा 67 के अधीन प्रभारित नहीं किए जाने वाला पूंजी अभिलाभ ;

बी = सम्पूर्ण पूंजी अभिलाभ ;

सी = नई आस्ति के अर्जन की लागत ;

डी = नई आस्ति के संबंध में शुद्ध प्रतिफल।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए,—

(क) किसी नई आस्ति के संबंध में, जो धारा 212(ड)(iii) या धारा 212(ड)(v) में निर्दिष्ट निक्षेप है, “लागत” से ऐसे निक्षेप की रकम अभिप्रेत है ;

(ख) मूल आस्ति के अंतरण के संबंध में, “शुद्ध प्रतिफल” से ऐसी आस्ति के

विदेशी मुद्रा आस्तियों के अंतरण पर पूंजी अभिलाभ का कुछ दशाओं में प्रभारित न होना।

अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भूत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य अभिप्रेत है, जिसमें से अन्तरण के संबंध में पूर्णतः और अनन्यतः उपगत खर्च घटा दिए गए हैं ।

(3) जहां नई आस्ति, इसके अर्जन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर, अंतरित की जाती है या धन में (अंतरण से अन्यथा) संपरिवर्तित की जाती है, वहां मूल आस्ति के अंतरण से उद्भूत होने वाले ऐसे पूंजी अभिलाभ को, जो धारा 67 के अधीन इस प्रकार प्रभारित नहीं किया गया है, उस कर वर्ष की, जिसमें उस कर वर्ष के, जिसमें नई आस्ति अंतरित की जाती है या धन में (अंतरण से अन्यथा) संपरिवर्तित की जाती है, अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ से भिन्न, ऐसी आस्ति से संबंधित ऐसा अंतरण या संपरिवर्तन होता है, पूंजी अभिलाभ के रूप में आय समझी जाएगी ।

कतिपय दशाओं में आय की विवरणी का प्रस्तुत न किया जाना ।

216. अनिवासी भारतीय के लिए धारा 263(1) के अधीन, अपनी आय की विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा, यदि—

(क) कर वर्ष के दौरान उसकी कुल आय में केवल विनिधान आय या दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ के रूप में आय, या दोनों, समाविष्ट है ; और

(ख) ऐसी आय में से, अध्याय 19ख के उपबंधों के अधीन स्रोत पर कटौती किए जाने वाले कर की कटौती कर ली गई है ।

निर्धारित के निवासी हो जाने के पश्चात् भी कतिपय दशाओं में फायदों का उपलब्ध होना ।

217. जहां कोई अनिवासी भारतीय किसी कर वर्ष में,—

(क) किसी पश्चात्पूर्ति वर्ष में कुल आय के संबंध में भारत में निवासी के रूप में निर्धारणीय हो जाता है ; और

(ख) उस कर वर्ष के लिए, जिसके लिए वह इस प्रकार निर्धारणीय है, धारा 263 के अधीन अपनी आय की विवरणी के साथ निर्धारण अधिकारी को इस प्रभाव को लिखित घोषणा देता है कि किसी भारतीय कंपनी के शेयरों से भिन्न, धारा 212(ड) में निर्दिष्ट किसी विदेशी मुद्रा आस्ति से व्युत्पन्न विनिधान आय के संबंध में धारा 212 से धारा 218 के उपबंध उसको लागू बने रहेंगे,

तो, धारा 212 से धारा 210 के उपबंध उस कर वर्ष और प्रत्येक पश्चात्पूर्ति कर वर्ष की ऐसी आय के संबंध में उसको तब तक लागू बने रहेंगे, जब तक ऐसी आस्तियों का अवतरण या धन में (अंतरण में अन्यथा) संपरिवर्तन नहीं हो जाता है ।

218. कोई अनिवासी भारतीय, किसी कर वर्ष के लिए धारा 263 के अधीन अपनी आय की विवरणी में घोषणा करके, ऐसे कर वर्ष के लिए धारा 212 से धारा 217 के उपबंधों से शासित नहीं होने का चयन कर सकेगा, और यदि वह ऐसा करता है तो,—

(क) धारा 212 से धारा 217 के उपबंध उस कर वर्ष के लिए उसको लागू नहीं होंगे ; और

(ख) उस कर वर्ष के लिए उसकी कुल आय की संगणना, इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अनुसार की जाएगी और उस पर कर प्रभारित किया जाएगा ।

219. (1) जहां कोई विदेशी कंपनी, भारत में स्थित अपनी शाखा के माध्यम से भारत में बैंककारी कारबार में लगी हुई है और ऐसी शाखा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाई गई स्कीम के अनुसार किसी समनुषंगी भारतीय कंपनी में संपरिवर्तित हो जाती है,

यदि निर्धारित ऐसी चयन करे, तो उपबंधों का लागू न होना ।

किसी विदेशी कंपनी की भारतीय शाखा का समनुषंगी भारतीय

तो, इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात पर विचार किए बिना, और केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित शर्तों के अधीन रहते हुए,—

कंपनी में
संपरिवर्तन ।

(क) ऐसे संपरिवर्तन से उद्भूत पूंजी अभिलाभ उस कर वर्ष में, जिसमें ऐसा संपरिवर्तन होता है, कर के लिए प्रभार्य नहीं होंगे ;

(ख)(i) अनामेलित अवक्षयण के प्रतिपादन, हानियों के मुजरे या अग्रनयन और मुजरे ;

(ii) कतिपय कंपनियों से संबंधित समझी गई आय पर संदत्त कर के संबंध में कर प्रत्यय ; और

(iii) विदेशी कंपनी और समनुषंगी भारतीय कंपनी की आय की संगणना,

से संबंधित इस अधिनियम के उपबंध,

ऐसे अपवादों, उपांतरणों, अनुकूलनों के साथ लागू होंगे, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई स्कीम या अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों में से किसी शर्त का पालन करने में असफल रहने की दशा में, इस अधिनियम के सभी उपबंध, उपधारा (1) के अधीन विदेशी कंपनी और उक्त समनुषंगी भारतीय कंपनी को बिना किसी फायदे, छूट या राहत के लागू होंगे ।

(3) जहां, किसी कर वर्ष में, उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार विदेशी कंपनी या समनुषंगी भारतीय कंपनी द्वारा किसी फायदे, छूट या राहत का दावा किया गया है, और वह उसे अनुदत्त की गई है, और बाद में, उक्त उपधारा के अधीन जारी की गई स्कीम में या अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों में से किसी शर्त का पालन करने में असफलता होती है, तो,—

(क) ऐसा फायदा, छूट या राहत गलत तौर पर अनुज्ञात की गई समझी जाएगी ;

(ख) निर्धारण अधिकारी, इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात पर विचार किए बिना, उक्त कर वर्ष के लिए निर्धारिती की कुल आय की पुनःसंगणना और आवश्यक संशोधन कर सकेगा ; और

(ग) धारा 287 के उपबंध, जहां तक हो सके, उसके संबंध में लागू होंगे और उस धारा की उपधारा (8) में विनिर्दिष्ट चार वर्ष की अवधि की संगणना उस कर वर्ष के, जिसमें उपधारा (1) में निर्दिष्ट शर्त का पालन करने में असफलता होती है, अंत से की जाएगी ।

(4) इस धारा के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।

विदेशी कंपनी का
भारत में निवासी
के रूप में कथित
होना ।

220. (1) जहां किसी विदेशी कंपनी का, किसी कर वर्ष में, भारत में निवासी होना कथित है और ऐसी कंपनी पूर्ववर्ती कर वर्षों में भारत में निवासी नहीं रही है, तो, इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात पर विचार किए बिना, और केन्द्रीय सरकार द्वारा

इस निमित्त यथा अधिसूचित शर्तों के अधीन रहते हुए,—

- (क) कुल आय की संगणना ;
- (ख) अनामेलित अवक्षयण के प्रतिपादन ;
- (ग) हानियों के मुजरे या अग्रनयन और मुजरे ;
- (घ) संग्रहण और वसूली ; और
- (ङ) कर के परिवर्जन से संबंधित विशेष उपबंध,

से संबंधित इस अधिनियम के उपबंध, ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों सहित, जो ऐसे कर वर्ष के लिए, उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, लागू होंगे ।

(2) जब विदेशी कंपनी के भारत में निवासी होने के बारे में अवधारण किसी कर वर्ष से सुसंगत निर्धारण कार्यवाहियों में किया गया है, तो उपधारा (1) के उपबंध ऐसे कर वर्ष से अगले किसी अन्य कर वर्ष के संबंध में भी लागू होंगे, जो ऐसी निर्धारण कार्यवाही के पूर्ण होने की तारीख को या उससे पूर्व समाप्त होता है ।

(3) जहां, किसी कर वर्ष में, उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार किसी फायदा, छूट या राहत का दावा किया गया है और वह विदेशी कंपनी को अनुदत्त की गई है और तत्पश्चात् उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों में से किसी शर्त का पालन करने में असफलता होती है, तो,—

(क) ऐसा फायदा, छूट या राहत गलत तौर पर अनुज्ञात की गई समझी जाएगी ;

(ख) निर्धारण अधिकारी, इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी उक्त कर वर्ष के लिए निर्धारित की कुल आय की पुनः संगणना और आवश्यक समाशोधन ऐसे कर सकेगा मानो उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपवाद, उपांतरण और अनुकूलन लागू नहीं हुए हों ; और

(ग) धारा 287 के उपबंध, जहां तक हो सके, उसके संबंध में लागू होंगे और इस धारा की उपधारा (8) में विनिर्दिष्ट चार वर्ष की अवधि की संगणना उस कर वर्ष के जिसमें उपधारा (1) में निर्दिष्ट शर्त का पालन करने में असफलता होती है, के अंत से की जाएगी ।

(4) इस धारा के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।

ऊ. पास-थु अस्तित्वों से संबंधित विशेष उपबंध

221. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात पर विचार किए बिना, किसी व्यक्ति को, जो किसी प्रतिभूतिकरण का कोई विनिधानकर्ता है, प्रतिभूतिकरण में किए गए विनिधान से प्रोद्भूत या उद्भूत या उसके द्वारा प्राप्त कोई आय, उसी रीति में आय-कर से प्रभार्य होगी मानो वह ऐसे व्यक्ति को प्रोद्भूत या उद्भूत या उसके द्वारा प्राप्त आय होती, यदि प्रतिभूतिकरण न्यास द्वारा विनिधान उसके द्वारा प्रत्यक्षतः किया गया होता ।

(2) प्रतिभूतिकरण न्यास द्वारा संदत्त या जमा की गई आय, उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति की उसी प्रकृति और उसी अनुपात में आय समझी जाएगी, मानो वह

प्रतिभूतिकरण
न्यासों से आय
पर कर ।

कर वर्ष के दौरान प्रतिभूतिकरण द्वारा प्राप्त की गई हो या उसको प्रोद्भूत अथवा उद्भूत हुई हो ।

(3) किसी कर वर्ष के दौरान, प्रतिभूतिकरण न्यास को प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली या उसके द्वारा प्राप्त की जाने वाली आय, यदि वह उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति को संदत्त या जमा न की गई हो, तो, उक्त व्यक्ति के खाते में,—

(क) कर वर्ष के अंतिम दिन को ; और

(ख) उसी अनुपात में, जिसमें ऐसा व्यक्ति आय प्राप्त करने के लिए हकदार होता, यदि उसे कर वर्ष में संदत्त किया गया होता,

जमा हुई मानी जाएगी ।

(4) प्रतिभूतिकरण न्यास की ओर से आय को जमा करने या संदाय करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति और प्रतिभूतिकरण न्यास ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, ऐसे व्यक्ति को, जो ऐसी आय के संबंध में कर के लिए दायी है और विहित आय-कर प्राधिकारी को ऐसे रूप में तथा ऐसी रीति में सत्यापित एक विवरण, जिसमें कर वर्ष के दौरान संदत्त या जमा आय के ब्यौरे और ऐसे अन्य सुसंगत ब्यौरे, जो विहित किए जाएं, दिए जाएंगे, प्रस्तुत करेगा ।

(5) उक्त कर वर्ष के दौरान प्रोद्भूत या उद्भूत होने के कारण कोई आय, जिसे उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति की कुल आय में सम्मिलित किया गया है, ऐसे व्यक्ति की उस कर वर्ष में कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाएगी जिसमें ऐसी आय प्रतिभूतिकरण न्यास द्वारा वस्तुतः उसे संदत्त की गई हो ।

(6) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “विनिधानकर्ता” पद से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो प्रतिभूतिकरण न्यास द्वारा जारी की गई किसी प्रतिभूतिकृत ऋण लिखत या प्रतिभूतियों या प्रतिभूति प्राप्ति का धारक है ;

(ख) “प्रतिभूतियां” पद से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए मानक आस्तियों के प्रतिभूतिकरण संबंधी मार्ग-दर्शक सिद्धांतों में यथा निर्दिष्ट किसी विशेष प्रयोज्य माध्यम द्वारा जारी की गई ऋण प्रतिभूतियां अभिप्रेत हैं ;

(ग) “प्रतिभूतिकृत ऋण लिखत” पद का वही अर्थ होगा, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लोक प्रस्थापना और प्रतिभूतिकृत ऋण लिखतों का सूचीबद्धकरण) विनियम, 2008 के विनियम 2(1)(घ) में उसका है ;

(घ) “प्रतिभूतिकरण न्यास” पद से ऐसा कोई न्यास अभिप्रेत है, जो,—

(i) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लोक प्रस्थापना और प्रतिभूतिकृत ऋण लिखतों का सूचीबद्धकरण) विनियम, 2008 के विनियम 2(1)(प) में यथा परिभाषित और उक्त विनियमों के अधीन विनियमित “विशेष प्रयोज्य

1992 का 15

1956 का 42

1992 का 15

1956 का 42

सुभिन्न इकाई" है ; या

(ii) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए मानक आस्तियों के प्रतिभूतिकरण संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांतों में यथा परिभाषित और विनियमित ऐसा "विशेष प्रयोज्य माध्यम" है ; या

(iii) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रयोजनों के लिए बनाई गई प्रतिभूतिकरण कंपनियों और पुनर्गठन कंपनियों द्वारा स्थापित न्यास या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उस प्रयोजन के लिए जारी मार्गदर्शक सिद्धांत या निदेशों के अनुसरण में है,

2002 का 54

जो ऐसी शर्तें पूरी करता है, जो विहित की जाएं ;

(ड) "प्रतिभूति प्राप्ति" पद का वही अर्थ होगा, जो उसका वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 2(1)(यछ) में उसका है ।

2002 का 54

जोखिम पूंजी
उपक्रमों की दशा
में आय पर कर ।

222. (1) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में किसी बात पर विचार किए बिना, जहां कोई व्यक्ति, किसी जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि में किए गए विनिधानों में से, कोई आय प्राप्त करता है या उसे कोई आय प्रोद्भूत या उद्भूत होती है, ऐसी आय, उसी रीति में आय-कर से प्रभार्य होगी, मानो आय, ऐसे व्यक्ति को प्रोद्भूत या उद्भूत होती या उसके द्वारा प्राप्त होती, यदि उसने जोखिम पूंजी उपक्रम में सीधे विनिधान किया होता ।

(2) किसी जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि की ओर से आय जमा करने या उसका संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति और जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि, ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, उस व्यक्ति को, जो ऐसी आय के संबंध में कर के लिए दायी है, और विहित आय-कर प्राधिकारी को, विहित प्रारूप में और विहित रीति में सत्यापित एक कथन प्रस्तुत करेगा, जिसमें कर वर्ष के दौरान संदत्त या जमा की गई आय की प्रकृति के ब्यौरे और ऐसे अन्य सुसंगत ब्यौरे दिए जाएंगे, जो विहित किए जाएं ।

(3) जोखिम पूंजी कंपनी और जोखिम पूंजी निधि द्वारा संदत्त या जमा की गई आय, उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति के पास उसी प्रकृति की और उसी अनुपात में समझी जाएगी मानो वह कर वर्ष के दौरान, यथास्थिति, जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि द्वारा प्राप्त की गई हो या उसे प्रोद्भूत या उद्भूत हुई हो ।

(4) अध्याय 19ख के उपबंध, जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि द्वारा इस धारा के अधीन संदत्त आय को लागू नहीं होंगे ।

(5) यदि किसी कर वर्ष के दौरान जोखिम पूंजी उपक्रम में किए गए विनिधानों से जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि को प्रोद्भूत या उद्भूत या उसके द्वारा प्राप्त आय, उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति को संदत्त या उसके पास जमा नहीं की जाती है तो वह उक्त व्यक्ति के खाते में,—

(क) कर वर्ष के अंतिम दिन को ; और

(ख) उसी अनुपात में, जिसमें ऐसा व्यक्ति आय प्राप्त करने के लिए हकदार

होता, यदि उसे कर वर्ष में संदत्त किया गया होता,

जमा हुई मानी जाएगी।

(6) ऐसी कोई आय, जिसे उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति की किसी कर वर्ष की कुल आय में, उसके उक्त कर वर्ष में प्रोद्भूत या उद्भूत होने के कारण सम्मिलित किया गया है, ऐसे व्यक्ति की उस कर वर्ष की, जिसमें ऐसी आय जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि द्वारा उसको वस्तुतः संदत्त की जाती है, कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

(7) इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात, ऐसी किसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो किसी जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि में, जो धारा 224(10)(क) में विनिर्दिष्ट कोई विनिधान निधि है, किए गए विनिधानों से किसी व्यक्ति को प्रोद्भूत या उद्भूत हुई या उसके द्वारा प्राप्त हुई हो।

(8) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, “जोखिम पूंजी कंपनी”, “जोखिम पूंजी निधि” और “जोखिम पूंजी उपक्रम” के वही अर्थ होंगे, जो अनुसूची 5 (टिप्पण 4) में क्रमशः उनके हैं।

यूनिट धारक और
कारबार न्यास की
आय पर कर।

223. (1) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात पर विचार किए बिना, किसी कारबार न्यास द्वारा अपने यूनिट धारकों को वितरित किसी आय को उसी प्रकृति की और यूनिट धारक के पास की उसी अनुपात में की आय समझी जाएगी, मानो वह कारबार न्यास द्वारा प्राप्त की गई हो या उसे उपगत की गई हो।

(2) धारा 196, धारा 197 और धारा 198 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी कारबार न्यास की कुल आय, अधिकतम सीमांत दर से कर से प्रभारित किया जाएगा।

(3) यदि किसी कर वर्ष में, किसी यूनिट धारक द्वारा कारबार न्यास से प्राप्त वितरित आय या उसका कोई भाग, अनुसूची 5 (सारणी : क्रम सं. 3) या (सारणी : क्रम सं. 4) में यथानिर्दिष्ट प्रकृति का है, तो, ऐसी वितरित आय या उसके भाग को उस यूनिट धारक की आय समझा जाएगा और वह कर वर्ष की आय के रूप में कर से प्रभारित की जाएगी।

(4) उपधारा (1) के उपबंध, किसी कारबार न्यास से किसी यूनिट धारक द्वारा प्राप्त धारा 92(2)(ट) में निर्दिष्ट किसी राशि के संबंध में लागू नहीं होंगे।

(5) किसी कारबार न्यास की ओर से किसी यूनिट धारक को वितरित आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति, यूनिट धारक और विहित प्राधिकारी को ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्ररूप में तथा रीति से, जो विहित किए जाएं, उसमें कर वर्ष के दौरान संदत्त आय की प्रकृति के ब्यौरे और ऐसे अन्य ब्यौरे, जो विहित किए जाएं, देते हुए एक विवरण प्रस्तुत करेगा।

विनिधान निधि
और उसके यूनिट
धारकों की आय
पर कर।

224. (1) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां कोई व्यक्ति, जो किसी विनिधान निधि का कोई यूनिट धारक है, विनिधान निधि में किए गए विनिधानों से, कोई आय प्राप्त करता है या उसे कोई आय प्रोद्भूत या उद्भूत होती है, ऐसी आय, उसी रीति में आय-कर से प्रभार्य होगी, मानो आय, ऐसे व्यक्ति को प्रोद्भूत या उद्भूत होती या उसके द्वारा प्राप्त होती, यदि उसने विनिधान निधि में सीधे विनिधान किया होता।

(2) जहां किसी कर वर्ष में, अनुसूची 5 (सारणी : क्रम सं. 1) के उपबंधों को प्रभावी किए बिना, विनिधान निधि की कुल आय की संगणना करने का शुद्ध परिणाम, आय के किसी शीर्ष के अधीन हानि है और ऐसी हानि का, आय के किसी अन्य शीर्ष के अधीन उक्त कर वर्ष की आय से पूर्णतया मुजरा नहीं किया जा सकता है या पूर्णतया मुजरा नहीं किया जाता है, वहां ऐसी हानि में से,—

(क) “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन संगणना के परिणामस्वरूप विनिधान निधि को हुई हानि, यदि कोई हो,—

(i) को अग्रणीत किए जाने की अनुज्ञा दी जाएगी और उसका विनिधान निधि द्वारा अध्याय 8 के उपबंधों के अनुसार मुजरा किया जाएगा ; और

(ii) की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए अनदेखी की जाएगी ;

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट हानि से भिन्न किसी अन्य हानि की भी, यदि कोई हो, उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए अनदेखी की जाएगी, यदि ऐसी हानि किसी ऐसी यूनिट के संबंध में उद्भूत हुई है, जिसे यूनिट धारक द्वारा न्यूनतम बारह मास की अवधि के लिए धारित नहीं किया गया है ।

(3) “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन हानि से भिन्न, कोई हानि, यदि कोई हो, जो 31 मार्च, 2019 को विनिधान निधि के स्तर पर संचित हुई है,—

(क) उसी रीति में, जो उपधारा (1) में उपबंधित की गई है, यूनिट धारक द्वारा विनिधान निधि में किए गए विनिधानों के संबंध में ऐसे यूनिट धारक की हानि के रूप में समझी जाएगी, जो 31 मार्च, 2019 को ऐसी यूनिट को धारण कर रहा था ; और

(ख) ऐसे यूनिट धारक को, उस वर्ष से, जिसमें प्रथम बार हानि उद्भूत हुई थी, उस वर्ष को प्रथम वर्ष के रूप में मानते हुए संगणित शेष अवधि के लिए अग्रणीत करने की अनुज्ञा दी जाएगी और हानि का मुजरा उसके द्वारा अध्याय 7 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(4) उपधारा (3) के अधीन इस प्रकार समझी गई हानि, 1 अप्रैल, 2019 को या उसके पश्चात् विनिधान निधि को उपलब्ध नहीं होगी ।

(5) विनिधान निधि द्वारा संदत्त या जमा की गई आय उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति की उसी प्रकृति की और उसी अनुपात में आय समझी जाएगी, मानो वह उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए कर वर्ष के दौरान विनिधान निधि द्वारा प्राप्त की गई हो या उसे प्रोद्भूत या उद्भूत हुई हो ।

(6) विनिधान निधि की कुल आय,—

(i) जहां ऐसी निधि कोई कंपनी या कोई फर्म है, वहां सुसंगत वर्ष के वित्त अधिनियम में यथा विनिर्दिष्ट दर या दरों पर कर से प्रभारित की जाएगी ; या

(ii) किसी अन्य दशा में, अधिकतम सीमांत दर पर कर से प्रभारित की जाएगी ।

(7) विनिधान निधि को कर वर्ष के दौरान प्रोद्भूत या उद्भूत या उसके द्वारा

प्राप्त आय, यदि वह उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति को संदत्त या उसके पास जमा नहीं की जाती है, उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कर वर्ष के अंतिम दिन को उक्त व्यक्ति के खाते में उसी अनुपात में जमा की गई समझी जाएगी जिसमें ऐसा व्यक्ति आय प्राप्त करने का तब तक हकदार होता यदि उसका कर वर्ष में संदाय किया गया होता ।

(8) ऐसी कोई आय, जिसे उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति की किसी कर वर्ष की कुल आय में, उक्त उक्त कर वर्ष में उसके प्रोद्भूत या उद्भूत होने के कारण सम्मिलित किया गया है, ऐसे व्यक्ति की, उस कर वर्ष की, जिसमें ऐसी आय का विनिधान निधि द्वारा उसे वस्तुतः संदाय किया गया है, कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाएगी ।

(9) किसी विनिधान निधि की ओर से आय को जमा करने या उसका संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति और विनिधान निधि, ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, उस व्यक्ति को, जो ऐसी आय के संबंध में कर के लिए दायी है और विहित आय-कर प्राधिकारी को विहित रूप में और ऐसी रीति में सत्यापित एक विवरण प्रस्तुत करेंगे जिसमें कर वर्ष के दौरान संदत्त या जमा की गई आय की प्रकृति के ब्यौरे और ऐसे अन्य सुसंगत ब्यौरे, जो विहित किए जाएं, होंगे ।

(10) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “विनिधान निधि” से ऐसे किसी न्यास या कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी या निगमित निकाय के रूप में भारत में स्थापित या निगमित कोई ऐसी निधि अभिप्रेत है, जिसे प्रवर्ग 1 या प्रवर्ग 2 आनुकल्पिक विनिधान निधि के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है तथा निम्नलिखित के अधीन विनियमित किया गया है—

1992 का 15

(i) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अनुकल्पिक निवेश निधि) विनियम, 2012; या

2019 का 50

(ii) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के अधीन बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (निधि प्रबंधन) विनियम, 2022 ;

(ख) “न्यास” से भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन स्थापित कोई न्यास अभिप्रेत है ; और

1882 का 2

(ग) “यूनिट” से विनिधान निधि या विनिधान निधि की किसी स्कीम में विनिधानकर्ता का फायदाप्रद हित अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत शेयर या भागीदारी हित भी आएंगे ।

ऋ. पोत परिवहन कंपनियों की आय से संबंधित विशेष उपबंध

अर्हक पोत
प्रचालन के
कारबार से आय ।

225. धारा 26 से धारा 54 (धारा 50 और धारा 53 के सिवाय) में अंतर्विष्ट किसी बात पर विचार किए बिना, किसी कंपनी की दशा में, अर्हक पोतों के प्रचालन के कारबार से आय,—

(क) उसके विकल्प पर, इस भाग के उपबंधों के अनुसार संगणित की जा

सकेगी ; और

(ख) ऐसी आय “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन कर से प्रभार्य ऐसे कारबार का लाभ और अभिलाभ समझी जाएगी ।

टनभार कर
स्कीम ।

226. (1) इस भाग में, कोई कंपनी,—

(क) यथास्थिति, कोई पोत या अंतर्देशीय जलयान प्रचालन करने वाली कंपनी समझी जाएगी, यदि वह किसी पोत का, चाहे वह उसके स्वामित्वाधीन हो या उसके द्वारा भाड़े पर लिया गया हो, प्रचालन करती है और इसके अंतर्गत कोई ऐसी दशा भी है, जिसमें, यथास्थिति, कोई पोत या अंतर्देशीय जलयान का एक भाग ही स्लाट चार्टर, स्थान चार्टर या संयुक्त चार्टर जैसी किसी व्यवस्था में उसके द्वारा भाड़े पर लिया गया है :

(ख) यथास्थिति, कोई पोत या अंतर्देशीय जलयान प्रचालन करने वाली कंपनी नहीं समझी जाएगी, जिसे उसके द्वारा अनावृत्त नौका चार्टर-सह-पट्टांतरण निबंधनों पर या अनावृत्त नौका चार्टर निबंधनों पर तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए भाड़े पर दिया गया है ।

(2) अर्हक पोतों के प्रचालन के कारबार में लगी कोई टनभार कर कंपनी, टनभार कर स्कीम के अधीन ऐसे कारबार के लाभों की संगणना करेगी ।

(3) टनभार कर कारबार को कंपनी द्वारा किए जा रहे सभी अन्य क्रियाकलापों या कारबार से सुभिन्न पृथक् कारबार के रूप में समझा जाएगा ।

(4) उपधारा (2) में निर्दिष्ट लाभों को किसी अन्य कारबार के लाभों और अभिलाभों से पृथक् रूप में संगणित किया जाएगा ।

(5) टनभार कर स्कीम केवल तभी लागू होगी, जब धारा 231 के उपबंधों के अनुसार उस आशय का कोई विकल्प दिया जाता है ।

(6) जहां अर्हक पोत प्रचालन के कारबार में लगी कोई कंपनी,—

(क) टनभार कर स्कीम के अंतर्गत नहीं आती है ; या

(ख) उसने धारा 231 के अनुसार टनभार कर स्कीम के संबंध में कोई विकल्प नहीं दिया है,

वहां ऐसे कारबार से ऐसी कंपनी के लाभों और अभिलाभों की संगणना इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अनुसार की जाएगी ।

(7) इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए,—

(क) टनभार आय,—

(i) की संगणना धारा 227 के अनुसार की जाएगी ; और

(ii) “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन प्रभार्य लाभ समझी जाएगी ; और

(ख) धारा 228(1) में निर्दिष्ट सुसंगत पोत परिवहन की आय, कर से प्रभार्य नहीं होगी ।

227. (1) किसी कर वर्ष के लिए किसी टनभार कर कंपनी की टनभार आय, प्रत्येक अर्हक पोत की, उपधारा (2) और उपधारा (3) के अनुसार संगणित, टनभार आय

टनभार आय की
संगणना ।

का योग होगी ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, प्रत्येक अर्हक पोत की टनभार आय निम्नलिखित सूत्र के अनुसार संगणित की जाएगी :—

$$\text{टीआई} = \text{डीटीआई} \times \text{एन}$$

जहां,—

टीआई = प्रत्येक अर्हक पोत की टनभार आय

डीटीआई = प्रत्येक अर्हक पोत की दैनिक टनभार आय

एन = कर वर्ष में, या उस दशा में, यदि पोत को कंपनी द्वारा कर वर्ष के केवल भाग के लिए अर्हक पोत के रूप में प्रचालित किया जाता है, तो कर वर्ष के भाग के दौरान, दिनों की संख्या ।

(3) उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए, नीचे सारणी के स्तंभ (आ) में निर्दिष्ट टनभार वाले किसी अर्हक पोत की दैनिक टनभार आय, उसके स्तंभ (इ) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रकम होगी :—

सारणी		
क्र. सं.	अर्हक पोत का शुद्ध टनभार	दैनिक टनभार आय की रकम
अ	आ	इ
1.	1,000 तक	प्रत्येक 100 टन के लिए 70 रु०
2.	1,000 से अधिक, किन्तु 10,000 से अनधिक	700 रु० धन 1,000 टन से अधिक प्रत्येक 100 टन के लिए 53 रु०
3.	10,000 से अधिक, किन्तु 25,000 से अनधिक	5,470 रु० धन 10,000 टन से अधिक प्रत्येक 100 टन के लिए 42 रु०
4.	25,000 से अधिक	11,770 रु० धन 25,000 टन से अधिक प्रत्येक 100 टन के लिए 29 रु० ।

(4) इस भाग के प्रयोजनों के लिए, टनभार से,—

(क) उपधारा (9) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र में उपदर्शित, यथास्थिति, किसी पोत या अंतर्देशीय जलयान का टनभार अभिप्रेत होगा ; और

(ख) इसके अंतर्गत समझा गया टनभार भी होगा, जो स्लाटों, स्लाट चार्टर के क्रय की व्यवस्था और जलयान से माल उतारने में हिस्सा बंटाने की व्यवस्था के संबंध में, विहित रीति में संगणित, टनभार होगा ।

(5) टनभार को सौ टनों के निकटतम गुणज तक पूर्णांकित किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए किलोग्रामों वाले किसी टनभार पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और इस प्रकार पूर्णांकित किया गया टनभार सौ का गुणज नहीं है, तब, यदि उस रकम में अंतिम अंक,—

(क) पचास टन या अधिक है, तो टनभार को अगले उच्चतर टनभार तक बढ़ाया जाएगा ;

(ख) पचास टन से कम है, तो टनभार को अगले निम्नतर टनभार तक घटा दिया जाएगा,

जो सौ का गुणज है, तथा इस प्रकार पूर्णांकित टनभार को इस धारा के प्रयोजनों के लिए पोत का टनभार समझा जाएगा ।

(6) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में किसी बात पर विचार किए बिना, इस अध्याय के इस भाग के अधीन टनभार आय की संगणना करने में कोई कटौती या मुजरा अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(7) जहां कोई अर्हक पोत दो या अधिक कंपनियों द्वारा,—

(क) पोत में संयुक्त हित के रूप में ; या

(ख) पोत के प्रयोग के लिए किसी करार के रूप में,

प्रचालित किया जाता है और उनके अपने-अपने अंश निश्चित और अभिनिश्चित किए जाने योग्य हैं, वहां ऐसी प्रत्येक कंपनी की टनभार आय उस हित के उनके अंश के अनुपात में आय के अंश के बराबर रकम होगी ।

(8) उपधारा (7) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां दो या अधिक कंपनियां किसी अर्हक पोत की प्रचालक हैं, वहां प्रत्येक कंपनी की टनभार आय की संगणना इस प्रकार की जाएगी, मानो केवल ऐसी प्रत्येक कंपनी ही प्रचालक रही हो ।

(9) इस भाग के प्रयोजनों के लिए,—

(क) यथास्थिति, किसी पोत या अंतर्देशीय जलयान पोत का टनभार, उसके टनभार का उपदर्शित करने वाले किसी विधिमान्य प्रमाणपत्र के अनुसार अवधारित किया जाएगा ;

(ख) “विधिमान्य प्रमाणपत्र” से अभिप्रेत है,—

(i) भारत में रजिस्ट्रीकृत ऐसे पोतों की दशा में,—

(अ) जिनकी लंबाई चौबीस मीटर से कम है, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अधीन बनाए गए वाणिज्य पोत परिवहन (पोत का टनभार माप) नियम, 1987 के अधीन जारी किया गया कोई प्रमाणपत्र ;

(आ) जिनकी लंबाई चौबीस मीटर या उससे अधिक है, उक्त अधिनियम के अधीन बनाए गए वाणिज्यिक पोत परिवहन (पोत का टनभार माप) नियम, 1987 में यथाविनिर्दिष्ट पोत टनभार माप कन्वेंशन, 1969 के उपबंधों के अधीन जारी किया गया कोई अंतर्राष्ट्रीय टनभार प्रमाणपत्र ;

(ii) भारत से बाहर रजिस्ट्रीकृत पोतों की दशा में, उस ध्वज राज्य प्रशासन द्वारा, जहां पोत रजिस्ट्रीकृत है, जारी किए गए टनभार प्रमाणपत्र के आधार पर शुद्ध टनभार विनिर्दिष्ट करते हुए, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 406 या धारा 407 के अधीन, पोत परिवहन महानिदेशक द्वारा जारी की गई कोई अनुज्ञप्ति या पोत को भाड़े पर लेने के लिए अनुज्ञा मांगते समय पोत के स्वामी द्वारा प्रस्तुत पोत परिवहन

महानिदेशक को स्वीकार्य कोई अन्य साक्ष्य ;

2021 का 24

(iii) भारत में रजिस्ट्रीकृत अंतर्देशीय जलयान की दशा में, अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 के अधीन जारी प्रमाणपत्र ।

228. (1) इस भाग के प्रयोजनों के लिए, टनभार कर कंपनी की सुसंगत पोत परिवहन आय से निम्नलिखित अभिप्रेत हैं,—

सुसंगत पोत
परिवहन आय
और बही लाभ से
अपवर्जन ।

(क) उपधारा (3) में निर्दिष्ट मुख्य क्रियाकलापों से उसके लाभ ;

(ख) उपधारा (7) में निर्दिष्ट आनुषंगिक क्रियाकलापों से उसके लाभ ।

(2) जहां उपधारा (1ख) में विनिर्दिष्ट सभी ऐसी आयों का योग उपधारा (3) में निर्दिष्ट मुख्य क्रियाकलापों से आवर्त के 0.25% से अधिक होता है, वहां ऐसा आधिक्य, इस भाग के प्रयोजनों के लिए सुसंगत पोत परिवहन आय का भाग नहीं बनेगा और इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन कराधेय होगा ।

(3) किसी टनभार कर कंपनी के मुख्य क्रियाकलाप निम्नलिखित होंगे,—

(क) अर्हक पोतों का प्रचालन करने के उसके क्रियाकलाप ; और

(ख) नीचे यथाउल्लिखित, यथास्थिति, अन्य पोत या अंतर्देशीय जलयान संबंधी क्रियाकलाप,—

(i) निम्नलिखित के संबंध में पोत परिवहन संविदाएं,—

(अ) एकीकरण व्यवस्थाओं से उपार्जन ;

(आ) माल वहन के लिए पोत तय करने संबंधी संविदाएं ;

(ii) विनिर्दिष्ट पोत परिवहन व्यापार, जो—

(अ) यात्री पोतों के फलक पर या तट पर क्रियाकलाप हैं, जिनमें भाड़ा और फलक पर उपभोग किए जाने वाले खाद्य और सुपेय भी हैं;

(आ) स्लाट चार्टर, स्थान चार्टर, संयुक्त चार्टर, पोषक सेवाएं, आधान पोत परिवहन की आधान पेटियां पट्टे पर देना हैं ।

(4) उपधारा (3)(ख)(i) के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “एकीकरण व्यवस्था” से, दो या अधिक व्यक्तियों के बीच एक या अधिक पोतों के एकीकरण या प्रचालन के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने और उनके बीच परस्पर तय निबंधनों के आधार पर उपार्जन या प्रचालन संबंधी लाभों में हिस्सा बंटाने के लिए कोई करार अभिप्रेत है ;

(ख) “माल वहन के लिए पोत तय करने संबंधी संविदा” से ऐसी कोई सेवा संविदा अभिप्रेत है, जिसके अधीन कोई टनभार कर कंपनी विनिर्दिष्ट अवधि में अभिहित लदाई और उतराई के पतनों के बीच विनिर्दिष्ट दर पर विनिर्दिष्ट उत्पादों की विनिर्दिष्ट मात्रा के परिवहन का करार करती है ।

(5) केंद्रीय सरकार, यदि वह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है तो, अधिसूचना द्वारा, उपधारा (3)(ख) में निर्दिष्ट किसी क्रियाकलाप को अपवर्जित कर

सकेगी या उस सीमा को विहित कर सकेगी, जिस तक ऐसे क्रियाकलाप इस धारा के प्रयोजनों के लिए, मुख्य क्रियाकलापों में सम्मिलित किए जाएंगे ।

(6) इस भाग के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, जारी किए जाने के पश्चात्, यथासंभवशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह तीस दिन की कुल अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुषंगिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, रखी जाएगी और यदि यथापूर्वोक्त सत्र या आनुक्रमिक सत्रों के ठीक पश्चात् वाले सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन इस बात पर सहमत हो जाएं कि अधिसूचना में कोई उपांतरण किए जाने चाहिए या दोनों सदन इस बात से, सहमत हो जाएं कि अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिए तो, तत्पश्चात् अधिसूचना का, यथास्थिति, ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभाव होगा या निष्प्रभाव हो जाएगी, तथापि, उस अधिसूचना के उपांतरित या निष्प्रभावी होने से उसके अधीन पहले से की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(7) आनुषंगिक क्रियाकलाप, वे क्रियालाप होंगे, जो मुख्य क्रियाकलापों के आनुषंगिक हैं और जिन्हें इस प्रयोजन के लिए विहित किया जाए ।

(8) जहां कोई टनभार कंपनी, यथास्थिति, ऐसे किसी पोत या अंतर्देशीय जलयान का प्रचालन करती है, जो अर्हक पोत नहीं है, वहां ऐसे अनर्हक पोत के प्रचालन के कारण होने वाली आय, इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अनुसार संगणित की जाएगी ।

(9)(क) जहां टनभार कर कारबार के प्रयोजनों के लिए धारित किसी माल या सेवाओं को किसी टनभार कर कंपनी द्वारा किए जा रहे किसी अन्य कारबार में अंतरित किया जाता है ; या

(ख) जहां ऐसी टनभार कर कंपनी द्वारा किए जा रहे किसी अन्य कारबार के प्रयोजनों के लिए, किसी माल या सेवाओं का टनभार कर कारबार को अंतरित किया जाता है,

और, दोनों में से किसी भी दशा में, टनभार कर कारबार के लेखाओं में यथा अभिलिखित ऐसे अंतरण के लिए प्रतिफल, यदि कोई है, अंतरण की तारीख को उस माल या सेवाओं के बाजार मूल्य के समरूप नहीं होता है, वहां इस धारा के अधीन सुसंगत पोत परिवहन आय की संगणना इस प्रकार की जाएगी मानो प्रत्येक दशा में अंतरण उस तारीख को ऐसे माल या सेवाओं के बाजार मूल्य पर किया गया था ।

(10) उपधारा (9) में, किसी माल या सेवाओं के संबंध में “बाजार मूल्य” से वह कीमत अभिप्रेत है, जो ऐसा माल या सेवाएं खुले बाजार में सामान्यतया विक्रय पर प्राप्त करेंगी ।

(11) जहां, निर्धारण अधिकारी की राय में, उपधारा (9) में विनिर्दिष्ट रीति में सुसंगत पोत परिवहन आय की संगणना करने में आपवादिक कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं, वहां वह ऐसी आय की संगणना ऐसे युक्तियुक्त आधार पर कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

(12) जहां निर्धारण अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि टनभार कर कंपनी और किसी अन्य व्यक्ति के बीच निकट संबंध के कारण या किसी अन्य कारण से, उनके

बीच कारबार का क्रम इस प्रकार व्यवस्थित है कि उनके बीच संव्यवहार किए गए कारबार से टनभार कर कंपनी को उन सामान्य लाभों से, जिनके टनभार कर कारबार में उत्पन्न होने की आशा की जा सकती है, अधिक लाभ होता है, वहां निर्धारण अधिकारी, इस भाग के प्रयोजनों के लिए टनभार कर कंपनी की सुसंगत पोत परिवहन आय की संगणना करने में उस आय की रकम को हिसाब में लेगा, जो युक्तियुक्त रूप से उससे व्युत्पन्न हुई समझी जाए।

(13) इस भाग में, यदि टनभार कर कंपनी की सुसंगत पोत परिवहन आय के अंतर्गत कोई हानि है तो ऐसी हानि को टनभार आय की संगणना के प्रयोजनों के लिए हिसाब में नहीं लिया जाएगा।

(14) जहां कोई टनभार कर कंपनी, टनभार कर कारबार से भिन्न कोई कारबार या क्रियाकलाप भी करती है, वहां सामान्य खर्च, जो टनभार कर कारबार से हुए माने जा सकते हैं, युक्तियुक्त आधार पर अवधारित किए जाएंगे।

(15) जहां अर्हक पोत से भिन्न किसी आस्ति का, टनभार कर कंपनी द्वारा टनभार कर कारबार के लिए पूर्णतया उपयोग नहीं किया जाता है, वहां ऐसी आस्ति के संबंध में अवक्षयण को निर्धारण अधिकारी द्वारा, टनभार कर कारबार के प्रयोजन के लिए और अन्य कारबार के लिए ऐसी आस्ति के प्रयोग को ध्यान में रखते हुए, उसके टनभार कर कारबार और अन्य कारबार के बीच उचित अनुपात में आबंटित किया जाएगा।

(16) उपधारा (1) में निर्दिष्ट, किसी टनभार कर कंपनी के क्रियाकलापों से व्युत्पन्न बही लाभ या हानि को, धारा 206(1)(ग) के प्रयोजनों के लिए कंपनी के बही लाभ से अपवर्जित किया जाएगा।

229. (1) धारा 230(1)(घ) के अधीन मूल्यहास की गणना के प्रयोजनों के लिए, टनभार कर स्कीम के प्रथम कर वर्ष (जिसे इसमें प्रथम कर वर्ष कहा गया है) के लिए मूल्यहास की गणना उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट अर्हक पोतों के अवलिखित मूल्य पर की जाएगी।

टनभार कर
आस्तियों से
संबंधित मूल्यहास
और लाभ।

(2) प्रथम कर वर्ष के प्रथम दिन की स्थिति के अनुसार, आस्तियों के समूह, जो पोत हैं, का अवलिखित मूल्य, अर्हक पोतों (जिन्हें अर्हक आस्तियों के रूप में संदर्भित किया गया है) के अवलिखित मूल्य और गैर-अर्हक पोतों (जिन्हें अन्य आस्तियों के रूप में संदर्भित किया गया है) के अवलिखित मूल्य के अनुपात में निम्नलिखित सूत्र के अनुसार विभाजित किया जाएगा :—

$$\begin{aligned} \text{घ} &= \frac{\text{क} \times \text{ख}}{\text{ख} + \text{ग}} \\ \text{ड} &= \frac{\text{क} \times \text{ग}}{\text{ख} + \text{ग}} \end{aligned}$$

जहां,—

घ = कर वर्ष के पहले दिन अर्हक आस्तियों के ब्लॉक का अवलिखित मूल्य;

ड = कर वर्ष के पहले दिन अन्य आस्तियों के ब्लॉक का अवलिखित मूल्य;

क = आस्तियों के विद्यमान ब्लॉक का अवलिखित मूल्य, जो यथास्थिति पोत या अंतर्देशीय जलयान है, कर वर्ष के पहले दिन से ;

ख = पिछले कर वर्ष के अंतिम दिन तक अर्हक आस्तियों के अवलिखित मूल्य का योग; और

ग = पूर्ववर्ती कर वर्ष के अंतिम दिन तक अन्य आस्तियों के अवलिखित मूल्य का योग।

(3) उपधारा (2) के अधीन निर्धारित अर्हक आस्तियों का ब्लॉक इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए आस्तियों का एक पृथक ब्लॉक होगा।

(4) जहां कोई आस्ति, के ब्लॉक का भाग बनती है,—

(क) अर्हक आस्तियों का उपयोग टनभार कर कारबार के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाना आरंभ हो जाता है, ऐसी आस्ति को आबंटित अवलिखित मूल्य का एक उचित हिस्सा उस ब्लॉक के अवलिखित मूल्य से घटा दिया जाएगा और निम्नलिखित सूत्र के अनुसार अन्य आस्तियों के ब्लॉक में जोड़ दिया जाएगा:—

$$क = ख \times \frac{ग}{घ}$$

जहां,—

क = आस्ति के आबंटित करने योग्य मूल्य के अवलिखित का उचित भाग जो टनभार कर कारबार से अन्यथा प्रयोजनों के लिए जिसका उपभोग आरंभ हो गया है ।

ख = कर वर्ष के पहले दिन योग्य आस्तियों के ब्लॉक का अवलिखित मूल्य;

ग = अर्हक आस्ति का अवलिखित मूल्य जो टनभार कर कारबार के अतिरिक्त अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाना आरंभ होता है; और

घ = अर्हक आस्तियों के ब्लॉक का निर्माण करने वाली सभी आस्तियों के अवलिखित बही मूल्य का कुल योग ;

(ख) अन्य आस्तियां, टनभार कर कारबार के लिए उपयोग में लाई जाने लगती हैं, ऐसी आस्ति को आबंटित अवलिखित मूल्य का एक उचित हिस्सा अन्य आस्तियों के ब्लॉक के अवलिखित मूल्य से घटा दिया जाएगा और उसे निम्नलिखित सूत्र के अनुसार अर्हक आस्ति के ब्लॉक में जोड़ दिया जाएगा:—

$$ड = च \times \frac{छ}{झ}$$

जहां,—

ड = आस्ति के आबंटित करने योग्य मूल्य के अवलिखित का उचित भाग

जो टनभार कर कारबार के प्रयोजनों के लिए जिसका उपभोग आरंभ हो गया है।

च = कर वर्ष के पहले दिन अन्य आस्तियों के ब्लॉक का अवलिखित मूल्य;

छ = अन्य आस्ति का अवलिखित मूल्य जो टनभार कर कारबार के लिए उपयोग किया जाना आरंभ होता है; और

झ = अन्य आस्तियों के ब्लॉक का निर्माण करने वाली सभी आस्तियों के अवलिखित बही मूल्य का योग।

(5) उपधारा (4)(क) और उपधारा 4(ख) में उल्लिखित आस्ति के संबंध में धारा 230(1)(घ) के अधीन मूल्यहास की गणना के प्रयोजनों के लिए, कर वर्ष के लिए संगणित मूल्यहास उन दिनों की संख्या के अनुपात में आबंटित किया जाएगा, जिसके लिए आस्ति का उपयोग टनभार कर कारोबार के लिए और टनभार कर कारोबार के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों के लिए किया गया था।

(6) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, इस प्रकार सृजित अर्हक आस्तियों के ब्लॉक और अन्य आस्तियों के ब्लॉक पर मूल्यहास इस प्रकार अनुज्ञात किया जाएगा मानो उपधारा (2) में निर्दिष्ट ऐसा अवलिखित मूल्य पूर्ववर्ती कर वर्ष से आगे लाया गया हो।

(7) इस धारा में, निम्नलिखित अभिव्यक्तियाँ शामिल हैं—

"अवलिखित मूल्यबही" से लेखा पुस्तकों के अनुसार अवलिखित मूल्य अभिप्रेत है;

(8) पूंजीगत आस्ति के अंतरण से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या लाभ, जो अर्हक आस्तियों के समूह का हिस्सा है, धारा 67 और धारा 74 के अनुसार आय-कर के लिए प्रभार्य होगा, और इस प्रकार उत्पन्न होने वाले पूंजीगत लाभ की गणना धारा 67 से धारा 81 के अनुसार की जाएगी।

(9) उपधारा (8) में निर्दिष्ट ऐसे लाभों या अभिलाभों की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, धारा 74 के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो "आस्तियों के समूह का अवलिखित मूल्य" शब्दों के स्थान पर "अर्हक आस्तियों के समूह का अवलिखित मूल्य" शब्द रख दिए गए हों।

(10) इस धारा में, "अर्हक आस्तियों के ब्लॉक का अवलिखित मूल्य" से उपधारा (2) के अनुसार संगणित अवलिखित मूल्य अभिप्रेत है।

230. (1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में निहित किसी भी बात पर ध्यान दिए बिना, किसी भी कर वर्ष के लिए टनभार कर कंपनी की टनभार आय की गणना करने में (जिसे इसमें इसके पश्चात् "सुसंगत कर वर्ष" कहा गया है) जिसमें वह इस अध्याय के इस भाग के अनुसार कर के लिए प्रभार्य है—

(क) धारा 28 से धारा 52 इस प्रकार लागू होंगी मानो उनमें निर्दिष्ट प्रत्येक हानि, मोक या कटौती, जो किसी भी सुसंगत कर वर्ष से संबंधित है या उसके लिए स्वीकार्य है, उस कर वर्ष के लिए पूर्ण प्रभाव दिया गया हो;

(ख) धारा 108(1) या धारा 108(2)(क) या धारा 109(1) या धारा 112(1) या धारा 116(1) में निर्दिष्ट कोई हानि, जहां तक ऐसी हानि कंपनी के अर्हक पोतों के संचालन के कारबार से संबंधित है, आगे नहीं बढ़ाई जाएगी या मुजरा नहीं की

कटौती, हानि
मुजरा आदि का
अपवर्जन।

जाएगी, जहां ऐसी हानि किसी ऐसे कर वर्ष से संबंधित है जब कंपनी टनभार कर स्कीम के अधीन है;

(ग) अर्हक पोतों के परिचालन के कारबार से प्राप्त लाभ और प्राप्ति के संबंध में अध्याय 8 के अधीन कोई कटौती नहीं की जाएगी; और

(घ) धारा 33 के अधीन मूल्यहास मोक की गणना करने में, टनभार कर कारबार के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किसी आस्ति के अवलिखित मूल्य की गणना इस प्रकार की जाएगी मानो कंपनी ने सुसंगत कर वर्षों के लिए मूल्यहास के संबंध में कटौती का दावा किया है और उसे वास्तव में कटौती की अनुमति दी गई है।

(2) धारा 112 किसी ऐसे घाटे के संबंध में लागू होगी, जो टनभार कर स्कीम के लिए उसके विकल्प से पहले किसी कंपनी को प्राप्त हुआ है और जो उसके टनभार कर कारबार के कारण है, मानो ऐसे घाटे को किसी भी कर वर्ष में सुसंगत पोत परिवहन आय के विरुद्ध मुजरा कर दिया गया हो जब कंपनी टनभार कर स्कीम के अधीन हो।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट हानियां कंपनी द्वारा धारा 231 के अधीन अपना विकल्प प्रयोग करने के बाद या उसके बाद आरंभ होने वाले किसी कर वर्ष में सुसंगत पोत परिवहन आय के अतिरिक्त किसी अन्य आय के विरुद्ध मुजरा के लिए उपलब्ध नहीं होंगी।

(4) उपधारा (2) में निर्दिष्ट हानियों का निर्धारण करने के लिए आवश्यक कोई भी विभाजन उचित आधार पर किया जाएगा।

टनभार कर स्कीम
का चयन करने
की रीति और
वैधता।

231. (1) कोई अर्हक कंपनी, कंपनी पर अधिकारिता रखने वाले संयुक्त आयुक्त को, ऐसी स्कीम के लिए यथाविहित प्ररूप और रीति से आवेदन करके टनभार कर स्कीम का विकल्प चुन सकेगी।

(2) अर्हक कंपनी अपने निगमन की तारीख से या पहली बार अर्हक कंपनी बनने की तारीख से तीन महीने के भीतर आवेदन कर सकती है।

(3) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र की कोई इकाई, जिसने धारा 147 के अधीन कटौती का लाभ उठाया है, ऐसी कटौती समाप्त होने की तारीख से तीन माह के भीतर आवेदन कर सकेगी।

(4) उपधारा (1) के अधीन टनभार कर स्कीम के लिए विकल्प हेतु आवेदन प्राप्त होने पर, संयुक्त आयुक्त कंपनी से ऐसी सूचना या दस्तावेज मांग सकेगा, जो वह कंपनी की पात्रता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक समझे और टनभार कर स्कीम के लिए ऐसा विकल्प चुनने के लिए कंपनी की ऐसी पात्रता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात् वह अवलिखित में आदेश पारित करेगा—

(क) टनभार कर स्कीम के विकल्प को अनुमोदित करना; या

(ख) यदि वह संतुष्ट न हो तो टनभार कर स्कीम के विकल्प को मंजूरी देने से इंकार करना,

और ऐसे आदेश की एक प्रति आवेदक को भेजी जाएगी।

(5) उपधारा 4(ख) के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक आवेदक को सुनवाई का उचित अवसर न दे दिया गया हो।

(6) उपधारा (4) के अधीन टनभार कर स्कीम के लिए विकल्प का अनुमोदन देने या अस्वीकार करने वाला प्रत्येक आदेश, उस मास के अंत से तीन मास की समाप्ति से पूर्व पारित किया जाएगा, जिसमें उपधारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त हुआ था।

(7) जहां उपधारा (4) के अधीन अनुमोदन प्रदान करने वाला आदेश पारित किया जाता है, वहां इस अध्याय के भाग के उपबंध उस कर वर्ष से लागू होंगे जिसमें टनभार कर स्कीम के लिए विकल्प का प्रयोग किया जाता है।

(8) टनभार कर स्कीम के लिए विकल्प, उपधारा (4) के अधीन अनुमोदित होने के पश्चात्, उस तारीख से दस वर्ष तक प्रवृत्त रहेगा जिसको ऐसा विकल्प प्रयोग किया गया है और उसे उस कर वर्ष से हिसाब में लिया जाएगा जिसमें ऐसा विकल्प प्रयोग किया गया है।

(9) टनभार कर स्कीम का विकल्प उस कर वर्ष से प्रभावी नहीं रहेगा, जिसमें—

(क) अर्हक कंपनी अर्हक कंपनी नहीं रह जाती है;

(ख) धारा 232(1) से धारा 232(20) में निहित उपबंधों का पालन करने में चूक की जाती है;

(ग) टनभार कर कंपनी को धारा 234 के अधीन टनभार कर स्कीम से बाहर रखा गया है;

(घ) अर्हक कंपनी कर निर्धारण अधिकारी को अवलिखित में यह घोषणा प्रस्तुत करती है कि इस अध्याय के भाग के उपबंध उस पर लागू नहीं होंगे, और अर्हक पोतों के परिचालन के कारबार से कंपनी के लाभ और प्राप्ति की गणना इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अनुसार की जाएगी।

(10) उपधारा (4) के अधीन अनुमोदित टनभार कर स्कीम के लिए विकल्प का नवीकरण उस कर वर्ष की समाप्ति से एक वर्ष के भीतर किया जा सकेगा जिसमें विकल्प प्रभावी होना बंद हो जाता है।

(11) उपधारा (1) से उपधारा (9) के उपबंध टनभार कर स्कीम के लिए विकल्प के नवीकरण के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे टनभार कर स्कीम के लिए विकल्प के अनुमोदन के संबंध में लागू होते हैं।

(12) अर्हक कंपनी,—

(क) जो स्वयं टनभार कर स्कीम से बाहर निकलने का विकल्प चुनता है; या

(ख) जो धारा 232(1) से धारा 232(20) में निहित उपबंधों का अनुपालन करने में चूक करता है; या

(ग) जिसका विकल्प धारा 234(4) के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण में टनभार कर स्कीम से बाहर रखा गया है,

टनभार कर स्कीम का विकल्प चुनने, चूक करने या आदेश देने की तारीख से दस वर्ष तक इसका विकल्प चुनने के लिए पात्र नहीं होगा ।

टनभार कर स्कीम
को लागू होने के
लिए कतिपय

232. (1) एक टनभार कर कंपनी को, इस धारा के उपबंधों के अधीन और उसके अनुसार, एक आरक्षित खाते में (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस धारा में टनभार कर आरक्षित लेखा के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) रकम जमा करने की आवश्यकता होगी,

शर्तें।

जो प्रत्येक कर वर्ष में धारा 228(1)(क) और धारा 228(1)(ख) में निर्दिष्ट गतिविधियों से प्राप्त बही लाभ का 20% या उससे अधिक होगी, जिसे उपधारा (6) में निर्धारित रीति से उपयोग किया जाएगा।

(2) इस धारा में, “बही लाभ” का वही अर्थ होगा, जो धारा 206(3) में दिया गया है, जहां तक उसका संबंध धारा 228(1)(क) और धारा 228(1)(ख) में निर्दिष्ट गतिविधियों से प्राप्त आय से है।

(3) जहां कंपनी के पास—

(क) अर्हताप्राप्त पोतों के परिचालन के कारबार से लाभ बुक करना; और

(ख) किसी अन्य स्रोत से हानि बुक करना,

और फलस्वरूप, कंपनी उपधारा (1) के अधीन पूर्ण या आंशिक आरक्षितियां सृजित करने की स्थिति में नहीं है, तो कंपनी उस कर वर्ष में यथासंभव सीमा तक आरक्षितियों सृजित करेगी और यदि कोई कमी होगी तो उसे आगामी कर वर्ष के लिए सृजित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षितियों में जोड़ दिया जाएगा और ऐसी कमी को उस आगामी कर वर्ष की आरक्षितियों को आवश्यकता का भाग समझा जाएगा।

(4) उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए, किसी विशिष्ट कर वर्ष के दौरान आरक्षितियों के सृजन में कमी को उक्त उपधारा के अधीन आगामी कर वर्ष में आगे ले जाने की सीमा तक, कंपनी को प्रथम वर्णित कर वर्ष के लिए पर्याप्त आरक्षितियों का सृजन करने वाली कंपनी माना जाएगा।

(5) उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए, उपधारा (4) में अंतर्विष्ट कोई बात दूसरे वर्ष के संबंध में लागू नहीं होगी, यदि आरक्षितियों के सृजन में कमी लगातार दो कर वर्षों तक जारी रहती है।

(6) उपधारा (1) के अधीन टनभार कर आरक्षित खाते में जमा की गई रकम का उपयोग कंपनी द्वारा आगामी कर वर्ष के पश्चात् आने वाले आठ वर्षों की समाप्ति से पूर्व किया जाएगा जिसमें रकम जमा की गई थी—

(क) कंपनी के कारबार के प्रयोजनों के लिए नया पोत अर्जित करने के लिए; और

(ख) नये पोत के अर्जन तक, लाभांश या लाभ के रूप में वितरण या लाभ के रूप में भारत के बाहर धन प्रेषण या भारत के बाहर किसी आस्ति के सृजन को छोड़कर अर्हक पोतों के परिचालन के कारबार के प्रयोजनों के लिए।

(7) जहां उपधारा (1) के अधीन टनभार कर आरक्षित खाते में कोई रकम जमा की जाती है,—

(क) उपधारा (6) में निर्दिष्ट प्रयोजन के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया है; या

(ख) उपधारा (6)(क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया गया है; या

(ग) उपधारा (6)(क) में विनिर्दिष्ट अनुसार, यथास्थिति, नया पोत या नया अंतर्देशीय जलयान अर्जित करने के प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया है, किन्तु

ऐसा पोत कंपनी द्वारा विभाजन की किसी स्कीम के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को उस कर वर्ष की समाप्ति से तीन वर्ष की समाप्ति से पूर्व किसी भी समय विक्रय किया जाता है या अन्यथा हस्तांतरित किया जाता है, जिसमें उसे अर्जित किया गया था,

कोई रकम, जिसका उस वर्ष की कुल सुसंगत पोत परिवहन आय से वही अनुपात है जिसमें ऐसा आरक्षिति सृजित किया गया था, और जो ऐसे आरक्षिति में से इस प्रकार उपयोग की गई या उपयोग नहीं की गई रकम का उपधारा (1) के अधीन उस वर्ष के दौरान सृजित कुल आरक्षिति से अनुपात है, इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन कर योग्य होगी—

(i) खंड (क) में निर्दिष्ट मामले में, उस वर्ष में जिसमें रकम का इस प्रकार उपयोग किया गया था; या

(ii) खंड (ख) में निर्दिष्ट मामले में, उपधारा (6) में विनिर्दिष्ट आठ वर्ष के ठीक बाद वाले वर्ष में; या

(iii) खंड (ग) में निर्दिष्ट मामले में, उस वर्ष में जिसमें बिक्री या हस्तांतरण हुआ था।

(8) उपधारा (7) में निर्दिष्ट इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन इस प्रकार कर योग्य आय में से ऐसी आरक्षितियों के सृजन के वर्ष में कर हेतु प्रभारित आनुपातिक टनभार आय को घटा दिया जाएगा।

(9) इस अध्याय के किसी अन्य उपबंध में निहित किसी भी बात पर ध्यान दिए बिना, जहां उपधारा (1) के अनुसार टनभार कर आरक्षित खाते में जमा की गई रकम उपधारा (1) के अधीन जमा की जाने वाली न्यूनतम रकम से कम है, वह रकम जो कुल सुसंगत पोत परिवहन के समान अनुपात रखती है, जैसा कि आरक्षितियों में जमा की गई कमी उपधारा (1) के अधीन जमा की जाने वाली न्यूनतम आरक्षित रकम से होती है, टनभार कर स्कीम के अधीन कर योग्य नहीं होगी और इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन कर योग्य होगी।

(10) यदि उपधारा (1) के अधीन सृजित किए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षिति किन्हीं दो क्रमवर्ती कर वर्षों के लिए सृजित नहीं की जाती है, तो टनभार कर स्कीम के लिए कंपनी का विकल्प, उस दूसरे क्रमवर्ती कर वर्ष के पश्चात् आने वाले कर वर्ष के आरंभ से प्रभावी नहीं रहेगा, जिसमें उपधारा (1) के अधीन आरक्षिति सृजित करने में विफलता हुई थी।

(11) इस धारा में, "नया पोत" में ऐसा अर्हक पोत शामिल है, जो अर्हक कंपनी द्वारा अधिग्रहण की तारीख से पहले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाया जाता था, यदि वह ऐसे अधिग्रहण की तारीख से पहले किसी भी समय वहां भारत के निवासी किसी व्यक्ति के स्वामित्व में नहीं था।

(12) टनभार कर कंपनी, धारा 231(4) के अधीन अपना विकल्प स्वीकृत होने के पश्चात्, महानिदेशक, पोत परिवहन द्वारा बनाए गए और केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित दिशानिर्देशों के अनुसार प्रशिक्षणार्थी अधिकारियों के संबंध में न्यूनतम प्रशिक्षण आवश्यकता का अनुपालन करेगी।

(13) टनभार कर कंपनी को पोत परिवहन महानिदेशक द्वारा जारी प्रमाण पत्र की एक प्रति धारा 263 के अधीन आय-कर विवरणी के साथ प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें यह दर्शाया जाएगा कि कंपनी ने कर वर्ष के लिए उपधारा (12) में निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनतम प्रशिक्षण आवश्यकता का अनुपालन किया है।

(14) यदि न्यूनतम प्रशिक्षण अपेक्षा का अनुपालन किन्हीं पांच लगातार कर वर्षों में नहीं किया जाता है, तो टनभार कर स्कीम के लिए कंपनी का विकल्प उस पांचवें लगातार कर वर्ष के बाद आने वाले कर वर्ष के आरंभ से प्रभावी नहीं रहेगा, जिसमें उपधारा (12) के अनुसार न्यूनतम प्रशिक्षण अपेक्षा का अनुपालन करने में विफलता हुई थी।

(15) प्रत्येक कंपनी के मामले में जिसने टनभार कर स्कीम का विकल्प चुना है, किसी भी कर वर्ष के दौरान उसके द्वारा संचालित अर्हक पोतों के शुद्ध टनभार का 49% से अधिक हिस्सा किराए पर नहीं लिया जाएगा।

(16) किसी कर वर्ष के संबंध में उपधारा (15) में निर्दिष्ट शुद्ध टनभार का अनुपात उस कर वर्ष के दौरान शुद्ध टनभार के औसत के आधार पर परिकलित किया जाएगा।

(17) उपधारा (16) के प्रयोजनों के लिए, शुद्ध टनभार का औसत, पोत परिवहन महानिदेशक के परामर्श से, विहित रीति से गणना किया जाएगा।

(18) जहां किसी कर वर्ष के दौरान किराये पर लिए गए, यथास्थिति, पोत या नया अंतर्देशीय जलयान का शुद्ध टनभार उपधारा (15) के अधीन सीमा से अधिक हो जाता है, वहां उस कर वर्ष के संबंध में ऐसी कंपनी की कुल आय की गणना इस प्रकार की जाएगी मानो टनभार कर स्कीम का विकल्प उस कर वर्ष के लिए प्रभावी नहीं है।

(19) जहां उपधारा (15) के अधीन सीमा किन्हीं दो क्रमवर्ती कर वर्षों में पार हो गई हो, वहां टनभार कर स्कीम का विकल्प, उस दूसरे क्रमवर्ती कर वर्ष के पश्चात् आने वाले कर वर्ष के आरंभ से प्रभावी नहीं रहेगा, जिसमें सीमा पार हो गई थी।

(20) इस धारा में “भाड़े पर लिया गया” पद से अनावृत्त नौका चार्टर सह-पदांतरण निबंधनों पर कंपनी द्वारा किराए पर लिए गए, यथास्थिति पोत या अंतर्देशीय जलयान को अपवर्जित किया जाएगा।

(21) किसी टनभार कर कंपनी द्वारा टनभार कर स्कीम के लिए दिया गया विकल्प किसी कर वर्ष के संबंध में तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि ऐसी कंपनी—

(क) अर्हक पोतों के परिचालन के कारबार के संबंध में पृथक लेखा बहियां रखता है; और

(ख) धारा 63 में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख से पहले, एक लेखाकार की रिपोर्ट, विहित प्ररूप में, उस लेखाकार द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित और सत्यापित करके प्रस्तुत करता है।

(22) किसी कंपनी द्वारा किसी अर्हक पोत के प्रचालन की अस्थायी समाप्ति (स्थायी समाप्ति के विरुद्ध) को ऐसे अर्हक पोत के प्रचालन की समाप्ति नहीं माना जाएगा और कंपनी को इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए ऐसे अर्हक पोत का प्रचालन

करने वाला समझा जाएगा ।

(23) जहां कोई अर्हक कंपनी, यथास्थिति, किसी ऐसे पोत या अंतर्देशीय जलयान का प्रचालन जारी रखती है, जो अस्थायी रूप से अर्हक पोत नहीं रह जाता है, वहां ऐसे जहाज को इस अध्याय के भाग के प्रयोजनों के लिए अर्हक पोत नहीं माना जाएगा।

233. (1) जहां किसी कंपनी का किसी अन्य कंपनी या कंपनियों के साथ समामेलन हुआ है, वहां इस धारा के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, टनभार कर स्कीम से संबंधित उपबंध, जहां तक हो सके, समामेलित कंपनी को लागू होंगे, यदि वह अर्हक कंपनी है।

समामेलन और
निर्विलयन।

(2) जहां समामेलित कंपनी टनभार कर कंपनी नहीं है, वहां वह समामेलन स्कीम के अनुमोदन की तारीख से तीन मास के भीतर धारा 231(1) के अधीन टनभार स्कीम के लिए विकल्प का प्रयोग करेगी।

(3) जहां समामेलित करने वाली कंपनियां टनभार कर कंपनियां हैं, वहां इस अध्याय के भाग के उपबंध, जहां तक संभव हो, समामेलित कंपनी पर ऐसी अवधि के लिए लागू होंगे जब तक कि टनभार कर स्कीम के लिए विकल्प, जिसकी अवधि शेष सबसे लंबी है, प्रवृत्त है।

(4) जहां समामेलित करने वाली कंपनियों में से एक 1 अक्टूबर, 2004 को अर्हक कंपनी है और जिसने 1 जनवरी, 2005 से पहले टनभार कर स्कीम के लिए विकल्प का प्रयोग नहीं किया है, वहां इस अध्याय के भाग के उपबंध समामेलित कंपनी पर लागू नहीं होंगे और अर्हक पोतों के प्रचालन के कारबार से समामेलित कंपनी की आय की गणना इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अनुसार की जाएगी।

(5) जहां विभाजन की योजना में, विभाजन की गई कंपनी टनभार कर स्कीम के विकल्प की समाप्ति से पूर्व परिणामी कंपनी को अपना कारबार हस्तांतरित कर देती है, वहां इस अध्याय के भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, टनभार कर योजना, जहां तक हो, परिणामी कंपनी पर शेष अवधि के लिए लागू होगी, यदि वह अर्हक कंपनी है।

(6) यदि पृथक कंपनी अर्हक कंपनी बनी रहती है तो उसके संबंध में टनभार कर स्कीम का विकल्प टनभार कर स्कीम की शेष अवधि के लिए लागू रहेगा।

टनभार कर स्कीम
से परिवर्जन और
अपवर्जन।

234. (1) इस अध्याय के भाग के उपबंधों के अधीन रहते हुए, टनभार कर स्कीम वहां लागू नहीं होगी जहां टनभार कर कंपनी किसी ऐसे संव्यवहार या व्यवस्था में पक्षकार है जो टनभार कर स्कीम का दुरुपयोग है।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, किसी संव्यवहार या व्यवस्था को दुरुपयोग माना जाएगा, यदि ऐसे संव्यवहार या व्यवस्था में प्रवेश करने या उसके आवेदन के परिणामस्वरूप, या इस धारा के न होने पर, कर लाभ प्राप्त होने में परिणामित होता,—

(क) टनभार कर कंपनी से भिन्न कोई व्यक्ति; या

(ख) अपनी गैर-टनभार कर गतिविधियों के संबंध में एक टनभार कर कंपनी।

(3) इस धारा में, “कर लाभ” में निम्नलिखित शामिल हैं—

(क) निम्नलिखित का निर्धारण-

(i) किसी व्यय या ब्याज के लिए मोक; या

(ii) आबंटित या विभाजित कोई लागत या व्यय,

जिसका प्रभाव कर योग्य टनभार कर गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों से आय को कम करने या हानि को बढ़ाने का है, जिसकी गणना उस कर वर्ष के संबंध में लेखा पुस्तकों में की गई प्रविष्टियों के आधार पर की जाती है जिसमें संव्यवहार दर्ज किया गया था; या

(ख) ऐसा संव्यवहार या व्यवस्था जो टनभार कर कंपनी को टनभार कर गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले सामान्य लाभ से अधिक लाभ प्रदान करते हैं।

(4) जहां कोई टनभार कर कंपनी उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी संव्यवहार या ठहराव में पक्षकार है, वहां कर निर्धारण अधिकारी अवलिखित आदेश द्वारा ऐसी कंपनी को टनभार कर स्कीम से अपवर्जित बाहर कर देगा।

(5) निर्धारण अधिकारी उपधारा (4) के अधीन आदेश पारित करेगा, उसके पश्चात्,—

(क) कंपनी को नोटिस जारी करके अवसर देना जिसमें ऐसी कंपनी से यह अपेक्षा की गई हो कि वह नोटिस में निर्दिष्ट तारीख और समय पर कारण बताए कि उसे टनभार कर स्कीम से अपवर्जित क्यों न कर दिया जाए; और

(ख) प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना।

(6) इस धारा के उपबंध वहां लागू नहीं होंगे जहां कंपनी कर निर्धारण अधिकारी को यह संतुष्ट कर दे कि कारबार या ठहराव एक वास्तविक वाणिज्यिक संव्यवहार था और इस अध्याय के भाग के अधीन कर लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से नहीं किया गया था।

(7) जहां उपधारा (4) के अधीन कर निर्धारण अधिकारी द्वारा टनभार कर कंपनी को टनभार कर स्कीम से बाहर करने का आदेश पारित किया गया है, वहां टनभार कर स्कीम का विकल्प उस कर वर्ष के प्रथम दिन से लागू नहीं रहेगा जिसमें संव्यवहार या ठहराव किया गया था।

निर्वचन।

235. इस भाग के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "अनावृत्त नौक" का अर्थ है, यथास्थिति, पोत या अंतर्देशीय जलयान को एक निश्चित अवधि के लिए उन शर्तों पर किराये पर लेना जो चार्टरकर्ता को पोत का कब्जा और नियंत्रण प्रदान करती हैं, जिसमें मास्टर और चालक दल को नियुक्त करने का अधिकार भी शामिल है, अभिप्रेत है;

(ख) "अनावृत्त नौक सह-पट्टांतरण" से ऐसा अनावृत्त नौक अभिप्रेत है, जहां पोत का स्वामित्व विनिर्दिष्ट अवधि के बाद उस कंपनी को हस्तांतरित करने का आशय है, जिसे इसे किराए पर दिया गया है;

(ग) "पोत परिवहन महानिदेशक" से वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 7(1) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त पोत परिवहन महानिदेशक अभिप्रेत है;

(घ) "पोत कारखाना" में मछली उत्पादन के प्रसंस्करण के संबंध में प्रसंस्करण सेवाएं प्रदान करने वाला पोत शामिल है;

1958 का 44

(ड) "मछली पकड़ने वाले पोत " का वही अर्थ होगा जो वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 3(12) में नियत किया गया है;

2021 का 24

(च) "अंतर्देशीय जलयान" का वही अर्थ होगा जो अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 की धारा 3(थ) में समनुदेशित है ।

(छ) "क्रीड़ा यान" से एक प्रकार का पोत अभिप्रेत है जिसका प्राथमिक उपयोग खेल या मनोरंजन के लिए होता है;

(ज) "अर्हक कंपनी" से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है, यदि—

(i) यह एक भारतीय कंपनी है;

(ii) कंपनी के प्रभावी प्रबंधन का स्थान है ;

(iii) उसके पास कम से कम एक अर्हक पोत हो; और

(iv) कंपनी का मुख्य उद्देश्य पोतों संचालन का कारबार करना है,

और उपखंड (ii) के प्रयोजनों के लिए, "कंपनी के प्रभावी प्रबंधन का स्थान" से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(अ) वह स्थान जहां, यथास्थिति कंपनी का निदेशक मंडल या उसके कार्यकारी निदेशक अपने निर्णय लेते हैं; या

(आ) ऐसे मामले में जहां निदेशक मंडल कंपनी के कार्यकारी निदेशकों या अधिकारियों द्वारा किए गए वाणिज्यिक और रणनीतिक निर्णयों को नियमित रूप से अनुमोदित करता है, वह स्थान जहां कंपनी के ऐसे कार्यकारी निदेशक या अधिकारी अपने कार्य निष्पादित करते हैं;

(इ) "अर्हक पोत" से पोत से यथास्थिति ऐसा कोई पोत या 'अंतर्देशीय जलयान' अभिप्रेत है, यदि—

(i) यह पन्द्रह शुद्ध टनभार या उससे अधिक का समुद्रगामी पोत या जलयान या अंतर्देशीय जलयान है;

1958 का 44

(ii) वह पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अधीन पंजीकृत पोत है, या भारत के बाहर पंजीकृत पोत है जिसके संबंध में परिवहन पोत महानिदेशक द्वारा पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 406 या 407 के अधीन लाइसेंस जारी किया गया है; और या अंतर्राष्ट्रीय जलयान अधिनियम, 2021 के अधीन जैसी भी स्थिति हो ;

2021 का 24

(iii) यथास्थिति ऐसे पोत या अंतर्देशीय जलयान के संबंध में उसका शुद्ध टनभार दर्शाने वाला वैध प्रमाणपत्र प्रवृत्त है,

लेकिन इसमें शामिल नहीं है—

(क) एक समुद्रगामी पोत या जलयान यदि इसका उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य ऐसी वस्तुओं या सेवाओं का उपबंध है जो सामान्यतः भूमि पर उपलब्ध कराई जाती हैं;

(ख) मछली पकड़ने वाले जलयान;

(ग) कारखाना पोत;

(घ) क्रीड़ा यान;

(ड) बंदरगाह और नदी घाट;

(च) अपतटीय प्रतिष्ठापन; और

(छ) एक अर्हक पोत जो कर वर्ष के दौरान तीस दिनों से अधिक समय तक मछली पकड़ने के पोत के रूप में उपयोग किया जाता है ;

(ज) "समुद्रगामी पोत" से ऐसा पोत अभिप्रेत है, यदि उसे किसी देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो;

(ट) "टनभार आय" से इस अध्याय के भाग के उपबंधों के अनुसार गणना की गई टनभार कर कंपनी की आय अभिप्रेत है;

(ठ) "टनभार कर गतिविधियाँ" से धारा 228(3) और धारा 228(7) में निर्दिष्ट गतिविधियाँ अभिप्रेत हैं;

(ड) "टनभार कर कारबार" से धारा 228(1) में निर्दिष्ट सुसंगत पोत परिवहन आय को जन्म देने वाले अर्हक जहाजों के संचालन के कारबार से है;

(ढ) "टनभार कर कंपनी" से ऐसी अर्हक कंपनी अभिप्रेत है जिसके संबंध में टनभार कर विकल्प प्रवृत्त है;

(ण) "टनभार कर स्कीम" से इस अध्याय के भाग के उपबंधों के अधीन अर्हक पोतों के प्रचालन के कारबार के लाभ और अभिलाभ की गणना के लिए स्कीम अभिप्रेत है।

अध्याय 14

कर प्रशासन

क. प्राधिकारी, अधिकार क्षेत्र और कृत्य

आय-कर
अधिकारी ।

236. इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आय-कर प्राधिकारियों के निम्नलिखित वर्ग होंगे:-

(क) केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अधीन गठित केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड;

1963 का 54

(ख) प्रधान आय-कर महानिदेशक या प्रधान मुख्य आय-कर आयुक्त;

(ग) आय-कर महानिदेशक या मुख्य आय-कर आयुक्त;

(घ) प्रधान आय-कर निदेशक या प्रधान आय-कर आयुक्त;

(ड) आय-कर निदेशक या आय-कर आयुक्त या आय-कर आयुक्त (अपील);

(च) अपर आय-कर निदेशक या अपर आय-कर आयुक्त या अपर आय-कर आयुक्त (अपील);

(छ) संयुक्त आय-कर निदेशक या संयुक्त आय-कर आयुक्त या संयुक्त आय-कर आयुक्त (अपील);

(ज) आय-कर उपनिदेशक या आय-कर उपायुक्त;

(झ) सहायक आय-कर निदेशक या सहायक आय-कर आयुक्त;

(ञ) आय-कर अधिकारी;

(ट) कर वसूली अधिकारी; और

(ठ) आय-कर निरीक्षक।

237. (1) केन्द्रीय सरकार ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें वह ठीक समझे, आय-कर प्राधिकारी नियुक्त कर सकेगी।

आय-कर प्राधिकारियों की नियुक्ति।

(2) केन्द्रीय सरकार, लोक सेवाओं और पदों पर आसीन व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले नियमों और अपने आदेशों के अधीन रहते हुए, बोर्ड को, या प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक को, या प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त को, या प्रधान निदेशक या निदेशक को, या प्रधान आयुक्त या आयुक्त को, उप आयुक्त या सहायक आयुक्त की पंक्ति से नीचे के आय-कर प्राधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी।

(3) सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले केन्द्रीय सरकार के नियमों और आदेशों के अधीन रहते हुए, बोर्ड द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत आय-कर प्राधिकरण ऐसे कार्यकारी या अनुसचिवीय कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगा, जो उसके कार्यों के निष्पादन में सहायता के लिए आवश्यक हों।

238. बोर्ड, अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कोई आय-कर प्राधिकरण या प्राधिकरण, ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अन्य आय-कर प्राधिकरण या प्राधिकरणों के अधीनस्थ होगा।

आय-कर अधिकारियों का नियंत्रण।

239. (1) बोर्ड अन्य आय-कर प्राधिकारियों को ऐसे आदेश, अनुदेश और निदेश जारी कर सकेगा, जिन्हें वह इस अधिनियम के समुचित प्रशासन के लिए उचित समझे, और ऐसे प्राधिकारी तथा इस अधिनियम के निष्पादन में नियोजित अन्य सभी व्यक्ति ऐसे आदेशों, अनुदेशों और निदेशों का पालन करेंगे।

अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश, अनुदेश या निर्देश निम्नलिखित को जारी नहीं किए जाएंगे—

(क) किसी आय-कर प्राधिकारी को कोई विशिष्ट निर्धारण करने या किसी विशिष्ट मामले को किसी विशिष्ट रीति से निपटान करने की आवश्यकता होगी; या

(ख) संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील) के अपीलीय कृत्यों के प्रयोग में उसके विवेक में हस्तक्षेप करना।

(3) पूर्वोक्त शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड,—

(क) यदि वह राजस्व के निर्धारण और संग्रहण के कार्य के उचित और कुशल प्रबंधन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो समय-समय पर (चाहे वह भारतीय संविधान के किसी उपबंध में छूट देकर हो) धारा 263, धारा 270, धारा 271, धारा 279, धारा 280, धारा 287, धारा 288, धारा 298, धारा 398(3), धारा 406, धारा 407, धारा 408, धारा 423, धारा 424, धारा 425, धारा 427, धारा 428, धारा 439, धारा 448, धारा 449 या अन्यथा), किसी भी वर्ग की आय या अनुषंगी लाभों या मामलों के वर्ग के संबंध में सामान्य या विशेष आदेश,—

(i) राजस्व के निर्धारण या संग्रहण या शास्ति अधिरोपित करने की कार्यवाही आरंभ करने से संबंधित कार्य में अन्य आय-कर प्राधिकारियों द्वारा

अपनाए जाने वाले दिशा-निर्देशों, सिद्धांतों या प्रक्रियाओं के संबंध में निर्देश या अनुदेश (जो निर्धारितियों पर प्रतिकूल प्रभाव न डालें) निर्धारित करना; और

(ii) यदि बोर्ड की यह राय है कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है तो ऐसा कोई आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए विहित रीति से प्रकाशित और प्रसारित किया जा सकेगा;

(ख) यदि वह किसी मामले या मामलों के वर्ग में वास्तविक कठिनाई से बचने के लिए ऐसा करना वांछनीय या समीचीन समझता है, तो सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, किसी आय-कर प्राधिकारी को, जो संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील) न हो, इस अधिनियम के अधीन किसी छूट, कटौती, प्रतिदाय या अन्य किसी अनुतोष के लिए आवेदन या दावे को इस अधिनियम में ऐसा आवेदन या दावा करने के लिए विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् स्वीकार करने और विधि के अनुसार गुण-दोष के आधार पर उस पर कार्यवाही करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा;

(ग) यदि वह किसी मामले या मामलों के वर्ग में वास्तविक कठिनाई से बचने के लिए ऐसा करना वांछनीय या समीचीन समझता है, तो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाने वाले कारणों से सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, अध्याय 4 या अध्याय 8 के किसी भी उपबंध में अंतर्विष्ट किसी अपेक्षा को शिथिल कर सकेगा, जहां करदाता उसके अधीन कटौती का दावा करने के लिए ऐसे उपबंध में विनिर्दिष्ट किसी अपेक्षा का अनुपालन करने में असफल रहा है, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, अर्थात:—

(i) ऐसी अपेक्षा का अनुपालन करने में चूक, निर्धारिती के नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण हुई थी; और

(ii) निर्धारिती ने उस कर वर्ष के संबंध में कर निर्धारण पूरा होने से पहले ऐसी आवश्यकता का अनुपालन किया है जिसमें ऐसी कटौती का दावा किया गया है।

(4) केन्द्रीय सरकार उपधारा (3)(ग) के अधीन जारी प्रत्येक आदेश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

240. बोर्ड करदाताओं के चार्टर को अपनाएगा और घोषित करेगा और अन्य आय-कर प्राधिकारियों को ऐसे आदेश, अनुदेश, निदेश या दिशा-निर्देश जारी करेगा, जिन्हें वह ऐसे चार्टर के प्रशासन के लिए उपयुक्त समझे।

करदाता
चार्टर । का

241. (1) आय-कर प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारियों को प्रदत्त या समनुदेशित गए सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेंगे और सभी या किन्हीं कार्यों का पालन करेंगे, जैसा कि बोर्ड उन सभी या किन्हीं प्राधिकारियों द्वारा शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों के पालन के लिए जारी किए गए निदेशों के अनुसार करेगा।

आय-कर
प्राधिकारियों
क्षेत्राधिकार । का

(2) कोई आय-कर प्राधिकारी, जो उच्चतर रैंक का प्राधिकारी है, यदि बोर्ड द्वारा ऐसा निदेश दिया जाए तो निम्नतर रैंक के आय-कर प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन कर सकेगा और बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऐसा कोई निदेश

उपधारा (1) के अधीन जारी किया गया निदेश समझा जाएगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन बोर्ड के निदेश किसी अन्य आय-कर प्राधिकारी को उसके अधीनस्थ सभी या किन्हीं अन्य आय-कर प्राधिकारियों द्वारा शक्तियों के प्रयोग और कार्यों के निष्पादन के लिए अवलिखित में आदेश जारी करने के लिए प्राधिकृत कर सकेंगे।

(4) उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) में निर्दिष्ट निर्देश या आदेश जारी करते समय, बोर्ड या उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य आय-कर प्राधिकारी निम्नलिखित मानदंडों में से किसी एक या अधिक को ध्यान में रख सकेगा:—

- (क) प्रादेशिक क्षेत्र;
- (ख) व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग;
- (ग) आय या आय के वर्ग; और
- (घ) मामले या मामलों के वर्ग।

(5) उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, उनमें विनिर्दिष्ट ऐसी शर्तों, प्रतिबंधों या सीमाओं के अधीन रहते हुए,—

(क) किसी प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक या प्रधान निदेशक या निदेशक को किसी अन्य आय-कर प्राधिकरण के ऐसे कृत्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा, जो बोर्ड द्वारा उसे समनुदेशित जाएं;

(ख) प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक या प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त को अवलिखित में आदेश जारी करने के लिए सशक्त करना कि किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र, या व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्गों या आय या आय के वर्गों, या मामलों या मामलों के वर्गों के संबंध में इस अधिनियम के अधीन निर्धारण अधिकारी को समनुदेशित गई शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग या निष्पादन अतिरिक्त आयुक्त या अतिरिक्त निदेशक या संयुक्त आयुक्त या संयुक्त निदेशक द्वारा किया जाएगा।

(6) जहां उपधारा (5)(ख) के अधीन कोई आदेश किया जाता है, वहां इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम में, कर निर्धारण अधिकारी के प्रति निर्देश, ऐसे अपर आयुक्त या अपर निदेशक या संयुक्त आयुक्त या संयुक्त निदेशक के प्रति निर्देश माने जाएंगे जिनके द्वारा ऐसे आदेश के अधीन शक्तियों का प्रयोग या कार्य किए जाने हैं और इस अधिनियम का कोई उपबंध, जिसके लिए संयुक्त आयुक्त का अनुमोदन या मंजूरी अपेक्षित है, लागू नहीं होगा।

(7) उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) में निर्दिष्ट निदेश और आदेश, जहां कहीं कार्य के उचित प्रबंधन के लिए आवश्यक या उचित समझा जाए, दो या अधिक मूल्यांकन अधिकारियों से (चाहे एक ही वर्ग के हों या नहीं) किसी क्षेत्र, या व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्गों, या आय या आय के वर्गों, या मामलों या मामलों के वर्गों के संबंध में शक्तियों और कृत्यों का एक साथ प्रयोग और पालन करने की अपेक्षा कर सकेंगे, और—

- (क) जहां ऐसी शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग और निष्पादन विभिन्न वर्गों

के कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा एक साथ किया जाता है, वहां उनमें से निम्नतर पंक्ति का कोई प्राधिकारी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निष्पादन करेगा जैसा कि उनमें से कोई उच्चतर प्राधिकारी निदेश दे; और

(ख) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम में निर्धारण अधिकारी के प्रति निर्देश ऐसे उच्चतर प्राधिकारी के प्रति निर्देश माने जाएंगे और इस अधिनियम का कोई उपबंध जिसके लिए ऐसे किसी प्राधिकारी का अनुमोदन या मंजूरी अपेक्षित है, लागू नहीं होगा।

(8) इस धारा या धारा 242 के अधीन जारी कोई निदेश या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात पर विचार किए बिना, बोर्ड अधिसूचना द्वारा, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग द्वारा इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन आय-कर विवरणी प्रस्तुत करने या कोई अन्य कार्य या बात करने के प्रयोजनों के लिए कोई निदेश जारी कर सकेगा।

(9) उपधारा (8) में निर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग के संबंध में शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग और पालन करने वाला आय-कर प्राधिकारी ऐसा प्राधिकारी होगा जैसा उस उपधारा के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया गया है।

मूल्यांकन
अधिकारियों का
क्षेत्राधिकार ।

242. (1) जहां किसी कर निर्धारण अधिकारी को धारा 241(1) या (2) या (3) के अधीन जारी किसी निदेश या आदेश के आधार पर किसी क्षेत्र पर अधिकारिता प्रदान की गई है, वहां उसे ऐसे क्षेत्र की सीमाओं के भीतर अधिकारिता होगी,—

(क) किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में जो कोई कारबार या वृत्ति करता है, यदि वह स्थान जहां वह अपना कारबार या वृत्ति करता है, उस क्षेत्र के भीतर स्थित है, या जहां उसका कारबार या वृत्ति एक से अधिक स्थानों पर किया जाता है, यदि उसके कारबार या वृत्ति का मुख्य स्थान उस क्षेत्र के भीतर स्थित है; और

(ख) क्षेत्र में रहने वाले किसी अन्य व्यक्ति के संबंध में।

(2) जहां इस धारा के अधीन यह प्रश्न उठता है कि क्या निर्धारण अधिकारी को किसी व्यक्ति का निर्धारण करने का अधिकार है, वहां प्रश्न का निर्धारण विनिर्दिष्ट आय-कर प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(3) जहां इस धारा के अधीन विभिन्न विनिर्दिष्ट आय-कर प्राधिकारियों के अधिकार क्षेत्र के भीतर के क्षेत्रों से संबंधित कोई प्रश्न उठता है, वहां प्रश्न का निर्धारण निम्नलिखित द्वारा किया जाएगा—

(क) संबंधित विनिर्दिष्ट आय-कर प्राधिकरण द्वारा, या

(ख) इस निमित्त बोर्ड द्वारा या ऐसे विनिर्दिष्ट आय-कर प्राधिकारी द्वारा, जिसे बोर्ड अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(4) कोई भी व्यक्ति किसी कर निर्धारण अधिकारी के अधिकार क्षेत्र पर प्रश्न नहीं उठाएगा,—

(क) जहां उसने धारा 263 (1) के अधीन विवरणी फाइल दी है, वहां उस तारीख से एक महीने की समाप्ति के पश्चात्, जिसको उसे धारा 266(1) या 270(8) के अधीन नोटिस दिया गया था या निर्धारण पूरा होने के बाद, जो भी पहले हो;

(ख) जहां उसने ऐसी कोई विवरणी नहीं दी है, वहां रिटर्न बनाने के लिए धारा 268(1) या 280 के तहत नोटिस द्वारा या धारा 271(2) के अधीन नोटिस द्वारा कारण बताने के लिए दी गई समय सीमा की समाप्ति के पश्चात् कि निर्धारण अधिकारी के सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार निर्धारण क्यों न पूरा किया जाए, जो भी पहले हो;

(ग) जहां धारा 247 या धारा 248 के अधीन कार्रवाई की गई है, वहां धारा 294(1)(क) के अधीन नोटिस तामील किए जाने की तारीख से एक महीने की समाप्ति के पश्चात् या निर्धारण पूरा होने के बाद, जो भी पहले हो।

(5) उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां कोई निर्धारिती कर निर्धारण अधिकारी के अधिकार क्षेत्र पर प्रश्न उठाता है, वहां कर निर्धारण अधिकारी, यदि दावे की सत्यता से संतुष्ट नहीं है, तो कर निर्धारण किए जाने से पूर्व मामले को उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन निर्धारण के लिए निर्देशित करेगा।

(6) इस धारा में या धारा 241 के अधीन जारी किसी निदेश या आदेश में निहित किसी बात पर ध्यान दिए बिना, प्रत्येक कर निर्धारण अधिकारी के पास इस अधिनियम के अधीन कर निर्धारण अधिकारी को उस क्षेत्र में प्रोद्भूत, उत्पन्न या प्राप्त होने वाली आय के संबंध में सभी शक्तियां होंगी, यदि कोई हो, जिस पर धारा 241(1) या (2) या (3) के अधीन जारी निदेशों या आदेशों के आधार पर उसे अधिकारिता प्रदान की गई है।

243. (1) विनिर्दिष्ट आय-कर प्राधिकारी अपने अधीनस्थ एक या अधिक कर निर्धारण अधिकारियों से (चाहे समवर्ती क्षेत्राधिकार सहित हो या रहित) कोई मामला अपने अधीनस्थ किसी अन्य कर निर्धारण अधिकारी या कर निर्धारण अधिकारियों को (चाहे समवर्ती क्षेत्राधिकार सहित हो या रहित) अंतरित कर सकता है।

मामलों को
अंतरित करने की
शक्ति ।

(2) यदि निर्धारण अधिकारी या निर्धारण अधिकारी, जिनसे मामला अंतरित किया जाना है और निर्धारण अधिकारी या निर्धारण अधिकारी, जिन्हें मामला अंतरित किया जाना है, एक ही विनिर्दिष्ट आय-कर प्राधिकारी के अधीनस्थ नहीं हैं और संबंधित विनिर्दिष्ट आय-कर प्राधिकारी—

(क) सहमत हैं, तो विनिर्दिष्ट आय-कर प्राधिकारी, जिसके अधिकार क्षेत्र से मामला अंतरित किया जाना है, आदेश पारित कर सकता है;

(ख) सहमत नहीं हैं, तो मामले को अंतरित करने का आदेश बोर्ड या किसी ऐसे निर्दिष्ट आय-कर प्राधिकरण द्वारा पारित किया जा सकता है, जिसे बोर्ड अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2)(क) के अधीन अंतरण का आदेश, निर्धारिती को सुनवाई का उचित अवसर देने और उसके कारणों को अभिलेखबद्ध करने के पश्चात्, निर्दिष्ट आय-कर प्राधिकारी द्वारा पारित किया जा सकेगा।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) की कोई बात सुनवाई का अवसर दिए जाने की आवश्यकता नहीं समझी जाएगी, जहां अंतरण किसी कर निर्धारण अधिकारी या कर निर्धारण अधिकारियों (चाहे समवर्ती क्षेत्राधिकार सहित हो या रहित) से किसी अन्य कर निर्धारण अधिकारी या कर निर्धारण अधिकारियों (चाहे समवर्ती क्षेत्राधिकार सहित हो या रहित) को हो और ऐसे सभी अधिकारियों के कार्यालय एक ही

शहर, इलाके या स्थान में स्थित हों।

(5) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी मामले का अंतरण कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर किया जा सकेगा और उस कर निर्धारण अधिकारी या कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा, जिनसे मामला अंतरित किया गया है, पहले से जारी किसी नोटिस को पुनः जारी करना आवश्यक नहीं होगा।

(6) धारा 241 और इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “मामला” से किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में जिसका नाम इसके अधीन जारी किसी गए किसी आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट है, उस अधिनियम के अधीन किसी वर्ष की बाबत सभी कार्यवाहियां अभिप्रेत हैं, जो ऐसे आदेश या निदेश की तारीख को लंबित हो या जो ऐसी तारीख को या उससे पूर्व पूरी हो गई हों, और इसके अंतर्गत इस अधिनियम के अधीन सभी कार्यवाहियां भी हैं जो किसी वर्ष की बाबत ऐसे आदेश या निदेश की तारीख के पश्चात् प्रारंभ की जा सकती हैं।

(7) धारा 241, धारा 242 और इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “विनिर्दिष्ट आय-कर प्राधिकारी” से प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक या प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त अभिप्रेत है।

किसी कार्यालय के
पदधारी का
परिवर्तन।

244. (1) जब कभी इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के संबंध में कोई आय-कर प्राधिकारी अधिकारिता का प्रयोग करना बंद कर देता है और उसके स्थान पर कोई अन्य प्राधिकारी आ जाता है, जिसके पास अधिकारिता है और वह अधिकारिता का प्रयोग करता है, तो इस प्रकार उत्तराधिकारी आय-कर प्राधिकारी कार्यवाही को उस प्रक्रम से जारी रख सकेगा, जिस प्रक्रम पर उसके पूर्ववर्ती द्वारा कार्यवाही छोड़ी गई थी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कार्यवाही जारी रखने के पूर्व, संबंधित करदाता यह मांग कर सकेगा कि—

(क) पिछली कार्यवाही या उसका कोई भाग पुनः खोला जाए; या

(ख) उसके विरुद्ध कोई भी कर निर्धारण आदेश पारित करने से पहले उसकी पुनः सुनवाई की जाए।

245. (1) केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए, अधिसूचना द्वारा स्कीम बना सकेगी:—

आय-कर
प्राधिकारियों का
पहचान विहीन
क्षेत्राधिकार।

(क) धारा 241 में निर्दिष्ट इस अधिनियम के अधीन आय-कर प्राधिकारियों को प्रदत्त या उनको समनुदेशित किए गए सभी या कोई शक्तियां और सभी या किसी कृत्य का पालन; या

(ख) धारा 242 के अधीन कर निर्धारण अधिकारी को अधिकारिता निहित करना; या

(ग) धारा 243 के अधीन मामलों को स्थानांतरित करने की शक्ति का पालन; या

(घ) धारा 244 के अधीन पद भार परिवर्तन की स्थिति में अधिकारिता का प्रयोग।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट स्कीम का निम्नलिखित के माध्यम से अधिक

दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही प्रदान करने के लिए बनाई जाएगी—

(क) आय-कर प्राधिकरण और निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति के बीच इंटरफेस को समाप्त करना, जहां तक तकनीकी रूप से संभव हो;

(ख) पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं और कार्यात्मक विशेषज्ञता के माध्यम से संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करना;

(ग) गतिशील क्षेत्राधिकार वाले किसी क्षेत्र, या व्यक्ति या व्यक्ति वर्गों, या आय या आय वर्गों, या मामलों या मामलों के वर्गों के संबंध में, दो या अधिक आय-कर प्राधिकारियों द्वारा एक साथ शक्तियों का टीम आधारित प्रयोग और कार्यों का निष्पादन प्रारंभ करना ।

(3) केन्द्रीय सरकार उपधारा (1) के अधीन बनाई गई स्कीम को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम का कोई उपबंध लागू नहीं होगा या ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों के साथ लागू होगा, जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं।

(4) उपधारा (1) और उपधारा (3) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

ख- शक्तियां

246. (1) धारा 275(17)(क) में निर्दिष्ट निर्धारण अधिकारी या संयुक्त आयुक्त या संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील) या आयुक्त या प्रधान आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान मुख्य आयुक्त और विवाद समाधान पैनल को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए वही शक्तियां प्राप्त होंगी, जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में किसी मामले की सुनवाई करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी न्यायालय में निहित हैं :—

(क) खोज और निरीक्षण;

(ख) किसी व्यक्ति को, जिसके अधीन बैंककारी कंपनी का कोई अधिकारी भी है, उपस्थित कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ग) लेखा पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना; और

(घ) कमीशन जारी करना ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग के संबंध में निम्नलिखित आय-कर प्राधिकारियों द्वारा भी किया जा सकेगा, (भले ही ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग के संबंध में उनके या किसी अन्य आय-कर प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाही लंबित न हो) :—

(क) धारा 159 में निर्दिष्ट किसी करार के संबंध में कोई जांच या अन्वेषण करने के प्रयोजनार्थ इस निमित्त बोर्ड द्वारा अधिसूचित कोई आय-कर प्राधिकारी (जो सहायक आय-कर आयुक्त के पंक्ति से नीचे का न हो);

(ख) प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक या प्रधान निदेशक या निदेशक या संयुक्त निदेशक या सहायक निदेशक को कोई जांच या अन्वेषण करने के प्रयोजनों

खोज, साक्ष्य प्रस्तुत करने आदि से संबंधित शक्ति।

के लिए, यदि उसके पास संदेह करने का कारण है कि उसकी अधिकारिकता के भीतर ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग द्वारा कोई आय इस प्रकार छिपाई गई है या छिपाई जाने की संभावना है; और

(ग) धारा 247(1) में निर्दिष्ट प्रधिकृत अधिकारी, धारा 247(1)(i) से धारा 247(1)(vii) के अधीन कार्रवाई करने से पूर्व, या ऐसी कार्रवाई के दौरान, यदि उसके पास संदेह करने का कारण है कि उसकी अधिकारिकता के भीतर ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग द्वारा कोई आय छिपाई गई है या छिपाई जाने की संभावना है।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) में निर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई आय-कर प्राधिकारी, इस निमित्त बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में उसके समक्ष प्रस्तुत की गई किसी लेखा बही या अन्य दस्तावेज को जितनी वह उचित समझे, परिबद्ध कर सकेगा और अपनी अभिरक्षा में रखा सकेगा।

(4) निर्धारण अधिकारी या सहायक निदेशक उपधारा (3) के अधीन किसी लेखा बही या अन्य दस्तावेज को परिबद्ध करने के कारणों को अभिलिखित करेगा और ऐसी परिबद्ध की गई लेखा बही या अन्य दस्तावेज को अनुमोदन प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी से पंद्रह दिन तक (छुट्टियों को छोड़कर) या ऐसी अतिरिक्त अवधि के लिए अपने पास रख सकेगा।

तलाशी और
अभियोग ।

247. (1) जहां सक्षम प्राधिकारी के पास, उपलब्ध सूचना के परिणामस्वरूप, यह विश्वास करने का कारण है कि—

(क) कोई व्यक्ति जिसे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 131(1) के अधीन समन या धारा 142(1) के अधीन नोटिस या इस अधिनियम की धारा 246(1) के अधीन समन या धारा 268(1) के अधीन नोटिस जारी किया गया है,—

1961 का 43

(i) किसी लेखा बही या अन्य दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रूप में या कंप्यूटर प्रणाली पर कोई सूचना प्रस्तुत करने या प्रस्तुत करवाने के लिए जारी किया गया था, ऐसे समन या नोटिस द्वारा अपेक्षित लेखा बही या अन्य दस्तावेज या सूचना प्रस्तुत करने में चूक गया है या प्रस्तुत करवाने में असफल रहा है; या

(ii) कोई लेखा बही या अन्य दस्तावेज जारी किया गया है या जारी किया जा सकेगा या इलेक्ट्रॉनिक रूप में या कंप्यूटर प्रणाली पर कोई सूचना प्रस्तुत नहीं करेगा या प्रस्तुत नहीं करवाएगा जो आयकर अधिनियम, 1961 या इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के लिए उपयोगी या प्रासंगिक होगी; या

1961 का 43

(ख) किसी व्यक्ति के पास कोई अस्ति या किसी अस्ति के संबंध में जानकारी है और ऐसी अस्ति पूर्णतः या आंशिक रूप से ऐसी आय या संपत्ति है, जिसका आयकर अधिनियम, 1961 या काला धन (अघोषित विदेशी आय और अस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 या इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रकट नहीं किया गया है या नहीं किया जाएगा (जिसे इसमें इस धारा में

1961 का 43

2015 का 22

इसके पश्चात् अप्रकट आय या संपत्ति कहा गया है),

तो अनुमोदन प्राधिकारी किसी संयुक्त निदेशक या संयुक्त आयुक्त या सहायक निदेशक या सहायक आयुक्त या आयकर अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा, या इस प्रकार प्राधिकृत कोई संयुक्त निदेशक या संयुक्त आयुक्त किसी सहायक निदेशक या सहायक आयुक्त या आयकर अधिकारी को (सभी मामलों में इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी को इसके पश्चात् प्राधिकृत अधिकारी कहा जाएगा) प्राधिकृत कर सकेगा—

(i) किसी भवन, स्थान, जलयान, वाहन, वायुयान में प्रवेश करना और उसकी तलाशी लेना, जहां उसके पास संदेह करने का कारण हो कि ऐसी आस्तियां, लेखा बहियां या अन्य दस्तावेज, या इलेक्ट्रॉनिक रूप में या कंप्यूटर प्रणाली पर ऐसी सूचना रखी गई है;

(ii) किसी व्यक्ति से, जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के रूप में रखी गई कोई लेखा बही या अन्य दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रूप में या कंप्यूटर प्रणाली पर कोई सूचना पाई जाती है, प्राधिकृत अधिकारी को ऐसी उचित तकनीकी और अन्य सहायता (एक्सेस कोड सहित, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए) उपलब्ध कराने की अपेक्षा करना, जो प्राधिकृत अधिकारी को ऐसी लेखा बही या अन्य दस्तावेज या ऐसी सूचना का निरीक्षण करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो;

(iii) किसी दरवाजों, संदूक, लॉकर, तिजोरी या अलमारी या अन्य पात्र का ताला तोड़ना या खंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए किसी कंप्यूटर प्रणाली के एक्सेस कोड को ओवरराइड करना, जहां उसकी चाबियां हैं, या ऐसे भवन, स्थान आदि तक पहुंच या ऐसे कंप्यूटर सिस्टम तक एक्सेस कोड, जैसा भी मामला हो, उपलब्ध नहीं है;

(iv) किसी ऐसे व्यक्ति की तलाशी लेना जो भवन, स्थान, जलयान, वाहन या वायुयान से बाहर निकल चुका है, या उसमें प्रवेश करने वाला है, या उसमें है, यदि प्राधिकृत अधिकारी के पास यह संदेह करने का कारण है कि ऐसे व्यक्ति ने अपने बारे में कोई लेखा बही, अन्य दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक रूप में कोई सूचना, या कोई कंप्यूटर प्रणाली या आस्ति छिपा रखी है;

(v) किसी लेखा बही या अन्य दस्तावेजों पर पहचान चिह्न लगाना या उनसे और कंप्यूटर प्रणाली से उद्धरण या प्रतिलिपियां बनाना या बनवाना ;

(vi) ऐसी तलाशी के परिणामस्वरूप पाई गई किसी भी ऐसी आस्ति और कारबार के स्टॉक-इन-ट्रेड का नोट या सूची तैयार करना ।

(vii) ऐसी तलाशी के परिणामस्वरूप पाई गई किसी भी लेखा बही, अन्य दस्तावेज, कंप्यूटर प्रणाली या आस्ति (कारबार के व्यवसाय स्टॉक के अतिरिक्त) को जब्त करना;

(2) यदि उपधारा (1)(i) में निर्दिष्ट कोई भवन, स्थान, जलयान, वाहन या वायुयान किसी प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त के अधिकार क्षेत्र के भीतर है, किन्तु ऐसे आयकर प्राधिकारी का उपधारा (1)(क) या (ख) में निर्दिष्ट व्यक्ति पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, तो इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि उसकी कोई अधिकारिता नहीं है, ऐसे आयकर प्राधिकारी के लिए उपधारा (1) के

अधीन शक्तियों का प्रयोग करना सक्षम होगा, जहां उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसे व्यक्ति पर अधिकारिता रखने वाले प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त से प्राधिकरण प्राप्त करने में कोई विलंब राजस्व के हितों के प्रतिकूल हो सकता है।

(3) यदि किसी प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त को, उसके कब्जे में विद्यमान सूचना के परिणामस्वरूप, यह संदेह करने का कारण है कि कोई लेखा बही, अन्य दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रूप में या कंप्यूटर प्रणाली पर कोई सूचना या आस्ति जिसके संबंध में किसी अधिकारी को उपधारा (1)(i) से (vii) के अधीन कार्रवाई करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया गया है, किसी भवन, स्थान, जलयान, वाहन या वायुयान में रखी है जिसका उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण में उल्लेख नहीं है, तो ऐसा प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त, धारा 241 में किसी बात पर ध्यान दिए बिना, उक्त अधिकारी को ऐसे भवन, स्थान, जलयान, वाहन या वायुयान के संबंध में उपधारा (1)(i) से (vii) के अधीन कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

(4) (क) (i) प्राधिकृत अधिकारी, स्वामी या उस व्यक्ति को, जो कारबार के व्यवसाय स्टॉक के अतिरिक्त किसी मूल्यवान वस्तु या चीज के तत्काल कब्जे या नियंत्रण में है, आदेश दे सकता है कि वह उसे ऐसे प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना न हटाए, न अलग करे या अन्यथा उसके साथ व्यवहार न करे, जहां ऐसी मूल्यवान वस्तु या चीज का भौतिक कब्जा लेना और उसके आयतन, वजन या अन्य भौतिक विशेषताओं के कारण या उसके खतरनाक प्रकृति का होने के कारण उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाना संभव या व्यावहारिक न हो; और

(ii) प्राधिकृत अधिकारी की ऐसी कार्रवाई उपधारा (1)(vii) के अधीन ऐसी मूल्यवान वस्तु या चीज की अभिग्रहीत समझी जाएगी;

(ख) (i) प्राधिकृत अधिकारी, जहां खंड (क) के अधीन उल्लिखित कारणों के अतिरिक्त अन्य कारणों से किसी लेखा बही, अन्य दस्तावेज, आस्ति, बैंक लॉकर, बैंक लेखा या कंप्यूटर प्रणाली को अभिग्रहीत करना व्यावहारिक नहीं है, वहां स्वामी या उस व्यक्ति को, जो उसके तत्काल कब्जे या नियंत्रण में है, आदेश दे सकता है कि वह ऐसे अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना उसे न हटाए, न छोड़े या अन्यथा उसके साथ व्यवहार न करे और ऐसा प्राधिकृत अधिकारी इस खंड के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम भी उठा सकता है;

(ii) ऐसा आदेश, आदेश की तारीख से साठ दिन से अधिक अवधि तक लागू नहीं रहेगा; और

(iii) उपधारा (1)(vii) के अधीन ऐसी लेखा बही, अन्य दस्तावेज, आस्ति, बैंक लॉकर, बैंक लेखा या कंप्यूटर प्रणाली की अभिग्रहीत नहीं माना जाएगा।

(5) प्राधिकृत अधिकारी निम्नलिखित की सेवाएं मांग सकेगा,—

(क) कोई पुलिस अधिकारी या केन्द्रीय सरकार का कोई अधिकारी, या दोनों का; या

(ख) कोई व्यक्ति या संस्था जिसे प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त

या प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा इस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अनुमोदित किया जा सकता है,

उपधारा (1) और (3) में विनिर्दिष्ट सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए उसकी सहायता करना और ऐसे प्रत्येक अधिकारी या व्यक्ति या इकाई का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी अपेक्षा का अनुपालन करे।

(6) प्राधिकृत अधिकारी, किसी तलाशी या अभिग्रहण के दौरान, शपथ पर किसी ऐसे व्यक्ति की परीक्षा कर सकता है, जिसके पास कोई लेखा बही या अन्य दस्तावेज या आस्ति या इलेक्ट्रॉनिक रूप में या कंप्यूटर प्रणाली पर कोई सूचना या ऐसी कंप्यूटर प्रणाली तक पहुंच या नियंत्रण पाया जाता है या कोई अन्य व्यक्ति जो परिसर में मौजूद है या जिसकी तलाशी ली जा रही है, और—

1961 का 43 (क) ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसी परीक्षा के दौरान दिया गया कोई कथन तत्पश्चात् आयकर अधिनियम, 1961 या इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकेगा; और

1961 का 43 (ख) ऐसे किसी व्यक्ति की परीक्षा केवल किसी लेखा बही या अन्य दस्तावेज, या इलेक्ट्रॉनिक रूप में या कंप्यूटर प्रणाली पर किसी सूचना, या तलाशी के परिणामस्वरूप प्राप्त आस्तियों के संबंध में ही नहीं होगी, बल्कि आयकर अधिनियम, 1961 या इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही से संबंधित किसी अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए सुसंगत सभी मामलों के संबंध में भी होगी।

(7) जहां किसी व्यक्ति के पास कोई लेखा बहियां या अन्य दस्तावेज या आस्ति या इलेक्ट्रॉनिक रूप में या कंप्यूटर प्रणाली पर कोई जानकारी या तलाशी के दौरान ऐसी कंप्यूटर प्रणाली तक पहुंच या कब्जा पाया जाता है, तो यह माना जा सकता है कि—

(क) कि ऐसी लेखा बहियां या अन्य दस्तावेज, या ऐसी जानकारी या आस्ति या कंप्यूटर प्रणाली ऐसे व्यक्ति से संबंधित है या उससे संबंधित है;

(ख) ऐसी लेखा बही या अन्य दस्तावेजों या ऐसी सूचना या कंप्यूटर प्रणाली की विषय-वस्तु सत्य है;

(ग) कि ऐसी लेखा बहियां या अन्य दस्तावेजों के हस्ताक्षर और प्रत्येक अन्य भाग, जो किसी विशिष्ट व्यक्ति के हस्तलेख में होने का दावा करते हैं या जिनके बारे में युक्तिसंगत रूप से यह माना जा सकता है कि वे किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित हैं या उसके हस्तलेख में हैं, उस व्यक्ति के हस्तलेख में हैं;

(घ) स्टाम्पित, निष्पादित या अनुप्रमाणित ऐसे दस्तावेज की दशा में, कि वह उस व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से स्टाम्पित और निष्पादित या अनुप्रमाणित किया गया था जिसके द्वारा वह इस प्रकार निष्पादित या अनुप्रमाणित किया जाना तात्पर्यित है; और

(ङ) कि ऐसी सूचना का इलेक्ट्रॉनिक रूप में, या ऐसे कंप्यूटर सिस्टम पर, जिसका किसी पक्षकार के बीच आदान-प्रदान होना प्रकल्पित है, उसके पक्षकारों के बीच आदान-प्रदान किया जाता है।

(8) प्राधिकृत अधिकारी अवलिखित आदेश द्वारा, तलाशी या अभिग्रहण के दौरान

या तलाशी के लिए अंतिम प्राधिकरण के निष्पादन की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर करदाता की किसी संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क कर सकेगा और ऐसी अनंतिम कुर्की—

(क) यदि प्राधिकृत अधिकारी को अवलिखित में कारण दर्ज करने के पश्चात् यह समाधान हो जाए कि राजस्व के हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक या प्रधान निदेशक या निदेशक के पूर्व अनुमोदन से ऐसा किया जाएगा; और

(ख) उस माह के अंत से छह माह के लिए विधिमान्य होगा जिसमें अनंतिम कुर्की का आदेश किया जाता है, और धारा 413 में निर्दिष्ट नियम यथावश्यक परिवर्तनों सहित ऐसी अनंतिम कुर्की पर लागू होंगे।

(9) प्राधिकृत अधिकारी, तलाशी या अभिग्रहण के दौरान, या उस तारीख से साठ दिन के भीतर, जिसको तलाशी के लिए अंतिम प्राधिकरण निष्पादित किया गया था, मूल्यांकन अधिकारी, या धारा 514 के अधीन मूल्यांकक के रूप में पंजीकृत किसी व्यक्ति, या किसी लागू विधि के अधीन या उसके द्वारा पंजीकृत किसी व्यक्ति या संस्था को, जैसा कि प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है, इस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, उससे अपेक्षा करते हुए संदर्भ दे सकता है—

(क) निर्धारित तरीके से संपत्ति के उचित बाजार मूल्य का अनुमान लगाना; और

(ख) ऐसे संदर्भ की प्राप्ति की तारीख से साठ दिनों के भीतर प्राधिकृत अधिकारी या मूल्यांकन अधिकारी को अनुमान की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(10) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के उपबंध, जहां तक हो सके, इस धारा के अधीन तलाशी और अभिग्रहण पर लागू होंगे।

2023 का 46

(11) बोर्ड इस धारा के अधीन किसी तलाशी या अभिग्रहण संबंध में नियम बना सकेगा, जिसमें प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का उपबंध करना भी शामिल होगा—

(क) किसी भवन, स्थान, जलयान, वाहन या वायुयान में प्रवेश हेतु तलाशी लेना, जहां मुक्त प्रवेश उपलब्ध न हो; और

(ख) किसी भी लेखा बही या अन्य दस्तावेज या आस्ति या इलेक्ट्रॉनिक रूप में या कंप्यूटर प्रणाली पर किसी भी जानकारी या अभिग्रहीत की गई कंप्यूटर प्रणाली की सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करने के लिए।

(12) इस धारा में, "कार्यवाही" शब्द का तात्पर्य किसी वर्ष के संबंध में, चाहे वह आयकर अधिनियम, 1961 या इस अधिनियम के अधीन हो, कोई कार्यवाही से है, जो उस तारीख को लंबित हो, जिसको इस धारा के अधीन तलाशी प्राधिकृत की गई है या जो ऐसी तारीख को या उससे पूर्व पूरी हो गई हो और इसके अंतर्गत इस अधिनियम के अधीन सभी कार्यवाहियां भी हैं, जो किसी वर्ष के संबंध में ऐसी तारीख के पश्चात् प्रारंभ की जा सकती हैं।

1961 का 43

248. (1) जहां अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी के पास, उपलब्ध सूचना के

अभिग्रहण की शक्तियां।

परिणामस्वरूप, यह विश्वास करने का कारण है कि—

1961 का 43

(क) कोई व्यक्ति जिसे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 131(1) के अधीन समन या धारा 142(1) के अधीन नोटिस या धारा 246(1) के अधीन समन, या इस अधिनियम की धारा 268(1) के तहत नोटिस जारी किया गया था, ताकि वह लेखा बही या अन्य दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रूप में या कंप्यूटर सिस्टम पर कोई जानकारी पेश कर सके या पेश करवा सके, उसने ऐसी लेखा बही या अन्य दस्तावेज या ऐसी जानकारी, जो ऐसे समन या नोटिस द्वारा अपेक्षित हो, पेश करने या पेश करवाने में चूक की है या असफल रहा है और उक्त लेखा बही या अन्य दस्तावेज या उक्त जानकारी वाली कोई कंप्यूटर प्रणाली, किसी अन्य विधि के अधीन किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा अभिरक्षा में ले ली गई है; या

1961 का 43

(ख) कोई लेखा बही या अन्य दस्तावेज, या इलेक्ट्रॉनिक रूप में या कंप्यूटर प्रणाली पर कोई जानकारी आयकर अधिनियम, 1961 या इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के लिए उपयोगी या सुसंगत होगी और कोई व्यक्ति जिसे पूर्वोक्त समन या नोटिस जारी किया गया है या जारी किया जा सकता है, ऐसी लेखा बही या अन्य दस्तावेज, या ऐसी लेखा बही या अन्य दस्तावेज या ऐसी जानकारी युक्त कंप्यूटर प्रणाली को किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा वापस करने पर प्रस्तुत नहीं करेगा या प्रस्तुत नहीं करवाएगा, जिसके द्वारा या जिसके द्वारा ऐसी लेखा बही या अन्य दस्तावेज या उक्त जानकारी युक्त कंप्यूटर प्रणाली को किसी अन्य विधि के अधीन अभिरक्षा में लिया गया है, जो उस समय लागू है; या

1961 का 43

(ग) कोई आस्ति पूर्णतः या अंशतः ऐसी आय या संपत्ति है जिसका प्रकटन आयकर अधिनियम, 1961 या इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया है या नहीं किया गया होता जिसके कब्जे या नियंत्रण से ऐसी आस्तियां किसी अन्य विधि के अधीन किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा अभिरक्षा में ले ली गई हैं,

तो, अनुमोदन प्राधिकारी किसी संयुक्त निदेशक या संयुक्त आयुक्त या सहायक निदेशक या सहायक आयुक्त या आयकर अधिकारी (जिसे इस धारा में और धारा 489(2) में इसके पश्चात् अध्यक्षता अधिकारी कहा गया है) को खंड (क) या (ख) या (ग) में निर्दिष्ट अधिकारी या प्राधिकारी से ऐसी आस्तियां या लेखा बहियां या अन्य दस्तावेज या ऐसी सूचना वाली कंप्यूटर प्रणाली अध्यक्षता अधिकारी को सौंपने की अपेक्षा करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिग्रहण किए जाने पर, उस उपधारा के खंड (क) या (ख) या (ग) में निर्दिष्ट अधिकारी या प्राधिकारी ऐसी आस्तियां या लेखा बहियां या अन्य दस्तावेज या ऐसी सूचना वाली कंप्यूटर प्रणाली अधिग्रहणकर्ता अधिकारी को या तो तुरन्त या जब ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी की यह राय हो कि उसे उसकी अभिरक्षा में रखना अब आवश्यक नहीं है, परिदत्त कर देगा।

(3) जहां कोई आस्तियां या लेखा बही या अन्य दस्तावेज, या ऐसी जानकारी युक्त कंप्यूटर प्रणाली, अधिग्रहण अधिकारी को दी गई है, वहां धारा 247(4)(ख), 247(7) से

(11), 250 और 251 के उपबंध, जहां तक हो सके, लागू होंगे, मानो ऐसी लेखा बहियां या अन्य दस्तावेज, या ऐसी जानकारी या आस्तियों युक्त कंप्यूटर प्रणाली, उपधारा (1) (क) या (ख) या (ग) में निर्दिष्ट व्यक्ति की अभिरक्षा से अधिग्रहण अधिकारी द्वारा धारा 247 के अधीन अभिग्रहण की गई थी, और मानो उपरोक्त धाराओं 247(4)(ख), 247(7) से (11), 250 और 251 में आने वाले "प्राधिकृत अधिकारी" शब्दों के लिए, "अधिग्रहण अधिकारी" शब्द रखे गए थे।

कारण प्रकट नहीं
किए जाएंगे।

249. आय-कर प्राधिकारी द्वारा धारा 247 या धारा 248 में निर्दिष्ट विश्वास करने का कारण या संदेह करने का कारण किसी व्यक्ति या प्राधिकारी या अपील न्यायाधिकरण के समक्ष प्रकट नहीं किया जाएगा।

अभिगृहीत या
अधिगृहीत का
आस्तियों का
उपयोग ।

250. (1) निम्नलिखित दायित्वों की रकम धारा 247 के अधीन अधिगृहीत की गई या धारा 248 के अधीन अपेक्षित आस्तियों में से निम्नलिखित रीति से वसूल की जा सकती है, अर्थात्:—

(क) इस अधिनियम, के अधीन किसी विद्यमान देयता की रकम (अध्याय 19 के भाग ग के उपबंधों के अनुसार देय अग्रिम कर से भिन्न) आयकर अधिनियम, 1961, और काला धन (अप्रकट विदेशी आय और आस्तियां) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 और जिसके संबंध में ऐसा व्यक्ति चूककर्ता है या चूककर्ता माना जाता है;

1961 का 43
2015 का 22

(ख) कर निर्धारण या पुनर्मूल्यांकन या पुनर्गणना के पूरा होने पर निर्धारित देयता की रकम और उस कर वर्ष से संबंधित वर्ष का कर निर्धारण जिसमें तलाशी आरंभ की गई है या अधियाचना की गई है, या ब्लाक अवधि के लिए अध्याय 16 के भाग ख के अधीन कर निर्धारण के पूरा होने पर निर्धारित देयता की रकम, जैसा भी मामला हो (ऐसे कर निर्धारण के संबंध में लगाए गए किसी भी दंड या देय ब्याज सहित), और जिसके संबंध में ऐसा व्यक्ति चूककर्ता है या चूककर्ता माना जाता है ।

(ग) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 245(ग)(1) के अधीन अंतरित निपटान बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पर उत्पन्न देयता की रकम ।

1961 का 43

(2) निर्धारण अधिकारी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अभिगृहीत की गई आस्तियों या ऐसी आस्ति के भाग को उस व्यक्ति को, जिसकी अभिरक्षा से आस्तियां अभिगृहीत की गई थीं, संबंधित व्यक्ति द्वारा उस माह के अंत से तीस दिन के भीतर आवेदन करने पर, जिसमें आस्तियां अभिगृहीत की गई थीं, निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करने पर जारी कर सकता है:—

(क) ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर संतुष्ट होने के पश्चात् कि ऐसी आस्तियों के अर्जन की प्रकृति और स्रोत स्पष्ट कर दिया गया है;

(ख) ऐसी आस्तियों में से उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी विद्यमान दायित्व की वसूली करने के पश्चात्; और

(ग) प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट आस्तियां, तलाशी या अधिग्रहण के लिए अंतिम

प्राधिकार के निष्पादन की तारीख से एक सौ बीस दिन के भीतर मुक्त कर दी जाएंगी।

(4) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट आस्तियां केवल धन से बनी हैं, या भागतः धन से बनी हैं और भागतः अन्य आस्तियां हैं, तो निर्धारण अधिकारी ऐसे धन को उपधारा (1) में निर्दिष्ट दायित्वों के निर्वहन में लगा सकेगा और निर्धारिती को इस प्रकार लगाए गए धन की सीमा तक ऐसे दायित्व से मुक्त कर दिया जाएगा।

(5) धन के अतिरिक्त अन्य आस्तियों का उपयोग उपधारा (1) में निर्दिष्ट दायित्वों के निर्वहन के लिए भी किया जा सकेगा, क्योंकि वे उन्मोचित नहीं रहतीं, और उन्हें कर-अधिग्रहण के अधीन माना जाएगा, मानो ऐसा कर अधिग्रहण धारा 416(7) के अधीन प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त से प्राधिकरण के अधीन निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी द्वारा किया गया हो और ऐसी आस्तियों में से किसी दायित्व की वसूली ऐसी रीति से की जाएगी, जैसा विहित की जाए।

(6) उपधारा (1) के अधीन देयता की वसूली का ढंग इस अधिनियम में अधिकथित किसी अन्य ढंग द्वारा पूर्वोक्त देयता की वसूली को बाधित नहीं करेगा।

(7) कोई भी आस्ति या उसकी आय, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट दायित्वों के निर्वहन के पश्चात् बची रहती है, उसे तुरन्त संबंधित व्यक्ति को सौंप दिया जाएगा या ऐसे व्यक्ति को संदत्त कर दिया जाएगा जिसकी अभिरक्षा में आस्ति अभिग्रहीत है।

(8) केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित सूत्र के अनुसार निर्धारित राशि पर उक्त अवधि के लिए प्रत्येक माह या माह के भाग के लिए 0.5% की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करेगी:—

(क-ख)+(ग-घ)

जहां, —

क = धारा 248 के अधीन अभिग्रहीत या धारा 247 के अधीन अधिगृहीत धन की कुल रकम ;

ख = उपधारा (2) के अधीन जारी की गई मुद्रा की रकम, यदि कोई हो;

ग = उपधारा (1) के अधीन दायित्व के निर्वहन के लिए बेची गई आस्तियों से प्राप्त आय, यदि कोई हो; और

घ = उपधारा (1) में निर्दिष्ट दायित्व को पूरा करने के लिए आवश्यक कुल रकम।

(9) उपधारा (8) में निर्दिष्ट अवधि, धारा 247 के अधीन तलाशी के लिए अंतिम प्राधिकार या धारा 248 के अधीन अध्यपेक्षण के निष्पादित किए जाने की तारीख से एक सौ बीस दिन की समाप्ति के तुरंत पश्चात् की तारीख से लेकर निर्धारण या पुनःनिर्धारण या पुनर्गणना के पूरा होने की तारीख तक चलेगा।

अभिग्रहीत या
अधिग्रहीत लेखा
बहियों और
दस्तावेजों की
प्रतिलिपि बनाना,

251. (1) जहां धारा 247(1) में निर्दिष्ट प्राधिकृत अधिकारी का धारा 247(1)(क) या (ख) में निर्दिष्ट व्यक्ति पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, वहां धारा 247(1) से 247(4) के अधीन अभिग्रहीत या अधिगृहीत आस्ति और सामग्री, धारा 247 के अधीन तलाशी आरंभ किए जाने या धारा 248 के अधीन अधिगृहीत किए जाने की तारीख से

निकालना, रखना
और जारी करना।

एक सौ अस्सी दिन की अवधि के भीतर ऐसे व्यक्ति पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले कर निर्धारण अधिकारी को सौंप दी जाएगी और ऐसा कर निर्धारण अधिकारी इसके पश्चात् उपधारा (2) और (3) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(2) प्राधिकृत अधिकारी, उस व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर, जिसकी अभिरक्षा से धारा 247(1) से (4) के अधीन अभिग्रहीत या अधिग्रहीत कोई सामग्री अभिग्रहीत की गई है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे अधिकारी की उपस्थिति में या ऐसे अधिकारी द्वारा इस संबंध में सशक्त किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में, ऐसे अधिकारी द्वारा नियत स्थान और समय पर, उसकी प्रतियां बनाने या उनमें से उद्धरण लेने की अनुमति देगा।

(3) प्राधिकृत अधिकारी—

(क) धारा 247 या 248 के अधीन अभिग्रहीत या अधिग्रहीत आस्तियों और सामग्री को उस तिमाही के अंत से एक माह तक अपने पास रखना जिसमें धारा 270(10) या 271 या 279 या 294(1)(ग) के अधीन मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन या पुनर्गणना का आदेश दिया जाता है ;

(ख) अवलिखित में कारण अभिलिखित करने और अनुमोदन प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, खंड (क) में निर्दिष्ट अवधि से परे अभिग्रहीत या अधिग्रहीत ऐसी आस्तियों और सामग्री को बनाए रखेगा ।

(4) अनुमोदन प्राधिकारी, अभिग्रहीत या अधिग्रहीत आस्तियों और सामग्री को उस तारीख से तीस दिन से अधिक समय तक रोके रखने की अनुमति नहीं देगा, जिसको आयकर अधिनियम, 1961 या इस अधिनियम के अधीन उन वर्षों के संबंध में सभी कार्यवाहियां पूरी हो जाती हैं, जिनके लिए अभिग्रहीत या अधिग्रहीत आस्तियां और सामग्री सुसंगत हैं।

(5) धारा 247(1) से (4) या धारा 248 के अधीन अधिग्रहीत या अध्यपेक्षित सामग्री का वैध रूप से हकदार कोई व्यक्ति उपधारा (3)(ख) के अधीन अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी द्वारा दिए गए अनुमोदन पर किसी कारणवश आपत्ति करता है तो वह बोर्ड को आवेदन कर सकेगा जिसमें ऐसी आपत्ति के कारण बताए जाएंगे और या अध्यपेक्षित अधिग्रहीत सामग्री को वापस करने का अनुरोध किया जाएगा और बोर्ड आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह ठीक समझे।

252. (1) कर निर्धारण अधिकारी, संयुक्त आयुक्त या संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित की अपेक्षा कर सकेगा—

(क) किसी व्यक्ति को, जिसके अधीन बैंककारी कंपनी या उसका कोई अधिकारी भी है, ऐसे समय के भीतर अपेक्षित जानकारी देने या ऐसे प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से सत्यापित लेखा और कार्यकलापों का विवरण देने तथा ऐसे विषयों के संबंध में ऐसी जानकारी देने के लिए, जो ऐसे प्राधिकारी की राय में इस अधिनियम के अधीन किसी जांच या कार्यवाही के लिए उपयोगी या सुसंगत होगी;

(ख) फर्म को फर्म के साझेदारों के नाम और पते तथा उनके संबंधित शेयरों

सूचना मांगने की
शक्ति ।

का विवरण प्रस्तुत करना;

(ग) हिन्दू अविभक्त कुटुंब को प्रबंधक और परिवार के सदस्यों के नाम और पते सहित विवरणी प्रस्तुत करनी होगी;

(घ) किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि वह उसका न्यासी, संरक्षक या अभिकर्ता है, उसे उन व्यक्तियों के नामों की विवरणी भेजे जिनका वह न्यासी, संरक्षक या अभिकर्ता है, तथा उनके पते भी दे;

(ङ) निर्धारिती को उन सभी व्यक्तियों के नाम और पते का विवरण प्रस्तुत करना होगा, जिन्हें उसने किसी भी कर वर्ष में किराया, ब्याज, कमीशन, रॉयल्टी या ब्रोकरेज या कोई वार्षिकी (जो “वेतन” शीर्षक के अधीन कर योग्य कोई वार्षिकी नहीं है), का भुगतान किया है, जो 10000 रु. से अधिक या निर्धारित उच्चतर रकम है, साथ ही ऐसे सभी भुगतानों के विवरण भी;

(च) व्यवहारी, दलाल या अभिकर्ता या स्टॉक या कमोडिटी एक्सचेंज के प्रबंधन से संबंधित किसी व्यक्ति को उन सभी व्यक्तियों के नाम और पते का विवरण प्रस्तुत करना होगा, जिन्हें उसने या एक्सचेंज ने आस्तियों के हस्तांतरण के संबंध में, चाहे बिक्री, विनिमय या अन्यथा के माध्यम से, किसी राशि का भुगतान किया है, या जिनकी ओर से उसने या एक्सचेंज ने ऐसी कोई राशि प्राप्त की है, साथ ही ऐसे सभी भुगतानों और प्राप्तियों का विवरण भी देना होगा।

(2) उपधारा (1) (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग सक्षम प्राधिकारी या सहायक निदेशक द्वारा भी किया जा सकेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग—

(क) संयुक्त निदेशक या सहायक निदेशक के अतिरिक्त प्रधान निदेशक या निदेशक या प्रधान आयुक्त या आयुक्त की पंक्ति से नीचे के किसी आय-कर प्राधिकारी द्वारा प्रधान निदेशक या निदेशक या जैसा भी मामला हो, प्रधान आयुक्त या आयुक्त की पूर्व स्वीकृत के बिना नहीं किया जाएगा, ऐसे मामलों में जहां कोई कार्यवाही लंबित नहीं है।

(ख) धारा 159 में निर्दिष्ट किसी करार के प्रयोजनों के लिए, धारा 246(2)(क) के अधीन अधिसूचित आय-कर प्राधिकारी द्वारा प्रयोग किया जा सकता है, भले ही उसके या किसी अन्य आय-कर प्राधिकारी के समक्ष कोई कार्यवाही लंबित न हो।

सर्वेक्षण
शक्तियां। की

253. (1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में निहित किसी भी बात पर ध्यान दिए बिना, एक आय-कर प्राधिकरण किसी भी स्थान में प्रवेश कर सकता है जहां पर कोई कारबार या वृत्ति, या धर्मार्थ उद्देश्य के लिए गतिविधि की जाती है, चाहे ऐसा स्थान ऐसे कारबार या वृत्ति या धर्मार्थ उद्देश्य के लिए ऐसी गतिविधि का मुख्य स्थान हो या नहीं, जहां ऐसा स्थान—

(क) ऐसे प्राधिकारी को समनुदेशित किए गए क्षेत्र की सीमाओं के भीतर है; या

(ख) उस पर किसी ऐसे व्यक्ति का कब्जा है जिसके संबंध में ऐसा प्राधिकारी

अधिकारिता का प्रयोग करता है; या

(ग) जिसके संबंध में ऐसा प्राधिकारी आय-कर प्राधिकारी द्वारा इस धारा के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत किया गया है, जिसे वह क्षेत्र समनुदेशित किया गया है जिसके भीतर ऐसा स्थान स्थित है या जो ऐसे स्थान पर कब्जा करने वाले किसी व्यक्ति के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करता है,

और ऐसे स्थान में प्रवेश करने पर, किसी स्वामी, न्यासी, कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति से, जो उस समय और स्थान पर किसी भी प्रकार से ऐसे कारबार या वृत्ति या धर्मार्थ प्रयोजन के लिए ऐसे क्रियाकलाप को चलाने में उपस्थित हो रहा हो या सहायता कर रहा हो, यह अपेक्षा कर सकेगा—

(i) ऐसी लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों, या इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप में सूचना कंप्यूटर प्रणालियों का निरीक्षण करने के लिए आवश्यक तकनीकी और अन्य सहायता (पहुंच कोड सहित) प्रदान करना, जो आवश्यक हो और जो ऐसे स्थान पर उपलब्ध हो;

(ii) उसमें पाई जाने वाली आस्ति, स्टॉक की जांच या सत्यापन के लिए आवश्यक सुविधा प्रदान करना; और

(iii) किसी विषय के संबंध में ऐसी जानकारी प्रस्तुत करना जिसकी ऐसा प्राधिकारी अपेक्षा करे, जो इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के लिए उपयोगी या उससे सुसंगत हो।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ऐसा स्थान जहां कोई कारबार या वृत्ति या धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए क्रियाकलाप किया जाता है, के अधीन कोई अन्य स्थान भी होगा, चाहे वहां कोई कारबार या वृत्ति या धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए क्रियाकलाप किया जाता हो या नहीं, जिसमें ऐसा कारबार या वृत्ति या धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए क्रियाकलाप करने वाला व्यक्ति यह कथन करता है कि ऐसे कारबार या वृत्ति या धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए क्रियाकलाप से संबंधित उसकी कोई लेखा बही या अन्य दस्तावेज या उसकी नकदी या स्टॉक का कोई भाग या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज या कंप्यूटर प्रणालियां वहां रखी हैं या रखी जाती हैं।

(3) आय-कर प्राधिकारी उपधारा (1) और उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी कारबार, वृत्ति या धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए क्रियाकलाप के स्थान में केवल उस समय प्रवेश कर सकेगा जिस समय ऐसा स्थान कारबार, वृत्ति या धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए क्रियाकलाप के संचालन के लिए खुला हो और किसी अन्य स्थान की दशा में केवल सूर्योदय के पश्चात् और सूर्यास्त से पहले प्रवेश कर सकेगा।

(4) आय-कर प्राधिकारी, यह सत्यापित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर इस अधिनियम के अध्याय 19ख के उपबंधों के अनुसार स्रोत पर काटा या संग्रहित किया गया है, सूर्योदय के पश्चात् और सूर्यास्त से पूर्व, निम्नलिखित कार्य कर सकेगा—

(क) ऐसे प्राधिकारी को समनुदेशित क्षेत्र की सीमाओं के भीतर कोई कार्यालय, या कोई अन्य स्थान जहां धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए कारोबार या वृत्ति या गतिविधि की जाती है; या

(ख) कोई स्थान जिसके संबंध में ऐसा प्राधिकारी इस धारा के प्रयोजनों के

लिए आय-कर प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया गया है, जिसे वह क्षेत्र समनुदेशित किया गया है जिसके भीतर ऐसा स्थान स्थित है या जहां लेखा बही या दस्तावेज या कम्प्यूटर प्रणाली रखी जाती हैं,

और ऐसे कार्यालय या स्थान में प्रवेश करने पर, आय-कर प्राधिकारी कटौतीकर्ता या संग्रहकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति से, जो उस समय और स्थान पर किसी भी प्रकार से ऐसे कार्य में उपस्थित हो, यह अपेक्षा कर सकेगा कि—

(i) ऐसी लेखा बहियां या अन्य दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक रूप में या कम्प्यूटर प्रणाली पर सूचना के निरीक्षण को सक्षम करने के लिए आवश्यक तकनीकी और अन्य सहायता (पहुंच कोड सहित) प्रदान करना, जो आवश्यक हो और जो उस स्थान पर उपलब्ध हो सकें, और

(ii) ऐसे मामले के संबंध में अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करना ।

(5) इस धारा के अधीन कार्य करने वाला आय-कर प्राधिकारी—

(क) ऐसे प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण की गई लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों पर पहचान चिह्न लगाना तथा उनसे या कम्प्यूटर प्रणालियों से उद्धरण या प्रतियां बनाना या बनवाना;

(ख) किसी व्यक्ति का शपथ पर कथन अभिलिखित करना, जो इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के लिए उपयोगी या सुसंगत हो;

(ग) अपने द्वारा निरीक्षण की गई किसी भी लेखा बही या अन्य दस्तावेज या कोई कम्प्यूटर प्रणाली को, ऐसा करने के कारणों को रिकार्ड करने के पश्चात्, निम्नलिखित अवधि के लिए अभिरक्षा में रखेगा—

(i) पंद्रह दिन (छुट्टियों को छोड़कर) तक; या

(ii) अनुमोदन प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से पंद्रह दिन से अधिक (छुट्टियों को छोड़कर);

(घ) ऐसे प्राधिकारी द्वारा जाँची या सत्यापित किसी आस्ति या स्टॉक की सूची बनाना ।

(6) उपधारा (4) के अधीन कार्य करने वाला आय-कर प्राधिकारी केवल उपधारा (5)

(क) और (5)(ख) के अधीन निर्दिष्ट कार्यवाहियां ही करेगा।

(7) इस धारा के अधीन कार्य करने वाला आय-कर प्राधिकारी किसी भी स्थिति में किसी आस्ति या स्टॉक को उस स्थान से नहीं हटाएगा या हटवाने का कारण नहीं बनेगा जहां उसने प्रवेश किया है।

(8) आय-कर प्राधिकारी, उपगत व्यय की प्रकृति और पैमाने को ध्यान में रखते हुए, किसी कार्यक्रम, समारोह या आयोजन के संबंध में व्यक्ति द्वारा किए गए व्यय का सत्यापन करने के प्रयोजनों के लिए, यदि उसकी यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, तो ऐसे कार्यक्रम, समारोह या घटना के पश्चात्,—

(क) उस व्यक्ति से, जिसने ऐसा व्यय किया है या किसी अन्य व्यक्ति से, जिसके पास ऐसे व्यय के संबंध में जानकारी होने की संभावना है, ऐसी जानकारी देने की अपेक्षा कर सकेगा जो इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के लिए उपयोगी या सुसंगत हो सकती है;

(ख) इस संबंध में उस व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के शपथ पर बयानों को रिकार्ड करना; और

(ग) इस प्रकार अभिलिखित कोई कथन तत्पश्चात् इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकेगा।

(9) यदि किसी व्यक्ति से आय-कर प्राधिकारी को किसी भी रूप में लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों या किसी कम्प्यूटर प्रणाली का निरीक्षण करने या किसी नकदी, स्टॉक या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज की जांच या सत्यापन करने या कोई जानकारी देने या अपना विवरण दर्ज कराने की सुविधा प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है, तो वह ऐसा करने से या तो इनकार करता है या टालमटोल करता है, तो आय-कर प्राधिकारी के पास आवश्यकता के अनुपालन को लागू करने के लिए धारा 246(1) के अधीन सभी शक्तियां होंगी।

(10) इस धारा के अधीन कार्रवाई आय-कर प्राधिकारी द्वारा प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक या प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से की जाएगी।

(11) इस धारा में, “आय-कर प्राधिकारी” से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(क) प्रधान आयुक्त या आयुक्त, प्रधान निदेशक या निदेशक, संयुक्त आयुक्त या संयुक्त निदेशक, सहायक निदेशक या उप निदेशक या कर निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी; और

(ख) उपधारा (1)(i), (5)(क) और (8) के प्रयोजनों के लिए आय-कर निरीक्षक सम्मिलित हैं।

जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक या प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त के अधीनस्थ हैं।

कतिपय जानकारी
एकत्रित करने की
शक्ति ।

254. (1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में निहित किसी भी बात पर ध्यान दिए बिना, आय-कर प्राधिकरण, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोगी या सुसंगत किसी भी जानकारी को इकट्ठा करने के प्रयोजनों के लिए प्रवेश कर सकता है—

(क) ऐसे प्राधिकरण को समनुदेशित किए गए क्षेत्र की सीमाओं के भीतर कोई भवन या स्थान; या

(ख) कोई भवन या स्थान जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा अधिगृहीत है जिसके संबंध में ऐसा प्राधिकारी अधिकारिता का प्रयोग करता है,

जहां कोई कारबार या वृत्ति किया जाता है, इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि ऐसा स्थान ऐसे कारबार या वृत्ति का मुख्य स्थान है या नहीं और किसी भी स्वामी या कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति से, जो उस समय और स्थान पर, किसी भी तरह से ऐसे कारबार या वृत्ति में भाग ले रहा हो, या उसमें सहायता कर रहा हो, या उसे चला रहा हो, ऐसी जानकारी देने की अपेक्षा करता है, जैसा कि निर्धारित किया गया है।

(2) आय-कर प्राधिकारी उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी कारबार या वृत्ति के स्थान में केवल उस समय प्रवेश कर सकेगा जिस समय ऐसा स्थान कारबार या वृत्ति के संचालन के लिए खुला हो।

(3) इस धारा के अधीन कार्य करने वाला आय-कर प्राधिकारी किसी भी हालत में

उस भवन या स्थान से, जिसमें उसने प्रवेश किया है, कोई लेखा बही या अन्य दस्तावेज या कोई नकदी या स्टॉक या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज नहीं हटाएगा या हटवाने का कारण नहीं बनेगा।

(4) इस धारा में, “आय-कर प्राधिकारी” से निम्नलिखित अभिप्रेत है-

(क) संयुक्त आयुक्त, या संयुक्त निदेशक या सहायक निदेशक या कर निर्धारण अधिकारी; और

(ख) आय-कर निरीक्षक, जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उस क्षेत्र के संबंध में इस धारा के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया गया है जिसके संबंध में कर निर्धारण अधिकारी अधिकारिता या उसके किसी भाग का प्रयोग करता है।

255. निर्धारण अधिकारी, निर्धारण इकाई, सत्यापन इकाई, संयुक्त आयुक्त या संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील), या उसका अधीनस्थ कोई व्यक्ति और ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त अवलिखित रूप में प्राधिकृत व्यक्ति, किसी कंपनी के सदस्यों, डिबेंचर धारकों या बंधकधारकों के किसी रजिस्टर या ऐसे रजिस्टर में किसी प्रविष्टि का निरीक्षण कर सकता है और यदि आवश्यक हो तो उसकी प्रतियां ले सकता है या प्रतियां निकलवा सकता है।

कम्पनियों के रजिस्ट्रारों का निरीक्षण करने की शक्ति।

256. प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक या प्रधान निदेशक या निदेशक, प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त और संयुक्त आयुक्त इस अधिनियम के अधीन कोई भी जांच करने के लिए सक्षम होगा और इस प्रयोजन के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्राप्त होंगी जो जांच करने के संबंध में कर निर्धारण अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन प्राप्त हैं।

सक्षम प्राधिकारी की शक्तियां।

257. (1) इस अधिनियम के अधीन आय-कर प्राधिकारी के समक्ष कोई कार्यवाही धारा 229 और 267 के अर्थान्तर्गत तथा भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 233 के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी।

आय-कर प्राधिकारियों के समक्ष कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही होगी।

(2) प्रत्येक आय-कर प्राधिकारी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 215 के प्रयोजनों के लिए एक सिविल न्यायालय माना जाएगा लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अध्याय 28 के प्रयोजनों के लिए नहीं।

2023 का 46

258. (1) बोर्ड या उसके द्वारा इस निमित्त आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य आय-कर प्राधिकारी, निम्नलिखित को प्रदान कर सकेगा या प्रदान करवा सकेगा,—

(क) कोई अधिकारी, प्राधिकरण या निकाय जो विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 2(ड) में परिभाषित किसी कर, शुल्क या उपकर के अधिरोपण या विदेशी मुद्रा में लेनदेन से संबंधित किसी विधि के अधीन कोई कार्य करता है; या

1999 का 42

(ख) ऐसा अधिकारी, प्राधिकरण या निकाय जो किसी अन्य विधि के अधीन कार्य करता है, यदि केन्द्रीय सरकार की राय में लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, जैसा वह इस निमित्त अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे,

इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के पालन में किसी आय-कर प्राधिकरण द्वारा प्राप्त या अभिप्राप्त कोई ऐसी सूचना, जो बोर्ड या अन्य आय-कर प्राधिकरण की राय में

2023 का 45

निर्धारित से संबंधित सूचना का प्रकटीकरण।

उस अधिकारी, प्राधिकरण या निकाय को उस विधि के अधीन अपने कृत्यों के पालन में समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो।

(2) प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त किसी व्यक्ति को किसी आय-कर प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के पालन में प्राप्त या अभिप्राप्त किसी निर्धारिती से संबंधित सूचना दे सकेगा या दिलवा सकेगा,—

(क) ऐसे व्यक्ति द्वारा पूर्वोक्त प्राधिकारियों को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन किए जाने पर और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में है; तथा

(ख) इस संबंध में प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा और किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

(3) उपधारा (1) या (2) या किसी अन्य प्रवृत्त विधि में अंतर्विष्ट किसी बात पर ध्यान दिए बिना, केन्द्रीय सरकार, व्यवहारों और रीतिरिवाज, रूढ़िगत या किसी अन्य सुसंगत कारकों को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकेगी कि किसी लोक सेवक द्वारा ऐसे वर्ग के निर्धारितियों से संबंधित मामलों के संबंध में कोई सूचना या दस्तावेज उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों को छोड़कर किसी को नहीं दिया जाएगा या प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

विहित आय-कर प्राधिकारी द्वारा सूचना मांगने की शक्ति।

259. (1) विहित आय-कर प्राधिकारी के कब्जे में की सूचना के सत्यापन के प्रयोजनों के लिए, ऐसा प्राधिकारी किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा करते हुए सूचना जारी कर सकेगा कि वह इस अधिनियम के अधीन किसी जांच या कार्यवाही के लिए उपयोगी या सुसंगत कोई सूचना ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसे समय के भीतर, जैसा कि ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट है, प्रस्तुत करे।

(2) विहित आय-कर प्राधिकारी धारा 260 के अधीन अधिसूचित स्कीम के अनुसार उसके द्वारा प्राप्त सूचना और दस्तावेज को संसाधित और उपयोग कर सकेगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “कार्यवाही” शब्द का वही अर्थ होगा जो धारा 253 में समनुदेशित है।

260. (1) केन्द्रीय सरकार, धारा 252 के अधीन सूचना मांगने, धारा 254 के अधीन कुछ सूचना एकत्रित करने, या धारा 259 के अधीन विहित आय-कर प्राधिकारी द्वारा सूचना मांगने, या धारा 255 के अधीन कंपनियों के रजिस्टर का निरीक्षण करने की शक्ति का प्रयोग करने, या धारा 256 के अधीन निर्धारण अधिकारी की शक्ति का प्रयोग करने के प्रयोजनों के लिए, अधिसूचना द्वारा एक स्कीम बना सकेगी, ताकि निम्नलिखित द्वारा अधिक दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही प्रदान की जा सके—

सूचना का पहचान विहीन संग्रह।

(क) आय-कर प्राधिकरण और निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति के बीच तकनीकी रूप से संभव सीमा तक इंटरफेस को समाप्त करना;

(ख) पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं और कार्यात्मक विशेषज्ञता के माध्यम से संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करना;

(ग) शक्तियों का टीम-आधारित प्रयोग शुरू करना, जिसमें गतिशील अधिकार

क्षेत्र के साथ सूचना मांगना, एकत्र करना, आदेशिका करना या उसका उपयोग करना शामिल है।

(2) केन्द्रीय सरकार उपधारा (1) के अधीन बनाई गई इस स्कीम को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम का कोई भी उपबंध लागू नहीं होगा या अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अपवादों, उपान्तरणों और अनुकूलनों के साथ लागू होगा।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, अधिसूचना जारी होने के पश्चात्, यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

261. इस भाग के प्रयोजनों के लिए,—

निर्वचन ।

(क) “अनुमोदन प्राधिकारी” से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

- (i) प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक; या
- (ii) प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त; या
- (iii) प्रधान निदेशक या निदेशक; या
- (iv) प्रधान आयुक्त या आयुक्त;

(ख) “आस्ति” में भौतिक या आभासी रूप में रखा गया कोई भी धन, सोना-चांदी, आभूषण, आभासी, अंकीय, आस्ति या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज शामिल है;

(ग) “प्राधिकृत अधिकारी” से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

- (i) संयुक्त निदेशक या अपर निदेशक;
- (ii) संयुक्त आयुक्त या अपर आयुक्त;
- (iii) सहायक निदेशक या उप निदेशक;
- (iv) सहायक आयुक्त या उप आयुक्त; या
- (v) आय-कर अधिकारी या कर वसूली अधिकारी;

(घ) “सक्षम प्राधिकारी” से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

- (i) प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक; या
- (ii) प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त; या
- (iii) प्रधान निदेशक या निदेशक; या
- (iv) प्रधान आयुक्त या आयुक्त; या
- (v) संयुक्त निदेशक या अपर निदेशक; या
- (vi) संयुक्त आयुक्त या अपर आयुक्त;

(ङ) “कम्प्यूटर प्रणाली” का अर्थ है कम्प्यूटर, कम्प्यूटर नेटवर्क, कम्प्यूटर संसाधन, संचार उपकरण, डिजिटल या इलैक्ट्रॉनिक डाटा भंडारण उपकरण, जो स्टैंड-अलोन मोड पर या कम्प्यूटर प्रणाली के भाग के रूप में उपयोग किए जाते हैं, नेटवर्क के माध्यम से जुड़े होते हैं, या सूचना सृजन या प्रसंस्करण या भंडारण या

विनिमय के लिए मध्यस्थों के माध्यम से उपयोग किए जाते हैं, और इसमें रिमोट सर्वर या क्लाउड सर्वर या वर्चुअल डिजिटल स्पेस शामिल हैं अभिप्रेत हैं;

(च) “वह तारीख जिसको तलाशी के लिए अंतिम प्राधिकरण निष्पादित किया गया था” से निम्नलिखित अभिप्रेत—

(i) तलाशी के मामले में, तलाशी की समाप्ति की तारीख, जैसा कि किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में तैयार किए गए अंतिम पंचनामा में रिकार्ड है, जिसके मामले में प्राधिकरण का वारंट जारी किया गया है; या

(ii) धारा 248 के अधीन अधिग्रहण की दशा में, लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों या कम्प्यूटर प्रणाली या आस्तियों की अधिग्रहण अधिकारी द्वारा वास्तविक प्राप्ति की तारीख ;

(छ) “इलेक्ट्रानिक प्ररूप” का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2(1)(द) में दिया गया है ।

2000 का 21

(ज) “इलेक्ट्रानिक अभिलेख” का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2(1)(न) में दिया गया है ।

2000 का 21

(झ) “अभिग्रहीत या अध्यपेक्षित की गई सामग्री” से लेखा बही या दस्तावेज या कंप्यूटर सिस्टम, और धारा 247 के अधीन तलाशी के दौरान या धारा 248 के अधीन अधिग्रहीत किसी व्यक्ति से अभिग्रहीत किए गए उद्घरण, और इसमें टैली सॉफ्टवेयर, एक्सेल शीट, वर्ड फाइल जैसे किसी विशेष प्रोग्राम से लिए गए बैकअप को अभिग्रहीत करना और सभी इलेक्ट्रानिक रिकार्ड शामिल हैं, जिसमें आंकड़े और कोई अन्य प्रासंगिक नोटिंग वाले इलेक्ट्रानिक रूप में डाटा और इलेक्ट्रानिक प्ररूप या कम्प्यूटर प्रणाली या सूचना शामिल हैं, और इसका अर्थ उक्त व्यक्ति द्वारा रखी गई लेखा बही के रूप में लगाया जाएगा;

(ञ) “वर्चुअल डिजिटल स्पेस” से ऐसे वातावरण, क्षेत्र या परिमंडल अभिप्रेत है, जिसका निर्माण और अनुभव कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के माध्यम से किया जाता है, न कि भौतिक, मूर्त संसार, जिसमें कोई डिजिटल दायरा शामिल हो, जो उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर संसाधन, संचार उपकरण, साइबरस्पेस, इंटरनेट, विश्वव्यापी वेब और उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके बातचीत, संवाद और गतिविधियां करने की अनुमति देता है, सृजन या भंडारण या विनिमय के लिए इलेक्ट्रानिक रूप में डेटा और सूचना का उपयोग करता है और इसमें शामिल हैं—

(i) ईमेल सर्वर;

(ii) सोशल मीडिया अकाउंट;

(iii) ऑनलाइन विनिधान लेखा, ट्रेडिंग लेखा, बैंकिंग लेखा, आदि।

(iv) किसी आस्ति के स्वामित्व का विवरण संग्रहीत करने के लिए उपयोग की जाने वाली कोई वेबसाइट;

(v) दूरस्थ सर्वर या क्लाउड सर्वर;

(vi) डिजिटल एप्लिकेशन प्लेटफॉर्म; और

(vii) समान प्रकृति का कोई अन्य स्थान।

अध्याय 15

आय की विवरणी

क. स्थायी लेखा संख्या का आवंटन

262. (1) प्रत्येक व्यक्ति, जिसे स्थायी लेखा संख्या आबंटित नहीं की गई है, निर्धारित समय के भीतर जो विहित किया जाए, इसके आवंटन के लिए निर्धारण अधिकारी को आवेदन करेगा यदि वह निम्नलिखित शर्तों में से किसी एक को पूरा करता है:—

स्थायी
संख्या । लेखा

(क) किसी कर वर्ष के दौरान उसकी कुल आय या किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय, जिसके लिए वह इस अधिनियम के अधीन करयोग्य है, आय-कर से अप्रभावित अधिकतम रकम से अधिक हो गई है;

(ख) वह कोई ऐसा कारबार या वृत्ति चला रहा है जिसकी कुल बिक्री, टर्नओवर या सकल प्राप्तियां किसी भी कर वर्ष में 500000 रु. से अधिक है या होने की संभावना है;

(ग) उसे धारा 263 के अधीन आय-कर विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है;

(घ) वह एक व्यक्ति के अतिरिक्त एक निवासी है, जो कर वर्ष में 250000 रु. या उससे अधिक का वित्तीय लेनदेन करता है; या

(ङ) वह खंड (घ) में निर्दिष्ट व्यक्ति का प्रबंध निदेशक, निदेशक, भागीदार, ट्रस्टी, लेखक, संप्रवर्तक, कर्ता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रधान अधिकारी या पदाधिकारी है या खंड (घ) में निर्दिष्ट व्यक्ति की ओर से कार्य करने के लिए सक्षम कोई व्यक्ति है।

(च) वह राजस्व के हित में बोर्ड द्वारा विहित ऐसे कारबार करने का आशय रखता है ।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो उपधारा (1) के अधीन नहीं आता है, स्थायी लेखा संख्या के आबंटन के लिए निर्धारण अधिकारी को आवेदन कर सकेगा, जिसके पश्चात् निर्धारण अधिकारी ऐसे व्यक्ति को स्थायी लेखा संख्या आबंटित करेगा।

(3) प्रत्येक व्यक्ति किसी आय-कर प्राधिकारी को भेजे गए अपने सभी विवरणियों में या उसके साथ पत्राचार में तथा इस अधिनियम के अधीन देय किसी राशि के भुगतान के लिए सभी चालानों में स्थायी लेखा संख्या का उल्लेख करेगा।

(4) प्रत्येक व्यक्ति अपने पते या अपने कारबार के नाम और प्रकृति में किसी परिवर्तन की सूचना कर निर्धारण अधिकारी को देगा जिसके आधार पर उसे स्थायी लेखा संख्या आबंटित की गई थी।

(5) प्रत्येक व्यक्ति जो आधार संख्या प्राप्त करने के लिए पात्र है, उसे स्थायी लेखा संख्या के आबंटन के लिए आवेदन पत्र में और आय-कर विवरणी में आधार संख्या का उल्लेख करना होगा।

(6) (क) उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट से अन्यथा मामलों के लिए प्रत्येक व्यक्ति जिसे स्थायी लेखा संख्या आबंटित की गई है और जो आधार संख्या प्राप्त करने के लिए पात्र है, उसे निर्धारित आय-कर प्राधिकारी को निर्धारित प्ररूप और रीति से अपना आधार

संस्था सूचित करना होगा।

(ख) यदि कोई व्यक्ति खंड (क) के अनुसार अपना आधार संस्था सूचित करने में विफल रहता है, तो उस व्यक्ति को आबंटित स्थायी लेखा संख्या यथाविहित रीति से जैसा विहित किया जाए निष्क्रिय कर दी जाएगी।

(7) प्रत्येक व्यक्ति, जिससे इस अधिनियम के अधीन अपना स्थायी लेखा संख्यांक प्रस्तुत करने, सूचित करने या उद्धृत करने की अपेक्षा की जाती है, और—

(क) जिसे स्थायी लेखा संख्या आबंटित नहीं किया गया है, किन्तु उसके पास आधार संख्या है, वह स्थायी लेखा संख्या के बदले में अपना आधार संख्या प्रस्तुत या सूचित या उद्धृत कर सकता है, और ऐसे व्यक्ति को स्थायी लेखा संख्या आबंटित की जाएगी जो विहित किया जाए;

(ख) जिसे स्थायी लेखा संख्या आबंटित की गई है, और जिसने उपधारा (6) के अनुसार अपना आधार संख्या सूचित किया है, वह स्थायी लेखा संख्या के बदले में अपना आधार संख्या प्रस्तुत, सूचित या उद्धृत कर सकता है।

(8) जिस व्यक्ति को पहले ही स्थायी लेखा संख्या आबंटित की जा चुकी है, वह किसी अन्य स्थायी लेखा संख्या के लिए आवेदन नहीं कर सकता, उसे प्राप्त नहीं कर सकता या उसे अपने पास नहीं रख सकता।

(9) (क) प्रत्येक व्यक्ति, जो ऐसे लेन-देन करता है, जो विहित किया जाए ऐसे लेन-देन से संबंधित दस्तावेजों में अपना स्थायी लेखा संख्या या आधार संख्या अंकित करेगा तथा ऐसे स्थायी लेखा संख्या या आधार संख्या को प्रमाणित भी करेगा, जो विहित किया जाए।

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट लेन-देन से संबंधित कोई दस्तावेज प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे दस्तावेज में स्थायी लेखा संख्या या आधार संख्या का उल्लेख किया गया है और ऐसा स्थायी लेखा संख्या या आधार संख्या यथाविहित रीति अधिप्रमाणित है।

(10) बोर्ड निम्नलिखित के लिए नियम बना सकेगा,—

(क) वह प्ररूप, रीति और समय जिसमें स्थायी लेखा संख्या के आबंटन के लिए आवेदन किया जा सकेगा तथा वे विवरण जो ऐसे आवेदन में अन्तर्विष्ट होंगे;

(ख) व्यक्तियों का वह वर्ग या वर्ग जिन्हें स्थायी लेखा संख्या के आबंटन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा;

(ग) कारबार या वृत्ति से संबंधित दस्तावेजों की श्रेणियां जिनमें प्रत्येक व्यक्ति द्वारा स्थायी लेखा संख्या उद्धृत की जाएगी;

(घ) वह प्ररूप और रीति जिससे वह व्यक्ति, जिसे स्थायी लेखा संख्या आबंटित नहीं की गई है, अपनी घोषणा करेगा;

(ङ) स्थायी लेखा संख्या या आधार संख्या के प्रमाणीकरण की रीति;

(च) व्यक्तियों का वह वर्ग या वर्ग जिन पर इस धारा के उपबंध, संव्यवहार या परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं होंगे।

(11)(क) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या वर्गों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जो ऐसी अधिसूचना में उल्लिखित समय के भीतर स्थायी लेखा संख्या के आबंटन के लिए निर्धारण अधिकारी को आवेदन करेंगे।

(ख) खंड (क) में व्यक्तियों के वर्ग या वर्गों में ऐसे व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे—

(i) इस अधिनियम के अधीन कर किसके द्वारा देय है;

(ii) जिसके द्वारा किसी अन्य प्रवृत्त विधि के अधीन कोई कर या फीस देय है; या

(iii) आयातक और निर्यातक होना, भले ही उनके द्वारा कोई कर देय न हो।

(12) उपधारा (5) और उपधारा (6) के उपबंध ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग या वर्गों पर अथवा किसी राज्य या किसी राज्य के भाग पर लागू नहीं होंगे, जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकेगा।

(13) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “आधार संख्या” का वही अर्थ होगा जो आधार (वित्तीय और अन्य सहायिक्यों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 2 के खंड (क) में समनुदेशित किया गया है;

(ख) “निर्धारण अधिकारी” में आय-कर प्राधिकारी शामिल है, जिसे स्थायी लेखा संख्या आबंटित करने का कर्तव्य समनुदेशित किया गया है।

(ग) “अधिप्रमाणन” से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की जनसांख्यिकीय जानकारी या बायोमेट्रिक जानकारी के साथ स्थायी लेखा संख्या या आधार संख्या को आय-कर प्राधिकरण या ऐसे अन्य प्राधिकरण या एजेंसी को उसके सत्यापन के लिए प्रस्तुत किया जाता है, जैसा कि निर्धारित किया गया है और ऐसा अन्य प्राधिकरण या अभिकरण जैसा विहित किया जाए अपने पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर उसकी सत्यता या कमी का सत्यापन करती है।

ख. आय की विवरणी का फाइल किया जाना

आय विवरणी ।

263. (1)(क) नीचे उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति, कर वर्ष के लिए, नियत तारीख को या उससे पूर्व, अपनी आय या किसी अन्य व्यक्ति की आय, जिसके संबंध में वह उस कर वर्ष के दौरान कर योग्य है, की विवरणी प्रस्तुत करेगा :—

(i) कोई कंपनी;

(ii) एक फर्म;

(iii) कंपनी या फर्म के अतिरिक्त कोई व्यक्ति, यदि उसकी कुल आय या किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय जिसके संबंध में वह कर वर्ष के दौरान इस अधिनियम के अधीन कर योग्य है, अध्याय 17ख के उपबंधों या अनुसूची 8 (सारणी: क्र.सं.1) के उपबंधों को प्रभावी किए बिना या अध्याय 4-ड (पूँजीगत लाभ) की धारा 82 या धारा 83 या धारा 84 या धारा 85 या धारा 86 या धारा 87 या धारा 88 या अध्याय 8 के अधीन स्वीकार्य कटौती, जैसा भी मामला हो,

अधिकतम रकम से अधिक हो गई है जो आय-कर के लिए प्रभार्य नहीं है;

(iv) एक विनिर्दिष्ट इकाई यदि उसकी कुल आय धारा 11 के उपबंधों को प्रभावी किए बिना, उस अधिकतम रकम से अधिक है जो आय-कर के लिए प्रभार्य नहीं है;

(v) धारा 45(3)(क) में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्थान ;

(vi) कारबार ट्रस्ट;

(vii) धारा 224 में निर्दिष्ट विनिधान निधि ;

(viii) ऐसा व्यक्ति जिसने कर वर्ष में “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” या “पूँजीगत अभिलाभ” शीर्षक के अधीन हानि उठाई है और जो यह दावा करना चाहता है कि ऐसी हानि या उसका कोई भाग इस अधिनियम के अनुसार आगे ले जाया जाएगा;

(ix) ऐसा व्यक्ति, जो सामान्यतः निवासी न होने के अतिरिक्त निवासी है, और जो कर वर्ष के दौरान किसी भी समय,—

(अ) लाभकारी स्वामी के रूप में या अन्यथा, भारत से बाहर स्थिति कोई आस्ति (किसी इकाई में किसी भी वित्तीय हित सहित) भारत से बाहर स्थित किसी भी खाते में हस्ताक्षर करने का प्राधिकार रखता है; या

(आ) भारत से बाहर स्थित किसी आस्ति (किसी इकाई में किसी वित्तीय हित सहित) का लाभार्थी है, सिवाय इसके कि ऐसी आस्ति से उद्भूत होने वाली कोई आय मद (अ) में निर्दिष्ट व्यक्ति की आय में शामिल की जा सकती है;

(x) कोई व्यक्ति, कंपनी या फर्म के अतिरिक्त, जो कर वर्ष के दौरान निर्धारित शर्तों को पूरा करता है जो विहित किया जाए।

(ख) खंड (क)(i), क(ii), क(v), क(vi), क(vii) और क(ix) में निर्दिष्ट व्यक्ति, आय या हानि पर ध्यान दिए बिना, नियत तारीख को या उससे पहले विवरणी प्रस्तुत करेंगे ।

(ग) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “नियत तारीख” से उक्त सारणी के स्तंभ ख में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में नीचे दी गई सारणी के स्तंभ ग की संगत प्रविष्टि में उल्लिखित प्रासंगिक कर वर्ष के उत्तरवर्ती के वित्तीय वर्ष की तारीख अभिप्रेत है।

सारणी

क्रम संख्या	व्यक्ति	नियत तारीख
क	ख	ग
1.	निर्धारिती, जिसमें फर्म के साझेदार के पति या पत्नी (यदि धारा 10 ऐसे पति या पत्नी पर लागू होती है) शामिल है, जिसे धारा 172 में निर्दिष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने अपेक्षित है ।	30 नवंबर
2.	कंपनी (क्र.सं. 1 में उल्लिखित मामलों के अतिरिक्त	31 अक्टूबर

अन्य मामलों में)

3. वह व्यक्ति (कंपनी को छोड़कर) जिसके खातों का इस 31 अक्टूबर अधिनियम या किसी अन्य प्रवृत्त विधि के अधीन लेखा परीक्षण किया जाना अपेक्षित है
4. किसी फर्म का भागीदार, जिसके खातों की इस 31 अक्टूबर अधिनियम या किसी अन्य प्रवृत्त विधि के अधीन लेखापरीक्षा की जानी आवश्यक है; या ऐसे भागीदार का पति या पत्नी (यदि धारा 10 ऐसे पति या पत्नी पर लागू होती है)
5. कोई अन्य निर्धारिती 31 जुलाई

(2)(क) बोर्ड आय-कर विवरणी प्रस्तुत करने के लिए प्ररूप, उसके सत्यापन की रीति तथा अन्य ऐसी विशिष्टियां विहित कर सकेगा, जिनमें निम्नलिखित शामिल होंगे—

(i) व्यक्तियों का वह वर्ग या वर्गों, जिन्हें इलैक्ट्रानिक रूप में या अन्यथा विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा;

(ii) वह और रीति जिससे विवरणी प्रस्तुत किया जा सकेगा, चाहे वह इलैक्ट्रानिक रूप में हो या अन्यथा;

(iii) दस्तावेज, विवरण, रसीदें, प्रमाण पत्र, संपरीक्षित रिपोर्ट या कोई अन्य दस्तावेज जो इलैक्ट्रानिक रूप में विवरणी के साथ प्रस्तुत नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन मांगे जाने पर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे;

(iv) कंप्यूटर संसाधन या इलैक्ट्रानिक अभिलेख जिस पर इलैक्ट्रानिक रूप में विवरणी पारेषित की जा सकती है।

(ख) खंड (क) के अधीन निर्धारित विवरणों में निम्नलिखित भी शामिल हो सकेंगे—

(i) कर से मुक्त आय;

(ii) विहित प्रकृति और मूल्य की आस्तियां जो निर्धारिती द्वारा लाभकारी स्वामी के रूप में या अन्यथा धारित हैं या जिनमें वह लाभार्थी है;

(iii) निर्धारिती द्वारा धारित बैंक लेखा और क्रेडिट कार्ड;

(iv) विहित शीर्षों के अधीन निर्धारिती द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक व्यय;

(v) ऐसे अन्य निर्गम जो विहित किए जाएं;

(vi) धारा 63 में निर्दिष्ट किसी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट या उसकी प्रति;

(vii) कारबार या वृत्ति के मुख्य स्थान और उसकी सभी शाखाओं के स्थान और की विशिष्टियां;

(viii) कारबार या वृत्ति में साझेदारों के नाम और पते, यदि कोई हों;

(ix) व्यक्तियों के संघ या व्यष्टियों के निकाय के अन्य सदस्यों के नाम

तथा कारबार या वृत्ति और उसकी किसी शाखा के लाभ में निर्धारिती और ऐसे सभी सदस्यों के अंशों की सीमा।

(3) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी वर्ग या वर्गों के व्यक्तियों को इस धारा के अधीन आय-कर विवरणी फाइल करने के दायित्व से, उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, छूट दे सकेगी।

(4) कोई व्यक्ति जिसने उपधारा (1) के अधीन उसे अनुज्ञात समय के भीतर विवरणी प्रस्तुत नहीं की है, वह किसी भी कर वर्ष के लिए विवरणी सुसंगत कर वर्ष की समाप्ति से नौ माह के भीतर या निर्धारण पूरा होने से पूर्व, जो भी पहले हो, किसी भी समय प्रस्तुत कर सकता है।

(5) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) या उपधारा (4) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के बाद उसमें कोई लोप या कोई गलत विवरण पाता है, तो वह सुसंगत कर वर्ष की समाप्ति से नौ माह के भीतर या निर्धारण पूरा होने के पूर्व, जो भी पहले हो, किसी भी समय संशोधित विवरणी प्रस्तुत कर सकेगा।

(6) (क) कोई व्यक्ति, चाहे उसने किसी कर वर्ष के लिए उपधारा (1) या उपधारा (4) या उपधारा (5) के अधीन विवरणी प्रस्तुत की हो या नहीं, अपनी आय या किसी अन्य व्यक्ति की आय, जिसके संबंध में वह इस अधिनियम के अधीन करयोग्य है, का अद्यतन विवरणी, सुसंगत कर वर्ष के बाद आने वाले वित्तीय वर्ष की समाप्ति से अड़तालीस मास के भीतर किसी भी समय प्रस्तुत कर सकता है।

(ख) खंड (क) के उपबंध किसी कर वर्ष के लिए लागू होते रहेंगे यदि किसी व्यक्ति को उक्त कर वर्ष में हानि हुई है और उसने उपधारा (1) के अधीन नियत तारीख के भीतर हानि की विवरणी प्रस्तुत किया है और अद्यतन विवरणी, आय की विवरणी है।

(ग) खंड (क) के उपबंध किसी व्यक्ति के लिए कर वर्ष में लागू नहीं होंगे, यदि—

(i) उक्त कर वर्ष के लिए अद्यतन विवरणी हानि की विवरणी है;

(ii) अद्यतन विवरणी का प्रभाव उक्त कर वर्ष के लिए उपधारा (1) या उपधारा (4) या उपधारा (5) के अधीन प्रस्तुत विवरणी के आधार पर निर्धारित कुल कर देयता को कम करना है;

(iii) अद्यतन विवरणी के परिणामस्वरूप प्रतिसंदाय होता है जहां कोई प्रतिसंदाय देय नहीं था या उक्त कर वर्ष के लिए उपधारा (1) या उपधारा (4) या उपधारा (5) के अधीन प्रस्तुत विवरणी के आधार पर देय प्रतिसंदाय बढ़ जाता है;

(iv) उक्त कर वर्ष के लिए अद्यतन विवरणी पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी है;

(v) उक्त कर वर्ष के लिए इस अधिनियम के अधीन आय के निर्धारण या पुनःनिर्धारण या पुनर्गणना या पुनरीक्षण के लिए कोई कार्यवाही लंबित है या पूरी हो चुकी है;

(vi) कर निर्धारण अधिकारी के पास उक्त कर वर्ष के लिए ऐसे व्यक्ति के संबंध में विनिर्दिष्ट विधियों के उल्लंघन के संबंध में जानकारी है और अद्यतन

1961 का 43

विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख से पहले उसे इसकी सूचना दे दी गई है;

(vii) उक्त कर वर्ष के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 90 या धारा 90क या इस अधिनियम की धारा 159 में निर्दिष्ट किसी करार के अधीन ऐसे व्यक्ति के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है और उसे अद्यतन विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख से पहले इसकी सूचना दे दी गई है ।

(viii) अध्याय 22 के अधीन कोई अभियोजन कार्यवाही ऐसे व्यक्ति के संबंध में उक्त कर वर्ष के लिए अद्यतन विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख से पहले कार्यवाही आरंभ की गई हो; या

(ix) सुसंगत कर वर्ष के पश्चात् आने वाले वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छत्तीस मास बीत चुके हों, और उसके मामले में धारा 281 के अधीन कारण बताओ नोटिस जारी किया गया हो, सिवाय इसके कि धारा 281(3) के अधीन आदेश पारित किया गया हो, जिसमें यह निर्धारित किया गया हो कि धारा 280 के अधीन नोटिस जारी करना उपयुक्त मामला नहीं है ; या

(x) वह ऐसा व्यक्ति है या व्यक्तियों के ऐसे वर्ग से संबंधित है, जैसा कि बोर्ड द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किया गया है ।

(घ) कोई व्यक्ति आय का अद्यतन विवरणी प्रस्तुत करने के लिए भी पात्र नहीं होगा, जहां—

(i) उस व्यक्ति के मामले में धारा 247 के अधीन तलाशी शुरू की गई है या धारा 248 के अधीन लेखा बही या अन्य दस्तावेज या कोई आस्तियां अभिगृहीत की गई हैं ;

(ii) उस व्यक्ति के मामले में, उक्त धारा की उपधारा (4) से भिन्न, धारा 253 के अधीन सर्वेक्षण किया गया है ;

(iii) उस व्यक्ति को धारा 295 के उपबंधों के अनुसरण में धारा 294 के अधीन जारी की गई नोटिस,

उस कर वर्ष के लिए जिसमें ऐसी तलाशी आरंभ की गई हो या सर्वेक्षण किया गया हो या अधिग्रहीत किया गया हो और ऐसे कर वर्ष से पूर्व का कोई कर वर्ष;

(ड.) यदि किसी व्यक्ति ने किसी कर वर्ष के लिए खंड क के अधीन आयकर विवरणी प्रस्तुत की है और परिणाम स्वरूप अध्याय 7 के अधीन आगे ले जाई गई हानि या उसका कोई भाग या धारा 33(3)(ख) के अधीन आगे ले जाई गई अनवशोषित मूल्यहास या धारा 206(1)(ड) से (त) के अधीन आगे ले जाई गई कर प्रत्यय को किसी भी अगामी कर वर्ष के लिए कम किया जाता है, तो ऐसे प्रत्येक अगामी कर वर्ष के लिए एक अद्यतन विवरणी प्रस्तुत की जाएगी ।

(7) इस धारा के अधीन फाइल आय-कर विवरणी को दोषपूर्ण माना जाएगा यदि वह निर्धारित सभी शर्तों जो विहित की जाएं के अनुरूप नहीं है और उसके साथ निम्नलिखित रीति से कार्रवाई की जाएगी:—

(क) जहां निर्धारण अधिकारी का यह विचार है कि निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत आय-कर विवरणी त्रुटिपूर्ण है, वहां वह निर्धारिती को त्रुटि की सूचना दे सकता है

और उसे ऐसी सूचना की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर या विवरणी द्वारा इस संबंध में किए गए आवेदन पर दी गई अतिरिक्त अवधि के भीतर त्रुटि को सुधारने का अवसर दे सकता है;

(ख) यदि खंड (क) के अधीन दी गई अवधि के भीतर दोष का सुधार नहीं किया जाता है, तो विवरणी को अविधिमान्य विवरणी मानी जाएगी और इस अधिनियम के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो अभिगृहीत विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहा हो;

(ग) जहां निर्धारित खंड (क) के अधीन अनुज्ञात अवधि की समाप्ति के पश्चात्, किन्तु कर निर्धारण किए जाने से पूर्व, दोष का निवारण कर लेता है, वहां कर निर्धारण अधिकारी विलम्ब को माफ कर सकेगा और विवरणी को वैध विवरणी मान सकेगा।

(8)(क) इस धारा के उपबंध आय के विवरणी पर भी लागू होंगे जो धारा 239(3)(ख) के अधीन पारित आदेश के अनुसरण में प्रस्तुत किया जाता है।

(ख) इस धारा के उपबंध धारा 402(39) में निर्दिष्ट किसी निर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक पर उस सुसंगत कर वर्ष के लिए लागू नहीं होंगे जिसमें धारा 393(1) के अधीन स्रोत पर कर की कटौती की गई है [सारणी: क्र.सं. 8 (iii)]।

(9) इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) किसी आस्ति के संबंध में "हिताधिकारी स्वामी" से ऐसा व्यक्ति से अभिप्रेत है जिसने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अपने या किसी अन्य व्यक्ति के तत्काल या भविष्य के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ के लिए आस्ति के लिए प्रतिफल प्रदान किया है;

(ख) किसी आस्ति के संबंध में "हिताधिकारी" से ऐसे व्यक्ति से अभिप्रेत है जो कर वर्ष के दौरान आस्ति से लाभ प्राप्त करता है और ऐसी आस्ति के लिए प्रतिफल ऐसे लाभार्थी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रदान किया गया है;

(ग) "निर्दिष्ट इकाई" से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

- (i) अनुसूची 3 (सारणी: क्र.सं.23) में निर्दिष्ट अनुसंधान संघ ;
- (ii) अनुसूची 3 (सारणी: क्र.सं.24) में निर्दिष्ट संघ या संस्था;
- (iii) अनुसूची 7 (सारणी: क्र.सं.2) में निर्दिष्ट व्यक्ति;
- (iv) अनुसूची 3 (सारणी: क्र.सं.25) में निर्दिष्ट संस्थान;
- (v) अनुसूची 7 (सारणी: क्र.सं.17), (सारणी: क्र.सं. 18) और (सारणी: क्र.सं.19) में निर्दिष्ट कोई विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान या कोई अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्थान;
- (vi) अनुसूची 7 (सारणी: क्र.सं.20) और (सारणी: क्र.सं.21) में संदर्भित म्यूचुअल फंड;
- (vii) अनुसूची 3 (सारणी: क्र.सं.26) में निर्दिष्ट प्रतिभूतिकरण ट्रस्ट;
- (viii) अनुसूची 3 (सारणी: क्र.सं.28) और (सारणी: क्र.सं.29) में

निर्दिष्ट विनिधानकर्ता निधि;

(ix) अनुसूची 3 (सारणी: क्र.सं.30) में निर्दिष्ट कोर निपटान गारंटी निधि;

(x) अनुसूची 5 (सारणी: क्र.सं.6) में निर्दिष्ट जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि;

(xi) अनुसूची 3 (सारणी: क्र.सं.31) में निर्दिष्ट व्यापार संघ यूनियन या संगम;

(xii) अनुसूची 7 (सारणी: क्र.सं.33) और (सारणी: क्र.सं.40) में निर्दिष्ट बोर्ड या प्राधिकरण;

(xiii) अनुसूची 3 (सारणी: क्र.सं.36) में निर्दिष्ट निकाय या प्राधिकरण या बोर्ड या ट्रस्ट या आयोग (चाहे किसी भी नाम से जाना जाए);

(xiv) अनुसूची 7 में निर्दिष्ट अवसंरचना ऋण निधि (सारणी: क्र.सं.46); और

1976 का 13
1988 का 45
2003 का 15
2015 का 22

(घ) "विनिर्दिष्ट विधि" से तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति जब्ती) अधिनियम, 1976; या बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988; या धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002; या काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 से होगा।

264. (1) बोर्ड कर विवरणी तैयार करने वाले के माध्यम से आय-कर विवरणी प्रस्तुत करने के लिए एक स्कीम बना सकता है और ऐसी स्कीम—

कर विवरणी तैयारकर्ताओं के माध्यम से विवरणी प्रस्तुत करने की स्कीम।

(क) किसी निर्दिष्ट वर्ग या वर्गों के व्यक्तियों को स्कीम के अधीन इस प्रकार कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर विवरणी तैयारकर्ता के माध्यम से आय-कर विवरणी तैयार करने और प्रस्तुत करने में सक्षम बना सकता है;

(ख) धारा 263 के उपबंधों पर ध्यान दिए बिना किया जा सकेगा।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "कर विवरणी तैयारकर्ता" से किसी ऐसे व्यक्ति से है, जो धारा 515(3)(क)(ii) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति या "व्यक्तियों के विनिर्दिष्ट वर्ग या वर्गों" का कर्मचारी नहीं है, जिसे इस धारा के अधीन बनाई गई स्कीम के अधीन कर विवरणी तैयारकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है;

(ख) "विनिर्दिष्ट वर्ग या व्यक्तियों के वर्ग" से किसी कंपनी या ऐसे व्यक्ति के अतिरिक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसके खातों की धारा 63 के अधीन या किसी अन्य विधि के अधीन लेखापरीक्षा की आवश्यकता होती है, जिसे इस अधिनियम के अधीन आय का विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट स्कीम के लिए प्रत्येक अधिसूचना इस अधिनियम की धारा 534 के अनुसार जारी की जाएगी।

विवरणी किसके द्वारा सत्यापित किया जाना है।

265. धारा 263 के अधीन आय-कर विवरणी नीचे दी गई सारणी के स्तंभ ख में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा की गई जानकारी को उक्त सारणी

के स्तंभ ग में संगत प्रविष्टि में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

सारणी

क्रम सं.	आय विवरणी प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति	सत्यापित किया जाना है
क	ख	ग
1.	एक व्यक्ति	(i) व्यक्ति द्वारा स्वयं; (ii) जहां व्यक्ति मानसिक रूप से अपने कार्यों को करने में असमर्थ हो, वहां उसके अभिभावक या उसकी ओर से कार्य करने में सक्षम किसी अन्य व्यक्ति द्वारा; (iii) जहां किसी अन्य कारण से, व्यक्ति के लिए विवरणी को सत्यापित करना संभव नहीं है, वहां उसके द्वारा वैध मुख्तारनामा के माध्यम से विधिवत प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा विवरणी को सत्यापित किया जा सकता है।
2.	एक हिन्दू अविभाजित परिवार	(i) कर्ता द्वारा; (ii) जहां कर्ता से अनुपस्थित हो या अपने कार्यों को करने में मानसिक रूप से अक्षम हो, वहां ऐसे परिवार के किसी अन्य वयस्क सदस्य द्वारा।
3.	एक कंपनी [क्रम संख्यांक 4, 5, 6 और 7 में उल्लिखित मामलों के अतिरिक्त अन्य मामलों में]	(i) कंपनी के प्रबंध निदेशक द्वारा; (ii) जहां कोई प्रबंध निदेशक नहीं है, या प्रबंध निदेशक किसी अपरिहार्य कारण से विवरणी को सत्यापित करने में सक्षम नहीं है, वहां कंपनी के किसी निदेशक या विवरणी को सत्यापित करने के लिए निर्धारित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जो विहित किया जाए।
4.	एक कंपनी जो भारत की निवासी नहीं है।	ऐसा करने के लिए कंपनी से वैध मुख्तारनामा रखने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा।
5.	ऐसी कंपनी जिसका न्यायालय के आदेश द्वारा या अन्यथा समापन किया जा रहा हो, या जहां किसी व्यक्ति को कंपनी की किसी आस्ति का रिसीवर नियुक्त	धारा 322(1) में निर्दिष्ट परिसमापक द्वारा।

किया गया हो

6. ऐसी कंपनी जिसका प्रबंधन किसी विधि के अधीन केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा अपने अधीन ले लिया गया हो । कंपनी के प्रधान अधिकारी द्वारा।
7. एक कंपनी, जिसके लिए कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया की मांग करने वाला आवेदन दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 7 या धारा 9 या धारा 10 के अधीन न्यायनिर्णयन प्राधिकरण द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। ऐसे न्यायनिर्णयन प्राधिकरण द्वारा नियुक्त दिवाला पेशेवर द्वारा, जहां—
टिप्पण—“दिवालियापन वृन्तिक” और “न्यायनिर्णायक प्राधिकारी” के वही अर्थ होंगे जो उन्हें क्रमशः दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 3 (19) और 5 (1) में दिए गए हैं।
8. फर्म
 - (i) फर्म के प्रबंध साझेदार द्वारा;
 - (ii) जहां प्रबंध साझेदार किसी अपरिहार्य कारण से विवरणी को सत्यापित करने में सक्षम नहीं है, या कोई प्रबंध साझेदार नहीं है, वहां फर्म के किसी भी साझेदार द्वारा, जो अवयस्क न हो।
9. सीमित दायित्व वाली भागीदारी
 - (i) सीमित दायित्व भागीदारी के नामनिर्दिष्ट भागीदार द्वारा;
 - (ii) जहां सीमित दायित्व भागीदारी का नामनिर्दिष्ट भागीदार किसी अपरिहार्य कारण से रिटर्न को सत्यापित करने में सक्षम नहीं है, या जहां कोई नामनिर्दिष्ट भागीदार नहीं है, वहां सीमित दायित्व भागीदारी के किसी भी भागीदार या विवरणी को सत्यापित करने के लिए निर्धारित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जैसा विहित किया जाए।
10. एक स्थानीय प्राधिकरण स्थानीय प्राधिकरण के प्रधान अधिकारी द्वारा।
11. धारा 263(1)(क)(iii) में निर्दिष्ट राजनीतिक दल ऐसे राजनीतिक दल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा (चाहे मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सचिव या किसी अन्य

- पदनाम से जाना जाता हो)।
12. कोई अन्य संघ (i) संघ के किसी सदस्य द्वारा; या
(ii) संघ के प्रधान अधिकारी द्वारा।
13. कोई अन्य व्यक्ति (i) व्यक्ति द्वारा स्वयं; या
(ii) उसकी ओर से कार्य करने के लिए सक्षम किसी व्यक्ति द्वारा।

स्वमूल्यांकन।

266. (1) जहां उपधारा (2) में निर्दिष्ट रकमों को ध्यान में रखने के पश्चात्, धारा 263 या धारा 268 या धारा 280 या धारा 294 के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित किसी विवरणी के आधार पर कोई कर देय है, तब—

(क) निर्धारित विवरणी प्रस्तुत करने में किसी विलम्ब या विवरणी प्रस्तुत करने से पूर्व अग्रिम कर के भुगतान में किसी चूक या विलम्ब के लिए इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन देय ब्याज और शुल्क सहित ऐसे कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा; और

(ख) विवरणी के साथ कर, ब्याज और शुल्क के भुगतान का प्रमाण संलग्न करना होगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट रकमों निम्नलिखित होंगी,—

(क) इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन पहले से भुगतान की गई कर की रकम, यदि कोई हो;

(ख) स्रोत पर काटा गया या संग्रहित कोई कर;

(ग) धारा 157 के अधीन दावा किए गए कर की कोई छूट;

(घ) भारत से बाहर के किसी बाहरी देश में भुगतान किए गए कर के कारण धारा 159(1) या धारा 160 के अधीन दावा की गई कर की कोई राहत या कर कटौती या ;

(ङ) धारा 159(2) के अधीन उस धारा में निर्दिष्ट किसी भी निर्दिष्ट क्षेत्र के भारत से बाहर भुगतान किए गए कर के कारण कर की कोई राहत का दावा किया गया;

(च) धारा 206(1)(ड) से (त) और धारा 206(2)(ड) से (ज) के अनुसार मुजरा किए जाने का दावा किया गया कोई कर प्रत्यय ; और

(छ) धारा 391(2) के उपबंधों के अनुसार देय कोई कर या ब्याज।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन निर्धारित द्वारा संदत्त रकम उक्त उपधारा के अधीन देय कर, ब्याज और फीस की कुल रकम से कम हो, वहां इस प्रकार संदत्त रकम को पहले देय फीस के प्रति समायोजित किया जाएगा और तत्पश्चात् देय ब्याज के प्रति समायोजित किया जाएगा और शेष, यदि कोई हो, को देय कर के प्रति समायोजित किया जाएगा।

(4) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, धारा के अधीन देय ब्याज धारा 423 की गणना विवरणी में घोषित कुल आय पर कर की रकम में से निम्नलिखित रकम घटाकर की जाएगी,—

- (क) अग्रिम कर, यदि कोई हो, का भुगतान;
 (ख) स्रोत पर काटा गया या संग्रहित कोई कर;
 (ग) धारा 157 के अधीन दावा किए गए कर की कोई छूट ;
 (घ) भारत से बाहर किसी देश में भुगतान किए गए कर के कारण धारा 159(1) या 160 के अधीन दावा की गई कर की कोई राहत या कर कटौती ;
 (ङ) धारा 159(2) के अधीन दावा किए गए कर की कोई राहत उस धारा में निर्दिष्ट भारत के बाहर किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में भुगतान किए गए कर के कारण ;
 और

(च) धारा 206(1)(ड) से (त) और धारा 206(2)(ड) से (ज) के उपबंधों के अनुसार सेट ऑफ किए जाने का दावा किया गया कोई कर क्रेडिट ।

(5) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, धारा 424 के अधीन देय ब्याज की गणना निर्धारित कर के बराबर रकम पर या, जैसा भी मामला हो, उस रकम पर की जाएगी जो भुगतान किया गया अग्रिम कर निर्धारित कर से कम है।

(6) उपधारा (5) में, “निर्धारित कर” से विवरणी में घोषित कुल आय पर कर अभिप्रेत है, जिसमें से निम्नलिखित रकम घटाई गई है,—

(क) अध्याय 19-ख के उपबंधों के अनुसार, किसी भी आय पर स्रोत पर कटौती या संग्रह किया गया कर, जो ऐसी कटौती या संग्रह के अधीन है और जिसे ऐसी कुल आय की गणना में ध्यान में रखा जाता है;

(ख) धारा 157 के अधीन दावा किए गए कर की कोई राहत ;

(ग) भारत से बाहर किसी देश में भुगतान किए गए कर के कारण धारा 159(1) या 160 के अधीन दावा की गई कर की कोई राहत या कर कटौती ;

(घ) धारा 159(2) के अधीन उस धारा में निर्दिष्ट भारत के बाहर किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में भुगतान किए गए कर के कारण दावा किए गए कर की कोई राहत ; और

(ङ) धारा 206(1)(ड) से (त) और धारा 206(2)(ड) से (ज) के उपबंधों के अनुसार मुजरा किए जाने का दावा किया गया कोई भी कर प्रत्यय ।

(7) धारा 270 या धारा 271 के अधीन नियमित कर निर्धारण या धारा 294 के अधीन कर निर्धारण किए जाने के पश्चात् उपधारा (1) के अधीन संदत्त कोई रकम ऐसे नियमित कर निर्धारण या कर निर्धारण के लिए संदत्त की गई समझी जाएगी।

(8) यदि कोई करदाता उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार ऐसे कर, ब्याज या फीस का सम्पूर्ण या आंशिक भुगतान करने में असफल रहता है, तो उसे असंदत्त कर, ब्याज या फीस के संबंध में चूककर्ता करदाता माना जाएगा और इस अधिनियम के सभी उपबंध तदनुसार लागू होंगे।

(9) उपधारा (8) के उपबंध, करदाता को होने वाले किसी अन्य परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना लागू होंगे।

अद्यतन विवरणी
पर कर ।

267. (1) जहां किसी करदाता द्वारा धारा 263(1) या धारा 263(4) के अधीन कोई आय-विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई है और उपधारा (2) में निर्दिष्ट रकमों को हिसाब

में लेने के पश्चात्, ऐसे करदाता द्वारा उपधारा 263(6) के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी के आधार पर कर देय है, वहां—

(क) करदाता विवरणी प्रस्तुत करने में किसी देरी या अग्रिम कर के भुगतान में किसी चूक या देरी के लिए इस अधिनियम के किसी भी उपबंध के अधीन देय ब्याज और शुल्क के साथ ऐसे कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा;

(ख) ऐसा कर, ब्याज और शुल्क विवरणी प्रस्तुत करने से पहले उपधारा (5) के अनुसार संगणित अतिरिक्त आय-कर के भुगतान के साथ देय होगा; और

(ग) विवरणी के साथ ऐसे कर, अतिरिक्त आय-कर, ब्याज और शुल्क के भुगतान का प्रमाण संलग्न किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट रकमों निम्नलिखित होंगी,—

(क) कर की रकम, यदि कोई हो, जो अग्रिम कर के रूप में पहले ही संदत्त कर दी गई है;

(ख) स्रोत पर काटा गया या संग्रहित कोई कर;

(ग) धारा 157 के अंतर्गत दावा किए गए कर की कोई राहत ;

(घ) भारत से बाहर किसी देश में संदत्त किए गए कर के कारण धारा 159(1) या धारा 160 के अधीन दावा किए गए कर की कोई राहत या कर कटौती ;

(ङ) धारा 159(2) के अधीन उस धारा में निर्दिष्ट भारत के बाहर किसी निर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में संदत्त किए गए कर के कारण दावा किए गए कर की कोई राहत; और

(च) धारा 206(1)(ड) से (त) और धारा 206(2)(ड) से (ज) के उपबंधों के अनुसार मुजरा किए जाने का दावा किया गया कोई कर प्रत्यय ।

(3) जहां, धारा 263(1) या (4) या धारा 263(5) के अधीन आय-कर विवरणी (जिसे पहले विवरणी कहा गया है) एक निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत किया गया है और उपधारा (4) में निर्दिष्ट रकमों को ध्यान में रखने के पश्चात् [ऐसे पहले विवरणी के संबंध में जारी किए गए प्रतिदाय की रकम, यदि कोई हो, द्वारा बढ़ाया गया], धारा 263(6) के अधीन ऐसे करदाता द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाली विवरणी के आधार पर कर देय है, तो—

(क) निर्धारिती अग्रिम कर के भुगतान में किसी चूक या देरी के लिए इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन देय ब्याज सहित ऐसे कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा;

(ख) ऐसा कर, ब्याज और फीस उपधारा (5) के अनुसार संगणित अतिरिक्त आय-कर के भुगतान के साथ देय होगी, जिसमें से विवरणी प्रस्तुत करने से पूर्व, पहले विवरणी में इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन भुगतान किए गए ब्याज की रकम घटाई जाएगी; और

(ग) विवरणी के साथ ऐसे कर, अतिरिक्त आय-कर, ब्याज और शुल्क के भुगतान का प्रमाण संलग्न किया जाएगा।

(4) उपधारा (3) में निर्दिष्ट रकम निम्नलिखित होंगी,—

(क) धारा 266(1) में निर्दिष्ट राहत या कर की रकम, जिसका प्रत्यय पहली विवरणी में लिया गया है;

(ख) अध्याय 19-ख के उपबंधों के अनुसार, किसी भी आय पर स्रोत पर कटौती या संग्रह किया गया कर, जो ऐसी कटौती या संग्रह के अधीन है और जिसे कुल आय की गणना में ध्यान में रखा जाता है और जिसे पहले विवरणी में शामिल नहीं किया गया है;

(ग) धारा 159(1) या धारा 160 के अधीन दावा की गई कर की कोई राहत या कर की कटौती, जिसे पहले विवरणी में शामिल नहीं किया गया है;

(घ) धारा 159(2) के अधीन भारत के बाहर किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में भुगतान किए गए कर के कारण उस धारा में निर्दिष्ट किसी आय पर दावा किए गए कर की कोई राहत, जिसे पहले विवरणी में शामिल नहीं किया गया है; और

(ड) धारा 206(1)(ड) से (त) और धारा 206(2)(ड) से (ज) के उपबंधों के अनुसार मुजरा किए जाने वाले किसी भी कर प्रत्यय का दावा किया गया है, जिसका दावा पहली विवरणी में नहीं किया गया है।

(5) उपधारा (1) और उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए, धारा 263(6) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करते समय देय अतिरिक्त आय-कर निम्नलिखित के बराबर होगा,—

(क) उपधारा (1) या उपधारा (3) में निर्धारित कर और देय ब्याज के कुल का 25%, जैसा भी मामला हो, यदि ऐसा रिटर्न धारा 263(4) के अधीन उपलब्ध समय की समाप्ति के बाद प्रस्तुत किया जाता है या उपधारा (5) और सुसंगत कर वर्ष के बाद आने वाले वित्तीय वर्ष की समाप्ति से बारह महीने पूरे होने से पहले; या

(ख) उपधारा (1) या उपधारा (3) में निर्धारित कर और देय ब्याज के कुल का 50%, जैसा भी मामला हो, यदि ऐसी विवरणी वित्तीय वर्ष की समाप्ति से बारह महीने की समाप्ति के पश्चात्, लेकिन सुसंगत कर वर्ष के बाद आने वाला वर्ष चौबीस महीने पूरे होने से पहले प्रस्तुत की जाती है।

(ग) उपधारा (1) या उपधारा (3) में निर्धारित कर और ब्याज के योग का 60%, जैसी भी स्थिति हो, यदि ऐसी विवरणी सुसंगत कर वर्ष के पश्चात् आने वाले वित्तीय वर्ष की समाप्ति से चौबीस मास की समाप्ति के पश्चात्, लेकिन छत्तीस मास पूरे होने से पहले प्रस्तुत किया जाता है; या

(घ) उपधारा (1) या उपधारा (3) में निर्धारित कर और ब्याज के योग का 70%, जैसी भी स्थिति हो, यदि ऐसी विवरणी सुसंगत कर वर्ष के पश्चात् आने वाले वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छत्तीस मास की समाप्ति के पश्चात्, लेकिन अड़तालीस मास पूरे होने से पहले प्रस्तुत किया जाता है।

(6) इस धारा के अधीन "अतिरिक्त आय-कर" की गणना के प्रयोजनों के लिए, कर में ऐसे कर पर अधिभार और उपकर, चाहे उसे किसी भी नाम से ज्ञात हो, सम्मिलित होगा।

(7) धारा 424 (2) में अंतर्विष्ट किसी भी बात पर ध्यान दिए बिना, उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए, के अधीन देय ब्याज अनुभाग 424 की गणना निर्धारित कर के बराबर रकम पर की जाएगी, जहां "निर्धारित कर" का अर्थ धारा 263(6) के अधीन

प्रस्तुत किए जाने वाली विवरणी में घोषित कुल आय पर कर है,—

(क) निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए,—

(i) धारा 266(1) में निर्दिष्ट राहत या कर की रकम, जिसका प्रत्यय पूर्ववर्ती विवरणी में दावा किया गया है, यदि कोई हो;

(ii) अध्याय 19-ख के उपबंधों के अनुसार, किसी भी आय पर स्रोत पर कटौती या संग्रह किया गया कर, जो ऐसी कटौती या संग्रह के अधीन है और जिसे ऐसी कुल आय की गणना में ध्यान में रखा जाता है, जिसे पहले विवरणी में शामिल नहीं किया गया है;

(iii) धारा 159(1) या धारा 160 के अधीन भारत से बाहर किसी देश में भुगतान किए गए कर के कारण ऐसी आय पर दावा की गई कर की कोई राहत या कर की कटौती, जिसे पहले अधीन में शामिल नहीं किया गया है;

(iv) धारा 159(2) के अधीन भारत के बाहर किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में भुगतान किए गए कर के कारण धारा 159(2) के अधीन दावा की गई कर की कोई राहत, उस आय पर जो पहले विवरणी में शामिल नहीं की गई है;

(v) धारा 206(1)(ड) से (त) और धारा 206(2)(ड) से (ज) के अनुसार मुजरा किए जाने वाले कोई भी कर प्रत्यय का दावा, जिसका पहले विवरणी में दावा नहीं किया गया है; तथा

(ख) ऐसे पूर्ववर्ती विवरणी के संबंध में जारी किए गए प्रतिदाय की रकम, यदि कोई हो, में वृद्धि की जाएगी।

(8) यदि इस धारा के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से अधिसूचना द्वारा, कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए दिशानिर्देश जारी कर सकेगा।

(9) उपधारा (8) के अधीन बोर्ड द्वारा जारी प्रत्येक दिशानिर्देश संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा, जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक क्रमिक सत्रों में पूरी हो सकती है, और यदि सत्र के ठीक पश्चात् के सत्र अथवा पूर्वोक्त क्रमिक सत्र की समाप्ति के पूर्व दोनों सदन ऐसे दिशानिर्देश में कोई संशोधन करने पर सहमत हो जाएं अथवा दोनों सदन सहमत हो जाएं कि दिशानिर्देश जारी नहीं किया जाना चाहिए, तो उसको पश्चात् दिशानिर्देश ऐसे संशोधित रूप से ही प्रभावी होगा अथवा उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, जैसी भी स्थिति हो ; तथापि, ऐसा कोई भी संशोधन अथवा निरस्तीकरण उस दिशानिर्देश के अधीन पहले की गई किसी भी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा ।

(10) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए धारा 423 के अधीन देय ब्याज की गणना धारा 266(4) के अनुसार, धारा 266(6) के अधीन विवरणी में घोषित कुल आय पर कर की रकम पर की जाएगी;

(ख) उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए धारा 425 के अधीन देय ब्याज की गणना धारा 263(6) के अधीन विवरणी में दी गई कुल आय को विवरणी की गई आय के रूप में लेने के पश्चात् की जाएगी;

(ग) उपधारा (5) के प्रयोजनों के लिए देय ब्याज, इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन धारा 263(6) के अधीन प्रस्तुत विवरणी के अनुसार आय पर प्रभार्य ब्याज होगा, जिसमें से पूर्ववर्ती विवरणी के अनुसार, यदि कोई हो, चुकाया गया ब्याज घटाया जाएगा।

(11) उपधारा (11)(ग) के प्रयोजनों के लिए, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अद्यतन विवरणी के मामले में, पूर्व विवरणी में भुगतान किया गया ब्याज शून्य होगा।

अध्याय 16

निर्धारण के लिए प्रक्रिया

क. निर्धारण के लिए प्रक्रिया

268. (1) इस अधिनियम के अधीन कर निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए, कर निर्धारण अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसने धारा 263 के अधीन विवरणी दी है या जिसके मामले में विवरणी देने के लिए धारा 263(1) के अधीन अनुज्ञात समय समाप्त हो गया है, उसमें विनिर्दिष्ट तारीख को, यह अपेक्षा करते हुए नोटिस तामील कर सकेगा कि,—

निर्धारण से पहले जांच।

(क) जहां ऐसे व्यक्ति ने धारा 263(1) के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर या सुसंगत कर वर्ष के बाद आने वाले वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व विवरणी फाइल नहीं किया है, वहां अपनी आय या किसी अन्य व्यक्ति की आय, जिसके संबंध में वह इस अधिनियम के अधीन करयोग्य है, की विवरणी ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से सत्यापित करके और ऐसी अन्य विशिष्टियां जो विहित की जाएं, देते हुए उपवर्णित करने के लिए;

(ख) ऐसे लेखे या दस्तावेज प्रस्तुत करना या प्रस्तुत करवाना जिनकी कर निर्धारण अधिकारी को आवश्यकता हो;

(ग) ऐसे प्ररूप में और ऐसे बिंदुओं या विषयों पर (जिनमें निर्धारिती की सभी आस्तियों और देनदारियों का विवरण भी शामिल है, चाहे वे खातों में शामिल हों या नहीं) अवलिखित रूप में और निर्धारित रीति से जो विहित किया जाए, सत्यापित जानकारी प्रस्तुत करना, जैसा कि कर निर्धारण अधिकारी अपेक्षा करे।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए,—

(क) कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारिती से लेखाओं में शामिल न की गई सभी आस्तियों और देनदारियों का विवरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा करने से पहले संयुक्त आयुक्त का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा;

(ख) निर्धारण अधिकारी को सुसंगत कर वर्ष से तीन वर्ष से अधिक पूर्व की अवधि से संबंधित कोई लेखा प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(3) उपधारा (1)(क) के अधीन नोटिस विहित आय-कर प्राधिकारी द्वारा भी दिया जा सकेगा।

(4) किसी व्यक्ति की आय या हानि के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ, निर्धारण अधिकारी ऐसी जांच कर सकेगा, जिसे वह आवश्यक समझे।

(5) यदि कर निर्धारण अधिकारी अपने समक्ष कार्यवाही के किसी भी चरण में, निम्नलिखित का ध्यान रखेगा,—

- (क) खातों की प्रकृति और जटिलता; या
- (ख) खातों का आकार; या
- (ग) खातों की शुद्धता के बारे में संदेह; या
- (घ) खातों में लेन-देन की बहुलता; या
- (ङ) करदाता की व्यावसायिक गतिविधि की विशेष प्रकृति,

और राजस्व के हित में, यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक है, तो वह प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से, निर्धारिती को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, उसे निम्नलिखित में से कोई एक या दोनों प्राप्त करने का निर्देश दे सकता है—

(i) लेखों की लेखापरीक्षा एक लेखाकार से कराना, और ऐसे लेखापरीक्षा की रिपोर्ट ऐसे विहित प्ररूप में प्रस्तुत करना, जो ऐसे लेखाकार द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित और सत्यापित हो और ऐसी विशिष्टियां उपवर्णित करना जैसा विहित किया जाए एवं ऐसी अन्य विशिष्टियां, जिनका निर्धारण अधिकारी अपेक्षा कर सके;

(ii) एक लागत लेखाकार द्वारा सूची का मूल्यांकन करवाना, तथा निर्धारित प्ररूप में ऐसी सूची मूल्यांकन की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना, जो ऐसे लागत लेखाकार द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित हो और ऐसी विशिष्टियां उपवर्णित करना जैसा विहित किया जाए, तथा ऐसी अन्य विशिष्टियां जिनका मूल्यांकन अधिकारी अपेक्षा कर सके।

(6) उपधारा (5) में निर्दिष्ट लेखाकार या लागत लेखाकार को उक्त उपधारा के प्रयोजनों के लिए प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(7) उपधारा (5) के उपबंध इस बात पर ध्यान दिए बिना प्रभावी होंगे कि क्या निर्धारिती के लेखाओं की लेखापरीक्षा किसी अन्य प्रवृत्त विधि के अधीन की गई है या नहीं।

(8) उपधारा (5) के अधीन प्रत्येक रिपोर्ट, निर्धारिती द्वारा कर निर्धारण अधिकारी को, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।

(9) निर्धारण अधिकारी स्वप्रेरणा से या निर्धारिती द्वारा इस निमित्त किए गए आवेदन पर और किसी अच्छे और पर्याप्त कारण से, उपधारा (10) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उपधारा (8) में निर्दिष्ट अवधि को ऐसी अतिरिक्त अवधि या अवधियों के लिए बढ़ा सकेगा, जैसी वह ठीक समझे।

(10) उपधारा (8) के अधीन मूलतः नियत अवधि और उपधारा (9) में निर्दिष्ट इस प्रकार विस्तारित अवधि या अवधियों का योग, किसी भी दशा में, उस मास के अंत से छह मास से अधिक नहीं होगा जिसमें उपधारा (5) के अधीन निदेश निर्धारिती द्वारा प्राप्त किया जाता है।

(11) उपधारा (5) के अधीन किसी लेखापरीक्षा या सूची मूल्यांकन के व्यय (जिसमें लेखाकार या लागत लेखाकार के आकस्मिक व्यय और पारिश्रमिक भी शामिल हैं) निम्नलिखित होंगे—

(क) प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा इस निमित्त दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा संदत्त किया जाएगा।

(12) निर्धारिती को, सिवाय उस स्थिति के जहां निर्धारण धारा 271 के अधीन किया गया हो, उपधारा (4) के अधीन किसी जांच या उपधारा (5) के अधीन किसी लेखापरीक्षा या सूची मूल्यांकन के आधार पर एकत्रित की गई और निर्धारण के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए प्रस्तावित किसी सामग्री के संबंध में सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

(13) इस धारा में, "लागत लेखापाल" से लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 2(1)(ख) में परिभाषित लागत लेखापाल अभिप्रेत है और जो उक्त अधिनियम की धारा 6(1) के अधीन कारबार का वैध प्रमाणपत्र रखता है।

269. (1) मूल्यांकन अधिकारी, मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए, किसी आस्ति, संपत्ति या निवेश के उचित बाजार मूल्य सहित मूल्य का अनुमान लगाने के लिए मूल्यांकन अधिकारी को संदर्भित कर सकेगा और रिपोर्ट की एक प्रति उसे प्रस्तुत कर सकेगा।

मूल्यांकन
अधिकारी द्वारा
आस्तियों के मूल्य
का आकलन।

(2) कर निर्धारण अधिकारी उपधारा (1) के अधीन मूल्यांकन अधिकारी को संदर्भित कर सकेगा, चाहे वह निर्धारिती के लेखाओं की शुद्धता या पूर्णता के बारे में संतुष्ट हो या नहीं।

(3)(क) आस्ति, संपत्ति या निवेश के उचित बाजार मूल्य सहित मूल्य का आकलन करने के लिए, मूल्यांकन अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत कोई इंजीनियर, पर्यवेक्षक, सर्वेक्षक या निर्धारणकर्ता, इस संबंध में बनाए गए किसी भी नियम के अधीन और यथाविहित ऐसे युक्तियुक्तक समय पर,—

(i) मूल्यांकन अधिकारी को समनुदेशित किए गए क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी भूमि में प्रवेश कर सकता है; या

(ii) किसी भी भूमि, भवन या अन्य स्थान में प्रवेश कर सकता है जो किसी ऐसे व्यक्ति से संबंधित है या उसके कब्जे में है जिसके मूल्यांकन के संबंध में मूल्यांकन अधिकारी को संदर्भ दिया गया है; या

(iii) किसी भी आस्ति, संपत्ति या विनिधान का निरीक्षण कर सकता है जिसके संबंध में मूल्यांकन अधिकारी को संदर्भ दिया गया है;

(ख) मूल्यांकन अधिकारी या कोई इंजीनियर, पर्यवेक्षक, सर्वेक्षक या निर्धारणकर्ता ऐसी भूमि, भवन या अन्य स्थान या ऐसी आस्ति, संपत्ति या विनिधान के प्रभारी या अधिभोगी या कब्जे वाले किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह निम्नलिखित के लिए आवश्यक सुविधा प्रदान करे:—

(i) ऐसी भूमि, भवन या अन्य स्थान या ऐसी आस्ति, संपत्ति या विनिधान

का सर्वेक्षण या निरीक्षण करे;

(ii) उसके मूल्य का अनुमान लगाए; या

(iii) ऐसी आस्ति, संपत्ति या निवेश के मूल्यांकन के लिए प्रासंगिक किसी भी लेखा बही, दस्तावेज या अभिलेख का निरीक्षण करना तथा उससे संबंधित अन्य विवरण एकत्र करना।

(ग) कोई भी मूल्यांकन अधिकारी, इंजीनियर, पर्यवेक्षक, सर्वेक्षक या निर्धारणकर्ता खंड (क)(ii) में निर्दिष्ट किसी भी भूमि, भवन या स्थान में प्रवेश नहीं करेगा, या खंड (क)(iii) में निर्दिष्ट किसी भी आस्ति, संपत्ति या विनिधान का निरीक्षण नहीं करेगा, सिवाय उस भूमि, भवन, स्थान, या आस्ति, संपत्ति या विनिधान के प्रभारी, या उस पर कब्जा या कब्जे वाले व्यक्ति की सहमति के, ऐसे व्यक्ति को ऐसा करने के अपने इरादे के बारे में कम से कम दो दिन पहले अवलिखित में सूचना दिए बिना।

(घ) यदि कोई व्यक्ति, जिसे इस उपधारा के अधीन मूल्यांकन अधिकारी या इंजीनियर, पर्यवेक्षक, सर्वेक्षक या निर्धारणकर्ता को कोई सुविधा देने की आवश्यकता है, ऐसी सुविधा देने से इंकार करता है या अपवंचन करता है, तो मूल्यांकन अधिकारी को निम्नलिखित मामलों के संबंध में वाद की सुनवाई करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन न्यायालय में निहित सभी शक्तियां प्राप्त होंगी,—

(i) खोज और निरीक्षण;

(ii) बैंकिंग कंपनी के किसी अधिकारी सहित किसी व्यक्ति को उपस्थित कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा कराना;

(iii) लेखा पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना; और

(iv) कमीशन जारी करना।

(4) मूल्यांकन अधिकारी, निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य तथा उसके पास विद्यमान किसी अन्य साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, निर्धारिती को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, आस्ति, संपत्ति या निवेश के मूल्य का अनुमान लगाएगा।

(5) यदि निर्धारिती सहयोग नहीं करता है या उसके निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो मूल्यांकन अधिकारी अपने विवेक के अनुसार आस्ति, संपत्ति या विनिधान के मूल्य का अनुमान लगा सकता है।

(6) मूल्यांकन अधिकारी उपधारा (4) या (5) के अधीन किए गए अनुमान की रिपोर्ट करदाता और करदाता को भेजेगा।

(7) अभिलेख से स्पष्ट किसी गलती को सुधारने की दृष्टि से, मूल्यांकन अधिकारी धारा 287 के अधीन अपने द्वारा की गई किसी रिपोर्ट में संशोधन कर सकता है।

(8) निर्धारण अधिकारी, मूल्यांकन अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर और निर्धारिती को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, निर्धारण पुनर्निर्धारण करते समय ऐसी रिपोर्ट को ध्यान में रख सकेगा।

(9) मूल्यांकन अधिकारी उपधारा (6) में निर्दिष्ट रिपोर्ट उस मास के अंत से छह माह के भीतर भेजेगा जिसमें उपधारा (1) के अधीन संदर्भ किया गया है।

(10) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए,—

(क) केन्द्रीय सरकार, आवश्यकतानुसार उतने मूल्यांकन अधिकारी नियुक्त कर सकेगी; और

(ख) लोक सेवाओं और पदों पर आसीन व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले केन्द्रीय सरकार के नियमों और आदेशों के अधीन रहते हुए, प्रधान मुख्य आयुक्त, या मुख्य आयुक्त, या प्रधान आयुक्त या आयुक्त, मूल्यांकन अधिकारियों को उनके कार्यों के निष्पादन में सहायता करने के लिए उतने इंजीनियर, पर्यवेक्षक, सर्वेक्षक और निर्धारणकर्ता नियुक्त कर सकेगा जितने आवश्यक हों।

270. (1) जहां धारा 263 के अधीन विवरणी दी गई है, या धारा 268(1) के अधीन नोटिस के जवाब में, ऐसी विवरणी निम्नलिखित रीति से संसाधित की जाएगी:—

आकलन।

(क) कुल आय या हानि की गणना निम्नलिखित के लिए समायोजन करने के बाद की जाएगी:—

(i) विवरणी में कोई अंकगणितीय त्रुटि; या

(ii) गलत दावा, यदि ऐसा गलत दावा विवरणी में किसी सूचना से स्पष्ट होता है; या

(iii) किसी पूर्ववर्ती वर्ष की विवरणी में दी गई जानकारी के संबंध में विवरणी में कोई ऐसी असंगति जो विहित की जाए; या

(iv) दावा की गई हानि की अस्वीकृति, यदि उस कर वर्ष की विवरणी जिसके लिए हानि के मुजरे का दावा किया गया है, धारा 263(1) के अधीन विनिर्दिष्ट नियत तारीख से परे प्रस्तुत किया गया था; या

(v) लेखापरीक्षा रिपोर्ट में दर्शाए गए व्यय या आय में वृद्धि की अस्वीकृति, लेकिन विवरणी में कुल आय की गणना करते समय इसे ध्यान में नहीं रखा गया; या

(vi) धारा 144 के अधीन या अध्याय 8 के किसी भी उपबंध के अधीन दावा की गई कटौती की अस्वीकृति, यदि विवरणी धारा 263(1) के अधीन विनिर्दिष्ट नियत तारीख से परे प्रस्तुत की जाती है;

(ख) कर, ब्याज और फीस, यदि कोई हो, की गणना खंड (क) के अधीन संगणित कुल आय के आधार पर की जाएगी;

(ग) निर्धारिती द्वारा देय रकम या उसे देय प्रतिदाय की राशि, खंड (ख) के अधीन संगणित कर, ब्याज और फीस, यदि कोई हो, के समायोजन के पश्चात् निर्धारित की जाएगी,—

(i) स्रोत पर काटा गया कोई कर;

(ii) स्रोत पर एकत्रित कोई कर;

(iii) कोई अग्रिम भुगतान किया गया कर;

(iv) अध्याय 9 के अधीन स्वीकार्य कोई रिबेट या राहत;

(v) पुनःनिर्धारण पर भुगतान किया गया कोई भी कर; और

(vi) कर, ब्याज या फीस के रूप में अन्यथा भुगतान की गई कोई रकम;

(घ) खंड (ग) के अधीन निर्धारिती द्वारा देय या निर्धारिती को देय प्रतिदाय निर्धारित राशि विनिर्दिष्ट करते हुए निर्धारिती को एक सूचना भेजी जाएगी

(ङ) खंड (ग) के अधीन निर्धारण के अनुसरण में निर्धारिती को देय प्रतिदाय की रकम निर्धारिती को दी जाएगी।

(2) उपधारा (1)(क) के अधीन कोई समायोजन करने से पूर्व,—

(क) ऐसे समायोजनों की सूचना निर्धारिती को अवलिखित रूप में या इलैक्ट्रॉनिक रूप में दी जाएगी;

(ख) इस संबंध में निर्धारिती से प्राप्त प्रतिक्रिया, यदि कोई हो, पर विचार किया जाएगा; और ऐसे मामले में जहां ऐसी सूचना जारी होने के तीस दिन के भीतर कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है, ऐसे समायोजन किए जाएंगे और उसके पश्चात् उपधारा (1) (घ) के अधीन सूचना भेजी जाएगी।

(3) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, उस मामले में भी निर्धारिती को सूचना भेजी जाएगी जहां निर्धारिती द्वारा विवरणी में घोषित हानि समायोजित कर दी गई है, किन्तु उसके द्वारा कोई कर, ब्याज या फीस देय नहीं है या कोई प्रतिदाय देय नहीं है।

(4) उपधारा (1) के अधीन कोई सूचना उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से नौ माह की समाप्ति के पश्चात् नहीं भेजी जाएगी जिसमें विवरणी तैयार की गई है।

(5) उपधारा (1) से (4) के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “विवरणी में किसी सूचना से स्पष्ट गलत दावा” से आशय, विवरणी में किसी प्रविष्टि के आधार पर किया गया निम्नलिखित दावा अभिप्रेत होगा,—

(i) किसी मद की, जो ऐसी विवरणी में उसी या किसी अन्य मद की अन्य प्रविष्टि से असंगत है; या

(ii) जिसके संबंध में ऐसी प्रविष्टि को प्रमाणित करने के लिए इस अधिनियम के अधीन दी जाने वाली अपेक्षित जानकारी इस प्रकार नहीं दी गई है; या

(iii) किसी कटौती के संबंध में, जहां ऐसी कटौती निर्दिष्ट कानूनी सीमा से अधिक है जिसे मौद्रिक रकम या प्रतिशत या अनुपात या अंश के रूप में व्यक्त किया जा सकता है;

(ख) “विवरणी की पावती” उस मामले में सूचना मानी जाएगी जहां खंड उपधारा (1)(ग) के अधीन विवरणी द्वारा कोई राशि देय नहीं है या उसे वापसी योग्य नहीं है, और जहां खंड (1)(क) के अधीन कोई समायोजन नहीं किया गया है।

(6) उपधारा (1) के अधीन विवरणियों के प्रक्रमण के प्रयोजनों के लिए, बोर्ड, उक्त उपधारा के अधीन अपेक्षित रूप से निर्धारिती द्वारा देय कर या उसे देय प्रतिदाय का शीघ्रता से अवधारण करने की दृष्टि से विवरणियों के केन्द्रीकृत प्रक्रमण के लिए एक

स्कीम बना सकेगा।

(7) उपधारा (6) के अधीन बनाई गई स्कीम यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

(8) धारा 263 के अधीन विवरणी प्रस्तुत की गई है, या धारा 268(1) के अधीन नोटिस के प्रत्युत्तर में, निर्धारण अधिकारी या विहित आय-कर प्राधिकारी, यदि यह सुनिश्चित करना आवश्यक या समीचीन समझता है कि निर्धारिती—

(क) आय को कम नहीं दर्शाया गया है;

(ख) अत्यधिक हानि की गणना नहीं की गई है;

(ग) किसी भी तरह से कर का कम भुगतान नहीं किया है,

निर्धारिती को एक नोटिस तामील करेगा जिसमें उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि, उसमें विनिर्दिष्ट तारीख को,—

(i) या तो कर निर्धारण अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होना; या

(ii) कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष कोई साक्ष्य प्रस्तुत करना या प्रस्तुत करवाना, जिस पर निर्धारिती विवरणी के समर्थन में भरोसा कर सके।

(9) उपधारा (8) के अधीन कोई नोटिस निर्धारिती को उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीन माह की समाप्ति के पश्चात् नहीं दिया जाएगा, जिसमें विवरणी प्रस्तुत की गई है।

(10) उपधारा (8) के अधीन जारी किए गए नोटिस में विनिर्दिष्ट दिन को, या उसके पश्चात् यथाशीघ्र, ऐसे साक्ष्य को सुनने के पश्चात्, जो निर्धारिती प्रस्तुत करे और ऐसे अन्य साक्ष्य को, जो निर्धारण अधिकारी विनिर्दिष्ट बिंदुओं पर अपेक्षित करे, और समस्त सुसंगत सामग्री को, जो उसने एकत्र की है, ध्यान में रखने के पश्चात्, निर्धारण अधिकारी, उपधारा (11) और (13) के उपबंधों के अधीन रहते हुए,—

(क) अवलिखित आदेश द्वारा निर्धारिती की कुल आय या हानि का आकलन कर सकेगा; और

(ख) ऐसे मूल्यांकन के आधार पर उसके द्वारा देय राशि या उसे देय किसी रकम की वापसी का निर्धारण करना।

(11) उपधारा (12) में निर्दिष्ट संस्थाओं के मामले में, जिन्हें धारा 263(1)(क)(iv) के अधीन आय का विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है, उपधारा (10) के अधीन किसी ऐसी इकाई की कुल आय या हानि का निर्धारण करने वाला कोई आदेश निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 11 के उपबंधों को प्रभावी किए बिना तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि—

(i) मूल्यांकन अधिकारी ने केंद्रीय सरकार या निर्धारित प्राधिकारी को आय-कर अधिनियम, 1961 की अनुसूची 3 सारणी: क्र.स.23), (सारणी: क्र.स.24) या (सारणी: क्र.स.25) में उल्लिखित उपबंधों के उल्लंघन की सूचना दी है, ऐसी इकाई द्वारा, जहां उसके विचार में ऐसा उल्लंघन हुआ है; और

(ii) ऐसी इकाई को दिया गया अनुमोदन वापस ले लिया गया है या ऐसी इकाई के संबंध में जारी अधिसूचना रद्द कर दी गई है।

(12) उपधारा (11) के प्रयोजनों के लिए, इकाईयां निम्नलिखित होंगी—

- (क) अनुसूची 3 (सारणी: क्र.सं.23) में निर्दिष्ट अनुसंधान संघ;
- (ख) अनुसूची 3 (सारणी: क्र.सं. 24) में निर्दिष्ट संगम या संस्थान ;
- (ग) अनुसूची 3 (सारणी: क्र.सं. 25) में निर्दिष्ट कोई संस्था;

(13) पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन के मामले में, जहां मूल्यांकन अधिकारी को यह विश्वास हो जाता है कि ऐसी किसी इकाई ने धारा 351(1) में उल्लिखित कोई विनिर्दिष्ट उल्लंघन किया है, तो वह—

(क) अनुमोदन या पंजीकरण वापस लेने के लिए प्रधान आयुक्त या आयुक्त को निर्देश भेजें, और

(ख) ऐसे पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन की कुल आय या हानि का आकलन करने वाला कोई भी आदेश धारा 351(2)(ii)(क) या (ख) के अधीन प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा पारित आदेश को प्रभावी किए बिना उसके द्वारा नहीं किया जाएगा ।

(14) उपधारा (10) के प्रयोजनों के लिए, निर्धारण करते समय जहां निर्धारण अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि धारा 45(3)(क) में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था की गतिविधियां (जिसे इसके पश्चात् “इकाई” कहा गया है) का कार्यान्वयन उन सभी या किसी भी शर्त के अनुसार नहीं किया जा रहा है, जिसके अधीन ऐसी इकाई को मंजूरी दी गई थी, तो—

(क) वह संबंधित इकाई को प्रस्तावित वापसी के विरुद्ध कारण बताने का उचित अवसर देने के पश्चात्, अनुमोदन वापस लेने के लिए केन्द्रीय सरकार को सिफारिश कर सकता है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा अनुमोदन वापस ले सकती है और आदेश की एक प्रति संबंधित इकाई और निर्धारण अधिकारी को भेज सकती है।

(15) जहां उपधारा (10) या धारा 271 के अधीन नियमित निर्धारण किया जाता है,—

(क) उपधारा (1) के अधीन निर्धारिती द्वारा भुगतान किया गया कोई कर या ब्याज ऐसे नियमित कर निर्धारण के लिए भुगतान किया गया माना जाएगा;

(ख) यदि नियमित निर्धारण पर कोई प्रतिदाय देय नहीं है या उपधारा (1) के अधीन प्रतिदाय की गई रकम नियमित निर्धारण पर प्रतिदेय राशि से अधिक है, तो इस प्रकार वापस की गई पूरी या अतिरिक्त रकम को निर्धारिती द्वारा देय कर माना जाएगा और इस अधिनियम के उपबंध तदनुसार लागू होंगे।

271. (1) यदि कोई व्यक्ति—

(क) धारा 263(1) या (4) या (5) या (6) के अधीन अपेक्षित विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है; या

(ख) धारा 268(1) के अधीन जारी नोटिस की सभी शर्तों का पालन करने में विफल रहता है या धारा 268(5) के अधीन जारी निर्देश का पालन करने में विफल रहता है ; या

सर्वोत्तम निर्णय निर्धारण ।

(ग) विवरणी फाइल करने के बाद, धारा 270(8) के अधीन जारी नोटिस की सभी शर्तों का पालन करने में विफल रहता है,

निर्धारण अधिकारी, उसके द्वारा एकत्रित सभी सुसंगत सामग्रियों पर विचार करने के पश्चात्, निर्धारिती को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार कुल आय या हानि का निर्धारण करेगा और ऐसे निर्धारण के आधार पर निर्धारिती द्वारा देय राशि का निर्धारण करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन कर निर्धारण करने से पूर्व कर निर्धारण अधिकारी उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए निर्धारिती को नोटिस देगा, जिसमें वह नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाने वाली तारीख और समय पर कारण बताए कि कर निर्धारण उसके सर्वोत्तम विवेक के अनुसार क्यों न पूरा किया जाए।

(3) उस मामले में उपधारा (2) में निर्दिष्ट अवसर देना आवश्यक नहीं होगा जहां धारा 268(1) के अधीन नोटिस दी गई, इस धारा के अंतर्गत निर्धारण करने से पहले जारी किया गया है।

272. (1) संयुक्त आयुक्त स्वप्रेरणा से या कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उसको निर्देश किए जाने पर या किसी निर्धारिती के आवेदन पर किसी कार्यवाही का अभिलेख मंगा सकेगा और उसकी जांच कर सकेगा, जिसमें कर निर्धारण लंबित है और यदि वह समझता है कि मामले की प्रकृति या अंतर्वर्तित रकम को देखते हुए या किसी अन्य कारण से ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह—

कतिपय मामलों में निर्देश जारी करने की संयुक्त आयुक्त की शक्ति।

(क) कर निर्धारण अधिकारी के मार्गदर्शन के लिए ऐसे निर्देश जारी करना, जिन्हें वह उचित समझे, ताकि कर निर्धारण पूरा करने में वह समर्थ हो सके; और
(ख) ऐसे निर्देश कर निर्धारण अधिकारी पर बाध्यकारी होंगे।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई भी निर्देश, जो करदाता के लिए प्रतिकूल हो, करदाता को सुनवाई का अवसर दिए बिना जारी नहीं किया जाएगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, इस बारे में कोई निर्देश कि मूल्यांकन से संबंधित जांच किस आधार पर की जानी चाहिए, करदाता के लिए प्रतिकूल निर्देश नहीं माना जाएगा।

273. (1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में निहित किसी भी विपरीत बात पर ध्यान दिए बिना, उपधारा (2) में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में धारा 270(10) या धारा 271 या धारा 279 के अधीन मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन या पुनर्गणना, इस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, जैसा विहित किया जाए बिना पहचान की रीति से की जाएगी।

पहचानविहीन मूल्यांकन।

(2) उपधारा (1) के अधीन पहचानविहीन निर्धारण ऐसे प्रादेशिक क्षेत्र, या व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग, या आय या आय के वर्ग, या मामलों या मामलों के वर्ग के संबंध में किया जाएगा, जैसा कि बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(3) बोर्ड, पहचान रहित निर्धारण के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित केन्द्र और इकाइयां स्थापित कर सकेगा और उनके कार्य और अधिकार क्षेत्र को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, अर्थात् :—

(क) एक राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केंद्र, जो इस धारा के अधीन

पहचान विहीन निर्धारण के प्रयोजनों के लिए चुने गए मामले को एक विशिष्ट निर्धारण इकाई को सौंपने निर्धारिती को यह सूचित करने कि उसके मामले में मूल्यांकन इस धारा के उपबंधों के अनुसार पूरा किया जाएगा, धारा 268(1) या 270(8) के अधीन निर्धारिती को नोटिस देने, और निर्धारिती की प्रतिक्रिया को कर निर्धारण इकाई को अग्रेषित करने सहित, केन्द्रीकृत रीति से पहचान विहीन मूल्यांकन कार्यवाही के संचालन को सुगम बनाएगा ;

(ख) ऐसी निर्धारण इकाइयाँ, जिन्हें वह पहचानविहीन निर्धारण करने के लिए आवश्यक समझे, निर्धारण करने का कार्य निष्पादित करने के लिए, जिसमें निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत सामग्री का विश्लेषण, इस अधिनियम के अधीन किसी दायित्व (धन वापसी सहित) के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं या मुद्दों की पहचान, इस प्रकार पहचाने गए बिंदुओं या मुद्दों पर सूचना या स्पष्टीकरण प्राप्त करना, निर्धारिती के लिए प्रतिकूल किसी भी परिवर्तन का निर्धारण, और ऐसे अन्य कार्य जो पहचानविहीन निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो सकते हैं;

(ग) ऐसी सत्यापन इकाइयाँ, जिन्हें पहचान रहित निर्धारण के संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक समझा जाए, सत्यापन का कार्य करने के लिए, जिसमें पूछताछ, प्रति-सत्यापन, लेखा बही की जांच, गवाहों की जांच और बयानों को दर्ज करना, और ऐसे अन्य कार्य शामिल हैं जो सत्यापन के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो सकते हैं;

(घ) ऐसी तकनीकी इकाइयाँ, जिन्हें वह पहचानविहीन निर्धारण के संचालन को सुगम बनाने के लिए आवश्यक समझे, तकनीकी सहायता प्रदान करने का कार्य करने के लिए, जिसमें विधिक, लेखांकन, फॉरेंसिक, सूचना प्रौद्योगिकी, मूल्यांकन, मूल्य अंतरण, डाटा विश्लेषण, प्रबंधन या इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य तकनीकी मामले या धारा 159 के अधीन किए गए किसी समझौते पर कोई सहायता या सलाह शामिल है, जो इस धारा के अधीन किसी विशेष मामले या मामलों के वर्ग में आवश्यक हो सकती है;

(ङ) ऐसी समीक्षा इकाइयाँ, जिन्हें पहचानविहीन निर्धारण के संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक समझा जाए, निर्धारण इकाई द्वारा प्रस्तावित किसी भी बदलाव की समीक्षा का कार्य करने के लिए (जहां भी इसे राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र द्वारा आवश्यक समझा जाए), जिसमें यह जांचना शामिल है कि क्या सुसंगत और भौतिक साक्ष्य रिकॉर्ड पर लाए गए हैं, तथ्य और विधि के सुसंगत बिंदु विधिवत शामिल किए गए हैं, जोड़ने या अस्वीकार करने की आवश्यकता वाले मुद्दों को शामिल किया गया है और ऐसे अन्य कार्य जो समीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो सकते हैं।

(4) उपधारा (1) के अधीन यथाविहित प्रक्रिया के अनुसार,—

(क) सत्यापन इकाई, तकनीकी इकाई और समीक्षा इकाई पहचान रहित निर्धारण के संचालन को सुगम बनाएगी ; और

(ख) निर्धारण इकाई—

(i) एकत्रित की गई सभी सुसंगत सामग्री को ध्यान में रखने के

पश्चात् और निर्धारिती को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अवलिखित आदेश द्वारा कुल आय या हानि का निर्धारण करना और दंडात्मक कार्यवाही भी आरंभ कर सकेगा, यदि कोई हो ;

(ii) ऐसे निर्धारण के आधार पर निर्धारिती द्वारा देय राशि या उसे देय किसी रकम की वापसी का निर्धारण करना ।

(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “निर्धारण इकाई”, “सत्यापन इकाई”, “तकनीकी इकाई” और “पुनर्विलोकन इकाई” पद से ऐसे मूल्यांकन अधिकारी से निर्दिष्ट होंगी, जिसके पास बोर्ड द्वारा समनुदेशित शक्तियां होंगी।

(6) निर्धारण इकाई, सत्यापन इकाई, तकनीकी इकाई और पुनर्विलोकन इकाई में निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, अर्थात् :—

(क) अपर आयुक्त या अपर निदेशक या संयुक्त आयुक्त या संयुक्त निदेशक, जैसा भी स्थिति हो;

(ख) उप आयुक्त या उप निदेशक या सहायक आयुक्त या सहायक निदेशक या आय-कर अधिकारी, जैसा भी स्थिति हो;

(ग) ऐसे अन्य आय-कर प्राधिकारी, अनुसचिवीय कर्मचारी, कार्यपालक या परामर्शदाता, जिन्हें बोर्ड आवश्यक समझे।

(7) उपधारा (8) में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, सभी संप्रेषण,—

(क) निर्धारण इकाई, पुनर्विलोकन इकाई, सत्यापन इकाई या तकनीकी इकाई के बीच या निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति के साथ सूचना या दस्तावेजों या साक्ष्य या किसी अन्य विवरण के संबंध में, जैसा कि पहचानविहीन निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो, राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र के माध्यम से किया जाएगा;

(ख) राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र और निर्धारिती या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि या किसी अन्य व्यक्ति के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान विशेष रूप से इलैक्ट्रॉनिक रीति से किया जाएगा; और

(ग) राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र और विभिन्न इकाइयों के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान विशेष रूप से इलैक्ट्रॉनिक मोड द्वारा किया जाएगा।

(8) उपधारा (7) के उपबंध, बोर्ड द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में सत्यापन इकाई द्वारा की गई जांच या सत्यापन पर लागू नहीं होंगे।

(9) राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केंद्र का प्रभारी प्रधान मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक, जैसा भी मामला हो, इस संबंध में बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, यदि वह उचित समझता है कि मामले में धारा 268(5) के उपबंधों को लागू किया जा सकेगा,—

(क) इस संबंध में किसी कर निर्धारण इकाई से प्राप्त किसी संदर्भ को ऐसे मामले पर अधिकारिता रखने वाले प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त को अग्रेषित करेगा और कर निर्धारण इकाई को तदनुसार सूचित करेगा;

(ख) मामले को उपधारा (12) के अनुसार ऐसे मामले पर

अधिकारिता रखने वाले कर निर्धारण अधिकारी को हस्तांतरित कर सकेगा ।

(10) जहां उपधारा 9(क) के अधीन प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त को संदर्भ प्राप्त हुआ है, वहां वह मामले पर अधिकारिता रखने वाले कर निर्धारण अधिकारी को धारा 268(5) के उपबंधों को लागू करने का निर्देश देगा।

(11) जहां उपधारा 9(क) के अनुसार कोई संदर्भ मामले पर अधिकारिता रखने वाले प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त को अग्रेषित नहीं किया गया है, वहां मूल्यांकन इकाई इस धारा में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार मूल्यांकन पूरा करने के लिए आगे बढ़ेगी।

(12) उपधारा (1) या उपधारा (2) में निहित किसी भी बात पर ध्यान दिए बिना, प्रधान मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक, जैसा भी मामला हो, राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र के प्रभारी, निर्धारण के किसी भी चरण में, यदि आवश्यक समझा जाता है, तो बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से ऐसे मामले पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को मामला स्थानांतरित कर सकते हैं।

(13) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "नामनिर्दिष्ट पोर्टल" से राष्ट्रीय पहचान रहित निर्धारण केंद्र के प्रभारी प्रधान मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट वेब पोर्टल अभिप्रेत है;

(ख) "पहचानविहीन निर्धारण" से, निर्धारित पोर्टल में निर्धारिती के पंजीकृत खाते के माध्यम से 'ई-कार्यवाही' सुविधा में इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचालित निर्धारण कार्यवाही अभिप्रेत;

(ग) करदाता के "रजिस्ट्रीकृत खाते" से निर्धारिती द्वारा निर्दिष्ट पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग लेखा अभिप्रेत है।

कतिपय मामलों में प्रधान आयुक्त या आयुक्त को निर्देश ।

274. (1) यदि निर्धारण अधिकारी का, उसके समक्ष निर्धारण या पुनर्निर्धारण की कार्यवाहियों के किसी प्रकम पर, उपलब्ध सामग्री और साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, यह विचार करना आवश्यक है कि—

(क) किसी ठहराव को अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव के रूप में घोषित करे ; और

(ख) ऐसे किसी ठहराव का परिणाम अध्याय 11 के अर्थातर्गत अवधारित करना आवश्यक है,

तो वह इस संबंध में प्रधान आयुक्त या आयुक्त को निर्देश कर सकेगा ।

(2) यदि प्रधान आयुक्त या आयुक्त की, उपधारा (1) के अधीन कोई निर्देश प्राप्त होने पर, यह राय है कि अध्याय 11 के उपबंधों का अवलंब लेना अपेक्षित है, तो वह—

(क) एक सूचना, उसमें ऐसी राय के कारणों और आधार को उपवर्णित करते हुए, निर्धारिती को आक्षेप, यदि कोई हों ; और

(ख) प्रस्तुत करने के लिए और निर्धारिती को साठ दिन से अनधिक की ऐसी अवधि के भीतर, जो उक्त सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, सुनवाई का अवसर देने

के लिए जारी करेगा ।

(3) यदि निर्धारिती उपधारा (2) के अधीन जारी की गई सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना के प्रति कोई आक्षेप प्रस्तुत नहीं करता है, तो प्रधान आयुक्त या आयुक्त ऐसे निदेश जारी करेगा, जो वह ठहराव अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव के रूप में घोषणा करने के संबंध में ठीक समझे ।

(4) यदि निर्धारिती प्रस्तावित कार्रवाई के प्रति आक्षेप करता है और प्रधान आयुक्त या आयुक्त का, मामले में निर्धारिती की सुनवाई करने के पश्चात् निर्धारिती के स्पष्टीकरण से समाधान नहीं होता है, तो वह उस मामले में ठहराव को अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव के रूप में घोषित करने के प्रयोजन के लिए अनुमोदनकर्ता पैनल को निर्देश करेगा ।

(5) यदि प्रधान आयुक्त या आयुक्त का, निर्धारिती की सुनवाई करने के पश्चात्, यह समाधान हो जाता है कि अध्याय 11 के उपबंधों का अवलंब नहीं लिया जाए तो वह लिखित आदेश द्वारा निर्धारण अधिकारी को उसकी संसूचना निर्धारिती को उसकी एक प्रति देते हुए देगा ।

(6) अनुमोदनकर्ता पैनल, उपधारा (4) के अधीन प्रधान आयुक्त या आयुक्त से कोई निर्देश प्राप्त होने पर,—

(क) ठहराव को अध्याय 11 के उपबंधों के अनुसार अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव के रूप में घोषित करने की बाबत ऐसे निदेश जारी करेगा, जो वह ठीक समझे ; और

(ख) उस कर वर्ष या उन कर वर्षों को विनिर्दिष्ट करेगा, जिनके लिए ठहराव की अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव के रूप में ऐसी घोषणा लागू होगी ।

(7) उपधारा (6) के अधीन कोई निदेश तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे निदेशों के संबंध में, जो निर्धारिती के हित या राजस्व के हितों के प्रतिकूल हों, यथास्थिति, निर्धारिती और निर्धारण अधिकारी को सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो ।

(8) अनुमोदनकर्ता पैनल, उपधारा (6) के अधीन कोई निदेश जारी करने के पूर्व,—

(क) यदि उसकी यह राय है कि मामले में कोई और जांच आवश्यक है, तो प्रधान आयुक्त या आयुक्त को ऐसी जांच करने या किसी अन्य आय-कर प्राधिकारी द्वारा जांच कराए जाने का तथा ऐसी उसे एक रिपोर्ट, जिसमें ऐसी जांच के परिणाम अंतर्विष्ट हों, प्रस्तुत किए जाने का निदेश दे सकेगा ; या

(ख) मामले से संबंधित ऐसे अभिलेखों को, जो ठीक समझे मंगा सकेगा और उनकी परीक्षा कर सकेगा ; या

(ग) निर्धारिती से ऐसे दस्तावेज और साक्ष्य, जैसे वह निदेश दे प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

(9) यदि अनुमोदनकर्ता पैनल के सदस्यों में किसी मुद्दे पर मतभेद है, तो उस मुद्दे का विनिश्चय सदस्यों के बहुमत के अनुसार किया जाएगा ।

(10) निर्धारण अधिकारी, उपधारा (3) के अधीन, प्रधान आयुक्त या आयुक्त या उपधारा (6) के अधीन अनुमोदनकर्ता पैनल के निदेशों की प्राप्ति पर, उपधारा (1) में

निर्दिष्ट कार्यवाहियों को उन निदेशों और अध्याय 11 के उपबंधों के अनुसार पूरा करने की कार्यवाही करेगा ।

(11) यदि उपधारा (6) के अधीन जारी किए गए किसी निदेश में यह विनिर्दिष्ट है कि ठहराव की अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव के रूप में घोषणा ऐसे उस कर वर्ष से भिन्न किसी कर वर्ष के लिए लागू होती है, जिससे उपधारा (1) में निर्दिष्ट कार्यवाहियां तात्पर्यित हैं, तो—

(क) निर्धारण अधिकारी ऐसे अन्य पूर्ववर्ष से सुसंगत कर वर्ष की किसी निर्धारण या पुनःनिर्धारण की कार्यवाहियों को पूरा करते समय ऐसे निदेशों और अध्याय 11 के उपबंधों के अनुसार ऐसा करेगा ; और

(ख) उसके लिए ऐसे अन्य कर वर्ष के संबंध में उस मुद्दे पर नए सिरे से निदेश की ईप्सा करना आवश्यक नहीं होगा ।

(12) यदि अध्याय 11 के उपबंधों के अधीन आदेश में कोई कर परिणाम अवधारित किए गए हैं तो निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारण या पुनःनिर्धारण संबंधी कोई आदेश प्रधान आयुक्त या आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना पारित नहीं किया जाएगा ।

(13) उपधारा (14) और उपधारा (15) के अधीन रहते हुए, अनुमोदनकर्ता पैनल उपधारा (6) के अधीन निदेश उस मास के, जिसमें उपधारा (4) के अधीन निर्देश प्राप्त होता है, अंत से छह मास की अवधि के भीतर जारी करेगा ।

(14) उपधारा (13) में निर्दिष्ट अवधि की गणना करने में, निम्नलिखित को अपवर्जित किया जाएगा :—

(क) उस तारीख से, जिसको अनुमोदनकर्ता पैनल प्रथम बार प्रधान आयुक्त या आयुक्त को धारा 159 में निर्दिष्ट करार के अधीन सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से जांच कराए जाने का निदेश देता है, आरंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको इस प्रकार अनुरोध की गई सूचना अंतिम रूप से अनुमोदनकर्ता पैनल द्वारा प्राप्त की जाती है, समाप्त होने वाली अवधि, या एक वर्ष, इनमें से जो भी कम हो ;

(ख) अनुमोदन पैनल की कार्यवाही पर किसी न्यायालय के आदेश या व्यादेश द्वारा रोक लगाने की तारीख से आरंभ होने वाली और उस तारीख को समाप्त होने वाली अवधि, जिसको रोक निष्प्रभाव करने वाले आदेश की प्रमाणित प्रति अधिकारिता वाले प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त की गई थी ।

(15) यदि उपधारा (14) के अनुसार अवधि के अपवर्जन के तुरंत पश्चात्, निदेश जारी करने के लिए अनुमोदन पैनल को उपलब्ध अवधि साठ दिन से कम है, तो ऐसी शेष अवधि को साठ दिन तक बढ़ाया जाएगा और उपधारा (13) में उल्लिखित छह मास की अवधि को तदनुसार बढ़ाया गया समझा जाएगा ।

(16) उपधारा (6) के अधीन अनुमोदन पैनल द्वारा जारी किए गए निदेश निम्नलिखित पर बाध्यकारी होंगे—

(क) निर्धारिती ; और

(ख) प्रधान आयुक्त या आयुक्त और उसके अधीनस्थ आय-कर प्राधिकारी ।

(17) अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात पर ध्यान न देते हुए, अधिनियम के अधीन कोई अपील उपधारा (6) के अधीन अनुमोदन पैनल द्वारा जारी निर्देशों के विरुद्ध नहीं होगी ।

(18) केन्द्रीय सरकार, इस धारा के प्रयोजनों के लिए, एक या अधिक अनुमोदन पैनलों का गठन करेगी, जो आवश्यक हों और प्रत्येक पैनल एक अध्यक्ष सहित तीन सदस्यों से मिलकर बनेगा ।

(19) अनुमोदन पैनल का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रह चुका है, और

(क) एक सदस्य भारतीय राजस्व सेवा का सदस्य होगा जो प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त आय-कर के रैंक से नीचे का न होगा ; और

(ख) एक सदस्य शिक्षाविद् या विद्वान होगा जिसे प्रत्यक्ष कर, कारबार लेखों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवहार जैसे विषयों का विशेष ज्ञान होगा ।

(20) अनुमोदन पैनल की अवधि साधारणतया एक वर्ष के लिए होगी और इसे समय-समय पर तीन वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकेगा ।

(21) अनुमोदन पैनल के अध्यक्ष और सदस्य, जब भी अपेक्षित हो, पैनल को किए गए निर्देशों पर विचार करने के लिए बैठक करेंगे और उन्हें ऐसे पारिश्रमिक का संदाय किया जाएगा जैसा विहित किया जाए ।

(22) इस धारा के अधीन अनुमोदन पैनल को प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त, जो शक्तियां धारा 387 के अधीन अग्रिम निर्णयों के लिए बोर्ड में निहित हैं, अनुमोदन पैनल पर, यथावश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगी ।

(23) बोर्ड, अनुमोदन पैनल को ऐसे अधिकारियों की व्यवस्था करेगा जो इस अधिनियम के अधीन अनुमोदन पैनल की शक्तियों के दक्ष प्रयोग और कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हों ।

(24) बोर्ड, अनुमोदन पैनल के गठन और उसके कुशल कार्यकरण के प्रयोजनों के लिए और उपधारा (4) के अधीन प्राप्त संदर्भों के शीघ्र निपटारे के लिए नियम बना सकेगा ।

विवाद समाधान
पैनल को निर्देश ।

275. (1) इस अधिनियम में प्रतिकूल किसी बात पर ध्यान न देते हुए, निर्धारण अधिकारी, प्रथम बार पात्र निर्धारिती को, यदि वह ऐसा कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव करता है, जो ऐसे निर्धारिती के हित के प्रतिकूल है, निर्धारण के प्रस्तावित आदेश का एक प्रारूप (जिसे इसके पश्चात् इस धारा में प्रारूप आदेश के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) अग्रेषित करेगा ।

(2) प्रारूप आदेश प्राप्त करने पर पात्र निर्धारिती, उसके द्वारा प्रारूप आदेश की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर,—

(क) परिवर्तनों की अपनी स्वीकृति निर्धारण अधिकारी को फाइल करेगा ; या

(ख) ऐसे परिवर्तनों के संबंध में अपने आक्षेप, यदि कोई हों,—

(i) विवाद समाधान पैनल ; और

(ii) निर्धारण अधिकारी,

को फाइल करेगा ।

(3) निर्धारण अधिकारी प्रारूप आदेश के आधार पर निर्धारण पूर्ण करेगा यदि,—

(क) निर्धारिती परिवर्तनों की स्वीकृति की निर्धारण अधिकारी को सूचना देता है ; या

(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आक्षेप प्राप्त नहीं होते हैं ।

(4) निर्धारण अधिकारी, धारा 286 में किसी बात के होते हुए भी, उस मास के, जिसमें—

(क) स्वीकृति प्राप्त होती है ; या

(ख) उपधारा (2) के अधीन आक्षेप फाइल करने की अवधि समाप्त हो जाती है,

अंत से एक मास के भीतर उपधारा (3) के अधीन निर्धारण आदेश पारित करेगा ।

(5) विवाद समाधान पैनल, ऐसे किसी मामले में, जहां उपधारा (2) के अधीन कोई आक्षेप प्राप्त होता है, निर्धारण अधिकारी को निर्धारण पूरा करने में उसे समर्थ बनाने के लिए उसके मार्गदर्शन हेतु ऐसे निदेश जारी करेगा, जो वह ठीक समझे ।

(6) विवाद समाधान पैनल अवधारण के बिन्दुओं, उन पर विनिश्चय और विनिश्चय के कारण का कथन करते हुए लिखित में उपधारा (5) में यथा निर्दिष्ट निदेश जारी करेगा ।

(7) विवाद समाधान पैनल, उपधारा (5) में निर्दिष्ट कोई निदेश जारी करने से पूर्व,—

(क) ऐसी अतिरिक्त जांच कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ; या

(ख) किसी आय-कर प्राधिकारी द्वारा कोई अतिरिक्त जांच करा सकेगा और उसके परिणाम की रिपोर्ट ऐसे पैनल दे सकेगा ।

(8) विवाद समाधान पैनल प्रारूप आदेश में प्रस्तावित परिवर्तनों की पुष्टि कर सकेगा, उन्हें कम या वर्धित कर सकेगा, फिर भी वह किसी प्रस्तावित परिवर्तन को अपास्त नहीं करेगा, अतिरिक्त जांच करने और निर्धारण आदेश पारित करने के लिए उपधारा (5) के अधीन कोई निदेश जारी नहीं करेगा ।

(9) उपधारा (8) के प्रयोजनों के लिए, परिवर्तन को वर्धित करने की विवाद समाधान पैनल की शक्ति में प्रारूप आदेश से संबंधित निर्धारण कार्यवाहियों से उत्पन्न होने वाले किसी मामले पर, इस बात के होते हुए भी कि ऐसा मामला पात्र निर्धारिती द्वारा उठाया गया था या नहीं, विचार करने की शक्ति सम्मिलित होगी और सदैव सम्मिलित की गई समझी जाएगी ।

(10) यदि विवाद समाधान पैनल के सदस्यों में किसी प्रश्न के संबंध में मतभेद है तो उस प्रश्न का विनिश्चय सदस्यों के बहुमत की राय के अनुसार किया जाएगा ।

(11) विवाद समाधान पैनल द्वारा जारी किया गया प्रत्येक निदेश निर्धारण अधिकारी पर आबद्धकर होगा ।

(12) उपधारा (5) के अधीन कोई निदेश जारी नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे निदेशों के संबंध में, क्रमशः जो निर्धारिती के हित या राजस्व के हित के प्रतिकूल हों, निर्धारिती और निर्धारण अधिकारी को सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो ।

(13) उपधारा (5) के अधीन कोई निदेश, जिसमें प्रारूप आदेश पात्र निर्धारिती को अग्रेषित किया गया है, उस मास के अंत से नौ मास के पश्चात् जारी नहीं किया जाएगा ।

(14) उपधारा (5) के अधीन जारी निदेशों को प्राप्त करने पर निर्धारण अधिकारी, धारा 286 में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, निदेशों के अनुरूप, उस मास के, जिसमें ऐसा निदेश प्राप्त किया गया है, अंत से एक मास के भीतर निर्धारण, निर्धारिती को सुने जाने का कोई और अवसर दिए बिना, पूरा करेगा ।

(15) बोर्ड, विवाद समाधान पैनल के दक्ष कार्यकरण और पात्र निर्धारिती द्वारा उपधारा (2) के अधीन फाइल किए गए आक्षेपों का शीघ्र निपटारा करने के प्रयोजनों के लिए नियम बना सकेगा ।

(16) इस धारा के उपबंध निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रधान आयुक्त या आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से धारा 274(12) में यथा उपबंधित है, पारित किसी निर्धारण या पुनर्निर्धारण आदेश को लागू नहीं होंगे ।

(17) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, उपधारा (18) के उपबंधों के अधीन रहते हुए,—

(क) “विवाद समाधान पैनल” से इस प्रयोजन के लिए बोर्ड द्वारा गठित तीन आय-कर प्रधान आयुक्तों या आयुक्तों से मिलकर बना संघ अभिप्रेत है ; या

(ख) “पात्र निर्धारिती” से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके मामले में उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिवर्तन धारा 166(6) के अधीन पारित किए गए अंतरण कीमत अधिकारी के आदेश के परिणामस्वरूप हुआ है ;

(ii) कोई अनिवासी, (जो कोई कंपनी नहीं है) या कोई विदेशी कंपनी ।

(18) उपधारा (17) में निर्दिष्ट पात्र निर्धारिती में धारा 292(1) या धारा 295 में निर्दिष्ट अन्य व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे ।

(19) इस धारा के उपबंध अध्याय 16ख के अधीन किसी भी कार्यवाही पर लागू नहीं होंगे ।

लेखा पद्धति ।

276. (1) “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” या “अन्य स्रोतों से आय” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय, उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, निर्धारिती द्वारा नियमित रूप से प्रयुक्त रोकड़ या वाणिज्यिक लेखा पद्धति के अनुसार संगणित की जाएगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार, निर्धारितियों के किसी वर्ग द्वारा या आय के किसी वर्ग की बाबत अनुसरण किए जाने वाले आय संगणना और प्रकटन मानक अधिसूचित कर सकेगी ।

(3) निर्धारण अधिकारी धारा 271 में उपबंधित रीति में निर्धारण कर सकेगा, जहां—

(क) जहां निर्धारिती के लेखाओं के ठीक या पूर्ण होने के विषय में निर्धारण अधिकारी का समाधान नहीं होता है;

(ख) जहां उपधारा (1) में उपबंधित लेखा पद्धति का निर्धारिती द्वारा नियमित रूप से अनुसरण नहीं किया गया है ; या

(ग) उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित मानकों के अनुसार आय की संगणना नहीं की गई है ।

कतिपय मामलों में लेखा पद्धति ।

277. (1) “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय के अवधारण के प्रयोजनों के लिए,—

(i) सूची का मूल्यांकन, धारा 276(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना और प्रकटन मानकों के अनुसार संगणित वास्तविक लागत या शुद्ध वसूलनीय मूल्य के निम्नतर पर किया जाएगा ;

(ii) माल या सेवाओं के क्रय और विक्रय तथा सूची के मूल्यांकन का, मूल्यांकन की तारीख को, निर्धारिती द्वारा माल या सेवा को उसके अवस्थान से उस स्थान और स्थिति में लाने के लिए वास्तविक रूप से संदत्त या उपगत किसी कर, शुल्क, उपकर या फीस (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो) की रकम को सम्मिलित करने के लिए समायोजन किया जाएगा;

(iii) सूची का मूल्यांकन, जो ऐसी प्रतिभूति है, जिसे किसी मान्यताप्राप्त स्टाक, एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं किया गया है या सूचीबद्ध है, किंतु उसे समय-समय पर नियमित रूप से मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में कोट नहीं किया गया है, वास्तविक लागत पर धारा 276(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना और प्रकटन मानकों के अनुसार प्रारंभिक रूप से मान्यता प्रदान की गई वास्तविक लागत पर किया जाएगा ;

(iv) सूची, जो खंड (iii) में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों से भिन्न प्रतिभूति है, का मूल्यांकन धारा 276(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना और प्रकटन मानकों के अनुसार वास्तविक लागत या शुद्ध वसूलनीय मूल्य के निम्नतर पर किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, सूची, जो किसी अनुसूचित बैंक या किसी लोक वित्तीय संस्था द्वारा धारित प्रतिभूतियां हैं, का मूल्यांकन, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में जारी वर्तमान दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, धारा 276(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना और प्रकटन मानकों के अनुसार किया जाएगा ।

(3) उपधारा (1) और (2) के प्रयोजनों के लिए, प्रतिभूतियों की वास्तविक लागत और शुद्ध वसूलनीय मूल्य की तुलना प्रवर्गवार की जाएगी ।

(4) इस धारा के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी कर, शुल्क, उपकर या फीस में (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो), ऐसे संदाय के फलस्वरूप उद्भूत होने वाले किसी अधिकार के होते हुए भी ऐसे सभी संदायों को

सम्मिलित किया जाएगा ।

2013 का 18

(5) इस धारा में, “लोक वितीय संस्था” पद से वही अर्थ है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(72) में उसका है ।

278. (1) धारा 276 में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी किसी निर्धारिती द्वारा किसी प्रतिकर या वर्धित प्रतिकर पर प्राप्त कोई ब्याज, उस पूर्ववर्ष की आय समझी जाएगी, जिसमें वह प्राप्त किया गया है ।

कतिपय आय की
कराधेयता ।

(2) किसी संविदा या निर्यात प्रोत्साहन में कीमत की वृद्धि के लिए कोई दावा उस पूर्ववर्ष की आय समझी जाएगी, जिसमें इसकी वसूली की युक्तियुक्त निश्चितता प्राप्त की गई हो ।

(3) धारा 2(49)(ब) में निर्दिष्ट आय उस पूर्ववर्ष की आय समझी जाएगी जिसमें वह प्राप्त की गई है, यदि उसे किसी पूर्वतर पूर्ववर्ष में आय-कर से प्रभारित न किया गया हो ।

279. (1) यदि, किसी निर्धारिती की दशा में, किसी कर वर्ष के लिए कर से प्रभार्य कोई आय निर्धारण से छूट गई है, तो निर्धारण अधिकारी, धारा 280 से धारा 286 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, (जिसे इस धारा और निर्दिष्ट धारा 280 से धारा 286 में इसके पश्चात् “सुसंगत कर वर्ष” कहा गया है) के लिए ऐसी आय का निर्धारण या पुनःनिर्धारण कर सकेगा या सुसंगत कर वर्ष के लिए हानि या अवक्षयण मोक या किसी अन्य मोक या कटौती की पुनः गणना कर सकेगा ।

निर्धारण से छूट
गई आय ।

(2) उपधारा (1) इस धारा के अधीन निर्धारण या पुनःनिर्धारण या पुनर्संगणना के प्रयोजनों के लिए, निर्धारण अधिकारी ऐसे विवादक के संबंध में आय का निर्धारण या पुनः निर्धारण या पुनः संगणना कर सकेगा, जो निर्धारण से छूट गई है तथा इस तथ्य पर ध्यान न देते हुए कि धारा 281 के उपबंधों का अनुपालन नहीं किया गया है, ऐसा विवादक उसके नोटिस में इस धारा के अधीन कार्यवाहियों के अनुक्रम में तत्पश्चात् आता है, निर्धारण या पुनर्निर्धारण कर सकेगा ।

280. (1)(क) धारा 279 के अधीन निर्धारण, पुनर्निर्धारण या पुनःसंगणना करने से पूर्व निर्धारण अधिकारी, धारा 281 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, धारा 277(3) के अधीन, पारित आदेश की प्रति के साथ एक सूचना की तामील निर्धारिती को करेगा ;

सूचना जारी
करना ।

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट सूचना में जिसमें उससे यह अपेक्षा की गई हो कि वह अपनी आय की विवरणी या किसी अन्य व्यक्ति की आय की विवरणी, जिसके संबंध में वह सुसंगत कर वर्ष के तत्स्थानी पूर्ववर्ष के दौरान इस अधिनियम के अधीन निर्धारणीय है ;

(ग) खंड (क) में निर्दिष्ट ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि उस मास के अंत से तीन मास से अधिक नहीं होगी जिसमें ऐसी सूचना जारी की गई है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित आय की विवरणी विहित प्ररूप में और विहित रीति से सत्यापित तथा उसमें ऐसी अन्य विशिष्टियों को, जो विहित की जाएं, उल्लिखित करते हुए प्रस्तुत की जाएगी ; और इस अधिनियम के उपबंध, यथाशक्य तदनुसार लागू होंगे मानो ऐसी विवरणी धारा 263 के अधीन प्रस्तुत की जानी अपेक्षित थी ।

(3) उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित आय की कोई विवरणी, जिसे नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रस्तुत किया गया है, को धारा 263 के अधीन विवरणी को विचार में नहीं लिया जाएगा ।

(4) इस धारा के अधीन कोई सूचना तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक निर्धारण अधिकारी के पास ऐसी सूचना न हो, जिससे यह प्रतीत होता हो कि किसी निर्धारिती की दशा में कर से प्रभार्य आय सुसंगत कर वर्ष के लिए छूट गई है ।

(5) इस धारा के अधीन कोई नोटिस निर्दिष्ट प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना जारी नहीं किया जाएगा, जहां निर्धारण अधिकारी ने—

(क) धारा 260 के अधीन अधिसूचित स्कीम के अधीन जानकारी प्राप्त की है ; या

(ख) धारा 274(6) के अधीन अनुमोदन पैनल से निदेश प्राप्त की है ; या

(ग) इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में किसी प्राधिकारी द्वारा अपील, निर्देश या पुनरीक्षण के माध्यम से या किसी अन्य विधि के अधीन किसी कार्यवाही में न्यायालय द्वारा पारित आदेश में अंतर्विष्ट कोई निष्कर्ष या निदेश प्राप्त किया है ।

(6) इस धारा और धारा 281 के प्रयोजनों के लिए, निर्धारण अधिकारी के पास सूचना, जिससे यह प्रतीत होता हो कि कर से प्रभार्य आय निर्धारण से छूट गई है, से—

(क) समय-समय पर बोर्ड द्वारा विरचित जोखिम प्रबंधन रणनीति के अनुसार सुसंगत कर वर्ष के लिए निर्धारिती की दशा में चिन्हांकित कोई सूचना अभिप्रेत है ;

(ख) इस प्रभाव का कोई लेखापरीक्षा आक्षेप कि सुसंगत कर वर्ष के लिए निर्धारिती की दशा में निर्धारण इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नहीं किया गया है ;

(ग) अधिनियम की धारा 159 में निर्दिष्ट किसी करार के अधीन प्राप्त कोई सूचना ;

(घ) धारा 260 के अधीन अधिसूचित स्कीम के अधीन निर्धारण अधिकारी को उपलब्ध कराई गई कोई सूचना ;

(ङ) कोई सूचना, जिसमें किसी अधिकरण या किसी न्यायालय के आदेश के परिणामस्वरूप किसी कार्यवाई की अपेक्षा करती है ;

(च) निर्धारिती की दशा में, ऐसी कोई सूचना, जो धारा 253 के अधीन, उक्त धारा की उपधारा (4) के अधीन से भिन्न, संचालित किसी सर्वेक्षण से उद्भूत हुई है ;

(छ) धारा 274(6) के अधीन अनुमोदन पैनल द्वारा दिए गए निर्धारिती के मामले में कोई निर्देश ।

(ज) इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में अपील, निर्देश या पुनरीक्षण के माध्यम से किसी प्राधिकारी द्वारा या किसी अन्य विधि के अधीन किसी कार्यवाही में न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश में अंतर्विष्ट कोई निष्कर्ष या निदेश ।

281. (1) जहां निर्धारण अधिकारी के पास ऐसी जानकारी है, जिससे यह प्रतीत हो कि सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती की कर से प्रभार्य आय, निर्धारण से छूट गई

धारा 280 के
अधीन नोटिस

है, तो वह धारा 280 के अधीन कोई सूचना जारी करने से पूर्व ऐसे निर्धारिती को कारण बताओ सूचना तामील करके कि क्यों धारा 280 के अधीन सूचना जारी नहीं की जानी चाहिए, सुनवाई का एक अवसर प्रदान करेगा।

जारी करने से पहले की प्रक्रिया।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कारण बताओ सूचना के साथ ऐसी जानकारी होगी, जिससे यह प्रतीत होता हो कि उसके मामले में सुसंगत कर वर्ष के लिए कर से प्रभार्य आय निर्धारण से छूट गई है और नोटिस की प्राप्ति पर, निर्धारिती ऐसी अवधि के भीतर, जिसे उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, अपना उत्तर प्रस्तुत कर सकेगा।

(3) निर्धारण अधिकारी, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर और निर्धारिती द्वारा उपधारा (2) के अधीन प्रस्तुत उत्तर, यदि कोई हो, को विचार में लेने के पश्चात्, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के साथ यह अवधारित करते हुए कि क्या धारा 280 के अधीन सूचना जारी करने के लिए यह एक उचित मामला है अथवा नहीं, कोई आदेश पारित करेगा।

(4) इस धारा के उपबंध किसी कर वर्ष के लिए निर्धारण से छूट जाने वाली आय से प्रभार्य ऐसे किसी निर्धारिती की दशा में लागू नहीं होंगे, जहां निर्धारण अधिकारी ने—

(क) धारा 260 के अधीन अधिसूचित किसी स्कीम के अधीन जानकारी प्राप्त की है ; या

(ख) धारा 274(6) के अधीन अनुमोदन पैनल से निदेश प्राप्त किए हैं ;

(ग) इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में किसी प्राधिकारी द्वारा अपील, निर्देश या पुनरीक्षण के माध्यम से या किसी अन्य विधि के अधीन किसी कार्यवाही में न्यायालय द्वारा पारित आदेश में अंतर्विष्ट कोई निष्कर्ष या निदेश प्राप्त किया है।

282. (1) धारा 282 के अधीन कोई सूचना सुसंगत कर वर्ष के लिए जारी नहीं की जाएगी,—

धारा 280 और धारा 281 के अधीन सूचनाओं की समय-सीमा।

(क) यदि सुसंगत वर्ष के अंत से चार वर्ष और तीन मास व्यपगत हो चुके हैं, जब तक कि वह मामला खंड (ख) के अधीन नहीं आता हो ;

(ख) यदि सुसंगत कर वर्ष के अंत से चार वर्ष और तीन मास से अधिक, किंतु छह वर्ष और तीन मास से अनधिक वर्ष व्यपगत हो चुके हैं, जब तक निर्धारण अधिकारी अपने कब्जे में लेखा बहियां या अन्य दस्तावेज या किसी आस्ति या व्यय या संव्यवहार या प्रविष्टि से संबंधित कोई ऐसा साक्ष्य नहीं रखता है, जो यह दर्शित करता है कि कर से प्रभार्य ऐसी आय, जो निर्धारण से छूट गई है, पचास लाख रुपए या अधिक की रकम की नहीं है।

(2) धारा 281 के अधीन कोई सूचना कारण बताने के लिए सुसंगत कर वर्ष के लिए जारी नहीं की जाएगी,—

(क) यदि सुसंगत कर वर्ष के अंत से चार वर्ष व्यपगत हो चुके हैं, जब तक कि वह मामला खंड (ख) के अधीन नहीं आता हो ;

(ख) यदि सुसंगत कर वर्ष के अंत से चार वर्ष, किंतु छह वर्ष से अनधिक वर्ष, व्यपगत हो चुके हैं, जब तक कि निर्धारण अधिकारी के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार कर से प्रभार्य ऐसी आय, जो निर्धारण से छूट गई है, पचास

लाख रुपए या अधिक की रकम की नहीं है ।

(3) धारा 280 या धारा 281 के अधीन कोई नोटिस किसी भी कर वर्ष के अंत से एक वर्ष की अवधि के भीतर जारी नहीं किया जाएगा ।

ऐसे मामलों के लिए उपबंध जिनमें निर्धारण अपील आदि पर आदेश के अनुसरण में किया गया है ।

283. (1) धारा 282 में किसी बात पर विचार किए बिना, धारा 280 के अधीन नोटिस निम्नलिखित के परिणामस्वरूप या उसे प्रभावी करने के लिए निर्धारण या पुनःनिर्धारण या पुनर्संगणना करने के लिए किसी भी समय जारी किया जा सकेगा—

(क) अपील, निर्देश या पुनरीक्षण द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में किसी प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश में अंतर्विष्ट या किसी अन्य विधि के अधीन कार्यवाही में किसी न्यायालय द्वारा कोई निष्कर्ष या निदेश ; या

(ख) धारा 274(6) के अधीन अनुमोदन पैनल द्वारा जारी निदेश ।

(2) उपधारा (1) के उपबंध किसी ऐसे मामले में लागू नहीं होंगे जिसमें कोई ऐसा निर्धारण, पुनः निर्धारण या पुनःसंगणना जो उस उपधारा में निर्दिष्ट है, ऐसे कर वर्ष के संबंध में है जिसकी बाबत निर्धारण, पुनःनिर्धारण या पुनःसंगणना उस आदेश के दिए जाने के समय, जो, यथास्थिति, अपील, निदेश या पुनरीक्षण का विषय था किसी ऐसे अन्य उपबंध के कारण नहीं की जा सकती थी जो उस समय को सीमित करने वाला हो जिसके अन्दर निर्धारण, पुनःनिर्धारण या पुनःसंगणना के लिए कोई कार्यवाही की जाए—

(क) वह आदेश जो यथास्थिति, अपील, निर्देश या पुनरीक्षण की विषय-वस्तु थी ; या

(ख) अधिकारिता वाले प्रधान आयुक्त या आयुक्त से धारा 274(4) के अधीन अनुमोदन पैनल को किया जाता है ।

सूचना जारी की जाने के लिए मंजूरी ।

284. धारा 280 और धारा 281 के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अपर आयुक्त या अपर निदेशक या संयुक्त आयुक्त या संयुक्त निदेशक होगा ।

अन्य उपबंध ।

285. (1) धारा 279 के अधीन किए गए निर्धारण, पुनःनिर्धारण या पुनःसंगणना में, कर उस दर या उन दरों पर प्रभार्य होगा जिस पर या जिन पर वह उस दशा में प्रभारित किया गया होता जिसमें आय निर्धारण से न छूटी होती ।

(2) निर्धारिती द्वारा किए गए दावे पर तथा उसके द्वारा यह दर्शित करने पर कि—

(क) निर्धारिती इतनी रकम पर या इतनी राशि के लिए अवधारित हुआ है जितना उससे न्यूनतर नहीं है जिसका कि वह सही तौर पर दायी होता यदि निर्धारण से छूटी अभिकथित आय भी गिनती में ली गई होती या निर्धारण या संगणना उचित रूप से की गई होती ; और

(ख) निर्धारिती धारा 356, धारा 357 या धारा 378 के अधीन सुसंगत कर वर्ष के लिए मूल निर्धारण आदेश के किसी भी भाग को आक्षेपित नहीं किया है, धारा 279 के अधीन आरंभ की गई कार्यवाहियां बंद कर दी जाएंगी ।

(3) जहां उपधारा (2) के अधीन एक निर्धारिती द्वारा दावा किया गया है, वह धारा 287 या धारा 288 या धारा 365(10) या धारा 368 या धारा 377 के अधीन एक आदेश द्वारा निष्कर्ष निकाले गए मामलों को फिर से खोलने का हकदार नहीं होगा ।

286. (1) नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (ख) में उल्लिखित कार्यवाही के संबंध में कोई आदेश उक्त सारणी के स्तंभ (ग) में तदनुरूपी प्रविष्टि में उल्लिखित तारीख से गणना स्तंभ (घ) में तदनुरूपी प्रविष्टि में उल्लिखित की गई अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा, अर्थात् :—

निर्धारण,
पुनःनिर्धारण और
पुनःसंगणना को
पूरा करने के लिए
समय-सीमा ।

सारणी

क्रम संख्या	कार्यवाही या आदेशों की प्रकृति	तारीख जिससे पूरा होने की समय-सीमा की गणना की जानी है	पूरा करने की समय-सीमा
(क)	(ख)	(ग)	(घ)
1.	धारा 270(10) या धारा 271 के अधीन निर्धारण आदेश	सुसंगत कर वर्ष के पश्चात् वित्तीय वर्ष का अंत, जिसके लिए निर्धारण किया जाता है	एक वर्ष
2.	धारा 270(10) या धारा 271 के अधीन निर्धारण आदेश, जहां आय की अद्यतन विवरणी धारा 263(6) के अधीन प्रस्तुत की जाती है ।	वित्तीय वर्ष का अंत जिसमें इस तरह के अद्यतन विवरणी प्रस्तुत की गई थी	एक वर्ष
3.	धारा 270(10) या धारा 271 के अधीन निर्धारण आदेश, जहां धारा 239(3)(ख) अधीन आदेश के परिणामस्वरूप विवरणी प्रस्तुत की जाती है ।	वित्तीय वर्ष का अंत जिसमें ऐसी विवरणी प्रस्तुत की गई थी	एक वर्ष
4.	निर्धारण धारा 279 के अधीन पुनर्मूल्यांकन या पुनः आदेश	वित्तीय वर्ष का अंत जिसमें धारा 280 के अधीन नोटिस दिया गया था	एक वर्ष
5.	धारा 359 या धारा 363 या धारा 377, धारा 378 के अधीन एक आदेश के अनुसरण में धारा 166 के अधीन नया निर्धारण आदेश या नया आदेश धारा 166 के अधीन एक आदेश या एक आदेश को अपास्त करना या रद्द करना	वित्तीय वर्ष का अंत जिसमें धारा 359 या धारा 363 के अधीन आदेश, अधिकारिता वाले प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त होता है, या, यथास्थिति, धारा	एक वर्ष

377 या धारा 378
के अधीन आदेश,
अधिकारिता वाले
प्रधान आयुक्त या
आयुक्त द्वारा
पारित किया जाता
है

6. निर्धारण या पुनःनिर्धारण, जो उस मास का अंत एक वर्ष
धारा 292 के अनुसार जिसमें ऐसे
पुनःप्रवर्तित होता है निर्धारण या
पुनःनिर्धारण को
पुनःप्रवर्तित किया
जाता है
7. धारा 279 के अधीन फर्म पर मास की समाप्ति एक वर्ष
किए गए निर्धारण के जिसमें फर्म के
परिणामस्वरूप भागीदार के हार्थों मामले में निर्धारण
में किया जाना अपेक्षित निर्धारण आदेश पारित किया
जाता है
8. निर्धारिती या किसी व्यक्ति पर उस मास का अंत एक वर्ष
किए जाने वाले निर्धारण या जिसमें अधिकारिता
पुनःनिर्धारण या पुनः गणना के वाले प्रधान
परिणामस्वरूप या किसी आदेश आयुक्त या
में निहित किसी भी निष्कर्ष या आयुक्त द्वारा,
निदेश को प्रभावी करने के यथास्थिति, ऐसा
लिए— आदेश प्राप्त होता
(i) धारा 359 या धारा 363 या है, या पारित किया
धारा 365(10) या धारा 368 या जाता है
धारा 377 या धारा 378 ; या
(ii) इस अधिनियम के अधीन
अपील या निर्देश के माध्यम से
किसी कार्यवाही में किसी
न्यायालय का आदेश ।
9. धारा 359 या धारा 363 या उस मास का अंत एक वर्ष
धारा 365(10) या धारा 368 या जिसमें,
धारा 377 या धारा 378 के यथास्थिति, धारा
अधीन एक आदेश को प्रभावी 359 या धारा 363
करने वाला आदेश अन्यथा धारा या धारा 365(10)
166 के अधीन एक नया या धारा 368 के
निर्धारण या पुनःनिर्धारण या अधीन आदेश प्राप्त

- नया आदेश देकर, जहां— होता है, या धारा
- (i) निर्धारिती या किसी अन्य 377 या धारा 378
व्यक्ति द्वारा किसी दस्तावेज के अधीन आदेश,
को प्रस्तुत करने के माध्यम से अधिकारिता वाले
मामले का सत्यापन ; या प्रधान आयुक्त या
- (ii) निर्धारिती को सुनवाई का आयुक्त द्वारा
अवसर दिया जाना है । आदेश पारित किया
जाता है
10. धारा 359 या धारा 363 या उस मास का अंत छह मास, जिसे
धारा 365(10) या धारा 368 या जिसमें, अपर आयुक्त या
धारा 377 या धारा 376 के यथास्थिति, धारा अपर निदेशक या
अधीन किसी आदेश को प्रभावी 359 या धारा 363 संयुक्त आयुक्त या
करने वाला आदेश अन्यथा धारा या धारा 365(10) संयुक्त निदेशक के
166 के अधीन एक नया या धारा 368 के अनुमोदन से नौ
निर्धारण या पुनःनिर्धारण या अधीन आदेश, मास तक बढ़ाया
नया आदेश देकर अधिकारिता वाले जा सकेगा ।
प्रधान आयुक्त या
आयुक्त द्वारा
प्राप्त होता है, या
धारा 377 या धारा
378 के अधीन
आदेश पारित किया
जाता है
11. धारा 166 के अधीन आदेश के उस मास का अंत दो मास
अनुरूप निर्धारण अधिकारी द्वारा जिसमें धारा 166
मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन या पुनः के अधीन ऐसा
गणना का उपांतरण (धारा 377 आदेश निर्धारण
के अधीन आदेश या निदेश को अधिकारी द्वारा
प्रभावी करने वाले अंतरण कीमत प्राप्त किया जाता
निर्धारण अधिकारी द्वारा) है

(2) उपधारा (1) में उपबंध किए गए किसी भी निर्धारण या पुनःनिर्धारण को पूरा करने की समय-सीमा को, ऐसे मामले में जहां धारा 166(1) के अधीन आसन्निकट कीमत अवधारित करने के लिए कीमत अंतरण अधिकारी को निर्देश दिया जाता है, बारह मास की अतिरिक्त अवधि तक बढ़ाया जाएगा ।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, पूरा होने की समय-सीमा की गणना में, निम्नलिखित अवधि को अपवर्जित किया जाएगा,—

(क) निर्धारिती के अनुरोध पर कार्यवाही के पूरे या किसी भी भाग को पुनः खोलने या निर्धारिती को धारा 244 के अधीन पुनः सुनवाई का अवसर देने में लिया गया समय ; या

(ख) उस तारीख से आरंभ होने वाली अवधि जिस पर मूल्यांकन कार्यवाही पर रोक किसी भी अदालत के आदेश या व्यादेश द्वारा दी गई थी और उस तारीख को समाप्त होने वाली अवधि, जिस पर रोक हटाने वाले आदेश की प्रमाणित प्रति अधिकारिता वाले प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त की गई थी ; या

(ग) उस तारीख से आरंभ होने वाली अवधि जिस पर निर्धारण अधिकारी केंद्रीय सरकार या यथाविहित प्राधिकरण को अनुसूची 3 (सारणी : क्रम सं. 23, 24 या 25) या धारा 270(11)(i) के उपबंधों के उल्लंघन की सूचना देता है और उस तारीख के साथ समाप्त होता है जिस पर, यथास्थिति, आदेश की प्रति अनुमोदन वापस ले लेती है या अधिसूचना को विखंडित कर देती है, उन खंडों के अधीन निर्धारण अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जाता है ; या

(घ) उस तारीख से आरंभ होने वाली अवधि जिस पर निर्धारण अधिकारी निर्धारिती को अपने खातों की लेखा परीक्षा या धारा 268(5) के अधीन मूल्यवान सूची प्राप्त करने का निर्देश देता है और—

(i) अंतिम तारीख के साथ समाप्त हो रहा है जिस पर निर्धारिती को उस धारा के अधीन इस तरह के संपरीक्षा या सूची मूल्यांकन की रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है ; या

(ii) जहां ऐसे निदेश को न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जाती है, जो उस तारीख को समाप्त होती है जिस तारीख को प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा ऐसे निदेश को रद्द करने का आदेश प्राप्त होता है ; या

(ङ) उस तारीख से आरंभ होने वाली अवधि जिस पर निर्धारण अधिकारी धारा 269(1) के अधीन निर्धारण अधिकारी को संदर्भ देता है और उस तारीख के साथ समाप्त होती है जिस पर निर्धारण अधिकारी की रिपोर्ट उसके द्वारा प्राप्त होती है ; या

(च) उस तारीख से आरंभ होने वाली अवधि (साठ दिनों से अधिक नहीं) जिस पर निर्धारण अधिकारी ने धारा 375(1) के अधीन घोषणा प्राप्त की और उस तारीख के साथ समाप्त होने वाली अवधि, जिस पर धारा 375(3) के अधीन आदेश उसके द्वारा किया जाता है ; या

(छ) उस तारीख से आरंभ होने वाली अवधि जिस पर धारा 383(1) के अधीन अग्रिम निर्णयों के लिए बोर्ड के समक्ष एक आवेदन किया जाता है और उस तारीख के साथ समाप्त होती है जिस पर आवेदन को अस्वीकार करने का आदेश, यथास्थिति, धारा 383(5) या (8) के अधीन अधिकारिता रखने वाले प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त होता है ; या

(ज) उस तारीख से आरंभ होने वाली अवधि, जिस पर सूचना के आदान-प्रदान के लिए निर्देश या पहला निर्देश धारा 159 में निर्दिष्ट एक समझौते के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाता है और उस तारीख के साथ समाप्त होती है जिस पर अनुरोध की गई जानकारी अंतिम बार अधिकारिता वाले प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त की जाती है, या एक वर्ष, जो भी कम हो ; या

(झ) उस तारीख से आरंभ होने वाली अवधि जिस पर एक व्यवस्था की घोषणा के लिए एक अस्वीकार्य अपवंचन व्यवस्था के लिए निर्देश धारा 274(1) के अधीन अधिकारिता वाले प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त किया जाता है और उस तारीख को समाप्त होती है जिस पर उपधारा (3) या (6) के अधीन एक निर्देश या उपधारा (5) के अधीन एक आदेश निर्धारण अधिकारी द्वारा प्राप्त होता है ; या

(ज) उस तारीख से आरंभ होने वाली अवधि जिस पर निर्धारण अधिकारी धारा 270(13) के अधीन अधिकारिता वाले प्रधान आयुक्त या आयुक्त को निर्देश देता है और उस तारीख के साथ समाप्त होता है जिस पर धारा 351(2)(ii)(क) या (ख) के अधीन आदेश की प्रति निर्धारण अधिकारी द्वारा प्राप्त होती है ।

(4) जहां उपधारा (3) में उल्लिखित अवधि के बहिष्करण के तुरंत पश्चात्, निर्धारण अधिकारी को उपलब्ध पूरा करने के लिए शेष अवधि, जैसा कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट है, मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन या पुनः गणना का आदेश देने के लिए, साठ दिनों से कम है, ऐसी शेष अवधि साठ दिनों तक बढ़ा दी जाएगी और पूरा होने के लिए पूर्वोक्त समय सीमा तदनुसार बढ़ा दी गई समझी जाएगी ।

(5) जहां अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी को उपलब्ध अवधि धारा 166(8) के अनुसार साठ दिनों तक बढ़ा दी जाती है और इस धारा के अधीन निर्धारण अधिकारी को उपलब्ध पूर्णता की शेष अवधि, मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन या पुनर्गणना का आदेश देने के लिए साठ दिनों से कम है, ऐसी शेष अवधि को साठ दिनों तक बढ़ाया जाएगा और पूरा होने की पूर्वोक्त समय सीमा तदनुसार बढ़ाई गई मानी जाएगी ।

(6) जहां निपटान के लिए अंतरिम बोर्ड के समक्ष कार्यवाही आय-कर अधिनियम 1961 की धारा 245जक के अधीन समाप्त हो जाती है और आय-कर अधिनियम 1961 की धारा 245जक(4) के अधीन अवधि के अपवर्जन के पश्चात् मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन या पुनःगणना का आदेश देने के लिए इस धारा के अधीन निर्धारण अधिकारी को उपलब्ध सीमा की शेष अवधि, आय-कर अधिनियम 1961 की धारा 245जक(4) के अधीन अवधि के अपवर्जन के पश्चात्, एक वर्ष से कम है, ऐसी शेष अवधि को एक वर्ष तक बढ़ाया गया माना जाएगा ; और धारा 282, 287, 288 और 296 के अधीन सीमा की अवधि निर्धारित करने के प्रयोजनों के लिए और धारा 437 के अधीन ब्याज के संदाय के प्रयोजनों के लिए, यह उपधारा भी तदनुसार लागू होगी ।

(7) ऐसे मामले में जहां उपधारा (3)(ज) में निर्दिष्ट समय अवधि को छोड़कर नियमित निर्धारण या पुनःनिर्धारण का आदेश देने के लिए शेष समय अवधि, महीने के अंत से पहले समाप्त हो जाती है, शेष अवधि को ऐसे महीने के अंत तक बढ़ाया जाएगा, और पूरा होने के लिए निर्दिष्ट समय सीमा को तदनुसार बढ़ाया गया माना जाएगा ।

(8) इस धारा और धारा 283 के प्रयोजनों के लिए, जहां उपधारा (1) (सारणी 8.क) में प्रविष्टि में निर्दिष्ट आदेश द्वारा—

(i) किसी भी आय को कर वर्ष के लिए निर्धारिती की कुल आय से बाहर रखा गया है, फिर, किसी अन्य कर वर्ष के लिए ऐसी आय का निर्धारण उक्त आदेश में किसी भी निष्कर्ष या निदेश के परिणामस्वरूप या प्रभाव देने के रूप में माना जाएगा; या

(ii) किसी भी आय को एक व्यक्ति की कुल आय से बाहर रखा गया है और किसी अन्य व्यक्ति की आय माना जाता है, फिर, ऐसे अन्य व्यक्ति पर ऐसी आय का निर्धारण किसी भी निष्कर्ष या निदेश के परिणामस्वरूप या प्रभाव देने के लिए माना जाएगा उक्त आदेश, यदि ऐसे अन्य व्यक्ति को उक्त आदेश पारित होने से पहले सुनवाई का अवसर दिया गया था ।

गलती
सुधार ।

का

287. (1) धारा 236 में निर्दिष्ट आय-कर प्राधिकारी, अभिलेख से स्पष्ट किसी भी गलती को सुधारने के लिए, किसी भी संशोधन को निम्नानुसार कर सकेगा—

(क) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उसके द्वारा पारित आदेश ;

(ख) धारा 270(1) के अधीन सूचना या समझी गई सूचना ;

(ग) धारा 399 के अधीन सूचना ।

(2) प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात का विचार किए बिना, संबंधित प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन ऐसे आदेश या सूचना से संबंधित अपील या पुनरीक्षण के माध्यम से किसी कार्यवाही में विचार किए गए और विनिश्चय किए गए विषय से भिन्न किसी विषय के संबंध में किसी आदेश या सूचना का संशोधन कर सकेगा ।

(3) इस धारा के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, संबंधित प्राधिकारी,—

(क) अपने प्रस्ताव का उपधारा (1) के अधीन संशोधन कर सकेगा ; और

(ख) निम्नलिखित द्वारा उसके ध्यान में लाई गई किसी भी गलती को सुधारने के लिए ऐसा संशोधन करेगा—

(i) निर्धारिती या कटौतीकर्ता या कलेक्टर ; या

(ii) निर्धारण अधिकारी, यदि संबंधित प्राधिकारी संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील) है ।

(4) कोई संशोधन जो निर्धारण को बढ़ाता है, प्रतिदाय को कम करता है या अन्यथा निर्धारिती या कटौतीकर्ता या कलेक्टर की देयता को बढ़ाता है, इस धारा के अधीन संबंधित प्राधिकारी द्वारा, यथास्थिति, ऐसे निर्धारिती या कटौतीकर्ता या कलेक्टर को—

(क) ऐसा संशोधन करने के अपने आशय की सूचना ; और

(ख) सुनवाई का उचित अवसर दिए,

बिना किया जाएगा ।

(5) संबंधित आय-कर प्राधिकारी लिखित रूप में एक आदेश पारित करेगा, यदि इस धारा के अधीन कोई संशोधन किया जाता है ।

(6) निर्धारण अधिकारी प्रतिदाय करेगा, जो निर्धारिती या कटौतीकर्ता या कलेक्टर के कारण हो सकता है, जहां एक संशोधन निर्धारण को कम करता है या अन्यथा ऐसे निर्धारिती या कटौतीकर्ता या कलेक्टर की देयता को कम करता है ।

(7) निर्धारण अधिकारी निर्धारिती या कटौतीकर्ता या कलेक्टर काम करेगा, जो विहित किया जाए, मांग की सूचना के रूप में देय राशि विनिर्दिष्ट करते हुए सूचना की तामील करेगा—

(क) जहां संशोधन निर्धारण को बढ़ाता है या पहले से किए गए प्रतिदाय को कम करता है या अन्यथा ऐसे निर्धारिती या कटौतीकर्ता या कलेक्टर की देयता को बढ़ाता है ; और

(ख) ऐसी सूचना धारा 289 के अधीन जारी की गई समझी जाएगी और इस अधिनियम के उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।

(8) इस धारा के अधीन कोई संशोधन, धारा 288 में यथा उपबंधित के सिवाय, उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से, जिसमें संशोधन किया जाने वाला आदेश या सूचना पारित किया गया था, चार वर्ष के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(9) उपधारा (8) के अधीन, उपधारा (1) में निर्दिष्ट एक आय-कर प्राधिकारी, संशोधन करने या उस महीने के अंत से छह महीने के भीतर दावे की अनुमति देने से इनकार करने के लिए एक आदेश पारित करेगा जिसमें इस धारा के अधीन संशोधन के लिए आवेदन निर्धारिती या कटौतीकर्ता या कलेक्टर से प्राप्त होता है ।

288. निर्धारण अधिकारी, ऐसी कार्रवाइयों को कर सकेगा जैसा कि नीचे दी गई सारणी के स्तंभ ख में निर्दिष्ट कारणों के लिए निर्दिष्ट किया गया है, उक्त सारणी के स्तंभ ग में संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, धारा 287(8) में निर्दिष्ट चार वर्षों के भीतर, जो उक्त सारणी के स्तंभ घ में संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट समय से गणना की जाएगी, और धारा 287 के उपबंध, जहां तक हो सके, ऐसे संशोधन पर लागू होंगे ।

अन्य संशोधन ।

सारणी

क्रम सं.	कार्रवाई	शर्त	समय
क	ख	ग	घ
1.	फर्म के साझेदार के निर्धारण आदेश में संशोधन किया जा सकता है ; ताकि साझेदार की आय को धारा 35 (ड) के अधीन कटौती को समायोजित किया जा सके ।	जहां किसी फर्म के किसी पूर्ण निर्धारण के संबंध में यह पाया जाता है— (क) फर्म के निर्धारण या पुनः निर्धारण पर, या (ख) इस धारा या धारा 287 या 359 या 363 या 365 या 368 या 377 या 378 के अधीन फर्म की आय में किए गए किसी भी कमी या वृद्धि पर ; या (ग) फर्म द्वारा किए गए आवेदन पर आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 245घ(4) के अधीन पारित किसी भी आदेश पर,	वित्तीय वर्ष के अंत से जिसमें फर्म के मामले में अंतिम आदेश पारित किया गया था ।

- कि किसी भागीदार को कोई पारिश्रमिक धारा 35(ड) के अधीन कटौती योग्य नहीं है
2. व्यक्तियों के संगम या व्यक्तियों के निकाय के सदस्य के निर्धारण के आदेश में संशोधन किया जा सकता है ; ताकि मूल्यांकन या उसके सुधारों में सदस्य के हिस्से को शामिल किया जा सके
- जहां व्यक्तियों के संगम या व्यक्तियों के निकाय के किसी सदस्य के किसी पूर्ण निर्धारण के संबंध में, यह पाया जाता है—
- (क) संगम या निकाय के निर्धारण या पुनःनिर्धारण पर, या
- (ख) इस धारा या धारा 287 या 359 या 363 या 365 या 368 या 377 या 378 के अधीन एसोसिएशन या निकाय की आय में किए गए किसी भी कटौती या वृद्धि पर ; या
- (ग) संगम या निकाय द्वारा किए गए आवेदन पर आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 245घ(4) के अधीन पारित किसी भी आदेश पर,
- यह कि संगम या निकाय की आय में सदस्य का हिस्सा, सदस्य के निर्धारण में शामिल नहीं किया गया है या, यदि शामिल है, तो सही नहीं है ।
3. स्तंभ ग में निर्दिष्ट पश्चातवर्ती वर्ष या वर्षों के संबंध में निर्धारिती की कुल आय की पुनर्गणना की जा सकती है और आवश्यक संशोधन किया जा सकता है ।
- जहां किसी भी कर वर्ष के लिए धारा 279 के अधीन आरंभ की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप हानि या अवक्षयण की पुनर्गणना की गई है और ऐसी पुनर्गणना के परिणामस्वरूप, पश्चातवर्ती वर्ष या वर्षों के लिए निर्धारिती की कुल
- वित्तीय वर्ष के अंत से जिसमें संगम या निकाय के मामले में अंतिम आदेश पारित किया गया था ।
- वित्तीय वर्ष के अंत से जिसमें धारा 279 के अधीन आदेश पारित किया गया था ।

आय की पुनर्गणना करना आवश्यक है, जिसके लिए हानि या अवक्षयण मोक आगे बढ़ाया गया है और धारा 112(1) या 113(2) या 111(1) या 115(1) के उपबंधों के अधीन सेट ऑफ किया गया है, पुनःसंगणना किया जाना अपेक्षित है

4. स्तंभ ग में निर्दिष्ट कर जहां किसी भी वर्ष के लिए साल के अंत से—
वर्ष के लिए निर्धारण में,— (i) जिसमें पूंजीगत हस्तांतरणकर्ता कंपनी (क) पूंजीगत संपत्ति के संपत्ति को व्यापार की कुल आय, पुनर्गणना हस्तांतरण से उत्पन्न होने में स्टॉक-इन के की जा सकती है और वाला पूंजीगत लाभ धारा रूप में परिवर्तित आवश्यक संशोधन किया 70(1)(ग) या (घ) के या माना जाता था जा सकता है । उपबंधों के आधार पर धारा ; या 67 के अधीन प्रभारित नहीं (ii) जिसमें मूल किया जाता है ; कंपनी या उसके (ख) ऐसे अभिलाभ को धारा नामांकित व्यक्ति 71 (1) के अधीन आय-कर या, होल्डिंग कंपनी वर्ष के "पूंजीगत अभिलाभ" सहायक कंपनी की के अधीन आय प्रभार्य माना पूरी शेयर पूंजी को जाता है, जिसमें हस्तांतरण धारण करना बंद किसी भी समय इस तरह कर देती है । के हस्तांतरण की तारीख से आठ साल की अवधि की समाप्ति से पहले हुआ था—
- (i) ऐसी पूंजीगत संपत्ति को हस्तांतरित कंपनी द्वारा परिवर्तित किया जा रहा है, या उसके द्वारा अपने कारबार के स्टॉक-इन ट्रेड के रूप में माना जा रहा है ; या
- (ii) मूल कंपनी या उसके नामांकित व्यक्ति या, होल्डिंग कंपनी सहायक कंपनी की पूरी शेयर पूंजी

को धारण करना बंद कर देती है ।

5. निर्धारण के आदेश में जहां किसी भी वर्ष के लिए उस वित्तीय वर्ष के संशोधन किया जा निर्धारण में, किसी भी मूल अंत से जिसमें सकता है ; ताकि धारा संपत्ति के हस्तांतरण से निर्धारिती द्वारा 89 में निर्दिष्ट किसी भी उत्पन्न होने वाला पूंजीगत ऐसी आय प्राप्त की धारा के अधीन कर के लाभ, जैसा कि धारा 89 में गई थी । लिए प्रभार्य पूंजीगत निर्दिष्ट है, कर के लिए लाभ की राशि को बाहर चार्ज किया जाता है और उखा जा सके । उस धारा के अधीन

विस्तारित अवधि के भीतर-

(क) निर्धारिती उस खंड में निर्दिष्ट नई संपत्ति का अधिग्रहण करता है ; या

(ख) इस तरह के पूंजीगत लाभ की राशि जमा या निवेश करता है ।

6. निर्धारण के आदेश में जहां किसी भी वर्ष के लिए वित्तीय वर्ष के अंत संशोधन किया जा निर्धारण में, धारा 144 के से जिसमें ऐसी सकता है ; ताकि ऐसी अधीन किसी भी कटौती को आय भारत में आय या उसके हिस्से के इस आधार पर अनुमति प्राप्त की जाती है, संबंध में स्तंभ ग में नहीं दी गई है कि- या लाई जाती है । निर्दिष्ट धाराओं के

(क) ऐसी आय अधीन कटौती की भारत में परिवर्तनीय अनुमति दी जा सके, विदेशी मुद्रा में प्राप्त जैसा कि भारत में प्राप्त नहीं हुई है, या किया गया है, या लाया गया है

(ख) ऐसी आय, भारत के बाहर परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त किया गया है, या भारत के बाहर परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में परिवर्तित किया गया है, निर्धारिती द्वारा या उसकी ओर से भारतीय रिजर्व बैंक या ऐसे अन्य प्राधिकरण के अनुमोदन से भारत में नहीं लाया गया है, जैसा

कि विदेशी मुद्रा में
भुगतान और व्यवहार
को विनियमित करने के
लिए किसी भी विधि के
अधीन प्राधिकृत है,

और बाद में ऐसी आय या
उसका हिस्सा कटौती के
लिए यथा अपेक्षित भारत में
प्राप्त किया गया है या
लाया गया है ।

7. धारा 270(1) के अधीन जहां किसी भी कर वर्ष के उस वित्तीय वर्ष के
मूल्यांकन या किसी भी लिए मूल्यांकन में या किसी अंत से जिसमें ऐसे
सूचना या समझा सूचना भी कर वर्ष के लिए धारा विवाद का निपटारा
के आदेश में संशोधन 270(1) के अधीन किसी भी किया जाता है ।
किया जाएगा; ताकि सूचना या समझा सूचना
आय-कर के लिए क्रेडिट में,—

दिया जा सके जैसा कि (क) अध्याय 9ख में
स्तंभ ग में उस वर्ष के संदर्भित भारत के बाहर
लिए निर्दिष्ट है जिसमें किसी भी देश या भारत के
ऐसी आय कर के लिए बाहर एक निर्दिष्ट क्षेत्र में
पेश की जाती है या संदाय किए गए आय-कर के
भारत में कर का लिए क्रेडिट इस आधार पर
आकलन किया जाता नहीं दिया गया है कि ऐसे
कर का संदाय विवाद के
अधीन था ; और

(ख) बाद में इस तरह के
विवाद का निपटारा किया
जाता है ; और निर्धारिती,
उस महीने के अंत से छह
महीने के भीतर, जिसमें
विवाद का निपटारा किया
जाता है, निर्धारण अधिकारी
को प्रस्तुत करता है—

(i) विवाद के
निपटान का साक्ष्य और
ऐसे कर के संदाय का
साक्ष्य ; और

(ii) एक उपक्रम कि ऐसी
राशि के संबंध में कोई

क्रेडिट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष
रूप से दावा नहीं किया गया
है या किसी अन्य कर वर्ष
के लिए दावा किया
जाएगा ।

8. मूल्यांकन के आदेश में जहां, किसी भी वर्ष के वित्तीय वर्ष के अंत संशोधन किया जाएगा निर्धारण में, पूंजीगत संपत्ति से जिसमें मूल्य को ताकि प्रतिफल के पूर्ण के हस्तांतरण से उत्पन्न संशोधित करने का मूल्य को अपील या होने वाले पूंजीगत लाभ, आदेश अपील या संशोधन या संदर्भ में भूमि या भवन या दोनों संशोधन या निर्देश संशोधित मूल्य मानकर होने की गणना की जाती में पारित किया पूंजीगत लाभ की गणना है— गया था ।
- की जा सके, जैसा कि (क) धारा 78(1) के अनुसार स्तंभ (3) में निर्दिष्ट स्टाम्प शुल्क के संदाय के प्रयोजन से राज्य सरकार के किसी भी प्राधिकरण द्वारा अपनाए गए या मूल्यांकन किए गए मूल्य के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या अर्जित प्रतिफल का पूरा मूल्य लेकर ; तथा
- (ख) बाद में इस तरह के मूल्य को धारा 78 (2) (ख) में निर्दिष्ट किसी भी अपील या संशोधन या संदर्भ में संशोधित किया जाता है ।
9. निर्धारण के आदेश में (क) जहां किसी भी वर्ष के उस वित्तीय वर्ष के संशोधन किया जा लिए निर्धारण में, पूंजीगत अंत से जिसमें सकता है ताकि पूंजीगत आस्ति के हस्तांतरण से मुआवजे को कम करने का आदेश लाभ की गणना उत्पन्न होने वाले पूंजीगत लाभ की गणना खंड (ख) में न्यायालय, अधिकरण या निर्दिष्ट हस्तांतरण के रूप अधिकरण या अन्य किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा प्रतिफल का पूरा में की जाती है— प्राधिकरण द्वारा मूल्य होने के लिए (i) धारा 67 (12) पारित किया गया प्रतिकर या प्रतिफल को (क) में निर्दिष्ट, था ।
- लेकर की जा सके । यथास्थिति, प्रतिकर या अधिकरण या, जैसा भी मामला हो, धारा 67

(12) (ख) में निर्दिष्ट मुआवजे या विचार को बढ़ाया या आगे बढ़ाया गया, परिसंपत्ति के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या अर्जित होने वाले प्रतिफल का पूर्ण मूल्य माना जाता है ; तथा

(ii) बाद में ऐसे प्रतिकर या प्रतिफल को किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण द्वारा कम कर दिया जाता है ;

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट अंतरण एक अंतरण होगा—

(i) किसी विधि के अधीन अनिवार्य अधिग्रहण के माध्यम से ;

(ii) जिसके लिए प्रतिफल केंद्रीय सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित या अनुमोदित किया गया था ।

10. धारा 152 के अधीन जहां किसी भी पेटेंट के वित्तीय वर्ष के अंत अनुज्ञात कटौती को संबंध में धारा 151 के से जिसमें पेटेंट अननुज्ञात करने के लिए अधीन किसी भी कर वर्ष में अधिनियम, 1970 कुल आय की पुनर्गणना एक निर्धारिती को कटौती की, यथास्थिति, की जा सकती है । की अनुमति दी गई है, और धारा 2(1)(ख), या

बाद में पेटेंट अधिनियम, धारा 2(1)(झ) में 1970 के अधीन नियंत्रक निर्दिष्ट उच्च या उच्च न्यायालय के न्यायालय का आदेश द्वारा,— आदेश पारित किया

(क) पेटेंट रद्द कर दिया गया था, या

(ख) निर्धारिती का नाम उस पेटेंट के

संबंध में पेटेंट
रजिस्टर से पेटेंटकर्ता
के रूप में बाहर रखा
गया था,

रॉयल्टी के माध्यम से आय
से कटौती उस अवधि के
लिए जिम्मेदार है जिसके
दौरान पेटेंट रद्द कर दिया
गया था या जिस अवधि के
लिए निर्धारिती का नाम उस
पेटेंट के संबंध में पेटेंटकर्ता
के रूप में बाहर रखा गया
था, गलत तरीके से
अनुमति दी गई माना
जाएगा।

11. निर्धारण के आदेश या (क) जहां किसी भी आय उस वित्तीय वर्ष के किसी भी सूचना में को किसी भी कर वर्ष के अंत से जिसमें इस संशोधन किया जाएगा लिए धारा 263 के अधीन तरह के कर की ताकि स्तंभ ग में एक निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत कटौती की गई है। निर्दिष्ट कर वर्ष में स्रोत आय की विवरणी में पर काटे गए ऐसे कर के सम्मिलित किया गया है, क्रेडिट को अनुज्ञात और इस तरह की आय पर किया जा सके, और कर स्रोत पर कटौती की गई स्रोत पर काटे गए ऐसे हैं और अध्याय 19ख के कर के क्रेडिट को किसी उपबंधों के अनुसार केंद्रीय अन्य कर वर्ष में अनुज्ञा सरकार के क्रेडिट में संदाय नहीं दी जाएगी। किया गया है बाद के कर वर्ष में ; और
- (ख) एक निर्धारिती द्वारा इस तरह के रूप में एक आवेदन किया जाता है, जैसा कि निर्धारित किया गया है, कर वर्ष के अंत से दो वर्ष के भीतर जिसमें इस तरह के कर को स्रोत पर काटा गया था।

(2)(क) जहां किसी कर वर्ष के लिए धारा 166(6) के अधीन किसी अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के संबंध में असन्निकट मूल्य का अवधारण किया जाता है तथा कीमत अंतरण अधिकारी ने यह घोषित किया है कि ऐसे कर वर्ष के

ठीक पश्चात्पूर्वी दो निरंतर कर वर्षों के लिए ऐसे संव्यवहार के संबंध में धारा 166(9) के अधीन निर्धारिती द्वारा उपयोग किया गया विकल्प वैध है, तो निर्धारण अधिकारी, यथास्थिति, धारा 270(1) के अधीन निर्धारण या किसी सूचना या समझी गई सूचना के आदेश का संशोधन करके निम्नानुसार उक्त दो निरंतर कर वर्षों के लिए निर्धारिती की कुल आय की पुनः संगणना उस मास के अंत से तीन मास के भीतर करेगा, जिसमें ऐसे कर वर्ष के लिए निर्धारिती के मामले में निर्धारण पूरा हो जाता है,--

(i) ऐसे संव्यवहार के संबंध में धारा 166(12) के अधीन कीमत अंतरण अधिकारी द्वारा इस प्रकार अवधारित असन्निकट मूल्य के अनुरूप ; और

(ii) धारा 275(5) के अधीन ऐसे कर वर्ष के लिए जारी निदेशों का ध्यान रखते हुए, यदि कोई हो,

और धारा 165(7) और धारा 165(8) के उपबंध उसको लागू होंगे ।

(ख) जहां उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट धारा 170(1) के अधीन उक्त दो निरंतर कर वर्षों के लिए निर्धारण या किसी सूचना या समझी गई सूचना का आदेश उक्त तीन मास के भीतर नहीं किया जाता है, तो ऐसी पुनःसंगणना उस मास के अंत से तीन मास के भीतर की जाएगी, जिसमें, यथास्थिति, धारा 270(1) के अधीन निर्धारण या किसी सूचना या समझी गई सूचना का ऐसा आदेश किया जाता है ।

289. (1) जब इस अधिनियम के अधीन पारित किसी भी आदेश के परिणामस्वरूप कोई कर, ब्याज, शास्ति, जुर्माना या कोई अन्य राशि देय होती है, तो निर्धारण अधिकारी इस प्रकार संदेय राशि विनिर्दिष्ट करते हुए, जो विहित की जाए, ऐसे प्ररूप में मांग की सूचना तामील करेगा ।

मांग की सूचना ।

(2) जहां किसी भी राशि को धारा 270 या धारा 399 के अधीन निर्धारिती या कटौतीकर्ता या कलेक्टर द्वारा संदाय करने के लिए अवधारित किया जाता है, उक्त धाराओं के अधीन जानकारी इस धारा के प्रयोजनों के लिए मांग की सूचना समझी जाएगी ।

(3) जहां किसी भी कर वर्ष में निर्धारिती की आय में धारा 17(1)(घ) में विनिर्दिष्ट प्रकृति की आय सम्मिलित है और उक्त धारा में विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या स्वेट इक्विटी शेयर वर्तमान नियोजक द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आबंटित या अंतरित किए जाते हैं, जो धारा 140 में निर्दिष्ट एक पात्र स्टार्ट-अप है, उपधारा (1) में निर्दिष्ट मांग की सूचना में सम्मिलित ऐसी आय पर कर या ब्याज चौदह दिनों के भीतर निम्नानुसार निर्धारिती द्वारा संदेय होगा—

(क) सुसंगत कर वर्ष के अंत से साठ मास की समाप्ति के पश्चात् ;

(ख) निर्धारिती द्वारा ऐसी विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या स्वेट इक्विटी शेयर की विक्रय की तारीख से ; या

(ग) निर्धारिती के नियोजक का कर्मचारी न रहने की तारीख से, जिसने उसे ऐसे प्रतिभूति या स्वेट इक्विटी शेयर आबंटित या अंतरित किए,

जो भी सबसे पहले हो ।

में सूचना का
उपांतरण और
पुनरीक्षण ।

(क) कोई कर, ब्याज, शास्ति, जुर्माना या कोई अन्य राशि, जिसके संबंध में पूर्व में धारा 289 के अधीन मांग की सूचना जारी की गई है ; और

(ख) ऐसा कर, ब्याज, शास्ति, जुर्माना या कोई अन्य राशि दिवाला और धन शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 5(1) में यथापरिभाषित न्याय निर्णयन प्राधिकारी के आदेश के परिणामस्वरूप कम हो जाती है,

निर्धारण अधिकारी निर्धारिती पर देय राशि को विनिर्दिष्ट करने की मांग की उपांतरित सूचना देगा, यदि कोई हो, और ऐसी सूचना को धारा 289 के अधीन सूचना माना जाएगा तथा इस अधिनियम के उपबंध ऐसी सूचना के संबंध में तदनुसार लागू होंगे ।

(2) उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट मांग की उपांतरित सूचना पुनरीक्षित की जाएगी जहां उपधारा (1)(ख) में निर्दिष्ट आदेश राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण या उच्चतम न्यायालय द्वारा उपांतरित किया गया है ।

किसी अन्य
व्यक्ति की
अप्रकटित आय ।

291. निर्धारण अधिकारी धारा 111(1) या धारा 112 या धारा 113(2) या धारा 115(1) के प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा यथा संगणित हानि की रकम के लिखित में आदेश द्वारा निर्धारिती को अधिसूचित करेगा, जो—

(क) निर्धारिती की कुल आय के निर्धारण के अनुक्रम में, यह गठित होता है कि हानि हुई है ; और

(ख) निर्धारिती उक्त धाराओं के उपबंधों के अधीन ऐसी हानि को अग्रेषित करने या मुजरा करने का हकदार है ।

ख. तलाशी मामलों के निर्धारण के लिए विशेष प्रक्रिया

तलाशी के
परिणामस्वरूप कुल
अघोषित आय का
निर्धारण ।

292. (1) इस अधिनियम के किसी भी अन्य उपबंध के बावजूद, जहां इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर या उसके पश्चात्, किसी भी व्यक्ति के मामले में, कोई तलाशी आरंभ की जाती है या अध्यपेक्षा की जाती है, तो, निर्धारण अधिकारी इस अध्याय के इस भाग के उपबंधों के अनुसार ब्लॉक अवधि की कुल अप्रकटित आय का निर्धारण या पुनःनिर्धारण आरंभ करेगा ।

(2) (क) इस अधिनियम (अध्याय के इस भाग से भिन्न) के उपबंधों के अधीन मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन या पुनःसंगणना कार्यवाही, यदि कोई हो, ब्लॉक अवधि में आने वाले किसी भी कर वर्ष से संबंधित, खोज की शुरुआत की तारीख को लंबित है, या मांग करने की तारीख, समाप्त हो जाएगी और ऐसी तारीख को समाप्त माना जाएगा ।

(ख) (उस कर वर्ष से भिन्न, जिसमें तलाशी के लिए अंतिम प्राधिकार निष्पादित किया जाता है या अध्यपेक्षा की जाती है) ब्लॉक अवधि के अंतर्गत आने वाले किसी कर वर्ष के संबंध में (अध्याय के इस भाग से भिन्न) इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन निर्धारण या पुनःनिर्धारण या पुनःसंगणना के लिए कोई कार्यवाही, जिसके लिए तलाशी आरंभ होने की तारीख या अध्यपेक्षा करने की तारीख से आरंभ होने वाली तथा धारा 294(1)(ग) के अधीन आदेश करने की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान सूचना जारी की गई है, उपशमन हो जाएगी और ऐसी सूचना को जारी करने की तारीख को उपशमन हुई समझी जाएगी ।

(3) यदि धारा 166(1) के अधीन कोई निर्देश किया गया है या धारा 166(6) के

अधीन आदेश पारित किया गया है, तो उपधारा (2) में निर्दिष्ट मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन या पुनःसंगणना कार्यवाहियों को ऐसे संदर्भ या आदेश के साथ उपशमन कर दिया जाएगा और उपधारा (2) में निर्दिष्ट तारीख को उपशमन किया जाएगा और उपशमन कर दिया गया समझा जाएगा ।

(4) यदि अध्याय के इस भाग के उपबंधों के अधीन कोई निर्धारण एक निर्धारिती के मामले में लंबित है, जिसके मामले में एक खोज शुरू की जाती है या पश्चात् में एक मांग की जाती है—

(क) इस तरह के लंबित निर्धारण को विधिवत पूरा किया जाएगा ;

(ख) अध्याय के इस भाग के उपबंधों के अधीन तत्पश्चात् ऐसी अनुवर्ती खोज या माँग के सम्बन्ध में निर्धारण किया जाएगा ; और

(ग) यदि खंड (ख) में निर्धारण के लिए उपलब्ध अवधि तीन मास से कम है, तो ऐसी अवधि को उस मास के अंत से तीन मास तक बढ़ाया जाएगा जिसमें निर्धारण, जैसा कि खंड (क) में निर्दिष्ट किया गया था, पूरा हो गया था ।

(5) अध्याय के इस भाग या धारा 286 में किसी बात पर ध्यान न देते हुए, यदि इस अध्याय के भाग ख के अधीन प्रारंभ की गई कोई कार्यवाही या धारा 294(1)(ग) के अधीन निर्धारण या पुनः निर्धारण का कोई आदेश किसी अपील या किसी अन्य विधिक कार्यवाही में निरस्त कर दी गई है,—

(क) किसी कर वर्ष से संबंधित वह निर्धारण या पुनःनिर्धारण या पुनर्संगणना या निर्देश या आदेश, जो उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन समाप्त हो गई है, प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा ऐसे विलोपन के आदेश की प्राप्ति की तारीख से पुनः प्रभावी होगी ;

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट पुनरुद्धार का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, यदि विलोपन का ऐसा आदेश रद्द कर दिया जाता है ।

(6) कर वर्ष की आय (अघोषित आय के अलावा) जिसमें तलाशी के लिए अंतिम प्राधिकरण निष्पादित किया जाता है या मांग की जाती है, इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अनुसार अलग से मूल्यांकन किया जाएगा ।

(7) ब्लॉक अवधि से संबंधित कुल अप्रकटित आय पर, जैसा कि धारा 293(7) में निर्दिष्ट है, ब्लॉक अवधि की आय के रूप में धारा 192 में निर्दिष्ट दर पर कर लगाया जाएगा, चाहे कर वर्ष या वर्ष कुछ भी हो, जिससे ऐसी आय संबंधित है ।

293. (1) धारा 292 (1) में निर्दिष्ट ब्लॉक अवधि की कुल अप्रकटित आय निम्नलिखित का कुल योग होगा, अर्थात् :—

(क) धारा 294 के अधीन प्रस्तुत विवरणी में घोषित कुल अघोषित आय ;

(ख) उपधारा (4) के अधीन निर्धारण अधिकारी द्वारा अवधारित अप्रकटित आय ।

(2) ब्लाक अवधि की कुल अप्रकटित में निम्नलिखित आय सम्मिलित नहीं की जाएगी, अर्थात् :—

(क) ब्लाक अवधि के अंतर्गत आने वाले किसी कर वर्ष के संबंध में, तलाशी

ब्लॉक अवधि की
कुल आय की
गणना ।

के आरंभ की तारीख या अध्यपेक्षा की तारीख से पूर्व, इस अधिनियम की धारा 270(1) या धारा 270(10) या धारा 271 या धारा 279 या धारा 294(1)(ग) या आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 143 या धारा 144 या धारा 147 या धारा 153क या धारा 153ग धारा 158खग या धारा 245(घ)(4) के अधीन अवधारित या निर्धारित कुल आय ;

(ख) ब्लाक अवधि के अंतर्गत आने वाले तथा खंड (क) के अधीन सम्मिलित नहीं किए गए किसी कर वर्ष के संबंध में, तलाशी के आरंभ की तारीख या अध्यपेक्षा की तारीख से पूर्व, इस अधिनियम की धारा 263 के अधीन या आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 139 या इस अधिनियम की धारा 268(1) के अधीन या आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 142(1) के अधीन किसी सूचना के उत्तर में फाइल की गई आय की विवरणी में घोषित कुल आय ;

(ग) निर्धारिती द्वारा निम्नलिखित के संबंध में संगणित आय—

(i) कर वर्ष जहां ऐसा कर वर्ष, जहां ऐसा कर वर्ष समाप्त हो गया है और तलाशी आरंभ करने की तारीख या अध्यपेक्षा की तारीख से पूर्व सामान्य अनुक्रम में रखी गई लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों में यथा अभिलिखित ऐसी आय या संव्यवहारों से संबंधित प्रविष्टियों के आधार पर तलाशी आरंभ करने की तारीख या अध्यपेक्षा की तारीख से पूर्व ऐसे कर वर्ष के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की देय तारीख समाप्त नहीं हुई है ;

(ii) कर वर्ष के अप्रैल के पहले दिन से आरंभ होने वाली अवधि जिसमें तलाशी आरंभ की जाती है या अध्यपेक्षा की जाती है और तलाशी आरंभ करने की तारीख या अध्यपेक्षा की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती दिन को या उससे पूर्व ऐसी अवधि के लिए सामान्य अनुक्रम में अनुरक्षित लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों में यथा अभिलिखित ऐसी आय या संव्यवहारों से संबंधित प्रविष्टियों के आधार पर, तलाशी आरंभ करने या अध्यपेक्षा की तारीख से ठीक पूर्व दिन को समाप्त होने वाली अवधि ;

(iii) तलाशी आरंभ करने की तारीख या अध्यपेक्षा की तारीख से प्रारंभ होने वाली अवधि और प्राधिकारों में से अंतिम प्राधिकार के निष्पादन की तारीख को या उससे पूर्व ऐसी अवधि के लिए सामान्य अनुक्रम में अनुरक्षित लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों में यथा अभिलिखित ऐसी आय या संव्यवहारों से संबंधित प्रविष्टियों के आधार पर तलाशी या अध्यपेक्षा के लिए प्राधिकारों में से अंतिम प्राधिकार के निष्पादन की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि ;

(घ) इस अधिनियम की धारा 207(8) या धारा 216 या धारा 393(1) में सारणी के क्रम सं. 8(3) या आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 115क(5) या धारा 115छ या धारा 194त(1) में निर्दिष्ट कुल आय ।

(3) उपधारा (2)(ग) के प्रयोजनों के लिए जहां निर्धारण अधिकारी की यह राय है कि उक्त धारा के अधीन निर्धारिती द्वारा यथा संगणित आय का कोई भाग अप्रकटित है वहां वह ऐसी आय की पुनःसंगणना कर सकेगा ।

(4) ब्लाक अवधि के अन्तर्गत आने वाली अप्रकटित आय की संगणना

निम्नलिखित के आधार पर की जाएगी:—

(क) तलाशी या सर्वेक्षण या अध्यपेक्षा के परिणास्वरूप पाया गया साक्ष्य ;

(ख) कोई अन्य सामग्री या सूचना, जो या तो निर्धारण अधिकारी के पास उपलब्ध हो या इस अध्याय के भाग ख के अधीन कार्रवाई के दौरान उसके ध्यान में आती है ।

(5) ऐसी आय—

(क) लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों की तलाशी या अध्यपेक्षा के परिणामस्वरूप, किसी अन्य सामग्री या सूचना जो निर्धारण अधिकारी के पास उपलब्ध है या इस अध्याय के इस भाग के अधीन कार्यवाहियों के दौरान उसके ध्यान में आती है, के आधार पर ; या

(ख) प्राधिकारों में से अंतिम प्राधिकार के निष्पादन की तारीख को या उसके पूर्व सामान्य अनुक्रम में अनुरक्षित लेखा बही और अन्य दस्तावेजों में यथा अभिलिखित आय या संव्यवहारों से संबंधित प्रविष्टियों के आधार पर,

अवधारित की जानी अपेक्षित है,

धारा 166 में निर्दिष्ट किसी अन्तराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार से संबंधित है और उस कर वर्ष की 1 अप्रैल को आरंभ होने वाली, जिसमें प्राधिकारों में से अंतिम प्राधिकार निष्पादित किया गया था और प्राधिकारों में से अंतिम प्राधिकार के निष्पादन की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि से संबंधित है, तो धारा 292(6) के उपबंधों पर ध्यान न देते हुए—

(i) ऐसी आय ब्लाक अवधि की कुल अप्रकटित आय का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए विचार में नहीं ली जाएगी ; और

(ii) ऐसी आय, इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन निर्धारण में विचार में नहीं ली जाएगी ।

(6) किसी फर्म की अप्रकटित आय के अवधारण के प्रयोजनों के लिए,—

(क) ब्लाक अवधि के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक कर वर्ष के लिए निर्धारित ऐसी आय, किसी ऐसे भागीदार को जो कार्यरथ भागीदार नहीं हैं को वेतन की कटौती ब्याज, कमीशन, बोनस या पारिश्रमिक चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, अनुज्ञात करने से पूर्व अवधारित आय होगी ;

(ख) धारा 102, धारा 103, धारा 104 और धारा 105 के उपबंध, यथाशक्य, लागू होंगे और इस धाराओं में कर वर्ष के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा वे ब्लाक अवधि के अन्तर्गत आने वाले सुसंगत कर वर्ष के प्रति निर्देश हैं ;

(ग) धारा 166 के उपबंध, यथाशक्य, लागू होंगे और उस धारा में कर वर्ष के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उपधारा (5) में निर्दिष्ट अवधि को अपवर्जित करते हुए ब्लाक अवधि के अन्तर्गत आने वाले सुसंगत कर वर्ष के प्रति निर्देश है ।

(7) धारा 292(7) में निर्दिष्ट कर उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट रीति में अवधारित ब्लाक अवधि से संबंधित कुल अप्रकटित आय पर प्रभारित किया जाएगा ।

(8) निर्धारण के प्रयोजनों के लिए अध्याय 7 के अधीन कर वर्ष (ब्लॉक अवधि को सम्मिलित करते हुए प्रथम कर वर्ष से पूर्व) से अग्रणीत हानियों का या धारा 33(11) के अधीन अनामेलित अवक्षण का अध्याय के इस भाग के अधीन ब्लॉक निर्धारण में अवधारित अप्रकटित आय के विरुद्ध मुजरा किया जाएगा ।

(9) उपधारा (8) में यथा निर्दिष्ट हानियां या अनामेलित अवक्षण को, ब्लॉक अवधि और ऐसे कर वर्ष को ध्यान में रखते हुए और इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार शेष अवधि के लिए उस कर वर्ष जिसमें ब्लॉक अवधि समाप्त होती है के पश्चातवर्ती कर वर्ष में मुजरा किए जाने के लिए अग्रणीत किया जा सकेगा ।

ब्लॉक निर्धारण के लिए प्रक्रिया ।

294. (1) जहां किसी व्यक्ति के मामले में कोई तलाशी आरंभ की गई है या अध्यपेक्षा की गई है, तो,—

(क) निर्धारण अधिकारी, ऐसी तलाशी या मांग के संबंध में, ऐसे व्यक्ति को एक नोटिस जारी करेगा, जिसमें उसे नोटिस में साठ दिनों से अनधिक की निर्दिष्ट अवधि के भीतर फॉर्म में विवरणी प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी और तरीके से सत्यापित किया जाएगा, जैसा कि निर्धारित किया गया है, ब्लॉक अवधि के लिए अघोषित आय निर्धारित करना, और—

(i) ऐसी विवरणी पर इस प्रकार विचार किया जाएगा मानो वह धारा 263 के अधीन प्रस्तुत विवरणी थी और तत्पश्चात् धारा 270(8) के अधीन सूचना जारी की जाएगी ;

(ii) नोटिस में अनुमत अवधि से परे प्रस्तुत किसी भी विवरणी को धारा 263 के अधीन विवरणी नहीं माना जाएगा ;

(iii) अध्याय के इस अधीन कार्यवाही के प्रयोजन के लिए धारा 280 के अधीन कोई सूचना जारी करना अपेक्षित नहीं है ;

(iv) एक व्यक्ति जिसने इस खंड के अधीन विवरणी प्रस्तुत किया है, वह संशोधित विवरणी प्रस्तुत करने का हकदार नहीं होगा ;

(v) इस खंड के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात समय को तीस दिन की ओर अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा, जहां,—

(अ) उस वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती कर वर्ष के संबंध में, जिसमें तलाशी आरंभ की जाती है या अध्यपेक्षा की जाती है, विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख ऐसी तलाशी या अध्यपेक्षा आरंभ होने की तारीख से पूर्व समाप्त नहीं हुई है ;

(आ) निर्धारिती ऐसे कर वर्ष के लिए धारा 63 के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी था ;

(इ) ऐसे कर वर्ष के (साधारण अनुक्रम में रखे गए) लेखें ऐसे नोटिस के जारी करने की तारीख को संपरीक्षित नहीं किए गए हैं ; और

(ई) निर्धारिती ऐसे लेखों की संपरीक्षा करवाने के लिए ऐसी विवरणी प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा बढ़ाने के लिए लिखित में अनुरोध करता है ;

(ख) निर्धारण अधिकारी धारा 293 में निर्धारित तरीके से ब्लॉक अवधि की कुल अघोषित आय का निर्धारण करने के लिए आगे बढ़ेगा और धारा 268, धारा 270(8), धारा 270(10), धारा 271, धारा 276, धारा 277 और धारा 278 के उपबंध, जहां तक हो सकता है, लागू होगा ;

(ग) निर्धारण अधिकारी, अध्याय के इस भाग के अनुसार ब्लॉक अवधि की कुल आय के निर्धारण पर, निर्धारण या पुनःनिर्धारण का आदेश पारित करेगा और इस तरह के निर्धारण या पुनःनिर्धारण के आधार पर उसके द्वारा देय कर का निर्धारण करेगा, तथापि कि धारा 275 के उपबंध ऐसे आदेश के संबंध में लागू नहीं होंगे ;

(घ) धारा 247 के अधीन जब्त की गई या धारा 248 के अधीन अभिगृहीत की गई परिसम्पत्तियों पर धारा 250 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी ।

(2) धारा 270(1) के उपबन्ध इस धारा के अधीन दी गई विवरणी को लागू नहीं होंगे ।

(3) उपधारा (1) (क) के अधीन नोटिस जारी करने से पहले निर्धारण अधिकारी, अपर आयुक्त या अपर निदेशक या संयुक्त आयुक्त या संयुक्त निदेशक की पूर्व स्वीकृति लेगा ।

295. (1) जहां निर्धारण अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि कोई अघोषित आय उस व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस धारा के प्रयोजनों के लिए “विनिर्दिष्ट व्यक्ति” कहा गया है) से भिन्न किसी व्यक्ति (जिसे इसमें “अन्य व्यक्ति” कहा गया है), जिसके संबंध में धारा 247 के अधीन ऐसी तलाशी आरंभ की गई थी या धारा 248 के अधीन अध्यपेक्षा की गई थी, से संबंधित या संबद्ध है, तब—

किसी अन्य व्यक्ति की अघोषित आय ।

(क) अभिगृहीत या अध्यपेक्षित किसी भी धन, बुलियन, आभूषण, वर्चुअल डिजिटल आस्ति या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज या लेखा बहियां या अन्य सामग्री या सूचना, जो पूर्वोक्त अप्रकटित आय से संबंधित है, को ऐसे अन्य व्यक्ति पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को सौंप दिया जाएगा ; और

(ख) अन्य व्यक्ति का निर्धारण अधिकारी धारा 294 के अधीन ऐसे अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करेगा तथा अध्याय के इस भाग के उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) जहां ऐसे अन्य व्यक्ति से सुसंगत एक विनिर्दिष्ट व्यक्ति है, ऐसे अन्य व्यक्ति के लिए ब्लॉक अवधि वही होगी, जो उस विनिर्दिष्ट व्यक्ति के लिए है ;

(ख) जहां ऐसे अन्य व्यक्ति से सुसंगत एक से अधिक विनिर्दिष्ट व्यक्ति हैं, ऐसे अन्य व्यक्ति के लिए ब्लॉक अवधि वही होगी, जो उस विनिर्दिष्ट व्यक्ति के लिए है, जिसके मामले में ब्लॉक अवधि पश्चातवर्ती तारीख को समाप्त होती है ;

(3) उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट अन्य व्यक्ति के मामले में धारा 292(2) और धारा 292(3) के अधीन उपशमन के प्रयोजनों के लिए धारा 247 के अधीन तलाशी आरंभ करने या धारा 248 के अधीन अध्यपेक्षा करने की तारीख को निर्देश का अर्थान्वयन उस तारीख के प्रतिनिर्देश के रूप में किया जाएगा, जिसको पूर्वोक्त अघोषित आय से संबंधित अभिगृहीत या अध्यपेक्षित ऐसे धन, बुलियन, जेवरात, वर्चुअल डिजिटल

आस्ति या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज या अन्य लेखा बहियां या अन्य दस्तावेज या कोई अन्य सामग्री या सूचना ऐसे अन्य व्यक्ति पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी द्वारा प्राप्त की गई थी ।

ब्लॉक निर्धारण
पूरा करने
के लिए समय-
सीमा ।

296. (1)(क) धारा 286 के उपबंधों पर विचार किए बिना, धारा 294 के अधीन आदेश उस तिमाही के अंत से बारह मास के भीतर पारित किया जाएगा जिसमें तलाशी के लिए अंतिम प्राधिकरण निष्पादित किया गया था, या मांग की गई थी ;

(ख) जहां धारा 294(1)(क)(v) के अनुसरण में विवरणी प्रस्तुत करने के लिए उक्त धारा के अधीन अनुज्ञात समय तीस दिन की और अवधि के लिए बढ़ाया जाता है वहां उपधारा (1) और उपधारा (5) के उपबंधों का उसी प्रकार प्रभाव होगा मानो “बारह मास” शब्दों के स्थान पर “तेरह मास” शब्द रख दिए गए हों ।

(2) जहां तलाशी आरंभ की गई थी या मांग की गई थी, और सुसंगत ब्लॉक अवधि की कुल अप्रकटित आय के आकलन या पुनःनिर्धारण के दौरान, धारा 166(1) के अधीन कोई निर्देश किया जाता है, इस तरह के आकलन या पुनःनिर्धारण कार्यवाही को पूरा करने के लिए उपलब्ध अवधि बारह मास तक बढ़ा दी जाएगी ।

(3) उपधारा (1) के अधीन सीमा की अवधि की गणना करने में, उस तारीख से आरंभ होने वाली अवधि (एक सौ अस्सी दिनों से अधिक नहीं) जिस पर एक तलाशी आरंभ की जाती है या एक मांग की जाती है और उस तारीख को समाप्त होती है जिस पर आस्तियाँ [जैसा धारा 261(ख) में उपबंधित है] और जब्त या अध्यपेक्षित वस्तुओं [जैसा धारा 261(झ) में उपबंधित है] को सौंप दिया जाता है निर्धारिती पर अधिकार क्षेत्र वाले निर्धारण अधिकारी को बाहर रखा जाएगा ।

(4) यदि उपधारा (3) में निर्दिष्ट अवधि के अपवर्जन के पश्चात्, निर्धारण या पुनःनिर्धारण पूरा करने के लिए सीमा की शेष अवधि, एक मास के अंत से पहले समाप्त हो जाती है, तो ऐसी शेष अवधि ऐसे मास के अंत तक बढ़ा दी जाएगी ।

(5) धारा 295 में निर्दिष्ट अन्य व्यक्ति के मामले में ब्लॉक अवधि के लिए निर्धारण या पुनःनिर्धारण पूरा करने के लिए सीमा की अवधि उस तिमाही के अंत से बारह मास होगी जिसमें धारा 295 के अनुसरण में धारा 294 के अधीन नोटिस ऐसे अन्य व्यक्ति को जारी किया गया था ।

(6) उपधारा (5) में निर्दिष्ट मामले में ब्लॉक अवधि के संबंध में निर्धारण या पुनःनिर्धारण कार्यवाही के पूरा होने के लिए उपलब्ध अवधि बारह मास तक बढ़ाई जाएगी, जहां धारा 166(1) के अधीन एक निर्देश ऐसे मामले में किया जाता है ।

(7) इस धारा के अधीन सीमा की अवधि की गणना में, निम्नलिखित अवधि को बाहर रखा जाएगा,—

(क) उस तारीख से आरंभ होने वाली अवधि जिस पर निर्धारण कार्यवाही पर रोक किसी भी अदालत के आदेश या निषेधाज्ञा द्वारा दी गई थी और उस तारीख को समाप्त होती है जिस पर स्टे खाली करने वाले आदेश की प्रमाणित प्रति क्षेत्राधिकार प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त की गई थी ;

(ख) उस तारीख से आरंभ होने वाली अवधि, जिस पर सूचना के आदान-प्रदान के लिए निर्देश का पहला (धारा 159 में निर्दिष्ट एक समझौते के अधीन

सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया) बनाया गया है और उस तारीख के साथ समाप्त होता है जिस पर ऐसी जानकारी अंतिम बार प्राप्त होती है क्षेत्राधिकार प्रधान आयुक्त या आयुक्त, या एक वर्ष, जो भी कम हो ;

(ग) कार्यवाही के पूरे या किसी भी हिस्से को फिर से खोलने या निर्धारिती को धारा 244(2) के अधीन फिर से सुनवाई का अवसर देने में लगने वाला समय ;

(घ) उस तारीख से आरंभ होने वाली अवधि जिस पर निर्धारण अधिकारी निर्धारिती को अपने खातों की लेखा परीक्षा या धारा 268(5) के अधीन मूल्यवान सूची प्राप्त करने का निर्देश देता है और—

(i) अंतिम तिथि के साथ समाप्त होता है जिस पर निर्धारिती को उस उपधारा के अधीन इस तरह के लेखापरीक्षा या सूची निर्धारण की रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है ; या

(ii) जहां ऐसे निदेश को न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जाती है, जो उस तारीख को समाप्त होती है जिस तारीख को ऐसे निदेश को रद्द करने वाले आदेश की प्रमाणित प्रति क्षेत्राधिकार प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त की जाती है ;

(ङ) उस तारीख से आरंभ होने वाली अवधि जिस पर निर्धारण अधिकारी धारा 269(1) के अधीन निर्धारण अधिकारी को निर्देश देता है और उस तारीख के साथ समाप्त होता है जिस पर निर्धारण अधिकारी की रिपोर्ट निर्धारण अधिकारी द्वारा प्राप्त होती है ;

(च) उस तारीख से आरंभ होने वाली अवधि जिस पर निर्धारण अधिकारी केंद्रीय सरकार या निर्धारित प्राधिकारी को सूचित करता है, अनुसूची III (सारणी क्रम संख्या 23, 24 या 25) के उपबंधों का उल्लंघन जैसा कि धारा 270(11)(i) में निर्दिष्ट है और उस तारीख के साथ समाप्त होता है जिस पर आदेश की प्रति अनुमोदन वापस लेने या अधिसूचना को रद्द करने के आदेश की प्रति, उन खंडों के अधीन निर्धारण अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जाता है ;

(छ) उस तारीख से आरंभ होने वाली अवधि जिस पर निर्धारण अधिकारी धारा 270(13) के अनुसार प्रधान आयुक्त या आयुक्त को निर्देश देता है और उस तारीख के साथ समाप्त होता है जिस पर धारा 351(2)(ii)(क) या (ख) के अधीन आदेश की प्रति निर्धारण अधिकारी द्वारा प्राप्त होती है ;

(ज) उस तारीख से आरंभ होने वाली अवधि जिस पर एक व्यवस्था की घोषणा के लिए एक अस्वीकार्य परिहार व्यवस्था के लिए एक निर्देश धारा 274(1) के अधीन क्षेत्राधिकार प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त किया जाता है और उस तारीख को समाप्त होता है जिस पर उपधारा (3) या उपधारा (6) के अधीन एक निर्देश या उपधारा (5) के अधीन एक आदेश निर्धारण अधिकारी द्वारा प्राप्त होता है ;

(झ) उस तारीख से आरंभ होने वाली अवधि जिस पर धारा 381 (1) के अधीन अग्रिम निर्णयों के लिए बोर्ड के समक्ष एक आवेदन किया जाता है और उस तारीख के साथ समाप्त होता है जिस पर आवेदन को अस्वीकार करने का आदेश धारा 284(5) के अधीन क्षेत्राधिकार प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त होता

है ;

(ज) उस तारीख से आरंभ होने वाली अवधि जिस पर अग्रिम निर्णयों के लिए बोर्ड के समक्ष एक आवेदन किया जाता है धारा 381(1) और उस तारीख के साथ समाप्त होता है जिस पर इसके द्वारा सुनाया गया अग्रिम निर्णय क्षेत्राधिकार प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा धारा 384(8) के अधीन प्राप्त होता है ।

(8) जहां उपधारा (7) में निर्दिष्ट अवधि के बहिष्करण के तुरंत पश्चात्, धारा 294 के अधीन निर्धारण पूरा करने के लिए निर्धारण अधिकारी को उपलब्ध उपधारा (1) या (5) में निर्दिष्ट सीमा की शेष अवधि साठ दिनों से कम है, ऐसी शेष अवधि साठ दिनों तक बढ़ाई जाएगी और सीमा की पूर्वोक्त अवधि तदनुसार बढ़ाई जाएगी ।

(9) जहां उपधारा (8) में निर्दिष्ट अवधि के विस्तार के पश्चात्, निर्धारण या पुनःनिर्धारण का आदेश देने के लिए सीमा की अवधि, एक मास के अंत से पहले समाप्त हो जाती है, ऐसी अवधि ऐसे मास के अंत तक बढ़ाई जाएगी ।

कतिपय ब्याज और शास्ति लगाए जाना या लगाए नहीं जाना ।

कतिपय मामलों में ब्याज और जुर्माना उदग्रहीत करना ।

297. धारा 423, धारा 424 या धारा 425 के अधीन ब्याज या धारा 439 के अधीन जुर्माना निर्धारिती पर ब्लॉक अवधि के लिए निर्धारण या पुनःनिर्धारण की गई अघोषित आय के लिए लगाया या लगाया नहीं जाएगा ।

298. (1) जहां धारा 294(1)(क) के अधीन नोटिस के अधीन यथाअपेक्षित अप्रकटित आय की वापसी, ऐसे नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं की जाती है, या प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो,—

(क) निर्धारिती उक्त उपधारा के खंड (ग) के अधीन निर्धारित अघोषित आय पर कर के 1.5% की दर से साधारण ब्याज का संदाय करने के लिए उत्तरदायी होगा ;

(ख) खंड (क) में ब्याज का संदाय प्रत्येक मास या मास के हिस्से के लिए किया जाएगा, जिसमें उक्त नोटिस में निर्दिष्ट समय की समाप्ति के तुरंत पश्चात् दिन से आरंभ होने वाली अवधि सम्मिलित है, और खंड (ग) उक्त उपधारा का के अधीन निर्धारण पूरा होने की तारीख को समाप्त होता है ।

(2) अध्याय के इस भाग के अधीन किसी भी कार्यवाही के दौरान निर्धारण अधिकारी या आयुक्त (अपील), यह निर्देश दे सकता है कि व्यक्ति दंड के माध्यम से एक राशि का संदाय करेगा जो धारा 294(1)(ग) के अधीन निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित अघोषित आय के संबंध में लगाए गए कर के 50% के बराबर होगा ।

(3) इस धारा या धारा 444(1) या धारा 450 या धारा 451 या धारा या धारा 453 के अधीन जुर्माना लगाने का आदेश किसी व्यक्ति के संबंध में ब्लॉक अवधि के लिए नहीं किया जाएगा, यदि—

(क) ऐसे व्यक्ति ने धारा 294(1)(क) के अधीन विवरणी प्रस्तुत किया है ;

(ख) इस तरह के विवरणी के आधार पर देय कर का संदाय किया गया है या, यदि जब्त की गई संपत्ति में पैसा सम्मिलित है, तो निर्धारिती देय कर के विरुद्ध समायोजित करने के लिए जब्त किए गए धन की पेशकश करता है ;

(ग) संदाय किए गए कर का साक्ष्य विवरणी के साथ प्रस्तुत किया जाता है ; और

(घ) आय के उस भाग के निर्धारण के विरुद्ध अपील दायर नहीं की गई है जो विवरणी में दर्शाया गया है ।

(4) उपधारा (3) के उपबंध लागू नहीं होंगे जहां निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित अघोषित आय विवरणी में दिखाई गई आय से अधिक है और ऐसे मामलों में जुर्माना निर्धारित अघोषित आय के उस हिस्से पर लगाया जाएगा, जो विवरणी में दिखाए गए आय की राशि से अधिक है ।

(5) उपधारा (2) के अधीन शास्ति अधिरोपित करने का आदेश—

(क) जब तक कि एक निर्धारिती को सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया है ;

(ख) उपायुक्त या सहायक आयुक्त या उप निदेशक या सहायक निदेशक द्वारा जहां शास्ति की रकम दो लाख रुपए से अधिक है, सिवाय अपर आयुक्त या अपर निदेशक या संयुक्त आयुक्त या संयुक्त निदेशक के पूर्व अनुमोदन के ;

(ग) ऐसे मामले में जहां निर्धारण धारा 357 या धारा 362 के अधीन अपील का विषय है,—

(i) उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् जिसमें कार्यवाही, जिसके दौरान शास्ति अधिरोपण के लिए कार्रवाई आरंभ की गई है, पूरी हो गई है ; या

(ii) वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छह मास जिसमें आयुक्त (अपील) या अपीलीय अधिकरण का आदेश क्षेत्राधिकार प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त किया जाता है,

जो भी अवधि पश्चात् में समाप्त होती है ;

(घ) ऐसे मामले में जहां निर्धारण धारा 377 के अधीन संशोधन का विषय है, वित्तीय वर्ष के अंत से छह मास की समाप्ति के पश्चात्, जिसमें संशोधन का ऐसा आदेश पारित किया जाता है ;

(ङ) खंड (ग) और खंड (घ) में उल्लिखित लोगों के अलावा किसी भी मामले में, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, जिसमें कार्यवाही, जिसके दौरान जुर्माना लगाने के लिए नोटिस जारी किया गया है, पूरा हो गया है, या वित्तीय वर्ष के अंत से छह मास जिसमें जुर्माना लगाने के लिए नोटिस जारी किया गया है, जो भी अवधि पश्चात् में समाप्त हो जाती है ।

(6) इस धारा के अधीन सीमा की अवधि की गणना में, निम्नलिखित अवधि को बाहर रखा जाएगा—

(क) निर्धारिती को धारा 244(2) के अंतर्गत पुन सुनवाई का अवसर देने में कितना समय लगा ; या

(ख) उपधारा (2) के अधीन कार्यवाही पर स्थगन किसी न्यायालय के आदेश या निषेधाज्ञा द्वारा दी गई तारीख से प्रारंभ होने वाली अवधि और उस तारीख को समाप्त होने वाली जिस तारीख को स्थगन को खाली करने वाले आदेश की प्रमाणित प्रति क्षेत्राधिकार प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त की गई थी ।

(7) जहां उपधारा (6) में निर्दिष्ट अवधि के अपवर्जन के तुरंत पश्चात्, उपधारा (5) में निर्दिष्ट सीमा की शेष अवधि उपधारा (2) के अधीन आदेश देने के लिए निर्धारण अधिकारी को उपलब्ध है इस खंड का साठ दिनों से कम है, ऐसी शेष अवधि साठ दिनों तक बढ़ाई जाएगी और सीमा की पूर्वोक्त अवधि को तदनुसार बढ़ाया जाना माना जाएगा।

(8) यदि उपधारा (7) में निर्दिष्ट अवधि के अपवर्जन के पश्चात्, शास्ति लगाने का आदेश देने के लिए सीमा की शेष अवधि एक मास के अंत से पहले समाप्त हो जाती है, तो ऐसी शेष अवधि ऐसे मास के अंत तक बढ़ा दी जाएगी।

(9) उपधारा (2) के अधीन एक आदेश बनाने पर आय-कर प्राधिकारी, जब तक कि वह स्वयं एक निर्धारण अधिकारी नहीं है, तुरंत निर्धारण अधिकारी को इस तरह के आदेश की एक प्रति भेजेगा।

ब्लॉक अवधि का
आकलन करने के
लिए सक्षम
प्राधिकारी।

299. (1) ब्लॉक अवधि के लिए कर निर्धारण का आदेश एक निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किया जाएगा जो उपायुक्त या सहायक आयुक्त या उप निदेशक या सहायक निदेशक के रैंक से नीचे नहीं होगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट आदेश, इस अधिनियम के प्रारम्भ को या उसके पश्चात् की गई तलाशी या अध्यपेक्षा के संबंध में अपर आयुक्त या अपर निदेशक या संयुक्त आयुक्त या संयुक्त निदेशक के पूर्व अनुमोदन से पारित किया जाएगा।

अधिनियम के
अन्य उपबंधों का
लागू होना।

300. इस भाग में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के अन्य सभी उपबंध अध्याय के इस भाग के अधीन किए गए निर्धारण पर लागू होंगे।

व्याख्या।

301. इस भाग के प्रयोजनों के लिए—

(क) "ब्लॉक अवधि" से अभिप्रेत है—

(i) कर वर्ष से पहले छह कर वर्षों की अवधि जिसमें तलाशी आरंभ की गई थी या कोई मांग की गई थी ; और

(ii) कर वर्ष के 1 अप्रैल से आरंभ होने वाली अवधि जिसमें तलाशी आरंभ की गई थी या मांग की गई थी और ऐसी तलाशी या ऐसी मांग के लिए प्राधिकरणों के अंतिम निष्पादन की तारीख को समाप्त हो रही थी ;

(ख) "अध्यपेक्षा" से अभिप्रेत है, धारा 248 के अधीन खाते की बहियों, अन्य दस्तावेजों या किसी भी संपत्ति की मांग ;

(ग) "तलाशी" से धारा 247 के अधीन आरंभ की गई तलाशी अभिप्रेत है ;

(घ) "प्राधिकरणों के अंतिम प्राधिकार" को निष्पादित किया गया माना जाएगा,—

(i) तलाशी के मामले में, किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में तैयार किए गए अंतिम पंचनामा में अभिलिखित की गई तलाशी के समापन पर, जिसके मामले में प्राधिकार का वारंट जारी किया गया है, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि ऐसे पंचनामा में कोई जब्ती अभिलिखित की गई है या नहीं ;

(ii) मांग के मामले में, अधिकृत अधिकारी द्वारा खाता पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों या परिसंपत्तियों की वास्तविक प्राप्ति पर ; और

(ड) "अघोषित आय" में सम्मिलित हैं—

कोई धन, सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या वस्तु या कोई व्यय या खाता बहियों या अन्य दस्तावेजों या लेन-देन में किसी प्रविष्टि के आधार पर कोई आय जहां ऐसा धन, सोना-चांदी, आभूषण, मूल्यवान वस्तु, वस्तु, लेखा बहियों में प्रविष्टि या अन्य दस्तावेज या संव्यवहार पूर्णतः या अंशतः आय या संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है जिसका इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए खुलासा नहीं किया गया है या नहीं किया गया होता, या इस अधिनियम के अधीन दावाकृत कोई व्यय, छूट, कटौती या मोक, जो ब्लाक अवधि के संबंध में गलत पाया जाता है ।

अध्याय 17

कतिपय व्यक्तियों से संबंधित विशेष उपबंध

क. व्यक्तियों का संगम, फर्म, हिन्दू अविभक्त कुटुंब आदि ।

1. विधिक प्रतिनिधि

302. (1) जहां किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, वहां उसका विधिक प्रतिनिधि किसी भी राशि का संदाय करने के लिए उत्तरदायी होगा जो मृतक को संदाय करने के लिए उत्तरदायी होगा यदि वह मर नहीं गया था, उसी तरीके से और मृतक के समान सीमा तक ।

विधिक
प्रतिनिधि ।

(2) निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए (मृतक की आय की धारा 279 के अधीन एक निर्धारण, पुनःनिर्धारण या पुनर्गणना सहित और उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार विधिक प्रतिनिधि के हाथों में किसी भी राशि को लगाने के उद्देश्य से,—

(क) उसकी मृत्यु से पहले मृतक के विरुद्ध की गई कोई भी कार्यवाही विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध की गई मानी जाएगी और विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध उस चरण से जारी रखा जा सकेगी, जिस पर वह मृतक की मृत्यु की तारीख को थी ;

(ख) कोई भी कार्यवाही, जो यदि मृतक जीवित रहता तो उसके विरुद्ध की जा सकती थी, उसके विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध की जा सकेगी ; और

(ग) इस अधिनियम के सभी उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।

(3) मृतक के विधिक प्रतिनिधि को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक निर्धारिती माना जाएगा ।

(4) उपधारा (5), उपधारा (6) और उपधारा (7) के उपबंधों के अधीन, उपधारा (1) में निर्दिष्ट विधिक प्रतिनिधि की देयता उस सीमा तक सीमित होगी जिस तक मृतक की संपत्ति दायित्व को पूरा करने में सक्षम है ।

(5) प्रत्येक विधिक प्रतिनिधि विधिक प्रतिनिधि के रूप में अपनी हैसियत से उसके द्वारा संदेय किसी कर के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी होगा, यदि कर के लिए ऐसा दायित्व निर्वहन न किए जाने पर वह मृतक की संपत्ति की किन्हीं परिसम्पत्तियों पर, जो उसके कब्जे में हैं, या आ सकती हैं, पर प्रभार सृजित करता है या उसका निपटान

करता है ।

(6) उपधारा (5) में निर्दिष्ट विधिक प्रतिनिधि की देयता इस प्रकार प्रभारित, निपटाए गए या भाग की गई संपत्ति के मूल्य तक सीमित होगी ।

(7) धारा 304(2) और (5) और धारा 305 के उपबंध, जहां तक हो सकते हैं और जिस हद तक वे इस खंड के उपबंधों के साथ असंगत नहीं हैं, एक विधिक प्रतिनिधि के संबंध में लागू होते हैं ।

2. प्रतिनिधि निर्धारिती - साधारण उपबंध

प्रतिनिधि
निर्धारिती ।

303. (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, "प्रतिनिधि निर्धारिती" से अभिप्रेत है—

(क) धारा 9 में निर्दिष्ट अनिवासी की आय के संबंध में, अनिवासी का एजेंट, जिसमें एक व्यक्ति भी सम्मिलित है जिसे धारा 306 के अधीन अभिकर्ता के रूप में माना जाता है ;

(ख) किसी अवयस्क या मानसिक रूप से बीमार या विकृतचित्त व्यक्ति की आय के संबंध में, अभिभावक या प्रबंधक जो ऐसे नाबालिग या मानसिक रूप से बीमार या विकृतचित्त के व्यक्ति की ओर से ऐसी आय प्राप्त करने का हकदार है या प्राप्त करने का हकदार है ;

(ग) उस आय के संबंध में जो वार्ड न्यायालय, महाशासक, सरकारी न्यासी या कोई रिसीवर या प्रबंधक (जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति भी है, जो उसका पदनाम है, जो वास्तव में किसी अन्य की ओर से संपत्ति का प्रबंधन करता है) द्वारा या किसी न्यायालय के किसी आदेश के अधीन नियुक्त किया जाता है, किसी व्यक्ति की ओर से या उसके लाभ के लिए प्राप्त करने का हकदार है या प्राप्त करने का हकदार है, वार्ड का न्यायालय, प्रशासक-जनरल, आधिकारिक न्यासी, रिसीवर या प्रबंधक ;

(घ) लिखित रूप में विधिवत निष्पादित लिखत द्वारा घोषित किसी न्यास के अधीन नियुक्त न्यासी की आय के संबंध में, चाहे वसीयतनामा हो या अन्यथा (जिसके अंतर्गत कोई वक्फ विलेख भी है जो मुसलमान वक्फ विधिमान्यकरण अधिनियम, 1913 के अधीन विधिमान्य है) प्राप्त करता है या प्राप्त करने का हकदार है किसी व्यक्ति, ऐसे न्यासी या न्यासियों की ओर से या लाभ के लिए ;

(ङ) आय के संबंध में जो एक मौखिक न्यास के अधीन नियुक्त एक न्यासी प्राप्त करता है या किसी भी व्यक्ति की ओर से या लाभ के लिए प्राप्त करने का हकदार है, ऐसे न्यासी या न्यासी ।

(2) उपधारा 1(घ) के प्रयोजनों के लिए, एक न्यास जो लिखित रूप में विधिवत निष्पादित साधन द्वारा घोषित नहीं किया गया है (किसी भी वक्फ विलेख सहित जो मुसलमान वक्फ विधिमान्यकरण अधिनियम, 1913 के अधीन वैध है) लिखित रूप में विधिवत निष्पादित साधन द्वारा घोषित एक न्यास माना जाएगा यदि न्यासी या न्यासियों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित रूप में एक बयान, न्यास के उद्देश्य या उद्देश्यों को निर्धारित करना, न्यासी या न्यासी, लाभार्थी या लाभार्थियों और न्यास संपत्ति के रूप

1913 का 6

1913 का 6

में विवरण, निर्धारण अधिकारी को भेजा जाता है,—

(क) जहां न्यास 1 जून, 1981 से पहले उस दिन से तीन मास के भीतर घोषित किया गया है ; और

(ख) किसी अन्य मामले में, न्यास की घोषणा की तारीख से तीन मास के भीतर ।

(3) उपधारा 1 (ड) के प्रयोजनों के लिए, "मौखिक न्यास" का अर्थ है एक न्यास जो लिखित रूप में विधिवत निष्पादित साधन द्वारा घोषित नहीं किया गया है (किसी भी वक्फ विलेख सहित जो मुसलमान वक्फ विधिमान्यकरण अधिनियम, 1913 के अधीन वैध हैं) और जिसे उपधारा (2) के अधीन लिखित रूप में विधिवत निष्पादित साधन द्वारा घोषित न्यास नहीं माना जाता है ।

(4) प्रत्येक प्रतिनिधि निर्धारिती को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक निर्धारिती माना जाएगा ।

304. (1) प्रत्येक प्रतिनिधि निर्धारिती, आय के संबंध में, जिसके संबंध में वह एक प्रतिनिधि निर्धारिती है, उसी कर्तव्यों, जिम्मेदारियों और देनदारियों के अधीन होगा जैसे कि आय प्राप्त आय थी या उसके पक्ष में या उसके पक्ष में लाभकारी रूप से और इस उद्देश्य के लिए,—

प्रतिनिधि
निर्धारिती
देयता ।

की

(क) प्रतिनिधि निर्धारिती उस आय के संबंध में स्वयं के नाम पर निर्धारण के लिए उत्तरदायी होगा और ऐसे किसी भी निर्धारण को केवल उसकी प्रतिनिधि क्षमता में उस पर किया जाना माना जाएगा ; और

(ख) ऐसी आय पर कर, इस अध्याय में निहित अन्य उपबंधों के अधीन, प्रतिनिधि निर्धारिती से उसी तरीके से और उसी हद तक लगाया और वसूल किया जाएगा जैसा कि यह उसके द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए व्यक्ति से लगाया और वसूली योग्य होगा ।

(2) यदि कोई व्यक्ति, किसी आय के संबंध में, इस अध्याय के अधीन प्रतिनिधि निर्धारिती की क्षमता में निर्धारण योग्य है, तो वह उस आय के संबंध में, इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंधों के अधीन निर्धारण नहीं किया जाएगा ।

(3) इस अध्याय के उपबंधों पर विचार किए बिना, निर्धारण अधिकारी सीधे उस व्यक्ति का आकलन कर सकता है जिसकी ओर से या जिसके लाभ के लिए संदर्भित आय प्राप्य है, या ऐसे व्यक्ति से ऐसी आय के संबंध में देय कर की वसूली कर सकता है ।

(4) यदि इस अधिनियम के अधीन किसी न्यास की आय का केवल एक भाग प्रभार्य है, तो प्रभार्य भाग से प्राप्त ऐसे न्यास से किसी लाभार्थी द्वारा प्राप्य आय का अनुपात निम्नानुसार अवधारित किया जाएगा:—

क/ख X ग

जहां—

क = न्यास की आय का प्रभार्य हिस्सा ;

ख = न्यास की पूरी आय ; और

ग = न्यास से लाभार्थी द्वारा प्राप्त की जाने वाली आय ।

(5) निर्धारण अधिकारी के पास किसी भी प्रतिनिधि निर्धारिती के नियंत्रण या प्रबंधन में निहित किसी भी प्रकार की सभी संपत्ति के विरुद्ध उसी तरीके से एक ही उपाय होगा जैसा कि वह किसी भी कर का संदाय करने के लिए उत्तरदायी किसी भी व्यक्ति की संपत्ति के विरुद्ध होगा, चाहे मांग प्रतिनिधि निर्धारिती के विरुद्ध या लाभार्थी के विरुद्ध सीधे उठाई गई हो ।

संदाय किए गए
कर की वसूली के
लिए प्रतिनिधि
निर्धारिती का
अधिकार ।

305. (1) प्रत्येक प्रतिनिधि निर्धारिती, जो इस अधिनियम के अधीन किसी भी राशि का संदाय करता है, उस व्यक्ति से संदाय की गई राशि को पुनर्प्राप्त करने का हकदार होगा, जिसकी ओर से इसका संदाय किया जाता है, या किसी भी पैसे से बाहर रखने के लिए जो उसके कब्जे में हो सकता है या इतनी संदाय की गई राशि के बराबर राशि उसकी प्रतिनिधि क्षमता में उसके पास आ सकता है ।

(2) किसी भी प्रतिनिधि निर्धारिती, या किसी भी व्यक्ति को जो आशंका है कि वह एक प्रतिनिधि निर्धारिती के रूप में निर्धारण किया जा सकता है, उसकी ओर से कर का संदाय करने के लिए उत्तरदायी है (जिसे कर्ता के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) व्यक्ति को इस अध्याय के अधीन उसकी अनुमानित देयता के बराबर राशि उसके द्वारा देय किसी भी पैसे में से बाहर रख सकते हैं ।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट राशि के संबंध में इस तरह के प्रिंसिपल और ऐसे प्रतिनिधि निर्धारिती या व्यक्ति के बीच किसी भी असहमति की स्थिति में, ऐसे प्रतिनिधि निर्धारिती या व्यक्ति निर्धारण अधिकारी से एक प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं जिसमें कहा गया है कि देयता के अंतिम निपटान के लंबित राशि को बनाए रखा जाना है, और इस प्रकार प्राप्त प्रमाण पत्र उस राशि को बनाए रखने के लिए उसका वारंट होगा ।

(4) अंतिम समझौते के समय ऐसे प्रतिनिधि निर्धारिती या व्यक्ति से वसूली योग्य राशि इस तरह के प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट राशि से अधिक नहीं होगी, सिवाय उस सीमा तक जो इस तरह के प्रतिनिधि निर्धारिती या व्यक्ति के हाथों में ऐसे समय में कर्ता की अतिरिक्त संपत्ति हो सकती है ।

3. प्रतिनिधि निर्धारिती - विशेष मामले

किसे अभिकर्ता
माना जा सकता
है ।

306. (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक अनिवासी के "अभिकर्ता", निम्नलिखित हैं—

(क) भारत में कोई भी व्यक्ति—

- (i) जो अनिवासी द्वारा या उसकी ओर से नियोजित है ; या
- (ii) जिसका अनिवासी के साथ कोई व्यावसायिक संबंध है ; या
- (iii) से या जिसके माध्यम से अनिवासी किसी भी आय की प्राप्ति में है, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ; या
- (iv) जो अनिवासी का न्यासी है ;

(ख) कोई अन्य व्यक्ति, चाहे वह निवासी हो या अनिवासी, ने भारत में एक पूंजीगत संपत्ति हस्तांतरण के माध्यम से हासिल की है ।

(2) भारत में एक दलाल, जो किसी भी लेनदेन के संबंध में, सीधे या एक

अनिवासी प्रिंसिपल की ओर से सौदा नहीं करता है, लेकिन एक अनिवासी ब्रोकर के साथ या उसके माध्यम से व्यवहार करता है, इस खंड के अधीन अभिकर्ता नहीं माना जाएगा, इस तरह के लेनदेन के संबंध में, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं:—

(क) लेनदेन पहले उल्लेखित दलाल के माध्यम से कारबार के सामान्य अनुक्रम में किए जाते हैं ; और

(ख) अनिवासी दलाल अपने कारोबार के सामान्य क्रम में ऐसे लेनदेन कर रहा है न कि एक प्रमुख के रूप में ।

(3) किसी व्यक्ति को किसी अनिवासी के अभिकर्ता के रूप में तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि उसे निर्धारण अधिकारी द्वारा उसके दायित्व के बारे में सुने जाने का अवसर न मिला हो ।

(4) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "व्यावसायिक संबंध" से धारा 9(9)(क) में निर्दिष्ट अभिप्रेत है ।

307. (1) आय या उसके किसी भी भाग, धारा 303(1)(ग) और (घ) में उल्लिखित व्यक्ति के संबंध में अधिकतम सीमांत दर पर कर के लिए प्रभार्य होगा, यदि—

(क) ऐसी आय या उसका ऐसा हिस्सा विशेष रूप से किसी एक व्यक्ति की ओर से या लाभ के लिए प्राप्त नहीं है ; या

(ख) उन व्यक्तियों के व्यक्तिगत शेयर जिनकी ओर से या जिनके लाभ के लिए ऐसी आय या उसका ऐसा हिस्सा प्राप्त है, अनिश्चित या अज्ञात हैं ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट आय या उसके किसी भी हिस्से को, व्यक्तियों के एक संघ पर लागू दर पर कर के लिए प्रभार्य होगा, मानो वह उसकी कुल आय हो, यदि,—

(क) किसी भी लाभार्थी के पास इस अधिनियम के अधीन कोई अन्य प्रभार्य आय प्रभार्य नहीं है जो व्यक्तियों के किसी संघ के मामले में कर के लिए प्रभार्य अधिकतम राशि से अधिक नहीं है, या किसी अन्य न्यास के अधीन लाभार्थी नहीं है ;

(ख) ऐसी आय या ऐसी आय का हिस्सा किसी भी व्यक्ति द्वारा घोषित न्यास के अधीन प्राप्त है और ऐसा न्यास उसके द्वारा घोषित एकमात्र न्यास है ;

(ग) ऐसी आय या ऐसी आय का हिस्सा एक गैर-वसीयतनामा साधन द्वारा 1 मार्च, 1970 से पहले बनाए गए न्यास के अधीन प्राप्त है और निर्धारण अधिकारी संतुष्ट है, प्रासंगिक समय पर विद्यमान सभी परिस्थितियों के संबंध में, कि न्यास बनाया गया था सदाशय—

(i) विशेष रूप से बसने वाले के नातेदारों के लाभ के लिए ; या

(ii) विशेष रूप से ऐसे कुटुंब के सदस्यों के लाभ के लिए, जहां बसने वाला एक हिंदू अविभक्त कुटुंब है,

ऐसी परिस्थितियों में जहां ऐसे रिश्तेदार या सदस्य मुख्य रूप से उनके समर्थन और रखरखाव के लिए बसने वाले पर निर्भर थे ; या

(घ) ऐसी आय न्यासियों द्वारा भविष्य निधि, अधिवृष्टता निधि, उपदान निधि, पेंशन निधि या किसी अन्य निधि की ओर से प्राप्त होती है जो किसी

कर का प्रभार
जहां लाभार्थियों
का हिस्सा अज्ञात
है ।

कारबार या कारबार को अनन्य रूप से ऐसे कारबार या कारबार में नियोजित व्यक्तियों के लाभ के लिए करने वाले व्यक्ति द्वारा सदाशयी रूप से सृजित की गई है ।

(3) उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन, जहां धारा 303(1)(घ) में उल्लिखित व्यक्ति के संबंध में आय में कारबार के लाभ और अभिलाभ हैं, या सम्मिलित हैं, कर अधिकतम सीमांत दर पर ऐसी आय या उसके भाग पर लगाया जाएगा ।

(4) जहां उपधारा (3) में निर्दिष्ट लाभ और लाभ किसी भी व्यक्ति द्वारा घोषित न्यास के अधीन प्राप्य हैं, विशेष रूप से समर्थन और रखरखाव के लिए उस पर निर्भर किसी भी रिश्तेदार के लाभ के लिए, और ऐसा न्यास एकमात्र न्यास है, उसके द्वारा घोषित आय या उसका भाग व्यक्तियों के संगम पर लागू दर पर कर से प्रभार्य होगी ।

(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) ऐसी आय या उसके किसी भी हिस्से को विशेष रूप से प्राप्य नहीं माना जाएगा या किसी एक व्यक्ति के लाभ के लिए जब तक कि वह व्यक्ति जिसकी ओर से या जिसके लाभ के लिए ऐसी आय या उसके ऐसे हिस्से कर वर्ष के दौरान प्राप्य है, स्पष्ट रूप से अदालत के आदेश या न्यास के साधन या वक्फ विलेख में कहा गया है, जैसा भी मामला हो, और इस तरह के आदेश, साधन या विलेख की तारीख पर ऐसी पहचान योग्य है ;

(ख) व्यक्तियों के व्यक्तिगत अंश, जिनकी ओर से या जिनके लाभ के लिए ऐसी आय या उसका ऐसा भाग प्राप्त होता है, अनिश्चित या अज्ञात माना जाएगा, जब तक कि उन व्यक्तियों के व्यक्तिगत अंश जिनकी ओर से या जिनके लाभ के लिए ऐसी आय या उसका ऐसा भाग प्राप्य है, न्यायालय के आदेश या न्यास के लिखत या वक्फ विलेख में स्पष्ट रूप से कहा गया है और इस प्रकार सुनिश्चित किया जा सकता है ऐसे आदेश, साधन या विलेख की तारीख ।

मौखिक न्यास के मामले में कर का प्रभार ।

308. (1) जहां न्यासी, मौखिक न्यास के अधीन किसी व्यक्ति के निमित्त या उसके फायदे के लिए कोई आय प्राप्त करता है या प्राप्त करने का हकदार है तो इस अधिनियम के किसी भी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात पर ध्यान दिए बिना, ऐसी आय पर कर अधिकतम सीमांत दर पर भारित किया जाएगा ।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "मौखिक न्यास" से धारा 303(3) में अभिप्रेत है ।

4. व्यक्तियों का संगम और व्यक्तियों का निकाय

309. (1) इस धारा 310 और धारा 311 के प्रयोजनों के लिए, व्यक्तियों या व्यक्तियों के निकाय के संगम में कोई कंपनी या सहकारी समिति या सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 या भारत के किसी भी हिस्से में लागू उस अधिनियम के अनुरूप किसी भी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी सम्मिलित नहीं होगी ।

(2) एक निर्धारित की कुल आय की गणना करने में, जो व्यक्तियों के एक संघ या व्यक्तियों के एक निकाय का सदस्य है, जिसमें सदस्यों के शेयर निर्धारित और ज्ञात हैं, इस तरह के संघ या निकाय की आय या हानि में एक सदस्य का हिस्सा निम्नलिखित रीति से गणना किया जाएगा,—

व्यक्तियों के संगम या व्यक्तियों के निकाय की आय में किसी सदस्य के हिस्से की गणना करने की पद्धति ।

(क) कर वर्ष के संबंध में किसी भी सदस्य को संदाय किए गए किसी भी ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक को संगम या निकाय की कुल आय से काट लिया जाएगा और शेष राशि का पता लगाया जाएगा और सदस्यों के बीच उस अनुपात में विभाजित किया जाएगा जिसमें वे संगम या निकाय की आय में हिस्सेदारी के हकदार हैं ;

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक,—

(i) खंड (क) में निर्दिष्ट विभाजित राशि में जोड़ा जाएगा, यदि ऐसी विभाजित राशि लाभ है ; या

(ii) खंड (क) में निर्दिष्ट विभाजित राशि के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा, यदि ऐसी विभाजित राशि हानि है,

और परिणामी राशि को ऐसे संगम या निकाय की आय में सदस्य के हिस्से के रूप में माना जाएगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन गणना के रूप में संगम या निकाय की आय या हानि में एक सदस्य का हिस्सा, निर्धारण के प्रयोजनों के लिए, आय के विभिन्न प्रमुखों के अधीन उसी रीति से विभाजित किया जाएगा जिसमें संगम या निकाय की आय हानि आय के प्रत्येक शीर्ष के अधीन निर्धारित की गई है ।

(4) संगम या निकाय में विनिधान के प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा उधार ली गई पूंजी पर किसी सदस्य द्वारा संदाय किया गया कोई ब्याज, संगम या निकाय की आय में अपने हिस्से के संबंध में "कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ" के अधीन प्रभार्य अपने हिस्से की गणना करने में, उसके हिस्से से कटौती की जाएगी ।

(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "संदाय" से वास्तव में लेखांकन की विधि के अनुसार संदाय या व्यय किया गया अभिप्रेत है, जिसके आधार पर लाभ या लाभ की गणना "कारबार या वृत्ति के लाभ और लाभ" के अधीन की जाती है ।

310. (1) आय-कर एक निर्धारिती द्वारा देय नहीं होगा (जो व्यक्तियों के एक संगम या व्यक्तियों के एक संघ का एक सदस्य है) व्यक्तियों के संगम या व्यक्तियों के निकाय की आय में अपने हिस्से के संबंध में उपधारा (2) में निर्दिष्ट मामले धारा 309 में प्रदान की गई रीति से गणना की जाएगी ।

(2) जहां कोई आय-कर व्यक्तियों के संगम या व्यक्तियों के निकाय की कुल आय पर प्रभार्य है, पूर्वोक्त के रूप में गणना एक सदस्य का हिस्सा उसकी कुल आय के हिस्से के रूप में कर के लिए प्रभार्य होगा ।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन एक निर्धारिती द्वारा कोई आय-कर देय नहीं है,—

(क) यदि व्यक्तियों के संगम या व्यक्तियों का निकाय इस अधिनियम के किसी भी उपबंध के अधीन अधिकतम सीमांत दर या किसी भी उच्च दर पर अपनी कुल आय पर कर लगाने के लिए प्रभार्य है, तो पूर्वोक्त के रूप में गणना किए गए सदस्य का हिस्सा उसकी कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ;

(ख) किसी अन्य दशा में, पूर्वोक्त के रूप में परिकलित सदस्य का अंश उसकी कुल आय का भाग होगा ।

किसी संघ या निकाय की आय में व्यक्तियों के किसी संघ या निकाय के सदस्य का हिस्सा ।

कर का प्रभार
जहां अज्ञात
व्यक्तियों या
व्यक्तियों के
निकाय या संगम
से सदस्यों के
शेयर, आदि ।

311. (1) जहां इस तरह के संगम या निकाय की आय के पूरे या किसी भी हिस्से में व्यक्तियों के एक संघ या व्यक्तियों के शरीर के सदस्यों के व्यक्तिगत शेयर अनिश्चित या अज्ञात हैं, वहां उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए कर अधिकतम सीमांत दर पर संगम या निकाय की कुल आय पर लगाया जाएगा ।

(2) जहां इस तरह के संगम या निकाय के किसी भी सदस्य की कुल आय अधिकतम सीमांत दर से अधिक है जो एक दर पर कर के लिए प्रभार्य है, कर इस तरह के उच्च दर पर संगम या निकाय की कुल आय पर आरोप लगाया जाएगा ।

(3) जहां इस तरह के संगम या निकाय की आय के पूरे या किसी भी हिस्से में व्यक्तियों के एक संगम या व्यक्तियों के निकाय के सदस्यों के व्यक्तिगत शेयर निर्धारित या ज्ञात हैं, और—

(क) जहां कर वर्ष के लिए ऐसे संगम या निकाय के किसी भी सदस्य की कुल आय (ऐसे संगम या निकाय से अपने हिस्से को छोड़कर) अधिकतम रकम से अधिक है जो कर से प्रभार्य नहीं है, कर अधिकतम सीमांत दर पर संगम या निकाय की कुल आय पर लगाया जाएगा ;

(ख) जहां कर वर्ष के लिए ऐसे संगम या निकाय के किसी भी सदस्य की कुल आय को उस दर पर कर लगाने के लिए प्रभार्य है या जो अधिकतम सीमांत दर से अधिक है,—

(i) कर संगम या निकाय की कुल आय के उस हिस्से पर लगाया जाएगा जो ऐसे सदस्य के शेयर से संबंधित है, ऐसी उच्च दर पर है ; और

(ii) संगम या निकाय की कुल आय के शेष पर अधिकतम सीमांत दर पर कर लगाया जाएगा ।

(4) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, संगम या निकाय की आय के पूरे या किसी भी हिस्से में व्यक्तियों के एक संगम या व्यक्तियों के निकाय के सदस्यों के व्यक्तिगत शेयरों को अनिश्चित या अज्ञात माना जाएगा यदि ऐसे शेयर (ऐसी आय के पूरे या किसी भी हिस्से के संबंध में) ऐसे संगम या निकाय के गठन की तारीख पर या उसके पश्चात् अनिश्चित या अज्ञात हैं ।

5. निष्पादक

निष्पादक ।

312. (1) एक मृत व्यक्ति की संपत्ति की आय एक व्यक्ति के रूप में निष्पादक के हाथों में कर के लिए प्रभार्य होगी, अगर वहाँ केवल एक निष्पादक है, या व्यक्तियों के एक संगम के रूप में है, निष्पादक एक से अधिक हैं ।

(2) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निष्पादक को उस कर वर्ष के लिए मृत व्यक्ति की आवासीय स्थिति के अनुसार निवासी या अनिवासी माना जाएगा जिसमें उसकी मृत्यु हुई थी ।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "निष्पादक" में एक प्रशासक या मृत व्यक्ति की संपत्ति का प्रशासन करने वाला अन्य व्यक्ति सम्मिलित है ।

(4) इस धारा के अधीन एक निष्पादक का निर्धारण किसी भी निर्धारण से अलग किया जाएगा जो उसकी अपनी आय के संबंध में उस पर किया जा सकेगा ।

(5) प्रत्येक पूर्ण कर वर्ष या उसके हिस्से की कुल आय पर इस धारा के अधीन अलग-अलग निर्धारण किए जाएंगे, जैसा कि मृत्यु की तारीख से लेकर संपत्ति के लाभार्थियों को उनके कई हितों के अनुसार पूर्ण वितरण की तारीख तक की अवधि में सम्मिलित किया गया है ।

(6) इस धारा के अधीन किसी भी कर वर्ष की कुल आय की गणना में, उस कर वर्ष की संपत्ति की किसी भी आय को उस कर वर्ष के दौरान संपत्ति के किसी भी विशिष्ट वसीयतदार के लाभ के लिए वितरित या लागू किया जाएगा ; लेकिन इस प्रकार अपवर्जित आय, ऐसे विशिष्ट वसीयतदार के कर वर्ष की कुल आय में सम्मिलित की जाएगी ।

(7) धारा 305 के उपबंध, जहां तक हो सके, उसके द्वारा संदाय किए गए या देय कर के संबंध में एक निष्पादक के मामले में लागू होंगे, जैसे कि वे प्रतिनिधि निर्धारिती के मामले में लागू होते हैं ।

6. कारबार या वृत्ति का उत्तराधिकार

313. (1) जहां किसी भी कारबार या वृत्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् पूर्वाधिकारी कहा गया है) को करने वाले व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् उत्तराधिकारी कहा गया है) द्वारा किया गया है, जो उस कारबार या वृत्ति को जारी रखता है,—

मृत्यु के बजाय कारबार या वृत्ति का उत्तराधिकार ।

(क) पूर्वाधिकारी का निर्धारण कर वर्ष की आय के संबंध में किया जाएगा जिसमें उत्तराधिकार उत्तराधिकार की तारीख तक हुआ था ;

(ख) उत्तराधिकारी उत्तराधिकार की तारीख के पश्चात् कर वर्ष की आय के संबंध में निर्धारण किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी भी बात पर विचार किए बिना, जब पूर्वाधिकारी नहीं पाया जा सकता है, कर वर्ष की आय का निर्धारण, जिसमें उत्तराधिकार उत्तराधिकार की तारीख तक हुआ था और उस वर्ष से पहले कर वर्ष का उत्तराधिकारी पर उसी तरह और उसी सीमा तक किया जाएगा जैसा कि पूर्वाधिकारी पर किया गया होगा, और इस अधिनियम के सभी उपबंध, जहां तक हो, तदनुसार लागू होंगे ।

(3) उपधारा (1) और (2) में अंतर्विष्ट किसी बात पर विचार किए बिना, जहां उत्तराधिकार है, ऐसे उत्तराधिकार के लंबित रहने के दौरान पूर्वाधिकारी पर किए गए या आरंभ किए गए निर्धारण या पुनःनिर्धारण या किसी अन्य कार्यवाही को उत्तराधिकारी पर किया गया या आरंभ किया गया समझा जाएगा और इस अधिनियम के सभी उपबंध करेंगे, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे ।

(4) जब पूर्वाधिकारी पर निर्धारण किए गए ऐसे कारबार या वृत्ति की आय के संबंध में इस धारा के अधीन देय कोई राशि,—

(क) कर वर्ष के लिए जिसमें उत्तराधिकार, उत्तराधिकार की तारीख तक हुआ ;
या

(ख) उस वर्ष के पूर्ववर्ती कर वर्ष के लिए, जिसमें उत्तराधिकार हुआ,
उससे वसूल नहीं किया जा सकता है, निर्धारण अधिकारी उस प्रभाव के लिए एक

निष्कर्ष अभिलिखित करेगा और पूर्ववर्ती द्वारा देय राशि उसके पश्चात् उत्तराधिकारी द्वारा देय और वसूली योग्य होगी, और उत्तराधिकारी पूर्ववर्ती से किसी भी राशि की वसूली करने का हकदार होगा ।

(5) इस धारा के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां हिंदू अविभक्त कुटुंब द्वारा किए गए किसी भी कारबार या वृत्ति को सफल किया जाता है, और साथ ही उत्तराधिकार के साथ या उत्तराधिकार के पश्चात् सदस्यों या सदस्यों के समूहों के बीच संयुक्त कुटुंब की संपत्ति का विभाजन हुआ है, कारबार या वृत्ति की आय के संबंध में देय कर, उत्तराधिकार की तारीख तक, धारा 315 में उपबंध की गई रीति से निर्धारण और वसूली की जाएगी ।

(6) इस धारा में,—

(क) "आय" में उत्तराधिकार के परिणामस्वरूप कारबार या वृत्ति के किसी भी रीति के अंतरण से उद्भूत कोई लाभ सम्मिलित है ; और

(ख) "लंबन" से उच्च न्यायालय या न्यायाधिकरण के समक्ष कारबार के ऐसे उत्तराधिकार के लिए आवेदन फाइल करने की तारीख से आरंभ होने वाली अवधि या न्यायनिर्णयन प्राधिकरण द्वारा कॉर्पोरेट दिवाला समाधान के लिए आवेदन के फाइल करने की तारीख से दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 5 (1) में परिभाषित और उस तारीख के साथ समाप्त होता है जिस पर ऐसे उच्च न्यायालय या न्यायाधिकरण या ऐसे निर्णायक प्राधिकरण का आदेश, प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त किया जाता है ।

2016 का 31

व्यापार पुनर्गठन के संबंध में न्यायाधिकरण या न्यायालय के आदेश का प्रभाव ।

314. (1) धारा 263 में अंतर्विष्ट प्रतिकूल बात पर विचार किए बिना, यदि कारबार पुनर्गठन के संबंध में आदेश की तारीख से पहले, आय की कोई भी विवरणी किसी भी कर वर्ष के लिए एक इकाई द्वारा उक्त धारा के उपबंधों के अधीन प्रस्तुत की गई है, जिस पर ऐसा आदेश लागू होता है, उत्तराधिकारी उस मास के अंत से छह मास के भीतर प्रस्तुत करेगा, जिसमें आदेश जारी किया गया था, इस तरह के प्ररूप और रीति से एक संशोधित विवरणी, जैसा कि निर्धारित किया गया है, उक्त आदेश के अनुसार और उस तक सीमित होगी ।

(2) जहां एक कर वर्ष के लिए निर्धारण या पुनःनिर्धारण कार्यवाही, जिस पर कारबार पुनर्गठन के संबंध में आदेश लागू होता है,—

(क) उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उपांतरित विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख को पूरा किया गया है, निर्धारण अधिकारी ऐसे निर्धारण या पुनःनिर्धारण में निर्धारित सुसंगत कर वर्ष की कुल आय को कारबार पुनर्गठन के संबंध में आदेश के अनुसार और संशोधित विवरणी को ध्यान में रखते हुए संशोधित करने का आदेश पारित करेगा ।

(ख) उपधारा (1) के अनुसार संशोधित विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख को लंबित हैं, निर्धारण अधिकारी कारबार पुनर्गठन के संबंध में आदेश के अनुसार सुसंगत कर वर्ष की कुल आय का निर्धारण या पुनःनिर्धारण करने का आदेश पारित करेगा और इस प्रकार प्रस्तुत उपांतरित विवरणी को ध्यान में रखेगा ।

(3) इस धारा के किसी भी अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस धारा के अधीन

कर वर्ष के संबंध में किए गए निर्धारण या पुनःनिर्धारण में, इस अधिनियम के अन्य सभी उपबंध लागू होंगे और कर ऐसे कर वर्ष पर लागू दर या दरों पर प्रभार्य होगा ।

(4) इस धारा में,—

(क) "कारबार पुनर्गठन" से एक या अधिक व्यक्तियों के कारबार के समामेलन या विघटन या विलय से जुड़े कारबार का पुनर्गठन अभिप्रेत है ;

(ख) "कारबार पुनर्गठन के संबंध में आदेश" से उच्च न्यायालय या न्यायाधिकरण या निर्णायक प्राधिकारी का आदेश अभिप्रेत है, जैसा कि दिवाला और धन शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 5 (1) में परिभाषित किया गया है ; और

(ग) "उत्तराधिकारी" से कारबार पुनर्गठन में सभी परिणामी कंपनियां अभिप्रेत हैं, चाहे कंपनी ऐसे कारबार पुनर्गठन से पहले अस्तित्व में थी या नहीं ।

7. विभाजन

315. (1) एक हिंदू कुटुंब, अब तक अविभक्त के रूप में निर्धारण किया जाता है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक हिंदू अविभक्त कुटुंब होने के लिए समझा जाएगा, सिवाय इसके कि जहां तक और अब तक हिंदू अविभक्त कुटुंब के संबंध में इस धारा के अधीन विभाजन का निष्कर्ष दिया गया है ।

हिंदू अविभक्त कुटुंब के विभाजन के पश्चात् निर्धारण ।

(2) जहां, धारा 270 या धारा 271 के अधीन कर निर्धारण करते समय, किसी हिन्दू कुटुंब के किसी सदस्य द्वारा या उसके निमित्त यह दावा किया जाता है कि ऐसे कुटुंब के सदस्यों के बीच पूर्ण या आंशिक विभाजन हुआ है, वहां निर्धारण अधिकारी कुटुंब के सभी सदस्यों को जांच की सूचना देने के पश्चात् उसकी जांच करेगा ।

(3) जांच पूरी होने पर, निर्धारण अधिकारी एक निष्कर्ष अभिलिखित करेगा कि क्या संयुक्त कुटुंब की संपत्ति का कुल या आंशिक विभाजन हुआ है, और, यदि ऐसा कोई विभाजन हुआ है, तो किस तारीख को यह हुआ है ।

(4) जहां इस धारा के अधीन निर्धारण अधिकारी द्वारा कुल या आंशिक विभाजन का निष्कर्ष अभिलिखित किया गया है, और कर वर्ष के दौरान विभाजन हुआ,—

(क) विभाजन की तारीख तक की अवधि के संबंध में संयुक्त कुटुंब की कुल आय का आकलन इस प्रकार किया जाएगा मानो कोई विभाजन हुआ ही न हो ; और

(ख) प्रत्येक सदस्य या सदस्यों का समूह, किसी भी कर के अतिरिक्त, जिसके लिए वह अलग से उत्तरदायी हो सकता है और अनुसूची 3 (सारणी क्रम सं0 2) में अंतर्विष्ट किसी भी बात पर विचार किए बिना, संयुक्त रूप से और पृथक्-पृथक् आय पर कर के लिए उत्तरदायी होगा ।

(5) जहां इस धारा के अधीन निर्धारण अधिकारी द्वारा कुल या आंशिक विभाजन की तलाशी का निष्कर्ष अभिलिखित किया गया है, और विभाजन कर वर्ष की समाप्ति के पश्चात् हुआ है, संयुक्त कुटुंब के कर वर्ष की कुल आय का आकलन किया जाएगा जैसे कि कोई विभाजन नहीं हुआ था ; और उपधारा (4) (ख) के उपबंध, जहां तक हो सके, मामले पर लागू होंगे ।

(6) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी भी बात पर विचार किए बिना, यदि निर्धारण अधिकारी हिंदू अविभक्त कुटुंब के निर्धारण के पूरा होने के पश्चात् पाता है कि कुटुंब ने पहले से ही एक विभाजन को किया है, चाहे कुल या आंशिक हों, निर्धारण अधिकारी प्रत्येक व्यक्ति से कर वसूल करने के लिए कार्यवाही करेगा, जो विभाजन से पहले कुटुंब का सदस्य था, और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार निर्धारण की गई आय पर कर के लिए संयुक्त रूप से और पृथक्-पृथक् उत्तरदायी होगा ।

(7) इस धारा के उपबंध, जहां तक हो सके, विभाजन की तारीख तक किसी भी अवधि के संबंध में किसी भी शास्ति, ब्याज, जुर्माना या अन्य राशि के उद्ग्रहण और संग्रहण के संबंध में लागू होंगे, चाहे कुल या आंशिक हो, हिंदू अविभक्त कुटुंब के रूप में वे ऐसी किसी भी अवधि के संबंध में कर के और संग्रहण के संबंध में लागू होते हैं ।

(8) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी भी बात पर विचार किए बिना, जहां 31 दिसंबर, 1978 के पश्चात् आंशिक विभाजन हुआ है, एक हिंदू अविभक्त कुटुंब के सदस्यों के बीच अब तक अविभक्त के रूप में निर्धारण किया गया है,—

(क) यह दावा कि ऐसा आंशिक विभाजन हो चुका है, उपधारा (2) के अधीन जांच नहीं किया जाएगा और उपधारा (3) के अधीन कोई निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया जाएगा कि ऐसा आंशिक विभाजन हुआ था और उपधारा (3) के अधीन अभिलिखित कोई निष्कर्ष किसी भी समय अकृत और शून्य होगा ;

(ख) ऐसा कुटुंब इस अधिनियम के अधीन इस प्रकार निर्धारण किए जाने के लिए दायी रहेगा मानो ऐसा कोई आंशिक विभाजन नहीं हुआ हो ; और

(ग) ऐसे आंशिक विभाजन से ठीक पहले ऐसे कुटुंब के प्रत्येक सदस्य या सदस्यों का समूह और कुटुंब, किसी भी अवधि के संबंध में, चाहे वह ऐसे आंशिक विभाजन से पहले हो या पश्चात् में, इस अधिनियम के अधीन कुटुंब द्वारा संदेय किसी कर, शास्ति, ब्याज, जुर्माना या अन्य राशि के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से उत्तरदायी होगा ।

(9) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी सदस्य या उसके अधीन सदस्यों के समूह के विविध दायित्वों की गणना उसे या उसे विभाजन के समय आबंटित संयुक्त कुटुंब संपत्ति के भाग के अनुसार, चाहे वह पूर्ण हो या आंशिक हो, की जाएगी और इस अधिनियम के उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।

(10) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "विभाजन" से अभिप्रेत है,—

(i) जहां संपत्ति एक भौतिक विभाजन को स्वीकार करती है, संपत्ति का भौतिक विभाजन, लेकिन आय प्रदान करने वाली संपत्ति के भौतिक विभाजन के बिना आय का भौतिक विभाजन विभाजन नहीं माना जाएगा ; या

(ii) जहां संपत्ति भौतिक विभाजन को स्वीकार नहीं करती है, तो संपत्ति के रूप में ऐसे विभाजन को स्वीकार करता है, लेकिन प्रास्थिति का केवल विच्छेद विभाजन नहीं समझा जाएगा ; और

(ख) "आंशिक विभाजन" से ऐसा विभाजन अभिप्रेत है जो हिंदू अविभक्त

कुटुंब का गठन करने वाले व्यक्तियों या हिंदू अविभक्त कुटुंब से संबंधित संपत्तियों या दोनों के संबंध में आंशिक है ।

8. सामयिक पोत परिवहन कारबार से अनिवासियों के लाभ

316. (1) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी भी बात पर विचार किए बिना, इस धारा के उपबंध अनिवासी के या उसके द्वारा चार्टर्ड किसी पोत के मामले में कर के उद्ग्रहण और वसूली के प्रयोजन के लिए लागू होंगे, जो भारत में किसी के दरगाह पर यात्रियों, पशुधन, डाक या माल को वहन करता है ।

अनिवासियों का पोत परिवहन कारबार ।

(2) जहां ऐसा पोत भारत में किसी बंदरगाह पर भेजे गए यात्रियों, पशुधन, डाक या माल को ले जाता है,—

(क) ऐसी गाड़ी के कारण संदत्त या संदेय रकम का 7.5% भारत में स्वामी या चार्टरर को ऐसी गाड़ी के कारण अर्जित आय माना जाएगा, चाहे वह रकम भारत में या बाहर संदत्त की गई हो या संदेय हो ; और

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट रकम में विलंब प्रभार या हथालन प्रभार या समान प्रकृति की किसी अन्य रकम के माध्यम से संदत्त या संदेय रकम सम्मिलित होगी ।

(3) ऐसे किसी भी पोत के भारत में किसी भी बंदरगाह से प्रस्थान करने से पहले, पोत का मास्टर उपधारा (2) में उल्लिखित व्यक्ति या उसके निमित्त किसी व्यक्ति को संदत्त या संदेय पूरी रकम की विवरणी तैयार करेगा और निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत करेगा ।

(4) उपधारा (3) के अनुसार विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा का अनुपालन किया गया समझा जाएगा, यदि—

(क) निर्धारण अधिकारी का समाधान हो जाता है कि—

(i) पोत के मास्टर के लिए बंदरगाह से पोत के प्रस्थान से पहले रिटर्न प्रस्तुत करना संभव नहीं है ; और

(ii) पोत के मास्टर ने अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवरणी फाइल करने और कर के संदाय के लिए संतोषजनक व्यवस्था की है ; और

(ख) मास्टर द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा पोत के प्रस्थान के तीस दिनों के भीतर विवरणी फाइल की जाती है ।

(5) विवरणी की प्राप्ति पर, निर्धारण अधिकारी—

(क) उपधारा (2) में निर्दिष्ट आय का निर्धारण करें ; और

(ख) किसी कंपनी की कुल आय पर लागू दर या दरों पर कर के रूप में देय राशि का निर्धारण करेगा, जिसने धारा 393(1) (सारणी क्रम सं0 7) में निर्दिष्ट व्यवस्था नहीं की है और ऐसी राशि पोत के मास्टर द्वारा संदेय होगी ।

(6) आय का निर्धारण करने और उस पर देय कर की राशि का अवधारण करने

का कोई आदेश उपधारा (5) के अधीन कर वर्ष की समाप्ति से नौ मास की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा, जिसमें उपधारा (3) के अधीन विवरणी प्रस्तुत की गई है।

(7) उपधारा (5) के अधीन देय कर का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए, निर्धारण अधिकारी ऐसे खातों या दस्तावेजों को मंगा सकेगा जैसा अपेक्षित हो।

(8) बंदरगाह निकासी पोत को तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि सम्यक् रूप से इसे देने के लिए प्राधिकृत सीमाशुल्क आयुक्त, या अन्य अधिकारी का समाधान नहीं हो जाता है कि इस धारा के अधीन कर निर्धारण योग्य का विधिवत संदाय किया गया है या उसके संदाय के लिए संतोषजनक व्यवस्था की गई है।

(9) इस धारा की कोई बात पोत के स्वामी या चार्टरर को कर वर्ष के पश्चात् के वर्ष के अंत से पहले, जिसमें भारतीय बंदरगाह से जहाज के प्रस्थान की तारीख आती है, दावा करने से नहीं रोकेगी कि इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अनुसार कर वर्ष की कुल आय, और संदेय कर ऐसे निर्धारण के आधार पर अवधारित किया जाए।

(10) उपधारा (9) के अधीन आने वाले मामले में, कर वर्ष के दौरान इस धारा के अधीन किए गए किसी भी संदाय, यदि ऐसा दावा किया गया है, तो इसे निम्नानुसार माना जाएगा—

(क) उस वर्ष के संबंध में अग्रिम में संदत्त किया गया और ऐसे व्यक्ति द्वारा देय कर के विरुद्ध समायोजित कर ; और

(ख) इस प्रकार संदत्त रकम और ऐसे कर निर्धारण पर उसके द्वारा संदेय कर की रकम के बीच का अंतर उसके द्वारा संदाय किया जाएगा या उसे प्रतिदाय कर दिया जाएगा।

9. भारत छोड़ने वाले व्यक्ति

भारत छोड़ने वाले
व्यक्तियों का
आकलन।

317. (1) धारा 4 में अंतर्विष्ट किसी बात पर विचार किए बिना, जब निर्धारण अधिकारी को प्रतीत होता है कि कोई भी व्यक्ति चालू कर वर्ष के दौरान या इसकी समाप्ति के तुरंत पश्चात् भारत छोड़ सकता है, भारत लौटने का कोई वर्तमान आशय नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति की कुल आय उस चालू कर वर्ष के पहले दिन से आरंभ होने वाली अवधि के लिए भारत से प्रस्थान की संभावित तारीख तक (इस में निर्दिष्ट अवधि के रूप में संदर्भित) अनुभाग) उस चालू कर वर्ष में कर के लिए प्रभार्य होगा।

(2) प्रत्येक पूर्ण कर वर्ष की कुल आय या निर्दिष्ट अवधि में सम्मिलित किसी भी कर वर्ष का भाग उस कर वर्ष में लागू दर या दरों पर कर के लिए प्रभार्य होगा, और प्रत्येक ऐसे पूर्ण कर वर्ष या किसी भी कर वर्ष के हिस्से के संबंध में अलग-अलग निर्धारण किए जाएंगे।

(3) निर्धारण अधिकारी ऐसी निर्दिष्ट अवधि या उसके किसी भी भाग के लिए ऐसे व्यक्ति की आय का अनुमान लगा सकेगा, जहां इसे इस अधिनियम में उपबंधित रीति में आसानी से अवधारित नहीं किया जा सकता है।

(4) उपधारा (1) के अधीन निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए, निर्धारण अधिकारी ऐसे व्यक्ति को ऐसे समय के भीतर धारा 268 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी के

समान उसी प्ररूप में और सत्यापित विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा के लिए एक नोटिस सकेगा, जो सात दिनों से कम नहीं होगा, जैसा कि नोटिस में विनिर्दिष्ट है, जिसमें—

(क) प्रत्येक पूर्ण कर वर्ष के लिए कुल आय जिसमें ऐसी निर्दिष्ट अवधि सम्मिलित है ; और

(ख) ऐसी निर्दिष्ट अवधि में सम्मिलित कर वर्ष के किसी भी भाग के लिए अनुमानित कुल आय,

और इस अधिनियम के उपबंध, जहां तक हो सके, और इस धारा के उपबंधों के अधीन, लागू होंगे मानो नोटिस धारा 268(1) के अधीन जारी किया गया नोटिस था ।

(5) धारा 268 (1) या धारा 280 में अंतर्विष्ट किसी बात पर विचार किए बिना, जहां उपधारा (1) के उपबंध लागू होते हैं, निर्धारण अधिकारी धारा 268(1) या धारा 280 के अधीन कोई नोटिस जारी कर सकेगा, जिसमें इस अधिनियम के किन्हीं भी अन्य उपबंधों के अधीन किसी भी प्रभार्य कर के संबंध में ऐसे व्यक्ति द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा होती है, ऐसी अवधि के भीतर, जो सात दिनों से कम नहीं हो, जैसा कि निर्धारण अधिकारी उचित समझे ।

(6) इस धारा के अधीन प्रभार्य कर, यदि कोई हो, इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंधों के अधीन प्रभार्य कर के अतिरिक्त होगा ।

10. किसी विशिष्ट आयोजन या प्रयोजन के लिए गठित व्यक्तियों का संगम या व्यक्तियों का निकाय या कृत्रिम विधिक व्यक्ति

318. (1) धारा 4 में अंतर्विष्ट किसी बात पर विचार किए बिना, जहां निर्धारण अधिकारी को प्रतीत होता है कि व्यक्तियों के किसी भी संगम या व्यक्तियों का एक निकाय या एक कृत्रिम विधिक व्यक्ति को, किसी विशेष घटना या उद्देश्य के लिए गठित या स्थापित या निगमित किया गया है जो एक कर वर्ष में उसी वर्ष या तुरंत पश्चात् विघटन होने की संभावना है, उस कर वर्ष के पहले दिन से आरंभ होने वाली अवधि के लिए ऐसे संगमया निकाय या विधिक व्यक्ति की कुल आय उस कर वर्ष में कर के लिए प्रभार्य होगी ।

किसी विशिष्ट घटना या प्रयोजन के लिए गठित व्यक्तियों का संगम या व्यक्तियों का निकाय या कृत्रिम विधिक व्यक्ति का निर्धारण ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिये, धारा 317(2) से (6) के उपबन्ध, जहां तक हो सके, ऐसे किसी व्यक्ति की दशा में किसी कार्यवाही को उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे भारत छोड़ने वाले व्यक्तियों की दशा में लागू होते हैं ।

11. अपनी आस्ति का अन्य संक्रमण करने का प्रयास करने वाले व्यक्ति

319. (1) धारा 4 में अंतर्विष्ट किसी बात पर विचार किए बिना, जहां किसी भी चालू कर वर्ष के दौरान निर्धारण अधिकारी को प्रतीत होता है कि किसी भी व्यक्ति को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी भी दायित्व के संदाय से बचने के लिए अपनी किसी भी संपत्ति के साथ प्रभारित, बिक्री, हस्तांतरण, निपटान या अन्यथा निपटान की संभावना है, उस वर्तमान कर वर्ष के पहले दिन से आरंभ होने वाली अवधि के लिए ऐसे व्यक्ति की कुल आय उस तारीख तक जब निर्धारण अधिकारी इस धारा के

कर से बचने के लिए संपत्ति अंतरित करने की संभावना वाले व्यक्तियों का निर्धारण ।

अधीन कार्यवाही आरंभ करता है, वर्तमान कर वर्ष में कर के लिए प्रभार्य होगा ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिये, धारा 317(2) से (6) के उपबन्ध, जहां तक हो सके, ऐसे किसी व्यक्ति की दशा में किसी कार्यवाही को उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे भारत छोड़ने वाले व्यक्तियों की दशा में लागू होते हैं ।

12. कारबार बंद करना या उसका विघटन

बंद कारबार ।

320. (1) धारा 4 में अंतर्विष्ट किसी बात पर विचार किए बिना, जहां किसी भी कारबार या वृत्ति को किसी भी कर वर्ष में बंद कर दिया जाता है, उस कर वर्ष के पहले दिन से आरंभ होने वाली अवधि की आय इस तरह बंद करने की तारीख तक, निर्धारण अधिकारी के विवेक पर, उस कर वर्ष में कर प्रभारित किया जा सकेगा ।

(2) प्रत्येक पूर्ण कर वर्ष की कुल आय या ऐसी अवधि में सम्मिलित किसी भी कर वर्ष का हिस्सा उस कर वर्ष में लागू दर या दरों पर कर के लिए प्रभार्य होगा, और प्रत्येक ऐसे पूर्ण कर वर्ष या किसी भी कर वर्ष के भाग के संबंध में पृथक्-पृथक् निर्धारण किए जाएंगे ।

(3) किसी भी कारबार या वृत्ति को बंद करने वाला कोई भी व्यक्ति पंद्रह दिनों के भीतर ऐसे बंद होने की सूचना निर्धारण अधिकारी को देगा ।

(4) जहां किसी भी वर्ष में कोई कारबार बंद कर दिया जाता है, बंद होने के पश्चात् प्राप्त किसी भी राशि को प्राप्तकर्ता की आय माना जाएगा और प्राप्ति के वर्ष में तदनुसार कर लगाया जाएगा, यदि ऐसी राशि उस व्यक्ति की कुल आय में सम्मिलित की गई होती जिसने कारबार किया था, यदि ऐसी राशि ऐसे बंद होने से पहले प्राप्त हुई थी ।

(5) जहां किसी भी वृत्ति को वृत्ति की समाप्ति, या सेवानिवृत्ति या मृत्यु के कारण किसी भी वर्ष में बंद कर दिया जाता है, वृत्ति को चलाने वाले व्यक्ति की सेवानिवृत्ति या मृत्यु के कारण, बंद करने के पश्चात् प्राप्त किसी भी राशि को प्राप्तकर्ता की आय माना जाएगा और प्राप्ति के वर्ष में तदनुसार कर लगाया जाएगा, यदि ऐसी राशि उक्त व्यक्ति की कुल आय में सम्मिलित की गई होती, तो यह ऐसे बंद होने से पहले प्राप्त हुई होती ।

(6) जहां इस धारा के उपबंधों के अधीन निर्धारण किया जाना है, निर्धारण अधिकारी उस व्यक्ति को, जिसकी आय का निर्धारण किया जाना है या, एक फर्म के मामले में, किसी भी व्यक्ति पर जो ऐसी फर्म का भागीदार था इसके बंद होने के समय या, एक कंपनी के मामले में, उसके प्रधान अधिकारी पर, धारा 268(1) के अधीन एक नोटिस तामील कर सकेगा, जिसमें सभी अपेक्षा अंतर्विष्ट होंगी और इस अधिनियम के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे मानो नोटिस धारा 268(1) के अधीन जारी किया गया नोटिस था ।

(7) धारा 268 या धारा 280 में अंतर्विष्ट किसी बात पर विचार किए बिना, जहां उपधारा (1) के उपबंध लागू होते हैं, निर्धारण अधिकारी धारा 268 या धारा 280 के अधीन कोई नोटिस जारी कर सकता है, जिसमें उस व्यक्ति द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा होती है जिसकी आय इस अधिनियम के किसी भी अन्य उपबंधों के अधीन किसी भी कर प्रभार्य के संबंध में निर्धारित की जानी है, ऐसी अवधि के भीतर, जो सात

दिनों से कम नहीं होगी, जैसा कि निर्धारण अधिकारी उचित समझे ।

(8) इस धारा के अधीन प्रभार्य कर, यदि कोई हो, इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन प्रभार्य कर के अतिरिक्त होगा ।

321. (1) जहां व्यक्तियों के एक संगम द्वारा किए गए किसी भी कारबार या वृत्ति को बंद कर दिया गया है या जहां व्यक्तियों का संगम विघटित हो गया है, निर्धारण अधिकारी व्यक्तियों के संगम की कुल आय का निर्धारण करेगा मानो ऐसा कोई बंद या विघटन नहीं हुआ था, और इस अधिनियम के सभी उपबंध, जिसके अंतर्गत इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन शास्ति या प्रभार्य किसी अन्य राशि के उद्ग्रहण से संबंधित उपबन्ध हैं, जहां तक हो सके, ऐसे निर्धारण के लिए लागू होंगे ।

संगम भंग हो गई
या कारबार बंद हो
गया ।

(2) उपधारा (1) की व्यापकता के होते हुए भी, यदि निर्धारण अधिकारी या संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील) इस अधिनियम के अधीन किसी भी कार्यवाही के दौरान व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संगम के संबंध में जैसा कि उस उपधारा में निर्दिष्ट है, संतुष्ट है कि व्यक्तियों का संगम अध्याय 21 में निर्दिष्ट किसी भी कार्य का दोषी था, वह उस अध्याय के उपबंधों के अनुसार शास्ति अधिरोपित या उसका निदेश दे सकेगा ।

(3) प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे बंद होने या विघटन के समय व्यक्तियों के संगम का सदस्य था, और ऐसे किसी भी व्यक्ति का विधिक प्रतिनिधि जो मृतक है, कर, जुर्माना या अन्य राशि की राशि के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी होगा, और इस अधिनियम के सभी उपबंध, जहां तक हो सके, ऐसे किसी भी निर्धारण या शास्ति या अन्य राशि के अधिरोपण पर लागू होगा ।

(4) जहां कर वर्ष के संबंध में किसी भी कार्यवाही के पश्चात् ऐसा बंद होना या विघटन होता है, वहां कार्यवाही उपधारा (3) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के विरुद्ध उस चरण से जारी रखी जा सकती है जिस पर कार्यवाही ऐसे बंद होने या विघटन के समय थी, और इस अधिनियम के सभी उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे ।

(5) इस धारा की कोई बात धारा 302(4) के उपबंधों को प्रभावित नहीं करेगी ।

322. (1) प्रत्येक व्यक्ति,—

कंपनी का
परिसमापन ।

(क) जो किसी ऐसी कंपनी का परिसमापक है, जिसे न्यायालय के आदेशों के अधीन या अन्यथा बंद किया जा रहा है ; या

(ख) जिसे किसी कंपनी की किसी भी संपत्ति का रिसीवर नियुक्त किया गया है, (यहां परिसमापक के रूप में निर्दिष्ट),

वह ऐसा परिसमापक बनने के तीस दिनों के भीतर, अपनी नियुक्ति की सूचना उस निर्धारण अधिकारी को देगा जो कंपनी की आय का निर्धारण करने का हकदार है ।

(2) निर्धारण अधिकारी, ऐसी जांच करने या ऐसी जानकारी मंगाने के पश्चात्, जैसा कि वह उचित समझे, परिसमापक को उस तारीख से तीन मास के भीतर सूचित करेगा, जिस पर उसे परिसमापक की नियुक्ति की सूचना प्राप्त होती है, जो राशि निर्धारण अधिकारी की राय में, किसी भी कर का उपबंध करने के लिए पर्याप्त होगी, या उसके पश्चात् कंपनी द्वारा संदेय होने की संभावना है ।

(3) परिसमापक—

(क) प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त की अनुमति के बिना, कंपनी की किसी भी आस्ति या उसके हाथों में संपत्तियों का विभाजन नहीं करेगा, जब तक कि उसे उपधारा (2) के अधीन निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया है ; और

(ख) इस प्रकार अधिसूचित होने पर, अधिसूचित राशि के बराबर एक राशि को अलग रखेगा और, जब तक कि वह ऐसी राशि को अलग नहीं करता है, कंपनी की किसी भी संपत्ति या उसके हाथों में संपत्ति के साथ भाग नहीं लेगा ।

(4) उपधारा (3) के उपबंध परिसमापक को निम्नलिखित प्रयोजन के लिये ऐसी आस्तियों या संपत्तियों के को छोड़ देने से प्रतिषिद्ध नहीं करेंगे—

(क) कंपनी द्वारा देय कर का संदाय ; या

(ख) ऐसे प्रतिभूत ऋणदाताओं को कोई संदाय करना जिनके ऋण परिसमापन की तारीख को सरकार को देय ऋणों पर संदाय की प्राथमिकता के लिए विधि के अधीन हकदार हैं ; या

(ग) कंपनी के समापन की ऐसी लागतों और खर्चों को पूरा करना,

जैसा कि प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त की राय में उचित है ।

(5) यदि परिसमापक उपधारा (1) के अनुसार नोटिस देने में विफल रहता है, या उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित रकम को अपास्त करने में विफल रहता है, या कंपनी की किसी भी आस्ति या उसके हाथों में संपत्तियों के उल्लंघन में भागों के साथ उस उपधारा के उपबंधों के उल्लंघन में, वह व्यक्तिगत रूप से कर के संदाय के लिए उत्तरदायी होगा जिसे कंपनी संदाय करने के लिए उत्तरदायी होगी ।

(6) उपधारा (5) के प्रयोजनों के लिए, यदि कंपनी द्वारा देय किसी भी कर की रकम उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित की जाती है, तो उस उपधारा के अधीन परिसमापक की व्यक्तिगत देयता ऐसी रकम की सीमा तक होगी ।

(7) जहां एक से अधिक परिसमापक हैं, इस धारा के अधीन परिसमापक से जुड़ी बाध्यताएं और दायित्व सभी परिसमापक को संयुक्त रूप से और अलग-अलग संलग्न करेंगे ।

(8) इस धारा के उपबंध दिवाला और धन शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के उपबंधों के सिवाय, प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात पर विचार किए बिना प्रभावी होंगे ।

2016 का 31

13. प्राइवेट कंपनियां

2013 का 18

323. (1) कंपनी अधिनियम, 2013 में अंतर्विष्ट किसी भी बात पर विचार किए बिना, जहां निम्नलिखित से शोध्य कोई भी कर—

प्राइवेट कंपनी के निदेशकों की देयता ।

(क) किसी भी कर वर्ष की किसी भी आय के संबंध में एक प्राइवेट कंपनी ; या

(ख) किसी भी कर वर्ष की किसी भी आय के संबंध में कोई अन्य कंपनी

जिसके दौरान ऐसी अन्य कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, यदि वसूली नहीं की जा सकती है, तो प्रत्येक व्यक्ति, जो सुसंगत कर वर्ष के दौरान किसी भी समय प्राइवेट कंपनी का निदेशक था, ऐसे कर के संदाय के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी होगा जब तक कि वह यह साबित नहीं कर देता कि गैर-वसूली को कंपनी के मामलों के संबंध में उसकी ओर से किसी भी सकल उपेक्षा, अपकरण या कर्तव्य के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "शोध कर" में शास्ति, ब्याज, फीस या अधिनियम के अधीन देय कोई अन्य राशि सम्मिलित है।

14. फर्मों का निर्धारण

324. एक फर्म के मामले में, एक फर्म के रूप में निर्धारण योग्य है, जो कर सुसंगत वर्ष के किसी केंद्रीय अधिनियम में विनिर्दिष्ट दर पर उसकी कुल आय पर लगाया जाएगा।

एक फर्म के मामले में कर का प्रभार।

325. (1) एक फर्म इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक फर्म के रूप में निर्धारण किया जाएगा, यदि—

एक फर्म के रूप में निर्धारण।

(क) साझेदारी एक लिखत द्वारा प्रमाणित है; और

(ख) भागीदारों के व्यक्तिगत शेयर उस लिखत में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट साझेदारी के लिखत की एक प्रमाणित प्रति कर वर्ष की फर्म की आय की विवरणी के साथ होगी, जिसके संबंध में एक फर्म के रूप में निर्धारण पहली बार चाहा गया है।

(3) उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए, साझेदारी के लिखत की प्रति सभी भागीदारों (जो अवयस्क नहीं हैं) द्वारा लिखित रूप में प्रमाणित की जाएगी या, जहां फर्म के विघटन के पश्चात् विवरणी की जाती है, सभी व्यक्तियों द्वारा (जो अवयस्क नहीं हैं), जो इसके विघटन से ठीक पहले फर्म में भागीदार थे और ऐसे किसी भी भागीदार के विधिक प्रतिनिधि द्वारा प्रमाणित की जाएगी, जो मृतक है।

(4) जहां किसी फर्म का निर्धारण किसी भी कर वर्ष के लिए किया जाता है, वहां इसका निर्धारण प्रत्येक पश्चात् के वर्ष के लिए उसी हैसियत से किया जाएगा, यदि फर्म के गठन या भागीदारों के शेयरों में कोई बदलाव नहीं होता है, जैसा कि साझेदारी के लिखत द्वारा प्रमाणित किया गया है जिसके आधार पर एक फर्म के रूप में निर्धारण पहली बार चाहा गया था।

(5) जहां कर वर्ष में ऐसा कोई परिवर्तन हुआ था, फर्म ऐसे कर वर्ष के लिए आय की वापसी के साथ साझेदारी के पुनरीक्षित लिखत की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करेगी, और इस धारा के सभी उपबंध तदनुसार लागू होंगे।

(6) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी भी बात पर विचार किए बिना, जहां, किसी भी कर वर्ष के संबंध में, किसी फर्म की ओर से ऐसी कोई विफलता है जैसा कि धारा 271 में उल्लिखित है,—

(क) फर्म का उस प्रकार निर्धारण किया जाएगा कि ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक के किसी भी संदाय के माध्यम से कोई कटौती, किसी भी नाम से ज्ञात हो, ऐसी फर्म द्वारा ऐसी फर्म के किसी भी भागीदार को "कारबार या

वृत्ति से लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की गणना करने की अनुमति नहीं दी जाएगी; और

(ख) ऐसा संदाय धारा 26(2)(छ) के अधीन आय-कर के लिए प्रभार्य नहीं होगा ।

निर्धारण जब धारा
325 का
अनुपालन नहीं
किया गया ।

326. इस अधिनियम के किसी भी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात पर विचार किए बिना, जहां एक फर्म किसी भी कर वर्ष के लिए धारा 325 के उपबंधों का पालन नहीं करता है, तो—

(क) ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक के किसी भी संदाय के माध्यम से कोई कटौती, जिस भी नाम से ज्ञात हो, ऐसी फर्म द्वारा ऐसी फर्म के किसी भी भागीदार को "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" के अधीन अपनी आय प्रभार्य की गणना करने की अनुमति नहीं दी जाएगी ; और

(ख) ऐसे ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक ऐसी फर्म के भागीदारों के हाथों में धारा 26(2)(छ) के अधीन आय-कर के लिए प्रभार्य नहीं होंगे ।

15. गठन, उत्तराधिकार और विघटन में परिवर्तन

किसी फर्म के
गठन में
परिवर्तन ।

327. (1) जहां धारा 270 या धारा 271 के अधीन निर्धारण करने के समय, यह पाया जाता है कि फर्म के गठन में परिवर्तन हुआ है, निर्धारण करने के समय गठित फर्म पर निर्धारण किया जाएगा ।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, फर्म के गठन में बदलाव है, यदि—

(क) भागीदारों में से एक या अधिक भागीदार भागीदार नहीं रहते हैं या एक या अधिक नए भागीदार शामिल किए जाते हैं, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि कम से कम एक व्यक्ति जो परिवर्तन से पहले फर्म का भागीदार था, ऐसे परिवर्तन के पश्चात् भागीदार के रूप में जारी रहता है ; या

(ख) जहां सभी भागीदार अपने संबंधित शेयरों अथवा उनमें से कुछ के शेयरों में परिवर्तन जारी रखते हैं ।

(3) उपधारा 2(क) के उपबंध उस मामले पर लागू नहीं होंगे जहां फर्म अपने किसी भी भागीदार की मृत्यु पर विघटित हो जाती है ।

एक फर्म का
दूसरी फर्म द्वारा
दिया गया
उत्तराधिकार ।

328. जहां कारबार या वृत्ति करने वाली एक फर्म को किसी अन्य फर्म द्वारा उत्तराधिकार किया जाता है, धारा 327 के अंतर्गत आने वाले मामले के सिवाय, धारा 313 के उपबंधों के अनुसार पूर्ववर्ती फर्म और उत्तराधिकारी फर्म पर अलग-अलग निर्धारण किए जाएंगे ।

329. प्रत्येक व्यक्ति, जो कर वर्ष के दौरान, एक फर्म का भागीदार था, और ऐसे किसी भी व्यक्ति का विधिक प्रतिनिधि जो मृत है, कर, शास्ति या अन्य राशि की रकम के लिए फर्म के साथ संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी होगा और कर वर्ष के लिए फर्म द्वारा देय, और इस अधिनियम के सभी उपबंध, जहां तक हो सके, ऐसे कर के निर्धारण या ऐसी शास्ति या अन्य राशि के अधिरोपण या उद्ग्रहण पर लागू होगा ।

फर्म द्वारा देय
कर के लिए
भागीदारों की
संयुक्त और कई
देयताएं ।

330. (1) जहां एक फर्म विघटित कर दिया जाता है या इसके द्वारा किए गए किसी भी कारबार या वृत्ति को बंद कर दिया गया है, निर्धारण अधिकारी फर्म की कुल

फर्म भंग या
कारबार बंद कर

आय का निर्धारण करेगा, जैसे कि ऐसा कोई विघटन या समाप्ति नहीं हुई थी, और इस अधिनियम के सभी उपबंध, इस अधिनियम के किसी भी उपबंध के अधीन जुर्माना या किसी अन्य राशि के निर्धारण से संबंधित उपबंधों सहित, जहां तक हो सके, ऐसे निर्धारण के लिए लागू होगा।

दिया जाना।

(2) उपधारा (1) की व्यापकता के बावजूद, यदि निर्धारण अधिकारी या संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील) का, इस अधिनियम के अधीन किसी भी कार्यवाही के दौरान किसी भी ऐसी फर्म के संबंध में जैसा कि उस उपधारा में निर्दिष्ट है, समाधान हो जाता है कि फर्म अध्याय 21 में विनिर्दिष्ट किसी भी कार्य का दोषी था, वह उस अध्याय के उपबंधों के अनुसार शास्ति अधिरोपित कर सकेगा या उसका निदेश दे सकेगा।

(3) प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे विघटन या बंद करने के समय फर्म का भागीदार था, और ऐसे किसी भी व्यक्ति का विधिक प्रतिनिधि जो मृत है, कर, शास्ति या अन्य राशि की रकम के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी होगा, और इस अधिनियम के सभी उपबंध, जहां तक हो सके, ऐसे किसी भी निर्धारण या शास्ति या अन्य राशि के अधिरोपण पर लागू होगा।

(4) जहां कर वर्ष के संबंध में किसी भी कार्यवाही के पश्चात् ऐसा विघटन या बंद होना होता है, वहां कार्यवाही उपधारा (3) में निर्दिष्ट व्यक्ति के विरुद्ध उस चरण से जारी रखी जा सकती है जिस पर कार्यवाही ऐसे विघटन या बंद होने के समय थी, और इस अधिनियम के सभी उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे।

(5) इस धारा के उपबंध धारा 302(4) के उपबंधों को प्रभावित नहीं करेंगे।

16. परिसमापन में सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों का दायित्व

2009 का 6

331. सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 में अंतर्विष्ट किसी भी बात पर विचार किए बिना, जहां अधिनियम के अधीन देय शास्ति, ब्याज, फीस या किसी अन्य राशि सहित कोई भी कर देय है, और निम्नलिखित से वसूल नहीं किया जा सकता है—

परिसमापन में सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों का दायित्व।

(क) किसी भी कर वर्ष की किसी भी आय के संबंध में सीमित दायित्व भागीदारी, या ;

(ख) किसी भी कर वर्ष की किसी भी आय के संबंध में कोई अन्य व्यक्ति जिसके दौरान ऐसा अन्य व्यक्ति सीमित दायित्व भागीदारी था,

तदुपरि, ऐसे मामले में, प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो सुसंगत कर वर्ष के दौरान किसी भी समय ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी का भागीदार था, ऐसे देय कर के संदाय के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी होगा, जब तक कि वह यह साबित नहीं करता कि गैर-वसूली को किसी भी सकल उपेक्षा, अपरकरण या कर्तव्य के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

ख. रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन के लिए विशेष उपबंध

1. रजिस्ट्रीकरण

रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन ।

332. (1) निम्नलिखित व्यक्ति, इस अध्याय के अधीन एक रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन (गैर लाभकारी संगठन) के रूप में फायदों का दावा करने के लिए से, प्रधान आयुक्त या आयुक्त को ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित किया जाए, रजिस्ट्रीकरण के लिए उपयोजन कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) एक सार्वजनिक न्यास ; या

(ख) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860, या भारत में प्रवृत्त किसी भी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक सोसाइटी ; या

1860 का 21

(ग) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनियां और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 465 (2) (छ) के अनुसरण में रजिस्ट्रीकृत समझी गई कंपनियां ; या

2013 का 18

1956 का 1

(घ) विधि द्वारा स्थापित कोई विश्वविद्यालय या उससे संबद्ध या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य शिक्षा संस्था ; या

(ङ) सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पूर्णतः से या भागतः से वित्तपोषित एक संस्था ; या

(च) अनुसूची 3 (सारणी क्रम सं0 27 से 29 और 36) तथा अनुसूची 7 (सारणी क्रम सं0 10 से 19 और 42) में यथा विनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति ; या

(छ) इस निमित्त बोर्ड द्वारा अधिसूचित कोई अन्य व्यक्ति ।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र होगा, यदि—

(क) ऐसा व्यक्ति एक या अधिक पूर्ण प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए भारत में गठित या रजिस्ट्रीकृत या निगमित है, जैसा कि धारा 2(23) में विनिर्दिष्ट है या एक या अधिक सार्वजनिक धार्मिक प्रयोजनों, या दोनों को कार्यान्वित करने के लिए है; और

(ख) ऐसे व्यक्ति की संपत्तियों को जन साधारण के फायदे के लिए अप्रतिसंहरणीय न्यास के अधीन निम्नानुसार रखा जाता है,—

(i) भारत में पूरी तरह से पूर्ण या धार्मिक प्रयोजनों के लिए ; या

(ii) भागतः भारत में पूर्ण या धार्मिक प्रयोजनों के लिए, यदि ऐसे व्यक्ति का गठन या रजिस्ट्रीकृत किया गया था या आय-कर अधिनियम, 1961 के प्रारंभ होने से पहले निगमित किया गया था ।

1961 का 43

(3) नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (ख) में विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में प्रत्येक आवेदन उक्त सारणी के स्तंभ (ग) में उपबंधित समय के भीतर प्रधान आयुक्त या आयुक्त को किया जाएगा, जो ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर, इस धारा में उपबंधित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा और उक्त सारणी के स्तंभ (घ) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर एक आदेश पारित करेगा, जो उसके स्तंभ (ङ) में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विधिमान्य होगा ।

सारणी

क्र० सं० मामला

आवेदन प्रस्तुत आदेश पारित रजिस्ट्रीकरण

	करने समय-सीमा	की	करने समय-सीमा	की	की वैधता
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	
1.	जहां आवेदक के क्रियाकलाप आरंभ नहीं हुए हैं और उपयोजन करने से पहले किसी भी समय किसी भी विनिर्दिष्ट उपबंध के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया है	कर वर्ष के दौरान किसी भी समय जिसके आरंभ से अंत से एक मास रजिस्ट्रीकरण मांगा जाता है	जिस मास में उपयोजन किया गया है, उसके अंत से एक मास	उस कर वर्ष से आरंभ होने वाले तीन कर वर्ष जिसमें ऐसा उपयोजन किया गया है।	
2.	जहां आवेदक के क्रियाकलाप आरंभ हो गए हैं और उपयोजन करने से पहले किसी भी समय किसी भी विनिर्दिष्ट उपबंध के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया है	कर वर्ष के दौरान किसी भी समय, जिसके आरंभ से अंत से एक मास रजिस्ट्रीकरण मांगा जाता है	उस तिमाही के अंत से छह मास जिसमें उपयोजन किया जाता है	उस कर वर्ष से आरंभ होने वाले पांच कर वर्ष जिसमें ऐसा उपयोजन किया गया है।	
3.	जहां आवेदक को अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है और क्रियाकलाप आरंभ हो गए हैं	क्रियाकलापों के आरंभ होने के छह मास के भीतर	उस तिमाही के अंत से छह मास जिसमें उपयोजन किया जाता है	उपधारा (5) के अध्यक्षीन रहते हुए उस कर वर्ष से आरंभ होने वाले पांच कर वर्ष जिसमें ऐसा लागू किया गया है।	
4.	जहां आवेदक का अनंतिम रजिस्ट्रीकरण समाप्त होने वाला है और क्रियाकलाप आरंभ नहीं हुए हैं	अनंतिम रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति से कम से कम छह मास पहले	उस तिमाही के अंत से छह मास जिसमें उपयोजन किया जाता है	उपधारा (5) के अध्यक्षीन रहते हुए उस कर वर्ष के पश्चात् पांच कर वर्ष जिसमें ऐसा लागू किया जाता है।	
5.	जहां आवेदक का रजिस्ट्रीकरण समाप्त	रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति से	उस तिमाही के अंत से छह	उपधारा (5) के अध्यक्षीन रहते	

- होने वाला है कम से कम मास जिसमें हुए उस कर
छह मास पहले उपयोजन किया वर्ष के पश्चात्
जाता है पांच कर वर्ष
जिसमें ऐसा
लागू किया
जाता है ।
6. जहां आवेदक का कर वर्ष के उस तिमाही के उपधारा (5) के
रजिस्ट्रीकरण धारा 329 दौरान किसी भी अंत से छह अध्यक्षीन
के अधीन व्यवस्था समय जिससे मास जिसमें रहते हुए उस
बदलने के कारण रजिस्ट्रीकरण उपयोजन किया कर वर्ष से
अप्रचालित हो गया है । को ऑपरेटिव जाता है पांच कर वर्ष
बनाने की मांग जिसमें ऐसा
की जाती है लागू किया
शुरुआत जाता है ।
7. जहां आवेदक ने, जो ऐसे अंगीकरण उस तिमाही के उपधारा (5) के
गैर लाभकारी या उपांतरण की अंत से छह अध्यक्षीन
रजिस्ट्रीकृत संगठन है तारीख के तीस मास जिसमें रहते हुए उस
अपने उद्देश्यों को दिनों के भीतर उपयोजन किया कर वर्ष के
अंगीकार किया है या जाता है प्रारंभ से पांच
उपांतरित किया है, जो कर वर्ष जिसमें
रजिस्ट्रीकरण की शर्तों ऐसा लागू
के अनुरूप नहीं है । किया गया है ।

(4) यदि उपधारा (3) के अधीन उपयोजन उक्त उपधारा में विनिर्दिष्ट सारणी के स्तम्भ (ग) में अनुमत समय से परे किया जाता है तो प्रधान आयुक्त या आयुक्त, यदि वह समझता है कि उपयोजन प्रस्तुत करने में विलंब का युक्तियुक्त कारण है, तो ऐसे विलंब को क्षमा कर सकेगा और ऐसा उपयोजन समय के भीतर किया गया समझा जाएगा ।

(5) यदि उपधारा (3) सारणी संख्या 3 से 7 के अधीन उपयोजन किया जाता है और ऐसे आवेदक की कुल आय इस भाग के उपबंधों को प्रभावी किए बिना, उस कर वर्ष के पूर्ववर्ती प्रत्येक दो कर वर्षों के दौरान जिसमें ऐसा उपयोजन किया जाता है, पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, तो उक्त उपधारा की (सारणी क्रम सं0 3ड से 7ड) के उपबंध प्रभावी होंगे मानो “पांच वर्ष” शब्दों के स्थान पर “दस वर्ष” शब्द रखे गए हों ।

(6) यदि उपधारा (3) (सारणी क्रम सं0 3ग, 4ग, 5ग या 7ग) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर रजिस्ट्रीकरण नहीं किया जाता है तथा ऐसे आवेदन को फाइल करने में विलंब की उपधारा (4) के अधीन क्षमा नहीं किया जाता है तो, ऐसा व्यक्ति धारा 352 के अधीन अनुवृत्त आय पर कर के संदाय का दायी होगा ।

(7) धान आयुक्त या आयुक्त, उपधारा (3) (सारणी 2) से (सारणी 7) में विनिर्दिष्ट मामलों में से किसी में किए गए उपयोजन पर, ऐसे दस्तावेज या जानकारी मंगाएगा या

ऐसी जांच करेगा जो वह क्रियाकलापों की वास्तविकता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक समझे ताकि वह किसी अन्य विधि की ऐसी अपेक्षाओं के अनुपालन के बारे में स्वयं को संतुष्ट कर सके जो उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए महत्वपूर्ण हैं, और—

(क) यदि वह प्रयोजनों और क्रियाकलापों की वास्तविकता और किसी अन्य विधि की अपेक्षाओं के अनुपालन के बारे में संतुष्ट है, तो रजिस्ट्रेशन प्रदान करने वाला आदेश लिखित में पारित करेगा ; या

(ख) यदि वह आवेदक को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् संतुष्ट नहीं है,—

(i) आवेदन को अस्वीकार करते हुए आदेश लिखित में पारित कर सकेगा, जहां उपधारा (3) (सारणी 2) या (सारणी 6) के अधीन उपयोजन सारणी विनिर्दिष्ट किन्हीं मामलों में से किसी मामले में किया गया था ; या

(ii) उपयोजन को अस्वीकार करने और उपधारा (3) (सारणी 3) (सारणी 4) (सारणी 5) या (सारणी 7) में विनिर्दिष्ट किसी अन्य मामले में रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने के लिए भी आदेश पारित करेगा,

और उक्त आदेश की एक प्रति आवेदक और निर्धारण अधिकारी को भेजेगा ।

(8) जहां उपधारा (3) (सारणी क्रम संख्या 3) में विनिर्दिष्ट मामलों में से किसी मामले में उपयोजन किया गया है, प्रधान आयुक्त या आयुक्त अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रदान करेगा ।

1961 का 43

(9) जहां आय-कर अधिनियम, 1961 के विनिर्दिष्ट उपबंध के अधीन 1 अप्रैल, 2021 से पहले अनुदत्त किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण समाप्त हो गया है और ऐसा व्यक्ति इस भाग के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए उपयोजन करता है, प्रधान आयुक्त या आयुक्त है, यदि वह मानता है कि ऐसा उपयोजन करने में विलंब करने का उचित कारण है, ऐसे विलंब को क्षमा कर सकेगा और इस भाग के अधीन ऐसे व्यक्ति को उस मास के अंत से तीन मास की अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण प्रदान करेगा जिसमें उपयोजन किया गया है, जो कर वर्ष 2021-22 के प्रारंभ से पांच वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा ।

(10) उपधारा (7), उपधारा (8), उपधारा (9) के अधीन आदेश, यथा विहित प्ररूप और नीति में पारित किया जाएगा ।

333. (1) धारा 11 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अनुसूची 2 (सारणी क्रम संख्या 1), अनुसूची 3 (सारणी क्रम संख्या 27) से (सारणी 29), और (सारणी 36) और अनुसूची 7 (सारणी क्रम संख्या 10) से (सारणी 19) और (सारणी 42) से (सारणी 45) से भिन्न, किसी रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन की आय को उस कर वर्ष के लिए उसकी कुल आय से अपवर्जित नहीं करेगी ।

(2) धारा 332 के अधीन रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन के लिए रजिस्ट्रीकरण उस तारीख से प्रचालन में नहीं रहेगा जिस तारीख को अनुसूची 3 (सारणी क्रम संख्या 27), (सारणी 28), (सारणी 29), या (सारणी 36) या अनुसूची सारणी 7 (सारणी क्रम

व्यवस्था की
अदला-बदली ।

संख्या 10) में यथा विनिर्दिष्ट अधिसूचित या उस कर वर्ष की 1 अप्रैल से जो अनुसूची (सारणी क्रम संख्या 43), (सारणी 44) या (सारणी 45) के अधीन छूट का दावा करता है।

(3) कोई व्यक्ति, जिसका रजिस्ट्रीकरण उपधारा (2) के अधीन प्रचालित होना बंद हो जाता है, धारा 332 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए उपयोजन, इस शर्त के अधीन रहते हुएकर सकेगा, कि ऐसे व्यक्ति को छूट प्रदान करने वाली अधिसूचना अनुसूची 7 (सारणी क्रम संख्या 27), (सारणी 28), (सारणी 29) या (सारणी 36) या अनुसूची 7 अनुसूची (सारणी क्रम संख्या 42) के अधीन उस तारीख से प्रभावी नहीं रहेगी जिस तारीख को उक्त रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है। और तत्पश्चात उक्त अनुसूचियों के क्रमवर्ती क्रम संख्याओं के अधीन छूट का हकदार नहीं रहेगा।

2. रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन की आय

रजिस्ट्रीकृत गैर
लाभकारी संगठन
की आय पर
कर।

334. (1) किसी भी कर वर्ष के लिए अपनी कुल आय पर एक रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन द्वारा देय आय-कर गणना की गई राशि का कुल योग निम्नानुसार होगा—

(क) ऐसे कर वर्ष के लिए विनिर्दिष्ट आय पर 30% की दर से ; और

(ख) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन ऐसे कर वर्ष के लिए कर योग्य नियमित आय और किसी भी अवशिष्ट आय पर उपयोजित दर पर।

(2) इस भाग के उपबन्ध धारा 96 से धारा 98 से भिन्न, इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात पर ध्यान न देते हुए उपयोजित होंगे।

नियमित आय।

335. किसी रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन के किसी भी कर वर्ष की नियमित आय से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(क) किसी पूर्त या धार्मिक क्रियाकलाप से आय, जिसके लिए ऐसा गैर लाभकारी संगठन रजिस्ट्रीकृत है, इसके द्वारा ऐसे कर वर्ष में की जाती है ;

(ख) (ड) के अंतर्गत आने वाली आय से भिन्न, ऐसे कर वर्ष में ऐसे रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन द्वारा पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए पूर्णतः धारित संपत्ति, निक्षेप या विनिधान से व्युत्पन्न आय ;

(ग) (ड) के अंतर्गत आने वाली आय से भिन्न, ऐसे कर वर्ष में धारा 332(2)(ख)(ii) में यथानिर्दिष्ट ऐसे रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन द्वारा पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए भागतः धारित किसी संपत्ति, निक्षेप या विनिधान के ऐसे भाग से व्युत्पन्न आय ;

(घ) ऐसे कर वर्ष में ऐसे रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन द्वारा प्राप्त स्वैच्छिक अभिदाय ; और

(ङ) धारा 345 और धारा 346 के अधीन प्रतिबंधित वाणिज्यिक क्रियाकलापों से भिन्न किसी भी वाणिज्यिक क्रियाकलाप ऐसे कर वर्ष में ऐसे रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन द्वारा किए गए हैं, और ऐसे रीति में गणना की जाती है, जो

विहित की जाए ।

336. धारा 353 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी भी कर वर्ष के लिए रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन की कर योग्य नियमित आय निम्नानुसार होगी—

कर योग्य
नियमित आय ।

(क) शून्य, जहां ऐसे कर वर्ष में इस भाग के उपबंधों के अनुसार नियमित आय का 85% या अधिक धारा 341 के उपबंधों के अनुसार या धारा 342 के अधीन पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए इसके उपयोगन द्वारा ऐसे कर वर्ष के लिए उपयोजित या संचयित किया गया है ;

(ख) किसी अन्य मामले में, ऐसे कर वर्ष में इस भाग के उपबंधों के अनुसार धारा 341 के उपबंधों के अनुसार या धारा 342 के उपबंधों के अधीन पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों या उनके संचय के लिए इसके अनुप्रयोग द्वारा घटाई गई ऐसे कर वर्ष के लिए नियमित आय का 85 प्रतिशत ।

337. रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन की विनिर्दिष्ट आय से नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (ख) में विनिर्दिष्ट आय अभिप्रेत होगी, और स्तंभ (ग) में उपबंध किए गए वर्ष में कर योग्य होगी, अर्थात् :—

विनिर्दिष्ट आय ।

सारणी

क्र.सं.	विनिर्दिष्ट आय	कर वर्ष
(1)	(2)	(3)
1.	निम्नलिखित के लिए सृजित या स्थापित कर वर्ष जिसमें ऐसा रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन से भिन्न बेनामी दान प्राप्त किसी रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन द्वारा होता है । प्राप्त कोई भी बेनामी दान,— (i) पूर्णतः धार्मिक प्रयोजनों के लिए, या (ii) पूर्णतः पूर्त और धार्मिक प्रयोजनों के लिए, इस विनिर्दिष्ट निदेश के साथ किए गए बेनामी दान को छोड़कर की ऐसा दान किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी चिकित्सालय अथवा ऐसे रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन द्वारा चलाई जा रही किसी अन्य चिकित्सा संस्था के लिए है । 1,00,000 रुपए तक या या कर वर्ष के दौरान प्राप्त ऐसे कुल दानों का 5% तक बेनामी दान जो भी अधिक हो, को छोड़कर ।	
2.	किसी भी संबंधित व्यक्ति के फायदे के लिए	कर वर्ष जिसमें ऐसा

प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसके द्वारा उपयोजन किया जाता उपयोजित आय का कोई भी भाग, जो उस है ।
रीति में गणना किया जाता है, जो विहित की
जाए ।

3. धारा 338(क) के उपबंधों के उल्लंघन भारत कर वर्ष जिसमें आय के बाहर इसके द्वारा उपयोजित आय का कोई का ऐसा उपयोजन भाग । किया जाता है ।
4. किसी भी आय, संचित आय, समझी गई कर वर्ष जिसमें ऐसा संचित आय, समझी गई, या किसी अन्य विनिधान या जमा निधि से धारा 350 के उपबंधों के उल्लंघन में किया जाता है ।
कोई भी विनिधान या जमा ।
5. कोई भी समझा गया समय निधि दान जिसके कर वर्ष जिसमें ऐसा संबंध में धारा 340 में विनिर्दिष्ट शर्तों में से उल्लंघन किया गया किसी का उल्लंघन किया जाता है । है ।
6. संचित आय का कोई भी भाग, यदि यह पूर्ण कर वर्ष जिसमें यह या धार्मिक प्रयोजनों के अलावा अन्य प्रयोजनों उपयोजित किया जाता के लिए उपयोजित किया जाता है जिसके लिए है ।
इसे संचित या पृथक किया जाता है ।
7. संचित आय का कोई भी भाग, यदि यह कर वर्ष जिसमें यह संचित होना बंद हो जाता है या ऐसे प्रयोजनों इस प्रकार संचित या के लिए उपयोजन के लिए पृथक रखा जाता है पृथक होना बंद हो जैसा कि धारा 342(1) के अधीन यथा जाता है ।
विनिर्दिष्ट है।
8. संचित आय का कोई भाग, यदि इसका कर वर्षों में से अंतिम उपयोग धारा 341 की उपधारा (1) से उपधारा वर्ष जिसके लिए आय (4) के उपबंधों के अनुसार नहीं किया जाता है इस प्रकार संचित या जिसके लिए वह संचित है या उस अवधि के पृथक रखी गई थी भीतर पृथक रखा जाता है जिसके लिए वह ।
संचित किया गया था या धारा 342(1) में विनिर्दिष्ट अनुसार पृथक रखा गया था ।
9. संचित आय का कोई भी भाग, यदि इसे किसी कर वर्ष जिसमें इस अन्य रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन में प्रकार जमा या संदत्त जमा या संदत्त किया जाता है किया जाता है ।
10. पूर्ण या धार्मिक प्रयोजनों से भिन्न अन्य कर वर्ष जिसमें यह प्रयोजनों के लिए उपयोजित कोई भी आय । उपयोजित की जाती है ।
11. ऐसे कारबार उपक्रम के बही खाते में दर्शित कर वर्ष जिससे ऐसी आय के आधिक्य में धारा 344 के अधीन आय संबंधित है ।

निर्धारण अधिकारी द्वारा अवधारित कोई आय।

12. किसी आस्ति का ऋजु बाजार मूल्य, जहां इसे स्तंभ ख में उल्लिखित उस वर्ष के अंत से एक वर्ष की समाप्ति के परिसीमा अवधि के पश्चात् भी अनुसूची 16 के खंड (1) से खंड अवसान का ठीक (30) में विनिर्दिष्ट रूपों या ढंगों में नहीं रखा पश्चातवर्ती कर वर्ष । जाता है, जिसमें ऐसी आस्ति अर्जित की जाती है ।
13. धारा 341(6) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर धारा 341(6) में भारत में इसके उद्देश्यों के लिए रजिस्ट्रीकृत विनिर्दिष्ट कर वर्ष, गैर लाभकारी संगठन द्वारा वास्तविक रूप से जिसके द्वारा ऐसा उपयोजित नहीं किया गया धारा 341(5) के उपयोजन किया जाना अधीन कोई समझा गया उपयोजन । अपेक्षित है ।

338. रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन की नियमित आय की गणना करते समय, निम्नलिखित आय सम्मिलित नहीं की जाएगी, अर्थात् :—

आय को नियमित आय में सम्मिलित नहीं किया जाना ।

(क) भारत के बाहर उपयोजित आय, जहां बोर्ड, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, निदेश देता है कि ऐसी आय को रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन के मामले में अपनी कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, जो—

(i) पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए 1 अप्रैल, 1952 के पहले बनाया गया ; या

(ii) पूर्त प्रयोजनों के लिए 1 अप्रैल, 1952 को या उसके पश्चात् बनाया गया जहां भारत के बाहर आय का ऐसा उपयोजन अंतर्राष्ट्रीय कल्याण को बढ़ावा देता है जिसमें भारत हितबद्ध है ;

(ख) धारा 339 के अधीन रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन द्वारा प्राप्त समग्र निधि दान ।

339. समग्र निधि से दाता द्वारा एक विनिर्दिष्ट निदेश के साथ किया गया कोई भी दान अभिप्रेत कि यह रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन के समग्र निधि का भाग होगा, परंतु ऐसे दान का विनिधान किया जाता है या ऐसी समग्र निधि के लिए विनिर्दिष्ट रूप से बनाए गए धारा 350 के अधीन अनुज्ञात किसी भी ढंग से जमा किया जाता है ।

समग्र निधि दान ।

340. जहां एक रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन की संपत्ति में ऐसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च या अन्य स्थान सम्मिलित हैं, जो धारा 133(1)(ख)(vi) के अधीन ऐसे रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन द्वारा ऐसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च या अन्य स्थान के नवीकरण या मरम्मत के उद्देश्य से दान के रूप में, प्राप्त किसी भी राशि इसके विकल्प पर, धारा 339 के अधीन समग्र निधि का भाग माना जा सकेगा है, यदि यह,—

समझा गया समग्र निधि दान ।

(क) एक अलग पहचान योग्य समग्र निधि रखता है ;

(ख) ऐसी समग्र निधि केवल उस प्रयोजन के लिए उपयोजित करता है जिसके लिए दान किया गया था ;

(ग) धारा 350 के अधीन अनुज्ञात किसी भी ढंग में ऐसी समग्र निधि का विनिधान या जमा करता है; और

(घ) किसी व्यक्ति को दान करने के लिए ऐसी समग्र निधि का उपयोजन नहीं करता है ।

आय का
उपयोजन ।

341. (1) निम्नलिखित राशि को एक रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन को आय के उपयोजन के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) खंड (क) में निर्दिष्ट राशि से भिन्न, भारत में पूर्ण या धार्मिक प्रयोजन के लिए उसके द्वारा उपयोजित कोई राशि जिसके लिए इसे रजिस्ट्रीकृत किया गया है, जहां ऐसी राशि ऐसे कर वर्ष के दौरान संदाय की गई, परंतु धारा 35(ख)(i) और धारा 36(4), धारा (5), धारा (6) और धारा (7) के उपबंध ऐसी राशि के संबंध में लागू होंगे ; और

(ख) दान के माध्यम से संदत्त राशि का 85% किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन को किया गया ।

(2) उपधारा (1) के अधीन आय के उपयोजन में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अर्थात् :—

(क) कर वर्ष के दौरान विनिधान की गई या जमा की गई रकम, जो ऐसी समग्र निधि के लिए विनिर्दिष्ट रूप से बनाए धारा 350 के अधीन बनाए गए ढंगों में अनुज्ञात हैं, यदि-

(i) ऐसा विनिधान या वापस जमा करना कर वर्ष के अंत से पांच वर्ष की अवधि के भीतर है जिसमें आय का ऐसा उपयोजन समग्र निधि समग्र निधि से किया गया था ; और

(ii) समग्र निधि से आय का उपयोजन 31 मार्च, 2021 के पश्चात् किया जाता है और इस भाग के किसी भी उपबंध, या आय-कर अधिनियम, 1961 के किसी भी तत्स्थानी उपबंध का कोई उल्लंघन ऐसे उपयोजन के संबंध में नहीं हुआ था;

1961 का 43

(ख) कर वर्ष के दौरान, किसी भी ऋण या उधार के लिए पुनः संदत्त रकम, जहां—

(i) ऐसा पुनःसंदाय कर वर्ष के अंत से पांच वर्ष की अवधि के भीतर है जिसमें आय का ऐसा उपयोजन ऋण या उधार से किया गया था ; और

(ii) ऋण या उधार से आय का उपयोजन 31 मार्च, 2021 के पश्चात् किया जाता है और इस भाग के किसी भी उपबंध, या आय-कर अधिनियम, 1961 के किसी भी संबंधित उपबंध का ऐसे उपयोजन के संबंध में कोई उल्लंघन नहीं हुआ था ।

(3) निम्नलिखित दावों को उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन आय के

उपयोजन के रूप में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) अवक्षयण के माध्यम से कटौती या मोक या अन्यथा आस्ति अर्जन के संबंध में दावा किया गया है, जिसका दावा इस भाग के अधीन या आय-कर अधिनियम, 1961 के किसी तत्स्थानी उपबंध के अधीन उसी या किसी अन्य कर वर्ष में आय के उपयोजन के रूप में किया गया है ;

(ख) कर वर्ष से पहले किसी भी वर्ष के किसी भी अधिक्य उपयोजन के मुजरा या कटौती या मोक का दावा ; या

(ग) किसी रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन को समग्र दान के रूप में संदत्त कोई राशि ।

(4) उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन आय के उपयोजन में समग्र निधि, ऋण या उधार, संचित आय, विनिर्दिष्ट आय या समझी गई संचित आय से उपयोजन ।

(5) जहां किसी कर वर्ष में उपधारा (1) से उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार किसी रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन द्वारा भारत में पूर्ण या धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोजित नियमित आय, नियमित आय के पच्चासी प्रतिशत से कम है तो रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन के विकल्प पर कमी या उसके किसी भाग को समझा गया उपयोजन माना जा सकेगा ।

(6) उपधारा (5) के अधीन कोई समझा गया उपयोजन भारत में रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन द्वारा इसके उद्देश्यों के लिए निम्नानुसार उपयोजित किया जाएगा,—

(क) उस कर वर्ष के दौरान, जिसमें आय प्राप्त की जाती है या ऐसे कर वर्ष के ठीक पश्चातवर्ती कर वर्ष में, जहां ऐसी कमी इस कारण से है कि उस कर वर्ष के दौरान संपूर्ण आय या उसका कोई भाग प्राप्त नहीं किया गया है ;

(ख) उस कर वर्ष के ठीक पश्चातवर्ती कर वर्ष में, जिसमें आय व्युत्पन्न हुई, जहां ऐसी कमी किसी अन्य कारण से है ।

(7) उपधारा (5) के अधीन विकल्प ऐसे कर वर्ष के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करने हेतु यथा विहित ऐसे प्ररूप और रीति में धारा 263(1) में विनिर्दिष्ट शोध्य तारीख को या उसके पूर्व प्रयोग किया जाएगा ।

(8) उपधारा (1) के अधीन आय के उपयोजन के अंतर्गत उपधारा (5) के अधीन समझा गया उपयोजन भी होगा ।

(9) पूंजी लाभों से निम्नलिखित आय, आय का उपयोजन समझी जाएगी,—

(क) पूंजी आस्ति के अंतरण से पूंजी लाभ, जो पूर्णतः पूर्ण या धार्मिक प्रयोजनों के लिए न्यास के अधीन धारित संपत्ति है, जहां कुल प्रतिफल का संपूर्ण या कोई भाग इस प्रकार धारित अन्य पूंजी आस्ति के अर्जन के लिए उपयोग किया जाता है,—

(i) यदि कुल प्रतिफल का संपूर्ण नई पूंजी आस्ति का अर्जन करने में उपयोग किया जाता है, तो ऐसे पूंजी लाभ का संपूर्ण ;

(ii) यदि नई पूंजी आस्ति के अर्जन हेतु कुल प्रतिफल का एक भाग

उपयोग किया जाता है तो ऐसे पूंजी लाभ का उतना भाग, जो उस रकम के बराबर है, यदि कोई हो, जिसके द्वारा इस प्रकार उपयोजित रकम अंतरित आस्ति की लागत से अधिक हो जाती है ;

(ख) किसी पूंजी आस्ति के अंतरण से उत्पन्न पूंजी लाभ का समुचित अंश, जो पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए अंशतः न्यास के अधीन धारित संपत्ति है, जहां कुल प्रतिफल का संपूर्ण या कोई भाग इस प्रकार धारित अन्य पूंजी आस्ति का अर्जन करने के लिए उपयोग किया जाता है,—

(i) यदि अर्जित नई पूंजी आस्ति के अर्जन की लागत अंतरित पूंजी आस्ति के संबंध में कुल प्रतिफल से कम नहीं है तो ऐसे पूंजी लाभ के समुचित अंश का पूर्ण ;

(ii) किसी अन्य मामले में पूंजी आस्ति के समुचित अंश का उतना भाग, जो उस रकम के बराबर है, यदि कोई हो, जिसके द्वारा नई आस्ति के अर्जन के लिए उपयोजित रकम का समुचित अंश अंतरित आस्ति की लागत के समुचित अंश से अधिक हो जाता है ।

(10) उपधारा (9) के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “समुचित अंश” से वह अंश अभिप्रेत है, जो उस विस्तार का प्रतिनिधित्व करता है, जिस तक अंतरित पूंजी आस्ति से व्युत्पन्न अंतरित आय पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों को लागू ऐसे अंतरण के ठीक पूर्व थी ;

(ख) “अंतरित आस्ति की लागत” से पूंजी आस्ति के अर्जन की सकल लागत अभिप्रेत है (जैसी कि धारा 72 और धारा 73 के प्रयोजनों के लिए सुनिश्चित की गई है), जो अंतरण का विषय है और उसमें किसी सुधार की लागत धारा 90(1)(ख) में दी गई अभिव्यक्ति के अर्थ के भीतर है ;

(ग) “कुल प्रतिफल” से ऐसे अंतरण के संबंध में पूर्णतः या अनन्य रूप से उपगत किसी व्यय द्वारा हटाए गए पूंजी आस्ति के अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या उद्भूत प्रतिफल का कुल मूल्य अभिप्रेत है ।

समझी गई संचित
आय ।

342. (1) एक रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन किसी भी कर वर्ष के दौरान अपनी नियमित आय के किसी भी भाग को ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित किया जाए, निर्धारण अधिकारी को एक कथन प्रस्तुत करके पृथक कर ऐसे कर वर्ष के लिए आय की विवरणी में पांच वर्ष से अनधिक की अवधि जिसके लिए आय संचित या पृथक की जा रही है, प्रयोजन और अवधि कथन करते हुए उसे प्रस्तुत करके धारा 263(1) में विनिर्दिष्ट शोध्य तारीख को या उसके पूर्व संचित या पृथक कर सकेगा ।

(2) किसी रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन द्वारा अपनी संचित या पृथक आय में से किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन में जमा या संदत्त रकम को आय का अनुप्रयोग नहीं माना जाएगा ।

(3) वह अवधि जिसके दौरान आय उस प्रयोजन के लिए उपयोजन नहीं की जाती है जिसके लिए वह किसी न्यायालय आदेश या के व्यादेश के अनुसार संचित या पृथक रखी जाती है, पांच वर्ष की उक्त अवधि से अपवर्जित की जाएगी ।

(4) उपधारा (1) के अधीन संचित या पृथक् रखी गई आय धारा 350 के अधीन अनुज्ञात किसी भी ढंग में विनिधान या जमा की जाएगी, या उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट विहित प्ररूप में कथन किए गए प्रयोजनों के लिए उपयोजित की जाएगी।

(5) रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन, उस प्रयोजन के परिवर्तन के लिए जिसके लिए आय संचित या पृथक् रखी गई है, निर्धारण अधिकारी को ऐसे प्रारूप और रीति में, जो विहित किया जाए, एक उपयोजन कर सकेगा, जो विहित किया जाए।

(6) निर्धारण अधिकारी, उपधारा (5) के अधीन एक उपयोजन पर और उपधारा (2) के अधीन रहते हुए, रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन को भारत में ऐसे अन्य पूर्ण या धार्मिक प्रयोजनों के लिए अपनी उपयोजित करने की अनुज्ञा दे सकेगा, जो इसके प्रयोजनों के अनुरूप हैं।

(7) जहां एक रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन का विघटन कर दिया जाता है, निर्धारण अधिकारी, ऐसे रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन द्वारा ऐसे प्ररूप और रीति में किए गए उपयोजन पर, जैसा कि विहित किया जाए, ऐसी आय के उपयोजन को किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन को उस वर्ष के लिए संदाय करने की अनुज्ञा दे सकेगा है जिसमें उसका विघटन कर दिया गया है।

343. (1) धारा 341 के उपबंधों के अनुसार नियमित आय, जो कि धारा 342 के अधीन आय और संचित आय या पृथक् रखी गई नियमित आय के 15% तक से कम हो जाती है समझी गई संचित आय मानी जाएगी तथा जहां ऐसी समझी गई संचित आय विनिधान या जमा की जाती है, वह धारा 350 के अधीन अनुज्ञात किसी भी ढंग में विनिधान या जमा की जाएगी।

समझी गई संचित आय।

(2) इस धारा के अधीन समझी गई संचित आय को धारा 342 के प्रयोजनों के लिए संचित आय नहीं माना जाएगा।

3. रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन द्वारा वाणिज्यिक क्रियाकलाप

344. जहां एक रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन द्वारा धारित संपत्ति में एक कारबार उपक्रम सम्मिलित है, और जहां दावा किया जाता है कि ऐसे के किसी भी उपक्रम की आय इस भाग के अधीन फायदों के लिए पात्र है, तो निर्धारण अधिकारी को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसे निर्धारण उपक्रम की आय का निर्धारण करने की शक्ति होगी।

संपत्ति के रूप में धारित कारबार उपक्रम।

345. (धारा 346 में उल्लिखित रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन से भिन्न) कोई रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन किसी भी वाणिज्यिक क्रियाकलाप को तब तक नहीं करेगा जब तक कि—

रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन द्वारा वाणिज्यिक क्रियाकलापों पर निर्वहन।

(क) ऐसा वाणिज्यिक क्रियाकलाप रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आकस्मिक है ; और

(ख) ऐसे क्रियाकलापों के लिए लेखा बहियां पृथक् रखी जाती हैं।

346. साधारण सार्वजनिक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य का संवर्धन करने वाला कोई रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन तब तक कोई वाणिज्यिक क्रियाकलाप नहीं करेगा जब तक कि—

साधारण सार्वजनिक उपयोगिता के किसी अन्य

उद्देश्य के
संवर्धन के
कार्यान्वयन के
लिए रजिस्ट्रीकृत
द्वारा
व्यावसायिक
क्रियाकलापों पर
निर्वहण ।

(क) ऐसा वाणिज्यिक क्रियाकलाप साधारण सार्वजनिक उपयोगिता के किसी भी उद्देश्य के संवर्धन उन्नति के वास्तविक कार्यान्वयन के दौरान किया जाता है ;

(ख) ऐसा वाणिज्यिक क्रियाकलाप या क्रियाकलापों से कुल प्राप्तियां सुसंगत कर वर्ष के ऐसे रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन की कुल प्राप्तियों के 20% से अधिक नहीं हैं ; और

(ग) ऐसे रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन द्वारा ऐसे क्रियाकलापों के लिए पृथक से लेखा बहियां रखी जाती हैं ।

4. अनुपालन

लेखा बहियां ।

347. जहां रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन की कुल आय इस भाग के उपबंधों को प्रभावी किए बिना उस अधिकतम रकम से अधिक है जो किसी भी कर वर्ष में आय-कर से प्रभार्य नहीं है, ऐसे रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन को ऐसे प्ररूप और रीति में से और ऐसे स्थान पर जो विहित किया जाए लेखा बहियां प्ररूप और अन्य दस्तावेजों को रखने और बनाए रखने की अपेक्षा होगी ।

लेखा-परीक्षा ।

348. जहां एक रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन की कुल आय इस भाग के उपबंधों को प्रभावी किए बिना उस अधिकतम रकम से अधिक है जो किसी भी कर वर्ष में आय-कर के लिए प्रभार्य नहीं उस अधिकतम रकम से अधिक है उस कर वर्ष के लिए ऐसे रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन के खातों की लेखापरीक्षा एक लेखाकार द्वारा की जाएगी और आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति को विहित प्ररूप में ऐसी तारीख तक ऐसी आय की लेखा परीक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा होगी, जो ऐसे लेखाकार द्वारा सम्यक हस्ताक्षरित और सत्यापित और ऐसी विशिष्टियां रखे की, जो विहित की जाएं ।

आय की
विवरणी ।

349. जहां एक रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन की कुल आय इस भाग के उपबंधों को प्रभावी किए बिना उस अधिकतम रकम से अधिक है जो किसी भी कर वर्ष में आय-कर के लिए प्रभार्य नहीं उस अधिकतम रकम से अधिक है, वह धारा 263(1)(क)(iii) और धारा 263(2) के उपबंधों के अनुसार धारा 263(1)(ग) के अधीन अनुज्ञात समय-सीमा के भीतर उस कर वर्ष के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करेगा ।

विनिधान के
अनुज्ञात ढंग ।

350. (1) इस अध्याय के अधीन धन के विनिधान या जमा करने के ढंग वे होंगे जो अनुसूची 16 में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(2) इस भाग के अधीन धन के विनिधान या जमा करने की पद्धतियाँ, अनुसूची 16 में विनिर्दिष्ट ढंगों से भिन्न, केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएंगी ।

5. उल्लंघन

विनिर्दिष्ट
उल्लंघन ।

351. (1) निम्नलिखित एक रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन द्वारा विनिर्दिष्ट उल्लंघन का गठन करेगा, अर्थात् :—

(क) जहां रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन की कोई आय इसके उद्देश्यों से भिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोजित की गई है; या

(ख) यह धारा 345 या धारा 346 के उपबंधों के उल्लंघन में कोई वाणिज्यिक क्रियाकलाप करता है ; या

(ग) जहां उसने अपनी कुल आय का कोई भाग निजी धार्मिक प्रयोजनों के

लिए उपयोजित किया है, जो जनता का फायदा सुनिश्चित नहीं करता है ; या

(घ) जहां पूर्ण प्रयोजन के लिए इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् सृजित या स्थापित किसी रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन ने अपनी आय के किसी भाग का उपयोग अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों या स्त्रियों और बालकों से भिन्न किसी विशिष्ट धार्मिक समुदाय या जाति के फायदे के लिए किया है ; या

(ङ) जहां रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन द्वारा की जा रहा कोई भी क्रियाकलाप वास्तविक नहीं है या उन सभी या किसी भी शर्त के अनुसार नहीं किया जा रहा है जिनके अधीन इसे रजिस्ट्रीकृत किया गया था ; या

(च) रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन ने धारा 332(7)(क) के अधीन यथानिर्दिष्ट किसी अन्य विधि की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया है और आदेश, निदेश या डिक्री, यह मानते हुए कि इस तरह का गैर-अनुपालन हुआ है, या तो विवादित नहीं है, या अंतिम रूप प्राप्त कर लिया है ; या

(छ) धारा 332 (1) में विनिर्दिष्ट उपयोजन में कोई मिथ्या या गलत जानकारी है ।

(2) जहां,—

(क) किसी भी कर वर्ष के दौरान प्रधान आयुक्त या आयुक्त ने एक या अधिक विनिर्दिष्ट उल्लंघनों की घटना पर ध्यान दिया है ;

(ख) प्रधान आयुक्त या आयुक्त को किसी भी कर वर्ष के लिए धारा 270(13) के अधीन निर्धारण अधिकारी से एक निर्देश प्राप्त हुआ है ; या

(ग) किसी भी कर वर्ष के लिए बोर्ड द्वारा विरचित की गई जोखिम प्रबंधन रणनीति के अनुसार एक रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन का चयन किया गया है,

तो प्रधान आयुक्त या आयुक्त—

(i) रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन से ऐसे दस्तावेज या जानकारी मांगेगा या ऐसी जांच करेगा जो वह किसी विनिर्दिष्ट उल्लंघन की घटना के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिए आवश्यक समझे ;

(ii) लिखित में आदेश पारित करके,—

(अ) सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात्, या तो ऐसे रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन के रजिस्ट्रीकरण को ऐसे कर वर्ष और पश्चात् के सभी कर वर्ष के लिए रद्द करेगा, यदि वह संतुष्ट है कि एक या अधिक विनिर्दिष्ट उल्लंघन हुए हैं ; या

(आ) ऐसे के रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन के रजिस्ट्रीकरण को रद्द नहीं करेगा, यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा कोई उल्लंघन नहीं हुआ है ; और

(iii) खंड (ii) के अधीन पारित आदेश की एक प्रति निर्धारण अधिकारी और ऐसे रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन को अग्रेषित करेगा ।

(3) उपधारा (2) (ii) के अधीन आदेश, उक्त धारा के खंड (i) के अधीन किसी

दस्तावेज या जानाकारी को मांगने या कोई जांच करने वाले प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा जारी की गई पहली सूचना वाली तिमाही से गणना करके छह मास की समाप्ति पूर्व पारित किया जाएगा ।

अनुवृद्धि आय
पर कर ।

352. (1) प्रत्येक विनिर्दिष्ट व्यक्ति, अपनी कुल आय के संबंध में प्रभार्य आय-कर के अतिरिक्त, उपधारा (4) में सारणी के स्तंभ (ख)(i) और (ii) में विनिर्दिष्ट मामलों में से किसी में अधिकतम सीमांत दर पर अनुवृद्धित आय पर अतिरिक्त आय-कर का संदाय करने के लिए दायी होगा ।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अर्जित आय की गणना निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करके की जाएगी, अर्थात् :—

$$क = ख-ग$$

जहां—

$$क = अनुवृद्धित आय$$

ख = विनिर्दिष्ट व्यक्ति की कुल आस्तियों का कुल उचित बाजार मूल्य, विनिर्दिष्ट तारीख के अनुसार, उपधारा (4) में सारणी के स्तंभ (ग) में, मूल्यांकन की ऐसी पद्धति के अनुसार गणना की जाती है, जैसा विहित किया जाए ;

ग = ऐसे विनिर्दिष्ट व्यक्ति का कुल दायित्व, उक्त सारणी के स्तंभ (ग) में विनिर्दिष्ट तारीख के अनुसार, मूल्यांकन की ऐसी पद्धति के अनुसार गणना की जाती है, जैसा विहित किया जाए ।

(3) उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार गणना की गई अनुवृद्धित आय को अनुवृद्धित आय की ऐसी रकम से कम किया जाएगा जैसा कि विनिर्दिष्ट आस्तियों और दायित्वों, यदि कोई हो ऐसी आस्तियों से संबंधित आय से माना जा सकता है ।

(4) विनिर्दिष्ट व्यक्ति और ऐसे विनिर्दिष्ट व्यक्ति का प्रधान अधिकारी या न्यासी नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (घ) में विनिर्दिष्ट नियत तारीख से चौदह दिनों के भीतर, अनुवृद्धित आय पर कर का संदाय केन्द्रीय सरकार के खाते में करने के लिए दायी होगा ।

सारणी

क्र.सं	मामला	विनिर्दिष्ट तारीख	अनुवृद्धित आय पर कर के संदाय की नियत तारीख
(क)	(ख)	(ग)	(घ)
(i)	(ii)		
1.	किसी भी विनिर्दिष्ट के अधीन व्यक्ति को दिया गया रजिस्ट्रीकरण रद्द करने के विरुद्ध अपील की है	रजिस्ट्रीकरण रद्द करने के आदेश की तारीख	किसी भी अपील में आदेश की प्राप्ति की तारीख, विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा

	या वापस ले लिया गया है	रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की पुष्टि करते हुए ।
2.	किसी भी विनिर्दिष्ट व्यक्ति ने विनिर्दिष्ट उपबंध रद्द करने के ऐसे रद्द करने के के अधीन आदेश के विरुद्ध आदेश की तारीख विनिर्दिष्ट व्यक्ति अपील नहीं की है को दिया गया रजिस्ट्रीकरण रद्द या वापस ले लिया गया है	वह तारीख जिसको रजिस्ट्रीकरण रद्द करने के आदेश के विरुद्ध धारा 362 के अधीन अपील फाइल करने की अवधि समाप्त हो रही है
3.	(क) विनिर्दिष्ट व्यक्ति ने किसी उद्देश्य व्यक्ति ने किसी ऐसे कर वर्ष में को अंगीकार अंत । भी कर वर्ष के किसी भी विनिर्दिष्ट करने या उसमें दौरान अपने उपबंध के अधीन उपांतरण करने उद्देश्यों को नए रजिस्ट्रीकरण के की तारीख अंगीकार किया है लिए उपयोजन नहीं या अपांतरित किया है किया है ; और (ख) ऐसे उपांतरित उद्देश्य रजिस्ट्रीकरण की शर्तों के अनुरूप नहीं हैं	ऐसे कर वर्ष का अंत ।
4.	(क) विनिर्दिष्ट व्यक्ति ने किसी उद्देश्य व्यक्ति ने किसी ऐसे कर वर्ष में को अंगीकार किसी भी अपील भी कर वर्ष के किसी भी विनिर्दिष्ट करने या उसमें में आदेश की दौरान अपने उपबंध के अधीन उपांतरण करने तारीख, उद्देश्यों को नए रजिस्ट्रीकरण के की तारीख विनिर्दिष्ट अंगीकार किया है लिए उपयोजन व्यक्ति द्वारा या उपांतरण किया किया है और जहां रजिस्ट्रीकरण है ; और ऐसे के उपयोजन रद्द करने की (ख) ऐसे संशोधित को अस्वीकार कर पुष्टि करना । उद्देश्य दिया गया है और रजिस्ट्रीकरण की अस्वीकृति के ऐसे	किसी भी अपील में आदेश की प्राप्ति की तारीख, विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की पुष्टि करना ।

शर्तों के अनुरूप आदेश के विरुद्ध नहीं हैं कोई अपील की गई है

5. (क) विनिर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्ति ने किसी उद्देश्यों वह तारीख जिस व्यक्ति ने किसी उक्त कर वर्ष में को अंगीकार को पर भी कर वर्ष के किसी भी विनिर्दिष्ट करने या उसमें रजिस्ट्रीकरण दौरान अपने उपबंध के अधीन उपांतरण करने रद्द करने के उद्देश्यों को नए रजिस्ट्रीकरण के की तारीख आदेश के अंगीकार किया है लिए उपयोजन विरुद्ध धारा या उपांतरित किया किया है और जहां 362 के अधीन है ; और ऐसा आवेदन को अपील फाइल करने की अवधि (ख) ऐसे अस्वीकार कर दिया समाप्त हो जाती संशोधित उद्देश्य गया है और रजिस्ट्रीकरण की अस्वीकृति के ऐसे शर्तों के अनुरूप आदेश के विरुद्ध नहीं हैं कोई अपील नहीं की गई है
6. विनिर्दिष्ट व्यक्ति यथास्थिति संबंधित रजिस्ट्रीकरण के ऐसे कर वर्ष का निम्नलिखित खंड या उप-खंड या लिए उपयोजन अंत । उपबंधों के अनुसार सारणी में विनिर्दिष्ट करने की अंतिम उपयोग करने में अवधि के भीतर, जो तारीख विफल रहता है- उस कर वर्ष में (क) आय-कर समाप्त हो जाता है अधिनियम, 1961 जिसमें उक्त की धारा 10 उपयोजन किया (23ग) के पहले जाना है परंतुक के उपखंड (i) या (ii) या (iii) ; या (ख) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 12 (1) (कग) के उपखंड (i) या (ii) या (iii); या (ग) जैसा कि धारा 332 (3) (सारणी 3, 4, 5, या 7), में विनिर्दिष्ट

- किया गया है ।
7. जहां एक ऐसे संपरिवर्तन ऐसे कर वर्ष का
विनिर्दिष्ट व्यक्ति की तारीख अंत ।
स्वयं को एक ऐसे
रूप में संपरिवर्तित
करता है जो किसी
भी कर वर्ष के
दौरान
रजिस्ट्रीकरण के
अनुदान के लिए
पात्र नहीं है
8. विनिर्दिष्ट व्यक्ति आमेलन की आमेलन की
ने समान या वैसे तारीख तारीख ।
ही उद्देश्यों वाले
रजिस्ट्रीकृत गैर
लाभकारी संगठन
से भिन्न किसी
अन्य संस्था के
साथ आमेलन कर
दिया है और उक्त
आमेलन, जो
विहित किया जाए,
ऐसी शर्तों को पूरा
नहीं करता है
9. विनिर्दिष्ट व्यक्ति विघटन की वह तारीख जिस
विघटन पर अपनी तारीख पर बारह मास
सभी आस्तियों को की अवधि
किसी अन्य समाप्त हो जाती
रजिस्ट्रीकृत गैर है ।
लाभकारी संगठन
को उस मास के
अंत से बारह मास
की अवधि के
भीतर अंतरित
करने में विफल
रहा, जिसमें
विघटन होता है

(5) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन संदाय किए गए कर की रकम के संबंध में विनिर्दिष्ट व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति को इस धारा के अधीन

विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा अनुवृद्धित आय पर कर का संदाय उक्त आय के संबंध में कर के अंतिम संदाय के रूप में समझा जाएगा और इसके लिए कोई और प्रत्यय का दावा नहीं किया जाएगा, या किसी भी कटौती की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(6) जहां विनिर्दिष्ट व्यक्ति, या ऐसे विनिर्दिष्ट व्यक्ति का प्रधान अधिकारी या न्यासी, उपधारा (4) के अधीन अनुमत समय के भीतर अनुवृद्धित आय पर कर के पूरे या किसी भी भाग का संदाय करने में विफल रहता है, ऐसा विनिर्दिष्ट व्यक्ति, प्रधान अधिकारी या न्यासी साधारण ब्याज का संदाय करने के लिए दायी होंगे, जिसकी निम्नलिखित सूत्र के अनुसार गणना की जाएगी, अर्थात् :-

$$\text{आई} = (\text{टी} * \text{पी}) \text{ का } 1\%$$

जहां—

आई = ब्याज ;

टी = अनुवृद्धित आय पर कर ; और

पी= अंतिम तारीख के तुरंत पश्चात् की तारीख से आरंभ होने वाले महीनों की संख्या, जिस पर ऐसा कर देय था और उस तारीख के साथ समाप्त होता है जिसको कर का वास्तव में संदाय किया जाता है, जिसमें उसका भाग भी सम्मिलित है।

(7) इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे विनिर्दिष्ट व्यक्ति, प्रधान अधिकारी या न्यासी द्वारा देय कर की रकम के संबंध में आय-कर के संग्रह और वसूली के लिए उपयोजित होंगे और निम्नलिखित व्यक्तियों को व्यतिक्रमी में निर्धारित माना जाएगा, अर्थात् :—

(क) विनिर्दिष्ट व्यक्ति और प्रधान अधिकारी या ऐसे विनिर्दिष्ट व्यक्ति के न्यासी ;

(ख) वह व्यक्ति जिसे उपधारा (2) के अधीन अनुवृद्धित आय की गणना का हिस्सा बनाने वाली कोई आस्ति अंतरित की गई है, जहां उपधारा (4) (सारणी 9) में विनिर्दिष्ट मामलों के अधीन अनुवृद्धित आय पर कर देय है।

(8) उपधारा (7) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उक्त उपधारा के खंड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्ति का दायित्व उस सीमा तक सीमित होगा जिस तक उसके द्वारा प्राप्त आस्ति दायित्व को पूरा करने में सक्षम है।

अन्य उल्लंघन।

353. (1) जहां कोई रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन—

(क) धारा 347 के अधीन लेखा बहियों को बनाए रखने में विफल रहता है ; या

(ख) धारा 348 के अधीन लेखा बहियों की लेखापरीक्षा करवाने में असफल रहता है ; या

(ग) धारा 349 के अधीन आय की अपनी विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहता है ; या

(घ) साधारण सार्वजनिक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य का संवर्धन करने में धारा 346 के उपबंधों के उल्लंघन में कोई वाणिज्यिक गतिविधि करता

है,

किसी भी कर वर्ष के दौरान, ऐसे कर वर्ष के लिए इसकी नियमित आय जो उपधारा (3) में निर्दिष्ट व्यय से कम हो गई है, कराधेय नियमित आय होगी, जो धारा 334 के उपबंधों के अनुसार कर से प्रभार्य होगी ।

(2) धारा 338 के उपबंधों पर ध्यान न देते हुए रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन कोई विनिर्दिष्ट आय और अवशिष्ट आय, जो उपधारा (1) में सम्मिलित नहीं है, भी धारा 334 के उपबंधों के अधीन कर के लिए प्रभार्य होगी ।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यय निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन रहत हुए, गैर लाभकारी संगठन के उद्देश्यों के लिए भारत में उपगत (पूँजी व्यय से भिन्न) व्यय होगा, अर्थात् :—

(क) ऐसा व्यय भारत में उपगत किया जाएगा ;

(ख) ऐसा व्यय रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन के उद्देश्यों के लिए होगा ;

(ग) उस कर वर्ष, जिसके लिए आय की संगणना की जा रही है, के ठीक पूर्व के कर वर्ष के अंत में यथाविद्यमान ऐसे व्यय को रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन के प्रत्यय के लिए समग्र निधि से नहीं किया जाता है ;

(घ) ऐसा व्यय किसी ऋण या उधार में से नहीं है ;

(ङ) अवक्षयण का दावा एक आस्ति के संबंध में नहीं है, जिसके अधिग्रहण का दावा उसी या किसी अन्य कर वर्ष में आय के उपयोजन के रूप में किया गया है ;

(च) ऐसा व्यय किसी व्यक्ति को किसी अभिदाय या दान के रूप में नहीं है ;

(छ) ऐसा व्यय धारा 36(4), (5), (6) और (7) के उपबंधों के उल्लंघन में किसी व्यक्ति को किए गए संदाय या कुल संदाय के कारण नहीं है ; और

(ज) इसके संदाय पर धारा 35(ख)(i) के अधीन स्रोत पर कर की कटौती की गई है ।

(4) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, उपधारा (3) में निर्दिष्ट से भिन्न किसी उपयोजन या व्यय के मुजरा या कटौती या मोक की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

6. धारा 133(1)(ख)(ii) के अधीन कटौती के प्रयोजन के लिए अनुमोदन

354. (1) एक रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन या अनुसूची 7(सारणी 1) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति धारा 133(1)(ख)(ii) के प्रयोजनों के लिए प्रधान आयुक्त या आयुक्त को ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, अनुमोदन के लिए एक आवेदन कर सकता है, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा, अर्थात् :—

(क) यह किसी विशेष धार्मिक समुदाय या जाति के फायदे के लिए नहीं है ;

(ख) यह भारत में पूर्ण प्रयोजन के लिए स्थापित किया गया है और किसी कर वर्ष के दौरान इसकी कुल आय का 5 प्रतिशत या अधिक रकम का कोई व्यय उपगत नहीं करता है, जो धार्मिक प्रकृति का है ;

(ग) वह लिखत, जिसके अधीन इसका गठन किया जाता है, पूर्ण प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए उसकी संपूर्ण आस्ति या उसका कोई भाग अंतरण के

धारा
133(1)(ख)(ii) के
प्रयोजन के लिए
अनुमोदन हेतु
आवेदन ।

लिए यह या इसे शासित करने वाले नियम उपबंध अंतर्विष्ट नहीं करते हैं ;

(घ) वह अपनी प्राप्तियों और व्यय का नियमित लेखा-जोखा रखता है ;

(ङ) यह ऐसे कथन को ऐसी अवधि के लिए तैयार करता है, जो विहित की जाए, और विहित आय-कर प्राधिकरण या ऐसे प्राधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति को ऐसे रूप में ऐसे कथन को वितरित करता या वितरित करता है और ऐसी रीति में और ऐसी विशिष्टियों को उपवर्णित करता है और ऐसे समय के भीतर सत्यापित किया जाता है, जैसा विहित किया जाए ;

(च) यह उक्त विहित प्राधिकारी को किसी भी गलती के सुधार के लिए एक सुधार कथन देता है या खंड (ड) के अधीन दिए गए कथन में दी गई जानकारी को ऐसे रूप में जोड़ने, हटाने या अद्यतन करने और ऐसी रीति में सत्यापित करने के लिए परिदान करता है, जैसा विहित किया जाए ; और

(छ) यह दाता को एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता है जिसमें दान की प्राप्ति की तारीख से ऐसी अवधि के भीतर दान की राशि विनिर्दिष्ट की गई है, जिसमें ऐसी रीति में अपेक्षित ब्यौरे सम्मिलित हैं, जो विहित किया जाए ।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (ख) में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में उक्त सारणी के स्तम्भ (ग) में उपबंधित समय-सीमा के भीतर किया जाएगा और प्रधान आयुक्त या आयुक्त, ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर, उपधारा (3) और (4) में उपबंधित प्रक्रिया का पालन करेगा, और स्तम्भ (घ) में प्रदान की गई समय-सीमा के भीतर एक आदेश पारित करेगा और अनुमोदन, यदि प्रदान किया जाता है, तो उक्त सारणी के स्तम्भ (ङ) में प्रदान की गई अवधि के लिए विधिमान्य होगा ।

सारणी

(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)
1.	जहां आवेदक के क्रियाकलाप आरंभ नहीं हुए हैं	कर वर्ष के दौरान किसी भी समय जिसमें से अनुमोदन मांगा जाता है	जिस मास में आवेदन किया गया है, उसके वर्ष जिसमें ऐसा अंत से तीन मास	उस कर वर्ष से आरंभ होने वाले तीन कर वर्ष जिसमें ऐसा आवेदन किया गया है ।
2.	जहां आवेदक के क्रियाकलाप आरंभ हो गए हैं	कर वर्ष के दौरान किसी भी समय जिसमें से अनुमोदन मांगा जाता है	उस तिमाही के अंत से छह मास जिसमें आवेदन किया जाता है	कर वर्ष के प्रारंभ से पांच कर वर्ष जिसमें ऐसा आवेदन किया जाता है ।
3.	जहां आवेदक को अनंतिम अनुमोदन प्राप्त है और गतिविधियां शुरू हो गई हैं	क्रियाकलाप आरंभ होने के छह मास के भीतर	उस तिमाही के अंत से छह मास जिसमें आवेदन किया जाता है	उस कर वर्ष के प्रारंभ से पांच कर वर्ष जिसमें ऐसा आवेदन किया गया है ।

4. जहां आवेदक के अनंतिम उस तिमाही के उस कर वर्ष के अनंतिम अनुमोदन की अंत से छह पश्चात् पांच कर वर्ष अनुमोदन की समाप्ति की मास जिसमें जिसमें ऐसा आवेदन अवधि समाप्त तारीख से कम आवेदन किया किया जाता है ।
होने वाली है से कम छह जाता है
और क्रियाकलाप मास पहले
आरंभ नहीं हुए
हैं
5. क्रम संख्यांक 4 उक्त अनुमोदन उस तिमाही के उस कर वर्ष के में उल्लिखित की समाप्ति की अंत से छह पश्चात् पांच कर वर्ष मामलों से तारीख से कम मास जिसमें जिसमें ऐसा आवेदन भिन्न, जहां से कम छह आवेदन किया किया जाता है ।
आवेदक के मास पहले जाता है
अनुमोदन की
अवधि समाप्त
होने वाली है

(3) जहां उपधारा (2) (सारणी 2) के अधीन विनिर्दिष्ट मामलों में से किसी में आवेदन किया गया है, वहां प्रधान आयुक्त या आयुक्त ऐसे दस्तावेज या सूचना मंगाएगा या ऐसी जांच करेगा, जो क्रियाकलापों की वास्तविकता और प्रवृत्त किसी अन्य विधि की ऐसी अपेक्षाओं के अनुपालन के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिए आवश्यक समझे, जो इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए सारवान हैं और,—

(क) यदि क्रियाकलापों के उद्देश्यों और वास्तविकता और किसी अन्य प्रवृत्त विधि की ऐसी अपेक्षाओं के अनुपालन के बारे में उसका समाधान हो जाता है, तो वह इसे अनुमोदन देने के लिए एक आदेश पारित करेगा ; या

(ख) यदि उसका समाधान नहीं होता है, तो सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात्,—

(i) आवेदन को अस्वीकार करते हुए आदेश पारित करेगा, जहां आवेदन उपधारा (2) (सारणी 2) में विनिर्दिष्ट मामलों में से किसी में किया गया था ; और

(ii) किसी अन्य मामले में, आवेदन को अस्वीकार करने और अनुमोदन को भी रद्द करने के लिए लिखित में आदेश पारित करेगा,

आवेदक और निर्धारण अधिकारी को आदेश की एक प्रति भेजेगा ।

(4) जहां उपधारा (2) (सारणी 2) में विनिर्दिष्ट मामलों में से किसी में आवेदन किया गया है वहाँ प्रधान आयुक्त या आयुक्त अनंतिम अनुमोदन प्रदान करेगा ।

7. निर्वचन

355. इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए,—

निर्वचन ।

(क) "अनाम दान" से धारा 2(49)(ग) में निर्दिष्ट कोई स्वैच्छिक अभिदाय अभिप्रेत है जहां ऐसा अभिदाय प्राप्त करने वाला व्यक्ति विहित रीति में ऐसा अभिदाय करने वाले व्यक्ति का नाम और पता तथा अन्य विशिष्टियां, जो विहित की जाए, दर्शाने वाली पहचान का अभिलेख नहीं रखता है ;

(ख) "अनुमोदन" से आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 80छ(5) के दूसरे परंतुक या धारा 354 के अधीन अनुमोदन अभिप्रेत है ;

1961 का 43

(ग) "रद्द करने" में वापसी सम्मिलित है ;

(घ) "दान" से किसी भी व्यक्ति से रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन द्वारा प्राप्त कोई स्वैच्छिक अभिदाय अभिप्रेत है ;

(ङ) "वाणिज्यिक क्रियाकलाप" से व्यापार, वाणिज्य या कारबार की प्रकृति में कोई क्रियाकलाप, या उपकर या शुल्क या किसी अन्य प्रतिफल के लिए, किसी भी व्यापार, वाणिज्य या कारबार के संबंध में किसी भी सेवा को प्रदान करने का कोई क्रियाकलाप, चाहे उपयोग की प्रकृति के बावजूद या आवेदन, या प्रतिधारण, ऐसी गतिविधि से आय का ;

(च) "रजिस्ट्रीकरण" में आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग), धारा 12कख(1) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट तथा धारा 332 के अधीन यथा निर्दिष्ट अनंतिम रजिस्ट्रीकरण, अनंतिम अनुमोदन और अनुमोदन सम्मिलित है किंतु इसके अंतर्गत उक्त अधिनियम की धारा 80छ(5) के दूसरे परंतुक या धारा 354 के अधीन अनुमोदन सम्मिलित नहीं होगा ;

(छ) "रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन" से कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसके पास किसी विनिर्दिष्ट उपबंध के अधीन रजिस्ट्रीकरण है और ऐसा रजिस्ट्रीकरण रद्द नहीं किया गया है ;

(ज) "संबंधित व्यक्ति" से निम्नलिखित व्यक्तियों में से कोई अभिप्रेत है—

(i) रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन के निर्माता या संस्थापक ;

(ii) कोई भी व्यक्ति जिसका रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन में कुल अभिदाय सुसंगत कर वर्ष में कुल अभिदाय, यथास्थिति, एक लाख रुपए से अधिक है या सुसंगत कर वर्ष के अंत तक दस लाख रुपए से अधिक है ;

(iii) जहां ऐसा निर्माता, संस्थापक या व्यक्ति एक हिंदू अविभक्त कुटुंब है, कुटुंब का सदस्य है ;

(iv) रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन के न्यासी या प्रबंधक (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो) ;

(v) उपखंड (i), (iii) या (iv) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति का कोई नातेदार ;

(vi) कोई भी समुत्थान, जिसमें उपखंड (i), उपखंड (iii), उपखंड (iv) या उपखंड (v) में निर्दिष्ट व्यक्तियों में से किसी का सारवान हित है ;

(झ) किसी व्यष्टिक के संबंध में "नातेदार" से—

(i) व्यष्टिक का पति/पत्नी ;

- (ii) व्यष्टिक का भाई या बहन ;
- (iii) व्यष्टिक के पति या पत्नी का भाई या बहन ;
- (iv) व्यष्टिक का कोई वंशागत पूर्वज (मात्र या पितृ) या वंशज ;
- (v) व्यष्टिक के पति या पत्नी के कोई वंशागत पूर्वज (मात्र या पितृ) या वंशज ;

(vi) उपखंड (ii), उपखंड (iii), उपखंड (iv) या उपखंड (v) में निर्दिष्ट व्यक्ति का पति या पत्नी ;

(vii) व्यक्ति या व्यक्ति के पति या पत्नी के भाई या बहन के किसी भी वंशज का कोई भी वंशज ;

(ज) "अवशिष्ट आय" से कुल आय अभिप्रेत है, जो इस भाग के उपबंध को प्रभावी किए बिना नियमित आय और निर्दिष्ट आय से घटाई गई है ;

(ट) "विनिर्दिष्ट आस्ति" से कोई भी आस्ति अभिप्रेत है, जो विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा सीधे अर्जित की गई है-

(i) अनुसूची 2 (सारणी क्रम सं. 1) में निर्दिष्ट प्रकृति की इसकी आय में से ;

(ii) इसके सृजन या स्थापना की तारीख से आरंभ होने वाली उक्त अवधि के दौरान और उस तारीख को समाप्त होने वाली अवधि, जिसमें विनिर्दिष्ट उपबंध के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रभावी हो गया, यदि विनिर्दिष्ट व्यक्ति को उक्त अवधि के दौरान इस अध्याय के अधीन या धारा 11 और 12 या आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (vi) के अधीन कोई फायदा अनुज्ञात नहीं किया गया है, जहां उक्त अधिनियम की धारा 12(क)(2) पहले परंतुक या दूसरे परंतुक या धारा 10(23ग) के आठवें परंतुक के उपबंध लागू नहीं हैं ;

(iii) इसके सृजन या स्थापना की तारीख से आरंभ होने वाली और उस तारीख को समाप्त होने वाली अवधि, जिसमें से विनिर्दिष्ट उपबंध के अधीन पंजीकरण धारा 12(क)(2) के पहले परंतुक या दूसरे परंतुक या धारा 10(23ग) के आठवें परंतुक के उपबंधों के कारण प्रभावी हो गया, जहां आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 12(क)(2) के पहले परंतुक या दूसरे परंतुक या धारा 10(23ग) के आठवें परंतुक के उपबंध लागू होते हैं ;

(iv) जिसे उस मास के अंत से बारह मास की अवधि के भीतर किसी अन्य निर्दिष्ट व्यक्ति को अंतरित किया गया है जिसमें धारा 352(4) (सारणी क्रम सं. 9) में विनिर्दिष्ट मामले के संबंध में विघटन होता है ;

(ठ) "निर्दिष्ट व्यक्ति" से कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है, जो इसके निगमन या सृजन के पश्चात् से किसी भी समय निर्दिष्ट उपबंध के अधीन रजिस्ट्रीकृत है ;

(ड) "विनिर्दिष्ट उपबंध" से आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 12क या धारा 12कक या 12कख या धारा 10(23ग) या धारा 332 अभिप्रेत है ;

1961 का 43

1961 का 43

1961 का 43

(ढ) किसी सरोकार में किसी व्यक्ति के संबंध में "पर्याप्त हित" का अर्थ है—

(i) किसी मामले में, जहां समुत्थान एक कंपनी है, यदि उसके शेयर (लाभांश की एक निश्चित दर के हकदार शेयर नहीं हैं, चाहे फायदे में भाग लेने के लिए एक और अधिकार के साथ या उसके बिना) मतदान शक्ति का 20% से कम नहीं रखते हैं और कर वर्ष के दौरान किसी भी समय, ऐसे व्यक्ति द्वारा या आंशिक रूप से ऐसे व्यक्ति द्वारा और आंशिक रूप से एक या अधिक अन्य संबंधित व्यक्तियों द्वारा लाभकारी रूप से स्वामित्व में है ; या

(ii) किसी अन्य समुत्थान के मामले में, यदि ऐसा व्यक्ति हकदार है, या ऐसा व्यक्ति और एक या अधिक अन्य संबंधित व्यक्ति कर वर्ष के दौरान किसी भी समय कुल मिलाकर ऐसे समुत्थान के फायदों के 20 प्रतिशत से अन्यून के हकदार हैं ;

(ण) "मूल्य" से किसी संबंधित व्यक्ति को निःशुल्क या रियायती दर पर प्रदान किए गए या उपबंधित किए गए किसी फायदे या सुविधा का मूल्य अभिप्रेत है ;

(त) "पूर्णतः पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए" से पूर्णतः पूर्त प्रयोजनों के लिए या पूर्णतः धार्मिक प्रयोजनों के लिए या पूर्णतः पूर्त और धार्मिक प्रयोजनों के लिए अभिप्रेत है ।

अध्याय 18

अपील, पुनरीक्षण और वैकल्पिक विवाद समाधान

क. अपील

1. संयुक्त आयुक्त (अपील) और आयुक्त (अपील) से अपील

संयुक्त आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील योग्य आदेश ।

356. (1) कोई भी निर्धारिती या कोई कटौतीकर्ता या कोई कलेक्टर, निर्धारण अधिकारी (संयुक्त आयुक्त की पंक्ति से नीचे) के निम्नलिखित आदेशों में से किसी से व्यथित है, तो उसके विरुद्ध संयुक्त आयुक्त (अपील) कर सकेगा—

(क) धारा 270(1) या धारा 399(1) के अधीन कोई आदेश एक सूचना है जहां निर्धारिती या कोई कटौतीकर्ता या कोई कलेक्टर उसमें समायोजन करने के लिए आक्षेप करता है ;

(ख) धारा 270(10) या धारा 271 के अधीन एक आदेश जहां निर्धारिती का आकलन की गई आय की राशि, या निर्धारित कर की राशि, या गणना की गई हानि की राशि, या उस स्थिति पर आक्षेप करता है, जिसके अधीन उसका निर्धारण किया गया है ;

(ग) धारा 279 के अधीन निर्धारण, पुनःनिर्धारण या पुनर्गणना का कोई आदेश ;

(घ) धारा 398 के अधीन कोई आदेश ;

(ङ) अध्याय 21 के अधीन शास्ति अधिरोपित करने वाला कोई आदेश ; या

(च) धारा 287 या धारा 288 के अधीन ऊपर खंड (क) से खंड (ड) में उल्लिखित किन्हीं आदेशों या सूचनाओं के लिए कोई आदेश ।

(2) संयुक्त आयुक्त (अपील) के समक्ष कोई अपील फाइल नहीं की जाएगी यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट पारित कोई आदेश उपायुक्त के पंक्ति से ऊपर के आय-कर प्राधिकारी द्वारा या उसके पूर्व अनुमोदन से पारित किया गया है ।

(3) इस संबंध में बोर्ड द्वारा अधिकृत बोर्ड या आय-कर प्राधिकरण निम्नलिखित का अंतरण कर सकेगा,—

(क) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी आदेश के विरुद्ध फाइल की गई कोई अपील, जो आयुक्त (अपील) के समक्ष लंबित है, और ऐसी अपील से उत्पन्न या संसक्त कोई मामला और जो इस प्रकार संयुक्त आयुक्त (अपील) के समक्ष लंबित है ; या

(ख) उपधारा (1) और उपधारा (3)(क) में अंतर्विष्ट किसी बात पर ध्यान न देते हुए कोई अपील जो संयुक्त आयुक्त (अपील) के समक्ष लंबित है और ऐसी अपील से उत्पन्न या संसक्त कोई मामला और आयुक्त (अपील) के पास, जो इस प्रकार लंबित है,

जो ऐसी अपील या मामले के साथ, उस चरण से जिस पर यह स्थानांतरित होने से पहले था, आगे बढ़ सकता है ।

(4) जहां उपधारा (3) के अधीन अपील अंतरित की जाती है वहां अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा ।

(5) इस धारा के अधीन अपील के निपटान के लिए, केन्द्रीय सरकार एक स्कीम अधिसूचित कर सकेगी, जिससे संयुक्त आयुक्त (अपील) और अपीलार्थी के बीच अंतरापृष्ठ को समाप्त करके, तकनीकी रूप से व्यवहार्य सीमा तक, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ समीचीन रीति से अपीलों का निपटान किया जा सके और निदेश दे सकेगी कि ऐसी अपीलों के निपटान की अधिकारिता और प्रक्रिया से संबंधित इस अधिनियम का कोई किसी उपबंध लागू नहीं होगा या अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलन के साथ लागू होगा ।

(6) बोर्ड यह विनिर्दिष्ट कर सकेगा कि इस धारा का कोई उपबंध किसी मामले या मामलों के वर्ग को लागू नहीं होगा ।

(7) इस धारा में और धारा 357 में, "प्रास्थिति" से धारा 2(77) में परिभाषित व्यक्ति की श्रेणी अभिप्रेत है, जिसके अधीन निर्धारिती का निर्धारण किया जाता है ।

357. निम्नलिखित आदेशों में से किसी से व्यथित कोई भी निर्धारिती (चाहे नियत दिन से पहले या पश्चात् में किया गया हो) आयुक्त (अपील) के विरुद्ध अपील कर सकता है—

आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील योग्य आदेश ।

(क) धारा 231(4)(ख) के अधीन संयुक्त आयुक्त द्वारा पारित एक आदेश ; या

(ख) निर्धारिती के विरुद्ध एक आदेश जहां निर्धारिती इस अधिनियम के अधीन निर्धारण किए जाने के लिए अपने दायित्व से इनकार करता है ;

(ग) कोई आदेश, जो धारा 270(1) या धारा 399(1) के अधीन सूचना है,

जहां निर्धारिती या कटौतीकर्ता या कलेक्टर उसमें समायोजन करने के लिए आक्षेप करता है ;

(घ) [विवाद समाधान पैनल के निदेशों के अनुसरण में पारित आदेश या धारा 274(12) में निर्दिष्ट आदेश के सिवाय] धारा 270(10) या धारा 271 के अधीन निर्धारण का कोई भी आदेश, जहां निर्धारिती निर्धारित आय का या अवधारित कर की रकम का या संगणित हानि की रकम का या उस प्रास्थिति का आक्षेप करता है, जिसके अधीन उसका निर्धारण किया जाता है ;

(ङ) [विवाद समाधान पैनल के निदेशों के अनुसरण में पारित आदेश या धारा 274(12) या 283 में निर्दिष्ट आदेश के सिवाय] या धारा 279 के अधीन मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन या पुनर्गणना का एक आदेश ;

(च) धारा 169(3)(क) के अधीन किया गया आदेश ;

(छ) धारा 287 या धारा 288 के अधीन किए गए एक आदेश में निर्धारण को बढ़ाने या प्रतिदाय को कम करने या धारा 274(12) में निर्दिष्ट आदेश के सिवाय उक्त धाराओं में से किसी के अधीन निर्धारिती द्वारा किए गए दावे की अनुज्ञात करने से इनकार करने का आदेश है ;

(ज) धारा 306 के अधीन किया गया आदेश, जो एक अनिवासी के अभिकर्ता के रूप में निर्धारिती को व्यवहार करता है ;

(झ) धारा 313(2) या धारा 313(4) के अधीन किया गया आदेश ;

(ञ) धारा 315 के अधीन किया गया आदेश ;

(ट) धारा 398 के अधीन किया गया आदेश ;

(ठ) धारा 431 के अधीन किया गया आदेश ;

(ड) धारा 434 के अधीन किया गया आदेश ;

(ढ) अध्याय 21 के अधीन किया गया आदेश ;

(ण) धारा 412 के अधीन जुर्माना लगाने का आदेश ;

(त) धारा 294(1)(ग) के अधीन पारित आदेश ;

(थ) धारा 298(2) के अधीन शासी अधिरोपित करने का आदेश ; या

(द) ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग की दशा में इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी निर्धारण अधिकारी द्वारा किया गया आदेश, जैसा कि बोर्ड, मामलों की प्रकृति, अंतर्वलित जटिलताओं और अन्य सुसंगत प्रतिफलों को ध्यान में रखते हुए निदेशित करे ।

अपील का प्ररूप
और परिसीमा ।

358. (1) इस अध्याय के अधीन रहते हुए अपील विहित प्ररूप में होगी और यथाविहित रीति से सत्यापित की जाएगी ।

(2) आयुक्त (अपील) या संयुक्त आयुक्त (अपील) को उपधारा (1) में निर्दिष्ट की गई किसी अपील की दशा में, उसके साथ,—

(क) जहां निर्धारिती की कुल आय जिसकी ऐसे मामले में जिससे अपील संबंधित है, निर्धारण अधिकारी द्वारा संगणना की जाती है, एक लाख रुपए या

उससे कम है वहां दो सौ पचास रुपए की फीस होगी;

(ख) जहां निर्धारिती की कुल आय जिसकी ऐसे मामले में जिससे अपील संबंधित है, पूर्वोक्त रूप में संगणना की जाती है, एक लाख रुपए से अधिक है किन्तु दो लाख रुपए से अधिक नहीं है वहां पांच सौ रुपए की फीस होगी;

(ग) जहां निर्धारिती की कुल आय जिसकी ऐसे मामले में जिससे अपील संबंधित है, पूर्वोक्त रूप में संगणना की जाती है, दो लाख रुपए से अधिक है वहां एक हजार रुपए की फीस होगी;

(घ) जहां किसी अपील की विषयवस्तु खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) के अंतर्गत नहीं आती है वहां दो सौ पचास रुपए ।

(3) अपील निम्नलिखित तारीख के तीस दिन के भीतर प्रस्तुत की जाएगी, अर्थात् :-

(क) जहां अपील किसी निर्धारण या शास्ति के संबंध में है, वहां उस निर्धारण या शास्ति से सम्बद्ध मांग की सूचना की तामील की तारीख

(ख) किसी अन्य दशा में वह तारीख जिसको उस आदेश की प्रज्ञापना होती है जिसके खिलाफ अपील करना ईप्सित है ।

(4) उपधारा (3) (क) के प्रयोजनों के लिए जहां आवेदन धारा 440(1) की उपधारा (1) के अधीन नामंजूर किया गया है वहां उस तारीख से, जिसको आवेदन किया जाता है, से आरंभ होकर, उस तारीख तक जिसको आवेदन नामंजूर किया जाने वाला आदेश निर्धारिती पर तामील किया जाता है, की अवधि अपवर्जित की जाएगी; या

(5) संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील)] उक्त कालावधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास उस कालावधि के भीतर उसे प्रस्तुत न करने के लिए पर्याप्त हेतुक था ।

(6) इस धारा के अधीन कोई अपील तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक कि अपील फाइल करने के समय-

(क) जहां निर्धारिती द्वारा विवरणी फाइल की गई है वहां निर्धारिती ने उसके द्वारा विवरणी में उल्लिखित आय पर शोध कर का संदाय न कर दिया हो; या

(ख) जहां निर्धारिती द्वारा कोई विवरणी फाइल नहीं की गई है वहां निर्धारिती ने उसके द्वारा संदेय अग्रिम कर की रकम के बराबर रकम का संदाय न कर दिया हो :

(7) संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील), उपधारा (6) (ख) के प्रयोजनों के लिए और इस निमित्त आवेदक द्वारा किए गए किसी आवेदन पर अच्छे और पर्याप्त कारण से जो लेखबद्ध किया जाएगा, उस खण्ड के उपबंधों के प्रवर्तन से उसे छूट दे सकता है।

अपील में प्रक्रिया ।

359. (1) संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील) को सुनवाई के लिए दिन और स्थान नियत करेगा और उसकी सूचना अपीलार्थी को और उस आय-कर अधिकारी को देगा जिसके आदेश के खिलाफ अपील की गई है ।

(2) निम्नलिखित को अपील की सुनवाई पर सुने जाने का अधिकार होगा—

(क) अपीलार्थी या तो स्वयं या प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा ;

(ख) निर्धारण अधिकारी या तो स्वयं या प्रतिनिधि द्वारा ।

(3) संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील) को—

(क) अपील की सुनवाई स्थगित करने;

(ख) किसी अपील को निपटाने के पूर्व ऐसी अतिरिक्त जांच कर सकेगा जैसी वह ठीक समझता है या निर्धारण अधिकारी को निदेश दे सकेगा कि वह अतिरिक्त जांच करे ;

(ग) अपीलार्थी को अपील के किसी ऐसे आधार पर जो अपील के आधारों में विनिर्दिष्ट नहीं है, चर्चा करने की अनुज्ञा उस दशा में दे सकेगा जिसमें समाधान हो जाता है, कि अपील के प्ररूप से उस आधार पर लोप जानबूझकर नहीं किया गया था, अयुक्तियुक्त नहीं था ।

(4) उपायुक्त (अपील) या संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील) का अपील निपटाने वाला आदेश लिखित रूप में होगा और उसमें अवधारण के लिए प्रश्न, उन पर किए गए विनिश्चय के कारण कथित होंगे ।

(5) संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील) उस वित्तीय वर्ष जिसमें, यथास्थिति, धारा 356 के अधीन उसके समक्ष ऐसी अपील फाइल की गई थी, की समाप्ति से एक वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी अपील की सुनवाई और उसका विनिश्चय कर सकेगा ।

(6) अपील को निपटाए जाने पर यथास्थिति, संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील) अपने द्वारा पारित आदेश निर्धारिती को और प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त को संसूचित करेगा ।

संयुक्त आयुक्त
(अपील) और
आयुक्त (अपील)
की शक्तियां ।

360. (1) अपील निपटाने में आयुक्त (अपील) संयुक्त आयुक्त (अपील) को निम्नलिखित शक्तियां होंगी—

(क) निर्धारण के आदेश के विरुद्ध अपील में वह निर्धारण की पुष्टि कर सकेगा, उसे घटा सकेगा, बढ़ा सकेगा, या बातिल कर सकेगा

(ख) जहां ऐसी अपील धारा 271 के अधीन किए गए निर्धारण के आदेश के खिलाफ है, आयुक्त (अपील) निर्धारण को अलग कर सकता है और मामले को नए सिरे से निर्धारण करने के लिए निर्धारण अधिकारी को वापस भेज सकता है;

(ग) निर्धारण आदेश के विरुद्ध किसी अपील में, जिसकी बाबत समझौता आयोग के समक्ष आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 245जक के अधीन कार्यवाही का उपशमन किया जाता है, वह पूर्व में निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत की गई सभी सामग्री और अन्य सूचना या समझौता आयोग द्वारा उसके समक्ष कार्यवाही के प्रक्रम में की गई जांच के परिणामों या अभिलिखित किए गए साक्ष्य और ऐसी अन्य सामग्री पर विचार करने के पश्चात्, जो उसके अभिलेख में लाई जाए, निर्धारण की पुष्टि कर सकेगा, उसे घटा बढ़ा या रद्द कर सकेगा;

(घ) ऐसी अपील में जो शास्ति अधिरोपित करने वाले आदेश के विरुद्ध है, वह ऐसे आदेश की पुष्टि या उसको रद्द कर सकेगा अथवा शास्ति को बढ़ाने या

घटाने के लिए उसमें फेरफार कर सकेगा,

(ड) किसी अन्य मामले में वह अपील में ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जैसे वह ठीक समझता है।

(2) संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील) निर्धारण या शास्ति को तब तक नहीं बढ़ाएगा या प्रतिदाय की रकम को तब तक कम नहीं करेगा जब तक अपीलार्थी को ऐसी वृद्धि या कमी के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर न मिल गया हो।

(3) संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील), ऐसे किसी विषय पर जो ऐसी कार्यवाहियों से उद्भूत हुआ है जिसमें वह आदेश जिसके खिलाफ अपील की गई है पारित किया गया था, उस बात के होते हुए भी कि ऐसा विषय अपीलार्थी द्वारा नहीं उठाया गया था विचार और विनिश्चय कर सकेगा।

2 अपील अधिकरण को अपीलें

361. (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम द्वारा अपील अधिकरण को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करने के लिए इतने न्यायिक सदस्यों और लेखा सदस्यों का, जितने वह ठीक समझती है एक अपील अधिकरण गठित करेगी।

अपील अधिकरण।

(2) इस अधिनियम में किसी बात पर विचार किए बिना, अपील अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की योग्यताएं, नियुक्ति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, हटाव तथा सेवा की अन्य शर्तें और निबंधन, जो कि,—

2021 का 33

(क) अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के प्रारंभ होने के पश्चात उक्त अधिनियम के अध्याय 2 के उपबंधों द्वारा शासित होंगे;

2017 का 7

(ख) वित्त अधिनियम, 2017 के अध्याय 6 के भाग 14 के प्रारंभ होने से पूर्व अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगे मानो कि वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 184 के उपबंध प्रवृत्त ही नहीं हुए हों।

(3) केन्द्रीय सरकार—

(क) ऐसे किसी व्यक्ति को, जो किसी उच्च न्यायालय का आसीन या सेवानिवृत्त न्यायाधीश है और जिसने किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कम से कम सात वर्ष की सेवा पूरी की है; या

(ख) अपीलीय अधिकरण के उपाध्यक्षों में से एक,

उसका अध्यक्ष होगा।

(4) केन्द्रीय सरकार, अपील अधिकरण के एक या अधिक सदस्यों को, उसका उपाध्यक्ष या उसके उपाध्यक्षों के रूप में नियुक्त कर सकेगी।

(5) उपाध्यक्ष अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो उसे अध्यक्ष द्वारा साधारण या विशेष लिखित आदेशों द्वारा प्रत्यायोजित किए जाएं।

अपील अधिकरण
को अपीलें।

362. (1) कोई निर्धारिती जो निम्नलिखित आदेशों में से किसी से व्यथित है, ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा—

(क) आयुक्त (अपील) या संयुक्त आयुक्त (अपील) द्वारा इस अधिनियम के

अधीन पारित आदेश;

(ख) प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा पारित आदेश,—

(i) धारा 332(7),(8) या (9), 351(2)(ii) या 354 (3); या

(ii) धारा 377 या 439 या 465; या

(iii) इस खंड के उपखंड (i) और (ii) में यथा निर्देशित किसी आदेश को संशोधित करते हुए धारा 287;

(ग) धारा 377 या 465 के अधीन किसी प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक या प्रधान निदेशक या निदेशक या उसके द्वारा किसी ऐसे आदेश का संशोधन करने वाला धारा 287 के अधीन पारित कोई आदेश ; या

(घ) विवाद समाधान पैनल के निर्देशों के अनुसरण में धारा 270(10) या धारा 279 के अधीन निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश या ऐसे आदेश के संबंध में धारा 287 के अधीन पारित आदेश;

(ङ) धारा 274 (12) में यथानिर्दिष्ट प्रधान आयुक्त या आयुक्त के अनुमोदन से धारा 270(10) या 279 के अधीन निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित कोई आदेश या ऐसे आदेश की बाबत धारा 287 या धारा 288 के अधीन पारित कोई आदेश;

(च) धारा 234(4) के अधीन निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित कोई आदेश ।

(2) प्रधान आयुक्त, यदि वह उपायुक्त (अपील) या संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील) के आदेश के विरुद्ध द्वारा इस अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश के संबंध में आक्षेप करता है तो, निर्धारण अधिकारी को उस आदेश के खिलाफ अपील अधिकरण को अपील करने का निदेश दे सकेगा ।

(3) उपधारा (1) या (2) के अधीन हर अपील उस तारीख के दो माह के भीतर दाखिल की जाएगी जिसको वह आदेश के विरुद्ध अपील की जानी ईप्सित है, यथास्थिति, निर्धारिती को या आयुक्त को संसूचित किया जाता है ।

(4) निर्धारण अधिकारी या निर्धारिती, यह सूचना प्राप्त होने पर कि, संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त अपील के आदेश के विरुद्ध उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अपील दूसरे पक्षकार द्वारा की गई है, इस बात के होते हुए भी कि उसके द्वारा ऐसे आदेश या उसके किसी भाग के विरुद्ध अपील न की गई हो, सूचना की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर, संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील) के आदेश के किसी भाग के विरुद्ध यथाविहित रीति में सत्यापित प्रत्याक्षेपों का एक ज्ञापन फाइल कर सकेगा और ऐसे ज्ञापन का निपटारा अपील अधिकरण द्वारा इस प्रकार किया जाएगा मानो वह उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत की गई अपील हो ।

(5) अपील अधिकरण उपधारा (3) या उपधारा (4) में निर्दिष्ट सुसंगत कालावधि की समाप्ति के पश्चात् किसी अपील को ग्रहण करेगा या प्रत्याक्षेपों का ज्ञापन दाखिल करने की अनुज्ञा दे सकेगा, यदि उसका समाधान हो जाता है कि उस कालावधि के भीतर उसे पेश न करने के लिए पर्याप्त हेतुक था ।

(6) अपील अधिकरण में अपील ऐसे प्रारूप में होगी तथा विहित रीति से सत्यापित

की जाएगी तथा इसके साथ निम्नलिखित शुल्क देना होगा,—

(क) पांच सौ रुपए, जहां अपील से संबंधित मामले में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा संगणित निर्धारिती की कुल आय रुपए 1 लाख या उससे कम है,

(ख) एक हजार पांच सौ रुपए, जहां अपील से संबंधित मामले में निर्धारिती की कुल आय, पूर्वोक्त रूप से संगणित, 1 लाख रुपए से अधिक है, परंतु दो लाख रुपए से अधिक नहीं है,

(ग) कर विहित आय का 1% के समतुल्य अधिकतम दस हजार रुपए के अधीन, जहां अपील से संबंधित मामले में निर्धारिती की कुल आय, पूर्वोक्त रूप से संगणित, रुपए 2 लाख से अधिक है,

(घ) पांच सौ रुपए, जहां अपील का विषय-वस्तु से संबंधित है खंड (क), (ख) और (ग) में विनिर्दिष्ट मामलों के सिवाय किसी अन्य मामले में।

(7) उपधारा (2) में निर्दिष्ट अपील या उपधारा (4) में निर्दिष्ट आपत्तियों के ज्ञापन के लिए कोई शुल्क संदेय नहीं होगा।

(8) मांग पर रोक लगाने के लिए आवेदन के साथ 500 रुपए का शुल्क देना होगा।

363. (1) अपील अधिकरण, अपील के दोनों पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जैसे वह ठीक समझता है ।

अपील अधिकरण
के आदेश ।

(2) अपील अधिकरण उस मास के, जिसमें आदेश पारित किया गया था, अंत से छह मास के भीतर किसी समय उपधारा (1) के अधीन अपने द्वारा पारित किसी आदेश का संशोधन, किसी ऐसी भूल को ठीक करने की दृष्टि से कर सकेगा जो अभिलेख से प्रकट है और यदि उस भूल की ओर उसका ध्यान निर्धारिती या निर्धारण अधिकारी द्वारा दिलाया जाता है तो ऐसा संशोधन करेगा ।

(3) उपधारा (2) में यथा निर्दिष्ट ऐसा संशोधन, जिसके परिणामस्वरूप निर्धारण में वृद्धि होती है या प्रतिदाय में कमी हो जाती है या निर्धारिती का दायित्व, अन्यथा बढ़ जाता है, तब तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि अपील अधिकरण ने निर्धारिती को ऐसा करने के अपने आशय की सूचना न दे दी हो और निर्धारिती को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर अनुज्ञात न कर दिया हो ।

(4) उपधारा (2) के अधीन निर्धारिती द्वारा फाइल किए गए किसी आवेदन के साथ पचास रुपए की फीस होगी ।

(5) अपील अधिकरण, प्रत्येक अपील में, जहां संभव हो, ऐसी अपील की सुनवाई और उसका विनिश्चय उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से जिसमें ऐसी अपील धारा 362(1) या (2) के अधीन फाइल की जाती है, चार वर्ष की अवधि के भीतर कर सकेगा ।

(6) अपील अधिकरण, निर्धारिती द्वारा किए गए आवेदन के गुणागुण पर विचार करने के पश्चात्, धारा 362(1) के अधीन ऐसे आदेश की तारीख से 180 दिनों की अनधिक अवधि के लिए फाइल की गई किसी अपील से संबंधित किन्हीं कार्यवाहियों में, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि निर्धारिती ने—

(क) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन संसंदेय कर, ब्याज, फीस, शास्ति की रकम का या किसी अन्य राशि का कम से कम 20% जमा किया है या

(ख) खंड (क) में यथा निर्दिष्ट, उसके संबंध में उसके समान रकम की प्रतिभूति दी है ; या

और अपील अधिकरण उस आदेश में विनिर्दिष्ट रोक की उक्त अवधि के भीतर अपील का निपटारा करेगा :

(7) उपधारा (6) में यथा निर्दिष्ट, जहां ऐसी अपील का निपटारा, रोक आदेश में यथाविनिर्दिष्ट रोक की अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, वहां अपील अधिकरण द्वारा रोक का विस्तार तब तक मंजूर नहीं किया जाएगा, जब तक—

(क) निर्धारिती ने ऐसा कोई आवेदन न किया हो और उसने उपधारा (6) में, निर्दिष्ट शर्त का अनुपालन न किया हो; और

(ख) अपील अधिकरण का यह समाधान हो गया है कि अपील का निपटारा करने में विलंब निर्धारिती के कारण हुआ नहीं माना जा सकता, किन्तु आरंभिक रूप से अनुज्ञात रोक की कुल अवधि और इस प्रकार विस्तारित रोक की अवधि तीन सौ पैंसठ दिन से अधिक नहीं होगी और अपील अधिकरण इस प्रकार विस्तारित या अनुज्ञात रोक की अवधि या अवधियों के भीतर अपील का निपटारा करेगा ।

(8) रोक आदेश ऐसी अवधि या अवधियों की समाप्ति के पश्चात् उपधारा (6) या (7) के अधीन इस प्रकार बातिल हो जाएगा चाहे अपील का निपटारा करने में विलंब निर्धारिती की ओर से नहीं हुआ हो ।

(9) अपील अधिकरण को किसी अपील का खर्च उस अधिकरण के स्वविवेक पर होगा

(10) अपील अधिकरण इस धारा के अधीन पारित किन्हीं आदेशों के प्रति निर्धारिती, प्रधान आयुक्त को और आयुक्त को भेजेगा ।

(11) धारा 365 यथा उपबंधित के सिवाय, अपील अधिकरण द्वारा अपील में पारित आदेश अंतिम होंगे ।

अपील अधिकरण
की प्रक्रिया ।

364. (1) अपील अधिकरण की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन ऐसे न्यायपीठों द्वारा किया जा सकेगा जिनका गठन अपील अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा उसके सदस्यों में से किया गया है ।

(2) उपधारा (3) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायपीठ एक न्यायिक सदस्य और एक लेखा-सदस्य से मिलकर बनेगा ।

(3) अपील अधिकरण का अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है एकल रूप में बैठकर ऐसे किसी मामले का निपटारा कर सकेगा जो ऐसे न्यायपीठ को आबंटित किया गया है जिसका वह सदस्य है और जिसका संबंध किसी ऐसे निर्धारिती से है जिसकी उस मामले में निर्धारण अधिकारी द्वारा यथा संगणित कुल आय साठ लाख रुपए से अधिक नहीं है और

(4) अपील अधिकरण का अध्यक्ष किसी विशिष्ट मामले के निपटारे के लिए विशेष न्यायपीठ गठित कर सकेगा जो तीन या अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनमें से अनिवार्यतः एक न्यायिक सदस्य और एक लेखा-सदस्य होगा ।

(5) यदि न्यायपीठ के सदस्यों में किसी विषय पर मतभेद है तो उस विषय का विनिश्चय, यदि कोई बहुमत है तो, बहुमत के अनुसार किया जाएगा किन्तु यदि सदस्यों

के मत बराबर हैं तो वे उस विषय या उन विषयों को कथित करेंगे जिन पर उनके बीच मतभेद हैं और वह मामला अपील अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा ऐसे विषय या विषयों के संबंध में अपील अधिकरण के अन्य सदस्यों में से एक या अधिक द्वारा सुने जाने के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा और ऐसे विषय या विषयों का विनिश्चय अपील अधिकरण के उन सदस्यों के जिन्होंने उस मामले को सुना जिनके अधीन वे सदस्य भी होंगे जिन्होंने प्रथमतः उस मामले को सुना था, बहुमत के अनुसार किया जाएगा ।

(6) इस अधिनियम के उपबंधों के रहते हुए अपील अधिकरण को स्वयं अपनी प्रक्रिया का तथा अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कृत्यों के निर्वहन से उद्भूत होने वाले सब विषयों में अपने न्यायपीठों की प्रक्रिया का विनियमन करने की शक्ति प्राप्त होगी जिसके अन्तर्गत वे स्थान भी हैं जहां न्यायपीठ अपनी बैठकें करेंगे ।

(7) अपील अधिकरण को अपने कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए वे सब शक्तियां प्राप्त होंगी जो धारा 246 में निर्दिष्ट आय-कर अधिकारियों में निहित हैं और अपील अधिकरण के समक्ष कोई भी कार्यवाही भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 229 और धारा 267 के अर्थ में और धारा 233 के प्रयोजन के लिए न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी और अपील अधिकरण को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 215 और अध्याय 37 के सब प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा ।

2023 का 45

2023 का 46

3 उच्च न्यायालय को अपील

365. (1) अपील अधिकरण द्वारा अपील में पारित प्रत्येक आदेश के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय को होगी यदि उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि मामले में विधि का कोई सारवान् प्रश्न अंतर्वलित है ।

उच्च न्यायालय
को अपील ।

(2) प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त अथवा अपील अधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित कोई निर्धारिती उच्च न्यायालय को अपील फाइल कर सकेगा और इस उपधारा के अधीन ऐसी अपील—

(क) उस तारीख से जिसको वह आदेश जिसके विरुद्ध अपील की जा रही है, निर्धारिती या प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त किया गया एक सौ बीस दिन के भीतर फाइल की जाएगी;

(ख) अपील जापन के प्ररूप में होगी जिसमें स्पष्टतः यह कथन होगा कि अपील में विधि का सारवान् प्रश्न अंतर्वलित है ।

(3) उच्च न्यायालय उपधारा (2क) में निर्दिष्ट 120 दिन के अवधि के अवसान के पश्चात् अपील को स्वीकार करेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपील दायर न करने के लिए पर्याप्त कारण था ।

(4) जहां उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि किसी मामले में विधि का सारवान् प्रश्न अंतर्वलित है वहां वह उस प्रश्न को विरचित करेगा ।

(5) अपील की सुनवाई केवल इस प्रकार विरचित प्रश्न पर की जाएगी और प्रत्यर्थियों को अपील की सुनवाई के समय यह दलील देने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा कि मामले में ऐसा प्रश्न अंतर्वलित नहीं है :

(6) उपधारा (5) के उपबंध से यह नहीं समझा जाएगा कि वह न्यायालय द्वारा विरचित न किए गए विधि के किसी अन्य सारवान् प्रश्न पर अपील की सुनवाई करने

की न्यायालय की शक्ति को छीनती है या कम करती है, जिसके लिए कारण लेखबद्ध किए जाएंगे, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि मामले में ऐसा प्रश्न अंतर्वलित है ।

(7) उच्च न्यायालय इस प्रकार विरचित विधि के प्रश्न का विनिश्चय करेगा और उस पर ऐसा निर्णय देगा, जिसमें वह आधार होंगे, जिन पर ऐसा विनिश्चय आधारित हो, और ऐसा खर्च अधिनिर्णीत कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

(8) उच्च न्यायालय ऐसे किसी विवादक का अवधारण कर सकेगा जो,—

(क) अवधारित नहीं किया गया है; या

(ख) उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट विधि के प्रश्न पर किसी विनिश्चय के कारण अपील अधिकरण द्वारा गलत अवधारित किया गया है ।

(9) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, उच्च न्यायालय को अपीलों से संबंधित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के उपबंध, जहां तक हो सके, इस धारा के अधीन अपीलों की दशा में लागू होंगे ।

1908 का 5

(10) जहां उच्च न्यायालय इस धारा के अधीन अपने समक्ष दायर किसी अपील में निर्णय देता है, वहां ऐसे आदेश को निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्णय की प्रमाणित प्रति के आधार पर प्रभावी किया जाएगा ।

उच्च न्यायालय के समक्ष मामले की सुनवाई का कम से कम दो न्यायाधीशों द्वारा किया जाना ।

366. (1) जब कोई अपील धारा 365 के अधीन उच्च न्यायालय में फाइल की गई है तब उसकी सुनवाई उच्च न्यायालय के कम से कम दो न्यायाधीशों के न्यायपीठ द्वारा की जाएगी और ऐसे न्यायाधीशों या ऐसे न्यायाधीशों के बहुमत, यदि कोई हो, की राय के अनुसार विनिश्चित की जाएगी ।

(2) जहां ऐसा कोई बहुमत नहीं है वहां न्यायाधीश विधि के ऐसे प्रश्न का कथन करेंगे जिस पर उनमें मतभेद है और तब मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय के एक या अधिक अन्य न्यायाधीशों द्वारा केवल उसी प्रश्न पर की जाएगी और ऐसा प्रश्न उन न्यायाधीशों के बहुमत की राय के अनुसार विनिश्चित किया जाएगा जिन्होंने मामले की सुनवाई की है जिनके अधीन वे न्यायाधीश भी हैं जिन्होंने अपील की पहली बार सुनवाई की थी ।

4 उच्चतम न्यायालय को अपीलें

उच्चतम न्यायालय को अपील ।

367. उच्च न्यायालय के धारा 363 के अधीन उक्त तारीख को या उसके पश्चात् पारित किसी आदेश की बाबत उच्च न्यायालय को की गई अपील पर दिए गए निर्णय की अपील किसी ऐसे मामले में जिसके संबंध में उच्च न्यायालय यह प्रमाणित करता है कि वह उच्चतम न्यायालय को अपील के लिए उचित है, उच्चतम न्यायालय में हो सकेगी ।

उच्चतम न्यायालय के समक्ष सुनवाई ।

368. (1) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के वे उपबंध जो उच्चतम न्यायालय को अपीलें करने से संबंधित हैं धारा 367 के अधीन अपीलों की दशा में यावत्शक्य उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे उच्च न्यायालय की डिक्रियों से अपीलों की दशा में लागू होते हैं :

1908 का 5

(2) अपील के खर्चे उच्चतम न्यायालय के विवेकानुसार होंगे ।

(3) जहां उच्च न्यायालय का निर्णय अपील में फेरफारित कर दिया जाता है या उलट दिया जाता है वहां उच्चतम न्यायालय का आदेश ऐसी रीति से प्रभावशील किया

जाएगा जैसी उच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में धारा 365(10) में उपबंधित है ।

5 साधारण

369. इस बात के होते हुए भी कि उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय को निर्देश किया गया है या उच्चतम न्यायालय में अपील की गई है, कर उस मामले में किए गए निर्धारण के अनुसार संदेय होगा ।

अपील आदि के होते हुए भी कर का संदाय किया जाना ।

370. उच्च न्यायालय ऐसी अर्जी पर जो उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा अधिनिर्णीत किन्हीं खर्चों की बाबत उसके निष्पादन के लिए की गई है, निष्पादन का आदेश उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय की पारंप्रित कर सकेगा ।

उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत खर्चों के लिए निष्पादन ।

371. जहां धारा 356 या 357 या 362 के अधीन अपील के परिणामस्वरूप, व्यष्टियों के किसी निकाय या व्यक्तियों के किसी संगम के निर्धारण में कोई तब्दीली की जाती है अथवा व्यष्टियों के किसी निकाय या व्यक्तियों के किसी संगम का नया निर्धारण करने का आदेश दिया जाता है वहां, यथास्थिति, संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील) या अपील अधिकरण ऐसा आदेश पारित करेगा जिसमें वह निर्धारण अधिकारी को प्राधिकृत करेगा कि वह उस निकाय या संगम के किसी सदस्य पर किए गए निर्धारण का संशोधन करे अथवा उस निकाय या संगम के किसी सदस्य पर नए सिरे से निर्धारण करे ।

अपील पर निर्धारण का संशोधन ।

372. इस अधिनियम के अधीन अपील या आवेदन के लिए, विहित परिसीमा कालावधि की संगणना करने में, उस दिन का, जिसको उस आदेश की जिसका परिवाद किया गया है, तामील की गई थी और यदि निर्धारिती को तब जब आदेश की सूचना की तामील उस पर की गई थी आदेश की प्रति नहीं दी गई थी, ऐसे आदेश की प्रति अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय का अपवर्जन किया जाएगा ।

प्रति के लिए लगे समय का अपवर्जन ।

373. (1) बोर्ड, समय-समय पर, इस अध्याय के उपबंधों के अधीन किसी आय-कर प्राधिकारी द्वारा अपील या निर्देश के लिए आवेदन के फाइल किए जाने को विनियमित करने के प्रयोजन के लिए, ऐसी धनीय सीमाएं नियत करते हुए, जो वह ठीक समझे, अन्य आय-कर प्राधिकारियों को आदेश, अनुदेश या निर्देश जारी कर सकेगा ।

आय-कर प्राधिकारी द्वारा अपील के लिए फाइल किया जाना ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए आदेशों, अनुदेशों या निर्देशों के अनुसरण में, किसी आय-कर प्राधिकारी ने किसी कर वर्ष के संबंध में किसी निर्धारिती के मामले में किसी विवादक के संबंध में, कोई अपील या निर्देश के लिए आवेदन फाइल नहीं किया है तो इससे ऐसा प्राधिकारी,—

(क) किसी अन्य कर वर्ष के लिए उसी निर्धारिती के; या

(ख) उसी या किसी अन्य कर वर्ष के लिए किसी अन्य निर्धारिती के, मामले में उसी विवादक पर कोई अपील या निर्देश के लिए आवेदन फाइल करने से निवारित नहीं होगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों या निर्देशों के अनुसरण में किसी आय-कर प्राधिकारी द्वारा कोई अपील या निर्देश के लिए आवेदन फाइल नहीं किया गया है, किसी निर्धारिती के लिए, जो किसी अपील या निर्देश में पक्षकार है, यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि वह इस बात का प्रतिवाद करे कि आय-कर

प्राधिकारी ने किसी मामले में अपील या निर्देश के लिए आवेदन फाइल न करके विवादग्रस्त विवादक पर विनिश्चय में उपमति दी है।

(4) ऐसी अपील या निर्देश की सुनवाई करने वाला अपील अधिकरण या न्यायालय उपधारा (1) के अधीन जारी आदेशों, अनुदेशों या निर्देशों पर उन परिस्थितियों का ध्यान रखेगा जिनके अधीन किसी मामले की बाबत ऐसी अपील या निर्देश के लिए आवेदन फाइल किया गया था या नहीं किया गया था।

“उच्च न्यायालय”
का निर्वचन।

374. इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, “उच्च न्यायालय” से अभिप्रेत है—

- (i) किसी राज्य के सम्बन्ध में उस राज्य का उच्च न्यायालय;
- (ii) जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के लिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय;
- (iii) लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय;
- (iv) अंदमान और निकोबार द्वीपों के संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में, कलकत्ता उच्च न्यायालय;
- (v) लक्षद्वीप से संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में, केरल उच्च न्यायालय,
- (vi) चण्डीगढ़ के संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय;
- (vii) दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव के संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में, बम्बई उच्च न्यायालय; और
- (viii) पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, मद्रास उच्च न्यायालय; और
- (ix) राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय।

ख. पुनरावृत्ति अपीलों से बचने के लिए विशेष उपबन्ध

375. (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई निर्धारित यह दावा करता है कि,—

(क) किसी कर वर्ष के लिए उसके ऐसे मामले में जो निर्धारण अधिकारी या किसी अपील प्राधिकारी के समक्ष लम्बित है (ऐसे मामले को इस धारा में इसके पश्चात् सुसंगत मामला कहा गया है), उद्भूत होने वाला कोई विधि का प्रश्न किसी अन्य कर वर्ष के लिए; (ऐसे मामले जिसे इसमें इसके पश्चात् इस धारा में अन्य मामले के रूप में निर्देशित किया गया है: और

(ख) ऐसा विधि प्रश्न ऐसे अन्य मामले के लिए निम्नलिखित के समक्ष लम्बित है—

- (i) आय-कर अधिनियम 1961 की धारा 256 या धारा 260क के अधीन किसी अपील पर संदर्भ पर उच्च न्यायालय; या
- (ii) आय-कर अधिनियम 1961 की धारा 257 या धारा 261 के अधीन किसी अपील पर संदर्भ पर उच्चतम न्यायालय के समक्ष; या
- (iii) धारा 365 के अधीन की गई अपील पर उच्च न्यायालय के समक्ष; या

1961 का 43

प्रक्रिया जब निर्धारित दावा करता है कि विधि का समरूप प्रश्न उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष लम्बित है।

(iv) धारा 367 के अधीन की गई अपील पर उच्चतम न्यायालय के समक्ष; या

(v) अपील अधिकरण या क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध, संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन विशेष अनुमति याचिका में,

वह कर निर्धारण अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी को, विहित प्रारूप और रीति से घोषणा प्रस्तुत कर सकता है कि यदि कर निर्धारण अधिकारी या अपील प्राधिकारी, संबंधित मामले में, अन्य मामले में विधि के प्रश्न पर अंतिम निर्णय लागू करने के लिए सहमत होता है, तो वह संबंधित मामले में किसी अपील प्राधिकारी के समक्ष या किसी उच्च फोरम के समक्ष बाद की अपील में विधि का ऐसा प्रश्न नहीं उठाएगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई घोषणा किसी अपील प्राधिकारी को दी जाती है, वहां अपील प्राधिकारी,—

(क) निर्धारिती द्वारा किए गए दावे की सत्यता पर कर निर्धारण अधिकारी से रिपोर्ट मांगेगा; और

(ख) कर निर्धारण अधिकारी को मामले में सुनवाई का अवसर देगा, यदि ऐसा अनुरोध उसके द्वारा किया जाता है।

(3) कर निर्धारण अधिकारी या अपील प्राधिकारी लिखित आदेश द्वारा,—

(क) निर्धारिती के दावे को स्वीकार कर सकता है, यदि वह संतुष्ट है कि सुसंगत मामले में उत्पन्न विधि का प्रश्न अन्य मामले में विधि के प्रश्न के समान है; या

(ख) यदि वह या उसका समाधान नहीं होता है तो दावे को अस्वीकार कर सकता है ।

(4) उपधारा (3) के अधीन आदेश अंतिम होगा और इस अधिनियम के अधीन अपील या पुनरीक्षण द्वारा किसी कार्यवाही में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

(5) जहां कोई दावा उपधारा (3) के अधीन स्वीकार कर लिया जाता है वहां—

(क) निर्धारण अधिकारी या अपील प्राधिकारी अन्य मामले में विधि के प्रश्न पर अंतिम विनिश्चय का इंतजार किए बिना सुसंगत मामले को निपटाते हुए आदेश कर सकेगा ; और

(ख) निर्धारिती सुसंगत मामले के संबंध में, किसी उच्चतर फोरम के समक्ष किसी पश्चातवर्ती अपील में विधि का ऐसा प्रश्न उठाने का हकदार नहीं होगा।

(6) यदि अन्य मामले में विधि के प्रश्न पर विनिश्चय अंतिम हो जाता है तो वह सुसंगत मामले को लागू किया जाएगा और, यथास्थिति, निर्धारण अधिकारी या अपील अधिकारी यदि अपेक्षित हो तो उपधारा (5) (क) में निर्दिष्ट आदेश का ऐसे विनिश्चय के अनुरूप संशोधन करेगा ।

(7) इस धारा के प्रयोजनों के लिए —

(क) “अपील अधिकारी” से संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील) या अपील अधिकरण अभिप्रेत है ;

(ख) किसी निर्धारिती के संबंध में, "मामला" से निर्धारिती की कुल आय के निर्धारण के लिए अथवा उस पर कोई शास्ति अधिरोपित करने के लिए इस अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाही अभिप्रेत है ;

(ग) "उच्च फोरम के समक्ष अनुवर्ती अपील" से धारा 365 के अधीन उच्च न्यायालय के समक्ष अपील या धारा 367 के अधीन उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील या संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन विशेष अनुमति याचिका अभिप्रेत है, जो अपीलीय न्यायाधिकरण या क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध है।

376. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोलेजियम की यह राय है कि,—

(क) किसी कर वर्ष के लिए किसी निर्धारिती के मामले में कोई उद्भूत होने वाला विधि का प्रश्न (ऐसे मामले को इसमें सुसंगत मामला कहा गया है), जो निम्नलिखित से उद्भूत होने वाला किसी विधि के प्रश्न के समरूप है,—

(i) उसके मामले में किसी अन्य कर वर्ष के लिए ; या

(ii) किसी अन्य निर्धारिती के मामले में किसी कर वर्ष के लिए ; और

(ख) ऐसा प्रश्न जो, यथास्थिति, अपील अधिकरण या अधिकारिता वाले उच्च न्यायालय के विरुद्ध, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 260क या धारा 365 के अधीन अधिकारिता वाले उच्च न्यायालय या धारा 367 के अधीन या आयकर अधिनियम 1961 की धारा 256 के अधीन निर्दिष्ट ऐसे अपील में या आयकर अधिनियम 1961 की धारा 261 के अधीन निर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय के समक्ष या संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन विशेष इजाजत याचिका में ऐसा प्रश्न लंबित है (ऐसे मामले को इसमें इसके पश्चात् अन्य मामला कहा गया है),

कोलेजियम यह विनिश्चय कर सकेगा और आयुक्त या प्रधान आयुक्त को यह सूचित कर सकेगा कि वह धारा 362(2) के अधीन अपील अधिकरण या यथास्थिति, संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील) या अपील अधिकरण के आदेश के विरुद्ध सुसंगत मामले में धारा 365 (2) के अधीन अधिकारिता वाले उच्च न्यायालय में, इस प्रक्रम पर कोई अपील फाइल न करे ।

(2) प्रधान आयुक्त या आयुक्त, उपधारा (1) के अधीन कोलेजियम से संसूचना की प्राप्ति पर, धारा 362 (3) या धारा 365(2)(क) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निर्धारण अधिकारी को, यथास्थिति, अपील अधिकरण या अधिकारिता वाले उच्च न्यायालय को, यथास्थिति, आयुक्त (अपील) या अपील अधिकरण के आदेश की प्राप्ति की तारीख से एक सौ बीस दिन की अवधि के भीतर ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाए यह कथन करते हुए आवेदन करने का निदेश देगा कि सुसंगत मामले में उद्भूत होने वाले विधि के प्रश्न से अपील तब फाइल की जा सकेगी जब विधि के प्रश्न पर विनिश्चय अन्य मामले में अंतिम हो जाए ।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट आवेदन संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील) या अपील अधिकरण के आदेश की प्राप्ति की तारीख से एक सौ बीस दिन के भीतर दायर किया जाएगा।

प्रक्रिया, जहां
विधि का कोई
समरूप प्रश्न उच्च
न्यायालय या
उच्चतम
न्यायालय के
समक्ष लंबित
हो ।

(4) प्रधान आयुक्त या आयुक्त निर्धारण अधिकारी को,—

(क) उपधारा (2) के अधीन आवेदन करने का निदेश केवल तब देगा जब निर्धारिती से इस आशय की स्वीकृति प्राप्त हो जाती है कि अन्य मामले में विधि का प्रश्न सुसंगत मामले में उद्भूत होने वाले प्रश्न के समरूप है ; और

(ख) धारा 362(2) या 365(2)(ख) के अनुसार आगे बढ़ना, यदि धारा 362(3) या 365(2)(क) में किसी बात पर ध्यान दिए बिना ऐसी कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है।

(5) जहां, यथास्थिति, उपधारा (1) में निर्दिष्ट संयुक्त आयुक्त (अपील)या आयुक्त (अपील) का आदेश या अपील अधिकरण का आदेश, अन्य मामले में विधि के प्रश्न पर अंतिम विनिश्चय के अनुरूप नहीं है, जब और जैसे ही ऐसा आदेश प्राप्त होता है, तो प्रधान आयुक्त या आयुक्त, निर्धारण अधिकारी को, यथास्थिति, अपील अधिकरण या अधिकारिता वाले उच्च न्यायालय को ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील करने का निदेश दे सकेगा और इस धारा में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय इस अध्याय के भाग क.2 और भाग क.3 के अन्य सभी उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।

(6) उपधारा (5) के अधीन प्रत्येक अपील, यथास्थिति, अपील अधिकरण को उस तारीख से साठ दिन की या उच्च न्यायालय को एक सौ बीस दिन की अवधि के भीतर फाइल की जाएगी, जिसको अन्य मामले में अधिकारिता वाले उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का आदेश, इस निमित्त बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार, प्रधान आयुक्त या आयुक्त (सुसंगत मामले पर अधिकारिता रखने वाले (को संसूचित किया जाता है ।

(7) इस धारा के प्रयोजनों के लिए पद “कोलेजियम” से दो या अधिक मुख्य आयुक्तों या प्रधान आयुक्तों या आयुक्तों, जैसा बोर्ड द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, से मिलकर बना कालेजियम अभिप्रेत है ।

ग. प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा पुनरीक्षण

377. (1) सक्षम प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही का अभिलेख मांग सकेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगा यदि वह समझता है कि निर्धारण अधिकारी या अंतरण कीमत निर्धारण अधिकारी द्वारा उसमें पारित कोई आदेश गलत है जहां तक कि वह राजस्व के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है तो वह निर्धारिती को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और ऐसी जांच करने या करवाने के पश्चात् जैसी वह अपेक्षित समझता है, जिसके अधीन निम्नलिखित हैं,—

राजस्व पर
प्रतिकूल प्रभाव
डालने वाले
आदेशों का
पुनरीक्षण ।

(क) निर्धारण में वृद्धि या उपांतरण करने या निर्धारण रद्द करने और नए सिरे से निर्धारण का निदेश देने का आदेश भी है ;

(ख) धारा 166 के अधीन आदेश को उपांतरित करने वाला आदेश ; या

(ग) धारा 166 के अधीन आदेश को रद्द करने वाला और उक्त धारा के अधीन नए सिरे से आदेश करने का निदेश देने वाला आदेश ;

(2) उपधारा (1) के लिए,—

(क) निर्धारण अधिकारी या अंतरण कीमत निर्धारण अधिकारी द्वारा,—

(i) निर्धारण का वह आदेश है, जो धारा 272 के अधीन उपायुक्त द्वारा जारी किए गए निदेशों के आधार पर किया जाता है;

(ii) वह आदेश, जो बोर्ड द्वारा अथवा प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक या मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा, जिसे धारा 241 के अधीन इस निमित्त बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया जाए, जारी किए गए आदेशों या निदेशों के अधीन अपने को प्रदत्त या समनुदेशित निर्धारण अधिकारी की शक्तियों के प्रयोग या उसके कृत्यों के निर्वहन में उपायुक्त द्वारा किया जाता है;

(iii) धारा 166 के अधीन अंतरण कीमत निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई आदेश;

(ख) “अभिलेख” के अधीन इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही से संबंधित सभी अभिलेख हैं जो आयुक्त द्वारा परीक्षा किए जाने के समय उपलब्ध हों और उनके बारे में यह समझा जाएगा कि वे सदैव से उसके अन्तर्गत थे;

(ग) जहां इस उपधारा में निर्दिष्ट और निर्धारण अधिकारी या अंतरण कीमत निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित कोई आदेश वहां इस उपधारा के अधीन आयुक्त की शक्तियां ऐसे विषयों तक विस्तारित होंगी जिन पर ऐसी अपील में विचार और विनिश्चय नहीं किया गया है और उनके बारे में यह समझा जाएगा कि उक्त शक्तियां ऐसे विषयों पर सदैव से विस्तारित थीं ।

(3) निर्धारण अधिकारी या अंतरण कीमत निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश को जहां तक वह राजस्व के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है, गलत समझा जाएगा यदि प्रधान आयुक्त या आयुक्त की राय में,—

(क) आदेश ऐसी जांच या सत्यापन के, जो किया जाना चाहिए था बिना पारित किया जाता है; या

(ख) आदेश, ऐसी कोई राहत, दावे की जांच किए बिना, अनुज्ञात करते हुए पारित किया गया है; या

(ग) आदेश, बोर्ड द्वारा धारा 239 के अधीन जारी किए गए किसी आदेश, निदेश या अनुदेश के अनुसार नहीं किया गया है; या

(घ) निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति के मामले में, अधिकारिता प्राप्त उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किए गए ऐसे किसी विनिश्चय, जो निर्धारिती पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है, के अनुसार पारित नहीं किया गया है ।

(4) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश ऐसे वित्तीय वर्ष के, जिसमें वह आदेश जिसका पुनरीक्षण चाहा गया है, पारित किया गया था, अन्त में दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(5) उपधारा (4) में किसी बात के होते हुए भी किसी ऐसे आदेश की दशा में, जो अपील अधिकरण, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के आदेश में अन्तर्विष्ट किसी निष्कर्ष या निदेश के परिणामस्वरूप या उसको प्रभावी करने के लिए पारित किया गया

है, इस धारा के अधीन पुनरीक्षण में आदेश किसी भी समय पारित किया जा सकेगा ।

(6) उपधारा (4) के प्रयोजनों के लिए परिसीमा कालावधि की संगणना करने में—

(क) उस समय का, जो धारा 244(2) के अधीन निर्धारिती को पुनः सुनवाई का अवसर देने में लगा है; और

(ख) वह अवधि जो उस तारीख से शुरू होगी जिस दिन किसी न्यायालय के आदेश या निषेधाज्ञा द्वारा इस धारा के अधीन किसी कार्यवाही पर रोक लगाई गई हो और उस तारीख को समाप्त होगी जिस दिन रोक हटाने वाले आदेश या निषेधाज्ञा की प्रमाणित प्रति क्षेत्राधिकार प्राप्त प्रधान आयुक्त या आयुक्त को प्राप्त हो।

(7) यदि उपधारा (6) में दी गई अवधि के बहिष्करण के पश्चात्, उपधारा (4) में यथा उपबंधित दी गई कार्यवाही पूरी करने की समय-सीमा साठ दिन से कम है, तो ऐसी शेष अवधि को साठ दिन तक बढ़ा दिया जाएगा और ऐसी परिसीमा अवधि को तदनुसार बढ़ा दिया गया माना जाएगा।

(8) इस धारा के प्रयोजनों के लिए —

(क) “सक्षम प्राधिकारी” से प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त अभिप्रेत है;

(ख) “अंतरण कीमत निर्धारण अधिकारी” का वही अर्थ होगा, जो धारा 166(17) में उसका है ।

378. (1) सक्षम प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश की दशा में, जो उस आदेश से भिन्न है जिसे धारा 377 लागू होती है, स्वप्रेरणा पर या पुनरीक्षण के लिए निर्धारिती द्वारा आवेदन पर—

अन्य आदेशों का पुनरीक्षण ।

(क) इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसी कार्यवाही का अभिलेख मांग सकेगा जिसमें ऐसा कोई आदेश पारित किया गया है और

(ख) ऐसी जांच कर सकेगा या ऐसी जांच करवा सकेगा और

(ग) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, निर्धारिती के प्रतिकूल आदेश न होने वाला ऐसा आदेश उस पर पारित कर सकेगा जैसा वह ठीक समझता है ।

(2) आयुक्त स्वप्रेरणा पर इस धारा के अधीन किसी आदेश का पुनरीक्षण नहीं करेगा यदि वह आदेश एक वर्ष से अधिक पूर्व किया गया है ।

(3) निर्धारिती द्वारा इस धारा के अधीन पुनरीक्षण के लिए आवेदन, उस तारीख से, जिसको प्रश्नगत आदेश उनको संसूचित किया गया था या उस तारीख से, जिसको उसे अन्यथा उसका ज्ञान हुआ, इनमें से जो पूर्वतर हो, उससे एक वर्ष के भीतर करना होगा :

(4) सक्षम प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि निर्धारिती उपधारा (3) में यथा उपबंधित उस कालावधि के भीतर आवेदन करने से पर्याप्त हेतुक से निवारित हो गया था तो वह उस कालावधि की समाप्ति के पश्चात् किया गया आवेदन ग्रहण कर सकेगा ।

(5) सक्षम प्राधिकारी इस धारा के अधीन किसी आदेश का पुनरीक्षण निम्नलिखित

दशाओं में नहीं करेगा—

(क) जहां उस आदेश के विरुद्ध अपील, संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील) को या अपील अधिकरण को हो सकती है, किन्तु की नहीं गई है और वह समय जिसके भीतर ऐसी अपील की जा सकती है समाप्त नहीं हुआ है ;

(ख) जहां संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील) को या अपील अधिकरण को अपील की गई है, निर्धारिती को अधित्यजन करने का अधिकार नहीं है ;

(ग) जहां आदेश संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील) को या अपील अधिकरण को की गई अपील का विषय बनाया गया है ।

(6) इस धारा के अधीन पुनरीक्षण के लिए निर्धारिती द्वारा किए गए हर आवेदन के साथ पांच सौ रुपए की फीस होगी ।

(7) इस उपधारा के अधीन निर्धारिती द्वारा किए गए पुनरीक्षण के लिए प्रत्येक आवेदन पर उस वित्तीय वर्ष की, जिसमें निर्धारिती द्वारा पुनरीक्षण के लिए ऐसा आवेदन किया जाता है, समाप्ति के एक वर्ष के भीतर आदेश पारित किया जाएगा ।

(8) उपधारा (7) के अधीन परिसीमा अवधि की संगणना करने में, निम्नलिखित अवधि को अपवर्जित किया जाएगा—

(क) धारा 244(2) के अधीन निर्धारिती को पुनः सुनवाई का अवसर देने में लिया गया समय; तथा

(ख) वह अवधि जो उस तारीख से प्रारंभ होती है जिस दिन किसी न्यायालय के आदेश या निषेधाज्ञा द्वारा इस धारा के अधीन किसी कार्यवाही पर रोक लगाई गई हो तथा उस तारीख को समाप्त होती है जिस दिन अधिकारिता प्राप्त प्रधान आयुक्त या आयुक्त को रोक हटाने वाले आदेश या निषेधाज्ञा की प्रमाणित प्रति प्राप्त होती है।

(9) यदि उपधारा (8) में प्रदत्त अवधि के अपवर्जन के पश्चात्, उपधारा (7) में प्रदत्त अनुसार, पूर्ण करने की समय-सीमा साठ दिन से कम है, तो ऐसी शेष अवधि को साठ दिन तक बढ़ा दिया जाएगा तथा ऐसी परिसीमा अवधि को तदनुसार बढ़ा दिया गया माना जाएगा।

(10) उपधारा (7) पर ध्यान दिए बिना, इस उपधारा के अधीन पुनरीक्षण आदेश अपील अधिकरण, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के आदेश में अंतर्विष्ट किसी निष्कर्ष या निदेश के परिणामस्वरूप या उसे प्रभावी करने के लिए किसी भी समय पारित किया जा सकेगा।

(11) इस धारा में,—

(क) सक्षम प्राधिकारी' से प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त अभिप्रेत है।

(ख) सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्तक्षेप करने से इंकार करने वाला आदेश, इस धारा के लिए, निर्धारिती के लिए प्रतिकूल आदेश नहीं माना जाएगा।

घ. वैकल्पिक विवाद समाधान

1. कतिपय मामलों में विवाद समाधान समिति

379. (1) केन्द्रीय सरकार, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, के मामले में विवाद समाधान के लिए, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार, एक या अधिक विवाद समाधान समितियां, जो अपेक्षित हों, गठित करेगी, जो उसके मामले में विनिर्दिष्ट आदेश में किसी ऐसे फेरफार से उत्पन्न होने वाले विवाद के संबंध में और जो विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी करता है, इस अध्याय के अधीन विवाद समाधान के लिए विकल्प दे सके।

विवाद समाधान समिति।

(2) विवाद समाधान समिति को, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, इस अधिनियम के अधीन अधिरोपणीय किसी शास्ति को कम करने या अधित्यजित करने या ऐसे व्यक्ति की दशा में, जिसके विवाद का इस अध्याय के अधीन समाधान होता है, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए अभियोजन से उन्मुक्ति प्रदान करने की शक्ति प्राप्त होगी।

(3) धारा 275 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन विवाद समाधान समिति के आदेश की प्राप्ति पर, निर्धारण अधिकारी, उस मास के अंत से, जिसमें ऐसा आदेश प्राप्त होता है, एक मास की अवधि के भीतर विवाद समाधान समिति के ऐसे आदेश में अंतर्विष्ट निदेशों के अनुरूप,—

(क) उस दशा में जहां विनिर्दिष्ट आदेश, धारा 275 (1) के अधीन निर्धारण का प्रस्तावित आदेश का प्रारूप आदेश है, वहां निर्धारण, पुनर्निर्धारण या पुनर्संरचना का आदेश पारित करेगा ; या

(ख) किसी अन्य दशा में, निर्धारण, पुनर्निर्धारण या पुनर्संरचना के आदेश को उपांतरित करेगा।

(4) इस धारा के प्रयोजनों के लिए “विनिर्दिष्ट आदेश” से ऐसा आदेश अभिप्रेत है, जिसमें ऐसा प्रारूप आदेश सम्मिलित है, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, और, जहां—

(i) ऐसे आदेश में प्रस्तावित या किए गए फेरफार की कुल राशि दस लाख रुपए से अधिक नहीं है ;

(ii) ऐसा आदेश धारा 247 के अधीन आरंभिक खोज या निर्धारिती के मामले में धारा 248 के अधीन अवृत्ति या धारा 253 के अधीन कोई अन्य व्यक्ति या सर्वे या धारा 159(1) या (2) में निर्दिष्ट किसी करार के अधीन प्राप्त कोई सूचना पर आधारित है

(iii) जहां ऐसे आदेश के सुसंगत कर वर्ष के लिए निर्धारिती द्वारा विवरणी फाइल की गई है, वहां ऐसी विवरणी के अनुसार कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक नहीं है।

2. अग्रिम विनिर्णय

380. इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए—

निर्वचन।

(क) “अग्रिम विनिर्णय” से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) ऐसे संव्यवहार के संबंध में, जो किसी अनिवासी आवेदक द्वारा

अपने हाथ में लिया गया है या लिया जाना प्रस्तावित है, अग्रिम विनिर्णय बोर्ड द्वारा अवधारण; या

(ii) ऐसे संव्यवहार से उद्भूत किसी अनिवासी के कर दायित्व के संबंध में, जो किसी निवासी आवेदक द्वारा ऐसे अनिवासी के साथ अपने हाथ में लिया गया है या लिया जाना प्रस्तावित है, अग्रिम विनिर्णय बोर्ड द्वारा अवधारण,

(iii) ऐसे संव्यवहार से, जो किसी निवासी आवेदक द्वारा अपने हाथ में लिया गया है या लिया जाना प्रस्तावित है, उद्भूत ऐसे आवेदक के कर दायित्व के संबंध में अग्रिम विनिर्णय बोर्ड द्वारा अवधारण, और ऐसे ऐसे अवधारण के अधीन आवेदन में विनिर्दिष्ट विधि या तथ्य के किसी प्रश्न का अवधारण भी है; या

(iv) कुल आय की संगणना से संबंधित विवादक की बाबत, जो किसी आय-कर प्राधिकारी या अपील अधिकरण के समक्ष लंबित है, अग्रिम विनिर्णय बोर्ड द्वारा अवधारण या विनिश्चय और ऐसे अवधारण या विनिश्चय के अधीन आवेदन में विनिर्दिष्ट कुल आय की ऐसी संगणना से संबंधित विधि या तथ्य के किसी प्रश्न का अवधारण या विनिश्चय भी है; या

(v) अग्रिम विनिर्णय बोर्ड द्वारा इस बारे में कोई अवधारण या विनिश्चय कि क्या ऐसा कोई ठहराव, जो ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा, जो कोई निवासी या अनिवासी है, किया जाना प्रस्तावित है, अध्याय 11 में यथानिर्दिष्ट कोई अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव है या नहीं

(ख) “आवेदक” से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है—

(i) खंड (क) (i) में निर्दिष्ट कोई अनिवासी है;

(ii) खंड (क) (ii) में निर्दिष्ट कोई निवासी है;

(iii) खंड (क) (iii) में निर्दिष्ट कोई निवासी है, जो ऐसे वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों में आता है, जिसे केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे;

(iv) ऐसा निवासी है, जो ऐसे वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों में आता है, जिसे केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे; या

(v) खंड क(v) में निर्दिष्ट है,

और धारा 383(1) के अधीन आवेदन करता है;

(ग) “आवेदन” से धारा 383(1) के अधीन प्राधिकरण या अग्रिम विनिर्णय बोर्ड को किया गया आवेदन अभिप्रेत है;

(घ) “अग्रिम विनिर्णय बोर्ड” से केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 381 के अधीन गठित अग्रिम विनिर्णय बोर्ड अभिप्रेत है

(ङ) “सदस्य” से अग्रिम विनिर्णय बोर्ड का कोई सदस्य अभिप्रेत है ।

381. (1) केन्द्रीय सरकार, ऐसी तारीख को या उसके पश्चात्, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, एक या अधिक अग्रिम विनिर्णय बोर्डों का गठन करेगी जो इस अध्याय के अधीन अग्रिम विनिर्णय देने के लिए अपेक्षित हो।

अग्रिम विनिर्णय बोर्ड।

(2) अग्रिम विनिर्णय बोर्ड दो सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनमें से प्रत्येक मुख्य आयुक्त की पंक्ति से नीचे का अधिकारी होगा, जो बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए।

382. अग्रिम विनिर्णय बोर्ड द्वारा कोई कार्यवाही या उसके द्वारा सुनाया गया अग्रिम विनिर्णय, केवल इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा या अविधिमान्य नहीं होगा कि अग्रिम विनिर्णय बोर्ड में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है।

रिक्तियों, आदि से कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना।

383. (1) इस अध्याय के अधीन अग्रिम विनिर्णय अभिप्राप्त करने की वांछा रखने वाला कोई आवेदक ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, वह प्रश्न कथित करते हुए जिस पर अग्रिम विनिर्णय चाहा गया है, एक आवेदन कर सकेगा।

अग्रिम विनिर्णय के लिए आवेदन।

(2) आवेदन के साथ ऐसी फीस होगी, जो विहित की जाए।

(3) आवेदक, आवेदन की तारीख से तीस दिन के भीतर आवेदन वापस ले सकेगा।

384. (1) आवेदन की प्राप्ति पर, अग्रिम विनिर्णय बोर्ड उसकी एक प्रति प्रधान आयुक्त या आयुक्त को अग्रेषित कराएगा और यदि अपेक्षित हो तो उससे सुसंगत अभिलेख मांगेगा, यथासंभव शीघ्र, आयुक्त को लौटा दिए जाएंगे।

आवेदन की प्राप्ति पर प्रक्रिया।

(2) अग्रिम विनिर्णय बोर्ड, आवेदन और मांगे गए अभिलेखों की परीक्षा करने के पश्चात्, आदेश द्वारा, आवेदन को मंजूर कर सकेगा या नामंजूर कर सकेगा।

(3) उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए, कोई आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा यदि उसमें उठाया गया प्रश्न—

(क) उठाया गया प्रश्न किसी आय-कर प्राधिकारी या अपील अधिकरण धारा 380(ख)(iii) के अन्तर्गत आने वाले किसी निवासी आवेदक के सिवाय या किसी न्यायालय के समक्ष पहले से ही लंबित है;

(ख) किसी आय-कर प्राधिकरण या अपील अधिकरण द्वारा तय नहीं किया गया हो;

(ग) धारा 380(ख)(iii) के अन्तर्गत आने वाले किसी निवासी आवेदक या धारा 380(ख)(iv) में आने वाले किसी आवेदक के सिवाय उठाया गया प्रश्न किसी ऐसे संव्यवहार या विवादक से संबंधित है, जो प्रथमदृष्ट्या आय-कर से बचने के लिए परिकल्पित है।

(4) कोई आवेदन उपधारा (2) के अधीन तब तक नामंजूर नहीं किया जाएगा जब तक आवेदक को सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो और ऐसे नामंजूर करने के कारण को आदेश में दिया गया हो :

(5) उपधारा (2) के अधीन दिए गए प्रत्येक आदेश की एक प्रति आवेदक को और प्रधान आयुक्त या आयुक्त को भेजी जाएगी।

(6) जहां उपधारा (2) के अधीन कोई आवेदन मंजूर किया जाता है वहां अग्रिम विनिर्णय बोर्ड, ऐसी और सामग्री की परीक्षा करने के पश्चात् जो आवेदक द्वारा उसके

समक्ष रखी जाए या अग्रिम विनिर्णय द्वारा अभिप्राप्त की जाए, आवेदन की प्राप्ति के छह मास के भीतर आवेदन में विनिर्दिष्ट प्रश्न पर अपना अग्रिम विनिर्णय सुनाएगा।

(7) आवेदक से प्राप्त किसी अनुरोध पर, अग्रिम विनिर्णय बोर्ड अपना अग्रिम विनिर्णय सुनाने के पूर्व आवेदक को, स्वयं या सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि की मार्फत सुनवाई का अवसर देना।

(8) अग्रिम विनिर्णय बोर्ड द्वारा सुनाए गए अग्रिम विनिर्णय की एक प्रति, जो सदस्यों द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और विहित रीति से प्रमाणित की जाएगी, ऐसे सुनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, आवेदक को और प्रधान आयुक्त या आयुक्त को भेजी जाएगी।

(9) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "प्राधिकृत प्रतिनिधि" का वही अर्थ होगा जो धारा 513(3)(क) में दिया गया है, मानो आवेदक एक निर्धारित हो।

385. कोई आय-कर प्राधिकारी या अपील अधिकरण किसी ऐसे विवादक का विनिश्चय करने के लिए कार्यवाही नहीं करेगा जिसके संबंध में आवेदक द्वारा, जो निवासी है, धारा 383(1)के अधीन कोई आवेदन किया गया है।

386. (1) जहां प्राधिकरण, प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा उसे किए गए अभ्यावेदन पर या अन्यथा, यह निष्कर्ष निकालता है कि धारा 384(6) के अधीन सुनाया गया अग्रिम विनिर्णय, कपट या तथ्यों के दुर्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है वहां वह, आदेश द्वारा, ऐसे विनिर्णय को आरंभ से ही शून्य घोषित कर सकेगा और तब इस अधिनियम के सभी उपबंध (ऐसे अग्रिम विनिर्णय की तारीख से प्रारंभ होने वाली और इस उपधारा के अधीन किए गए आदेश की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि को छोड़ने के पश्चात्) आवेदक को वैसे ही लागू होंगे मानो ऐसा अग्रिम विनिर्णय कभी भी न किया गया हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन किए गए आदेश की एक प्रति, आवेदक को और प्रधान आयुक्त या आयुक्त को भेजी जाएगी।

387. (1) अग्रिम विनिर्णय बोर्ड को, अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय की वे सभी शक्तियां प्राप्त होंगी जो इस अधिनियम की धारा 246 में निर्दिष्ट हैं।

(2) अग्रिम विनिर्णय बोर्ड को, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 215 के प्रयोजनों के लिए, न कि अध्याय 28 के प्रयोजनों के लिए, सिविल न्यायालय समझा जाएगा और प्राधिकरण के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 229 और धारा 267 के अर्थ में और धारा 233 के प्रयोजन के लिए न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी।

388. अग्रिम विनिर्णय बोर्ड को, इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग से उत्पन्न होने वाले सभी मामलों में अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी।

389. (1) आवेदक, यदि वह अग्रिम विनिर्णय बोर्ड या निर्धारण अधिकारी द्वारा सुनाए गए किसी विनिर्णय या पारित किए गए आदेश से व्यथित है, प्रधान आयुक्त या

कतिपय मामलों में अपील प्राधिकारी द्वारा कार्यवाही न किया जाना।

कतिपय परिस्थितियों में अग्रिम विनिर्णय का शून्य होना।

प्राधिकरण की शक्तियां।

अग्रिम विनिर्णय बोर्ड की प्रक्रिया।

अपील।

2023 का 46

2023 का 45

आयुक्त के निदेशों पर ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, उस विनिर्णय या आदेश की संसूचना की तारीख से साठ दिन के भीतर अग्रिम विनिर्णय बोर्ड के ऐसे विनिर्णय या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय को अपील कर सकेगा।

(2) आवेदक द्वारा इस निमित्त किए गए आवेदन पर, जहां उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी को उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत करने से पर्याप्त कारण द्वारा रोका गया था, तो वह ऐसी अपील फाइल करने के लिए तीस दिन की और अवधि मंजूर कर सकेगा।

अध्याय 19

कर का संग्रहण और वसूली

क. साधारण

390. (1) आय-कर इस अध्याय के अनुसार निम्नलिखित रूप में संदेय होगा—

(क) स्रोत पर कटौती या संग्रहण; या

(ख) अग्रिम संदाय; या

(ग) धारा 392(2)(क) के अधीन संदाय।

स्रोत पर कटौती
और अग्रिम
संदाय।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कर, कर वर्ष के बाद में किए जाने वाले ऐसी आय के संबंध में निर्धारण पर ध्यान दिए बिना, इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार संदेय होगा।

(3) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए धारा 4(1) के अधीन ऐसी आय पर कर के प्रभार को प्रभावित नहीं करेगा।

(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कर का संदाय, कर वर्ष के लिए विहित आय के संबंध में संदेयता का निर्वहन करने के लिए कर वसूली के किसी अन्य रीति के अतिरिक्त होगा।

(5) इस अध्याय के अधीन धारा 392(2)(ए) में निर्दिष्ट स्रोत पर काटा गया या संगृहीत किया गया कर या राशि और केंद्रीय सरकार को संदाय उस व्यक्ति की ओर से कर का संदाय माना जाएगा—

(क) ऐसे प्ररूप या जिसके संबंध में ऐसी आय या संदाय से ऐसा कर काटा गया या संदेय किया गया है; या

(ख) जिससे ऐसा कर संग्रहित किया गया है।

(ग) वह कर वर्ष जिसके लिए क्रेडिट दिया जाएगा।

(6) बोर्ड निम्नलिखित के लिए नियम बना सकेगा—

(क) उपधारा (5) में निर्दिष्ट व्यक्ति को तथा उक्त उपधारा में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को भी काटे गए या संगृहीत या संदत्त कर का क्रेडिट देना;

(ख) वह कर वर्ष जिसके लिए क्रेडिट दिया जाएगा।

391. (1) किसी भी आय पर आय-कर निर्धारिती द्वारा सीधे संदेय होगा यदि—

प्रत्यक्ष संदाय।

(क) इस अध्याय के अधीन संदाय के समय ऐसी आय पर आय-कर काटने का कोई उपबंध नहीं है; या

(ख) इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार आय-कर नहीं काटा गया है।

(2) यदि किसी निर्धारिती के पास धारा 17(1)(घ) में विनिर्दिष्ट प्रकृति की कोई आय है, विद्यमान नियोक्ता द्वारा आवंटित की जाती है या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अंतरित की जाती है जो धारा 140 में निर्दिष्ट एक योग्य स्टार्ट-अप है, तो उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए कर का प्रत्यक्ष संदाय उस रीति से किया जाएगा जिसे धारा 289(3) के अनुसार किया जा सकता है।

(3) जहां कंपनी के प्रधान अधिकारी सहित कोई भी व्यक्ति—

(क) जिससे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किसी राशि की कटौती करना अपेक्षित है ; या

(ख) जो धारा 392(2)(क) में निर्दिष्ट है और जो नियोजक है,

इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन यथा अपेक्षित संपूर्ण कर की या उसके किसी भाग की कटौती नहीं करता है अथवा इस प्रकार कटौती करने के पश्चात् संदाय करने में असफल रहता है या उसका संदाय नहीं करता है जहां निर्धारिती भी ऐसे कर का सीधे संदाय करने में असफल रहा है वहां ऐसा व्यक्ति, ऐसे किन्हीं अन्य परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो वह उपगत करे, ऐसे कर की बाबत धारा 398(1) के अर्थ के भीतर व्यतिक्रमी निर्धारिती समझा जाएगा।

ख. स्रोत पर कटौती और संग्रह

392. (1) “वेतन” शीर्ष के अधीन प्रभार्य किसी आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति, वेतन संदाय के समय संसंदेय रकम पर आय-कर कटौती आय-कर की उस औसत दर पर करेगा जो इस शीर्ष के अधीन निर्धारिती की उस कर वर्ष की प्राक्कलित आय पर, उस वित्तीय वर्ष के लिए जिसमें संदाय किया जाता है, प्रवृत्त दरों के आधार पर संगणित हो।

(2)(क) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, धारा 17(1) के अधीन कर के लिए प्रभार्य गैर-मौद्रिक परिलब्धि की प्रकृति में किसी भी आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, उस समय कोई कटौती किए बिना ऐसी आय के पूरे या हिस्से पर कर का संदाय करने का विकल्प चुन सकता है, जब ऐसा कर उपधारा (1) के अधीन कटौती योग्य था और उपधारा (1) के उपबंध ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे।

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट आय सहित “वेतन” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय पर, खंड (क) के अधीन कर उपधारा (1) के अनुसार औसत दर पर विहित किया जाएगा और इसे “वेतन” शीर्षक के अधीन आय से स्रोत पर कटौती योग्य कर के रूप में समझा जाएगा, तथा इस अध्याय के उपबंधों के अधीन होगा।

(3) कोई भी व्यक्ति, जो धारा 140 में निर्दिष्ट पात्र स्टार्ट-अप है, जो किसी भी कर वर्ष में धारा 17(1)(घ) में निर्दिष्ट प्रकृति की किसी भी आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, ऐसी धारा 289(3) में संदायकर्ता के लिए निर्दिष्ट समय के भीतर ऐसे कर वर्ष के लिए जिसमें यथास्थिति, विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्वेत इक्विटी शेयर आवंटित किया जाता है, आय पर लागू दरों के आधार पर कर की कटौती या संदाय किया जाता है।

(4) (क) उपधारा (1) के अधीन संदाय पर की जाने वाली कटौती के प्रयोजन के

किसी कर्मचारी को संदेय वेतन और संचित शेष।

लिए यथाविहित प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों में जिसका प्रभाव कटौती किए जाने वाले कर में वृद्धि या कमी करने का हो, उक्त उपधारा के अधीन संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, विहित प्ररूप और रीति से निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित विवरणों को ध्यान में रखेगा—

(i) कर वर्ष के दौरान किसी अन्य नियोजक या नियोजकों से निर्धारिती द्वारा संदेय या प्राप्त “वेतन” शीर्षक के अधीन कोई आय;

(ii) जो सरकारी सेवक है या किसी कंपनी, सहकारी सोसाइटी, स्थानीय प्राधिकारी, विश्वविद्यालय, संस्था, संगम या निकाय का कर्मचारी है, धारा 157 के अधीन राहत का हकदार है;

(iii) उसी कर वर्ष के लिए ‘गृह संपत्ति से आय’ शीर्षक के अधीन कोई हानि;

(iv) किसी अन्य आय शीर्षक के अधीन प्रभार्य कोई आय, उसी कर वर्ष के लिए (उपखंड (iii) में विनिर्दिष्ट हानि के सिवाय किसी अन्य शीर्षक के अधीन हानि नहीं है);

(v) उसी कर वर्ष के लिए इस अध्याय के अधीन स्रोत पर काटा या संग्रहित कोई कर।

(ख) “वेतन” शीर्ष के अधीन आय से कटौती योग्य कर को किसी भी मामले में कम नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि—

(i) ‘गृह संपत्ति से आय’ शीर्ष के अधीन हानि; और

(ii) इस अध्याय के अन्य उपबंधों के अनुसार काटा गया और संग्रहित कर।

(5) ऐसा कोई व्यक्ति, जो निर्धारिती को “वेतन” शीर्ष के अधीन प्रभार्य किसी आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी है,—

(क) ऐसे निर्धारिती को, जिसको ऐसा संदाय किया जाता है, उसको वेतन के बदले में दी गई परिलब्धियों या लाभों और उसके मूल्य की सही और पूर्ण विशिष्टियां देते हुए एक विवरण, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से देगा, जो विहित की जाए ।

(ख) उपधारा (1) के अधीन निर्धारिती की प्राक्कलित आय या काटे गये कर की गणना के प्रयोजन के लिए निर्धारिती से अधिनियम के उपबंधों के अधीन विहित दावों का (जिसके अधीन हानि को मुजरा करने का दावा भी है) साक्ष्य या सबूत या विशिष्टियां ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से अभिप्राप्त करेगा, जो विहित किए जाएं ; और

(ग) ऐसे आधिक्य या कमी का समायोजन करने के प्रयोजन के लिए, जो कर वर्ष के दौरान, पूर्ववर्ती कटौती से या कटौती न करने से उद्भूत होती हो, इस धारा के अधीन कटौती की जाने वाली रकम को कटौती करते समय, बढ़ा या घटा सकेगा ।

(6)(क) एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि के न्यासी, या कर्मचारियों को देय संचित शेष राशि का भुगतान करने के लिए निधि के नियमों द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति, उन मामलों में जहां अनुसूची XI का भाग क का पैरा 9 लागू होता है, एक कर्मचारी के कारण संचित शेष राशि के भुगतान के समय, अनुसूची XI का भाग क का पैरा 10 उपबंधित कर में कटौती करेंगे ।

(ख) जहां एक नियोक्ता द्वारा किए गए किसी भी योगदान, इस तरह के योगदान पर ब्याज सहित, यदि कोई हो, एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि में, अनुसूची XI का भाग ख के पैरा 7 के उपबंध के विस्तार के लिए निधि के न्यासियों द्वारा कर में कटौती करेंगे।

(7) (क) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात को विचार में लाए बिना, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 5 के अधीन तैयार कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के न्यासी; या

1952 का 19

(ख) ऐसी स्कीम के अधीन प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति जो कर्मचारियों को देय संचित शेष राशि का भुगतान करने के लिए प्राधिकृत है,

किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में भाग लेने वाले कर्मचारी को देय संचित शेष के भुगतान के समय, उस पर 10% की दर से आय-कर की कटौती करेगा, जहां इस तरह के भुगतान की कुल राशि रुपए 50,000 या अधिक है, और इस तरह की संचित शेष राशि अनुसूची XI का भाग क के पैरा 8 के उपबंध से सम्मिलित होने योग्य कुल आय लागू नहीं होगी।

(8) विदेशी मुद्रा में संदेय वेतन पर कर की कटौती के लिए ऐसे वेतन की रुपए का मूल्य विनिमय की दर पर कटौती की जाएगी।

स्रोत पर कर की
कटौती की
जाएगी।

393. (1) जहां नीचे दी गई सारणी के स्तंभ ख में निर्दिष्ट प्रकृति की कोई भी आय या योग, कर वर्ष के दौरान स्तंभ घ में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा जमा या भुगतान या वितरित किया जाता है, एक निवासी को, स्तंभ ग में निर्दिष्ट राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, ऐसी राशि पर आय-कर कटौती करेगा,—

(क) ऐसी आय या रकम की सम्पूर्ण राशि पर जहां बढ़ाई गई रकम या संकलित रकम स्तंभ ग या यथास्थिति क्रम संख्या 8 (ii) के लिए टिप्पण 1 के अनुसार किसी धन पर विनिर्दिष्ट सीमांत होगी;

(ख) स्तंभ ड में विनिर्दिष्ट दर पर;

(ग) ऐसी आय या राशि को पाने वाले के खाते में जमा करते समय या नकद में या चेक या ड्राफ्ट के माध्यम से या किसी अन्य रीति से संदाय करते समय, जो भी पहले हो; और

(घ) उपधारा (4), उपधारा (5), उपधारा (6), उपधारा (8) और उपधारा (9) के उपबंधों के अधीन।

सारणी

निवासी को संदाय के लिए

क्र. सं.	आय या राशि की प्रकृति	संदाय कर्ता	दर
सीमांत			
क	ख	ग	घ
1. कमीशन या दलाली			
(i)	बीमा काराबार पॉलिसियों की निरंतरता, नवीकरण या पुनरुद्धार से	(बीमा किसी भी व्यक्ति प्रवृत्त दरें : सीमांत रुपए 20,000/-	

संबंधित काराबार सहित)
की मांग करने या प्राप्त
करने के लिए कमीशन या
अन्यथा के रूप में
पारिश्रमिक या पुरस्कार के
रूप में कोई आय।

- (ii) कमीशन के रूप में कोई भी कोई निर्दिष्ट व्यक्ति दर 2%
आय [क्रम संख्या(i) में सीमांत
निर्दिष्ट बीमा कमीशन न 20,000/-
होते हुए] या दलाली

2. किराया

- (i) किराये के रूप में कोई भी विनिर्दिष्ट व्यक्ति के दर 2%
आय अतिरिक्त कोई भी सीमांत कुल राशी एक
व्यक्ति महीने या महीने के किसी
भाग के लिए 50,000
रुपए
- (ii) किराये के रूप में कोई भी कोई विनिर्दिष्ट (क) 2%, किसी भी
आय व्यक्ति उपयोग के लिए— मशीनरी;
या संयंत्र; या उपकरण;
और
(ख) 10%, किसी भी
उपयोग के लिए—
भूमि; या
भवन (कारखाना भवन
सहित); या किसी भवन
(कारखाना भवन सहित) से
संबद्ध भूमि; या फर्नीचर;
या फिटिंग सीमांत कुल
राशी एक महीने या महीने
के किसी भाग के लिए
50,000 रुपए

टिप्पण—क्रम संख्या 2(i) के अधीन, ऐसी आय पर कर की कटौती निम्नलिखित
समय पर की जाएगी—

(क) संदायकर्ता के खाते के लिए किराये का क्रेडिट; या

(ख) चेक या ड्राफ्ट या किसी अन्य रीति से संदाय,

कर वर्ष के अंतिम महीने या किरायेदारी के अंतिम महीने के लिए, पाने वाले के खाते में, जो भी पहले हो।

3. कृषि भूमि के अतिरिक्त कुछ अचल संपत्ति के अंतरण पर संदाय

(i)	किसी भी अचल संपत्ति के अंतरण के लिए प्रतिफल के रूप में कोई राशि (कृषि भूमि के सिवाय)	कोई भी व्यक्ति (उस व्यक्ति के अतिरिक्त जिसे क्रम संख्या 3 (iii) के अधीन कर कटौती करना अपेक्षित है)	दर 1 प्रतिशत (क) किसी अचल संपत्ति के अंतरण पर विचार करने के लिए: या (ख) ऐसी संपत्ति के मूल्य का स्टाम्प शुल्क

जो भी उच्च
तर हो

सीमांत

50 लाख रुपये और
टिप्पण 3 के अनुसार

- (ii) धारा 67(14) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति समझौते के अधीन विचार के रूप में कोई राशि, जो वस्तु के रूप में विचार नहीं है

दर 10%

सीमांत शून्य

- (iii) कोई भी राशि, प्रकृति में होने के कारण—

दर 10%

सीमांत

5,00,000 रुपए

(क) मुआवजा या बढ़ा हुआ मुआवजा; या

(ख) प्रतिफल या बढ़ा हुआ प्रतिफल;

किसी भी अचल संपत्ति के, वर्तमान में लागू किसी भी विधि के अधीन अनिवार्य अधिग्रहण के कारण (कृषि भूमि के सिवाय)

टिप्पण 1—क्रम संख्या 3(i) के अधीन किसी अचल संपत्ति के अंतरण के लिए प्रतिफल, स्तंभ घ में उल्लिखित राशि के प्रयोजनों के लिए ऐसी अचल संपत्ति के अंतरण के लिए सभी अंतरितियों द्वारा अंतरक या सभी अंतरकों को संदाय की गई या संदेय राशियों का योग होगा।

टिप्पण 2—विचार के मामले में जिस पर क्रम संख्या 3 (i) और 3 (ii) दोनों के उपबंध लागू होते हैं, कर केवल 3 (ii) के अधीन काटा जाएगा ।

टिप्पण 3 — क्रम संख्या 3 (iii) के प्रयोजनों के लिए, आयकर की इस प्रकार

कटौती की जाएगी जहां किसी अचल सम्पत्ति या ऐसी सम्पत्ति के स्टाम्प शुल्क के अंतरण के लिए प्रतिफल समतुल्य या 50 लाख रुपए से अधिक होगा ।

4. पूंजी बाजार से आय

(i)	निम्नलिखित के संबंध किसी भी व्यक्ति में कोई आय—	दर 10% 10,000 रुपए सीमांत
	(क) अनुसूची 7 में (सारणी 20) या (सारणी 21) के अधीन विनिर्दिष्ट परस्पर निधि की यूनिटों; या	
	(ख) विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक से यूनिटों ; या	
	(ग) विनिर्दिष्ट कंपनी से यूनिटों	
(ii)	धारा 223 में निर्दिष्ट कोई वितरित आय , जो अनुसूची 5 में (सारणी 3) या (सारणी 4) में निर्दिष्ट प्रकृति की हो , जो कारबार न्यास के यूनिट धारक को संदेय हो ।	दर 10% सीमांत शून्य
(iii)	अनुसूची 5 में (सारणी 2) के अधीन छूट प्राप्त आय के अनुपात के अतिरिक्त कोई भी आय , धारा 224 में विनिर्दिष्ट विनिधान निधि की यूनिटों के संबंध में , विनिधान निधि के यूनिट धारक को संदेय	धारा 224 में दर 10% विनिर्दिष्ट कोई भी सीमांत विनिधान निधि शून्य
(iv)	किसी विनिधानक को धारा 221 में निर्दिष्ट प्रतिभूतिकरण न्यास में विनिधान के संबंध में कोई आय	धारा 221 में दर 10% विनिर्दिष्ट कोई भी सीमांत प्रतिभूतिकरण न्यास शून्य

5. ब्याज आय

(i)	प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में कोई आय;	कोई व्यक्ति दर : प्रवृत्त दरें सीमांत 10,000 रुपए
(ii)	प्रतिभूतियों पर ब्याज के अतिरिक्त ब्याज के रूप में कोई आय	(क) कोई बैंकिंग दर : प्रवृत्त दरें सीमांत

(ख) बैंकिंग काराबार (क) वरिष्ठ नागरिक के करने वाली सहकारी मामले में 1,00,000 समिति; या रुपए;
(ग) केंद्रीय सरकार (ख) वरिष्ठ नागरिक के द्वारा तैयार एवं अतिरिक्त अन्य व्यक्ति के अधिसूचित किसी मामले में रुपए 50,000/- स्कीम के अधीन जमा की गई राशि के मामले में डाकघर।

- (iii) प्रतिभूतियों पर ब्याज के उपर्युक्त क्रम संख्या दर : प्रवृत्त दरें अतिरिक्त ब्याज के रूप में 5(ii) के स्तंभ ग में सीमांत कोई आय, [उपर्युक्त क्रम वर्णित व्यक्ति के 10,000 रुपए संख्या ड (ii) को छोड़कर] अतिरिक्त

टिप्पण 1—क्रम संख्या 5 (ii) और 5(iii) के लिए, जहां जमा या संदाय की गई ब्याज आय निम्नलिखित के संबंध में है—

- (क) एक बैंकिंग कंपनी के साथ सावधि जमा नहीं तो; या
(ख) बैंकिंग कारबार चलाने वाली किसी सहकारी समिति के पास सावधि जमा; या
(ग) धारा 32(ड) के अधीन भारत में गठित और रजिस्ट्रीकृत एक सार्वजनिक कंपनी के पास जमा राशि जिसका मुख्य उद्देश्य आवासीय उद्देश्यों के लिए भारत में घरों के निर्माण या खरीद के लिए दीर्घकालिक वित्त का काराबार करना है और कटौती के लिए पात्र है ;

और स्तंभ घ में उल्लिखित व्यक्ति ने कोर बैंकिंग समाधान नहीं अपनाया है, स्तंभ घ में राशि की गणना ऐसे व्यक्ति की शाखा द्वारा जमा या संदाय की गई आय के निर्देश में की जाएगी।

टिप्पण 2—इस सारणी के क्रम संख्या 5(ii) और 5(iii) में निर्दिष्ट संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, कोई कटौती करते समय, कर वर्ष के दौरान किसी पिछली कटौती या कटौती करने में विफलता से उत्पन्न किसी अधिकता या कमी को समायोजित करने के प्रयोजनार्थ कटौती की जाने वाली राशि को बढ़ा या घटा सकता है।

6. वृत्तिक और तकनीकी सेवाओं आदि के लिए ठेकेदारों को शुल्क का संदाय।

- (i) ठेकेदार और अभिहीत कोई भी अभिहीत दर व्यक्ति के बीच अनुबंध के व्यक्ति (क) 1%, यदि ठेकेदार अनुसरण में किसी कार्य को व्यक्ति या हिंदू करने के लिए कोई राशि अविभाजित कुटुंब हैं;
(किसी कार्य को करने के लिए श्रम की आपूर्ति सहित) (ख) 2%, यदि ठेकेदार उपर्युक्त (क) में उल्लिखित व्यक्ति के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति है।

		सीमांत
		[(क) और (ख) के लिए]
		(क) 30,000 रुपए; और
		(ख) 1,00,000 रुपए
		संकलित रकम के मामले
		में ऐसी रकम
(ii) कोई भी राशि—	कोई भी व्यक्ति, जो	दर 2%
(क) किसी अनुबंध के	एक वैयक्तिक या	सीमांत
अनुसरण में कोई कार्य करने	हिंदू अविभाजित	50,00,000 रुपए
के लिए (किसी कार्य को	कुटुंब है (उनके	
करने के लिए श्रम की	अतिरिक्त जिन्हें क्रम	
आपूर्ति सहित); या	संख्या 6(i) और (iii)	
(ख) वृत्तिक सेवाओं के लिए	या क्रम संख्या 1(iii)	
फीस के रूप में; या	में दिए गए उपबंधों	
(ग) कमीशन के माध्यम से	के अनुसार आय-कर	
(क्रम संख्या 1(i) में निर्दिष्ट	में कटौती करना	
बीमा कमीशन नहीं) या	अपेक्षित है।	
दलाली के माध्यम से		
(iii) किसी भी राशि के माध्यम	कोई विनिर्दिष्ट	(क) ऐसी राशि का 2%
से—	व्यक्ति	(i) तकनीकी सेवाओं के
(क) वृत्तिक सेवाओं के लिए		लिए शुल्क (वृत्तिक सेवाएं
शुल्क, या		नहीं), या
(ख) तकनीकी सेवाओं के		(ii) स्वामित्व जहां ऐसी
लिए शुल्क, या		स्वामित्व सिनेमैटोग्राफिक
(ग) किसी कंपनी के		फिल्मों की विक्रय, वितरण
निदेशक को धारा 392 के		या प्रदर्शन के लिए
अधीन कर कटौती योग्य के		प्रतिफल की प्रकृति की है;
अतिरिक्त किसी भी नाम से		या
ज्ञात कोई पारिश्रमिक या		(iii) पाने वाले , कॉल
शुल्क या कमीशन, या		सेंटर के संचालन के
(घ) स्वामित्व, या		काराबार में लगा हुआ है।
(ङ) धारा 26 (2) (ज) में		(ख) (क) के अतिरिक्त
निर्दिष्ट कोई राशि		अन्य मामलों में ऐसी
		राशि का 10%
		सीमांत
		50,000 रुपए
		[(क), (ख), (घ) और (ङ)

के लिए]

स्तंभ ख के (ग) के लिए:
शून्य

टिप्पण—क्रम संख्या 6 (i) के अधीन, यदि धारा 402(47) (ड) में विनिर्दिष्ट किसी कार्य को करने के लिए कोई राशि संदाय की जाती है या जमा की जाती है, तो कर स्रोत पर काटा जाएगा—

(क) सामग्री के मूल्य को छोड़कर बीजक मूल्य पर, यदि ऐसा मूल्य बीजक में अलग से निर्दिष्ट किया गया है; या

(ख) सम्पूर्ण बीजक मूल्य पर, यदि सामग्री का मूल्य बीजक में अलग से निर्दिष्ट नहीं किया गया है।

7. लाभांश

वितरित या संदाय किए गए कोई भी घरेलू कंपनी	दर 10%
लाभांश (अधिमान्य शेयरों सहित) घोषित	सीमांत
	शून्य

टिप्पण—लाभांश का कोई वितरण या संदाय करने से पहले स्रोत पर कर की कटौती की जाएगी।

8. अन्य मामले

(i) जीवन बीमा पॉलिसी के कोई व्यक्ति अधीन कोई राशि, जिसमें ऐसी पॉलिसी पर बोनस के रूप में आबंटित राशि भी सम्मिलित है, अनुसूची II में (सारणी क्रम संख्या 2) के अधीन कुल आय में सम्मिलित न की गई राशि को छोड़कर।	दर: ऐसी राशि में सम्मिलित आय पर 2% सीमांत 1,000000 रुपए
(ii) किसी भी माल की खरीद के क्रेता के रूप में कोई व्यक्ति, अधिक कोई भी राशि	दर : 0.1% सीमांत : टिप्पण 1 के अनुसार
(iii) अध्याय 8 और धारा 156 के अधीन के अधीन स्वीकार्य कटौती और छूट के प्रभाव के बाद एक निर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक की कुल आय	कोई भी निर्दिष्ट बैंक प्रवृत्त दर सीमांत यथा लागू

- (iv) किसी भी निवासी के कोई विनिर्दिष्ट दर : ऐसे फायदे या काराबार या वृत्तिक से व्यक्ति परिलब्धि के मूल्यों का उत्पन्न कोई लाभ या योग का 10% परिलब्धि, चाहे वह धन में सीमांत परिवर्तनीय हो या नहीं 20000 रूपए
- (v) किसी ई-वाणिज्य भागीदार कोई भी ई-वाणिज्य ऐसी विक्रय या सेवाओं या द्वारा वस्तुओं की विक्रय या ऑपरेटर दोनों की सकल राशि का सेवाओं का उपबंध , जिसे ई- 0.1% वाणिज्य ऑपरेटर द्वारा सीमांत अपनी डिजिटल या शून्य इलैक्ट्रानिक सुविधा या प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुगम बनाया जाता है
- (vi) किसी आभासी डिजिटल किसी भी व्यक्ति दर : 1% आस्ति के अंतरण के लिए विचारार्थ कोई राशि

टिप्पण 1 (क)—क्रम संख्या 8 (ii) के अधीन कर की कटौती ऐसे लेनदेन पर लागू नहीं होगी जिस पर अधिनियम के किसी भी उपबंध के अधीन कर कटौती योग्य है।

(ख) कर की कटौती अधिकतम 50 लाख रूपए तक की जाएगी ।

टिप्पण 2—क्रम संख्या 8 (iv) के उपबंध किसी निवासी को प्रदान किए गए किसी लाभ या परिलब्धि पर लागू होंगे, चाहे वह नकद या वस्तु के रूप में हो या आंशिक रूप से नकद और आंशिक रूप से वस्तु या (नकद के सिवाय) के रूप में हो और यथास्थिति, ऐसे लाभ या परिलब्धि को प्रदान करने के पूर्व, ऐसा लाभ या परिलब्धि प्रदान करने के पूर्व उत्तरदायी व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा कि उसके कर की कटौती हो गई है ।

टिप्पण 3—क्रम संख्या 8 (v) के संबंध में—

(क) कर की कटौती के लिए, उसके उपबंध इस अध्याय के किसी अन्य उपबंध पर पूर्वता लेंगे;

(ख) किसी ई-वाणिज्य ऑपरेटर द्वारा सुगम बनाए गए माल के विक्रय या सेवाओं के उपबंध या दोनों के लिए किसी माल के क्रेता या सेवाओं के प्राप्तकर्ता द्वारा किसी ई-वाणिज्य प्रतिभागी को सीधे किया गया कोई संदाय, ई-वाणिज्य ऑपरेटर द्वारा ई-वाणिज्य प्रतिभागी को जमा या संदाय की गई राशि मानी जाएगी और यह राशि इस खंड के अधीन आय-कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए ऐसी विक्रय या सेवाओं की सकल राशि में सम्मिलित की जाएगी;

(ग) ई-वाणिज्य ऑपरेटर को ई-वाणिज्य प्रतिभागी को संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति माना जाएगा;

(घ) इस अध्याय में निहित किसी भी बात पर ध्यान दिए बिना, यदि—

(i) इस क्रम संख्या के अधीन किसी लेनदेन पर कर काटा गया है ; या

(ii) कोई लेनदेन धारा 393(4) में [सारणी क्रम संख्या 11] में दिए गए अनुसार कर कटौती के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो इस अध्याय के किसी अन्य उपबंध के अधीन ऐसे लेनदेन पर कर नहीं काटा जाएगा;

(ड) खंड (घ) किसी ई-वाणिज्य ऑपरेटर द्वारा प्राप्त या प्राप्त किसी भी राशि या कुल राशि पर लागू नहीं होगा—

(i) विज्ञापन लगाना; या

(ii) कोई अन्य सेवाएं प्रदान करना,

जो इस खंड में निर्दिष्ट विक्रय या सेवाओं से संबंधित नहीं हैं।

टिप्पण 4—ऐसे लेन-देन के मामले में, जिस पर कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए क्रम संख्या 8 (v) के उपबंध क्रम संख्या 8 (vi) के उपबंधों के साथ लागू होते हैं, टिप्पण 3 में अंतर्विष्ट किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे लेन-देन पर कर की कटौती केवल क्रम संख्या 8 (vi) उपबंधों के अधीन की जाएगी।

टिप्पण 5—क्रम संख्या 8 (iii) के उपबंध इस अध्याय के किसी भी अन्य प्रावधानों पर पूर्वता लेंगे और इस उपबंध के अधीन कर काट लिया जाएगा।

टिप्पण 6—क्रम संख्या 8(iv) और 8(vi) के प्रयोजनों के लिए,—

(क) यथास्थिति जहां प्रतिफल या लाभ या परिलब्धि है—

(i) क्रम संख्या 8(iv) में किसी अन्य आभासी डिजिटल आस्ति के बदले में, जिसमें नकदी का कोई भाग नहीं है; या

(ii) पूर्णतः वस्तु के रूप में है; या

(iii) आंशिक रूप से वस्तु के रूप में और आंशिक रूप से नकद में है, किन्तु नकद में ऐसा भाग ऐसे सम्पूर्ण संदाय या लाभ या परिलब्धि के संबंध में कर की कटौती के दायित्व को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है,

व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना होगा कि कटौती किए जाने वाले कर का संदाय कर दिया गया है, यथास्थिति ऐसा प्रतिफल जारी करने या ऐसा लाभ या परिलब्धि प्रदान करने से पहले।

(ख) "प्रदान करने के लिए उत्तरदाई व्यक्ति" से कंपनी स्वयं उसके प्रमुख अधिकारी सहित या किसी कंपनी के मामले में इस तरह के लाभ या अनुलाभ प्रदान करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है।

(2) जहां नीचे दी गई सारणी के स्तंभ ख में विनिर्दिष्ट प्रकृति की कोई आय या राशि, कर वर्ष के दौरान स्तंभ ड में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा स्तंभ घ में विनिर्दिष्ट किसी अनिवासी को संदेय है, वहां ऐसी आय और रकम पर स्तंभ ग में विनिर्दिष्ट राशि का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति ऐसी रकम पर आय कर की कटौती करेगा—

(क) स्तंभ च में निर्दिष्ट दर पर;

(ख) संदायकर्ता के खाते में आय या राशि जमा करने के समय या नकद में इसके भुगतान के समय या चेक या ड्राफ्ट के माध्यम से या किसी अन्य मोड

द्वारा, जो भी पहले हो; और

(ग) उपधारा (4), उपधारा (8) और उपधारा (9) के उपबंधों के अधीन।

सारणी

अनिवासी के लिए संदाय

क्र.सं.	आय या राशि की प्रकृति	पाने वाला	लेने वाला	दर
क	ख	ग	घ	ङ
1.	धारा 211 में उल्लिखित कोई भी आय	(क) कोई अनिवासी खिलाड़ी (जिसमें एथलीट भी सम्मिलित हैं) या मनोरंजनकर्ता, जो भारत का नागरिक नहीं है; या (ख) एक अनिवासी खेल संघ या संस्था	कोई व्यक्ति	20%
2.	भारत के बाहर किसी स्रोत से विदेशी मुद्रा में उधार ली गई धनराशि के संबंध में संदेय ब्याज के रूप में कोई आय,— (क) ऋण समझौते के अधीन या 1 जुलाई, 2012 को या उसके बाद लेकिन 1 जुलाई, 2023 से पहले किसी भी समय दीर्घकालिक बुनियादी ढांचा निधि जारी करने के माध्यम से; नहीं तो; या (ख) 1 अक्टूबर, 2014 को या उसके बाद किन्तु 1 जुलाई, 2023 से पहले किसी भी समय दीर्घकालिक	कोई भी अनिवासी, जो कंपनी या विदेशी कंपनी न हो	कोई विनिर्दिष्ट भारतीय कंपनी या कारबार न्यास	5%

अवसंरचना बंधपत्र
सहित कोई
दीर्घकालिक बंधपत्र
जारी करके,

जिसे केंद्रीय सरकार
द्वारा इस संबंध में
अनुमोदित किया गया
है।

3. 1 जुलाई, 2023 से कोई भी कोई विनिर्दिष्ट 5%
पहले रुपया मूल्यवर्गित अनिवासी, जो भारतीय कंपनी
बंधपत्र जारी करके कंपनी या विदेशी या कारबार
भारत के बाहर किसी कंपनी न हो न्यास
स्रोत से उधार ली गई
धनराशि के संबंध में
संदेय ब्याज के रूप में
कोई आय
4. किसी दीर्घकालिक कोई भी कोई निर्दिष्ट (क) 4%, जहां
बंधपत्र या रुपया अनिवासी, जो भारतीय कंपनी 1 अप्रैल,
मूल्यवर्गित बंधपत्र के कंपनी या विदेशी या कारबार 2020 को या
जारी होने के माध्यम कंपनी न हो न्यास उसके बाद
से भारत के बाहर किसी किंतु 1
स्रोत से उधार ली गई जुलाई, 2023
धनराशि के संबंध में से पहले ऐसा
संदेय ब्याज के रूप में बांड जारी
कोई आय, जो केवल किया गया हो;
किसी अंतर्राष्ट्रीय या
वित्तीय सेवा केन्द्रीय में (ख) 9%, जहां
स्थित मान्यता प्राप्त 1 जुलाई,
स्टॉक एक्सचेंज में 2023 को या
सूचीबद्ध है। उसके बाद
ऐसा बांड जारी
किया गया हो;
5. ब्याज के रूप में कोई कोई भी अनुसूची VII 5%
भी आय अनिवासी जो की (सारणी
कंपनी या विदेशी क्रम संख्या
कंपनी न हो 46) में
निर्दिष्ट कोई
भी अवसंरचना
ऋण निधि,

6. धारा 223 में निर्दिष्ट कोई भी यूनिट कोई भी (क) अनुसूची
कोई वितरित आय जो धारक, जो कारबार न्यास V की
अनुसूची V में (सारणी अनिवासी (कंपनी [सारणी क्रम
क्रम संख्या 3) में न हो) या विदेशी संख्या 3ख
निर्दिष्ट प्रकृति की हो। कंपनी हो (क)] में
निर्दिष्ट प्रकृति
की आय के
मामले में
5%; तथा
(ख) अनुसूची
V (सारणी
क्रम संख्या
3बी (ख)) में
निर्दिष्ट प्रकृति
की आय के
मामले में
10%
7. धारा 223 में निर्दिष्ट कोई भी यूनिट कोई भी प्रवृत्त दरें
कोई वितरित आय, जो धारक, जो कारबार न्यास
अनुसूची V में (सारणी अनिवासी (कंपनी
क्रम संख्या 4) में न हो) या विदेशी
निर्दिष्ट प्रकृति की हो। कंपनी हो
8. धारा 224 में निर्दिष्ट कोई भी यूनिट धारा 224 में प्रवृत्त दरें
विनिधान निधि की धारक, जो निर्दिष्ट कोई
यूनिटों के संबंध में, अनिवासी (कंपनी भी विनिधान
अनुसूची V में (सारणी न हो) या विदेशी निधि
क्रम संख्या 2) के कंपनी हो
अधीन छूट प्राप्त आय
के अनुपात के सिवाय
कोई आय।
9. धारा 221 में निर्दिष्ट कोई भी धारा 221 में प्रवृत्त दरें
प्रतिभूतिकरण न्यास में विनिधानक, जो निर्दिष्ट कोई
विनिधान के संबंध में अनिवासी (कंपनी भी
कोई आय न हो) या विदेशी प्रतिभूतिकरण
कंपनी हो न्यास
10. कोई भी आय कोई भी कोई व्यक्ति टिप्पण 2 के
(क) अनुसूची 7 की अनिवासी, जो अनुसार
(सारणी क्रम संख्या कंपनी न हो, या
20) या 21 के अधीन कोई विदेशी
कंपनी हो

विनिर्दिष्ट परस्पर निधि
की यूनिटों के संबंध
में ; या

(ख) विनिर्दिष्ट कंपनी
से

11. धारा 208 में निर्दिष्ट कोई भी अपतट किसी भी 10%
यूनिटों के संबंध में निधि व्यक्ति
कोई आय
12. धारा 208 में निर्दिष्ट कोई भी अपतट किसी भी 12.5%
यूनिटों के अंतरण से निधि व्यक्ति
उत्पन्न दीर्घकालिक
पूंजीगत लाभ के
माध्यम से कोई आय ;
13. धारा 209 में निर्दिष्ट कोई भी किसी भी 10%
बंधपत्र या ग्लोबल अनिवासी व्यक्ति
डिपॉजिटरी रसीदों के
संबंध में ब्याज या
लाभांश के रूप में कोई
आय
14. धारा 209 में निर्दिष्ट कोई भी कोई व्यक्ति 12.5%
बंधपत्र या ग्लोबल अनिवासी
डिपॉजिटरी रसीदों के
हस्तांतरण से उत्पन्न
दीर्घकालिक पूंजीगत
अभिलाभ के माध्यम से
कोई भी आय
15. धारा 210 (1) सारणी विदेशी संस्थागत कोई व्यक्ति टिप्पण 2 के
क्रम संख्या (1) में विनिधानक अनुसार
निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के
संबंध में कोई आय
16. धारा 210 (1) (सारणी अनुसूची 6 कोई व्यक्ति 10%
क्रम संख्या (1) (क)) में सारणी ई1 के
निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के खंड (छ) में
संबंध में कोई आय निर्दिष्ट एक
निर्दिष्ट निधि
17. कोई ब्याज (क्रम संख्या कोई भी कोई व्यक्ति प्रवृत्त करें
2, 3, 4 और 5 में अनिवासी, जो
निर्दिष्ट ब्याज नहीं) या कंपनी न हो, या
इस अधिनियम के कोई विदेशी

उपबंधों के अधीन कंपनी हो
 प्रभार्य कोई अन्य राशि,
 जो "वेतन" शीर्ष के
 अधीन प्रभार्य आय नहीं
 है।

टिप्पण 1—क्रम संख्या 2, 3 और 4 के स्थान पर संदेय ब्याज उस प्रकार विस्तारित की जाने वाली आय होगी जिसमें ऐसा ब्याज किसी लोन या बांड और उसके पुनः संदाय के संदर्भ ध्यान में रखते हुए इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित दर पर गणना की जाने वाली ब्याज की रकम से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 2—क्रम संख्या 10 और 15 के स्थान पर कर की गणना निम्नलिखित दर पर की जाएगी—

(क) 20 प्रतिशत; अथवा

(ख) जहां धारा 159 (1) या 159(2) में निर्दिष्ट कोई करार संदायकर्ता को लागू होती है और यदि संदायकर्ता ने धारा 159(8) में निर्दिष्ट प्रमाण पत्र को प्रस्तुत कर दिया है यथास्थिति, तब आयकर ऐसी आय के लिए उस करार में उपबंधित आयकर की दर या दरों की कटौती की जाएगी, यदि ऐसी दर 20 प्रतिशत से कम है ।

टिप्पण 3—क्रम संख्या 17 के स्थान पर, —

(क) यदि ब्याज का संदाय किसी सरकारी या पब्लिक सेक्टर बैंक या लोक वित्तीय संस्थान द्वारा किया जाता है, कर की कटौती केवल नगद अथवा किसी चेक या ड्राफ्ट के जारी करने या किसी अन्य पद्धति द्वारा संदाय के समय की जाएगी ।

(ख) श्रोत पर कर की कटौती के आक्षेप और बढ़ाई गई क्रम संख्या के उपबंध के अनुपालन सभी निवासी या अनिवासी व्यक्तियों द्वारा किया गया हो—

(i) कारबार का निवास या स्थान या भारत में जुड़ा हुआ कारबार ;
 या

(ii) किसी अन्य रीति में कोई अन्य उपस्थिति जो कोई भारत में हो ।

(3) जहां नीचे दी गई सारणी के स्तंभ ख में विनिर्दिष्ट प्रकृति की कोई आय या राशि, कर वर्ष के दौरान स्तंभ ग में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को संदेय है, वहां संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति आय कर की कटौती करेगा—

(क) ऐसी आय या धन के सम्पूर्ण रकम पर जहां ऐसी रकम या सकल रकम स्तंभ घ में विनिर्दिष्ट सीमांत से अधिक है;

(ख) स्तंभ घ में विनिर्दिष्ट दर ;

(ग) नकद या चेक या ड्राफ्ट के माध्यम से या किसी अन्य रीति से, जो भी पहले हो, या उसमें विनिर्दिष्ट संदाय के समय; और

(घ) उपधारा (4), (5), (6), (8) और (9) के उपबंधों के अधीन।

सारणी

किसी भी व्यक्ति को संदाय के लिए

क्र. सं.	आय या राशि की प्रकृति	लेने वाला	दर
(क)	(ख)	(ग)	(घ)
1.	जीत के माध्यम से कोई आय (क्रम संख्या 2 में यथाविनिर्दिष्ट ऑनलाईन गेम से जीत के सिवाय) – (क) कोई लॉटरी; या (ख) वर्ग पहेली; या (ग) ताश का खेल और किसी भी प्रकार का अन्य खेल; या (घ) किसी भी रूप या प्रकृति का जुआ या सट्टा लगाना	किसी भी व्यक्ति	दर: प्रवृत्त दरें सीमांत एकल संव्यवहार के मामले में रुपए10,000/-
2.	ऑनलाइन गेम से जीत के माध्यम से कोई भी आय	किसी भी व्यक्ति	दर प्रवृत्त दरें टिप्पण 1 के अनुसार शुद्ध जीत
3.	किसी भी घुड़दौड़ से जीत के रूप में कोई भी आय	कोई व्यक्ति जो बुकमेकर है या ऐसा व्यक्ति है जिसको तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सरकार द्वारा किसी घुड़दौड़ के मैदान में घुड़दौड़ के लिए या घुड़दौड़ के मैदान में सट्टा या दांव लगाने का प्रबन्ध करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है और जो किसी व्यक्ति को घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी है,	दर प्रवृत्त दरें एकल संव्यवहार के मामले में रुपए10,000/-

4. किसी भी व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति दर: 2%
निक्षेपित या संदत्त कोई सीमांत
आय जो लॉटरी टिकटों की रूपए 20,000 है
विक्रय पर कमीशन,
पारिश्रमिक या पुरस्कार
(चाहे किसी भी नाम से
पुकारा जाए) के रूप में कोई
आय है
5. कटौतीकर्ता द्वारा रखे गए प्रत्येक व्यक्ति,— दर: 2%
एक या अधिक खातों से (I) कोई बैंकिंग सीमांत
नकद में संदाय की जाने कंपनी, जिस पर (क) रूपए
वाली कोई भी राशि बैंककारी विनियमन 3,00,00,000 यदि
अधिनियम, 1949 कटौतीकर्ता
लागू होता है सहकारी समिति हो
(जिसके अधीन उस या;
अधिनियम की (ख) रूपए
धारा 51 में 1,00,00,000
निर्दिष्ट कोई बैंक कटौतीकर्ता के
या बैंकिंग संस्था मामले में सहकारी
भी है); समिति के सिवाय
(II) बैंकिंग कारबार अन्य व्यक्ति
चलाने वाली
सहकारी समिति;
या
(III) एक डाकघर
6. आय-कर अधिनियम, 1961 किसी भी व्यक्ति दर: 10% सीमांत
की धारा 80गगक (2)(क) रूपए 2,500/-
में निर्दिष्ट कोई भी
राशि ।
7. फर्म के साझेदार को वेतन, एक फर्म होने के दर: 10% सीमांत
पारिश्रमिक, कमीशन, बोनस नाते, कोई भी रूपए 20,000
या ब्याज के रूप में भुगतान व्यक्ति
की गई कोई राशि या उसके
खाते में जमा (पूँजी सहित)

टिप्पण 1—क्रम संख्या 2 के लिए,—

(क) कर वर्ष के अंत में भुगतानकर्ता के उपयोगता खाते में शुद्ध जीत पर ;

(ख) जहां कर वर्ष के दौरान उपयोक्ता खाते से कोई प्रत्याहरण होता है, वहां ऐसे प्रत्याहरण के समय, ऐसे प्रत्याहरण में सम्मिलित शुद्ध जीत पर और कर वर्ष के अंत में खाते में शेष शुद्ध जीत पर कर की कटौती की जाएगी, जहां प्रत्येक मामले में शुद्ध जीत की गणना ऐसी रीति से की जाएगी, जो विहित की जाए ।

टिप्पण 2—क्रम संख्या 1 और 2 के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, जहां जीत या

शुद्ध जीत, —

(क) पूर्णतः वस्तु के रूप में है; या

(ख) अंशतः वस्तु के रूप में और अंशतः नकद है, किन्तु नकद में ऐसा भाग ऐसी सम्पूर्ण जीत के संबंध में कर की कटौती के दायित्व को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है,

भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना होगा कि जीत की राशि जारी करने से पहले 50 की कटौती के लिए आवश्यक कर का भुगतान कर दिया गया है।

टिप्पण 3—क्रम संख्या 4 के प्रयोजनों के लिए, भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति ऐसी राशि जमा करते समय या नकद में या चेक या ड्राफ्ट जारी करके या किसी अन्य रीति से ऐसी राशि का भुगतान करते समय, जो भी पहले हो, कर की कटौती करेगा।

(4) स्रोत पर कर की कटौती, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ ख में निर्दिष्ट उपबंधों के अधीन, उस आय या राशि के संबंध में नहीं की जाएगी, जो स्तंभ ग में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करती है।

सारणी

स्रोत पर किसी कटौती को न करने की स्थिति

क्र. सं.	स्रोत पर कर कटौती के उपबंध	किसी कटौती को न करने स्थिति
(क)	(ख)	(ग)
1.	धारा 393(1) (सारणी क्रम संख्या 1(ii)) में निर्दिष्ट कमीशन या दलाली	भारत संचार निगम लिमिटेड या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा उनके सार्वजनिक कॉल कार्यालय फ्रेंचाइजी को संदेय कोई भी कमीशन या दलाली ।
2.	धारा 393(1) (सारणी क्रम संख्या 2 (ii)) में निर्दिष्ट किराया	किराये के रूप में कोई भी आय किसी कारबार न्यास को जमा या संदाय की जाती है, जो एक अचल संपत्ति विनिधान न्यास है, अनुसूची 5 में (सारणी क्रम संख्या 4) में निर्दिष्ट किसी भी अचल संपत्ति आस्ति के संबंध में, जो सीधे ऐसे कारबार न्यास के स्वामित्व में है।
3.	धारा 393 (1) (सारणी क्रम संख्या 3 (iii)) में निर्दिष्ट कुछ अचल संपत्ति के अधिग्रहण पर मुआवजा	किसी पुरस्कार या समझौते के माध्यम से प्राप्त कोई आय, जिसे भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनःस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 96 के अधीन आय-कर के उद्ग्रहण से छूट दी गई हो।

4. धारा 393 (1) (सारणी क्रम संख्या 4 (i)) में उल्लिखित यूनिटों के संबंध में आय यदि आय पूंजीगत लाभ की प्रकृति की है
 5. धारा 393 (1) (सारणी के क्रम संख्या 4(ii)) में निर्दिष्ट कारबार न्यास की यूनिटों से कुछ आय अनुसूची 5 में (सारणी क्रम संख्या 3) स्तंभ (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की कोई आय, यदि उक्त क्रम संख्या में निर्दिष्ट विशेष प्रयोजन वाहन ने धारा 200 के अधीन विकल्प का प्रयोग नहीं किया है ।
 6. धारा 393(1) (सारणी क्रम संख्या 5(i)) में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों पर ब्याज (क) निम्नलिखित पर संदेय कोई ब्याज—
 - (i) राष्ट्रीय विकास बंधपत्र;
 - (ii) ऐसे डिबेंचर, जो ऐसे संस्थान या प्राधिकरण या कोई अन्य व्यक्ति द्वारा जारी किए जाएं, जिसे केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट करे;
 - (iii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की सिवाय कोई प्रतिभूति,:
 - (क.) 8% बचत (कर योग्य) बंधपत्र, 2003; या
 - (ख.) 7.75% बचत (कर योग्य) बंधपत्र, 2018; या
 - (ग.) फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड, 2020 (कर योग्य); या
 - (घ.) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की कोई अन्य प्रतिभूति जिसे केन्द्रीय सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट करे;
- (ख) किसी को संदेय कोई ब्याज—
- (i) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) के अधीन स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम, उसके स्वामित्व वाली किसी प्रतिभूति के संबंध में या जिसमें उसका पूर्ण लाभकारी हित है; या
 - (ii) भारतीय साधारण बीमा निगम को या साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की

धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन बनाई गई स्कीमों के आधार पर गठित चार कम्पनियों में से किसी को, निगम या ऐसी कम्पनी के स्वामित्व वाली किन्हीं प्रतिभूतियों के संबंध में या जिनमें निगम या ऐसी कम्पनी का पूर्ण लाभकारी हित है; या

(iii) किसी अन्य बीमाकर्ता द्वारा अपने स्वामित्व वाली किसी भी प्रतिभूति के संबंध में या जिसमें उसका पूर्ण लाभकारी हित हो;

(iv) अनुसूची V में (सारणी क्रम संख्या 3) में निर्दिष्ट विशेष प्रयोजन वाहन द्वारा धारा 2(21) में परिभाषित "कारबार न्यास", किसी भी प्रतिभूतियों के संबंध में ।

7. धारा 393(1) (सारणी क्रम संख्या 5(ii) और 5(iii)) में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों पर ब्याज के सिवाय अन्य ब्याज (क) किसी भी ब्याज आय को जमा या संदाय किया जाता है—

(i) कोई बैंकिंग कंपनी या

(ii) किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई वित्तीय निगम, या

(iii) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के अधीन स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम, या

(iv) यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, या

(v) बीमा का कारबार करने वाली कोई कंपनी या सहकारी समिति, या

(vi) ऐसी अन्य संस्था, संघ या निकाय या संस्थाओं, संघों या निकायों का वर्ग जिसे केंद्रीय सरकार, कारणों को लिखित रूप में दर्ज करके, 1 अप्रैल 2020 से पहले राजपत्र में इस संबंध में अधिसूचित कर सकती है ।

(ख) जमा या संदाय की गई कोई भी ब्याज आय—

(i) किसी सहकारी समिति (सहकारी

बैंक से भिन्न) द्वारा अपने किसी सदस्य को; या

(ii) किसी सहकारी समिति द्वारा किसी अन्य सहकारी समिति को; या

(iii) किसी प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी या किसी प्राथमिक ऋण सोसायटी या किसी सहकारी भूमि बंधक बैंक या किसी सहकारी भूमि विकास बैंक में जमा राशि के संबंध में; या

(iv) उप खंड (iii) में निर्दिष्ट सहकारी समिति या बैंक से भिन्न, बैंकिंग कारबार में लगी सहकारी समिति में जमा राशि (1 जुलाई, 1995 को या उसके पश्चात की गई सावधि जमा राशि को छोड़कर) के संबंध में;

टिप्पण – उपरोक्त खंड (ख) के उपबंध लागू होंगे ।

(क) सहकारी समिति की कुल विक्रय, सकल प्राप्तियां या टर्नओवर उस कर वर्ष से ठीक पहले के कर वर्ष के दौरान 50,00,00,000 रुपए से अधिक है जिसमें ऐसा ब्याज जमा या संदाय किया जाता है; और

(ख) रकम या ब्याज क्रेडिट की रकम का सकल योग या बढ़ा हुआ संदाय धारा 393 (1) (सारणी क्रम संख्या 5 (ii) स्तंभ (घ) में उल्लिखित सीमांत ।

(ग) जमा या संदाय की गई कोई भी ब्याज आय—

(i) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम या भारतीय आय-कर अधिनियम, 1961 या संपदा शुल्क अधिनियम, 1953 या धन-कर अधिनियम, 1957 या दान-कर

अधिनियम, 1958 या कम्पनी (लाभ) अधिकर अधिनियम, 1964 या ब्याज-कर अधिनियम, 1974 के किसी उपबन्ध के अधीन;

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा तैयार की गई और उसके द्वारा इस संबंध में राजपत्र में अधिसूचित किसी स्कीम के अधीन जमाराशियों के संबंध में;

(iii) किसी बैंकिंग कंपनी में जमाराशियों के संबंध में (1 जुलाई, 1995 को या उसके पश्चात की गई सावधि जमाराशियों को छोड़कर);

(iv) मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा प्रदान की गई क्षतिपूर्ति राशि पर ब्याज के रूप में, जहां ऐसी आय की राशि या, यथास्थिति, कर वर्ष के दौरान संदाय की गई ऐसी आय की कुल राशि 50,000 रुपए से अधिक नहीं है;

(v) या किसी अवसंरचना पूंजी कंपनी; या अवसंरचना पूंजी निधि; या अवसंरचना ऋण निधि; या किसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी; या अनुसूचित बैंक द्वारा संदेय, ऐसी कंपनी या निधि या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी या अनुसूचित बैंक द्वारा 1 जून, 2005 को या उसके बाद जारी किए गए शून्य कूपन बंधपत्र के संबंध में;

(vi) अनुसूची 5 में (सारणी क्रम संख्या 3) में निर्दिष्ट ब्याज के माध्यम से ।

(vii) किसी फर्म के लिए भागीदार द्वारा

8. धारा 393(1) में (सारणी क्रम संख्या 6(i)) में निर्दिष्ट ठेकेदारों को संदाय (क) जहां—

संख्या 6(i)) में निर्दिष्ट ठेकेदारों को संदाय

(i) संदाय किसी ठेकेदार को मालवाहक वाहन चलाने, किराये पर लेने या पट्टे पर देने के कारबार के दौरान किया जाता है; और

(ii) ठेकेदार के पास कर वर्ष के दौरान किसी भी समय दस या उससे कम माल वाहक हों; और

(iii) राशि का संदाय या क्रेडिट

करने वाले व्यक्ति को उस आशय का घोषणापत्र, अपने स्थायी खाता संख्या सहित प्रस्तुत करता है; और (iv) ठेकेदार को संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति विहित आय-कर प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप और समय में विवरण प्रस्तुत करेगा, जैसा कि विहित किया जा सकता है।

(ख) जहां ऐसी राशि किसी व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित कुटुंब के किसी सदस्य द्वारा केवल ऐसे व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित कुटुंब के किसी सदस्य के निजी प्रयोजनों के लिए जमा की जाती है या संदाय की जाती है।

9. धारा 393(1) (सारणी क्रम संख्या 6(iii)) में निर्दिष्ट वृत्तिक या तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क जहां ऐसी राशि किसी व्यक्ति या हिंदू अविभाजित कुटुंब द्वारा विशेष रूप से ऐसे व्यक्ति या हिंदू अविभाजित कुटुंब के किसी सदस्य के व्यक्तिगत प्रयोजनों के लिए जमा या संदाय की जाती है।
10. धारा 393(1) में (सारणी क्रम संख्या 7) में निर्दिष्ट लाभांश किसी भी लाभांश आय को जमा या संदाय किया जाता है—

(क) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) के अधीन स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम, उसके स्वामित्व वाले किसी शेयर के संबंध में या जिसमें उसका पूर्ण लाभकारी हित है;

(ख) भारतीय साधारण बीमा निगम को या साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन बनाई गई स्कीमों के आधार पर गठित चार कम्पनियों में से किसी को, निगम या ऐसी कम्पनी के स्वामित्व वाले किन्हीं शेयरों के संबंध में या जिनमें निगम या ऐसी कम्पनी का पूर्ण लाभकारी हित है;

(ग) किसी अन्य बीमाकर्ता के स्वामित्व वाले किसी भी शेयर के संबंध में या

जिसमें उसका पूर्ण लाभकारी हित है;

(घ) धारा 2(21) में परिभाषित "कारबार न्यास", अनुसूची v में (टिप्पण 2) में निर्दिष्ट विशेष प्रयोजन वाहन द्वारा ;

(ङ) कोई अन्य व्यक्ति जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में राजपत्र में अधिसूचित किया जाए;

(च) कोई शेयरधारक, जो एक व्यक्ति है, यदि—

(I) लाभांश का संदाय कंपनी द्वारा नकद के सिवाय किसी अन्य रीति से किया जाता है; और

(II) कर वर्ष के दौरान वितरित या संदाय किए गए या वितरित या संदाय किए जाने की संभावना वाले ऐसे लाभांश की राशि या कुल राशि रुपए 10,000/- से अधिक नहीं है।

11. धारा 393(1) (सारणी क्रम संख्या 8(v) में निर्दिष्ट ई-वाणिज्य प्रतिभागी को ई-वाणिज्य ऑपरेटर द्वारा संदाय जहां राशि किसी ई-वाणिज्य भागीदार के खाते में कर वर्ष के दौरान जमा या संदाय की गई है या जमा या संदाय की जाने की संभावना है, जो कि:

(क) कोई व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित कुटुंब ; तथा

(ख) कर वर्ष के दौरान विक्रय या सेवाओं या दोनों की सकल राशि रुपए 5 लाख से अधिक नहीं है ; और

(ग) ई-वाणिज्य भागीदार ने ई-वाणिज्य ऑपरेटर को स्थायी खाता संख्या या आधार संख्या प्रदान की है।

12. धारा 393(1) में (सारणी क्रम संख्या 8(vi)) में निर्दिष्ट आभासी डिजिटल आस्ति के हस्तांतरण पर संदाय जहां कर वर्ष के दौरान इस तरह के प्रतिफल का मूल्य या कुल मूल्य से अधिक नहीं है—

(क) रुपए 50,000, जब किसी व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार द्वारा देय हो, -

(i) जिसकी कुल बिक्री, सकल प्राप्तियां या उसके द्वारा किए गए कारबार से

कारोबार या उसके द्वारा प्रयोग किए गए वृत्तिक से कारोबार के मामले में क्रम संख्या क्रम संख्या रुपए 1,00,00,000 या वृत्तिक के मामले में रुपए 50,00,000 से अधिक नहीं है, कर वर्ष के तुरंत पहले कर वर्ष के दौरान जिसमें ऐसी आभासी डिजिटल संपत्ति स्थानांतरित की जाती है

(ii) "कारबार या वृत्तिक के लाभ और लाभ" शीर्षक के अधीन कोई आय नहीं है।

(ख) क्रम संख्या रुपए 10,000, जब खंड (क) में निर्दिष्ट व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा देय हो।

13. धारा 393(2) में (सारणी क्रम संख्या 6) में निर्दिष्ट कारबार न्यास की यूनिटों से आय अनुसूची 5 में (सारणी क्रम संख्या 3) (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की कोई आय, यदि उक्त खंड में निर्दिष्ट विशेष प्रयोजन वाहन ने धारा 200 के अधीन विकल्प का प्रयोग नहीं किया है।
14. धारा 393(2) में (सारणी क्रम संख्या 8) में निर्दिष्ट विनिधान निधि की यूनिटों के संबंध में आय कोई भी आय जो अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर योग्य नहीं है
15. धारा 393(2) में (सारणी क्रम संख्या 10) में निर्दिष्ट गैर-निवासियों की यूनिटों के संबंध में आय किसी अनिवासी भारतीय या अनिवासी हिंदू अविभाजित कुटुंब को भारतीय यूनिट न्यास की यूनिटों के संबंध में संदेय कोई आय, निर्दिष्ट शर्तों के अधीन
16. धारा 393(2) में (सारणी क्रम संख्या 15) में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों से विदेशी संस्थागत विनिधानकों की आय धारा 210 में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के हस्तांतरण से उत्पन्न पूंजीगत लाभ के माध्यम से कोई आय, यदि किसी विदेशी संस्थागत विनिधानक को संदेय हो
17. धारा 393(2) में (सारणी क्रम संख्या 16) में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों से निर्दिष्ट निधि की आय अनुसूची 6 में (सारणी क्रम संख्या 4) अधीन छूट प्राप्त कोई भी आय, यदि किसी निर्दिष्ट निधि को संदेय हो
18. धारा 393(3) में (सारणी क्रम संख्या 5) में निर्दिष्ट कुछ किसी भी संदाय किया गया—

राशियों का नकद संदाय

(क) सरकार;

(ख) बैंकिंग कारबार में लगी कोई बैंकिंग कंपनी या सहकारी समिति या डाकघर;

(ग) किसी बैंककारी कंपनी या सहकारी समिति का कोई कारबार प्रतिनिधि जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बैंककारी कारबार में लगा हो;

(घ) संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी प्राधिकरण के अनुसार बैंकिंग कारबार करने में लगी बैंकिंग कंपनी या सहकारी समिति का कोई व्हाइट लेबल स्वचालित टेलर मशीन ऑपरेटर।

19. धारा 393(3) में (सारणी क्रम निर्धारिती के उत्तराधिकारियों को किया संख्या 6) में निर्दिष्ट राष्ट्रीय जाता है
बचत स्कीम आदि के अधीन के लिए कोई संदाय
जमाराशियों के संबंध में संदाय

(5) इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात पर विचार किए बिना किसी भी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित को संदेय किसी भी राशि से कर की कटौती नहीं की जाएगी—

(क) सरकार; या

(ख) भारतीय रिज़र्व बैंक; या

(ग) किसी केंद्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगम, जो किसी समय लागू विधि के अधीन अपनी आय पर आय-कर से छूट प्राप्त है; या

(घ) अनुसूची 7 में (सारणी क्रम संख्या 20 या 21) के अधीन निर्दिष्ट परस्पर निधि,

जहां ऐसी राशि उसे निम्नलिखित के माध्यम से संदेय है—

(क) ब्याज, या

(ख) उसके स्वामित्व वाली किसी प्रतिभूति या शेयर के संबंध में लाभांश या जिसमें उसका पूर्ण लाभकारी हित है, या

(ग) उसे प्राप्त होने वाली या उत्पन्न होने वाली कोई अन्य आय।

(6) नीचे दी गई सारणी के स्तंभ ग में विनिर्दिष्ट उपबंधों के अधीन कर की कटौती नहीं की जाएगी, स्तंभ ख में विनिर्दिष्ट व्यक्ति के मामले में, यदि ऐसा व्यक्ति ऐसे उपबंधों में उल्लिखित किसी आय या राशि का संदाय करने के लिए उत्तरदायी

व्यक्ति को, दो प्रतियों में ऐसे प्ररूप और रीति से लिखित घोषणा प्रस्तुत करता है, जैसा कि विहित किया जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति की कर वर्ष की अनुमानित कुल आय पर कर, जिसमें ऐसी आय या राशि को उसकी कुल आय की गणना में सम्मिलित किया जाना है, शून्य होगा।

सारणी

स्रोत पर कोई कटौती न करने के लिए घोषणा

क्र. सं.	व्यक्ति	स्रोत पर कर कटौती के उपबंध
क	ख	ग
1. एक व्यक्ति, जो भारत का निवासी है	(क) धारा 392(7) में निर्दिष्ट कर्मचारी को संदेय संचित शेष राशि का संदाय (ख) धारा 393(1) में (सारणी क्रम संख्या 1(i)) में निर्दिष्ट बीमा आयोग (ग) धारा 393(1) में (सारणी क्रम संख्या 2(ii)) में निर्दिष्ट किराया (घ) धारा 393(1) में (सारणी क्रम संख्या 4(i)) में निर्दिष्ट यूनिटों के संबंध में आय (ङ) धारा 393(1) में (सारणी क्रम संख्या 5(i), 5(ii) और 5(iii)) में निर्दिष्ट ब्याज (च) धारा 393(1) में (सारणी क्रम संख्या 8(i)) में निर्दिष्ट जीवन बीमा पॉलिसी के संबंध में संदाय (छ) धारा 393 (1) (सारणी क्रम संख्या 7 में निर्दिष्ट लाभांश	

2. कोई व्यक्ति (क्रम संख्या (1) में क्रम संख्या (1) के स्तंभ (ग) का (क) से (च) आनेवाला किसी कम्पनी या किसी फार्म या व्यक्ति नहीं है)

टिप्पण- इस उपधारा के उपबंध सारणी के स्तंभ (ख) में निर्दिष्ट व्यक्ति (निवासी होते हुए किसी व्यक्ति के सिवाय जिसकी आय उस कर वर्ष के दौरान किसी समय 60 वर्ष या उससे अधिक हो गई हो) जहां ऐसी कोई आय इस सारणी के स्तंभ ग में निर्दिष्ट उपबंधों के अधीन कर की कटौती वहां की जाएगी, जहां ऐसे उपबंधों में निर्दिष्ट प्रकृति की किसी आय की राशि या राशियों का योग, सुसंगत कर वर्ष के दौरान जमा या संदाय किया जाता है या जमा या संदाय किए जाने की संभावना है, कर के लिए प्रभार्य नहीं अधिकतम राशि से अधिक है।

(7) उपधारा (6) में निर्दिष्ट प्रकृति की कोई आय या रकम का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, उसमें निर्दिष्ट घोषणा की एक प्रति, जो उस व्यक्ति से प्राप्त हुई है, प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त को, उस माह

के बाद वाले माह के सातवें दिन या उससे पूर्व परिदत्त करेगा या परिदत्त करवाएगा, जिसमें घोषणा उसे प्रस्तुत करता है।

(8) उपधारा (6) में अंतर्विष्ट किसी बात पर विचार किए बिना इस धारा के अधीन, किसी अनिवासी या भारत में सामान्यतः निवासी न होने वाले व्यक्ति द्वारा, अप्रैल, 2005 के प्रथम दिन या उसके पश्चात लिए गए उधार या जमा पर अपतट बैंकिंग इकाई द्वारा दिए गए ब्याज के संबंध में कर की कटौती नहीं की जाएगी।

(9) इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात पर विचार किए बिना, अनुसूची VII में (सारणी क्रम संख्या 41) में निर्दिष्ट नई पेंशन प्रणाली न्यास के लिए या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को किए गए संदाय पर कर की कटौती नहीं की जाएगी।

(10) धारा 392(2)(क) में निर्दिष्ट मामले के अतिरिक्त किसी करार या किसी व्यवस्था के अधीन, यदि इस अध्याय में निर्दिष्ट प्राप्तकर्ता की किसी आय पर प्रभार्य कर का संदायकर्ता द्वारा किया जाना है, तो कटौती के प्रयोजनों के लिए, आय को उस राशि तक बढ़ाया जाएगा जो इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार कर की कटौती के बाद संदेय शुद्ध राशि के बराबर हो जाती है।

(11) किसी भी आय या राशि का किसी भी खाते में जमा करना, चाहे उसे “उंचत खाता” कहा जाता हो या किसी अन्य नाम से, ऐसी आय या राशि का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति की खाता पुस्तकों में, संदायकर्ता के खाते में ऐसी आय या राशि का जमा होना माना जाएगा और इस अध्याय के उपबंध तदनुसार लागू होंगे।

स्रोत पर कर का संग्रहण।

394. (1) नीचे दी गई सारणी के स्तंभ ग में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति कर का संग्रहण करेगा—

(क) स्तंभ ख में निर्दिष्ट प्राप्तियों पर;

(ख) स्तंभ घ में निर्दिष्ट दर पर; और

(ग) क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार द्वारा क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार के खाते में संदेय राशि के डेबिट के समय या उक्त क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार से नकद या चेक अथवा ड्राफ्ट या किसी अन्य रीति से ऐसी राशि की प्राप्ति के समय, जो भी पहले हो।

सारणी

स्रोत पर कर संग्रहण

क्र. सं.	प्राप्ति की प्रकृति	व्यक्ति	स्रोत पर एकत्रित कर की दर
(क)	(ख)	(ग)	(घ)
1.	मानव उपभोग के लिए मादक मदिरा की विक्रय	विक्रेता	1%
2.	तेंदू पत्तों की विक्रय	विक्रेता	5%
3.	लकड़ी की विक्रय चाहे वन के अधीन हो या अन्यथा; या कोई अन्य वन उपज जो इमारती	विक्रेता	2%

- लकड़ी या तेंदू पत्ता न हो
- | | | | |
|----|--|-----------------|---|
| 4. | स्क्रेप की विक्रय | विक्रेता | 1% |
| 5. | खनिजों की विक्रय, चाहे वह कोयला हो या लिग्नाइट या लौह अयस्क | विक्रेता | 1% |
| 6. | दस लाख रुपए से अधिक की विक्रय राशि के मामले में
(क) मोटर वाहन; या
(ख) कोई अन्य माल, जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है, | विक्रेता | 1% |
| 7. | उदारीकृत धन-प्रेषण स्कीम के अधीन किसी राशि का प्रेषण या वित्तीय संस्थानों से प्राप्त शिक्षा ऋण से किया गया प्रेषण दस लाख रुपए से अधिक राशि या कुल राशि का धन-प्रेषण- | अधिकृत विक्रेता | (क) शिक्षा या चिकित्सा उपचार के प्रयोजनों के लिए 5%
(ख) शिक्षा या चिकित्सा उपचार के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों के लिए 20% |
| 8. | "विदेशी दौरा कार्यक्रम पैकेज" के मामले में विक्रय राशि, जिसमें यात्रा या होटल में ठहरने या भोजन या आवास या किसी ऐसे समान या संबंधित व्यय का व्यय सम्मिलित है, राशि या राशियों का कुल योग | विक्रेता | (क) दस लाख रुपए तक
लाख रुपए से अधिक 5%;
(ख) दस लाख रुपए से अधिक 20%; |
| 9. | कारबार के उद्देश्य से पार्किंग स्थल या टोल प्लाजा या खदान या खदान का उपयोग, खनिज तेल के खनन और उत्खनन को छोड़कर, (जिसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सम्मिलित हैं) | अनुज्ञप्तिदाता | 2% |

(2) उपधारा (1) और (सारणी 1 से 5) में अंतर्विष्ट किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उपधारा (1) में (सारणी क्रम संख्या 1 से क्रम संख्या 5) में विनिर्दिष्ट प्राप्तियों के संबंध में कर का संग्रहण उस क्रेता के संबंध में नहीं किया जाएगा, जो भारत का निवासी है, यदि वह कर संग्रहण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को ऐसे प्ररूप और रीति से, जैसा कि विहित किया जा सकता है, दो प्रतियों में लिखित घोषणा प्रस्तुत करता है, जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि ऐसे माल का उपयोग—

(क) वस्तुओं या चीजों के विनिर्माण, प्रसंस्करण या उत्पादन के प्रयोजनों के लिए या बिजली उत्पादन के लिए किया जाना है; और

(ख) व्यापारिक प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाना है।

(3) जहां उपधारा (2) के अधीन कर का संग्रहण नहीं किया जाना है, वहां कर संग्रहण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति उस उपधारा में निर्दिष्ट घोषणा की एक प्रति, उस घोषणा की प्राप्ति के माह के पश्चात आने वाले माह की सातवीं तारीख को या उससे पूर्व प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त को सौंपेगा।

(4) उपधारा (1) में (सारणी 7) में निर्दिष्ट रसीद के संबंध में प्राधिकृत व्यापारी द्वारा ऐसी राशि पर कर का संग्रहण नहीं किया जाएगा, जिस पर उपधारा (1) में (सारणी क्रम संख्या 8) में निर्दिष्ट विक्रेता द्वारा कर का संग्रहण किया गया है।

(क) ऐसी रकम पर जिसके पर कर की कटौती उपधारा (1) (सारणी क्रम संख्या 7) में निर्दिष्ट प्राप्ति के संबंध में विक्रेता द्वारा संग्रहण किया गया है।

(ख) यदि रकम किसी शैक्षणिक अनुसरण के लिए धारा 129 (3ख) में यथापरिभाषित किसी वित्तीय संस्थान से लोन अभिप्राप्त किया गया है।

(5) उपधारा (1) में (सारणी क्रम संख्या 7 और क्रम संख्या 8) में निर्दिष्ट रसीद के संबंध में प्राधिकृत व्यापारी या विक्रेता द्वारा कर का संग्रहण नहीं किया जाएगा, यदि क्रेता इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन स्रोत पर कर कटौती करने के लिए उत्तरदायी है और उसने ऐसा कर काट लिया है।

(6) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "वन उत्पाद" का वही अर्थ होगा जो तत्समय प्रवृत्त किसी राज्य अधिनियम या भारतीय वन अधिनियम, 1927 में परिभाषित है।

1927 का 16

प्रमाणपत्र।

395. (1) जहां इस अध्याय के अधीन किसी राशि या आय पर कर काटा जाना अपेक्षित है, वहां इस संबंध में बनाए जा सकने वाले नियमों के अधीन रहते हुए,—

(क) पाने वाले यथास्थिति, कम दर या अथवा आयकर की कटौती न करने पर आयकर की कटौती के लिए निर्धारण अधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकता है; और

(ख) निर्धारण अधिकारी इस बात से संतुष्ट होने पर कि यथास्थिति पाने वाले की कुल आय निम्न दर पर आयकर की कटौती या कोई कटौती न करने को उचित ठहराती है, उचित प्रमाण पत्र जारी करेगा; और

(ग) जब खंड (ख) के अधीन प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है, तो आय या राशि का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, ऐसे प्रमाण पत्र में जो विनिर्दिष्ट दर पर कर की कटौती करेगा या यथास्थिति उसकी वैधता तक कोई आयकर नहीं काटेगा।

(2)(क)धारा 392 (2) सारणी क्रम संख्या (17) में यथा उल्लिखित किसी अनिवासी को कोई राशि जो पूरी तरह या आंशिक रूप से का प्रतिनिधित्व करती है, संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, ऐसे प्रारूप और रीति से कर निर्धारण अधिकारी को आवेदन कर सकता है जैसा कि विहित किया जा सकता है, जहां वह समझता है कि प्राप्तकर्ता के मामले में ऐसी पूरी राशि प्रभार्य नहीं होगी;

(ख) खंड (क) के अधीन आवेदन, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विहित रीति से कर के लिए प्रभार्य राशि के उचित अनुपात के निर्धारण के लिए होगा; और

(ग) जब निर्धारण अधिकारी द्वारा खंड (ख) के अनुसार किया जाता है, तो कर की कटौती धारा 393(2) में (सारणी क्रम संख्या 17) के अधीन केवल उस राशि के अनुपात पर की जाएगी जो अधिनियम के अधीन कर के लिए प्रभार्य है।

(3) जहां इस अध्याय के अधीन किसी राशि पर कर संग्रहित किया जाना अपेक्षित है, वहां इस संबंध में बनाए गए नियमों के अधीन,—

(क) क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टधारी कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष कम दर पर कर संग्रहण के लिए आवेदन कर सकता है; और

(ख) कर निर्धारण अधिकारी यह संतुष्ट होने पर कि क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टधारी की कुल आय कम दर पर कर के संग्रहण को उचित ठहराती है, समुचित रूप से प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

(ग) जब खंड (ख) के अधीन प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है, तो कर संग्रहण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति उस प्रमाण-पत्र में निर्दिष्ट दरों पर उसकी वैधता तक कर संग्रहण करेगा।

(4) (क) कर काटने या संग्रहण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति कटौतीकर्ता या संग्रहकर्ता को प्रमाण-पत्र जारी करेगा, जिसकी आय या संदाय के संबंध में या जिससे, यथास्थिति, कर काटा या संग्रहित किया गया है, यह निर्दिष्ट करते हुए कि—

- (i) कर की वह राशि जो काटी या संग्रहित की गई है;
- (ii) वह दर जिस पर कर काटा या संग्रहित किया गया है; तथा
- (iii) यथा विहित कोई अन्य विवरण,

ऐसी अवधि के भीतर जो विहित की जा सकती है।

(ख) धारा 392(2) (क) में निर्दिष्ट नियोक्ता भी ऐसे कर्मचारी को प्रमाण पत्र जारी करेगा, जिसकी आय के संबंध में कर्मचारी द्वारा कर केन्द्रीय सरकार द्वारा संदाय किया गया हो और विनिर्दिष्ट किया जाता है कि किया गया है—

- (i) इस प्रकार भुगतान किए गए कर की राशि
- (ii) वह दर जिस पर कर का भुगतान किया गया है; और
- (iii) विहित के रूप में कोई अन्य विवरण

ऐसी अवधि के भीतर, जैसा कि विहित किया गया है

(5) निर्धारण अधिकारी आवेदक को उचित अवसर देने के बाद उपधारा (1) या (3) के अधीन दिए गए प्रमाण पत्र को रद्द कर सकता है।

396. निर्धारिती की आय की गणना के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित को प्राप्त आय माना जाएगा—

काटा गया कर प्राप्त आय है।

(क) इस अध्याय के अधीन कटौती किया गया धन; और

(ख) भारत के बाहर कटौती के माध्यम से संदाय किया गया आय-कर जिसके संबंध में निर्धारिती को इस अधिनियम के अधीन संदेय कर के विरुद्ध

क्रेडिट की अनुमति है,

धारा 392(2)(क) के अधीन भुगतान किए गए कर और धारा 393(3) [(सारणी क्रम संख्या 5) के अनुसार काटे गए कर को छोड़कर।

अनुपालन और
रिपोर्टिंग।

397. (1) (क) कर काटने या एकत्र करने के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति विहित समय के भीतर कर कटौती और संग्रह खाता संख्या के आवंटन के लिए निर्धारण अधिकारी को आवेदन करेगा, यदि उस व्यक्ति को पहले से ही यह संख्या आवंटित नहीं की गई है;

(ख) जहां किसी व्यक्ति को कर कटौती और संग्रहण खाता संख्या आवंटित की गई है, वह व्यक्ति इस अध्याय में निर्दिष्ट सभी चालानों, विवरणों, प्रमाणपत्रों और ऐसे लेन-देन से संबंधित स्रोत पर कर कटौती तथा स्रोत पर संग्रहित किया गया कर, सभी दस्तावेजों में ऐसी संख्या का उल्लेख करेगा, जैसा कि राजस्व के हित में विहित किया जा सकता है; और

(ग) खंड (क) के उपबंध लागू नहीं होंगे—

(i) धारा 393(1) में (सारणी क्रम संख्या 2(i), (सारणी क्रम संख्या 3(i) और [6(ii)] के उपबंधों के अधीन कर कटौती करने के लिए अपेक्षित व्यक्ति पर;

(ii) धारा 393(4) में [सारणी क्रम संख्या 12ग(क)] में निर्दिष्ट व्यक्ति पर; और

(iii) केंद्रीय सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में इस संबंध में अधिसूचित व्यक्ति पर।

(2) (क) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में निहित किसी बात पर विचार किए बिना प्रत्येक व्यक्ति जिसे कोई राशि प्राप्त करनी है, जिस पर कर कटौती योग्य है या किसी राशि का संदाय करना है, जिस पर कर संग्रहण योग्य है, वह ऐसी कटौती या संग्रहण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को अपना वैध स्थायी खाता संख्या प्रस्तुत करेगा।

(ख) खंड (क) के उपबंधों के अनुपालन में विफल होने की स्थिति में,—

(i) कर की कटौती निम्न दरों में से जो उच्चतर हो, 30% से अधिक नहीं होगी—

(अ) इस अधिनियम के सुसंगत उपबंध में विनिर्दिष्ट दर पर; या

(आ) प्रवृत्त दर या दरों पर; या

(इ) 5% की दर पर, जहां धारा 393(1) में [(सारणी क्रम संख्या 8(ii) और (v)] के उपबंधों के अधीन कर की कटौती की जानी अपेक्षित हो; या किसी अन्य मामले में 20% ;

(ii) कर की वसूली निम्न दरों में से जो उच्चतर हो, 20% से अधिक नहीं होगी—

(अ) इस अधिनियम के सुसंगत उपबंध में निर्दिष्ट दर से दुगुनी दर पर; या

(आ) 5% की दर से ;

(ग) खंड (ख)(i) के उपबंध किसी अनिवासी पर लागू नहीं होंगे, जो कंपनी या विदेशी कंपनी नहीं है:-

(i) धारा 393(2) में (सारणी क्रम संख्या 2, 3 और 4) में विनिर्दिष्ट दीर्घकालिक बंधपत्र पर ब्याज का संदाय; और

(ii) विहित की जा सकने वाली ऐसी शर्तों के अधीन कोई अन्य संदाय;

(घ) खंड (ख)(ii) के उपबंध किसी ऐसे अनिवासी पर लागू नहीं होंगे, जिसका भारत में स्थायी प्रतिष्ठान नहीं है (जिसमें कारबार का एक निश्चित स्थान सम्मिलित है, जिसके माध्यम से उद्यम का कारबार पूरी तरह या आंशिक रूप से चलाया जाता है);

(ङ) धारा 393(1) में (सारणी 2(i)) में निर्दिष्ट किराए के संबंध में, यदि कर को खंड (ख)(i) के अनुसार काटा जाना अपेक्षित है, तो ऐसी कटौती कर वर्ष के अंतिम महीने या किरायेदारी के अंतिम महीने के लिए संदेय किराए की राशि से अधिक नहीं होगी, यथास्थिति;

(च) यदि कोई व्यक्ति निम्नलिखित में अपना वैध स्थायी खाता संख्या प्रस्तुत नहीं करता है:-

(i) धारा 393(6) या 394(2) के अधीन कोई घोषणा, तो ऐसी घोषणा अमान्य हो जाती है;

(ii) धारा 395(1) या 395(3) के अधीन किया गया कोई आवेदन, तो उस उपधारा के अधीन कोई प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया जाएगा;

(छ) यदि खंड (च)(i) के अधीन कोई घोषणा अमान्य हो जाती है, तो कटौतीकर्ता या संग्रहकर्ता, यथास्थिति, खंड (ख)(i) या (ख)(ii) के उपबंधों के अनुसार कर की कटौती या संग्रह करेगा;

(ज) कटौतीकर्ता या संग्रहकर्ता, यथास्थिति, अपना वैध स्थायी खाता संख्या कटौतीकर्ता या संग्रहकर्ता को प्रस्तुत करेगा, और इसे सभी बिलों, वाउचरों, पत्राचार और अन्य दस्तावेजों में दर्शाया जाएगा जो एक दूसरे को भेजे जाते हैं।

(3) (क) धारा 392(2)(क) में निर्दिष्ट कर या नियोक्ता की कटौती या संग्रहण के लिए उत्तरदायी या कर का संदाय करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक व्यक्ति धारा 392(2)(ख) के अनुसार इस प्रकार कटौती या संग्रहण या विहित की गई राशि को केन्द्रीय सरकार के खाते में ऐसी रीति और समय पर जमा करेगा, जैसा कि विहित किया जा सकता है;

(ख) धारा 392 (2) (क) में निर्दिष्ट कर या नियोक्ता की कटौती या संग्रह के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति, खंड (क) के अनुसार केन्द्रीय सरकार के क्रेडिट को कर का भुगतान करने के बाद, विहित प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति को वितरित या वितरित किया जाएगा, इस तरह के रूप में एक बयान, इस तरह से सत्यापित, इस तरह के विवरण देना ऐसी अवधि के लिए और ऐसे समय के भीतर, जैसा कि विहित किया गया है;

(ग) खंड (ख) के अनुसार प्रत्येक विहित प्राधिकारी, धारा 394(1) में (सारणी 1 से (सारणी 4) या सारणी 9) में निर्दिष्ट अनुज्ञप्तिकर्ता या पट्टेदार को यथाविहित ऐसे

प्ररूप और रीति से विवरण देगा,

(घ) प्रत्येक व्यक्ति जो किसी अनिवासी को, जो कंपनी या विदेशी कंपनी नहीं है, कोई राशि, चाहे इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य हो या न हो, संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, ऐसी राशि के संदाय से संबंधित जानकारी, ऐसे प्रारूप और रीति से प्रस्तुत करेगा जैसा कि विहित किया जा सकता है;

(ङ) सरकार के कार्यालय के मामले में,—

(i) जहां इस अध्याय के अधीन कटौती की गई राशि या धारा 392(2)(क) में निर्दिष्ट कर; या

(ii) जहां धारा 394(1) (सारणी क्रम संख्या 1 से 5 या 9) के अधीन एकत्र की गई राशि;

यदि कोई चालान प्रस्तुत किए बिना केन्द्रीय सरकार के खाते में भुगतान कर दिया गया है, तो वेतन और लेखा अधिकारी या कोषागार अधिकारी या चेक आहरण और संवितरण अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति, जो ऐसी राशि या कर को केन्द्रीय सरकार के क्रेडिट में जमा करने के लिए उत्तरदायी है, ऐसे एक कथन, इस तरह से सत्यापित किया गया विहित प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को सुपुर्द करेगा या सुपुर्द करेगा;

(च) खंड (ख) या (ङ) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति किसी भी विसंगति को ठीक कर सकता है या ऐसे खंडों के अधीन दिए गए कथन में प्रस्तुत जानकारी को अपडेट कर सकता है, इस तरह के प्ररूप में एक सुधार विवरण दाखिल करके और ऐसी रीति से सत्यापित किया गया है, उक्त खंड के अधीन विहित प्राधिकारी के लिए छह वर्ष के भीतर कर वर्ष के अंत से जिसमें इस तरह के कथन को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 200 की अधीन या उक्त खंड के अधीन वितरित करना अपेक्षित है;

(छ) (i) कोई भी बैंकिंग कंपनी या सहकारी समिति या सार्वजनिक कंपनी जो धारा 393 (1) ([सारणी क्रम संख्या 5]) के टिप्पण 1 में निर्दिष्ट है, जो किसी निवासी को ब्याज के माध्यम से किसी भी आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, धारा 393 (1) [सारणी क्रम संख्या 5 (ii)] और [सारणी क्रम संख्या 5 (iii)] में उल्लिखित सीमांत से अधिक, निर्धारित प्राधिकारी या ऐसे आयकर प्राधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति को वितरित या वितरित किया जाएगा, यथास्थिति ऐसे प्ररूप में एक कथन, ऐसी रीति से सत्यापित, इस तरह के विवरण देते हुए और ऐसे समय के भीतर निर्धारित किया गया;

(ii) बोर्ड को उपखंड (i) में उल्लिखित व्यक्ति के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता हो सकती है, जो किसी निवासी को किसी भी आय का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, जो इस अध्याय के अधीन स्रोत पर आयकर की कटौती के लिए उत्तरदायी है, उपखंड (i) के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति प्राधिकारी या अधिकृत व्यक्ति को वितरित करने या वितरित करने के लिए, ऐसे प्ररूप में एक कथन, ऐसी रीति से सत्यापित, ऐसे विवरण देना और ऐसे समय के भीतर जैसा कि विहित किया गया है;

(iii) उपखंड (i) या उपखंड (ii) में निर्दिष्ट व्यक्ति उपखंड (i) या उपखंड (ii) के अधीन दिए गए विवरण में किसी भी विसंगति को ठीक करने या प्रस्तुत जानकारी को उपखंड (i) में निर्दिष्ट आयकर प्राधिकारी को यथाविहित, उपखंड (i) में निर्दिष्ट आयकर

प्राधिकारी के अनुसार अद्यतन करने के लिए एक सुधार विवरण दे सकता है।

(ज) कर एकत्र करने के लिए उत्तरदायी कोई भी व्यक्ति जो धारा 394 के उपबंधों के अनुसार कर एकत्र करने में विफल रहता है, ऐसी विफलता के बावजूद, खंड (क) के उपबंधों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के क्रेडिट को कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

398. (1) कंपनी के प्रधान अधिकारी यदि कोई व्यक्ति—

(क) जिसे इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई राशि काटने या एकत्र करने की अपेक्षितता है; या

(ख) जिसे धारा 392(2)(क) में निर्दिष्ट किया गया है, जो नियोक्ता है—

इस अधिनियम के अन्तर्गत अपेक्षित कर का पूरा या उसका कोई भाग संदाय करने में असफल रहता है,

कर के पूरे या किसी भी हिस्से को, जैसा कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन आवश्यक है, ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी भी अन्य परिणामों के अतिरिक्त ऐसे कर के संबंध में व्यतिक्रमी रूप से एक निर्धारिती माना जाएगा।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात पर विचार किए बिना कोई भी व्यक्ति,—

(क) किसी कंपनी के प्रमुख अधिकारी सहित, जो कटौती करने में विफल रहता है; या

(ख) धारा 394(1) ([सारणी क्रम संख्या.1]) से ([सारणी. क्रम संख्या 5]) और ([सारणी. क्रम संख्या 9]) के अनुसार कर एकत्र करने के लिए उत्तरदायी,

जो यथास्थिति इस अध्याय के अधीन अपेक्षित कर के पूरे या किसी भी हिस्से को भुगतानकर्ता के खाते में भुगतान की गई या जमा की गई राशि पर क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार के खाते में एकत्रित या डेबिट की गई राशि, ऐसे कर के संबंध में व्यतिक्रमी कर दाता निर्धारिती नहीं माना जाएगा यदि भुगतानकर्ता या क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार ने ऐसा किया है—

(i) धारा 263 के अधीन अपनी आय की विवरणी प्रस्तुत की है;

(ii) उस आय-कर रिटर्न में आय की गणना के लिए राशि को ध्यान में रखा गया है; और

(iii) उस आय-कर रिटर्न में उसके द्वारा घोषित आय पर संदेय कर का संदाय किया गया है, और

व्यक्ति विहित प्रपत्र में लेखाकार से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है।

(3)(क) उपधारा (1) में प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उल्लिखित दायित्व के अतिरिक्त, यदि कोई व्यक्ति, जैसा कि उस उपधारा में निर्दिष्ट है, कर का पूरा या आंशिक भाग नहीं काटता या एकत्र नहीं करता है या काटने या एकत्र करने के बाद इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित कर का संदाय करने में विफल रहता है, तो वह व्यक्ति साधारण ब्याज का संदाय करने के लिए भी उत्तरदायी है—

(i) ऐसे कर की राशि पर प्रत्येक महीने या महीने के भाग के लिए 1% की

कटौती या संदाय
या, इकट्ठा करने
या संदाय करने
में विफलता के
परिणाम।

दर से उस तारीख से जिस दिन ऐसा कर कटौती योग्य या संग्रहणीय था, उस तारीख तक जिस दिन ऐसा कर काटा या एकत्र किया जाता है; और

(ii) ऐसे कर की राशि पर प्रत्येक माह या माह के भाग के लिए 1.5% की दर से, जिस तारीख को ऐसा कर काटा या एकत्र किया गया था, उस तारीख तक जिस तारीख को ऐसा कर वास्तव में संदाय किया गया था,

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट ब्याज का संदाय खंड 397(3)(ख) के उपबंधों के अनुसार विवरण प्रस्तुत करने से पहले किया जाएगा।

(ग) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति को उपधारा (2) के अधीन व्यतिक्रमकर्ता निर्धारिती के रूप में नहीं माना जाता है, तो खंड (क)(i) के अनुसार ब्याज उस तारीख से यथास्थिति संबंधित लेने वाले या क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार द्वारा आय-कर रिटर्न प्रस्तुत करने की तारीख तक, संदेय होगा जिस तारीख को वह कर कटौती योग्य या संग्रहणीय था।

(घ) जब उपधारा (1) के अधीन व्यतिक्रम के लिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश दिया जाता है, तो उस व्यक्ति द्वारा उस आदेश के अनुसार ब्याज का संदाय किया जाएगा।

(4) जहां कटौती या एकत्र किए जाने के बाद कर का भुगतान नहीं किया गया है, कर की राशि उपधारा (3) (क) में निर्दिष्ट उस पर साधारण ब्याज की राशि के साथ उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति की सभी परिसंपत्तियों पर एक शुल्क होगी।

(5) उपधारा (1) के अधीन यह आदेश किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति से कर का पूरा या उसका कोई भाग काटने या संग्रहण करने में विफल रहने के कारण व्यतिक्रमकर्ता निर्धारिती मानते हुए नहीं दिया जाएगा—

(क) उस कर वर्ष के अंत से छह वर्ष की अवधि के पश्चात जिसमें कर कटौती योग्य या संग्रहण योग्य था; या

(ख) उस कर वर्ष के अंत से दो वर्ष की अवधि के पश्चात जिसमें धारा 397(3)(च) के अधीन सुधार विवरण दिया गया है, जो भी बाद में हो।

(6) धारा 286(1) और (3) के उपबंध उपधारा (5) में समय सीमा तक लागू होंगे।

(7) उपधारा (1) में उल्लिखित व्यक्ति से धारा 412 के अधीन कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, जब तक कि निर्धारण अधिकारी संतुष्ट न हो कि ऐसा व्यक्ति, अच्छे और पर्याप्त कारणों के बिना, इस तरह के कर को काटने और भुगतान करने में विफल रहा है।

संसाधन।

399. (1) स्रोत पर काटे गए कर या स्रोत पर एकत्र किए गए कर के सभी विवरणों को सुधार विवरण सहित निम्नलिखित रीति से संसाधित किया जाना है, अर्थात्:—

(क) इस अध्याय के अधीन कटौती योग्य या संग्रहण योग्य राशियों की गणना निम्नलिखित समायोजन करने के बाद की जाएगी, अर्थात्:—

(i) विवरण में कोई अंकगणितीय त्रुटि; या

(ii) कथन में किसी सूचना से स्पष्ट गलत दावा;

(ख) कथन में दर्शाई गई कटौती योग्य या संग्रहण योग्य राशियों के आधार पर किसी ब्याज यदि कोई हो की गणना की जानी है;

(ग) धारा 427 के उपबंधों के अनुसार किसी शुल्क की गणना की जानी है।

(घ) (i) द्वारा संदेय राशि; या

(ii) कटौतीकर्ता या संग्रहकर्ता को संदेय वापसी की राशि,

धारा 397(3) या धारा 398 या धारा 427 के अधीन संदाय की गई किसी राशि और कर या ब्याज या शुल्क के रूप में अन्यथा संदाय की गई किसी राशि के विरुद्ध खंड (ख) और खंड (ग) के अधीन गणना की गई राशि के समायोजन के बाद विहित की जानी है;

(ड) एक सूचना तैयार या उत्पन्न की जानी है और कटौतीकर्ता या संग्रहकर्ता को भेजी जानी है जिसमें खंड (घ) के अधीन संदेय विहित राशि या उसके लिए संदेय वापसी की राशि निर्दिष्ट की गई है;

(च) खंड (घ) के अधीन निर्धारण के अनुसरण में कटौतीकर्ता या संग्राहक को संदेय प्रतिदाय की राशि कटौतीकर्ता या संग्राहक को प्रदान की जानी है।

(2) इस खंड के अधीन सूचना उस कर वर्ष के अंत से एक वर्ष की अवधि के भीतर भेजी जाएगी जिसमें विवरण दाखिल किया गया है।

(3) बोर्ड उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित विवरणों के केन्द्रीकृत प्रसंस्करण के लिए एक स्कीम बना सकेगा।

400. (1) केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह उपबंध कर सकती है कि ऐसे संदाय या रसीद से और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग के संबंध में कर की कटौती या संग्रहण ऐसी निम्न दर पर नहीं किया जाएगा या किया जाना है।

(2) बोर्ड इस अध्याय के उपबंधों को प्रभावी करने में उत्पन्न होने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से दिशानिर्देश जारी कर सकता है और इन दिशानिर्देशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

(3) बोर्ड सूचित कर सकता है, व्यक्ति का एक वर्ग, या मामलों, जहां एक अनिवासी को भुगतान करने के लिए उत्तरदाई व्यक्ति, एक कंपनी नहीं है, या एक विदेशी कंपनी के लिए, किसी भी राशि, चाहे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्रभार्य योग्य हो अथवा नहीं हो ऐसे प्ररूप में और रीति से एक आवेदन करने के लिए विहित रीति से, प्रभार्य राशि का उचित अनुपात निर्धारित करने के लिए, और तदनुसार कर धारा 393 (2) ([सारणी क्रम संख्या.17]) के अधीन राशि के उस अनुपात पर कटौती की जाएगी जो इतनी प्रभार्य है।

(4) बोर्ड, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उन मामलों को विनिर्दिष्ट करते हुए नियम बना सकेगा जिनमें और वे परिस्थितियाँ जिनके अधीन धारा 395(1) से उपधारा (3) के अधीन प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिये आवेदन किया जा सकेगा और वे शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए ऐसा प्रमाणपत्र प्रदान किया जा सकेगा और उससे सम्बन्धित अन्य सभी विषयों के लिये उपबंध कर सकेगा।

401. जहां इस अध्याय के अधीन स्रोत पर कर कटौती योग्य है, वहां निर्धारिती को उस सीमा तक जिस पर उसकी आय से कर की कटौती की गई है तक स्वयं कर का

इस अध्याय के उपबंधों में छूट देने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति।

विरुद्ध वर्जन ।

निर्वचन।

संदाय करने के लिए नहीं कहा जाएगा ।

402. इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए,

(1) "प्रशासक" से अभिप्राय भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 की धारा 2(क) में निर्दिष्ट प्रशासक अभिप्रेत है;

(2) "कृषि भूमि" से भारत में कृषि भूमि अभिप्रेत है, -

(क) धारा 393 (1) [सारणी क्रम संख्या 3 (i)] के प्रयोजनों के लिए धारा 2(22) (iii) में निर्दिष्ट किसी भी क्षेत्र में स्थित भूमि नहीं होने के नाते;

(ख) धारा 393(1) [सारणी क्रम संख्या 3 (iii)] के प्रयोजनों के लिए धारा 2(22) (iii) में निर्दिष्ट किसी भी क्षेत्र में स्थित भूमि सहित;

(3) "विवरण में किसी सूचना से स्पष्ट गलत दावा" का अर्थ, कथन में किसी प्रविष्टि के आधार पर किया गया दावा होगा-

(क) किसी मद का, जो ऐसे कथन में उसी या किसी अन्य मद की किसी अन्य प्रविष्टि से असंगत है;

(ख) स्रोत पर कर कटौती या स्रोत पर कर के संग्रहण की दर के संबंध में, जहां ऐसी दर अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नहीं है;

(4) "अधिकृत व्यापारी" से, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 10(1) के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा या विदेशी प्रतिभूति में सौदा करने के लिए अधिकृत व्यक्ति अभिप्रेत है;

(5) "बैंककारी कंपनी" से, बैंककारी कंपनी अभिप्रेत है जिसपर बैंककारी अधिनियम, 1949 लागू होता है,

(6) नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (ख) में विनिर्दिष्ट उपबंधों के प्रयोजनों के लिए "क्रेता" का तात्पर्य स्तंभ (ग) में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति से है, किन्तु इसमें स्तंभ (घ) में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति को सम्मिलित नहीं किया गया है।

सारणी

क्र. सं.	उपबंध	व्यक्ति	व्यक्ति को शामिल नहीं किया जाना है
(क)	(ख)	(ग)	(घ)
1.	धारा 393(1) (सारणी क्रम संख्या 8(ii)) में निर्दिष्ट माल का खरीद	ऐसा व्यक्ति जिसकी कुल विक्रय, सकल प्राप्तियां या उसके द्वारा किए गए कारबार से टर्नओवर उस कर वर्ष के तुरंत पहले के कर वर्ष के दौरान दस करोड़ रुपए से अधिक है जिसमें माल की खरीद की गई है।	कोई भी व्यक्ति, जिसे केन्द्रीय सरकार इस प्रयोजन के लिए, उसमें निर्दिष्ट शर्तों के अधीन अधिसूचित करेगी।
2.	धारा 394(1) (सारणी क्रम संख्या	ऐसा व्यक्ति जो किसी भी विक्रय में, नीलामी, निविदा या	(क) एक

- 1 से सारणी क्रम किसी अन्य रीति से, धारा 394(1) के लिए नीचे दी गई संख्या 5) में निर्दिष्ट माल का विक्रय (सारणी क्रम संख्या 1 से सारणी क्रम संख्या 5) में निर्दिष्ट प्रकृति का माल प्राप्त करता है, या ऐसा कोई माल प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त करता है
- सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, या
(ख) केन्द्रीय सरकार, एक राज्य सरकार, और एक दूतावास, एक उच्चायोग, एक विदेशी राज्य और एक क्लब के प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधिमंडल, आयोग, वाणिज्य दूतावास और व्यापार प्रतिनिधित्व; या
(ग) क्लब ; या
(घ) व्यक्तिगत उपभोग के लिए उसके द्वारा खरीदे गए ऐसे माल की खुदरा विक्रय में कोई क्रेता;
3. धारा 394(1) ऐसा व्यक्ति जो किसी विक्रय (सारणी क्रम संख्या 6) में निर्दिष्ट किसी मोटर वाहन या अन्य माल का विक्रय (सारणी क्रम संख्या 6) में निर्दिष्ट प्रकृति का माल प्राप्त करता है
- (क) सारणी संख्या 2 (घ) (ख) में विनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति ; अथवा
(ख) तीसरी अनुसूची (सारणी क्रम संख्या 22) में परिभाषित स्थानीय प्राधिकरण; या
(ग) सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी जो यात्रियों को ले जाने के कारबार में लगी हुई है।
4. धारा 394(1) भारतीय रिज़र्व बैंक की (सारणी क्रम संख्या 7) में निर्दिष्ट उदारीकृत धन प्रेषण स्कीम के अधीन धन प्रेषण के अधीन धन प्रेषण (सारणी संख्या 2 स्तंभ (घ) (क) या क्रम संख्या 3 स्तंभ 3 (घ) के अनुसार कोई व्यक्ति ; अथवा
(ख) कोई भी

व्यक्ति, जिसे
केन्द्रीय
सरकार इस
प्रयोजन के
लिए, उसमें
निर्दिष्ट शर्तों
के अधीन
अधिसूचित
करेगी।

(ग) ऐसा कोई
व्यक्ति जो
इस
अधिनियम के
किन्हीं अन्य
उपबंधों के
अधीन श्रोत
पर कर की
कटौती के
लिए दायी है

5. धारा 394(1) वह व्यक्ति जो विदेशी यात्रा क्रम संख्या 4(घ) के (सारणी क्रम संख्या कार्यक्रम पैकेज खरीदता है अनुसार कोई व्यक्ति 8) में निर्दिष्ट विदेशी यात्रा कार्यक्रम पैकेज का विक्रय

(7) "कमीशन या दलाली" में किसी अन्य व्यक्ति की ओर से कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त या प्राप्य कोई भी संदाय सम्मिलित है, -

(क) प्रदान की गई सेवाओं के लिए (जो वृत्तिक सेवाएं नहीं हैं); या

(ख) माल की खरीद या विक्रय के दौरान किसी भी सेवा के लिए; या

(ग) किसी आस्ति, मूल्यवान वस्तु या चीज से संबंधित किसी लेनदेन के संबंध में, जो प्रतिभूतियां नहीं हैं;

(8) "कम्प्यूटर संसाधन", "इंटरनेट" और "ऑनलाइन गेम" के वही अर्थ होंगे जो धारा 194(2) में दिए गए हैं;

(9) "किसी भी अचल संपत्ति के हस्तांतरण के लिए प्रतिफल" में निम्नलिखित प्रकृति के सभी प्रभार्य सम्मिलित होंगे-

(क) क्लब सदस्यता शुल्क की प्रकृति के सभी प्रभार;

(ख) कार पार्किंग शुल्क;

(ग) बिजली या पानी की सुविधा शुल्क;

(घ) रखरखाव शुल्क;

(ङ) अग्निम शुल्क;

(च) इसी प्रकार का कोई अन्य शुल्क, जो अचल संपत्ति के हस्तांतरण से संबंधित हो;

(10) "संविदा" में उप-संविदा सम्मिलित होगा;

(11) धारा 393(1) (सारणी क्रम संख्या 6(i))के प्रयोजनों के लिए, "पदाभिहीत व्यक्ति" से तात्पर्य है,—

(क) केन्द्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार; या

(ख) कोई स्थानीय प्राधिकरण; या

(ग) किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई निगम ; या

(घ) कोई कंपनी; या

(ङ) कोई सहकारी समिति; या

(च) भारत में किसी विधि द्वारा या उसके अधीन गठित कोई प्राधिकरण, जो आवास सुविधा की अपेक्षितता से निपटने और उसे पूरा करने के लिए अथवा शहरों, कस्बों और गांवों की योजना, विकास या सुधार के लिए अथवा दोनों के लिए नियुक्त किया गया हो; या

(छ) सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन या भारत के किसी भाग में प्रवृत्त उस अधिनियम के समतुल्य किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सोसायटी; या

(ज) कोई न्यास; या

(झ) किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या निगमित कोई विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय घोषित कोई संस्था; या

(ञ) किसी विदेशी राज्य की सरकार या कोई विदेशी उद्यम या भारत के बाहर स्थापित कोई संघ या निकाय; या

(ट) कोई फर्म; या

(ठ) कोई व्यक्ति, जो कोई व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित कुटुंब या व्यक्तियों का संघ या व्यक्ति निकाय हो, यदि ऐसा व्यक्ति,—

(i) पूर्ववर्ती उपखण्डों में से किसी के अधीन नहीं आता है; और

(ii) उसके द्वारा किए गए कारबार या वृत्ति से कुल विक्रय, सकल प्राप्तियां या टर्नओवर, उस कर वर्ष के ठीक पहले वाले कर वर्ष के दौरान कारोबार के मामले में एक करोड़ रुपए से अधिक या वृत्ति के मामले में पचास लाख रुपए से अधिक है जिसमें ऐसी राशि ठेकेदार के खाते में जमा या संदाय की जाती है;

1860 का 21

1956 का 3

(12) "इलैक्ट्रानिक वाणिज्य" से डिजिटल या इलैक्ट्रानिक नेटवर्क पर डिजिटल उत्पादों सहित वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति अभिप्रेत है;

(13) "ई-वाणिज्य ऑपरेटर" से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है जो इलैक्ट्रानिक के लिए डिजिटल या इलैक्ट्रानिक सुविधा या प्लेटफॉर्म का स्वामित्व, संचालन या प्रबंधन करता है;

(14) "ई- वाणिज्य प्रतिभागी" से तात्पर्य भारत में निवासी ऐसे व्यक्ति से है जो इलैक्ट्रानिक के लिए डिजिटल या इलैक्ट्रानिक सुविधा या प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल उत्पादों सहित माल बेचता है या सेवाएं या दोनों प्रदान करता है;

(15) "तकनीकी सेवाओं के लिए फीस" का वही अर्थ होगा जो धारा 9(7)(क) में दिया गया है ;

(16) "विदेशी मुद्रा आस्ति" से कोई विशिष्ट आस्ति अभिप्रेत है जिसमें निर्धारित से विदेशी मुद्रा संपरिवर्त्नीय अर्जित की गई हो या विक्रय की गई हो या अभिदाय की गई हो ;

(17) "विदेशी संस्थागत विनिधानक" का वही अर्थ होगा जो धारा 210(6)(क) में दिया गया है ;

(18) "माल वाहन" का वही अर्थ होगा जो धारा 58(11)(घ) के में दिया गया है।

(19) "अचल संपत्ति" से किसी भूमि (कृषि भूमि को छोड़कर) या किसी भवन या भवन के भाग अभिप्रेत है;

(20) "विनिधानक" का वही अर्थ होगा जो धारा 393(1) की [सारणी क्रम संख्या 4 (iv)] और धारा 393(2) (सारणी क्रम संख्या 9)प्रयोजनों के लिए धारा 221(6)(क) में अभिहित गया है;

(21) "अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार" से ऐसे किसी व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे कारबार के प्रयोजनों के लिए पार्किंग स्थल या टोल प्लाजा या खदान या खदान के उपयोग के लिए पट्टा या अनुज्ञप्ति प्रदान किया गया है या अनुज्ञप्तिकर्ता या पट्टाकर्ता के साथ अनुबंध किया गया है;

(22) "अनुज्ञप्तिकर्ता या पट्टाकर्ता " से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के अलावा कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे कारबार के प्रयोजनों के लिए पार्किंग स्थल या टोल प्लाजा या खान या खदान के उपयोग के लिए अनुज्ञप्तिकर्ता या पट्टेदार से पट्टा या अनुज्ञप्ति दी गई है या संविदा में प्रवेश किया गया है या अन्यथा किसी भी पार्किंग स्थल या टोल प्लाजा या खदान में पूरे या आंशिक रूप से कोई अधिकार या ब्याज प्राप्त किया गया है;

(23) "अनिवासी भारतीय" का वही अर्थ होगा जो धारा 212(घ) में दिया गया है ;

(24) "अपतट बैंकिंग इकाई" का वही अर्थ होगा जो विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा 2(प) में दिया गया है।

(25) "ऑनलाइन गेमिंग मध्यस्थ" से ऐसे मध्यस्थ अभिप्रेत है जो एक या

अधिक ऑनलाइन गेम प्रदान करता है;

(26) "विदेशी दौरा कार्यक्रम पैकेज" से ऐसा दौरा पैकेज अभिप्रेत है जो किसी देश या क्षेत्र या भारत से बाहर की यात्रा की पेशकश करता है और इसमें यात्रा या होटल में ठहरने या भोजन या आवास या इसी प्रकार की प्रकृति या उससे संबंधित कोई अन्य व्यय सम्मिलित है;

(27) "संदाय के लिए उत्तरदायी व्यक्ति" से अभिप्रेत है—

(क) "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय के भुगतानों के मामले में, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा किए गए भुगतानों को छोड़कर—

(i) नियोक्ता स्वयं; या,

(ii) यदि नियोक्ता कोई कंपनी है, तो स्वयं कंपनी, जिसके अधीन उसका प्रधान अधिकारी भी है;

(ख) "प्रतिभूतियों पर ब्याज" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय के भुगतानों के मामले में, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण; निगम; या कंपनी, जिसके अधीन उसका प्रधान अधिकारी भी है; द्वारा या उसकी ओर से किए गए भुगतान किया जाएगा

(ग) किसी अनिवासी भारतीय को संदेय किसी राशि के मामले में, जो उसके द्वारा किसी विदेशी मुद्रा आस्ति के अंतरण के लिए प्रतिफल स्वरूप कोई राशि है, जो अल्पकालिक पूंजी आस्ति नहीं है, उत्तरदायी प्राधिकृत व्यक्ति—

(i) ऐसी राशि अनिवासी भारतीय को भेजने के लिए; या,

(ii) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अनुसार अनुरक्षित अपने अनिवासी (बाह्य) खाते में ऐसी राशि जमा करने के लिए;

(घ) किसी अनिवासी को, जो कंपनी नहीं है, या किसी विदेशी कंपनी को, किसी राशि के संदाय से संबंधित सूचना प्रस्तुत करने के मामले में, चाहे वह इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्रभार्य हो या नहीं,—

(i) संदायकर्ता स्वयं; या,

(ii) यदि संदायकर्ता कोई कंपनी है, तो कंपनी स्वयं, जिसमें उसका प्रधान अधिकारी भी सम्मिलित है;

(ङ) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्रभार्य किसी भी अन्य राशि के ऋण या संदाय के मामले में, जैसा भी मामला हो,—

(i) संदायकर्ता स्वयं; या,

(ii) यदि संदायकर्ता कोई कंपनी है, तो कंपनी स्वयं, जिसमें उसका प्रधान अधिकारी भी सम्मिलित है;

(च) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्रभार्य किसी राशि के ऋण या

संदाय की दशा में-

- (i) आहरण एवं संवितरण अधिकारी; या,
- (ii) कोई अन्य व्यक्ति, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, यथास्थिति जो ऐसी राशि जमा करने या, संदाय करने के लिए उत्तरदायी हो;
- (छ) भारत में निवासी न होने वाले व्यक्ति की दशा में-

- (i) व्यक्ति स्वयं; या,
- (ii) प्राधिकृत कोई व्यक्ति ; या,
- (iii) धारा 306 के अधीन अभिकर्ता के रूप में माना जाने वाले किसी भी व्यक्ति सहित भारत में ऐसे व्यक्ति का अभिकर्ता,

(28) "वृत्तिक सेवाओं" से किसी व्यक्ति द्वारा विधिक, चिकित्सीय, इंजीनियरी या वास्तुकला संबंधी वृत्ति या लेखाशास्त्र या तकनीकी परामर्श या आंतरिक सज्जा या विज्ञापन या ऐसे अन्य वृत्ति को चलाने के दौरान दी गई सेवाएं अभिप्रेत हैं, जिन्हें बोर्ड द्वारा धारा 62 या इस धारा के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए;

(29) "किराया" से किसी भी पट्टे, उप-पट्टे, किरायेदारी या किसी अन्य समझौते या व्यवस्था के अधीन किसी भी संदाय अभिप्रेत है, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो, (या तो अलग से या एक साथ) किसी के उपयोग के लिए,-

- (क) भूमि; या
- (ख) भवन (कारखाना भवन सहित); या
- (ग) किसी भवन (कारखाना भवन सहित) से संबद्ध भूमि; या
- (घ) मशीनरी; या
- (ङ) संयंत्र; या
- (च) उपकरण; या
- (छ) फर्नीचर; या
- (ज) फिटिंग्स,

उपरोक्त में से कोई भी या सभी आदाता के स्वामित्व में हैं या नहीं, और धारा 393 (1) [सारणी 2 क्रम संख्या (i)] के प्रयोजनों के लिए, केवल उपखंड (क), उपखंड (ख) और उपखंड (ग) में उल्लिखित आसतियों के संदर्भ में भुगतान को किराए के रूप में माना जाएगा;

(30) "रॉयल्टी" का वही अर्थ होगा जो धारा 9(6)(ख) में दिया गया है;

(31) "स्क्रेप" से सामग्री के विनिर्माण या यांत्रिक कार्य से उत्पन्न अपशिष्ट और स्क्रेप अभिप्रेत है जो टूट-फूट, कटने, घिसने और अन्य कारणों से निश्चित रूप से उपयोग योग्य नहीं है;

1956 का 42

(32) "प्रतिभूति" का वही अर्थ होगा जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2(ज) में दिया गया है;

(33) "विक्रेता" से अभिप्रेत है—

(क) धारा 394(1) में (सारणी क्रम संख्या 1) से (सारणी क्रम संख्या 6) के प्रयोजनों के लिए,—

(i) केन्द्रीय सरकार; या

(ii) किसी राज्य सरकार द्वारा; या

(iii) किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई स्थानीय प्राधिकरण या निगम या प्राधिकरण; या

(iv) कोई कंपनी या फर्म या सहकारी समिति; और

(v) एक व्यक्ति या एक हिंदू अविभाजित कुटुंब, जिसकी कुल बिक्री, सकल प्राप्तियां या कारबार या वृत्तिक से उसके द्वारा किए गए कारोबार से कारोबार एक करोड़ रुपए या वृत्तिक के मामले में पचास लाख रुपए से अधिक है, कर वर्ष से ठीक पहले कर वर्ष के दौरान जिसमें ऐसे क्रम संख्या में निर्दिष्ट प्रकृति का सामान बेचा जाता है

(ख) धारा 394(1) में (सारणी क्रम संख्या 8) के प्रयोजनों के लिए, कोई व्यक्ति जो विदेशी दौरा कार्यक्रम पैकेज बेचता है;

(34) धारा 393(1)[सारणी. क्रम संख्या 8(फ)] के प्रयोजनों के लिए "सेवा" शामिल हैं, जिसमें "तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क" और " वृत्तिक सेवा" के लिए शुल्क शामिल हैं, जैसा कि इस धारा में परिभाषित किया गया है;

(35) "विनिर्दिष्ट बैंक" से ऐसी बैंकारी कंपनी अभिप्रेत है जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे;

(36) "विनिर्दिष्ट कंपनी" से धारा 393 (1) [सारणी क्रम संख्या 4 (i)] और धारा 393 (2) ([सारणी. क्रम संख्या 10]) के प्रयोजनों के लिए, एक कंपनी अभिप्रेत है, जैसा कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 की धारा 2 (ज) में निर्दिष्ट है;

2002 का 58

(37) "विनिर्दिष्ट व्यक्ति" से अभिप्रेत है—

(क) कोई भी व्यक्ति, जो व्यक्ति या हिंदू अविभाजित कुटुंब न हो, या;

(ख) कोई व्यक्ति या हिंदू अविभाजित कुटुंब, जिसकी कुल विक्रय, सकल प्राप्तियां या उसके द्वारा किए गए कारोबार या वृत्ति से टर्नओवर, उस कर वर्ष के ठीक पहले वाले कर वर्ष के दौरान कारोबार के मामले में एक करोड़ रुपए या वृत्ति के मामले में पचास लाख रुपए से अधिक है जिसमें ऐसी आय जमा या संदाय की जाती है;

(38) "विशेष प्रयोजन वाहन" का वही अर्थ होगा जो पांचवीं अनुसूची (सारणी क्रम संख्या 2) में निर्दिष्ट है;

(39) "विनिर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो भारत में

निवासी है—

(क) जो कर वर्ष के दौरान किसी भी समय पचहत्तर वर्ष या उससे अधिक आयु का हो;

(ख) जिसके पास पेंशन आय है तथा उसके पास उसी विनिर्दिष्ट बैंक में, जिसमें वह अपनी पेंशन आय प्राप्त कर रहा है, रखे गए किसी खाते से प्राप्त या प्राप्य ब्याज के अलावा कोई अन्य आय नहीं है; तथा

(ग) निर्दिष्ट बैंक को एक घोषणा प्रस्तुत की है जिसमें विवरण सम्मिलित है, जिसे विहित प्रारूप और रीति से विधिवत सत्यापित किया गया है;

(40) "विनिर्दिष्ट उपक्रम" का वही अर्थ होगा जो भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 की धारा 2(झ) में है;

2002 का 58

(41) "सावधि जमा" से निश्चित अवधि की समाप्ति पर चुकाए जाने वाले जमा (आवर्ती जमा सहित) अभिप्रेत है;

(42) धारा 393(1) (सारणी क्रम संख्या 4(iii)) और धारा 393(2) में (सारणी क्रम संख्या 8) के प्रयोजनों के लिए "यूनिट" का वही अर्थ होगा जो धारा 224(10)(ग) में है;

(43) "भारतीय यूनिट ट्रस्ट" से भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 यथा निर्दिष्ट भारतीय यूनिट ट्रस्ट अभिप्रेत है;

2002 का 58

(44) धारा 392(4) में निर्दिष्ट "विश्वविद्यालय" से केन्द्रीय, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या निगमित विश्वविद्यालय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन उस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय घोषित कोई संस्था भी है;

1956 का 3

(45) "उपयोगकर्ता" से किसी ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी ऑनलाइन गेमिंग मध्यस्थ के किसी कंप्यूटर संसाधन तक पहुँच प्राप्त करता है या उसका लाभ उठाता है;

(46) "उपयोगकर्ता खाता" से किसी ऑनलाइन गेमिंग मध्यस्थ के पास रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता के खाते अभिप्रेत है;

(47) "कार्य" में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे—

(क) विज्ञापन;

(ख) प्रसारण और दूरदर्शन जिसके अधीन ऐसे प्रसारण या दूरदर्शन के लिए कार्यक्रमों का निर्माण भी है;

(ग) रेलवे के अलावा किसी अन्य परिवहन माध्यम द्वारा माल या यात्रियों का परिवहन;

(घ) खानपान;

(ङ) किसी ग्राहक की अपेक्षितता या विनिर्देश के अनुसार किसी उत्पाद का विनिर्माण या आपूर्ति करना, जिसके लिए निम्नलिखित से सामग्री खरीदी

गई हो—

(i) ऐसा ग्राहक; या

(ii) इसके सहयोगी, ऐसे ग्राहक के संबंध में समान रूप से रखे गए व्यक्ति होने के नाते, जैसा कि धारा 36(3) में निहित उपबंधों के अधीन निर्धारिती के संबंध में रखा गया व्यक्ति है,

किंतु इसमें सम्मिलित नहीं है—

(अ) ऐसे ग्राहक या ऐसे ग्राहक के सहयोगी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से खरीदी गई सामग्री का उपयोग करके ग्राहक की अपेक्षितता या विनिर्देश के अनुसार उत्पाद का विनिर्माण या आपूर्ति करना; या

(आ) धारा 393(1) [सारणी 6 क्रम संख्या (iii)] में निर्दिष्ट कोई राशि।

ग. कर का अग्रिम संदाय

403. (1) अध्याय के इस भाग के उपबंधों के अनुसार निर्धारिती की ऐसी कुल आय की बाबत किसी वित्तीय वर्ष के दौरान अग्रिम कर संदेय किया जाएगा ।

अग्रिम कर के संदाय का दायित्व ।

(2) अध्याय के इस भाग के प्रयोजनों के लिए, कर वर्ष की "चालू आय" से निर्धारिती की कुल आय अभिप्रेत होगी जो उस वित्तीय वर्ष के लिए कर योग्य होगी।

(3) उपधारा (1) के उपबंध भारत में ऐसे किसी व्यक्ति निवासी को लागू नहीं होंगे,—

(क) जिसकी "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य कोई आय नहीं है ; और

(ख) जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या अधिक की आयु का है ।

404. किसी वित्तीय वर्ष के दौरान अग्रिम कर, ऐसे प्रत्येक मामले में जहां उस वर्ष के दौरान निर्धारिती द्वारा संदेय ऐसे कर की रकम, जिसकी संगणना अध्याय के इस भाग अधीन की जाती है, दस हजार रुपए या उससे अधिक है, संदेय होगा ।

अग्रिम कर का संदाय करने के दायित्व की शर्तें ।

405. (1) धारा 404 के अधीन एक निर्धारिती द्वारा संदेय अग्रिम कर की राशि, धारा 406 के अधीन अपने स्वयं के समझौते पर, या धारा 407 के अधीन एक निर्धारण अधिकारी के एक आदेश के अनुसरण में, वित्तीय वर्ष में, उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन, निम्नानुसार गणना की जाएगी

अग्रिम कर की गणना ।

क = ख-ग जहां, —

क = वित्तीय वर्ष में संदेय अग्रिम कर की राशि;

ख = वित्तीय वर्ष में लागू दरों पर गणना की गई निर्दिष्ट राशि पर आय-कर, जहां "निर्दिष्ट राशि" का अर्थ धारा 406 या धारा 407 में निर्दिष्ट किया जाएगा

ग = आय-कर की राशि जो इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन उक्त वित्तीय वर्ष के दौरान किसी आय से स्रोत पर कटौती योग्य या संग्रहणीय होगी, जो निम्नलिखित के अधीन होगी:—

(क) ऐसी आय की गणना इस अधिनियम के अधीन स्वीकार्य कोई कटौती करने से पहले की गई है और निर्दिष्ट राशि की गणना

करते समय उसे ध्यान में रखा गया है; और

(ख)(i) कर कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति ने कर कटौती के पश्चात ऐसी आय का संदाय किया है या उसे जमा किया है; या

(ii) कर संग्रहण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति ने कर संग्रहण के पश्चात ऐसी आय प्राप्त की है या डेबिट की है।

(2) निर्धारितीओं के मामले में, जहां सुसंगत वर्ष का वित्त अधिनियम यह उपबंध करता है कि अग्रिम कर की गणना के प्रयोजनों के लिए शुद्ध कृषि आय को ध्यान में रखा जाएगा, वहां,—

(क) धारा 407 की उपधारा (1) और उपधारा (4) में उल्लिखित आदेश के प्रयोजनों के लिए, शुद्ध कृषि आय वह राशि होगी जो उक्त धारा की उपधारा (3) और उपधारा (6) में उल्लिखित निर्दिष्ट राशि पर आय-कर वसूलने के प्रयोजनों के लिए ध्यान में रखी गई है; या

(ख) किसी अन्य स्थिति में, कर वर्ष के लिए निर्धारिती द्वारा अनुमानित शुद्ध कृषि आय ।

निर्धारिती द्वारा
स्वप्रेरणा से आदेश
के अनुसरण में
अग्रिम-कर का
संदाय।

406. (1) प्रत्येक व्यक्ति, जो धारा 404 के अधीन अग्रिम कर का संदाय करने का दायी है (चाहे उस पर नियमित निर्धारण के तौर पर तत्पूर्व निर्धारण हो चुका हो या नहीं) स्वप्रेरणा से प्रत्येक निश्चित तारीख को या उसके पूर्व, अपनी चालू आय पर ऐसे अग्रिम कर के जो धारा 405 में अधिकथित रीति से परिकलित किया जाता है, ऐसे समुचित प्रतिशत का संदाय करेगा जो धारा 408 में विनिर्दिष्ट है ।

(2) कोई ऐसा व्यक्ति जो उपधारा (1) के अधीन अग्रिम कर की किसी किस्त या किस्तों का संदाय करता है, अपनी चालू आय के अपने प्राक्कलन और उस पर शेष किस्त या किस्तों में संदेय अग्रिम कर के अनुसार शेष किस्त या किस्तों में संसंदेय अग्रिम कर की रकम को घटा या बढ़ा सकेगा और तदनुसार वह ऐसी शेष किस्त या किस्तों में उक्त रकम का संदाय कर सकेगा ।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "विनिर्दिष्ट राशि" से निर्धारिती द्वारा अनुमानित वर्तमान आय अभिप्रेत है ।

निर्धारिती द्वारा
समुचित निर्धारण
अधिकारी के
आदेश के अनुसरण
में अग्रिम-कर का
संदाय।

407. (1) जहां किसी व्यक्ति का किसी कर वर्ष की कुल आय के लिए और निर्धारण अधिकारी की राय है कि ऐसा व्यक्ति अग्रिम कर का संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, वह ऐसे व्यक्ति को धारा 405 में अधिकथित रीति से लिखित आदेश द्वारा गणना की गई विनिर्दिष्ट राशि पर अग्रिम कर का संदाय करने की अपेक्षितता कर सकता है, और किस्त या किस्तों को विनिर्दिष्ट करते हुए जिसमें ऐसा कर संदाय धारा 408 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक किस्त की संदेय तारीख को या उससे पहले किया जाना है।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट आदेश वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय पारित किया जा सकेगा किन्तु ऐसे वित्तीय वर्ष के फरवरी के अंतिम दिन के पश्चात नहीं और उसके पश्चात धारा 289 अधीन मांग की सूचना दी जाएगी।

(3) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, "विनिर्दिष्ट राशि" से वह राशि अभिप्रेत है जो,—

(क) नवीनतम कर वर्ष की कुल आय जिसके संबंध में निर्धारिती का

नियमित कर निर्धारण के माध्यम से निर्धारण किया गया है; या

(ख) किसी भी बाद के कर वर्ष के लिए निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत किसी भी आय-कर विवरणी में बताई गई कुल आय ।

(4) उपधारा (1) के अधीन किसी निर्धारण अधिकारी द्वारा किसी आदेश को करने के पश्चात् , -

(क) निर्धारिती द्वारा धारा 263 के अधीन या धारा 268 के अधीन किसी सूचना के प्रत्युत्तर में आय-कर विवरणी प्रस्तुत की जाती है,

(ख) आय का नियमित निर्धारण उपधारा (1) में निर्दिष्ट निर्धारण से बाद के कर वर्ष के संबंध में,

निर्धारण अधिकारी उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट आदेश को संशोधित कर सकेगा और धारा 405 में अधिकथित रीति से संगणित विनिर्दिष्ट राशि पर अग्रिम कर का संदाय करने की अपेक्षा कर सकेगा, या धारा 408 में निर्दिष्ट प्रत्येक किस्त की संदेय तारीख को या उससे पहले किया जाता है ।

(5) उपधारा (4) में निर्दिष्ट आदेश उस कर वर्ष के 1 मार्च के पूर्व किसी भी समय पारित किया जा सकेगा और उसके बाद धारा 289 के अधीन मांग सूचना जारी किया जाएगा ।

(6) उपधारा (4) के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "विनिर्दिष्ट राशि" से आय-कर विवरणी में घोषित कुल आय या उपधारा (4) के खंड (क) और खंड (ख) में उल्लिखित नियमित निर्धारण में गणना की गई कुल आय अभिप्रेत है

(7) उपधारा (2) और उपधारा (5) में निर्दिष्ट धारा 289 के अधीन जारी मांग की सूचना की तामील धारा 408 में विनिर्दिष्ट किसी संदेय तारीख के पश्चात की जाती है तो ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट अग्रिम कर की समुचित भाग या सम्पूर्ण रकम मांग की सूचना की तामील की तारीख के पश्चात आने वाली प्रत्येक संदेय तारीख को या उसके पूर्व संदेय होगी।

(8) जहां कोई व्यक्ति, जिस पर उपधारा (1) या (4) में निर्दिष्ट आदेश तामील किया गया है, अपनी चालू आय पर संदेय अग्रिम कर का अनुमान उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट अग्रिम कर की रकम से कम लगाता है, तो वह इस आशय की सूचना निर्धारण अधिकारी को विहित प्ररूप में भेज सकेगा और धारा 405 में विहित रीति से, जो उसके अनुमान के अनुरूप हो, गणना की गई विनिर्दिष्ट राशि पर ऐसे अग्रिम कर का उचित प्रतिशत के साथ ऐसी सूचना की तारीख के बाद पडने वाली धारा 408 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक किस्त की संदेय तारीख को या उससे पूर्व संदाय कर सकेगा ।

(9) जहां कोई व्यक्ति, जिस पर उपधारा (1) या उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट आदेश तामील किया गया है, यह अनुमान लगाता है कि उसकी चालू आय पर संदेय अग्रिम कर ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट या उपधारा (8) के अधीन उसके द्वारा सूचित अग्रिम कर की रकम से अधिक होगा, वहां वह धारा 405 में अधिकथित रीति से संगणित निर्दिष्ट राशि पर ऐसे अग्रिम कर का संदाय अग्रिम कर की ऐसी उच्चतर रकम के समुचित भाग या संपूर्ण राशि पर करेगा, जो उसके अनुमान के अनुरूप हो, धारा 408 में विनिर्दिष्ट अंतिम

अग्रिम कर की
किस्तें और
निश्चित तारीखें ।

किस्त की संदेय तारीख को या उससे पूर्व ।

408. (1) सभी निर्धारिती जो अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं, उपधारा (2) में निर्दिष्ट निर्धारिती के अतिरिक्त, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान चार किस्तों में धारा 405 में अधिकथित रीति से गणना की गई वर्तमान आय पर समान भुगतान करेंगे और प्रत्येक किस्त की नियत तारीख और ऐसी किस्त की राशि नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट के रूप में होगी

क्रमांक संख्या	किस्त की नियत तारीख	संसंदेय रकम
क	ख	ग
1.	15 जून को या उसके पूर्व	ऐसे अग्रिम कर के पंद्रह प्रतिशत से अन्यून ।
2.	15 सितंबर को या उसके पूर्व	ऐसे अग्रिम कर के पैंतालीस प्रतिशत से अन्यून, जो पूर्वतर किस्त में संदत्त रकम को, यदि कोई हो, घटाकर आए ।
3.	15 दिसंबर को या उसके पूर्व	ऐसे अग्रिम कर के पचहत्तर प्रतिशत से अन्यून, जो पूर्वतर किस्त में संदत्त रकम को, यदि कोई हो, घटाकर आए ।
4.	15 मार्च को या उसके पूर्व	ऐसे अग्रिम कर की कुल रकम, जो पूर्वतर किस्त में संदत्त रकम को, यदि कोई हो, घटाकर आए ।

(2) एक निर्धारिती, जो धारा 58(2) (सारणी क्रम संख्या 1) या (सारणी क्रम संख्या 3) के उपबंधों के अनुसार लाभ और लाभ की घोषणा करता है, वर्तमान आय पर अग्रिम कर की पूरी राशि का संदाय करेगा, 15 मार्च को या उससे पहले प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान धारा 405 में विहित रीति से गणना की जाएगी,

(3) 31 मार्च को या उसके पूर्व अग्रिम कर के रूप में संदत्त किसी रकम को भी उस दिन को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान संदत्त अग्रिम कर माना जाएगा ।

जब निर्धारिती को
व्यतिक्रमकर्ता
समझा जाता है ।

409. व्यक्ति को व्यतिक्रम में निर्धारिती माना जाएगा, यदि ऐसा व्यक्ति ऐसी किस्त या किस्तों के संबंध में—

(क) धारा 408 में निर्दिष्ट तारीख पर भुगतान नहीं करता है, अग्रिम कर की किसी भी किस्त जिसे उसे धारा 407(1) और (4) के अधीन निर्धारण अधिकारी के आदेश द्वारा भुगतान करना अपेक्षित है; और

(ख) धारा 407(8) के अधीन कर निर्धारण अधिकारी को कोई सूचना उस तारीख को या उससे पूर्व नहीं भेजता है, जिसको कोई ऐसी किस्त, जिसका संदाय नहीं किया गया है, संदेय हो जाती है, या

(ग) धारा 407(9) के अधीन अपनी वर्तमान आय के अनुमान के आधार पर संदेय अग्रिम कर का संदाय नहीं करता है ।

410. अध्याय के इस भाग अनुसरण में अग्रिम कर के रूप में निर्धारिती द्वारा संदत या उससे वसूल की गई कोई ऐसी राशि, जो कि शास्ति या ब्याज से भिन्न है उस कालावधि की आय की बाबत कर के संदाय के रूप में समझी जाएगी जो उस वित्तीय वर्ष के निकट आगामी कर वर्ष के निर्धारण के लिए पूर्ववर्ष होगा जिसमें वह संसदेय थी और नियमित निर्धारण में निर्धारिती को मुजरा कर दी जाएगी।

अग्रिम कर के लिए मुजरा ।

घ. संग्रहण और वसूली

411. (1) धारा 289 के अधीन अग्रिम कर से भिन्न की कोई रकम जो मांग की सूचना में संदेय रूप में विनिर्दिष्ट हो, सूचना में उल्लिखित स्थान पर और व्यक्ति को, निम्नलिखित के भीतर संदाय की जाएगी,—

कर कब संसदेय होगा और निर्धारिती कब व्यतिक्रमी समझा जाएगा ।

(क) सूचना की तामील के तीस दिन के भीतर, या

(ख) संयुक्त आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से सूचना में निर्दिष्ट ऐसी 30 दिन से अनून्व अवधि, जहां निर्धारण अधिकारी के पास यह मानने का कोई कारण हो कि यदि तीस दिन की पूरी अवधि की अनुमति दी जाती है तो यह राजस्व के लिए हानिकारक होगी।

(2) जहां किसी मांग सूचना की किसी निर्धारिती पर तामील की गई है और उक्त मांग सूचना में विनिर्दिष्ट रकम की बाबत, यथास्थिति, ऐसी कोई अपील फाइल की जाती है या अन्य कार्यवाही आरंभ की जाती है, वहां—

(क) ऐसी मांग को, यथास्थिति, अंतिम अपील प्राधिकारी द्वारा अपील का निपटारा किए जाने तक या कार्यवाहियों का निपटारा किए जाने तक विधिमान्य समझा जाएगा; और

(ख) ऐसी किसी मांग सूचना का, कराधान विधियां (वसूली की कार्यवाहियों का चालू रखा जाना और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1964 की धारा 3 में यथाविनिर्दिष्ट प्रभाव होगा ।

1964 का 11

(3) यदि धारा 289 के अधीन किसी मांग की सूचना में विनिर्दिष्ट रकम उपधारा (1) के अधीन सीमित अवधि के भीतर संदत नहीं की जाती है, तो—

(क) निर्धारिती प्रत्येक माह या उस अवधि में होने वाले माह के भाग के लिए 1% की दर से साधारण ब्याज का संदाय करने के लिए उत्तरदायी होगा; तथा

(ख) ऐसी अवधि उपधारा (1) में उल्लिखित कालावधि के अंत के ठीक पश्चात्पूर्वी दिन से प्रारंभ होने वाली और उस दिन को, जिस दिन उस रकम का संदाय किया जाता है, समाप्त होने वाली कालावधि में समाविष्ट प्रत्येक मास या किसी मास के भाग के लिए आरंभ होगी ।

(4) धारा 399 के अधीन जारी सूचना में विनिर्दिष्ट कर की राशि पर धारा 398(3) के अधीन किसी भी राशि पर किसी भी अवधि के लिए कोई ब्याज पर, जहां उसी राशि पर उसी अवधि के लिए ब्याज लिया जाता है, ऐसी अवधि के लिए किसी रकम पर उपधारा (3) के अधीन कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा;

(5) उपधारा (3) में अंतर्विष्ट कोई बात निर्धारण अधिकारी को, जहां उपधारा (1) के अधीन संदेय तारीख की समाप्ति से पूर्व निर्धारिती द्वारा आवेदन किया जाता है,

संदाय के लिए समय बढ़ाने या किस्तों में संदाय की अनुमति देने से नहीं रोकेगी, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले की परिस्थितियों में अधिरोपित करना ठीक समझे।

(6) जहां धारा 287 या धारा 288 या धारा 359 या धारा 363 या धारा 365 (10) या धारा 368 या धारा 378 के अधीन एक आदेश या आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 245घ (4) के अधीन निपटान आयोग के एक आदेश के परिणामस्वरूप,—

1961 का 43

(क) वह रकम, जिस पर उपधारा (3) के अधीन ब्याज संदेय था, कम कर दी गई है, तो ब्याज तदनुसार कम कर दिया जाएगा और यदि कोई अतिरिक्त ब्याज दिया गया है, तो उसे वापस कर दिया जाएगा, और

(ख) यदि ऐसी कटौती के पश्चात्, आदेश के परिणामस्वरूप धारा 377 वह रकम, जिस पर ब्याज संदेय था, बढ़ जाती है, तो निर्धारिती उपधारा (3) के अधीन ब्याज देने के लिए उत्तरदायी होगा—

(i) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रथम मांग सूचना में उल्लिखित अवधि की समाप्ति के ठीक अगले दिन से, तथा

(ii) उस दिन के साथ समाप्त होने वाली तारीख जिस दिन राशि का संदाय किया गया है।

(7) उपधारा (3) में निहित उपबंधों पर विचार किए बिना, प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त, निर्धारिती द्वारा एक आवेदन पर, उपधारा (3) के अधीन एक निर्धारिती द्वारा भुगतान या देय ब्याज की राशि को कम या माफ कर सकता है यदि वह संतुष्ट है कि—

(क) ऐसी रकम के संदाय से निर्धारिती को वास्तव में कठिनाई हुई है या होगी

(ख) ऐसी रकम के, जिस पर ब्याज उक्त धारा के अधीन संदत्त किया गया है या संसंदेय था संदाय में व्यतिक्रम निर्धारिती के नियंत्रण के बाहर की परिस्थितियों के कारण हुआ था; और

(ग) निर्धारिती ने निर्धारण से या उससे शोध्य किसी रकम की वसूली के लिए किसी कार्यवाही से संबंधित किसी जांच में सहयोग किया है :

(8) उपधारा (7) के अधीन निर्धारिती के आवेदन को पूर्णतः या भागतः मंजूर या नामंजूर करने वाला आदेश उस मास के अंत से, जिसमें आवेदन प्राप्त हुआ है, बारह मास की अवधि के भीतर पारित किया जाएगा :

(9) उपधारा (7) के अधीन आवेदन को पूर्णतः या भागतः नामंजूर करने वाला कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा, जब तक निर्धारिती को सुनवाई का कोई अवसर न दे दिया गया हो ।

(10) यदि, वह रकम उक्त सूचना में वर्णित स्थान पर और व्यक्ति की, यथास्थिति, उपधारा (1) के अधीन परिसीमित किए गए या उपधारा (5) के अधीन बढ़ाए गए समय के भीतर संदत्त नहीं की जाती है तो निर्धारिती व्यतिक्रम करने वाला समझा जाएगा ।

(11) यदि किसी ऐसे मामले में, जिसमें उपधारा (5) के अधीन किस्तों द्वारा संदाय अनुज्ञात है, निर्धारिती उस उपधारा के अधीन नियत समय के भीतर किसी किस्त के संदाय में व्यतिक्रम करता है,—

(क) तो निर्धारिती उस समय परासंदेय सम्पूर्ण रकम के बारे में व्यतिक्रम करने वाला समझा जाएगा, और

(ख) अन्य किस्त या किस्तों के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह या वे उसी तारीख को संदेय हो गई थी जिसको वह किस्त, जिसके सम्बन्ध में वास्तव में व्यतिक्रम हुआ था, संदेय थी ।

(12) जहां निर्धारिती ने धारा 356 या 357 के अधीन, के अधीन अपील पेश की है वहां निर्धारण अधिकारी संदाय के समय के समाप्त हो जाने पर भी, स्वविवेक में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी वह उस मामले की परिस्थितियों में अधिरोपित करना ठीक समझे, निर्धारिती को तब तक के लिए जब तक ऐसी अपील का निपटारा नहीं हो जाता है अपील में विवादग्रस्त रकम की बाबत व्यतिक्रम न करने वाला मान सकेगा ।

(13) जहां निर्धारिती ऐसी आय की बाबत विहित किया गया है जो भारत या भारत के बाहर किसी ऐसे देश में उद्भूत हुई है जिसकी विधियां भारत को धन प्रेषित करना प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करती हैं वहां निर्धारण अधिकारी निर्धारिती को,—

(क) कर के उस भाग की बाबत व्यतिक्रम करने वाला नहीं मानेगा जो उसकी आय की उस रकम की बाबत संदेय है जो ऐसे प्रतिषेध या निर्बन्धन के कारण भारत में नहीं लाई जा सकती है, और

(ख) जब तक प्रतिषेध या निर्बन्धन हटा नहीं दिया जाता वह निर्धारिती को कर के ऐसे भाग की बाबत व्यतिक्रम न करने वाला मानता रहेगा ।

(14) उपधारा (13) के प्रयोजनों के लिए, आय के बारे में यह समझा जाएगा कि वह भारत में लाई गई है यदि—

(क) उस आय का उपयोग भारत के बाहर निर्धारिती द्वारा वास्तव में उपगत किसी व्यय के प्रयोजनों के लिए किया गया है या किया जा सकता था, या

(ख) यदि वह आय, भले ही वह पूंजीगत हो या न हो किसी रूप में भारत में लाई गई है ।

412. (1) जब निर्धारिती कर का संदाय करने में व्यतिक्रम करता है या व्यतिक्रम करने वाला समझा जाता है, तो वह बकाया की रकम और धारा 411(3) के अधीन संसंदेय ब्याज की रकम के अतिरिक्त ऐसी रकम शास्ति के रूप में संदत्त करने के दायित्वाधीन होगा,—

(क) वह राशि जिसका निर्धारण अधिकारी निदेश दे, तथा

(ख) चालू रहने वाले व्यतिक्रम की दशा में ऐसी अतिरिक्त रकम या रकमें देने के दायित्वाधीन होगा जिसका या जिनका निर्धारण अधिकारी समय-समय पर निर्देश दे ।

(2) उपधारा (1) के अधीन जुर्माने की कुल राशि बकाया कर की राशि से अधिक नहीं होगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा—

कर में व्यतिक्रम होने पर संसंदेय शास्ति ।

(क) जब तक कि निर्धारिती को सुनवाई का उचित अवसर न दे दिया गया हो ;

(ख) जहां निर्धारिती निर्धारण अधिकारी के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर देता है कि व्यतिक्रम अच्छे और पर्याप्त कारणों से हुआ था ।

(4) किसी निर्धारिती का इस उपधारा (1) के अधीन किसी शास्ति के लिए दायित्वाधीन होना केवल इस तथ्य के कारण समाप्त नहीं हो जाएगा कि ऐसी शास्ति उद्गृहीत किए जाने के पहले उसने उस कर का संदाय कर दिया है ।

(5) जहां कर की वह रकम, जिसके संदाय में व्यतिक्रम होने की बाबत शास्ति उद्गृहीत की गई थी, किसी अन्तिम आदेश के परिणामस्वरूप सम्पूर्ण रूप से, घटा दी गई है वहां उद्गृहीत शास्ति रद्द कर दी जाएगी और संदत्त शास्ति की रकम का प्रतिदाय किया जाएगा ।

कर वसूली
अधिकारी द्वारा
प्रमाण पत्र और
उसकी वैधता।

413. (1) जब एक निर्धारिती व्यतिक्रम में है या कर का भुगतान करने में चूक में माना जाता है, कर वसूली अधिकारी निर्धारिती से बकाया राशि की राशि विनिर्दिष्ट विहित के रूप में अपने हस्ताक्षर के अधीन एक बयान तैयार कर सकते हैं (ऐसे कथन को जिसे इस धारा और धारा 414 से 416 में इसमें इसके पश्चात "प्रमाण पत्र" कहा गया) और ऐसे निर्धारिती से एक या अधिक रीति से प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट राशि की वसूली के लिए आगे बढ़ेगा इस संबंध में निर्धारित नियमों के अनुसार नीचे दिया गया है,—

(क) निर्धारिती की जंगम सम्पत्ति की कुर्की और विक्रय;

(ख) निर्धारिती की स्थावर सम्पत्ति की कुर्की और विक्रय;

(ग) निर्धारिती की गिरफ्तारी और उसका कारागार में निरोध;

(घ) निर्धारिती की जंगम और स्थावर सम्पत्तियों के प्रबन्ध के लिए रिसीवर की नियुक्ति

(2) कर वसूली अधिकारी उपधारा (1) के अधीन कार्यवाई कर सकेगा, चाहे बकाया की वसूली के लिए किसी अन्य ढंग से कार्यवाही की गई हो या नहीं।

(3) निर्धारिती, कर वसूली अधिकारी द्वारा तैयार किए गए किसी भी प्रमाण पत्र की सत्यता पर किसी भी आधार पर विवाद करने का हकदार नहीं होगा।

(4) कर वसूली अधिकारी प्रमाणपत्र को रद्द कर सकता है, यदि किसी कारणवश वह ऐसा करना अपेक्षित समझता है, या उसमें कोई लिपिकीय या अंकगणितीय गलती सुधार सकता है।

(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, निर्धारिती की जंगम या स्थावर सम्पत्ति के अन्तर्गत वह सम्पत्ति भी संदेय होगी—

(क) जो निर्धारिती द्वारा अपने पति या पत्नी या अवस्यक संतान या पुत्रवधु या पुत्र की अवयस्क संतान के बिना पर्याप्त प्रतिफल के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 1973 के जून के प्रथम दिन को या उसके पश्चात् अन्तरित की गई है और जो पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी के द्वारा धारित है या उसके नाम में है और

(ख) जहां तक उसकी अवयस्क सन्तान या उसके पुत्र की अवयस्क संतान को इस प्रकार अन्तरित जंगम या स्थावर सम्पत्ति का संबंध है, वह, यथास्थिति,

ऐसी अवयस्क संतान या पुत्र की अवयस्क संतान की वयस्कता प्राप्त कर लेने की तारीख के पश्चात् भी, उस तारीख से पूर्व की किसी कालावधि के सम्बन्ध में निर्धारिती से शोध्य बकाया की वसूली के लिए निर्धारिती की जंगम या स्थावर सम्पत्ति में सम्मिलित की जाती रहेगी

414. (1) धारा 413 के प्रयोजनों के लिए, कर वसूली अधिकारी—

(क) ऐसा कर वसूली अधिकारी होगा जिसकी अधिकारिता के भीतर निर्धारिती अपना कारबार या वृत्ति चलाता है अथवा जिसकी अधिकारिता के भीतर उसके कारबार या वृत्ति का मुख्य स्थान स्थित है; या

(ख) ऐसा कर वसूली अधिकारी होगा जिसकी अधिकारिता के भीतर निर्धारिती निवास करता है अथवा निर्धारिती की कोई स्थावर या जंगम संपत्ति स्थित है

इस प्रयोजन के लिए ऐसी अधिकारिता वह अधिकारिता होगी जो बोर्ड द्वारा अथवा ऐसे मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा जो धारा 241 के अनुसरण में बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाता है, जारी किए गए आदेशों या निदेशों के अधीन कर वसूली अधिकारी को समनुदेशित की जाए।

(2) जहां निर्धारिती की संपत्ति एक से अधिक कर वसूली अधिकारियों की अधिकारिता के भीतर है और वह कर वसूली अधिकारी, जिसके द्वारा प्रमाणपत्र तैयार किया जाता है—

(क) अपनी अधिकारिता के भीतर जंगम या स्थावर संपत्ति के विक्रय द्वारा संपूर्ण रकम वसूल करने में असमर्थ है, या

(ख) उसकी यह राय है कि इस अध्याय के अधीन संपूर्ण रकम या उसके भाग की वसूली शीघ्र करने या उसको सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना अपेक्षित है,—

(i) प्रमाण पत्र, या

(ii) विहित रीति से प्रमाणित प्रमाण पत्र की एक प्रति जिसमें वसूल की जाने वाली राशि निर्दिष्ट की गई हो, जहां राशि का केवल एक भाग वसूल किया जाना हो,

उपधारा (1)(ख) में निर्दिष्ट उस कर वसूली अधिकारी को भेज सकेगा, जिसकी अधिकारिता के भीतर निर्धारिती निवास करता है या उसकी संपत्ति है और तब वह कर वसूली अधिकारी भी इस भाग के अधीन रकम की वसूली करने के लिए इस प्रकार कार्यवाही करेगा मानो वह प्रमाणपत्र या उसकी प्रति उसके द्वारा तैयार की गई हो।

415. (1) कर वसूली अधिकारी किसी कर के संदाय के लिए समय दे सकेगा और तब तक ऐसे कर के लिए वसूली की कार्यवाही पर रोक लगा सकेगा।

(2) जहां कोई प्रमाणपत्र तैयार किया गया है और तत्पश्चात् परासंदेय मांग की रकम इस अधिनियम के अधीन अपील या अन्य कार्यवाही में उपांतरित होते हुए उक्त डिमांड से उठने वाले किसी आदेश परिणामस्वरूप घटा दी जाती है वहां कर वसूली अधिकारी,—

(क) यदि आदेश इस अधिनियम के अधीन आगे की कार्यवाही का विषय-वस्तु है, तो प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट रकम के ऐसे भाग की वसूली पर, जो उक्त

कर वसूली अधिकारी जिसके द्वारा वसूली की जानी है।

प्रमाणपत्र के अनुसरण में कार्यवाहियों का रोका जाना और उसका संशोधन या रद्द किया जाना।

कटौती से संबंधित है, उस अवधि के लिए रोक लगा सकेगा, जिसके लिए अपील या अन्य कार्यवाही लंबित रहती है; या

(ख) उस दशा में जिसमें वह आदेश, जो ऐसी अपील या अन्य कार्यवाही का विषय था, अंतिम और निश्चायक हो गया है, यथास्थिति, प्रमाणपत्र का संशोधन करेगा या उसको रद्द करेगा।

वसूली के अन्य
दंग ।

416. (1) जहां धारा 413 के अधीन कोई प्रमाणपत्र तैयार नहीं किया गया है वहां निर्धारण अधिकारी इस धारा में उपबंधित दंगों में से किसी एक या अधिक द्वारा कर की वसूली कर सकेगा।

(2) जहां धारा 413 के अधीन कोई प्रमाणपत्र तैयार किया गया है वहां कर वसूली अधिकारी, उस धारा में विनिर्दिष्ट वसूली के दंगों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस धारा में उपबंधित दंगों में से किसी एक या अधिक द्वारा कर की वसूली कर सकेगा।

(3) यदि कोई निर्धारिती "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य कोई आय प्राप्त करता है तो निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी उसका संदाय करने वाले किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसी अध्यपेक्षा की तारीख के पश्चात्पूर्वी किसी संदाय से कर की किसी ऐसी बकाया की कटौती कर ले जो ऐसे निर्धारिती द्वारा संदेय हो और ऐसा व्यक्ति ऐसी किसी अध्यपेक्षा का अनुपालन करेगा और इस प्रकार कटौती की गई राशि केन्द्रीय सरकार के खाते में या जैसे बोर्ड निर्दिष्ट करे, संदत्त करेगा।

(4) उपधारा (3) में अंतर्विष्ट कोई बात, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 60 के अधीन सिविल न्यायालय की डिक्री के निष्पादन में अध्यपेक्षा से छूट प्राप्त होगा।

1908 का 5

(5)(क) निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी किसी समय या समय-समय पर लिखित सूचना द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति से—

(i) जिनके द्वारा निर्धारिती को धन संदेय है या संदेय हो जाए; या

(ii) निर्धारिती के लिए या उसके खाते में धन रखता है या बाद में रख सकता है,

निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी को संदाय करना—

(I) उसके लेखे धन धारित करता है या तत्पश्चात् धारित करे यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह; या

(II) तो धन के संदेय हो जाने पर या धारित होने पर तत्काल अथवा सूचना में विनिर्दिष्ट समय पर या उसके भीतर (जो धन के संदेय होने या धारित होने से पहले का नहीं है),

धनराशि का उतना भाग जो बकाया के संबंध में निर्धारिती द्वारा संदेय राशि का संदाय करने के लिए पर्याप्त हो, या संपूर्ण धनराशि जब वह उस राशि के बराबर या उससे कम हो।

(ख) इस उपधारा के अधीन सूचना किसी व्यक्ति को दी जा सकेगी जो निर्धारिती के लिए या उसके लेखे किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से कोई धन धारित करता है या तत्पश्चात् धारित करे।

(ग) इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, खंड (ख) ऐसे लेखे में संयुक्त धारकों के अंशों के बारे में, जब तक कि प्रतिकूल साबित न हो जाए, यह उपधारणा की जाएगी, कि वे बराबर हैं

(घ) सूचना की एक प्रति अग्रेषित की जाएगी—

(i) निर्धारिती, और

(ii) संयुक्त खाते की स्थिति में, सभी संयुक्त धारकों को,

उनके अंतिम पते पर, जो कर निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी को ज्ञात हो।

(ङ) इस उपधारा में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ऐसा हर व्यक्ति, जिसे इस उपधारा के अधीन सूचना दी जाती है, ऐसी सूचना का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा तथा विशिष्टतया, जहां ऐसी कोई सूचना डाकखाने, बैंककारी कंपनी, या बीमाकर्ता को दी जाती है, वहां संदाय करने के पूर्व किसी प्रविष्टि, पृष्ठांकन या वैसी ही किसी कार्यवाही के किए जाने के प्रयोजनों के लिए किसी पासबुक, निक्षेप रसीद, पॉलिसी या किसी अन्य दस्तावेज का पेश करना, किसी प्रतिकूल नियम, प्रथा या अपेक्षा के होते हुए भी, अपेक्षित न होगा।

(च) किसी संपत्ति के संबंध में, जिसके संबंध में इस उपधारा के अधीन सूचना जारी किया गया है, कोई दावा जो सूचना की तारीख के पश्चात उद्भूत होता है, सूचना में अंतर्विष्ट किसी मांग के विशुद्ध शून्य होगा;

(छ) जहां कोई व्यक्ति जिसको इस उपधारा के अधीन सूचना भेजी गई है, शपथ पर कथन द्वारा उसके बारे में, यह आक्षेप करता है कि—

(क) मांगी गई राशि या उसका कोई भाग निर्धारिती को संदेय नहीं है ; या

(ख) वह निर्धारिती के लिए या उसके लेखे कोई धन धारित नहीं करता है,

तो इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे व्यक्ति से ऐसी कोई राशि या उसका कोई भाग देने की अपेक्षा करने वाली नहीं मानी जाएगी;

(ज) जहां यदि यह पता चलता है कि खंड (छ) के अधीन कि ऐसा कथन किसी तात्त्विक विशिष्टि में मिथ्या था तो ऐसा व्यक्ति उस परिमाण तक जिस तक सूचना की तारीख को उसका निर्धारिती के प्रति दायित्व था या उस परिमाण तक जिस तक इस अधिनियम के अधीन संदेय किसी राशि के लिए निर्धारिती का दायित्व है इसमें से जो भी कम हो उस तक निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से दायी होगा।

(झ) निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी किसी समय या समय-समय पर इस उपधारा के अधीन दी गई किसी सूचना का संशोधन या प्रतिसंहरण कर सकेगा या ऐसी सूचना के अनुसरण में कोई संदाय करने का समय बढ़ा सकेगा।

(ञ) निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी इस उपधारा के अधीन दी गई सूचना के अनुपालन में संदत्त रकम के लिए रसीद देगा और वह व्यक्ति जिसने ऐसा संदाय किया है उस संदत्त रकम के परिमाण तक निर्धारिती के प्रति अपने दायित्व से पूर्णतः उन्मोचित हो जाएगा।

(ट) वह व्यक्ति जो इस धारा के अधीन सूचना की प्राप्ति के पश्चात् निर्धारिती के प्रति किसी दायित्व का उन्मोचन उसे ही कर देता है, निर्धारिती के प्रति—

(i) अपने स्वयं के इस प्रकार उन्मोचित दायित्व के परिमाण तक या

(ii) इस अधिनियम के अधीन संदेय किसी राशि के लिए निर्धारिती के दायित्व के परिमाण तक, इनमें से जो भी कम हो,

उस तक निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से दायी होगा ।

(ठ) यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसे इस उपधारा के अधीन सूचना भेजी गई है उसके अनुसरण में निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी को संदाय करने में असफल रहता है तो—

(i) वह सूचना में विनिर्दिष्ट रकम की बाबत व्यतिक्रम करने वाला निर्धारिती समझा जाएगा और उस रकम की वसूली के लिए उसके विरुद्ध आगे की कार्यवाही धारा 413 से धारा 415 तक में उपबंधित रीति से इस प्रकार की जा सकेगी मानो वह उसके द्वारा संदेय कर की बकाया हो; और

(ii) सूचना का वही प्रभाव होगा जो कर वसूली अधिकारी धारा 413 के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग में ऋण की कुर्की का होता है।

(6) निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी उस न्यायालय से, जिसकी अभिरक्षा में निर्धारिती का धन है, यह आवेदन कर सकेगा कि उसको—

(क) ऐसे धन की पूरी रकम का या यदि वह संदेय कर से अधिक है तो इतनी रकम का जितनी कर के उन्मोचन के लिए पर्याप्त है संदाय किया जाए ।

(ख) कर निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी उस न्यायालय में आवेदन कर सकेगा जिसकी अभिरक्षा में निर्धारिती का धन है ।

(7) यदि निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी को आय-कर प्राधिकारी द्वारा, जो आयुक्त के पद से नीचे का नहीं है, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किया गया है, तो वह किसी निर्धारिती से संदेय कर की बकाया राशि को यथा विहित रीति में उसकी चल संपत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा वसूल कर सकता है।

राज्य सरकार की
मार्फत वसूली ।

417. यदि संविधान के अनुच्छेद 258 (1) के अधीन किसी क्षेत्र में कर की वसूली राज्य सरकार को सौंप दी गई है तो राज्य सरकार उस क्षेत्र या उसके किसी भाग की बाबत यह निर्दिष्ट कर सकेगी कि वहां ऐसा कर किसी नगरपालिका कर या स्थानीय रेट के साथ और उसके अतिरिक्त उसी व्यक्ति द्वारा और ऐसी रीति से वसूली किया जाएगा जिसके द्वारा या जिससे नगरपालिका कर या स्थानीय रेट वसूल किया जाता है ।

विदेशों से करार
के अनुसरण में
कर की वसूली ।

418. (1) जहां केन्द्रीय सरकार के साथ, भारत के बाहर किसी देश की सरकार से इस अधिनियम के और उस देश में प्रवृत्त तत्समान विधि के अधीन आय-कर की वसूली के लिए कोई करार किया जाता है और उस देश की सरकार या उस सरकार के अधीन कोई प्राधिकारी जो ऐसे करार में इस निमित्त विनिर्दिष्ट है बोर्ड को भारत में संपत्ति वाले किसी निवासी या किसी व्यक्ति से ऐसी तत्समान विधि के अधीन शोध्य कर की वसूली के लिए प्रमाणपत्र भेजता है—

(क) किसी निवासी से, या

(ख) भारत में कोई संपत्ति रखने वाला व्यक्ति,

बोर्ड, प्रत्येक ऐसा प्रमाणपत्र ऐसे निवासी पर अधिकारिता रखने वाले या जिसकी अधिकारिता में ऐसी संपत्ति स्थित है, कर वसूली अधिकारी को अग्रेषित कर सकता है] और तब ऐसा कर वसूली अधिकारी—

(i) प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट रकम को वसूल करने के लिए उसी रीति में कार्यवाही करेगा जिसमें धारा 413 के अधीन उसके द्वारा तैयार किए गए प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट रकम को वसूल करने के लिए कार्यवाही करता; और

(ii) वसूली की कार्यवाहियों के संबंध में अपने व्यय की कटौती करके बोर्ड को इस प्रकार वसूल की गई राशि भेजेगा ।

(2) जहां कोई निर्धारित कर का भुगतान करने में चूक करता है या चूककर्ता समझा जाता है, -

(क) किसी ऐसे देश का निवासी है जिसके साथ केन्द्रीय सरकार ने इस अधिनियम और उस देश में प्रवृत्त तत्स्थानी विधि के अधीन आयकर की वसूली के लिए करार किया है; या

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट देश में कोई संपत्ति है,

तो कर वसूली अधिकारी धारा 413 के अधीन उसके द्वारा तैयार किया गया प्रमाणपत्र बोर्ड को भेज सकेगा और बोर्ड उस पर ऐसी कार्रवाई कर सकेगा, जो वह ऐसे देश के साथ करार की शर्तों को ध्यान में रखते हुए उचित समझे।

419. ब्याज, जुर्माने या शास्ति के रूप में अधिरोपित कोई राशि अथवा कोई अन्य राशि जो इस अधिनियम के अधीन संसदेय है, ऐसी रीति से वसूली होगी जैसी कर की बकाया की वसूली के लिए इस अध्याय में उपबंधित है ।

420. (1) ऐसे अपवादों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, ऐसा कोई व्यक्ति,—

(क) जो भारत में अधिवासी नहीं है;

(ख) जो अपने कारबार, वृत्ति या नियोजन के संबंध में भारत में आया है; और

(ग) जिसकी भारत में किसी स्रोत से व्युत्पन्न आय है,

भारत का राज्यक्षेत्र भू-मार्ग, जलमार्ग या वायुमार्ग से तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि वह ऐसे प्राधिकारी को, जो विहित किया जाए,—

(i) अपने नियोजक से, या

(ii) ऐसे व्यक्ति से, जिसके माध्यम से ऐसा व्यक्ति आय प्राप्त करता है,

विहित प्ररूप में इस आशय का कोई वचनबंध नहीं दे देता है कि ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो भारत में अधिवासी नहीं है, संसदेय कर खंड (i) में निर्दिष्ट नियोजक या खंड (ii) में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा संदत्त किया जाएगा और विहित प्राधिकारी वचनबंध की प्राप्ति पर, ऐसे व्यक्ति को तुरंत भारत छोड़ने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र देगा :

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट कोई बात ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी, जो भारत में अधिवासी नहीं है किंतु किसी विदेशी पर्यटक के रूप में या कारबार, वृत्ति या

शास्तियों, जुर्माने, ब्याज तथा अन्य राशियों की वसूली ।

कर समाशोधन प्रमाणपत्र ।

नियोजन से असंबद्ध किसी अन्य प्रयोजन के लिए भारत में आता है ।

(3) ऐसे अपवादों के अधीन रहते हुए, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो भारत में अधिवासी है, भारत से अपने प्रस्थान के समय आय-कर प्राधिकारी या ऐसे अन्य प्राधिकारी को, जो विहित किया जाए, विहित प्ररूप में निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा,—

(क) धारा 262 के अधीन उसे आबंटित स्थायी खाता संख्यांक :

(ख) भारत के बाहर से उसके आने का प्रयोजन;

(ग) भारत के बाहर उसके ठहरने की अनुमानित अवधि :

(4) उपधारा (3) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति यदि ऐसा स्थायी खाता संख्यांक उसे आबंटित नहीं किया गया है या उसकी कुल आय, आय-कर से प्रभार्य नहीं है या इस अधिनियम के अधीन इसके द्वारा स्थायी खाता संख्यांक प्राप्त किया जाना अपेक्षित नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति, विहित प्ररूप में एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।

(5) कोई व्यक्ति,—

(क) जो अपने प्रस्थान के समय भारत में अधिवासी है; और

(ख) जिसके संबंध में ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण आय-कर अधिकारी की राय में इस धारा के अधीन प्रमाणपत्र प्राप्त करना उसके लिए अपेक्षित है,

भारत का राज्यक्षेत्र भू-मार्ग, जलमार्ग या वायुमार्ग से तब तक नहीं छोड़ेगा जब कि वह आय-कर प्राधिकारी से इस बात का कथन करने वाला एक प्रमाणपत्र अभिप्राप्त नहीं कर लेता है कि उसका इस अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 या दान-कर अधिनियम, 1958 या व्यय-कर अधिनियम, 1987 कालाधन (विदेशी आय और आस्तियों का प्रकटीकरण) और कर अधिरोपण अधिनियम 2015 के अधीन कोई दायित्व नहीं है या यह कि ऐसे सभी या किसी कर के संदाय के लिए, जो उस व्यक्ति द्वारा संसंदेय है या संसंदेय हो सकते हैं, समाधानप्रद इंतजाम कर दिए गए हैं :

(6) कोई आय-कर प्राधिकारी, ऐसे किसी व्यक्ति के लिए, जो भारत में अधिवासी है, इस धारा के अधीन प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करना तब तक अनिवार्य नहीं करेगा—

(क) जब तक कि वह उसके लिए कारण अभिलिखित नहीं करता है; और

(ख) प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त का पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं कर लेता ।

(7) यदि किसी पोत या विमान का स्वामी या पोत भाड़े पर लेने वाला जो व्यक्तियों को भारत के राज्यक्षेत्र के किसी स्थान से भारत के बाहर किसी स्थान को ले जाता है, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे उपधारा (1) या उपधारा (5) का पहला परतुक लागू होता है, पहले अपना यह समाधान किए बिना कि उस उपधारा द्वारा यथा अपेक्षित प्रमाणपत्र ऐसे व्यक्ति के कब्जे में है, ऐसे पोत या विमान से यात्रा करने देता है तो वह ऐसे व्यक्ति द्वारा संसंदेय कर की संपूर्ण रकम के, यदि कोई हो, या उसके इतने भाग के संदाय के लिए व्यक्तिगत रूप से दायित्वाधीन होगा, जितना उस मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्धारण अधिकारी अवधारित करे ।

(8) उपधारा (7) के अधीन किसी पोत या विमान के स्वामी या पोत भाड़े पर लेने वाले द्वारा संसंदेय किसी राशि की बाबत,—

(क) स्वामी या पोत भाड़े पर लेने वाला ऐसी राशि, लिए व्यतिक्रम करने वाला निर्धारिती समझा जाएगा और

(ख) ऐसी राशि उससे इस अध्याय में उपबंधित रीति से इस प्रकार वसूली होगी मानो वह कर की बकाया हो ।

(9) बोर्ड इस धारा के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए अपेक्षित या उससे आनुषंगिक किसी विषय को विनियमित करने के लिए नियम बना सकेगा।

(10) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, पद “स्वामी” और “पोत भाड़े पर लेने वाला” पदों के अन्तर्गत ऐसा प्रतिनिधि, अभिकर्ता या कर्मचारी भी है जो पोत या विमान द्वारा यात्रा करने के लिए व्यक्तियों को अनुज्ञात करने के लिए स्वामी या पोत भाड़े पर लेने वाला द्वारा सशक्त किया गया है ।

421. इस अध्याय में विनिर्दिष्ट वसूली के विभिन्न ढंग—

(क) सरकार को संदेय ऋणों की वसूली से सम्बद्ध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि को; अथवा

(ख) निर्धारिती द्वारा संदेय बकाया की वसूली के लिए वाद संस्थित करने के सरकार के अधिकार को किसी प्रकार प्रभावित नहीं करेंगे,

यह निर्धारण अधिकारी या सरकार के लिए वैध होगा, जैसा भी मामला हो, ऐसे किसी भी विधि या वाद का सहारा लेने के लिए, इस बात के बावजूद कि अध्याय के इस भाग में निर्दिष्ट किसी भी मोड द्वारा निर्धारिती से देय कर वसूल किया जा रहा है।

422. धारा 304(1) या (5) के उपबंधों का विचार किए बिना के, जहां धारा 9(2) में निर्दिष्ट आय का हकदार व्यक्ति अनिवासी है, उस पर प्रभार्य कर, चाहे उसके नाम में या उसके अभिकर्ता के नाम पर जो एक प्रतिनिधि निर्धारिती के रूप में उत्तरदायी है—

(क) अध्याय 19ख के उपबंधों के अधीन कटौती द्वारा वसूल किया जा सकेगा ;और

(ख) कर के कोई बकाया भी अनिवासी की किन्हीं आस्तियों से, जो भारत के अन्दर है या किसी समय आए, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार वसूल किए जा सकेंगे

वाद के द्वारा या अन्य विधि के अधीन वसूली का प्रभावित न होना ।

अनिवासी की बाबत कर की उसकी आस्तियों में से वसूली ।

ड. कतिपय मामलों में प्रभार्य ब्याज

423. (1) जहां किसी कर वर्ष के लिए आय की विवरणी नियत तारीख के पश्चात् दी जाती है या नहीं दी जाती है, वहां निर्धारिती निम्नलिखित के अनुसार साधारण ब्याज का संदाय करने का दायी होगा :—

आई = 1% x ए x टी

जहां,

आई = संदेय ब्याज;

आय की विवरणी देने में व्यतिक्रम के लिए ब्याज ।

ए = कर की रकम जिस पर ब्याज संसंदेय है, जैसा कि उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट है;

टी = प्रारंभ तारीख के ठीक बाद की तारीख से शुरू होने वाली अवधि में सम्मिलित मास की संख्या और समाप्ति तारीख पर समाप्त होने की तारीख पर, उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट ।

(2) उपधारा (1) के लिए, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (ख) में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों के संबंध में, प्रारंभ तारीख स्तम्भ (ग) में विनिर्दिष्ट तारीख होगी, समाप्ति तारीख स्तम्भ (घ) में विनिर्दिष्ट तारीख होगी और कर की रकम जिस पर ब्याज संदेय है, स्तम्भ (ङ) में विनिर्दिष्ट है:

सारणी

क्र. सं.	परिस्थितियां	आरंभ की तारीख	समाप्ति की तारीख	कर की वह रकम जिस पर ब्याज संदेय हो
क	ख	ग	घ	ङ
1.	जहां विवरणी-धारा 263(1), (4) या (6) के अधीन ; या धारा 268(1) के अधीन नियत तारीख के पश्चात सूचना के उत्तर में प्रस्तुत की जाती है।	धारा 263(1) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख।	विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख ।	(क) जहां नियमित निर्धारण नहीं किया जाता है, धारा 270 (1) के अधीन यथा अवधारित कुल आय पर संदत्त कर से कम हो जाता है; (ख) जहां एक नियमित निर्धारण किया जाता है, नियमित निर्धारण के अधीन अवधारित कुल आय पर संदत्त कर से कम हो जाता है।
2.	जहां धारा 263(1), (4) या (6) या धारा 268(1) सूचना के उत्तर में कोई विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई है।	धारा 263(1) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख।	धारा 271 के अधीन निर्धारण के पूरा होने की तारीख	नियमित निर्धारण के अधीन अवधारित कुल आय पर संदत्त कर से कम हो जाता है।
3.	(क) जहां धारा 270 (1) के अधीन आय के अवधारण के पश्चात या धारा	ऐसी सूचना के अधीन अनुज्ञात समय की अंतिम	विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख की	रकम जिसके द्वारा ऐसे पुनर्निर्धारण या पुनःसंगणना के आधार पर अवधारित कुल आय पर कर धारा 270 (1)

- 270 (10)या तारीख के अधीन या धारा 270 धारा 271 या (1) या 271 या 279 के धारा 279 के अधीन पूर्ववर्ती निर्धारण अधीन निर्धारण के आधार पर अवधारित पूरा होने के कुल आय पर कर से पश्चात धारा 280 अधिक है के अधीन जारी सूचना द्वारा आय की विवरणी की अपेक्षा होती है; और
- (ख) ऐसी विवरणी ऐसी सूचना के अधीन अनुज्ञात समय की समाप्ति के पश्चात प्रस्तुत की जाती है।
4. (क) जहां धारा ऐसी सूचना धारा 279 के रकम जिसके द्वारा ऐसे 270(1) के के अधीन अधीन पुनर्निर्धारण या अधीन आय के अनुज्ञात पुनर्मूल्यांन पुनःसंगणना के आधार अवधारण के समय की या पर अवधारित कुल आय पश्चात या धारा अंतिम पुनःसंगणना पर कर धारा 270 (1) 270(10) या तारीख के पूरा होने के अधीन या धारा 270 धारा 271 या की (1) या 271 या 279 के धारा 279 के तारीख । अधीन पूर्ववर्ती निर्धारण अधीन निर्धारण के आधार पर अवधारित पूरा होने के कुल आय पर कर से पश्चात धारा 280 अधिक है के अधीन जारी सूचना द्वारा आय की विवरणी की अपेक्षा होती है; और
- (ख) कोई विवरणी प्रस्तुत नहीं की जाती है

(3) जहां धारा 287 या धारा 288 या धारा 359 या धारा 363 या धारा 365 (10) या धारा 368 या धारा 377 या धारा 378, के अधीन किसी आदेश के परिणामस्वरूप

ऐसे कर की रकम, जिस पर इस धारा की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन ब्याज संदेय था, बढ़ाई गई है या घटाई गई है वहां ब्याज तदनुसार बढ़ा दिया जाएगा या घटा दिया जाएगा, और—

(क) जहां ब्याज बढ़ाया जाता है वहां निर्धारण अधिकारी संदेय राशि विनिर्दिष्ट करते हुए ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाए मांग की सूचना की तामील निर्धारिती पर करेगा और ऐसी मांग की सूचना को धारा 289 के अधीन सूचना समझा जाएगा और इस अधिनियम के उपबंध तदनुसार लागू होंगे;

(ख) किसी ऐसी दशा में जहां ब्याज घटाया जाता है वहां संदत्त अधिक ब्याज का, यदि कोई हो, प्रतिदाय किया जाएगा ।

(4) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) धारा 270 (1) के अधीन अवधारित कुल आय पर कर में अतिरिक्त आय-कर, यदि कोई हो, धारा 267 के अधीन देय सम्मिलित नहीं होगा;

(ख) नियमित निर्धारण के अधीन अवधारित कुल आय पर कर में धारा 267 के अधीन देय अतिरिक्त आय-कर सम्मिलित नहीं होगा;

(ग) उपधारा (1) के अधीन देय ब्याज को धारा 266 के अधीन संदत्त किए गए ब्याज से घटाया जाएगा, यदि कोई हो, तो प्रभार्य ब्याज के लिए;

(घ) “संदत्त कर” से—

(i) संदत्त अग्रिम कर, यदि कोई हो ;

(ii) स्रोत पर कटौती किए गए या संगृहीत किसी कर;

(iii) धारा 157 के अधीन अनुज्ञात कर की कोई राहत;

(iv) भारत से बाहर किसी देश में संदत्त कर मददे धारा 159(1) के अधीन अनुज्ञात कर की किसी राहत;

(v) धारा 159(2) में निर्दिष्ट भारत से बाहर किसी विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में संदत्त कर मददे उस धारा के अधीन अनुज्ञात कर की कोई राहत;

(vi) भारत के बाहर किसी देश में संदत्त कर मददे धारा 160 के अधीन अनुज्ञात संदेय भारतीय आयकर से कोई कटौती-; और

(vii) धारा 206(1) (ढ) से (त) और 206(2) (ड.) से (ज) से (15) और 206 क(5) से (7) के अनुसार मुजरा किए जाने के लिए अनुज्ञात किसी कर प्रत्यय

की रकम को घटाकर आए अभिप्रेत है ।

(5) जहां किसी भी कर वर्ष के लिए, धारा 279 के अधीन पहली बार निर्धारण किया जाता है, तो किए गए निर्धारण को इस धारा के प्रयोजनों के लिए नियमित निर्धारण समझा जाएगा ।

424. (1) इस धारा के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां किसी कर वर्ष में कोई ऐसा निर्धारिती जो धारा 404 के अधीन अग्रिम कर का संदाय करने का दायी है,—

अग्रिम कर के
संदाय में
व्यतिक्रम के लिए

(क) ऐसे कर का संदाय करने में असफल हो गया है; या

(ख) जहां धारा 406 या धारा 407 के उपबंधों के अधीन ऐसे निर्धारिती द्वारा संदत्त अग्रिम कर निर्धारित कर के 90% से कम है, वहां निर्धारिती ऐसे कर वर्ष के ठीक बाद 1 अप्रैल से आरंभ होने वाली अवधि के लिए प्रत्येक मास या मास के भाग के लिए 1% की दर पर देय साधारण ब्याज के लिए दायी होगा,—

(i) धारा 270 की उपधारा (1) के अधीन कुल आय के अवधारण की तारीख तक; या

(ii) नियमित निर्धारण पूरा होने की तारीख तक, जहां नियमित निर्धारण किया जाता है ।

की अवधि में समाविष्ट प्रत्येक मास या किसी मास के भाग के लिए, निर्धारित कर के बराबर रकम पर जहां खंड (क) लागू होता है या उतनी रकम पर जितनी से पूर्वोक्त रूप में संदत्त अग्रिम कर निर्धारित कर से कम पड़ जाता है जहां खंड (ख) लागू होता है एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का संदाय करने का दायी होगा ।

(2) उपधारा(1) में, “निर्धारित कर” से अभिप्रेत है धारा 270 की उपधारा (1) के अधीन अवधारित कुल आय पर कर और जहां कोई नियमित निर्धारण किया जाता है, वहां ऐसे नियमित निर्धारण के अधीन अवधारित कुल आय पर कर, जैसा कि वह,—

(क) किसी आय पर, जो ऐसी कटौती या संग्रहण के अधीन है और जिसको ऐसी कुल आय की संगणना करने में हिसाब में लिया जाता है, अध्याय 19ख के उपबंधों के अनुसार स्रोत पर काटे या संग्रहण किए गए किसी कर;

(ख) धारा 157 के अधीन अनुज्ञात कर की कोई राहत;

(ग) भारत से बाहर किसी देश में संदत्त कर मददे धारा 159 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञात कर की कोई राहत;

(घ) धारा 159 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट भारत से बाहर किसी विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में संदत्त कर मददे उस धारा के अधीन अनुज्ञात कर की कोई राहत;

(ङ) भारत के बाहर किसी देश में संदत्त कर मददे धारा 160 के अधीन अनुज्ञात संदेय भारतीय आयकर से किसी कटौती-; और

(च) धारा 206(1) (ढ) से (त) और 206(2) (ड.) से (ज) से (15) और 206 क(5) से (7) के अनुसार मुजरा किए जाने के लिए अनुज्ञात किसी कर प्रत्यय

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) जहां किसी कर वर्ष के संबंध में धारा 279 के अधीन कोई निर्धारण पहली बार किया जाता है, वहां इस प्रकार किए गए निर्धारण को इस धारा के प्रयोजनों के लिए नियमित निर्धारण माना जाएगा;

(ख) धारा 270 की उपधारा (1) के अधीन यथा अवधारित कुल आय पर कर के अन्तर्गत धारा 267 के अधीन संदेय अतिरिक्त आय-कर, यदि कोई हो, नहीं होगा ;

(ग) नियमित निर्धारण के अधीन अवधारित कुल आय पर कर के अन्तर्गत

धारा 267 के अधीन संदेय अतिरिक्त आय-कर नहीं होगा ।

(4) जहां धारा 270 की उपधारा (1) के अधीन कुल आय के अवधारण की, या नियमित निर्धारण के पूरा होने की तारीख के पूर्व, निर्धारिती द्वारा धारा 266 के अधीन या अन्यथा कर का संदाय कर दिया जाता है वहां—

(क) ब्याज इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों के अनुसार उस तारीख तक परिकलित किया जाएगा जिसको कर का इस प्रकार संदाय किया जाता है और उसमें से इस धारा के अधीन प्रभार्य ब्याज के प्रति धारा 266 के अधीन संदत्त ब्याज को, यदि कोई है, घटा दिया जाएगा;

(ख) इसके पश्चात् उस रकम पर जितनी से इस प्रकार संदत्त कर और साथ ही संदत्त अग्रिम कर निर्धारित कर से कम पड़ जाता है, पूर्वोक्त दर से परिकलित किया जाएगा।

(5) जहां, धारा 279 के अधीन पुनर्निर्धारण या पुनः संगणना के आदेश के परिणामस्वरूप उपधारा (1) के अधीन किसी भी कर वर्ष के लिए अग्रिम कर के संदाय में कमी के संबंध में ब्याज देय था, निर्धारिती प्रत्येक मास या मास के भाग के लिए 1% की दर से साधारण ब्याज का संदाय करने के लिए उत्तरदायी होगा, जिसमें अप्रैल के 1 दिन से आरंभ होने वाली अवधि में सम्मिलित है। कर वर्ष और नीचे दिए गए सूत्र के अनुसार निर्धारित ऐसी रकम पर पुनर्निर्धारण या पुनःसंगणना की तारीख को समाप्त होता है:—

$$क = ख - ग$$

जहां—

"क" = बढ़ी हुई राशि जिस पर पुनर्निर्धारण या पुनःसंगणना के परिणामस्वरूप किसी भी कर वर्ष के लिए अग्रिम कर के संदाय में कमी के संबंध में ब्याज देय था—

"ख" = पुनर्निर्धारण या पुनःसंगणना के आधार पर निर्धारित कुल आय पर कर;

"ग" = धारा 270 (1) या नियमित निर्धारण के अधीन निर्धारित कुल आय पर कर जैसा कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट है।

(6) जहां धारा 287 या धारा 288 या धारा 359 या धारा 363 या धारा 365 (10) या धारा 368 या धारा 377 या धारा 378 के अधीन किसी आदेश के परिणामस्वरूप, ऐसी रकम, जिस पर उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन ब्याज संदेय था, बढ़ाई गई है या घटाई गई है वहां ब्याज तदनुसार बढ़ा दिया जाएगा या घटा दिया जाएगा और—

(क) किसी ऐसी दशा में जहां ब्याज बढ़ाया जाता है वहां निर्धारण अधिकारी, संदेय राशि, विनिर्दिष्ट करते हुए ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाए मांग की सूचना की तामील निर्धारिती पर करेगा और ऐसी मांग की सूचना को धारा 289 के अधीन सूचना समझा जाएगा और इस अधिनियम के उपबंध तदनुसार लागू होंगे;

(ख) किसी ऐसी दशा में जहां ब्याज घटाया जाता है वहां संदत्त अधिक ब्याज का, यदि कोई हो, प्रतिदाय किया जाएगा ।

425. (1) किसी दशा में जहां किसी करवर्ष में, निर्धारिती, उपधारा (3) में उल्लिखित निर्धारिती से भिन्न धारा 404 के अधीन अग्रिम कर का संदाय करने के लिए उत्तरदायी है,

अग्रिम कर के
आस्थगन के लिए
ब्याज ।

(क) ऐसे कर का भुगतान करने में असफल रहता है, या

(ख) नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट तारीखों को या उससे पूर्व कर का संदाय कर दिया गया है जो उक्त सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट प्रतिदेय आय पर देकर के प्रतिशत से कम है, तो वह स्तंभ (3) में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिदेय आय पर देय कर के प्रतिशत से कमी की रकम पर उक्त सारणी के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए प्रतिमास या मास के भाग के लिए एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का संदाय करने के लिए उत्तरदायी होगा और इस धारा के अधीन ऐसे व्यक्ति द्वारा देय ब्याज ऐसी रकमों का योग होगा :

सारणी

क्र. सं.	नियत तारीख	संगणित ब्याज के प्रयोजन के लिए प्रतिशत अवधि		
(1)	(2)	(3)	(4)	ड
1.	15 जून	पंद्रह प्रतिशत	तीन मास या व्यतिक्रम की अवधि, इनमें से जो भी कम हो	
2.	15 सितंबर	पैंतालीस प्रतिशत	तीन मास या व्यतिक्रम की अवधि, इनमें से जो भी कम हो	
3.	15 दिसंबर	पचहत्तर प्रतिशत	तीन मास या व्यतिक्रम की अवधि, इनमें से जो भी कम हो	
4.	15 मार्च	सौ प्रतिशत	एक मास ।	

(2) यदि निर्धारिती ने अपनी वर्तमान आय पर अग्रिम कर का संदाय कर दिया है तो निर्धारिती उपधारा (1) के अधीन किसी ब्याज का भुगतान करने के लिए दायी नहीं होगा—

(क) जून के 15 वें दिन या उससे पहले लौटाई गई आय पर देय कर का 12% या अधिक है;

(ख) सितंबर के 15 वें दिन या उससे पहले लौटाई गई आय पर देय कर का 36% या अधिक है।

(3) ऐसा कोई निर्धारिती, जो, यथास्थिति,, धारा 58 की उपधारा (2)(सारणी :

क्र.सं. 1) या (सारणी : क्र.सं. 3) के अनुसार लाभ और अभिलाभ घोषित करता है जो धारा 404 के अधीन अग्रिम कर का संदाय करने का दायी है ऐसे कर का संदाय करने में असफल रहता है या निर्धारिती द्वारा अपनी चालू आय पर 15 मार्च को या उसके पूर्व संदत्त अग्रिम कर, विवरणी में दी गई आय पर देय कर से कम है वहां निर्धारिती विवरणी में दी गई आय पर देय कर की कम पड़ने वाली रकम पर 1% की दर से साधारण ब्याज का संदाय करने का दायी होगा ।

(4) लौटाई गई आय पर देय कर के भुगतान में कमी के संबंध में उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन ब्याज देय नहीं होगा, जहां,—

(क) परन्तु इस उपधारा की कोई बात विवरणी में दी गई आय पर देय कर के संदाय में हुई किसी कमी को वहीं लागू नहीं होगी, जहां ऐसी कमी—

(i) पूंजी अभिलाभ ;

(ii) धारा 2(49)(न) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय ;

(iii) कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ शीर्ष के अधीन उन मामलों में आय जहां आय उक्त शीर्ष के अधीन पहली बार प्रोद्भूत या उद्भूत होती है;

(iv) लाभांश आय;

(ख) निर्धारिती ने, उक्त आय संदेय कर की संपूर्ण रकम संदत्त कर दी है यदि ऐसी आय कुल आय का भाग थी, अग्रिम कर की बकाया किस्तों का, यदि कोई हो, या कर वर्ष के 31 मार्च तक संदत्त कर दी है ।

(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “विवरणी में दी गई आय पर देय कर” से अभिप्रेत है उस कर वर्ष के, जिसमें अग्रिम कर का संदाय किया जाता है कर वर्ष के लिए निर्धारिती द्वारा दी गई आय विवरणी में घोषित कुल आय कर प्रभार्य कर, जैसा कि वह,—

(क) किसी आय पर, जो ऐसी कटौती या संग्रहण के अधीन है और जिसको ऐसी कुल आय की संगणना करने में हिसाब में लिया गया है, अध्याय 19-ख के उपबंधों के अनुसार स्रोत पर कटौती योग्य या संग्रहण योग्य किसी कर;

(ख) धारा 157 के अधीन अनुज्ञात कर की कोई राहत;

(ग) भारत से बाहर किसी देश में संदत्त कर के संबंध में धारा 159(1) के अधीन अनुज्ञात कर की कोई राहत;

(घ) धारा 159(2) में निर्दिष्ट भारत से बाहर किसी विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में संदत्त कर के संबंध में उस धारा के अधीन अनुज्ञात कर की कोई राहत;

(ङ) भारत से बाहर किसी देश में संदत्त कर के संबंध में धारा 160 के अधीन अनुज्ञात संदेय भारतीय आय-कर से कोई कटौती; और

(च) धारा 206(1) (ढ) से (त) और 206(2) (ड.) से (ज) से (15) और 206 क(5) से (7) के अनुसार मुजरा किए जाने के लिए अनुज्ञात किसी कर प्रत्यय

की रकम को घटाकर आए ।

(6) इस धारा के प्रयोजनों के लिए “लाभांश” पद का अर्थ वही होगा जो धारा 2(40) में है, किंतु इसमें उसका उपखंड (ड.) सम्मिलित नहीं होगा।

426. (1) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां धारा 270 की उपधारा (1) के अधीन कोई प्रतिदाय निर्धारिती को मंजूर किया जाता है और—

(क) नियमित निर्धारण पर कोई प्रतिदाय देय नहीं है; या

(ख) धारा 270 की उपधारा (1) के अधीन प्रतिदाय की गई रकम नियमित निर्धारण पर प्रतिदेय रकम से अधिक है,

वहां निर्धारिती, प्रत्येक मास या प्रतिदाय की मंजूरी की तारीख से ऐसे नियमित निर्धारण की तारीख तक की अवधि में समाविष्ट किसी मास के भाग के लिए इस प्रकार प्रतिदाय की गई संपूर्ण या अधिक रकम पर 0.5% की दर से साधारण ब्याज का संदाय करने के लिए दायी होगा।

(2) जहां धारा 287 या धारा 288 या धारा 359 या धारा 363 या धारा 365(10) या धारा 368 या धारा 377 या धारा 378 के अधीन किसी आदेश के परिणामस्वरूप धारा 270 की उपधारा (1) के अधीन मंजूर किए गए प्रतिदाय की रकम, पूर्ण रूप में या भागरूप में सही रूप से अनुज्ञात की गई अभिनिर्धारित की जाती है वहां उपधारा (1) के अधीन प्रभार्य ब्याज, यदि कोई हो, तदनुसार घटा दिया जाएगा।

(3) जहां कर वर्ष के संबंध में कोई निर्धारण धारा 279 के अधीन पहली बार किया जाता है वहां इस प्रकार किए गए निर्धारण को इस धारा के प्रयोजनों के लिए नियमित निर्धारण समझा जाएगा।

च. कुछ मामलों में फीस का उद्ग्रहण

427. (1) इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां कोई व्यक्ति धारा 397(3)(ख) में विहित समय के भीतर कोई विवरण परिदत्त करने में या परिदत्त कराने में असफल रहता है, वहां वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, 200 रु. राशि का, फीस के रूप में, संदाय करने के लिए दायी होगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट फीस की रकम,—

(क) कटौती योग्य या संग्रहण करने योग्य कर की रकम से अधिक नहीं होगी; और

(ख) उपधारा (1) के अनुसार, विवरण देने या वितरित करने से पहले संदाय किया जाना चाहिए।

428. इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां, धारा 263 के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित व्यक्ति ऐसे समय के भीतर जो धारा 263 (1) में विहित किया जाए ऐसा करने में असफल रहता है, वह फीस के माध्यम से संदाय करेगा—

(क) 1000 रु. की राशि से अनधिक, यदि व्यक्ति की कुल आय 5,00,000 रु. से अधिक नहीं है;

अधिक प्रतिदाय पर ब्याज।

विवरणी प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम के लिए फीस।

आय की विवरणी प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम के लिए फीस।

विवरण या
प्रमाणपत्र से
संबंधित व्यतिक्रम
के लिए फीस ।

(ख) किसी अन्य मामले में, 5000 रु. की राशि

429. (1) इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां-

(क) धारा 45 की उपधारा (3) के खंड (क) में निर्दिष्ट अनुसंधान संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था या धारा 45 की उपधारा (3) के खंड (ख) में निर्दिष्ट कंपनी, ऐसा दस्तावेज जो धारा 45 की उपधारा (4) के खंड (क) में विहित किया जाए ऐसे समय के भीतर परिदत्त करने या कराए जाने में असफल रहती है या प्रमाणपत्र जो धारा 45 की उपधारा (4) के खंड (क) के अधीन विहित देने में असफल रहती है; या

(ख) संस्था या निधि द्वारा धारा 354 (1) (ड.) या 354 (1) (च) के अधीन विवरण परिदत्त करने या कराए जाने में असफल रहती है उस धारा के अधीन यथाविहित ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाए या 354 (1) (छ) के अधीन यथाविहित प्रमाणपत्र देने में असफल रहती है,

यह फीस के रूप में, प्रत्येक दिन के लिए 200 रु. रुपये की राशि का संदाय करने के लिए दायी होगा, जिसके दौरान असफलता जारी रहती है।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट फीस की रकम,—

(क) उस रकम से अधिक नहीं होगी, जिसकी बाबत उसमें निर्दिष्ट असफलता हुई है;

(ख) उपधारा (1) में निर्दिष्ट विवरण के परिदत्त किए जाने या कराए जाने से पहले या निर्दिष्ट प्रमाणपत्र देने से पहले संदत्त ।

आधार संख्या की
सूचना से संबंधित
व्यतिक्रम के लिए
फीस ।

430. इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां किसी व्यक्ति से धारा 262 (6) के अधीन उसकी आधार संख्या सूचित करने की अपेक्षा की जाती है और ऐसा व्यक्ति, ऐसी तारीख, जो विहित की जाए, को या उससे पूर्व ऐसा करने में असफल रहता है तो वह उक्त तारीख के पश्चात् उक्त उपधारा के अधीन सूचित करने के समय यथाविहित ऐसी फीस एक हजार रुपए से अनधिक है, संदाय करने का दायी होगा ।

अध्याय 20

प्रतिदाय

प्रतिदाय ।

431. यदि कोई व्यक्ति निर्धारण अधिकारी का समाधान कर देता है कि किसी कर वर्ष के लिए उसके द्वारा या उसके निमित्त संदत्त समझे गए कर की रकम उस रकम से अधिक है जिससे, वह उस वर्ष के लिए इस अधिनियम के अधीन उचित रूप से प्रभार्य है तो वह आधिक्य के प्रतिदाय का हकदार होगा ।

कतिपय विशेष
दशाओं में
प्रतिदाय का दावा
करने के लिए
हकदार व्यक्ति ।

432. (1) जहां एक व्यक्ति की आय इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय में सम्मिलित की जाती है वहां ऐसी आय की बाबत इस अध्याय के अधीन प्रतिदाय का हकदार केवल पश्चात्पूर्वी व्यक्ति ही होगा ।

(2) जहां कोई व्यक्ति अपने को देय किसी प्रतिदाय का दावा करने या उसे प्राप्त करने में असमर्थ है वहां, उसका विधिक प्रतिनिधि, या न्यासी या संरक्षक या प्राप्तिकर्ता

ऐसे व्यक्ति या उसकी सम्पदा के फायदे के लिए ऐसे प्रतिदाय का दावा करने या उसे प्राप्त करने का हकदार होगा ।

433. इस अध्याय के अधीन प्रतिदाय के लिए प्रत्येक दावा धारा 263 के अनुसार विवरणी प्रस्तुत करके किया जाएगा ।

434. (1) जहां,—

(क) लिखित में, किसी करार या अन्य ठहराव के अधीन धारा 393 की उपधारा (2)(सारणी : क्र.सं.17) में, ब्याज से भिन्न, किसी आय पर कटौती योग्य कर उस व्यक्ति द्वारा वहन किया जाना है, जिसके द्वारा आय-कर संदेय है; और

(ख) ऐसा व्यक्ति, केन्द्रीय सरकार के खाते में ऐसा कर संदत्त करने पर यह दावा करता है कि ऐसी आय पर कोई कर कटौती किया जाना अपेक्षित नहीं था,

वहां ऐसा व्यक्ति ऐसे कर के संदाय की तारीख से तीस दिन के भीतर, यथाविहित ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, कर के प्रतिदाय के लिए निर्धारण अधिकारी के समक्ष आवेदन फाइल कर सकेगा ।

(2) निर्धारण अधिकारी, लिखित में, आदेश द्वारा आवेदन को अनुज्ञात या अस्वीकार करेगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन तब तक अस्वीकार नहीं किया जाएगा, जब तक उस व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया जाता है ।

(4) निर्धारण अधिकारी, उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश पारित करने से पूर्व, ऐसी जांच कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे ।

(5) उपधारा (2) के अधीन आदेश, उस मास के अंत से, जिसमें उपधारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त किया जाता है, छह मास के भीतर पारित किया जाएगा ।

435. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन अपील या अन्य कार्यवाही में पारित किसी आदेश के परिणामस्वरूप किसी रकम का प्रतिदाय निर्धारिती को देय हो जाता है वहां निर्धारण अधिकारी इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, निर्धारिती को उस रकम का प्रतिदाय उसके इस निमित्त कोई दावा किए बिना ही करेगा :

(2) जहां, उपधारा (1) में निर्दिष्ट आदेश द्वारा,—

(क) कोई निर्धारण अपास्त या रद्द कर दिया जाता है और नए निर्धारण का आदेश किए जाने का निदेश दिया जाता है, वहां प्रतिदाय, यदि कोई हो, ऐसा नए निर्धारण के किए जाने पर ही देय होगा;

(ख) निर्धारण को बातिल कर दिया जाता है, वहां प्रतिदाय निर्धारिती द्वारा विवरणी में दी गई कुल आय पर प्रभार्य कर से अधिक संदत्त कर की रकम का ही, यदि कोई है, देय होगा ।

436. इस अध्याय के अधीन किसी दावे में निर्धारिती किसी ऐसे निर्धारण का या विनिश्चित किए गए अन्य विषय का सही होना जो अंतिम और निश्चायक हो गया है, प्रश्नगत नहीं करेगा और न उक्त निर्धारण या विषयके पुनरीक्षण की मांग कर सकेगा और निर्धारिती ऐसे दावे पर, ऐसे कर के, जो गलती से संदत्त किया गया है या अधिक

प्रतिदाय के लिए दावे का प्ररूप और परिसीमा ।

कतिपय मामलों में कर की कटौती करने के दायित्व से इंकार करने के लिए प्रतिदाय ।

अपील आदि पर प्रतिदाय ।

निर्धारण के सही होने का प्रश्नगत न किया जाना ।

प्रतिदाय पर
ब्याज ।

संदत किया गया है प्रतिदाय के सिवाय किसी राहत के लिए हकदार नहीं होगा ।

437. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन निर्धारिती को प्रतिदाय संदेय है, वह, इस धारा के उपबंधों के अधीन, प्रतिदाय के अतिरिक्त, प्रत्येक मास के लिए 0.5% की दर से गणना की गई साधारण ब्याज प्राप्त करने का हकदार होगा (या मास का भाग), नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (ख) में निर्दिष्ट परिस्थितियों में, उक्त सारणी के स्तम्भ (ग) में निर्दिष्ट अवधि के लिए:

सारणी		
क्र. सं.	परिस्थितियाँ	अवधि
क	ख	ग
1.	जहां प्रतिदाय धारा 394 के अधीन स्रोत पर एकत्र कर वित्त वर्ष के दौरान, के बाहर है या अग्रिम कर के रूप में संदत किया गया है या 390(5) के अधीन संदाय के रूप में माना जाता है ।	(क) जहां आय की विवरणी धारा 263(1) में यथाविनिर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है, कर वर्ष के बाद वर्ष के अप्रैल के पहले दिन से जिस तारीख को प्रतिदाय किया जाता है (ख) किसी अन्य मामले में, आय-विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख से लेकर उस तारीख तक, जिस पर प्रतिदाय किया जाता है
2.	जहां प्रतिदाय धारा 266 के अधीन संदाय किए गए किसी भी कर में से है,	आय की विवरणी या कर के संदाय को प्रस्तुत करने की तारीख से, जो भी बाद में हो, उस तारीख तक जिस पर प्रतिदाय किया जाता है;
3.	कोई अन्य मामला,	यथास्थिति, तारीख से या, जिन तारीखों को और से धारा 289 के अधीन जारी की गई मांग की सूचना में विनिर्दिष्ट कर या शास्ति की रकम का संदाय उस तारीख तक किया जाता है जिस पर प्रतिदाय किया जाता है ।

(2) उपधारा (1) (सारणी : क्र.सं.1 या क्र.सं.2) के अधीन कोई ब्याज संदेय नहीं होगा, यदि प्रतिदाय की रकम धारा 270 की उपधारा (1) के अधीन या नियमित निर्धारण पर निर्धारित कर के 10% से कम है ।

(3) जहां प्रतिदाय उपधारा (1) (सारणी : क्र.सं.1) में उल्लिखित, निर्धारिती द्वारा धारा 288 (1) (सारणी : क्र.सं.11) के अधीन किए गए आवेदन के परिणामस्वरूप, निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के परिणामस्वरूप प्रतिदाय उद्भूत होता है, वहां ब्याज को, ऐसे आवेदन की तारीख से उस तारीख तक, जिसको प्रतिदाय प्रदान किया जाता है, की अवधि में समाविष्ट प्रत्येक मास या मास के किसी भाग के लिए

0.5% की दर से संगणित किया जाएगा ।

(4) उस दशा में जहां प्रतिदाय नया निर्धारण या पुनर्निर्धारण करने से अन्यथा पूर्णतः या भागतः धारा 359 या धारा 363 या धारा 365(10) या धारा 368 या धारा 377 या धारा 378 के अधीन किसी आदेश को प्रभावी करने के परिणामस्वरूप उद्भूत होता है, वहां निर्धारिती,—

(क) उपधारा (1) या के अधीन संदेय ब्याज के अतिरिक्त; और

(ख) धारा 286 की उपधारा (1) (सारणी; क्र.स. 9 और 10) के अधीन अनुज्ञात अवधि के अवसान की तारीख की पश्चात्पूर्वी तारीख से, उस तारीख तक जिसको प्रतिदाय मंजूर किया जाता है, आरंभ होने वाली अवधि के लिए तीन प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर परिकलित ऐसे प्रतिदाय की रकम पर अतिरिक्त ब्याज प्राप्त करने का हकदार होगा ।

(5) उपधारा (4) के प्रयोजनों के लिए, किसी निर्धारिती की दशा में, जहां निर्धारण या पुनर्निर्धारण के लिए कार्यवाहियां लंबित हैं, वहां इस उपधारा के अधीन ऐसे निर्धारिती को संदेय अतिरिक्त ब्याज का अवधारण करने के लिए अवधि की संगणना करने में उस तारीख से आरंभ होने वाली अवधि, जिसको धारा 438 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार और उसके अधीन रहते हुए, उस तारीख तक ऐसे प्रतिदाय को निर्धारण अधिकारी द्वारा रोक कर रखा जाता है, , अपवर्जित की जाएगी ।

(6) जहां अध्याय 19 ख के अधीन केंद्रीय सरकार के खाते में संदत्त किसी रकम के संबंध में किसी रकम का प्रतिदाय कटौतीकर्ता को देय हो जाता है, वहां ऐसा कटौतीकर्ता, उस तारीख से, जिसको—

(क) प्रतिदाय के लिए दावा ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाए, किया जाता है; या

(ख) कर संदत्त किया जाता है, जहां धारा 359 या धारा 363 या धारा 365(10) या धारा 368 के अधीन किसी आदेश को प्रभावी करने के मददे प्रतिदाय उद्भूत होता है,

उस तारीख तक, जिसको प्रतिदाय अनुदत्त किया जाता है, की अवधि में समाविष्ट प्रत्येक मास या मास के किसी भाग के लिए उक्त रकम के अतिरिक्त उस पर 0.5% की दर से परिकलित साधारण ब्याज प्राप्त करने का हकदार होगा ।

(7) यदि ऐसी कार्यवाहियों में, जिनका परिणाम प्रतिदाय है, विलंब, यथास्थिति,, चाहे पूर्णतः या भागतः, यथास्थिति,, निर्धारिती या कटौतीकर्ता के कारण हुआ माना जा सकता है, होता है तो ऐसे विलंब की अवधि को, जो उसके कारण इस प्रकार हुआ माना जा सकता है, उस अवधि में से अपवर्जित कर दिया जाएगा जिसके लिए इस धारा के अधीन ब्याज देय है ।

(8) जहां उपधारा (7) के अधीन अपवर्जित की जाने वाली अवधि के बारे में कोई प्रश्न उद्भूत होता है वहाँ उसका विनिश्चय प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा किया जाएगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(9) जहां धारा 270 की उपधारा (10) या धारा 271 या धारा 279 या धारा 287 या धारा 288 या धारा 359 या धारा 363 या धारा 365 की उपधारा (10) या धारा

368 या धारा 377 या धारा 378 के अधीन किसी आदेश के परिणामस्वरूप ऐसी रकम, जिस पर उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन ब्याज संदेय था, यथास्थिति, बढ़ाई गई है या घटाई गई है वहां ब्याज तदनुसार बढ़ा दिया जाएगा या घटा दिया जाएगा।

(10) ऐसे मामले में जहां उपधारा (9) के अधीन ब्याज कम हो जाता है, निर्धारण अधिकारी निर्धारित को संदाय किए गए अतिरिक्त ब्याज की रकम को निर्दिष्ट करने और उसे ऐसी रकम का संदाय करने की अपेक्षा के रूप में ऐसे प्ररूप जो विहित किया जाए, में मांग की सूचना देगा।

(11) उपधारा (10) के अधीन मांग की सूचना को धारा 289 के अधीन सूचना समझा जाएगा और इस अधिनियम के उपबंध तदनुसार लागू होंगे।

438. (1) जहां इस अधिनियम के उपबंधों में से किसी उपबंध के अधीन किसी व्यक्ति को कोई प्रतिदाय देय हो जाता है या देय होना पाया जाता है, वहां, यथास्थिति, निर्धारण अधिकारी या आयुक्त या प्रधान आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान मुख्य आयुक्त, प्रतिदाय के संदाय के बदले में, उस रकम का या उस रकम के किसी भाग का, जो प्रतिदत्त की जानी है, मुजरा ऐसी राशि के प्रति, यदि कोई हो, इस अधिनियम के अधीन उस व्यक्ति द्वारा संदत्त की जानी बाकी है।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई भी कार्यवाई ऐसे व्यक्ति को लिखित रूप में दी जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाई की सूचना देने के पश्चात् की जाएगी।

(3) जहां,—

(क) उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन प्रतिदाय के किसी भाग का मुजरा किया गया है; या

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट किसी रकम का मुजरा नहीं किया गया है, और प्रतिदाय किसी व्यक्ति को देय हो जाता है,

वहां निर्धारण अधिकारी की, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस निर्धारण या पुनः निर्धारण के लिए कार्यवाहियां ऐसे व्यक्ति की दशा में लंबित हैं, यह राय है कि प्रतिदाय की मंजूरी से राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, वहां वह उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं, और प्रधान आयुक्त या आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से उस तारीख तक, जिसको ऐसा निर्धारण या पुनर्निर्धारण किया जाता है, प्रतिदाय को रोक सकेगा।

अध्याय 21

शास्तियां

439. (1) सक्षम अधिकारी इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के दौरान किसी व्यक्ति पर, जिसने अपनी आय की न्यून रिपोर्ट की है शास्ति अधिरोपित कर सकेगा और ऐसी शास्ति कर, यदि कोई हो, के अतिरिक्त देय।

(2) किसी व्यक्ति के बारे में उसकी आय को कम रिपोर्ट किया गया तब समझा जाएगा जब—

(क) निर्धारित की गई आय धारा 270 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन प्रक्रियागत विवरणी में अवधारित आय से अधिक है; या

कतिपय मामलों में प्रतिदायों का मुजरा किया जाना और उनको रोके रखना।

आय की कम रिपोर्ट करने और मिथ्या रिपोर्ट करने के लिए शास्ति।

(ख) जहां धारा 280 के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई है या जहां पहली बार विवरणी प्रस्तुत की गई है वहां निर्धारित आय, उस अधिकतम रकम से, जो कर से प्रभार्य नहीं है, से अधिक है; या

(ग) पुनर्निर्धारित की गई आय, ऐसे पुनर्निर्धारण से धारण से ठीक पूर्व निर्धारित या पुनर्निर्धारित आय से अधिक है; या

(घ) धारा 206 (1) और (2) और धारा 206क के अनुसार निर्धारित या पुनर्निर्धारित समझी गई कुल आय की रकम, धारा 270 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन प्रक्रियागत विवरणी में अवधारित समझी गई कुल आय से अधिक है; या

(ङ) जहां धारा 280 के अधीन आय की कोई विवरणी फाइल नहीं की गई है या जहां पहली बार विवरणी प्रस्तुत की गई है वहां धारा 206 (1) और (2) के अनुसार निर्धारित समझी गई कुल आय की रकम, उस अधिकतम रकम से, जो कर से प्रभार्य नहीं है, अधिक है; या

(च) धारा 206(1) और (2) और धारा 206क के अनुसार पुनर्निर्धारित समझी गई कुल आय की रकम, ऐसे पुनर्निर्धारण के ठीक पूर्व इन धाराओं के अधीन निर्धारित या पुनर्निर्धारित कुल आय से अधिक है; या

(छ) निर्धारित या पुनर्निर्धारित आय का प्रभाव हानि कम करने या ऐसी हानि को आय में संपरिवर्तित करने का है ।

(3) कम रिपोर्ट की गई आय की रकम,—

(क) यदि आय का निर्धारण पहली बार किया गया है,—

(i) जहां विवरणी दे दी गई है, तो निर्धारित आय की रकम और धारा 270 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन अवधारित आय की रकम का अन्तर; या

(ii) जहां धारा 280 के अधीन आय की कोई विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई है या जहां पहली बार विवरणी प्रस्तुत की गई है—

(अ) किसी कंपनी, फर्म या स्थानीय प्राधिकारी की दशा में निर्धारित आय की रकम; और

(आ) मद (अ) के अन्तर्गत नहीं होने की दशा में, निर्धारित आय की रकम और ऐसी अधिकतम रकम जो कर से प्रभार्य नहीं है, का अन्तर; या

(ख) किसी अन्य दशा में, पुनर्निर्धारित या पुनःसंगणित आय की रकम और किसी पूर्ववर्ती आदेश में निर्धारित, पुनःसंगणित या पुनर्निर्धारित आय की रकम के बीच का अन्तर ।

(4) यदि कम रिपोर्ट की गई आय धारा 206 (1) और (2) और धारा 206क के अनुसार समझी गई कुल आय के अवधारण से उद्भूत होती है, वहां कुल कम रिपोर्ट की गई आय की रकम निम्नानुसार अवधारित की जाएगी—

(क-ख) + (ग-घ)

जहां,—

क = धारा 206 (जिसे इसमें इसके पश्चात् साधारण उपबंध कहा गया है) में अंतर्विष्ट उपबंधों से भिन्न उपबंधों के अनुसार कुल निर्धारित आय;

ख = कुल आय, जो कर से तब प्रभार्य होती यदि साधारण उपबंधों के अनुसार निर्धारित कुल आय में से ऐसी कम रिपोर्ट की गई आय की रकम को घटा दिया जाता;

ग = धारा 206 के अनुसार निर्धारित कुल आय;

घ = कुल आय, जो कर से तब प्रभार्य होती यदि धारा 206 के अनुसार निर्धारित कुल आय में से कम रिपोर्ट की गई आय की रकम को घटा दिया जाता ।

(5)(क) यदि किसी मुद्दे पर कम रिपोर्ट की गई आय की रकम को धारा 206 (1) और (2) और धारा 206क के अधीन तथा साधारण उपबंधों, दोनों के अधीन माना गया है, वहां ऐसी रकम को उपधारा (4) में निर्दिष्ट घ के अधीन रकम का अवधारण करते समय निर्धारित कुल आय में से नहीं घटाया जाएगा ।

(ख) ऐसे किसी मामले में जहां निर्धारण या पुनर्निर्धारण का प्रभाव विवरणी में घोषित हानि कम करने या उस हानि को आय में संपरिवर्तित करने का हो, तो कम रिपोर्ट की गई आय की रकम, दावा की गई हानि और निर्धारित या पुनर्निर्धारित, आय या हानि के बीच का अंतर होगी ।

(6) उपधारा (8) के अधीन रहते हुए, जहां किसी कर वर्ष में किसी प्राप्ति, निक्षेप या विनिधान के स्रोत का, उस कर वर्ष, जिसमें ऐसी प्राप्ति, निक्षेप या विनिधान (जिसे इसमें इसके पश्चात्, “पूर्ववर्ती वर्ष” कहा गया है) होता है, से पूर्व के किसी वर्ष में ऐसे व्यक्ति के निर्धारण में, आय में जोड़ी जाने वाली या हानि की संगणना करते हुए घटाई जाने वाली रकम का दावा किया जाता है और ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष के लिए कोई शास्ति उद्गृहीत नहीं की गई थी, तब कम रिपोर्ट की गई आय में, ऐसी रकम, जो ऐसी प्राप्ति, निक्षेप या विनिधान को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, सम्मिलित होगी ।

(7) उपधारा (6) में निर्दिष्ट रकम, निम्नलिखित क्रम में पूर्ववर्ती वर्ष के लिए कम रिपोर्ट की गई आय की रकम समझी जाएगी :—

(क) उस वर्ष से ठीक पूर्व पूर्ववर्ती वर्ष, जो प्रथम पूर्ववर्ती वर्ष है, जिसमें प्राप्ति, निक्षेप या विनिधान होता है; और

(ख) जहां प्रथम पूर्ववर्ती वर्ष में जोड़ी गई या घटाई गई रकम प्राप्ति, निक्षेप या विनिधान को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है वहां प्रथम पूर्ववर्ती वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती वर्ष और इसी प्रकार से ।

(8) इस धारा के प्रयोजनों के लिए न्यून रिपोर्ट की गई आय में, निम्नलिखित को सम्मिलित नहीं :—

(क) आय की ऐसी रकम, जिसके संबंध में निर्धारिती स्पष्टीकरण देता है और, सक्षम अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि स्पष्टीकरण सद्भावी है और निर्धारिती ने दिए गए स्पष्टीकरण को साबित करने के लिए सभी तात्त्विक तथ्यों को प्रकट किया है;

(ख) किसी प्राक्कलन के आधार पर अवधारित कम रिपोर्ट की गई आय की रकम, यदि लेखे, सक्षम अधिकारी के समाधानप्रद रूप में सही और पूर्ण हैं किन्तु नियोजित की गई पद्धति ऐसी है कि आय की उसमें से समुचित रूप से कटौती नहीं की जा सकती ;

(ग) किसी प्राक्कलन के आधार पर अवधारित कम रिपोर्ट की गई आय की रकम, यदि निर्धारिती ने, स्वप्रेरणा से उसी मुद्दे पर परिवर्धन या मोक न करने की रकम का प्राक्कलन किया है, अपनी आय की संगणना में ऐसी आय को सम्मिलित किया है और परिवर्धन या मोक न करने के सभी तात्त्विक तथ्यों का प्रकटन किया है; और

(घ) जहां निर्धारिती ने धारा 171 के अधीन ऐसी जानकारी और दस्तावेज जो विहित किया जाए को बनाए रखा था, वहां कीमत अंतरण निर्धारण अधिकारी द्वारा अवधारित सन्निकट कीमत के अनुरूप किए गए किसी परिवर्धन द्वारा व्यपदिष्ट कम रिपोर्ट की गई आय की रकम को अध्याय 10 के अधीन अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार घोषित किया है और संव्यवहार से संबंधित सभी तात्त्विक तथ्यों को प्रकट किया है ।

(9) उपधारा (1) में निर्दिष्ट शास्ति, कम रिपोर्ट की गई आय पर देय कर के 50% होगी ।

(10) उपधारा (8) या उपधारा (9) में अंतर्विष्ट किसी बात पर विचार किए बिना, जहां किसी व्यक्ति द्वारा आय की किसी मिथ्या रिपोर्ट किए जाने के परिणामस्वरूप आय कम रिपोर्ट की जाती है, वहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट शास्ति कम रिपोर्ट की गई आय पर देय कर के 200% प्रतिशत होगी ।

(11) उपधारा (10) में निर्दिष्ट आय की मिथ्या रिपोर्ट करने के मामले निम्नलिखित होंगे :—

(क) तथ्यों का दुर्व्यपदेशन या छिपाना;

(ख) लेखा बहियों में विनिधानों को अभिलिखित करने में असफलता;

(ग) ऐसे व्यय का दावा, जो किसी साक्ष्य द्वारा साबित नहीं है;

(घ) लेखा बहियों में किसी मिथ्या प्रविष्टि का अभिलेखन;

(ङ) लेखा बहियों में किसी ऐसी प्राप्ति को अभिलिखित न करना जिसका कुल आय पर प्रभाव है; और

(च) किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार के रूप में समझे गए किसी संव्यवहार या किसी विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार, जिसको अध्याय 10 के उपबंध लागू होते हैं, की रिपोर्ट करने में असफलता ।

(12) कम रिपोर्ट की गई आय के संबंध में देय कर निम्नानुसार होगा—

(क) जहां आय की कोई विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई है या जहां धारा 280 के अधीन पहली बार विवरणी प्रस्तुत की गई है और आय का निर्धारण प्रथम बार किया गया है, कम रिपोर्ट की गई आय पर संगणित कर की रकम, जोकि ऐसी

अधिकतम रकम, जो कर से प्रभार्य न हो, से अधिक है, मानो वह कुल आय थी;

(ख) जहां धारा 270 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन अवधारित या पूर्ववर्ती आदेश में निर्धारित, पुनर्निर्धारित या पुनःसंगणित कुल आय कोई हानि, कम रिपोर्ट की गई आय पर संगणित कर की रकम मानो वह कुल आय थी ;

(ग) किसी अन्य मामले में निम्नानुसार अवधारित की जाएगी :—

(एक्स-वाई)

जहां,—

एक्स= कम रिपोर्ट की गई आय पर संगणित कर की रकम, जो कि धारा 270 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन अवधारित कुल आय या किसी पूर्ववर्ती आदेश में निर्धारित, पुनर्निर्धारित या पुनः संगणित कुल आय से : अधिक है मानो वह कुल आय थी; और

वाई= धारा 270 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन अवधारित कुल आय या किसी पूर्ववर्ती आदेश में निर्धारित, पुनर्निर्धारित या पुनःसंगणित कुल आय पर संगणित कर की रकम ।

(13) रकम का कोई परिवर्धन या मोक न किया जाना शास्ति के अधिरोपण के लिए आधार होगा, यदि ऐसे परिवर्धन या मोक न किए जाने से उसी या किसी अन्य कर वर्ष के लिए व्यक्ति के मामले में शास्ति के लिए पहले ही आधार बनाया गया है ।

(14) उपधारा (1) में निर्दिष्ट शास्ति, सक्षम अधिकारी द्वारा लिखित में आदेश द्वारा अधिरोपित की जाएगी ।

(15) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "सक्षम प्राधिकारी" से निर्धारण अधिकारी या संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील) या आयुक्त या प्रधान आयुक्त अभिप्रेत है ; और

(ख) "पूर्ववर्ती आदेश" से आदेश से ठीक पहले का आदेश जिसके दौरान उपधारा (1) के अधीन शास्ति का आरंभ किया गया है ।

शास्ति, आदि के अधिरोपण से उन्मुक्ति।

440. (1) कोई निर्धारित धारा 439 के अधीन शास्ति और धारा 478 या धारा 479 के अधीन कार्यवाहियों के आरंभ किए जाने से उन्मुक्ति अनुदत्त करने के लिए निर्धारण अधिकारी को आवेदन कर सकेगा, यदि—

(क) धारा 270 की उपधारा (10) या धारा 279 के अधीन निर्धारण या पुनर्निर्धारण के अनुसार संदेय कर और ब्याज समय के भीतर संदाय कर ऐसी मांग की सूचना में विनिर्दिष्ट दिया गया है; और

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल नहीं की गई है ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई आवेदन उस मास की समाप्ति से एक मास के भीतर किया जाएगा जिसमें उक्त उपधारा के खंड (क) में निर्दिष्ट आदेश प्राप्त किया गया था और आवेदन प्ररूप में तथा रीति में जो विहित किया जाए, किया जाएगा ।

(3) निर्धारण अधिकारी, उपधारा (1) में यथाविनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने पर और

धारा 358 की उपधारा (3) के खंड (क) में यथाविनिर्दिष्ट, अपील फाइल करने की अवधि के अवसान के पश्चात् धारा 439 के अधीन शास्ति और कार्यवाहियों के आरंभ करने से धारा 478 या धारा 479 से उन्मुक्ति अनुदत्त करेगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन कोई उन्मुक्ति अनुदत्त नहीं की जाएगी यदि धारा 439 के अधीन शास्ति धारा 439 की उपधारा (11) में निर्दिष्ट परिस्थितियों के अधीन आरम्भ की गई है।

(5) निर्धारण अधिकारी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन को उसकी प्राप्ति के मास के अंत से तीन मास की अवधि के भीतर स्वीकार या अस्वीकार करने का आदेश पारित करेगा।

(6) उपधारा (5) के अधीन अस्वीकृति का कोई आदेश निर्धारिती को सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा।

(7) उपधारा (5) के अधीन किया गया आदेश अंतिम होगा।

(8) यदि उपधारा (5) के अधीन कोई आदेश आवेदन को स्वीकार करने के लिए किया गया है, तब धारा 356 या धारा 357 के अधीन कोई अपील या धारा 378 के अधीन पुनरीक्षण के लिए कोई आवेदन उपधारा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट आदेश के विरुद्ध ग्राह्य नहीं होगा।

441. निर्धारण अधिकारी या संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील) द्वारा किसी व्यक्ति पर 25000 रु. की शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी, यदि वह—

(क) किसी कर वर्ष की बाबत ऐसी लेखा पुस्तकें और अन्य दस्तावेजों जो धारा 62 या तदधीन बनाए गए नियमों के अनुसार रखने और बनाए रखने में असफल रहता है; या

(ख) उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए ऐसी लेखा पुस्तकें और अन्य दस्तावेजों, रखे नहीं रहता है।

442. (1) निर्धारण अधिकारी या आयुक्त (अपील) किसी व्यक्ति द्वारा किए गए प्रत्येक अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या निर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार के मूल्य के 2% की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा है, यदि ऐसे संव्यवहार के बाबत वह,—

(क) धारा 171 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित कोई ऐसी जानकारी और दस्तावेज रखने और बनाए रखने में असफल रहता है; या

(ख) ऐसे संव्यवहार की रिपोर्ट देने में, जो उससे अपेक्षित है, असफल रहता है; या

(ग) गलत जानकारी या दस्तावेज बनाए रखता है या प्रस्तुत करता है।

(2) धारा 171 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट विहित आय-कर प्राधिकारी किसी व्यक्ति पर 5,00,000 रु. की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, यदि वह उक्त उपधारा के अधीन अपेक्षित जानकारी और दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहता है।

443. (1) निर्धारण अधिकारी या संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील) किसी निर्धारिती पर धारा 195 की उपधारा (1) के खंड (i) के अधीन संदेय कर की 10% अधिरोपित कर सकेगा, यदि किसी कर वर्ष के लिए उनकी दशा में अवधारित आय

लेखा पुस्तकें,
दस्तावेज, आदि
रखने, बनाए
रखने या रखे
रहने में
असफलता।

कतिपय
संव्यवहारों की
बाबत जानकारी
और दस्तावेज
रखने और बनाए
रखने में असफल
रहने के लिए
शास्ति।

कतिपय आय के
संबंध में शास्ति।

में धारा 102 या धारा 103 या धारा 104 या धारा 105 या धारा 106 में निर्दिष्ट कोई आय सम्मिलित है।

(2) उपधारा (1) के अधीन शास्ति धारा 195 के अधीन संदेय कर के अतिरिक्त संदेय होगी।

(3) धारा 102 या धारा 103 या धारा 104 या धारा 105 या धारा 106 में निर्दिष्ट आय के संबंध में उस सीमा तक कोई शास्ति उद्गृहीत नहीं की जाएगी जिस तक निर्धारिती द्वारा ऐसी आय धारा 263 के अधीन प्रस्तुत की गई आय की विवरणी में सम्मिलित की गई है और कर का धारा 195 की उपधारा (1) के खंड (i) के अनुसार सुसंगत कर वर्ष की समाप्ति पर या उसके पूर्व संदाय कर दिया गया है।

(4) धारा 439 के अधीन निर्धारिती पर उपधारा (1) में निर्दिष्ट आय के संबंध में कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी।

लेखा बहियों में मिथ्या प्रविष्टि, आदि के लिए शास्ति।

444. (1) निर्धारिती अधिकारी या संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील) ऐसी मिथ्या और लोप की गई प्रविष्टि की संकलित रकम के बराबर शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, जहां यदि इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के दौरान यह पाया जाता है कि किसी व्यक्ति द्वारा अनुरक्षित लेखा बहियों में,—

(क) कोई मिथ्या प्रविष्टि है, या

(ख) किसी प्रविष्टि का, जो ऐसे व्यक्ति की कुल आय की संगणना के लिए सुसंगत है कर दायित्व के अपवंचन हेतु लोप किया गया है।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निर्धारण अधिकारी या संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील), किसी अन्य व्यक्ति पर, जिसने उपधारा (1) में निर्दिष्ट से किसी रीति में कोई मिथ्या प्रविष्टि करवाई है या उक्त उपधारा में निर्दिष्ट किसी प्रविष्टि का लोप किया है या लोप करवाया है ऐसी मिथ्या और लोप की गई प्रविष्टि की संकलित रकम के बराबर शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “मिथ्या प्रविष्टि” पद में निम्नलिखित का उपयोग या उपयोग करने का आशय सम्मिलित है—

(क) साधारणतया कोई मिथ्या बीजक या दस्तावेजी साक्ष्य का मिथ्या भाग जैसे कूटरचित या मिथ्याकृत दस्तावेज; या

(ख) व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति या प्राप्ति के संबंध में या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के वास्तविक पूर्ति या प्राप्ति के बिना जारी बीजक;

(ग) किसी ऐसे व्यक्ति को या उससे, जो अस्तित्व में नहीं है, माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति या प्राप्ति के संबंध में बीजक।

नातेदार व्यक्तियों को फायदा।

445. यदि इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के दौरान यह पाया जाता है कि किसी रजिस्ट्रीकृत अलाभकारी संगठन के पास कोई विनिर्दिष्ट आय है जो धारा 337 (सारणी क्र.म. 2) के अनुसार प्रभार्य है, तो निर्धारण अधिकारी ऐसे व्यक्ति पर शास्ति अधिरोपित कर सकेगा—

(क) ऐसे व्यक्ति द्वारा धारा 355(ज) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के फायदे के लिए, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उपयोजित आय की समग्र रकम के समतुल्य राशि का, यदि अतिक्रमण किसी कर वर्ष के दौरान पहली बार ध्यान में आया है; और

(ख) उस व्यक्ति द्वारा धारा 355(ज) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के फायदे के लिए, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः ऐसे व्यक्ति की उपयोजित समग्र रकम के दो सौ प्रतिशत के समतुल्य राशि का, यदि अतिक्रमण किसी पश्चातवर्ती कर वर्ष में पुनः ध्यान में आया है।

446. यदि कोई व्यक्ति, धारा 63 के अधीन यथाअपेक्षित किसी कर वर्ष या वर्षों के लिए अपने लेखाओं की लेखा परीक्षा करने में असफल रहता है तो निर्धारण अधिकारी ऐसे व्यक्ति पर शास्ति का अधिरोपण कर सकेगा, उनमें से जो भी कम हो-

(क) जो ऐसे कर वर्ष या वर्षों के लिए कारबार के कुल विक्रय, आवर्त या सकल प्राप्तियों का या व्यवसाय में सकल प्राप्तियों का 0.5% ; या

(ख) 1,50,000 रु. होगी।

447. यदि कोई व्यक्ति, धारा 172 की अपेक्षानुसार लेखापाल की रिपोर्ट देने में असफल रहता है तो निर्धारण अधिकारी ऐसे व्यक्ति पर 100,000 रु. की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

448. यदि कोई व्यक्ति,—

(क) अध्याय 19ख के अधीन यथा अपेक्षित संपूर्ण कर या उसके भाग की कटौती करने में ; या

धारा 393 की उपधारा (3) में नीचे दी गई सारणी में टिप्पण 2; या

(ख) धारा 393 की उपधारा (1) (सारणी. 8) के लिए टिप्पण 6,

की अपेक्षानुसार या उसके अधीन संपूर्ण कर या उसके किसी भाग का संदाय करने या संदाय सुनिश्चित करने में असफल रहेगा तो निर्धारण अधिकारी उस पर, ऐसे कर के बराबर शास्ति, जिसकी पूर्वोक्त रूप में कटौती करने में या उसका संदाय करने में वह असफल रहता है, अधिरोपित कर सकेगा।

449. यदि कोई व्यक्ति अध्याय 19ख के अधीन यथाअपेक्षित संपूर्ण कर या उसके किसी भाग का संग्रहण करने में असफल रहता है तो निर्धारण अधिकारी उस पर, ऐसे कर के बराबर शास्ति, जिसका ऐसा व्यक्ति संग्रहण करने में असफल रहता है, अधिरोपित कर सकेगा।

450. यदि कोई व्यक्ति धारा 185 के उपबन्धों के उल्लंघन में कोई उधार लेगा या निक्षेप या विनिर्दिष्ट राशि प्रतिगृहीत करेगा तो निर्धारण अधिकारी उस पर, इस प्रकार लिए गए उधार या प्रतिगृहीत किए गए निक्षेप या विनिर्दिष्ट राशि की रकम के बराबर शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

451. निर्धारण अधिकारी किसी व्यक्ति पर, धारा 186 के उपबन्धों के उल्लंघन में उसके द्वारा प्राप्त राशि के समतुल्य कोई शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

452. निर्धारण अधिकारी किसी व्यक्ति पर असफलता की अवधि के प्रत्येक दिन के लिए 5000 रु. की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जहां उससे धारा 187 में यथानिर्दिष्ट विहित संदाय के इलैक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से संदाय ग्रहण करने के लिए सुविधा प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है, ऐसी सुविधा प्रदान करने में असफल

लेखाओं की लेखा परीक्षा कराने में असफलता।

धारा 172 के अधीन रिपोर्ट देने में असफलता के लिए शास्ति।
स्रोत पर कर की कटौती करने में असफलता के लिए शास्ति।

स्रोत पर कर का संग्रहण करने में असफलता के लिए शास्ति।

धारा 185 के उपबन्धों के अनुपालन में असफलता के लिए शास्ति।

धारा 186 के उपबन्धों के अनुपालन में असफलता के लिए शास्ति।

धारा 187 के उपबन्धों का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति।

रहता है ।

धारा 188 के
उपबन्धों के
अनुपालन में
असफलता के लिए
शास्ति ।

वित्तीय संव्यवहार
या रिपोर्ट योग्य
खाते का विवरण
देने में असफलता
के लिए शास्ति ।

453. यदि कोई व्यक्ति धारा 188 में निर्दिष्ट कोई उधार या निक्षेप या विनिर्दिष्ट अग्रिम उस धारा के उपबन्धों के अनुसार प्रतिदाय करता है तो निर्धारण अधिकारी उस पर ऐसे प्रतिदाय उधार या निक्षेप या विनिर्दिष्ट अग्रिम की रकम के बराबर की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा ।

454. (1) यदि कोई व्यक्ति, जिससे धारा 508 की उपधारा (1) के अधीन वित्तीय संव्यवहार या रिपोर्ट योग्य खाते का विवरण देने की अपेक्षा की गई है, ऐसा विवरण उसकी उपधारा (2) के अधीन विहित समय के भीतर देने में असफल रहता है, तो उक्त उपधारा (1) के अधीन विहित आय-कर प्राधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि उस पर, ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, 500 रु. की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा ।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति धारा 508 की उपधारा (7) के अधीन जारी की गई सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर विवरण देने में असफल रहता है, वहां वह उस दिन के, जिसको विवरण देने के लिए ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट समय समाप्त होता है, ठीक बाद के दिन से आरंभ होने वाले ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, 1000 रु. की शास्ति का संदाय करेगा ।

वित्तीय संव्यवहार या
रिपोर्ट योग्य खाते
का गलत विवरण
देने के लिए शास्ति।

455. धारा 508 में निर्दिष्ट विहित आय-कर प्राधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि कोई व्यक्ति, जिससे उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन कोई विवरण देने की अपेक्षा की जाती है, 50,000 की शास्ति का संदाय करेगा, यदि ऐसा व्यक्ति उस विवरण में गलत जानकारी देता है,—

(क) धारा 508(8) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर या सही जानकारी देने में असफल रहता है; या

(ख) धारा 508(9) के अधीन विहित सम्यक् तत्परता की अपेक्षा का अनुपालन करने में असफल रहता है

(2) धारा 508 में निर्दिष्ट विहित आय-कर प्राधिकरण, यह निदेश देगा कि धारा 508 (1)(ट) में निर्दिष्ट एक रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थान, उपधारा (1) के अधीन शास्ति के अतिरिक्त, यदि कोई हो, प्रत्येक गलत रिपोर्ट करने योग्य खाते के लिए पांच 5000 रु. की राशि का संदाय करेगा यदि—

(क) उक्त संस्था धारा 508 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाले अपेक्षित विवरण में गलत जानकारी प्रदान करती है; और

(ख) उक्त विवरण में गलती संबंधित रिपोर्ट करने योग्य खाते या खातों के धारक या धारकों द्वारा प्रस्तुत झूठी या गलत जानकारी के कारण है।

(3) उपधारा (2) में यथाविनिर्दिष्ट रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थान निम्नलिखित का हकदार होगा-

(क) रिपोर्ट करने योग्य खाताधारक की ओर से उपधारा (2) के अधीन संदत्त रकम की वसूली; या

(ख) किसी धन से संदत्त राशि के बराबर रकम को प्रतिधारित करें जो उसके

कब्जे में हो सकेगी है, या ऐसे प्रत्येक खाताधारक से आ सकेगी है।

456. यदि कोई पात्र विनिधान निधि के लिए अनुसूची 1 के पैरा 4 के अधीन कोई विवरण या कोई जानकारी या दस्तावेज देना अपेक्षित है, उक्त पैरा के अधीन विहित समय के भीतर ऐसा करने में असफल रहता है, तो उक्त पैरा के अधीन विहित आय-कर प्राधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि ऐसी निधि, शास्ति के रूप में, 5,00,000 रु० की राशि का संदाय करेगी।

457. यदि कोई व्यक्ति, जिसने कोई अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार किया है, धारा 171 की उपधारा (2) के अधीन यथा अपेक्षित कोई जानकारी या दस्तावेज देने में असफल रहता है तो धारा 166 निर्धारण अधिकारी या में यथानिर्दिष्ट अंतरण मूल्यांकन अधिकारी या आयुक्त (अपील) द्वारा ऐसा व्यक्ति, ऐसी प्रत्येक असफलता के लिए ऐसे संव्यवहार के मूल्य के 2% के बराबर शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

458. यदि कोई भारतीय समुत्थान, जिससे धारा 506 के अधीन कोई जानकारी या दस्तावेज देने की अपेक्षा की जाती है, ऐसा करने में असफल रहता है, तो उक्त धारा के अधीन विहित आय-कर प्राधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा भारतीय समुत्थान—

(क) ऐसे संव्यवहार के, जिसके संबंध में ऐसी असफलता हुई है, मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर की राशि का, यदि ऐसे संव्यवहार का प्रभाव भारतीय समुत्थान के संबंध में प्रबंध या नियंत्रण का अधिकार प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः अंतरित करने का है

(ख) किसी अन्य मामले में 5,00,000 रु. की राशि का, शास्ति के रूप में संदाय करेगा।

459. (1) यदि धारा 511 में निर्दिष्ट कोई रिपोर्ट करने वाला अस्तित्व, जिससे रिपोर्ट किए जाने वाले लेखांकन वर्ष के लिए उक्त धारा की उपधारा (2) में निर्दिष्ट रिपोर्ट दिया जाना अपेक्षित है, ऐसा करने में असफल रहता है, तो उस धारा के अधीन विहित प्राधिकारी ऐसे अस्तित्व पर निम्नलिखित शास्ति अधिरोपित कर सकेगा,—

(क) प्रत्येक दिन, जिसके दौरान असफलता बनी रहती है, के लिए 5000 रु., यदि असफलता की अवधि एक मास से अधिक नहीं है; और

(ख) प्रत्येक दिन के लिए 15000 रु. जब असफलता एक मास की अवधि के आगे बनी रहती है।

(2) यदि धारा 511 में निर्दिष्ट रिपोर्टिंग अस्तित्व, उक्त धारा की उपधारा (7) के अधीन अनुज्ञात अवधि के भीतर सूचना और दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो उस धारा के अधीन विहित प्राधिकारी अस्तित्व पर प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान असफलता बनी रहती है, जो उस दिन से जब सूचना और दस्तावेज प्रस्तुत करने की अवधि समाप्त हो, के तुरंत पश्चात् के दिन से प्रारंभ होगी, 5000 रु. की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

(3) यदि उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट असफलता, उक्त उपधाराओं के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के लिए आदेश के अस्तित्व पर तामील होने के पश्चात्

किसी पात्र विनिधान निधि द्वारा विवरण या जानकारी या दस्तावेज देने में असफल रहने के लिए शास्ति।

धारा 171 के अधीन जानकारी या दस्तावेज देने में असफलता के लिए शास्ति।

धारा 506 के अधीन जानकारी या दस्तावेज देने में असफलता के लिए शास्ति।

धारा 511 के अधीन रिपोर्ट देने में असफलता या गलत रिपोर्ट देने के लिए शास्ति।

जारी रहती है, तो उक्त उपधाराओं के उपबंधों पर किसी बात पर विचार किए बिना विहित प्राधिकारी प्रत्येक दिन के लिए जब ऐसे आदेश की तामील की तारीख से आरंभ होने वाली, ऐसी असफलता बनी रहती है, 50,000 रु. की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा ।

(4) यदि धारा 511 में निर्दिष्ट कोई रिपोर्टिंग अस्तित्व, उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन दी गई रिपोर्ट में गलत सूचना उपलब्ध कराता है और इस धारा के अधीन विहित अधिकारी ऐसे अस्तित्व पर 500,000 रु. की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, यदि—

(क) अस्तित्व के पास रिपोर्ट फाइल करते समय गलती का ज्ञान हो किंतु वह विहित प्राधिकारी को सूचित करने में असफल रहता है ; या

(ख) अस्तित्व को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिए जाने के पश्चात् गलती का पता लगे और वह विहित प्राधिकारी को सूचित करने में और ऐसा पता चलने के पन्द्रह दिनों के भीतर सही रिपोर्ट फाइल करने में असफल रहता है ; या

(ग) अस्तित्व, धारा 511(7) के अधीन जारी की गई किसी सूचना के उत्तर में, गलत सूचना या दस्तावेज प्रस्तुत करता है ।

460. यदि किसी व्यक्ति को धारा 505 के अधीन विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है, तो उस धारा के अधीन विहित अवधि के भीतर ऐसा करने में असफल रहता है, निर्धारण अधिकारी उस पर—

(क) 1000 रु. प्रत्येक दिन के लिए जिसके लिए असफलता जारी रहती है, यदि असफलता की अवधि तीन मास से अधिक नहीं है; या

(ख) किसी अन्य मामले में 100,000 रु. की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा ।

461. (1) जहां व्यक्ति, जिससे धारा 397 की उपधारा (3) के खंड (ख) में विहित विवरण परिदत्त करने या परिदत्त कराना अपेक्षित होता है,

(क) उक्त धारा में विहित समय के भीतर ऐसा करने में असफल रहता है या

(ख) उक्त विवरण में, गलत जानकारी प्रस्तुत करता है,

वहां निर्धारण अधिकारी ऐसे व्यक्ति पर ऐसी राशि की शास्ति, जो 10,000 रु. से कम की नहीं होगी, किंतु जो 100,000 रु. तक की हो सकेगी, अधिरोपित कर सकेगा ।

(2) इसमें निर्दिष्ट विवरण के फाइल करने या फाइल करने में विलंब के लिए उपधारा (1) के अधीन कोई शास्ति उद्गृहीत नहीं की जाएगी, यदि वह व्यक्ति यह साबित कर देता है कि—

(क) काटे गए या संगृहीत किए गए कर का ऐसी फीस और ब्याज के साथ, यदि कोई हो, केन्द्रीय सरकार के जमा खाते में संदाय कर दिया गया था ; और

(ख) उक्त विवरण धारा 397 की उपधारा (3) के खंड (घ) के अधीन विहित समय से एक मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व ही परिदत्त कर दिया था या परिदत्त किया जाना था ।

धारा 505 के अधीन विवरण प्रस्तुत करने में असफलता के लिए शास्ति।

विवरण आदि प्रस्तुत करने में असफल रहने के लिए शास्ति ।

462. यदि कोई व्यक्ति, जिससे धारा 397 की उपधारा (3) के खंड (घ) के अधीन जानकारी प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है, ऐसी जानकारी देने में असफल रहता है या गलत जानकारी देता है, तो निर्धारण अधिकारी ऐसे व्यक्ति पर 100,000 रु. की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा ।

धारा 397 की उपधारा (3) के खंड (घ) के अधीन जानकारी देने में असफलता के लिए या गलत जानकारी देने के लिए शास्ति ।

463. (1) कोई लेखापाल या वाणिज्यिक बैंककार या रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के किसी उपबंध के अधीन प्रस्तुत किसी रिपोर्ट या प्रमाणपत्र में गलत जानकारी प्रस्तुत करने के लिए 10,000 रु. की शास्ति के संदाय के लिए दायी होगा ।

रिपोर्ट या प्रमाण पत्रों में गलत जानकारी प्रस्तुत करने के लिए शास्ति ।

(2) उपधारा (1) के अधीन शास्ति प्रत्येक ऐसी रिपोर्ट या प्रमाणपत्र के लिए देय होगी ।

(3) उपधारा (1) के अधीन शास्ति निर्धारण अधिकारी या संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील) के निदेशों पर देय होगी, जहां उपधारा (1) में उल्लिखित गलत जानकारी उनके द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी भी कार्यवाही के दौरान पाई जाती है।

(4) इस धारा में—

(क) “वाणिज्यिक बैंककार” से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के साथ रजिस्ट्रीकृत प्रवर्ग 1 का वाणिज्यिक बैंककार अभिप्रेत है ;

(ख) “रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक” से धारा 514 में निर्दिष्ट व्यक्ति अभिप्रेत है।

464. निर्धारण अधिकारी ऐसी शास्ति जो 10,000 रु. से कम की नहीं होगी, किंतु जो 100,000 रु. तक की हो सकेगी,—

विवरण आदि देने में असफलता के लिए शास्ति ।

(क) धारा 45 में निर्दिष्ट अनुसंधान संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्थान, यदि वह धारा 45(4)(क) के अधीन यथा विहित दस्तावेज का परिदान करने या प्रस्तुत करने में के असफल रहेगा ; या

(ख) संस्था या निधि, यदि वह धारा 354 (1) (ड) के अधीन विहित समय के भीतर विवरण परिदत्त करने या कराए जाने में, या धारा 354 (1) (छ) के अधीन विहित प्रमाणपत्र देने में असफल रहेगी,

शास्ति अधिरोपित कर सकेगा ।

465. (1) कोई व्यक्ति नीचे यथा वर्णित प्रत्येक ऐसे व्यतिक्रम या असफलता के लिए 10,000 रु. की शास्ति का संदाय करेगा, यदि वह व्यक्ति—

(क) जो अपने निर्धारण के किसी विषय से संबंधित किसी मामले का सत्य कथन करने के लिए वैध रूप में आबद्ध है, किसी आय-कर प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपने से किए गए किसी प्रश्न का उत्तर देने से इंकार करेगा ;

(ख) इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के दौरान अपने द्वारा किए गए किसी ऐसे कथन पर हस्ताक्षर करने से इंकार करेगा जिसकी कोई आय-कर

प्रश्नों का उत्तर देने, कथन पर हस्ताक्षर करने, जानकारी, विवरणियां या कथन देने, निरीक्षण अनुज्ञात करने आदि में असफलता के लिए शास्ति ।

प्राधिकारी उससे वैध रूप से हस्ताक्षर करने की अपेक्षा करे ;

(ग) जिसको धारा 264(1) के अधीन कोई समन, किसी निश्चित स्थान और समय पर साक्ष्य देने के लिए हाजिर होने के लिए या कोई लेखा पुस्तकें या अन्य दस्तावेजें पेश करने के लिए जारी किया गया है, उस स्थान या समय पर हाजिर होने या लेखा पुस्तकें या दस्तावेजें पेश करने में लोप करेगा ; या

(घ) धारा 268(1) या धारा 270(8) के अधीन किसी सूचना का अनुपालन करने में असफल रहता है या धारा 268(5) के अधीन जारी किए गए किसी निदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है ।

(2) किसी व्यक्ति को प्रत्येक दिन के लिए 500 रु. की शास्ति का जुर्माना देना होगा, जिसके दौरान निम्नलिखित असफलताएं जारी रहती हैं, यदि वह व्यक्ति निम्नलिखित में असफल रहता है,—

(क) धारा 175(7) के अधीन जारी की गई सूचना का अनुपालन करने में ;

(ख) धारा 320(3) द्वारा यथाअपेक्षित अपने कारबार या वृत्ति को बंद करने की सूचना देने में ;

(ग) धारा 252 या धारा 397(3) या धारा 507 में उल्लिखित विवरणियां, कथन या विशिष्टियां सम्यक् समय के भीतर देने में;

(घ) धारा 255 में निर्दिष्ट किसी रजिस्टर का या ऐसे रजिस्टर में किसी प्रविष्टि का निरीक्षण अनुज्ञात करने में या ऐसे रजिस्टर या उसमें किसी प्रविष्टि की नकलें लेने के लिए अनुज्ञात करने में ;

(ङ) आय की ऐसी विवरणी देने में जिसे देने के लिए उससे धारा 263(1)(क)(iii) या (iv) के यथाअपेक्षित है या उसे अनुज्ञात समय के भीतर और धारा 263(1) और (2) के अधीन अपेक्षित रीति से देने में ;

(च) धारा 393(7) के अधीन अपेक्षितघोषणा की प्रति का सम्यक् समय पर परिदान करने या कराने में ;

(छ) धारा 395(4) के अधीन प्रमाणपत्र देने में ;

(ज) धारा 416(3) के अधीन कर की कटौती और संदाय करने में ;

(झ) धारा 392(5)(क) के अधीन विवरण देने में ;

(ञ) धारा 394(3) के अधीन अपेक्षित घोषणा की एक प्रति का सम्यक् समय पर परिदान करने या परिदान कराने में ; या

(ट) धारा 397(3)(ख) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर विवरण की प्रति परिदत्त करने या परिदत्त कराने में ; या

(ठ) ऐसा विवरण ऐसे समय के भीतर जो धारा 397(3)(ङ) के अधीन विहित किया जाए परिदान किया गया है या परिदत्त किया जाना है;

(ड) ऐसा विवरण ऐसे समय के भीतर जो धारा 397(3)(छ)(i) के अधीन विहित किया जाए, परिदान किया गया है, या परिदत्त किया जाना है;

(3) शास्ति की रकम, निम्नलिखित असफलताओं के संबंध में कटौती योग्य या संग्रहणीय कर की रकम से अधिक नहीं होगी :—

- (क) धारा 393(7) के अधीन अपेक्षितघोषणा ;
 (ख) धारा 395(4) के अधीन यथापेक्षित प्रमाणपत्र ; और
 (ग) धारा 397(3)(ख) या (ड) के अधीन विवरणी ।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अधिरोपणीय कोई शास्ति,—

(क) यदि उल्लंघन, असफलता या व्यतिक्रम, जिसके लिए ऐसी शास्ति अधिरोपणीय है, संयुक्त निदेशक या संयुक्त आयुक्त की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति के किसी आय-कर प्राधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही के दौरान होता है, ऐसे आय-कर प्राधिकारी द्वारा ;

(ख) उपधारा (1)(घ) के अधीन आने वाले मामले की दशा में, आय-कर प्राधिकारी द्वारा जिसने उसमें निर्दिष्ट सूचना या निदेश जारी किया था ;

(ग) उपधारा (2)(च) के अधीन आने वाली दशा में, प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा ; और

(घ) किसी अन्य दशा में, संयुक्त निदेशक या संयुक्त उपायुक्त द्वारा, अधिरोपित की जाएगी ।

(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए “आय-कर प्राधिकारी” पद के अंतर्गत प्रधान महानिदेशक, महानिदेशक, प्रधान निदेशक या निदेशक, संयुक्त निदेशक और सहायक निदेशक या उपनिदेशक आता है जब वह धारा 246(1) में विनिर्दिष्ट बातों के बारे में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय किसी न्यायालय में अंतर्विष्ट शक्तियों का प्रयोग करता है ।

466. यदि कोई व्यक्ति धारा 254 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहेगा तो संयुक्त आयुक्त, उप निदेशक, सहायक निदेशक या निर्धारण अधिकारी उस पर शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, जो एक हजार रुपए तक की हो सकेगी ।

धारा 254 के
अनुपालन में
असफलता के
लिए शास्ति ।

467. (1) यदि कोई व्यक्ति धारा 262 धारा 397 (2)(ज) के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है तो निर्धारण अधिकारी, उस पर 10,000 रु.की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा ।

धारा 262 के
उपबंधों के
अनुपालन में
असफलता के
लिए शास्ति ।

(2) यदि किसी व्यक्ति से धारा 262(9)(क) में निर्दिष्ट किसी दस्तावेज में अपना खाता संख्यांक या आधार संख्यांक का हवाला देने या ऐसा संख्यांक संसूचित करने की अपेक्षा की जाती है, ऐसे किसी संख्यांक का हवाला देता है या संसूचना देता है, जो मिथ्या है, और जो उसकी जानकारी या विश्वानस से मिथ्या है, या उसका यह विश्वास है कि वह सही नहीं है, तो निर्धारण अधिकारी, उस पर प्रत्येक व्यतिक्रम के लिए 10,000 रु. की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा ।

(3) यदि कोई व्यक्ति, जिससे धारा 262(9)(क) में निर्दिष्ट दस्तावेजों में अपना, स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक उत्कथित करने या अधिप्रमाणित करने में असफल रहता है, तो निर्धारण अधिकारी प्रत्येक व्यतिक्रम के लिए उस पर 10000 रु; की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा ।

(4) यदि धारा 262(9)(क) में निर्दिष्ट में धारा 262(9)(ख) के अधीन विहित संव्यवहार से संबंधित दस्तावेजों में स्थायी खाता संख्या या आधार का सही उद्धरण या

प्रमाणीकरण सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, ऐसा करने में असफल रहता है, तो निर्धारण अधिकारी उस पर ऐसे प्रत्येक व्यतिक्रम के लिए 10,000 रु. की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

धारा 397 के
उपबंधों के
अनुपालन में
असफलता के लिए
शास्ति।

468. (1) यदि कोई व्यक्ति धारा 397 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहेगा तो उस पर 10,000 रु. की शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी,

(2) यदि कोई व्यक्ति, जिससे धारा 397(1)(ख) में निर्दिष्ट चालानों या प्रमाणपत्रों, विवरणों या अन्य दस्तावेजों में, अपना 'कर कटौती लेखा संख्यांक' या 'कर संग्रहण लेखा संख्यांक' उद्धृत करने की अपेक्षा की गई है, ऐसा संख्यांक उद्धृत करता है, जो मिथ्या है और जो उसकी जानकारी या विश्वास से मिथ्या है या जिसके बारे में वह यह जानता है कि वह सही नहीं है तो निर्धारण अधिकारी उस पर 10000 रु. की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

कुछ दशाओं में
शास्ति आदि के
घटाने या
अधित्यजन करने
की शक्ति।

469. (1) इस अधिनियम में किसी बात को विचार में लाए बिना आयुक्त स्वविवेकानुसार, चाहे स्वप्रेरणा से या अन्यथा किसी ऐसी धारा 439 के अधीन अधिरोपित या अधिरोपणीय शास्ति की रकम को घटा सकता है या उसका अधित्यजन कर सकता है, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति ने,—

(क) आय की विशिष्टियों को छिपाने या ऐसी आय के संबंध में दी गई विशिष्टियों की अशुद्धता के निर्धारण अधिकारी द्वारा पता लगाने से पूर्व, स्वेच्छा से ऐसी विशिष्टियों का पूर्ण और सत्य प्रकटन सद्भावपूर्वक किया है ; और

(ख) अपनी आय के निर्धारण से संबंधित किसी जांच में सहयोग भी किया है और सुसंगत कर निर्धारण वर्ष की बाबत इस अधिनियम के अधीन पारित आदेश के परिणामस्वरूप संदेय किसी कर या ब्याज का संदत्त कर दिया है या संदत्त करने के लिए समाधानप्रद इन्तजाम कर दिया है।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति ने अपनी आय का या उससे संबंधित विशिष्टियों का पूर्ण और सत्य प्रकटन करने वाला माना जाएगा, यदि निर्धारित और वापस की गई आय के बीच का अंतर धारा 239 के अधीन शास्तियों को लागू नहीं करता है।

(3) यदि धारा 439 के अधीन आने वाले किसी मामले में आय की रकम जिसकी बाबत सुसंगत कर वर्ष के लिए शास्ति अधिरोपित की जाती है या अधिरोपणीय है या जहां ऐसा प्रकटन एक से अधिक कर वर्ष से सम्बन्धित है वहां, उन वर्ष के लिए ऐसी आय की रकम का योग 500,000 रु. की राशि से अधिक है, तो उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन शास्ति को घटाने या उसका अधित्यजन करने वाला कोई आदेश, यथास्थिति,, प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा, प्रधान आयुक्त मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक के पूर्व अनुमोदन से ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

(4) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति के पक्ष में कोई आदेश किया गया है, चाहे ऐसा आदेश एक या अधिक कर वर्ष से संबंधित हो या नहीं, वहां वह व्यक्ति ऐसे आदेश के किए जाने के पश्चात् किसी भी समय किसी अन्य कर वर्ष के संबंध में उक्त धारा के अधीन कोई राहत पाने का हकदार नहीं होगा।

(5) प्रधान आयुक्त या आयुक्त, किसी निर्धारिती के आवेदन पर और ऐसा करने

के अपने कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् निर्धारिती द्वारा संदेय शास्तियां (चाहे वे एक या अधिक कर वर्ष से संबंधित हो) की रकम को घटा सकता है या उसका अधित्यजन कर सकता है या ऐसी किसी रकम की वसूली के लिए कार्यवाहियों को रोक सकता है या उसका प्रशमन कर सकता है,—

(क) मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा न करने से निर्धारिती को वास्तव में कठिनाई होगी; और

(ख) निर्धारिती ने निर्धारण से संबंधित जांच में या उससे शोध्य किसी रकम की वसूली के लिए कार्यवाही में सहयोग दिया है ।

(6) परन्तु जहां इस अधिनियम के अधीन संदेय किसी शास्ति की रकम, या यदि ऐसा आवेदन एक से अधिक शास्ति से संबंधित है तो ऐसी शास्तियों की संकलित रकम, 100,000 रु. से अधिक हो जाती है वहां ऐसी रकम को घटाने या उसका अधित्यजन करने वाला अथवा इस उपधारा के अधीन वसूली के लिए किसी कार्यवाही का प्रशमन करने वाला कोई आदेश आयुक्तज द्वारा, मुख्य आयुक्त या महानिदेशक के पूर्व अनुमोदन से ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं ।

(7) आवेदन को पूर्णतः या भागतः मंजूर या नामंजूर करने वाला उपधारा (5) के अधीन आदेश, उस मास के अंत से, जिसमें प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा उक्त उपधारा के अधीन ऐसा आवेदन प्राप्त किया गया है, बारह मास की अवधि के भीतर पारित किया जाएगा ।

(8) उपधारा (5) के अधीन आवेदन को नामंजूर नहीं किया जाएगा जब तक निर्धारिती को सुनवाई का कोई अवसर न दे दिया गया हो ।

(9) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश अन्तिम होगा और किसी न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।

470. धारा 441 या धारा 442 या धारा 446 या धारा 447 या धारा 448 या धारा 449 या धारा 450 या धारा 451 या धारा 452 या धारा 453 धारा 454 या धारा 455 या धारा 456 या धारा 457 या धारा 458 या धारा 459 या धारा 460 या धारा 461 या धारा 462 या धारा 463 या धारा 465 (1) (ग) या धारा 465(1) (घ) या 465(2) या धारा 466 या धारा 467 या धारा 468 के उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात पर विचार किए बिना, कोई शास्ति उक्त उपबंधों में निर्दिष्ट किसी असफलता के लिए किसी व्यक्ति या निर्धारिती पर अधिरोपित नहीं की जाएगी, यदि वह यह सावित कर देता है कि उक्त असफलता के लिए युक्तियुक्त कारण था ।

471. (1) इस अध्याय के अधीन शास्ति अधिरोपित करने वाला कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक निर्धारिती की सुनवाई न हो गई हो या उसे सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।

(2) इस अध्याय के अधीन शास्ति अधिरोपित करने वाला कोई आदेश—

(क) जहां शास्ति 10,000 रु. से अधिक है वहां आय-कर अधिकारी द्वारा,

(ख) जहां शास्ति 20,000 रु से अधिक है वहां सहायक आयुक्त या उप आयुक्त द्वारा,

कतिपय मामलों में अधिरोपित न की जाने वाली शास्ति

प्रक्रिया ।

संयुक्त आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा ।

(3) आय-कर प्राधिकारी इस अध्याय के अधीन शास्ति अधिरोपित करने वाला आदेश देने पर उसकी एक प्रति तत्काल निर्धारण अधिकारी को भेजेगा, जब तक कि वह स्वयं निर्धारण अधिकारी नहीं है ।

शास्ति अधिरोपित करने के लिए परिसीमा का वर्जन ।

472. (1) इस अध्याय के अधीन शास्ति अधिरोपित करने वाला कोई आदेश उस तिमाही के अंत से छह मास की समाप्ति के पश्चात् पारित नहीं किया जाएगा, जिसमें—

(क) कार्यवाही, जिसके दौरान शास्ति अधिरोपित करने की कार्यवाही प्रारंभ की गई है, पूरी हो गई है, यदि सुसंगत निर्धारण या अन्य आदेश धारा 356 या धारा 357 या धारा 362 के अधीन अपील का विषय नहीं है ; या

(ख) पुनरीक्षण का आदेश पारित किया जाता है, यदि सुसंगत निर्धारण या अन्य आदेश धारा 377 या धारा 378 के अधीन संशोधन का विषय है ; या

(ग) अपील का आदेश अधिकारिता प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त किया जाता है, यदि सुसंगत निर्धारण या अन्य आदेश धारा 356 या धारा 357 या धारा 362 के अधीन अपील का विषय है ; या

(घ) किसी अन्य मामले में, शास्ति अधिरोपित करने के लिए सूचना जारी की जाती है।

(2) शास्ति अधिरोपित करने या बढ़ाने या घटाने या रद्द करने या शास्ति अधिरोपित करने के लिए कार्यवाहियों को छोड़ने के धारा 356 या धारा 357 या धारा 362 या धारा 365 या धारा 367 के अधीन आदेश या धारा 377 या धारा 378 के अधीन पुनरीक्षण को प्रभावी करके यथा संशोधित किए गए निर्धारण के आधार पर संशोधित किया जा सकेगा। जहां सुसंगत निर्धारण या अन्य आदेश उक्त धाराओं के अधीन अपील का विषय है।

(3) उपधारा (2) के अधीन शास्ति अधिरोपित करने या उसमें वृद्धि करने या उसे कम करने या रद्द करने या शास्ति के अधिरोपण के लिए कार्यवाहियों को बंद करने का कोई आदेश,—

(क) जब तक निर्धारिती को सुने जाने या सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात् ;

(ख) उस तिमाही के अंत से छह महीने की समाप्ति के बाद जिसमें धारा 356 या धारा 357 या धारा 362 या धारा 365 या धारा 367 के अधीन आदेश अधिकारिता वाले प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त किया जाता है या धारा 377 या धारा 378 के अधीन पुनरीक्षण का आदेश पारित किया जाता है।

(4) धारा 471(2) के उपबंध उक्त धारा के अधीन शास्ति अधिरोपित करने या उसमें वृद्धि करने या उसे कम करने के आदेश के संबंध में लागू होंगे ।

(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए परिसीमाकाल की संगणना करने में निम्नलिखित अवधि का अपवर्जन किया जाएगा—

(क) धारा 244(2) के अधीन निर्धारिती को फिर से सुनवाई का अवसर देने में लगे समय का ;

(ख) उस तारीख से प्रारंभ होने वाली अवधि जिस पर शास्ति उद्गृहीत करने के लिए कार्यवाही पर रोक किसी भी न्यायालय के आदेश या निषेधाज्ञा द्वारा दी गई थी और उस तारीख को समाप्त होती है जिस पर निषेद्याज्ञा खाली करने वाले आदेश की प्रमाणित प्रति अधिकारिता वाले प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त की गई थी।

अध्याय 22

अपराध और अभियोजन

473. जो कोई धारा में निर्दिष्ट किसी आदेश का उल्लंघन करेगा वह कठिन कारावास से जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

474. यदि ऐसा कोई व्यक्ति, जिससे धारा 247(1)(ii) की अपेक्षानुसार लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए प्राधिकृत अधिकारी को आवश्यक सुविधा प्रदान करने की अपेक्षा की गई है, प्राधिकृत अधिकारी को ऐसी सुविधा प्रदान करने में असफल रहता है तो वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा ।

475. जो कोई सम्पत्ति को या इसमें किसी हित को धारा 413 के अधीन तैयार प्रमाणपत्र के निष्पादन के उस संपत्ति या इसमें हित को लिए जाने से निवारित करने के आशय से कपटपूर्वक हटाएगा, छिपाएगा, किसी व्यक्ति को अन्तरित करेगा या परिदत्त करेगा तो वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

476. (1) यदि कोई व्यक्ति,—

(क) अध्याय 19ख के उपबंधों की अपेक्षानुसार या उसके अधीन अपने द्वारा स्रोत पर कटौती किए गए कर का केन्द्रीय सरकार के जमा खाते में संदाय करता; या

(ख)

(i) धारा 393(3) में नीचे दी गई सारणी में टिप्पण 2; या

(ii) धारा 393(1) की (सारणी-क्र.सं.8) के लिए टिप्पण-6,

की अपेक्षानुसार या उसके अधीन केन्द्रीय सरकार के जमा खाते में कर का संदाय करता है या कर का संदाय सुनिश्चित करता है वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं होगी, किन्तु सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दंडनीय होगा ।

(2) इस धारा के उपबंध लागू नहीं होंगे, यदि उपधारा (1क) में निर्दिष्ट संदाय ऐसे संदाय की बाबत धारा 397(3)(ख) के अधीन विवरण फाइल करने के लिए विहित समय पर या उससे पहले केन्द्रीय सरकार को जमा कर दिया गया है।

477. (1) यदि कोई व्यक्ति, धारा 397(3)क के अधीन अपेक्षानुसार, अपने द्वारा संगृहीत कर का केन्द्रीय सरकार के खाते में संदाय करने में असफल रहेगा तो वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं होगी किन्तु सात वर्ष तक की

धारा 247 के अधीन किए गए आदेश का उल्लंघन।

धारा 247 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (ii) के अनुपालन में असफलता ।

कर की वसूली को विफल करने के लिए सम्पत्ति को हटाना, छिपाना या उसका अंतरण या परिदान करना ।

अध्याय 19ख के अधीन केन्द्रीय सरकार के जमाखाते में कर का संदाय करने में असफलता ।

स्रोत पर संगृहीत कर का संदाय करने में असफलता ।

हो सकेगी, और जुर्माने से, दंडनीय होगा ।

(2) इस धारा के उपबंध लागू नहीं होंगे, यदि स्रोत पर संग्रहीत कर का संदाय धारा 397(3)(ख) के अधीन ऐसे संदाय के लिए विवरण फाइल करने के लिए विहित समय पर या उससे पहले केंद्रीय सरकार को जमा कर दिया गया है।

जानबूझकर, कर
आदि के अपवंचन
करने का प्रयास ।

478. (1) यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य या अधिरोपणीय किसी कर, शास्ति या ब्याज का किसी भी रीति से जानबूझकर अपवंचन करने का प्रयास करेगा या अपनी आय की कम रिपोर्ट करता है तो वह इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन उस पर अधिरोपणीय शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना—

(क) ऐसे मामलों में जहां उसने नकद या कम रिपोर्ट की गई आय पर कर के लिए अपवंचन करने का प्रयास किया है, पच्चीस लाख रुपये से अधिक है वहां, कठिन कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से दंडनीय होगा ;

(ख) किसी अन्य मामले में कठिन कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं होगी किन्तु दो वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दण्डनीय होगा ।

(2) यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर इस अधिनियम के अधीन किसी कर, शास्ति या ब्याज के संदाय से बचने के लिए किसी भी रीति से प्रयास करता है, तो वह ऐसी अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडनीय होगा जो तीन मास से कम नहीं होगा किन्तु जो दो वर्ष तक का हो सकेगा और न्यायालय के स्वविवेक में, जुर्माना के लिए भी दायी होगा।

(3) इस धारा में निर्दिष्ट दंड इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन उस पर अधिरोपित किए जाने वाले किसी दंड पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना नहीं होगा ।

(4) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य या अधिरोपणीय किसी कर, शास्ति या ब्याज के अपवंचन करने का जानबूझकर प्रयास करने के अन्तर्गत वह मामला भी आता है जिसमें कोई व्यक्ति—

(क) अपने कब्जे या नियंत्रण में कोई लेखा पुस्तकें या अन्य दस्तावेजें रखता है (जो लेखा पुस्तकें या अन्य दस्तावेजें इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही से सुसंगत हैं) जिनमें कोई मिथ्या प्रविष्टि या कथन है; या

(ख) ऐसी लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों में मिथ्या प्रविष्टि या कथन करता है या कराता है; या

(ग) ऐसी लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों में से किसी सुसंगत प्रविष्टि या कथन का जानबूझकर लोप करता है या कराता है; या

(घ) कोई ऐसी अन्य परिस्थिति उत्पन्न कराता है जिसका प्रभाव ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य या अधिरोपणीय किसी कर, शास्ति या ब्याज का या उसके संदाय का अपवंचन करने में समर्थ बनाना होगा ।

479. (1) यदि कोई व्यक्ति आय की ऐसी विवरणी जिसके देने के लिए धारा 263(1) के अधीन दी गई सूचना द्वारा अपेक्षित है, या धारा 268(1) के अधीन या धारा 280 के अधीन दी गई सूचना द्वारा अपेक्षित है, सम्यक् समय के भीतर देने में जानबूझकर असफल रहेगा तो वह—

आय की विवरणी
देने में असफल
रहना।

(क) ऐसे मामले में, जहां कर की रकम, जिसकी यदि असफलता प्रकट न होती तो अपवंचन हो जाता पच्चीस लाख रुपए से अधिक है, वहां कठिन कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु सात वर्ष तक की हो सकेगी, से दण्डनीय होगा और जुर्माने से दंडनीय होगा;

(ख) किसी अन्य मामले में, कारावास से जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं होगी किन्तु दो वर्ष तक की हो सकेगी, से दण्डनीय होगा और जुर्माने से दंडनीय होगा ;

(2) उपधारा (1) के अधीन या धारा 263(1) के अधीन सम्यक् समय के भीतर आय की विवरणी देने में असफल रहने के लिए इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी, यदि—

(क) धारा 263 (4) या धारा 263(6) के अधीन उसके द्वारा कोई विवरणी प्रस्तुत की जाती है,; या

(ख) नियमित निर्धारण पर अवधारित कुल आय पर, ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो कंपनी नहीं है, संदेय कर, जो धारा 263 (4) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व संदत्त अग्रिम कर या स्व निर्धारण कर, यदि कोई हो, और स्रोत पर कटौती किए गए या संग्रहीत किए गए किसी कर को घटाकर आए, 10,000 रु से अधिक नहीं होगा ।

480. यदि कोई व्यक्ति कुल आय की ऐसी विवरणी, जिसके देने के लिए उससे धारा 294(1)(क) के अधीन दी गई सूचना द्वारा अपेक्षा की जाती है, सम्यक् समय के भीतर देने में जानबूझकर असफल रहेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, से दण्डनीय होगा और जुर्माने से दंडनीय होगा।

तलाशी के मामलों में आय की विवरणी देने में असफल रहना ।

481. यदि कोई व्यक्ति धारा 268(1) के अधीन अपने पर तामील की गई किसी सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पूर्व लेखे और दस्तावेजों जो उस सूचना में विनिर्दिष्ट हों, पेश करने में या पेश कराने में जानबूझकर असफल रहेगा या धारा 268(5) के अधीन उसे दिए गए निदेश का अनुपालन करने में जानबूझकर असफल रहेगा तो वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, से दण्डनीय होगा और जुर्माने से दंडनीय होगा।

लेखे और दस्तावेज पेश करने में असफल रहना ।

482. यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन किसी सत्यापन में कोई ऐसा कथन करेगा या कोई ऐसा लेखा या विवरणी परिदत्त करेगा, जो मिथ्या है और जिसके बारे में वह या तो जानता है या वह यह विश्वास करता है कि वह मिथ्या है या यह विश्वास नहीं करता है कि वह सत्य है तो वहां—

सत्यापन आदि में मिथ्या कथन ।

(क) ऐसे मामले में जहां कर की रकम जिसका यदि वह कथन या लेखा सत्य मान लिया जाता तो अपवंचन हो जाता, पच्चीस लाख रुपए से अधिक है वहां, कठिन कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु सात वर्ष तक की हो सकेगी, से दण्डनीय होगा और जुर्माने से दंडनीय होगा ।

(ख) किसी अन्य मामले में, कठिन कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से

लेखा बहियों या
दस्तावेज आदि
का मिथ्याकरण ।

कम की नहीं होगी किन्तु दो वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माने से दंडनीय होगा ।

483. (1) यदि कोई व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम व्यक्ति कहा गया है) जानबूझकर और किसी अन्य व्यक्ति को (जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय व्यक्ति कहा गया है) इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य और अधिरोपणीय किसी कर या ब्याज या शास्ति का जानबूझकर या आशय से अपवंचन करता है, इस अधिनियम के अधीन या द्वितीय व्यक्ति के विरुद्ध किसी कार्यवाही से संबंधित या उपयोगी किसी लेखा बही या अन्य दस्तावेज में कोई प्रविष्टि या कथन करता है या करवाता है जो मिथ्या है और जिसके बारे में प्रथम व्यक्ति या तो जानता है कि वह मिथ्या है या उसे विश्वास है कि वह सत्य नहीं होता है, तो वहां प्रथम व्यक्ति ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं होगी किन्तु दो वर्ष तक की हो सकेगी, से और जुर्माने से दंडनीय दायी होगा।

(2) इस धारा के अधीन आरोप स्थापित करने के प्रयोजनों के लिए यह साबित करना आवश्यक नहीं हो सकेगा कि दूसरे व्यक्ति ने इस धारा के अधीन प्रभार्य या अधिरोपणीय किसी कर, शास्ति या ब्याज का वास्तव में अपवंचन किया है ।

मिथ्या आदि का
दुष्प्रेरण।

484. यदि कोई व्यक्ति,—

(क) कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में ऐसा लेखा या कथन या घोषणा देने और परिदत्त करने के लिए, जो मिथ्या है और जिसके बारे में, वह या तो जानता है कि वह मिथ्या है या यह विश्वास नहीं करता है कि वह सत्य है; या

(ख) धारा 478 की उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध को करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को किसी रीति से दुष्प्रेरित या उत्प्रेरित करेगा, तो वह,—

(i) उस मामले में, जहां कर, शास्ति या ब्याज की वह रकम, जिसका, यदि वह घोषणा, लेखा या कथन सत्य मान लिया जाता तो अपवंचन हो जाता या जिसका जानबूझकर अपवंचन करने का प्रयास किया जाता है, पच्चीस लाख रुपए से अधिक है, वहां, कठिन कारावास से, जिसका अवधि छह मास तक से कम की नहीं होगी, किन्तु सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने का भी दायी होगा ; और

(ii) किसी अन्य मामले में, कठिन कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं होगी, किन्तु दो वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दंडनीय होगा ।

द्वितीय और
पश्चात्पूर्व
अपराधों के लिए
दण्ड ।

485. यदि धारा 476 या धारा 477 या धारा 478 की उपधारा (1) या धारा 479, या 480, धारा 482 या धारा 484 के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति पूर्वोक्त, उपबंधों में से किसी के अधीन किसी अपराध के लिए पुनः दोषसिद्ध किया जाता है तो वह द्वितीय और प्रत्येक पश्चात्पूर्व अपराध के लिए कठिन कारावास से जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दंडनीय होगा ।

कुछ दशाओं में दंड
अधिरोपित नहीं
किया जाना ।

486. धारा 476 या धारा 477 में कोई व्यक्ति उक्त उपबंधों में निर्दिष्ट किसी असफलता के लिए दण्डनीय नहीं होगा, उस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात पर विचार किए बिना यदि वह यह साबित कर देता है कि ऐसी असफलता के लिए युक्तियुक्त

हेतुक था।

487. (1) यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है वहां प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी ऐसे अपराध की दोषी समझी जाएगी और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने की भागी होगी।

कंपनियों का
अपराध।

(2) उपधारा (1) के उपबंध ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे यदि इसमें निर्दिष्ट व्यक्ति साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) में किसी बात पर विचार किए बिना, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित होता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ है, ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का दायी होगा।

(4) यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कंपनी द्वारा किया गया है और ऐसे अपराध के लिए दंड कारावास और जुर्माना है, वहां उपधारा (1) या उपधारा (3) में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी कंपनी जुर्माने से दंडित की जाएगी और उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति या उपधारा (3) में निर्दिष्ट कंपनी का निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के लिए दायी होगा।

(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए .—

(क) “कंपनी” पद से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत—

(i) फर्म; और

(ii) व्यक्तियों का संगम या व्यष्टियों का निकाय भी है चाहे वह निगमित हो या नहीं; तथा

(ख) “निदेशक” पद से,—

(i) फर्म के संबंध में उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है;

(ii) व्यक्तियों के संगम या व्यष्टियों के निकाय के संबंध में उसके कार्यकलापों को नियंत्रित करने वाला कोई सदस्य अभिप्रेत है।

488. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब द्वारा किया गया है वहां उसका कर्ता अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

हिन्दू अविभक्त
कुटुम्ब द्वारा
अपराध।

(2) उपधारा (1) की कोई बात ऐसे कर्ता को दण्ड का दायी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने

ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् बरती थी ।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) में किसी बात पर विचार किए बिना, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब द्वारा किया गया है, यदि वह यह साबित होता है कि वह अपराध हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के किसी सदस्य की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है ; या

वहां हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब का ऐसा सदस्य भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगा ।

कुछ मामलों में
आस्तियों, लेखा
पुस्तकों, आदि के
बारे में उपधारणा।

489. (1) जहां धारा 247 के अधीन किसी तलाशी के दौरान, कोई धन, सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान चीज या वस्तु (जिसे इसमें इसके पश्चात् आस्ति कहा गया है) या कोई लेखा पुस्तकें या अन्य दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रूप में कोई जानकारी (धारा 261 (छ) में यथापरिभाषित या कंप्यूटर सिस्टम पर (धारा 261 (ड.) में यथापरिभाषित या उक्त जानकारी अंतर्विष्ट करने वाला कोई कंप्यूटर सिस्टम किसी व्यक्ति कब्जे या नियंत्रण में पाई गई हैं और ऐसी आस्तियां या लेखा पुस्तकें या अन्य अभियोजन द्वारा ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध या ऐसे व्यक्ति और धारा 484 में निर्दिष्ट व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए साक्ष्य में दी जाती है वहां धारा 247 की उपधारा (7) के उपबंध, यावत्शक्य, ऐसी आस्तियों या लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों या ऐसी जानकारी के संबंध में लागू होंगे ।

(2) जहां धारा 248 की उपधारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) या खण्ड (ग) में निर्दिष्ट किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति के कब्जे या नियंत्रण से अभिरक्षा में ली गई कोई आस्तियां या लेखा पुस्तकें या अन्य दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप में कोई जानकारी या कंप्यूटर सिस्टम पर जानकारी या उक्त जानकारी अंतर्विष्ट करने वाला कोई कंप्यूटर सिस्टम उस धारा की उपधारा (2) के अधीन अध्यक्ष अधिकारी को परिदत्त की जाती है और ऐसी आस्तियां, लेखा पुस्तकें या अन्य दस्तावेजों अभियोजन द्वारा ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध या ऐसे व्यक्ति और धारा 484 में निर्दिष्ट व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए साक्ष्य में दी जाती है वहां धारा 247 की उपधारा (7) के उपबंध यावत्शक्य ऐसी आस्तियों या लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों या ऐसी जानकारी के संबंध में लागू होंगे ।

सदोष मनःस्थिति
के बारे में
उपधारणा।

490. (1) इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसे अपराध के अभियोजन में जिसमें अभियुक्त की सदोष मनःस्थिति की अपेक्षा है, न्यायालय ऐसी मनःस्थिति की विद्यमानता की उपधारणा करेगा, किन्तु अभियुक्त के लिए इस तथ्य को साबित करना प्रतिरक्षा होगी कि उस अभियोजन में अपराध के रूप में आरोपित कार्य की बाबत उसकी ऐसी मनःस्थिति नहीं थी।

(2) इस धारा में, “सदोष मनःस्थिति” के अन्तर्गत आशय, हेतु या किसी तथ्य का ज्ञान या किसी तथ्य में विश्वास करने का कारण है।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, कोई तथ्य साबित हुआ तभी कहा जाएगा, जब न्यायालय यह विश्वास करता है कि वह उचित संदेह से परे विद्यमान है और केवल इस कारण नहीं कि उसकी विद्यमानता अधिसंभाव्यता की प्रबलता के आधार पर सिद्ध हुई है।

491. (1) किसी व्यक्ति के विरुद्ध धारा 473 या धारा 474 या धारा 475 या धारा 476 या धारा 477 या धारा 478 या धारा 479 या धारा 480 या धारा 481 या धारा 482 या धारा 483 या धारा 484 के अधीन किसी अपराध के लिए कोई कार्यवाही, प्रधान आयुक्त या आयुक्त या आयुक्त (अपील) या संयुक्त आयुक्त (अपील) की पूर्व मंजूरी से ही की जाएगी, अन्यथा नहीं:

अभियोजन का प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त की प्रेरणा से होना।

(2) प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक इस उपधारा के अधीन कार्यवाही संस्थित करने के लिए उपधारा (1) में वर्णित आय-कर प्राधिकारियों को ऐसे अनुदेश या निदेश जारी कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।

(3) किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसे कर वर्ष के लिए निर्धारण के संबंध में, धारा 439 के अधीन आरोपित या अधिरोपणीय शास्ति धारा 469 के अधीन आदेश द्वारा घटा दी गई है या उसका अधित्यजन कर दिया गया है, धारा 478 या धारा 482 के अधीन किसी अपराध के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

(4) इस अध्याय के अधीन किसी अपराध का प्रशमन, कार्यवाही संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात्, प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा किया जा सकेगा।

(5) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है वहां धारा 236 के खण्ड (क) से (ट) में विनिर्दिष्ट आय-कर प्राधिकारियों में से किसी के समक्ष, ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कथन या पेश किया गया कोई लेखा या अन्य दस्तावेज ऐसी कार्यवाहियों के प्रयोजन के लिए साक्ष्य के रूप में केवल इस आधार पर अग्राह्य नहीं होगा कि,—

(क) ऐसा कथन या ऐसा लेखा या अन्य दस्तावेज इस विश्वास के साथ किया गया या पेश किया गया था कि अधिरोपणीय शास्ति धारा 469 के अधीन अधित्यजित की जाएगी; या

(ख) वह अपराध जिसके लिए ऐसी कार्यवाही की गई थी प्रशमित कर दिया जाएगा।

(6) इस अधिनियम के अधीन, आदेश अनुदेश या निदेश जारी करने की बोर्ड की शक्ति के अन्तर्गत इस धारा के अधीन अपराधों के समुचित प्रशमन के लिए अन्य आय-कर प्राधिकारियों को अनुदेश या निदेश (जिनके अंतर्गत बोर्ड का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करने के लिए निदेश या अनुदेश है) जारी करने की शक्ति सम्मिलित है।

2023 का 46

492. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में किसी बात पर विचार किए बिना धारा 476 या धारा 478 या धारा 479 या धारा 480 या धारा 482 या धारा 484 के अधीन दण्डनीय अपराध उस संहिता के अर्थ में असंज्ञेय समझा जाएगा।

कुछ अपराधों का असंज्ञेय होना।

493. किसी आय-कर प्राधिकारी की अभिरक्षा में के अभिलेखों या अन्य दस्तावेजों में की प्रविष्टियां, इस अध्याय के अधीन किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति के अभियोजन की किन्हीं कार्यवाहियों में साक्ष्य में ग्रहण की जाएंगी और ऐसी सभी प्रविष्टियां,—

अभिलेखों या दस्तावेजों में प्रविष्टियों का सबूत।

(क) आय-कर प्राधिकारी की अभिरक्षा में के ऐसे अभिलेखों या अन्य दस्तावेजों को जिनमें प्रविष्टियां हैं पेश करके; या

(ख) ऐसे आय-कर प्राधिकारी द्वारा जिसकी अभिरक्षा में ऐसे अभिलेख या अन्य दस्तावेज हैं, उसके हस्ताक्षर से प्रमाणित प्रविष्टियों की प्रति, जिसमें यह कथन है कि यह मूल प्रविष्टियों की शुद्ध प्रति है और ऐसी मूल प्रविष्टियां उसकी अभिरक्षा में के अभिलेखों या अन्य दस्तावेजों में अंतर्विष्ट हैं, साबित की जा सकेगी।

लोक सेवकों द्वारा
विशिष्टियों का
प्रकटीकरण।

494. (1) यदि कोई लोक सेवक धारा 258(3) के उपबंधों के उल्लंघन में कोई जानकारी देगा या कोई दस्तावेज पेश करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, से दण्डनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

(2) इस धारा के अधीन कोई अभियोजन केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा।

विशेष न्यायालय।

495. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अध्याय के अधीन दंडनीय अपराधों के विचारण के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा, एक या अधिक प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट न्यायालयों को ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए अथवा ऐसे मामलों अथवा मामलों के वर्ग या समूह के लिए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, विशेष न्यायालय के रूप में पदाभिहित कर सकेगी।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “उच्च न्यायालय” पद से उस राज्य का उच्च न्यायालय अभिप्रेत है, जिसमें विशेष न्यायालय के रूप में पदाभिहित कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, ऐसे पदाभिधान से ठीक पूर्व कार्य कर रहा था।

(3) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करते समय, कोई विशेष न्यायालय उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी अपराध से भिन्न ऐसे किसी अपराध का भी विचारण करेगा, जिससे अभियुक्त को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अधीन उसी विचारण में आरोपित किया जा सकता है।

2023 का 46

विशेष न्यायालय
द्वारा विचारणीय
अपराध।

496. (1) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में अंतर्विष्ट किसी बात पर विचार किए बिना,—

2023 का 46

(क) इस अध्याय के अधीन दंडनीय अपराध केवल विशेष, न्यायालय द्वारा यदि, यथास्थिति,, उस क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए अथवा ऐसे मामलों या मामलों के वर्ग या समूह के लिए, इस प्रकार पदाभिहित किया गया हो, जिसमें अपराध किया गया है, ही विचारणीय होगा;

(ख) विशेष न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन इस निमित्त प्राधिकृत किसी प्राधिकारी द्वारा किए गए किसी परिवाद पर, ऐसे अपराध का संज्ञान ले सकेगा, जिसके लिए अभियुक्त को विचारण के लिए सुपुर्द किया जाता है।

(2) उपधारा (1)(क) के प्रयोजनों के लिए, धारा 520 के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सक्षम ऐसा कोई न्यायालय,—

(क) जिसे इस धारा के अधीन विशेष न्यायालय के रूप में पदाभिहित किया गया है, उसके समक्ष के अपराधों का या ऐसे पदाभिधान के पश्चात् इस अधिनियम के अधीन उद्भूत अपराधों का विचारण करना जारी रखेगा;

(ख) जिसे विशेष न्यायालय के रूप में पदाभिहित नहीं किया गया है, उसके समक्ष लंबित ऐसे अपराध का विचारण, उसका निपटारा किए जाने तक, जारी रख

सकेगा।

2023 का 46

497. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में अंतर्विष्ट किसी बात पर विचार किए बिना, विशेष न्यायालय, इस अध्याय के अधीन दो वर्ष से अनधिक के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय किसी अपराध का विचारण समन मामले के रूप में करेगा और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के उपबंध, जैसे वे समन मामले के विचारण की दशा में लागू होते हैं, तदनुसार लागू होंगे।

अपराधों का शमन
मामले के रूप में
विचारण ।

2023 का 46

498. (1) इस अधिनियम में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के उपबंध (जिनके अंतर्गत जमानतों या बंधपत्रों के बारे में उपबंध भी हैं) विशेष न्यायालय के समक्ष की कार्यवाहियों को लागू होंगे और विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन संचालित करने वाले व्यक्ति को लोक अभियोजक समझा जाएगा।

भारतीय नागरिक
सुरक्षा संहिता,
का विशेष 2023
न्यायालय के
समक्ष की
कार्यवाहियों को
लागू होना।

(2) केंद्रीय सरकार किसी मामले या मामलों के वर्ग या समूह के लिए किसी विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति भी कर सकेगी ।

(3) कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन लोक अभियोजक या विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए जिसके लिए विधि का विशेष ज्ञान होना आवश्यक है, तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक वह सात वर्ष से अन्यून के लिए अधिवक्ता के रूप में कारबार रत नहीं रहा है ।

2023 का 46

(4) इस धारा के अधीन किसी लोक अभियोजक या विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 2 (फ) के अर्थात्तर्गत लोक अभियोजक समझा जाएगा और उस संहिता के उपबंधों का तदनुसार प्रभाव होगा ।

अध्याय 23

प्रकीर्ण

499. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के लम्बित रहने के दौरान या उसके पूरे हो जाने के पश्चात् किन्तु धारा 413 के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार कर वसूली अधिकारी द्वारा सूचना की तामील के पूर्व कोई निर्धारिती किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में अपनी आस्तियों में किसी प्रभार का सृजन करता है या उसके भाग पर कब्जा छोड़ देता है वहां ऐसा प्रभार या अन्तरण उक्त कार्यवाही के पूरे होने के परिणामस्वरूप या अन्यथा निर्धारिती द्वारा संदेय किसी कर या किसी अन्य राशि के संबंध में किसी दावे के विरुद्ध शून्य होगा ।

कुछ अन्तरणों का
शून्य होना ।

(2) उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट प्रभार या अन्तरण शून्य नहीं होगा यदि वह—

(क) पर्याप्त प्रतिफल के लिए और, यथास्थिति,, ऐसी कार्यवाही के लम्बित होने की सूचना के बिना या निर्धारिती द्वारा संदेय ऐसे कर या अन्य राशि की सूचना के बिना किया जाता है; या

(ख) निर्धारण अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से किया जाता है ।

(3) यह धारा उन मामलों को लागू होती है जहां संदेय या सम्भाव्यतः संदेय कर की रकम या अन्य राशि 5000 रु. से अधिक है और प्रभारित या अन्तरित आस्तियों का मूल्य 10,000 रु. से अधिक है ।

(4) इस धारा के प्रयोजनों के लिए —

(क) “आस्ति” से भूमि, भवन, मशीनरी, संयंत्र, शेयर, प्रतिभूति और बैंकों में नियतकालिक निक्षेप उस विस्तार तक अभिप्रेत है जहां तक उक्त आस्तियों में से कोई आस्ति निर्धारिती के बराबर के व्यापार स्टाक की भागरूप नहीं है;

(ख) ऐसी आस्तियों के कब्जे पर प्रभार का सृजन करने या उसके साथ भाग लेने के प्रकारों में विक्रय, बंधक, दान, विनिमय या किसी भी अन्य प्रकार के अन्तरण द्वारा सम्मिलित होगा।

कुछ दशाओं में राजस्व के संरक्षण के लिए अनंतिम कुर्की।

500. (1) जहां, किसी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान,—

(क) किसी आय के निर्धारण या निर्धारण या पुनर्निर्धारण के लिए जो निर्धारण से छूट गई है; या

(ख) धारा 444 के अधीन शास्ति के अधिरोपण के लिए जहां उक्त धारा के अधीन अधिरोपित की जाने वाली संभाव्य शास्ति की रकम या कुल रकम दो करोड़ रुपए से अधिक है,

निर्धारण अधिकारी की यह राय है कि राजस्व के हितों के संरक्षण के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक है तो वह, सक्षम अधिकारी के पूर्वानुमोदन से लिखित आदेश द्वारा, उस निर्धारिती की किसी संपत्ति को धारा 413 में विहित में रीति से अनंतिम रूप से कुर्क कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अनंतिम (कुर्की) उक्त उपधारा के अधीन किए गए आदेश की तारीख से छः मास की कालावधि की समाप्ति की पश्चात् प्रभावहीन हो जाएगी।

(3) मुख्य आयुक्त, ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, उपधारा (2) में निर्दिष्ट अवधि के लिए बढ़ा सकता है ऐसे विस्तार की कुल कालावधि किसी भी दशा में दो वर्ष या निर्धारण अथवा पुनःनिर्धारण के आदेश की तारीख के पश्चात् साठ दिन, इनमें से जो भी पश्चात्तत्त्वर्ती हो, से अधिक नहीं होगी।

(4) जहां निर्धारिती उपधारा (1) के अधीन अनंतिम रूप से कुर्क की गई किसी संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से अन्यून किसी रकम के लिए किसी अनुसूचित बैंक की प्रत्याभूति देता है, वहां निर्धारण अधिकारी, लिखित आदेश द्वारा, ऐसी कुर्की का प्रतिसंहरण कर सकेगा।

(5) उपधारा (4) के प्रयोजनों के लिए, जहां निर्धारण अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से निम्न किसी रकम के लिए किसी अनुसूचित बैंक की गारन्टी राजस्व के हितों के संरक्षण के लिए पर्याप्त है, तो वह ऐसी प्रत्याभूति को स्वीकार कर सकेगा और कुर्की का प्रतिसंहरण कर देगा।

(6) निर्धारण अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन अनंतिम रूप से कुर्क की गई किसी संपत्ति के मूल्य के अवधारण के लिए, धारा 269 की उपधारा (3) से उपधारा (7) में निर्दिष्ट मूल्यांकन अधिकारी को निर्देश कर सकेगा, जो उस धारा में उपबंधित रीति में संपत्ति के उचित बाजार मूल्य का प्राक्कलन करेगा और निर्देश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर निर्धारण अधिकारी को प्राक्कलन की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(7) उपधारा (4) या उपधारा (5) के अधीन अनंतिम कुर्की का प्रतिसंहरण करने वाला कोई आदेश,—

(क) जहां उपधारा (6) के अधीन मूल्यांकन अधिकारी को निर्देश किया गया है, वहां प्रत्याभूति की प्राप्ति की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर; या

(ख) किसी अन्य मामले में प्रत्याभूति की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर, किया जाएगा ।

(8) जहां निर्धारिती पर संदेय किसी राशि को विनिर्दिष्ट करने वाली मांग की सूचना की तामील की जाती है और निर्धारिती, विनिर्दिष्ट समय के भीतर उस राशि का संदाय करने में असफल होता है, तो निर्धारण अधिकारी, रकम की वसूली के लिए, उपधारा (4) या उपधारा (5) के अधीन प्रत्याभूति का पूर्णतः या भागतः अवलंब ले सकेगा ।

(9) यदि निर्धारिती प्रत्याभूति की समाप्ति से पंद्रह दिन पूर्व उपधारा (4) या उपधारा (5) में निर्दिष्ट प्रत्याभूति के नवीकरण में असफल रहता है या किसी बराबर रकम के लिए किसी अनुसूचित बैंक की नई प्रत्याभूति देने में असफल रहता है, तो निर्धारण अधिकारी, राजस्व के हितों के संरक्षण के लिए बैंक प्रत्याभूति का अवलंब ले लेगा ।

(10) उपधारा (4) या उपधारा (5) में निर्दिष्ट प्रत्याभूति के अवलंब द्वारा वसूल की गई रकम उस विद्यमान मांग जो निर्धारिती द्वारा संदेय है और अतिशेष रकम, यदि कोई हो, के विरुद्ध समायोजित की जाएगी, शाखा में प्रधान आयुक्त या आयुक्त के व्यक्तिगत जमा खाते में जहां

(क) भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक, या

(ख) बैंक, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 43(1) के अधीन उसके अभिकर्ता के रूप में नियत किया जाए, ऐसे स्थान पर जमा की जाएगी, जहां प्रधान आयुक्त या आयुक्त का कार्यालय स्थित है ।

(11) जहां निर्धारण अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि राजस्व के हितों के संरक्षण के लिए उपधारा (4) या उपधारा (5) में निर्दिष्ट प्रत्याभूति की अब और आवश्यकता नहीं है, तो वह तुरंत उस प्रत्याभूति को निर्मुक्त कर देगा ।

(12) इस धारा के प्रयोजनों के लिए सक्षम प्राधिकारी" से प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त, प्रधान आयुक्त या आयुक्त, प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक या प्रधान निदेशक या निदेशक अभिप्रेत है ।

501. (1) इस अधिनियम (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस धारा में संसूचना कहा गया है) के अधीन किसी सूचना या समन या अध्यपेक्षा या आदेश या किसी अन्य संसूचना की तामील उसमें नामित व्यक्ति को निम्नलिखित द्वारा उसकी एक प्रति परिदत्त या संप्रेषित करके की जा सकेगी,—

(क) डाक द्वारा या ऐसी कुरियर सर्विस द्वारा, जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाए; या

(ख) जो समनों की तामील के प्रयोजनों के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन उपबंधित की गई ऐसी रीति में; या

(ग) सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अध्याय 4 में यथा उपबंधित

साधारणतया
सूचना की
तामील ।

किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख के रूप में;

(घ) दस्तावेजों के पारेषण के ऐसे किसी अन्य साधन द्वारा, जो विहित किया जाए।

(2) बोर्ड पत्रों के लिए (जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक डाक या इलैक्ट्रानिक डाक संदेश के लिए पत्र भी है) नियम बना सकेगा जिस पर उपधारा (1) में निर्दिष्ट संसूचना उसमें नामित व्यक्ति को परिदत्त या संप्रेषित की जा सकेगी।

(3) इस धारा में, “इलैक्ट्रानिक डाक” और “इलैक्ट्रानिक डाक संदेश” पदों से किसी कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रणाली, कंप्यूटर संसाधन या संचार युक्ति में सृजित या पारेषित या प्राप्त किया गया कोई संदेश या सूचना अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत पाठ, आकृति, आडियो, वीडियो और किसी अन्य इलैक्ट्रानिक अभिलेख के ऐसे संलग्नक भी हैं, जो संदेश के साथ भेजे जाएं।

नोटिस और अन्य
दस्तावेजों का
प्रमाणीकरण।

502. (1) जहां इस अधिनियम में यह अपेक्षित है कि किसी आय-कर प्राधिकारी द्वारा सूचना या अन्य दस्तावेज जारी किए जाने चाहिए, वहां ऐसी सूचना या अन्य दस्तावेज उस प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और कागज रूप में जारी किया जाएगा या इलैक्ट्रानिक रूप में ऐसी प्रक्रिया द्वारा संसूचित किया जाएगा, विहित की जाए।

(2) किसी आय-कर प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए जारी की जाने, तामील की जाने या दी जाने वाली प्रत्येक सूचना या अन्य दस्तावेज, यदि अभिहित आय-कर प्राधिकारी का नाम और पद उस पर मुद्रित, स्टांपित अथवा लिखित है, तो अधिप्रमाणित किया गया समझा जाएगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “अभिहित आय-कर प्राधिकारी” पद से उपधारा (2) में यथा उपबंधित रीति से अधिप्रमाणन के पश्चात् ऐसी सूचना या अन्य दस्तावेज जारी करने, तामील करने या देने के लिए बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कोई आय-कर प्राधिकारी अभिप्रेत है।

सूचना की तामील
जब कुटुम्ब
विभाजित हो गया
है या फर्म आदि
विघटित हो गई
है।

503. (1) धारा 315 के अधीन निर्धारण अधिकारी द्वारा किसी हिन्दू कुटुम्ब के बारे में पूर्ण विभाजन का निष्कर्ष अभिलिखित कर दिए जाने के पश्चात् उस हिन्दू कुटुम्ब की आय की बाबत इस अधिनियम के अधीन सूचनाओं की तामील, उस व्यक्ति पर की जाएगी जो हिन्दू कुटुम्ब का अन्तिम कर्ता था या यदि ऐसा व्यक्ति मर चुका है तो उन सब वयस्कों पर की जाएगी जो विभाजन के ठीक पूर्व उस हिन्दू कुटुम्ब के सदस्य थे।

(2) जहां कोई फर्म या अन्य व्यक्तियों का संगम विघटित हो गया है वहां फर्म या संगम की आय के बारे में इस अधिनियम के अधीन सूचनाओं की तामील ऐसे किसी व्यक्ति पर की जा सकेगी जो उसके विघटन के ठीक पूर्व, यथास्थिति, भागीदार (जो अवयस्क नहीं है) या संगम का सदस्य था।

बन्द कर दिए गए
कारबार की दशा
में सूचना की
तामील।

504. जहां धारा 320 के अधीन निर्धारण किया जाना है वहां निर्धारण अधिकारी—

(क) उस व्यक्ति पर जिसकी आय का निर्धारण किया जाना है;

(ख) किसी फर्म या व्यक्तियों के संगम की दशा में किसी ऐसे व्यक्ति पर जो ऐसी फर्म या संगम के बन्द कर दिए जाने के समय उसका सदस्य था; या

(ग) कंपनी की दशा में उसके प्रधान अधिकारी पर, या

ऐसी सूचना की तामील कर सकेगा जिसमें वे सब या उनमें से कोई अपेक्षाएं अन्तर्विष्ट होंगी जो धारा 268(1) के अधीन सूचना के अन्तर्गत हो सकती हैं और इस अधिनियम के उपबंध तदनुसार यावत्शक्य ऐसे लागू होंगे मानो वह सूचना इस धारा के अधीन जारी की गई सूचना हो ।

1999 का 42

505. ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो अनिवासी है, जिसका विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार भारत में स्थापित कोई संपर्क कार्यालय है, किसी कर वर्ष में अपने क्रियाकलापों की बाबत ऐसे प्ररूप में और ऐसी अवधि के भीतर ऐसी विशिष्टियों वाला, जो विहित की जाएं, एक विवरण तैयार करेगा और उसे अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को परिदत्त करेगा।

ऐसे अनिवासी द्वारा, जिसका संपर्क कार्यालय है, विवरण प्रस्तुत किया जाना ।

506. जहां,—

(क) भारत के बाहर रजिस्ट्रीकृत या निगमित किसी कंपनी या इकाई में कोई शेयर या हित का अपना मूल्य प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः सारवान् रूप से धारा (9) (10)(क) में यथा विनिर्दिष्ट भारत में अवस्थित आस्तियों से सारतः व्युत्पन्न होता है; और

किसी भारतीय संस्था द्वारा कतिपय मामलों में सूचना या दस्तावेज प्रस्तुत करना ।

(ख) यथास्थिति, ऐसी कंपनी या इकाई, भारत में ऐसी आस्तियां प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी समुत्थान के माध्यम से या में धारित करती है,

वहां ऐसा भारतीय समुत्थान, उक्त धारा के अधीन भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत किसी आय के अवधारण के प्रयोजनों के लिए ऐसी सूचना या दस्तावेज विहित आय-कर प्राधिकारी को विहित अवधि के भीतर, यथाविहित रीति में, प्रस्तुत करेगा ।

507. (1) किसी संपूर्ण कर वर्ष या उसके किसी भाग के दौरान, चलचित्र फिल्म के निर्माण या किसी विनिर्दिष्ट कार्यकलाप या दोनों में लगा हुआ कोई व्यक्ति, ऐसी अवधि के भीतर, ऐसे प्ररूप और रीति में विहित आय-कर प्राधिकारी को विवरण प्रस्तुत करेगा जो विहित की जाए ।

सिनेमैटोग्राफ फिल्मों के निर्माताओं या निर्दिष्ट गतिविधि में लगे व्यक्तियों द्वारा विवरण प्रस्तुत करना।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट विवरण में उसके द्वारा ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जो उसके द्वारा ऐसे निर्माण या विनिर्दिष्ट कार्यकलाप में अभियोजित किया जाता है किए गए या उससे शोध्य 50,000 रु.से अधिक के सभी संदायों की विशिष्टियां अंतर्विष्ट होगा ।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “विनिर्दिष्ट कार्यकलाप” पद से कार्यक्रम प्रबंधन, वृत्तचित्र निर्माण, दूरदर्शन या ओवर दि टाप प्लेटफार्म या किसी अन्य वैसे ही प्लेटफार्म, के लिए प्रसारण हेतु कार्यक्रमों की प्रस्तुति, खेलकूद कार्यक्रम प्रबंधन या अन्य सार्वजनिक प्रदर्शन कला या कोई अधिसूचित अन्य कार्यकलाप अभिप्रेत है, जिसे केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें ।

508. (1) कोई व्यक्ति, जो—

(क) कोई निर्धारिती है; या

(ख) सरकार के किसी कार्यालय की दशा में विहित व्यक्ति है; या

(ग) कोई स्थानीय प्राधिकारी या अन्य लोक निकाय या संगम है; या

वित्तीय संव्यवहार या रिपोर्ट योग्य खाते का विवरण देने की बाध्यता।

- (घ) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 6 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार है; या 1908 का 16
- (ङ) मोटर यान अधिनियम, 1988 के अध्याय 4 के अधीन मोटर यानों को रजिस्टर करने के लिए सशक्त रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी है; या 1988 का 59
- (च) भारतीय डाकघर अधिनियम, 2023 की धारा 2(क) में यथानिर्दिष्ट महाडाकपाल है; या 2023 का 43
- (छ) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 3(छ) में निर्दिष्ट कलक्टर है; या 2013 का 30
- (ज) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) में निर्दिष्ट मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है; या 1956 का 42
- (झ) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय रिजर्व बैंक का कोई अधिकारी है; या 1934 का 2
- (ञ) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 2(1)(ड) में निर्दिष्ट कोई निक्षेपागार है; या 1996 का 22
- (ट) कोई रिपोर्ट करने वाली विहित संस्था; या
- (ठ) कोई अन्य व्यक्ति, जो विहित किया जाए,

जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन यथाविहित किसी विनिर्दिष्ट वित्तीय संव्यवहार को या ऐसे किसी रिपोर्ट योग्य खाते को रजिस्टर करने या उसकी लेखा बहियां या उसके अभिलेख वाले अन्य दस्तावेज को रखने के लिए उत्तदायी है, ऐसे विनिर्दिष्ट वित्तीय संव्यवहार या ऐसे रिपोर्ट योग्य खाते के संबंध में, जो उसके द्वारा रजिस्ट्रीकृत या अभिलिखित किए गए हैं या रखे गए हैं और जिससे संबंधित जानकारी इस अधिनियम के लिए सुसंगत और अपेक्षित है, एक विवरण आय-कर प्राधिकारी या ऐसे अन्य प्राधिकारी या अभिकरण को प्रस्तुत करेगा, जो विहित किया जाए ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट विवरण, ऐसी अवधि के लिए समय के भीतर और ऐसे प्ररूप तथा रीति में प्रस्तुत किया जाएगा, जो विहित किया जाए ।

(3) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, “विनिर्दिष्ट वित्तीय संव्यवहार” से निम्नलिखित अभिप्रेत है, यथाविहित कोई संव्यवहार,—

- (क) माल या संपत्ति या किसी संपत्ति में अधिकार या हित के क्रय, विक्रय या विनिमय ; या
- (ख) कोई सेवा देने के लिए; या
- (ग) किसी संकर्म संविदा के अधीन; या
- (घ) किए गए किसी विनिधान या उपगत किसी व्यय के रूप में; या
- (ङ) कोई ऋण या निक्षेप लेने या प्रतिगृहीत करने के लिए, जो विहित किया जाए ।

(4) बोर्ड, भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के लिए उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट भिन्न-भिन्न

संव्यवहारों के लिए, ऐसे संव्यवहार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, भिन्न-भिन्न मूल्य विहित कर सकेगा ।

(5) यदि निर्धारित आय-कर प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत विवरण में कोई त्रुटि पाता है, तो वह ऐसे विवरण को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को त्रुटि को सूचित कर सकता है, ऐसी सूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर त्रुटि को सुधारने के लिए, और अपने स्वविवेक पर, इस प्रयोजन के लिए किए गए आवेदन पर उक्त अवधि का विस्तार करें।

(6) यदि उपधारा (5) में उल्लिखित दोष तीस दिनों की प्रारंभिक अवधि या विस्तारित अवधि के भीतर लागू नहीं होता है, तो, इस अधिनियम के उपबंध लागू होंगे जैसे कि ऐसे व्यक्ति ने इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी भी बात के बावजूद विवरण में गलत जानकारी प्रस्तुत की थी।

(7) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन एक विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता निर्दिष्ट समय के भीतर ऐसा करने में असफल रहता है, तो निर्धारित आय-कर प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति को सूचना की सेवा कर सकता है, जिसमें ऐसी सूचना की तारीख की तारीख से तीस दिनों से अधिक की अवधि के भीतर इस तरह के विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, और वह उसमें निर्दिष्ट समय के भीतर विवरण प्रस्तुत करेगा।

(8) यदि कोई व्यक्ति, उपधारा (1) के अधीन एक विवरण प्रस्तुत करता है, या उपधारा (7) के अधीन जारी किए गए सूचना के अनुसरण में, प्रदान की गई जानकारी में किसी भी अशुद्धि से अवगत हो जाता है, तो वह दस दिनों के भीतर, विहित आय-कर प्राधिकरण या अन्य प्राधिकरण या अधिकरण को सूचित करेगा उपधारा (1) में, अशुद्धि और इस तरह से सही जानकारी प्रस्तुत करें, जैसा कि निर्धारित किया गया है।

(9) केन्द्रीय सरकार, नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट कर सकेगी—

(क) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को विहित आय-कर प्राधिकरण के साथ रजिस्ट्रीकृत किया जाना है;

(ख) सूचना की प्रकृति और वह रीति जिसमें खंड (क) में निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा ऐसी जानकारी का अनुरक्षण किया जाएगा; और

(ग) किसी क्रिप्टो आस्ति उपयोगकर्ता या स्वामी के प्रमाणीकरण के प्रयोजन के लिए उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी रिपोर्ट करने योग्य खाते की पहचान के लिए व्यक्तियों द्वारा बरती जाने वाली सम्यक तत्परता ।

509. (1) किसी भी व्यक्ति, रिपोर्टिंग इकाई होने के नाते, एक क्रिप्टो आस्ति के संबंध में, एक विवरण में ऐसे क्रिप्टो आस्ति के एक संव्यवहार के संबंध में, ऐसी अवधि के लिए, ऐसे समय के भीतर, ऐसे प्रारूप और ऐसी रीति में और ऐसे आय-कर प्राधिकारी को, जानकारी प्रस्तुत करेगा, जो विहित की जाए ।

(2) जहां निर्धारित आय-कर प्राधिकारी मानता है कि उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत विवरण दोषपूर्ण है, वह उस व्यक्ति को दोष को सूचित कर सकता है जिसने ऐसे के विवरण प्रस्तुत किए हैं और उसे तीस दिनों के भीतर दोष को सुधारने का अवसर दे सकते हैं ऐसी सूचना की तारीख या ऐसी आगे की अवधि के रूप में अनुमति दी जा

क्रिप्टो आस्ति के
संव्यवहार संबंधी
जानकारी प्रस्तुत
करने की
बाध्यता ।

सकती है, और यदि दोष को ऐसी अवधि के भीतर ठीक नहीं किया जाता है, इस अधिनियम के उपबंधों से लागू होंगे जैसे कि ऐसे व्यक्ति ने विवरण में गलत जानकारी प्रस्तुत की थी।

(3) जहां एक व्यक्ति जिसे उपधारा (1) के अधीन एक विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, ने निर्दिष्ट समय के भीतर इसे प्रस्तुत नहीं किया है, निर्धारित आय-कर प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति को एक नोटिस दे सकता है जिसमें उसे ऐसे के नोटिस की सेवा की तारीख से तीस दिनों से अधिक की अवधि के भीतर ऐसे के विवरण को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है और वह नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर विवरण प्रस्तुत करेगा।

(4) यदि कोई व्यक्ति, उपधारा (1) के अधीन एक विवरण प्रस्तुत करने के बाद, या उपधारा (3) के अधीन जारी किए गए नोटिस के अनुसरण में, विवरण में प्रदान की गई जानकारी में किसी भी अशुद्धि को जानता है या पाता है, तो वह दस दिनों के भीतर निर्धारित आय-कर प्राधिकारी को सूचित करेगा, ऐसे के विवरण में अशुद्धि और ऐसे से सही जानकारी प्रस्तुत करेगा जो विहित की जाए।

(5) केन्द्रीय सरकार, नियमों द्वारा विहित कर सकेगी—

(क) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को निर्धारित आय-कर प्राधिकारी के साथ पंजीकृत किया जाना है;

(ख) सूचना की प्रकृति और वह रीति जिसमें खंड (क) में निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा ऐसी जानकारी रखी जाएगी; और

(ग) किसी भी क्रिप्टो-आस्ति उपयोगकर्ता या मालिक की पहचान के उद्देश्य से उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला उचित परिश्रम।

(6) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, 'क्रिप्टो आस्ति' पद का वही अर्थ है, जो धारा 2(111)(घ) में उसका है।

वार्षिक सूचना
विवरण।

510. (1) विहित आय-कर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, निर्धारिती के रजिस्ट्रीकृत लेखा में, ऐसे प्ररूप और रीति में, ऐसी समयावधि के भीतर, और ऐसी सूचना के साथ, जो आय-कर प्राधिकारी के कब्जे में है, वार्षिक सूचना अपलोड करेगा जो विहित की जाए।

(2) उपधारा (1) में, "रजिस्ट्रीकृत लेखा" पद से अभिहित पोर्टल, अर्थात् विहित आय-कर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा उस रूप में अभिहित वेब पोर्टल में, निर्धारिती द्वारा रजिस्ट्रीकृत इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग लेखा अभिप्रेत है।

अंतरराष्ट्रीय समूह
के संबंध में रिपोर्ट
प्रस्तुत करना।

511. (1) भारत में निवासी प्रत्येक घटक अस्तित्व, यदि वह किसी अंतरराष्ट्रीय समूह, जिसका मूल अस्तित्व भारत में निवासी नहीं है, का घटक है विहित आय-कर प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप और रीति में, ऐसी तारीख को या उससे पहले, जो विहित की जाए निम्नलिखित सूचित करेगा,—

(क) क्या वह अंतरराष्ट्रीय समूह का अनुकल्पी रिपोर्ट करने वाला अस्तित्व है; या

(ख) अंतरराष्ट्रीय समूह के मूल अस्तित्व या अनुकल्पी रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व, यदि कोई हो, तथा देश या राज्यक्षेत्र, जिसके उक्त अस्तित्व निवासी हैं, के ब्यौरे ।

(2) भारत में निवासी प्रत्येक मूल अस्तित्व या अनुकल्पी रिपोर्ट करने वाला अस्तित्व ऐसे अंतरराष्ट्रीय समूह के संबंध में, जिसका वह घटक है, प्रत्येक रिपोर्ट करने वाले लेखांकन वर्ष के लिए उक्त रिपोर्ट किए जाने वाले लेखांकन वर्ष से बारह मास की अवधि के भीतर विहित आय-कर प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप और रीति में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जो विहित की जाए ।

(3) उपधारा (2) और उपधारा (4) में, किसी अंतरराष्ट्रीय समूह के संबंध में रिपोर्ट में निम्नलिखित सम्मिलित होगा—

(क) प्रत्येक देश या राज्यक्षेत्र, जिसमें समूह क्रियाशील है, के संबंध में राजस्व की रकम, आय-कर के पूर्व लाभ या हानि, संदत्त आय-कर की रकम, प्रोद्भूत आय-कर की रकम, कथित पूंजी, संचित उपार्जन, कर्मचारियों की संख्या और मूर्त अस्तित्वों, जो नकद या नकद के समतुल्य हैं, की बाबत सूचना का संकलन;

(ख) समूह के प्रत्येक घटक अस्तित्व के ब्यौरे जिसके अंतर्गत वह देश या राज्यक्षेत्र सम्मिलित है जिसमें ऐसा घटक अस्तित्व निगमित, संगठित या स्थापित है, और देश या राज्यक्षेत्र जहां का वह निवासी है;

(ग) प्रत्येक अस्तित्व के प्रमुख कारबार क्रियाकलाप या क्रियाकलापों की प्रकृति और ब्यौरे; और

(घ) कोई अन्य जानकारी जो विहित की जाए ।

(4) उपधारा (2) में निर्दिष्ट अस्तित्व से भिन्न, भारत में निवासी किसी अंतरराष्ट्रीय समूह का घटक अस्तित्व रिपोर्ट किए जाने वाले लेखांकन वर्ष के लिए अंतरराष्ट्रीय समूह के संबंध में उक्त उपधारा में निर्दिष्ट रिपोर्ट ऐसी अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा, जो विहित की जाए यदि मूल अस्तित्व ऐसे देश या राज्यक्षेत्र का निवासी है,—

(क) जहां मूल अस्तित्व उक्त उपधारा में निर्दिष्ट प्रकृति की रिपोर्ट फाइल करने के लिए बाध्य न हो;

(ख) जिसके साथ भारत का उक्त उपधारा में निर्दिष्ट प्रकृति की रिपोर्ट आदान-प्रदान का उपबंध करने वाला करार नहीं है;

(ग) जहां देश या राज्यक्षेत्र में क्रमबद्ध असफलता रही है और ऐसी असफलता की सूचना विहित आय-कर प्राधिकारी द्वारा ऐसे घटक अस्तित्व को दे दी गई है:

(5) समूह के ऐसे घटक अस्तित्व एक से अधिक हैं जो भारत में निवासी हैं, वहां रिपोर्ट उपधारा (4) में यथा उल्लिखित किसी भी एक घटक अस्तित्व द्वारा प्रस्तुत की जाएगी, यदि—

(क) अंतरराष्ट्रीय समूह ने, भारत में निवासी सभी घटक अस्तित्वों की ओर

से उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसरण में ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए ऐसे अस्तित्व को अभिहित किया है; और

(ख) समूह की ओर से ये जानकारी लिखित रूप में विहित आय-कर प्राधिकारी को भेज दी गई है।

(6) उपधारा (4) और उपधारा (5) के उपबंध बात लागू नहीं होंगे, यदि—

(क) अंतरराष्ट्रीय समूह के किसी अनुकल्पी अस्तित्व ने, उस देश या राज्यक्षेत्र के कर प्राधिकारी के पास जहां ऐसा अस्तित्व निवासी है उस देश या राज्यक्षेत्र द्वारा में विनिर्दिष्ट नियत तारीख को या उसके पूर्व उक्त उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रकृति की कोई रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ; और

(ख) निम्नलिखित शर्तों का समाधान हो गया है, अर्थात्:—

(i) उक्त देश या राज्यक्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है;

(ii) उक्त देश या राज्यक्षेत्र ने उक्त रिपोर्ट के आदान-प्रदान के लिए उपबंध करने वाला करार भारत के साथ किया है;

(iii) विहित आय-कर प्राधिकारी ने समूह के किसी ऐसे घटक अस्तित्व, जो भारत में निवासी है, को उक्त देश या राज्यक्षेत्र के संबंध में कोई क्रमबद्ध असफलता सूचित नहीं की है;

(iv) उक्त देश या राज्यक्षेत्र को घटक अस्तित्व द्वारा लिखित में सूचित किया गया है कि वह अंतरराष्ट्रीय समूह की ओर से अनुकल्पी रिपोर्ट करने वाला अस्तित्व है; और

(v) विहित आय-कर प्राधिकारी को उपधारा (1) के अनुसार उपधारा (4) और उपधारा (5) में निर्दिष्ट अस्तित्व द्वारा सूचित कर दिया गया है।

(7) विहित आय-कर प्राधिकारी, किसी रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व द्वारा दी गई रिपोर्ट के सही होने के अवधारण के लिए लिखित में सूचना जारी करके ऐसी जानकारी और दस्तावेज, जो सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, सूचना की प्राप्ति के तीस दिन के अंदर अस्तित्व से प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा और ऐसी अवधि ऐसे अस्तित्व द्वारा किए गए आवेदन पर अतिरिक्त तीस दिन की अवधि तक विस्तारित किया जा सकेगा।

(8) इस धारा के उपबंध किसी लेखा वर्ष के लिए अंतरराष्ट्रीय समूह के संबंध में लागू नहीं होंगे यदि कुल समेकित समूह राजस्व जो ऐसे लेखा वर्ष के पूर्ववर्ती लेखा वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण के अनुसार प्रकट हैं, ऐसी विहित रकम से अधिक नहीं है।

(9) इस धारा के उपबंध ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार और ऐसी शर्तों के अधीन लागू किए जाएंगे जो विहित की जाए।

(10) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “लेखा वर्ष” से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) कोई कर वर्ष, उस मामले में जहां मूल अस्तित्व भारत में निवासी

है; या

(ii) वार्षिक लेखा कालावधि जिसके संबंध में अंतरराष्ट्रीय समूह का मूल अस्तित्व तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या किसी अन्य मामले में उस देश या राज्यक्षेत्र के, जिसमें ऐसा अस्तित्व निवासी है, लागू लेखा मानकों के अधीन अपने वित्तीय विवरण तैयार करते हों;

(ख) “करार” से निम्नलिखित सभी करारों का संयोजन अभिप्रेत है,—

(i) धारा 159 (1) या (2) के अधीन किया गया कोई करार; और

(ii) उपधारा (2) में निर्दिष्ट रिपोर्ट के आदान-प्रदान के लिए और केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कोई करार;

(ग) “अनुकल्पी रिपोर्ट करने वाला अस्तित्व” से अंतरराष्ट्रीय समूह का ऐसा कोई घटक अस्तित्व अभिप्रेत है जिसे समूह द्वारा उस देश या राज्यक्षेत्र, जिसमें उक्त घटक अस्तित्व ऐसे समूह की ओर से निवासी है, उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रकृति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए मूल अस्तित्व के स्थान पर अभिहित किया गया है;

(घ) “घटक अस्तित्व” से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) किसी अंतरराष्ट्रीय समूह का ऐसा कोई पृथक् अस्तित्व जो वित्तीय रिपोर्ट करने वाले प्रयोजनों के लिए उक्त समूह के समेकित वित्तीय विवरण में सम्मिलित किया है या उक्त प्रयोजन के लिए इस प्रकार सम्मिलित किया जाए, यदि अंतरराष्ट्रीय समूह के किसी अस्तित्व के साधारण शेयर स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए जाने थे; या

(ii) ऐसा कोई अस्तित्व जिसे एकमात्र आकार या तात्त्विकता के आधार पर अंतरराष्ट्रीय समूह के समेकित वित्तीय विवरण से अपवर्जित किया गया है; या

(iii) उपखंड (i) या उपखंड (ii) में सम्मिलित अंतरराष्ट्रीय समूह के किसी पृथक् कारबार अस्तित्व का कोई स्थायी स्थापन, यदि ऐसी कारबार यूनिट वित्तीय रिपोर्ट करने, विनियामक, कर रिपोर्ट करने या आंतरिक प्रबंध नियंत्रण प्रयोजनों के लिए ऐसे स्थायी स्थापन के लिए पृथक् वित्तीय विवरण तैयार करता है;

(ङ) “समूह” में ऐसा मूल अस्तित्व और ऐसे सभी अस्तित्व सम्मिलित हैं जिनके संबंध में, स्वामित्व या नियंत्रण के कारण से, वित्तीय रिपोर्ट करने संबंधी प्रयोजनों के लिए समेकित वित्तीय विवरण—

(i) उस देश या राज्यक्षेत्र, जिसका मूल अस्तित्व निवासी है, में प्रवृत्त किसी विधि या लेखांकन मानकों के अधीन तैयार करना अपेक्षित है; या

(ii) तैयार किया जाना अपेक्षित होता, यदि किसी उद्यम के साधारण शेयर किसी ऐसे देश या राज्यक्षेत्र में, जिसका मूल अस्तित्व निवासी है, स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होते;

(च) “समेकित वित्तीय विवरण” से ऐसे अंतरराष्ट्रीय समूह का वित्तीय विवरण

अभिप्रेत है जिसमें मूल अस्तित्व और घटक अस्तित्व की आस्तियां, दायित्व, आय, खर्च और नकद प्रवाह एकल आर्थिक अस्तित्व के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं;

(छ) “अंतरराष्ट्रीय समूह” से कोई ऐसा समूह अभिप्रेत है जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं—

(i) दो या अधिक उद्यम जो विभिन्न देशों या राज्यक्षेत्रों के निवासी हैं; या

(ii) एक उद्यम, एक देश या क्षेत्र का निवासी होने के नाते, जो अन्य देशों या क्षेत्रों में स्थायी स्थापन के माध्यम से किसी भी कारवार को करता है;

(ज) “मूल अस्तित्व” से किसी अंतरराष्ट्रीय समूह का कोई ऐसा घटक अस्तित्व अभिप्रेत है जो अंतरराष्ट्रीय समूह के एक या अधिक अन्य घटक अस्तित्वों में कोई हित, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, धारित करता है, जैसे कि,—

(i) किसी भी विधि के अधीन एक समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना आवश्यक है या उस देश या क्षेत्र के लेखांकन मानकों के अधीन जिसमें इकाई निवासी है; या

(ii) एक समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना आवश्यक होता, यदि किसी उद्यम के इक्विटी शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होते,

और, ऐसे समूह की कोई अन्य घटक इकाई नहीं है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, पहले उल्लिखित घटक इकाई में किसी भी हित के स्वामित्व के कारण, उपखंड

(i) या (ii) में निर्दिष्ट परिस्थितियों के अधीन एक समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने की आवश्यकता है, जिसमें पहले उल्लिखित घटक इकाई का अलग वित्तीय विवरण शामिल है;

(झ) “स्थायी स्थापना” का अर्थ धारा 170(ग) में इसे सौंपा जाएगा;

(ज) “रिपोर्टिंग लेखा वर्ष” का अर्थ है लेखा वर्ष जिसके संबंध में वित्तीय और परिचालन परिणामों को उपधारा (2), उपधारा (4) और उपधारा (5) में निर्दिष्ट रिपोर्ट में प्रतिबिंबित किया जाना आवश्यक है;

(ट) “रिपोर्टिंग इकाई” का अर्थ है मूल इकाई या वैकल्पिक रिपोर्टिंग इकाई सहित घटक इकाई, जिसे उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रकृति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है;

(ठ) किसी देश या राज्यक्षेत्र के संबंध में “प्रणालीगत असफलता” से अभिप्रेत है कि उस देश या राज्यक्षेत्र का भारत के साथ एक करार है जिसमें उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रकृति की रिपोर्ट के आदान-प्रदान का उपबंध है, परन्तु—

(i) उक्त करार का उल्लंघन करते हुए, इसने स्वतः विनिमय को निलंबित कर दिया है; या

(ii) भारत में निवासी किसी संघटक सत्ता वाले किसी अंतरराष्ट्रीय समूह के संबंध में अपने कब्जे में भारत को रिपोर्ट स्वतः उपलब्ध कराने में निरंतर असफल रहा है।

512. (1) यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसे निर्धारितियों के संबंध में इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही या अभियोजन से संबंधित किसी निर्धारिती के नाम और किन्हीं अन्य विवरणों को प्रकाशित करना जनहित में आवश्यक या समीचीन है तो वह ऐसे नामों और विवरणों को ऐसी रीति से प्रकाशित कर सकेगी जैसा वह ठीक समझे।

कुछ मामलों में निर्धारितियों के संबंध में सूचना का प्रकाशन।

(2) इस धारा के अधीन इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित किसी शास्ति के लिए तब तक कोई प्रकाशन नहीं किया जाएगा जब तक कि धारा 356 या 357 के अधीन अपील फाइल करने की समय समाप्त नहीं हो जाती है और कोई अपील फाइल नहीं की जाती है या यदि कोई अपील फाइल नहीं की जाती है तो उसका निपटान नहीं कर दिया जाता है।

(3) फर्म के भागीदारों, निदेशकों, प्रबंध अभिकर्ता सचिवों और कोषाध्यक्षों, या कंपनी के प्रबंधकों, या एसोसिएशन के सदस्यों के नाम, यथास्थिति,, उपधारा (1) के अधीन भी प्रकाशित किया जा सकता है, यदि, केन्द्रीय सरकार की राय में, मामले की परिस्थितियां इसे उचित ठहराती हैं।

513. (1) किसी भी निर्धारिती, हकदार या किसी भी संपत्ति के मूल्यांकन से संबंधित मामलों में किसी भी आय-कर प्राधिकारी या अपीलीय न्यायाधिकरण से पहले भाग लेने के लिए आवश्यक, एक रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक के माध्यम से भाग ले सकते हैं।

कुछ मामलों में रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा उपस्थिति।

(2) उपधारा (1) के उपबंध लागू नहीं होंगे, जहां निर्धारिती को धारा 246 के अधीन शपथ या प्रतिज्ञान पर परीक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना आवश्यक है।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "मूल्यांकक" पद से धारा 514 के अधीन मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अभिप्रेत है

514. (1) प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त, या प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक, मूल्यांककों का एक रजिस्टर रखेगा जिसमें उपधारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के नाम और पते होंगे।

मूल्यांककों का रजिस्ट्रीकरण।

(2) कोई व्यक्ति, जो ऐसी आस्तियों के वर्ग का मूल्यांकन जो विहित किया जाए, करने के लिए, ऐसी अर्हता रखता है, प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक को ऐसे प्ररूप में मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने के लिए आवेदन कर सकेगा, जो ऐसी रीति से सत्यापित किया गया हो और ऐसी फीस के साथ, जो विहित किया जाए, यह घोषणा करते हुए कि आवेदक—

(क) मूल्यांकन के लिए आवश्यक किसी भी संपत्ति का निष्पक्ष और सही मूल्यांकन करना;

(ख) विहित प्ररूप में मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

(ग) फीस प्रभारित करना जो विहित दर अथवा दरों से अधिक न हो; और

(घ) किसी ऐसी आस्ति का निर्धारण करने से बचना जिसमें ऐसे व्यक्ति का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित हो।

(3) किसी भी संपत्ति के लिए एक रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा तैयार की गई

मूल्यांकन रिपोर्ट इस तरह के रूप में होगी और ऐसे सत्यापित की जाएगी, जो विहित किया जाए ।

प्राधिकृत
प्रतिनिधि
उपस्थिति।

515. (1) एक निर्धारिती, हकदार या इस अधिनियम के अधीन किसी भी कार्यवाही के लिए किसी भी आय-कर प्राधिकारी या अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष भाग लेने के लिए आवश्यक, एक प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से भाग ले सकते हैं ।

(2) उपधारा (1) के उपबंध लागू नहीं होंगे जहां किसी निर्धारिती को धारा 246 के अधीन शपथ या प्रतिज्ञान पर परीक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता होती है।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "प्राधिकृत प्रतिनिधि" का अर्थ है निर्धारिती द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, लिखित रूप में, उसकी ओर से उपस्थित होने के लिए,—

(i) निर्धारिती से संबंधित या नियमित रूप से किसी भी तरीके से नियोजित व्यक्ति; या

(ii) अनुसूचित बैंक का कोई भी अधिकारी जिसके साथ निर्धारिती चालू खाता रखता है या अन्य नियमित व्यवहार करता है; या

(iii) कोई भी विधि व्यवसायी, जो भारत में किसी सिविल न्यायालय में व्यवसाय करने का हकदार है; या

(iv) कोई लेखाकार; या

(v) कोई भी व्यक्ति, जिसने बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त कोई लेखा परीक्षा उत्तीर्ण की है; या

(vi) कोई भी व्यक्ति, जिसने ऐसे शैक्षिक अर्हताएं अर्जित की हैं जो विहित की जाए; या

(vii) कोई भी व्यक्ति, जो आय-कर अधिनियम, 1961 के लागू होने से पहले दादरा और नगर हवेली, गोवा, दमन और दीव, या पांडिचेरी के संघ राज्य क्षेत्र में, किसी भी निर्धारिती की ओर से उक्त क्षेत्र में आय-कर प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित हुआ अन्यथा उस निर्धारिती के कर्मचारी या रिश्तेदार के रूप में; या

(viii) कोई अन्य व्यक्ति, जो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 289

(2) (vii) के उपबंधों के अनुसार प्राधिकृत प्रतिनिधि था ; या

1922 का 11

(ix) यथाविहित कोई अन्य व्यक्ति जो विहित की जाए;

(ख) "लेखापाल" का अर्थ चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 2(1)(ख) में परिभाषित चार्टर्ड एकाउंटेंट है, जो उस अधिनियम की धारा 6(1) के अधीन अभ्यास का विधामान्य प्रमाणपत्र रखता है, किन्तु इसमें सम्मिलित नहीं है [उपधारा (1) के अधीन निर्धारिती का प्रतिनिधित्व करने के सिवाय,—

1949 का 38

(i) निर्धारिती के मामले में, कंपनी होने के नाते, व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 141(3) के अधीन उक्त कंपनी के लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है; या

2013 का 18

(ii) किसी अन्य मामले में,—

(क) निर्धारिती स्वयं, या व्यक्तियों की फर्म या संगम या हिंदू अभियुक्त परिवार होने के मामले में, ऐसी फर्म का कोई भागीदार या ऐसे संघ का सदस्य या ऐसे हिंदू अविभाजित परिवार;

(ख) एक निर्धारिती के लिए, रजिस्ट्रीकृत अलाभकारी संगठन होने के नाते, धारा 351(ज)(i) या (ii) या (iii) या (iv) में निर्दिष्ट कोई भी व्यक्ति;

(ग) उपखंड (क) और (ख) में निर्दिष्ट व्यक्तियों से भिन्न किसी भी व्यक्ति के लिए, वह व्यक्ति जो धारा 265 के अनुसार धारा 263 के अधीन विवरणी को सत्यापित करने के लिए सक्षम है;

(घ) उपखंड (क), (ख) और (ग) में निर्दिष्ट व्यक्तियों में से किसी के किसी भी रिश्तेदार;

(ङ) निर्धारिती का एक अधिकारी या कर्मचारी;

(च) एक व्यक्ति, जो, एक भागीदार है, या जो रोजगार में है, निर्धारिती के एक अधिकारी या कर्मचारी का;

(छ) एक व्यक्ति, जो या उसके रिश्तेदार या साथी—

(i) निर्धारिती की कोई प्रतिभूति या उसमें हित धारण कर रहा है और उसके रिश्तेदार द्वारा धारित ऐसी प्रतिभूति या ब्याज का अंकित मूल्य 100,000 रु. से अधिक नहीं है;

(ii) निर्धारिती का ऋणी है, और उसके रिश्तेदार के मामले में ऐसा ऋण 100,000 रु. से अधिक नहीं है;

(iii) निर्धारिती को किसी तीसरे व्यक्ति की ऋणग्रस्तता के संबंध में प्रत्याभूति दी गई है या सुरक्षा प्रदान की गई है और ऐसा रिश्तेदार प्रत्याभूति देता है या 100,000 रु. से अधिक की राशि के लिए सुरक्षा प्रदान करता है;

(ज) एक व्यक्ति, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, इस तरह की प्रकृति के निर्धारिती के साथ व्यावसायिक संबंध रखता है, जो विहित की जाए;

(झ) धोखाधड़ी वाले अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध व्यक्ति और ऐसी दोषसिद्धि की तारीख से दस वर्ष बीत नहीं गया है।

(4) कोई व्यक्ति,—

(क) जिसे सरकारी सेवा से बर्खास्त किया गया है या हटा दिया गया है; या

(ख) जो किसी भी आय-कर कार्यवाही के साथ जुड़े एक अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है या जिस पर एक शास्ति इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित की गई है, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 217(1) (ii) या धारा 272(1)(घ) के अधीन अधिरोपित की गई शास्ति के सिवाय; या

(ग) जो दिवालिया हो गया है; या

(घ) जिसे धोखाधड़ी से जुड़े अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है,

उपधारा (1) के अधीन एक निर्धारिती का निम्नलिखित का प्रतिनिधित्व करने के लिए अर्हित नहीं होगा,—

(i) सभी समय, खंड (क) में निर्दिष्ट व्यक्ति के मामले में;

(ii) ऐसे समय जो प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त आदेश द्वारा निर्धारित कर सकते हैं, खंड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्ति के मामले में;

(iii) उस अवधि जिसके दौरान दिवालियापन जारी रहता है, खंड (ग) में निर्दिष्ट व्यक्ति के मामले में; और

(iv) खंड (घ) में निर्दिष्ट व्यक्ति के मामले में दोषसिद्धि की तारीख से दस वर्ष ।

(5) यदि कोई व्यक्ति,—

(क) जो विधि व्यवसायी या लेखाकार है, उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां संस्थित करने के लिए प्राधिकृत किसी प्राधिकारी द्वारा अपनी वृत्तिक क्षमता में कदाचार का दोषी पाया जाता है, उस प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश आय-कर प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के उसके अधिकार को उसी रीति से प्रभावित करेगा, जिस रीति से वह, यथास्थिति, विधि व्यवसायी या लेखापाल के रूप में अभ्यास करने के उसके अधिकार को प्रभावित करता है ;

(ख) जो एक विधि व्यवसायी या एक लेखाकार नहीं है, और निर्धारित आय-कर प्राधिकारी द्वारा किसी भी आय-कर कार्यवाही में कदाचार का दोषी पाया जाता है, वह अब से उपधारा (1) के अधीन एक निर्धारिती का प्रतिनिधित्व करने से अयोग्य घोषित किया जाएगा कि इस तरह के प्राधिकारी द्वारा निर्देशित किया जा सकता है ।

(6) उपधारा (4)(ख) या (5)(ख) के अधीन प्रत्येक आदेश या निदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :—

(क) किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसा कोई आदेश या निदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो;

(ख) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध ऐसा आदेश या निदेश दिया गया है, उक्त आदेश या निदेश के एक मास के भीतर, बोर्ड को उस आदेश या निदेश को रद्द करने की अपील कर सकेगा; और

(ग) ऐसा कोई आदेश या निदेश तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि उसके बनाने से एक महीना बीत नहीं जाता है, या, यदि अपील दायर की गई है, अपील के निपटान तक।

(7) भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 की धारा 61 (3) या आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 288 (5) के आधार पर एक निर्धारिती का प्रतिनिधित्व

1922 का 11

1961 का 43

करने के लिए अयोग्य घोषित व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन एक निर्धारिती का प्रतिनिधित्व करने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा।

(8) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति के संबंध में "सापेक्ष" पद से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

- (क) व्यक्ति का पति या पत्नी;
- (ख) व्यक्ति का भाई या व्यक्ति की बहन;
- (ग) व्यक्ति के पति या पत्नी का भाई या बहन;
- (घ) व्यक्ति का कोई मातृ वंशीय लग्न;
- (ङ) व्यक्ति के पति कोई मातृ वंशीय लग्न या पितृ वंशज या पत्नी के कोई मातृ वंशीय लग्न या पितृ वंशज;
- (च) खंड (ख), (ग), (घ) या (ङ) में निर्दिष्ट व्यक्ति का पति या पत्नी; और
- (छ) व्यक्ति या व्यक्ति के पति या पत्नी के भाई या बहन के किसी भी वंशज का कोई भी वंशज ।

516. इस अधिनियम के अधीन संगणित कुल आय की रकम या देय या वापसी योग्य किसी भी रकम, पैसे से युक्त रुपये के किसी भी हिस्से की अनदेखी करते हुए दस रुपये के निकटतम गुणांक में पूर्णांकित किया जाएगा और उसके बाद यदि ऐसी रकम दस का गुणक नहीं है, तो—

कुल आय की राशि, या देय या वापसी योग्य रकम का पूर्णांकन ।

(क) ऐसी रकम को अगली उच्च रकम तक बढ़ाई जाएगी जो 10 का गुणक है, यदि उस रकम में अंतिम आंकड़ा पांच या अधिक है; या

(ख) ऐसी रकम को अगली निचली रकम में घटा दी जाएगी जो दस का गुणक है, यदि अंतिम आंकड़ा पांच से कम है,

और इस प्रकार पूर्णांकित रकम यथास्थिति, निर्धारिती की कुल आय या देय रकम और देय प्रतिदाय इस अधिनियम के अधीन देय या प्रतिदेय समझी जाएगी ।

517. इस अधिनियम के अधीन संदत्त या वसूल किए गए किसी धन के लिए रसीद दी जाएगी।

रसीद दी जानी है।

518. किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित आय के संबंध में इस अधिनियम के अनुसरण में किसी भी कर में कटौती, बनाए रखने या संदाय करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कटौती, प्रतिधारण या उसके भुगतान के लिए क्षतिपूर्ति की जाएगी।

क्षतिपूर्ति।

519. (1) केन्द्रीय सरकार, यदि यह राय है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आय को छिपाने या आय पर कर के भुगतान की चोरी के लिए किसी भी व्यक्ति के साक्ष्य प्राप्त करने की दृष्टि से यह आवश्यक या समीचीन है कि प्रकट हो सकता है लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, ऐसे व्यक्ति को निविदा,—

अभियोजन से प्रतिरक्षा प्रदान करने की शक्ति।

(क) इस अधिनियम के अधीन या भारतीय न्याय संहिता, 2023, या किसी अन्य केंद्रीय अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध के लिए अभियोजन से उन्मुक्ति; और

(ख) आय छिपाने या आय पर कर के संदाय के अपवंचन से संबंधित समस्त परिस्थितियों का पूर्ण और सत्य प्रकटीकरण करने की शर्त पर इस अधिनियम के

अधीन कोई शास्ति अधिरोपित करने से।

(2) संबंधित व्यक्ति को की गई और उसके द्वारा स्वीकृत प्रतिरक्षा की निविदा, उस सीमा तक, जिस सीमा तक प्रतिरक्षा का विस्तार है, उसे किसी ऐसे अपराध के लिए अभियोजन से, जिसके संबंध में निविदा की गई थी, या इस अधिनियम के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित करने से प्रतिरक्षा प्रदान करेगी।

(3) यदि केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति जिसे इस धारा के अधीन उन्मुक्ति प्रदान की गई है—

(क) ने उन शर्तों का अनुपालन नहीं किया है जिन पर निविदा दी गई थी; या

(ख) जानबूझ कर कुछ छुपा रहा है; या

(ग) मिथ्या साक्ष्य दे रहा है,

केन्द्रीय सरकार उस प्रभाव के लिए एक निष्कर्ष दर्ज कर सकती है, और उसके बाद प्रतिरक्षा को वापस ले लिया गया माना जाएगा।

(4) जिस व्यक्ति की प्रतिरक्षा उपधारा (3) के अधीन वापस ले ली गई है, उस अपराध के लिए, जिसके संबंध में प्रतिरक्षा की निविदा की गई थी या किसी अन्य अपराध के लिए, जिसके संबंध में वह उसी विषय के संबंध में दोषी प्रतीत होता है, विचारण किया जा सकेगा और वह इस अधिनियम के अधीन ऐसी शास्ति अधिरोपित करने का भी दायी होगा, जिसके लिए वह अन्यथा उत्तरदायी होता।

अपराधों का संज्ञान लेना।

520. प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 401 लागू नहीं होना।

521. अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 401 के उपबंध इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति पर तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कि वह व्यक्ति अठारह वर्ष से कम आयु का न हो।

1958 का 20
2023 का 46

आय की विवरणी, आदि कुछ आधारों पर अमान्य नहीं होना चाहिए।

522. इस अधिनियम के किसी भी उपबंध के अनुसरण में आय, निर्धारण, नोटिस, सम्मन या अन्य कार्यवाही में, प्रस्तुत की गई या जारी की गई या ली गई कोई विवरणी अमान्य नहीं होगी या केवल किसी गलती के कारण समझी मानी जाएगी, आय, निर्धारण, नोटिस, सम्मन या अन्य कार्यवाही की ऐसी विवरणी में दोष या चूक, यदि आय, निर्धारण, नोटिस, सम्मन या अन्य कार्यवाही की ऐसी विवरणी इस अधिनियम के आशय और उद्देश्यों के अनुरूप या उसके अनुरूप पदार्थ और प्रभाव में है।

नोटिस कुछ परिस्थितियों में वैध माना जाता है।

523. (1) जहां एक निर्धारिती किसी भी कार्यवाही में उपस्थित हुआ है या किसी निर्धारण या पुनर्निर्धारण से संबंधित किसी भी जांच में सहयोग किया है, यह समझा जाएगा कि इस अधिनियम के अधीन कोई नोटिस, जिसे उस पर तामील किया जाना आवश्यक है, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार समय पर उस पर विधिवत तामील किया गया है और ऐसे निर्धारिती को इस अधिनियम के अधीन किसी भी कार्यवाही या

जांच में कोई आपत्ति लेने से रोका जाएगा कि नोटिस था—

- (क) उस पर सेवा नहीं की गई;
- (ख) उसे समय पर सेवा नहीं दी गई; या
- (ग) अनुचित तरीके से उस पर सेवा की।

(2) उपधारा (1) के उपबंध वहां लागू नहीं होंगे जहां निर्धारिती ने इस तरह के निर्धारण या पुनर्निर्धारण के पूरा होने से पहले ऐसी आपत्ति उठाई है।

524. (1) जहां खाते की कोई किताबें, अन्य दस्तावेज पैसे, बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान लेख या चीज दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक रूप में कोई जानकारी (धारा 261 (छ) में यथापरिभाषित या कंप्यूटर सिस्टम पर (धारा 261 (ड.) में यथापरिभाषित या उक्त जानकारी अंतर्विष्ट करने वाला कोई कंप्यूटर सिस्टम, धारा 247 के अधीन तलाश या धारा 253 के अधीन सर्वेक्षण के दौरान किसी भी व्यक्ति के कब्जे या नियंत्रण में पाई जाती है, यह इस अधिनियम के अधीन किसी भी कार्यवाही में, माना जा सकता है—

(क) कि खाते की ऐसी किताबें, अन्य दस्तावेज, पैसा, बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान लेख या चीज या ऐसी जानकारी या कंप्यूटर सिस्टम से संबंधित हैं या से संबंधित हैं;

(ख) कि लेखा की ऐसी पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों या किसी ऐसी जानकारी या कंप्यूटर सिस्टम की विषय-वस्तु सत्य है;

(ग) खाते की ऐसी पुस्तकों और अन्य दस्तावेज के हस्ताक्षर और हर दूसरे भाग, जो किसी विशेष व्यक्ति की लिखावट में होने का दावा करते हैं, या जिसे उचित रूप से हस्ताक्षरित किया जा सकता है, या किसी विशेष व्यक्ति की लिखावट में माना जा सकता है, उस व्यक्ति की लिखावट में हैं;

(घ) मुहर लगी, निष्पादित या सत्यापित किए गए दस्तावेज के मामले में, कि यह उस व्यक्ति द्वारा सम्यक रूप से मुहर और निष्पादित या सत्यापित किया गया था जिसके द्वारा यह इस तरह निष्पादित या सत्यापित किया गया है।

(ड.) ऐसी सूचना का इलेक्ट्रानिक प्ररूप में या ऐसे कंप्यूटर सिस्टम जिसका किसी पक्षकार के बीच आदान-प्रदान होना तात्पर्यित है, उसके पक्षकारों के बीच विनिमय किया जाता है।

(2) जहां धारा 253 के अनुसार लेखा की कोई पुस्तकें, अन्य दस्तावेज या संपत्ति मांगकर्ता अधिकारी को दी गई हैं, तो, वहां उपधारा (1) के उपबंध ऐसे लागू होंगे जैसे खाते की ऐसी बहियां, अन्य दस्तावेज या संपत्ति, जो उक्त धारा की उपधारा (1) (क) या (ख) या (ग) में निर्दिष्ट व्यक्ति से हिरासत में ली गई थीं, धारा 247 के अधीन तलाशी के दौरान उस व्यक्ति के कब्जे या नियंत्रण में पाया गया था।

525. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात पर विचार किए बिना,—

(क) धारा 247 के अधीन एक प्राधिकरण जारी करना या प्रत्येक व्यक्ति के नाम से अलग से धारा 248 के अधीन एक मांग करना आवश्यक नहीं होगा;

परिसंपत्तियों, लेखा पुस्तकों आदि के बारे में अनुमान।

खोज या माँग के मामले में प्राधिकरण और मूल्यांकन।

(ख) जहां धारा 247 के अधीन प्राधिकार जारी किया गया है या धारा 248 के अधीन मांग की गई है जिसमें उसमें एक से अधिक व्यक्तियों के नाम का उल्लेख किया गया है वहां ऐसे प्राधिकार या मांग पर एक से अधिक व्यक्तियों के ऐसे नामों का उल्लेख यह नहीं समझा जाएगा कि वह ऐसे व्यक्तियों के संगम या व्यष्टियों के निकाय के नाम पर जारी किया गया था।

(2) धारा 247 के अधीन जारी किए गए प्राधिकार या धारा 248 के अधीन की गई मांग जिसमें एक से अधिक व्यक्तियों के नाम का उल्लेख किया गया हो, ऐसे प्राधिकार या मांग में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति के नाम पर कर निर्धारण या पुनर्मूल्यांकन पृथक् रूप से किया जाएगा।

सिविल न्यायालयों में वादों पर रोक ।

526. इस अधिनियम के अधीन की गई या किए गए आदेश को अपास्त करने या उपांतरित करने के लिए किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद नहीं लाया जाएगा और इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए सरकार या सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई अभियोजन, वाद या अन्य कार्यवाही नहीं होगी।

खनिज तेलों के पूर्वक्षण के व्यवसाय में भागीदारी के संबंध में छूट, आदि करने की शक्ति।

527. (1) यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि यह सार्वजनिक हित में आवश्यक या समीचीन है, तो वह अधिसूचना द्वारा, उपधारा (2) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के किसी वर्ग के लिए छूट, दर में कमी, या आय-कर का अन्य संशोधन कर सकती है या व्यक्तियों के ऐसे वर्ग की आय के पूरे या किसी हिस्से के संबंध में या स्थिति जिसमें व्यक्तियों के ऐसे वर्ग या उसके सदस्यों को होना है उपधारा (2) (क) में निर्दिष्ट व्यवसाय से उनकी आय पर मूल्यांकन किया गया, जो 1 अप्रैल, 1992 को या उसके बाद शुरू होने वाले कर वर्ष से प्रभावी है।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति निम्नलिखित होंगे:—

(क) वे व्यक्ति जिनके साथ केन्द्रीय सरकार ने उस सरकार की संबद्धता या सहभागिता के लिए करार किए हैं या खनिज तेलों के पूर्वक्षण या निष्कर्षण या उत्पादन के किसी कारबार में उस सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति;

(ख) किसी ऐसे कारबार के लिए कोई सेवा या सुविधा प्रदान करने वाले या किसी जहाज, वायुयान, मशीनरी या संयंत्र (चाहे विक्रय या भाड़े द्वारा) की आपूर्ति करने वाले व्यक्ति, जिसमें उस सरकार द्वारा किए गए खनिज तेलों का पूर्वक्षण या निष्कर्षण या उत्पादन शामिल है, या उस सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति; और

(ग) खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के कर्मचारी।

(3) इस धारा के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

(4) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "खनिज तेल" के अन्तर्गत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है;

(ख) "स्थिति" का अर्थ है धारा 2 (77) में परिभाषित व्यक्ति की श्रेणी जिसके अधीन निर्धारिती का निर्धारण किया जाता है।

528. जहां इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट तारीख से पहले केन्द्रीय सरकार या बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त किया जाना अपेक्षित है वहां केन्द्रीय सरकार अथवा बोर्ड पर्याप्त कारण से ऐसा अनुमोदन प्राप्त करने में होने वाले किसी विलम्ब को क्षमा कर सकता है।

अनुमोदन प्राप्त करने में होने वाले विलम्ब को क्षमा करने की केन्द्रीय सरकार अथवा बोर्ड की शक्ति।

529. केन्द्रीय सरकार या बोर्ड या आय-कर प्राधिकारी, किसी भी निर्धारिती, केन्द्रीय सरकार या बोर्ड या इस तरह के आय-कर प्राधिकारी को इस अधिनियम के किसी भी उपबंध के अधीन किसी भी अनुमोदन अनुदान करने की शक्ति है, इस तरह के अनुमोदन वापस ले सकते हैं इसके कारणों को रिकॉर्ड करने के बाद किसी भी समय, भले ही इस तरह के उपबंध विशेष रूप से इसकी वापसी के लिए अनुमति नहीं देता है, ऐसे निर्धारिती को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद।

अनुमोदन वापस लेने की शक्ति।

530. यदि किसी कर वर्ष में 1 अप्रैल को, उस कर वर्ष के लिए आय-कर के प्रभार के लिए एक केन्द्रीय अधिनियम द्वारा अभी तक उपबंध नहीं किया गया है, तो यह अधिनियम तब तक प्रभावी होगा जब तक कि ऐसा उपबंध नहीं किया जाता है, जैसे कि पूर्ववर्ती कर वर्ष में लागू उपबंध या विधेयक में प्रस्तावित उपबंध संसद् के सामने, जो भी निर्धारिती के लिए अधिक अनुकूल है, वास्तव में लागू थे।

कर के प्रभार के लिए विधायी उपबंध लंबित होने के कारण अधिनियम प्रभावी होगा।

531. जहां केन्द्रीय सरकार इसे आवश्यक या समीचीन समझती है, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, किसी भी निर्धारिती या निर्धारिती के वर्ग के पक्ष में आय-कर या सुपर-टैक्स के संबंध में छूट, दर में कमी या अन्य संशोधन को रद्द कर सकती है या किसी भी निर्धारिती या निर्धारिती या निर्धारिती के वर्ग की आय के पूरे या किसी भी हिस्से के संबंध में, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 294क के उपबंधों के अनुसार बनाया गया है।

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 294क के अधीन पहले से दी गई कतिपय संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में छूट को रद्द करने की शक्ति।

532. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों में से किसी के लिए स्कीम बना सकेगी, जिससे निम्नलिखित द्वारा अधिक दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही प्रदान की जा सके—

स्कीम बनाने की शक्ति।

(क) निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति के साथ इंटरफेस को तकनीकी रूप से व्यवहार्य सीमा तक समाप्त करना;

(ख) पैमाने और कार्यात्मक विशेषज्ञता की अर्थव्यवस्थाओं के माध्यम से संसाधनों के उपयोग का अनुकूलन।

(2) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन बनाई गई स्कीम को प्रभावी करने के प्रयोजनों के लिये, अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम का कोई उपबंध ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों के साथ, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं, लागू नहीं होगा या लागू होगा।

(3) जहां आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति के साथ इंटरफेस को समाप्त करने के उद्देश्य से एक योजना अधिसूचित की गई है, केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उक्त योजना में संशोधन या संशोधन कर सकती है, और उपधारा (2) के उपबंध तदनुसार

लागू होंगे।

(4) उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, अधिसूचना जारी होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

नियम बनाने की
शक्ति।

533. (1) बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगा।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे:—

(क) आय के किसी भी वर्ग का पता लगाना और निर्धारण;

(ख) वह रीति और प्रक्रिया जिसके द्वारा आय के मामले में निष्कर्ष निकाला जाएगा—

(i) कृषि से और कारबार से भाग में प्राप्त आय;

(ii) भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति;

(iii) किसी अनिवासी द्वारा भारत में किए गए संचालन;

(iv) अनिवासी के संव्यवहार या क्रियाकलाप;

(v) एक व्यक्ति, जो धारा 99(3) और (4) के अधीन निर्धारण किए जाने के लिए उत्तरदायी है;

(ग) इस अधिनियम के अधीन कर के लिए प्रभार्य किसी अनुलाभ के मूल्य का अवधारण, ऐसी रीति से और ऐसे आधार पर जो बोर्ड को उचित और युक्तियुक्त प्रतीत हो;

(घ) लिखित मूल्य पर प्रतिशत जिसे भवनों, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर के लिए मूल्यहास के रूप में अनुमति दी जा सकती है;

(ङ) धारा 62 में विनिर्दिष्ट विषय;

(च) शर्तें या सीमाएं जिनके अधीन एक निर्धारिती द्वारा किए गए किराए का कोई संदाय धारा 134 के अधीन कटौती की जाएगी;

(छ) अध्याय 11 में विनिर्दिष्ट विषय ;

(ज) वह समय जिसके भीतर कोई व्यक्ति स्थायी खाता संख्या के आवंटन के लिए आवेदन कर सकता है, वह प्ररूप और रीति जिसमें ऐसा आवेदन किया जा सकता है और ऐसे आवेदन में वे विवरण और वे विवरण जिनमें ऐसे आवेदन शामिल होंगे और वे संव्यवहार जिनके संबंध में धारा 262 के अधीन ऐसे लेन-देन से संबंधित दस्तावेजों पर स्थायी खाता संख्या उद्धृत की जाएगी;

(झ) दस्तावेज, विवरण, रसीदें, प्रमाणपत्र या लेखा परीक्षित रिपोर्ट जो विवरणी के साथ प्रस्तुत नहीं की जा सकती हैं, लेकिन धारा 263 (2) (क) के अधीन मांग पर मूल्यांकन अधिकारी के समक्ष पेश की जाएंगी;

(ञ) व्यक्तियों का वर्ग या वर्ग जिन्हें आय की विवरणी इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी; इलेक्ट्रॉनिक रूप में उक्त विवरणी प्रस्तुत करने

का प्ररूप और रीति; दस्तावेज, कथन, रसीदें, प्रमाणपत्र या रिपोर्ट जो इलैक्ट्रॉनिक रूप में विवरणी और कंप्यूटर संसाधन या इलैक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के साथ प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे, जिसमें इस तरह की विवरणी धारा 263(2) (क) के अधीन प्रेषित की जा सकती है;

(ट) मामलों, संपत्ति की प्रकृति और मूल्य, व्यय की सीमाएं और शीर्ष और आउटगोइंग, जिन्हें धारा 263 (2) (ख) के अधीन निर्धारित किया जाना आवश्यक है;

(ठ) लेखापरीक्षा या मालसूची मूल्यांकन की रिपोर्ट का प्ररूप और वे विवरण जिनमें ऐसी रिपोर्ट धारा 268(5) के अधीन होगी;

(ड) धारा 274(21) के अधीन अनुमोदन पैनल के अध्यक्ष और सदस्यों का पारिश्रमिक और धारा 274(24) के अधीन अनुमोदन पैनल द्वारा संदर्भों के गठन, कार्यकरण और निपटान के लिए प्रक्रिया और रीति;

(ढ) वह प्ररूप और रीति, जिसमें धारा 397(3)(घ) के अधीन किसी राशि के संदाय से सम्बन्धित सूचना दी जा सकेगी;

(ण) इस अधिनियम के प्रयोजनों में से किसी के लिए विहित किया जाने वाला प्राधिकार;

(त) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा दोहरे कराधान के संबंध में राहत प्रदान करने के लिए या दोहरे कराधान के परिहार के लिए किसी करार को प्रभावी करने की प्रक्रिया;

(थ) इस अधिनियम के अधीन संदेय आय-कर के विरुद्ध, धारा 159 या 160 के अधीन भारत के बाहर किसी देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में संदत किसी आय-कर की राहत या कटौती प्रदान करने की प्रक्रिया;

(द) वह प्ररूप और रीति जिसमें कोई आवेदन, दावा, विवरणी या सूचना दी जा सकेगी या प्रस्तुत की जा सकेगी और वह फीस जो किसी आवेदन या दावे के संबंध में उद्गृहीत की जा सकेगी;

(ध) वह रीति जिससे इस अधिनियम के अधीन फाइल किए जाने के लिए अपेक्षित कोई दस्तावेज सत्यापित किया जा सकेगा;

(ड) प्रतिदाय के आवेदनों के संबंध में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है;

(प) इस अधिनियम के अधीन निर्धारिती या सरकार द्वारा निर्धारितियों को संदेय ब्याज की गणना करने की प्रक्रिया, जिसमें उस अवधि का पूर्णांकन भी शामिल है जब एक मास का एक अंश शामिल है, और उन परिस्थितियों को निर्दिष्ट करना जिनके अधीन और किस हद तक निर्धारिती द्वारा देय ब्याज की छोटी राशि को नजरअंदाज किया जा सकता है;

(फ) वह प्ररूप और रीति जिसमें कोई अपील या प्रत्याक्षेप इस अधिनियम के अधीन दाखिल किया जा सकेगा, उसकी बाबत संदेय फीस और वह रीति जिसमें ऐसे किसी आदेश की जैसी धारा 358(3)(ख) में निर्दिष्ट है, प्रज्ञापना की तामील की जा सकेगी ;

(ब) किसी ऐसे मामले का विनियमन जिसके लिए धारा 420 में उपबंध किया गया है;

(भ) वे परिस्थितियां जिनमें, वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए वह रीति जिसमें सयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील) किसी अपीलार्थी को ऐसा साक्ष्य पेश करने के लिए अनुज्ञात कर सकता है जो उसने आय-कर अधिकारी के समक्ष पेश नहीं किया था या जिसे पेश करने के लिए उसे अनुज्ञात नहीं किया गया था;

(म) वह प्ररूप जिसमें धारा 507 के अधीन कथन आय-कर अधिकारी को परिदत्त किया जाएगा;

(य) धारा 515(5) में यथा परिभाषित विधि व्यवसायियों और लेखापालों से भिन्न ऐसे व्यक्तियों के, जो आय-कर प्राधिकारियों के समक्ष विधि व्यवसाय करते हैं, रजिस्टर का रखा जाना निर्दिष्ट प्राधिकारी का गठन और उसके द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया;

(यक) निर्धारिती द्वारा कर का संदाय सत्यापित करने वाले प्रमाणपत्र का दिया जाना; और

(यख) कोई अन्य विषय, जो इस अधिनियम द्वारा विहित किया जाना हो या किया जाए ।

(3) उपधारा (2) के अधीन आने वाले मामलों में, जहां कर के दायित्वाधीन आय निश्चयपूर्वक अभिनिश्चित नहीं की जा सकती या निर्धारिती को इतने कष्ट और व्यय से ही अभिनिश्चित की जा सकती है जो बोर्ड की राय में अयुक्तियुक्त है, वहां इस धारा के अधीन बनाए गए नियम—

(क) ऐसी पद्धतियां विहित कर सकेंगे जिनके द्वारा ऐसी आय का प्राक्कलन किया जाए;

(ख) उपधारा (2) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (i) के अधीन आने वाले मामलों में, आय का वह अनुपात विनिर्दिष्ट कर सकेंगे जिसे कर के दायित्वाधीन आय समझा जाएगा,

और ऐसे प्राक्कलन या अनुपात पर आधारित निर्धारण इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार सम्यक् रूप से किया गया समझा जाएगा ।

(4) इस धारा द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति के अन्तर्गत नियमों की या उनमें से किसी नियम को भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति भी है और जब तक (अभिव्यक्ततः या आवश्यक विवक्षा द्वारा) इसके प्रतिकूल अनुज्ञात न किया जाए तब तक किसी नियम को इस प्रकार भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जाएगा कि निर्धारिती के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े तथा इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से पूर्वतर किसी तारीख से भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जाएगा ।

संसद् के समक्ष
रखा जाना ।

534. केन्द्रीय सरकार,—

(क) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम;

(ख) धारा 263(3) और धारा 264 और अध्याय 13छ के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना ; और

(ग) धारा 364 के अधीन अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा तैयार प्रक्रिया के नियम,

को उस नियम के बनाए जाने या उस अधिसूचना के जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखवाएगी। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं, तो तत्पश्चात् उसका ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभाव होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन, सहमत हो जाएं कि उस नियम को नहीं बनाया जाना चाहिए या उस अधिसूचना को जारी नहीं किया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। किन्तु नियम या अधिसूचना के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

535. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, केन्द्रीय सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, ऐसा कुछ भी कर सकेगी ऐसे उपबंधों से जो असंगत न हो, और जो उसे वह कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

कठिनाइयों को दूर करना।

(2) विशिष्टितया, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई आदेश, उन अनुकूलनों और उपातरणों के लिए उपबंध कर सकेगा जिसके अधीन आय-कर अधिनियम 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले कर वर्ष या किसी पूर्वतर कर वर्ष के लिए निर्धारणों के संबंध में लागू होगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश 1 अप्रैल, 2026 से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(4) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

1961 का 43

536. (1) आय-कर अधिनियम, 1961 निरसित किया जाता है।

निरसन और व्यावृत्ति।

(2) आय-कर अधिनियम, 1961 के निरसन पर विचार किए बिना (जिसे इसमें इसके पश्चात् निरसित अधिनियम कहा गया है) और उपधारा (3) के अध्ययधीन रहते हुए,—

(क) कोई बात निरसित अधिनियम और आदेशों के पूर्ववर्ती प्रवर्तन या उसके अधीन सम्यक रूप से किए गए या सहन किए गए किसी कार्य पर प्रभाव नहीं डालेगी; या

(ख) कोई बात निरसित अधिनियम या ऐसे निरसित अधिनियम के अधीन आदेशों के अधीन अर्जित प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी;

(ग) निरसित आयकर अधिनियम के उपबंध अधिनियम के प्रारंभ होने के कारण लंबित किसी भी कार्यवाही के संबंध में और 1 अप्रैल, 2026 के पश्चात् शुरु किए जाएंगे और किसी कार्यवाही के संबंध में को या उससे पहले शुरु होने

वाले किसी कर वर्ष के संबंध में किसी कार्यवाही (जिसके अंतर्गत सूचना, परिपत्र, निर्धारण, पुनर्निर्धारण, पुनःसंगणना, सुधार, शास्ति, निर्देश, पुनरीक्षण और अपील भी हैं) पर लागू होते रहेंगे और ऐसी कार्यवाहियां निरसित आयकर अधिनियम में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार की जाएंगी।

(घ) 1 अप्रैल, 2026 को या उससे पहले शुरू होने वाले किसी भी कर वर्ष के संबंध में जुर्माना लगाने के लिए कोई भी कार्यवाही शुरू की जा सकती है और निरसित अधिनियम के अधीन ऐसा कोई जुर्माना लगाया जा सकता है, जैसे कि यह अधिनियम अधिनियमित नहीं किया गया था;

(ङ) किसी भी आय-कर प्राधिकारी या निरस्त आय-कर अधिनियम, अपीलीय न्यायाधिकरण, या किसी भी न्यायालय के अधीन गठित किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष इस अधिनियम के प्रारंभ पर लंबित कोई भी कार्यवाही, आवेदन, अपील, संदर्भ या संशोधन के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से, जारी रखा जाएगा और निपटाया जाएगा जैसे कि यह अधिनियम अधिनियमित नहीं किया गया था;

(च) किसी भी आय-कर प्राधिकारी या निरस्त आय-कर अधिनियम, अपीलीय न्यायाधिकरण, या किसी भी न्यायालय के अधीन गठित किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष इस अधिनियम के प्रारंभ पर लंबित कोई भी कार्यवाही, आवेदन, अपील, संदर्भ या संशोधन के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से, जारी रखा जाएगा और निपटाया जाएगा जैसे कि यह अधिनियम अधिनियमित नहीं किया गया था;

(छ) जहां 1 अप्रैल, 2026 को या उससे पहले शुरू होने वाले किसी भी कर वर्ष से संबंधित किसी भी कार्यवाही के संबंध में,—

(i) इस अधिनियम के शुरू होने के बाद धन वापसी हो जाती है; या

(ii) इस तरह की कार्यवाही के अधीन देय किसी भी राशि के भुगतान में इस तरह के प्रारंभ के बाद चूक की जाती है,

इस अधिनियम के उपबंध, रिफंड पर केंद्रीय सरकार द्वारा देय ब्याज और चूक के लिए निर्धारित द्वाारा देय ब्याज से संबंधित, इस अधिनियम के प्रारंभ के बाद की अवधि के लिए लागू होंगे;

(ज) जहां किसी भी कटौती की अनुमति दी गई है या किसी भी व्यक्ति की कुल आय में कोई राशि शामिल नहीं की गई है, 1 अप्रैल, 2025 को या उससे पहले शुरू होने वाले किसी भी कर वर्ष के लिए कुछ शर्तों को पूरा करने के अधीन, और उल्लंघन के मामले में 1 अप्रैल को या उसके बाद शुरू होने वाले किसी भी कर वर्ष में ऐसी शर्तें, 2026, किसी भी राशि (पहले की अनुमति दी गई कटौती के कारण या शामिल नहीं की गई राशि) को निरसित अधिनियम के अधीन ऐसे बाद के कर वर्ष की कुल आय में शामिल किया जाना आवश्यक था, यदि इसे निरस्त नहीं किया गया था, तो ऐसी राशि

होगी—

(i) उस कर वर्ष की आय माना जाता है जिसमें उल्लंघन होता है; और

(ii) आय के एक ही शीर्ष के अधीन उक्त व्यक्ति की कुल आय में शामिल किया गया है क्योंकि इसे निरसित अधिनियम के अधीन शामिल किया गया होगा;

(झ) निरसित अधिनियम के अधीन संदेय कोई राशि निरसित अधिनियम के अधीन ऐसी राशि की वसूली के लिए पहले से की गई किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस अधिनियम के अधीन वसूल की जा सकेगी;

(ञ) निरसित अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन जारी किया गया कोई भी समझौता, नियुक्ति की गई, अनुमोदन दिया गया, मान्यता दी गई, परिपत्र निदेश, अनुदेश, अधिसूचना, आदेश या नियम या इसमें विरचित कोई स्कीम, जहां तक यह इस अधिनियम के संगत उपबंधों के साथ असंगत नहीं है, इस अधिनियम के संगत उपबंध के अधीन दर्ज किए गए, बनाए गए, अनुदत्त किए गए, दिए गए या जारी किए गए समझे जाएंगे और तदनुसार प्रवृत्त बने रहेंगे;

(ट) जहां निरसित अधिनियम के अधीन किसी भी आवेदन, अपील, संदर्भ या संशोधन के लिए प्रदान की गई अवधि इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले या उससे पहले समाप्त हो गई थी, इस अधिनियम में कुछ भी इस अधिनियम के अधीन किए जाने वाले किसी भी ऐसे आवेदन, अपील, संदर्भ या संशोधन को सक्षम करने के रूप में नहीं माना जाएगा, केवल इस तथ्य के कारण कि इसके लिए एक लंबी अवधि निर्धारित की गई है या उपयुक्त मामलों में उपयुक्त द्वारा समय के विस्तार के लिए उपबंध किया गया है विशेषज्ञ;

(ठ) भुगतान किए गए कर के संबंध में क्रेडिट की कोई भी राशि, निर्धारिती के मामले में आगे ले जाने के लिए स्वीकार्य है, 1 अप्रैल 2026 को या उससे पहले शुरू होने वाले कर वर्ष के लिए निरसित अधिनियम की धारा 115जकक या धारा 115जघ के उपबंधों के अधीन, आय-कर अधिनियम, 1961 निरस्त नहीं किया गया था,—

(i) उक्त निर्धारिती के मामले में इस अधिनियम के संबंधित उपबंध के अधीन क्रेडिट के लिए पात्र राशि माना जाएगा; और

(ii) निरसित अधिनियम के अधीन भुगतान किए गए कर के लिए क्रेडिट को इस अधिनियम के अधीन उस अवधि के लिए अनुमति दी जाएगी जिसके लिए इसे निरसित अधिनियम के अधीन अनुमति दी गई होगी यदि निर्धारिती अन्यथा ऐसे कर वर्षों में इस अधिनियम के संबंधित उपबंधों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करना जारी रखता है;

(ड) नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ ख में निर्दिष्ट स्रोत या आय के शीर्ष के अधीन नुकसान की कोई भी रकम और उक्त सारणी के स्तम्भ ग में निर्दिष्ट निरसित अधिनियम की धारा में निर्दिष्ट, 1 अप्रैल, 2026 से शुरू होने

वाले कर वर्ष के लिए अग्रणीत किया गया था, आय-कर अधिनियम, 1961 निरसित नहीं किया गया था, 1 अप्रैल, 2026 को या उसके बाद शुरू होने वाले कर वर्ष के लिए, उक्त सारणी के स्तम्भ ग में निर्दिष्ट निरसित आयकर अधिनियम के संबंधित धारा में उपबंधित की गई रीति में इस अधिनियम के अधीन गणना की गई आय के विरुद्ध मुजरा किया जाएगा और अग्रणीत किया जाएगा।

1961 का 43

सारणी

क्र. सं.	निरसित अधिनियम के अधीन आय का स्रोत या शीर्ष	निरसित अधिनियम की धारा
क	ख	ग
1.	घर की संपत्ति से आय	71ख
2.	कारबार या पेशे के लाभ और लाभ	72
3.	सट्टा कारबार	73
4.	निर्दिष्ट कारबार	73क
5.	रेस के घोड़ों के मालिक होने और उन्हें बनाए रखने की गतिविधि	74क;

(ढ) पूंजी लाभ के अधीन नुकसान की कोई भी राशि, चाहे वह दीर्घकालिक पूंजी संपत्ति या अल्पकालिक पूंजी संपत्ति से संबंधित हो, निरसित आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 74 में निर्दिष्ट, 1 अप्रैल, 2026 से शुरू होने वाले कर वर्ष से आगे लाया गया था, निरसित अधिनियम निरसित नहीं किया गया था, किसी भी कर वर्ष के लिए इस अधिनियम के अधीन गणना की गई "पूंजी लाभ" के अधीन आय के विरुद्ध निरसित आय-कर अधिनियम में उपबंधित रीति के अनुसार अग्रणीत और मुजरा किया जाएगा 1 अप्रैल, 2026 को या उसके बाद शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के तुरंत बाद आठ वित्तीय वर्षों तक जिसमें इस तरह के नुकसान की गणना पहली बार निरसित अधिनियम के अधीन की गई थी;

1961 का 43

(ण) समामेलित कंपनी, उत्तराधिकारी कंपनी या उत्तराधिकारी सीमित दायित्व भागीदारी के हाथों में 1 अप्रैल, 2026 को या उससे पहले शुरू होने वाले किसी भी कर वर्ष में किए गए मूल्यहास के लिए हानि या भते का कोई भी सेट, निरसित अधिनियम की धारा 72क के उपबंधों के अनुसार, समामेलित कंपनी की आय माना जाएगा, उत्तराधिकारी कंपनी या उत्तराधिकारी सीमित देयता भागीदारी, यथास्थिति,, इस अधिनियम के अधीन उस वर्ष के लिए कर के लिए प्रभार्य है जिसमें उस खंड में निर्दिष्ट किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं किया जाता है;

(त) निरसित अधिनियम की धारा 72कख के उपबंधों के अनुसार, उत्तराधिकारी सहकारी बैंक को 1 अप्रैल, 2026 को या उससे पहले शुरू होने

वाले किसी भी कर वर्ष में अनुमत संचित हानि या अनियोजित मूल्यहास का कोई भी सेट, इस अधिनियम के अधीन कर के लिए प्रभार्य उत्तराधिकारी सहकारी बैंक की आय माना जाएगा, जिसमें उस खंड में निर्दिष्ट किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं किया जाता है;

(थ) पूंजी आस्ति के अंतरण से उद्भूत लाभ या अभिलाभ की कोई रकम, जो 1 अप्रैल, 2026 से पहले शुरू होने वाले किसी भी कर वर्ष में निरसित अधिनियम की धारा 47(iv) (v), (xiii) (xiiiख) या (xiv) में अंतर्विष्ट उपबंधों के आधार पर पूंजी अभिलाभ शीर्ष के अधीन प्रभारित नहीं की जाती है इस अधिनियम के अधीन "पूंजी लाभ" शीर्ष के अधीन कर वर्ष के लिए प्रभारित करने योग्य आय प्रभार्य मानी जाएगी,—

(क) जिसमें अंतरण हुआ था, यदि निरसित आयकर की धारा 47क(1)

(i) या (ii) में से अधिकथित शर्तों में कोई पूरी होती है; या

(ख) जिसमें निरसित अधिनियम की धारा 47(xiii) (xiiiख) या (xiv) में अधिकथित किसी शर्त का अनुपालन नहीं किया जात है;

(द) यथास्थिति, जहां निरसित अधिनियम की धारा 32(2) या 35(4) के अधीन कोई भत्ता या उसका हिस्सा, 1 अप्रैल, 2026 से शुरू होने वाले कर वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जाना है, आय-कर अधिनियम, 1961 निरसित नहीं किया गया था, तो, भत्ता या उसका हिस्सा 1 अप्रैल से शुरू होने वाले कर वर्ष के लिए इस अधिनियम के संबंधित उपबंधों को निर्दिष्ट पूंजी भत्ते की राशि में जोड़ा जाएगा, 2026 और उस भत्ते का हिस्सा माना जाता है, या यदि उस कर वर्ष के लिए ऐसा कोई भत्ता नहीं है, तो उस कर वर्ष के लिए भत्ता माना जाए;

(ध) धारा 35कखक, 35कखख या 35घ या 35घघ या 35घघक या 35ड या निरसित अधिनियम की धारा 36(1)(ix) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट कटौती, उक्त उपबंधों में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने पर, 1 अप्रैल, 2026 को या उसके बाद शुरू होने वाले कर वर्ष के लिए इस अधिनियम के अधीन अनुमति दी जानी जारी रहेगी, आय-कर अधिनियम, 1961 निरसित नहीं किया गया था और इस तरह की कटौती को आस्थगित राजस्व व्यय भत्ते की राशि में जोड़ा जाएगा 1 अप्रैल, 2026 को या उसके बाद शुरू होने वाले कर वर्ष के लिए इस अधिनियम के संबंधित उपबंधों को निर्दिष्ट किया गया है और उस भत्ते का हिस्सा माना जाता है, या यदि कर वर्ष के लिए ऐसा कोई भत्ता नहीं है, तो उस कर वर्ष के लिए उस भत्ते को माना जाए;

(न) 1 अप्रैल, 2025 से शुरू होने वाले कर वर्ष के अंतिम दिन पर खड़े निरसित अधिनियम की धारा 36(1)(viiक) के अधीन किए गए खराब और संदिग्ध ऋण खाते के उपबंध में क्रेडिट बैलेंस को 1 अप्रैल से शुरू होने वाले कर वर्ष के लिए इस अधिनियम के संबंधित उपबंधों में निर्दिष्ट खराब और संदिग्ध ऋण खातों के उपबंध में जमा राशि में जोड़ा जाएगा, 2026 और खराब और संदिग्ध ऋण खातों के उपबंध में जमा की गई राशि का हिस्सा माना

जाता है, या यदि उस कर वर्ष के लिए ऐसी कोई राशि जमा नहीं की जाती है, तो उस कर वर्ष के लिए जमा की गई राशि माना जाए;

(प) कोई भी योजना जिसे निर्धारित या किसी अन्य व्यक्ति के साथ सांठगांठ को समाप्त करने के उद्देश्य से निरसित अधिनियम के उपबंधों के अधीन अधिसूचित किया गया है, उक्त योजना को बनाया गया माना जाएगा—

(i) इस अधिनियम के संगत उपबंधों के अधीन ; या

(ii) धारा 532 के अधीन जहां ऐसा कोई संगत उपबंध नहीं है,

और तदनुसार बल में जारी रहेगा; और

(फ) जहां इस अधिनियम के आरंभ पर धारा 132 के अधीन तलाशी शुरू की गई है या 1 अप्रैल, 2026 से पहले धारा 132क के अधीन मांग की गई है, इस निरसित अधिनियम के उपबंध, ऐसे तलाशी या मांग के संबंध में जुड़ी किसी भी कार्यवाही पर लागू होते रहेंगे, यथास्थिति, जैसे कि यह अधिनियम अधिनियमित नहीं किया गया है।

(3) जहां इस अधिनियम में 1.4.2025 से प्रारंभ होने वाले किसी कर वर्ष या किसी पूर्ववर्ती कर वर्ष का कोई निर्देश किया गया है, वहां उसे निरसित अधिनियम के अधीन तत्स्थानी पूर्ववर्ती वर्ष के निर्देश के रूप में समझा जाएगा ।

(4) उपधारा (2) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निरसन के प्रभाव के संबंध में सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के उपबंध लागू होंगे।

अनुसूची 1

[धारा 9(12) देखिए]

पात्र विनिधान निधि या पात्र निधि प्रबंधक होने या धारा 9(12) में विहित अपेक्षित विवरण प्रस्तुत करने की शर्तें।

1. (1) धारा 9 की उपधारा (12) में निर्दिष्ट पात्र विनिधान निधि से भारत के बाहर स्थापित या निगमित या रजिस्ट्रीकृत ऐसी निधि अभिप्रेत है, जो अपने सदस्यों के फायदे के लिए निधियां उसका विनिधान करने हेतु अपने सदस्यों से संगृहीत करती है और निम्नलिखित शर्तें पूरी करती है :

(क) निधि भारत में निवासी व्यक्ति नहीं है;

(ख) निधि,--

(i) ऐसी किसी देश या किसी विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र की निवासी है जिसके साथ धारा 159 की उपधारा (1) या धारा 156 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट करार किया गया है; या

(ii) जिसे इस निमित्त यथाअधिसूचित किसी देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में स्थापित या निगमित या रजिस्ट्रीकृत किया गया है;

(ग) भारत में निवासी व्यक्तियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निधि में कुल भागीदारी या निवेश कर वर्ष के 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को निधि के कुल योग का 5% से अधिक नहीं है, बशर्ते कि -

(i) निधि में ऐसी कुल भागीदारी या निवेश की गणना के प्रयोजनों के लिए, पात्र निधि प्रबंधक द्वारा निधि के संचालन के प्रथम तीन वर्षों के दौरान किया गया कोई अंशदान, जो पच्चीस करोड़ रुपए से अधिक न हो, को ध्यान में नहीं रखा जाएगा;

(ii) जहां कर वर्ष के 1 अप्रैल या 1 अक्टूबर को निधि में पूर्वोक्त कुल भागीदारी या निवेश 5% से अधिक है, वहां इस खंड में उल्लिखित शर्तें, यदि वह ऐसे कर वर्ष के 1 अप्रैल या 1 अक्टूबर के चार महीने के भीतर पूरी हो जाती है, तो उसे पूरी हुई समझी जाएगी ।

(घ) निधि और उसके क्रियाकलाप, उस देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में जहां ऐसी निधि वह स्थापित या निगमित किया जाता है या कोई निवासी है, लागू विनिधानकर्ता संरक्षण विनियमों के अधीन हैं;

(ङ) निधि में कम से कम पच्चीस सदस्य हैं जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः संबद्ध व्यक्ति नहीं हैं;

(च) संबद्ध व्यक्तियों सहित निधि का कोई भी सदस्य, निधि में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः दस प्रतिशत से अधिक कोई सहभागिता हित नहीं रखेगा;

(छ) निधि में दस या उससे कम सदस्यों का उनके संबद्ध व्यक्तियों सहित

प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः संकलित सहभागिता हित पचास प्रतिशत से कम होगा;

(ज) निधि किसी सत्ता में के अपने समग्र अंश के पच्चीस प्रतिशत से अधिक का विनिधान नहीं करेगी;

(झ) निधि अपनी सहयुक्त सत्ता में कोई विनिधान नहीं करेगी;

(ञ) समग्र निधि का मासिक औसत निम्नलिखित के अध्यक्षीन एक अरब रुपए से कम नहीं होगा :

(i) यदि निधि कर वर्ष में स्थापित या निगमित की गई है तो समग्र निधि इसके स्थापित या निगमित किए जाने के मास के अंतिम दिन से बारह मास के अंत में एक अरब रुपए से कम की नहीं होगी; और

(ii) यह खंड किसी ऐसी निधि को लागू नहीं होगा जिसका परिसमापन कर वर्ष में हो गया था;

(ट) निधि, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः भारत में कोई कारबार नहीं करेगी या उसे नियंत्रित या उसका प्रबंधन नहीं करेगी;

(ठ) निधि न तो किसी ऐसे क्रियाकलाप में जिससे भारत में कारबारी संपर्क गठित होता हो, लगी हुई है और न ही उसमें, उसकी ओर से कार्य करने वाला ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके, उसकी ओर से पात्र निधि प्रबंधक द्वारा किए गए क्रियाकलापों से भिन्न, क्रियाकलापों से भारत में कारबारी संपर्क गठित होता है;

(ड) निधि द्वारा पात्र निधि प्रबंधक को उसके द्वारा किए गए निधि प्रबंधन क्रियाकलाप की बाबत संदत्त पारिश्रमिक ऐसी रीति में जो विहित की जाए, संगणित रकम से कम नहीं है ।

(2) पैराग्राफ (1) (ड), (च) और (छ) में विनिर्दिष्ट शर्तें—

(क) विदेशी राज्य की सरकार या सेंट्रल बैंक द्वारा गठित किसी विनिधान निधि या किसी प्रभुत्वसंपन्न निधि; या

(ख) ऐसी अन्य निधि को, जो केन्द्रीय सरकार शर्तों, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, लागू नहीं होगी ।

(3) किसी पात्र विनिधान निधि के संबंध में धारा 9(12) में निर्दिष्ट, पात्र निधि प्रबंधक से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो निधि प्रबंधन के क्रियाकलाप में लगा हुआ है और निम्नलिखित शर्तें पूरी करता है:—

(क) व्यक्ति, पात्र विनिधान निधि या निधि के संबद्ध व्यक्ति का कोई कर्मचारी नहीं है;

(ख) व्यक्ति यथाविनिर्दिष्ट विनियमों के अनुसार निधि प्रबंधक या विनिधान सलाहकार के रूप में रजिस्ट्रीकृत है;

(ग) व्यक्ति अपने कारबार के सामान्य अनुक्रम में निधि प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहा है;

(घ) व्यक्ति अपने से संबद्ध व्यक्तियों के साथ, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः निधि

प्रबंधक के माध्यम से निधि द्वारा किए गए संव्यवहारों से पात्र विनिधान को प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाले लाभों के बीस प्रतिशत से अधिक का हकदार नहीं होगा।

(4) प्रत्येक पात्र विनिधान निधि, किसी कर वर्ष में अपने क्रियाकलापों के संबंध में कर वर्ष की समाप्ति से नब्बे दिन के भीतर ऐसे प्ररूप में एक विवरण, विहित आय-कर प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी जिसमें इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के संबंध में सूचना अंतर्विष्ट होगी और वह ऐसी अन्य सुसंगत सूचना या दस्तावेज भी जो विहित की जाए, उपलब्ध कराएगी।

(5) इस अनुसूची के उपबंध ऐसे मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार और ऐसी रीति से लागू किए जाएंगे जो बोर्ड इस निमित्त विहित करे।

(6) केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा यह निर्दिष्ट कर सकेगी कि उपपैरा (1) पैरा (1) (ग) को छोड़कर या (3) में निर्दिष्ट शर्तों में से कोई एक या अधिक शर्तें लागू नहीं होंगी या ऐसे संशोधनों के साथ लागू होंगी जैसा कि पात्र निवेश निधि और उसके पात्र निधि प्रबंधक के मामले में निर्दिष्ट किया गया है, यदि

- (i) ऐसा पात्र निधि प्रबंधक अंतरराष्ट्रीय वित्तीयसेवा केंद्र में अवस्थित है; और
- (ii) जिसने 31 मार्च, 2030 को या उसके पूर्व अपना काम आरंभ किया है।

(2) इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “सहयुक्त” से ऐसी सत्ता अभिप्रेत है जिसमें विनिधान निधि का कोई निदेशक या न्यासी या भागीदार या सदस्य या निधि प्रबंधक या ऐसी निधि के निधि प्रबंधक का कोई निदेशक या न्यासी या भागीदार या सदस्य, व्यक्ति रूप से या सामूहिक रूप से ऐसा शेयर या हित धारण करता है जो उसकी, यथास्थिति, शेयर पूंजी या हित के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है;

(ख) “संबद्ध व्यक्ति” का वही अर्थ होगा जो धारा 184(5) में उसका है;

(ग) “समग्रअंश” से पात्र विनिधान निधि द्वारा विनिधान के प्रयोजन के लिए किसी विशिष्ट तारीख को जुटाई गई निधियों की कुल रकम अभिप्रेत है :

(घ) “सत्ता” से ऐसी सत्ता अभिप्रेत है जिसमें कोई पात्र विनिधान निधि कोई विनिधान करती है;

(ङ) “विनिर्दिष्ट विनियमों” से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सं. विभाग प्रबंधक) विनियम, 202 या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विनिधान सलाहकार) विनियम, 2013 या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए ऐसे अन्य विनियम अभिप्रेत हैं, जो इस संबंध में अधिसूचित किए जाएं।

अनुसूची 2

[धारा 11 देखिए]

आय का कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए

कर वर्ष के लिए किसी व्यक्ति की कुल आय की गणना करने में, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ ख में उल्लिखित आय को सम्मिलित नहीं किया जाएगा, उक्त सारणी के स्तम्भ ग में उल्लिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन, और उक्त सारणी के स्तम्भ ख और स्तम्भ ग में प्रयुक्त पदों के अर्थ वहीं हैं, जो उक्त सारणी के नीचे टिप्पणों में क्रमशः उनके हैं।

सारणी

क्र.सं.	आय का कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा	शर्तें

क	ख	ग
1.	कृषि आय	शून्य

2. जीवन बीमा पॉलिसी के अधीन प्राप्त कोई राशि, जिसके अंतर्गत ऐसी पॉलिसी पर बोनस के रूप में आवंटित राशि भी है।
- (क) नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ ख में उल्लिखित अवधि के दौरान जारी की गई बीमा पॉलिसियां, सिवाय इसके जहां किसी व्यक्ति की मृत्यु पर ऐसी राशि प्राप्त होती है, या जीवन बीमा पॉलिसी के अधीन, जिसमें ऐसी पॉलिसी पर बोनस के रूप में आवंटित राशि भी सम्मिलित है स्तम्भ ग में उल्लिखित शर्तों को पूरा करेगी:

क्र.सं. बीमा पॉलिसी शर्तें जारी करने की अवधि

क	ख	ग
1.	1 अप्रैल, 2003 से 31 मार्च, 2012 तक	प्रीमियम से बीमा राशि का अनुपात $\leq 20\%$ है
2.	1 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2013 तक	प्रीमियम से बीमा राशि का अनुपात $\leq 10\%$ है
3.	1 अप्रैल, 2013 से 31 जनवरी, 2021 तक	विशेष पॉलिसी के लिए प्रीमियम से बीमा राशि का अनुपात $\leq 15\%$ है; और अन्य पॉलिसियों के लिए 10% है
4.	1 फरवरी, 2021	यूनाइटेड लिंकड बीमा पॉलिसी:

से 31 मार्च, (क) विशेष पॉलिसी के लिए
2023 तक प्रीमियम से बीमा राशि का
अनुपात $\leq 15\%$ है; और अन्य
पॉलिसियों के लिए 10% है;
और

(ख) ऐसी सभी पॉलिसी के
लिए प्रीमियम का कुल योग
(ऐसी किसी भी पॉलिसी की
अवधि के दौरान किसी कर
वर्ष में) $\leq 2,50,000$ ₹ है।
यूनाइटेड लिंकड बीमा पॉलिसी
से भिन्न:

विशेष पॉलिसी के लिए
प्रीमियम से बीमा राशि का
अनुपात 15 प्रतिशत और
अन्य पॉलिसियों के लिए 10
प्रतिशत है।

5. 1 अप्रैल, यूनाइटेड लिंकड बीमा
2023 को या पॉलिसी :
उसके पश्चात्

(क) विशेष पॉलिसी के लिए
प्रीमियम से बीमा राशि का
अनुपात $\leq 15\%$ है तथा अन्य
पॉलिसियों के लिए 10% है;
और

(ख) ऐसी सभी पॉलिसी के
लिए प्रीमियम का योग (ऐसी
किसी भी पॉलिसी की अवधि
के दौरान किसी कर वर्ष में)
 $\leq 2,50,000$ ₹ है।

यूनाइटेड लिंकड इंश्योरेंस
पॉलिसी से भिन्न:

(i) विशेष पॉलिसियों के लिए
प्रीमियम से बीमा राशि का
अनुपात $\leq 15\%$ और अन्य
पॉलिसियों के लिए 10% है;
और

(ii) ऐसी सभी पॉलिसियों के लिए प्रीमियम का योग (ऐसी किसी भी पॉलिसी की अवधि के दौरान किसी भी कर वर्ष में) $\leq 5,00,000$ ₹ है;

6.(ग) निम्नलिखित राशियां कुल आय से अपवर्जन के लिए पात्र नहीं होगी :—

(i) धारा 127 (4) के अधीन प्राप्त कोई राशि ;
और

(ii) कीमैन बीमा पॉलिसी के अधीन प्राप्त कोई राशि।

टिप्पण 1—कठिनाइयों को दूर करने के लिए, बोर्ड केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से मार्गदर्शक सिद्धांतों को जारी कर सकेगा, जो आय-कर प्राधिकारियों और निर्धारितों पर बाध्यकारी होगा ।

टिप्पण 2—टिप्पण 1 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट कोई मार्गदर्शक सिद्धांत, 1 अप्रैल, 2026 से दो वर्ष समाप्त होने के पश्चात् जारी नहीं किया जाएगा ।

टिप्पण 3—बोर्ड द्वारा टिप्पण 1 के अधीन जारी किया गया प्रत्येक मार्गदर्शक सिद्धांत, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष उस समय रखा जाएगा, जब वह तीस दिन की कुल अवधि के लिए सत्र में हो, जिसमें एक सत्र या दो या अधिक उत्तरवर्ती सत्र सम्मिलित हो सकेंगे और यदि, सत्र के तुरंत पश्चात् आने वाले सत्र या पूर्वोक्त उत्तरवर्ती सत्र के अवसान से पूर्व, दोनों सदन ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो जाते हैं या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हो जाते हैं कि मार्गदर्शक सिद्धांत जारी नहीं किया जाना चाहिए, तो उसके पश्चात् मार्गदर्शक सिद्धांत, यथास्थिति, केवल ऐसे उपांतरित रूप में प्रभावी होगा या प्रभावी नहीं होगा, तथापि ऐसा कोई उपांतरण या रद्दकरण, उस मार्गदर्शक सिद्धांत के अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा ।

3. किसी भविष्य निधि से, जिस पर भविष्य निधि अधिनियम, 1925 या केंद्रीय सरकार द्वारा (क) कर वर्ष के दौरान प्रोद्भूत ब्याज के रूप में आय कुल आय से अपवर्जन के लिए पात्र नहीं होगी, जहां,—

(i) यह उस व्यक्ति द्वारा 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् किए गए अभिदाय (उसके कुल सहित) के कारण है;

स्थापित या इस निमित्त उसके द्वार अधिसूचित किसी अन्य निधि से कोई संदाय लागू होता है।

(ii) ऐसा अभिदाय—

(अ) ऐसे निधि में कर वर्ष में 5,00,000 ₹ से अधिक है, जहां ऐसे व्यक्ति के नियोक्ता द्वारा कोई अभिदाय नहीं किया गया है; या

(आ) अन्य मामलों में 2,50,000 ₹ है; और

(ख) खंड (क) में यथानिर्दिष्ट कुल आय से अपवर्जित न की जाने वाली आय की रकम यथाविहित ऐसी रीति में संगणित की जाएगी।

4. अनुसूची 11 के भाग क के पैरा 8 में विहित विस्तार तक किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में भाग लेने वाले कर्मचारी को संदेय संचित और संदेय होने वाले संचित शेष

(क) कर वर्ष के दौरान प्रोद्भूत ब्याज के रूप में आय कुल आय से अपवर्जन के लिए पात्र नहीं होगी, जहां,—

(i) यह उस रीति में 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् किए गए अभिदाय (उसके कुल सहित) के कारण है; और

(ii) ऐसा अभिदाय—

(अ) ऐसे निधि में कर वर्ष में 5,00,000 ₹ से अधिक है, जहां ऐसे व्यक्ति के नियोक्ता द्वारा कोई अभिदाय नहीं किया गया है; या

(आ) अन्य मामलों में 2,50,000 ₹ है; और

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट कुल आय से अपवर्जित की जाने वाली आय की रकम यथाविहित रीति में संगणित की जाएगी।

5. सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 के अधीन सुकन्या समृद्धि खाता योजना, 2019 के अनुसार खोले गए किसी भी खाते से किया गया कोई भी संदाय।

शून्य।

6. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट से कोई भी संदाय

(क) ऐसा संदाय निर्धारिती के खाते को बंद करने या धारा 124 में निर्दिष्ट पेंशन स्कीम से या निकलने पर किया जाता है; और

(ख) उक्त संदाय ऐसे बंद होने या स्कीम से अपवर्जन के समय संदेय कुल रकम के 60% से अधिक न हो।

7. अग्निपथ योजना के अधीन नामांकित व्यक्ति या उसके नामनिर्दिष्ट व्यक्ति को अग्निवीर समग्र निधि से किया गया कोई भी संदाय शून्य।
8. किसी अनुमोदित सुपरएनुएशन फंड से कोई भी संदाय ऐसा संदाय किया जाता है—
 (क) किसी फायदाग्राही की मृत्यु होने पर; या
 (ख) किसी कर्मचारी को किसी विनिर्दिष्ट आयु पर या उसके पश्चात् उसकी सेवानिवृत्ति पर या ऐसी सेवानिवृत्ति से पूर्व उसके अशक्त हो जाने पर वार्षिकी के बदले में या उसके संराशीकरण के रूप में;
 (ग) किसी फायदाग्राही की मृत्यु पर अभिदाय की वापसी के रूप में;
 (घ) किसी कर्मचारी को उस सेवा को छोड़ने पर अभिदाय की वापसी के रूप में जिसके संबंध में निधि स्थापित की गई है, विनिर्दिष्ट आयु पर या उसके पश्चात् सेवानिवृत्ति से अन्यथा या ऐसी सेवानिवृत्ति से पूर्व उसके अशक्त हो जाने पर, उस विस्तार तक, जहां तक ऐसा संदाय इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व किए गए अभिदाय और उस पर किसी ब्याज से अधिक नहीं है; या
 (ङ) धारा 124 में विनिर्दिष्ट और इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित पेंशन स्कीम के अधीन कर्मचारी के खाते में अंतरण के रूप में।
9. छात्रवृत्ति ऐसी छात्रवृत्ति शिक्षा की लागत को पूरा करने के लिए दी जाती है
10. किसी भी पुरस्कार या इनाम के लिए किया गया कोई भी संदाय, चाहे नकद हो या वस्तु के रूप में ऐसा संदाय किया जाता है—
 (क) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा जनहित में संस्थित या किसी अन्य निकाय द्वारा संस्थापित और इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी पुरस्कार के अनुसरण में; और
 (ख) केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा ऐसे प्रयोजनों के लिए एक पुरस्कार के रूप

में जो लोक हित में इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाए।

11. ऐसी प्रतिभूतियों, बांड, वार्षिकी प्रमाणपत्र, बचत प्रमाणपत्र, केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अन्य प्रमाणपत्र और जमा पर ब्याज, मोचन या अन्य संदत्त पर प्रीमियम के रूप में आय ऐसे प्रमाणपत्र और जमा इसमें यथाविनिर्दिष्ट शर्तों और सीमाओं के अध्यधीन रहते हुए, केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाते हैं
12. स्वर्ण जमा स्कीम, 1999 के अधीन जारी किए गए स्वर्ण जमा बांड पर ब्याज या केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित स्वर्ण मुद्राकरण स्कीम, 2015 के अधीन जारी जमा प्रमाणपत्र शून्य
13. स्थानीय प्राधिकरण या राज्य पूल वित्त इकाई द्वारा जारी किए गए बांड पर ब्याज जैसा केंद्रीय सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, निर्दिष्ट किया जाए।
14. यूनिट स्कीम, 1964 की इकाई होने के नाते, पूंजी संपत्ति के अंतरण से उद्भूत होने वाली कोई भी आय, अनुसूची I में भारतीय यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 में निर्दिष्ट है ऐसी संपत्ति का अंतरण 1 अप्रैल, 2002 को या उसके पश्चात् होता है।

15. कोई निर्धारिती जो एकीकृत पेंशन स्कीम का अभिदाता है, द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास से कोई संदाय; (क) उसकी अधिवार्षिता या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या मूल भूत नियमों के नियम 56 (ज) के अधीन सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त ऐसा संदाय जिसे केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के अधीन शास्ति नहीं माना जाता है) ; और (ख) उक्त संदाय वित्तीय सेवा विभाग की अधिसूचना संख्यांक एफएक्स-1/3/2024-पीआर तारीख 24 जनवरी, 2025 में यथापरिभाषित व्यष्टि कोर के 60 प्रतिशत से अधिक नहीं है ।
16. एकीकृत पेंशन स्कीम का अभिदाता होने के नाते किसी निर्धारिती द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास से “एक मुश्त रकम” के प्राप्त में कोई भी राशि उक्त “एक मुश्त रकम” रकम वित्तीय सेवा विभाग की अधिसूचना संख्यांक एफएक्स-1/3/2024-पीआर तारीख 24 जनवरी, 2025 के पैरा 2 के खंड (6) के अनुसार
17. इसमें यथा उपबंधित शर्तों के अधीन रहते हुए, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(15)(iii) या (15)(iv)(ग) या (15)(iv)(घ) या (15)(iv)(ङ) या (15)(iv)(च) या (15)(iv)(छ) या (15)(iv)(ज) या (36) के अधीन सम्मिलित की गई कोई भी आय शून्य

टिप्पण 1—क्र.सं. 2 प्रयोजनों के लिए—

(क) "वास्तविक पूंजी बीमित राशि" का वही अर्थ होगा जो अनुसूची 15 के पैरा 2(2) में दिया गया है;

(ख) "अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बीमा कार्यालय" का वही अर्थ होगा जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के अधीन बनाए गए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण 2019 का 50 (बीमा कारबार का

रजिस्ट्रीकरण) के विनियम 3(1) (ट) में है।

(ग) "कीमैन बीमा पालिसी" से ऐसी जीवन बीमा पालिसी अभिप्रेत है

(i) जो किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के जीवन पर ली गई हो; और

(ii) ऐसा व्यक्ति प्रथम वर्णित व्यक्ति का कर्मचारी है या था या प्रथम वर्णित व्यक्ति के कारबार से किसी भी तरह से जुड़ा हुआ है या था; और

(iii) इसमें ऐसी पालिसी सम्मिलित है, जो पालिसी की अवधि के दौरान किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रतिफल के साथ या उसके बिना किसी विचार के सौंपा गया है;

(घ) "यूनाइटेड लिंकड बीमा पॉलिसी" से यूनिट लिंकड लाइफ बीमा पॉलिसी अभिप्रेत है,—

(i) जिसमें विनिधान और बीमा दोनों घटक हैं; और

(ii) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के अधीन बनाए गए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (यूनिट लिंकड बीमा उत्पाद) विनियम, 2019 के विनियमन 3 के खंड (डड) में परिभाषित यूनिट से जुड़ा हुआ है;

(घ) "बीमा राशि के लिए प्रीमियम" की बीमा अवधि के दौरान वास्तविक पूंजी बीमित राशि पर संदेय वार्षिक प्रीमियम का उच्चतम प्रतिशत अभिप्रेत है;

(ड) "विशेष पॉलिसी" से किसी ऐसी व्यक्ति के जीवन पर जारी की गई कोई भी पॉलिसी अभिप्रेत है, जो-

(i) धारा 154 में यथानिर्दिष्ट निःशक्तता वाला व्यक्ति या गंभीर निःशक्तता वाला व्यक्ति है; या

(ii) बनाए गए नियमों में यथाविनिर्दिष्ट रोग या बीमारी व्याधि से पीड़ित है।

टिप्पण 2—क्र.सं. 7 प्रयोजनों के लिए,—

“अग्निवीर समग्र निधि” और “अग्निपथ स्कीम” पद के अर्थ क्रमशः धारा 125 में दिए गए हैं।

टिप्पण 3—क्र.सं. 11 प्रयोजनों के लिए,—

अभिव्यक्ति "ब्याज" पद में मुद्रा में उतार-चढ़ाव के कारण संव्यवहार शुल्क की हेजिंग सम्मिलित है।

टिप्पण 4—क्र.सं. 13 प्रयोजनों के लिए,—

"राज्य पूल्ड वित्त यूनिट" पद से ऐसी यूनिट अभिप्रेत है जो शहरी विकास मंत्रालय में केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित पूल्ड फाइनैस डेवलपमेंट स्कीम के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार स्थापित किया गया है।

अनुसूची 3

[धारा 11 देखिए]

पात्र व्यक्तियों की कुल आय में आय का सम्मिलित नहीं किया जाना

नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ ग में उल्लिखित किसी पात्र व्यक्ति के कर वर्ष की कुल आय की गणना में, उक्त सारणी के स्तम्भ ख में उल्लिखित आय को सम्मिलित नहीं किया जाएगा, उक्त सारणी के स्तम्भ घ में उल्लिखित शर्तों के अधीन, और स्तम्भ ख से घ में प्रयुक्त पदों के अर्थ वहीं हैं, जो उक्त सारणी के नीचे टिप्पणों में क्रमशः उनके हैं।

सारणी			
क्र. सं.	आय का कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाना	पात्र व्यक्ति	शर्तें
क	ख	ग	घ
1.	हिंदू अविभक्त कुटुम्ब के सदस्य द्वारा प्राप्त कोई भी राशि है	कोई व्यक्ति, जो हिंदू अविभक्त कुटुम्ब का सदस्य है	(क) ऐसी राशि धारा 99(3) और (4) के उपबंधों के अधीन समाविष्ट नहीं है; और (ख) ऐसी राशि में से संदत्त की गई— (i) कुटुम्ब की आय से है; या (ii) किसी भी अविभाज्य संपदा की दशा में कुटुम्ब से संबंधित संपदा की आय ।
2.	फर्म की कुल आय में अपने अंश के लिए एक भागीदार द्वारा प्राप्त की गई राशि	वह व्यक्ति, जो पृथक रूप से निर्धारित की तरह किसी फर्म का भागीदार हो	लाभ में अंश के रूप में प्राप्त राशि भागीदारी विवेक में उपबंधित किए गए लाभ-विभाजन अनुपात के अनुसार है।
3.	किसी आपदा के कारण प्रतिकर के रूप में केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण से प्राप्त या प्राप्त होने वाली कोई राशि	कोई भी व्यक्ति या उसका विधिक उत्तराधिकारी	इस अधिनियम के अधीन पूर्व में ऐसी आपदा से हुई किसी हानि या क्षति के लिए इस राशि की कटौती अनुज्ञात नहीं थी।
4.	धारा 124 में निर्दिष्ट	(i) कोई भी कर्मचारी; या	(क) ऐसा संदाय पेंशन

- पेंशन स्कीम के अधीन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट से कोई संदाय
- निर्धारिती (ii) कोई निर्धारिती जो किसी अवयस्क का अभिभावक या माता-पिता हो ;
- निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों के अनुसार यथास्थिति उसके खाते या अवयस्क के खाते से आंशिक प्रत्याहरण पर किया जाता है; और
- (ख) अपवर्जन उसके द्वारा किए गए अभिदाय की रकम के 25% से अधिक नहीं होगा।
5. प्राप्त दैनिक भत्ता कोई व्यक्ति संसद् या किसी राज्य विधानमंडल या उसकी किसी समिति का सदस्य होने के कारण शून्य
6. प्राप्त कोई भत्ता संसद् सदस्य (निर्वाचन क्षेत्र भत्ता) नियम, 1986 के अधीन संसद् की अपनी सदस्यता के कारण संसद् सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 के अधीन बनाया गया है। शून्य
7. प्राप्त कोई निर्वाचन क्षेत्र भत्ता कोई व्यक्ति जो किसी राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी राज्य विधानमंडल की सदस्यता के कारण हो। शून्य
8. किसी भी यात्रा रियायत या सहायता का मूल्य कोई व्यक्ति (क) ऐसी राशि व्यक्ति द्वारा या उसके कारण प्राप्त की जाती है—
- (i) अपने नियोक्ता से अपने और अपने कुटुम्ब के लिए, भारत में किसी

भी स्थान पर छुट्टी पर उसकी कार्यवाही के संबंध में;

(ii) अपने नियोक्ता या पूर्व नियोक्ता से अपने और अपने परिवार के लिए, सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात् या उसकी सेवा की समाप्ति के पश्चात् भारत में किसी भी स्थान पर उसकी कार्यवाही के संबंध में।

(ख) ऐसी राशि ऐसी शर्तें जो विहित की जाए के अध्वधीन है (जिसके अंतर्गत यात्राओं की संख्या और राशि के रूप में शर्तें भी हैं, जो प्रति व्यक्ति छूट दी जाएगी);

(ग) खंड (ख) में दी गई शर्तें केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को दी गई यात्रा रियायत या सहायता के संबंध में होंगी;

(घ) कुल आय में सम्मिलित नहीं की गई राशि किसी भी दशा में ऐसी यात्रा के प्रयोजन के लिए वास्तव में किए गए खर्चों की रकम से अधिक नहीं होगी।

9. सरकार द्वारा भारत भारत का नागरिक के बाहर संदत्त या अनुदत्त कोई भी भत्ता या परिलब्धि

ऐसी राशि का संदाय या भारत के बाहर सेवा प्रदान करने के लिए लिए संदत्त या अनुज्ञात किया जाता है।

10. किसी परिलब्धि की कोई कर्मचारी के व्यक्ति होने प्रकृति में आय के नाते

(क) ऐसी परिलब्धि धारा 17(1) के अर्थ के भीतर,

- मौद्रिक संदाय के माध्यम से प्रदान नहीं की जाती है; और
- (ख) ऐसी आय पर कर वास्तव में नियोक्ता के विकल्प पर, ऐसे कर्मचारी की ओर से उसके नियोक्ता द्वारा संदत्त किया जाता है;
- (क) निर्धारिती द्वारा दखलकृत आवासीय आवास के संबंध में किराए के संदाय (जो भी नाम से जाना जाता है) पर वास्तव में किए गए व्यय को पूरा करने के लिए ऐसा विशेष भत्ता दिया जाता है;
- (ख) ऐसा भत्ता ऐसे विस्तार तक है जिसमें ऐसा आवास स्थित है और अन्य सुसंगत प्रतिफल हैं;
- (ग) निर्धारिती द्वारा दखलकृत आवासीय आवास उसके स्वामित्व में नहीं है; या
- (घ) निर्धारिती ने वास्तव में उसके द्वारा दखलकृत आवासीय आवास के संबंध में किराए के संदाय (जो भी नाम से जाना जाता है) पर उपगत व्यय किया है;
- (क) ऐसा भत्ता या फायदा धारा 17(1) के अर्थ के भीतर किसी परिलब्धि की प्रकृति में नहीं है; और
- (ख) ऐसा भत्ता या फायदा विशेष रूप से, पूर्ण रूप से, आवश्यक रूप से यथा विहित पूरा करने के लिए दिया जाता है और अनन्य रूप से
11. नियोक्ता से कोई कोई निर्धारिती विशेष भत्ता
12. कोई विशेष भत्ता या कोई निर्धारिती फायदा उस विस्तार तक, जो खर्चे वास्तव में ऐसे खर्च, उस प्रयोजन के लिए किए गए हों

13. कोई भत्ता

कोई निर्धारिती

किसी कार्यालय या लाभ के नियोजन के कर्तव्यों के निष्पादन में किया जाता है।

(क) निर्धारिती को ऐसा भत्ता विस्तार तक जो विहित किया जाए;

(i) अपने व्यक्तिगत व्ययों को उस स्थान पर पूरा करने के लिए जहां उसके द्वारा अपन पद या लाभ के नियोजन के कर्तव्यों का सामान्यतः पालन किया जाता है या उस स्थान पर जहां वह सामान्यतः निवास करता है; या

(ii) उसे जीवन यापन की बढ़ी हुई लागत की भरपाई करने के लिए दिया जाता है; और

(ख) कार्यालय या नियोजन से संबंधित विशेष प्रकृति के कर्तव्यों के पालन के लिए पारिश्रमिक या प्रतिकर के लिए कोई भत्ता भत्ता कुल आय से अपवर्जित नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा भत्ता उसकी पोस्टिंग या निवास के स्थान से संबंधित न हो।

14. प्राप्त पेंशन

कोई व्यक्ति जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की सेवा में रहा है और उसे "परमवीर चक्र" या "महावीर चक्र" या "वीर चक्र" या ऐसे अन्य वीरता पुरस्कार से

शून्य।

- सम्मानित किया गया है,
जिसे केंद्रीय सरकार,
अधिसूचना द्वारा, इस संबंध
में निर्दिष्ट कर सकती है ।
15. प्राप्त कुटुम्ब पेंशन किसी व्यक्ति के कुटुम्ब का शून्य।
कोई भी सदस्य सीरियल
नंबर 14 के सामने निर्दिष्ट है
16. प्राप्त कुटुम्ब पेंशन संघ के सशस्त्र बलों ऐसे सदस्य की मृत्यु
(अर्धसैनिक बलों सहित) के ऐसी परिस्थितियों में
सदस्य की विधवा या बच्चे प्रचालन कर्तव्यों के दौरान
या नामनिर्दिष्ट उत्तराधिकारी हुई है और यथाविहित ऐसी
शर्तें जो विहित की जाए के
अधीन है ।
17. धारा 99 की उपधारा उस उपधारा में निर्दिष्ट किसी कुल आय में से ऐसी
(1) के खंड (ग) के व्यष्टि की दशा में आय का अपवर्जन उस
अधीन कुल आय में विस्तार तक है जहां तक
सम्मिलित कोई आय ऐसी आय प्रत्येक अवयवस्क
बच्चे के संबंध में 1500र से
अधिक नहीं है, जिसकी आय
इतनी समावेशी है ।
18. कृषि भूमि के अंतरण व्यक्ति या हिंदू अविभक्त (क) ऐसी भूमि धारा
से उद्भूत होने वाले कुटुम्ब 2(22) (iii) में निर्दिष्ट किसी
"पूँजी लाभ" शीर्ष के भी क्षेत्र में स्थित है;
अधीन प्रभार्य कोई (ख) ऐसी भूमि, अंतरण
आय की तारीख से ठीक पहले दो
वर्ष की अवधि के दौरान, ऐसे
हिंदू अविभक्त कुटुम्ब या
व्यक्ति या उसके माता-पिता
द्वारा कृषि प्रयोजनों के लिए
उपयोग की जा रही थी; और
(ग) ऐसा अंतरण किसी
विधि के अधीन अनिवार्य
अधिग्रहण या अंतरण के रूप
में होता है, जिसके लिए
निर्धारण का निर्धारण या
अनुमोदन केन्द्रीय सरकार या
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा
किया जाता है; और
(घ) ऐसी आय 1

अप्रैल, 2004 को या उसके पश्चात् ऐसे निर्धारिती द्वारा प्राप्त ऐसे अंतरण के लिए प्रतिकर या प्रतिफल से उद्भूत हुई है।

19. कोई आय जो प्रोद्भूत अनुसूचित जनजाति का शून्य या उद्भूत होती है- सदस्य,—
- (क) स्तम्भ (ग) में (क) संविधान के अनुच्छेद उल्लिखित क्षेत्रों या 366 (25) में यथा परिभाषित; राज्यों में किसी भी और
- स्रोत से, या (ख) संविधान की छठी (ख) प्रतिभूतियों पर अनुसूची के पैरा 20 में संलग्न लाभान्श या ब्याज के सारणी के भाग 1 या भाग 2 माध्यम से ; में विनिर्दिष्ट किसी क्षेत्र में या अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्यों में या उक्त पैरा 20(3) के परंतुक के अधीन असम के राज्यपाल द्वारा जारी की गई अधिसूचना सं टीएडी/आर/35/50/109, तारीख 23 फरवरी, 1951 [जैसा कि यह पूर्वोक्त क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) के प्रारंभ से ठीक पहले या लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में सम्मिलित क्षेत्रों में रहने वाला था।
20. कोई आय जो प्रोद्भूत व्यक्ति, सिक्किमी होने के शून्य या उद्भूत होती है— नाते
- (क) सिक्किम राज्य में किसी स्रोत से; या
- (ख) प्रतिभूतियों पर लाभान्श या ब्याज के माध्यम से
21. किसी स्कीम के कोई निर्धारिती जो भारत (क) ऐसी स्कीम चाय अधीन संबंधित बोर्ड जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा की झाड़ियों, रबड़ संयंत्रों, से या उसके माध्यम अधिसूचित किया जाए में कॉफी पौधों, इलायची पादपों

से प्राप्त किसी चाय, रबर, कॉफी, इलायची या या पौधों के पुनर्रोपण अथवा सब्सिडी की रकम ऐसी अन्य वस्तुओं को उगाने प्रतिस्थापन के लिए है ताकि और बनाने का कारबार करता ऐसी अन्य वस्तु उगाई जा सके या चाय, रबर, कॉफी, इलायची या ऐसी अन्य वस्तु की खेती के लिए प्रयुक्त क्षेत्रों का नवीकरण या समेकन किया जा सके;

(ख) ऐसी स्कीम केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की गई है; और

(ग) निर्धारित संबंधित कर वर्ष के लिए आय की विवरणी के साथ निर्धारित अधिकारी द्वारा दी गई अतिरिक्त समयावधि के भीतर संबंधित बोर्ड से कर वर्ष के दौरान संदत्त की गई सब्सिडी की रकम प्रमाणपत्र के संबंध में निर्धारित अधिकारी को प्रस्तुत करता है।

22. वह आय जो "गृह कोई स्थानीय प्राधिकारी संपत्ति से आय", "पूँजी लाभ" या "अन्य स्रोतों से आय" या किसी व्यापार या कारबार से "आय" के अधीन प्रभार्य है

व्यापार या कारबार से आय कुल आय से अपवर्जन के लिए पात्र है यदि ऐसी आय आपूर्ति से प्रोद्भूत होती है या उद्भूत होती है—

(क) अपने स्वयं के अधिकार क्षेत्र क्षेत्र के भीतर एक वस्तु या सेवा (पानी या बिजली नहीं); या

(ख) अपने स्वयं की अधिकारता के भीतर या बाप्रत्येक जल या विद्युत।

23. कोई अनुसंधान संगम धारा 45(3)(क) के लिए तत्समय अनुमोदित अनुसंधान संगम की कोई आय

(क) अपनी आय को पूर्ण रूप से और अनन्य रूप से उन उद्देश्यों के लिए

लगाता है या उपयोग के लिए संचित करता है, जिनके लिए इसे स्थापित किया गया है;

(ख) धारा 346 में निर्दिष्ट प्ररूपों या ढंगों में प्राप्त अपने धन का विनिधान करता है;

(ग) ऐसी शर्तों को पूरा करता है; और

(घ) प्रदान किए गए अनुमोदन को वापस लेने की प्रक्रिया ऐसी रीति में जो विहित की जाए, होगी।

24. कोई भी आय ("गृह भारत में स्थापित संगम या संपत्ति से आय" शीर्ष संस्था जिसका प्रयोजन विधि, के अधीन प्रभार्य आय चिकित्सा, लेखा, इंजीनियरिंग से भिन्न या किसी या वास्तुकला या ऐसे अन्य भी विशिष्ट सेवाओं वृत्तिक का नियंत्रण, पर्यवेक्षण, या अपने विनिधान से विनियमन या प्रोत्साहन के प्राप्त ब्याज या लिए हैं, जैसा केंद्रीय सरकार लाभान्श के माध्यम से अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट आय प्रदान करने के कर सकेगी। लिए प्राप्त कोई आय)

(क) संगम या संस्था अपनी आय को पूर्ण रूप से और अनन्य रूप से उन उद्देश्यों के लिए लगाता है या उपयोग के लिए संचित करता है, जिनके लिए इसे स्थापित किया गया है; और

(ख) संगम या संस्था साधारण या विशेष आदेश द्वारा केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित तत्समय समय के लिए है; और

(ग) प्रदान किए गए अनुमोदन को वापस लेने की प्रक्रिया यथाविहित ऐसी रीति में जो विहित की जाए होगी।

25. खादी या ग्रामोद्योग सोसायटी रजिस्ट्रीकरण के उत्पादों के अधिनियम, 1860 (1860 का उत्पादन, विक्रय या 21) या किसी अन्य विधि के विपणन के कारबार अधीन लोकपूर्त न्यास के रूप के कारण होने वाली में गठित या रजिस्ट्रीकृत कोई भी आय संस्था।

(क) ऐसी संस्था केवल खादी या ग्रामोद्योग या दोनों के विकास के लिए विद्यमान है, न कि लाभ के प्रयोजनों के लिए;

(ख) ऐसी संस्था अपनी आय का उपयोग करती है, या इसे उपयोग के लिए संचयन करती है, केवल खादी

या ग्रामोद्योग, या दोनों के विकास के लिए; और

(ग) ऐसे संस्थान को खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा ऐसे उद्देश्य के लिए अनुमोदित किया जाता है; और

(घ) दिए गए अनुमोदन को वापस लेने की प्रक्रिया यथाविहित ऐसी रीति से होगी।

26. प्रतिभूतिकरण प्रतिभूतिकरण ट्रस्ट शून्य
क्रियाकलाप से कोई आय
27. मान्यता प्राप्त स्टॉक भारत में मान्यता प्राप्त (क) ऐसी निधि केंद्रीय
एक्सचेंजों और उसके स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा सरकार द्वारा अधिसूचित की
सदस्यों से प्राप्त स्थापित या तो संयुक्त रूप जाती है; और
अभिदाय के माध्यम से या पृथक रूप से कोई भी (ख) जहां उक्त निधि
से कोई भी आय विनिधानकर्ता संरक्षण निधि, के प्रत्यय के लिए निश्चित
कोई रकम और किसी भी
कर वर्ष के दौरान आय-कर
के लिए प्रभारित नहीं है, या
तो पूर्ण रूप से या आंशिक
रूप से, मान्यता प्राप्त स्टॉक
एक्सचेंज के साथ, ऐसे साझा
की गई पूरी रकम को कर
वर्ष की आय समझा जाएगा
जिसमें ऐसी रकम इतनी
साझा की जाती है और
तदनुसार आय-कर के लिए
प्रभार्य होगी।
28. वस्तु एक्सचेंजों और भारत में वस्तु एक्सचेंजों (क) ऐसी निधि केंद्रीय
उसके सदस्यों से द्वारा संयुक्त रूप से या सरकार द्वारा अधिसूचित की
प्राप्त अभिदाय के पृथक रूप से स्थापित कोई जाती है; और
माध्यम से कोई विनिधानकर्ता सुरक्षा निधि। (ख) जहां उक्त निधि
आय। के प्रत्यय के लिए निश्चित
कोई रकम और किसी भी
कर वर्ष के दौरान आय-कर
के लिए प्रभारित नहीं की

जाती है, या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से, एक वस्तु एक्सचेंज के साथ, साझा की गई पूरी राशि को उस कर वर्ष की आय मानी जाएगी जिसमें ऐसी रकम इतनी साझा की जाती है और तदनुसार आय-कर के लिए प्रभार्य होगी।

29. निक्षेपागार से प्राप्त निक्षेपागार द्वारा विनियमों (क) ऐसी निधि केंद्रीय अभिदाय के माध्यम के अनुसार स्थापित कोई सरकार द्वारा अधिसूचित की से कोई आय विनिधानकर्ता सुरक्षा निधि जाती है; और
- (ख) जहां उक्त निधि के प्रत्यय के लिए जमा कोई भी रकम और किसी भी कर वर्ष के दौरान आय-कर के लिए प्रभारित नहीं की जाती है, या तो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से निक्षेपागार के साथ, पूरी तरह से साझा की गई रकम को उस कर वर्ष की आय माना जाएगा जिसमें ऐसी रकम इतनी साझा की जाती है और, तदनुसार, आय-कर प्रभार्य होगा
30. (क) विनिर्दिष्ट मान्यता प्राप्त समाशोधन (क) ऐसी निधि केंद्रीय व्यक्तियों से प्राप्त निगम द्वारा अधिरोपित सरकार द्वारा अधिसूचित की अंशदान के माध्यम शास्तियों के माध्यम से कोई जाती है; और से कोई भी आय; भी आय और कोर सेटलमेंट
- (ख) मान्यता प्राप्त प्रत्याभूति फंड में जमा की (ख) जहां निधि के प्रत्यय के लिए जमा कोई रकम और किसी भी कर वर्ष के दौरान आय-कर के लिए प्रभारित नहीं की जाती है, या तो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से निर्दिष्ट व्यक्ति के साथ, पूर्णतः साझा की गई रकम को उस कर वर्ष की आय माना जाएगा जिसमें
- (ख) मान्यता प्राप्त निगम द्वारा अधिरोपित की गई शास्ति के माध्यम से कोई भी आय और कोर समाधान प्रत्याभूति निधि में जमा की गई; या

(ग) निधि द्वारा किए गए विनिधान से कोई आय

ऐसा रकम इतना साझा किया जाता है और, तदनुसार, आय-कर प्रभार्य होगा।

1926 का 16

31. "गृह संपत्ति से आय" और "अन्य स्रोतों से आय" शीर्षों के अधीन प्रभार्य कोई भी आय (क) कारबार संघ अधिनियम, 1926 के अर्थ के भीतर रजिस्ट्रीकृत संघ, मुख्य रूप से श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच या श्रमिकों और श्रमिकों के बीच संबंधों को विनियमित करने के प्रयोजन से बनाया गया है; या (ख) खंड (क) में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत संघों का एक संगम।

शून्य

1925 का 19

32. प्रतिभूतियों पर कोई ब्याज, और ऐसी प्रतिभूतियों के विक्रय, विनिमय या अंतरण से उद्भूत होने वाली निधि की कोई पूंजी लाभ भविष्य निधि जिस पर भविष्य निधि अधिनियम, 1925 लागू होता है ऐसी प्रतिभूतियां ऐसे भविष्य निधि द्वारा धारित की जाती हैं, या उसकी संपत्ति हैं।
33. भारत में आयोजित अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन से उद्भूत किसी आय की प्रकृति और विस्तार है। केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कोई व्यक्ति (क) ऐसे अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन—
(i) ऐसे आयोजन से संबंधित अंतरराष्ट्रीय खेल को विनियमित करने वाले अंतरराष्ट्रीय निकाय द्वारा अनुमोदित है;
(ii) दो से अधिक देशों की भागीदारी है; और
(iii) इस खंड के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है; और
(ख) ऐसी आय की प्रकृति और विस्तार केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाती है।

34. किसी आय की प्रकृति और विस्तार, जिसे केंद्रीय सरकार इस संबंध में अधिसूचित कर सकेगी। निकाय या प्राधिकरण जिसे किसी संधि या दो या अधिक देशों के साथ केंद्रीय सरकार द्वारा किए गए करार या केंद्रीय सरकार द्वारा हस्ताक्षरित एक सम्मेलन के अधीन स्थापित या गठित या नियुक्त किया गया है ऐसा निकाय या प्राधिकरण—
(क) स्थापित या गठित या नियुक्त किया गया है जो लाभ के प्रयोजनों के लिए नहीं है; और
(ख) केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है.
35. धारा 70 की उपधारा (यज) में निर्दिष्ट ऋण के रूप में प्राप्त कोई रकम, या तो एकमुश्त या किस्त में, प्रतिवर्ती बंधक के संव्यवहार कोई व्यक्ति शून्य।
36. किसी आय की प्रकृति और विस्तार, जिसे केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट कर सकेगी कोई निकाय या प्राधिकरण या बोर्ड या ट्रस्ट या आयोग (चाहे किसी नाम से ज्ञात हो), या उसका कोई वर्ग, जो अनुसूची 7 (सारणी : क्र.सं. 42) के अधीन आने वाले से भिन्न हो । ऐसा निकाय या प्राधिकरण या बोर्ड या ट्रस्ट या आयोग—
(क) साधारण जनता के फायदे के लिए किसी क्रियाकलाप को विनियमित या प्रशासित करने के प्रयोजन से केंद्रीय अधिनियम, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित किया गया है, या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा गठित किया गया है;
(ख) किसी भी वाणिज्यिक क्रियाकलाप में संलग्न नहीं है; और

(ग) केन्द्रीय
सरकार द्वारा
अधिसूचित किया जाता
है।

37. इस संबंध में केंद्रीय इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम यह उस व्यवस्था पर लागू सरकार के निर्देशों के रिज़र्व्स लिमिटेड, पेट्रोलियम नहीं होगा यदि कच्चे तेल को अनुसरण में भंडारण और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के उस कर वर्ष की समाप्ति से सुविधा में भंडारित अधीन तेल उद्योग विकास बोर्ड तीन वर्षों के भीतर भंडारण कच्चे तेल की पुनःपूर्ति की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक सुविधा में नहीं भरा जाता है की व्यवस्था के कंपनी है जिसमें कच्चे तेल को पहली परिणामस्वरूप बार भंडारण सुविधा से हटाया उपार्जित या उत्पन्न गया था। होने वाली कोई आय
38. धारा 19(1)(सारणी : किसी कर्मचारी की मृत्यु पर शून्य क्रमांक 3.ग) से (सारणी कोई विधवा, बच्चे या आश्रित। : क्रमांक 6.ग) के उपबंधों के अनुसार गणना की गई कोई भी ग्रेच्युटी
39. आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(15)(ii)ग) या (15)(iv)(i) या (19क) या (40) के अधीन आने वाली कोई भी आय, उसमें प्रदान की गई शर्तों के अधीन होगी।

1961 का 43

टिप्पण 1—क्र.सं. 3 के प्रयोजनों के लिए,—

"आपदा" पद का वही अर्थ होगा जो आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 2(घ) में दिया गया है।

टिप्पण 2—क्र.सं. 8 और 15 के प्रयोजनों के लिए,—

"कुटुम्ब", एक व्यक्ति के संबंध में, से अभिप्रेत है—

- (i) पति या पत्नी और व्यक्ति के बच्चे; और
- (ii) व्यक्ति के माता-पिता, भाई और बहन या उनमें से कोई भी, पूर्ण रूप से या मुख्य रूप से व्यक्ति पर निर्भर है।

टिप्पण 3 : क्र.सं. 18 के प्रयोजनों के लिए,—

"प्रतिकर या प्रतिफल" पद में किसी भी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण द्वारा बढ़ाया गया प्रतिकर या प्रतिफल सम्मिलित है।

2005 का 53

टिप्पण 4—क्र.सं. 20 के प्रयोजनों के लिए,—

"सिक्किमी" पद से अभिप्रेत है,—

(i) कोई व्यक्ति, जिसका नाम 26 अप्रैल, 1975 से ठीक पूर्व सिक्किम नागरिक नियम, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "सिक्किम विषयों के रजिस्टर" के रूप में कहा गया है) के साथ पठित सिक्किम नागरिक विनियमन, 1961 के अधीन बनाए गए रजिस्टर में अभिलिखित है ; या

(ii) कोई व्यक्ति, जिसका नाम भारत सरकार के आदेश संख्या 26030/36/90-आईसीआई, तारीख 7 अगस्त, 1990 और सम संख्या के आदेश तारीख 8 अप्रैल, 1991 के आधार पर सिक्किम विषयों के रजिस्टर में सम्मिलित है; या

(iii) कोई अन्य व्यक्ति, जिसका नाम सिक्किम विषय के रजिस्टर में नहीं है, किंतु यह संदेह से परे स्थापित है कि ऐसे व्यक्ति के पिता या पति या दादा या उसी पिता के भाई का नाम उस रजिस्टर में दर्ज है ; या

(iv) कोई अन्य व्यक्ति, जिसका नाम सिक्किम के नागरिक रजिस्टर में प्रकट नहीं होता है, किंतु यह स्थापित किया जाता है कि ऐसा व्यक्ति 26 अप्रैल, 1975 को या उससे पहले सिक्किम में अधिवासित था; या

(v) कोई अन्य व्यक्ति, जो 26 अप्रैल, 1975 को या उससे पहले सिक्किम में अधिवासित नहीं था, लेकिन यह संदेह से परे स्थापित किया गया है कि ऐसे व्यक्ति के एक ही पिता से पिता या पति या पैतृक दादा या भाई 26 अप्रैल, 1975 को या उससे पहले सिक्किम में अधिवासित थे।

टिप्पण 5—क्र.सं. 21 के प्रयोजनों के लिए,—

"संबंधित बोर्ड" से अभिप्रेत है—

(i) चाय के संबंध में, चाय बोर्ड का अर्थ चाय अधिनियम, 1953 की धारा 4 के अधीन स्थापित चाय बोर्ड है; 1953 का 29

(ii) रबर के संबंध में, रबर अधिनियम, 1947 की धारा 4 के अधीन गठित रबर बोर्ड; 1947 का 24

(iii) कॉफी के संबंध में, कॉफी अधिनियम, 1942 की धारा 4 के अधीन गठित कॉफी बोर्ड; 1942 का 7

(iv) इलायची के संबंध में, मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अधीन गठित मसाला बोर्ड; 1986 का 10

(v) किसी अन्य वस्तु के संबंध में, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित कोई बोर्ड या अन्य प्राधिकारी जिसे केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

टिप्पण 6—क्र.सं. 22 के प्रयोजनों के लिए,—

"स्थानीय प्राधिकारी" पद से अभिप्रेत है—

(i) संविधान के अनुच्छेद 243(घ) में निर्दिष्ट पंचायत; या

(ii) संविधान के अनुच्छेद 243(ड) में निर्दिष्ट नगरपालिका; या

(iii) नगरपालिका समिति और जिला बोर्ड, विधिक रूप से हकदार हैं, या सरकार द्वारा समनुदेशित किए गए, नगरपालिका या स्थानीय निधि का नियंत्रण

या प्रबंधन; या

2006 का 41

(iv) छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 12 के अधीन गठित छावनी बोर्ड।

टिप्पण 7—क्र.सं. 25 के प्रयोजनों के लिए,—

1956 का 61

(क) "खादी और ग्रामोद्योग आयोग" से खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 के अधीन स्थापित खादी और ग्रामोद्योग आयोग अभिप्रेत है; और

(ख) "खादी" और "ग्रामोद्योग" का अर्थ क्रमशः वही होगा जो उस अधिनियम में उनका है।

टिप्पण 8—क्र.सं. 26 के प्रयोजनों के लिए,—

1992 का 15

(क) "प्रतिभूतिकरण" का वही अर्थ होगा जो इसका निम्नलिखित में है,—

1956 का 42

(i) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सार्वजनिक प्रस्ताव और प्रतिभूतिकृत ऋण लिखतों की सूची) विनियम, 2008 के विनियमन 2(1)(द) में है; या

2002 का 54

(ii) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की धारा 2(1)(य) में; या

(iii) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मानक आस्तियों के प्रतिभूतिकरण संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन ;

(ख) "प्रतिभूतिकरण ट्रस्ट" का वही अर्थ है जो धारा 221(6)(घ) में है।

टिप्पण 9—क्र.सं. 28 के प्रयोजनों के लिए,—

1952 का 74

"वस्तु एक्सचेंज" से अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 2 में यथापरिभाषित रजिस्ट्रीकृत संगम अभिप्रेत है।

टिप्पण 10—क्र.सं. 29 के प्रयोजनों के लिए,—

1996 का 22

(क) "निक्षेपागार" का वही अर्थ होगा जो निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 2(1)(ड) में है;

1992 का 15

1996 का 22

(ख) "विनियमों" से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 के अधीन बनाए गए विनियम अभिप्रेत है।

टिप्पण 11—क्र.सं. 30 के प्रयोजनों के लिए,—

1992 का 15

(क) "मान्यता प्राप्त समाशोधन निगम" का वही अर्थ होगा जो इसका निम्नलिखित में है—

1956 का 42

(i) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 के अधीन बनाया गया प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (विनियम स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018 का विनियम 2(1)(त); या

2019 का 50

(ii) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के अधीन बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस) विनियम, 2021 के विनियमन 2(1)(ढ);

(ख) "विनियमों" का निम्नलिखित अभिप्रेत है—

- (i) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 और प्रतिभू संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 के अधीन बनाया गया प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018; या 1992 का 15
1956 का 42
- (ii) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के अधीन बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर संस्थान) विनियम, 2021; 2019 का 50
- (ग) विनिर्दिष्ट व्यक्ति से अभिप्रेत है—
- (i) कोई मान्यता प्राप्त समाशोधन निगम, जो कोर समाधान प्रत्याभूति निधि का स्थापना और रख-रखाव करता है
- (ii) कोई मान्यता प्राप्त समाशोधन निगम में शेयर धारक हो या कोर समाधान प्रत्याभूति निधि में अंशदाता हो ; और
- (iii) कोर समाधान प्रत्याभूति निधि में अभिदाय करने वाला कोई समाशोधन सदस्य ।

अनुसूची 4

[धारा 11 देखिए]

पात्र अनिवासियों, विदेशी कंपनियों और अन्य ऐसे व्यक्तियों की कुल आय में शामिल न की जाने वाली आय

नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (ग) में उल्लिखित किसी पात्र व्यक्ति की कर वर्ष की कुल आय की गणना करने में, उक्त सारणी के स्तंभ (ख) में उल्लिखित आय को, उक्त सारणी के स्तंभ (घ) में उल्लिखित शर्तों के अधीन शामिल नहीं किया जाएगा, और स्तंभ (ख) से (घ) में प्रयुक्त अभिव्यक्तियों का क्रमशः वही अर्थ होगा जो उक्त सारणी के नीचे टिप्पणों में दिया गया है।

सारणी			
क्र. सं.	कुल आय में शामिल न की जाने वाली आय	पात्र व्यक्ति	शर्तें
(क)	(ख)	(ग)	(घ)
1.	ब्याज के रूप में कोई भी आय	(क) किसी व्यक्ति के रूप में ऐसा व्यक्ति जो विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 2(ब) में परिभाषित अनुसार भारत से बाहर का निवासी है; या (ख) किसी व्यक्ति के रूप में ऐसा व्यक्ति जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उक्त खाता बनाए रखने की अनुमति दी गई है।	ऐसा ब्याज उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार भारत में किसी भी बैंक में ऐसे व्यक्ति के अनिवासी (बाह्य) खाते में जमा धन रकम पर होगा।
2.	स्तंभ (ग) में	किसी विदेशी (क) भारत के किसी विदेशी देश के	

- उल्लिखित अधिकारी के रूप में सेवा के लिए प्राप्त कोई पारिश्रमिक, भारत के नागरिक के रूप में नहीं
- राज्य के दूतावास, उच्चायोग, दूतावास, वाणिज्य दूतावास या व्यापार प्रतिनिधित्व का कोई अधिकारी, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, या इनमें से किसी भी अधिकारी के कर्मचारीवृन्द का सदस्य हो ।
- व्यापार आयुक्त या अन्य शासकीय प्रतिनिधि के तौर पर प्राप्त पारिश्रमिक (मानद क्षमता में ऐसा पद धारण न करने वाला), या संबंधित देश में समान प्रयोजनों के लिए निवास करने वाले सरकार के संबंधित अधिकारियों या कर्मचारियों के सदस्यों, यदि कोई हों, के पारिश्रमिक को उस देश में समान छूट प्राप्त है; और
- (ख) कर्मचारीवृन्द के सदस्य प्रतिनिधित्व किए जाने वाले देश के नागरिक हैं और ऐसे कर्मचारी के सदस्य के रूप में भारत में किसी अन्य कारबार, वृत्ति या नियोजन में संलग्न नहीं हैं ।
3. भारत में आवास के दौरान कर्मचारी के रूप में उसके द्वारा दी गई सेवाओं के लिए प्राप्त कोई पारिश्रमिक
- वह व्यक्ति जो किसी विदेशी उद्यम का कर्मचारी है, भारत के नागरिक के रूप में नहीं ।
- (क) विदेशी उद्यम भारत में किसी व्यापार या कारबार में संलग्न नहीं है;
- (ख) ऐसे कर वर्ष में उसका भारत में प्रवास कुल मिलाकर नब्बे दिन से अधिक नहीं होता है; और
- (ग) ऐसा पारिश्रमिक इस अधिनियम के अधीन नियोजक की आय से कटौती के लिए दायी नहीं है ।
4. किसी विदेशी पोत पर नियोजन के संबंध में प्रदान की गई सेवाओं के लिए पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त या संदेय "वेतन" शीर्षक के अधीन प्रभार्य कोई भी आय
- कोई भी व्यक्ति जो अनिवासी है, भारत के नागरिक के रूप में नहीं ।
- ऐसे व्यक्ति का भारत में कुल प्रवास कर वर्ष में नब्बे दिनों से अधिक नहीं होता है ।
5. किसी विदेशी राज्य की सरकार के कर्मचारी के रूप में प्राप्त कोई पारिश्रमिक
- किसी विदेशी राज्य की सरकार का कर्मचारी, भारत के नागरिक के रूप में नहीं
- ऐसा पारिश्रमिक भारत में उसके आवास के दौरान किसी स्थापन या कार्यालय में या किसी उपक्रम में प्रशिक्षण के संबंध में प्राप्त किया जाता है, जिसका स्वामित्व है—
- (क) सरकार; या

(ख) कोई कंपनी जिसमें संपूर्ण समादत्त शेयर पूंजी केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या राज्य सरकारों के पास है, या आंशिक रूप से केंद्रीय सरकार के पास और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों के पास है ; या

(ग) कोई कंपनी जो खंड (ख) में निर्दिष्ट कंपनी की सहायक कंपनी है; या

(घ) किसी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई निगम; या

(ङ) सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन या किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सोसायटी और पूरी तरह से केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या राज्य सरकारों द्वारा या आंशिक रूप से केंद्रीय सरकार और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा वित्तपोषित ।

6. तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी कंपनी या शुल्क के रूप में उद्भूत होने वाली कोई भी आय
 - (क) ऐसी कंपनी को केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो; और
 - (ख) ऐसी आय भारत की सुरक्षा से जुड़ी परियोजनाओं में भारत में या भारत के बाहर सेवाएं प्रदान करने के लिए केंद्रीय सरकार के साथ किए गए करार के अनुसरण में प्राप्त हुई हो ।
7. भारत में या भारत से बाहर प्रदान की गई तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या शुल्क के रूप में उद्भूत होने वाली कोई भी आय
 - (क) राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन से प्राप्त ऐसी रॉयल्टी; या
 - (ख) तकनीकी सेवाओं के लिए राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन को दी गई ऐसी फीस ।
8. प्राप्त ब्याज
 - अनिवासी या भारत में प्राप्त ऐसा ब्याज विशेष कोई व्यक्ति, आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (2005

- जो सामान्य निवासी नहीं है। का 28) की धारा 2(प) में निर्दिष्ट अपतटीय बैंकिंग यूनिट में 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् की गई जमा रकम पर भारत में प्राप्त होता है।
9. किसी क्रूज पोत विदेशी कंपनी के पट्टे किराये से आय, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाए, (क) ऐसी आय किसी विनिर्दिष्ट कंपनी से प्राप्त होती है जो भारत में ऐसे पोतों या पोतों का संचालन करती है; (ख) ऐसी विदेशी कंपनी और विनिर्दिष्ट कंपनी एक ही नियंत्रित कंपनी की सहायक कंपनियां हैं; और (ग) ऐसी आय 1 अप्रैल, 2029 को या उससे पूर्व शुरू होने वाले किसी भी सुसंगत कर वर्ष के लिए भारत में प्राप्त होती है या प्रोद्भूत होती है या उद्भूत होती है ।
10. भारत में विनिधान से प्राप्त ब्याज, लाभांश या पूंजी अभिलाभ के रूप में प्राप्त कोई भी आय युरोपीय आर्थिक समुदाय ऐसी स्कीम के अधीन अपनी निधियों से किए गए ऐसे विनिधान, जिन्हें केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट कर सकती है ।
11. भारत में भारतीय एक विदेशी मुद्रा में प्राप्त कोई भी आय (क) ऐसी आय भारत में किसी व्यक्ति को कच्चे तेल या किसी अन्य वस्तु की बिक्री या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में यथाअधिसूचित सेवाओं के प्रदान करने के कारण होती है; (ख) विदेशी कंपनी द्वारा भारत में ऐसी आय की अभिलाभ केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी करार या व्यवस्था के अनुसरण में होती है; (ग) राष्ट्रीय हित के संबंध में ऐसी विदेश कंपनी तथा करार या व्यवस्था, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाती है; और (घ) ऐसी विदेशी कंपनी भारत में ऐसी आय उद्भूत करने वाली क्रियाकलाप से भिन्न किसी अन्य क्रियाकलाप में संलग्न नहीं है ।

12. भारत में भारतीय एक विदेशी (क) विदेशी कंपनी द्वारा ऐसा भंडारण मुद्रा में प्राप्त कोई कंपनी और बिक्री केंद्रीय सरकार द्वारा किए भी आय भारत में गए या केंद्रीय सरकार द्वारा किसी सुविधा में अनुमोदित किसी करार या व्यवस्था के कच्चे तेल के अनुसार की जाती है ; और भंडारण और भारत (ख) राष्ट्रीय हित के संबंध में ऐसी में रहने वाले किसी व्यक्ति को विदेश कंपनी तथा करार या व्यवस्था, ऐसे कच्चे तेल की जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित बिक्री के कारण प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली कोई भी आय की जाती है।
13. क्रम संख्या 12 में एक विदेशी ऐसी बिक्री उक्त करार या व्यवस्था में उल्लिखित करार कंपनी अनुसार होगी, या व्यवस्था की समाप्ति के ऐसी शर्तों के अधीन होगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित पश्चात् या उक्त करार या व्यवस्था के समापन पर की जाएगी । भारत में सुविधा से कच्चे तेल के बचे हुए स्टॉक, यदि कोई हो, की बिक्री के कारण प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली कोई आय ।
14. आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) में यथाविनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए धारा 10 के खंड (6क), (6ख), (6खख), (15क), (15)(iiiक), (15)(iiiख), (15)(iiiग), या (15)(iv)(क), (15)(iv)(ख) या
-

(15)(iv) (चक) के
अधीन आने वाली
कोई आय ।

टिप्पण 1—क्रम संख्या 9 के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "विनिर्दिष्ट कंपनी" से तात्पर्य घरेलू कंपनी के अलावा किसी ऐसी कंपनी से है जो भारत में क्रूज पोतों का संचालन करती है और धारा 61(2) के उपबंधों के अनुसार कर का संदाय का विकल्प चुनती है (सारणी: क्रम संख्या 2);

(ख) किसी विदेशी कंपनी या किसी विनिर्दिष्ट कंपनी के संबंध में "होलडिंग कंपनी" से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है, जिसकी ऐसी कंपनियां सहायक कंपनियां हैं; तथा

(ग) "सहायक कंपनी" या "सहायक" से, किसी होलडिंग कंपनी के संबंध में, ऐसी कंपनी अभिप्रेत है जिसमें होलडिंग कंपनी या तो स्वयं या अपनी एक या अधिक सहायक कंपनियों के साथ मिलकर कुल शेयर पूंजी के आधे से अधिक का प्रयोग या नियंत्रण करती है ।

टिप्पण 2—क्रम संख्या 10 के प्रयोजनों के लिए,—

"यूरोपीय आर्थिक समुदाय" से 25 मार्च, 1957 की रोम संधि द्वारा स्थापित यूरोपीय आर्थिक समुदाय अभिप्रेत है ।

अनुसूची 5

[धारा 11 देखिए]

विनिधान निधि, कारबार न्यास और उनके यूनिट धारकों सहित कतिपय पात्र व्यक्तियों की कुल आय में शामिल न की जाने वाली आय

नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (ग) में उल्लिखित किसी पात्र व्यक्ति की कर वर्ष की कुल आय की गणना करने में, उक्त सारणी के स्तंभ (ख) में उल्लिखित आय को, उक्त सारणी के स्तंभ (घ) में उल्लिखित शर्तों के अधीन शामिल नहीं किया जाएगा, और स्तंभ (ख) से (घ) में प्रयुक्त अभिव्यक्तियों का क्रमशः वही अर्थ होगा जो उक्त सारणी के नीचे टिप्पणों में दिया गया है।

सारणी			
क्र.सं.	कुल आय में शामिल न की जाने वाली आय	पात्र व्यक्ति	शर्तें
(क)	(ख)	(ग)	(घ)
1.	“कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ” शीर्षक के अधीन प्रभार्य आय से भिन्न कोई अन्य आय	एक विनिधान निधि	शून्य
2.	धारा 224 में निर्दिष्ट कोई भी आय, जो प्रोद्भूत या उद्भूत होती है, या प्राप्त होती है, जो आय का वह अनुपात है जो “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्षक के अधीन प्रभार्य आय के समान प्रकृति की है।	किसी विनिधान निधि का यूनिट धारक	शून्य
3.	निम्नलिखित के माध्यम से कोई आय— (क) किसी विशेष प्रयोजन यान से प्राप्त या प्राप्य ब्याज ; या (ख) किसी विशेष प्रयोजन यान से प्राप्त या प्राप्य लाभांश	कोई कारबार न्यास	शून्य
4.	ऐसे कारबार न्यास के प्रत्यक्ष स्वामित्व वाली किसी भू-संपदा आस्ति को किराये पर देने, पट्टे पर देने या किराये पर देने से होने वाली कोई आय	कोई कारबार न्यास, जो एक भू-संपदा विनिधान न्यास है	शून्य

5. धारा 223 में निर्दिष्ट कोई वितरित आय, किसी कारबार न्यास का कोई भी यूनिट धारक। आय का वह अनुपात जो समान प्रकृति का है, के लिए छूट अनुज्ञात नहीं की जाएगी—
(क) कारबार न्यास द्वारा विशेष प्रयोजन यान से प्राप्त या प्राप्य ब्याज; या
(ख) कारबार न्यास द्वारा विशेष प्रयोजन यान से प्राप्त या प्राप्य लाभांश (ऐसी दशा में जहां विशेष प्रयोजन यान ने धारा 200 के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है); या
(ग) कारबार न्यास, जो एक भू-संपदा विनिधान न्यास के रूप में है, की आय किराए पर देने या पट्टे पर देने या किसी भू-संपदा आस्ति को किराए पर देने के माध्यम से जो सीधे ऐसे कारबार न्यास के स्वामित्व में है।
6. किसी उपक्रम पूंजी जोखिम में विनिधान से प्राप्त कोई आय जोखिम पूंजी कंपनी या उपक्रम पूंजी निधि जो धारा 224(10)(क) में विनिर्दिष्ट विनिधान निधि से भिन्न हो शून्य।
7. किसी भी प्रकार की आय—
(क) लाभांश;
(ख) ब्याज;
(ग) धारा 92(2)(ट) में निर्दिष्ट कोई रकम; या
(घ) दीर्घावधि पूंजी लाभ, (क्या ऐसा पूंजी अभिलाभ धारा 76 के अधीन अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ माना जाएगा) जो भारत में किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किए गए विनिधान से उद्भूत होता है, (क) ऐसा विनिधान—
(i) 1 अप्रैल, 2020 को या उसके पश्चात् लेकिन 31 मार्च, 2030 को या उससे पूर्व किया गया हो;
(ii) कम से कम तीन वर्षों के लिए रखा गया हो; और
(iii) निम्नलिखित में से किसी में हो,—
(क) पात्र इन्विट के रूप में एक कारबार न्यास;
(ख) एक पात्र अवसरचना यूनिट;

चाहे वह ऋण या शेयर पूंजी
या यूनिट के रूप में हो ।

(ग) एक पात्र अनुकल्पी विनिधान
निधि;

(घ) एक पात्र घरेलू कंपनी; या

(ङ) एक पात्र गैर बैंककारी वित्तीय
कंपनी;

(ख) यदि उपबंधों के निर्वचन में
या क्रियान्वयन में कठिनाई आती
है, तो बोर्ड मार्गदर्शक सिद्धांत
जारी कर सकेगी

(ग) ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत,—

(i) केंद्रीय सरकार के पूर्व
अनुमोदन से जारी किए जाएंगे;
और

(ii) संसद् के प्रत्येक सदन के
समक्ष रखे जाएंगे;

(iii) आयकर प्राधिकारियों और
विनिर्दिष्ट व्यक्तियों पर
बाध्यकारी होगी;

(घ) जहां किसी आय को
विनिर्दिष्ट व्यक्ति की कुल आय
में शामिल नहीं किया गया है,
और तत्पश्चात किसी कर वर्ष के
दौरान निर्दिष्ट व्यक्ति इनमें से
किसी भी शर्त को पूरा करने में
विफल रहता है, जिससे उक्त आय
ऐसे गैर-समावेश के लिए पात्र
नहीं होती, ऐसी आय उस कर वर्ष
के निर्दिष्ट व्यक्ति की आय के
रूप में आयकर के लिए प्रभार्य
होगी;

(ङ) जहां किसी पात्र अनुकल्पी
विनिधान निधि का एक या
अधिक पात्र अवसंरचना अस्तित्व
या पात्र घरेलू कंपनी या पात्र
राष्ट्रीय बैंककारी वित्तीय कंपनी या
पात्र इनवीआईटी में 100% से
कम विनिधान है, ऐसे विनिधान
से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से
प्रोद्भूत या उद्भूत या प्राप्त या
संदेय आय, जो इसमें छूट प्राप्त
है, की गणना एक या अधिक पात्र

अवसंरचना अस्तित्व या पात्र घरेलू कंपनी या पात्र राष्ट्रीय बैंककारी वित्तीय कंपनी या पात्र इनवीआईटी में किए गए विनिधान के अनुपात में रीति से की जाएगी, जो विहित की जाए;

(च) जहां किसी पात्र घरेलू कंपनी का एक या अधिक पात्र अवसंरचना अस्तित्व में 100% से कम विनिधान है, ऐसे विनिधानों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रोद्भूत या उद्भूत या संदेय आय, जो यहां छूट प्राप्त है, की गणना पात्र अवसंरचना अस्तित्व में किए गए विनिधान के अनुपात में रीति से की जाएगी, जो विहित की जाए;

(छ) जहां किसी पात्र राष्ट्रीय बैंककारी वित्तीय कंपनी का एक या अधिक पात्र अवसंरचना अस्तित्व में 100% से कम उधार है, ऐसे उधार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रोद्भूत या प्राप्त या संदेय आय, जो यहां छूट प्राप्त है, की गणना पात्र अवसंरचना अस्तित्व में किए गए उधार के अनुपात में रीति से की जाएगी, जो विहित की जाए ;

(ज) यदि किसी सॉवरेन वेल्थ निधि या पेंशन निधि के पास भारत में विनिधान करने के प्रयोजन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण या उधार है, तो ऐसी निधि कुल आय से अपवर्जन के लिए पात्र नहीं मानी जाएगी,

8. आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23च) और (23चक) उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन आने वाली कोई आय।

अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जो धारा 224(10)(क) में दिया गया है।

टिप्पण 2— क्रम संख्या 3 के प्रयोजनों के लिए, “विशेष प्रयोजन यान” अभिव्यक्ति का अर्थ एक भारतीय कंपनी है जिसमें व्यवसाय न्यास नियंत्रक हित और शेयरधारिता या हित का कोई विशिष्ट प्रतिशत रखता है, जैसा कि उस विधि द्वारा अपेक्षित हो जिसके अधीन ऐसे न्यास को रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाता है।

टिप्पण 3— क्रम संख्या 4 और 5 के प्रयोजनों के लिए, “भू-संपदा आस्ति” अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (भू-संपदा विनिधान न्यास) विनियम, 2014 के विनियम 2(1)(यज) में दिया गया है।

टिप्पण 4— क्रम संख्या 6 के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “जोखिम पूंजी कंपनी” से तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जो—

(i) जिसे 21 मई, 2012 से पहले जोखिम पूंजी निधि के रूप में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया हो और जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जोखिम पूंजी निधि) विनियम, 1996 (जिसे इसमें जोखिम पूंजी निधि विनियम कहा गया है) के अधीन विनियमित हो ; या

(ii) जिसे प्रवर्ग I अनुकल्पी विनिधान निधि के उप-प्रवर्ग के रूप में जोखिम पूंजी निधि के रूप में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया हो और जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अनुकल्पी विनिधान निधि) विनियम, 2012 (जिसे इसमें अनुकल्पी विनिधान निधि विनियम कहा गया है) के अधीन विनियमित हो, और जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती हो :—

(अ) यह किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है;

(आ) इसने अपने विनिधान योग्य निधियों का कम से कम दो-तिहाई हिस्सा गैर-सूचीबद्ध साम्या शेयरों या जोखिम पूंजी उपक्रम के साम्या लिंकड उपकरणों में विनिधान किया है; और

(ई) इसने किसी ऐसे जोखिम पूंजी उपक्रम में विनिधान नहीं किया है जिसमें इसका निदेशक या कोई बड़ा शेयरधारक (अपनी साम्या शेयर पूंजी के 10% से अधिक साम्या शेयरों का लाभकारी स्वामी होने के नाते) व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से ऐसे जोखिम पूंजी उपक्रम की संदत साम्या शेयर पूंजी के 15% से अधिक साम्या शेयर रखता हो;

(ख) “जोखिम पूंजी निधि” का अर्थ है एक निधि—

(i) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत न्यास विलेख के अधीन काम कर रही है, जो—

(क) 21 मई, 2012 से पहले जोखिम पूंजी निधि के रूप में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र दिया गया है और उद्यम पूंजी निधि विनियमों के अधीन विनियमित है; या

(ख) अनुकल्पी विनिधान निधि विनियमन के अधीन प्रवर्ग I अनुकल्पी विनिधान निधि की उप - प्रवर्ग के रूप में जोखिम पूंजी निधि के रूप में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र दिया गया है या जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय

सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) के अधीन बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (निधि प्रबंधन) विनियमन, 2022 के विनियमन 18(2) में निर्दिष्ट है, और जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है:—

(I) इसने अपने विनिधान योग्य निधियों का कम से कम दो-तिहाई हिस्सा गैर-सूचीबद्ध साम्या शेयरों या जोखिम पूंजी उपक्रम के साम्या लिंक्ड उपकरणों में विनिधान किया है;

(II) इसने किसी ऐसे उद्यम पूंजी उपक्रम में विनिधान नहीं किया है जिसमें इसके न्यासी या सेटलर व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से ऐसे जोखिम पूंजी उपक्रम की संदत साम्या शेयर पूंजी के 15% से अधिक साम्या शेयर रखते हैं;

(III) इसके द्वारा जारी की गई इकाइयाँ, यदि कोई हों, किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं; और

(IV) कोई अन्य शर्त, जो विहित की जाए; या

(ii) यूनिट न्यास ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई जोखिम पूंजी योजना के रूप में परिचालन करना;

(ग) "जोखिम पूंजी उपक्रम" का अर्थ है—

(i) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जोखिम पूंजी निधि) विनियमन, 1996 के विनियम 2(ढ) में यथापरिभाषित जोखिम पूंजी उपक्रम; या

(ii) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अनुकल्पी विनिधान निधि) विनियमन, 2012 के विनियम 2(1)(कक) में यथापरिभाषित जोखिम पूंजी उपक्रम।

टिप्पण 5—क्रम संख्या 7 के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "विनिर्दिष्ट व्यक्ति" का अर्थ है—

(i) अबू धाबी विनिधान प्राधिकरण की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, जो—

(क) संयुक्त अरब अमीरात का निवासी है; और

(ख) अबू धाबी सरकार के स्वामित्व वाली निधि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विनिधान करता है;

(ii) एक संप्रभु धन निधि, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है, अर्थात् :—

(क) यह किसी विदेशी देश की सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूर्ण रूप से स्वामित्व और नियंत्रित है;

(ख) यह ऐसे विदेशी देश के विधि के अधीन स्थापित और विनियमित है;

(ग) उक्त निधि की आय या तो उस विदेशी देश की सरकार के खाते में या उस सरकार द्वारा अभिहित किसी अन्य खाते में जमा की जाती है, ताकि आय का कोई भी हिस्सा किसी निजी व्यक्ति को कोई लाभ न पहुंचाए;

(घ) उक्त निधि की परिसंपत्ति विघटन के बाद उस विदेशी देश की सरकार में निहित हो जाती है;

(ङ) मद (ग) और (घ) के उपबंध भारत में विनिधान करने के अलावा

अन्य उद्देश्यों के लिए गए ऋण या उधार के लिए लेनदारों या जमाकर्ताओं को किए गए किसी भी संदत पर लागू नहीं होंगे;

(च) यह विनिधानीति के दिन-प्रतिदिन के कार्यों में भाग नहीं लेता है, लेकिन विनिधानीति के पास विनिधान की सुरक्षा के लिए निगरानी तंत्र, जिसमें निदेशकों या कार्यकारी निदेशक को नियुक्त करने का अधिकार शामिल है, को विनिधानीति के दिन-प्रतिदिन के कार्यों में भागीदारी नहीं माना जाएगा; और

(छ) इसे केंद्रीय सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है और ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है;

(iii) एक पेंशन निधि, जो—

(क) किसी विदेशी देश के विधि के अधीन बनाई या स्थापित की गई है, जिसमें उसके किसी भी राजनीतिक घटक द्वारा बनाए गए विधि शामिल हैं, जो एक प्रांत, राज्य या स्थानीय निकाय है, चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाए;

(ख) ऐसे विदेशी देश में कर के लिए उत्तरदायी नहीं है या यदि कर के लिए उत्तरदायी है, तो ऐसे विदेशी देश द्वारा इसकी सभी आय के लिए कराधान से छूट प्रदान की गई है;

(ग) यह विनिधानीति के दिन-प्रतिदिन के कार्यों में भाग नहीं लेता है, लेकिन विनिधानीति के पास विनिधान की सुरक्षा के लिए निगरानी तंत्र, जिसमें निदेशकों या कार्यकारी निदेशक को नियुक्त करने का अधिकार शामिल है, को विनिधानीति के दिन-प्रतिदिन के कार्यों में भागीदारी नहीं माना जाएगा;

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है तथा ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है; तथा

(ङ) अन्य शर्तों को पूरा करता है, जो विहित की जाए;

(iv) साऊदी अरब किंगडम की सरकार की लोक विनिधान निधि;

(v) साऊदी अरब किंगडम की सरकार की लोक विनिधान निधि की पूर्णतः स्वामित्व वाली समनुषंगी, जो—

(क) साऊदी अरब का निवासी है; और

(ख) ऐसी सरकार द्वारा पूर्णतः स्वामित्व वाली निधि में से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विनिधान करना;

(ख) “विनिधानीति” का अर्थ है कोई व्यवसायिक या पात्र अवसंरचना इकाई या पात्र अनुकल्पी विनिधान निधि या पात्र घरेलू कंपनी या पात्र गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, जिसमें संप्रभु धन निधि या पेंशन निधि ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विनिधान किया है;

(ग) “ऋण और उधार” का अर्थ है—

(i) किसी संप्रभु धन निधि द्वारा लिया गया कोई ऋण या उधार, या किसी संप्रभु धन निधि में उस देश की सरकार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया कोई जमा या विनिधान जिसमें संप्रभु धन निधि स्थापित की गई है;

(ii) किसी व्यक्ति द्वारा पेंशन निधि से लिया गया कोई ऋण या उधार, या

पेंशन निधि में किया गया कोई जमा या विनिधान, लेकिन इसमें शामिल नहीं होगा—

(क) वह जमा या विनिधान जो सेवानिवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार, विकलांगता या मृत्यु लाभ प्रदान करने के लिए स्थापित एक या अधिक निधियों या योजनाओं के वैधानिक दायित्वों और परिभाषित अभिदायों का प्रतिनिधित्व करता है; या

(ख) यथास्थिति, ऐसी निधियों या योजनाओं के प्रतिभागियों या लाभार्थियों को कोई समान मुआवजा,

(घ) "पात्र अवसंरचना इकाई" का अर्थ है एक कंपनी या उद्यम या कोई इकाई जो निम्नलिखित व्यवसाय करती है—

(i) धारा 138 में यथापरिभाषित विकास करने का कारबार या परिचालन और अनुरक्षण या अवसंरचना सुविधा का विकास करना, परिचालन तथा अनुरक्षण करना ; या

(ii) ऐसा अन्य कारबार, जो इस निमित्त केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट कर सकेगी;

(ङ) "पात्र अनुकल्पी विनिधान निधि" का अर्थ है प्रवर्ग-I या प्रवर्ग-II अनुकल्पी विनिधान निधि—

(i) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अनुकल्पी विनिधान निधि) विनियम, 2012 के अधीन विनियमित;

(ii) एक या अधिक पात्र अवसंरचना इकाई या पात्र घरेलू कंपनी या पात्र गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी या पात्र इनविट में 50% से कम विनिधान नहीं होना, जैसा कि विहित रीति से गणना की गई हो;

(च) "पात्र घरेलू कंपनी" का अर्थ है एक घरेलू कंपनी—

(i) 1 अप्रैल, 2021 को या उसके बाद स्थापित और रजिस्ट्रीकृत; और

(ii) एक या अधिक पात्र अवसंरचना इकाइयों में न्यूनतम 75% विनिधान होना, जैसा कि विहित रीति से गणना की गई हो;

(छ) "पात्र गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी" का अर्थ है—

(i) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अधिसूचना संख्या आर बी आई/2009-10/316 में निर्दिष्ट अवसंरचना वित्तीय कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकृत एक गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी-परिमाण आधारित विनियमन) निदेश, 2023 में निर्दिष्ट एक अवसंरचना ऋण निधि या एक गैर-बैंककारी वित्त कंपनी; और

(ii) एक या एक से अधिक पात्र इन्फ्रास्ट्रक्चर संस्थाओं को न्यूनतम 90% उधार देना, विहित रीति से गणना करना; और

(ज) "पात्र इनविट" का अर्थ है धारा 2(21)(क) में विनिर्दिष्ट एक इन्फ्रास्ट्रक्चर विनिधान न्यास ।

अनुसूची 6

[धारा 11 देखिए]

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में कार्यरत या उससे आय प्राप्त करने वाले कतिपय पात्र व्यक्तियों की कुल आय में शामिल न की जाने वाली आय

नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (ग) में उल्लिखित किसी पात्र व्यक्ति की कर वर्ष की कुल आय की गणना करने में, उक्त सारणी के स्तंभ (ख) में उल्लिखित आय को, उक्त सारणी के स्तंभ (घ) में उल्लिखित शर्तों के अधीन शामिल नहीं किया जाएगा, और स्तंभ (ख) से (घ) में प्रयुक्त अभिव्यक्तियों का क्रमशः वही अर्थ होगा जो उक्त सारणी के नीचे टिप्पणों में दिया गया है।

सारणी			
क्रम सं.	कुल आय में शामिल न की जाने वाली आय	पात्र व्यक्ति	शर्तें
(क)	(ख)	(ग)	(घ)
1.	धारा 70(1)(द) में निर्दिष्ट पूंजी आस्ति के अंतरण के परिणामस्वरूप प्रोद्भूत या उससे उद्भूत या प्राप्त कोई आय, जहां ऐसा अंतरण किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थित मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में होता है।	कोई विनिर्दिष्ट निधि	(क) प्रतिफल परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में संदत किया जाता है या संदेय होता है; (ख) आय को कुल आय में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐसी आय निम्नलिखित के कारण होती है— (i) अनिवासी द्वारा धारित इकाइयाँ (भारत में अनिवासी का स्थायी स्थापन नहीं); या (ii) अपतटीय बैंकिंग यूनिट का विनिधान प्रभाग; और (ग) छूट प्राप्त आय की गणना रीति ऐसी में की जाएगी, जो विहित की जाए।
2.	प्रतिभूतियों के अंतरण के परिणामस्वरूप प्रोद्भूत या उद्भूत या प्राप्त कोई भी आय (भारत में स्थित किसी कंपनी में शेयरों से भिन्न)	कोई विनिर्दिष्ट निधि	क्रम सं. (1) के सामने स्तंभ (घ) के खंड (ख) और खंड (ग) में यथाविनिर्दिष्ट।
3.	किसी अनिवासी द्वारा जारी प्रतिभूतियों से प्राप्त कोई आय	कोई विनिर्दिष्ट निधि	(क) ऐसी आय अन्यथा भारत में या उद्भूत नहीं होती है; (ख) क्रम सं. (1) के सामने स्तंभ (घ) के खंड (ख) और खंड (ग) में

यथाविनिर्दिष्ट ।

4. प्रतिभूतिकरण न्यास से कोई प्राप्त कोई भी आय, जो विनिर्दिष्ट "कारबार या वृत्ति के लाभ निधि और अभिलाभ" शीर्षक के अधीन प्रभार्य है ।
क्रम सं. (1) के सामने स्तंभ (घ) के खंड (ख) और खंड (ग) में यथाविनिर्दिष्ट ।
5. कोई भी आय जो प्रोद्भूत अनिवासी या उद्भूत हुई हो या जिसके परिणामस्वरूप प्राप्त हुई हो—
(क) गैर-वितरणीय अग्रिम संविदाओं या अपतटीय व्युत्पन्न उपकरणों या ओवर-द-काउंटर व्युत्पन्नों का अंतरण; या
(ख) अपतटीय व्युत्पन्न उपकरणों या ओवर-द-काउंटर व्युत्पन्नों पर आय का वितरण ।
(क) धारा 147 में यथानिर्दिष्ट ऐसी संविदा, लिखत या व्युत्पन्न किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रीय की अपतटीय बैंकिंग यूनिट या किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की इकाई के रूप में कोई विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता के रूप में किया गया है; और
(ख) यह ऐसी शर्तों को पूरा करता है जो विहित की जा सकती हैं ।
6. किसी कर वर्ष में किसी अनिवासी वायुयान या पोत के पट्टे के कारण रॉयल्टी या ब्याज के रूप में कोई आय।
(क) धारा 147 में यथानिर्दिष्ट ऐसी रॉयल्टी या ब्याज का संदाय अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की यूनिट द्वारा किया जाता है; और
(ख) ऐसी यूनिट ने 31 मार्च, 2030 को या उससे पूर्व अपना परिचालन प्रारंभ कर दिया है।
7. निम्नलिखित से प्राप्त अनिवासी कोई आय—
(क) प्रतिभूतियों या वित्तीय उत्पादों या निधियों का पोर्टफोलियो, जो अनिवासी की ओर से किसी पोर्टफोलियो प्रबंधक द्वारा प्रबंधित या प्रशासित हो; या
(ख) ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई ऐसी क्रियाकलाप,
(क) धारा 147 में यथानिर्दिष्ट ऐसी आय किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में अपतटीय बैंकिंग यूनिट के पास रखे गए खाते में प्राप्त होती है, और
(ख) कुल आय में शामिल न की जाने वाली आय उस सीमा तक होगी, जो ऐसी आय भारत के बाहर प्रोद्भूत या उद्भूत होती है और भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत नहीं मानी जाती है।

- जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा यथाअधिसूचित किया जा सकता है।
8. धारा 147 में यथानिर्दिष्ट धारा 147 (क) घरेलू कंपनी—
 घरेलू कंपनी की साम्या में (i) यह मुख्य रूप से वायुयान या पोत पट्टे पर देने के कारबार में लगी हुई है;
 शेयरों के अंतरण से यथानिर्दिष्ट एक (ii) इसने 31 मार्च, 2030 को या उससे पूर्व परिचालन शुरू कर दिया है; और
 उद्भूत पूंजी लाभ के रूप एक अनिवासी, या एक (ख) ऐसी घरेलू कंपनी के साम्या शेयरों के अंतरण से उद्भूत पूंजी लाभ के लिए कुल आय से अपवर्जन उपलब्ध होगा, जो कर वर्ष के अधीन आता है—
 में कोई आय, जहां ऐसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की एक यूनिट, जो प्राथमिक रूप से (i) उस कर वर्ष से शुरू होने वाले दस कर वर्षों की अवधि जिसमें घरेलू कंपनी ने परिचालन शुरू किया है; या
 घरेलू कंपनी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की एक यूनिट, जो प्राथमिक रूप से वायुयान या पोत पट्टे पर देने के कारबार में लगी हुई है (ii) 1 अप्रैल, 2023 को शुरू होने वाले कर वर्ष से शुरू होने वाले दस कर वर्षों की अवधि, जहां उप-खंड (i) में निर्दिष्ट अवधि 1 अप्रैल, 2033 से पूर्व समाप्त होती है।
9. किसी विनिर्दिष्ट निधि से किसी शून्य।
 प्राप्त या प्रोद्भूत होने विनिर्दिष्ट
 वाली या किसी विनिर्दिष्ट निधि का
 निधि में इकाइयों के यूनिट
 अंतरण से प्राप्त होने धारक
 वाली कोई आय
10. भारत में स्थित किसी कोई (क) पूंजी लाभ परिणामी निधि या विनिर्दिष्ट निधि द्वारा शेयरों के अंतरण के कारण उद्भूत या अनिवासी या (ख) ऐसे शेयरों को मूल निधि से, या उसके पूर्ण स्वामित्व वाले विशेष प्रयोजन यान से, परिणामी निधि में अंतरण के दौरान अंतरित किया गया था, और ऐसे शेयरों पर पूंजी लाभ कर के अधीन नहीं थे यदि वह अंतरण नहीं हुआ होता; और
 या प्राप्त पूंजी लाभ की विनिर्दिष्ट निधि (ग) कुल आय में शामिल न की जाने प्रकृति की कोई भी आय निधि

वाली आय, अनिवासियों (भारत में किसी अनिवासी का स्थायी स्थापन न होने के कारण) द्वारा उस रीति से धारित इकाइयों के कारण सीमा तक होगी, जो विहित की जाए।

11. किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय किसी भी सेवा केंद्र की यूनिट होने वाली किसी कंपनी से वित्तीय सेवा लाभांश के रूप में कोई केंद्र की आय जो प्राथमिक रूप से एक यूनिट वायुयान या पोत पट्टे पर देने के कारबार में लगी हुई है
 12. संदेय ब्याज के माध्यम अनिवासी से कोई आय
- ऐसी यूनिट मुख्य रूप से वायुयान या पोत पट्टे के कारबार में लगी हुई है
- ऐसा ब्याज किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की यूनिट द्वारा उसके द्वारा 1 सितंबर, 2019 को या उसके पश्चात् उधार ली गई धन रकम के संबंध में संदेय होगा।

टिप्पण 1—क्रम संख्या 1 से 4 के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा" से वह विदेशी मुद्रा अभिप्रेत है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रयोजनों के लिए परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा माना जाता है;

1999 का 42

(ख) "अपतटीय बैंकिंग इकाई का विनिधान प्रभाग" से तात्पर्य धारा 147 में यथानिर्दिष्ट किसी अनिवासी की बैंकिंग इकाई के विनिधान प्रभाग से है जो किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थित है और जिसने 31 मार्च, 2030 को या उससे पहले अपना परिचालन शुरू कर दिया है;

(ग) "प्रबंधक" का वही अर्थ होगा जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अनुकल्पी विनिधान निधि) विनियम, 2012 के विनियम 2(1)(थ) में दिया गया है;

1992 का 15

(घ) "स्थायी प्रतिष्ठान" का वही अर्थ होगा जो धारा 173 (ग) में दिया गया है;

(ङ) "प्रतिभूतियों" का वही अर्थ होगा जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2(ज) में दिया गया है और इसमें ऐसी अन्य प्रतिभूतियां या लिखत भी शामिल होंगी जो इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा यथाअधिसूचित की गई हों;

1956 का 42

(च) "प्रतिभूतिकरण न्यास" का वही अर्थ होगा जो धारा 221(6)(घ) में दिया गया है;

(छ) "विनिर्दिष्ट निधि" से तात्पर्य है—

(i) भारत में किसी न्यास या कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी या निगमित निकाय के रूप में स्थापित या निगमित निधि, जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में अवस्थित है—

(क) जिसे प्रवर्ग III अनुकल्पी विनिधान निधि के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र

प्रदान किया गया है और जो विनियमित है ।

1992 का 15

(I) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अनुकल्पी विनिधान निधि) विनियम, 2012 के अधीन विनियमित है;

2019 का 50

(II) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के अधीन बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (निधि प्रबंधन) विनियम, 2022 के अधीन विनियमित है; या

2019 का 50

(ख) जिसे खुदरा योजना या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के रूप में प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है, और जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के अधीन बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (निधि प्रबंधन) विनियम, 2022 के अधीन ऐसी स्कीम या निधियों के लिए अधिकथित शर्तों का समाधान करता है;

जिनमें से सभी यूनिटें अनिवासियों के पास हैं, सिवाय—

(I) प्रायोजक या प्रबंधक द्वारा धारित इकाई,

(II) जहां कोई इकाई धारक या धारक, उस कर वर्ष के दौरान अनिवासी थे जब ऐसी इकाई या इकाइयां जारी की गई थीं, उस वर्ष के बाद के किसी भी कर वर्ष में धारा 6(2) या (3) या (4) या (5) या (6) या (7) के अधीन निवासी बन जाते हैं,

(III) उप-मद (II) के मामले में, ऐसे निवासी यूनिट धारक या धारकों द्वारा धारित यूनिटों का कुल मूल्य और संख्या जारी की गई कुल यूनिटों के 5% से अधिक नहीं होगा और ऐसी शर्तों को पूरा करना होगा, जो विहित की जाएं।

(ii) किसी अपतटीय बैंकिंग इकाई का विनिधान प्रभाग, जो—

1992 का 15

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानक) विनियम, 2019 के अधीन प्रवर्ग-1 विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानक के रूप में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है और जिसने 31 मार्च, 2025 को या उससे पहले अपना परिचालन शुरू कर दिया है; और

(ख) अपने विनिधान प्रभाग के लिए अलग-अलग खातों के रखरखाव सहित ऐसी शर्तों को पूरा करता है, जैसा विहित किया जाए ।

1992 का 15

(ज) "प्रायोजक" का वही अर्थ होगा जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अनुकल्पी विनिधान निधि) विनियम, 2012 के विनियम 2(1)(ब) में दिया गया है;

1882 का 2

(झ) "न्यास" से भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 या किसी अन्य विधि के अधीन स्थापित न्यास अभिप्रेत है;

(ञ) "इकाई" से तात्पर्य निधि में विनिधानक के लाभकारी हित से है और इसमें शेयर या साझेदारी हित शामिल होंगे।

टिप्पण 2—क्रम संख्या 5 के प्रयोजनों के लिए—

"विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता" से तात्पर्य भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता) विनियम, 2019 के उपबंधों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से होगा।

1992 का 15

टिप्पण 3—क्रम संख्या 6, 8 और 11 के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "वायुयान" से तात्पर्य वायुयान या हेलीकॉप्टर या वायुयान या हेलीकॉप्टर का इंजन या उसका कोई भाग है;

(ख) "पोत" से तात्पर्य पोत या समुद्री जलयान, पोत या समुद्री जलयान का इंजन या उसका कोई भाग है।

टिप्पण 4—क्रम संख्या 7 के प्रयोजनों के लिए—

"पोर्टफोलियो प्रबंधक" का वही अर्थ होगा जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के अधीन बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (पूँजी बाजार मध्यस्थ) विनियम, 2021 के विनियम 2(1)(य) में निर्दिष्ट किया गया है।

2019 का 4

टिप्पण 5—क्रम संख्या 9 के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "विनिर्दिष्ट निधि" का वही अर्थ होगा जो टिप्पण 1(छ) में दिया गया है;

(ख) "इकाई" से तात्पर्य निधि में विनिधानक के लाभकारी हित से है और इसमें शेयर या साझेदारी हित शामिल होंगे।

टिप्पण 6—क्रम संख्या 10 के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "मूल निधि", "स्थानांतरण" और "परिणामी निधि" के वही अर्थ होंगे जो उन्हें क्रमशः धारा 70(2) में दिए गए हैं।

(ख) "विनिर्दिष्ट निधि" का वही अर्थ होगा जो टिप्पण 1(छ) में दिया गया है।

टिप्पण 7—क्रम संख्या 12 के प्रयोजनों के लिए,—

"इकाई" का वही अर्थ होगा जो विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा 2(यग) में दिया गया है।

2005 का 28

अनुसूची 7

[धारा 11 देखिए]

कर से छूट प्राप्त व्यक्ति

नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (ख) में उल्लिखित कोई भी पात्र व्यक्ति, उक्त सारणी के स्तंभ (ग) में उल्लिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, किसी भी कर वर्ष के लिए कुल आय पर आयकर का संदाय करने के लिए दायी नहीं होगा और उक्त सारणी के स्तंभ (ख) और (ग) में प्रयुक्त अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो उक्त सारणी के नीचे टिप्पणों में दिए गए हैं।

सारणी		
क्र. सं.	पात्र व्यक्ति	शर्तें
(क)	(ख)	(ग)
1.	संघ के सशस्त्र बलों द्वारा स्थापित कोई भी रेजिमेंटल निधि या गैर-सार्वजनिक निधि	ऐसी निधि सशस्त्र बलों के पूर्व और वर्तमान सदस्यों या उनके आश्रितों के कल्याण के लिए है।
2.	कर्मचारियों या उनके आश्रितों के कल्याण के लिए बोर्ड द्वारा अधिसूचित ऐसे प्रयोजनों के लिए स्थापित कोई निधि और ऐसे कर्मचारी ऐसी निधि के सदस्य होते हैं।	(क) ऐसी निधि— (i) अपनी आय को पूर्णतः और अनन्य रूप से उन उद्देश्यों के लिए लगाती है या संचित करती है जिनके लिए इसे स्थापित किया गया है; और (ii) अपनी निधियों और अभिदायों तथा प्राप्त अन्य रकमों को धारा 350 में विनिर्दिष्ट प्ररूपों या रीति में विनिधान करती है; (ख) ऐसी निधि प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा ऐसी रीति से अनुमोदित होती है, जो विहित की जाए; और ऐसा अनुमोदन किसी भी एक समय में ऐसे कर वर्ष या वर्षों के लिए प्रभावी होगा जो अनुमोदन के आदेश में निर्दिष्ट तीन कर वर्षों से अधिक नहीं होगा।
3.	कोई भी निधि, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जिसे भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 1 अगस्त, 1996 को या उसके पश्चात् या किसी अन्य बीमाकर्ता द्वारा पेंशन स्कीम के अधीन स्थापित किया गया	(क) किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी पेंशन स्कीम में अभिदाय ऐसी निधि से पेंशन प्राप्त करने के प्रयोजन से किया जाता है; और (ख) ऐसी स्कीम बीमा नियंत्रक या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 3(1) के अधीन स्थापित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित है।

- हो ।
4. एक प्राधिकरण (चाहे वह खादी या ग्रामोद्योग के खादी और ग्रामोद्योग विकास के लिए राज्य अधिनियम या प्रांतीय बोर्ड के नाम से जात हो अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किया या किसी अन्य नाम से) जाता है ।
 5. कोई भी निकाय या (क) ऐसा निकाय या प्राधिकरण किसी एक या अधिक प्राधिकरण (चाहे वह सार्वजनिक धार्मिक या धर्मार्थ न्यास या विन्यास निगमित निकाय हो या (मंदिर, गुरुद्वारा, वक्फ, चर्च, सभास्थल, आश्रम, या मठ एकल निगम) किसी या सार्वजनिक धार्मिक पूजा के अन्य स्थान सहित) केंद्रीय अधिनियम या या धार्मिक या धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए सोसायटी, जो राज्य अधिनियम या सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 या किसी प्रांतीय अधिनियम द्वारा अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, के प्रशासन के या उसके अधीन लिए उपबंध करता है; और स्थापित, गठित या (ख) इसमें उपबंध किए गए के अनुसार कुल आय से नियत किया गया हो अपवर्जन किसी भी न्यास, विन्यास या सोसायटी, जो ऐसे निकाय या प्राधिकरण द्वारा प्रशासित है, को उपलब्ध नहीं होगा ।
 6. दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों या शासनाध्यक्षों द्वारा 21 दिसंबर, 1991 को जारी कोलंबो घोषणापत्र द्वारा क्षेत्रीय परियोजनाओं के लिए सार्क निधि की स्थापना की गई, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगम के चार्टर द्वारा 8 दिसंबर, 1985 को इसकी स्थापना की गई । शून्य।
 7. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 3(1) के अधीन स्थापित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण शून्य। 1999 का 41
 8. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 76(1) के अधीन केन्द्रीय विद्युत शून्य। 2003 का 36

1990 का 25

- विनियामक आयोग का गठन किया गया
9. प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 की धारा 3(1) के अधीन प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) की स्थापना की गई। शून्य।
 10. प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत निधि या प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन राहत निधि (पीएम केयर्स निधि) शून्य।
 11. प्रधानमंत्री निधि (लोक कला का संवर्द्धन) शून्य।
 12. प्रधानमंत्री छात्र सहायता निधि शून्य।
 13. राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान शून्य।
 14. केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत निधि शून्य।
 15. केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ गंगा निधि शून्य।
 16. किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में मुख्यमंत्री राहत निधि या उपराज्यपाल राहत निधि जैसा कि धारा 133(1)(क)(भफ) में निर्दिष्ट है शून्य।
 17. कोई भी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था जो पूर्णतः या आंशिक रूप से सरकार द्वारा वित्तपोषित हो (क) यह केवल शैक्षिक प्रयोजनों के लिए है, न कि लाभ के प्रयोजनों के लिए; और (ख) यदि ऐसे विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था को सरकारी अनुदान, ऐसे विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था की कुल अभिलाषों के प्रतिशत

से अधिक है, जिसमें कोई दान भी शामिल है, जैसा विहित किया जा सकता है, तो इसे सुसंगत कर वर्ष के दौरान सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित माना जाएगा ।

18. कोई भी अस्पताल या अन्य संस्था जो पूर्णतः या आंशिक रूप से सरकार द्वारा वित्तपोषित हो। (क) यह बीमारी या मानसिक दोष से पीड़ित व्यक्तियों के स्वागत और उपचार के लिए है, या स्वास्थ्य लाभ के दौरान या चिकित्सा देखभाल या पुनर्वास की आवश्यकता वाले व्यक्तियों के स्वागत और उपचार के लिए है;

(ख) यह केवल परोपकारी प्रयोजनों के लिए है, न कि लाभ प्रयोजनों के लिए; और

(ग) यदि ऐसे अस्पताल या अन्य संस्था को सरकारी अनुदान, ऐसे अस्पताल या अन्य संस्था के किसी भी दान सहित कुल अभिलाभों के ऐसे प्रतिशत से अधिक है, जैसा विहित किया जा सकता है, तो इसे सुसंगत कर वर्ष के दौरान सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित माना जाएगा ।

19. (क) कोई विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था; (क) ऐसा विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था केवल शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए है, न कि लाभ के प्रयोजनों के लिए;

(ख) कोई अस्पताल या अन्य संस्था । (ख) ऐसा अस्पताल या अन्य संस्था बीमारी या मानसिक दोष से पीड़ित व्यक्तियों के स्वागत और उपचार के लिए है, या स्वास्थ्य लाभ के दौरान या चिकित्सा देखभाल या पुनर्वास की आवश्यकता वाले व्यक्तियों के स्वागत और उपचार के लिए है;

(ग) ऐसा अस्पताल या अन्य संस्था केवल परोपकारी प्रयोजनों के लिए है, न कि लाभ के प्रयोजनों के लिए;

(घ) ऐसे विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालयों या शैक्षणिक संस्था या संस्थाओं से या ऐसे अस्पताल या अस्पतालों या संस्था या संस्थाओं की वार्षिक वार्षिक प्राप्तियों का योग पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता है; और

(ड.) जहां ऐसा विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या ऐसा अस्पताल या अन्य संस्था धारा 355(क) के अधीन परिभाषित कोई अज्ञात दान प्राप्त करता है, विनिर्दिष्ट आय के संबंध में धारा 337(सारणी: क्रम सं. 1) के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित, जैसे वह रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन या ऐसे अज्ञात दान की दशा में लागू होते हैं, आय से अपवर्जित हो जाएंगे, जिस पर कोई कर संदेय

नहीं है।

1992 का 15	20. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 या उसके अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत पारस्परिक निधि	शून्य।
	21. किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या सार्वजनिक वित्तीय संस्था द्वारा स्थापित या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत कोई भी पारस्परिक निधि	ऐसी शर्तें जो केन्द्रीय सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है।
	22. एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि	शून्य।
	23. एक स्वीकृत सेवानिवृत्ति निधि	शून्य।
	24. एक स्वीकृत उपदान निधि	शून्य।
1948 का 46	25. कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 की धारा 3छ के अधीन स्थापित जमा-लिंकड बीमा निधि	शून्य।
1952 का 19	26. कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 6ग के अधीन स्थापित जमा-लिंकड बीमा निधि	शून्य।
1948 का 34	27. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अधीन कर्मचारी राज्य बीमा निधि की स्थापना की गई।	शून्य।

28. किसी विधि के अधीन गठित कृषि उपज बाजार समिति या बोर्ड को विनियमित करने के प्रयोजन से किया जाता है ।
29. किसी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम या किसी अन्य निकाय, संस्था या संगम (सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित निकाय, संस्था या संगम) द्वारा स्थापित निगम ऐसा निगम या अन्य निकाय या संस्था या संगम अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों या उनमें से किन्हीं दो या सभी के हितों को बढ़ावा देने के लिए स्थापित या गठित किया गया है ।
30. अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के हितों को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित निगम शून्य।
31. भारत के नागरिक होने के नाते पूर्व सैनिकों के कल्याण और आर्थिक उत्थान के लिए केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित कोई निगम शून्य।
32. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या दोनों के सदस्यों के हितों को बढ़ावा देने के लिए गठित कोई सहकारी समिति ऐसी सहकारी समिति की सदस्यता में केवल समान प्रयोजनों के लिए गठित अन्य सहकारी समितियां शामिल होंगी तथा समिति का वित्त पोषण सरकार और ऐसी अन्य समितियों द्वारा प्रदान किया जाएगा ।
33. कॉफी अधिनियम, 1942 की धारा 4 के अधीन कॉफी बोर्ड का गठन किया गया । शून्य। 1942 का 7
34. रबर बोर्ड अधिनियम, 1947 की धारा 4(1) के अधीन रबर बोर्ड का गठन किया गया । शून्य। 1947 का 24

1953 का 29	35.	चाय अधिनियम, 1953 की धारा 4 के अधीन चाय बोर्ड का गठन किया गया ।	शून्य।
1975 का 4	36.	तंबाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के अधीन तंबाकू बोर्ड का गठन किया गया ।	शून्य।
1972 का 13	37.	समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 की धारा 4 के अधीन समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का गठन किया गया ।	शून्य।
1986 का 2	38.	कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास अधिनियम, 1985 की धारा 4 के अधीन कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई ।	शून्य।
1986 का 10	39.	मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा 3(1) के अधीन मसाला बोर्ड का गठन किया गया ।	शून्य।
1953 का 45	40.	कॉयर उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 4 के अधीन कॉयर बोर्ड की स्थापना की गई ।	शून्य।
1882 का 2	41.	भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के उपबंधों के अधीन 27 फरवरी, 2008 को नई पेंशन प्रणाली न्यास की स्थापना की गई ।	शून्य।
	42.	कोई निकाय या ऐसा निकाय या प्राधिकरण या बोर्ड या न्यास या प्राधिकरण या बोर्ड या आयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता	

न्यास या आयोग, जो है।

कंपनी न हो, जिसे किसी
केंद्रीय अधिनियम या
राज्य अधिनियम के
अधीन निम्नलिखित में
से एक या अधिक
प्रयोजनों के साथ
स्थापित या गठित किया
गया हो,

(क) आवास की
आवश्यकता से निपटना
और उसे पूरा करना;

(ख) शहरों, कस्बों और
गांवों की स्कीम बनाना,
विकास करना या सुधार
करना;

(ग) आम जनता के
लाभ के लिए किसी
क्रियाकलाप को
विनियमित करना या
विनियमित और
विकसित करना; या

(घ) आम जनता के
लाभ के लिए किसी
मामले को विनियमित
करना, जो उस प्रयोजन
से उद्भूत होता है
जिसके लिए इसे बनाया
गया है।

43. राष्ट्रीय ऋण प्रत्याभूति
न्यासी कंपनी लिमिटेड,
केंद्रीय सरकार द्वारा
स्थापित और पूर्णतः
वित्तपोषित कंपनी है, जो
ऋण प्रत्याभूति निधियों
के संचालन के प्रयोजनों
के लिए केंद्रीय सरकार
द्वारा स्थापित और
पूर्णतः वित्तपोषित है।

शून्य।

44. एक ऋण प्रत्याभूति

शून्य।

निधि जो केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित और पूर्णतः वित्तपोषित है तथा जिसका प्रबंध राष्ट्रीय ऋण प्रत्याभूति न्यासी कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाता है।

45. सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण प्रत्याभूति निधि न्यास, जो कि केन्द्रीय सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा बनाया गया एक न्यास है, जो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित किया गया है।

शून्य।

46. अवसंरचना ऋण निधि ऐसी निधि केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार स्थापित की जाती है।
47. संसद् के अधिनियम के अधीन स्थापित बुनियादी ढांचे और विकास के वित्तपोषण के लिए स्थापित एक संस्था कुल आय से ऐसा अपवर्जन लगातार दस कर वर्षों की अवधि के लिए होता है, जिसकी शुरुआत उस कर वर्ष से होती है जिसमें ऐसी संस्था स्थापित की जाती है और ऐसी संस्था को केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है।
48. संसद् के अधिनियम के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त एक विकासात्मक वित्तपोषण संस्था, जिसका उल्लेख क्रम संख्या 47 में किया गया है (क) ऐसी संस्था को केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है; (ख) कुल आय से ऐसी आय का बहिष्करण उस कर वर्ष से शुरू होने वाले लगातार पांच कर वर्षों की अवधि के लिए होता है जिसमें विकासात्मक वित्तपोषण संस्था स्थापित की जाती है; तथा (ग) केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा बहिष्करण की अवधि को आगे की अवधि के लिए बढ़ा सकती है, जो कि उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति के अधीन, लगातार पांच और कर वर्षों से अधिक नहीं होगी।

1989 का 39

1938 का 4

टिप्पण 1—क्रम संख्या 3 के प्रयोजनों के लिए,— "बीमा नियंत्रक" अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जो बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2(5ख) में दिया गया है।

टिप्पण 2—क्रम संख्या 4 के प्रयोजनों के लिए, "खादी" और "ग्रामोद्योग" अभिव्यक्ति के वही अर्थ होंगे जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 में दिए गए हैं।

1956 का 61

टिप्पण 3—क्रम संख्या 21 के प्रयोजनों के लिए "सार्वजनिक वित्तीय संस्थान" अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(72) में निर्दिष्ट है।

2013 का 18

टिप्पण 4—क्रम संख्या 29 के प्रयोजनों के लिए,—

(क) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वही अर्थ होंगे जो संविधान के अनुच्छेद 366(24) या (25) में हैं;

(ख) "पिछड़े वर्ग" से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अलावा नागरिकों के ऐसे वर्ग अभिप्रेत हैं, जिन्हें केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा यथाअधिसूचित किया गया है।

टिप्पण 5—क्रम संख्या 30 के प्रयोजनों के लिए, "अल्पसंख्यक समुदाय" अभिव्यक्ति से तात्पर्य केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित समुदाय से है।

टिप्पण 6—क्रम संख्या 31 के प्रयोजनों के लिए, "पूर्व सैनिक" अभिव्यक्ति से तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है—

(i) जिन्होंने किसी भी रैंक पर सेवा की हो, चाहे लड़ाकू या गैर-लड़ाकू के रूप में;

(ii) संविधान के प्रारंभ से पूर्व संघ के सशस्त्र बलों या भारतीय राज्यों के सशस्त्र बलों में कार्यरत (किन्तु असम राइफल्स, रक्षा सुरक्षा कोर, जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग बल, लोक सहायक सेना, जम्मू और कश्मीर मिलिशिया और प्रादेशिक सेना के सिवाय);

(iii) सत्यापन के पश्चात कम से कम छह मास की निरंतर अवधि के लिए;

(iv) जो कदाचार या अकुशलता के कारण बर्खास्तगी या निर्वहन के अलावा किसी अन्य रीति से निर्मुक्त किया गया हो, और

(v) इसमें मृतक या अक्षम भूतपूर्व सैनिकों की स्थिति में, उनकी पत्नी, बच्चे, पिता, माता, नाबालिग भाई, विधवा पुत्री और विधवा बहन शामिल हैं, जो उनकी मृत्यु या अक्षमता से ठीक पहले ऐसे भूतपूर्व सैनिकों पर पूर्णतः आश्रित थे।

अनुसूची 8

[धारा 12 देखिए]

राजनीतिक दलों और निर्वाचक न्यासों की कुल आय में शामिल न की जाने वाली आय

नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (ग) में उल्लिखित राजनीतिक दल या निर्वाचक न्यास के रूप में किसी पात्र व्यक्ति की कर वर्ष की कुल आय की गणना करने में, उक्त सारणी के स्तंभ (ख) में उल्लिखित आय और बचत खंड में उल्लिखित आय को, उक्त सारणी के स्तंभ (घ) में उल्लिखित शर्तों के अधीन शामिल नहीं किया जाएगा और उक्त सारणी के स्तंभ (ख) से (घ) में प्रयुक्त अभिव्यक्तियों के क्रमशः वही अर्थ होंगे, जो उक्त सारणी के नीचे टिप्पणों में दिए गए हैं ।

सारणी			
क्र.सं.	कुल आय में शामिल न की जाने वाली आय	पात्र व्यक्ति	शर्तें
(क)	(ख)	(ग)	(घ)
1.	कोई भी आय जो "गृह संपत्ति आय" या "अन्य स्रोतों से आय" या "पूंजी अभिलाभ" के शीर्षक के अधीन प्रभार्य है या किसी व्यक्ति से प्राप्त स्वैच्छिक अभिदाय के रूप में कोई आय	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई राजनीतिक दल	(क) ऐसा राजनीतिक दल ऐसी खाता बही और अन्य दस्तावेज रखता है, जिससे निर्धारण अधिकारी को उससे अपनी आय की उचित कटौती करने में सहायता मिले; (ख) निर्वाचन बंधपत्र के माध्यम से 20,000 रुपये से अधिक के अभिदाय से भिन्न प्रत्येक ऐसे स्वैच्छिक अभिदाय के संबंध में, ऐसा राजनीतिक दल ऐसे अभिदाय का अभिलेख रखता है और ऐसे अभिदाय देने वाले व्यक्ति का नाम और पता रखता है ; (ग) ऐसे राजनीतिक दल के खातों की लेखापरीक्षा एक लेखाकार द्वारा की जाती है; (घ) ऐसे राजनीतिक दल द्वारा 2,000 रुपये से अधिक का कोई दान बैंक खाते में आहरित खाता आदाता चेक या खाता आदाता बैंक ड्राफ्ट या बैंक खाते के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली के उपयोग या ऐसे अन्य इलैक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जाता है, जैसा कि विहित किया जा सकता है या निर्वाचन बंधपत्र के माध्यम से; (ड) ऐसे राजनीतिक दल का कोषाध्यक्ष या

	उस राजनीतिक दल द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति ऐसे कर वर्ष के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ग की उपधारा (3) के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत करता है; और (च) ऐसा राजनीतिक दल धारा 263(1)(ग) में निर्दिष्ट देय तारीख को या से पूर्व धारा 263(1)(क)(iii) तथा 263(2) के उपबंधों के अनुसार, कर वर्ष के लिए आय का विवरण प्रस्तुत करता है ।	1951 का 43
2. प्राप्त कोई किसी निर्वाचन स्वैच्छिक न्यास अभिदाय	(क) ऐसा निर्वाचन न्यास, उक्त कर वर्ष के दौरान, लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी राजनीतिक दल को, उक्त कर वर्ष के दौरान प्राप्त कुल दान का 95 प्रतिशत, साथ ही किसी पूर्व कर वर्ष से प्राप्त अधिशेष, यदि कोई हो, वितरित करता है; और (ख) ऐसा निर्वाचन न्यास, केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार कार्य करता है ।	1951 का 43
टिप्पण—इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए, “निर्वाचक बांड” से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 31(3) के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट कोई बांड अभिप्रेत है ।		1934 का 2

अनुसूची 9

[धारा 48 देखिए]

“कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ” शीर्षक के अधीन आय की गणना के लिए चाय विकास खाता, कॉफी विकास खाता और रबर विकास खाता के लिए कटौती”

1. (1) निर्धारिती को कटौती की अनुमति दी जाएगी,—

कटौती की मात्रा ।

(क) पैरा 2 में निर्दिष्ट खाते में निर्धारिती द्वारा जमा की गई रकम या कुल रकम; या

(ख) पैरा के अधीन कोई कटौती करने से पूर्व “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्षक के अधीन गणना किए गए ऐसे कारबार के लाभ का 40%, जो भी कम हो ।

(2) धारा 112 के अनुसार पिछले कर वर्षों से अग्रेषित हानि, यदि कोई हो, का मुजरा करने की अनुमति देने से पूर्व कटौती की अनुमति दी जाएगी ।

2. (1) पैरा 1 के अधीन कटौती की अनुमति दी जाएगी यदि निर्धारिती,—

कटौती का दावा करने की शर्तें ।

(क) कर वर्ष के दौरान भारत में चाय या कॉफी या रबर उगाने और विनिर्माण का कारबार कर रहा है;

(ख) कर वर्ष की समाप्ति से छह मास की समाप्ति के पूर्व या अपनी आय की विवरणी प्रस्तुत करने की देय तारीख के पूर्व, जो भी पूर्वतर हो, विनिर्दिष्ट खाते में कोई रकम जमा की है, जो कि—

(i) राष्ट्रीय बैंक में अनुरक्षित विशेष स्कीम के अनुसार और उसमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए एक विशेष खाता है; या

(ii) जमा स्कीम के अनुसार और उसमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए एक जमा खाता है;

(ग) धारा 63 में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व एक लेखाकार द्वारा सुसंगत कर वर्ष के लिए ऐसे कारबार के खातों की लेखापरीक्षा करवाता है और उस तारीख तक, ऐसे लेखाकार द्वारा विहित और सत्यापित किए गए प्ररूप और रीति से लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करता है ।

(2) जहां निर्धारिती को किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन अपने खातों की लेखापरीक्षा करवानी अपेक्षित है, वहां उपपैरा (1)(ग) का अनुपालन पर्याप्त होगा, यदि ऐसा निर्धारिती,—

(क) धारा 63 में विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व ऐसी विधि के अधीन ऐसे कारबार के खातों की लेखापरीक्षा करवाता है; और

(ख) उस तारीख तक उपपैरा (1)(ग) में निर्दिष्ट प्ररूप में लेखाकार द्वारा रिपोर्ट ऐसी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत करता है ।

(3) यदि किसी कर वर्ष में पैरा 1 के अधीन कोई कटौती की अनुमति दी गई है, तो किसी अन्य कर वर्ष में ऐसी रकम के संबंध में कोई कटौती की अनुमति नहीं दी

जाएगी ।

(4) जहां पैरा 1 में निर्दिष्ट निर्धारिती कोई फर्म या व्यक्तियों का संगम या व्यष्टियों के निकाय है, ऐसे निर्धारिती के किसी भी भागीदार या सदस्य की आय की गणना में नियम 1 के अधीन कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

विशेष खाते या
जमा खाते से
निकासी ।

3. (1) विनिर्दिष्ट खाते में निर्धारिती के खाते में जमा कोई रकम विशेष स्कीम या जमा स्कीम में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए या नीचे विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में ही निकाली जा सकेगी:—

- (क) कारबार का बंद होना;
- (ख) निर्धारिती की मृत्यु;
- (ग) हिंदू अविभक्त कुटुंब का विभाजन;
- (घ) फर्म का विघटन;
- (ङ) कंपनी का परिसमापन ।

(2) यदि विनिर्दिष्ट खाते में निर्धारिती के खाते में जमा कोई रकम उप पैरा (1)(क) और (1)(घ) में निर्दिष्ट परिस्थितियों में निर्धारिती द्वारा किसी कर वर्ष के दौरान निकाली जाती है, तो ऐसी पूरी रकम उस कर वर्ष के कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ माने जाएंगे और तदनुसार उस कर वर्ष के लिए आयकर लगाया जाएगा, जैसे कि कारबार बंद नहीं हुआ था या फर्म क्रमशः विघटित नहीं हुई थी ।

(3) उपपैरा (1) में अंतर्विष्ट किसी भी बात पर ध्यान दिए बिना, यदि—

(क) निर्दिष्ट खाते में निर्धारिती के जमा में कोई रकम राष्ट्रीय बैंक द्वारा जारी की जाती है या किसी कर वर्ष के दौरान निर्धारिती द्वारा जमा खाते से निकाली जाती है ; और

(ख) ऐसी रकम का उपयोग विनिर्दिष्ट वस्तुओं या चीजों की खरीद के लिए किया जाता है,

तो इस प्रकार उपयोग की गई पूरी रकम उस कर वर्ष के कारबार के लाभ और अभिलाभ के रूप में मानी जाएगी और तदनुसार उस कर वर्ष के लिए आयकर के अधीन होगी ।

(4) यदि निर्धारिती के जमा में कोई रकम है, जो,—

(क) विनिर्दिष्ट खाते में राष्ट्रीय बैंक द्वारा जारी की जाती है; या

(ख) निर्धारिती द्वारा जमा खाते से

किसी कर वर्ष के दौरान विशेष स्कीम या जमा स्कीम के अनुसार ऐसे कारबार के प्रयोजनों के लिए उपयोग के लिए निकाली गई रकम और उसका उस कर वर्ष के भीतर, पूर्णतः या आंशिक रूप से, उपयोग नहीं किया जाता है, तो इस प्रकार उपयोग न की गई रकम उस कर वर्ष के कारबार के लाभ और अभिलाभ मानी जाएगी और तदनुसार उस कर वर्ष के लिए आयकर के अधीन होगी ।

(5) उप पैरा (4) के उपबंध उन मामलों में लागू नहीं होंगे, जहां उपपैरा (1)(ख), (2)(ग) और (1)(ङ) में निर्दिष्ट परिस्थितियों में खाते को बंद करने पर किसी कर वर्ष के दौरान रकम जारी की जाती है ।

(6) उप पैरा (3) में, अभिव्यक्ति "विनिर्दिष्ट वस्तु या चीज" का अर्थ है,—

(क) किसी कार्यालय परिसर या आवासीय निवास में स्थापित की जाने वाली कोई मशीनरी या संयंत्र, जिसमें गेस्ट हाउस की प्रकृति का कोई निवास शामिल है;

(ख) कोई कार्यालय उपकरण (कंप्यूटर नहीं);

(ग) कोई मशीनरी या संयंत्र, जिसकी वास्तविक लागत का पूरा भाग किसी एक कर वर्ष के "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्षक के अधीन प्रभार्य आय की गणना में कटौती के रूप में दिया जाता है (चाहे अवक्षयण के रूप में या अन्यथा);

(घ) कोई नई मशीनरी या संयंत्र जो अनुसूची 13 में सूची में विनिर्दिष्ट किसी वस्तु या चीज के निर्माण, विनिर्माण या उत्पादन के कारबार के प्रयोजनों के लिए किसी औद्योगिक उपक्रम में स्थापित किया जाना है ।

4. यदि निर्धारिती के विनिर्दिष्ट खाते में जमा रकम विशेष स्कीम या जमा स्कीम के अनुसार, ऐसे कारबार के प्रयोजन के लिए किसी व्यय को उपगत करने के लिए उपयोग की जाती है, ऐसे व्यय के लिए कोई कटौती शीर्षक "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" के अधीन प्रभार्य आय की संगणना में अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

विनिर्दिष्ट खाते से निकाली गई रकम के माध्यम से चुकाए गए व्यय में कोई कटौती नहीं।

5. (1) जहां कोई आस्ति,—

(क) जो विशेष स्कीम या जमा स्कीम के अनुसार प्रोद्भूत की गई हो; और

(ख) कर वर्ष में किसी व्यक्ति को विक्रय की गई या हस्तांतरित की गई हो, उस कर वर्ष की समाप्ति से आठ वर्ष की अवधि समाप्त होने से पूर्व, जिसमें ऐसी आस्ति प्रोद्भूत की गई थी,

विशेष स्कीम या जमा स्कीम के अनुसार प्रोद्भूत आस्ति का विक्रय या अंतरण ।

तो आस्ति की लागत का वह भाग जो पैरा 1 के अधीन अनुमत कटौती से संबंधित है, उस कर वर्ष के कारबार के लाभ और अभिलाभ माना जाएगा, जिसमें ऐसी आस्ति बेची या हस्तांतरित की गई हो और तदनुसार उस कर वर्ष के लिए आयकर प्रभारित होगा ।

(2) उपपैरा (1) के उपबंध लागू नहीं होंगे, यदि आस्ति बेची या अंतरित की गई हो,—

(क) निर्धारिती द्वारा विनिर्दिष्ट व्यक्ति को; या

(ख) किसी फर्म द्वारा किसी कंपनी को, फर्म के कारबार या वृत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में, ऐसी कंपनी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन :—

(i) विशेष स्कीम या जमा स्कीम के उपबंध कंपनी पर उसी तरह लागू होंगे, जैसे वे फर्म पर लागू होते हैं ;

(ii) उत्तराधिकार से ठीक पूर्व कारबार या वृत्ति से संबंधित फर्म की सभी संपत्तियां कंपनी की संपत्तियां बन जाती हैं ;

(iii) उत्तराधिकार से ठीक पूर्व कारबार या वृत्ति से संबंधित फर्म की सभी देनदारियां कंपनी की देनदारियां बन जाती हैं ; और

(iv) कंपनी के सभी शेयरधारक उत्तराधिकार से ठीक पूर्व फर्म के भागीदार थे ।

(3) इस पैरा में, अभिव्यक्ति, "विनिर्दिष्ट व्यक्ति" से—

(क) सरकार ;

(ख) स्थानीय प्राधिकरण ;

(ग) किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगम ; या

(घ) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2(45) में परिभाषित सरकारी कंपनी,

अभिप्रेत है ।

परिभाषाएं ।

6. अनुसूची के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "कॉफी बोर्ड" से कॉफी अधिनियम, 1942 (1942 का 7) की धारा 4 के अधीन गठित कॉफी बोर्ड से अभिप्रेत है ;

(ख) "जमा खाता" से जमा स्कीम में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अनुसार जमा करने के लिए निर्धारित द्वारा खोला गया खाता अभिप्रेत है ;

(ग) "जमा स्कीम" से चाय बोर्ड या कॉफी बोर्ड या रबर बोर्ड द्वारा केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से बनाई गई स्कीम अभिप्रेत है ।

(घ) "राष्ट्रीय बैंक" से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 61) की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अभिप्रेत है ;

(ङ) "रबर बोर्ड" से रबर अधिनियम, 1947 (1947 का 24) की धारा 4(1) के अधीन गठित रबर बोर्ड अभिप्रेत है ;

(च) "विशेष खाता" से विशेष स्कीम में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अनुसार जमा करने के लिए निर्धारित द्वारा राष्ट्रीय बैंक में रखा गया खाता अभिप्रेत है;

(छ) "विशेष स्कीम" से चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड या रबर बोर्ड द्वारा इस निमित्त अनुमोदित स्कीम अभिप्रेत है;

(ज) "विनिर्दिष्ट खाता" से विशेष खाता या जमा खाता अभिप्रेत है;

(झ) "चाय बोर्ड" से चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 4 के अधीन स्थापित चाय बोर्ड अभिप्रेत है।

अनुसूची 10

(धारा 49 देखिए)

"कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्षक के अधीन आय की संगणना के लिए स्थल पुनःबहाली निधि हेतु कटौती

1.(1) निर्धारिती को निम्नलिखित की कटौती अनुज्ञात होगी,—

कटौती की मात्रा ।

(क) पैरा 2 में विनिर्दिष्ट खाते में निर्धारिती द्वारा जमा की गई रकम या कुल रकम ; या

(ख) इस पैरा के अधीन कोई कटौती करने से पूर्व "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्षक के अधीन संगणित ऐसे कारबार के लाभ का 20%, जो भी कम हो ।

(2) कटौती की अनुज्ञा धारा 112 के अनुसार पूर्व कर वर्षों से आगे लाई गई हानि, यदि कोई हो, का मुजरा करने से पूर्व दी जाएगी ।

(3) विनिर्दिष्ट खाते में जमा किया गया कोई भी ब्याज जमा माना जाएगा ।

2.(1) पैरा 1 के अधीन कटौती अनुज्ञात की जाएगी यदि निर्धारिती,—

कटौती का दावा करने की शर्तें ।

(क) कर वर्ष के दौरान भारत में पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस, या दोनों के पूर्वक्षण, या निष्कर्षण या उत्पादन से संबंधित कारबार कर रहा है, और उसने ऐसे कारबार के लिए केंद्रीय सरकार के साथ करार किया है ;

(ख) कर वर्ष की समाप्ति से पूर्व विनिर्दिष्ट खाते में कोई रकम जमा कर दी है, जो कि—

(i) विशेष स्कीम में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए तथा उसके अनुसार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ अनुरक्षित विशेष खाता ; या

(ii) जमा स्कीम में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अनुसार एक स्थल पुनः बहाली खाता ; और

(ग) धारा 63 में विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व लेखाकार द्वारा सुसंगत कर वर्ष के लिए ऐसे कारबार के खातों की लेखापरीक्षा करवाता है और उस तारीख तक ऐसी प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और ऐसे लेखाकार द्वारा सत्यापित करता है ।

(2) जहां निर्धारिती को किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन अपने खातों की लेखापरीक्षा कराने की अपेक्षा होती है, वहां उपपैरा (1)(ग) का अनुपालन पर्याप्त होगा, यदि ऐसा निर्धारिती,—

(क) धारा 63 में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व ऐसी विधि के अधीन ऐसे कारबार के लेखों की लेखापरीक्षा कराता है ; और

(ख) उस तारीख तक उप पैरा (1)(ग) में निर्दिष्ट ऐसे प्ररूप में लेखाकार की रिपोर्ट ऐसी लेखापरीक्षित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

(3) यदि किसी कर वर्ष में पैरा 1 के अधीन अनुज्ञात कोई कटौती की गई है, तो किसी अन्य कर वर्ष में ऐसी रकम के संबंध में कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की

जाएगी ।

(4) जहां पैरा 1 में निर्दिष्ट निर्धारिती कोई फर्म या व्यक्तियों का संगम या व्यष्टियों का निकाय है, वहां ऐसे निर्धारिती के किसी भागीदार या सदस्य की आय की संगणना करने में पैरा 1 के अधीन कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

विनिर्दिष्ट खाते से निकासी ।

3. (1) विनिर्दिष्ट खाते में निर्धारिती के जमा खाते में जमा किसी भी रकम को विशेष स्कीम या जमा स्कीम में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के सिवाय निकालने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

(2) (क) उप पैरा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात पर ध्यान दिए बिना, यदि रकम का उपयोग विनिर्दिष्ट वस्तुओं या चीजों की खरीद के लिए किया जाता है, तो ऐसी रकम पैरा 1 के अधीन कटौती के लिए अनुज्ञात नहीं होगी;

(ख) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "विनिर्दिष्ट वस्तु या चीज" से तात्पर्य है,—

(i) किसी कार्यालय परिसर या निवासीय आवास में स्थापित की जाने वाली कोई मशीनरी या संयंत्र, जिसमें गृह की प्रकृति का कोई आवास भी शामिल है ;

(ii) कोई भी कार्यालय उपकरण (कम्प्यूटर के सिवाय) ;

(iii) कोई मशीनरी या संयंत्र, जिसकी संपूर्ण वास्तविक लागत किसी एक कर वर्ष के "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्षक के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने में कटौती के रूप में अनुज्ञात की गई है (चाहे अवक्षयण के रूप में या अन्यथा) ;

(iv) अनुसूची 13 में सूचीबद्ध किन्हीं वस्तुओं या चीजों के निर्माण, विनिर्माण या उत्पादन के कारबार के प्रयोजनों के लिए किसी औद्योगिक उपक्रम में नई मशीन या संयंत्र स्थापित किया जाना ।

(3) जहां किसी निर्दिष्ट खाते में निर्धारिती के जमा में जमा कोई रकम किसी कर वर्ष में ऐसे खाते को बंद करने पर निकाल ली जाती है, तो नीचे दी गई संगणना के अनुसार रकम को कर वर्ष के लिए कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ के रूप में माना जाएगा और तदनुसार निम्नलिखित रकम उस कर वर्ष के लिए आयकर के लिए प्रभारित की जाएगी :

क = ख-ग

जहां,—

क = उस कर वर्ष के कारबार या वृत्ति से समझा गया लाभ और अभिलाभ,

ख = विनिर्दिष्ट खाते से उसके बंद होने पर निकाली गई रकम; और

ग = रकम, यदि कोई हो, जो धारा 54 में निर्दिष्ट करार में दिए गए अनुसार लाभ या उत्पादन हिस्से के रूप में केन्द्रीय सरकार को संदेय है ।

(4) जहां कोई रकम किसी ऐसे कर वर्ष में, जिसमें निर्धारिती का कारबार विद्यमान नहीं है, विनिर्दिष्ट खाते को बंद करने पर निकाली जाती है, वहां उप पैरा (3) इस प्रकार लागू होगा मानो कारबार उस कर वर्ष में विद्यमान है ।

(5) यदि निर्धारिती को जमा कोई रकम, जो कि,—

(क) विनिर्दिष्ट खाते में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी किया गया हो ; या

(ख) स्थल पुनः बहाली खाते से निर्धारिती द्वारा निकाली गई रकम,

किसी भी कर वर्ष के दौरान विशेष स्कीम या जमा स्कीम के अनुसार ऐसे कारबार के प्रयोजनों के लिए उपयोग के लिए जमा की गई रकम और उसका इस प्रकार उपयोग नहीं किया जाता है, तो उसे पूर्णतः या भाग में लाभ और अभिलाभ माना जाएगा। तदनुसार उस कर वर्ष के कारबार के लिए आयकर प्रभार्य होगा।

(6) जहां कोई रकम निर्धारिती के विशेष खाते या स्थल पुनः बहाली खाते में जमा की किसी रकम को निर्धारिती द्वारा स्कीम या जमा स्कीम के अनुसरण में ऐसे कारबार के संबंध में किसी व्यय के प्रयोजन के लिए उपयोग की जाती है, ऐसा व्यय शीर्ष “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” के अधीन प्रभार्य आय की संगणना में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

4. (1) यदि विनिर्दिष्ट खाते में निर्धारिती के पास जमा रकम का उपयोग विशेष स्कीम या जमा स्कीम के अनुसार कारबार के प्रयोजनों के लिए किसी व्यय के लिए किया जाता है, तो “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्षक के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करते समय ऐसे व्यय के लिए कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

विनिर्दिष्ट खाते से निकाली गई रकम से किए गए व्यय की कोई कटौती नहीं की जाएगी।

(2) इसे पैरा में, अभिव्यक्ति, “विनिर्दिष्ट खाते में निर्धारिती की जमा रकम” के अंतर्गत ऐसे खाते का ब्याज भी है।

5. (1) जहां कोई भी आस्ति,—

(क) जो विशेष स्कीम या जमा स्कीम के अनुसार प्रोद्भूत किया गया हो ; और

(ख) जिस कर वर्ष में इसे प्रोद्भूत किया गया था, उसके अंत से आठ वर्ष की समाप्ति से पूर्व किसी भी समय कर वर्ष में किसी भी व्यक्ति को बेचा या अंतरित किया जाता है,

विशेष स्कीम जमा स्कीम के अनुसार प्रोद्भूत आस्ति की बिक्री या अंतरण।

तो, पैरा 1 के अधीन अनुज्ञात कटौती से संबंधित आस्ति की लागत का हिस्सा उस कर वर्ष के कारबार के लाभ और लाभ के रूप में माना जाएगा जिसमें ऐसी आस्ति बेची या अंतरित की जाती है और तदनुसार उस कर वर्ष के लिए आयकर प्रभारित होगी।

(2) उपपैरा (1) लागू नहीं होगा यदि आस्ति को निम्नलिखित द्वारा बेचा या अंतरित किया जाता है,—

(क) निर्धारिती द्वारा विनिर्दिष्ट व्यक्ति को; या

(ख) किसी फर्म का किसी कंपनी को, फर्म के कारबार या

वृत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में, ऐसी कंपनी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन, अंतरण, अर्थात् :—

(i) विशेष स्कीम या जमा स्कीम के उपबंध कंपनी पर उसी तरह लागू होंगे जैसे वे फर्म पर लागू होते हैं ;

(ii) उत्तराधिकार से ठीक पूर्व कारबार या वृत्ति से संबंधित फर्म की सभी संपत्तियां कंपनी की संपत्ति बन जाती हैं ;

(iii) कारबार से संबंधित फर्म के सभी दायित्व या उत्तराधिकार से ठीक पूर्व कारबार में की गई भागीदारी कंपनी का दायित्व बन जाता है, और

(iv) कंपनी के सभी शेयरधारक उत्तराधिकार से ठीक पूर्व फर्म के साझेदार थे।

(3) इस पैरा में, अभिव्यक्ति, "विनिर्दिष्ट व्यक्ति" से—

(क) एक सरकार ;

(ख) स्थानीय प्राधिकरण ;

(ग) केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगम ; या

(घ) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में यथापरिभाषित सरकारी कंपनी, अभिप्रेत है ।

निर्वचन ।

6. इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए,—

(क) विनिर्दिष्ट खाते से संबंधित " निर्धारिती के खाते में जमा रकम" में ऐसे खातों पर प्रोद्भूत ब्याज भी शामिल है ;

(ख) "जमा स्कीम" से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा इस संबंध में बनाई गई स्कीम अभिप्रेत है ;

(ग) "विनिर्दिष्ट खाता" से विशेष खाता या स्थल पुनः बहाली खाता अभिप्रेत है ;

(घ) "विशेष खाता" से भारतीय स्टेट बैंक में विशेष स्कीम में विनिर्दिष्ट के अनुसार तथा के प्रयोजनों के लिए जमा करने हेतु रखा गया खाता अभिप्रेत है ;

(ङ) "विशेष स्कीम" से भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा इस निमित्त अनुमोदित स्कीम अभिप्रेत है ;

(च) "स्थल पुनः बहाली खाता" से जमा स्कीम में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए तथा उसके अनुसार जमा करने के लिए निर्धारिती द्वारा खोला गया खाता अभिप्रेत है ;

(छ) भारतीय स्टेट बैंक" से भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक अभिप्रेत है ।

अनुसूची 11
[धारा 2(91) देखिए]

भाग क

मान्यताप्राप्त भविष्य निधियां

(1925 का 19)

1. यह भाग किसी ऐसी भविष्य निधि को लागू नहीं होगा जिसे भविष्य निधि अधिनियम, 1925 लागू होता है ।

इस भाग का लागू होना ।

2. इस भाग के प्रयोजनों के लिए, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

परिभाषाएं ।

(क) “अनुमोदन प्राधिकारी” से प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त अभिप्रेत है;

(ख) “नियोजक” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अपने कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि बनाए रखता है और जो—

(i) हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, कंपनी, फर्म या व्यक्तियों का संगम है, या

(ii) किसी ऐसे कारबार या वृत्ति में लगा हुआ व्यक्ति है, जिसके लाभ और अभिलाभ “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य है ;

(ग) “कर्मचारी” से भविष्य निधि में भाग लेने वाला कर्मचारी अभिप्रेत है किन्तु इसके अन्तर्गत वैयक्तिक या घरेलू सेवक नहीं है ;

(घ) “अभिदाय” से कोई ऐसी रकम अभिप्रेत है जो किसी कर्मचारी द्वारा या उसकी ओर से उसके वेतन में से या किसी नियोजक द्वारा अपने धन में से कर्मचारी के वैयक्तिक खाते में जमा की गई हो किन्तु इसके अन्तर्गत ब्याज के रूप में खाते में जमा की गई रकम नहीं आती है ;

(ङ) “कर्मचारी के जमाखाते में अतिशेष” से ऐसी कुल रकम अभिप्रेत है जो भविष्य निधि में किसी समय उसके खाते में जमा हो ;

(च) कर्मचारी के जमाखाते में अतिशेष के संबंध में “वार्षिक अनुवृद्धि” से ऐसे अतिशेष में वृद्धि अभिप्रेत है जो अभिदायों और ब्याज से किसी भी वर्ष उद्भूत होती है;

(छ) “कर्मचारी को देय संचित अतिशेष” से उसके जमाखाते में अतिशेष या उसका ऐसा भाग अभिप्रेत है जो उस द्वारा निधि के विनियमों के अधीन उस दिन दावा किए जाने योग्य हो जिस दिन वह निधि बना रखने वाले नियोजक का कर्मचारी नहीं रहता;

(ज) “निधि के विनियम” से किसी विशिष्ट भविष्य निधि संगठन और प्रशासन को शासित करने वाले विनियमों का विशेष निकाय अभिप्रेत है; और

(झ) “वेतन” के अन्तर्गत मंहगाई भत्ता भी है यदि नियोजन के निबन्धनों में वैसा उपबन्धित हो किन्तु अन्य सभी भत्ते और परिलब्धि इससे अपवर्जित हैं ।

3. (1) अनुमोदन प्राधिकारी किसी ऐसी भविष्य निधि को मान्यता दे सकेगा जो उसकी राय में पैरा 4 में विहित शर्तों का समाधान करते हुए बोर्ड द्वारा इस निमित्त

भविष्य निधि को मान्यता देना और वापस लेना ।

बनाए गए नियमों की पूर्ति करती है, तथा किसी भी समय ऐसी मान्यता को वापस ले सकेगा यदि उसकी राय में ऐसी भविष्य निधि उन शर्तों में से किसी का उल्लंघन करती है:

(2) मान्यता देने वाला आदेश ऐसी तारीख को प्रभावी होगा जैसी अनुमोदन अधिकारी उन नियमों के अनुसार, जिन्हें बोर्ड इस निमित्त बनाए या बना सकेगा, नियत करे; ऐसी तारीख उस कर वर्ष के, जिसमें आदेश दिया जाता है, अन्तिम दिन के पश्चात् की नहीं होगी ।

(3) मान्यता वापस लेने वाला आदेश उस तारीख को प्रभावी होगा जिसको वह दिया जाता है ।

(4) भविष्य निधि को मान्यता देने वाले आदेश पर, जब तक कि अनुमोदन अधिकारी अन्यथा निर्दिष्ट न करे, इस तथ्य के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि,—

(क) ऐसी निधि का किसी अन्य भविष्य निधि के साथ तत्पश्चात् समामेलन उन उपक्रमों का जिनके संबंध में वे दो निधियां बनाई गई हैं समामेलन हो जाने पर, हो जाता है; या

(ख) वह तत्पश्चात् किसी ऐसी संपूर्ण भविष्य निधि या उसके भाग को आमेलित कर लेती है जो ऐसे उपक्रम की है जो प्रथम वर्णित निधि को बनाए रखने वाले नियोजक के उपक्रम को पूर्णतः या भागतः अन्तरित हो जाती है या उसमें विलीन हो जाती है ।

4. इसलिए कि भविष्य निधि को मान्यता प्राप्त हो सके और वह उसे कायम रख सके वह पैरा 5 के उपबंधों के अधीन रहते हुए नीचे उपवर्णित शर्तें और ऐसी कोई अन्य शर्तें, जो विहित की जाए, पूरी करेंगी—

(क) सब कर्मचारी भारत में नियोजित किए जाएंगे, या ऐसे नियोजक द्वारा नियोजित किए जाएंगे जिसके कारबार का मुख्य स्थान भारत में है;

(ख) किसी वर्ष में कर्मचारी का अभिदाय उस वर्ष के लिए उसके वेतन का निश्चित अनुपात होगा, और उस वर्ष में ऐसे वेतन के हर एक नियत-कालिक संदाय पर, कर्मचारी के वेतन से उस अनुपात में नियोजक द्वारा काट लिया जाएगा तथा निधि में कर्मचारी के खाते में जमा किया जाएगा;

(ग) किसी वर्ष में कर्मचारी के व्यष्टिक खाते में नियोजक के अभिदाय उस वर्ष के अभिदायों की रकम से अधिक नहीं होंगे और एक वर्ष से अनधिक के अन्तरालों पर कर्मचारी के व्यष्टिक खाते में जमा किए जाएंगे;

(घ) निधि दो या अधिक न्यासियों में या शासकीय न्यासी में न्यास के अधीन निहित होगी जो सभी हिताधिकारियों की सहमति के बिना प्रतिसंहरणीय नहीं होगा;

(ङ) निधि निम्नलिखित से मिलकर बनेगी,—

(i) निधि न्यासियों द्वारा प्राप्त ऊपर विनिर्दिष्ट प्रकार के अभिदायों से,

(ii) उनके संचयनों से,

(iii) ऐसे अभिदायों और संचयनों की बाबत जमा ब्याज से, और

(iv) उनमें क्रय की गई प्रतिभूतियों से

(v) निधि की पूंजी आस्तियों के अन्तरण से उद्भूत किन्हीं पूंजी

मान्यता प्राप्त
भविष्य निधियों
द्वारा पूरी की
जाने वाली
शर्तें ।

अभिलाभों से;

(च) निधि, ऐसे स्थापन की निधि होगी,—

(i) जिसे कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 1 की उपधारा (3) के उपबंध लागू होते हैं; या

(ii) जिसे उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) के अधीन केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया है,

और उक्त अधिनियम की धारा 17 ऐसा स्थापन में निर्दिष्ट किसी स्कीम के सभी या किन्हीं उपबंधों के प्रवर्तन से के अधीन छूट अभिप्राप्त करेगा;

(छ) नियोजक खंड (ज) के अधीन रहते हुए निधि से किसी प्रकार की कोई रकम वसूल करने का हकदार नहीं होगा, सिवाय जब कर्मचारी,—

(i) अवचार के कारण पदच्युत कर दिया जाता है या

(ii) निधि के विनियमों में इस निमित्त विनिर्दिष्ट सेवा की अवधि की समाप्ति के पूर्व स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण या अन्य अपरिहार्य कारण से भिन्न रूप में अपना नियोजन स्वेच्छा से छोड़ देता है:

(ज) खंड (छ) के प्रयोजनों के लिए, नियोजक द्वारा की गई वसूली निम्नलिखित तक सीमित होगी,—

(i) अभिदायों तक जो उसने कर्मचारी के वैयक्तिक खाते में किए हैं;

(ii) ब्याज तक जो ऐसे अभिदायों की बाबत निधि के विनियमों के अनुसार जमा किया गया है; और

(iii) उसके संचयनों तक परिसीमित रहेगी ।

(झ) कर्मचारी को देय संचित अतिशेष उस दिन संदेय होगा जिसको वह निधि बनाए रखने वाले नियोजक का कर्मचारी नहीं रह जाता;

(ञ) कर्मचारी के जमा खाते में अतिशेष का कोई भाग, खण्ड (झ) में यथा उपबन्धित के सिवाय या ऐसी शर्तों और निबन्धनों के सिवाय विहित उसे संदेय नहीं होगा ।

5. (1) पैरा 4(क) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अनुमोदन प्राधिकारी यदि वह उचित समझे तो और ऐसी शर्तों के, यदि कोई हों, अधीन जो वह मान्यता से संलग्न करना उचित समझे, बना रखी गई निधि को मान्यता दे सकेगा,—

(क) ऐसे नियोजक द्वारा जिसके कारबार का मुख्य स्थान भारत में नहीं अनुरक्षित की जाती है,

(ख) भारत के बाहर नियोजित कर्मचारियों के अनुपात दस प्रतिशत से अधिक नहीं होता है ।

(2) पैरा 4(ख) में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा कर्मचारी,—

(क) जो संघ के सशस्त्र बलों में सेवा करते हुए; या

(ख) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन राष्ट्रीय सेवा में लिए जाने पर या नियोजित होने पर अपना नियोजन कायम रखता है,

वह, चाहे नियोजक से कोई वेतन प्राप्त करता है या नहीं, संघ के सशस्त्र बल में अपनी सेवा के दौरान या राष्ट्रीय सेवा में लिए जाने पर या नियोजित होने पर निधि में ऐसी रकम से अनधिक रकम अभिदत्त कर सकेगा जो यदि वह नियोजक की सेवा

शर्तों का शिथिलीकरण ।

में बना रहा होता है तो अभिदत्त करता ।

(3) पैरा 4(ड) या 4(झ) में किसी बात के होते हुए भी—

(क) ऐसे कर्मचारी द्वारा जो निधि बना रखने वाले नियोजक का कर्मचारी नहीं रहता है, लिखित रूप में प्रार्थना करने पर, निधि के न्यासी कर्मचारी को संदेय संपूर्ण संचित अतिशेष या उसका कोई भाग प्रतिधारित रखने के लिए सम्मति दे सकेंगे जो उसके द्वारा मांग पर किसी भी समय निकाला जा सकेगा;

(ख) जहां ऐसे कर्मचारी को संदेय संचित अतिशेष खंड (क) के अनुसार निधि में प्रतिधारित रखा जाता है वहां उस निधि में ऐसे संचित अतिशेष की बाबत ब्याज भी हो सकेगा ;

(ग) निधि ऐसी रकम, और उस पर ब्याज से मिलकर भी बन सकती है जो किसी कर्मचारी के भूतपूर्व नियोजक द्वारा रखी जाने वाली मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में उस कर्मचारी के व्यष्टिक खाते से अन्तरित की जाती है ।

(4) ऐसे किन्हीं नियमों के अधीन जिन्हें बोर्ड इस निमित्त बनाए अनुमोदन प्राधिकारी किसी विशिष्ट निधि की बाबत पैरा 4(ग) के उपबंधों को शिथिल कर सकेगा—

(क) जिससे ऐसे कर्मचारियों के जिनके वेतन हर दशा में प्रति मास पांच सौ रुपए से अधिक नहीं होते हैं, व्यष्टिक खाते में नियोजक द्वारा अधिक बड़े अभिदायों का संदाय अनुज्ञात किया जा सके; और

(ख) जिससे नियोजकों द्वारा कर्मचारियों के व्यष्टिक खातों में कालिक बोनस या आकस्मिक प्रकार के अन्य अभिदायों का जमा किया जाना अनुज्ञात किया जा सके जहां कि ऐसे बोनस या अन्य अभिदायों का परिकलन और संदाय निधि के विनियमों द्वारा निश्चित सिद्धांतों के आधार पर उपबंधित है ।

(5) पैरा 4(ज) में किसी बात के होते हुए भी यह है कि इसलिए कि कोई कर्मचारी पैरा 11(4) के अधीन उसकी कुल आय पर विहित कर की रकम का संदाय करने में समर्थ हो जाए, वह मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में अपने जमा खाते में अतिशेष से वह रकम निकालने का हकदार होगा जो ऐसी रकम और उस रकम के अन्तर से अधिक नहीं है और जिससे वह विहित किया गया होता यदि पैरा 11(2) में निर्दिष्ट अन्तरित अतिशेष उसकी कुल आय में सम्मिलित न किया जाता ।

6. मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में कर्मचारी के अतिशेष में किसी कर वर्ष में वार्षिक अनुवृद्धि का भाग जिसमें—

(क) नियोजक द्वारा किए गए वे अभिदाय हैं जो कर्मचारी के वेतन के बारह प्रतिशत से अधिक हैं; और

(ख) कर्मचारी के जमा खाते में अतिशेष में जमा ब्याज है, जहां तक कि वह ऐसी दर से अधिक पर अनुज्ञात किया जाता है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत की जाए,

कर्मचारी द्वारा उस कर वर्ष में प्राप्त किया गया समझा जाएगा और उस कर वर्ष के लिए उसकी कुल आय में सम्मिलित किया जाएगा और आय-कर के दायित्वाधीन होगा ।

7. मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में भाग लेने वाला कर्मचारी अपनी कुल आय की संगणना में कर वर्ष में निधि खाते में अपने अभिदायों की बाबत इतनी रकम की

नियोजक के वार्षिक अभिदाय कब कर्मचारी द्वारा प्राप्त आय समझी जाएंगे ।

कर्मचारी के अभिदायों के लिए छूट ।

कटौती का हकदार होगा जितनी धारा 123 के अनुसार अवधारित हो ।

8. (1) उप पैरा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए कर्मचारी को देय और संदेय होने वाला संचित अतिशेष उसकी कुल आय की संगणना से अपवर्जित किया जाएगा:—

संचित अतिशेष का कुल आय से अपवर्जन ।

(क) यदि उसने अपने नियोजक के पांच वर्ष या उससे अधिक कालावधि के लिए निरन्तर सेवा की है; या

(ख) यदि उसने ऐसी निरन्तर सेवा नहीं भी की है तो भी यदि सेवा,—

(i) कर्मचारी का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण; या

(ii) नियोजक के कारबार के कम हो जाने या बन्द हो जाने के कारण; या

(iii) कर्मचारी के नियंत्रण के परे अन्य कारणवश,

समाप्त की गई है, अथवा :—

(ग) यदि कर्मचारी अपने नियोजन के समाप्त होने पर, किसी अन्य नियोजक द्वारा नियोजित किया जाता है तो, उस विस्तार तक वहां तक उसको संदेय और संदेय होने वाला संचित अतिशेष किसी अन्य नियोजक द्वारा रखी जाने वाली मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में उसके व्यष्टिक खाते में जमा किया जाता है, या

(घ) यदि कर्मचारी के खाते में संपूर्ण अतिशेष धारा 124 में निर्दिष्ट और केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित पेंशन स्कीम के अधीन उसके खाते में अंतरित किया जाता है ।

(2) जहां, यदि देय और संदेय होने वाले संचित अतिशेष में उसके भूतपूर्व नियोजक या नियोजक द्वारा रखी जाने वाली किसी अन्य मान्यताप्राप्त भविष्य निधि या निधियों से उसके व्यष्टिक खाते में अन्तरित कोई रकम सम्मिलित है जो उपपैरा (1)(क) या (ख) के प्रयोजनों के लिए निरन्तर सेवा की अवधि की संगणना करने में वह अवधि या अवधियां भी सम्मिलित की जाएंगी जिनमें ऐसे कर्मचारी ने अपने पूर्वोक्त भूतपूर्व नियोजक या नियोजकों के अधीन निरन्तर सेवा की थी ।

9. जहां कर्मचारी को देय संचित अतिशेष पैरा 8 के उपबंधों को लागू न होने के कारण उसकी कुल आय में सम्मिलित कर लिया जाता है, वहां—

संचित अतिशेष पर कर ।

(क) निर्धारण अधिकारी ऐसे विभिन्न राशियों का योग परिकलित करेगा जो यदि निधि मान्यताप्राप्त निधि नहीं होती तो कर्मचारी द्वारा सम्पृक्त वर्षों में से हर एक के लिए उसकी कुल आय की बाबत संदेय होता, और

(ख) वह रकम जिसमें ऐसा योग ऐसे कर्मचारी द्वारा या की ओर से ऐसे वर्षों के लिए कर के रूप में संदत्त सभी रकमों के योग से अधिक हो जाता है, कर्मचारी द्वारा किसी अन्य ऐसे कर के अतिरिक्त संदेय होगी जिससे कि वह उस कर वर्ष के लिए दायित्वाधीन हो जिसमें उसको देय संचित अतिशेष संदेय होता है ।

10. मामले जहां पैरा 9 लागू होता है,—

संचित अतिशेष पर संदेय कर की स्रोत पर कटौती ।

(क) मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में न्यासी, या कोई ऐसा व्यक्ति जो निधि के विनियमों द्वारा कर्मचारियों को संदेय संचित अतिशेषों का संदाय करने के लिए प्राधिकृत है;

(ख) उस समय जब कर्मचारी को संदेय संचित अतिशेष का संदाय किया जाता है,

उसमें से उस नियम के अधीन संदेय रकम की कटौती कर लेता और अध्याय-19ख के सभी उपबन्ध और नियम ऐसे लागू होंगे मानो संचित अतिशेष “वेतन” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय हो ।

नई
मान्यताप्राप्त
भविष्य निधि
में अतिशेष से
बरतना ।

11. (1) जहां विद्यमान अतिशेषों वाली किसी भविष्य निधि को मान्यता दी जाती है वहां उस दिन के जिस दिन मान्यता प्राप्त प्रभावी होती है ठीक पूर्वगामी दिन तक का निधि का लेखा तैयार किया जाएगा,—

(क) जिसमें ऐसे दिन हर एक कर्मचारी के खाते में अतिशेष दर्शित होगा; और

(ख) ऐसी अतिरिक्त विशिष्टियां होंगी जैसी बोर्ड विहित करे ।

(2) हर कर्मचारी के जमा खाते में अतिशेषों की बाबत लेखा में उसकी वह रकम भी दर्शित की जाएगी,—

(क) जो मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में उस कर्मचारी के खाते में अन्तरित की जानी है (जिसे इसमें इसके पश्चात् इसका अन्तरित अतिशेष कहा गया है); और

(ख) मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में उस तारीख को जिसको निधि की मान्यता प्रभावी होती है उसके जमा खाते में अतिशेष के रूप में दर्शित की जाएंगी, और तदनुसार पैरा 5(5) और उपपैरा (4) उसको लागू होगा ।

(3) विद्यमान निधि में कर्मचारी के जमा खाते में अतिशेष का कोई भाग जिसको मान्यताप्राप्त निधि में अंतरित नहीं किया जाता है मान्यताप्राप्त निधि के लेखाओं से अपवर्जित किया जाएगा और इस अधिनियम के इस भाग से भिन्न उपबंधों के अनुसार आय-कर के दायित्वाधीन होगा ।

(4) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जैसे बोर्ड इस निमित्त बनाए,—

(क) निर्धारण अधिकारी अन्तरित अतिशेष में समाविष्ट सब रकमों के, जो आय-कर के दायित्वाधीन होती यदि निधि की संस्थापना की तारीख से यह भाग प्रवृत्त होता है, योग का परिकलन किसी ऐसे कर को गणना में लिए बिना करेगा जो किसी रकम पर संदत्त किया गया हो;

(ख) ऐसे योग को (यदि कोई हो) कर्मचारी द्वारा उस कर वर्ष की प्राप्त की गई आय समझा जाएगा, जिसमें निधि की मान्यता प्रभावी होती है और उस कर वर्ष के लिए कर्मचारी की कुल आय में सम्मिलित किया जाएगा,

(ग) अन्तरित अतिशेष की बकाया को निर्धारण के प्रयोजनों के लिए हिसाब में नहीं लिया जाएगा किन्तु प्रतिदाय या किसी अन्य रूप में कोई अन्य छूट या राहत ऐसे अन्तरित अतिशेष में समाविष्ट किसी रकम की बाबत अनुदत्त नहीं की जाएगी:

(5) गणना संबंधी गम्भीर कठिनाइयों की दशा में, अनुमोदन प्राधिकारी उक्त नियमों के अध्यधीन रहते हुए उपपैरा, (4) में यथाउपबंधित ऐसे योग का संक्षेप में परिकलन कर सकेगा ।

(6) इस नियम की कोई बात उन व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगी जो किसी ऐसी भविष्य निधि का जिसे मान्यताप्राप्त न हो मान्यता दिए जाने

से पूर्व प्रशासन या उससे या किसी कर्मचारी विशेष के जमा खाते में अतिशेष से संव्यवहार किसी रीति में कर रहे हों जो विधिपूर्ण हो ।

12. (1) मान्यताप्राप्त भविष्य निधि के लेखा निधि के न्यासियों द्वारा रखे जाएंगे और ऐसे प्ररूप में और ऐसे कालावधियों के लिए होंगे और उनमें ऐसी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी, जैसी विहित की जाए।

मान्यता प्राप्त भविष्य निधियों के लेखे ।

(2) लेखा आय-कर प्राधिकारियों द्वारा सभी युक्तियुक्त समयों पर निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे और न्यासी निर्धारण अधिकारी को उसकी ऐसी संक्षिप्तियां देंगे, जैसा विहित किया जाए ।

13. (1) ऐसा नियोजक जो अनुमोदन प्राधिकारी के किसी भविष्य निधि को मान्यता देने से इंकार करने वाले आदेश या उसकी मान्यता वापस लेने वाले आदेश के प्रति आक्षेप करता है, ऐसे आदेश के साठ दिन के भीतर बोर्ड को अपील कर सकेगा ।

अपील ।

(2) अपील ऐसे प्ररूप में होगी और ऐसी रीति से सत्यापित होगी और ऐसी फीस के संदाय के अधीन होगी, जैसा विहित किया जाए।

14. (1) जहां कोई ऐसा नियोजक जो अपने कर्मचारियों के फायदे के लिए भविष्य निधि (चाहे वह मान्यताप्राप्त है या नहीं) बनाए रखता है और उसने निधि या उसके किसी भाग का अन्तरण नहीं किया है, ऐसी निधि या भाग को निधि में भाग लेने वाले कर्मचारियों के लिए न्यासतः न्यासियों को अन्तरित करता है, वहां इस प्रकार अन्तरित रकम पूंजी व्यय के प्रकार की समझी जाएगी ।

नियोजक द्वारा न्यासी को अन्तरित निधि से बरतना ।

(2) जब ऐसी निधि में भाग लेने वाले कर्मचारी को वह संचित अतिशेष संदत्त किया जाता है जो उसे उसमें से देय है, तब ऐसे अतिशेष के किसी भाग के बारे में, जो न्यासियों को इस प्रकार अन्तरित की गई रकम में (ब्याज को जोड़े बिना, और कर्मचारी के अभिदायों और उन पर ब्याज का अपवर्जन करके) कर्मचारी के अंश के रूप में है, यह समझा जाएगा कि—

(क) धारा 34 के अधीन नियोजक का व्यय

(ख) कर वर्ष में उपगत किया गया व्यय है जिसमें कर्मचारी को देय संचित अतिशेष का संदाय किया जाता है ।

स्रोत पर कर की कटौती के लिए व्यवस्था ऐसे अंश की रकम से उपबंधित की जाती है ।

भाग ख

अनुमोदित अधिवार्षिकी निधियां तथा उपदान निधियां

1. इस भाग के प्रयोजन के लिए, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, अधिवार्षिकी निधियों तथा उपदान निधियों के संबंध में “नियोजक”, “कर्मचारी”, “अभिदाय” और “वेतन” का वही अर्थ है जो उन पदों को भविष्य निधियों के सम्बन्ध में भाग क के पैरा 2(क), (ख), (ग), (घ) और (झ) में दिया गया है ।

निर्वचन ।

2. (1) अनुमोदन प्राधिकारी किसी ऐसे अधिवार्षिकी निधि या किसी उपदान निधि उसके किसी भाग को, जो उसकी राय में पैरा 3 की विहित शर्तों का समाधान करता है, अनुमोदन दे सकेगा और ऐसे अनुमोदन को किसी भी समय वापिस ले सकेगा यदि उसकी राय में उस निधि या उसके भाग की परिस्थितियां अनुमोदन का जारी रखना समर्थित नहीं करती ।

निधि की अधिवार्षिकी पर अनुमोदन प्रदान करना और इसका प्रतिसंहरण ।

(2) अनुमोदन प्राधिकारी अनुमोदन देने की उस तारीख को, जिसको अनुमोदन

प्रभावी होता है, तथा जहां अनुमोदन शर्तों के अधीन रहते हुए दिया जाता है वहां उन शर्तों के सहित, लिखित रूप में सूचना निधि के न्यासियों को देगा।

(3) अनुमोदन प्राधिकारी अनुमोदन की वापसी की, ऐसी वापसी के कारणों के और उस तारीख के सहित जिसको वापसी प्रभावी होनी है, लिखित रूप में सूचना निधि के न्यासियों को देगा।

(4) अनुमोदन प्राधिकारी किसी अधिवार्षिकी निधि या अधिवार्षिकी निधि के भाग के अनुमोदन से तब तक न तो इंकार करेगा और न उसे वापस लेगा जब तक कि उसने उस निधि के न्यासियों को उस विषय में सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया हो।

अनुमोदन के लिए शर्तें।

3. इसलिए कि, यथास्थिति, अधिवार्षिकी निधि या उपदान निधि को अनुमोदन प्राप्त हो जाए और वह उसे कायम रख सके वह नीचे उपवर्णित शर्तें और ऐसी कोई अन्य यथाविहित शर्तें, पूरी करेगी—

(क) निधि ऐसी निधि होगी जो भारत में चलाए जाने वाले व्यापार या उपक्रम के संबंध में अप्रतिसंहरणीय न्यास के अधीन स्थापित की गई हो और न्यूनतम नब्बे प्रतिशत से कर्मचारी भारत में नियोजित होंगे;

(ख) निधि का एकमात्र प्रयोजन, व्यापार या उपक्रम में लगे कर्मचारियों के लिए,—

(i) विनिर्दिष्ट आयु पर या उसके पश्चात् सेवानिवृत्त होने पर; या

(ii) ऐसे निवृत्ति के पूर्व उनके अशक्त हो जाने पर, या

(iii) उपदान निधि के नियमों में विनिर्दिष्ट न्यूनतम सेवा अवधि के पश्चात् नियोजन की समाप्ति होने पर

(iv) उन व्यक्तियों की जो ऐसे कर्मचारी हैं या रह चुके हैं मृत्यु पर, उनकी विधवाओं, सन्तानों या आश्रितों के लिए यथास्थिति वार्षिकियों उपदान निधि का उपबंध करना होगा;

(ग) व्यापार या उपक्रम का नियोजक निधि में अभिदायकर्ता होगा; और

(घ) निधि में से अनुदत्त सब वार्षिकियां, पेंशन और अन्य फायदे भारत में ही संदेय होंगे।

अनुमोदन के लिए आवेदन।

4. (1) किसी, यथास्थिति, अधिवार्षिकी निधि या उसके भाग के या उपदान निधि अनुमोदन के लिए आवेदन निधि के न्यासियों द्वारा उस निर्धारण अधिकारी को जिसके द्वारा नियोजक निर्धारणीय है, लिखित रूप में किया जाएगा,—

(क) उसके साथ उस लिखत की एक प्रति, जिसके अधीन ऐसी निधि स्थापित की गई हो और नियमों की दो प्रतियां; तथा

(ख) जहां निधि उस वित्तीय वर्ष के पहले ऐसे वर्ष या कर वर्षों के दौरान अस्तित्व में रही है, जिसमें अनुमोदन के लिए आवेदन किया जाता है, वहां निधि के लेखाओं की दो प्रतियां भी होंगी जो ऐसे पूर्वतर वर्ष या वर्षों से (जो उक्त आवेदन किए जाने के वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्षों से अधिक नहीं हैं) संबंधित हैं, जिनके लिए ऐसे लेखे तैयार कर लिए गए हैं।

(2) उप पैरा (1) में निर्दिष्ट दस्तावेजों के अतिरिक्त अनुमोदन प्राधिकारी ऐसी

अतिरिक्त जानकारी के दिए जाने की अपेक्षा कर सकेगा जैसी वह उचित समझे ।

(3) यदि अनुमोदन के लिए आवेदन की तारीख के पश्चात् किसी समय निधि के नियमों, उसकी रचना, प्रयोजनों, या शर्तों में कोई परिवर्तन किया जाता है,—

(क) जो निधि के न्यासी उप पैरा (1) में निर्धारण अधिकारी को ऐसे परिवर्तन की तुरन्त सूचना देंगे; और

(ख) ऐसे परिवर्तन की सूचना के अभाव में किसी दिए गए अनुमोदन के बारे में, जब तक कि अनुमोदन प्राधिकारी अन्यथा आदेश न करे, यह माना जाएगा कि उसे उस तारीख से जिसको ऐसा परिवर्तन प्रभावी हुआ, वापस ले लिया गया है ।

5. यदि उपदान किसी कर्मचारी को उसके जीवन काल में संदत्त किया जाता है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उस कर्मचारी को संदत्त वेतन माना जाएगा ।

उपदान को वेतन समझा जाए ।

6. जब किसी नियोजक द्वारा कोई अभिदाय, जिसके अन्तर्गत उन पर ब्याज, (यदि कोई हो) भी है, नियोजक को प्रतिसंदत्त किए जाते हैं तब इस प्रकार प्रतिसंदत्त रकम के बारे में आय-कर के प्रयोजन के लिए यह समझा जाएगा कि वह नियोजक की उस कर वर्ष की आय है जिसमें उन्हें इस प्रकार प्रतिसंदत्त किया गया है ।

कर्मचारी का अभिदाय, जिसे नियोजक की आय समझा जाए ।

7. (1) जहां किसी नियोजक द्वारा अनुमोदित अधिवार्षिकी निधि को किए गए किन्हीं अभिदायों का, जिनके अन्तर्गत अभिदायों पर ब्याज यदि कोई हो, भी है, किसी कर्मचारी को उसके जीवनकाल के दौरान संदाय, अनुसूची 2 में (सारणी की क्रम सं. 8) में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों से भिन्न परिस्थितियों में किया जाता है, वहां ऐसे संदत्त रकम पर कर की कटौती करकी ऐसी औसत दर पर की जाएगी,—

किसी कर्मचारी को संदत्त अभिदाय पर कर की कटौती ।

(क) पूर्व तीन वर्ष के दौरान था,

(ख) यदि तीन वर्ष से कम हो तो, उस अवधि के दौरान था जब वह निधि का सदस्य था

(2) इस प्रकार काटे गए कर को न्यासियों द्वारा समय के भीतर और ऐसी रीति में, जैसा विहित किया जाए, निदेश करे, केन्द्रीय सरकार के खाते में संदत्त कर दिया जाएगा ।

8. जहां कोई नियोजक अनुमोदित अधिवार्षिकी निधि में किसी कर्मचारी के अभिदाय उस कर्मचारी को संदत्त वेतन में से काटता है या उसकी ओर से संदत्त करता है, वहां ऐसी सब कटौतियों या संदायों को उस विवरणी में सम्मिलित करेगा जिसे देने के लिए वह धारा 397(3) (ख) के अधीन अपेक्षित है ।

कर्मचारी के निमित्त वेतन और अभिदाय से कटौती को विवरणी में सम्मिलित किया जाना ।
अपील ।

9. (1) ऐसा नियोजक जो अनुमोदन प्राधिकारी के किसी, यथास्थिति, अधिवार्षिकी निधि या उपदान निधि को अनुमोदन देने से इंकार करने वाले आदेश या ऐसे अनुमोदन के वापस लेने वाले आदेश के प्रति आक्षेप करता है ऐसे आदेश के साठ दिन के भीतर, बोर्ड को अपील कर सकेगा ।

(2) अपील ऐसे प्ररूप में होगी और ऐसी रीति से सत्यापित होगी और ऐसी फीस के संदाय के अधीन होगी, जैसी विहित की जाए ।

अधिवार्षिकी
निधि के
अनुमोदन के
रोक पर
न्यासियों का
दायित्व ।

उपदान निधि
के अनुमोदन के
रोक पर
न्यासियों के
दायित्व ।

प्रस्तुत की जाने
वाली
विशिष्टियां ।

बोर्ड की निधि
के लिए नियम
बनाने की
शक्ति ।

10. यदि कोई निधि या निधि का भाग किसी कारण से अनुमोदित अधिवार्षिकी निधि नहीं रह जाती है, तो भी उस निधि के न्यासी वापस किए गए अभिदायों मददे (जिनके अन्तर्गत अभिदायों पर ब्याज, यदि कोई हो, भी है) संदत्त रकम पर कर के दायित्वाधीन रहेंगे जहां तक कि इस प्रकार संदत्त रकम इस भाग के उपबंधों के अधीन उस निधि या निधि के भाग के अनुमोदित अधिवार्षिकी निधि न रह जाने के पूर्व किए गए अभिदायों से संबंधित है ।

11. यदि कोई उपदान निधि किसी कारण अनुमोदित उपदान निधि नहीं रह जाती है, तो न्यासी, किसी कर्मचारी को संदत्त उपदान पर कर के दायी होंगे ।

12. किसी अनुमोदित अधिवार्षिकी निधि या अनुमोदित उपदान निधि के न्यासी और कोई ऐसा नियोजक जो ऐसी निधि में अभिदाय करता है, निर्धारण अधिकारी से सूचना द्वारा अपेक्षित होने पर सूचना की तारीख से इक्कीस दिन से कम न होने वाली ऐसी कालावधि के भीतर जो सूचना से विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसी विवरणी, विवरण, विशिष्टियां या जानकारी देंगे जैसी निर्धारण अधिकारी अपेक्षा करे ।

भाग ग

भविष्य निधि, अधिवार्षिकी निधि तथा उपदान निधि के लिए नियम बनाने की शक्ति

1. इस अनुसूची के भाग क तथा भाग ख द्वारा अनुदत् शक्तियों के अतिरिक्त, बोर्ड निम्नलिखित के संबंध में निधि भविष्य निधि, अधिवार्षिकी निधि या उपदान निधि के लिए नियम बना सकेगी :—

(क) निधि के अनुमोदन या मान्यता के लिए आवेदन के साथ प्रस्तुत की जाने वाले विवरण और सूचना का उपबंध करने के लिए;

(ख) विवरणी, कथन, विशिष्टियां सूचना का उपबंध करने के लिए जो न्यासी, अनुमोदित अधिवार्षिकी निधि या नियोजन के अपेक्षा कर सकती है;

(ग) उपदान निधि या अनुमोदित अधिवार्षिकी निधि को नियोजक के साधारण वार्षिक तथा अन्य अभिदायों को सीमित करने के लिए;

(घ) कर्मचारियों द्वारा मान्यताप्राप्त भविष्य निधि का अभिदाय सीमित करने के लिए, जो कंपनी में शेयरधारक हैं;

(ङ) सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 की धारा 2(च) में यथापरिभाषित सरकारी प्रतिभूतियों में विनिधान की जाने वाली विधि की राशि का किसी भी नियम के अधीन 50 प्रतिशत से अधिक विनिधान अपेक्षित नहीं है, की शर्त के अधीन रहते हुए, मान्यताप्राप्त या अनुमोदित विधि की राशि के विनिधान या जमा को विनियमित करने के लिए;

(च) किसी मान्यताप्राप्त या अनुमोदित निधि में उसके फायदाहित के किसी कार्यभार या सृजित प्रभार पर किसी कर्मचारी द्वारा प्राप्त किसी प्रतिफल की शास्ति के द्वारा निर्धारण का उपबंध करने के लिए;

(छ) भविष्य निधि जिससे मान्यता वापस ले ली गई है, कर्मचारी के व्यक्तिगत खाते में जमा अभिदाय तथा ब्याज पर संदेय कर से छूट के विस्तार तथा रीति निर्धारित करने के लिए;

(ज) अधिवार्षिकी निधि जिससे अनुमोदन वापिस ले लिया गया है से किए गए किसी संदाय पर कर के संदाय से छूट का विस्तार तथा रीति निर्धारण करने के लिए;

(झ) अधिवार्षिकी निधि या उपदान निधि के अनुमोदन की वापसी का उपबंध करने के लिए, जो इस भाग की अपेक्षाओं का समाधान होने से रोकता है, और

(ञ) इस भाग के किसी अन्य प्रयोजन को कारित करने के लिए और निधि की मान्यता या अनुमोदन तथा ऐसी निधि के प्रशासन पर ऐसे और नियंत्रण की संरक्षा के लिए, जो उचित समझा जाए ।

2. इस भाग के अधीन बनाए गए सभी नियम धारा 534 के अधीन होंगे ।

धारा 534 के
अध्यधीन होने
रहने वाले
नियम ।

अनुसूची 12

(धारा 51 देखिए)

भाग क

खनिज

1. ऐलुमिनियम अयस्क ।
2. एपाटाइट और फास्फेटिक अयस्क ।
3. वेदर्य ।
4. क्रोम अयस्क ।
5. कोयला और लिग्नाइट ।
6. कोलम्बाइट, समास्काइट तथा “दुर्लभ मृदा” समूह के अन्य खनिज ।
7. तांबा ।
8. सोना ।
9. जिप्सम ।
10. लोह अयस्क ।
11. सीसा ।
12. मैंगनीज अयस्क ।
13. मौलिब्डेनाम ।
14. निकल अयस्क ।
15. प्लैटिनम और अन्य बृहमूल्य धातुएं तथा उनके अयस्क ।
16. पिचब्लेन्ड और अन्य यूरेनियम अयस्क ।
17. रत्न ।
18. रुटाइल ।
19. चांदी ।
20. गंधक और उसके अयस्क ।
21. रांगा ।
22. टंगस्टेन अयस्क ।
23. यूरेनीफेरस एलैनाइट, मोनेजाइट और अन्य थोरियम खनिज ।
24. तांबा और सोना, इल्मेनाइट और अन्य टाइटेनियम अयस्क निकालने के पश्चात् अयस्कों में का यूरेनियम युक्त अवशिष्ट ।
25. वैनडियम अयस्क ।
26. जस्ता ।
27. जरकान ।

भाग ख

सहचारी खनिजों के समूह

1. एपाटाइट, वेदर्य, कैसिटेराइट, कोलम्बाइट, पन्ना, फैल्सपार, लेपिडोलाइट,

अभ्रक, पिचब्लेंड, स्फटिक, समास्काईट, शीलाइट, पुखराज, टेंटैलाईन, तुरमली ।

2. लोहा, मैंगनीज टाइटेनियम, वैनेडियम और निकल खनिज ।

3. सीसा, जस्ता, तांबा, कैटमियम, आर्सेनिक, एन्टिमनी, बिस्मथ, कोबाल्ट, निकल, मोलिब्डेनम और यूरेनियम खनिज तथा सोना और चांदी, आर्सेनोपाइराइट, कैल्कोपाइराइट, पाइराइट, पाइफ्लोटाइट, पेंटेलनडाइट ।

4. क्रोमियम, आस्मिरीडियम, प्लैटिनम और निकल खनिज ।

5. कायनाइट, सिलीमैनाइट, कुरंडम, इयूमरटाइराइट और पुखराज ।

6. सोना, चांदी, टेल्यूरियम, सिलीनियम और पाइराइट ।

7. बैराइटीज, फ्लोराइट, कैल्कोस्थल, सिलीनियम और जस्ता, सीसा और चांदी के खनिज ।

8. रांगा और टंगस्टेन खनिज ।

9. चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नेस्थल ।

10. इल्मेनाइट, मोनेस्थल, जरकान, रुटाइल, गार्नेट और सिलिमैनाइट ।

11. तांबा और लोहे के सल्फाइड ।

12. कोयला, अग्निसह मिट्टी और शेल ।

13. मैग्नेस्थल और ऐपाटाइट ।

14. मैग्नेस्थल और क्रोमाइट ।

15. टैल्क (सेलखड़ी और स्टिएटाइट) और डोलोमाइट ।

16. बैक्साइट, लेटेराइट, ऐलुमिनस मिट्टी, लियोमार्ज, टाइटेनियम, बेनाडियम, गैलियम और कोलम्बियम खनिज ।

अनुसूची 13

[धारा 45(2) देखिए]

वस्तुओं या चीजों की सूची

1. बीयर, वाइन और अन्य मादक पेय ।
2. तम्बाकू और तम्बाकू से बने पदार्थ, जैसे सिगार और चिरूट, सिगरेट, बीड़ी, पाइप और सिगरेट के लिए धूम्रपान मिश्रण, चबाने वाला तम्बाकू और सूंघने वाला पदार्थ ।
3. सौंदर्य प्रसाधन और शौचालय की तैयारियाँ ।
4. टूथपेस्ट, डेंटल क्रीम, टूथ पाउडर और साबुन ।
5. वातित जल जिसके निर्माण में किसी भी रूप में मिश्रित स्वाद सांद्रण (सिंथेटिक सार सहित) का उपयोग किया जाता है ।
6. मिष्ठान्न और चॉकलेट ।
7. ग्रामोफोन, जिसमें रिकार्ड प्लेयर और ग्रामोफोन रिकार्ड शामिल हैं ।
8. प्रोजेक्टर ।
9. फोटोग्राफिक उपकरण और सामान।
10. कार्यालय मशीनें और उपकरण जैसे टाइपराइटर, गणना मशीनें, नकदी रजिस्ट्रिंग मशीनें, चेक लेखन मशीनें, इंटरकॉम मशीनें और टेलीप्रिंटर जिनमें कार्यालयों, दुकानों में उपयोग की जाने वाली सभी मशीनें और उपकरण शामिल हैं। कारखानों, कार्यशालाओं, शैक्षिक संस्थाओं, रेलवे स्टेशनों, होटलों और रेस्तरां में कार्यालय कार्य करने और डेटा प्रोसेसिंग के लिए, जिसमें गणना करने वाली मशीनें और कंप्यूटर न होने वाले गणना करने वाले उपकरण शामिल हैं ।
11. स्टील का फर्नीचर, चाहे वह आंशिक रूप से या पूर्णतः स्टील से बना हो ।
12. तिजोरियाँ, स्ट्रांग बॉक्स, नकदी और डीड बॉक्स तथा स्ट्रांग रूम के दरवाजे ।
13. लेटेक्स फोम स्पंज और पॉलीयूरेथेन फोम ।
14. क्राउन कॉर्क, या कॉर्क, रबर, पॉलीइथिलीन या किसी अन्य सामग्री से बनी अन्य फिटिंग्स ।
15. कॉर्क, रबर, पॉलीथीन या किसी अन्य सामग्री की पैकेजिंग या अन्य फिटिंग के लिए चोरी-रोधी कैप ।

अनुसूची 14

(धारा 55 देखिए)

बीमा कारबार

क-जीवन बीमा कारबार

1. यदि कोई व्यक्ति कर वर्ष के दौरान जीवन बीमा कारबार करता है ऐसे कारबार से ऐसे व्यक्ति के लाभ और अभिलाभ की संगणना, उसके किसी अन्य कारबार के लाभ या अभिलाभ से पृथक् की जाएगी ।

जीवन बीमा कारबार के लाभों का पृथक् संगणित किया जाना ।

2. (1) अधिशेष के वार्षिक औसत को जैसा कि वह कर वर्ष के प्रारम्भ से पूर्व समाप्त होने वाली अन्तिम अन्तर्मूल्यांकन कालावधि की बाबत बीमा अधिनियम, 1938 के अनुसार किए गए बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा प्रकट अधिशेष या कमी को समायोजित करके आए, जीवन बीमा कारबार के लाभ और अभिलाभ समझा जाएगा, जिससे उसमें सम्मिलित किसी अधिशेष या कमी का जो किसी पूर्वतर अन्तर्मूल्यांकन कालावधि में सम्मिलित की गई थी, उसमें से अपवर्जन हो जाए ।

जीवन बीमा कारबार के लाभों की संगणना ।

(2) कारबार के लाभ और अभिलाभों की संगणना में धारा 34 के अधीन कोई व्यय जो अनुज्ञेय है, वह जीवन बीमा कारबार के लाभ और अभिलाभ में जोड़ा जाएगा ।

3. जहां किसी वर्ष के लिए जीवन बीमा कारबार के लाभों का निर्धारण बारह मास से अधिक की अन्तर्मूल्यांकन कालावधि के लिए मूल्यांकन द्वारा प्रकट अधिशेष के वार्षिक औसत के अनुसार किया जाता है, वहां उस वर्ष के लिए संदेय आय-कर की संगणना करने से,—

स्रोत पर कटौती द्वारा संदत कर का समायोजन ।

(क) पूर्ववर्ती कर वर्ष में संदत आय-कर के लिए प्रत्यय धारा 390 के अनुसार नहीं किया जाएगा ;

(ख) ऐसी कालावधि के दौरान प्रतिभूतियों पर ब्याज से या अन्य प्रकार से स्रोत पर कटौती के रूप में संदत आय-कर के वार्षिक औसत के लिए प्रत्यय किया जाएगा ।

ख-अन्य बीमा कारबार

4. (1) जीवन बीमा से भिन्न किसी बीमा कारबार के लाभों और अभिलाभों को बीमा अधिनियम, 1938 या उसके अधीन बनाए गए नियमों या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 या निम्नलिखित समायोजनों के अधीन रहते हुए विनियमों के अनुसार तैयार किए गए लाभ और हानि लेखे में प्रकट किए गए कर और विनियोजनों से पूर्व लाभ माना जाएगा—

अन्य बीमा कारबार के लाभों और अभिलाभों की संगणना ।

(क) कोई ऐसा व्यय या मोक जिसके अधीन किसी कर, लाभांश, आरक्षिती के लिए उपबंध के रूप में या किसी ऐसे अन्य उपबंध के रूप में, जो विहित किया जाए, लाभ या हानि लेखे में से विकलित कोई रकम है जो धारा 28 से धारा 54 के अधीन अनुज्ञेय नहीं है, पुनः जोड़ दिया जाएगा ;

(ख) विनिधानों की वसूली पर किसी अभिलाभ या हानि को, यथास्थिति,

(1938 का 4)

(1938 का 4)

(1999 का 4)

जोड़ा जाएगा या उसकी कटौती की जाएगी, यदि ऐसे अभिलाभ या हानि को लाभ-हानि खाते में जमा या उससे विकलित नहीं किया गया है ;

(ग) लाभ-हानि लेखे से विकलित किए गए विनिधान के मूल्य में कमी के किसी उपबंध को वापस जोड़ा जाएगा ; और

(घ) अनवसित जोखिमों के लिए आरक्षण में अग्रणीत ऐसी रकम, जो विहित की जाए, कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाएगी ।

(2) पैरा (1) (क) के अधीन जोड़ी गई रकम जो धारा 37 के अधीन संदेय है, कर वर्ष में कटौती के रूप में अनुज्ञात होगी, जिसमें वह वास्तविक रूप से संदत्त हुई है ।

ग-अन्य उपबन्ध

अनिवासी व्यक्ति
के लाभ और
अभिलाभ ।

5. (1) बीमा कारबार चलाने वाले अनिवासी व्यक्ति की भारत में उसकी शाखाओं के लाभ और अभिलाभ विश्वसनीय डाटा के अभाव में उसकी वैश्विक आय का वह अनुपात माना जा सकेगा जो भारत से व्युत्पन्न उसकी प्रीमियम आय का उसकी कुल प्रीमियम आय से अनुपात के समान हो ।

(2) भारत में अनिवासी व्यक्ति के जीवन बीमा कारबार से संबंधित वैश्विक आय है, संगणना उस रीति में की जाएगी जो भारत में चलाए गए जीवन बीमा कारबार के लाभों और अभिलाभों की संगणना करने के लिए इस अधिनियम अनुसार संगणित की जाएगी ।

निर्वचन ।

6. (1) इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “विनिधानों” के अन्तर्गत प्रतिभूतियां, स्टॉक और शेयर भी हैं; और

(ख) “जीवन बीमा कारबार” से बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2(11) में यथापरिभाषित जीवन बीमा कारबार अभिप्रेत है ।

1938 का 4

(2) इस अनुसूची में बीमा अधिनियम, 1938 के प्रति निर्देशों का, जहां तक उनका संबंध भारत के जीवन बीमा निगम से है, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 43 या अधिनियम के प्रति निर्देश हैं ।

1938 का 4

1956 का 31

अनुसूची 15

(धारा 123 देखिए)

जीवन बीमा प्रीमीया, भविष्य निधि अभिदाय, कतिपय साम्या शेरों आदि के अभिदान के संबंध में कटौती

1. धारा 123 के प्रयोजन के लिए किसी कर वर्ष हेतु निम्नलिखित रकम कटौती के रूप में अर्हक होंगी—

कटौती के रूप में
अर्हक राशियां ।

(क) जीवन बीमा पॉलिसी के लिए संदत्त प्रीमियम—

(i) किसी व्यष्टि में, ऐसे व्यष्टि, उसके पति या पत्नी तथा उसके किसी बच्चे के जीवन पर ;

(ii) किसी हिंदू अविभक्त कुटुंब की दशा में , हिंदू अविभक्त कुटुंब के किसी सदस्य के जीवन पर,

पैरा 2 के अधीन ;

(ख) आस्थगित वार्षिकी संविदा के अधीन संदत्त रकम [व्यष्टि, व्यष्टि के पति या पत्नी और व्यष्टि के किसी भी बच्चे के जीवन पर खंड (1) में निर्दिष्ट वार्षिकी स्कीम से भिन्न, और ऐसे संविदा में वार्षिकी के बदले नकद संदाय प्राप्त करने का विकल्प नहीं है;

(ग) सरकार द्वारा या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को आस्थगित वार्षिकी प्राप्त करने या अपने जीवनसाथी या बच्चों के लिए उपबंध करने के लिए वेतन से कटौती की जाने वाली रकम, वेतन के 20% तक

(घ) किसी व्यक्ति द्वारा किसी भविष्य निधि में अभिदाय, जिस पर भविष्य निधि अधिनियम, 1925 लागू होता है ;

(ङ) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित और अधिसूचित किसी भविष्य निधि के खाते में निम्नलिखित के नाम से अभिदाय,—

(i) किसी व्यष्टि की दशा में, ऐसा व्यष्टि, उसका पति/पत्नी तथा उसका कोई बच्चा ;

(ii) किसी हिंदू अविभक्त कुटुंब की दशा में , उसका कोई सदस्य ;

(च) किसी कर्मचारी द्वारा मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में अभिदाय ;

(छ) किसी कर्मचारी द्वारा अनुमोदित अधिवार्षिकी निधि में अभिदाय ;

(ज) किसी व्यष्टि या उस व्यष्टि की किसी बालिका या किसी बालिका के नाम पर, जिसका वह व्यक्ति विधिक अभिभावक है, यदि स्कीम में ऐसा निर्दिष्ट किया गया हो, केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी प्रतिभूति या जमा स्कीम में अभिदाय ;

(झ) केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाअधिसूचित सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 3(ट) में उल्लिखित बचत प्रमाणपत्र की सदस्यता;

(ञ) यूनिट न्यास ऑफ इंडिया (उपक्रम अंतरण और निरसन)

अधिनियम, 2002 की अनुसूची 2 में निर्दिष्ट यूनिट-लिंकड बीमा स्कीम, 1971 में भागीदारी के लिए अभिदाय,—

(i) किसी व्यक्ति की दशा में, ऐसे व्यक्ति, उसके पति/पत्नी तथा उसके किसी बच्चे के नाम पर;

(ii) किसी हिंदू अविभक्त कुटुंब की दशा में उसके किसी सदस्य के नाम पर ;

(ट) अनुसूची 7 (सारणी क्रम सं. 20 या क्रम सं. 21) में निर्दिष्ट जीवन बीमा निगम म्यूचुअल निधि की यूनिट लिंकड बीमा स्कीम में भागीदारी के लिए अभिदाय, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है,—

(i) किसी व्यक्ति की दशा में, ऐसे व्यक्ति, उसके पति/पत्नी तथा उसके किसी बच्चे के नाम पर ;

(ii) किसी हिंदू अविभक्त कुटुंब की दशा में, उसके किसी सदस्य के नाम पर;

(ठ) जीवन बीमा निगम या केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य बीमाकर्ता की वार्षिकी स्कीम के लिए संविदा को प्रभावी और प्रवृत्त रखने हेतु संदत्त की गई रकम;

(ड) अनुसूची 7 में सारणी. की क्रम सं. 20 या 21 में या किसी प्रशासक से या केंद्रीय सरकार द्वारा यथाअधिसूचित ऐसी अनुसूची के अनुसरण में विरचित किसी योजना के अधीन विनिर्दिष्ट कंपनी में निर्दिष्ट किसी पारस्परिक निधि की किन्हीं यूनिटों की सदस्यता;

(ढ) किसी पेंशन निधि स्थापन में किसी व्यक्ति द्वारा अभिदाय—

(i) अनुसूची 7 में (सारणी क्रम सं. 20 या क्रम सं. 21) निर्दिष्ट कोई पारस्परिक निधि; या

(ii) कोई प्रशासक, या

(iii) विनिर्दिष्ट कंपनी, केंद्रीय सरकार द्वारा यथाअधिसूचित

(ण) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा स्थापित किसी जमा स्कीम में सदस्यता या पेंशन निधि में अभिदाय, जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा यथाअधिसूचित किया गया है ;

(त) किसी भी जमा स्कीम में सदस्यता—

(i) एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी जो आवासीय प्रयोजनों के लिए भारत में घरों के निर्माण या खरीद के लिए दीर्घकालिक वित्त प्रदान करने में लगी हुई है ; या

(ii) किसी भी विधि द्वारा भारत में आवास की आवश्यकता से निपटने और उसे संतुष्ट करने के प्रयोजन से या शहरों, कस्बों और गांवों की स्कीम, विकास या सुधार के प्रयोजन से या दोनों के लिए, जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा यथाअधिसूचित किया गया है ;

(थ) किसी व्यक्ति द्वारा भारत में स्थित किसी विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल या अन्य शैक्षणिक संस्था को (प्रवेश के समय या उसके पश्चात्) ऐसे व्यक्ति के किसी भी दो बच्चों की पूर्णकालिक शिक्षा के लिए संदाय की गई ट्यूशन फीस (किसी भी विकास शुल्क या दान या इसी तरह के संदाय के सिवाय);

(द) आवासीय गृह संपत्ति की खरीद या निर्माण के लिए किया गया संदाय, जिससे प्राप्त आय "गृह संपत्ति से आय" शीर्षक के अधीन कर प्रभाय है (या जो, यदि निर्धारित के अपने निवास के लिए उपयोग नहीं की गई होती, तो उस शीर्षक के अधीन कर प्रभाय होती), पैरा 3 में अधिकथित शर्तों की संतुष्टि के अधीन ।

(ध) अनुसूचित बैंक में कम से कम पांच वर्ष की नियत अवधि के लिए सावधि जमा, तथा जो केंद्रीय सरकार द्वारा तैयार और अधिसूचित स्कीम के अनुसार हो ;

(न) केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा जारी बांडों में अभिदान ;

(प) वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम नियम, 2004 के अधीन खाते में जमा ;

(फ) डाकघर सावधि जमा नियम, 1981 के अधीन खाते में पांच वर्ष की सावधि जमा ;

(ब) धारा 124 में यथानिर्दिष्ट, केंद्रीय सरकार के किसी कर्मचारी द्वारा केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित पेंशन स्कीम के पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 20(3) में निर्दिष्ट अतिरिक्त खाते में अभिदाय,—

(क) कम से कम तीन वर्ष की नियत अवधि के लिए; तथा

(ख) जो इस खंड के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा यथाअधिसूचित स्कीम के अनुसार हो ;

(भ) अनुसूची 7 (सारणी. क्रम सं. 3) में निर्दिष्ट निधि से पेंशन प्राप्त करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम या किसी अन्य बीमाकर्ता की किसी वार्षिकी स्कीम के लिए संविदा को प्रभावी बनाने या लागू रखने के लिए कर-प्रभाय आय से किया गया अभिदाय ।

(म) किसी व्यक्ति द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित पेंशन स्कीम में किया गया अभिदाय, निम्नलिखित सीमा तक—

(i) केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य नियोजक के कर्मचारी की दशा में कर वर्ष के दौरान वेतन का 10%, जिसमें महंगाई भत्ता भी शामिल है, यदि नियोजन की शर्तों में ऐसा उपबंध है, लेकिन अन्य सभी भत्ते और सुविधाएं शामिल नहीं हैं ; या

(ii) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में कर वर्ष के दौरान सकल कुल आय का 20% ।

(य) निम्नलिखित में अभिदान—

(i) किसी सार्वजनिक कंपनी द्वारा किए गए आवेदन पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित पूंजी के किसी पात्र निर्गम का हिस्सा बनने वाले साम्या शेयर या डिबेंचर या किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्था द्वारा विहित प्ररूप में पूंजी के किसी पात्र निर्गम के लिए अभिदान ।

(ii) अनुसूची 7 में (सारणी. क्रम सं. 20 या 21) में निर्दिष्ट किसी पारस्परिक निधि की कोई यूनिट, और विहित प्ररूप में ऐसे पारस्परिक निधि द्वारा किए गए आवेदन पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित और यदि ऐसी इकाइयों में सदस्यता की रकम किसी कंपनी की पूंजी के पात्र मुद्दे में ही सब्सक्राइब की जाती है ।

बीमा पॉलिसी पर
संदाय ।

2.(1) कटौती केवल किसी बीमा पॉलिसी पर किए गए किसी प्रीमियम या अन्य संदाय पर लागू होगी, आस्थगित वार्षिकी के लिए संविदा से भिन्न,—

(क) 31 मार्च, 2012 को या उससे पूर्व जारी की गई पॉलिसी के संबंध में वास्तविक पूंजी बीमा रकम के 20% तक;

(ख) 1 अप्रैल, 2012 को या उसके पश्चात् जारी की गई पॉलिसी के संबंध में वास्तविक पूंजी बीमा रकम के 10% तक;

(ग) 15% तक, यदि पॉलिसी 1 अप्रैल, 2013 को या उसके पश्चात् जारी की गई है और जहां ऐसी पॉलिसी निम्नलिखित के जीवन को कवर करती है,—

(i) धारा 154 में निर्दिष्ट विकलांगता या गंभीर विकलांगता वाले व्यक्ति; या

(ii) धारा 128 के अधीन बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट किसी बीमारी या बीमारी से पीड़ित व्यक्ति।

(2) इस पैरा में, अभिव्यक्ति "वास्तविक पूंजी बीमा रकम" का अर्थ पॉलिसी की अवधि के दौरान किसी भी समय बीमित घटना के घटित होने पर पॉलिसी के अधीन बीमित न्यूनतम रकम से है, जिसमें निम्नलिखित को शामिल नहीं किया गया है,—

(क) वापस किए जाने के लिए सहमत किसी भी प्रीमियम का मूल्य, या

(ख) बोनस के रूप में या वास्तव में बीमित रकम से अधिक किसी भी लाभ, जो किसी व्यक्ति द्वारा पॉलिसी के अधीन प्राप्त किया जाना है या प्राप्त किया जा सकता है ।

आवासीय गृह
संपत्ति की खरीद
या निर्माण के लिए
किया गया
संदाय ।

3. पैरा 1(द) में दिए गए अनुसार आवासीय गृह संपत्ति की खरीद या निर्माण के लिए खर्च की गई रकम के संबंध में कटौती में निम्नलिखित शामिल होंगे—

(क) निम्नलिखित के लिए या इसके माध्यम से किए गए संदाय शामिल होंगे—

(i) किसी विकास प्राधिकरण, आवास बोर्ड या स्वामित्व के आधार पर गृह संपत्ति के निर्माण और बिक्री में लगे किसी अन्य प्राधिकरण की किसी स्व-वित्तपोषण या अन्य स्कीम के अधीन देय रकम का कोई किस्त या आंशिक संदाय ; या

(ii) किसी कंपनी या सहकारी समिति को देय रकम का कोई

किस्त या आंशिक संदाय, जिसका निर्धारिती शेयरधारक या सदस्य है, उसे आवंटित गृह संपत्ति की लागत के लिए ; या

(iii) निर्धारिती द्वारा निम्नलिखित से उधार ली गई रकम का पुनःसंदाय—

(क) केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार से ; या

(ख) किसी बैंक, जिसमें सहकारी बैंक भी शामिल है ; या

(ग) जीवन बीमा निगम से ; या

(घ) राष्ट्रीय आवास बैंक से ; या

(ङ) भारत में निर्मित और रजिस्ट्रीकृत कोई पब्लिक कंपनी जिसका मुख्य प्रयोजन आवासीय प्रयोजनों के लिए भारत में मकानों के निर्माण या खरीद के लिए दीर्घकालिक वित्त प्रदान करने का कारबार करना है, जो धारा 32(ङ) के अधीन कटौती के लिए पात्र है ; या

(च) कोई कंपनी जिसमें जनता की पर्याप्त रुचि है या कोई सहकारी समिति, जहां ऐसी कंपनी या सहकारी समिति मकानों के निर्माण के वित्तपोषण के कारबार में लगी हुई है ; या

(छ) नियोजक जहां ऐसा नियोजक कोई प्राधिकरण या बोर्ड या निगम या कोई अन्य निकाय है जो किसी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित या गठित है ; या

(ज) निर्धारिती का नियोजक जहां ऐसा नियोजक कोई पब्लिक कंपनी या पब्लिक क्षेत्र की कंपनी या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या ऐसे विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय या स्थानीय प्राधिकरण या सहकारी समिति है ; या

(iv) निर्धारिती को ऐसी गृह संपत्ति के अंतरण के प्रयोजन से स्टॉप शुल्क, रजिस्ट्रीकरण फीस और अन्य व्यय ;

(ख) इसमें निम्नलिखित के लिए या इसके माध्यम से कोई संदाय शामिल नहीं है—

(i) प्रवेश फीस, शेयर की लागत और आरंभिक जमा रकम जो किसी कंपनी के शेयरधारक या सहकारी समिति के सदस्य को ऐसे शेयरधारक या सदस्य बनने के लिए देना पड़ता है ;

(ii) गृह संपत्ति में किसी परिवर्धन या परिवर्तन, या नवीनीकरण या मरम्मत की लागत, जो गृह संपत्ति के संबंध में पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए जाने के पश्चात, या गृह संपत्ति या उसके किसी भाग पर निर्धारिती या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कब्जा कर लिए जाने या उसे किराए पर दिए जाने के पश्चात की जाती है ; या

(iii) कोई व्यय जिसके संबंध में धारा 22 के अधीन कटौती अनुज्ञेय है ।

पहले से अनुज्ञात
कराधान की कटौती
और उसकी
नामंजूरी ।

4. नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (ख) में विनिर्दिष्ट संदायों की प्रकृति में कटौती उस कर वर्ष में स्वीकार्य नहीं होगी जिसमें उक्त सारणी के स्तंभ (ग) में विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी होती हैं, और पूर्ववर्ती कर वर्ष या कर वर्षों में अब तक अनुमत कटौतियों की कुल रकम को निर्धारिती की आय माना जाएगा और ऐसे कर वर्ष में कर के लिए दायी होगा ।

सारणी

क्र.सं.	संदाय की प्रकृति	स्तंभ (ख) में दिए गए संदाय के संबंध में कटौती की अस्वीकृति के लिए शर्तें
क	ख	ग
1.	जीवन बीमा पॉलिसी के लिए संदाय किया गया प्रीमियम	जहां निर्धारिती अपनी बीमा संविदा को उस प्रभाव के नोटिस द्वारा समाप्त करता है या जहां संविदा किसी भी प्रीमियम का संदाय करने में विफलता के कारण बीमा संविदा को पुनर्जीवित न करके लागू नहीं रहता है, - (क) किसी भी एकल प्रीमियम पॉलिसी की दशा में , बीमा शुरू होने की तारीख से दो वर्ष के भीतर; या (ख) किसी अन्य की दशा में, दो वर्ष के लिए प्रीमियम का संदाय करने से पहले ।
2.	(क) यूनिट-लिंकड बीमा स्कीम, 1971 में भागीदारी के लिए अभिदाय (ख) जीवन बीमा निगम म्यूचुअल निधि की यूनिट-लिंकड बीमा स्कीम में भागीदारी के लिए अभिदाय	जहां निर्धारिती ऐसी स्कीम में अपनी भागीदारी समाप्त कर देता है, वहां उस आशय का नोटिस देकर या जहां वह किसी अभिदाय का संदाय करने में असफलता के कारण भागीदारी करना बंद कर देता है, वहां ऐसी भागीदारी के संबंध में अभिदाय का संदाय पांच वर्ष तक किए जाने से पूर्व अपनी भागीदारी को पुनर्जीवित नहीं करता है ।
3.	आवासीय गृह संपत्ति की खरीद या निर्माण के लिए किए गए कतिपय संदाय	जहां निर्धारिती— (क) उस कर वर्ष की समाप्ति से पांच वर्ष की समाप्ति से पूर्व गृह संपत्ति को अंतरित कर देता है जिसमें ऐसी संपत्ति का कब्जा उसके द्वारा प्राप्त किया जाता है; या (ख) उस खंड में विनिर्दिष्ट कोई रकम, चाहे वापसी के रूप में या अन्यथा, वापस प्राप्त कर लेता है ।

4. किसी साम्या शेयरों (क) जहां निर्धारिती अर्जन की तारीख से तीन तथा डिबेंचर के वर्ष के भीतर किसी भी समय किसी भी व्यक्ति अभिदान के लिए को विक्रय या अन्यथा अंतरण करता है; कतिपय संदाय, जो (ख) कोई व्यक्ति है कि जो किसी पब्लिक कंपनी पब्लिक कंपनी द्वारा के यथास्थिति सदस्यों के रजिस्टर या डिबेंचर या किसी वितीय धारकों में उन शेयरों और डिबेंचर के संबंध में संस्था द्वारा और उसका नाम प्रविष्ट होने की तारीख पर किसी बोर्ड द्वारा शेयर या डिबेंचर अर्जित करने वाले रूप में माना अनुमोदित किसी जाएगा जारी पात्र पूंजी का भाग बनता है।

5. जहां नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (ख) में विनिर्दिष्ट संदायों की प्रकृति में कटौती की अनुमति दी गई है, और उक्त सारणी के स्तंभ (ग) में विनिर्दिष्ट शर्तें किसी कर वर्ष में पूरी हो जाती हैं, प्राप्त रकमों पर उस कर वर्ष में उक्त सारणी के स्तंभ (घ) में दी गई रीति में कर लगाया जाएगा।

उन अभिलाभ्यों पर कराधान जहां कटौती की अनुमति पूर्व से ही है।

सारणी

क्र.सं.	संदाय की प्रकृति	कराधान की शर्त	उस कर वर्ष में कराधान की रीति और रकम जिसमें स्तंभ (ग) में शर्त पूरी होती है
क	ख	ग	घ
1.	(क) वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम नियम, 2004 के अधीन खाते में जमा रकम (ख) डाकघर सावधि जमा नियम, 1981 के अधीन खाते में पांच वर्ष की सावधि जमा रकम	यदि स्तंभ (ख) में दिए गए रकम उस कर वर्ष की आय मानी जाते के संबंध निर्धारिती की आय मानी में प्रोद्भूत जाएगी जिसमें रकम ब्याज सहित निकाली गई है तथा उक्त कोई रकम, जमा वर्ष में कर के लिए दायी करने की तारीख होगी; से पांच वर्ष की अवधि समाप्त होने से पूर्व निम्नलिखित रकम शामिल निर्धारिती द्वारा नहीं होंगी, निकाली जाती है; अर्थात् :— (i) ब्याज की कोई रकम, जो ऐसे कर वर्ष से पूर्व के कर वर्ष या वर्षों की निर्धारिती की कुल आय में शामिल की गई है ; तथा (ii) ऐसे निर्धारिती की	

मृत्यु पर उसके नामनिर्देशित या विधिक उत्तराधिकारी द्वारा प्राप्त कोई रकम, उस पर प्रोद्भूत ब्याज, यदि कोई हो, से सिवाय, जो ऐसे कर वर्ष से पूर्व के कर वर्ष या वर्षों के लिए निर्धारित की कुल आय में शामिल नहीं थी।

2. भारतीय जीवन बीमा जहां पेंशन स्तंभ (ग) (क) या (ख) में निगम या किसी अन्य स्कीम में निर्दिष्ट संपूर्ण रकम के बीमाकर्ता की किसी निर्धारित के बराबर रकम को उस कर वार्षिकी स्कीम के लिए खाते में जमा वर्ष में निर्धारित या संविदा को प्रभावी बनाने कोई रकम, उसके नामनिर्देशित की या लागू रखने के लिए जिसके संबंध में आय माना जाएगा जिसमें अभिदाय, अनुसूची 7 कटौती की ऐसी निकासी की जाती है (सारणी क्रम सं.- 3) में अनुमति दी गई या पेंशन प्राप्त होती है, निर्धारित के और उक्त वर्ष में कर हेतु प्राप्त करने के लिए। खाते में प्रोद्भूत

दायी हो।
या जमा किए गए ब्याज या बोनस के साथ, यदि कोई हो, निर्धारित या उसके नामनिर्देशित द्वारा प्राप्त की जाती है,—

(क) किसी कर वर्ष में वार्षिकी स्कीम के पूर्णतः या आंशिक रूप से समर्पण के कारण; या

(ख) वार्षिकी स्कीम से प्राप्त पेंशन के रूप में ;

3. केंद्रीय सरकार द्वारा जहां पेंशन स्तंभ (ग)(क) या (ख) में

अधिसूचित पेंशन स्कीम में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया अभिदाय स्कीम में निर्दिष्ट संपूर्ण रकम उस निर्धारिती के कर वर्ष में, जिसमें ऐसी खाते में जमा रकम प्राप्त हुई है, कोई रकम, निर्धारिती या उसके जिसके संबंध में नामनिर्देशित की आय कटौती की मानी जाएगी और उक्त अनुमति दी गई वर्ष में कर हेतु दायी है, उस पर होगी ।

प्रोद्भूत रकम, यदि कोई हो, के साथ निर्धारिती या उसके नामनिर्देशित द्वारा किसी कर वर्ष में पूर्णतः या आंशिक रूप से प्राप्त की जाती है, और यदि ऐसी रकम का उपयोग उसी वर्ष वार्षिकी स्कीम खरीदने के लिए नहीं किया जाता है—

(i) पेंशन स्कीम के बंद होने या उससे बाहर निकलने के कारण (निर्धारिती की मृत्यु पर नामनिर्देशित द्वारा प्राप्त किए जाने के सिवाय); या (ii) ऐसी बंद होने या बाहर निकलने पर खरीदी गई या ली गई वार्षिकी स्कीम से प्राप्त

पेंशन के रूप
में ;

निर्वचन ।

6. इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “प्रशासक” से भारतीय यूनिट न्यास (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 की धारा 2(क) में निर्दिष्ट प्रशासक अभिप्रेत है ;

(ख) किसी निधि में “अभिदान” में ऋण की अदायगी में कोई रकम शामिल नहीं होगी ;

(ग) “बीमा” में शामिल होगा—

(i) किसी व्यक्ति या उसके पति या पत्नी या ऐसे व्यक्ति के बच्चे या हिंदू अविभक्त कुटुंब के सदस्य के जीवन पर बीमा पॉलिसी, जो परिपक्वता की विहित तारीख पर विनिर्दिष्ट रकम का संदाय सुनिश्चित करती है, यदि ऐसा व्यक्ति ऐसी तारीख को जीवित है, भले ही बीमा पॉलिसी में केवल संदाय किए गए प्रीमियम की वापसी (ब्याज सहित या बिना किसी ब्याज के) के लिए उपबंध हो, यदि ऐसे व्यक्ति की उक्त विहित तारीख से पूर्व मृत्यु हो जाती है ;

(ii) किसी व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब के सदस्य द्वारा नाबालिग के लाभ के लिए की गई बीमा पॉलिसी जिसका प्रयोजन नाबालिग को वयस्क होने के पश्चात् पॉलिसी अपनाकर अपने जीवन पर बीमा प्राप्त करने में सक्षम बनाना है और पॉलिसी में इस संबंध में निर्दिष्ट तारीख (ऐसे अपनाने के पश्चात्) को उसके जीवित रहने पर ;

(घ) “जीवन बीमा निगम” से जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के अधीन स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम अभिप्रेत है;

(ङ) “सार्वजनिक कंपनी” का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(71) में है ;

(च) “सुरक्षा” से सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 की धारा 2(च) में यथापरिभाषित सरकारी सुरक्षा अभिप्रेत है ;

(छ) “विनिर्दिष्ट कंपनी” से यूनिट न्यास ऑफ इंडिया (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 की धारा 2(ज) में निर्दिष्ट कंपनी अभिप्रेत है;

(ज) “अंतरण” आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269(पक)(च) में निर्दिष्ट संव्यवहार भी शामिल माना जाएगा ।

(झ) “पूंजी का पात्र निर्गम” से भारत में गठित और रजिस्ट्रीकृत किसी पब्लिक कंपनी या किसी पब्लिक वित्तीय संस्था द्वारा किया गया निर्गम अभिप्रेत है और निर्गम की संपूर्ण आय का उपयोग पूर्णतया और अनन्य रूप से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-झक(4) में निर्दिष्ट किसी कारबार के प्रयोजनों के लिए किया जाता है ।

(ञ) “वित्तीय संस्था” का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(72) में उसे दिया गया है।

अनुसूची 16

[धारा 350 देखिए]

विनिधान या जमा की अनुमत रीति

रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन द्वारा विनिधान या जमा के प्ररूप या रीति

1. धारा 350 में निर्दिष्ट धन का विनिधान या जमा करने के रीति निम्नलिखित होंगे, अर्थात्:—

(1959 का 46)

(1) सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 2(ग) में परिभाषित बचत प्रमाणपत्रों में विनिधान, तथा उस सरकार की लघु बचत स्कीमों के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा जारी कोई अन्य प्रतिभूतियां या प्रमाणपत्र ;

(2) डाकघर बचत बैंक के किसी खाते में जमा ;

(3) बैंकिंग कारबार करने वाले अनुसूचित बैंक या सहकारी सोसायटी (जिसमें सहकारी भूमि बंधक बैंक या सहकारी भूमि विकास बैंक शामिल हैं) के किसी खाते में जमा ।

(4) यूनिट न्यास ऑफ इंडिया की यूनिट में विनिधान ;

(5) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा सृजित और जारी धन के लिए किसी प्रतिभूति में विनिधान ;

(6) किसी कंपनी या निगम द्वारा या उसकी निमित्त जारी किए गए डिबेंचर में विनिधान, जिसके मूलधन और उस पर ब्याज दोनों की प्रत्याभूति केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा पूरी तरह और बिना शर्त दी गई है ;

(7) किसी पब्लिक सेक्टर की कंपनी में विनिधान या जमा, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि जहां किसी पब्लिक सेक्टर की कंपनी में विनिधान या जमा किया गया है और ऐसी पब्लिक सेक्टर की कंपनी पब्लिक सेक्टर की कंपनी नहीं रह जाती है,—

(क) ऐसी कंपनी के शेयरों में किया गया ऐसा विनिधान, उस तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए इस खंड के अधीन किया गया विनिधान माना जाएगा, जिस दिन ऐसी पब्लिक सेक्टर की कंपनी पब्लिक क्षेत्र की कंपनी नहीं रह जाती है;

(ख) ऐसा अन्य विनिधान या जमा, उस तारीख तक की अवधि के लिए इस खंड के अधीन किया गया विनिधान या जमा माना जाएगा, जिस दिन ऐसा विनिधान या जमा ऐसी कंपनी द्वारा प्रतिसंदेय हो जाता है ;

(8) किसी वित्तीय निगम द्वारा जारी बंधपत्र में जमा या विनिधान, जो भारत में औद्योगिक विकास के लिए दीर्घकालिक वित्त प्रदान करने में लगा हुआ है और जो धारा 32(ड) के अधीन कटौती के लिए पात्र है ;

(9) भारत में आवासीय प्रयोजनों के लिए घरों के निर्माण या खरीद के लिए दीर्घकालिक वित्त प्रदान करने के कारबार को चलाने के मुख्य प्रयोजन से भारत में बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत किसी पब्लिक कंपनी द्वारा जारी बंधपत्र में जमा या विनिधान, जो धारा 32(ड) के अधीन कटौती के लिए पात्र है ;

(10) भारत में शहरी अवसंरचना के लिए दीर्घावधि वित्त उपलब्ध कराने के कारबार को चलाने के मुख्य प्रयोजन से भारत में बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत किसी पब्लिक कंपनी द्वारा जारी किए गए किसी बंधपत्र में जमा या विनिधान।

(11) स्थावर संपत्ति में विनिधान।

(12) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 के अधीन स्थापित भारतीय औद्योगिक विकास बैंक में जमा ;

1964 का 18

(13) अनुसूची 7 में (सारणी क्रम संख्या 20) या (सारणी क्रम संख्या 21) में निर्दिष्ट पारस्परिक निधि की किसी स्कीम के अधीन जारी इकाइयों में विनिधान ;

(14) भारत के पब्लिक खाते में जमा रकम का कोई अंतरण ;

(15) आवास की आवश्यकता से निपटने और उसे संतुष्ट करने के प्रयोजन से या शहरों, कस्बों और गांवों की स्कीम, विकास या सुधार के प्रयोजन से या दोनों के लिए अधिनियमित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन भारत में गठित प्राधिकरण के पास की गई जमा रकम;

(16) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 2 (1) (ड) में परिभाषित निक्षेपागार के साम्या शेयरों को प्राप्त करने के माध्यम से विनिधान ;

1996 का 22

(17) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 (च) में निर्दिष्ट किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (जिसे इसमें विनिधानकर्ता कहा जाएगा) द्वारा किसी कंपनी (जिसे इसमें विनिधानकर्ता कहा जाएगा) की साम्या शेयर पूंजी में किया गया विनिधान—

1956 का 42

(क) जो प्रतिभूतियों से संबंधित है या मुख्य रूप से प्रतिभूति बाजार से जुड़ी है;

(ख) जिसका मुख्य प्रयोजन किसी अन्य मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की सदस्यता प्राप्त करना है, जिसका एकमात्र उद्देश्य विनिधानकर्ता के सदस्यों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन उस अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा जारी निदेशों या मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार विनिधानकर्ता के माध्यम से उक्त स्टॉक एक्सचेंज पर व्यापार करने की सुविधा प्रदान करना है; और

1992 का 15

(ग) जिसमें कम से कम 51% साम्या शेयर विनिधानकर्ता

द्वारा धारित हैं और शेष साम्या शेयर ऐसे विनिधानकर्ता के सदस्यों द्वारा धारित हैं ;

2007 का 51

(18) संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 4 के अधीन प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा किसी कंपनी की साम्या शेयर पूंजी या बंधपत्र या डिबेंचर में किया गया विनिधान—

(क) जो भारत और विदेश में खुदरा संदाय प्रणाली या डिजिटल संदाय निपटान या इसी तरह की क्रियाकलापों के संचालन में लगा हुआ है और इस प्रयोजन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित है ; और

(ख) जिसमें कम से कम 51% साम्या शेयर भारतीय राष्ट्रीय संदाय निगम के पास हों ;

2007 का 51

(19) संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 4 के अधीन प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स लिमिटेड की साम्या शेयर पूंजी या बंधपत्र या डिबेंचर में किया गया विनिधान, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8(1) के साथ धारा 7(2) के अधीन निगमित एक कंपनी है, जो भारत में डिजिटल वाणिज्य और अंतर-संचालन योग्य डिजिटल संदाय को सक्षम करने वाले नेटवर्क आधारित ओपन प्रोटोकॉल मॉडल में भाग लेने के लिए है ;

2013 का 18

(20) किसी इनक्यूबेटर द्वारा इनक्यूबेटी के साम्या शेयर अर्जित करने के माध्यम से विनिधान ;

(21) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के शेयर अर्जित करने के माध्यम से विनिधान ;

(22) भारतीय रिजर्व बैंक के साथ रजिस्ट्रीकृत किसी भी अवसरचंका वित्त कंपनी द्वारा जारी ऋण उपकरणों में विनिधान ;

(23) राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 827(अ), तारीख 30 अक्टूबर, 2015 में प्रकाशित सार्वभौम गोल्ड बांड स्कीम, 2015 के पैरा 2 के खंड (ग) में यथापरिभाषित “स्टाक प्रमाणपत्र” में विनिधान;

(24) पावरग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट न्यास की इकाइयों के अधिग्रहण के माध्यम से विनिधान ;

(25) किसी पब्लिक सेक्टर की कंपनी में शेयर ;

(26) न्यास या संस्था द्वारा धारित कोई भी आस्ति, जहां ऐसी आस्तियां 1 जून, 1973 को न्यास या संस्था के निधि का हिस्सा बनती हैं ;

(27) कोई भी आस्ति, जो किसी पब्लिक कंपनी के साम्या शेयर हैं, जो किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था द्वारा धारित हैं, जहां ऐसी आस्तियां 1 जून, 1998 को किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी

अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था के निधि का हिस्सा बनती हैं, जहां इसे उस समय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के उपबंधों के अधीन अनुमोदित किया गया था;

(28) न्यास या संस्था को आवंटित बोनस शेयरों के माध्यम से खंड (26) या (27) में उल्लिखित निधि का हिस्सा बनने वाले शेयरों में कोई वृद्धि ;

(29) न्यास या संस्था द्वारा 1 मार्च, 1983 से पूर्व प्रोद्भूत कोई भी आस्ति (किसी कंपनी या निगम द्वारा या उसकी ओर से जारी किए गए डिबेंचर) ;

(30) आभूषण, फर्नीचर या किसी अन्य वस्तु के रूप में प्राप्त और बनाए रखा गया स्वैच्छिक अभिदाय, जिसे बोर्ड राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकता है ।;

(31) कोई भी संपत्ति, जो खंड (1) से खंड (30) में विनिर्दिष्ट किसी भी प्ररूप या रीति में विनिधान या जमा नहीं है, जहां ऐसी आस्ति कर वर्ष के अंत से एक वर्ष तक, जिसमें ऐसी आस्ति अर्जित की गई है, धृत नहीं की जाती है ;

(32) कारबार के लाभ और अभिलाभ का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई भी निधि, 1 अप्रैल, 1984 या किसी भी पश्चात्पूर्ति कर वर्ष से शुरू होने वाले कर वर्ष से सुसंगत किसी भी कर वर्ष के लाभ और अभिलाभ हैं जहां इसके पास कारबार के लाभ और अभिलाभ के अतिरिक्त कोई अन्य आय है, इस परंतुक के इस खंड तब तक लागू नहीं होंगे, जब तक कि यह ऐसे कारबार के संबंध में अलग खाता बही नहीं रखती है ;

2. निर्वचन.-- इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए,-

(क) "दीर्घकालिक वित्त" से कोई ऋण या अग्रिम अभिप्रेत है, जिसके अधीन धनरकम उधार दी जाती है या अग्रिम दी जाती है, जिसमें कम से कम पांच वर्ष की अवधि के दौरान ब्याज सहित पुनःसंदाय का उपबंध है;

(ख) "पब्लिक कंपनी" का अर्थ वही है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(71) में उसे दिया गया है;

(ग) "शहरी अवसंरचना" से पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता और सीवरेज, जल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंध, सड़कें, पुल और फ्लाईओवर या शहरी परिवहन प्रदान करने वाली परिस्कीम अभिप्रेत है;

(घ) "स्थावर संपत्ति" में कोई मशीनरी या संयंत्र (भवन के सुविधाजनक कब्जे के लिए भवन में स्थापित मशीनरी या संयंत्र से भिन्न) शामिल नहीं है, भले ही वह जमीन से जुड़ी किसी चीज से जुड़ी हो या स्थायी रूप से जुड़ी हो;

(ङ) "इन्क्यूबेटी" से ऐसा इन्क्यूबेटी अभिप्रेत है, जिसे भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया जा

सकता है;

(च) "इन्क्यूबेटर" का अर्थ ऐसे प्रौद्योगिकी कारबार इन्क्यूबेटर या विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता पार्क से होगा जिसे भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्ष 1961 में पारित किए गए आय-कर अधिनियम में साठ वर्ष से अधिक पूर्व इसे पारित किए जाने से अब तक कई संशोधन हो चुके हैं। इन संशोधनों के परिणामस्वरूप, आय-कर अधिनियम की मूल संरचना पर अधिक भार बढ़ गया है और इसकी भाषा जटिल हो गई है, जिससे करदाताओं के लिए अनुपालन बढ़ गया है तथा प्रत्यक्ष-कर प्रशासन की दक्षता बाधित हुई है। आय-कर अधिनियम के जटिल उपबंधों और संरचना के बारे में करदाताओं, व्यवसायियों और कर प्रशासकों ने भी चिंताएं व्यक्त की हैं।

इसलिए, सरकार ने जुलाई, 2024 के बजट में यह घोषणा की कि अधिनियम को संक्षिप्त, स्पष्ट और पढ़ने तथा समझने में आसान बनाने के लिए आय-कर अधिनियम, 1961 का समयबद्ध विस्तृत पुनर्विलोकन किया जाएगा। सरकार ने 13 फरवरी, 2025 को लोक सभा में आय-कर विधेयक, 2025 पुरःस्थापित किया था और इसे परीक्षण हेतु प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया।

प्रवर समिति ने अपनी रिपोर्ट को लोक सभा में 21 जुलाई, 2025 को रखा। प्रवर समिति की लगभग सभी सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं। इसके अतिरिक्त, हितधारकों से उन परिवर्तनों के बारे में सुझाव प्राप्त हुए हैं जो प्रस्तावित विधिक अर्थ को अधिक परिशुद्धता से व्यक्त करेंगे। प्रारूपण, वाक्यांशों के संरेखण, पारिणामिक संशोधनों और प्रति संदर्भों की प्रकृति के संशोधन हैं। इसलिए, सरकार द्वारा प्रवर समिति द्वारा यथा रिपोर्टित आय-कर विधेयक, 2025 को वापस लेने का निश्चय किया गया है। परिणामस्वरूप, आय-कर (सं. 2) विधेयक, 2025 को आय-कर अधिनियम, 1961 को प्रतिस्थापित करने हेतु तैयार किया गया है। तदनुसार, आय-कर विधेयक, 2025 तैयार किया गया है, जो आय-कर अधिनियम, 1961 का निरसन करने और उसे बदलने का प्रस्ताव करता है।

खंडों पर टिप्पण, विधेयक में अंतर्विष्ट विभिन्न उपबंधों को विस्तार से स्पष्ट करते हैं।

नई दिल्ली ;

निर्मला सीतारामन

10 अगस्त, 2025

खंडों पर टिप्पण

विधेयक का खंड 1 प्रस्तावित विधान के संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 2 प्रस्तावित विधान में प्रयुक्त विभिन्न निबंधनों और पदों की परिभाषा का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 3 “कर वर्ष” की परिभाषा का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 4 आय-कर के प्रभार का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 5 किसी ऐसे व्यक्ति के लिए, जो भारत में निवासी या अनिवासी है, कुल आय की परिधि को परिभाषित करता है ।

विधेयक का खंड 6 भारत में किसी व्यक्ति की आवासीय प्रास्थिति का अवधारण करने के लिए शर्तों का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 7 प्राप्त किए जाने के लिए समझे जाने वाली आय के संबंध में कार्रवाई करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 8 विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट अस्तित्व से पूंजी आस्ति या स्टॉक व्यापार की प्राप्ति पर आय का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 9 भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली आय के लिए उपबंध करता है, जिसके अंतर्गत कारबार संपर्क से प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली आय भी है और यह लाभ से आय, लाभांश, स्वामिस्व, तकनीकी सेवाओं के लिए फीस, भारत में स्थित पूंजी आस्ति के अंतरण, आदि के लिए भी उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 10 पुर्तगाली नागरिक संहिता द्वारा शासित पति/पत्नी के बीच आय के प्रभाजन से संबंधित है ।

विधेयक का खंड 11 कुल आय में सम्मिलित न की गई आयों का उपबंध करने के लिए है और अन्य बातों के साथ-साथ, अनुसूची 2, अनुसूची 3, अनुसूची 4, अनुसूची 5, अनुसूची 6 में प्रगणित कतिपय आय के ब्यौरों का उपबंध करता है जिन्हें किसी कर वर्ष के लिए किसी व्यक्ति की कुल आय की संगणना करने में सम्मिलित नहीं किया जाना है । यह खंड अनुसूची 7 में प्रगणित कतिपय व्यक्तियों से भी संबंधित है, जो कर वर्ष के लिए प्रस्तावित विधान के अधीन कर से प्रभार्य नहीं है ।

विधेयक का खंड 12 ऐसी आय के लिए उपबंध करता है जिसे अनुसूची 8 में प्रगणित राजनैतिक दलों और निर्वाचक न्यास की कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाना है और जिन्हें कर वर्ष के लिए उनकी कुल आय की संगणना करने में सम्मिलित नहीं किया जाना है ।

विधेयक का खंड 13 आय-कर के प्रभार तथा कुल आय की संगणना के प्रयोजनों के लिए आय के विभिन्न शीर्षों के अधीन वर्गीकरण का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 14 ऐसी आय की संबंध में उपगत कतिपय व्यय की अनुज्ञात न करने के लिए उपबंध करता है, जो कुल आय का भाग और ऐसी आय के संबंध में व्यय का भाग नहीं है ।

विधेयक का खंड 15 शीर्ष वेतन के अधीन का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 16 कर्मचारी को नियोजक द्वारा किए गए ऐसे विभिन्न संदायों का उपबंध करता है जिन पर ऐसी आय के इस शीर्ष के अधीन कर लगाए जाएंगे जिनमें मजदूरी, वार्षिकी या पेंशन, उपदान, कमीशन, परिलब्धि, वेतन के बदले लाभ, छुट्टी नकदी आदि भी हैं ।

विधेयक का खंड 17 कतिपय परिलब्धियों की परिभाषा से कतिपय फायदों के अपवर्जन के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 18 “वेतन के बदले लाभ” की प्रकृति के भिन्न-भिन्न संदायों को परिभाषित करने के लिए है और ऐसे संदायों को विनिर्दिष्ट करने के लिए भी है जिन्हें “वेतन के बदले लाभ” के रूप में नहीं समझा जाना है ।

विधेयक का खंड 19 वेतन आय के प्रति उपलब्ध कटौतियों का उपबंध करता है । खंड सूत्र की सहायता से कटौती की पात्र रकम के परिकलन का उपबंध करने के लिए भी है ।

विधेयक का खंड 20 विधेयक किन्हीं भवनों या उनके अनुलग्न भूमि से मिलकर बनी संपत्ति के वार्षिक मूल्य पर “गृह संपत्ति से आय” शीर्ष के अधीन आय-कर प्रभार के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 21 संपत्ति के वार्षिक मूल्य का अवधारण करने का उपबंध करता है तथा संपत्ति के वार्षिक मूल्य को परिभाषित करने के लिए भी है ।

विधेयक का खंड 22 गृह संपत्ति से प्राप्त आय से कटौतियों का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 23 किसी कर वर्ष में संपत्ति के स्वामित्व पर ध्यान दिए बिना, बकाया किराये और बाद में वसूल न किए गए प्राप्त किराए का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 24 निश्चित और अभिनिश्चेय शेरों वाली संपत्ति के सह-स्वामियों की कराधेयता का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 25 अध्याय 4ग से संबंधित निर्वचन का और किसी संपत्ति के संबंध में “स्वामी” की परिभाषा का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 26 “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन आय पर आय-कर प्रभारित करने के लिए है । खंड “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन आय की समावेशी परिभाषा का और उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 27 “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन आय की संगणना करने की रीति का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 28 किराया, मरम्मत, बीमा प्रीमियम, स्थानीय कर, आदि के मददे व्ययों के लिए कटौती का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 29 कर्मचारी कल्याण से संबंधित कटौतियों का उपबंध करने के लिए है, जिनके अंतर्गत विभिन्न ऐसी निधियों, जिन्हें “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुज्ञात किया जाना आवश्यक है, में अभिदाय भी है ।

विधेयक के खंड 30 से खंड 32 स्टॉक के विनाश से संबंधित बीमा प्रीमियम, डूबंत ऋण के लिए व्यवस्था, बट्टे खाते डाले गए, बोनस, कर्मचारियों को संदत्त कमीशन, उधार ली

गई पूंजी पर संदत्त ब्याज के लिए उपगत व्यय की कटौती का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 33 कारबार के प्रयोजनों के लिए स्वामित्वाधीन और मूर्त तथा अमूर्त आस्तियों के संबंध में कटौती का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 34 निर्धारिती द्वारा किए जा रहे कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए पूर्णतः या अनन्यतः उपगत व्यय (पूंजी और वैयक्तिक व्यय से भिन्न) को अनुज्ञात करने के लिए सामान्य शर्तों का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 35 और खंड 36 ऐसी रकमों का उपबंध करता है, जिन्हें “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुज्ञात नहीं किया जाना है ।

विधेयक का खंड 37 कतिपय व्ययों की कटौतियों का उपबंध करता है, जिन्हें केवल वास्तविक संदाय आधार पर अनुज्ञात किया जाना है ।

विधेयक का खंड 38 कतिपय राशियों के लिए उपबंध करता है, जिन्हें “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” के रूप में वहां समझा जा सकता है जहां राशियों को आय की संगणना के प्रयोजन के लिए व्यय या कटौती के रूप में पूर्व में अनुज्ञात किया गया है ।

विधेयक का खंड 39 वास्तविक लागत, अपलिखित मूल्य, सट्टेबाजी संव्यवहारों, आदि जैसी कतिपय परिभाषाओं का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 40 कतिपय आस्तियों के अर्जन की लागत की संगणना करने के लिए विशेष उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 41 अवक्षणीय आस्ति के अवलिखित मूल्य का उपबंध करता है और अन्य बातों के साथ-साथ, यह वास्तविक लागत, अवलिखित मूल्य, सट्टा संव्यवहार आदि जैसी कतिपय परिभाषाओं का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 42 और खंड 43 विदेशी विनिमय के उतार-चढ़ाव को और विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव पर कराधान, विदेशी विनिमय में आस्तियों के अधिग्रहण और उसके लिए संदाय के समय ऐसे दायित्व में परिवर्तन की मात्रा को समुचित रूप से जोड़कर या घटाकर, उसके समाघात को पूंजीकृत करने का उपबंध करता है । उक्त खंड विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के कारण हुई लाभ या हानि को मानने का और उपबंध करते हैं ।

विधेयक का खंड 44 कतिपय प्रारंभिक व्ययों के क्रमिक अपाकरण का उपबंध करता है, जो विनिर्दिष्ट कारबारों द्वारा ऐसे कारबार के आरंभ करने से पहले बीमाकृत है ।

विधेयक का खंड 45 कतिपय पूंजीगत व्यय (भूमि की लागत से भिन्न) या वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उपगत राजस्व व्यय की कटौती का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 46 कतिपय शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते हुए उपगत विनिर्दिष्ट कारबार के कतिपय पूंजीगत व्यय की कटौती का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 47 कृषि विस्तार परियोजनाओं और कौशल विकास परियोजनाओं के लिए उपगत व्यय की कटौती का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 48 और खंड 49 चाय विकास खाता, कॉफी विकास खाता और रबर विकास खाता तथा साइट प्रत्यावर्तन निधि का उपबंध करते हैं, जो अन्य बातों के साथ-साथ, निर्धारिती द्वारा चाय, कॉफी या रबर विकास खाते में जमा रकम की कटौती या पेट्रोलियम

या प्राकृतिक गैस या दोनों के पूर्वक्षण या निष्कर्षण या उत्पादन में लगे साइट प्रत्यावर्तन खाते में जमा रकम की कटौती के साथ व्यौहार करता है ।

विधेयक का खंड 50 विनिर्दिष्ट संगमों की दशा में ऐसे संगम के सदस्यों के हित और कल्याण के लिए कल्याण के लिए कटौती का उपबंध करता है जब उसके सदस्यों द्वारा अंशदान के संदर्भ में उसके सदस्यों के कल्याण के लिए व्यय में कमी होती है ।

विधेयक का खंड 51 कतिपय खनिजों के पूर्वक्षण के लिए व्यय के क्रमिक अपाकरण का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 52 दूरसंचार सेवाओं, समामेलन, निर्विलीन, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम आदि के लिए व्यय का क्रमिक अपाकरण तथा दूरसंचार कारबार में संदाय किए गए स्पेक्ट्रम या अनुज्ञप्ति फीस के लिए कटौतियों का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 53 कतिपय मामलों में पूंजीगत आस्तियों से भिन्न आस्तियों के अंतरण के लिए प्रतिफल के पूर्ण मूल्य का उपबंध करता है और विनिर्दिष्ट मामलों में (पूंजीगत आस्तियों से भिन्न) आस्तियों के अंतरण के समय प्रतिफल के पूर्ण मूल्य के रूप में स्टॉप शुल्क मूल्य के अंगीकरण का भी उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 54 खनिज तेलों के पूर्वक्षण के कारबार में उपगत कतिपय पूंजीगत व्यय में कटौती के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 55 बीमा कारबार की दशा में लाभों या अभिलाभों की संगणना की रीति का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 56 विनिर्दिष्ट वित्तीय संस्थाओं की ब्याज आय की संगणना के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 57 सन्निर्माण और सेवा संविदाओं के लिए राजस्व मान्यता का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 58 कतिपय निवासियों की दशा में उपधारणात्मक आधार पर वृत्ति के कारबार के लाभों और अभिलाभों की संगणना के लिए विशेष व्यवस्था का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 59 अनिवासियों के हस्तगत तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी और फीस की प्रभार्यता का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 60 अनिवासियों की दशा में मुख्यालय व्यय की कटौती को अनुज्ञात करने के लिए संगणना की रीति का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 61 कतिपय अनिवासियों के कतिपय कारबार क्रियाकलापों के संबंध में उपधारणात्मक आधार पर आय की संगणना के लिए विशेष व्यवस्था का भी उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 62 लेखा बहियों के रखरखाव का उपबंध करता है और लेखा बहियों के रखरखाव के संबंध में व्यौहार करने के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 63 कर संपरीक्षा का उपबंध करता है और कतिपय शर्तों के अधीन विनिर्दिष्ट लेखापाल द्वारा लेखा बहियों की संपरीक्षा का भी उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 64 सहकारी बैंकों के कारबार पुनर्गठन के मामले में कटौतियों की संगणना के लिए विशेष व्यवस्था का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 65 खंड 64 के प्रयोजनों के लिए निर्वचनों का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 66 अध्याय 4घ के निर्वचन का उपबंध करता है । जो “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन आय से संबंधित विभिन्न परिभाषाओं के बारे में है ।

विधेयक का खंड 67 पूंजीगत अभिलाभ का उपबंध करता है और यह पूंजीगत आस्तियों के विभिन्न प्रकार के अंतरण के लिए “पूंजीगत अभिलाभ” शीर्ष के अधीन आय-कर की प्रभार्यता का भी उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 68 परिसमापन के अधीन कंपनियों द्वारा आस्तियों के वितरण पर पूंजीगत अभिलाभ का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 69 विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के शेयर धारकों या धारकों को होने वाले पूंजीगत अभिलाभों जब कंपनी अपने स्वयं के शेयरों या विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियाँ को क्रय करती है, का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 70 ऐसे सभी संव्यवहारों, जिन्हें पूंजीगत अभिलाभों के कराधान के लिए पूंजीगत आस्तियों का अंतरण नहीं माना गया हो, के रेखा चित्रण के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 71 उन शर्तों का उपबंध करता है, जिनमें पूंजीगत लाभों के वापस लेने पर कराधान से छूट मिलती है ।

विधेयक का खंड 72 पूंजीगत अभिलाभों की संगणना के ढंग का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 73 अर्जन के कतिपय ढंगों के संदर्भ में आस्तियों के अर्जन की लागत का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 74 अवक्षणीय आस्तियों की दशा में पूंजीगत अभिलाभों की संगणना के लिए विशेष व्यवस्था का उपबंध करता है । उक्त खंड विभिन्न पूंजीगत आस्तियों के अर्जन की लागत निकालने के लिए कार्यप्रणाली को सारणीबद्ध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 75 आस्तियों के संबंध में, जो अवक्षणीय हैं, पूंजीगत अभिलाभ की संगणना का उपबंध करता है, साथ ही अर्जन की उनकी लागत का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 76 बाजार संबद्ध डिबेंचर की दशा में पूंजीगत अभिलाभ की संगणना के लिए विशेष व्यवस्था का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 77 पूंजीगत आस्तियों की मंदी की स्थिति में पूंजीगत लाभ की संगणना के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 78 और खंड 79 क्रमशः कतिपय दशा में प्रतिफल के पूर्ण मूल्य के लिए विशेष व्यवस्था और कोट किए गए शेयर से भिन्न अन्य शेयर के अंतरण के लिए प्रतिफल के पूर्ण मूल्य हेतु विशेष व्यवस्था का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 80 उचित बाजार मूल्य किसी निर्धारिती द्वारा पूंजीगत आस्तियों के अंतरण के परिणामस्वरूप वहां प्रतिफल का पूर्ण मूल्य समझा जाएगा, जहां प्रतिफल अभिनिश्चय है या अवधारित नहीं किया जा सकता है, का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 81 पूंजी आस्ति अंतरण के संबंध में प्राप्त अग्रिम धनराशि का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 82 आवासीय संपत्तियों के विक्रय पर लाभों से उद्भूत पूंजीगत लाभ उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 83 कृषि प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भूमि के अंतरण पर पूंजीगत अभिलाभ पर कतिपय मामलों में प्रभार्य नहीं होगा, का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 84 भूमि और भवनों के आजापक अर्जन पर अभिलाभ को कतिपय मामलों में प्रभारित न करने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 85 कतिपय विनिर्दिष्ट बांडों में विनिधान पर अभिलाभ को प्रभारित न करने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 86 आवासीय घर में विनिधान के विनिर्दिष्ट परिदृश्यों में अभिलाभ की गैर-प्रभार्यता का भी उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 87 और खंड 88 नगरीय क्षेत्र से औद्योगिक उपक्रम को स्थानांतरित करने के मामलों में आस्तियों के अंतरण पर अभिलाभ की छूट और शहरी क्षेत्र से किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र में औद्योगिक कारबार को स्थानांतरित करने के मामलों में आस्तियों के अंतरण पर अभिलाभ की छूट का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 89 पूंजी अभिलाभ के संबंध में नई आस्ति प्राप्त करने या अभिलाभ की रकम निक्षेप करने या विनिधान करने के लिए समय बढ़ाने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 90 "समायोजित", "सुधार की लागत" और "अर्जन की लागत" का अर्थ का उपबंध करने के लिए है और पूंजी अभिलाभ के संबंध में शब्दों और पदों के अर्थ को भी रेखांकित किया गया है ।

विधेयक का खंड 91 मूल्यांकन अधिकारी को निर्देश करने और पूंजीगत आस्ति के उचित बाजार मूल्य का पता लगाने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 92 "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन कर से प्रभार्य आय की एक गैर-संपूर्ण सूची का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 93 "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन कर से प्रभार्य आय की गणना करने के लिए पात्र व्यय के लिए कटौती का भी उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 94 उन कटौतियों को प्रगणित करने के लिए है जिन्हें खंड 92 में निर्दिष्ट आय के विरुद्ध समंजित करना अनुज्ञात है ।

विधेयक का खंड 95 कर से प्रभार्य लाभ का उपबंध करने के लिए है, इसमें यह प्रस्तावित किया गया है कि किसी दायित्व की परिहार्य या समाप्ति के कारण नकद या अन्यथा प्राप्त कोई फायदा, जिसके लिए किसी पिछले वर्ष में कटौती की अनुमति दी गई है, उस वर्ष में कर से प्रभार्य होगा जिसमें फायदा प्राप्त किया गया है ।

विधेयक के खंड 96 में यह उपबंध किया गया है कि वह आय जो उन आस्तियों के अंतरण के बिना किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित की जाती है जिनसे ऐसी आय उद्भूत होती है, उसे अंतरक की आय में सम्मिलित किया जाएगा, लेकिन अंतरिती (जिस व्यक्ति को ऐसी आय अंतरित की गई है) की आय में नहीं ।

विधेयक का खंड 97 में प्रस्तावित किया गया है कि अंतरक और अंतरिती की आय को

मिलाने से सम्बन्धित उपबंध ऐसे मामलों में लागू होंगे, जहां आस्तियों का अंतरण प्रतिसंहरणीय है और आस्तियों का अंतरण विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अपरिवर्तनीय है ।

विधेयक का खंड 98 “अंतरण” और “प्रतिसंहरणीय अंतरण” पदों को परिभाषित करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 99 व्यक्ति की आय को मिलाने का उपबंध करने के लिए है, जिससे किसी अन्य व्यक्ति (अधिकतर परिवार के सदस्यों) की आय को अपनी आय में जोड़ना या सम्मिलित करना, अभिप्रेत है ।

विधेयक का खंड 100 किसी अन्य व्यक्ति की आय में सम्मिलित आय के संबंध में व्यक्ति के कर दायित्व का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 101 कुल आय का उपबंध करने के लिए है, जिससे निर्धारिती की कुल आय की गणना करते समय, वह सभी आय सम्मिलित की जाएगी जिस पर अध्याय 17 के भाग क के उपभाग 4 के अधीन कोई आय-कर देय नहीं है ।

विधेयक का खंड 102 उन परिस्थितियों या स्थितियों का उपबंध करने के लिए है जिनमें निर्धारिती द्वारा रखी गई लेखा बहियों में निक्षेप की गई कोई रकम अस्पष्टीकृत निक्षेप मानी जाएगी और निर्धारिती की कुल आय में सम्मिलित की जाएगी ।

विधेयक का खंड 103 अस्पष्टीकृत विनिधान का उपबंध करने के लिए है । इसमें उन परिस्थितियों या स्थितियों को भी उपबंध करने का प्रयास किया गया है, जिनमें निर्धारिती द्वारा किए गए किसी भी विनिधान को अस्पष्टीकृत विनिधान माना जाएगा और उसे निर्धारिती की कुल आय में सम्मिलित किया जाएगा ।

विधेयक का खंड 104 उन परिस्थितियों या स्थितियों का भी उपबंध करने के लिए है, जिनमें निर्धारिती के स्वामित्व वाली या उससे संबंधित किसी भी आस्ति को अस्पष्टीकृत आस्ति माना जाएगा और उसे निर्धारिती की कुल आय में सम्मिलित किया जाएगा ।

विधेयक का खंड 105 उन परिस्थितियों या स्थितियों का भी उपबंध करने के लिए है, जिनमें निर्धारिती द्वारा किए गए किसी भी व्यय को अस्पष्टीकृत व्यय माना जाएगा और उसे निर्धारिती की कुल आय में सम्मिलित किया जाएगा ।

विधेयक का खंड 106 परक्राम्य लिखत आदि के माध्यम से उधार ली गई या पुनःसंदत की गई रकम का उपबंध करने के लिए है कि जहां हुंडी और हुंडी जैसे अन्य लिखतों पर कोई रकम उधार ली जाती है या उस पर देय कोई रकम किसी व्यक्ति को बैंक से आहरित पाने वाले के खाते में देय चेक से भिन्न किसी अन्य माध्यम से पुनःसंदत की जाती है, वहां इस प्रकार उधार ली गई या पुनःसंदत की गई रकम उस व्यक्ति की आय मानी जाएगी जो रकम उधार ले रहा है या पुनःसंदत कर रहा है ।

विधेयक का खंड 107 उपबंध करता है कि खंड 102, खंड 103, खंड 104, खंड 105 और खंड 106 में निर्दिष्ट आय पर खंड 195 के उपबंधों के अनुसार कर लगाया जाएगा ।

विधेयक का खंड 108 विनिर्दिष्ट रीति से समान आय शीर्ष के अधीन हानि के समंजन का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 109 उपबंधित रीति से अन्य आय के समान शीर्ष के अधीन हानि का समंजन किए जाने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 110 गृह आस्ति से होने वाली हानि को अग्रेषित करने तथा समंजित करने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 111 पूंजी अभिलाभ से होने वाली हानि को अग्रेषित करने और समंजित करने का उपबंध करने के लिए है तथा पूंजी अभिलाभ से होने वाली हानि को अग्रेषित करने और समंजित करने का उपबंध करने के लिए है । यह खंड "शेष पूंजीगत हानि" पद को भी परिभाषित करता है ।

विधेयक का खंड 112 कारबार हानि को अग्रेषित करने और समंजित करने का उपबंध करने के लिए है । यह "शेष कारबार हानि" पद को भी परिभाषित करता है ।

विधेयक का खंड 113 सट्टा कारबार से होने वाली हानि को अग्रेषित करने और समंजित करने का उपबंध करने के लिए है तथा सट्टा कारबार से होने वाली हानि को अग्रेषित करने और समंजित करने का उपबंध करने के लिए है । यह "सट्टा कारबार" और "शेष सट्टा कारबार हानि" पदों को भी परिभाषित करता है ।

विधेयक का खंड 114 विनिर्दिष्ट कारबार से होने वाली हानि को अग्रेषित करने और समंजित करने का उपबंध करने के लिए है । उक्त खंड में "निर्दिष्ट कारबार" और "निर्दिष्ट कारबार से शेष हानि" पदों को भी परिभाषित किया गया है ।

विधेयक का खंड 115 विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप से होने वाली हानि को समंजित करने और अग्रेषित करने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 116 विनिर्दिष्ट कारबार समामेलन के मामले में हानि और शेष अवक्षयण को अग्रेषित करने और समंजित करने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 117 उपबंध करता है कि समामेलन के मामले में समामेलन करने वाली इकाई की संचित हानि और अवक्षयण उसमें विनिर्दिष्ट समामेलित इकाई की हानि और अवक्षयण माना जाएगा ।

विधेयक का खंड 118 सहकारी बैंकों के कारबार पुनर्गठन में हानि और शेष अवक्षयण को अग्रेषित करने और समंजित करने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 119 में कतिपय मामलों में हानियों को अग्रेषित करने और समंजित करना अनुज्ञात नहीं किया गया है और इसमें यह भी उपबंध किया गया है कि इसमें निर्दिष्ट कतिपय शर्तों के अधीन, फर्म के गठन तथा किसी कारबार या वृत्ति को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसी क्षमता में उत्तराधिकार में लेने सहित अन्य मामलों में हानियों को अग्रेषित करने और समंजित करना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा या कंपनी की शेयरधारिता में परिवर्तन के मामले में अनुज्ञात किया जाएगा ।

विधेयक का खंड 120 तलाशी, अध्यपेक्षा और सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप अप्रकटित आय के विरुद्ध हानि का कोई समंजित नहीं करने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 121 हानि के लिए विवरणी प्रस्तुत करने का उपबंध करने के लिए है और यह भी उपबंध किया गया है कि कोई भी हानि अग्रेषित नहीं की जाएगी और समंजन नहीं किया जाएगा जिसका अवधारण दाखिल विवरणी के अनुसरण में नहीं किया गया है ।

विधेयक का खंड 122 पात्र निर्धारितियों को अध्याय 8 में उल्लिखित कटौतियों का दावा करने के लिए कानूनी अनुपालन अपेक्षाओं, समय सीमा और समग्र सीमाओं को उपबंध

करने का प्रयास करता है ।

विधेयक का खंड 123 बीमा प्रीमियम, आस्थगित वार्षिकी, भविष्य निधि में अभिदाय आदि के लिए कटौती का उपबंध करने के लिए है और सुसंगत प्रस्तावित अनुसूची में विनिर्दिष्ट बीमा प्रीमियम, आस्थगित वार्षिकी, भविष्य निधि में अभिदाय आदि के कारण किए गए संदायों के संबंध में निर्धारिती, जो हिंदू अविभक्त कुटुंब है, को कटौती उपबंध करने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 124 केंद्रीय सरकार की पेंशन स्कीम में नियोजक के अभिदाय के संबंध में कटौती का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 125 अग्निपथ स्कीम में अभिदाय के संबंध में कटौती का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 126 स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के संबंध में कटौती का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 127 आश्रित, जो निःशक्त व्यक्ति है, के चिकित्सा उपचार सहित भरण-पोषण के संबंध में कटौती का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 128 चिकित्सा उपचार आदि के संबंध में कटौती का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 129 उच्चतर शिक्षा के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 130 कतिपय गृह संपत्ति के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 131 में कतिपय गृह संपत्ति के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती का उपबंध करने के लिए है और ऐसे व्यक्ति के मामले में कतिपय गृह आस्ति के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती का उपबंध करने के लिए है, जिस पर खंड 130 लागू नहीं होता है ।

विधेयक का खंड 132 इलेक्ट्रिक यान के क्रय के संबंध में कटौती का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 133 कतिपय निधियों, पूर्त संस्थाओं आदि को दिए गए संदान के संबंध में कटौती का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 134 निर्धारिती को उसके द्वारा अपने निवास के उद्देश्य से लिए गए किसी आवास के किराए के संदाय के लिए किए गए किसी भी व्यय के संबंध में कटौती उपबंध करने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 135 वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए कतिपय संदान के संबंध में कटौती का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 136 कंपनियों द्वारा राजनीतिक दलों को दिए गए अभिदाय के संबंध में कटौती का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 137 किसी व्यक्ति द्वारा राजनीतिक दलों को दिए गए अभिदाय के संबंध में कटौती का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 138 बुनियादी ढांचे के विकास में लगे औद्योगिक उपक्रमों या उद्यमों से लाभ और अभिलाभ के संबंध में कटौती का उपबंध करने के लिए है।

विधेयक का खंड 139 विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास में लगे उपक्रमों या उद्यम द्वारा लाभ और अभिलाभ के संबंध में कटौती का उपबंध करने के लिए है।

विधेयक का खंड 140 पात्र कारोबारों के लाभ और अभिलाभ के संबंध में पात्र स्टार्ट अप को कटौती उपबंध करने का उपबंध करने के लिए है, जिनमें रोजगार सृजन की उच्च क्षमता है, जो इसमें विनिर्दिष्ट कतिपय शर्तों के अधीन है।

विधेयक का खंड 141 कतिपय औद्योगिक उपक्रमों से लाभ और अभिलाभ के संबंध में कटौती का उपबंध करने के लिए है और पूर्वोक्त क्षेत्र में औद्योगिक उपक्रमों और आवास परियोजनाओं को बढ़ावा देने वाले उपक्रमों के संबंध में भी कटौती का उपबंध करने के लिए है।

विधेयक का खंड 142 आवास परियोजनाओं के विकास और निर्माण के कारोबार से प्राप्त लाभ और अभिलाभ के संबंध में कटौती का उपबंध करने के लिए है।

विधेयक का खंड 143 पूर्वोक्त राज्यों में पात्र वस्तु या चीजों के उत्पादन के संबंध में कतिपय उपक्रमों के लाभ और अभिलाभ के संबंध में विशेष उपबंधों का उपबंध करने के लिए है।

विधेयक का खंड 144 विशेष आर्थिक क्षेत्रों में नव स्थापित इकाइयों के लाभ और अभिलाभ के संबंध में कटौती का उपबंध करने के लिए है।

विधेयक का खंड 145 जैव-निम्नीकरणीय अपशिष्टों के संग्रहण और प्रसंस्करण में लगे कारोबारों के लिए कटौती का उपबंध करने के लिए है।

विधेयक का खंड 146 विनिर्दिष्ट अवधि के लिए कतिपय मामलों में अतिरिक्त कर्मचारी लागत के संबंध में कटौती का उपबंध करने के लिए है तथा यह उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन हो।

विधेयक का खंड 147 अपतटीय बैंकिंग इकाइयों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की इकाइयों की आय के लिए कटौती का उपबंध करने के लिए है। उक्त खंड अपतटीय बैंकिंग इकाइयों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की इकाइयों की आय के लिए कटौती का उपबंध भी करता है।

विधेयक का खंड 148 कतिपय अंतर-कॉर्पोरेट लाभांश के संबंध में कटौती का उपबंध करने के लिए है।

विधेयक का खंड 149 सहकारी सोसाइटियों की आय के संबंध में कटौती का उपबंध करने के लिए है।

विधेयक का खंड 150 धारा 149 के प्रयोजनों के लिए परिभाषाओं का उपबंध करने के लिए है।

विधेयक का खंड 151 पाठ्यपुस्तकों से भिन्न कतिपय पुस्तकों के लेखकों की स्वामिस्व आय आदि के संबंध में कटौती का उपबंध करने के लिए है।

विधेयक का खंड 152 पेटेंट पर स्वामिस्व के संबंध में कटौती का उपबंध करने के लिए है।

विधेयक का खंड 153 व्यष्टिकों और हिंदू अविभक्त कुटुंबों के लिए बचत खाता निक्षेप (सावधि निक्षेप को अपवर्जित करते हुए) पर ब्याज के लिए कतिपय कटौती का भी उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 154 निःशक्त व्यक्ति के मामले में कटौती का उपबंध करने के लिए है और चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा निःशक्तता या गंभीर निःशक्तता वाले व्यक्ति के रूप में प्रमाणित किए गए निवासी के लिए कटौती का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 155 आय-कर की गणना में अनुज्ञात की जाने वाली रिबेट का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 156 कतिपय व्यष्टिकों की दशा में आय-कर में रिबेट का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 157 वेतन आदि का बकाया या अग्रिम संदाय किए जाने पर राहत का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 158 अधिसूचित देश में रखे गए सेवानिवृत्ति फायदा खाते से आय पर कराधान से राहत का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 159 दोहरे कराधान से राहत के लिए विदेशी देशों या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्रों के साथ करार तथा विनिर्दिष्ट संघों के बीच करार को केंद्रीय सरकार द्वारा अपनाने का उपबंध करने के लिए है । यह दोहरे कराधान से राहत का भी उपबंध करने के लिए है, जहां केंद्रीय सरकार ने अन्य देशों के साथ करार किया है । उक्त खंड आय-कर की चोरी, परिहार और वसूली की रोकथाम के लिए सूचना के आदान-प्रदान का भी उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 160 किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा देय भारतीय आय-कर से कटौती का उपबंध करने के लिए है जिसने भारत के बाहर किसी ऐसे देश में कर का संदाय किया है जिसके साथ उस कर वर्ष के दौरान भारत के बाहर अर्जित या उद्भूत हुई उसकी आय के संबंध में कोई करार नहीं है ।

विधेयक का खंड 161 अंतरराष्ट्रीय और विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार से आय की गणना के लिए असन्निकट कीमत के संबंध में उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 162 "सहयुक्त उद्यम" पद को परिभाषित करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 163 "अंतराष्ट्रीय संव्यवहार" पद को परिभाषित करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 164 "विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार" पद को परिभाषित करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 165 असन्निकट कीमत का अवधारण करने और असन्निकट कीमत को अवधारित करने की पद्धति का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 166 निर्धारण अधिकारी द्वारा अंतरण मूल्यांकन अधिकारी को असन्निकट कीमत को अवधारित करने के लिए मामले निर्दिष्ट करने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 167 अनुपालना सरल बनाने और मुकद्दमेबाजी कम करने के लिए सुरक्षित बंदरगाह नियम बनाने की बोर्ड की शक्ति का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 168 विनिर्दिष्ट संव्यवहारों के लिए असन्निकट कीमत के पूर्व-अवधारण करने के लिए करदाता और कर प्राधिकारियों के बीच अग्रिम मूल्यांकन करार के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 169 अन्य बातों के साथ-साथ, किसी निर्धारिती द्वारा किए गए अग्रिम मूल्यांकन करार को प्रभावी रूप देने और परिणामी प्रक्रियाओं का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 170 कतिपय मामलों में द्वितीय समायोजन का, यह सुनिश्चित करने हेतु उपबंध करने के लिए है कि सहयुक्त उद्यमों के बीच लाभों का वास्तविक आबंटन असन्निकट कीमत के अनुकूल हो ।

विधेयक का खंड 171 अंतर्राष्ट्रीय या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहारों में अंतर्वलित कतिपय व्यक्तियों द्वारा जानकारी और दस्तावेज तथा अस्तित्वों द्वारा दस्तावेजों के रखने, बनाए रखने और प्रस्तुत करने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 172 अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार करने वाले व्यक्तियों द्वारा लेखापाल से रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 173 असन्निकट कीमत, आदि के अवधारण से सुसंगत कतिपय पदों की परिभाषाओं का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 174 अनिवासियों को आय के अन्तरण में परिणामित होने वाले संव्यवहारों द्वारा आय-कर के परिवर्जन का और साथ ही, ऐसे संव्यवहारों से उद्भूत होने वाली आय को समझी हुई आय होने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 175 प्रतिभूतियों में कतिपय संव्यवहारों द्वारा कर के परिवर्जन का उसमें विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की ऐसे वर्ष के लिए ऐसे प्रतिभूतियों से उद्भूत होने वाली आय समझी जाने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 176 अधिसूचित अधिकारिता वाले क्षेत्र में अवस्थित व्यक्तियों से संव्यवहारों के संबंध में विशेष उपायों का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 177 कतिपय मामलों में ब्याज कटौती पर परिसीमा का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 178 सामान्य परिवर्जन-रोधी नियम के लागू होने की रूपरेखा का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 179 सामान्य परिवर्जन-रोधी नियम के अधीन अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव को परिभाषित करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 180 उन शर्तों की रूपरेखा का उपबंध करने के लिए है, जिनके अधीन किसी ठहराव में वाणिज्यिक सारतत्व का न होना समझा जाएगा ।

विधेयक का खंड 181 सामान्य परिवर्जन-रोधी नियम के अधीन अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव के परिणामों का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 182 सामान्य परिवर्जन-रोधी नियम के अधीन संबद्ध व्यक्ति और अनुकूलक पक्षकार के निरूपण का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 183 सामान्य परिवर्जन-रोधी नियम के लागू होने का उपबंध करने के

लिए है ।

विधेयक का खंड 184 सामान्य परिवर्जन-रोधी नियम की परिभाषा का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 185 अन्य बातों के साथ-साथ, कतिपय अपवादों के साथ उधार, निक्षेप और विनिर्दिष्ट राशि लेने या प्रतिग्रहण करने के निर्बंधन का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 186 अन्य बातों के साथ-साथ, दो लाख रुपए या अधिक की किसी रकम को, उसमें विनिर्दिष्ट रीतियों से भिन्न में प्राप्त करने के निर्बंधन का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 187 विहित इलैक्ट्रानिक पद्धतियों के माध्यम से संदाय स्वीकार करने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 188 अन्य बातों के साथ-साथ, कतिपय उधारों, निक्षेपों या विनिर्दिष्ट अग्रिमों को, कतिपय अपवादों के साथ, नकद में प्रतिसंदाय के निर्बंधन का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 189 कतिपय पदों की परिभाषाओं का उपबंध करने के लिए है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंककारी कंपनी, विनिर्दिष्ट राशि, आदि सम्मिलित हैं ।

विधेयक का खंड 190 कुल आय की संगणना की रीति का उपबंध करता है, यदि इसके अंतर्गत ऐसी आय है, जिस पर कोई आय-कर संदेय नहीं है ।

विधेयक का खंड 191 मान्यताप्राप्त भविष्य निधि के संचित अतिशेष पर कर का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 192 तलाशी मामलों में कुल आय पर कर दायित्व का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 193 अन्य बातों के साथ-साथ, विनिर्दिष्ट ज्ञान आधारित उद्योग या सेवाओं में लगे किसी अस्तित्व द्वारा नियोजित निवासी व्यष्टियों की वैश्विक निक्षेपागार रसीदों से आय पर कर की विशेष दरों के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 194 लाटरी, वर्ग पहेली, घुड़दौड़, ताश के खेल, ऑनलाइन खेल से कमाई, आभासी डिजिटल आस्तियों के अंतरण से आय पर कराधान का उपबंध करता है । उक्त खंड, किसी निवासी द्वारा पेटेंट के संबंध में अर्जित स्वामिस्व आय, कार्बन प्रत्ययों के अंतरण से आय तथा बीमा कारबार से लाभ और अभिलाभ पर रियायती कर दर के लिए भी उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 195 खंड 102 से खंड 106 में निर्दिष्ट कतिपय आय पर कर का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 196 किसी अल्पकालिक पूंजी आस्ति, जो किसी कंपनी या किसी साम्या शेयरोन्मुख निधि की यूनिट या किसी कारबार न्यास की यूनिट में साम्या शेयर है, के अंतरण की दशा में, कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए, अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों पर कराधान का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 197 दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों पर कराधान का उपबंध करता है,

जहां पूंजी अभिलाभ, किसी दीर्घकालिक पूंजी आस्ति (किसी कंपनी में साम्या शेयर या किसी साम्या शेयरोन्मुख निधि की यूनिट या किसी कारबार न्यास की यूनिट में साम्या शेयर से भिन्न) के अंतरण से उद्भूत होता है ।

विधेयक का खंड 198 दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों पर कराधान का उपबंध करता है, जहां पूंजी अभिलाभ, किसी दीर्घकालिक पूंजी आस्ति, जो किसी कंपनी या किसी साधारण शेयरोन्मुख निधि की यूनिट या किसी कारबार न्यास की यूनिट में साधारण शेयर है, के अंतरण से उद्भूत होता है ।

विधेयक का खंड 199 कतिपय शर्तों के समाधान होने के अधीन रहते हुए, विनिर्माणकारी कंपनियों पर कर की फायदाकारी दर का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 200 खंड 199 और खंड 201 के अधीन आने वाली कंपनियों से भिन्न कंपनियों पर लागू (वैकल्पिक) रियायती कर दर का उपबंध करता है, यदि वे विनिर्दिष्ट कटौतियों का दावा नहीं करती हैं । उक्त खंड विकल्प चुनने की रीति, आय की संगणना की प्रद्धति और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में इकाई संबंधी विवक्षाओं का भी उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 201 कतिपय शर्तों के समाधान होने के अधीन रहते हुए, नई विनिर्माणकारी देशी कंपनियों की आय पर प्रोत्साहनकारी कर दर के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 202 व्यष्टियों, हिंदू अविभक्त कुटुंब और अन्य विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के लिए सरलीकृत कर व्यवस्था के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 203 खंड 204 के अधीन आने वाली सहकारी सोसाइटियों से भिन्न सहकारी सोसाइटियों पर लागू (वैकल्पिक) रियायती कर दर का उपबंध करता है, यदि वे विनिर्दिष्ट कटौतियों का दावा नहीं करती हैं ।

विधेयक का खंड 204 कतिपय शर्तों के समाधान होने के अधीन रहते हुए, नई विनिर्माणकारी सहकारी सोसाइटियों की विनिर्माणकारी आय पर 15% की प्रोत्साहनकारी कर दर के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 205 खंड 199, खंड 200, खंड 201, खंड 203 और खंड 204 के अधीन लागू कर की रियायती दर के लिए शर्तों का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 206 बही लाभ पर कराधान से संबंधित उपबंधों के लिए उपबंध करता है और न्यूनतम अनुकल्पी कर और अनुकल्पी न्यूनतम कर से संबंधित है ।

विधेयक का खंड 207 अनिवासियों के लिए कतिपय प्रकार की आय पर (जैसे लाभांश, ब्याज, वितरित आय, यूनिटों के संबंध में आय, स्वामिस्व और तकनीक सेवाओं के लिए फीस) पर करों की विशेष दरों का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 208 विदेशी मुद्रा में किए गए विनिधानों पर अपतट निधि के लिए करों की विशेष दरों का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 209 वैश्विक निक्षेपागार रसीदों पर, जिसमें ब्याज, लाभांश के रूप में आय और ऐसी वैश्विक निक्षेपागार रसीदों के अंतरण से आय भी है, अनिवासियों के लिए करों की विशेष दरों का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 210 विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ताओं द्वारा अर्जित आय पर,

जिसमें प्रतिभूतियों पर लाभांश और ब्याज से और उनकी प्रतिभूतियों के अंतरण से पूंजी अभिलाभ भी है, करों की विशेष दरों का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 211 अनिवासी खिलाड़ियों या खेल-कूद संगमों पर, भारत में अर्जित कतिपय आय के संबंध में, करों की विशेष दरों का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 212 अध्याय 13ड से संबंधित निर्वचनों के लिए उपबंध करता है । उक्त खंड, खंड 213 से खंड 218 के प्रयोजनों के लिए कतिपय पदों की परिभाषाओं का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 213 अनिवासी भारतीयों की कराधेय आय की संगणना की पद्धति का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 214 अनिवासी भारतीयों द्वारा अर्जित विनिधान आय और दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ पर करों की विशेष दरों का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 215 अनिवासी भारतीयों द्वारा अर्जित दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के गैर-कराधेय होने का उपबंध करता है, यदि वे विनिर्दिष्ट विनिधान करते हैं ।

विधेयक का खंड 216 अनिवासी भारतीयों द्वारा आय की विवरणी प्रस्तुत करने से छूट के लिए उपबंध करता है, यदि कतिपय शर्तों का समाधान होता है ।

विधेयक का खंड 217 किसी अनिवासी भारतीय द्वारा किए गए विनिधान से आय के कराधान की वैकल्पिक ग्रेडफादरिंग के लिए उपबंध करता है, यदि वह किसी पश्चात्पूर्ति वर्ष में निवासी हो जाता है ।

विधेयक का खंड 218 खंड 212 से खंड 217 के उपबंधों में से बाहर रहने के विकल्प की पद्धति का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 219 पूंजी अभिलाभ कर से शिथिलीकरण और हानि, आदि को अग्रणीत करने की हकदारिता का उपबंध करता है, जब किसी विदेशी कंपनी की कोई भारतीय शाखा किसी भारतीय कंपनी में संपरिवर्तित होती है ।

विधेयक का खंड 220 विवक्षाओं का उपबंध करता है, जहां कोई विदेशी कंपनी, भारत में निवासी कही जाती है ।

विधेयक का खंड 221 प्रतिभूतिकरण न्यासों से, उनके विनिधानकर्ताओं द्वारा अर्जित आय पर विशेष कराधान व्यवस्था का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 222 जोखिम पूंजी उपक्रमों की दशा में आय पर कर का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 223 भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना विनिधान न्यास) विनियम, 2014 के अधीन अवसंरचना विनिधान न्यास और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भूसंपदा विनिधान न्यास) विनियम, 2014 के अधीन भूसंपदा विनिधान न्यास और उनके यूनिट धारकों के लिए विशेष कराधान व्यवस्था के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 224 विनिधान निधि और उनके यूनिट धारकों की आय के लिए विशेष कराधान व्यवस्था के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 225 अर्हक पोत प्रचालन के कारबार से आय और करदाताओं को टनभार कर स्कीम के विकल्प का चयन करने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 226 टनभार कर स्कीम का उपबंध करने के लिए है और परिभाषित करता है कि पोत प्रचालित करने वाली कंपनी है और टनभार कर कंपनी के लिए उसकी टनभार कर आय हेतु टनभार कर स्कीम के अधीन कर की संगणना की रीति का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 227 टनभार आय की संगणना का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 228 सुसंगत पोत परिवहन आय और बही लाभ से अपवर्जन का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 229 अर्हक आस्तियों का भाग बनने वाली पूंजीगत आस्ति के अंतरण के मामले में पूंजीगत लाभ के उपचार के साथ-साथ मूल्यहास की गणना की रीति के साथ-साथ अर्हक आस्तियों और अन्य आस्तियों के अवलिखित मूल्य के लिए उपचार का उपबंध करता है, जब भी उन्हें अर्हक और गैर-अर्हक कारबारों के बीच अंतरित किया जाता है, का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 230 कंपनी द्वारा टनभार कर स्कीम का चयन करने से पहले हुई या दावा की गई उपार्जित हानियों सहित हानियों, कटौतियों और मुजरा के सामान्य अपवर्जन का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 231 टनभार कर स्कीम को चुनने की विधि और वैधता का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 232 टनभार कर स्कीम को लागू होने के लिए कतिपय शर्तों का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 233 समामेलन और विभाजन के मामले में स्कीम की निरंतरता और वैधता के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 234 कर लाभ प्राप्त करने के लिए किए गए किसी भी प्रबंध के माध्यम से उपबंधों के दुरुपयोग के मामले में कर से बचने और टनभार कर स्कीम से अपवर्जन का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 235 टनभार कर स्कीम से संबंधित कुछ शब्दों की परिभाषा का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 236 केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से लेकर आय-कर निरीक्षकों तक विभिन्न श्रेणियों के आय-कर प्राधिकारियों का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 237 सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए नियम और आदेश बनाकर केन्द्रीय सरकार द्वारा आय-कर प्राधिकारियों की नियुक्ति करना तथा बोर्ड या अधीनस्थ प्राधिकारियों को उप आयुक्त या सहायक आयुक्त के पद से नीचे के आय-कर प्राधिकारियों और अन्य कार्यकारी या अनुसचिवीय कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्राधिकृत करने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 238 आय-कर प्राधिकारी बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अन्य आय-कर प्राधिकारियों के अधीनस्थ होने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 239 बोर्ड को अन्य आय-कर प्राधिकारियों को आदेश, अनुदेश और निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान करने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 240 बोर्ड को करदाताओं के लिए चार्टर के प्रशासन के लिए सशक्त बनाने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 241 आय-कर प्राधिकारियों की शक्ति और कार्य निष्पादन के लिए बोर्ड द्वारा जारी किए गए ऐसे निदेशों या बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य आय-कर प्राधिकारियों का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 242 कर निर्धारण अधिकारियों को एक क्षेत्र पर अधिकारिता प्रदान करने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 243 निर्दिष्ट आय-कर प्राधिकारी को किसी भी मामले को एक कर निर्धारण अधिकारी से दूसरे कर निर्धारण अधिकारी को स्थानांतरित करने की शक्ति प्रदान करने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 244 उत्तरवर्ती आय-कर प्राधिकारी को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी कार्यवाही को उसी चरण से जारी रख सकेगा जिस चरण पर उसके पूर्ववर्ती ने छोड़ा था, का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 245 विधेयक ऐसे निदेशों के अनुसार जो बोर्ड जारी करे अन्य आय-कर प्राधिकारियों के या बोर्ड द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अन्य आय-कर प्राधिकारी द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति और उनके निष्पादन का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 246 आय-कर प्राधिकारियों को साक्ष्य की खोज या प्रस्तुति आदि के संबंध में शक्तियां प्रदान करना, जैसा कि विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन न्यायालय में निहित है, का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 247 प्रस्तावित विधि के अधीन तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित शक्तियों और प्रक्रियाओं से निपटने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 248 लेखा बहियों आदि को अधिग्रहीत करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं, जिन्हें किसी अन्य विधि के अधीन किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा अभिरक्षा में ले लिया गया है, का उपबंध करता है । ।

विधेयक का खंड 249 तलाशी और अभिग्रहण के कारणों को प्रकट न करने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 250 प्रस्तावित विधि के उपबंधों के अधीन अभिग्रहीत या अधिग्रहीत आस्तियों के उपयोग का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 251 प्रस्तावित विधान के खंड 247 और 248 के अधीन अभिग्रहीत या अधिग्रहीत लेखा-बही और दस्तावेजों से निपटने के लिए प्राधिकार और प्रक्रियाएं प्रदान करता है तथा संबंधित प्राधिकारियों द्वारा उन्हें रखने के लिए समय-सीमाएं निर्धारित का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 252 आय-कर प्राधिकारियों को सूचना मांगने की शक्ति प्रदान करने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 253 सर्वेक्षण की शक्तियों, अर्थात् किसी निर्धारिती के कारबार परिसर में प्रवेश, इस शक्ति के प्रयोग में लगाए गए प्रतिबंधों तथा सर्वेक्षण कार्रवाई के दौरान निर्धारिती के कर्तव्यों का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 254 प्राधिकारियों को कुछ ऐसी सूचनाएं एकत्र करने की शक्तियां प्रदान करना है जो प्रस्तावित विधान के प्रयोजनों के लिए उपयोगी या सुसंगत हो सकती हैं का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 255 आय-कर प्राधिकारियों को कंपनियों के रजिस्ट्रारों का निरीक्षण करने की शक्ति प्रदान करने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 256 प्रस्तावित विधि के अधीन निर्धारण अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी अर्थात् उच्च प्राधिकारियों से पूछताछ करने के संबंध में शक्तियां प्रदान करने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 257 आय-कर प्राधिकारियों के समक्ष कार्यवाही को न्यायिक कार्यवाही के समान मानने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 258 आय-कर प्राधिकारियों द्वारा निर्धारितियों के संबंध में सूचना के प्रकटीकरण पर प्रतिबंध लगाने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 259 आय-कर प्राधिकारी को निर्धारित आय-कर प्राधिकारी से सूचना मांगने की शक्ति प्रदान करने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 260 बोर्ड को कुछ धाराओं के अधीन सूचना के पहचान रहित संग्रह के लिए अधिसूचना द्वारा कोई भी स्कीम बनाने का अधिकार देने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 261 अध्याय 14 में प्रयुक्त विभिन्न अभिव्यक्तियों की परिभाषाओं का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 262 स्थायी खाता संख्या प्राप्त करने और उद्धृत करने तथा आधार संख्या को स्थायी खाता संख्या से जोड़ने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 263 आय-कर विवरणी फाइल करने के लिए व्यक्तियों के दायित्व और आय-कर विवरणी फाइल करने के लिए समयसीमा का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 264 कर विवरणी तैयारकर्ता के माध्यम से विवरणी प्रस्तुत करने की स्कीम का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 265 निर्धारिती और आय-कर विवरणी को सत्यापित करने के लिए सक्षम व्यक्तियों द्वारा आय-कर विवरणी के सत्यापन का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 266 आय-कर विवरणी फाइल करते समय ब्याज और फीस सहित कर का भुगतान करने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 267 अद्यतन विवरणी पर स्व-मूल्यांकन कर के साथ-साथ देय ब्याज और फीस का भुगतान करने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 268 कर निर्धारण से पूर्व जांच, सभी आस्तियों और देनदारियों का विवरण मंगाना तथा विशेष लेखापरीक्षा के लिए संदर्भ तैयार करने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 269 किसी आस्ति, संपत्ति या निवेश के उचित बाजार मूल्य का अनुमान लगाने के लिए मूल्यांकन अधिकारी द्वारा मूल्यांकन अधिकारी को संदर्भ देने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 270 फाइल विवरणी के प्रसंस्करण और प्रथम दृष्टया समायोजन करने तथा मूल्यांकन के लिए विवरणी का चयन करने की शक्तियां प्रदान करने का उपबंध

करता है ।

विधेयक का खंड 271 कर निर्धारण अधिकारी के सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार कर निर्धारण पूरा करने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 272 संयुक्त आयुक्त को कर निर्धारण कार्यवाही के दौरान कर निर्धारण अधिकारी को निर्देश जारी करने का अधिकार देने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 273 राष्ट्रीय पहचानविहिन मूल्यांकन केंद्र द्वारा एक विशिष्ट मूल्यांकन इकाई को स्वचालित आवंटन प्रणाली के माध्यम से सौंपे गए पात्र मामलों के पहचानविहिन मूल्यांकन का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 274 किसी ठहराव को अननुज्ञेय कर अपवंचन ठहराव घोषित करने और ऐसे संरेखन के परिणामों का अवधारण करने के लिए लंबित निर्धारणों और पुनःनिर्धारणों के दौरान निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रधान आयुक्त या आयुक्त को निर्देश करने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 275 विवाद समाधान पैनल को निर्देश की स्कीम का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 276 “कारबार और वृत्ति से लाभ और अभिलाभ” और “अन्य स्रोतों से आय” शीर्षों के अधीन आय की संगणना के लिए अनुसरण की जाने वाली लेखा पद्धति का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 277 आय संगणना और प्रकटन मानकों के अनुसार सूची मूल्यांकन और प्रतिभूतियों का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 278 संविदा या निर्यात प्रोत्साहनों के संबंध में ब्याज, प्रतिकर या वर्धित प्रतिकर और वर्धन दावों की कराधेयता के संबंध में उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 279 निर्धारण से छूट गए कर की आय प्रभार्यता के निर्धारण का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 280 सूचना जारी करने का उपबंध करता है जहां आय निर्धारण से छूट गई है ।

विधेयक का खंड 281, खंड 280 के अधीन सूचना जारी करने से पूर्व अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 282 निर्धारण से छूट गई आय के मामलों में सूचना की समय-सीमा का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 283 उन मामलों के लिए उपबंध करता है जहां अपील पर आदेश, अनुमोदन पैनल से निदेश के अनुसरण में निर्धारण किया जाता है ।

विधेयक का खंड 284 निर्धारण से छूट गई आय के मामलों में सूचना जारी करने के लिए मंजूरी का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 285 निर्धारण या पुनःनिर्धारण या पुनःसंगणना से संबंधित अन्य उपबंधों का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 286 विभिन्न परिस्थितियों में निर्धारण या पुनःनिर्धारण या

पुनःसंगणना पूर्ण करने के लिए समय-सीमा का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 287 प्रस्तावित विधान के उपबंधों के अधीन आय-कर प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों का सुधार करके अभिलेख में प्रकट किसी गलती का सुधार करके अभिलेख पर गलती के सुधार का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 288 कतिपय मामलों में संशोधित आदेश पारित करने के लिए समय-सीमा का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 289 संदेय मांग की सूचना (कर, ब्याज, शास्ति, जुर्माना या अन्य राशि) का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 290 कतिपय मामलों में जारी मांगपत्र के उपांतरण और पुनरीक्षण का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 291 ऐसी हानियों के अग्रेषण और मुजरा के प्रयोजनों के लिए हानि की सूचना का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 292 तलाशी के मामलों में ब्लॉक निर्धारण की स्कीम का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 293 तलाशी के मामलों में ब्लॉक अवधि की कुल आय की गणना का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 294 ब्लॉक निर्धारण के लिए प्रक्रिया का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 295 तलाशी के मामलों में किसी अन्य व्यक्ति के ब्लॉक निर्धारण के लिए प्रक्रिया का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 296 ब्लॉक निर्धारण पूरा करने के लिए समय-सीमा का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 297 तलाशी मामलों के निर्धारण के मामले में अधिरोपित नहीं किए जाने वाले कतिपय ब्याज और शास्ति का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 298 तलाशी मामलों में ब्याज और जुर्माना उद्ग्रहीत करने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 299 ब्लॉक अवधि का निर्धारण करने के लिए सक्षम प्राधिकारी का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 300 अधिनियम के अन्य उपबंधों के लागू होने के संबंध में व्यावृत्ति खंड का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 301 तलाशी मामलों के निर्धारण से संबंधित विभिन्न पदों के निर्वचन का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 302 निर्धारिती की मृत्यु की दशा में विधिक प्रतिनिधि की कराधेयता का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 303 अनिवासी या न्यास या अवयस्क, विक्षिप्त या मंदबुद्धि की आय के लिए प्रतिनिधि निर्धारिती की अवधारणा स्पष्ट करता है ।

विधेयक का खंड 304 प्रतिनिधि निर्धारिती की हैसियत में प्राप्त आय के कराधान और

प्रतिनिधि निर्धारिती के उत्तरदायित्व का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 305 प्रतिनिधि निर्धारिती की हैसियत में उसके द्वारा संदत्त कर की वसूली करने के लिए प्रतिनिधि निर्धारिती के अधिकारों का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 306 अनिवासी के संबंध में अभिकर्ता के रूप में कार्य करने वाले व्यक्तियों का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 307 उस स्थिति में, जहां फायदाग्राहियों का हिस्सा अज्ञात या अनवधारित है, कतिपय प्रतिनिधि निर्धारितियों के कर के प्रभार का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 308 मौखिक न्यास के मामले में कर के प्रभार का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 309 व्यक्तियों के संगम या व्यक्तियों के निकाय की आय में सदस्यों के आय में हिस्से की गणना करने की पद्धति का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 310 व्यक्तियों के संगम या व्यक्तियों के निकाय की आय में सदस्यों के आय में हिस्से का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 311 व्यक्तियों के संगम या व्यक्तियों के निकाय के हस्तगत कर के प्रभार का उपबंध करता है जहां ऐसे संगम या निकाय में सदस्यों का हिस्सा या तो ज्ञात है या अज्ञात है और सारणी के प्ररूप में प्रस्तुत है ।

विधेयक का खंड 312 निष्पादक के हाथों में मृतक की संपदा की आय पर कर की प्रभार्यता तथा संदत्त कर की वसूली के लिए निष्पादक के अधिकार का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 313 उस कारबार के संबंध में, जिसमें मृत्यु से अन्यथा उत्तराधिकार है, आय के निर्धारण और उसकी कराधेयता का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 314 उन मामलों में, जहां या तो कार्यवाहियां लंबित हैं या निर्धारण पूर्ण हो गया है, कारबार पुनर्गठन के संबंध में न्यायाधिकरण या न्यायालय के आदेश के प्रभाव का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 315 हिंदू अविभक्त कुटुंब की आय के निर्धारण का उपबंध करता है जहां विभाजन हो गया है और ऐसे कुटुंब के सदस्यों की संयुक्त और बहु-दायित्व हैं ।

विधेयक का खंड 316 अनिवासी के या उसके द्वारा चार्टर किए गए किसी पोत के मामले में कर के उद्ग्रहण की वसूली से संबंधित है, जो भारत के किसी बंदरगाह पर यात्रियों, पशुधन, डाक या माल को ले जाता है ।

विधेयक का खंड 317 किसी व्यक्ति की आय की कराधेयता से संबंधित है, जो भारत छोड़ सकता है ।

विधेयक का खंड 318 किसी विशिष्ट घटना या प्रयोजन के लिए गठित व्यक्तियों का संगम या व्यक्तियों का निकाय या कृत्रिम विधिक व्यक्ति की आय के कराधान का उपबंध करता है जिसके उस घटना के पश्चात् विघटन होने की संभावना है ।

विधेयक का खंड 319 प्रस्तावित विधान के अधीन किसी दायित्व के संदाय से बचने के दृष्टिकोण से संपत्ति अंतरित करने की संभावना वाले व्यक्तियों के आय के निर्धारण का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 320 किसी वर्ष में कारबार या वृत्ति बंद करने के मामलों में त्वरित

निर्धारण का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 321 कारबार या वृत्ति बंद होने या व्यक्तियों के संगम का विघटन होने के मामलों में प्रस्तावित विधान के अधीन किसी दायित्व के प्रभारित होने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 322 कंपनी द्वारा परिसमापन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा परिसमापक के उत्तरदायित्व का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 323 प्राइवेट कंपनी के निदेशकों की इस विधेयक के उपबंधों के अनुसार कर और अन्य बकाया की देयता का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 324 फर्म के मामले में कर के प्रभार का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 325 कतिपय दशाओं में अनुपालन समेत भागीदारी फर्म निर्धारण के उपबंधों से संबंधित है ।

विधेयक का खंड 326 नियमों द्वारा की गई शर्तों के अननुपालन की दशा में भागीदारी फर्म के निर्धारण में परिणामों से संबंधित है ।

विधेयक का खंड 327 उन मामलों में, जहां किसी फर्म के गठन में परिवर्तन है, भागीदारी फर्म के निर्धारण का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 328 एक फर्म द्वारा दूसरी फर्म के उत्तराधिकार के मामले में पूर्वाधिकारी और उत्तराधिकारी के हाथों में कराधान का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 329 फर्म द्वारा देय कर के लिए भागीदारों की संयुक्त और कई देयताओं का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 330 फर्म के विघटन या कारबार बंद करने के पश्चात् भी उसके निर्धारण और देयता का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 331 परिसमापन में सीमित देयता भागीदारी के भागीदारों के संयुक्त और बहु-दायित्व का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 332 गैर लाभकारी संगठन के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित है ।

विधेयक का खंड 333 रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन द्वारा व्यवस्था की अदला-बदली से संबंधित है ।

विधेयक का खंड 334 रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन की आय की कराधेयता का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 335 रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन की नियमित आय के अर्थ का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 336 रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन की नियमित कर योग्य आय से संबंधित है ।

विधेयक का खंड 337 रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन की विनिर्दिष्ट आय से संबंधित है ।

विधेयक का खंड 338 रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन की नियमित आय में सम्मिलित नहीं किए जाने वाली आय से संबंधित है ।

विधेयक का खंड 339 रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन के समग्र निधि दान के अर्थ से संबंधित है ।

विधेयक का खंड 340 रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन के समझे गए समग्र निधि दान से संबंधित है ।

विधेयक का खंड 341 रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन की आय के उपयोजन से संबंधित उपबंधों का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 342 रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन की संचित आय से संबंधित है ।

विधेयक का खंड 343 रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन की समझी गई संचित आय से संबंधित है ।

विधेयक का खंड 344 रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन की संपत्ति के रूप में धारित कारबार उपक्रम से संबंधित है ।

विधेयक का खंड 345 रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन द्वारा वाणिज्यिक क्रियाकलापों पर निर्बंधन से संबंधित है ।

विधेयक का खंड 346 रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन के वाणिज्यिक क्रियाकलापों पर निर्बंधन का उपबंध करता है, जिसके किन्हीं उद्देश्यों के रूप में साधारण लोक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य का संवर्धन है ।

विधेयक का खंड 347 रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन की लेखा बही से संबंधित उपबंध को उपबंधित करता है ।

विधेयक का खंड 348 रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन की लेखा-परीक्षा से संबंधित है ।

विधेयक का खंड 349 रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन की आय की विवरणी से संबंधित है ।

विधेयक का खंड 350 विनिधान के अनुज्ञात ढंग से संबंधित है ।

विधेयक का खंड 351 रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन के विनिर्दिष्ट उल्लंघन से संबंधित उपबंधों को उपबंधित करता है ।

विधेयक का खंड 352 रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन की अनुवृद्धि आय पर कर से संबंधित उपबंधों को उपबंधित करता है ।

विधेयक का खंड 353 रजिस्ट्रीकृत गैर लाभकारी संगठन के अन्य उल्लंघनों से संबंधित उपबंधों को उपबंधित करता है ।

विधेयक का खंड 354 दान पर छूट के प्रयोजन के लिए अनुमोदन से संबंधित उपबंधों को उपबंधित करता है ।

विधेयक का खंड 355 इस अध्याय में प्रयुक्त विभिन्न पदों के अर्थ का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 356 कतिपय आदेशों के विरुद्ध संयुक्त आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 357 कतिपय आदेशों के विरुद्ध आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 358 अपील के प्ररूप और परिसीमा का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 359 अपील में प्रक्रिया का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 360 संयुक्त आयुक्त (अपील) और आयुक्त (अपील) की शक्तियों से संबंधित है ।

विधेयक के खंड 361 में आय-कर अपील अधिकरण के गठन का उपबंध है ।

विधेयक का खंड 362 आय-कर अपील अधिकरण को अपील का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 363 आय-कर अपील अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 364 आय-कर अपील अधिकरण की शक्तियों और कृत्यों के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 365 उच्च न्यायालय को अपील का उपबंध करता है ।

विधेयक के खंड 366 में उपबंध है कि कम से कम दो न्यायाधीशों द्वारा उच्च न्यायालय में अपील की सुनवाई का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 367 उच्चतम न्यायालय को अपील का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 368 उच्चतम न्यायालय के समक्ष सुनवाई का उपबंध करता है ।

विधेयक के खंड 369 में यह उपबंध किया गया है कि उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में अपील फाईल का विचार किए बिना कर का संदाय किया जाना चाहिए ।

विधेयक का खंड 370 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए खर्चा दिलवाने के लिए निष्पादन का उपबंध करता है ।

विधेयक के खंड 371 में कतिपय मामलों में अपील के आधार पर मूल्यांकन में संशोधन का उपबंध है ।

विधेयक का खंड 372 आदेश की प्रति प्राप्त करने में लगने वाले समय को हटाने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 373 आय-कर प्राधिकारी द्वारा अपील फाईल करने का उपबंध करता है और बोर्ड को समय-समय पर निर्देश जारी करने का अधिकार देता है ।

विधेयक का खंड 374 इस अध्याय के अधीन अपील फाईल करने के प्रयोजनार्थ "उच्च न्यायालय" की परिभाषा का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 375 उस स्थिति में प्रक्रिया का उपबंध करने के लिए है जब निर्धारित दावा करता है कि विधि का समरूप प्रश्न उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है ।

विधेयक का खंड 376, उस स्थिति में प्रक्रिया निर्धारित करने का उपबंध करता है, जहां विधि का कोई समरूप प्रश्न उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित हो ।

विधेयक के खंड 377 में राजस्व पर प्रधान आयुक्त या आयुक्त के प्रतिकूल आदेशों के

पुनरीक्षण का उपबंध है ।

विधेयक का खंड 378 कतिपय मामलों में आदेशों के पुनरीक्षण का उपबंध करता है जो राजस्व के लिए प्रतिकूल नहीं हैं ।

विधेयक के खंड 379 में कतिपय मामलों में विवादों को सुलझाने के लिए विवाद समाधान समिति के गठन का उपबंध है ।

विधेयक का खंड 380 अग्रिम विनिर्णयों के संदर्भ में प्रयुक्त कतिपय अभिव्यक्तियों को परिभाषित करने का प्रयास करता है ।

विधेयक के खंड 381 में अग्रिम विनिर्णय बोर्ड के गठन का उपबंध है ।

विधेयक का खंड 382 अग्रिम विनिर्णय बोर्ड में रिक्तियों के मामले में कार्यवाही से निपटने का उपबंध करता है ।

विधेयक के खंड 383 में बोर्ड के अग्रिम विनिर्णय के समक्ष आवेदन फाईल करने का उपबंध है ।

विधेयक का खंड 384 अग्रिम विनिर्णयों के लिए किए गए आवेदन पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया का उपबंध करता है ।

विधेयक के खंड 385 में यह उपबंध किया गया है कि कतिपय प्राधिकारी कतिपय मामलों में विनिश्चय नहीं देंगे, जहां अग्रिम विनिर्णय के लिए आवेदन किया गया है ।

विधेयक के खंड 386 में कतिपय परिस्थितियों में अग्रिम विनिर्णय का शून्य होने का उपबंध किया गया है ।

विधेयक का खंड 387 अग्रिम विनिर्णय के लिए बोर्ड की शक्तियों का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 388 अग्रिम विनिर्णय बोर्ड को अपनी प्रक्रिया विनियमित करने के लिए सशक्त बनाने का उपबंध करता है ।

विधेयक के खंड 389 में अग्रिम विनिर्णय बोर्ड द्वारा सुनाए गए विनिर्णयों पर उच्च न्यायालय में अपील करने का उपबंध है ।

विधेयक के खंड 390 में कर संदाय की रीति के रूप में स्रोत पर कर कटौती, स्रोत पर कर संग्रहण, अग्रिम संदाय आदि से संबंधित उपबंध किए गए हैं ।

विधेयक के खंड 391 में कतिपय स्थितियों में निर्धारिती द्वारा कर के प्रत्यक्ष संदाय से संबंधित उपबंध किए गए हैं ।

विधेयक के खंड 392 में कर्मचारी के वेतन और संचित शेष के स्रोत पर कर कटौती से संबंधित उपबंध किए गए हैं ।

विधेयक के खंड 393 में विभिन्न संदायो पर स्रोत पर कर कटौती से संबंधित उपबंध किए गए हैं ।

विधेयक के खंड 394 में विभिन्न संव्यवहारों पर स्रोत पर कर संग्रहण से संबंधित उपबंध किए गए हैं ।

विधेयक के खंड 395 में कर की कम कटौती के लिए प्रमाणपत्र जारी करने से संबंधित उपबंध किए गए हैं ।

विधेयक का खंड 396 कतिपय राशियों का उपबंध करता है जिन्हें निर्धारिती की आय की गणना के प्रयोजन के लिए प्राप्त आय माना जाएगा ।

विधेयक का खंड 397 स्रोत पर कर कटौती और स्रोत पर कर संग्रहण के लिए अनुपालन और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 398 कर की कटौती, संग्रहण या संदाय करने में विफलता के परिणाम का उपबंध करता है ।

विधेयक के खंड 399 में स्रोत पर कर कटौती और स्रोत पर कर संग्रहण के विवरण के संसाधन का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 400 केन्द्रीय सरकार को स्रोत पर कर कटौती और स्रोत पर कर संग्रहण के उपबंधों में छूट देने का अधिकार देने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 401 कर कटौती की गई सीमा तक निर्धारिती पर मांग के विरुद्ध रोक से संबंधित उपबंधों का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 402 कर संग्रहण एवं वसूली के अध्याय में प्रयुक्त कतिपय अभिव्यक्तियों की परिभाषा प्रदान करने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 403 कर वर्ष के दौरान निर्धारिती की कुल आय के संबंध में अग्रिम कर के संदाय की देयता का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 404 उन शर्तों का उपबंध करता है जिनमें निर्धारिती को अग्रिम कर का संदाय करना होगा ।

विधेयक का खंड 405 कर वर्ष में संदेय अग्रिम कर की गणना विधि से संबंधित उपबंधों के लिए है ।

विधेयक का खंड 406 निर्धारिती द्वारा स्वप्रेरणा से अग्रिम कर का संदाय करने का उपबंध करता है ।

विधेयक के खंड 407 में कर निर्धारण अधिकारी के आदेश के अनुसरण में निर्धारिती द्वारा अग्रिम कर के संदाय का उपबंध है ।

विधेयक के खंड 408 में अग्रिम कर का संदाय निर्धारित तारीख तक चार किस्तों में तथा नियमों के अनुसार करने का उपबंध है ।

विधेयक का खंड 409 निर्धारण अधिकारी के आदेश के अनुसार अग्रिम कर का संदाय करने में विफलता के लिए किसी निर्धारिती को व्यतिक्रमकर्ता मानने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 410 कर वर्ष की आय के संबंध में कर के संदाय के रूप में निर्धारिती से वसूल किया गया या संदाय किए गए अग्रिम कर के लिए क्रेडिट देने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 411 मांग की नोटिस, संदेय कर और जब निर्धारिती को व्यतिक्रमकर्ता माना जाता है, से संबंधित उपबंधों के लिए है ।

विधेयक के खंड 412 में शास्ति का उपबंध है जो उस स्थिति में देय होगा जब निर्धारिती कर का संदाय नहीं करता है ।

विधेयक के खंड 413 में कर वसूली अधिकारी द्वारा व्यतिक्रम में निर्धारिती के संबंध

में प्रमाण पत्र तैयार करने का उपबंध है, जिसमें निर्धारिती से देय बकाया राशि और उसकी वसूली का उल्लेख होगा।

विधेयक के खंड 414 में कर वसूली अधिकारी को निर्दिष्ट करने का उपबंध है जिसके द्वारा वसूली की जाएगी।

विधेयक का खंड 415 कर वसूली अधिकारी को स्वप्रेरणा से या प्रस्तावित विधान के अधीन अपील या अन्य कार्यवाही के कारण मांग में कमी के अनुसरण में वसूली कार्यवाही पर रोक लगाने हेतु सशक्त करने का उपबंध करने के लिए है।

विधेयक का खंड 416 कर निर्धारण अधिकारी को वसूली की ऐसी रीति के बारे में सशक्त बनाता है, जहां कर वसूली अधिकारी द्वारा कोई प्रमाण-पत्र तैयार नहीं किया गया है।

विधेयक का खंड 417 किसी भी क्षेत्र में राज्य सरकार के माध्यम से कर की वसूली का उपबंध करता है, जहां संविधान के अनुच्छेद 258(1) के अधीन कर की वसूली राज्य सरकार को सौंपी गई है।

विधेयक का खंड 418 किसी विदेश की ओर से दोनों सरकारों के बीच हुए करार के अधीन भारत के किसी निवासी या भारत में कोई संपत्ति रखने वाले किसी व्यक्ति से कर वसूली अधिकारी के माध्यम से कर की वसूली का उपबंध करता है।

विधेयक के खंड 419 में शाशित, जुर्माना, ब्याज और अन्य राशियों की वसूली से संबंधित उपबंधों के लिए है, जैसा कि कर की वसूली के लिए किया गया है।

विधेयक के खंड 420 में ऐसे व्यक्ति को, जो भारत का निवासी नहीं है तथा कारबार, वृत्ति या नियोजन के संबंध में भारत में आया है; और जिसकी भारत में किसी स्रोत से आय है, भारत छोड़ने के लिए विहित प्राधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने की आवश्यकता का उपबंध किया गया है।

विधेयक का खंड 421 यह उपबंध करता है कि प्रस्तावित विधान में विहित किसी मोड के अधीन वसूल किए गए देय कर में प्रभावित किए बिना वाद द्वारा या अन्य विधि के अधीन वसूली की जाएगी।

विधेयक का खंड 422 अनिवासी की बाबत बकाया कर की उसकी आस्तियों में से वसूली उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 423 यह उपबंध करने के लिए है कि निर्धारिती आय विवरणी प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम के लिए ब्याज का संदाय करने का दायी होगा।

विधेयक का खंड 424 यह उपबंध करने के लिए है कि निर्धारिती अग्रिम कर संदाय करने में या जहां निर्धारिती द्वारा संदत्त अग्रिम कर निर्धारित करके 90% से कम है, असफल हो गया है वहां ब्याज का संदाय करने के लिए दायी होगा।

विधेयक का खंड 425 यह उपबंध करने के लिए है कि निर्धारिती उस किस्त के लिए नियत तारीख तक अग्रिम कर की किसी किस्त की पूरी रकम का संदाय करने में असफल रहने पर ब्याज का संदाय करने के लिए दायी होगा।

विधेयक का खंड 426 यह उपबंध करने के लिए है कि निर्धारिती उसे वास्तव में देय प्रतिदाय से अधिक किसी भी रकम पर ब्याज का संदाय करने के लिए दायी होगा।

विधेयक का खंड 427 यह उपबंध करने के लिए है कि निर्धारिती स्रोत पर काटे गए या संग्रहित किए गए करों के संबंध में विवरण प्रस्तुत करने में विलंब के लिए फीस का संदाय करने के लिए दायी होगा ।

विधेयक का खंड 428 यह उपबंध करने के लिए है कि निर्धारिती विहित नियत तारीख तक आय की विवरणी प्रस्तुत करने में असफलता के लिए फीस का संदाय करने के लिए दायी होगा ।

विधेयक का खंड 429 यह उपबंध करने के लिए है कि निर्धारिती वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय से संबंधित विहित विवरण या प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विलंब के लिए और पूर्ण प्रयोजनों के लिए भारत में स्थापित किसी संस्था या निधि द्वारा फीस का संदाय करने के लिए दायी होगा ।

विधेयक का खंड 430 यह उपबंध करने के लिए है कि निर्धारिती विहित तारीख तक अपनी आधार संख्या सूचित करने में असफल रहने के लिए फीस का संदाय करने के लिए दायी होगा ।

विधेयक का खंड 431 निर्धारिती द्वारा जहां संदत्त कर वास्तव में प्रभार्य कर से अधिक है संदत्त रकम के आधिक्य के प्रतिदाय के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 432 यह उपबंध करता है कि विधिक प्रतिनिधि या न्यासी या अभिभावक या प्राप्तकर्ता, किसी ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए प्रतिदाय का दावा करने या प्राप्त करने के लिए जो मृत्यु, अक्षमता, दिवालियापन, परिसमापन या अन्य कारण या उसकी संपदा के कारण उसके कारण देय प्रतिदाय का दावा करने या प्राप्त करने में असमर्थ है ।

विधेयक का खंड 433 यह उपबंध करने के लिए है कि प्रतिदाय का प्रत्येक दावा आय विवरणी प्रस्तुत करके किया जाएगा ।

विधेयक का खंड 434 में केन्द्रीय सरकार को कटौती किए गए और संदत्त कर के प्रतिदाय के लिए उस व्यक्ति द्वारा जिसके द्वारा आय देय है और जिसे करार द्वारा उसके द्वारा किए गए दावे पर आय पर कटौती योग्य ऐसे कर को वहन करने की अपेक्षा की गई थी कि ऐसी आय पर किसी कर की कटौती किया जाना अपेक्षित नहीं है ।

विधेयक का खंड 435 यह उपबंध करने के लिए है कि कर निर्धारण अधिकारी किसी अपीलीय आदेश के परिणामस्वरूप निर्धारिती को देय किसी रकम का प्रतिदाय करेगा और निर्धारिती को इस संबंध में कोई दावा करना अपेक्षित नहीं होगा ।

विधेयक का खंड 436 यह उपबंध करने के लिए है कि निर्धारिती किसी ऐसे कर निर्धारण या अन्य मामले की सत्यता पर प्रश्न उठाने का हकदार नहीं होगा जो अंतिम हो गया है या गलती से संदत्त किए गए या अधिक संदत्त किए गए कर के प्रतिदाय के सिवाय किसी अन्य राहत का दावा करने का हकदार नहीं होगा ।

विधेयक का खंड 437 यह उपबंध करने के लिए है कि निर्धारिती अपने द्वारा देय प्रतिदाय के अतिरिक्त ब्याज प्राप्त करने का हकदार होगा ।

विधेयक का खंड 438 ऐसे व्यक्ति को पूर्व सूचना देने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति द्वारा इस विधेयक के अधीन देय किसी राशि के विरुद्ध प्रतिदाय की जाने वाली रकम या उस

रकम के किसी भाग को मुजरा करने का उपबंध के लिए किया गया है ।

विधेयक का खंड 439 आय की कम रिपोर्ट करने और मिथ्या रिपोर्ट करने के लिए शास्ति अधिरोपित करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 440 उन शर्तों और परिस्थितियों से संबंधित है जिनके अधीन शास्ति अधिरोपित करने और अभियोजन की कार्यवाही आरंभ करने से उन्मुक्ति के लिए है ।

विधेयक का खंड 441 लेखा-बहियों, दस्तावेजों आदि को रखने, बनाए रखने या रखने में असफलता के लिए शास्ति अधिरोपित करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 442 में कतिपय संव्यवहारों की बावत जानकारी और दस्तावेज आदि रखने और बनाए रखने में असफल रहने में शास्ति अधिरोपित करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 443 यदि आय जिसमें कोई नकद प्रत्यय, अस्पष्ट विनिधान, अस्पष्ट धनराशि, आदि, अस्पष्ट व्यय, विनिधान की रकम आदि सम्मिलित है, लेखा बहियों में पूर्णरूप से प्रकट न की गई है और उधार ली गई या हुंडी पर वापस की गई रकम सम्मिलित है, पर शास्ति अधिरोपित करने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 444 लेखा बहियों में मिथ्या प्रविष्टि करने या प्रविष्टि का लोप करने के लिए शास्ति अधिरोपित करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 445 विनिदष्ट व्यक्तियों द्वारा कतिपय उपबंधों के अतिक्रमण करने के लिए शास्ति अधिरोपित करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 446 लेखा परीक्षा कराने में असफलता के लिए शास्ति अधिरोपित करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 447, खंड 172 द्वारा यथाअपेक्षित लेखाकार से रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असफलता के लिए शास्ति अधिरोपित करने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 448 स्रोत पर कर की कटौती न करने पर शास्ति अधिरोपित करने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 449 में स्रोत पर कर संग्रहण न करने पर शास्ति अधिरोपित करने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 450 यह खंड शास्ति अधिरोपित करने के लिए उपबंध करता है यदि कोई व्यक्ति खंड 185 के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए कोई ऋण या जमा या विनिर्दिष्ट राशि लेता है या स्वीकार करता है ।

विधेयक का खंड 451 खंड 186 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति अधिरोपित करने के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 452 में खंड 187 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति अधिरोपित करने के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 453 खंड 188 के उपबंध का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति अधिरोपित करने के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 454 वित्तीय संव्यवहार या रिपोर्ट किए जाने योग्य लेखा का विवरण प्रस्तुत करने में असफलता के लिए शास्ति अधिरोपित करने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 455 वित्तीय संव्यवहार या रिपोर्ट करने योग्य खाते का गलत विवरण देने के लिए शास्ति अधिरोपित करने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 456 पात्र विनिधान निधि द्वारा विवरण या जानकारी या दस्तावेज देने में असफलता के लिए शास्ति अधिरोपित करने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 457, खंड 171 के अधीन विवरण या जानकारी या दस्तावेज देने में असफलता के लिए शास्ति अधिरोपित करने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 458 खंड 506 के अधीन जानकारी या दस्तावेज देने में असफलता के लिए शास्ति अधिरोपित करने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 459 खंड 511 के अधीन रिपोर्ट देने या गलत रिपोर्ट देने में असफलता के लिए शास्ति अधिरोपित करने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 460 खंड 505 के अधीन विवरण प्रस्तुत करने में असफलता के लिए शास्ति अधिरोपित करने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 461 खंड 397(3)(ख) के अधीन यथा अपेक्षित विवरण प्रस्तुत करने में असफलता के लिए शास्ति अधिरोपित करने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 462 खंड 397(3)(घ) के अधीन यथा अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने या गलत जानकारी प्रस्तुत करने में असफलता के लिए शास्ति अधिरोपित करने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 463 किसी लेखापाल या वाणिज्यिक बैंककार या रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा रिपोर्टों या प्रमाणपत्रों में गलत जानकारी प्रस्तुत करने के लिए शास्ति अधिरोपित करने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 464 कतिपय संस्थाओं या निधियों द्वारा विवरण प्रस्तुत करने में असफलता के लिए शास्ति अधिरोपित करने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 465 प्रश्नों का उत्तर देने, कथनों पर हस्ताक्षर करने, जानकारी, विवरणी या विवरण प्रस्तुत करने, निरीक्षण की अनुज्ञा देने आदि में असफलता के लिए शास्ति अधिरोपित करने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 466 खंड 254 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति अधिरोपित करने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 467 खंड 262 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति अधिरोपित करने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 468 खंड 397 (1) के उपबंधों का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति अधिरोपित करने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 469 कुछ दशाओं में शास्ति आदि के घटाने या अधित्यजन करने की शक्ति का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 470 यह उपबंध करने के लिए है कि कतिपय मामलों में शास्ति युक्तिसंगत कारण के लिए अधिरोपित नहीं की जाएगी ।

विधेयक का खंड 471 शास्ति उद्ग्रहीत करने की प्रक्रिया का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 472 शास्ति अधिरोपित करने के लिए परिसीमा का वर्जन करने के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 473, खंड 247(1)(viii) या (4) के अधीन पारित आदेश के उल्लंघन के लिए दंड का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 474, खंड 247(1)(ख)(ii) के अनुपालन में असफलता के लिए दंड का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 475 कर वसूली के अपवंचन के लिए संपत्ति को हटाने, छिपाने, अंतरण या परिदान के लिए के लिए दंड का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 476, अध्याय 19ख के अधीन अंतर्गत यथाअपेक्षित केन्द्रीय सरकार के जमा खाते में कर का संदाय करने में असफलता के लिए दंड का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 477 केन्द्रीय सरकार के जमा खाते में संग्रहित कर का संदाय करने में असफलता के लिए दंड का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 478 जानबूझकर कर अपवंचन के प्रयास के लिए दंड, शास्ति आदि का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 479 आय विवरणी प्रस्तुत करने में असफलता के लिए दंड का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 480 तलाशी के मामलों में आय विवरणी प्रस्तुत करने में असफलता के लिए दंड का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 481 लेखा और दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफलता के लिए दंड का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 482 सत्यापन आदि में मिथ्या विवरण देने के लिए दंड का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 483 कर अपवंचन के लिए लेखा बहियों अथवा दस्तावेजों आदि का मिथ्याकरण करने में दंड का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 484 मिथ्या विवरणी आदि का दुष्प्रेरण करने के लिए दंड का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 485 द्वितीय और पश्चात्तर्वी अपराधों के लिए दंड का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 486 यह उपबंध करने के लिए है कि कुछ दशाओं में युक्तियुक्त कारणों के लिए दंड अधिरोपित नहीं किया जाएगा ।

विधेयक का खंड 487 कंपनियों द्वारा किए गए अपराधों के लिए दंड का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 488 हिंदू अविभक्त कुटुम्ब के लिए दंड का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 489 कुछ मामलों में आस्तियों, लेखा पुस्तकों आदि के बारे में

उपधारणा करने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 490 सदोष मनःस्थिति के बारे में उपधारणा करने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 491 कतिपय अपराधों के अभियोजन आरंभ करने के लिए आयुक्त या प्रधान आयुक्त या संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील) या प्रधान मुख्य आयुक्त की पूर्व मंजूरी का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 492 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में अंतर्विष्ट विचार किए बिना कुछ अपराधों का असंज्ञेय होने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 493 उपबंध करता है कि आय-कर प्राधिकारी की अभिरक्षा में अभिलेखों या अन्य दस्तावेजों में की प्रविष्टियां, किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति के अभियोजन की किन्ही कार्यवाहियों में साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जाएगा ।

विधेयक का खंड 494 लोक सेवकों द्वारा जानकारी के प्रकटीकरण से संबंधित खंड 258(3) के उल्लंघन के लिए दंड का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 495 विशेष न्यायालय द्वारा विधेयक के अधीन अपराधों का विचारण करने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 496 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के उपबंधो पर विचार किए बिना विशेष न्यायालय द्वारा विधेयक के अधीन अपराधों का विचारण करने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 497 अपराधों का समन मामले के रूप में विचारण का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 498 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 का विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को लागू होने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 499 यह उपबंध करने के लिए है कि लंबित कार्यवाही के पूरा होने के परिणामस्वरूप या अन्यथा निर्धारिती द्वारा देय किसी कर के संबंध में किसी दावे की तुलना में आस्तियों अंतरण शून्य होगा ।

विधेयक का खंड 500 कर निर्धारण अधिकारी को राजस्व के हितों की रक्षा करने के लिए कर निर्धारण, पुनर्निर्धारण या शास्ति की कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान निर्धारिती की किसी संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क करने की शक्ति प्रदान का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 501 सूचना, समन, मांग, आदेश या किसी अन्य संचार की तामील के ढंग का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 502 यह उपबंध करने के लिए है कि किसी सूचना या अन्य दस्तावेज के प्रमाणीकरण का ढंग किसी आय-कर प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा ।

विधेयक का खंड 503 हिंदू अविभक्त कुटुम्ब के विभाजन या फर्म के विघटन पर सूचना की तामील का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 504 बंद किए गए कारबार या व्यवसाय की दशा में की सूचना तामील का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 505 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार भारत में स्थापित कोई संपर्क कार्यालय है, के अनिवार्यता द्वारा विवरण प्रस्तुत करने के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 506 कतिपय मामलों में भारतीय समुत्थान द्वारा विहित आय-कर प्राधिकारी को सूचना या दस्तावेज प्रस्तुत करने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 507 सिनेमेटोग्राफ फिल्म के निर्माताओं या किसी विनिर्दिष्ट गतिविधि में लगे व्यक्तियों द्वारा विवरण प्रस्तुत करने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 508 किसी विनिर्दिष्ट वित्तीय संव्यवहार या रिपोर्ट योग्य खाते के संबंध में विहित रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था द्वारा विहित आय-कर प्राधिकारी को विवरण प्रस्तुत करने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 509 किसी क्रिप्टो-आस्ति के संव्यवहार के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 510 यह उपबंध करने के लिए है कि विहित आय-कर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति विहित रीति में वार्षिक जानकारी विवरण उपलब्ध कराएगा ।

विधेयक का खंड 511 अंतर्राष्ट्रीय समूह के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 512 कतिपय मामलों में कार्यवाहियों अथवा अभियोजन के संबंध में जानकारी के प्रकाशन का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 513 यह उपबंध करने के लिए है कि कोई निर्धारिती, जो किसी आस्ति के मूल्यांकन से संबंधित किसी कार्यवाही के संबंध में किसी आय-कर प्राधिकारी या अपीलीय अधिकरण के समक्ष उपस्थित होने का हकदार है या उपस्थित होना अपेक्षित है, का प्रतिनिधित्व रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा किया जा सकेगा ।

विधेयक का खंड 514 मूल्यांककों के रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 515 यह उपबंध करने के लिए है कि कोई निर्धारिती, जो इस विधेयक के अधीन किसी कार्यवाही के लिए आय-कर प्राधिकारी अथवा अपीलीय अधिकरण के समक्ष उपस्थित होने का हकदार है या उपस्थित होने के लिए अपेक्षित है, प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित हो सकेगा ।

विधेयक का खंड 516 कुल आय या देय या प्रतिदेय कर का पूर्णांकन करने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 517 यह उपबंध करने के लिए है कि इस विधेयक के अधीन संदत या वसूल की गई किसी धनराशि के लिए रसीद दी जाएगी ।

विधेयक का खंड 518 यह उपबंध करने के लिए है कि किसी अन्य व्यक्ति की आय के संबंध में इस खंड के अनुसरण में कोई कर काटने, बनाए रखने या संदाय करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उसकी कटौती, प्रतिधारण या संदाय के लिए क्षतिपूर्ति की जाएगी ।

विधेयक का खंड 519 केन्द्रीय सरकार को अभियोजन से उन्मुक्ति प्रदान करने की

शक्ति का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 520 यह उपबंध करने के लिए है कि प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट से अवर कोई न्यायालय इस विधेयक के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा ।

विधेयक का खंड 521 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 401 और अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 को विधेयक के अधीन दोषी ठहराए गए ऐसे व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी जिनकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं है का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 522 यह उपबंध करने के लिए है कि आय, निर्धारण, सूचना, समन या अन्य कार्यवाही की कोई भी विवरणी केवल किसी गलती, दोष या व्यतिक्रम के कारण अमान्य नहीं होगी ।

विधेयक का खंड 523 यह उपबंध करने के लिए है कि जहां कोई निर्धारिती किसी कार्यवाही में उपस्थित हुआ है या किसी कर निर्धारण या पुन निर्धारण से संबंधित किसी जांच में सहयोग किया है तो यह समझा जाएगा कि उसे कोई सूचना सम्यक रूप से तामील की गई है ।

विधेयक का खंड 524 तलाशी या सर्वेक्षण के दौरान किसी व्यक्ति के कब्जे या नियंत्रण में पाई गई लेखा पुस्तकों, अन्य दस्तावेजों, धन, सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या वस्तु के संबंध में खंडन योग्य अनुमान का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 525 तलाशी या मांग के मामले में प्राधिकरण और निर्धारण का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 526 विधेयक के अधीन कार्यवाहियों के संबंध में सिविल न्यायालयों में वादों के वर्जन का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 527 केन्द्रीय सरकार को खनिज तेलों के पूर्वक्षण के लिए पूर्वक्षण के कारबार में भागीदारी के संबंध में छूट आदि देने का अधिकार देने की शक्ति का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 528 केन्द्रीय सरकार या बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त करने में होने वाले विलंब को क्षमा करने की शक्ति का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 529 अनुमोदन वापस लेने के लिए विनिर्दिष्ट करने के लिए है जहां केन्द्रीय सरकार या बोर्ड के पास ऐसा कोई अनुमोदन मंजूर करने की शक्ति है ।

विधेयक का खंड 530 लंबित विधायी उपबंध की दशा में कर प्रभार के लिए प्रभावकारिता का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 531 पहले से दी गई कतिपय संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में छूट को रद्द करने की शक्ति का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 532 केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए बोर्ड को स्कीम बनाने की शक्ति का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 533 केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए बोर्ड को नियम बनाने की शक्ति का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 534 संसद के समक्ष नियम और कतिपय अधिसूचनाएं रखने का

उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 535 में केन्द्रीय सरकार को कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 536 आय-कर अधिनियम, 1961 के निरसन और तद्धीन की गई कार्यवाहियों की व्यावृत्ति का उपबंध करने के लिए है ।

वित्तीय ज्ञापन

यह विधेयक, आयकर अधिनियम, 1961 का निरसन करने और प्रस्तावित विधान का पुनः अधिनियमन करने के लिए है ताकि कोई अतिरिक्त महत्वपूर्ण व्यय, उस व्यय के अतिरिक्त, जो उक्त अधिनियम के प्रशासन पर खर्च किया जा रहा है, मात्र इस विधेयक के पारित किए जाने के कारण अनुध्यात नहीं है ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक के उपबंध, अन्य बातों के साथ-साथ, केन्द्रीय सरकार को अधिसूचना जारी करने तथा बोर्ड को नियम बनाने एवं इसमें निर्दिष्ट विभिन्न प्रयोजनों के लिए दिशानिर्देश जारी करने के लिए सशक्त करते हैं।

2. विधेयक के खंड 8 का उपखंड (4) बोर्ड को उक्त खंड और खंड 67(10) के उपबंधों को प्रभावी करने में उत्पन्न होने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से दिशानिर्देश जारी करने के लिए सशक्त करता है।

3. विधेयक के खंड 166 का उपखंड (15) बोर्ड को उक्त खंड के उपखंड (9) और (12) के उपबंधों को प्रभावी करने में उत्पन्न होने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से दिशानिर्देश जारी करने के लिए सशक्त करता है।

4. विधेयक के खंड 205 का उपखंड (2) बोर्ड को उक्त उपखंड की मद (ख) या (ग) या (घ) के उपबंधों को प्रभावी करने में उत्पन्न होने वाली किसी कठिनाई को दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से दिशानिर्देश जारी करने के लिए सशक्त करता है।

5. विधेयक के खंड 267 का उपखंड (8) बोर्ड को उक्त खंड के उपबंधों को प्रभावी करने में उत्पन्न होने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से दिशानिर्देश जारी करने का अधिकार देता है।

6. इस विधेयक का उद्देश्य उपरोक्त पैरा 2 से 5 में उल्लिखित दिशानिर्देशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष यथाशीघ्र प्रस्तुत करने के लिए सशक्त करता है।

7. विधेयक का खंड 533 बोर्ड को प्रस्तावित विधान के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करता है, जो केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण के अधीन है। यह, अन्य बातों के साथ-साथ, बोर्ड को (क) किसी भी वर्ग की आय को अभिनिश्चित करने और अवधारण करने के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करता है; (ख) वह रीति और प्रक्रिया जिसके द्वारा आय की गणना की जाएगी यदि (i) आंशिक रूप से कृषि से और आंशिक रूप से कारबार से प्राप्त आय; (ii) भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति; (iii) किसी अनिवासी द्वारा भारत में की गई संक्रिया; (iv) किसी अनिवासी का संव्यवहार या गतिविधियाँ; (v) कोई व्यक्ति जो खंड 99(3) और (4) के अधीन मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी है; (ग) प्रस्तावित विधि के अधीन कर से देय किसी भी अनुलाभ के मूल्य का निर्धारण ऐसी रीति से और ऐसे आधार पर जो बोर्ड को उचित और युक्तियुक्त लगे; (घ) अवलिखित मूल्य पर प्रतिशत जो भवनों, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर के लिए मूल्यहास के रूप में अनुमत हो सकता है; (ङ) खंड 62 में विनिर्दिष्ट मामले; (च) वे शर्तें या सीमाएं जिनके अधीन किसी निर्धारिती द्वारा किए गए किराए के किसी भी भुगतान को खंड 134 के अधीन घटाया जाएगा; (छ) अध्याय 11 में विनिर्दिष्ट मामले; (ज) वह समय जिसके भीतर कोई व्यक्ति स्थायी खाता संख्या के आबंटन के लिए आवेदन कर सकता है, प्ररूप और वह रीति जिसमें ऐसा आवेदन किया जा सकता है और ऐसे आवेदन में कौन सी विशिष्टियां होंगी और संव्यवहार जिनके संबंध में स्थायी खाता संख्या खंड 262 के अधीन ऐसे संव्यवहार से संबंधित दस्तावेजों पर उद्धृत की जाएगी; (झ) दस्तावेज, विवरण, रसीदें, प्रमाण पत्र या संपरीक्षित की गई रिपोर्टें जो विवरणी के साथ प्रस्तुत नहीं की जा सकती हैं,

लेकिन खंड 263(2)(क) के अधीन मांग पर मूल्यांकन अधिकारी के समक्ष पेश की जाएंगी; (ज) व्यक्तियों की वह श्रेणी या श्रेणियां जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी; इलेक्ट्रॉनिक रूप में उक्त विवरणी प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति; दस्तावेज, विवरण, रसीदें, प्रमाण पत्र या रिपोर्ट जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में विवरणी के साथ प्रस्तुत नहीं किया जाएगा और कंप्यूटर संसाधन या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जिसके माध्यम से खंड 263(2)(क) के अधीन ऐसी विवरणी प्रेषित किया जा सकता है; (ट) मामले, आस्तियों की प्रकृति और मूल्य, व्यय और व्यय के शीर्ष और सीमाएं, जिन्हें खंड 263(2)(ख) के अधीन निर्धारित किया जाना आवश्यक है; (ठ) संपरीक्षा या सूची मूल्यांकन की रिपोर्ट का प्ररूप और विवरण जो खंड 268(5) के अधीन ऐसी रिपोर्ट में शामिल होंगे; (ड) खंड 274(21) के अधीन अनुमोदन पैनल के अध्यक्ष और सदस्यों का पारिश्रमिक और खंड 274(24) के अधीन अनुमोदन पैनल द्वारा संदर्भों के गठन, कामकाज और निपटान की प्रक्रिया और रीति; (ढ) वह प्ररूप और रीति जिसमें किसी राशि के भुगतान से संबंधित जानकारी खंड 397(3)(घ) के अधीन प्रस्तुत की जा सकती है; (ण) प्रस्तावित विधान के किसी भी प्रयोजन के लिए निर्धारित किया जाने वाला प्राधिकरण; (त) प्रस्तावित विधान के अधीन दोहरे कराधान के संबंध में राहत प्रदान करने या दोहरे कराधान से बचने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए किसी करार को प्रभावी करने की प्रक्रिया; (थ) प्रस्तावित विधान के अधीन देय आयकर के विरुद्ध खंड 159 या 160 के अधीन भारत के बाहर किसी देश या विनिर्दिष्ट क्षेत्र में संदत्त किसी आयकर में राहत या कटौती प्रदान करने की प्रक्रिया; (द) वह प्ररूप और रीति जिससे कोई आवेदन, दावा, विवरणी या सूचना दी जा सकेगी और वह फीस जो किसी आवेदन या दावे के संबंध में लगाया जा सकेगा; (ध) वह रीति जिससे प्रस्तावित विधान के अधीन फाइल किए जाने वाले किसी दस्तावेज का सत्यापन किया जा सकेगा; (न) प्रतिदाय के लिए आवेदनों पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया; (प) प्रस्तावित विधान के अधीन निर्धारिती द्वारा या सरकार द्वारा निर्धारिती को देय ब्याज की गणना करने की प्रक्रिया, जिसमें किसी माह के अंश के संबंध में अवधियों को पूर्णांकित करना, और उन परिस्थितियों को निर्दिष्ट करना शामिल है जिनके अधीन और जिस सीमा तक निर्धारिती द्वारा देय ब्याज की छोटी रकम को अनदेखा किया जा सकेगा; (फ) किसी मामले का विनियमन जिसके लिए खंड 420 में उपबंध किया गया है; (ब) वह प्ररूप और रीति जिसमें प्रस्तावित विधान के अधीन कोई अपील या प्रत्याक्षेप फाइल की जा सकेगी, उसके संबंध में देय फीस और वह रीति जिसमें खंड 358(3)(ख) में निर्दिष्ट सूचना दी जा सकेगी; (भ) परिस्थितियां, शर्तें और वह रीति जिसमें संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील) किसी अपीलकर्ता को साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकेंगे, जिसे उसने प्रस्तुत नहीं किया है या जिसे उसे निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी गई थी; (म) वह प्ररूप जिसमें खंड 507 के अधीन विवरण निर्धारण अधिकारी को दिया जाएगा; (य) आयकर अधिकारियों के समक्ष व्यवसाय करने वाले विधि व्यवसायियों या लेखाकारों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के रजिस्टर का रखरखाव और खंड 515(5) में निर्दिष्ट प्राधिकरण के गठन और उसके द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया; (यक) निर्धारिती द्वारा कर के भुगतान की पुष्टि करने वाला प्रमाण पत्र जारी करना; और (यख) कोई अन्य मामला जो प्रस्तावित विधान के अधीन नियमों द्वारा उपबंधित किए जाने के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करता है।

8. विधेयक के खंड 535 का उपखंड (3) उपबंध करता है कि उक्त खंड के अधीन कठिनाई को दूर करने के लिए किए गए प्रत्येक आदेश को यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

9. अनुसूची 2 की सारणी.2.ग के टिप्पण में निर्दिष्ट शर्तें, अन्य बातों के साथ-साथ, बोर्ड को उक्त खंड के उपबंधों को लागू करने में उत्पन्न होने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से दिशानिर्देश जारी करने के लिए सशक्त करती हैं। उक्त खंड में आगे यह भी उपबंध है कि इस प्रकार जारी किए गए दिशानिर्देश, जारी होने के पश्चात्, यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाएँगे।

10. वे विषय, जिनके संबंध में नियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया और ब्यौरे के विषय हैं और उनके लिए स्वयं विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है। अतः, विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है।